

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारत में आर्थिक पर्यावरण (Economic Environment in India)

भारत में आर्थिक पर्यावरण (Economic Environment in India)

डॉ. ओ. पी. शर्मा

वरिष्ठ व्याख्याता

आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबन्ध विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सवाईमाधोपुर

आर बी एस ए पब्लिशर्स

एस. एम. एस. हाईवे

जयपुर - 302 003

प्रकाशक

दीपक परनामी

आर बी एस ए पब्लिशर्स,

एस एम एस हाईवे,

जयपुर - 302 003

दूरभाष - (0141) 563826

प्रथम संस्करण 2001

© लेखक

ISBN 81-7611-092-2

शब्द संयोजक

आइडियल कम्प्यूटर्स

जवाहर नगर

जयपुर - 302 004

दूरभाष - 651967

मुद्रक शीतल प्रिन्टर्स जयपुर

भूमिका

बीते दशक में अर्थव्यवस्था पर एक सौ पच्चीस से अधिक लेख तथा छह सदस्य पुस्तकें प्रकाशित होने के बाद भारत में आर्थिक पर्यावरण आपके हाथों में सौंपते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। विश्व में आर्थिक पर्यावरण चर्चित विषय रहा है। भारत स्वतंत्रता के पचास वर्ष से अधिक का समय पार कर लेने के बाद नई सहस्राब्दि में प्रवेश कर चुका है। आज की भांति भविष्य में भी विश्व में मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की कारगर भूमिका होगी। भारत ने विगत दशकों में आर्थिक पिछड़ेपन पर प्रहार करने वास्ते योजनाबद्ध विकास तथा ताजे दशक में आर्थिक उदारीकरण का मार्ग आत्मसात किया है जिससे देश में आर्थिक विकास का वातावरण सृजित हुआ है। राजस्थान की मरुभूमि भी राजीव हो उठी है। किन्तु अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याओं यथा गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, आर्थिक विषमता का मुहंवाए खड़े रहना चिन्ताप्रद बात है। भारत में प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों की बहुलता के कारण आर्थिक विकास की विपुल सभावनाएँ हैं। आज दुनिया का कोई देश भारत की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं है। अनेक देशों के निवेशक भारत में विनियोजन बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। अतः भविष्य में भारत के आर्थिक पर्यावरण में मजबूती की आशा की जाती है। नीतिगत पहल और प्रभावोत्पादक कदम उठाकर भारत विश्व के प्रतिस्पर्धी देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है।

भारत में आर्थिक पर्यावरण जैसे सर्वाधिक चर्चित विषय को छात्रों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रभावी बनाने वास्ते ताजातरीन घटनाक्रमों का समावेश किया गया है। पुस्तक को लिखने में लब्ध प्रतिष्ठित सदस्यों यथा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, भारत-सन्दर्भ ग्रन्थ, हिन्दू सर्वे आफ इण्डियन इण्डस्ट्री, आठवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, कुरुक्षेत्र, योजना, तथ्य भारती, आर्थिक जगत उद्योग व्यापार पत्रिका, इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, आर्थिक समीक्षा राजस्थान, आय व्ययक अध्ययन राजस्थान,

स्टेटिस्टिकल एक्सट्रैक्ट राजस्थान, बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान, इंडियन इकोनॉमी स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, पापूलेशन ऑफ राजस्थान आदि का उपयोग किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक प्रबुद्ध व्याख्याताओं, छात्रों तथा आर्थिक पर्यावरण में रुचि रखने वाले सुधी पाठकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। यह पुस्तक का प्रथम संस्करण है। अतः कमियाँ होना स्वाभाविक है परन्तु सुधी पाठक सवाद, सहभागिता और अमूल्य सुझावों से इन कमियों को दूर करेंगे। जिससे पुस्तक को उत्तरोत्तर प्रासंगिक बनाने में मदद मिलेगी।

अन्त में मैं पुस्तक के प्रकाशक आर वी एस ए के श्री दीपक परनामी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने पुस्तक को बेहतरीन ढंग से प्रकाशित करने में तत्परता दिखाई।

'शांति दीप'

डा ओ पी शर्मा

जटवाडा मानटाऊन

सवाईमाधोपुर - 322001 (राज)

दूरभाष - (07462)-21998

विषय सूची (Contents)

इकाई I

- 1 आर्थिक पर्यावरण अर्थ तथा आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक 1-15
(Economic Environment - Meaning and Factors Affecting Economic Environment)
आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण का अर्थ, आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएँ, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व।
- 2 भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएँ 16-42
(Indian Economic Environment and Basic Features of Indian Economy)
आर्थिक परिदृश्य, भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएँ, सम्पन्नता के बीच गरीबी, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण।
- 3 नई आर्थिक नीति 43-79
(New Economic Policy)
नई आर्थिक नीति, आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलाव, आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण, आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरूप, उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन, आर्थिक सुधारों की उपलब्धियाँ, आर्थिक सुधारों के दुष्परिणाम, आर्थिक सुधारों के सतुलित प्रभावों की आवश्यकता।
- 4 भारतीय अर्थव्यवस्था का भावी परिप्रेक्ष्य 80-90
(Futuristic View of Indian Economy)
अर्थव्यवस्था का भावी परिप्रेक्ष्य, कृषि अर्थव्यवस्था का भावी परिप्रेक्ष्य।

(ii)

- 5 आर्थिक नियोजन का अर्थ और महत्त्व 91-110
(Meaning and Importance of Economic Planning)
आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाएँ, आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ आर्थिक नियोजन का महत्त्व अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क, आर्थिक नियोजन की सीमाएँ अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के विपक्ष में तर्क, आर्थिक नियोजन की पूर्व अपेक्षाएँ अथवा आर्थिक नियोजन की सफलता की आवश्यक शर्तें।
- 6 भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियाँ 111-129
(Objectives and Achievements of Indian Economic Planning)
आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ आर्थिक नियोजन की असफलताएँ।
- 7 भारत में आर्थिक नियोजन के पाच दशक 130-141
(Five Decades of Economic Planning in India)
योजना परिव्यय और प्राथमिकताएँ, आठवीं पंचवर्षीय योजना और आर्थिक विकास।
- 8 नौवीं पंचवर्षीय योजना 142 148
(Ninth Five Year Plan)
नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य योजना परिव्यय, वित्त पूर्ति के स्रोत।
- 9 भारत में नियोजन की तकनीक योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन 149 169
(Techniques of Indian Planning - Plan Formulation, Execution and Evaluation)
योजना समूहन, योजना का निर्माण, योजना की जांच और स्वीकृति योजना का क्रियान्वयन योजना का मूल्यांकन, भारतीय योजना आयोग।

इकाई II

- 10 भारत में जनसंख्या — विशेषताएँ और वृद्धि 170 204
(Population in India Characteristics and Growth)

परिचयात्मक मानव साधनों का महत्त्व, भारत में जनसंख्या की मुख्य विशेषताएँ, भारत में जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, भारत में जनसंख्या संबंधी कुछ तथ्य, भारत में जनसंख्या का घनत्व, कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, सहस्राब्दी जनगणना - वर्ष 2001, भारत में जनाधिक्य की समस्या।

- 11 भारत में जनसंख्या की समस्याएँ — आर्थिक विकास पर प्रभाव 205-214
 (Population Problems in India - Effects on Economic Development)
 जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव।
- 12 जनसंख्या नीति तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन 215-237
 (Population Policy, Family Welfare Measures and Evaluation)
 भारत में जनसंख्या नीति, भारत में जनसंख्या नीति की आलोचनाएँ, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम का अर्थ, परिवार कल्याण के उद्देश्य, परिवार कल्याण के तरीके, परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति, परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ, परिवार कल्याण कार्यक्रम की कमियाँ/बाधाएँ, परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के सुझाव।
- 13 भारतीय कृषि और उसका महत्त्व 238 260
 (Indian Agriculture and Its Importance)
 भारतीय कृषि की विशेषताएँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व, नियोजन, काल, ये, कृषिगत विकास, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण।
- 14 नवीन कृषि व्यूहरेचना अथवा हरितक्रांति 261-283
 (New Agriculture Strategy or Green Revolution)
 नवीन कृषि व्यूहरेचना के मुख्य तत्त्व, नवीन कृषि व्यूहरेचना की उपलब्धियाँ, हरित क्रांति की विफलताएँ, हरित क्रांति को सफल बनाने के सुझाव।

- 15 विश्व व्यापार सगठन और भारतीय कृषि (World Trade Organisation and Indian Agriculture) तटकर और व्यापार सबधी सामान्य समझौता (गैट), डकल प्रस्ताव और भारतीय कृषि, विश्व व्यापार सगठन, विश्व व्यापार सगठन और भारतीय कृषि। 284-295
- 16 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) सामुदायिक विकास का अर्थ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ, सामुदायिक विकास के उद्देश्य, सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सगठन, सामुदायिक विकास के चरण, पचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास की प्रगति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचनाएँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के सुझाव। 296-309
- 17 कृषि वित्त के स्रोत (Sources of Agriculture Finance) कृषि वित्त के प्रकार, भारत में कृषि सार्व के स्रोत, कृषि वित्त की प्रगति, भारत में कृषि वित्त की कमियाँ, कृषि वित्त में सुधार के सुझाव। 310-327
- 18 भारत में भूमि सुधार (Land Reforms in India) भूमि सुधार का अर्थ भूमि सुधार के उद्देश्य और महत्त्व, भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रचलित भू-स्वामित्व व्यवस्था, भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार, आठवीं पचवर्षीय योजना और भूमि सुधार, आर्थिक उदारीकरण और भूमि सुधार, भूमि सुधार कार्यक्रमों की आलोचनाएँ, भूमि सुधारों की सफलता के सुझाव। 328-351
- इकाई III**
- 19 भारत में औद्योगिक विकास (Industrial Development in India) औद्योगिक विकास का महत्त्व, पचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास, पचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास का मूल्यांकन 352-372

सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएँ।

- 20 भारत में बड़े पैमाने के उद्योग 373-414
(Large Scale Industries in India)
लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग।
- 21 भारत में लघु उद्योगों का महत्त्व एवं विकास 415-435
(Importance and Development of Small Industries in India)
लघु उद्योगों की परिभाषा और वर्गीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका, पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों का विकास, लघु उद्योग तथा राजकीय प्रयत्न, लघु उद्योगों की समस्याएँ, लघु उद्योगों के विकास हेतु सुझाव।
22. भारत में औद्योगिक नीति तथा उसमें नवीन परिवर्तन 436-461
(Industrial Policy and Recent Changes in India)
औद्योगिक नीति का महत्त्व, औद्योगिक नीति के उद्देश्य, भारत में औद्योगिक नीति, स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति अर्थात् औद्योगिक नीति, 1948, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, 1951, औद्योगिक नीति, 1956, 1977 में घोषित औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, 1980, वर्तमान औद्योगिक नीति अर्थात् जुलाई 1991 में घोषित नीति, लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति में नवीन परिवर्तन।
- 23 भारत में विदेशी पूंजी निवेश 462-486
(Foreign Capital Investment in India)
विदेशी पूंजी निवेश का अर्थ और विशेषताएँ, विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता अथवा विदेशी पूंजी निवेश के पक्ष में तर्क अथवा विदेशी सहायता का दर्शन, विदेशी पूंजी निवेश के खतरे, विदेशी पूंजी निवेश के विभिन्न स्रोत, विदेशी पूंजी निवेश की राजकीय नीति, भारत में विदेशी पूंजी निवेश के स्रोत, भारत में विदेशी सहायता की उपलब्धियाँ, भारत में विदेशी सहायता की समस्याएँ और समाधान के सुझाव

(vi)

24 अप्रवासी भारतीय द्वारा भारत में पूंजी निवेश 487-494
(Investment of Capital in India by NRIs)
अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीयों द्वारा विनियोग, अप्रवासी
विनियोगों की प्रगति, अप्रवासी भारतीयों को सुविधाएँ।

25 निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका 495-505
(Role of Private Sector and Multinational Corporations)
बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ और विशेषताएँ, भारत में निजी क्षेत्र
एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, विदेशी निजी क्षेत्र तथा
बहुराष्ट्रीय निगमों के सम्भावित खतरे, बहुराष्ट्रीय निगम और
सरकार की नीति।

इकाई IV

26 भारत का विदेशी व्यापार आकार, संरचना और दिशा 506-538
(Foreign Trade of India Volume, Composition and
Direction)

विदेशी व्यापार का अर्थ, विदेशी व्यापार का महत्त्व, स्वतंत्रता से
पूर्व भारत का विदेशी व्यापार, स्वातन्त्र्योत्तर भारत का विदेशी
व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, प्रतिकूल व्यापार
शेष के कारण, भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, विदेशी
व्यापार की दिशा, भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ
अथवा आधुनिक प्रवृत्तियाँ।

27 भारत में निर्यात सम्वर्द्धन 539-562
(Export Promotion in India)

निर्यात सम्वर्द्धन का अर्थ, निर्यात सम्वर्द्धन की आवश्यकता और
महत्त्व, निर्यात सम्वर्द्धन के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयास,
निर्यात सम्वर्द्धन की उपलब्धियाँ, निर्यात सम्वर्द्धन के सुझाव,
आयात प्रतिस्थापन।

28 नई निर्यात आयात नीति, 1997-2002 563-572
(New Export-Import Policy, 1997-2002)
निर्यात आयात नीति, 1992-97, नई निर्यात आयात नीति,
1997-2002, नई संशोधित निर्यात-आयात नीति।

29. भारत में रेल परिवहन 573-592
(Rail Transport in India)
भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्त्व, पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों का विकास, रेल परिवहन की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, आर्थिक उदारीकरण और रेल परिवहन, रेलवे की वार्षिक योजनाएँ, रेल वित्त, रेल परिवहन की समस्याएँ, भारत में रेल परिवहन की सभावनाएँ।
30. भारत में सड़क परिवहन, 593-612
(Road Transport in India)
सड़क परिवहन की विशेषताएँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का महत्त्व, भारत में सड़कों का वर्गीकरण, भारत में सड़क परिवहन का विकास, योजनाकाल में सड़क विकास, सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण, मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क, मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण से हानियाँ, सड़क परिवहन की समस्याएँ, सड़क परिवहन की समस्याओं में सुधार के सुझाव, भारत में रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा, रेल-सड़क समन्वय, सड़क परिवहन की श्रेष्ठता।
31. भारत में वायु परिवहन विकास, समस्याएँ और सभावनाएँ 613-629
(Air Transport in India Development, Problems and Potentialities)
वायु परिवहन का महत्त्व, वायु परिवहन का विकास, पंचवर्षीय योजनाओं में वायु परिवहन का विकास, भारत में वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, वायु परिवहन की समस्याएँ एवं समाधान, भारत में वायु परिवहन के विकास की सभावनाएँ।
32. भारत में जल परिवहन विकास 630-646
(Development of Water Transport in India)
जल परिवहन का महत्त्व, भारत में सांभुदिक परिवहन अथवा जहाजरानी, पंचवर्षीय योजनाओं में जहाजरानी का विकास, जहाजरानी के विविध आयाम, भारत में जहाजरानी की समस्याएँ और सुझाव, आन्तरिक अथवा अन्तर्देशीय जल परिवहन, पंचवर्षीय योजनाओं में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास, अन्तर्देशीय जल परिवहन की वर्तमान स्थिति, राष्ट्रीय जल मार्ग, अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की सभावनाएँ।

इकाई - V

- 33 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएँ 647-666
 (Basic Characteristics of Economy of Rajasthan)
 अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएँ, राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजनाएँ, राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण, राजस्थान का बजट, 1999-2000, राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास में बाधाएँ।
- 34 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का स्थान 667-678
 (Place of Rajasthan in Indian Economy)
 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति, भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की औद्योगिक स्थिति।
- 35 राजस्थान में जनसंख्या की विशेषताएँ 679-690
 (Characteristics of Population in Rajasthan)
 जनसंख्या की विशेषताएँ, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि रोकथाम के उपाय, मानव ससाधन विकास के प्रयास, राजस्थान की जनसंख्या नीति, 1999।
- 36 राजस्थान में कृषिगत विकास 691-700
 (Agricultural Development in Rajasthan)
 पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास, राजस्थान में कृषि विकास में बाधाएँ तथा समाधान के सुझाव।
- 37 राजस्थान का औद्योगिक विकास 701-739
 (Industrial Development in Rajasthan)
 राजस्थान की औद्योगिक पृष्ठभूमि, पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान में प्रमुख वृहद् उद्योग, राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम, राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत के औद्योगिक विकास में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका, राजस्थान में औद्योगिक नीति, राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ औद्योगिक विकास हेतु सुझाव, राजस्थान में औद्योगिक विकास की भावी संभावनाएँ।

38. राजस्थान में लघु उद्योग 740-746
(Small Scale Industries in Rajasthan)
लघु उद्योग की परिभाषा, लघु उद्योगों का विकास, राजस्थान में हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग।
39. राजस्थान में ऊर्जा विकास 747-753
(Development of Power in Rajasthan)
राजस्थान में ऊर्जा विकास।
40. राजस्थान में परिवहन विकास 754-764
(Development of Transport in Rajasthan)
राजस्थान में सड़क परिवहन, मोटर परिवहन का विकास, ग्रामीण सड़कें, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान में रेल मार्ग, आर्थिक उदारीकरण में राजस्थान में रेल विकास, राजस्थान में रेल परिवहन की समस्याएँ और समाधान, राजस्थान में वायु मार्ग।

आर्थिक पर्यावरण - अर्थ तथा आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व

(Economic Environment - Meaning and Factors
Affecting Economic Environment)

आर्थिक पर्यावरण (Economic Environment)

आज से लगभग चार दशक पूर्व पर्यावरण शब्द यदा-कदा ही पढने और सुनने में आता था। किंतु हाल ही के वर्षों में भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में पर्यावरण चर्चा का विषय है। विकास के साथ प्रदूषण बढ़ा है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण तुलनात्मक रूप से अधिक चर्चित है। पर्यावरण बेहद व्यापक है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं। मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते अनेक आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानव वातावरण की उपज है। आज मनुष्य वातावरण को पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है। बदले परिवेश में आर्थिक पर्यावरण की धारणा महत्त्वपूर्ण हो गई है।

आर्थिक पर्यावरण का अर्थ (Meaning of Economic Environment)

आर्थिक पर्यावरण जटिल अवधारणा है। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है पहला आर्थिक तथा दूसरा पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण को जानने से पूर्व इन दो शब्दों का अर्थ जान लेना आवश्यक है।

आर्थिक का अर्थ (Meaning of Economic)

अर्थशास्त्र सीमित साधनों के वितरण तथा रोजगार, आय और आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में उन सब क्रियाओं को सम्मिलित किया

जाता है जो मनुष्य द्वारा आवश्यकता की पूर्ति तथा धनोपार्जन के उद्देश्य से सम्पन्न की जाती है तथा जिन्हें मुद्रा के मापदण्ड द्वारा मापा जा सके। आर्थिक क्रियाओं में जिन मानवीय निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है वे इस प्रकार हैं - (1) क्या उत्पादन होगा? (2) वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाएगा? (3) वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, (4) साधनों का पूर्ण उपयोग, (5) आर्थिक अनुरक्षण, विकास तथा लोच।

अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रिया यह बताती है कि सीमित साधनों का कुशलता से प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। संक्षेप में आर्थिक क्रिया के सीमित साधन, उत्पादन, विनिमय व वितरण, उपभोग, आवश्यकताओं की सन्तुष्टि पांच भाग होते हैं।

पर्यावरण का अभिप्राय (Meaning of Environment)

पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, हमारे चारों ओर छाया आवरण (परि+आवरण = पर्यावरण)। जीवन और पर्यावरण में अटूट संबंध है। प्रकृति में जल, वायु, भूमि, पड़-पौधे, जीव-जंतु आदि में एक सतुलन कायम है। यह सतुलन ही प्राणी के अस्तित्व का आधार है।

वेबस्टर शब्द कोष के अनुसार "पर्यावरण से अभिप्राय उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्त अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करता है।"

विलियम एव लारेन्स के अनुसार, "पर्यावरण उन समस्त बाह्य घटकों को सम्मिलित करता है जो उपक्रम को अवरुद्ध अथवा जोखिमों की ओर अग्रसर करते हैं। यद्यपि ऐसे कई घटक हैं तथापि इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धा एवं सरकार है।"

सारत पर्यावरण से अभिप्राय मनुष्य के चारों ओर की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवकृत शक्तियों से है जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है।

आर्थिक पर्यावरण (Economic Environment)

आर्थिक क्रिया तथा पर्यावरण का अर्थ समझ लेने के पश्चात् आर्थिक पर्यावरण की व्याख्या सहज हो जाती है। आर्थिक पर्यावरण एक जटिल अवधारणा है। आर्थिक पर्यावरण में अनेक तत्त्व सम्मिलित हैं जिनमें आर्थिक नीतियां, प्राकृतिक एवं भौगोलिक दशाएँ, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएँ, अंतर्राष्ट्रीय दशाएँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, जनसंख्या संबंधी दशाएँ, वैधानिक दशाएँ आदि मुख्य हैं। ये तत्त्व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं परिणामस्वरूप आर्थिक-पर्यावरण गत्यात्मक है। ये तत्त्व अर्थव्यवस्था में चहुँ ओर दृष्टिगोचर होते हैं एवं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं।

संक्षेप में आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय मानव के निकटवर्ती उन परिस्थितियों से है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय दशाएँ, प्रौद्योगिकी

एव तकनीकी दशाओ के रूप मे व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओ को प्रभावित करती हैं।
आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं (Characteristics of Economic Environment)

1. गत्यात्मक (Dynamic) – आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता। आर्थिक पर्यावरण के घटक देश, काल एव परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं नतीजन आर्थिक पर्यावरण भी परिवर्तनशील होता है। आर्थिक पर्यावरण पर न केवल राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियों अपितु अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी प्रभाव पडता है। इनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था "व्यापार चक्र" से प्रभावित होती रहती है।

2. विभिन्न घटक (Various Elements) – आर्थिक पर्यावरण मे प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी एव तकनीकी, आर्थिक नीति, वैधानिक दशा, राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रीय दशा आदि घटक होते हैं। ये घटक परस्पर सबधित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनमे से मानवकृत घटको पर नियंत्रण संभव है, किंतु प्राकृतिक घटको पर प्राय नियंत्रण संभव नहीं है।

3. आर्थिक क्रियाए (Economic Activities) – आर्थिक पर्यावरण मे उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंक, बीमा, संचार, सार्वजनिक वित्त आदि आर्थिक क्रियाए सम्मिलित की जाती हैं।

4. आधुनिक संरचना (Modern Infrastructure) – आधुनिक संरचना मे ऊर्जा, परिवहन, संचार, पानी, बैंक, बीमा आदि को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक संरचना का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पडता है। जिन देशो मे आधुनिक संरचना उपलब्ध होती है वहा आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है।

5. पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Effect) – पर्यावरण जटिल एव व्यापक है। आर्थिक पर्यावरण भी पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। आर्थिक पर्यावरण, भौगोलिक, सामाजिक एव राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास मे सहायक है। पुरानी विचारधारा, रुढ़ीवादिता विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। राजनीतिक वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। जहा राजनीतिक स्थायित्व है वहा विकास की गति तुलनात्मक रूप से अधिक होती है।

6. आर्थिक प्रणाली (Economic System) – आर्थिक प्रणाली मे पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक प्रणाली का आर्थिक-पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पडता है। चीन मे साम्यवादी आर्थिक प्रणाली के कारण सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा मिला है। अमरीका मे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के कारण निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। भारत मे मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र को गति मिली है। आर्थिक सुधारो को लागू किए जाने के बाद भारत मे निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित हुआ है।

7. सरकार की भूमिका (Role of Government) – आर्थिक पर्यावरण मे सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक पर्यावरण पर सरकार का मार्गदर्शन

और नियंत्रण होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में ससाधनों पर राज्य का अधिकार होता है जबकि पूँजीवादी व्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप कम होता है।

8. पूँजी (Capital)— आर्थिक पर्यावरण में पूँजी महत्वपूर्ण होती है। पर्याप्त पूँजी से प्राकृतिक-ससाधनों का विदोहन तथा मानवीय ससाधनों का पूर्ण उपयोग संभव है। पूँजी की उपलब्धता से आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित होती है।

आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors Affecting Economic Environment)

आर्थिक पर्यावरण के अनेक अंग हैं जिनमें आर्थिक नीतियाँ, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय दशाएँ, जनसंख्या आदि मुख्य हैं। आर्थिक पर्यावरण के ये अंग निरन्तर परिवर्तनशील हैं परिणामस्वरूप आर्थिक विकास निरन्तर जारी रहता है। आर्थिक विकास का आर्थिक पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। समूची अर्थव्यवस्था में विभिन्न तत्त्वों का परस्पर प्रभाव पड़ता है। अनुकूल आर्थिक पर्यावरण अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्याओं यथा गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता से निपटने में कारगर भूमिका निभाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल आर्थिक पर्यावरण से आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। आर्थिक पर्यावरण को अनेक घटक प्रभावित करते हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

1. प्राकृतिक ससाधन (Natural Resources)— प्राकृतिक ससाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार होते हैं। प्रकृति ससाधनों के आवंटन में भेदभाव नहीं करती। जिन देशों में उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया है वे देश आज विकास की दृष्टि से सिरमौर हैं। प्राकृतिक ससाधनों की बाहुल्यता वाले देश विदोहन के अभाव में विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। इनमें अधिकतर विकासशील देश हैं।

प्राकृतिक ससाधनों में देश की स्थिति और आकार, मिट्टी, जल, वन, खनिज, शक्ति के साधन आदि को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक पर्यावरण में प्राकृतिक ससाधनों का विशेष महत्त्व होता है। प्राकृतिक ससाधनों की अनुकूलता और बहुतायत वाले देशों का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। प्राकृतिक ससाधनों के अभाव में विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है किंतु ऐसे देशों का आर्थिक विकास सीमित होता है तथा उन्हें विकास के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए सभी किस्म के प्राकृतिक ससाधनों का योगदान आवश्यक होता है। आर्थिक विकास का स्वरूप प्राकृतिक ससाधनों पर निर्भर है।

भारत प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से दुनिया का एक सम्पन्न देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति अनुकूल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवाँ स्थान है। भारत खनिजों का अजायबघर है। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ खनिजों के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

भारत ने पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक ससाधनों के विदोहन पर बल दिया है। परिणामस्वरूप भारत की गिनती आज औद्योगिक देशों में की जाने लगी है। किंतु भारत में उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों का भरपूर उपयोग नहीं किया गया है। कई प्राकृतिक ससाधनों विशेषकर खनिज सम्पदा अल्पशोषित अवस्था में है और जिन ससाधनों का पर्याप्त विदोहन किया गया उनका अच्छा उपयोग कम किया गया है। कच्चे लोहे की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है किंतु भारत इसका अधिकांश भाग कच्चे माल के रूप में ही निर्यात कर देता है। यदि भारत कच्चे लोहे पर आधारित और लोहे एवं इस्पात उद्योग की स्थापना करे तो इस्पात निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकार की भूमिका औद्योगीकरण में कम हो गई है। अतः लगता नहीं कि कच्चे लोहे पर आधारित औद्योगीकरण की गति बढ़े। कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक सपदा का बेहतरीन उपयोग नहीं कर सका नतीजतन औद्योगीकरण के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में भारत बहुत पीछे है। जापान प्राकृतिक ससाधनों के अभाव वाला देश है इसके बावजूद वह औद्योगीकरण के मामले में दुनिया का सर्वाधिक विकसित देश है। जापान ने खनिजों का आयात करके औद्योगीकरण को तीव्र गति दी। अमरीका, रूस, खाड़ी के देश, पश्चिम के विकसित देश प्राकृतिक ससाधनों के बूते पर ही विकास की ओर अग्रसर हुए। अतः प्राकृतिक ससाधनों का आर्थिक पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

2. मानव ससाधन (Human Resources) – प्राकृतिक ससाधनों के बाद आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण घटक मानव ससाधन है। जनसंख्या आर्थिक गतिविधियों का साधन और साध्य दोनों होती है। जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि का आर्थिक पर्यावरण पर अनुकूल तथा संख्यात्मक वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के अनुकूलतम स्तर से अधिक होने पर इसका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण आर्थिक विकास की गति तीव्रता से नहीं बढ़ सकी।

भारत में मानव ससाधन आर्थिक विकास में अवरोध सिद्ध हुआ है। यद्यपि जन्माधिक्य के कारण भारत दुनिया के बड़े बाजार के रूप में उभरा है। सस्ती श्रम शक्ति के कारण विदेशी निवेशकों का आकर्षण बढ़ रहा है। किंतु जनसंख्या की बहुलता से अनेक समस्याएँ यथा गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन मुखर हो गई हैं। आर्थिक प्रगति जनसंख्या रूपी बाढ़ में बह जाती है। निरक्षरों की भरमार के कारण जनसंख्या में गुणात्मकता का अभाव है। जनसंख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास में सहायक होता है। भारत की जनसंख्या आज एक अरब से अधिक है। वर्ष 1991 में भारत में साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी। लगभग 48 प्रतिशत लोगों के निरक्षर रहते तीव्र आर्थिक विकास मुश्किल काम है।

3. आर्थिक नीति (Economic Policy) – आर्थिक पर्यावरण आर्थिक नीतियों से प्रभावित होता है। आर्थिक नीति का अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के सबंध में अपनाई गई विचारपूर्ण नीति से होता है। सरकार आर्थिक

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति विनिमय दर प्रत्यक्ष नियंत्रण और सस्थागत परिवर्तन आदि उपकरणों को काम में लेती है। सरकार विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आत्मसात कर सकती है। सरकार आय के न्यायोचित वितरण के लिए ऊँची आय वाले लोगों पर ऊँची दर से कर लगा सकती है। आर्थिक नीतियाँ से विनास दर रोजगार आर्थिक विषमता कृषि विवास औद्योगीकरण सार्वजनिक उपक्रम निर्यात सम्वर्द्धन मूल्य स्तर आदि प्रभावित होते हैं। ये सभी घटक आर्थिक पर्यावरण के अंग होते हैं। केन्द्रीय बजट राजकोषीय नीति का उपकरण होता है। राजकोषीय नीति में सरकारी आय-व्यय और सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। मौद्रिक नीति में सरकार मुद्रा की उपलब्धि और व्याज दर में परिवर्तन करती है जिससे मुद्रा व साख की मात्रा प्रभावित होती है। विनिमय दर नीति में एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य निर्धारित किया जाता है। सरकार आवश्यकता अनुसार आर्थिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रित कर सकती है। विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सस्थाओं की स्थापना की जा सकती है।

भारत में आर्थिक नियोजन 1951 से 1990 तक प्रभावी रहा। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करते 1991 से आर्थिक उदारीकरण की नीति को आत्मसात किया। आर्थिक उदारीकरण के दौर में अर्थव्यवस्था में अनेक सरघात्मक बदलाव किए गए। परिणामस्वरूप विकास में सरकार की भूमिका गौण और निजी क्षेत्र की भूमिका प्रमुख हो गई। नई आर्थिक नीतियों के अपनाने से भारत का आर्थिक पर्यावरण परिवर्तित हो गया। स्पष्ट है कि आर्थिक नीति आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है।

4 राष्ट्रीय आय - (National Income) - राष्ट्रीय आय आर्थिक पर्यावरण का प्रमुख घटक है। बढ़ती राष्ट्रीय आय आर्थिक प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय आय के बढ़ने से चहुँओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राष्ट्रीय आय का स्तर नीचा होने पर राष्ट्र पिछड़ जाता है। राष्ट्रीय आय कम होने अथवा धीमी गति से बढ़ने से निर्धनता प्रभावपूर्ण मांग की कमी बचत व पूँजी निर्माण में कमी बाजारों की सीमितता आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। विकसित राष्ट्रों की खुशहाली का एक प्रमुख कारण बढ़ती राष्ट्रीय आय है। विकासशील राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर धीमी है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से कल्याण में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में बचत प्रवृत्ति और अच्छा उपभाग आरश्यक है। यदि बड़ी हुई आय का दुर्यसनों में उपयोग होता है तो आर्थिक पर्यावरण बिगड़ता है। अमरीका ब्रिटेन जापान जर्मनी आदि देशों में राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत ऊँचा है।

वर्ष 1993-94 के घालू मूल्यों पर त्वरित अनुमानों के अनुसार 1997-98 में भारत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 12 65 167 करोड़ रुपए तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 13 193 रुपए था। वर्ष 1995 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जापान

मे 39,640 डालर, जर्मनी मे 27,510 डालर, फ्रांस में 24,970 डालर, अमेरिका मे 26,980 डालर था। जबकि भारत मे 340 डालर तथा चीन मे 620 डालर ही था। राष्ट्रीय आय कम होने के कारण भारत मे गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याएँ मुहवाए खडी हैं।

5 आर्थिक विकास (Economic Growth) – आर्थिक विकास आर्थिक पर्यावरण मे समाहित है। आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र आर्थिक विकास से उत्पादन व रोजगार स्तर मे वृद्धि होती है। विकसित देश उत्पाद की आधुनिकतम तकनीक आत्मसात करके विकास की दौड में आगे बडे। विकासशील देशो के आर्थिक विकास मे पुरानी तकनीक, पूजी का अभाव, ऊँची उत्पादन लागत, जनाधिक्य आदि समस्याएँ हैं। भारत मे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997-98 में 5 प्रतिशत तथा 1998-99 में 6 प्रतिशत थी। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर विकसित देश की तुलना मे कम है। आर्थिक विकास का नीचा स्तर होने के कारण भारत की व्यावसायिक गतिविधिया धीमी हैं तथा बेरोजगारी की समस्या मुखर है।

6. व्यापार संतुलन एवं भुगतान सतुलन (Balance of Trade and Balance of Payment) – आज वैश्विक आर्थिक पर्यावरण पर व्यापार सतुलन और भुगतान सतुलन का अत्यधिक प्रभाव पडता है। व्यापार सतुलन की स्थिति से अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था की सुदृढता बडी सीमा तक व्यापार सतुलन की स्थिति पर निर्भर करती है। व्यापार सतुलन के अनुकूल होने से भुगतान के मोर्चे पर स्थिति सुधरती है। विकसित देशो मे व्यापार सतुलन के अनुकूल होने से अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई। इन देशो मे व्यापार सतुलन के अनुकूल होने से भुगतान शेष की स्थिति अच्छी होती है। विश्व के अधिकांश विकासशील देशो विशेषकर भारत मे व्यापार शेष की निरन्तर प्रतिकूलता के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय है। अनेक बार भुगतान सतुलन की स्थिति बिगडी। व्यापार शेष की निरन्तर प्रतिकूलता से आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। भुगतान सतुलन के प्रतिकूल होने से भारतीय आर्थिक पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पडता है। भारत का व्यापार घाटा 1997-98 मे 16,277 मिलियन डालर था। भुगतान सतुलन के घालू खाते का घाटा 6,473 मिलियन डालर था। भारत का भुगतान शेष 1997-98 मे 4,511 मिलियन डालर अनुकूल स्थिति मे था। इस वर्ष भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 618 मिलियन डालर का पुनर्क्रय किया तथा विदेशी विनिमय भण्डार मे 3,893 मिलियन डालर की वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 मे घालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत था।

7. विदेशी ऋण (Foreign Debt) – विकासशील देशो मे आर्थिक विकास की गति तेज करने वास्ते विदेशी ऋण की आवश्यकता होती है। किंतु विदेशी ऋण का सीमा से अधिक उपयोग घातक होता है। वित्तीय ससाधनो के अभाव मे अनेक विकासशील राष्ट्र विदेशी ऋण भार में डूबे हुए हैं। इन देशो मे विदेशी ऋण भार इतना बढ गया है कि ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पडता है। ऋण भार मे अधिक डूबे होने के कारण कई देशो की भुगतान के मोर्चे पर स्थिति बिगड गई। ऋणदाता देश

भी विकासशील देशों का शोषण करने से नहीं चूकते। विकसित देश ऋण के साथ प्रतिकूल शर्तें जोड़ देते हैं। ब्राजील, मेक्सिको, भारत आदि दुनिया के बड़े ऋणी देश हैं। भारत पर सितम्बर 1998 में 95,195 मिलियन डालर (प्रोविजनल) विदेशी ऋण भार था। आज भारत के सामने विदेशी ऋण के मूल और ब्याज चुकाने की जटिल समस्या है। विदेशी ऋण के मामले में भारत की स्थिति अन्य बड़े देशों की भाँति इसलिए नहीं बिगड़ी क्योंकि कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋणों का भाग बहुत कम है। मार्च, 1998 में कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋणों का भाग 5.4 प्रतिशत था। किंतु भारत में मार्च 1998 में विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 23.8 प्रतिशत था। अर्थव्यवस्था के ऋण भार में द्रुवी होने के कारण भारत विकास की दौड़ में दुनिया के विकसित देशों की तुलना में पीछे है। सतोष की बात यह है कि भारत विदेशी ऋण अदायगी के मामले में 'डिफाल्टर' घोषित नहीं हुआ।

8. आधारिक संरचना (Infrastructure) – आर्थिक पर्यावरण आधारिक संरचना से सीधा प्रभावित होता है। आधारिक संरचना से तीव्र आर्थिक विकास होता है। जिन देशों में पहले आधारिक संरचना का विकास और फिर उद्योगों की स्थापना हुई वहाँ औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण सृजित हुआ है। विकसित देशों में आधारिक संरचना यथा रेल्वे, सड़कें, विद्युत, सिंचाई, बैंक, संचार आदि बेहतर है। भारत सरीखे विकासशील देश इस दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में वितीय सहायकों के अभाव में आधारिक संरचना के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप आज तीव्र औद्योगीकरण में आधारिक संरचना का अभाव प्रमुख बाधा बना हुआ है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकार ने आधारिक संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इस दिशा में सरकार विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने वास्ते प्रयत्नरत है।

9. औद्योगिक नीति (Industrial Policy) – औद्योगिक विकास देश विशेष की औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है। राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि वह औद्योगिक विकास को कौन सी दिशा देना चाहता है। इसके लिए दिशा-निर्देश औद्योगिक नीति में समाहित होता है। अतः देश की औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास की आधारशिला समझी जाती है। वर्तमान में बदलते आर्थिक परिदृश्य में तो औद्योगिक नीति की उपादेयता और भी बढ़ गई है। भारत में स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक औद्योगिक नीति की घोषणा अनेक बार की गई। आर्थिक उदारीकरण प्रारम्भ किए जाने से पूर्व 1956 की औद्योगिक नीति भारत का आर्थिक संविधान समझी जाती थी। इस नीति से भारत में औद्योगिक विकास का वातावरण बना जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फलीभूत हुए। उनके दशक के प्रारम्भ से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। जुलाई 1991 में नवीन औद्योगिक नीति घोषित की गई जिसमें 1956 की नीति को बड़ी सीमा तक तिलाजलि दे दी गई। वर्तमान औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र और विदेशी पूंजी निवेश का बोलबाला है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से औद्योगीकरण में सरकार की भूमिका गौण हो गई है। स्पष्ट है कि औद्योगिक नीति आर्थिक पर्यावरण

को प्रभावित करती है।

10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertakings) – भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का खूब विकास हुआ। भारत के औद्योगीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों ने कारगर भूमिका निभाई। सरकार की अरबों रुपये की पूंजी सार्वजनिक उपक्रमों में विनियोजित है। लाखों देशवासियों को इन उपक्रमों में रोजगार मिला हुआ है। आर्थिक उदारीकरण में विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका कम हो गई है। इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। भारत में आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद सार्वजनिक उपक्रमों का विकास थम सा गया है। सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका घटने के प्रमुख कारण इनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित प्रत्याय दर अर्जित नहीं करना है। आर्थिक उदारीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी है, किंतु सार्वजनिक उपक्रमों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होने के कारण विनिवेश के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। वर्ष 1997-1998 में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का लक्ष्य 7,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया किंतु विनिवेश से केवल 907 करोड़ रुपये ही उगाये जा सके। वर्ष 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने के कारण सार्वजनिक उपक्रमों की खस्ता हालात हैं।

गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लगातार घाटे की समस्या से ग्रसित होने के बावजूद नियोजन काल में ये भारत के आर्थिक पर्यावरण पर छाये रहे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के कारण सरकार ने घाटे के भार को ढोया।

11. औद्योगीकरण (Industrialization) – औद्योगीकरण आर्थिक वातावरण सृजित करने का आधारभूत घटक है। विकासशील देशों में आधारभूत संरचना और वित्तीय संसाधनों के अभाव में औद्योगीकरण गति नहीं पकड़ पाता नतीजतन इन देशों में गरीबी और बेकारी की समस्या मुखर रहती है। आधुनिक औद्योगिकी के अभाव में विकासशील देश विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों पर सार्वजनिक परिव्यय में वृद्धि के कारण औद्योगीकरण का अच्छा वातावरण बना। नियोजन काल में निजी क्षेत्र राजकीय संरक्षण के कारण घनपा। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत के औद्योगिक दरवाजे विदेशी निवेशकों के लिए खोल देने के कारण निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए संघर्षरत है। आर्थिक उदारीकरण के बाद औद्योगिक विकास में गति पकड़ी है। औद्योगिक वृद्धि दर 1995-96 में 6.6 प्रतिशत तथा 1997-98 में 12.8 प्रतिशत थी।

12. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) – आर्थिक पर्यावरण पर औद्योगिक रुग्णता का प्रभाव पड़ता है। उद्योगों के बंद होने से बेरोजगारी की समस्या पनपती है। भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिक रुग्णता बड़ी बाधा है। औद्योगिक

रुग्णता से लागो क रगमा रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक रुग्णता से निर्याता पर भी विपरीत प्रभाव पडने लगता है। भारत में मार्च 1995 में कुत रुग्ण इकाइया 2 71 लाख थी। जिन पर 13,739 करोड रुपए का बैंक ऋण बकाया था। लघु क्षेत्र डद्योगा म रुग्णता की समस्या भीषण है।

13. बैंक (Bank) – आर्थिक पर्यावरण पर बैंकिंग व्यवस्था का प्रभाव पडता है। बैंक छोटी-छोटी बचता को एकत्र कर पूजी निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक औद्योगिक विकास वास्तु ऋण सुविधा मुहैया कराते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने गावों क गरीब लागो का साहूकारो के घुगल से बचाने में महत्त्वपूर्ण पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रा में बैंकिंग विकास से गावों का कायाकल्प हुआ है। भारत में जनसख्या की अधिकता और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए बैंकिंग विकास को गति देने की आवश्यकता है। भारत में सितम्बर 1998 में प्रति लाख जनसख्या पर बैंको की सख्या 6 7, प्रति व्यक्ति बैंक जमा 6,597 रुपए, प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 3,542 रुपए था।

14. पूजी बाजार (Capital Market) – आज के आर्थिक युग में पूजी बाजार की परिस्थितिया आर्थिक पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करती है। पूजी बाजार उद्योगों को मध्यमकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय ससाधन मुहैया कराकर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। समृद्ध पूजी बाजार आर्थिक विकास में सहायक होता है। भारत का पूजी बाजार विकसित है किंतु राजनीतिक अस्थिरता और आकरिमक सकट की घडी में पूजी बाजार में उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। पूजी बाजार की सुस्ती का आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पडता है।

15. व्यापार चक्र (Business Cycle) – पूजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाए चक्रीय आर्थिक उच्चावचना से गुजरती रहती है। इन देशों को व्यापार चक्रों की अवस्थाए यथा मदी या सकुचन (Depression), पुनरुत्थान (Recovery), तेजी (Boom) तथा सुस्ती (Recession) क प्रभावा का सामना करना पडता है। मदी में आर्थिक क्रियाए निम्न स्तर पर आ जाती हैं। मदी में उत्पादन का स्तर बहुत नीचा होता है जिससे व्यापक बेरोजगारी हाती है। कीमते नीची होने से लाभ बहुत नीचे होते हैं। फर्मों का बहुत घाटा होता है। पुनरुत्थान में व्यापारिक क्रियाओं का उठना शुरु होता है। पुनरुत्थान को शुरु करने वाले तत्व एक या अधिक हो सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि अर्थव्यवस्था को मदी से बाहर निकालती है। तेजी में आर्थिक क्रियाए चारों तरफ बहुत तेजी से ऊंचे स्तर पर होती है। कीमत लागत की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है। विनियोग और लाभ बढ़ते हैं। उत्पादन का स्तर ऊंचा और बढ़ता हुआ रहता है। सुस्ती या अधोगति (Recession) में आर्थिक क्रियाओं के स्तर में पर्याप्त गिरावट आ जाती है। तेजी और मदी दोनों का अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा प्रभाव पडता है। वर्ष 1998 में विश्व के अनेक देश मदी की चपट में थे। मदी काल में कीमतों में कमी, उत्पादन व रोजगार के स्तर को घटा देती है। विकासशील देशों में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है।

16. आर्थिक नियोजन (Economic Planning) – भारत में आर्थिक नियोजन ने आर्थिक पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। भारत का वर्तमान आर्थिक पर्यावरण आर्थिक नियोजन की देन है। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत अप्रैल 1951 से हुई। वर्ष 1951 से लेकर 1999 तक के 48 वर्षों के नियोजन काल में आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी तथा 1997-98 से नौवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है। आर्थिक नियोजन में भारत ने अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों विशेषकर कृषि तथा उद्योगों के विकास में अच्छी प्रगति की है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता नियोजन की विफलताएँ हैं।

17. शिक्षा (Education) – शैक्षिक विकास अच्छे आर्थिक पर्यावरण में सहायक होता है। भारत के आर्थिक पर्यावरण के अच्छा नहीं होने का एक प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव में भारत में अनेक समस्याएँ पनपी। जनसंख्या की अधिकता का कारण शिक्षा का अभाव ही है। यदि पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक विकास के शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पहलु पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता तो आज दुनिया के सर्वाधिक भारतीय नहीं होते। निरक्षरों की भीड़ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है जिसका आर्थिक विकास में अधिक योगदान नहीं है। भारत की प्रगति निरक्षर लोगों की बाढ़ में बह जाती है।

18. सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएँ (Social and Cultural Conditions) – आर्थिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। भारत के आर्थिक पर्यावरण के विकास के मार्ग में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने अड़चने पैदा की। ग्रामीण परिवेश का बड़ा भाग निरक्षरता के कारण रुढ़िवादियों और अधिश्वासों में डूबा हुआ है। पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता भी कमोबेश ऐसी ही है। आम लोग जातिप्रथा, परम्पराओं और सामाजिक मूल्यों के कारण बदलाव मुश्किल से स्वीकार करते हैं। नतीजतन भारत सरीखे विकासशील देशों में आर्थिक विकास की गति धीमी बनी हुई है।

19. प्रौद्योगिकी विकास (Technological Development) – आज आर्थिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। विकसित देश शोध एवं अनुसंधान पर बड़ी राशि खर्च करते हैं। इन देशों का उत्पाद नवीन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों विकसित देशों की देन हैं। विकासशील देश प्रौद्योगिकी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विकसित देशों पर निर्भर है। नई प्रौद्योगिकी वास्ते विकासशील देशों को भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अनेक बार विकसित देश पुरानी तकनीक हस्तान्तरित कर देते हैं। भारत में शोध एवं अनुसंधान पर बल देने के कारण प्रौद्योगिकी विकास हुआ है किंतु अभी विकसित देशों की तुलना में स्थिति कमजोर है। भारत में उच्च शिक्षा पर परियोजना बढ़ाने की आवश्यकता है।

20. राजनीतिक दशाएँ (Political Conditions) – राजनीतिक स्थायित्व से आर्थिक पर्यावरण में तीव्र विकास वास्ते अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं। देशी और

विदेशी निवेशकों का अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। इसके विपरीत राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक पर्यावरण में अनिश्चितता की स्थिति जोर पकड़ती है। भारत में आर्थिक नियोजन के चार दशकों में (1951-1990) राजनीतिक स्थायित्व था। कुछेक वर्षों को छोड़कर रुद्र में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ रही। राजनीतिक स्थायित्व से आर्थिक नीतियों में भारी बदलाव नहीं हुआ। सरकारों के बदलने के साथ आर्थिक नीतियों में सामान्यतया परिवर्तन किया जाता है। उन्हे के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता की समस्या थी। भारत में दिसम्बर 1989 से जून 1991 तक डेढ़ वर्ष की समयावधि में केन्द्र में दो बार सरकारें बदली। राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत को तत्कालीन खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट से निपटने में कठिनाई हुई। वर्ष 1996 के बाद भारत में फिर राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई जो सितम्बर 1999 तक रही। इस समयावधि में केन्द्र में बार-बार सरकारें बदली। गरीब भारतीयों को सितम्बर 1999 में तेरहवीं लोकसभा चुनाव का सामना करना पड़ा। बार-बार आम चुनावों से भारत की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौर में राजनीतिक अस्थिरता घिटाप्रद है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1998-99 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी कमी आई। भारत में अच्छे आर्थिक पर्यावरण के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक पर्यावरण बिगड़ गया है।

21 अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ (International Conditions) – अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। भारत द्वारा मई 1998 में पाकिस्तान में परमाणु विस्फोट करने के बाद अमरीका ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं यथा विश्व बैंक और आई एम एफ आदि ने आर्थिक सहायता रथगित की। आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भारत की अनेक बड़ी परियोजनाएँ निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो सकीं। वर्ष 1991 में खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। वर्ष 1998 की विश्वव्यापी मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। वित्त वर्ष 1997-98 और 1998-99 में भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण पूर्व एशियाई संकट से भी प्रभावित हुई। दक्षिण एशियाई देशों की मुद्रा का भारी अवमूल्यन होने के कारण भारत के निर्यातों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत पर 'सी टी वी टी' पर हस्ताक्षर करने का भारी दबाव है। इन सब घटनाओं का भारत के आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है।

आज के आर्थिक पर्यावरण को समृद्ध बनाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग महत्त्वपूर्ण हैं। सीमा पर तनाव और युद्ध से आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत के आर्थिक पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों विशेषकर पड़ोसी राष्ट्रों का रुख का अतुल्य प्रभाव नहीं पड़ा। स्वतंत्रता के पांच दशकों में भारत को पांच युद्धों का सामना करना पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था विकाराशील है। बार-बार युद्ध थापे जाने से आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में आज सामाजिक विकास परिवर्धन में वृद्धि की आवश्यकता है किन्तु पाकिस्तान के बार-बार आक्रमणों के कारण

रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी पड़ी। जून-जुलाई 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की, पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए भारत को दो माह से अधिक तक सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी जिससे करोड़ों रुपये का वित्तीय बोझ देश पर पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के कारण कारगिल संकट का अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा अन्यथा युद्ध के समय अर्थव्यवस्था की स्थिति संकटग्रस्त हो जाती है।

22. पर्यावरणीय संरक्षण (Environmental Protection) – आज विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या है। पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन तक प्रभावित हो गई है। पृथ्वी का तापमान निरन्तर बढ़ता जा रहा है। परमाणु कचरे के कारण प्रदूषण की समस्या भयावह हो गई है। प्रदूषण के बढ़ने का प्रमुख कारण औद्योगीकरण और बढ़ती जनसंख्या है। भारत में औद्योगिक विकास और जनसंख्या के बढ़ने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या मुखर हो गई है। बड़े शहर-औद्योगिक सन्केन्द्रण के कारण प्रदूषण की चपेट में हैं। वर्तमान में सरकार औद्योगीकरण करते समय पर्यावरण संरक्षण वास्ते सतर्कता बरतती है। आम लोगों में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। भारत में राजकीय प्रयासों और जनता की जागरूकता के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। गरीबी के कारण वनों की अन्धाधुंध कटाई हो रही है। बहुसंख्यक जनसंख्या प्रदूषित जल पीने के लिए अभिशप्त है। शहरों में कोलाहलपूर्ण वातावरण है। ध्वनि और वायु प्रदूषण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। सरकार और देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेष्ट रहने की आवश्यकता है।

23 आर्थिक प्रणाली (Economic System) – आर्थिक पर्यावरण राष्ट्र विशेष द्वारा आत्मसात की जाने वाली आर्थिक प्रणाली पर निर्भर करता है। वर्तमान में विश्व के देशों में पूँजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणालियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। ये आर्थिक प्रणालियाँ अलग-अलग तरीके से आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं।

(क) **पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली (Capitalist Economy)** – विश्व में आज पूँजीवाद सर्वाधिक प्रचलित आर्थिक प्रणाली है। विकसित देशों ने पूँजीवाद को आत्मसात कर आर्थिक विकास की गति तीव्र की। पूँजीवाद की आर्थिक विकास में बढ़ती उत्पादेयता को दृष्टिगत रखते हुए दूसरे देश भी पूँजीवाद की ओर मुखातिब हुए। अमरीका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा आदि देशों ने पूँजीवाद द्वारा ही तीव्र विकास किया। पिछले एक-दो दशकों में विश्व आर्थिक संक्रमण के दौर से गुजरा। विश्व के प्रायः सभी विकासशील देशों ने परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करते हुए आर्थिक नीतियों में मूलभूत परिवर्तन किए। विकासशील देश पूँजीवाद की ओर मुखातिब हुए। भारत ने 1991 से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलाव किया जा चुका है।

(ख) **साम्यवादी आर्थिक प्रणाली (Communism Economy)** – साम्यवाद भी

महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रणाली थी। सोवियत संघ ने साम्यवादी प्रणाली से तीव्र आर्थिक विकास किया किंतु अब सोवियत संघ विघटित हो चुका है। रूस ने आर्थिक संक्रमण के दौर में नयी आर्थिक नीति अपनाई। विश्व में आज साम्यवाद का अधिक प्रभाव नहीं है। वर्तमान में साम्यवाद चीन और भूयुवा में दृष्टिगोचर होता है। चीन साम्यवादी प्रणाली में आज आर्थिक रूप से समृद्ध है। साम्यवाद में समस्त आर्थिक गतिविधियाँ राज्य द्वारा संचालित होती हैं।

(ग) समाजवादी आर्थिक प्रणाली (Socialist Economy) — समाजवाद साम्यवाद का रूप है किंतु यह साम्यवाद जितना बढोरा नहीं होता है। समाजवाद में आर्थिक गतिविधियाँ अधिकांशतः सरकार के द्वारा संचालित होती हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। गैर-आरक्षित क्षेत्र के उद्योगों में अवश्य प्रतिस्पर्धा होती है। भारत ने सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर समाजवादी आर्थिक प्रणाली का आत्मसात किया। सरकार आर्थिक क्षेत्र में सर्वोत्तमा होती है। आर्थिक गतिविधियों का नियमन और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। भारत समाजवादी आर्थिक प्रणाली से प्रमुख आर्थिक समस्याओं से उभर नहीं सका परिणामस्वरूप आज भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर उन्मुख है।

(घ) मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) — भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूँजीवाद और साम्यवाद का उदार रूप होती है। इसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र सहकारी क्षेत्र सभी को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर होता है। भारत के आर्थिक पर्यावरण में इन सभी क्षेत्रों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का बालबाला है। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिकाओं में अवश्य बदलाव हुआ है। उदारीकरण में अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थान पर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ रही है। किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अस्तित्व अब भी बना हुआ है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक पर्यावरण पर अनेक घटकों का प्रभाव पडता है। आज विश्व के देश पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों का अनुकूल बनाने वाले प्रयास करते हैं ताकि विकास की तज गति प्राप्त की जा सके। भारत में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण आर्थिक विकास की गति धीमी है। मानव-ससाधन बढता विदेशी ऋण प्रतिफल व्यापार शेष आधारभूत संरचना का अभाव आदि घटक विकास के माग में बाधक रहे हुए हैं।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय आर्थिक पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
- 2 आर्थिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

- 3 भारत में उदारीकरण का आर्थिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है।
- 4 औद्योगिक विकास आर्थिक पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 आर्थिक पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों का विवेचन कीजिए।
(संकेत – प्रश्न के प्रथम भाग में आर्थिक पर्यावरण का अर्थ बताइए तदुपरांत आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। द्वितीय भाग में अध्याय में दिए गए आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों को विस्तार से लिखिए।)
- 2 आर्थिक पर्यावरण के निम्नांकित घटकों पर टिप्पणी लिखिए।
 - (i) प्राकृतिक ससाधन
 - (ii) राष्ट्रीय आय
 - (iii) आधारभूत संरचना
 - (iv) सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएँ
 (संकेत – अध्याय में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में से प्रश्न में लिखित घटकों का आर्थिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन देना है।)
- 3 आर्थिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। निम्न तत्त्व किसी राष्ट्र के आर्थिक पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं –
 - (i) बैंक
 - (ii) पूँजी बाजार
 - (iii) आर्थिक नियोजन
 - (iv) व्यापार चक्र

(M.D.S. University, Ajmer 1998)

(संकेत – प्रश्न के प्रथम भाग में आर्थिक पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा देनी है तथा द्वितीय भाग में प्रश्न में लिखित तत्त्वों का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव विस्तार से लिखना है।)

भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं

(Indian Economic Environment and Basic
Features of Indian Economy)

आर्थिक परिदृश्य

भारत सार कृषि विरासत और विविधताओं के कारण दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत ने स्वातन्त्र्योत्तर पचास वर्षों में बहुआयामी आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा विश्व के औद्योगिक देशों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जनहित में प्रकृति पर विजय पाने हेतु अतिरिक्त में जाने वाले देशों में भारत का छटा स्थान है।

अतीत में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का गौरवपूर्ण स्थान था। भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात थे। चटुओर खुशहाली थी। भारत सोन की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत की समृद्धि पर विदेशी आतताइया की लालचभरी दृष्टि पड़ी। अंग्रेज व्यापारी की हैसियत से भारत आए और हमें राजनीतिक रूप से गुलाम बना दिया। भारत दीर्घवधि तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था का मनमाफिक शोषण किया। भारत के कच्चे उत्पादों पर इंग्लैण्ड के औद्योगीकरण की नींव रखी। भारतीय बाजारों को इंग्लैण्ड में बने निर्मित उत्पादों से पाट दिया। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए कारगर प्रयास नहीं किए। भारत समृद्ध से गरीब देश में परिवर्तित हो गया। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ गया। अंग्रेजों की प्राकृतिक और मानव संपदा के शोषण की प्रवृत्ति सीमा लाघ गई। अन्ततः भारतीयों ने अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकने की सच्ची। असंख्य बलिदानों की कीमत पर भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली।

पिछड़ी अर्थव्यवस्था भारत को विरासत में मिली। अब राजनीतिक बागडोर भारतीयों के हाथों में थी। गुलामी के दिनों में बिगड़ी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने

वास्ते पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा विकास का मार्ग चुना। भारत की अर्थव्यवस्था पर देश विभाजन का विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। भारत की आजादी के पचास साल बीत चुके हैं। भारत विश्व में शांति का पक्षधर रहा है। भारत की प्रगति कुछ देशों को नहीं सुहाती। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने 1947, 1965 और 1971 में तीन बड़े युद्ध थोपे। अनेक बार भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जून 1999 में कश्मीर के कारगिल में भारत-पाक के बीच सीमित युद्ध हुआ। भारत को पाकिस्तान सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ के कारण सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। भारत को कारगिल में घुसपैठ से निपटने के लिए प्रतिदिन 30 से 35 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। कारगिल में अनेक भारतीय जवान शहीद हुए। सीमा पर तनाव की स्थिति थी।

स्वतंत्रता के पचास वर्षों में भारत को चार बड़े युद्ध और कारगिल में सीमित युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्धों का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भारत विकासशील देश है। यद्यपि युद्धों में शत्रु देश को मात खानी पड़ी किंतु भारत को विकास के ससाधन युद्धों में झोकने पड़े। भारत को रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी पड़ी। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) में दो बड़े युद्धों के कारण वित्तीय ससाधनों के अभाव की समस्या थी। नतीजतन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पूर्व 1966-69 तीन वार्षिक योजनाएँ क्रियान्वित की गईं।

बीसवीं शताब्दी के अरसी और नब्बे दशक में विश्व आर्थिक सक्रमण के दौर से गुजरा। भारत ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 1991-92 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उदारीकरण के प्रारंभिक पांच वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में सरचना संबंधी मूलभूत परिवर्तन किए गए। वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। बार-बार केन्द्र में सरकारें बदलीं। केन्द्र में सत्तारूढ़ सभी सरकारों ने न्यूनाधिक आर्थिक सुधारों को गति दी।

भारतीय आर्थिक पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएँ
(Indian Economic Environment and Basic Features of Indian Economy)

1. विशाल देश (Big Nation) - भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्रफल 31 मार्च 1982 को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था जो हिमालय की हिमाच्छादित घोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8°4' और 37°6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' और 97°25' पूर्वी देशान्तर के बीच फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की कुल लम्बाई 7,517 किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवाँ और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व

का दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल भारत की विशालता का परिचायक है।

2 राष्ट्रीय आय (National Income) – राष्ट्रीय आय सामान्य रूप से देश में निवास करने वाले नागरिकों द्वारा उत्पादन के साधनों से अर्जित वह आय है, जिसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर होती है। भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 के मूल्यों पर 1983-84 में 1,29,392 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1992-93 में 1,93,222 करोड़ रुपये हो गई। भारत की राष्ट्रीय आय में 1983-84 से 1992-93 के बीच 9 वर्षों में 49.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 1983-84 में 1,66,550 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1992-93 में 5,44,935 करोड़ रुपये हो गई। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में 1983-84 से 1992-93 तक के 9 वर्षों में 227 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नयी श्रृंखला (आधार वर्ष 1993-94) के अनुसार साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) चालू मूल्यों पर 1997-98 में 12,65,167 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्यों पर 9,26,420 करोड़ रुपये था।

3 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) – भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकासशील राष्ट्रों से भी कम है। प्रति व्यक्ति आय केवल कम ही नहीं अपितु इसकी वृद्धि धीमी एवं अनियमित है। प्रति व्यक्ति आय कम होने का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या है। भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Per Capita Net National Product) वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर 1950-51 में 1,127 रुपये था जो बढ़कर 1990-91 में 2,222 रुपये 1991-92 में घटकर 2,175 रुपये तथा 1992-93 में थोड़ा बढ़कर 2,243 रुपये हो गया। नई श्रृंखला 1993-94 आधार वर्ष के मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1993-94 में 7,902 रुपये था जो बढ़कर 1997-98 में 13,193 रुपये हो गया।

चालू मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 में 17.1 प्रतिशत तथा 1997-98 में 10.9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 में 14.7 प्रतिशत तथा 1997-98 में 9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। स्थिर कीमता पर 1997-98 में शुद्ध राष्ट्रीय आय वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी।

4 सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) – भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1993-94 के मूल्यों पर 1995-96 में 926.4 हजार करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1997-98 में 1,049.2 हजार करोड़ रुपये (त्वरित अनुमान) हो गया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में उच्चावचान की प्रवृत्ति व्याप्त है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 में 7.6 प्रतिशत थी जो 1997-98 में घटकर 5 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) रह गई। वर्ष 1998-99 के अग्रिम अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी। नियोजन काल में कई बार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1,

प्रतिशत अथवा ऋणात्मक रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1957-58 में ऋणात्मक 1.2 प्रतिशत, 1965-66 में ऋणात्मक 3.7 प्रतिशत, 1966-67 में 1 प्रतिशत, 1971-72 में एक प्रतिशत, 1972-73 में ऋणात्मक 0.3 प्रतिशत, 1979-80 में ऋणात्मक 5.2 प्रतिशत थी। वर्ष 1965 तथा 1971 में भारत-पाक युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ में खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1991-92 में 0.8 प्रतिशत रही। स्वातंत्र्योत्तर सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1988-89 में 10.6 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। इससे पूर्व सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1983-84 में 8.2 प्रतिशत तथा 1967-68 में 8.1 प्रतिशत रही थी। वर्ष 1975-76 में भी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9 प्रतिशत उत्साहवर्द्धक थी।

5. वार्षिक विकास दर (Annual Compound Growth Rate) — भारत में औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1970-1980 के बीच 3.2 प्रतिशत तथा 1980-95 के बीच 5.6 प्रतिशत थी। भारत आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से कई एशियाई देशों से पिछड़ा हुआ है। औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1980 से 1995 के बीच चीन में 11.1 प्रतिशत, इण्डोनेशिया में 6.6 प्रतिशत, कोरिया में 8.7 प्रतिशत, मलेशिया में 6.4 प्रतिशत तथा थाइलैण्ड में 7.9 प्रतिशत थी जो भारत की 5.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक थी। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक वृद्धि दर उत्साहवर्द्धक नहीं रही। पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक वृद्धि दर के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर इस प्रकार रही— स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर प्रथम योजना में 3.7 प्रतिशत, द्वितीय योजना में 4.1 प्रतिशत, तृतीय योजना में 2.7 प्रतिशत, तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) में 3.9 प्रतिशत, चतुर्थ योजना में 3.4 प्रतिशत, पाचवीं योजना में 5 प्रतिशत, वार्षिक योजना 1979-80 में ऋणात्मक 4.9 प्रतिशत, छठी योजना में 5.5 प्रतिशत, सातवीं योजना में 5.8 प्रतिशत, दो वार्षिक योजनाओं में (1990-92) 2.9 प्रतिशत तथा आठवीं योजना में 6.8 प्रतिशत।

6. कृषि की प्रधानता — आर्थिक नियोजन के लगभग पचास वर्ष बाद भी अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता बनी हुई है। जनसंख्या का बड़ा भाग गावों में निवास करता है तथा कृषि आय का मुख्य स्रोत है। राष्ट्रीय आय का अधिक भाग कृषि से प्राप्त होता है। इसके अलावा निर्यातित आय में भी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की कारगर भूमिका है किंतु कृषि अन्य देशों की तुलना में पिछड़ी हुई है। भारत में कृषि विकास की गति को तेज करने में सफलता नहीं मिल सकी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के योगदान में भारी कमी आयी। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 1951-52 में 56.4 प्रतिशत था जो घटकर 1995-96 में 30.1 प्रतिशत तथा 1997-98 के त्वरित अनुमानों में 28.7 प्रतिशत रह गया। निर्यात व्यापार में भी

कृषि की भूमिका में बदलाव आया है। निर्यात में कृषि तथा सब्जि क्षेत्र का योगदान 1960-61 में 44.2 प्रतिशत था जो घटकर 1995-96 में 19.9 प्रतिशत तथा 1997-98 में और घटकर 18.8 प्रतिशत रह गया। खाद्यान्न उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में 50.8 मिलियन टन था। आज कृषि देश की विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति में सक्षम है। हाल के वर्षों में खाद्यान्नो का निर्यात भी होने लगा है। वर्ष 1996-97 में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन 199.4 मिलियन टन हुआ। वित्तु खाद्यान्न उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं आ सकी। वर्ष 1997-98 में खाद्यान्न का उत्पादन 192.4 मिलियन टन था जो गत वर्ष की तुलना में 3.5 प्रतिशत कम था। कृषि उत्पादन वृद्धि दर में भारी उच्चावच है। कृषि उत्पादन वृद्धि दर 1996-97 में 9.1 प्रतिशत 1997-98 में ऋणात्मक 6 प्रतिशत तथा 1998-99 में 3.9 प्रतिशत (प्राविजाल) थी। उर्वरकों का उपभोग बढ़ने से प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ी है। उर्वरकों का उपभोग 1970-71 में 2.2 मिलियन टन था जो बढ़कर 1997-98 में 16.2 मिलियन टन हो गया। खाद्यान्नो का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1960-61 में 710 किलोग्राम से बढ़कर 1997-98 में 1551 किलोग्राम हो गया। भारत कृषि सभाव्यता का पूरा लाभ नहीं उठा सका है। सिंचाई सुविधा का विकास करके कृषि की दशा को बेहतर बनाया जा सकता है।

7 औद्योगीकरण को प्राथमिकता - अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई किंतु पचास वर्षों के बाद भी कृषि नीति को 1999-2000 तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। नियोजन काल में उद्योगों को प्राथमिकता देने से भारत की गिनती औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देशों में की जाती है। नियोजित विकास में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किंतु सार्वजनिक उपक्रमों विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित आय अर्जित नहीं कर पाये के कारण जाता पर बोझ सिद्ध हुए। वर्ष 1996-97 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertakings) की संख्या 236 विनियोजित पूंजी 2020.2 बिलियन रुपए सकल लाभ 305.7 बिलियन रुपए कर पश्चात लाभ 154.7 बिलियन रुपए था। सार्वजनिक उपक्रमों में 1996-97 में विनियोजित पूंजी पर सकल लाभ 15.1 प्रतिशत तथा शुद्ध पूंजी (Net Worth) पर कर पश्चात लाभ 9.4 प्रतिशत था। आज आर्थिक उदारिकरण में सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति से अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उदारिकरण की नीतियों के कारण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 1991 में 351 करोड रुपए था जो बढ़कर 1995 में 6820 करोड रुपए तथा 1997 में और बढ़कर 16425 करोड रुपए हो गया। जनवरी-अक्टूबर 1998 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 11821 करोड रुपए था। वर्ष 1991 से अक्टूबर 1998 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 51558 करोड था। भारत में सर्वाधिक एफ डी आई निवेशक अमरीका मारीशस, सि

दक्षिण कोरिया तथा जापान है। दक्षिण कोरिया ने जनवरी 1999 में सर्वाधिक 30,850 11 मिलियन रुपए का भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया। जनवरी-दिसम्बर 1998 में अमरीका ने 35,619 6 मिलियन रुपए, मारीशस ने 31 659 07 मिलियन रुपए, ब्रिटेन ने 32,008 44 मिलियन रुपए, दक्षिण कोरिया ने 3,683 54 मिलियन रुपए तथा जापान ने 12,828 24 मिलियन रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया। पूँजी निवेश के बढ़ने से औद्योगिक उत्पादन को बल मिला है। औद्योगिक वृद्धि दर 1995-96 में 12.8 प्रतिशत तक पहुँची। औद्योगिक वृद्धि दर 1996-97 में 5.6 प्रतिशत, 1997-98 में 6.6 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 3.5 प्रतिशत थी।

8. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) – भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अंगीकृत किया। विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सयुक्त क्षेत्रों को फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत को विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजन वास्ते अर्थव्यवस्था में भारी फेरबदल नहीं करना पड़ा। भारत में समाजवाद व पूँजीवाद का अच्छा समन्वय है। वर्ष 1951 से 1990 तक भारत में नियोजित विकास की कारगर भूमिका रही इसके बाद आर्थिक उदारीकरण में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी।

9. रुढ़िवादी समाज – भारतीय समाज रुढ़िवादिता में डूबा हुआ है। रुढ़िवादिता का प्रमुख कारण गरीबी और निरक्षरता है। भारत में लगभग 30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं तथा 48 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। समाज का बड़ा भाग मृत्यु भोज, बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, सयुक्त परिवार, जादू-टोना आदि परम्परावादी विचारधाराओं से जकड़ा हुआ है। गरीब लोगों को मजबूरन रुढ़िवादिता का पालन करना पड़ता है।

10. कृषि की मानसून पर निर्भरता – स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद भी भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता समाप्त नहीं हुई है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषि विकास मानसून पर निर्भर है। नब्बे के दशक में भारत में मानसून अनुकूल रहा। इस कारण आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि विकास से अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर बनी रही। किंतु नियोजन काल में कई बार मानसून के अनुकूल नहीं होने के कारण कृषि के पिछड़ने से आर्थिक विकास की दर घटी।

11. बचत और पूँजी निर्माण – भारत के लोगों में गरीबी है। निरक्षरता के कारण अज्ञानता, वै.प. परिवार, चें. चख, चें. चें. चें. कारण, च्य. चम. हेरी। है। बढी हुई आय को गरीब दुर्बलसों पर और धनी विलासिता पर खर्च कर देते हैं। परिणामस्वरूप बचत और पूँजी निर्माण दर विकसित देशों की तुलना में कम है। भारत में सकल घरेलू बचत दर (नयी श्रृंखला आधार 1993-94) वर्ष 1995-96 में 24.1 प्रतिशत तथा 1997-98 में 23.1 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी तथा सकल घरेलू पूँजी निर्माण दर 1995-96 में 25.8 प्रतिशत 1997-98 में 24.8 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी।

12. क्षेत्रीय विषमता (Regional Disparities) – नियोजन काल और आर्थिक

उदारीकरण के दौर में क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा मिला। आर्थिक उदारीकरण के दौर में आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र का तेजी से विकास हुआ जबकि मध्यप्रदेश बिहार असम आदि विकास की दौड़ में पिछड़ गए। वर्ष 1980-81 की स्थिर कीमतों पर 1991-92 से 1996-97 के बीच राज्यवार सफल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर इस प्रकार थी - आंध्र प्रदेश 7.90 प्रतिशत गुजरात 8.23 प्रतिशत महाराष्ट्र 7.96 प्रतिशत पश्चिम बंगाल 6.82 प्रतिशत बिहार 0.56 प्रतिशत मध्यप्रदेश 4.23 प्रतिशत राजस्थान 5.58 प्रतिशत उत्तर प्रदेश 3.24 प्रतिशत। अन्य आर्थिक सूचक की दृष्टि से भी क्षेत्रीय विषमता दृष्टिगोचर होती है। नयी श्रृंखला चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1997-98 में तमिलनाडु में 12,989 रुपए था। जबकि यह राजस्थान में केवल 9,215 रुपए ही था।

13 जनसंख्या (Population) - पचास वर्षों की प्रगति का बड़ा भाग तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या हड़प गई। जनसंख्या 1950-51 में केवल 361.1 मिलियन थी जो बढ़कर 1995-96 में 934.2 मिलियन हो गई। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1981-91 के बीच 2.14 प्रतिशत रही। यदि जनसंख्या वृद्धि दर यही बनी रही तो भारत आने वाले कुछ दशकों में जनसंख्या के आकार में चीन को पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से जनसंख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जा पहुंचा। देश में हर जगह भीड़ भाड़ नजर आती है। सबसे दुखद पहलू यह है कि देश के 47.8 प्रतिशत लोग पढ़ लिख नहीं सकते। महिलाओं में निरक्षरता चौंकाने वाली है। गौरतलब है कि महिलाओं में निरक्षरता 60.7 प्रतिशत है। लोगों में गुणात्मकता का अभाव देश के विकास में बाधक सिद्ध हो रहा है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत एशियाई देशों से भी पिछड़ा हुआ है। मानव ससाधन विकास के क्षेत्र में भी भारत की स्थिति दयनीय है। वर्ष 1997 में प्रति हजार शिशु मृत्यु दर 71 मृत्यु दर 8.9 तथा जन्म दर 27.2 थी। भारतीयों की औसत आयु 60.3 वर्ष है। जनसंख्या की बहुलता तथा मानव ससाधन की दयनीय स्थिति से देश के सामने अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

14 बेरोजगारी (Unemployment) - जनसंख्या के तीव्रता से बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या उभरी। आज देश में लोगों को राजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया नहीं हैं। बेरोजगारी से अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। जाजीवन असुरक्षित और कष्टप्रद हो गया है। गावा में बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल है। कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। नियोजन काल में ग्रामीण आवश्यकता से अधिक व्यक्ति को रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो सके। शहरों में उद्योग धंधों के बंद होने के कारण श्रमिक बेकार बैठे हैं। बेरोजगारों के लिए राजी-रोटी जुटाना मुश्किल काम हो गया है। परिवार पर भार बने हुए है। शिक्षित में बेरोजगारी के कारण उनकी वीथिक क्षमता का उपयोग राष्ट्र के विकास में नहीं हो पाता है। गरीबों को काम नहीं मिलने से उनमें भिक्षा प्रवृत्ति बढ़ी है। भिखारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर जगह लोगों को भीख मांगते देखा जा

सकता है। गरीब माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर कमाई के लालच में काम-काज पर भेज देते हैं। महिलाएँ जो मजदूरी पर जाती हैं अनेकों के साथ शोषण की घटनाएँ होती हैं। उनको पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। भारत में बेरोजगारी के आकड़े चौकाने वाले हैं। दिसम्बर 1997 में रोजगार कार्यलयों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 380 लाख थी। बेरोजगारों की संख्या नौवीं योजना में 590 लाख तक पहुँचने की संभावना है। बेरोजगारों में प्रतिवर्ष 118 लाख की वृद्धि हो रही है।

15 गरीबी (Poverty) — बहुतेरे लोगों के हाथों में काम नहीं है। लोगों के पास आय के स्रोत नहीं हो पाने के कारण गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गरीबों की बढ़ती संख्या के बीच सरकार की गरीबी उन्मूलन और रोजगार परख योजनाएँ कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। गरीबों को भरपेट रोटी नहीं मिल पाती है। अनेकों गरीब भूखे सोते हैं। रुपये-पैसे के अभाव में बीमारी का इलाज नहीं करा पाते। थोड़ी बहुत जमा राशि होती है उसे रुढ़िवादिता में खर्च कर देते हैं। गरीबी में लोग तड़पते दम तोड़ देते हैं। आज गरीबी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। गरीब व्यक्ति का हर तरह से मरना है। गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भी सामान्यतया गरीब ही रहता है। वह पढ़-लिख नहीं पाने के कारण अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। वह या तो भीख मागेगा या फिर इधर-उधर मजदूरी करके जीवन बसर करेगा। भूखे पेट रहकर मजदूरी से अर्जित आय को गरीब दुर्व्यसनों पर खर्च कर देते हैं। गरीबी का ऐसा ताण्डव नृत्य सामान्यतया दृष्टिगोचर होता है। केन्द्र सरकार ने नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों से ही गरीबी उन्मूलन के खूब प्रयास किए और आज भी गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है, किंतु विडम्बना है कि न तो देश में गरीबों की संख्या कम हुई और न ही गरीबों की बिगड़ी दशा में सुधार ही हुआ। गरीबों की दुर्दशा विकास योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह है। वर्ष 1993-94 में 320 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे जो कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्र में 244 मिलियन तथा शहरी क्षेत्र में 76 मिलियन गरीब थे। वर्ष 1996-97 में सम्पूर्ण देश में 292 प्रतिशत लोग गरीबी में जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे। गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में 305 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 256 प्रतिशत थी।

16 निम्न जीवन स्तर (Lower Living Standard) — देश में गरीबों की बहुतायत है। विगत वर्षों में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। किंतु अभी भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में लोगों की आय कम होने के कारण जीवन स्तर अच्छा नहीं है। बहुत कम लोग सतुलित आहार पाते हैं। अनेक लोग आय पर्याप्त होने के बावजूद आहार पर कम खर्च करते हैं। औसत भारतीय को जीवन के लिए आवश्यक कैलोरीज भोजन नहीं मिल पाता है। वर्ष 1997-98 में उपभोग के कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस प्रकार थी— खाद्य तेल 76 किलोग्राम, दैनिक एक किलोग्राम, घी 145 किलोग्राम, कपड़ा 309 मीटर, चाय

636 ग्राम कॉफी 58 ग्राम। उपभोग की वस्तुओं की प्रति व्यक्ति निम्न उपलब्धता सुखी जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है।

17 महगाई – बढ़ती महगाई का आम लोगो पर बुरा प्रभाव पडा है। गरीबों की तो महगाई ने कमर तोड दी। कैलोरीज भाजन कम होने का कारण महगाई भी है। बढ़ती महगाई का कारण कालाबाजारी कृषि की मानसून पर निर्भरता, उत्पादन का अभाव अधिक माग आदि है। तथाकथित कारणो से 1998 में प्याज की कीमते इतनी बढ़ी कि आम लोगो की पहुच से प्याज दूर चला गया। देश में कालाबाजारी के कारण आम उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर (पाइंट-टू-पाइंट) 1993-94 में 10.8 प्रतिशत, 1994-95 में 10.4 प्रतिशत तथा 1996-97 में 5.3 प्रतिशत थी। वर्ष 1998-99 में मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही। 30 जनवरी 1999 को मुद्रास्फीति की दर 4.6 प्रतिशत थी। जून 1999 में मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत के आस-पास है जो केन्द्र सरकार के लिए सतोष की बात रही। किंतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अधिक बनी हुई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 1997-98 में 8.3 प्रतिशत तथा दिसम्बर 1998 में 15.3 प्रतिशत थी।

18 राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) – राजकोषीय घाटा बढ़ती मुद्रास्फीति का कारण रहा है। केन्द्र सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। राजस्व घाटे के बढ़ने से राजकोषीय घाटा बढ़ा है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग कर लेने के बाद भी राजकोषीय घाटे में कमी नहीं आ सकी। वित्त वर्ष 1999-2000 में कारगिल में पाक घुसपैठियों को खदडने में भारी राशि खर्च करनी पडी, परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ा। राजकोषीय घाटा 1990-91 में 44,632 करोड रुपए था जो बढ़कर 1996-97 में 66,733 करोड रुपए तथा 1999-2000 में और बढ़कर 79,955 करोड रुपए (बजट अनुमान) हो गया। गौरतलब है 1998-99 में राजकोषीय घाटा 1,03,737 करोड रुपए (सशोधित अनुमान) तक जा पहुचा, जो आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद सर्वाधिक था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कम हुआ है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1990-91 में 7.7 प्रतिशत था जो घटकर 1996-97 में 4.7 प्रतिशत रह गया। यह फिर बढ़कर 1997-98 में 5.5 प्रतिशत (सशोधित अनुमान) तथा 1998-99 में 5.1 प्रतिशत (बजट अनुमान) तक पहुच गया।

19 व्यापार घाटा – स्वातन्त्र्योत्तर एक दो वर्षों को छोडकर शेष सभी वर्षों में व्यापार शेष प्रतिकूल रहा। व्यापार घाटे के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं आ सकी। इसके अलावा भुगतान के मोर्चे पर भी स्थिति बिगडी। रुपए के भारी अवमूल्यन के बावजूद भी निर्यात वृद्धि में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। निर्यात सबर्द्धन का अभाव और उत्पादों का प्रतिस्पर्धी नहीं होना व्यापार घाटे का प्रमुख

कारण माने जा सकते हैं। व्यापार घाटा 1950-51 में केवल 4 मिलियन डालर था जो बढ़कर 1997-98 में 6799 मिलियन डालर (प्रोविजनल) हो गया जो नब्बे के दशक का सर्वाधिक व्यापार घाटा था। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर 7,296 मिलियन डालर तक जा पहुँचा। निर्यातों के नहीं बढ़ने से व्यापार घाटे की स्थिति विषम हुई। निर्यात वृद्धि डालर 1997-98 में केवल 1.5 प्रतिशत (प्रोविजनल) तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में ऋणात्मक 2.9 प्रतिशत (प्रोविजनल) थी।

20. विदेशी ऋण – सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के गति नहीं पकड़ने के कारण अर्थव्यवस्था की विदेशी ऋण पर निर्भरता बढ़ती गई। बीते वर्षों में विदेशी ऋण में भारी वृद्धि हुई। नतीजतन विदेशी ऋण के मूल और ब्याज अदायगी की समस्या मुखर हो गई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अनेक बार ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ा। भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च, 1991 में 83,801 मिलियन डालर था जो बढ़कर मार्च, 1998 में 93,908 मिलियन डालर तथा सितम्बर, 1998 में और बढ़कर 95,195 मिलियन डालर (प्रोविजनल) हो गया। भारत दुनिया का बड़ा ऋणी देश है। ऋण और ब्याज का भारी बोझ है। बढ़ते विदेशी ऋण की समस्या से निपटने के लिए भारत को आंतरिक ससाधनों से विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। लम्बे नियोजन और आर्थिक उदारीकरण के काल के बावजूद भारत विकास के मामले में अनेक एशियाई देशों से भी पीछे है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता का ढिंढोरा पीटा गया। किंतु कृषि अर्थव्यवस्था को अपेक्षित मजबूती नहीं दे सकी। जनसंख्या का बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे है तथा बहुतेरे लोग भूखे पेट रात बिताते हैं। गाव और गरीबों की दिगड़ी दशा अर्थव्यवस्था की दिशाविहीनता को दर्शाते हैं। अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार की महती आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण में ग्रामीण परिवेश उपेक्षित रहा है। भारत की खुशहाली आज कृषि विकास में निहित है। आर्थिक विकास के लिए कृषिगत क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। गावों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से लोगों के लिए रोजगार के अवसर भूँहैया होंगे। जिससे गरीबी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

सम्पन्नता के बीच गरीबी (Poverty in Plenty)

अथवा

भारत समृद्ध देश है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं।

(India is a Rich Country Inhabited by the Poor People)

भारत के सदर्म में यह कहा जाता रहा है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन

भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं। यह बात बड़ी सीमा तक सही भी है। प्रकृति ने भारत को उपहार उदारतापूर्वक दिए हैं। भारत में प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों की बहुतायत है। किंतु इनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाने के कारण भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र रहा है। प्रकृति ससाधनों के आवंटन में भेदभाव नहीं करती है। प्राकृतिक ससाधनों का अच्छा उपयोग करने वाले देश आज आर्थिक प्रगति के शिखर पर हैं। इसके विपरीत भारत सरीखे कई विकासशील देश ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रकृति प्रदत्त ससाधनों का पूर्ण विदोहन उपयोग और संरक्षण नहीं किया है। परिणामस्वरूप इन देशों में आर्थिक विकास गति नहीं पकड़ सका। प्रस्तुत अध्याय में यह बताने का प्रयास किया गया है कि सम्पन्नता के बीच गरीबी की बात भारत के संदर्भ में कहा तक चरितार्थ होती है?

भारत एक सम्पन्न देश है

(India is a Rich Country)

भारत में प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों की बहुलता से सम्पन्नता की पुष्टि होती है। उपलब्ध ससाधनों के पूर्ण विकास और विदोहन से निर्धनता के कुचक्र को तोड़कर भारत विकास की तीव्र गति को पकड़ सकता है।

1 आकार (Area) — आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्रफल 31 मार्च 1982 को 32 87 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3 214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2 933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा 15 200 किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विट्टेन का लगभग 13 गुना तथा जापान का 8 गुना है। विशाल आकार भारत की सम्पन्नता का परिचायक है। बड़े आकार में ससाधनों की बहुलता की संभावना होती है।

2 अनुकूल भौगोलिक स्थिति — भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8°4 और 37°6 उत्तरी अक्षांश और 68°7 और 97°25 पूर्वी देशान्तर के बीच फैली हुई है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में उत्तम स्थान है। प्रकृति ने भारत को भौगोलिक एकता प्रदान की है। पर्वतों और समुद्रों के द्वारा भारत शेष एशिया से पृथक है। भारत के समुद्र तट की लम्बाई 7 515 किलोमीटर है जिसका व्यापारिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है। कर्क रेखा देश के बीचोबीच से गुजरती है। जिससे भारत में उष्ण और शीतोष्ण जलवायु के कारण विविध फसलों का उत्पादन होता है।

3 जलवायु (Climate) — भारत की जलवायु अर्द्ध उष्ण प्रदेशीय मानसूनी जलवायु है। जलवायु की दृष्टि से भारत की स्थिति अच्छी है। जलवायु के अच्छे होने के कारण विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है।

4 वन सम्पदा (Forest) — भारत वन सम्पदा की दृष्टि से धनी देश है। वना से विविध प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा वनों से अनेक उद्योगों तथा

कागज, रबर, रेशम, प्लाईवुड, दियासलाई आदि के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। वनों में वन्य जीव अभयारण्य हैं जिनसे पर्यटन विकास होता है। भारत में 75 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23 प्रतिशत है। वनों की अघाधुध कटाई के कारण वनों का क्षेत्रफल कम हुआ है। बढ़ती जनसंख्या से भी वनों का विनाश हो रहा है।

5. जल ससाधन (Water Resources) — भारत में जल साधन काफी मात्रा में विद्यमान है। देश में सदैव बहने वाली अनेक नदियाँ हैं। वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। भूमिगत जल का अथाह भण्डार है। भारत में लगभग 1,680 अरब घन मीटर जल स्रोत हैं। किंतु उपलब्ध जल स्रोत का बहुत कम अंश सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाने के कारण अधिकांश जल समुद्र में बह जाता है।

6 सामुद्रिक सम्पदा — भारत के समुद्र तट की कुल लम्बाई 7,515 किलोमीटर है। समुद्र से मछलियाँ, नमक, बहुमूल्य मोती, खनिज तेल प्राप्त होता है। भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जो सुरक्षा व जलवायु की दृष्टि से अनुकूल है। समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन संभव है। विशाल समुद्र तट के कारण मछली उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। भारत में सामुद्रिक मछलियों का उत्पादन 1951-52 में 53 लाख टन था जो बढ़कर 1990-91 में 23 लाख टन तथा 1996-97 में और बढ़कर 297 लाख टन हो गया। भारत से 1996-97 में 38 लाख टन सामुद्रिक मछलियों के निर्यात से 4,131 करोड़ रुपये की आय हुई।

7. पशु सम्पदा (Animal Husbandry) — भारत पशु सम्पदा की दृष्टि से सम्पन्न है। छोटे और सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के लिए उपयोगी रोजगार की व्यवस्था करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेशनल सैम्पल सर्वे संगठन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1972-88 के दौरान पशुधन क्षेत्र के रोजगार में लगभग 415 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई जबकि कृषि क्षेत्र में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत के पशुधन में बहुत अधिक अनुवृद्धि की विविधता है जो अपने आपको परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकते हैं। पशुधन की 1987 की गणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 196 करोड़ गायें, 77 करोड़ भैंसें, 14 करोड़ भेड़ें, 49 करोड़ बकरियाँ, 17 करोड़ सूअर तथा 258 करोड़ मुर्गी आदि थीं। पशुधन परिवार की पूरक आय बढ़ाने और रोजगार देने के अतिरिक्त भोजन की पौष्टिकता भी बढ़ती है। दूध, अण्डे और मांस से भोजन अधिक प्रोटीनयुक्त हो जाता है। भारत में दूध उत्पादन 1990-91 में 539 मिलियन टन था जो बढ़कर 1997-98 में 705 मिलियन टन (पूर्व अनुमान) हो गया। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 203 ग्राम प्रतिदिन है। अण्डों का उत्पादन 1997-98 में 28,400 मिलियन (पूर्व अनुमान) था।

8. जनसंख्या (Population) — भारत मानव ससाधनों की दृष्टि से दुनिया का सम्पन्न देश है। चीन के बाद सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। भारत की जनसंख्या

1951 में 361.1 मिलियन थी जो 1990-91 में बढ़कर 846.3 मिलियन हो गई। वर्ष 1995-96 में जनसंख्या 934.2 मिलियन तक जा पहुंची। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1,000 मिलियन से अधिक है। जनसंख्या की अधिकता के कारण भारत में न केवल पर्याप्त व सरता श्रम उपलब्ध है बल्कि दुनिया का बड़ा बाजार भी है। जनसंख्या की गुणात्मकता में भी वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता 52.21 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 64.13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39.29 प्रतिशत है। साक्षरता के बढ़ने से मेधावी व कुशल श्रम शक्ति बढ़ी है।

9. खनिज सम्पदा – प्रकृति ने खनिज प्रदान करने में उदारता बरती। भारत खनिजों का अजायबघर है। यहां धात्विक, अधात्विक व आणविक खनिज पाये जाते हैं। भारत में उत्तम श्रेणी के कच्चे लोहे के विशाल भण्डार हैं। कच्चे लोहे की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व के लोहे भण्डारों का लगभग एक-चौथाई भाग भारत में है। मैंगनीज के उत्पादन में रूस के बाद भारत का स्थान है। इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। भारत से अभ्रक का निर्यात विश्व की कुल मांग का 80 प्रतिशत पूरा करते हैं। भारत में यूरेनियम, मोनेजाइट और बेरियम आणविक खनिज भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन 1951 में 4,152 हजार टन था जो बढ़कर 1996-97 में 66,672 हजार टन हो गया। वर्ष 1996-97 में मैंगनीज का उत्पादन 1,836 हजार टन, सोना उत्पादन 2,712 किलोग्राम था।

10. शक्ति के साधन – भारत में शक्ति के साधनों के पर्याप्त भंडार हैं। कोयले के विशाल भण्डार हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भी बहुतायत में हैं। वर्ष 1996-97 में कोयले का उत्पादन 3,32,010 हजार टन, लिग्नाइट उत्पादन 18,792 हजार टन तथा पेट्रोलियम क्रूड का उत्पादन 32,532 हजार टन था।

भारत के लोग गरीब हैं।

(Indian Peoples are Poor)

उपर्युक्त विवरण से भारत के सम्पन्न होने की बात को बल मिलता है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि भारत में विपुल ससाधन हैं, किंतु विडम्बना है ससाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरूप विकास तेजी से नहीं हो सका। आर्थिक विकास के गति नहीं पकड़ने के कारण गरीबी राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरी। गरीबी की समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। विकास की सुनियोजित व्यूहरचना के अभाव में विश्व के देशों की तुलना में भारत पिछड़ गया है। निम्नांकित विवरण से भारत में लोगों के गरीब होने की सहज पुष्टि हो जाती है—

1. जनाधिक्य – वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट 1997 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 1995 के मध्य में 5,673 मिलियन थी जिसमें भारत की जनसंख्या 929 मिलियन थी। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का भाग 16.4 प्रतिशत था। जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5 प्रतिशत है। स्पष्ट है कम भू-भाग में

बड़ी जनसंख्या निवास करती है। चीन का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 7.2 प्रतिशत है और विश्व की जनसंख्या में चीन का भाग 21.2 प्रतिशत है। विकसित देशों की जनसंख्या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है। विश्व की कुल जनसंख्या में आस्ट्रेलिया का भाग 0.31 प्रतिशत, कनाडा का भाग 0.52 प्रतिशत, फ्रांस का भाग 1 प्रतिशत तथा अमरीका का भाग 4.63 प्रतिशत है। आज विश्व का हर छठा आदमी भारतीय है। भारत में जनसंख्या के अधिक होने से ढेरों समस्याएँ उभरीं जिनके कारण भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है।

2. प्रति व्यक्ति आय – भारत में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में ही नहीं अपितु विकासशील देशों की तुलना में भी कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन, घाना, पाकिस्तान, श्रीलंका, जाम्बिया आदि विकासशील देशों से कम है।

विश्व की प्रति व्यक्ति आय 1995 में 4,880 डॉलर थी। अल्पविकसित और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय विश्व की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 340 डॉलर के मुकाबले जापान की प्रति व्यक्ति आय 39,640 डॉलर आर्थिक विषमता का परिचायक है।

3. औसत आयु (Life Expectancy) – भारत में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। गरीबी में जीवन बसर करने के कारण भारतीयों की औसत आयु विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है। औसत आयु आस्ट्रेलिया में 77 वर्ष, जापान में 80 वर्ष, अमरीका में 77 वर्ष है जबकि भारत में औसत आयु 62 वर्ष ही है।

4. जन्म एवं मृत्यु दर (Birth and Death Rate) – भारत में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, औसत जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है जो भारत में गरीबी की पुष्टि करते हैं। वर्ष 1993 में भारत में प्रति हजार जन्म दर 29, मृत्यु दर 10, शिशु मृत्यु दर 1995 में प्रति हजार 68 थी जबकि अमरीका में जन्म दर 16, मृत्यु दर 9 तथा शिशु मृत्यु दर 8 ही थी।

5. औसत वार्षिक वृद्धि दर (Average Annual Growth Rate) – भारत में औसत वार्षिक वृद्धि दर कम होने के कारण लोग गरीब हैं। वर्ष 1990-95 की अवधि में औसत वार्षिक वृद्धि दर के मामले में भारत एशियाई देशों से पीछे रहा। भारत में 1990-95 की अवधि में औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत, कृषि वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत, औद्योगिक वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत, निर्यात वृद्धि दर 12.5 प्रतिशत थी। गौरतलब है कि 1990-95 की समयवधि में विकसित देशों की वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम रही जबकि एशिया के कुछ देशों की वार्षिक वृद्धि दर तेजी से बढ़ी और ये देश एशियन टाइगर्स के रूप में उभरे। किंतु भारत की अर्थव्यवस्था एशियन टाइगर्स की भांति विकास की गति नहीं पकड़ सकी। लेकिन एशियन टाइगर्स की आर्थिक दशा शीघ्र ही अर्थात् 1998 में घराशाही हुई जबकि भारत की स्थिति इन देशों की भांति नहीं दिगड़ी।

6 श्रम शक्ति (Labour Force) – भारत में श्रम शक्ति चीन के बाद सबसे अधिक है। वर्ष 1995 में भारत की श्रम शक्ति 398 मिलियन तथा चीन की 709 मिलियन थी किंतु श्रम शक्ति वृद्धि दर भारत की अधिक है। वर्ष 1990-95 के बीच श्रम शक्ति की औसत वार्षिक वृद्धि दर भारत में 2 प्रतिशत तथा चीन में 1.1 प्रतिशत थी। भारत और चीन दोनों जनाधिक्य वाले देशों में श्रम शक्ति का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में कम श्रम शक्ति नियोजित है। विकसित देशों में श्रम शक्ति और उसकी वृद्धि दर कम है तथा श्रम शक्ति का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र की तुलना में सेवा और उद्योग क्षेत्र में अधिक नियोजित है। भारत में श्रम शक्ति के अधिक हान तथा बड़े भाग का कृषि क्षेत्र में नियोजित हान के कारण निर्धन जनता की बहुतायत है।

7 गरीबी (Poverty) – भारत में गरीबी की समस्या सदैव मुहबाएँ खड़ी है। देश की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशक्त है। बड़ी संख्या में लोग भूखे पेट रात बिताते हैं। भारत में लोगों को प्रतिदिन 2,230 कैलरीज भोजन मिलता है जो विकासशील देशों की तुलना में भी कम है। चीन में लोगों को प्रतिदिन 2,640 कैलरीज भोजन मिलता है। यह अर्जेंटीना में 3,070 कैलरीज, ईरान में 3,020 कैलरीज, मरीशस में 2,900 कैलरीज मैक्सिको में 3,060 कैलरीज दक्षिण अफ्रीका में 3,130 कैलरीज है। गरीबी के कारण भारत में मिचरियों की संख्या बहुत अधिक है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 7.5 लाख भिखारी थे।

8 चिकित्सा सुविधा (Health Profile) – भारत में लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं है। गाँवों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। तपेदिक तथा मलेरिया से देशवासियों को निजात नहीं मिली है। एड्स रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 122 लोग तपेदिक से 242 लोग मलेरिया से तथा 0 लोग एड्स से पीड़ित हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों तथा नर्सों का अभाव है। 1988-91 की अवधि में 2,439 लोगों पर एक डॉक्टर तथा 3,333 लोगों पर एक नर्स थी। भारत में चिकित्सा सुविधाओं पर कम राशि खर्च की जाती है। वर्ष 1990 में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.3 प्रतिशत था जबकि थाइलैण्ड में 4.1 प्रतिशत था।

9 बेरोजगारी (Unemployment) – बढ़ती बेरोजगारी निर्धनता का दर्शाती है। रोजगार के अवसरों के घटने से गरीबी बढ़ी है। जनाधिक्य और आर्थिक पिछड़ापन बेरोजगारी का कारण है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में पूंजी प्रधान तकनीक को प्राथमिकता देने को बेरोजगारी मुखर हुई। सार्वजनिक उपक्रमों का विकास धम सा गया है इस कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। दिसम्बर 1997 में रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 380 लाख थी। बेरोजगारों में प्रतिवर्ष 1.18 करोड़ की वृद्धि हो रही है।

10. बचत और पूंजी निर्माण (Saving and Capital Formation) -- भारत में बचत और पूंजी निर्माण की दर अनेक देशों की तुलना में कम है। बचत और पूंजी निर्माण की दर के कम होने के कारण भारत विकास की दौड़ में पिछड़ा। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भारत में निर्धनता बढ़ी। भारत में बचत व पूंजी निर्माण की दर बढ़ी है किंतु अभी भी यह विकसित देशों की तुलना में कम है। भारत में 1995-96 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर 25.8 प्रतिशत तथा सकल घरेलू बचत दर 24.1 प्रतिशत थी। वर्ष 1995 में सकल पूंजी निर्माण दर चीन में 40 प्रतिशत, इण्डोनेशिया में 38 प्रतिशत तथा जापान में 29 प्रतिशत थी।

11. विदेशी ऋण भार -- भारत बड़ा ऋणी देश है तथा मूलधन तथा ब्याज अदायगी का भारी बोझ है। विकासगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आज भी विदेशी ऋण पर निर्भरता बनी हुई है। मई 1998 में परमाणु विस्फोट के कारण बाद में विदेशी ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आई। परमाणु परीक्षण के कारण भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भारत ने 6 जुलाई 1999 को विश्व बैंक से 38.6 करोड़ डॉलर का बड़ा ऋण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। प्राप्त ऋण का उपयोग महिला एवं बाल विकास परियोजना तथा राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना पर खर्च किया जाएगा। भारत का कुल विदेशी ऋण सितम्बर 1998 में 95,195 मिलियन डॉलर था। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋणों का भाग 37.7 प्रतिशत तथा रियायती ऋणों का भाग 37.7 प्रतिशत था। भारत का विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 22.9 प्रतिशत था। भारत वर्ष 1994 में विश्व का चौथा बड़ा ऋणी देश था। भारत से अधिक ऋणी देश ब्राजील, मेक्सिको तथा चीन थे। वर्ष 1994 में ब्राजील का विदेशी ऋण 151 बिलियन डॉलर, मेक्सिको का विदेशी ऋण 128 बिलियन डॉलर, चीन का विदेशी ऋण 101 बिलियन डॉलर तथा भारत का विदेशी ऋण 99 बिलियन डॉलर था।

कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है किंतु वित्तीय ससाधनों के अभाव में उपलब्ध ससाधनों का अनुकूलतम विदोहन नहीं कर पाने के कारण विकास की दौड़ में दुनिया के देशों की तुलना में पिछड़ गया। भारत का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आई। प्राप्त विदेशी ऋण का पूरा उपयोग विकास में नहीं हो सका नतीजतन गरीबों की दशा सुधर नहीं सकी। भारत में लोगों के गरीब होने की बात सही चरितार्थ हाती है। आज भारत न केवल विकसित देशों यथा अमरीका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों से पिछड़ा हुआ है बल्कि विकासशील देशों जैसे चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाइलैण्ड, दक्षिण कोरिया आदि से भी विकास की दौड़ में पीछे है। हाल के (1998-99) वैश्विक आर्थिक संकट में अनेक देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। किंतु भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील देशों की बजाय बेहतर स्थिति में है। इसका कारण अर्थव्यवस्था का व्यापक आधार, बेहतर प्रबंधन तथा अल्पावधि के पूंजी प्रवाह पर कम निर्भरता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण (Causes of Backwardness of Indian Economy)

भारत के विकास की अवस्था

प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 से ही 'स्वयं स्फूर्त अवस्था' में प्रवेश कर गई। विकसित देशों ने स्वयं स्फूर्त अवस्था काफ़ी पहले प्राप्त कर ली थी। स्वयं स्फूर्त अवस्था अमरीका ने 1843-60, जापान ने 1878-1900 तथा रूस ने 1890-1914 में प्राप्त कर ली। स्वयं स्फूर्त अवस्था के बाद लगभग 60 वर्षों में परिपक्वता की अवस्था आ जाती है। अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन परिपक्वता की अवस्था पार कर चुके हैं। भारत परिपक्वता की अवस्था में नहीं पहुँचा है। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न अवस्थाओं का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। भारत रेल सड़कों के विकास में पीछे है। सरकार आधारभूत संरचना के विकास धारते प्रयासरत है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत में आधारभूत संरचना की स्थिति दयनीय है। भारत में 1992 में विद्युत शक्ति उत्पादन 373 किलोवाट प्रति व्यक्ति, 1982 में सड़क घनत्व प्रति दस लाख लोगों पर 893 किलोमीटर था, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाए। वर्ष 1990 में श्रम शक्ति का 64 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है जबकि यह अमरीका में 3 प्रतिशत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में कम है। सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1990-95 में 4.6 प्रतिशत थी जबकि यह चीन में 12.8 प्रतिशत थी। इस समयावधि में कृषि वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत थी। भारत में वचत व पूँजी निर्माण की दर अवश्य अधिक थी। वर्ष 1995-96 में सकल घरेलू पूँजी निर्माण दर 25.8 प्रतिशत तथा सकल घरेलू वचत दर 24.1 प्रतिशत थी।


कुल मिलाकर भारत में नियोजन काल और आर्थिक उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में विकास के चिन्ह प्रकट हुए हैं किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भारत पिछड़ेपन से निपट चुका। भारत आज भी विकास की दौड़ में दुनिया के देशों से पीछे है। भारत की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

भारत की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारणों को सुविधा की दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक, राजनीतिक भागों में विभक्त करना समीचीन होगा। (देखें चार्ट पृ 33 पर)

(अ) अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के आर्थिक कारण (Economic Causes of Backwardness of Economy)

1. कृषि की प्रधानता (Pre-Dominance of Agriculture) — कृषि की प्रधानता अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण रहा है। आज भी देश की बहुसंख्यक जनसंख्या गाँवों में जीवन बसर करती है। राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग

भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण



(अ) आर्थिक कारण

- 1 कृषि की प्रधानता
- 2 औद्योगीकरण का अभाव
- 3 आधारभूत संरचना का अभाव
- 4 बचत व पूंजी निर्माण की नीची दर
- 5 पिछड़ी प्रौद्योगिकी
- 6 औद्योगिक अशांति
- 7 व्यापक बेरोजगारी
- 8 गरीबी
- 9 विदेशी मुद्रा भण्डार का अभाव
- 10 प्रमाणी व्यूहरचना का अभाव
- 11 उपभोग की गलत प्रवृत्ति
- 12 अल्प शोषित प्राकृतिक संसाधन
- 13 विद्वेन की भारत विरोधी नीति
- 14 प्राकृतिक आपदाएँ

(ब) सामाजिक कारण

- 1 निरक्षरता
- 2 जनाधिक्य
- 3 स्त्रियों की दयनीय आर्थिक दशा
- 4 दायपूर्ण सामाजिक ढांचा
- 5 रूढ़िवादिता
- 6 अन्धविश्वास
- 7 संतोष प्रवृत्ति
- 8 अनुत्पादक व्यय

(स) राजनीतिक कारण

- 1 राजनीतिक विचारधारा
- 2 राजनीतिक अस्थिरता
- 3 विदेशी आक्रमण
- 4 बढ़ता सुरक्षा खर्च

कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय में भी कृषि की उल्लेखनीय भूमिका है। किंतु कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। कृषि के मातृका पर निर्भर होने के कारण कृषिगत उत्पादन में उच्चघाटा की प्रवृत्ति व्याप्त है। कृषि का पिछड़ापन अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान नहीं कर सका है। परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में है।

2 औद्योगीकरण का अभाव (Lack of Industrialisation) — आधारभूत उद्योगों के अभाव में अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विस्तार नहीं हो सका। नियोजन काल के प्रारंभिक वर्षों में निजी क्षेत्र ने औद्योगीकरण की विशेष पहल नहीं की। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विकास की नींव रखी किंतु सार्वजनिक उपक्रम भी विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं कर सके। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। आर्थिक उदारता के दौर में विकास में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों की भूमिका बढ़ी है किंतु देश में आधारभूत संरचना का अभाव औद्योगीकरण में पूंजी निवेश के मार्ग में बाधा बना हुआ है।

3 आधारभूत संरचना का अभाव (Lack of Infrastructure) — अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रेल सड़क संचार बैंक बीमा आदि आवश्यक है। नियोजन काल में आधारभूत संरचना ने विकास में प्रयास किए गए किंतु भारत में आज भी आधारभूत संरचना की दृष्टि से स्थिति दयनीय है। भारत में रेलों की लंबाई 1997-98 में 62.5 हजार किलोमीटर थी किंतु इरान से विद्युतीकृत रेल मार्गों की लंबाई केवल 14 हजार किलोमीटर थी। कुल रेल मार्गों में विद्युतीकृत रेल मार्गों का भाग केवल 22.4 प्रतिशत था। सड़कों की कुल लंबाई 1995-96 में 3.319.6 हजार किलोमीटर थी। राष्ट्रीय राजमार्गों का अभाव है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1995-96 में केवल 34.5 हजार किलोमीटर थी। विद्युत का भी अभाव है। मार्च 1995 तक देश के 14 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं थी। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बहुत कम है। यह 1994-95 में केवल 320 किलोवाट था। बैंकिंग सुविधाओं का भी अभाव विकास नहीं हुआ है। सितंबर 1998 में प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 7 बैंक थे। ये सब बातें आधारभूत ढांचे की दयनीय स्थिति को दर्शाती हैं।

4 बचत व पूंजी निर्माण की नीची दर (Low Rate of Saving and Capital Formation) — भारत में लागू की बचत कम है। बचत के लिए आज भी लोग द्वारा पुराने तरीके अपनाए जाते हैं। भारतीयों का स्वर्ण जवरा के प्रति विशेष आकर्षण है। भारत में सौंपे की प्रति व्यक्ति खपत दुनिया में तुलनात्मक रूप से अधिक है। जुलाई 1994 में सौंपे की कीमत बहुत गिरी। सौंपे स्टैंडर्ड की कीमत गई दिल्ली में 9 जुलाई 1999 को 4.040 प्रति दस ग्राम थी। सौंपे की कीमतें गिरने से लोग ने बचत को सौंपे खरीदने में काम में लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बचत दर के कम होने से पूंजी निर्माण की दर भी कम है जिससे आर्थिक विकास की गति कम रही। वर्ष 1997-98 में सरकारी घरलू बचत 23.1 प्रतिशत तथा सरकारी घरलू पूंजी निर्माण 24.8

प्रतिशत था।

5. पिछड़ी प्रौद्योगिकी (Backward Technology) – विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में तीव्र विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अति आवश्यक है। आज विकसित देश में शोध एवं अनुसंधान पर भारी राशि खर्च की जाती है। वहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हैं। विडबना है कि भारत अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी पुरानी तकनीक को आत्मसात किए हुए है। कृषि क्षेत्र में आज भी बैलगाड़ी दृष्टिगोचर होती है। भारत में हरित क्रांति की तकनीक पुरानी पड़ चुकी है। कृषिगत उत्पादन में टहराव की स्थिति आ गई है। डकल प्रस्तावों के बाद कृषि बेहतरीन तकनीक बाजार में प्रवेश कर चुकी है। भारत के उद्योगों की स्थिति भी कमोबेश यही है। बरसों पुराने उद्योगों की खस्ताहालत है। उद्योगों का नवीनीकरण नहीं किये जाने से उत्पाद की किस्म घटिया होती है तथा लागत अधिक बैठती है। ऐसी स्थिति में उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं।

6. औद्योगिक अशांति (Industrial Unrest) – उद्योगपतियों और श्रमिकों में मधुर संबंध नहीं है। उद्योगपति अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं और श्रमिक कम काम पर अधिक वेतन और सुविधाएँ चाहते हैं। नतीजतन आए दिन हड़ताल और तालेबंदी की नौबत आती है। निजी क्षेत्र के अनेक उद्योग घाटे के कारण बंद पड़े हैं। श्रमिकों के सामने भूखे मरने की समस्या है। औद्योगिक संघर्ष से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उत्पादन के कम होने से कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक अशांति के कारण मानव दिवसों की क्षति होती है। भारत में 1998 (सितम्बर तक) में 350 औद्योगिक हड़ताले हुईं। जिनमें 39 मिलियन मानव दिवसों की क्षति हुई। इसके अलावा 251 उद्योगों में ताले बंदी से 4 मिलियन मानव दिवसों की क्षति हुई। इसी प्रकार वर्ष 1998 (सितम्बर तक) में औद्योगिक संघर्षों की घटनाओं में 79 मिलियन मानव दिवसों की क्षति हुई।

7. व्यापक बेरोजगारी (Widespread Unemployment) – बेरोजगारी की समस्या भीषण है। विकास की धीमी गति के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद पूँजी प्रधान तकनीक को बढ़ावा देने से बेरोजगारी की समस्या और मुखर हुई। गावों में गरीबी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। उदारिकरण के वर्षों में तो कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश नहीं बढ़ने से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो सके। गावों में औद्योगीकरण पर जोर नहीं दिया गया। शिक्षित बेरोजगारी भी व्याप्त है। लोगों को योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिला हुआ है। बहुमूल्य मानव संपदा का समुचित उपयोग नहीं होने से विकास गति नहीं पकड़ सका। दिसम्बर, 1997 में रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 380 लाख थी। बेरोजगारों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक है क्योंकि सभी बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण नहीं करवाते हैं।

8. गरीबी (Poverty) – भारत में गरीबी का ताण्डव नृत्य दृष्टिगोचर होता है।

महंगाई के युग में गरीब का मरना है। गरीब विकास में भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। वह मुश्किल से रोजी-रोटी की व्यवस्था कर पाता है। बड़ी संख्या में लोग भूखे पेट रात बिताते हैं। गरीबों के नाम पर करोड़ों रूपए भ्रष्टाचार की बाढ़ में बह गए। गरीबों की दशा में सुधार की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिली। देश की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। अर्थव्यवस्था निर्धनता के कुचक्र में फस गई है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना कठिन सिद्ध हो रहा है। निर्धनता भारत की अर्थव्यवस्था का दुखद पहलू है।

9 विदेशी मुद्रा भण्डार का अभाव (Lack of Foreign Currency Reserve) – आर्थिक सुदृढ़ता विदेशी विनिमय भण्डार पर निर्भर करती है। निर्यात वृद्धि विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रमुख स्रोत है। निर्यातों के तेजी से नहीं बढ़ने के कारण विदेशी विनिमय भण्डारों की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी। विदेशी विनिमय भण्डार के अभाव में खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट के कारण 1990-91 में भारतीय अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो गई थी। विदेशी मुद्रा भण्डार 1990-91 में 2,236 मिलियन डॉलर के स्नातल स्तर तक पहुंच गया था। बाद में इसमें वृद्धि हुई। जनवरी 1999 में विदेशी मुद्रा भण्डार 27,429 मिलियन डॉलर था। विदेशी विनिमय के अभाव में विकासगत जरूरतों को पूरा करने में भारी कठिनाई आती है।

10 प्रभावी व्यवस्थापन का अभाव (Lack of Effective Strategy) – विकास के लिए नियोजित विकास का मार्ग चुना गया। वर्ष 1951 से 1990 तक इसका चार दशक बीत गए किंतु भारत की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन काल अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सका। देश में गरीबी बीमारी बेकारी की समस्या यथावत रही। पूंजीवादी देश विकास की दौड़ में तुलनात्मक रूप से आगे निकल गए। भारत ने 1991 से आर्थिक उदारीकरण का मार्ग आत्मसात् किया है। पूंजी निवेश के बढ़ने से विकास की गति बढ़ने की सम्भावना है।

11 उपभोग की गलत प्रवृत्ति – जनसंख्या में निम्नवर्गीय परिवारों की बहुतायत है। आर्थिक विकास के बढ़ने से देशवासियों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। किंतु विडंबना है भारत में निर्धन व्यक्ति बढ़ी हुई आय को दुर्व्यसनों पर खर्च कर देते हैं। बढ़ती उपभोग अधानुगमन की प्रवृत्ति के कारण मध्यमवर्गीय परिवार बढ़ी आय को विलासिता पर खर्च कर देते हैं। देशवासियों का विदेशी उत्पादों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। इससे विदेशी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा मिला है। उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण बचत दर कम है।

12 अल्पशोषित प्राकृतिक संसाधन – प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। किंतु वित्तीय संसाधनों और तकनीकी के अभाव में उनका पूर्ण विदोहन नहीं किया जा सका है परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अवस्था में है। भारत में लौह-अयस्क के सर्वाधिक भण्डार हैं। लौह-अयस्क पर आधारित लोहा एवं इस्पात उद्योगों की स्थापना करके देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है किंतु ऐसा नहीं

हो सका। लौह-अयस्क का अधिकांश भाग कच्चे माल के रूप में जापान को निर्यात कर दिया जाता है। जल ससाधन प्रचुर मात्रा में हैं इसके बावजूद सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। बड़ी मात्रा में जल समुद्र में बह जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस के भण्डारों की भी कमी नहीं है किंतु इनका विवेकपूर्ण विदोहन नहीं हो रहा है। विशाल श्रम शक्ति पूंजी की कमी के कारण अल्प प्रयुक्त दशा में है। इस प्रकार भारत में भूमि, दान, जल, खनिज, जल ससाधनों का सतुलित विकास नहीं होने के कारण तीव्र गति से विकास नहीं किया जा सका है।

13. बिट्रेन की भारत विरोधी नीति – भारत लम्बे समय तक बिट्रेन का उपनिवेश रहा। गुलामी के दिनों में बिट्रेन ने भारत की अर्थव्यवस्था का विदोहन किया। अंग्रेजों की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत समृद्ध देश से पिछड़े देश के रूप में परिवर्तित हो गया। विदेशियों ने भारत के औद्योगिक विकास में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने लघु उद्योगों का पतन करके लोगों को कंगाल बना दिया। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से किसानों की रीढ़ तोड़ दी। अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से इतना जर्जर बना दिया कि स्वातंत्र्योत्तर दीर्घावधि तक भी अर्थव्यवस्था सबल नहीं हो सकी।

14. प्राकृतिक आपदाएँ (Natural Calamities) – स्वतंत्रता के पचास बरसों बाद भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी हुई है। कृषि उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके अलावा देशवासियों को निरन्तर अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, महाभारिया आदि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें जान व माल की बड़ी क्षति होती है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा में अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो जाती है।

(ब) आर्थिक पिछड़ेपन के सामाजिक कारण

(Social Causes of Economic Backwardness)

1. निरक्षरता (Illiteracy) – बढ़ती निरक्षरता एक ऐसा सामाजिक कारण है जिसकी वजह से भारत आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। निरक्षरता अनिशाप है। विश्व के सर्वाधिक निरक्षर भारत में है। आजादी के पचास वर्षों बाद भी लोगों को शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं है। वर्ष 1991 में साक्षरता 52.21 प्रतिशत थी। पुरुषों में साक्षरता 64.13 प्रतिशत तथा महिलाओं में साक्षरता 39.29 प्रतिशत थी। साक्षरता के नितांत अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना कैंरो की जा सकती है।

2. जनाधिक्य (Over Population) – भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जनाधिक्य के कारण ही, देश में, गरीबी, बेरोजगारी व आर्थिक पिछड़ापन की समस्याएँ उभरीं। आर्थिक प्रगति जनसंख्या रूपी बाढ़ में बह जाती है। आज भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या 1950-51 में 361.1 मिलियन थी जो 1995-96 में बढ़कर 934.2 मिलियन हो गई। नियोजन काल में जनसंख्या की दृष्टि से एक नए भारत का निर्माण हो गया है। जनसंख्या 1981-91 में 2.14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी। यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो हम शीघ्र ही इस क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ देंगे।

3. रित्रयो की दयनीय आर्थिक दशा (Poor Economic Position of Women) – भारत म वर्ष 1991 की 84.6 करोड की जनसख्या मे 40.7 करोड करोड जनसख्या महिलाओ की है। महिलाए कुल जनसख्या का 48 प्रतिशत है। कितु विकास के क्षेत्र मे महिलाओं की तुलनात्मक रूप से कम भूमिका है। दश की बहुसख्यक महिलाए आर्थिक रूप से पुरुषो पर निर्भर हैं। महिलाओ का भारत के पुरुष प्रधान समाज मे पुत्री के रूप मे, बहु के रूप मे तथा मा के रूप मे शापण की प्रवृति व्याप्त है। देश म लगभग 61 प्रतिशत महिलाए निरक्षर है। गायाम महिलाओ मे साक्षरता की रिथति चितनीय है। महिलाओं की आर्थिक परतत्रता और दयनीय रिथति के कारण भारत पिछडा रह गया। वर्तमान मे महिलाओं मे शैक्षिक विकास के साथ रिथति मे बदलाव आया है।

4. दोषपूर्ण सामाजिक ढाचा (Defective Social Organisation) – सामाजिक परिस्थितिया आर्थिक विकास के पूर्णतया अनुकूल नहीं है। जाति प्रथा और सयुक्त परिवार प्रथा आर्थिक विकास मे बाधक है। इसके अलावा बाल-विवाह, पर्दाप्रथा आदि दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाए भी देश के आर्थिक पिछडेपन के कारण है।

5. रुढिवादिता (Traditional Society) – भारत की अधिकाश जनसख्या शैक्षिक विकास के अभाव मे रुढिवादिता मे डूयी हुई है। लोग नवीनता को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। पढे-लिखे लोग भी रुढिवादिता से ग्रसित है।

6. अधविश्वास (Superstition) – ग्रामीण परिवेश और कुछ सीमा तक शहरों मे भी अधविश्वास प्रचलित है। घरों में टोना, बिल्ली के सरता काटने पर रुक जाना, किराी के छीकने पर नये काम को रोक देना, चौराहे पर टोटके आदि घटनाए लागी की विकृत मानसिकता और देश के आर्थिक पिछडेपन के परिचायक है।

7. सतोष प्रवृति – भारत के लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले हैं। लोगो मे सतोष की प्रवृति विद्यमान है। कितु आज के भौतिक युग मे सतोष प्रवृति विकास मे बाधक है। जहा सतोष है वहा विकास रुक जाता है।

8. अनुत्पादक व्यय (Unproductive Expenses) – भारत म गरीबी की समस्या के बावजूद लागी को मजदूरन अनुत्पादक व्यय करने पडते हैं। इसका कारण दोषपूर्ण रिथि-रिवाज है। लोग जमाराशि का बडा भाग मृत्यु भोज, धार्मिक गतिविधियों, विवाहो म खर्च करते हैं इनका गरीबों की आर्थिक रिथति पर बुरा प्रभाव पडता है। वे कर्जभार म डूय जाते हैं। दशवारियों की माली हालत दयनीय होने से भारत के विकास म बाधा पहुची है।

(स) आर्थिक पिछडेपन के राजनीतिक कारण

(Political Causes of Economic Backwardness)

1. राजनीतिक विचारधारा (Political Thought) – राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा का आर्थिक विकास पर बडा प्रभाव पडता है। भारत में स्वातन्त्र्यात्तर लम्बे समय तक विकास के लिए पचदशवीय योजनाओ का मार्ग अपनाया गया। वर्ष 1991

म तत्कालीन सत्तारूढ राजनीतिक पार्टी ने आर्थिक उदारीकरण का माग आत्मसात किया, जिसका विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया। देश में हायतौवा मची। देश राजनीतिक रूप से गुलाम हो जाएगा, बाते भी कहीं गई। राजनीतिक लाम बटोरने वास्तु अन्य राजनीतिक दल द्वारा रवदेशी आदोलन को बढावा दिया गया। काग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद आर्थिक उदारीकरण की गति धीमी पडी। बाद के वर्षों में सभी राजनीतिक दलो ने आर्थिक सुधारों को न्यूनाधिक गति दी। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा बावेला मचाए जाने का प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर पडा। गौरतलब है कि एक सरकार के आर्थिक निर्णयों को दूसरी सरकार के द्वारा परिवर्तित किया गया। इस तरह की घटनाओं से विदेशी निवेशकों का विश्वास डगमगाया।

2. राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) - राजनीतिक स्थायित्व विकास के लिए आवश्यक है। भारत में 1947 से लेकर एक दिसम्बर 1989 तक राजनीतिक स्थिरता थी। बियालीस वर्षों के राजनीतिक इतिहास में बीच में 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के शासन को छोडकर बाकी वर्षों में काग्रेस ही सत्तारूढ रही। यह अलग बात है कि योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के अभाव में देश विकास की गति नहीं पकड सका। दिसम्बर 1989 से लेकर जून 1991 का समय राजनीतिक अस्थिरता का रहा। डेढ वर्ष की इस समयावधि में दो बार प्रधानमंत्री बदले। चन्द्रशेखर सरकार तो केवल 11 नवम्बर, 1990 से 18 जून, 1991 तक ही सत्तारूढ रही किंतु इस सरकार के कार्यकाल में भारत को खाडी युद्ध का सामना करना पडा और अर्थव्यवस्था की स्थिति को बिगडने से बचाने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पडे। वर्ष 1996 के बाद भारत में फिर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति सितम्बर 1999 तक बनी रही। इस समयावधि में बार-बार सरकारें बदलीं। एच डी देवगोडा, इन्द्रकुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बार-बार आम चुनावों से गरीब जनता के दुर्लभ वित्तीय ससाधनों की बर्बादी होती है। भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि आम चुनावों का भार अधिक वहन किया जा सके। राजनीतिक अस्थिरता से विदेशी पूजी निवेश प्रभावित होता है। आज के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में विदेशी पूजी निवेश के घटने से आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पडता है। पूजी निवेश के आकर्षित नहीं होने से भारत विकास की दौड में दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बहुत पिछड गया।

3. विदेशी आक्रमण - विडबना है कि भारत को स्वतंत्रता के पचास वर्षों में पाच युद्धों का सामना करना पडा। स्वतंत्रता के तुरत बाद 1947-48 में पाकिस्तान से युद्ध करना पडा। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। भारत समल भी नहीं पाया कि पाकिस्तान ने 1965 में फिर आक्रमण किया। वर्ष 1971 में फिर भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इसमें बांग्लादेश आजाद हुआ। भारत पर बार-बार युद्ध थोपे गए। जून-जुलाई 1999 में कारगिल में भारत-पाक सीमित युद्ध

हुआ। पाकिस्तान सैनिकों ने भारत के कश्मीर में घुसपैट की। भारत की सीमा में चोरी-छिपे कारगिल बटालियन, द्वास तक आ घुसे। पाकिस्तान सैनिकों को सीमा पार खदडने के लिए भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। विश्व की सर्वाधिक उचाई वाली बर्फाळी चौटियों पर भारतीय सेना को युद्ध लडना पडा। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लडाई लडी। पाकिस्तानी सेना के दात खटटे किए। पाकिस्तानी सैनिकों को सीमा पार खदडने में लगभग दो माह का समय लगा। कारगिल सकट की घडी में पूरा दश एकजुट था। अनेक सैनिक देश की रक्षार्थ काम आए। इस युद्ध में भारी वित्तीय ससाधन खर्च करने पडे। पाकिस्तान का हर बार युद्ध में मात खानी पडी, किंतु उसके इरादे भारत के प्रति नापाक है।

4 बढ़ता सुरक्षा खर्च (Increasing Defence Expenditure) - भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा मडराता रहा है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पडीसी देशा ने यौद्धिक साजो-समान का जडीरा खडा कर रखा है। पाकिस्तान ने अन्य देशों से परमाणु विस्फोट की तकनीक प्राप्त की। विदेशी आक्रमण के खतरे को मडराते देखकर भारत ने पोकरण में मई 1998 को परमाणु विस्फोट कर विश्व को चौंका दिया। पाकिस्तान ने भी तुरत बाद परमाणु विस्फोट कर दिखाया। ऐसी स्थिति में रक्षा खर्च में बढोतरी अपरिहार्य हो जाती है।

भारत सरकार का रक्षा खर्च

(करोड रूपये)

वर्ष	रक्षा खर्च	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1990-91	10874	19
1994-95	16426	16
1995-96	18841	15
1996-97	20997	15
1997-98 (सअ)	26802	17
1998 99 (बअ)	30840	17
1999-2000 (बअ)	45694	---

स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 1998-99, 1999-2000

केन्द्र सरकार का रक्षा खर्च 1990-91 में 10,874 करोड रूपए था जो 1996-97 में बढकर 20,997 करोड रूपए हो गया। वर्ष 1999-2000 में रक्षा खर्च 45,694 करोड रूपए था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में रक्षा खर्च घटा है। वर्ष 1990-91 में रक्षा खर्च घरेलू उत्पाद का 19 प्रतिशत था जो घटकर 1996-97 में 15 प्रतिशत तथा 1998-99 में 17 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमाना में रक्षा खर्च में गत वर्ष की तुलना में 48 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

भारत में केन्द्र सरकार के खर्च का 14.5 प्रतिशत रक्षा (Defence) पर खर्च किया जाता है। जबकि यह पाकिस्तान में 26.9 प्रतिशत तथा अमरीका में 19.3 प्रतिशत है। गौरतलब है भारत में केन्द्र सरकार के कुल खर्च का केवल 2.2 प्रतिशत शिक्षा पर और 1.9 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। भारत में 1995 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च किया गया जबकि यह पाकिस्तान में 6.5 प्रतिशत, चीन में 5.7 प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च भारत में 9 डॉलर, पाकिस्तान में 28 डॉलर तथा चीन में 26 डॉलर था। स्पष्ट है कि भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान में रक्षा व्यय ज्यादा है। भारत में रक्षा खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारत में प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च दुनिया के देशों विशेषकर चीन पाकिस्तान से बहुत कम है। भारत को सीमा पर बढ़ते सकट को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी चाहिए। बढ़ते रक्षा खर्च का देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में सामाजिक विकास के क्षेत्र यथा शिक्षा, चिकित्सा उपेक्षित है। किंतु देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह सहज कहा जा सकता है कि भारत के पिछड़ेपन के कारणों में जनाधिक्य, सामाजिक विकास क्षेत्र की दयनीय स्थिति और विदेशी आक्रमणों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। दयनीय आर्थिक दशा सुधारने के लिए सामाजिक विकास पर परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। कुछ देशों के नापाक इरादों को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा खर्च बढ़ोतरी में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हर्ष की बात है भारत आज अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूर्व से अधिक सक्षम है।

सन्दर्भ

- 1 दी इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 20 जून 1999
- 2 इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, एस-12
- 3 राजस्थान पत्रिका, 7 जुलाई, 1999
- 4 इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99
- 5 राजस्थान पत्रिका, 9 जुलाई, 1999

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय आर्थिक पर्यावरण पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

- 3 भारतीय अर्थ व्यवस्था में निष्कृषि में सामाजिक कारणों को लिखिए।
- 4 भारतीय अर्थ व्यवस्था में निष्कृषि में राजनीतिक कारणों को लिखिए।

नियन्त्रात्मक प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थ व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(सर्वेण - अध्याय में दी गई भारतीय अर्थ व्यवस्था की विशेषताओं को लिखना है।)
- 2 भारत एक समृद्ध देश है जिसके निर्धन लोग विचार करते हैं। इसका कारण कीजिए।
(सर्वेण - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई भारत की समृद्धि की बातों को लिखना है इसका बाद प्रश्न के दूसरे भाग में निर्धनों की दशा के बाली बातों का उल्लेख करना है।)
- 3 भारतीय अर्थ व्यवस्था के निष्कृषि में कारणों को समझाइए।
(सर्वेण - अध्याय में दिए गये अर्थ व्यवस्था के निष्कृषि के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक कारणों को लिखना है।)

नई आर्थिक नीति (New Economic Policy)

भारत स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे कर चुका है। विकास के नियोजित मार्ग में आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। वर्तमान में नौवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है जिसकी समाप्ति 1997 से 2002 निश्चित की गई है। वर्ष 1951 से 1990 तक पंचवर्षीय योजनाएँ विकास पर छाई रही। योजना आयोग को 'सुपर कैबिनेट' का दर्जा प्राप्त था। नियोजन काल में भारी भरकम पूँजी विनियोजन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 1,960 करोड़ रुपए था जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 2,18,730 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विकास की तेज गति नहीं पकड़ सकी। भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से दुनिया के विकसित देशों की तुलना में पिछड़ा रहा। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ढेरों आर्थिक समस्याएँ यथा गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, आर्थिक विषमता, गाँवों का पिछड़ापन आदि मुहबाएँ खड़ी हैं। आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या से निपटने तथा विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 1991 से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। भारत में आर्थिक सुधारों को आत्मसात किए एक दशक का समय बीत चुका है। अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर सरचनात्मक बदलाव किए जा चुके हैं तथा वर्ष दर वर्ष उदारीकरण की गति जारी है। आर्थिक सुधारों के परिणाम भी आना शुरू हो गए हैं। नई आर्थिक नीतियों के फलीभूत होने के साथ दुष्परिणाम भी दृष्टिगोचर हुए हैं। व्यापक विश्लेषण की दृष्टि से आर्थिक उदारीकरण को निम्नांकित शीर्षकों में विभाजित करना समीचीन होगा —

- 1 आर्थिक सरचना में मूलभूत बदलाव (1991-92 से 1995-96)
- 2 आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण (1996-97 से 1997-98)
- 3 आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरूप (1998-99 से 1999-2000)
- 4 उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन

(अ) आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलाव (1991-92 से 1995-96)

वर्तमान आर्थिक संक्रमण काल में विश्व के अनेक देश अपनी आर्थिक नीतियों को बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करने के वास्ते प्रयासरत हैं। कोई भी देश बदले आर्थिक परिवेश की आदखी नहीं कर रहा जिस किसी देश ने उपेक्षा की वह विश्व के आर्थिक पटल से अलग-थलग हो गया है या कर दिया गया। आर्थिक सुधारों को लागू करने की गति की दृष्टि से सभी देशों में समरूपता नहीं है कुछ देशों ने अल्पावधि में ही भारी आर्थिक बदलाव कर दिखाए हैं तो कुछ देशों की गति धीमी भी रही है। प्रायः विभिन्न देशों ने आवश्यकतानुसार और वित्तीय सहायता की उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर ही सुधारों के स्वरूप व गति को आत्मसात किया है। आर्थिक सुधारों के चलते सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव अन्य राष्ट्रों के आर्थिक सुधारों पर भी पड़ा है।

जहां तक आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में भारत का सवाल है हमने विश्व के बदले आर्थिक माहोल के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के लिए विगत की पृष्ठभूमि एवं भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए योजनाबद्ध व नीतिगत पहल की है तथा आर्थिक सुधारों की गति इस कदर अच्छी रही कि दुनिया के सभी देशों की दृष्टि भारत पर टिकी और न केवल प्रशंसा हुई अपितु विकसित राष्ट्रों समेत विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने भी आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की।

अमेरिकी कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति की एकरमन उपसमिति ने दक्षिण एशिया पर एक रिपोर्ट में भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में टिप्पणी की कि भारत इस सदी के अंत तक पूर्व सोवियत संघ या पूर्वी यूरोपीय देशों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी बन जाएगा। भारत ने बहुत ही दूरगामी परिणामों वाले आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम पेश किए हैं। ये सुधार पूरे दक्षिण एशिया के परिदृश्य में आमूलधूल परिवर्तन की ताकत रखते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूर्व सोवियत संघ या पूर्वी यूरोप के देशों की तुलना में भारत कहीं अधिक क्षमताओं से भरा पड़ा है।

दृष्टव्य है कि भारत ने स्वतंत्रता उपरान्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को अंगीकृत किया इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के भी फलों-फूलने का पर्याप्त अवसर था। यह भारतीय योजनाकारों की दूरदर्शिता की सुखद परिणति है कि आज आर्थिक सुधारों के साथ समायोजित करने के वास्तविक अर्थव्यवस्था में समूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस कारण लागू किये जा रहे आर्थिक सुधारों का जन विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है और फिर इन सुधारों के अनुकूल परिणाम शीघ्रतिशीघ्र दृष्टिगोचर होने लग गए जिससे सरकार को सुधारों की गति को तेज करने के लिए समर्थ मिले।

आर्थिक सुधारों को लागू करने का सिलसिला दशक राजनीतिक संक्रमण काल से उबरने के ठीक पश्चात् जुलाई 1991 से प्रारम्भ हुआ। दस वर्ष पूरे हो

चुके हैं, इस दौरान अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण भाग में बदलाव किया जा चुका है। अभी भी यह दौर माह-दर-माह जारी है। किए जा चुके आर्थिक सुधारों का विवरण निम्नांकित है -

1. रुपये की विनिमय दर में कमी

भारत ने जुलाई, 1991 के प्रथम सप्ताह में रुपये की विनिमय दर में कमी करके रुपये को विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले यथा पौण्ड स्टर्लिंग 21 04 प्रतिशत, अमरीकी डालर 23 07 प्रतिशत जर्मन मार्क 20 78 प्रतिशत, जापानी येन 22 33 प्रतिशत तथा फ्रांसिसी फ्रांक 21 प्रतिशत सस्ता कर दिया। भारत ने यह गम्भीर कदम आर्थिक संकट से उबरने विदेशी मुद्रा जुटाने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए उठाया। इससे पूर्व भारत ने 1949 में और 1966 में रुपये का अदमूल्यन किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। इस निर्णय से गैर आवश्यक वस्तुओं का आयात हतोत्साहित हुआ तथा विदेशी मुद्रा संकट को हल करने में मदद मिली। भविष्य में हम निर्यात बढ़ाने में कहा तक सफल होंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद की मांग की लोच कैसी है तथा घरेलू बाजार में निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पाद की उपलब्धता क्या है।

2. स्वर्ण हस्तान्तरण

भारत को भारी विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पहली बार सोना बाहर भेजना पड़ा। मई, 1991 में सरकार ने 20 करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा के लिए स्विस व्यापारिक बैंक में जम्मा किए गए सोने के भण्डार से 20 टन सोना पुन खरीदे जाने की शर्त पर बेचा। जुलाई, 1991 में अप्रत्याशित विदेशी मुद्रा संकट को दूर करने के लिए अल्पावधि ऋण के लिए 46 91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को रेहन पर रखा, इससे भारत को 40 करोड़ डॉलर के रूप में मिल सके। भारत भुगतान के मामले में 'डिफाल्टर' घोषित होने से बचा। विषम परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भण्डार का 15 प्रतिशत सोना विदेशों में गिरवी रखा जा सकता है।

3. खुली औद्योगिक नीति

केंद्र सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करके, भारत का आर्थिक संविधान समझी जाने वाली 1956 की औद्योगिक नीति को काफी हद तक इतिहास के हवाले कर दिया है। यह मौजूदा बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के साथ तालमेल के लिए आवश्यक भी था। वैसे सरकार औद्योगिक नीति में समय-समय पर हेर-फेर करती रही है मगर इस बार बिल्कुल नई इबारत लिख दी गई है। अब अडचने नहीं रही हैं। उद्योगों के लिए शिकायत का कोई कारण नहीं। अब उद्योगों में जनता की सीधी भागीदारी के और अवसर मिलेंगे। निजीकरण केवल वैचारिक आधार पर नहीं किया गया है बल्कि यह आज की आवश्यकता है।

सावजनिक क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों में सही भूमिका निभाने की अनुमति होगी। दशक उद्योगों का आधुनिक व गतिशील अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करना है।

नई औद्योगिक नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाइसेंस राज के खत्म की शुरुआत है। नए प्रावधान के अनुसार अब निर्धारित 16 उद्योगों को छोड़कर अन्य के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जटिल कागजी कार्यवाही कम होने से भ्रष्टाचार उन्मूलन का मदद मिलेगी। नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर देना है। इससे विदेशी पूंजी आकर्षित होगी तथा उच्च तकनीक के आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च प्रौद्योगिकी के निर्धारित क्षेत्र के शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी विनियोग किया जा सकता है। एमआरटीपी कानून से उद्योगों का छूट दी गई है इससे उद्योगों के विकास और विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. नई व्यापार नीति

एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें विदेशी व्यापार विनियम और लाइसेंस नियंत्रण की मात्रा को कम करने के साथ-साथ निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, 4 जुलाई 1991 को व्यापार नीति में आमूलचूल परिवर्तन एवं सुधारों के साथ व्यापार नीति में काफी उदारता कर दिया है। नकद क्षतिपूर्ति योजना स्थगित कर दी गई है। "पुनर्भरण लाइसेंस योजना" निर्यातों पर आधारित आयात का प्रमुख उपकरण बन गई।

देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना की समयावधि के समरूप अप्रैल, 1992 में पांच वर्ष के लिए (1992-1997) नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा की गई। इसमें कई वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई। अब निर्यातक निर्यात सवर्द्धन के उद्देश्य से कतिपय सामानों का आयात कर सकेंगे। विशेष आयात लाइसेंस योजना के अन्तर्गत आयात निर्यात केवल व्यापार घरानों, स्टार व्यापार घरानों और निर्माताओं द्वारा किया जा सकेगा। कई वस्तुओं के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है जो पहले निषिद्ध सूची में थी। नई नीति के दीर्घकालीन होने के कारण अर्थव्यवस्था में कुछ निश्चितता आ सकेगी।

30 मार्च, 1993 को आयात निर्यात नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए कृषि क्षेत्र में निर्यातान्मुखी इकाइयों लगाने पर और छूट देने तथा बैंक व अन्य सेवा क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना की घोषणा की। नई व्यापार नीति से आयात स्वतंत्र ही विनियमित हांग तथा एक स्वसंतुलनकारी तंत्र लागू करने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने 22 अगस्त, 1996 को व्यापार नीति में संशोधन करते हुए उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को और उदार बनाने के उद्देश्य से चालीस वस्तुओं के आयात की नकारात्मक सूची से बाहर निकालने की घोषणा की। अब वीडियो कैमरा, कैमकोडर, फोटो ऑप्टिक लैम्प, संगीतमय खिलौना के उपकरण, पेन निब

और सौन्दर्य प्रसाधन जैसे उत्पादों का लाइसेंस मुक्त आयात किया जा सकेगा। इसके अलावा कॉर्डलेस टेलीफोन, वेल्डिंग मशीन, पचास अमरीकी डालर से अधिक की ओडियो प्रणाली, बिना रिकार्ड किए कॉम्पैक्ट डिस्क, आठ एम एम खाली कैसेट जैसे चौदह उत्पादों को आयात की नकारात्मक सूची से निकालकर विशेष आयात लाइसेंस के दायरे में लाया गया है। इन दोनों सूचियों में सशोधन करने के साथ मोटर साइकिल व स्कूटर के आयात के नियमों में भी सशोधन किया है।

भारत सरकार ने सार्क देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्यों से सार्क के सदस्य देशों से 23 वस्तुओं का आयात लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय किया है। यह उत्पाद अब तक आयातों की नकारात्मक सूची में शामिल थे। इसी प्रकार आठ उत्पादों को नकारात्मक सूची से निकालकर विशेष आयात लाइसेंस के दायरे में लाया गया है।

5. इस्पात विनियत्रण

भाड़ा समानीकरण की नीति देश के सतुलित औद्योगिक विकास के नाम पर साठे तीन दशक पूर्व लागू की गई थी। बाजार पर अधिक निर्भरता के दौर में यह नीति मूल्य नियंत्रण युग की सम्भवतः सबसे बड़ी विसंगति बनी। देश के इस्पात उत्पादक राज्यों द्वारा काफी समय से इस्पात विनियत्रण की मांग की जाती रही है। सरकार ने जनवरी, 1992 में इस्पात उद्योगों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने तथा भाड़ा समानीकरण नीति की समाप्ति की घोषणा की।

भाड़ा समानीकरण नीति के रहते भारत के लगभग सभी स्थानों के इस्पात दुलाई का समान भाड़ा अदा करते थे भले ही वास्तविक दुलाई कुछ और हो, इससे कारखाने के नजदीक उपभोक्ता वास्तविक दुलाई भाड़े से अधिक भुगतान करते रहे हैं तथा इसका लाभ दूर के उपभोक्ताओं को होता रहा है। भाड़ा समानीकरण की समाप्ति से नजदीक के उपभोक्ताओं को फायदा होगा और दूर के उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनसे किसी भी स्थिति में पूर्व निर्धारित भाड़े से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जाएगा।

6 चादी का आयात

सरकार ने विदेश से लौट रहे किसी भी भारतीय या भारतीय पासपोर्ट-धारी को, जो कम से कम छ महीनों तक विदेश में रहने के बाद भारत लौट रहा हो, अपने सामान के साथ अधिकतम एक सौ किलोग्राम चादी के लाने की छूट दी है। चादी के आयात पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विदेशी मुद्रा में सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। आयातित चादी में चादी के गहनों की भी छूट होगी लेकिन फेरा के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने कीमती पत्थरों से जड़े आभूषणों और चादी के सिक्कों को इस छूट से बाहर रखा है। सरकार के इस निर्णय से चादी की तरकरी की प्रवृत्ति को काफी सीमा तक कम करने में मदद मिलेगी।

7 अप्रवारी भारतीयों को छूट

भागीय अर्थव्यवस्था में विनियोजन की दृष्टि से अप्रवारी भारतीयों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार अप्रवारी भारतीयों के विनियोजन को आकर्षित करने के लिए सचेष्ट रहती है। अप्रवारी भारतीयों को भारत में ओर सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

ऐसे अप्रवारी भारतीय जो भारत में रोजगार या कारोबार के लिए लौट रहे हों उन्हें रिजर्व बैंक को पैसे के तहत विदेशी मुद्रा से अपने खातों या सम्पत्ति की घोषणा करने की जरूरत नहीं होगी तथा ऐसे अप्रवारी भारतीय जो भारत में स्थायी रूप से लौट रहे हों उन्हें भारत में किसी भी बैंक में रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा में खाता खोलने की मजूरी होगी। विवारी भारतीय यात्रियों को अब विदेश जाते समय अपने साथ एक लाख रुपये तक स्वर्ण और गैर स्वर्ण आभूषण ले जाने की मजूरी होगी। पहले यह सीमा 20 हजार रुपये थी। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. नामोहन सिंह ने अपने दूसरे बजट में अप्रवारी भारतीयों तथा भारतीयों को जो विदेश से लौट रहे हैं प्रति यात्री 5 बिलियन सोना लेने की घोषणा की सरकार ने इस निर्णय से सोने की तरफ को खत्म करने में मदद मिलेगी।

8 रुपये की परिवर्तनीयता

वर्ष 1992-93 के बजट में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया जिससे तहत विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग सरकारी विनियम दर पर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार निर्धारित दर बदले जाने की व्यवस्था थी। 1993-94 के बजट में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। जिसकी मांग विगत वर्षों से की जा रही थी। रुपये की दोहरी विनियम दर की समाप्ति की घोषणा से निर्यातकों में हर्ष की लहर दौड़ना स्वाभाविक है। अब निर्यात अपनी कमाई का शान-प्रतिशत भाग गजार दरों पर अभ्यर्षित कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद निर्यात व विदेशों में कार्यरत लोगों से देश में डॉलर की आवक बढ़ी है। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से निर्यात गति से निर्यात संबद्धत सम्पन्न हो सकेगा। वर्तमान में हमारा विदेशी मुद्रा का भण्डार सुविधाजाक स्थिति में है। भविष्य में हम निर्यात वृद्धि हेतु सचेष्ट रहेंगे अतः रुपये की परिवर्तनीयता के परिणाम अनुकूल ही होंगे।

9 स्वर्ण बाण्ड योजना

सरकार ने काले धन को सफेद में बदलने की बहु-प्रतीक्षित स्वर्ण बाण्ड योजना फरवरी 1993 में घोषित की। योजना 15 मार्च 1993 से प्रारम्भ होकर 14 जून 1993 को समाप्त हो गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में आम लोगों के पास पड़े निष्क्रिय सौने को बाहर निकलना था। इसके अतिरिक्त इन बाण्डों का उद्देश्य सौने की तरफ को रोचना तथा इराकी कीमतों में कमी लाना भी था।

स्वर्ण बाण्ड योजना में कोई भी भारतीय निवारी व्यक्ति विशेष हिन्दु

अविभाजित परिवार, न्यास, फर्म, कम्पनियों निवेश कर सकते थे। न्यूनतम सब्सक्रिप्शन 500 ग्राम सोना, अधिकतम की सीमा नहीं। यदि जेवर है तो पिघलाने की व्यवस्था सोने की परीक्षा सरकारी टकसाल द्वारा की गई। सोना देने की तारीख से 5 वर्ष बाद सोने की 0.995 शुद्धता में बॉण्ड्स का मोचन होगा। मोचन के समय 0.995 शुद्धता के सोने पर 40 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से एक मुश्त ब्याज, रुपयो में देय होगा। परिष्करण की हानि को घटाने के बाद 0.995 शुद्धता होने के वजन के बॉण्ड जारी किए जाएंगे, ये बॉण्ड जी पी नोट-स्टॉक सर्टिफिकेट के स्वरूप में होंगे। स्टॉक सर्टिफिकेट के एक मात्र धारक के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध, बॉण्ड्स हस्तांतरणीय हैं। बैंक से ऋणपत्र प्राप्त करने के लिए बॉण्ड प्रतिभूति मात्र हैं। सोने के स्रोत से सम्बन्धित जानकारी देने तथा कर अधिकारियों द्वारा पूछताछ एवं जाँच पड़ताल से बॉण्ड के मूल सब्सक्राइबर पूरी तरह मुक्त, कर मुक्त ब्याज का लाभ तथा दीर्घकालीन पूजी लाभ, उपहार कर से छूट का लाभ प्राप्त था।

स्वर्ण बॉण्ड योजना को काफी उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया मिली। योजना के तहत सोने का मूल्य 1,500 करोड़ रुपए आका गया है जबकि बजट अनुमान सिर्फ 300 करोड़ रुपये का था। पूरे देश में 69 शहरों में 83 केन्द्रों पर स्वर्ण बॉण्ड योजना का काम किया गया। जनता ने जिस उत्साह से इसमें हिस्सा लिया वह काफी सराहनीय था। इतनी उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया के बावजूद योजना की अवधि नहीं बढ़ाई गई। सरकार को इस योजना को पुनः प्रारम्भ करने पर विचार करना चाहिए।

10. विदेशी सस्थागत निवेश

सरकार ने देश के प्राइमरी और सैकण्डरी पूजी बाजार को विदेशी सस्थागत निवेशकों के लिए खोल दिया है, लेकिन किसी एक कम्पनी में ऐसे निवेशकों की कुल पूजी 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अब विदेशी म्यूचुअल फंड, पेशन फण्ड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और सम्पत्ति प्रबन्धक कम्पनियों भी भारत प्राइमरी और सैकण्डरी पूजी बाजार में निवेश कर सकेंगी। एक विदेशी निवेश सस्था एक कम्पनी द्वारा कुल निर्गमित पूजी का केवल पाच प्रतिशत ही खरीद सकता है। विदेशी निवेशकों को करो में राहत मिलेगी, उन्हें लाभांश और ब्याज से मिलने वाली आय पर केवल 20 प्रतिशत तथा एक वर्ष से अधिक के कैपिटल गैन पर केवल 10 प्रतिशत कर देना होगा। प्राइमरी और सैकण्डरी बाजार में निवेश के लिए पूजी लगाने की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है और न ही समय की पाबंदी है। पोर्टफोलियो निवेश के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

देश के आर्थिक खुलेपन की दिशा में उठाया गया यह सम्भवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस निर्णय से व्यापारिक दूरी मिटाने में मदद मिलेगी तथा अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी।

11 पूजा बाजार में बड़े निवेश को बढ़ावा

सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से सूचीबद्ध कम्पनियां में भारतीय प्रवर्तकों को अपना अंश पूजा में 75 प्रतिशत अंशदान की अनुमति दे दी है। शेष 25 प्रतिशत अंश पूजा को आम निवेशकों से जुटाया जाएगा। इससे सीमित सार्वजनिक भागीदारी वाली कम्पनियों के लिए पूजा बाजार में सक्रिय होने के लिए अनुकूल वातावरण बना गया है। अब तक जो कम्पनियों अंश पूजा में प्रवर्तकों की भागीदारी को 40 प्रतिशत से बढ़ाना चाहती थीं उन्हें वित्त मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी होती थी।

12 फेरा में व्यापक बदलाव

सरकार ने विदेशी मुद्रा नियमन (फेरा) कानून में व्यापक और आधारित परिवर्तन किए हैं। अब फेरा के तहत पंजीकृत कंपनियों को भारत में सम्पत्ति खरीदने बेचने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। भारतीय नागरिकों को देश में 15 000 रुपये मूल्य या 500 डालर तक की नकद विदेशी मुद्रा अपने पास रखने की अनुमति होगी। सभी अनावश्यक प्रावधान रद्द कर दिए गए हैं। विदेशों में संयुक्त उपक्रमों के लिए अब फेरा कानून के अन्तर्गत किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। विदेश जाने वाले भारतीयों की प्रतिभूतियों और बैंक खातों पर लगने वाली रोक समाप्त कर दी गई है। भारत यात्रा के दौरान अनिवारियों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की शर्त समाप्त कर दी गई है। आयातित सोने और चांदी के देश में इस्तेमाल के बारे में प्रतिबंध हटा लिए हैं। अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों का नियमबद्ध रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को दस हजार रुपये तक पैनल्टी लगाने का अधिकार दिया गया है। वर्ष से 1999 2000 से फेरा के स्थान पर फेरा (विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम) लागू किया गया है।

13 राजकोषीय नीति

सरकार आर्थिक सुधारों को तेज गति देने वारंते दृढ़ प्रतिज्ञ है। कन्द्रीय वित्तीय घाटे को भविष्य में सकल घरेलू उत्पाद के तीन फीसदी तक लाया जाएगा। औसत सीमा शुल्क घटाकर पच्चीस फीसदी किया जाएगा। सार्वजनिक व्यय को वर्तमान स्तर 110 फीसदी से घटाकर पचास फीसदी करने की तैयारी है। बैंकिंग क्षेत्र में वैधानिक नरलता अनुपात (एसएलआर) को घटाकर 25 फीसदी तथा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 10 फीसदी किया जाएगा। आर्थिक विकास की दर 8 से 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। दीर्घावधि में खाद्य उर्वरक विद्युत सिंचाई सड़क परिवहन तथा गैर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रों पर सब्सिडी समाप्त करनी ही पड़ेगी। वेशिश यह होगी कि रियायत केवल गरीब वर्गों को ही उपलब्ध हो। आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए सभी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात खाल दिया जाएगा।

14. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

यहूत से उद्योगों में 51 प्रतिशत विदेशी हिस्सा पूजा के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (एफ डीआई) की स्वतः स्वीकृति दी जाएगी। इससे पूर्व सभी विदेशी विनियोग सामान्यतः 40 प्रतिशत तक सीमित थे। सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रौद्योगिकी के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं लेने वाले अन्य उद्योगों को भी यह सुविधा प्राप्त होगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः स्वीकृति योजना में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में विस्तार होगा। 35 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग, यदि उनमें कुल स्वीकृति पूजा के 51 प्रतिशत तक विदेशी अंश सहभागिता है, में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही, उद्देश्यपूर्ण, स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा जिससे देश में विदेशी पूजा निवेश का अच्छा वातावरण बने। दस मिलियन डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए विदेशों के भावी निवेशकों से सीधे सम्पर्क करना होगा। भारत को उद्योगों के आधुनिकीकरण, तकनीकी कौशल तथा पूजागत आवश्यकता के लिए विदेशी निवेश की जरूरत है। मलेशिया ने सत्तर के दशक के प्रारम्भ में 'सेमीकन्डक्टर' क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। आज मलेशिया इस क्षेत्र में बड़ा उत्पादक एवं सर्वाधिक निर्यातक करने वाला देश है। भारत को खाद्य प्रसस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करना चाहिए। भारत को 7 प्रतिशत से अधिक विकास दर अर्जित करने के लिए 24 प्रतिशत चालू घरेलू बचत दर के विरुद्ध 30 प्रतिशत पूजा निर्माण दर की आवश्यकता है।

15. रुपए की परिवर्तनीयता और अवमूल्यन

आजादी से पूर्व भारतीय रुपया ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग से सम्बद्ध था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से रुपया स्टर्लिंग की दासता से मुक्त हुआ। अब रुपया स्वतंत्र मुद्रा के रूप में बहु पाक्षिक परिवर्तनीयता मुद्रा है। आर्थिक सक्रमण काल (जुलाई 1991 से प्रारम्भ) में रुपये की परिवर्तनीयता सबधी मूलभूत बदलाव किया गया है। प्रारम्भिक चरण में वर्ष 1992-93 में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय किया जिसके तहत विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत सरकारी विनिमय दर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार विनिमय दर पर बदले जाने की व्यवस्था की गई। वर्ष 1993-94 में रुपये की दोहरी विनिमय दर को समाप्त कर दिया गया अर्थात् रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। रुपये को पूजा खाते में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। इसके लिए ठोस वित्तीय स्थिति और दक्ष वित्तीय प्रणाली का होना आवश्यक है।

रुपये की विनिमय दर में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। आर्थिक सुधारों की सफलता काफ़ी हद तक रुपये की विनिमय दर में स्थायित्वता या इसकी मजबूती में समाहित है। रुपये की विनिमय दर के गिरने से आर्थिक सुधारों की गति के प्रभावित होने की आशका उत्पन्न हो गई है। डालर के मुकाबले

रुपये की विनिमय दर अप्रैल, 1995 में 31.41 रुपये प्रति डालर थी। इसके बाद रुपये की विनिमय दर का गिरना प्रारम्भ हुआ। सितम्बर, 1995 में रुपये की विनिमय दर 33.18 रुपये प्रति डालर, 9 अक्टूबर 1995 को 34.01 रुपये प्रति डालर और 20 अक्टूबर 1995 को रुपये गिरकर 35.9 रुपये प्रति डालर के न्यूनतम भाव को छू गया। रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बावजूद भारतीय रुपया अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में सर्वाधिक न्यूनतम स्तर तक पहुँच गया। रिजर्व बैंक न रुपये के समर्थन में छोटे-छोटे समूह में डालर की ब्रिकी की जिससे रुपये की विनिमय दर में सुधार आया। 3 नवम्बर, 1995 को रुपये की विनिमय दर 34.64 रुपये प्रति डालर थी। विदेशी मुद्रा प्रवर्धकों के अनुसार आयातकों की भारी माँग के कारण तथा रिजर्व बैंक के समर्थन के अभाव में रुपये की विनिमय दर में गिरावट आई है।

16 नई मुद्रा नीति

भारत अस्सी के दशक के आखिरी वर्षों के अभूतपूर्व आर्थिक सकट पर निजात पाने तथा विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते जुलाई, 1991 में आर्थिक सक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। बीते वर्षों में आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव किये जा चुके हैं। आर्थिक सुधारों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है। आर्थिक सुधारों की सफलता से प्रभावित होकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 1994 को नयी मुद्रा नीति की घोषणा की। घोषित नई नीति को यदि बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण की ओर बढ़ता कदम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(i) मुद्रा नीति में बदलाव - नई मुद्रा नीति में वित्तीय वर्ष 1994-95 के उत्तरार्द्ध के लिए दो लाख रुपये से अधिक कर्ज पर न्यूनतम ब्याज दर समाप्त कर दी गई है। 25 हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज दर घटाकर साठे तेरह प्रतिशत कर दी गई है। बचत जमा ब्याज दर घटाकर साठे चार प्रतिशत तथा अप्रवासी विदेशी (एनआरआई) खातों में अविकतर मियादी जमा दर घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई। विदेशी मुद्रा अप्रवासी (एफसीएनआर) खातों के लिए नकद रिजर्व अनुपात साठे 4 प्रतिशत घोषित किया तथा सावधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) में भी कटौती की। वर्ष 1994-95 के उत्तरार्द्ध के दौरान मुद्रा प्रसार को 16 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने का फैसला किया गया। सावधि जमा ऋण की ब्याज दर पर छूट सीमा 0.5 प्रतिशत और अन्य सभी प्रकार के ऋण की ब्याज दर पर 1.5 प्रतिशत तय की गई। एक नवम्बर, 1994 से बचत खातों में जमा धन पर ब्याज दर 5 प्रतिशत वार्षिक से 0.5 प्रतिशत घटकर 4.5 प्रतिशत हो गई। लेकिन सावधि जमा के तहत 46 दिन की जमा पर ब्याज दर सात प्रतिशत बनी रहेगी। सभी सहकारी बैंकों की जमा और ऋण ब्याज दरों को उन्हें स्वयं तय करने की छूट दी गयी बशर्ते ऋण की न्यूनतम ब्याज दर 12 प्रतिशत वार्षिक तक रखी जाए। प्रवासी भारतीयों के

एनआरसी रूपया खाते में ब्याज दर वर्तमान पांच प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दी गई।

(ii) मौद्रिक नीति में बड़ा फेरबदल - भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जुलाई, 1996 को बैंको के नकद सुरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 1 प्रतिशत की कमी करने के साथ मौद्रिक नीति में अनेक परिवर्तन की घोषणा की। 6 जुलाई, 1996 से बैंको की सीआरआर 13 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई। इससे बैंकिंग तंत्र में करीब 4,100 करोड़ रुपये की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकारी प्रतिभूतियों पर पुनर्दिष्ट सुविधा को 6 जुलाई, 1996 से समाप्त कर दिया गया। इस सुविधा के समाप्त होने से भी बैंकिंग क्षेत्र में 4,100 करोड़ रुपये और बढ़ेंगे। इन उपायों से बैंको के मुनाफे पर भी अनुकूल असर होगा।

रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंको को उनकी सावधि जमा घरेलू योजनाओं में एक वर्ष से अधिक की जमा योजनाओं में ब्याज दर स्वयं तय करने की छूट दे दी है। अब तक बैंको को दो वर्ष से अधिक सावधि जमा योजनाओं पर यह छूट मिली हुई थी। एक वर्ष तक की जमा योजनाओं के लिए वार्षिक "11 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं" का फार्मूला अपनाया जाएगा। अब तक दो वर्ष तक की जमा योजनाओं पर 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं की नीति अपनायी गई। नई सशोधित ब्याज दरें केवल नई जमा योजनाओं पर अथवा पुरानी योजना के नवीनीकरण पर ही लागू होंगी।

रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार में जारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 2 जुलाई, 1996 से सावधि जमा राशि के लिए न्यूनतम समय सीमा 46 दिन से भी कम करने का निर्णय लिया। बैंको को यह भी हिदायत दी गई है कि किसी भी समय किसी भी एक बैंक की सभी योजनाओं पर एक समान ब्याज दर रहनी चाहिए जो कि सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक ने चीनी और कपास की चालू कीमतों की समीक्षा करने के बाद इन वस्तुओं के स्टॉक के बदले कर्ज दर न्यूनतम मार्जिन में 15 प्रतिशत कमी कर दी है। इनमें चीनी मिलों के जारी किये गये स्टॉक के बदले पहले तथा अन्य को चीनी, खाडसारी और गुड के स्टॉक के बदले यह मार्जिन सुविधा दी जाएगी। कपास मिलों और कताई मिलों को छोड़कर अन्य कारोबारियों के लिए कपास और रुई पर न्यूनतम मार्जिन भी 15 प्रतिशत कम कर दिया गया है। उधर कर्ज की अधिकतम सीमा मूल अवधि के वर्तमान 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 110 प्रतिशत कर दी गई है। कताई मिलों सहित अन्य मिलों को विशिष्ट ऋण नियंत्रण प्रावधान से अलग रखा गया है।²

(य) आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण (1996-97 से 1997-98)

भारत में जुलाई, 1991 से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। वर्ष 1991 से मई 1996 के बीच आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलाव किए गये। इनमें खुली औद्योगिक नीति, नई व्यापार नीति, नई मुद्रा नीति, अप्रवासी भारतीयों से

संबंधित नीति, रुपये की परिवर्तनीयता, रुपये का अवमूल्यन, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश, विदेशी पूंजी निवेश आदि मुख्य हैं। जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ भारत की आर्थिक संविधान समझी जाने वाली 1956 की औद्योगिक नीति को काफी हद तक इतिहास के हवाले कर दिया।

एक जून, 1996 को सत्तारूढ़ हुई संयुक्त मोर्चा सरकार को अच्छी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। जबकि वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था सकट की स्थिति में थी। तत्कालीन केन्द्र सरकार को अनेक अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पड़े थे। जुलाई, 1991 में भारत ने अप्रत्याशित विदेश मुद्रा सकट को दूर करने के लिए अल्पावधि ऋण के लिए 46.31 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रहन पर रखा। अप्रवासी भारतीयों ने भी जमा राशि को निकलवाना प्रारम्भ कर दिया था। तत्कालीन सरकार ने सूझ-बूझ की नीति से विपन्न आर्थिक स्थिति को नियंत्रित किया। जबकि जून, 1996 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक सूचक प्रगति की ओर अग्रसर थे।

संयुक्त मोर्चा सरकार में विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित थे। 5 जून, 1996 को संयुक्त मोर्चा सरकार ने साझा दृष्टि से न्यूनतम कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था सम्बन्धी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- 1 केन्द्र द्वारा प्रायोजित अधिकतर योजनाएँ राज्य सरकारों के अधीन लाई जाएगी।
- 2 नौवीं योजना के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं पर विस्तृत दस्तावेज छ माह के भीतर।
- 3 देश के 100 सबसे अधिक निर्धन जिलों में ढाचागत विकास की विशेष योजना।
- 4 खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानून।
- 5 वर्ष 2005 तक गरीबी और निरक्षरता हटाना तथा इस अवधि में सभी के लिए आवास मुहैया कराना।
- 6 गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा।
- 7 हर बेरोजगार को कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारन्टी।
- 8 विदेशी निवेश संपर्द्धन बोर्ड और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कामकाज की समीक्षा।
- 9 कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को हतोत्साहित करने के लिए समुचित वित्तीय और अन्य उपाय।
- 10 अधिकतर निवेश संचालन क्षेत्र में करने के लिए समुचित ऋण और कराधान नीतियाँ।

- 11 खस्ताहाल सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्वास।
- 12 गैर मूलभूत और गैर सामयिक क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों को हटाने के बारे में विनिवेश आयोग की नियुक्ति।
- 13 वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रयास।
- 14 समाज के सम्पन्न वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर किया जाएगा।
- 15 गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। जिस पर जरूरी चीजें सामान्य से आधे दामों पर मिलेंगी।

केन्द्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को कुछ फेरबदल के साथ जारी रखने, गरीबी और आवास की समस्या को सन् 2005 तक समाप्त करने की घोषणा की। अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने, सार्वजनिक उपक्रमों के शेषों की बिक्री जारी रखने, वीमा क्षेत्र निजी और विदेशी कम्पनियों के लिए खोलने तथा विश्व व्यापार सगठन का सदस्य बने रहने की घोषणा की। सरकार ने 7 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा है। पाच साल में कृषि क्षेत्र का ऋण दुगुना करने, औद्योगिक क्षेत्र में निजी तथा विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाकर विकास दर 12 प्रतिशत करने की घोषणा की। सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार घाटे में चलने नहीं दिया जाएगा। गैर जरूरी क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम जारी नहीं रहेंगे। नई आयात-निर्यात नीति में 20 वर्षों के अन्तराल बाद तटकर आयात को फिर से जीवित किया जा रहा है। घोषणा-पत्र में कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। इससे विश्व बाजार में भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण वारंते पशुधन के लिए जैव तकनीक और कृषि उत्पादों के प्रसस्करण के लिए कोल्ड-स्टोरेज में निवेश से उत्पादन वृद्धि होगी, जिससे निर्यात भी बढ़ सकेंगे। निम्न वरीयता वाले क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयात लाइसेंस और निवेश नियमन के जरिए अनौपचारिक नियंत्रण काम में लिए जायेंगे।

केन्द्र सरकार 7 से 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य सामने रखते हुए लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। कृषि, आधारभूत ग्रामीण उद्योगों तथा लोगों की पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अधिक पूंजी निवेश पर जोर देगी। घरेलू उद्यमशीलता को समर्थन तथा बढ़ावा देने के लिए 12 प्रतिशत की वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुनियादी क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी समुन्नत करने के लिए विदेशी निवेश आकृष्ट करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। वर्ष 2005 तक निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, सम्पदा सृजन, लोगों की कामकाजी दक्षता बढ़ाने और सर्वाधिक निर्धन वर्गों की

आमदनी में बढ़ोतरी के कार्यक्रमों वारते वृहद् स्तर पर धन मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने हर परिवार के लिए स्वच्छ पेयजल हर पांच हजार की आयती पर स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक आवासहीन निर्धन को भवन बनाने के लिए सहायता हर गांव में सम्पर्क सड़क का निमाण व गरीब परिवार के बच्चों को पापाहार हर गांव में उचित मूल्य की दुकान का वादा किया। विश्व बाजार में उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए विकासोन्मुख औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी। निर्यात वृद्धि के लिए उद्योगों को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।

सरकार वित्तीय घाटे को कम करने के लिए प्रयासरत है। वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए खर्चों में कटौती करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के वार्षिक खर्च में करीब 30 अरब रुपये की कमी का लक्ष्य रखा गया है। लाभ कमाने वाली सभी सार्वजनिक उपक्रमा को न्यूनतम लाभांश घोषित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए दो शर्तें रखी गई हैं। पहली शेयर धारकों को न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश तथा दूसरी कर अदायगी के बाद मुनाफे से 20 प्रतिशत राशि लाभांश के रूप में वितरित की जाए। इन दोनों में से जा भी अधिक हो वैसा किया जाए। लेकिन तेल, पेट्रोलियम रसायन तथा बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कार्यक्रम उपक्रमों के लिए यह राशि 30 प्रतिशत रखी गई है। मुनाफा कमाने वाली सभी कम्पनियां जिन्हें सरकारी इक्विटी आधार कम है सरकार को आवश्यक रूप से बोनास शेयर जारी करेगी। इसके अलावा मुनाफा कमाने वाली सयुक्त उद्यम कम्पनियां जिन्हें सरकार भी इक्विटीधारक है सरकारी शेयर पर कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश अग्रश्य देगी।

केंद्र सरकार ने 6 सितम्बर 1996 को पूजा बाजार को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों की घोषणा की। म्युचुअल फंड में निवेश पर पूजा लाभ सीमा बढ़ाने ब्याज आय पर छूट बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने और शेयर और ऋणपत्रों पर व्यक्तिगत ऋण सीमा 10 लाख रुपये कर दी गई है।

मुद्रारफीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने मुद्रा की आपूर्ति 16 प्रतिशत रखने तथा सीमा शुल्क कम करने के प्रयास करने होंगे। इसके अभाव में विदेशी विनिमय सकट का सामना करना पड़ सकता है।

आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए विदेशी पूजा निवेश की महती आवश्यकता है। विगत वर्षों में पूजा निवेश में वृद्धि अग्रश्य हुई है। किन्तु विश्व के अनेक देशों की तुलना में भारत में पूजा निवेश कम हुआ है और देश की अर्थब्यवस्था में क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हुई है। भारतीय उद्यमी बहुराष्ट्रीय कम्पनिया से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं है। अतः विदेशी निवेश घयनित क्षेत्रों में ही होना चाहिए ताकि भारतीय उद्यमियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

विदेशी पूजा निवेश के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात जो दृष्टिगोचर हुई यह है कि केन्द्र सरकार के पूजा निवेश को आकर्षित करने के प्रयास की आलोचना की जाती है और राज्य सरकारें विदेशी पूजा निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील

है। इस तरह की प्रवृत्ति पूजा निवेश के मार्ग में बाधक होती है। इसे रोकने की आवश्यकता है। भारत विश्व का बड़ा बाजार है। यहाँ सस्ता श्रम मौजूद है। बेशुमार प्राकृतिक सम्पदा है। विदेशी निवेशक शोषण करने से नहीं चूकते। विदेशी निवेशकों को आमन्त्रित करते समय स्वदेशी हितों पर आघ नहीं आनी चाहिए तथा तकनीकी के क्षेत्र में देश को लाभ मिलना चाहिए।

(स) आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरूप
(1998-99 से 1999-2000)

सयुक्त मोर्चा सरकार का कार्यकाल (1996-97 और 1997-98) राजनीतिक अस्थिरता से ओतप्रोत रहा। फरवरी, 1998 में बारहवीं लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए। मार्च 1998 में भाजपा गठबंधन सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वाजपेयी सरकार को पूर्ववर्ती सरकार से अच्छी अर्थव्यवस्था विरासत में नहीं मिली। बारहवीं लोकसभा चुनाव तथा केन्द्र में नई सरकार के सत्तारूढ़ होने के कारण 1998-99 का केंद्रीय बजट नियत समय पर पेश नहीं किया जा सका। इसके स्थान पर चार माह के खर्च के लिए 25 मार्च 1998 को लोकसभा में अन्तरिम बजट पेश किया गया। 28 मार्च 1998, को वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया।

नई केन्द्र सरकार ने बिगड़ी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए निर्यात वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया। इसे दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन वाणिज्य मंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने 13 अप्रैल, 1998 को सशोधित निर्यात-आयात नीति की घोषणा की, जिसमें 20 प्रतिशत वार्षिक निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। रिजर्व बैंक ने 1998-99 की पहली छमाही की ऋण व मौद्रिक नीति की घोषणा की। नयी नीति में बैंक दर में 1 प्रतिशत की कटौती कर उसे नौ प्रतिशत कर दिया है। नकद सुरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैंक को जमा तथा ऋण गतिविधियों के संचालन में ज्यादा आजादी दी गई है। बैंक दर 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत तक आ गई है। बैंक दर में कमी से व्यावसायिक बैंकों की प्रमुख ऋण दरें भी स्वतः कम हो जाएंगी जिससे उद्योगों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। अब हर बैंक को मियादी जमाओं के आकार के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश की आजादी रहेगी।

रिजर्व बैंक ने निर्यात के लिए ऋण पुनर्वित्त पूरा सौ फीसदी दहाल कर दिया है। इसके साथ ही मियादी जमाओं की न्यूनतम परिपक्वता अवधि भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। सशोधित निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा 9 मई, 1998 से लागू है। इसके अलावा जहाज दर लदान से पूर्व माल पर दिये जाने वाले 180 दिन तक के निर्यात ऋण की ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अक्टूबर, 1998 को पित्त वर्ष 1998-99 की दूसरी छमाही की मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा की। नई नीति में अल्पकालिक उपायों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। बैंकिंग

क्षेत्र में सुधार के लिए त्रिसंघीय समिति की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर कई प्रमुखी शिपारिश की है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में 1997 जोरिम भरी परिसमितियों के मुद्दास्ले यूनानम पूजी का अनुपात कांका आठ प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 2000 तक 9 प्रतिशत करने की घोषणा की। मुद्रा बाजार को और अधिक गहरा बनाने तथा बैंकों तथा प्राथमिक उद्योगों को ब्याज के उतार-चढ़ाव के जोरिम से निपटने में समर्थ बनाने के लिए 31 अक्टूबर 1998 से बैंको के गायदे में एजिर रतौने का नि रेडी मार्च नील पर यूनानम अधि की पारणी खम करने की घोषणा की है। कई नीति में बैंक ब्याज को गायदे सुरक्षित अनुपात (सीआरआर) और बैंकों दरों में निरसी प्रसार का उल्लाव नहीं किया है। कई मौद्रिक और व्रण नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर अनुभूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। वर्ष 1998 में विश्व आर्थिक मंदी से प्ररित था। इससे पूर्व विश्व 1975-1980 तथा 1990 में भी आर्थिक मंदी की चपेट में था। भारतीय रिजर्व बैंक के गायदे अं निगल जाला के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अछम था। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अन्तिम पूर्ण एशियाई देशों की तुलना में बेतर है।

बेद सरकार के 24 अक्टूबर 1998 को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नये आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आर्थिक पैकेज की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं— भारतीय प्रतिभूति एन निमित्त बोर्ड (रोबी) के दिशा-निर्देशों के तहत कम्पनियों को शेयरों की पुनर्परीक्षा की अनुमति प्रदान करना कम्पनियों के आपत में निवेश सम्बन्धी प्रतिबंधों को हटाना कम्पनियों के अभिग्रहण के बारे में व्यापारीय भगवती की शिपारिशों के अनुसार कम्पनियों को अभिग्रहीत किये जाने वाले शेयरों की सीमा बढ़ाने की अनुमति प्रदान करना सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के बाद एक महीने में पारदर्शी विनिवेश योजना की घोषणा बीमा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को अलगत की डिस्कोवरी देना शयर बाजारों में वागज रहित डीमट गारोवार और निपटारा की वर्तमान प्रणाली में सुधार कई कम्पनी अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रत्य अधिनियम को शीघ्र पारित करना तथा प्रस्तावित मपी लोडिंग गायदे के बारे में उद्योगों के साथ निवार-विमर्श भारतीय यूनियट ट्रस्ट के वर्ष 1998 के साट के राजूद सरकार का पूर्ण समर्थन देश में गुणियादी सुविधाओं के विनास के लिए गायदेकारी से गरीबी और सिल्धर से सौसाद्र तन सात हजार मिलोमीटर के सजा नेटवर्क पर 28 हजार करोड़ रुपए का निवेश कीन महीने के भीतर कई दूर सवार नीति देश में ऐसे पाच शहरों की पहला जहा शत प्रतिशत विदेशी निवेश से हवाई अड्डों का निर्माण किया जाए के लिए कई सुविधाएं अन्तर्राष्ट्रीय निवेश व्यवस्था में परिवर्तन के लिए छह सूत्रीय अवधारणा पत्र तैयार करना अन्तर्राष्ट्रीय ब्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल सुधार बनाने का प्रयास करना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पुनर्गठन का प्रयास करना दोषी प्रवर्तकों के खिलाफ तीन माह में दंडात्मक कार्यवाही आदि। सरकार के 30 अक्टूबर 1998 को बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से गरीब 20 हजार मेगावाट क्षमता तक की निजली घरो

की स्थापना के लिए ऊर्जा नीति को मजूरी दी। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बीमार इकाइयों के करीब ग्यारह हजार कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के तहत 517 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल ने बी आई एफ आर की सार्वजनिक क्षेत्र की आठ कम्पनियों को बंद करने और कर्मचारी देयताएं करने के बाद उन्हें निजी उद्यमियों को बेच देने का फैसला किया गया।

केन्द्र सरकार ने 28 दिसम्बर 1998 को उर्वरक सब्सिडी में भारी वृद्धि की। देशी फास्फेट पर सब्सिडी 3,500 रुपए से बढ़ाकर 4,400 रुपए प्रतिटन, आयातित फास्फेट पर सब्सिडी 2000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति टन कर दी गई है। सरकार के इस निर्णय से सब्सिडी पर होने वाला खर्च में भारी वृद्धि होगी। उर्वरक सब्सिडी आर्थिक सुधारों से अछूती है। आर्थिक उदारीकरण के आठ वर्षों में केन्द्र सरकार सब्सिडी जैसे सवेदनशील मसले पर कटौती सबधी निर्णय नहीं ले सकी। केन्द्र सरकार के उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि के निर्णय से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। बढ़ता राजकोषीय घाटा सरकार के लिए पहले से ही सरदर्द बना हुआ है। बड़ी उर्वरक सब्सिडी का लाभ बड़े किसान हड़प ले जाते हैं। देश के गरीबों में बड़ी सख्या भूमिहीन किसानों व सीमांत कृषकों की है जिनकी माली हालत खस्ताहाल है। बड़ी सख्या में किसानों के पास जोतने के लिए जमीन ही नहीं है। देश में अनेक गरीब किसान तो बहुआ मजदूरी के रूप में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में गरीबों को सब्सिडी का लाभ कहा मिल पाता है उल्टा राजकोषीय घाटे के बढ़ने से बड़ी हुई महगाई की चपेट में आ जाते हैं। यदि अनावश्यक राज सहायताओं में कमी कर दी जाए तो राजकोषीय घाटा कम होगा इससे मुद्रा स्फीति भी नियंत्रित होगी। महगाई के कम होने का लाभ सब गरीबों को मिलता है।

केन्द्र सरकार का सर्वोपरि निर्णय देश की सामरिक सुरक्षा से संबंधित रहा। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोंकरण में पांच परमाणु परीक्षण किए। भारत के परमाणु परीक्षणों को लेकर विश्व में बावेल मचा। अमरीका ने आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की तथा विश्व बैंक ने भारत की दी जाने वाली आर्थिक सहायता स्थगित की। पाकिस्तान ने भी भारत के विरुद्ध परमाणु परीक्षणों के बाद 28 मई, 1998 को परमाणु परीक्षण किए। भारत के आर्थिक प्रतिबंधों से रुपए की विनिमय दर में ऐतिहासिक गिरावट आई। परमाणु परीक्षण आच्छादित वातावरण में वित्त मंत्री श्री यशवत सिन्हा ने एक जून 1998 को लोकसभा में 1998-99 का केन्द्रीय बजट पेश किया। केन्द्रीय बजट में कृषि तथा उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। बजट में स्वदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

26 जून, 1998 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सौ दिन पूरे किये। सौ दिनों में नई सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए। इसमें कृषि के लिए योजना राशि में 58 प्रतिशत की वृद्धि, शिक्षा के लिए 1998-99 के बजट में 50 प्रतिशत वृद्धि, कमजोर वर्ग के लिए प्रत्येक वर्ष 20 लाख नई आवासीय इकाइयों

का निर्माण फिल्म व्यवसाय को उद्योग का दर्जा भारतीय कम्पनियों को भारत से टीवी प्रसारण अपिलिकिंग सुविधा राजस्व बढ़ाने की सरल समाधान और सम्मान योजनाएँ लघु उद्योगों का अधिक सुविधाएँ इस्पेक्टर राज की समाप्ति के लिए कदम सरकारी नौकरी की पात्रता आयु में 2 वर्ष की वृद्धि आदि मुख्य थे।

(द) उदारिकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन

भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के बाद विदेशी ऋण पूँजी निवेश में भारी बढ़ोतरी हुई। प्रत्यक्ष विनियोग तथा पोर्टफोलियो विनियोग में वृद्धि उल्लेखनीय रही। वर्ष 1991-92 में प्रत्यक्ष विनियोग 150 मिलियन डालर था जो 1992-93 बढ़कर 341 मिलियन डालर 1993-94 में और बढ़कर 620 मिलियन डालर हो गया। अप्रैल-दिसम्बर 1994-95 में प्रत्यक्ष विनियोग 756 मिलियन डालर हुआ। इसी प्रकार पोर्टफोलियो विनियोग 1991-92 वर्ष में 8 मिलियन डालर था जो बढ़कर 1993-94 में 3493 मिलियन डालर हो गया। भारत में कुल विदेशी विनियोग 1991-92 में 158 मिलियन डालर था जो बढ़कर 1993-94 में 4113 मिलियन डालर हो गया। उदारिकरण के फलस्वरूप विदेशी निवेश प्रवाह में वर्ष 1993-94 1994-95 तथा 1995-96 तीन वर्षों में 100 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत से वृद्धि हुई।

भारत में हाल ही के वर्षों में विदेशी पूँजी प्रवाह में लगातार वृद्धि हो रही है। परन्तु वास्तविक प्रवाह में मजूरशुदा निवेश के मुकाबले काफी कमी है। वर्ष 1994 में मजूर शुदा निवेश 141.9 अरब रुपये था जबकि वास्तविक प्रवाह केवल 29.72 अरब रुपये ही था।

विदेशी विनिमय कोष में बढ़ोतरी आर्थिक सुधारों की सफलता का महत्वपूर्ण पहलू है। वर्ष 1991 में विदेशी कोष रसातल की स्थिति में पहुँच गए थे। अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वा के निपटारे में भारी कठिनाई हुई। विषम आर्थिक स्थिति से निपटारे के लिए गह्वर सहायता की आरंभ मुख्यातिव होना पड़ा। स्वर्ण गिरवी रखने जैसे अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लने पड़े। आर्थिक सुधारों की घोषणा के साथ विदेशी विनिमय कोष की स्थिति सुधरने लगी। विदेशी विनिमय कोष पर्याप्त होने के कारण देश के आर्थिक निर्णय बाह्य दबाव से मुक्त रहे। वर्ष 1991-92 में विदेशी मुद्रा कोष 9.22 बिलियन डालर था जो बढ़कर अगस्त 1994 में 21.94 बिलियन डालर हो गया। जनवरी 1995 में विदेशी मुद्रा कोष 19.6 बिलियन डालर था। वर्ष 1995-96 में विदेशी मुद्रा कोष में कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। जून, 1996 में विदेशी मुद्रा कोष 19.6 बिलियन डालर था। वर्ष 1995-96 में विदेशी मुद्रा कोष सतोषजनक स्थिति में था। विदेशी विनिमय कोष में अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश तथा विदेशी सरथागत निवेश का भाग अधिक है। ये दोनों ही निवेश चलायमान प्रवृत्ति के हैं। विषम आर्थिक स्थिति में इनके द्वारा निवेश राशि आहरित कर लिए जाने के कारण सकट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही के वर्षों में भारत के निर्यातों में भारी बढ़ोतरी हुई। निर्यात वृद्धि

का प्रमुख कारण आयात-निर्यात नीति में व्यापक बदलाव तथा भारतीय बाजार को प्रतिस्पर्धा बनाने के उद्देश्य से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। आज भारतीय उत्पाद नवीन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में टिकने लगा है। किन्तु निर्यात वृद्धि के साथ आयातों में भी तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण व्यापार असंतुलन में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई।

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। मुद्रास्फीति 1993-94 और 1994-95 के 10 प्रतिशत से अधिक के स्तर से घटकर 1995 के अंत में 6 प्रतिशत और 27 जनवरी, 1996 को और घटकर 5 प्रतिशत रह गई। गौरतलब है कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 1991-92 के अंत में 13.6 प्रतिशत थी। सरकार का लक्ष्य मुद्रास्फीति की दर को 4 प्रतिशत तक सीमित करना है। मुद्रास्फीति के कम होने से निर्यातों में बढ़ोतरी हो सकेगी, साथ ही रुपये की विनिमय दर में भी सुधार होगा। किन्तु थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में कमी का लाभ आम लोगों को नहीं मिला। आम लोगों का वास्ता फुटकर मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति से होता है जो आज भी दहाई अंक में बनी हुई है। ग्यारहवीं लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च को कम करने में कारगर भूमिका निभाई अन्यथा चुनावों के बाद मुद्रास्फीति आम लोगों पर कहर बरपा देती। मुद्रास्फीति के कम होने का प्रमुख कारण सरकार द्वारा प्रशासित कीमतों में वृद्धि नहीं करना भी था। सयुक्त मोर्चा सरकार ने 3 जुलाई, 1996 से पेट्रोल की कीमत 25 प्रतिशत, रसोई गैस की कीमत 30 प्रतिशत और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। बाद में जनता के दबाव के कारण डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इन उत्पादों की कीमतों में की गई भारी वृद्धि से मुद्रास्फीति की मार जनता को सहनी होगी।

वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर अवस्था में थी। आर्थिक उदारीकरण की बदौलत तथा काफी हद तक अच्छी वर्षा और पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के कारण आर्थिक सूचकों में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। नई सरकार आर्थिक नीतियों को सूझ-बूझ के साथ लागू करती है तो इक्कीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उजागर होगी। आर्थिक उदारीकरण के गत वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर में सुधार, निर्यातों में भारी वृद्धि, औद्योगिक संवृद्धि दर में वृद्धि हुई है।

उपेक्षित आर्थिक सूचक

आर्थिक उदारीकरण का प्रारम्भिक चरण सम्पन्न हो जाने के बावजूद भी अनेक आर्थिक पहलू ऐसे हैं जो आज भी अर्थव्यवस्था के लिए चिंताप्रद बने हुए हैं। भारत विश्व का एक बड़ा कर्जदार देश है। विश्व बैंक ऋण तालिका 1994-95 के अनुसार भारत वर्ष 1993 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऋणी राष्ट्र था।

भारत पर 91 78 बिलियन डॉलर का ऋण था जो ब्राजील तथा मैक्सिको के बाद सर्वाधिक था।

भारत पर 1990 91 में विदेशी ऋण 16 331 करोड़ रुपये था। यह सकल घरेलू उत्पाद के 28.5 प्रतिशत था। विदेशी ऋण बढ़कर 1993 94 में 2 84 204 करोड़ रुपये हो गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 36.1 प्रतिशत था। सितम्बर 1995 तक आने में विदेशी ऋण तेजी से बढ़कर 3 37 800 करोड़ रुपये तक जा पहुँचा। भुगतान शक्त का स्थिति पहले से ही विषम है। बढ़ते विदेशी ऋण ने स्थिति को और गंवावह बना दिया है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज का अधिकांश भाग मूलधन और ब्याज अदायगी में ही खर्च हो जाता है।

वित्तीय अशुशान्त आर्थिक सुधार कार्यक्रम का मुख्य पहलू है। विन्तु इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बढ़ता राजस्व और राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए घातक बात है। राजस्व घाटा वर्ष 1990 91 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत था। जो बढ़कर 1993 94 में (सशोधित अनुमान) 4.3 प्रतिशत हो गया। सकल राजकोषीय घाटा छठी पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 6.3 प्रतिशत था जो बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में औसतन 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1995 96 के सशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 33 331 करोड़ रुपये था। वर्ष 1996 97 के बजट अनुमानों में 33 495 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा छाड़ा गया। वर्ष के 1995 96 के सशोधित अनुमानों में राजकोषीय घाटा 64 010 करोड़ रुपये था। वर्ष 1996 97 में अनुमानित राजकोषीय घाटा 64 404 करोड़ रुपये छोड़ा गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटे के बढ़ने से मुद्रास्फीति नियंत्रण में नहीं रही। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले टूटा। 20 अक्टूबर 1995 को भारतीय रुपया गिरकर 35.9 रुपये प्रति डॉलर के न्यूनतम भाव को छू गया। विदेशी मुद्रा सवट के साथ ही कालमनी सरूट भी उत्पन्न हो गया। नवम्बर 1995 में कालमनी बाजार में ब्याज दर पाँच-छ प्रतिशत के सामान्य स्तर से उछलकर 100 प्रतिशत को पार कर गया। स्थिति को निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा बाजार में पैसे जिराने मांग मुद्रा के साथ सूख गए। मांग मुद्रा बाजार में जबरदस्त तंगी के चलते बैंकों के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित गणिज्यिक बैंकों के लिए नकद सुरक्षित अनुपात (सी आर आर) 15 प्रतिशत से घटाकर 14.5 प्रतिशत कर दिया।

आर्थिक सुधारों का सामाजिक दर्शन

भारत में दस वर्ष पूर्व प्रारम्भ किए गए आर्थिक सुधारों के दौर में सरघना सम्बन्धी बदलाव किये जाने के कारण आर्थिक घटकों की स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। विन्तु भारत गणों का देश है। बहुसंख्यक आबादी गणों में जीवन बसर करती है। अकड़ों के हिसाब से आज भी बीस फीसदी आबादी गरीबी

की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशाप्त है। बड़े पैमाने पर आर्थिक विषमता व्याप्त है। दूरदराज के ग्रामीण जन आर्थिक समृद्धि के लाभ से वंचित है। उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी मुश्किल से हो पाती है। महगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब तबकों पर ही पड़ता है।

नियोजित विकास के चार दशकों में गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा प्रारम्भ की गईं किन्तु योजनाओं का अपेक्षित लाभ निर्धनों तक नहीं पहुँच सका। आज भी देश में निरक्षरों की भरमार है। पेयजल समस्या भयावह है। स्तरीय चिकित्सा सुविधा सीमित लोगों का ही मुहैया है। उदासीकरण के दौर में सरकार ने ग्रामीण जन की दशा सुधारने के लिए भारी भरकम विनियोजन का प्रावधान किया है।

ग्रामीण विकास के प्रयास

ग्रामीण विकास का मुख्य ध्येय ग्रामवासियों का जीवन स्तर सुधारना है। गरीबी उन्मूलन से ही यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में गरीबी उन्मूलन केंद्रित अनेक योजनाएँ क्रियान्वयन में हैं, जिनमें जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम, नेहरु रोजगार योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना मुख्य हैं। ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 34,425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो कि सार्वजनिक योजना परिव्यय का 7.9 प्रतिशत है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार का मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लक्षित वर्गों के परिवारों का रहन-सहन गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना और गावों में स्व-रोजगार के पर्याप्त अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना है। सातवीं योजना के दौरान कुल मिलाकर 8,688.35 करोड़ रुपये खर्च कर 181.8 लाख परिवारों की सहायता की गई, जबकि छठी योजना में 4,762.78 करोड़ रुपये का खर्च कर 165.6 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी। वर्ष 1994-95 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 675 करोड़ रुपये योजना परिव्यय से 21.82 लाख परिवार लाभान्वित किए गए। जवाहर रोजगार योजना में 3,535 करोड़ रुपये कुल परिव्यय से 9,157.09 लाख मानव दिवस सृजित किये गए। नेहरु रोजगार योजना में 70 करोड़ रुपये योजना परिव्यय से 1.25 लाख परिवार लाभान्वित किये गये। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 125 करोड़ रुपये योजना परिव्यय से 2.71 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भारी विनियोजन के बावजूद बेरोजगारी की समस्या भयावह बनी हुई है। शहरों की तुलना में गावों बेरोजगारी की समस्या विषम है। रोजगार की तलाश में गावों से लोगों के पलायन के कारण शहरों में अनेक समस्याएँ घर कर गई हैं। गावों के औद्योगीकरण के बिना समस्या से निपटना कठिन काम है। बेरोजगारी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों को भी कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

यरोजगारी के बढ़ते से गरीबी की समस्या मुखर हो उठी है। आज भी बीस फीसदी आवादी गरीबी की रेखा से नीचे है। आर्थिक ससाधनों पर प्रभावी लोगों की मजबूत पकड़ आर्थिक विपत्ता का दर्शाती है। समाप्त अर्थव्यवस्था सरकारी योजनाओं को कारगर सिद्ध नहीं होने देती। देश में भ्रष्टाचार की जड़ गहरी है। हाल ही क्रमिक रूप से बड़े घोटाले उजागर हुए। जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में है। ये सब ऐसी समस्याएँ हैं जिनका समाधान आवश्यक है।

आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अवश्य ही सुधार की स्थिति दृष्टिगोचर हुई है। किन्तु सामाजिक पक्ष तुलनात्मक रूप से उपेक्षित है। आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक दस वर्ष आर्थिक संरचना में बदलाव और आर्थिक विकास को समर्पित रहे हैं। अब आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण में सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किये जाने की महती आवश्यकता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ की परिस्थितियाँ विकसित राष्ट्रों से पृथक हैं। यहाँ विकास का सामाजिक पहलू भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आर्थिक पहलू।

आर्थिक सुधारों की उपलब्धियाँ

(Achievements of Economic Reforms)

वर्तमान में भारत विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के वारते आर्थिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। देश में आर्थिक सुधारों को पूरी तरह से लागू करने के लिए दस वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। आर्थिक सुधारों के शुरुआती चरण में अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाए जा चुके हैं। इस दौरान आर्थिक सुधारों की गति इस कदर तेज रही कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीव्र आर्थिक सुधार कार्यक्रमों वाले देश के रूप में उभर कर सामने आयी। चीन ने आर्थिक सुधार अरसी के दशक के प्रारम्भ से शुरु किए नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार काफी नियंत्रित थे। भारत ने कम समय में तुलनात्मक रूप से अधिक आर्थिक सुधार लागू कर दिखाए हैं।

आर्थिक सुधारों का प्रारम्भिक चरण पूरा हो चुका है। विदित है कि सुधारों को लागू किए जाने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था खाड़ी युद्ध के समय आर्थिक सकट की भयावहता से जूझ रही थी। भुगतान के मोर्चे पर स्थिति बहुत ही विषम हो गई थी। सरकार की नीतिगत पहल से तात्कालिक सकट पर निजात पाने में सफलता मिल सकी।

आर्थिक सुधारों के शुरुआती वर्षों में असाध्यिक घटनाएँ घटीं इनमें 1992-93 का प्रतिभूति घाटला दिसम्बर, 1992 की घटनाएँ जनवरी 1994 के साम्प्रदायिक दंगे मार्च 1994 में बम्बई बम विस्फोट आदि घटनाएँ प्रमुख हैं। इनके बावजूद आर्थिक सुधारों की गति अविचलित रही। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर अग्रसर है तथा इसमें असाध्यिक झटकों को झेलने की असीम क्षमता मौजूद है। भारत की सकट से निपटने की यह क्षमता

देशी-विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध हुई।

आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। देश के आर्थिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो स्थिति उत्साहवर्द्धक परिलक्षित होती है।

1. विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि (Increase in Foreign Currency Reserve)

वित्तीय वर्ष 1991-92 में भारत का विदेशी मुद्रा कोष घटकर 9.22 बिलियन डालर तक रसातल तक की स्थिति में पहुँच गया था। आर्थिक सुधारों की बदौलत सकट की स्थिति काबू में आई। अब भुगतान सतुलन की स्थिति में स्थिरता है। अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही है। दीर्घकालीन बढ़ोतरी की राह से रोड़े, व्यापार और विदेशी निवेश में उदारीकरण से समान हो गए हैं। विदेशी मुद्रा कोष फिर से समृद्ध हो गया है। 1993-94 में यह बढ़कर 19.25 बिलियन डालर तक पहुँच गया है। विनिमय कोष के बढ़ने से इसके उपयोग की समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। मुद्रास्फीति के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया। मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए प्रशासन कीमतों में तत्काल परिवर्तन नहीं किया गया। विकासगत जरूरतों तथा बाह्य दायित्वों के निपटारे के कारण विनिमय कोष घटा। विनिमय कोष घटने का प्रमुख कारण आयात बिल का अधिक होना था। वर्ष 1995-96 में विनिमय कोष में 8.15 बिलियन डालर की कमी हुई। जनवरी, 1999 में से विदेशी विनिमय कोष सतोषप्रद स्थिति में है। भारत आर्थिक सुधारों को गति देने की स्थिति में है।

विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि

(बिलियन डालर में)

वर्ष	विदेशी मुद्रा कोष
1990-91	5.83
1991-92	9.22
1992-93	9.83
1993-94	19.25
1994-95	25.19
1995-96	17.04
1996-97	22.37
1997-98	25.98
1998-99	29.52
दिसम्बर 1999	31.99

Source: *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

2. मुद्रास्फीति पर नियंत्रण (Control on Money Inflation)

आर्थिक सुधारों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मानी जानी चाहिए। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

1991-92 के अंत में 13.6 प्रतिशत तक पहुंच गई थी जा घटकर जायरी 1993 का 6.9 प्रतिशत तक रह गई 3 जुलाई 1993 को समाप्त हुए सप्ताह में यह और घटकर 5.8 प्रतिशत ही रह गई। 1996-97 में मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई जो धिताप्रत स्थिति थी। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 31 जुलाई 1999 को समाप्त हुए सप्ताह में 1.62 प्रतिशत रह गई। घटी हुई मुद्रास्फीति की दर आर्थिक उदारीकरण की उल्लेखनीय बात है। पिछले वर्षों में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित कीमतों यथा पेट्रोल रसोई गैस डीजल आदि के मूल्यों में वृद्धि करना रहा है। वर्तमान सरकार का लक्ष्य मुद्रास्फीति की दर को 4 प्रतिशत तक सीमित करना है। सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर किये गये आर्थिक सुधारों के कारण मुद्रास्फीति में कमी आई है। तेज गति से बढ़ रही मुद्रास्फीति के कम होने से निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों को राहत महसूस हुई है।

3 राजकोषीय घाटे में कमी (Decrease in Fiscal Deficit)

राजकोषीय घाटे का अधिक होना विगत वर्षों में बढ़ी मुद्रास्फीति का मुख्य कारक रहा है। पिछले वर्षों में सरकार ने राजकोषीय घाटे को सीमित रखने का प्रयास किया है। केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा 1990-91 के सकल घरेलू उत्पाद के 7.7 प्रतिशत से घटकर 1994-95 में 5.6 प्रतिशत 1996-97 में 4.7 प्रतिशत रह गया किंतु 1997-98 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत हो गया जबकि लक्ष्य 4.7 प्रतिशत का रखा गया था। राजकोषीय घाटे की इस बढ़ोतरी के लिए आयात शुल्कों में कटौती निर्यातों में बढ़ोतरी उम्मीदों के अनुसार नहीं होना सब्सिडी पर नियंत्रण वास्ते मूल्य समायोजना आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1998-99 के बजट अनुमान में 5 प्रतिशत था।

देश में वित्तीय और मौद्रिक अनुशासन में उल्लेखनीय सुधार लाने तथा रिजर्व बैंक को प्रभावी मौद्रिक प्रबन्ध के लिए अवसर प्रदान करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार की आर से अधिकतम उधार लेने की सीमा तय कर दी गई है। यह प्रावधान वर्ष 1994-95 के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल की सीमा छह हजार करोड़ रुपये रखी गई। तदर्थ ट्रेजरी बिलों की व्यवस्था 1997-98 से पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। तदर्थ ट्रेजरी बिल की अधिकतम राशि लगातार दस कार्य दिनों तक नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक होने पर रिजर्व बैंक स्वयं तदर्थ ट्रेजरी बिल की राशि को कम कर देगा। ऐसा ट्रेजरी बिलों को नीलाग करके अथवा प्रतिभूति को बाजार में बेच कर किया जायेगा। अतः सरकार निर्धारित की गई सीमा से अधिक धन रिजर्व बैंक से स्वयं नहीं ले पाएगी। 1994-95 की प्रथम तिमाही में सरकार ने रिजर्व बैंक से जो धन लिया वह स्वयं निर्धारित सीमा से काफी कम था। स्पष्ट है सरकार वित्तीय घाटे में कमी वास्ते सचेष्ट है।

राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1990-91	44632	7.7
1994-95	57704	5.6
1995-96	60243	4.9
1996-97	66733	4.7
1997-98 (स.अ.)	86345	5.5
1998-99 (ब.अ.)	91025	5.1
1999-2000 (ब.अ.)	79955	4.1

Source: *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

4. सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)

केन्द्रीय सांख्यिकी सभा के अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 1991-92 में 0.8 प्रतिशत थी जो 1992-93 में 5.1 प्रतिशत हो गई। रिजर्व बैंक की जुलाई, 1992 से जून, 1993 तक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1993-94 के दौरान कृषि और उद्योग में अच्छे प्रदर्शन के कारण सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1994-95 में 6.3 प्रतिशत तथा 1995-96 में और बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई। आर्थिक स्थिति में आमतौर पर सुधार होने के कारण आर्थिक सभावना उज्ज्वल है। भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सकल घरेलू वृद्धि दर कम है। सिंगापुर में 1996 में वृद्धि दर 9 प्रतिशत थी तथा अगले पांच वर्षों में अच्छी वृद्धि दर के बने रहने की सभावना है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997-98 में 5 प्रतिशत तथा 1998-99 के अग्रिम अनुमानों में 5.8 प्रतिशत थी।

सकल घरेलू वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

वर्ष	सकल घरेलू दर
1991-92	0.8
1992-93	5.1
1993-94	5.0
1994-95	6.3
1995-96	7.6
1996-97	7.8
1997-98	5.0
1998-99 (अग्रिम अनुमान)	5.8
1999-2000 (अग्रिम अनुमान)	5.9

Source: *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

5 पूजी निवेश में बढ़ोतरी (Increase in Capital Investment)

उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र में की गयी नीतिगत पहल का परिणाम अत्यधिक उल्काहवर्द्धक रहा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से दश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में काफी वृद्धि हुई है। नई नीति में अनेक उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया है तथा कई मामलों में लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बना दिया गया है इससे औद्योगिक विकास का अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में पूजी निवेश में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान दश में विदेशी निवेश में तेजी से बढ़ाव हुआ है। वर्ष 1991-92 के दौरान दश में 15 करोड़ 80 लाख और 1992-93 के दौरान 43 करोड़ 30 लाख डॉलर का विदेशी निवेश हुआ जो 1993-94 के दौरान अत्रत्यारिहत रूप से बढ़कर 411 करोड़ डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसम्बर, 1994-95 में 3897 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश हुआ इसमें 756 करोड़ डॉलर प्रत्यक्ष विनिर्माण तथा 3141 करोड़ डॉलर पार्टफालियन विनियोग था। मजूरशुदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वास्तविक प्रवाह में भारी अंतर है। वर्ष 1991 में मजूरशुदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 534 करोड़ रुपए था जबकि वास्तविक प्रवाह केवल 351 करोड़ रुपए ही था। वर्ष 1997 में मजूरशुदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 54,891 करोड़ रुपए तथा वास्तविक प्रवाह 16,425 करोड़ रुपए था।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मजूरशुदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वास्तविक प्रवाह
1991	534	351
1992	3888	675
1993	8859	1787
1994	14190	3289
1995	32070	6820
1996	36150	10389
1997	54891	16425
1998 (अकतूबर)	24454	11821
1999 (अकतूबर)	23795	11093

Source: *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

6 औद्योगिक वृद्धि दर (Industrial Growth Rate)

औद्योगिक वृद्धि दर 1992-93 में 2.3 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष 1991-92 में 0.6 प्रतिशत की दर से अधिक थी। औद्योगिक वृद्धि दर 1995-96 में तेजी से बढ़कर 12.8 प्रतिशत तक जा पहुची थी। वृत्ति पैदावार में वृद्धि का

सकारात्मक असर औद्योगिक उत्पादन पर पड़ा। बाद के वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में कमी हुई। औद्योगिक वृद्धि दर 1996-97 में 5.6 प्रतिशत, 1997-98 में 6.6 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 3.5 प्रतिशत रही।

औद्योगिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

वर्ष	औद्योगिक वृद्धि दर
1991-92	0.6
1992-93	2.3
1993-94	6.0
1994-95	8.4
1995-96	12.8
1996-97	5.6
1997-98	6.6
1998-99 (अप्रैल-दिसम्बर)	3.5
1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर)	6.2

Source *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

7. कृषि वृद्धि दर (Agriculture Growth Rate)

आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि वृद्धि दर सतोपप्रद रही। वर्ष 1992-93 में कृषि क्षेत्र में रिकार्ड 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई। विगत दस वर्षों (1989-98) में मानसून अनुकूल रहा। वर्ष 1996 का मानसून पिछले पांच वर्षों में सबसे अच्छा रहा। अच्छे मानसून के कारण कृषि विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। कृषि वृद्धि दर 1994-95 में 5 प्रतिशत, 1996-97 में 9.1 प्रतिशत तथा 1998-99 में 3.9 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न उत्पादन 195.2 मिलियन टन था। वर्ष 1995-96 में 4,931 करोड़ रुपए के खाद्यान्न का निर्यात किया गया।

कृषि विकास

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि वृद्धि दर (प्रतिशत)	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)
1994-95	5.0	191.5
1995-96	-2.7	180.4
1996-97	9.1	199.4
1997-98	-6.0	192.4
1998-99 (प्रा)	3.9	195.2
1999-2000 (प्रा)	-2.2	199.1

Source *Indian Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

8 निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि (Increase in Exports)

हुदामूर्ति दर से एक अक तक काय में रये जाय विदेशी पूज्जी विदेश का बढावा दिग जाय तथा रुपय की परिवर्नीयता से भारतीय वस्तुओं से निर्यात म प्रतिस्पर्धा रदी है। भारत का निर्यात 1991-92 म 44 041 करोड रुपए था जो रदकर 1995-96 म 1 06 353 करोड रुपए तथा 1997-98 म और बढकर 1 26 286 करोड रुपए हा गया। निर्यात वृद्धि दर 1991-92 म 35.3 प्रतिशत 1993-94 म 29.9 प्रतिशत तथा 1995-96 म 28.6 प्रतिशत थी।

वर्ष 1995-96 म डानर म निर्यात म 20.7 प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखीय रही। वाणिज्य मंत्रालय ने अगले पाच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 20 प्रतिशत निर्यात वृद्धि (डालर) का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य सन् 2000 में किया 75 मिलियन डालर तक पहुचाने को ध्यान म रखकर निर्धारित किया गया है। वर्ष 1995-96 म निर्यात 31 797 मिलिया डालर था जबकि 1994-95 म 26 330 मिलिया डालर का निर्यात हुआ। आयात में भी तेजी से बढातरी हुई। वष 1994-95 म आयात 28 654 मिलियन डालर था जा बढकर 1995-96 में 36 678 मिलियन डालर तक जा पहुचा। आयात म 28 प्रतिशत की तीव्र बढातरी हुई।

देश का व्यापार घाटा कम हाकर वर्ष 1991-92 में 3 810 करोड रुपए रह गया। वर्ष 1993-94 के म व्यापार घाटा 3 350 करोड रुपए था भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 1994 की रिपोर्ट के अनुसार 1993-94 के दौरान बाहरी ऋण की मात्रा म मामूली तौर पर बढोतरी हुई। पूज्जी खाते म सकारात्मक शेष बनाये से लिए यह जरूरी है कि निर्यात विकास दर को 15 प्रतिशत के आसपास बनाया रखा जाए। व्यापार घाट को कम करके ही आंतरिक वित्तीय जरूरतों के लिए ऋण लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है और सकल घरेलू उत्पाद की तुलना म बाहरी ऋण म आनुपातिक कटौती की जा सकती है। वर्ष 1994-95 म व्यापार घाटा 2 027 मिलिया डालर था जो तेजी से रदकर 1995-96 में 4 539 मिलियन डालर तक जा पहुचा।

दृष्टिकोण (Attitude)

आर्थिक सुधारों के परिणाम अति उल्लाही नहीं है। कुछ आर्थिक सूचकों में सुखद परिणामों के लिए प्रवि क्षेत्र का सहयोगी रुख उल्लेखीय रहा है। आर्थिक सुधारों के शुरुआती वर्षों में औद्योगिक सवृद्धि दर का काफी कम होना अर्थव्यवस्था के लिए एक चिन्तामय पहलू था। अस्सी के दशक में औद्योगिक सवृद्धि दर आर्थिक सरचना के अय क्षेत्रों से अधिक थी आर्थिक सुधारों का लागू किए जाने के साथ यह अप्रति गति से नहीं बढी 1991-92 म तो औद्योगिक सवृद्धि दर शून्य के आस-पास रही। आर्थिक सक्रमण काल म औद्योगिक विरासत दर म वृद्धि आर्थिक सुधारों की प्रारम्भिकता और आज की आवश्यकता है।

आर्थिक सुधारों के चलते गरीबी और बेकारी का नियंत्रित करने के लिए

प्रभावोत्पादक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में गत वर्ष की तुलना में अधिक राशि आवंटित की गई। वर्ष 1992-93 में इस योजना के अन्तर्गत 2,556.22 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसे 1993-94 में बढ़ाकर 3,306 करोड़ रुपये कर दिया गया। शिक्षित बेरोजगारों के लिए नई 540 करोड़ रुपये अनुदान वाली स्वरोजगार योजना 2 अक्टूबर, 1993 से लागू की गई, इससे देश के दस लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के नये अवसर मिल सकेंगे। वर्तमान में गरीबी, बेकारी की भयावह समस्या को देखते हुए ये प्रयास थोड़े हैं। आज देश में 30 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने को अभिशप्त है तथा अगस्त 1992 के अंत में 371 लाख शिक्षित बेरोजगार थे जबकि देश में 48 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। अतः देश के कुल बेरोजगारों की संख्या दिल दहला देने वाली है। भारत सरकार ने कुल बजट प्रावधानों का अधिकांश भाग ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित किया है। फिर भी ग्रामवासियों की माली हालत में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। आर्थिक उदारीकरण के दौर में रोजगार सृजन के क्षेत्र में कम सफलता मिली। भारत में श्रम शक्ति में 2.5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी हो रही है जो जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है जबकि रोजगार वृद्धि दर केवल 2.3 प्रतिशत ही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में केवल 24 मिलियन रोजगार मुहैया कराए गए जबकि मांग 94 मिलियन रोजगार की थी। आज भारत में लगभग 25 मिलियन बाल श्रमिक हैं।

113285

बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी निवेश को आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इनसे राष्ट्रहित प्रभावित न हो, जहाँ तक नवीन टेक्नोलॉजी का सवाल है, जो कि आज की अनिवार्यता है, अनावश्यक रूप से विरोध करना भी लाजिमी नहीं है।

भारत में आर्थिक सुधारों के परिणाम (गरीबी, बेकारी) को छोड़कर उत्साहवर्द्धक रहे हैं। कम समय में इनसे अर्जित उपलब्धियों को कम आंकड़ों में नहीं चलना चाहिए फिर अभी तो हमने आर्थिक सुधारों को पूरी तरह से लागू भी नहीं किया है। कुछ क्षेत्रों में अवश्य निराशा मिली है मगर इसके लिए आर्थिक सुधार जिम्मेदार नहीं होकर देश में घटित असामयिक घटनाएँ उत्तरदायी हैं। आर्थिक सुधारों ने देश को संकट की स्थिति से उबार कर सबल प्रदान किया। आर्थिक सुधारों की सफलता से भारत की छवि आर्थिक जगत में निखर कर सामने आई है। विकासशील देशों में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के शिकवे ने आर्थिक सुधारों को बुरी तरह से प्रभावित किया वहीं भारत ने इस पर नियंत्रण रखने में सफलता प्राप्त की है।

आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणामों को देखते हुए इनकी गति को तेज किये जाने की आवश्यकता है। अछूते क्षेत्रों को शीघ्र ही आर्थिक सुधारों के दायरे में लिया जाना चाहिए। जिस मुस्ती से केन्द्र सरकार आर्थिक सुधारों को लागू कर रही है, राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इसमें सहयोग करें। ऐसा होने से देश में

औद्योगिक विकास तथा जनता में आर्थिक सुधारों के प्रति अनुकूल वातावरण बनेगा। आर्थिक सुधारों का अनावश्यक विरोध नहीं हो, सकारात्मक आलोचना हो, जिससे इन्हे राष्ट्रहित में लागू करने में मदद मिल सके।

आर्थिक सुधारों के दुष्परिणाम

1. आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय विषमता (Economic Reforms and Regional Disparities)

आज आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक दस वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं। जहाँ तक आर्थिक सुधारों के फलितार्थ का प्रश्न है। समर्थकों द्वारा सफलता का ज्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि नवीन आर्थिक नीतियों के ऋणात्मक फलितार्थ ज्यादा हैं। आम देशवारियों को नई नीतियों से अपेक्षित राहत नहीं मिली। गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता, असतुलित विकास आदि समस्याएँ आज भी व्याप्त हैं। आकड़ों के लिहाज से गरीबों की संख्या अल्प कम हुई है। वर्ष 1987-88 में 25 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। वर्ष 1993-94 में 19 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की समस्या दिकट है। आज भी 21 फीसदी ग्रामीण तथा 11.2 फीसदी शहरी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। गरीबी के इन आकड़ों पर दृष्टिपात करने से यह परिलक्षित होता है कि देश की बड़ी आबादी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुकी है, मगर वास्तविकता कुछ और ही है। देश के अनेक भागों में आज भी लोग बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, किन्तु नियोजित विकास के चार दशकों में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की तुलना में निजी क्षेत्र को कम तरजीह दी गई। आज आर्थिक खुलेपन के दौर में निजीकरण का बोलबाला है किन्तु इन्हें बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ खुली प्रतिस्पर्धा में छोड़ दिया गया है। स्वदेशी उद्यमी इस स्थिति में नहीं है कि वे बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकें, नतीजतन देश के उद्यमी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समन्वय तथा सपुक्त उपक्रम के लिए बाध्य हो रहे हैं।

भूमंडलीकरण के दौर में विकासशील देशों में भारी विदेशी पूँजी निवेश हुआ। भारत अपेक्षाकृत कम विदेशी पूँजी आकर्षित कर सका। वर्तमान में विदेशी पूँजी निवेश के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। विकसित राष्ट्र भारत की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं है। भारत विश्व का बड़ा बाजार है। यहाँ सरता श्रम बहुतायत में है। प्राकृतिक ससाधनों की कमी नहीं है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत प्रगति के पथ पर है। अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण से हाल के वर्षों में भारत में विदेशी पूँजी निवेश बढ़ा है।

आर्थिक खुलेपन में जितना विदेशी पूँजी निवेश स्वीकृत किया गया है।

उसके मुकाबले वास्तविक पूजी निवेश काफी कम है। वास्तविक विदेशी पूजी निवेश में सतुलित विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण देश में क्षेत्रीय विषमता की समस्या मुखर हो उठी है। विदेशी पूजी निवेश ऐसे राज्यों में अधिक आकर्षित हुआ है जहाँ विकास की कोई समस्या नहीं है। उल्टा विकसित राज्यों में अधिक विदेशी पूजी निवेश से तीव्र औद्योगीकरण जनित समस्याओं में बढोतरी हुई। प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्यों यथा राजस्थान, बिहार, उड़ीसा आदि की पूजी विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा की गई। इन राज्यों में वित्तीय ससाधनों का अभाव है। विदेशी पूजी विनियोजन के साथ-साथ केन्द्रीय पूजी विनियोजन की दृष्टि से भी ये राज्य कुछ उपेक्षित रहे, नतीजतन औद्योगिक विकास गति नहीं पकड़ पाया। बढती क्षेत्रीय विषमता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। किसी भी क्षेत्र का पिछडापन समूची अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है।

पूजी विनियोजन का सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्र एवं गुजरात को मिला है। इन राज्यों के पाच जिले सूरत, मडौघ, जामनगर, मुम्बई एवं रत्नगिरी में जितना पूजी निवेश हुआ है, वह पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार एवं चण्डीगढ में हुए निवेश से कहीं ज्यादा है।

भारत विदेशी पूजी निवेश के क्षेत्र में अधिक देशों को आकर्षित नहीं कर पाया। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों ने ही अपेक्षाकृत अधिक पूजी निवेश किया। अगरस्त, 1991 से अक्टूबर, 1994 तक स्वीकृत कुल विदेशी पूजी निवेश 239 मिलियन डालर में विभिन्न देशों का योगदान इस प्रकार रहा—अमेरिका 34.5 प्रतिशत, ब्रिटेन 10.3 प्रतिशत, जापान 6.3 प्रतिशत, स्विट्जरलैण्ड 6 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया 2.6 प्रतिशत, हांलैण्ड 2.9 प्रतिशत, इटली 3 प्रतिशत।

देश में केन्द्रीय पूजी विनियोजन भी क्षेत्रीय विषमता का प्रमुख कारण है। केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान में बहुत ही कम निवेश हुआ है। वर्ष 1993-94 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में जो कुल निवेश हुआ, उसमें से मात्र 1.80 प्रतिशत ही राजस्थान में निवेश हुआ, उस समय राजस्थान में कुल 3,576 करोड रुपये ही केन्द्र की हिस्सा पूजी थी। इसके मुकाबले गुजरात में 6.60 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 19.76 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 8.06 प्रतिशत तथा आंध्र प्रदेश में 8.06 प्रतिशत विनियोजन हुआ। राजस्थान में केन्द्र सरकार की अगुलियों पर गिने जा सकने वाली औद्योगिक परियोजनाएँ हैं।

प्राकृतिक ससाधनों से समृद्ध राजस्थान, उड़ीसा, बिहार आदि राज्य आर्थिक विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछडे हुए हैं। क्षेत्रीय विषमता की समस्या पर निजात पाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार कम विकसित राज्यों में अधिकाधिक पूजी विनियोजन पर ध्यान केन्द्रित करे। राजस्थान में तेल शोधक कारखाना नहीं है। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा में तेल शोधक कारखाने

स्थापित हो चुके हैं।

2 राष्ट्रीय समस्याओं के घेरे में आर्थिक सुधारों की प्रासंगिकता

भारत में बेतहाशा गति से बढ़ती आबादी प्रमुख समस्या है। आबादी की विकरालता के सामने देश की अथाह संपदा सीमित खजर आने लगी है। 1991 की जागणना के अनुसार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 23.85 प्रतिशत रही। यद्यपि यह वृद्धि दर 1991 की जागणना की दशकीय वृद्धि दर 24.66 प्रतिशत की तुलना में कम है फिर भी यह भयावह है। वर्तमान में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत अन्य देशों के मुकाबले अधिक है।

भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 के मूल्यों पर वर्ष 1984-85 में 1,98,088 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1993-94 में 2,02,670 करोड़ रुपये हो गयी। 1993-94 में समाप्त पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि प्रति व्यक्ति आय में इसी दौरान केवल 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय 1980-81 के मूल्यों पर वर्ष 1984-85 में 1,811 रुपये थी जो बढ़कर 1993-94 में 2,282 रुपये ही हो पायी। देश की राष्ट्रीय आय में तो तेजी से बढ़ोतरी हो रही है किन्तु जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रही है। स्पष्ट है कि आबादी आर्थिक वृद्धि में बाधक बनी हुई है।

(1) गरीबी पर निजात मुश्किल काम

भारत में गरीबी का मूल कारण अजुकूलतम स्तर को पार कर चुकी जनसंख्या ही है। गरीबी प्रमुख राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरी है। देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन कर गरीबों की संख्या को अवश्य ही कम किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने गरीबों के उत्थान वास्ते प्रयास नहीं किए हों। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों से ही गरीबी उन्मूलन सबंधी ओक कदमरगर योजनाएँ घोषित की गईं। आज भी वर्ष दर वर्ष नवीन योजनाओं की घोषणा की जा रही है। हाल ही के वर्षों में ग्रामीण विकास व्यय में भारी बढ़ोतरी की गई है किन्तु जिस तरीके से गरीबी उन्मूलन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और बेतहाशा राशि खर्च की जा रही है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि गरीब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यदि गरीबी उन्मूलन सबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार नहीं आता है तो यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी के आते-आते राष्ट्र गरीबी पर निजात पा सकेगा। नियोजित विकास के दौरान यद्यपि गरीबों की संख्या में कमी आई है किन्तु आज भी गरीबों के आकड़े चौंकाते वाले ही हैं।

भारत में वर्ष 1983-84 में 27.10 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे। वर्ष 1987-88 में गरीबों की संख्या कम होकर 23.77 करोड़ रह गई। वर्ष 1983-84 से 1987-88 के बीच गरीबी में 14 पीसदी कमी आई। फिर भी देश में वर्ष 1987-88 में 29.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा

से नीचे जीवन जीने को अभिशप्त थी। कुछ राज्यों में तो गरीबी का खुला ताण्डव नृत्य मौजूद है। उड़ीसा में 44.7 प्रतिशत, बिहार में 40.8 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 35 प्रतिशत, तमिलनाडु में 32.8 प्रतिशत, कर्नाटक में 32 प्रतिशत, राजस्थान में 24.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। समृद्ध राज्य भी गरीबी की समस्या से अछूते नहीं हैं। गुजरात में 18.4 प्रतिशत, हरियाणा में 11.6 प्रतिशत, पंजाब में 7.2 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 29.2 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है।

देश के गरीबों में बहुसंख्यक आबादी ग्रामवासियों की है। आजादी के अनेक बरस बीत जाने के बावजूद भी ग्रामवासियों की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी है। गरीबों की संख्या तो शहरों में भी कम नहीं है। किन्तु शहरों में येन-केन प्रकारेण गरीब लोग रोजी-रोटी की व्यवस्था कर ही लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो गरीब हैं प्रायः वे गावों से शहरों की ओर पलायन करके आए लोग ही हैं। गावों में संसाधनों के अभाव में कष्टप्रद जीवन से छुटकारा पाने के लिए ये मजबूर शहरों की ओर पलायन करते हैं किन्तु पिडन्वना ही है कि शहरों में भी गरीबी इनका पीछा नहीं छोड़ती। गरीबी की समस्या पर निजात पाने के लिए भारी भ्रकम विनियोजन को प्राथमिक भारत की ओर भोडना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ कारगर पहल की आवश्यकता भी है।

(ii) आर्थिक सुधारों से रोजगार सृजन

देश में रोजगार चाहने वालों की संख्या और रोजगार के उपलब्ध अवसरों के बीच भी अंतराल है नतीजतन बेरोजगारी की समस्या मुखर हो उठी है। वर्ष 1994-95 में रोजगार के योग्य लोगों की संख्या में 82.50 लाख की वृद्धि हुयी जबकि रोजगार के अवसर 60 लाख लोगों को ही मिल पाये हैं। इस अंतराल को उद्योग-धंधों एवं व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करके पाटा जा सकता है। जिस तरह का रोजगार देश में उपलब्ध है और जैसा रोजगार युवक चाहते हैं इनके बीच अंतर भी बढ़ती बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। 31 मार्च, 1981 को नियोजन कार्यालयों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 178.38 लाख थी। यह संख्या बढ़कर दिसम्बर, 1991 में 363 लाख हो गई। एक दशक के अंतराल में रोजगार चाहने वालों की संख्या में 103 फीसदी वृद्धि हुई।

आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक वर्षों में यह दृढ़ता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आर्थिक खुलेपन में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आधुनिकतम मशीनों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। मानवीय शक्ति का उपयोग विगत वर्षों की तुलना में कम हुआ है। फिर भी आर्थिक सुधारों की अवधि (1990-95) में रोजगार 2 प्रतिशत की दर से बढ़े हैं। रोजगार के अवसर में ढाचागत बदलाव अवश्य आया है। अनुभव यह बताता है कि भारत में श्रम प्रधान तकनीक की उपादेयता आगामी वर्षों तक बनी रहेगी। अतः भारत की बहुसंख्यक प्राथमिक आबादी को दृष्टिगत रखते हुए, हाल ही के वर्षों

में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सीमित हुई भूमिका से बचे हुए वित्तीय ससाधनों को ग्रामोत्थान संबंधी योजनाओं में विनियोग किया जाना चाहिए।

देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सगठित उद्योगों में रोजगार की स्थिति बेहतर नहीं है। वर्ष 1992 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सगठित उद्योगों में 270 56 लाख व्यक्ति नियोजित थे। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 192 10 लाख तथा निजी क्षेत्र में 78 56 लाख व्यक्ति नियोजित थे।

रोजगार सृजन की दृष्टि से लघु एवं कुटीर उद्योगों की महती भूमिका है। अब आर्थिक सुधारों के गति पकड़ने के साथ सगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। निकट भविष्य में स्वदेशी एवं विदेशी पूंजी निवेश के और अधिक बढ़ने से औद्योगीकरण को बल मिलेगा। उद्योगों में उत्पादन पूरी तरह होने के बाद उत्पादों के पिपणन से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत में रोजगार पन्ख निर्माण और वाहन उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। भविष्य में सगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारों को राहत मिल सकेगी।

3. भूमंडलीकरण से उपजते सकट

भूमंडलीकरण में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता आर्थिक संरचना में एक मूलभूत बदलाव था। देश में बाजार भूमंडलीकृत व्यवस्था के शुरूआती वर्षों में रुपये की विनियम दर में स्थायित्वता से अर्थव्यवस्था में मजबूती की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। इससे आर्थिक सुधारों की गति को भी तेजतर करने में मदद मिली। किन्तु वर्ष 1995-96 के सितम्बर, अक्टूबर माह में रुपये के डालर की तुलना में टूटने से भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चिंताप्रद स्थिति उत्पन्न हो गई। गौरतलब है कि दिसम्बर, 1994 से अक्टूबर, 1995 तक डालर के मुकाबले भारतीय रुपये का लगभग दस प्रतिशत अवमूल्यन हो गया। देश में आर्थिक सुधारों की शुरूआत ही रुपये की विनियम दर में कमी से की गई। सरकार ने जुलाई, 1991 में दो बार रुपये का अवमूल्यन किया। भूमंडलीकरण के पहले साठे चार वर्षों में भारतीय रुपया डालर के मुकाबले तकरीबन 30 फीसदी सस्ता हो गया।

रुपये की कमजोरी के व्यापक प्रभाव अन्तर्निहित हैं। अभी भारत आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक चरणों में है। यहाँ की आर्थिक समस्याएँ अन्य राष्ट्रों से विषम हैं। गरीबी, बेकारी, आर्थिक विषमता आदि समस्याएँ मुँहबाएँ खड़ी हैं। इन समस्याओं के रहते आर्थिक सकट की स्थिति से निपटना मुश्किल काम है। खाड़ी युद्धजनित आर्थिक सकट को अभी हम भूले नहीं हैं। ध्यातव्य है कि युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी। अर्थव्यवस्था में अभी भी इतनी मजबूती नहीं आ पाई है कि आर्थिक सकट की स्थिति का सामना बिना किसी बाह्य सहायता के कर सकें। अतः आर्थिक क्षेत्र में सजगता की बेहद जरूरत है। सक्रमण काल में उत्पन्न किसी आर्थिक सकट को प्रारम्भिक अवस्था में ही नियंत्रित करना आवश्यक है। जरा भी ढील से स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। 'मैक्सिको सकट' ज्वलत है। वहाँ की आर्थिक स्थिति बंद से बंदतर हो गई है। मैक्सिको के अभूतपूर्व सकट से

विश्व के समक्ष बड़ा सकट उत्पन्न हो गया था। मैक्सिको समृद्धि की ओर अग्रसर था। भारी विदेशी पूंजी निवेश था। मुद्रारूपीति भी काबू में थी। मैक्सिको में सत्ता परिवर्तन के साथ भुगतान सतुलन की दशा को सुधारने के लिए 'पेसो' का अवमूल्यन किया गया। पेसो का अवमूल्यन तथा अन्य आर्थिक कारणों का वहाँ के अर्थतंत्र पर ऐसा विषम प्रभाव पड़ा कि विदेशी निवेशकों ने अपना निवेश अन्यत्र स्थानान्तरित करना प्रारम्भ कर दिया। मैक्सिको सकटग्रस्त हो गया। मैक्सिको का विदेशी मुद्रा भंडार 29 सितम्बर, 1995 को 14 699 अरब डालर रसातल तक पहुँच गया। मैक्सिको में कर छूट, साख-सुविधा के जरिए उत्पादन बढ़ाना, बेरोजगारी उन्मूलन आदि सुविधाएँ भी उत्पादन बढ़ाने में कारगर साबित नहीं हो पायी हैं।

भारत को मैक्सिको सकट से सबक लेना चाहिए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे देश में मैक्सिको सकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में कमी को रोकने के लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। रुपये के और दूटने से देश में आर्थिक सकट के शुरु होने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता है। बदले परिवेश में विदेशी निवेशकों के विश्वास में आई जरा भी कमी से अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो सकती है।

आर्थिक सुधारों के संतुलित प्रभावों की आवश्यकता

भारत में लागू किये गये आर्थिक सुधारों की अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में अनुकूल प्रतिक्रियाएँ हुईं। इससे सुधारों की गति को त्वरित बल मिला। हल्के विरोध को छोड़कर समूचे देश में आर्थिक सुधारों के प्रति सकारात्मक वातावरण है। किन्तु आर्थिक सुधारों के संतुलित प्रभावों की ओर दृष्टिपात करें तो यह प्रश्न उठाना लाजिमी है कि आर्थिक सुधारों से क्या देश के सभी राज्य लाभान्वित हुए हैं?

भारतीय अर्थव्यवस्था असंतुलित विकास का शिकार रही है। योजनाबद्ध विकास के विगत चार दशकों में संतुलित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में भी इस दिशा में विशेष पहल नहीं की गई। बिहार और उड़ीसा सहित पूर्वी तथा पूर्वोत्तर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, इनकी तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा जैसे पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के राज्य समृद्धि की ओर बढ़ते जा रहे हैं। समृद्ध क्षेत्र औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं और औद्योगिक इकाइयों, बाजार की निकटता प्राप्त करने के लिए समृद्ध क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की ओर विदेशी निवेशक अधिक आकर्षित हुए हैं। 1993-94 में महाराष्ट्र में 1,668 68 करोड़ रुपये तथा दिल्ली में 957 94 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की पुष्टि हुई। इसके विपरीत बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में नाम मात्र का पूंजी निवेश हुआ। बिहार में 51 97 तथा पश्चिमी बंगाल में 48 94 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की पुष्टि हुई। विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों की संख्या की दृष्टि से तो स्थिति और भी दयनीय है। महाराष्ट्र में विदेशी निवेश के 136 प्रस्ताव पास किये

गए जबकि विहार में यह सख्या मात्र 4 थी।

विदेशी पूजा निवेश से सम्बन्धित चिन्ताय यह है कि इसके लिए हम कुछ ही देशों पर निर्भर हैं जबकि इसमें विविधता हानी चाहिए अर्थात् अधिकाधिक देशों द्वारा पूजा निवेश हो तथा वर्ष दर वर्ष निवेश में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जिससे अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव न आए। भारत में यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई।

वर्ष 1993 में 8 205 72 करोड़ रुपये का विदेशी पूजा निवेश हुआ जो कि 1991 से 1994 के बीच हुए कुल निवेश 14 470 करोड़ रुपये के आधे से अधिक है। अमरीका ने आर्थिक उदारीकरण के पहले तीन वर्षों में कुल विदेशी निवेश का एक तिहाई 5 452 62 करोड़ रुपय लगाए थे 1994 की पहली छमाही में केवल 573 39 करोड़ रुपये ही निवेश किया।

विदेशी पूजा निवेश के संबंध में दो बात स्पष्टतः सामने आई है कि एक तो विदेशी पूजा निवेश ऐसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुआ है जो पहले से ही समृद्ध है एव जो बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है तथा दूसरी बात लाभप्रद उद्योगों में ही अधिक निवेश हुआ है। स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूजागत वस्तुओं के क्षेत्र में पूजा निवेश आकर्षित नहीं हुआ है।

आर्थिक खुलेपन के दौर में कृषि क्षेत्र की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता चिन्ताजनक बात है। उदारीकरण के दौर में कृषि के लिए जो कुछ भी किया गया है वह अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए अत्यल्प है। विश्व के सबसे बड़े कृषि प्रधान देश भारत में 80 फीसदी आबादी कृषि से ही जीवन बसर करती है। राष्ट्रीय आय में भी कृषि की महत्वपूर्ण भागीदारी बनी हुई है। कृषि उद्योगों का आधार तथा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में कृषि की उपेक्षा आश्चर्यजनक है। औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण करते समय उत्पादक को अपना पक्ष रखने की पर्याप्त छूट मिलती है। किन्तु कृषि क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती।

भारत आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक चरण में है किन्तु परिणामों में परिपक्वता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। अभी आर्थिक सुधारों का लम्बा सफर तय करना है। आशा की जानी चाहिए कि अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों की ओर विकास वास्ते मुरतैदी से ध्यान दिया जाएगा। विदेशी पूजा निवेश ऐसे क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाना चाहिए जो विकास से अछूते हैं। इसे लाभप्रद उद्योगों से विकर्षित कर प्राथमिकता वाले उद्योगों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। अतः विदेशी निवेश को उर्जा परिवहन तथा संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा कोष में रिकार्ड वृद्धि हुई है यह 1991-92 के 5 63 बिलियन डालर के मुकाबले दिसम्बर 2000 में 31 9 बिलियन डालर तक बढ़ चुका है। बढ़े हुए विदेशी मुद्रा कोष का विनाशोत्पन्न उपयोग आवश्यक है अन्यथा यह मुद्रास्फीति का एक बड़ा

कारण बन सकता है। औद्योगिक उत्पादन और विनिवेश गतिविधियाँ को बढ़ाने के लिए प्रभावेत्पादक कदम उठाए जाने की महती आवश्यकता है।

सन्दर्भ

- 1 राजस्थान पत्रिका 23 अगस्त 1996 पृ 14
- 2 वही 2 जुलाई 1996

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 नवीन आर्थिक नीति पर टिप्पणी लिखिए।
- 2 उदारीकरण के आर्थिक और सामाजिक दर्शन का उल्लेख कीजिए।
- 3 आर्थिक उदारीकरण के बदलते स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- 4 आर्थिक सुधारों के संतुलित प्रभावों की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए।

विबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण के दौर में किये गए बदलावों का वर्णन कीजिए।
(संकेत - अध्याय में नई आर्थिक नीति में सम्मिलित शीर्षको यथा संरचना में मूलभूत बदलाव आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण उदारीकरण का बदलता स्वरूप उदारीकरण का आर्थिक और सामाजिक दर्शन का उल्लेख करना है।)
- 2 आर्थिक उदारीकरण की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के उत्तर में अध्याय में दी गई आर्थिक उदारीकरण की उपलब्धियों को लिखना है।)
- 3 आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए।
(संकेत - अध्याय में दिए गए आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणामों को लिखना है।)

भारतीय अर्थव्यवस्था का भावी परिपेक्ष्य (Futuristic View of Indian Economy)

बीसवीं सदी के लगभग पाच दशक गुजर जाने के बाद राजनीतिक बागडोर भारतीयों के हाथों में आई। आतताइयों न प्राचीनकाल की समृद्धि को तहस-तहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वातंत्र्योत्तर जर्जरित अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान वास्ते नियोजित विकास का मार्ग चुना गया। अप्रैल 1951 से पहली पाच साला योजना की शुरुआत हुई। निरन्तर चार दशक तक सरकारी प्रवृत्तित योजनाएँ आर्थिक विकास पर छाई रहीं। विश्व के विकासशील राष्ट्रों में भारत महत्त्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभरा। कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति नियोजित विकास की महत्त्वपूर्ण देन है। विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति अवश्य ही उल्लेखनीय बात है। इसके अलावा प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रूप में भी छवि उभर कर सामने आई। किन्तु तजी स बढ़ती आबादी ने अर्जित उपलब्धियों को समेट कर रख दिया। देश की जनसंख्या वृद्धि यदि सामान्य रहती तो भारत आज विकास की दृष्टि से अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों में होता।

आजादी के शुरुआती म ही अगीकृत की गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह खूबी रही कि भारत विश्व में होने वाले आर्थिक बदलाव के साथ अर्थव्यवस्था का समायोजित कर लेता है। नियोजित विकास म सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने देश के विकास में सारगर्भित भूमिका निभाई। वर्तमान में समूचा विश्व आर्थिक सक्रमण के दौर म है। भारत म निजी क्षेत्र की भूमिका तेजतर गति से बढ़ रही है। यहाँ वर्ष 1991 स आर्थिक सुधारों को सहजता से लागू किया जा रहा है। इक्कीसवीं सदी क प्रारम्भिक वर्षों म भारतीय अर्थव्यवस्था का परिवेश काफी बदल चुका होगा।

भारत में विकास की अकूत सभावनाएँ भरी पड़ी हैं। वित्तीय ससाधन तथा आधुनिकतम टेक्नालाजी क अभाव क कारण प्राकृतिक ससाधन का भरपूर विदोहन

नहीं किया जा सका है। सरता और कुदरती मेहनती श्रम यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तकनीशियनो का भी यहाँ अभाव नहीं है। ऐसी स्थिति में लाभ बटोरने वारसे अधिकाधिक विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। विश्व का हर एक सक्षम देश भारत के विशाल बाजार के लाभ से विमुख नहीं होना चाहेगा। स्वदेशी उद्यमियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में देश के कुछ ही औद्योगिक घराने सक्षम हैं। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में उपभोक्ताओं को लाभ होना स्वाभाविक है, किन्तु अनेक स्वदेशी उद्योगों के बाजार से बाहर हो जाने का भय व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति से निपटने के लिए विदेशी निवेशकों के साथ सयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना को दल मिल सकता है।

व्यावसायिक ऋणों में बढ़ोतरी

बढ़ रहे वित्तीय घाटे की समस्या पर निजात पाने के लिए वर्ष 1994-95 के बजट में किये गए प्रावधानों के मुताबिक केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक से लगातार दस दिन तक 9,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं ले सकेगी। अन्यथा रिजर्व बैंक ऋण-पत्र जारी कर केन्द्र सरकार से प्रचलित व्यावसायिक ब्याज वसूल करेगा। दूसरे रूप में रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार का बजट घाटा पूरा करने के लिए नोट छापना बंद करेगा। पिछले वर्षों में सरकार की आय की तुलना में खर्चों में कमी नहीं की जा सकी नतीजतन रिजर्व बैंक को केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार घाटे की पूर्ति के लिए नोट छापने पड़े। वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बढ़ता ही चला गया। बढ़ते हुए वित्तीय घाटे ने मुद्रास्फीति की दर को त्वरित गति से बढ़ाया। वित्तीय घाटा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत तक पहुँच गया तथा मुद्रास्फीति भी दहाई अंक को पार कर गई। 1993-94 में वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 7.3 प्रतिशत था जबकि लक्ष्य इसे 4 प्रतिशत तक सीमित करने का था। अब केन्द्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले धन की सीमा तय कर दिये जाने से सरकारी खर्च पर अकुश रखने में मदद मिलेगी और वित्तीय घाटा भी कम हो सकेगा। तीन वर्ष के भीतर अर्थात् 1996-97 तक रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार को ऋण देना और बजट घाटा पूरा करने के लिए अतिरिक्त नोट छापना बंद कर देगा। 1996-97 के बाद केन्द्र सरकार को बजट घाटा पूरा करने और तात्कालिक वित्त आवश्यकता पूरी करने के लिए ब्याज की प्रचलित दरों पर बाजार से व्यावसायिक ऋण लेना पड़ेगा। राज्य सदेव केन्द्र से वित्तीय अनुदान बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। अब केन्द्र के साथ-साथ राज्यों को भी वित्तीय अनुशासन बरतना पड़ेगा।

आर्थिक और सामाजिक सपन्नता

देश और विदेशों में भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में इतना दृढ़ विश्वास पैदा हो गया है कि प्रतिभूति घोटाले के बावजूद वर्ष 1993-94 में देश के उद्योगों में 1.7 अरब डालर की विदेशी और 28,000 करोड़ रुपये की देशी पूँजी लगाई गई। यदि देश की अर्थव्यवस्था में सुधारों की गति इसी प्रकार बनी रही तो धर्म,

जाति भाषा और क्षेत्रीयता जैसे सकीर्ण मतभेदों के स्थान पर व्यक्तिगत और सामाजिक सम्पन्नता देश की एकता की स्थायी कड़ी बन जाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक एवं गतिशील अर्थव्यवस्था में शुरुआत में सामाजिक और राजनीतिक ताप हो सकते हैं लेकिन इसका एकमात्र समाधान आर्थिक विकारों की गति तेज बनाए रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि कुछ अपवादों को छोड़कर देश के आर्थिक ढांचे और प्रणालियों में आमूल-मूल परिवर्तन में वह सामाजिक कठिनाइयाँ और तनाव नहीं आये जो अन्य कई देशों को भुगतने पड़े।

आर्थिक सुधारों के शुरुआती में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि देश विदेशी ऋण के जाल में फँस जाएगा। मगर हकीकत यह है कि वित्तीय ऋण 1993-94 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 40 प्रतिशत था जो वर्ष 1994-95 में घटकर 35 प्रतिशत रह गया है। देश का विदेशी मुद्रा भण्डार लगातार बढ़कर देश के आठ माह के आयात खर्च के बराबर हो गया है।

विकास दर में बढोतरी आवश्यक

अर्थव्यवस्था को 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कम से कम सात के आठ प्रतिशत वार्षिक विकास की दर से बढ़ानी होगी।

मजबूत होती अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों से विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। क्रय शक्ति के आधार पर यदि विनिमय दर की गणना की जाए तो चीन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारत के तेजी से बढ़ते हुए उपभोक्ता बाजार को दृष्टिगत रखते हुए अमरीका भी आर्थिक सबधों में बढ़ोतरी का इच्छुक है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में अगले 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक दर 3.5 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। पिछले 15 वर्षों में यह दर 2.5 प्रतिशत रही है। भारत में पिछले वर्षों में किये गये आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप यह वृद्धि संभव हो सकेगी।

कृषि में वाणिज्यीकरण पर बल

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में बढ़ोतरी की जाए तो आर्थिक विकास की गति भी बढ़ सकती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में कुल 21,450 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया। इसमें सरकारी क्षेत्र का 33.27 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र का 67.73 प्रतिशत योगदान रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष [1992-93] में कृषि में 4,617 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया। प्रभावोत्पादक प्रयासों से कृषिगत उत्पादन को त्वरित गति से बढ़ाया जा सकता है। हुकल प्रस्तावों की स्वीकृति से बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में अतिरिक्त लाभ अर्जित करने वाले भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करना होगा। देश की सर्वाधिक गरीबी गांवों में है। कृषिगत वाणिज्यीकरण देश का कार्याकल्प कर सकता है। कृषि में सरकारी निवेश काफी कम है। कृषिगत अनुसंधान पर सरकार को बल देने की आवश्यकता है। कृषिगत अनुसंधानों से कृषि उत्पादित में ठहराव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उत्पादित और गुणवत्ता में वृद्धि बिना स्वर्णिम अवसरों के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

व्यापक सुधारों की आवश्यकता

भारत को 7 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकास दर प्राप्त करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। भारत रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों और घाटों में चल रहे विद्युत बोर्डों की भारी कीमत चुका रहा है। ऐसे में उसे आर्थिक सुधारों के अधूरे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश की आवश्यकता है। पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था से समरसता के लिए भारत में और सुधार तथा सात प्रतिशत या उससे भी अधिक विकास दर प्राप्त किया जाना आवश्यक है। हाल ही के वर्षों (1995-96) में देश में औद्योगिक और आर्थिक विकास की गति में रिकार्ड वृद्धि हुई है, लेकिन गति तेज करने के लिए सुधार कार्यक्रम जारी रखना तथा विदेशी निवेश प्रोत्साहित करना आवश्यक है। किन्तु ऊर्जा का अभाव, खराबता

सड़के रेल परिवहन तथा बंदरगाहों सहित अद्विक्तित आधारभूत ढाचागत आदि विकास में प्रमुख बाधा हैं। देश में आधारभूत ढाचा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के प्रयास जारी हैं। देश में बिजली दूर संचार सड़को और बंदरगाहों की स्थिति में पर्याप्त सुधार के लिए अगले पाच वर्षों में (1996-2000) कुल 200 अरब डालर के घरेलू और विदेशी निवेश की आवश्यकता है।

विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (अगस्त 1996) के अनुसार विश्व बैंक का आकलन है कि भारत को सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 6 प्रतिशत विकास दर बनाये रखने के लिए वर्ष 1996 में आठ अरब डालर और अगले चार वर्ष तक प्रति वर्ष 13 अरब डालर की आवश्यकता है। भारत का मानना है कि सकल घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत विकास दर को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग दस अरब डालर के विदेशी निवेश की जरूरत है। विश्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सरकार ने खाद्यान्ना और उर्वरकों के लिए सहायता कम नहीं की तो आर्थिक सुधारों के लाभ जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। विश्व बैंक का मत है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनिया को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगारों के अवसरों में कमी करनी चाहिए। बैंक ने सरकार द्वारा बजट घाटा कम कर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.5 प्रतिशत तक किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इससे प्रति वर्ष 7 प्रतिशत विकास दर के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। 1991 के आर्थिक संकट से देश तेजी से उभरा है और देश में 1991 से 1996 तक बीच विकास की गति स्थायीकरण और ढाचागत सुधार कार्यक्रम लागू करने वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक रही है।

विकास की भावी प्राथमिकताएँ

भारत में आठवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1997 में समाप्त हो चुकी है। एक अप्रैल 1997 से नौवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है। भारत इक्कीसवीं सदी में प्रवेश के समय नौवीं योजना ही क्रियान्वयन में रहेगी। दूसरे शब्दा में इक्कीसवीं शताब्दी में भारत का आर्थिक विकास का मार्ग नई योजना प्रशस्त करेगी। भारत के आर्थिक विकास में नियोजित विकास की प्रभावी भूमिका रही किन्तु आज भूमंडलीकरण का युग है। समय के बदलाव के साथ नियोजित विकास की प्राथमिकताओं को बदलना प्रासंगिक हो गया है। प्राथमिकताओं को बदलते वक्त भारत की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नियोजित विकास में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी यह विश्व में तुलनात्मक रूप से काफी कम है। नियोजित विकास में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि इस प्रकार रही— प्रथम योजना 1.7 प्रतिशत, द्वितीय योजना 1.9 प्रतिशत, तृतीय योजना 0.1 प्रतिशत, चतुर्थ योजना 0.9 प्रतिशत, पाचवी योजना 2.6 प्रतिशत, छठी योजना 3.2 प्रतिशत तथा सातवी योजना 3.6 प्रतिशत। भारत में आर्थिक विकास की दर भी अपेक्षाकृत कम है। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति अतिदाय्य वस्तुओं की उपलब्धता कम है। साठे

चार दशक के नियोजन काल में भारी विनियोजन के बावजूद भी गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। नियोजित विकास की भावी व्यूह रचना में साक्षरता, मानव ससाधन, प्राकृतिक ससाधन, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय असंतुलन, आर्थिक विषमता आदि विकास कार्यों पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है। इक्कीसवीं सदी में प्रवेश के समय आधारभूत प्राथमिक आवश्यकताएँ यथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धि, चिकित्सा सुविधाएँ, गावों में सम्पर्क सड़कें, आवास आदि नियोजित विकास की प्राथमिकताएँ हों।

आबादी एक अरब के पार

भारत की आबादी 15 अगस्त, 1999 को एक अरब की सीमा पार कर गई। इस तरह भारत चीन के बाद एक अरब की आबादी पार करने वाला दुनिया का दूसरा देश हो गया। वाशिंगटन स्थित पर्यावरण अनुसंधान संगठन "वर्ल्ड वाच" ने भविष्यवाणी की है कि भारत को अब मुख्य खतरा अन्य देश द्वारा सैनिक आक्रमण से नहीं हो सकता है, लेकिन एक अरब की आबादी से भारत को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा समय में भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत सेना पर खर्च करता है। जबकि स्वास्थ्य पर सिर्फ 0.7 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। स्वास्थ्य में परिवार नियोजन भी शामिल है।

भारत के लिए एक अरब की आबादी पार करना खुशी की बात नहीं है क्योंकि आधी आबादी निरक्षर है। आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और एक-तिहाई लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर कर रहे हैं। एक अरब की सीमा पार करने से पहले ही भारत की आबादी की मांग उसके प्राकृतिक ससाधन आधार से आगे निकल गई है। इस स्थिति में भारत को अपनी प्राथमिकताएँ तेजी से पुनर्निर्धारित करनी पड़ेगी वरना भारत के समक्ष जनसंख्या के दुष्प्रकार में फसने का खतरा पैदा हो जायेगा।

निवेश बढ़ने की संभावना

अमरीका समेत अन्य बड़े औद्योगिक देशों में रह रहे अनिवासी भारतीय (एनआरआई) तथा दूसरे निवेशकों के भारत में पूंजी निवेश बढ़ाने की संभावना है। पूंजी निवेश में वृद्धि भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों की राह में मौजूद बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगा। इन बाधाओं में परियोजनाओं की मजदूरी में विलम्ब तथा लम्बी प्रक्रियाएँ शामिल हैं। अर्थव्यवस्था का लगातार उदारीकरण भी आवश्यक है। जून-जुलाई 1999 के कारगिल संकट से भारत द्वारा भली-भांति निपट जाने से विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास काफी बढ़ा है।

व्याज दरों में कमी की संभावना

द्वितीय विश्लेषकों के अनुसार वर्ष 1999 में मुद्रास्फीति की निम्न दर, डालर के मुकाबले रुपए की स्थिरता और औद्योगिक सुधार के संकेतों को दृष्टिगत

रखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी किये जाने की संभावना है। विश्लेषकों के अनुसार डालर के मुकाबले रुपया करीब-करीब स्थिर बना हुआ है और आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति के नियंत्रित रहने की उम्मीद है। उद्योगों में प्रारंभिक सुधार के लक्षण नजर आने लगे हैं। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती के लिए मजबूत आधार दृष्टिगोचर होता है। अप्रैल-मई 1999-2000 में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 6.3 प्रतिशत रही है और कई क्षेत्रों में सुधार के ठोस प्रमाण हैं। कारगिल संकट के बावजूद देश में विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी है।

गरीबों के घटने की संभावना

योजना आयोग के आकलन के अनुसार नौवीं योजना के अंत तक गरीबी की दर का मौजूदा स्तर 29.18 प्रतिशत से घटकर 17.98 प्रतिशत रह जाएगी। सन् 2001-02 तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर मौजूदा 30.55 प्रतिशत से घटकर 18.61 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25.58 प्रतिशत से घटकर 16.46 प्रतिशत होगी। सन् 2011-12 तक गरीबी की दर 4.37 प्रतिशत पर लाने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के जरिये रोजगार के नये अवसर पैदा किये जाने चाहिए। नौवीं योजना अवधि के दौरान श्रम शक्ति 4.500 लाख हो जाएगी और इस अवधि के दौरान 4.430 लाख कार्य शक्ति का सृजन किया जाएगा। नौवीं योजना अवधि के दौरान श्रम शक्ति की वृद्धि सर्वाधिक होगी और अधिक तेजी की स्थिति में सरचनात्मक कारणों से वृद्धि को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकेगा। योजना बाढ़ की अवधि में पूर्ण रोजगार के प्रयास किये जाने चाहिए। सन् 2007 तक तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य अनौचित्यपूर्ण नहीं होगा। बाढ़ की योजना में आर्थिक वृद्धि 7.4 प्रतिशत वार्षिक होगी। नौवीं योजना अवधि में बेरोजगारी में वृद्धि टालने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए आर्थिक वृद्धि तेज करने की आवश्यकता होगी। जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों को क्षेत्रीय रूप दिया जाना चाहिए। यदि नौवीं योजना में सात प्रतिशत के लक्ष्य के बजाय आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत तक पहुंच जाती है तो योजना अंत तक बेरोजगारी 70 लाख लोगों के बजाय 20 लाख लोगों की संख्या में ही रहेगी। इसके लिए उत्पादन एवं सम्बद्ध सेवा क्षेत्रों को और बढ़ावा देना पड़ेगा। इससे सन् 2007 तक बेरोजगारी नगण्य हो जायेगी।

कृषि अर्थव्यवस्था का भावी परिप्रेक्ष्य

नौवीं योजना में जमीन की कमी भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक घुंतीपूण तथ्य बन जाएगा और जल एवं भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग विकास प्रक्रिया के केन्द्र बिन्दु होंगे। भारत पहली बार पूर्वी एशियाई देशों जैसे जापान का घातक सामना कर रहा है। भारत की जनसंख्या 1991 में 84.6 करोड़ थी तथा जनसंख्या घातक प्रति वर्ग किलोमीटर 274 था। योजना आयोग के आकलन के अनुसार 1996-97 में जनसंख्या 93.8 करोड़ थी। जनसंख्या के 2001-02 में 101.06 करोड़ तथा 2006 में 109.9 करोड़ हो जाने का अनुमान है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1981-91 में 2.14 प्रतिशत रही। योजना

आयोग के आकलन अनुसार भारत में कृषि योग्य भूमि 14 करोड़ 10 लाख हैक्टेयर पर स्थिर बनी हुई है। योजना की प्रारम्भिक अवधि के दौरान कुल बुवाई क्षेत्र में सालाना 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बाद के दशकों में पहले घटकर लगभग 0.6 प्रतिशत तथा फिर 0.3 प्रतिशत रह गई और अब इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। कुल बुआई क्षेत्र 1991-92 में 14 करोड़ हैक्टेयर था जो बढ़कर 1996-97 में केवल 14.1 करोड़ हैक्टेयर होने का अनुमान है तथा इसके 2001-2002 में भी 14.1 करोड़ हैक्टेयर होने का अनुमान है। समग्र बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि का अनुमान है। समग्र बुआई क्षेत्र 1991-92 में 18.2 करोड़ हैक्टेयर था जो बढ़कर 1996-97 में 19.1 करोड़ हैक्टेयर हो गया। इसके 2001-02 में 19.7 करोड़ हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है।

राष्ट्रीय गरीबी अनुपात की प्रलम्बता (प्रतिशत)

क्षेत्र	1996-97	2001-02	2006-07	2011-12
ग्रामीण	30.55	18.61	9.64	4.31
शहरी	25.58	16.46	9.28	4.49
कुल	29.18	17.98	9.53	4.37

स्रोत: दी इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 2 मार्च 1998

भारत की कृषि में कुल बुआई क्षेत्र में स्थिरता और समय बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि की दशा में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि ही एक ऐसा तरीका है जिससे कृषि की उत्पादिता बढ़ाकर बढ़ती आबादी की अतिरिक्त भाग को पूरा किया जा सकता है तथा कृषिगत उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, जिसकी आज महती आवश्यकता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हाल की पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय में सिंचाई पर व्यय में वृद्धि की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय में सिंचाई बाढ़ नियंत्रण पर 32,525.3 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया, जिसे बढ़ाकर नौवीं योजना में 57,735 करोड़ रुपये कर दिया गया जो गत योजना की तुलना में 77.5 प्रतिशत अधिक है। सार्वजनिक उपरिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप समग्र सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई। समग्र सिंचित क्षेत्र 1991-92 में 7.6 करोड़ हैक्टेयर था जो बढ़कर 1996-97 में 8.9 करोड़ हैक्टेयर हो गया, इसके 2001-02 में 10.2 करोड़ हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है। भविष्य में भूमिगत जल भण्डारों के सीमित होने की सम्भावना है। अतः भविष्य में पानी के भण्डारण और विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होगी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके फसल उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। योजना आयोग के आकलन के अनुसार उत्पादन सघनता

1991-92 में 1.30 तथा 1996-97 में 1.35 थी। फसल उत्पादन सघनता कम होने का कारण सिंचित क्षेत्र का अभाव रहा है। भारत में आज भी समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना में समग्र सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कम है। यह 1991-92 में 41.5 प्रतिशत तथा 1996-97 में 46.9 प्रतिशत था। समग्र सिंचित क्षेत्र के 2001-02 में 51.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

योजना आयोग ने कृषि वृद्धि तेज करने के लिए चार सूत्री रणनीति अपनाए का सुझाव दिया है। नौवीं योजना में कृषि वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में साठे तीन से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। नौवीं योजना में कृषि क्षेत्र में निवेश 2,20,260 करोड़ रुपये तक बढ़ाने को कहा गया है जो आठवीं योजना के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है। आठवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में निवेश में काफी कमी हुई।

कृषि क्षेत्र की चुनौतिया

कृषि क्षेत्र की भावी चुनौतिया उतनी ही कड़ी हैं जितनी की बीते काल की थी। कृषि की चुनौतिया का साहस और बुद्धिमता के साथ सामना करना होगा। कृषि की चुनौतियों का सामना करके ही भारत न केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। वलिक विश्व व्यापार संगठन के तहत प्राप्त अवसरों का लाभ उठाकर कृषि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा सकता है। उससे किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र की भावी चुनौतियों में 2011-12 तक वर्तमान (1999) खाद्यान्न उत्पादन 20 करोड़ 30 लाख टन को कम से कम डेढ़ गुणा करना, दुग्ध उत्पादन कम से कम तिगुना करना, कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाना तथा नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधि में दलहन उत्पादन में क्रमश 3.5, 4.9 तथा 5.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि शामिल है।

भारत के सामने एक प्रमुख समस्या भूमि की है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भविष्य में भूमि और घटेगी। ऐसी स्थिति में कृषि योग्य भूमि बढ़ाने का एक मात्र उपाय बजर, लवणीय क्षारीय और जलमग्न भूमि का पुनरुद्धार है। ऐसी भूमि की उर्वरता सामान्य कृषि भूमि से कम होगी। ऐसी स्थिति में कृषि योग्य भूमि की उर्वरता बढ़ाने वारते समुचित प्रौद्योगिकी विकास करना कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। एक अन्य चुनौती समेकित फसल प्रबंधन से सभी फसलों विशेषकर नकदी फसलों की उत्पादन लागत घटाना और उसकी गुणवत्ता बढ़ाना। सभी विश्व व्यापार संगठन के तहत भारत कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा सकेगा। कृषि वैज्ञानिकों को विशेष परिश्रम से फसलों की ऐसी किस्में विकसित की जानी चाहिए जिनके लिए उर्वरकों और कीटनाशकों की कम जरूरत हो तथा जिनसे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचे और प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित व सुरक्षित रहे।

ग्रामीण विकास पर बल की आवश्यकता

देश की कुल आबादी में ग्रामीणों का भाग 74 प्रतिशत है जो छह लाख

से अधिक गावों में जीवन बसर करते हैं। ग्रामीण जनो की माली हालत दयनीय है। गावों के पिछड़ेपन को दूर करने तथा गाँववासियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएँ क्रियान्वयन में हैं। किन्तु ग्रामीण विकास योजनाओं की कारगर क्रियान्विति नहीं होने से ग्रामीण परिवेश की दशा में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा दार्षिक योजनाओं में ग्रामीण विकास पर बल दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर 34,425.4 करोड़ रुपए का सार्वजनिक परिव्यय निर्धारित किया गया जिसे बढ़ाकर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 74,942 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो कि गत पंचवर्षीय योजना से 117.7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1997-98 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार पर 8,356 करोड़ रुपए (सशोधित अनुमान) व्यय किया गया जो 1998-99 के बजट के अनुमानों में 18.6 प्रतिशत बढ़कर 9,912 करोड़ रुपए हो गया।

विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर 1995-96 के सशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय योजना परिव्यय इस प्रकार रहा जवाहर रोजगार योजना 2,955 करोड़ रुपए, रोजगार आश्वासन योजना 1,816 करोड़ रुपए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 656 करोड़ रुपए, इन्दिरा आवास योजना 492 करोड़ रुपए, नेहरु रोजगार योजना 68 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 145 करोड़ रुपए। रोजगार योजनाओं पर परिव्यय वृद्धि से विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भूमिका बढ़ी है। वर्ष 1995-96 के सशोधित अनुमानों में जवाहर रोजगार योजना से 8,958.25 लाख, रोजगार आश्वासन योजना से 3,465.27 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से 20.90 लाख परिवार लाभान्वित (प्राधिजनल) तथा ट्राइसेम से 2.87 लाख युवक प्रशिक्षित किये गए। शहरी क्षेत्रों की प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना नेहरु रोजगार योजना से 1.25 लाख परिवार लाभान्वित, 92.95 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन तथा 67 हजार व्यक्तियों का प्रशिक्षित किया गया।

नियोजन काल के गत पचास वर्षों में देश में गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएँ बनीं। ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भारी भरकम विनियोजन किया गया। किन्तु योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन नहीं हो सका। योजनाएँ कागजों तक ही सिमट कर रह गईं। विकास की योजनाओं से जरूरतमद व्यक्तियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका, परिणामस्वरूप आकड़ों में ही गरीबी कम हो सकी। देश में आज गरीबी का ताण्डव है। गाव और गरीबों की दशा सुधारने के लिए सामाजिक विकास और ग्रामीण अवसरचना पर बल देने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1 कुरुक्षेत्र, अप्रैल, 1997

प्रश्न एवं सकेत

लघु प्रश्न

- 1 कृषि अर्थव्यवस्था के भावी परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए।
- 2 कृषि की चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

नियन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था के भावी परिदृश्य पर प्रकाश डालिए।
(सकेत - अध्याय में दिए गए भारतीय अर्थव्यवस्था के भावी परिदृश्य को लिखना है।)

आर्थिक नियोजन का अर्थ और महत्त्व (Meaning and Importance of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन का संक्षिप्त परिचय

वर्तमान में विश्व के सभी देश परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते प्रयासरत हैं। आज के आर्थिक उदारीकरण के युग में भी आर्थिक नियोजन के महत्त्व को स्वीकार किया जाता है। विश्व के पूंजीवादी अथवा साम्यवादी देशों में आर्थिक नियोजन की चर्चा की जाती है। विकसित और विकासशील देशों में भी आर्थिक नियोजन की उपादेयता रही है। विकासशील देशों में तो आर्थिक नियोजन का विशिष्ट महत्त्व होता है क्योंकि इन देशों में विकासगत जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है। सभी देशों के लिए आर्थिक नियोजन का सारगर्भित महत्त्व है। विश्व के देशों ने आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए आर्थिक नियोजन को आत्मसात किया है। सर्वप्रथम सोवियत रूस ने 1928 में आर्थिक नियोजन को अपनाया। रूस से प्रेरणा लेकर अनेक विकासशील राष्ट्रों ने आर्थिक नियोजन के मार्ग का अनुसरण किया। आर्थिक नियोजन के संघ में प्रो. रॉबिन्स के ये शब्द उपयुक्त हैं "आर्थिक नियोजन हमारे युग की समस्त समस्याओं के निराकरण की एक अछूक समझावण औषधि है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति का एक मात्र साधन आर्थिक नियोजन ही है।" इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों ने आर्थिक नियोजन के महत्त्व को स्वीकारा। विश्व के किसी भी भाग में गरीबी, विश्व शांति और समृद्धि को खतरा है। यही कारण है कि विकसित देश विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने वास्ते प्रयासरत हैं।

आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषा

(Meaning and Definitions of Economic Planning)

विश्व के विभिन्न देशों की भौगोलिक, प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ

पृथक-पृथक हैं जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न दशों की आर्थिक प्राथमिकताएँ भी अलग-अलग हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन में विभिन्न बातों पर अलग-अलग स्तर पर बल दिया गया है। अतः आर्थिक नियोजन में सर्वमान्य धारणा नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा में तकनीक व विनियोग पर बल दिया है तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के कई रूप बन गए हैं। विभिन्न अर्थ विशेषज्ञों द्वारा दी गई आर्थिक नियोजन की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

1. प्रो. गुन्नर मिर्डल के अनुसार आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय प्रशासन की वह महत्त्वपूर्ण व्यूह रचना है जिसके आधार पर सरकार द्वारा बाजार तंत्र की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सामाजिक विकास की प्रक्रिया को ऊँचा उठाने के प्रयास किए जाते हैं।
प्रो. गुन्नर मिर्डल विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक नियोजन में सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं तथा अर्थव्यवस्था सबधी व्यूह रचना में सरकार की सक्रियता पर बल देते हैं।
2. प्रो. एच डी डिकिनसन के अनुसार नियोजन मुख्य आर्थिक निर्णय की क्रिया है जिसमें क्या और कितना उत्पादन करना है कैसे कब और कहा उत्पन्न किया जाना है तथा निर्णायक सत्ता के सजग निर्णय व समस्त अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर उसे किसको आवंटित किया जाता है। इन सब बातों के विषय में सन्निहित अधिकारी द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्यापक परीक्षा के पश्चात् सन्निहित एवं महत्त्वपूर्ण निर्णय करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं।
प्रो. डिकिनसन उत्पादन एवं वितरण पर सुनिश्चित व अधिकृत प्रणाली स्थापित करने को आर्थिक नियोजन समझते हैं।
3. श्रीमती चार चार वूटन के अनुसार विस्ती सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक एवं जाण-बूझकर आर्थिक प्राथमिकताओं के चयन की क्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं।
श्रीमती वूटन आर्थिक नियोजन को एक प्रणाली मानती है जिसके अन्तर्गत अर्थतंत्र के नियंत्रण द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयत्न किये जाते हैं।
4. प्रो. हेयक के अनुसार उत्पादन क्रियाओं में एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा निर्देशन आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्रो. हेयक आर्थिक नियोजन में केवल निर्देशन तत्त्व पर ध्यान देते हैं।
5. डॉ. डास्टन के अनुसार व्यापक अर्थ में आर्थिक नियोजन व्यापक साधनों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा आर्थिक क्रियाओं को चुने हुए लक्ष्य की ओर जानाबूझकर निर्देशित करना है।

- 6 प्रो रोबिन्स के अनुसार एक दृढ़ निश्चय अभिप्राय एव विकल्प लेकर कार्य करना ही नियोजन है उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि आर्थिक नियोजन उत्पादन व विनिमय की निजी क्रियाओं का सामूहिक नियंत्रण या दमन है। रोबिन्स की धारणा है कि जीवन के सामान्य व्यवहार में अनेक विकल्पों को सामने रखकर यदि कोई कार्य सोद्देश्यपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जाता है तो वह नियोजन है। अनेक विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प को चुनकर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी कार्य के करने को रोबिन्स आर्थिक नियोजन कहते हैं।
- 7 श्री एल लोरबिन के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की ऐसी योजना है जिसमें व्यक्तिगत इकाई उपक्रम एव उद्योग को सम्पूर्ण प्रणाली की समन्वित इकाई माना जाता है और जिसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि में समस्त उपलब्धों के प्रयोग द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिकतम सतुष्टि प्राप्त करना होता है।
- 8 पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार नियोजन का अर्थ केवल कार्यसूची बना लेना नहीं है न ही यह राजनैतिक आदर्शवाद है। नियोजन बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण व वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं एव प्राप्त करते हैं। नेहरू जी आर्थिक नियोजन में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल देते हैं।
- 9 भारतीय योजना आयोग ने आर्थिक नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है आर्थिक नियोजन मूल रूप में साधनों के संगठन की एक पणाली है जिसके अंतर्गत सुनिश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साधनों का उपयोग अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है।
- 10 विश्व बैंक के अनुसार 'विकास कार्यक्रम की तकनीक प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उपलब्ध समस्त साधनों की सूची बनाने व तत्पश्चात् उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं को क्रम देने के सार रूप में निहित है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक नियोजन की उत्तम परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है "आर्थिक नियोजन एक सतत और दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत राज्य आर्थिक शक्तियों एव गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि उपलब्ध साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुकूलतम उपयोग हो सके। आर्थिक नियोजन में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र शक्तियों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आर्थिक नियोजन से राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊँचा उठता है। आर्थिक नियोजन के प्रमुख तीन अंग इस प्रकार हैं— 1 विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करना। 2 उपलब्ध साधनों का आवंटन। 3 विकास कार्यों का मूल्यांकन।

आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ (Characteristics of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन की सर्वमान्य धारणा नहीं है। विभिन्न विद्वानों और अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन की अलग-अलग परिभाषाएँ दीं। हर एक विद्वान की परिभाषा में आर्थिक नियोजन की किसी-न-किसी विशेषता का आभास होता है। आर्थिक नियोजन की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं—

1 सतत और दीर्घकालीन प्रक्रिया (Continuing and Long Term Process)

आर्थिक नियोजन निरन्तर चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रिया है। एक बार प्रारम्भ होने के बाद इसका क्रम लगातार चलता रहता है क्योंकि विकास की कोई अन्तिम सीमा नहीं होती है। उत्तरोत्तर विकास के ऊँचे स्तर पर पहुँचने के लिए एक योजना के बाद दूसरी योजना बनाई जाती है। अल्पकालीन योजनाओं को दीर्घकालीन योजनाओं में सम्मिलित किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1951-52 में हुई जो आज तक अनवरत जारी है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी आठवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित हुई तथा वर्तमान में नौवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है।

2 केन्द्रीय सत्ता (Central Power)

अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का संचालन स्वतः बाजार प्रक्रिया द्वारा नहीं होकर सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। केन्द्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था की दिशा का मार्ग निर्धारित किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य भारतीय योजना आयोग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। योजनाओं का निर्माण क्रियान्विति मूल्यांकन आदि कार्य केन्द्रीय नियोजन संस्था द्वारा किया जाता है।

3 उद्देश्यों का निर्धारण (Determination of Objectives)

आर्थिक नियोजन में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्यों को देश की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएँ बनायी जाती हैं। उद्देश्यों का निर्धारण कठिन काम होता है। विकसित देशों में आर्थिक नियोजन स्थायित्व के लिए और विकासशील राष्ट्रों के लिए सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए होता है। भारत में सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अल्प-अल्प प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजी काम और उत्पादन था।

4 प्राथमिकताओं का निर्धारण (Determination of Priorities)

दश के संसाधन सीमित होते हैं। सीमित संसाधनों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास का प्रयास किया जाता है। साधनों की सीमितता के कारण विभिन्न लक्ष्यों में भी प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। इसी कारण बारंबरा बूटन

ने कहा कि आर्थिक नियोजन आर्थिक प्राथमिकताओं के घयन की प्रक्रिया है।

5. विकास की प्रणाली (System for Development)

आर्थिक नियोजन विकास की एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन और वितरण से संबंधित अनेक बातों का निर्णय करती है।

6. व्यापक दृष्टिकोण (Comprehensive Attitude)

आर्थिक नियोजन प्रायः राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है और योजनाएँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती हैं। कभी-कभी कतिपय क्षेत्रों के लिए भी योजनाएँ बनायी जाती हैं। आर्थिक नियोजन से आम आदमी को लाभ पहुँचता है। इसमें केवल वर्तमान को ही नहीं अपितु भविष्य को भी ध्यान में रखा जाना है।

7. साधनों का आवंटन (Allocation of Resources)

आर्थिक नियोजन में प्रायः यह निर्धारित किया जाता है कि सीमित साधनों का क्या उपयोग किया जाना है, उसे किसको आवंटित किया जाना है। सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर ससाधनों का आवंटन और प्रयोग करती है। भारत में नियोजन काल में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिक ससाधन आवंटित किए गए। वर्ष 1951 से लेकर आज तक सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय में भारी वृद्धि हुई।

8. निर्धारित समय (Fixed Time)

आर्थिक नियोजन में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय आवश्यक समझा जाता है। निर्धारित समय में ही लक्ष्यों की प्राप्ति आर्थिक नियोजन की सफलता का द्योतक है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारित उद्देश्य निर्धारित समय में प्राप्त नहीं किये जा सके हैं।

9. नियोजन संगठन (Planning Organisation)

योजनाओं के निर्माण, उनका क्रियान्वयन तथा प्रगति मूल्यांकन के लिए नियोजन संगठन होता है। नियोजन संगठन नियोजन संबंधी समस्त कार्य यथा साधनों का सर्वेक्षण, उद्देश्यों का निर्णयन, प्राप्य और सभावित साधनों के बीच समन्वय आदि कार्य करता है। भारतीय योजना आयोग इस प्रकार के संगठन का अच्छा उदाहरण है।

10 साधनों का ज्ञान (Knowledge of Resources)

आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए साधनों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। साधनों के पूर्ण ज्ञान के पश्चात् ही आर्थिक नियोजन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न साधनों से संबंधित पर्याप्त और व्यवस्थित समक उपलब्ध किये जाने चाहिए। नियोजन की सफलता के लिए मानव ससाधन, प्राकृतिक

ससाधन, बचत, पूजा निर्माण आदि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। भारत में प्राकृतिक ससाधनों के आधार पर बड़े आकार की योजनाएँ बनायी जा सकती हैं।

11. ससाधनों का कुशल उपयोग (Fruitful Use of Resources)

उपलब्ध सीमित ससाधनों का पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि उनका अधिकतम लाभ संभव हो सके। ससाधनों का श्रेष्ठतम ढंग से कुशल उपयोग किया जाता है।

12. राजकीय नियंत्रण (Government Control)

आर्थिक नियोजन में अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियों पर उचित राजकीय नियंत्रण आवश्यक माना जाता है। आर्थिक नियोजन में स्वतंत्र अर्थतंत्र को समाप्त अथवा सीमित कर दिया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। संयुक्त क्षेत्र में सरकार की भागीदारी होती है। निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर राजकीय हस्तक्षेप होता है। आर्थिक नियोजन पर राजकीय हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण का उद्देश्य नियोजन के लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त करने के लिए होता है।

13. सार्वजनिक उपक्रमों का विकास (Development of Public Sector Undertakings)

आर्थिक नियोजन में सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करके औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व प्रायः सरकार पर ही होता है। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। भारत में आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या तथा उनमें विनियोजन में भारी वृद्धि हुई।

14. आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन (Changes in Socio-Economic Structure)

आर्थिक नियोजन से सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदलता है। आर्थिक क्रांति के लिए सामाजिक क्रांति अनिवार्य है। समाजवादी और साम्यवादी देशों में आर्थिक नियोजन से सामाजिक और आर्थिक ढांचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आर्थिक नियोजन से आर्थिक घटक यथा बचत और विनियोग दर, बैंकिंग, बीमा, आर्थिक संगठन, व्यापार आदि में संरचनात्मक बदलाव आता है। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन ला देते हैं। अर्थव्यवस्था का रुढ़िवादी ढांचा धराशायी होकर प्रगतिशील संस्थाओं को जन्म देता है।

15. सामाजिक कल्याण (Social Welfare)

आर्थिक नियोजन का अंतिम उद्देश्य कल्याण को अधिकतम करना होता है। नियोजन में देश के उपलब्ध ससाधनों का समुचित प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा इनकी संरचना में परिवर्तन से अधिकतम

कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है।

16. जन सहयोग (Public Co-operation)

आर्थिक नियोजन की सफलता जन-सहयोग पर निर्भर है। जन-सहयोग के अभाव में योजनाओं की सफलता सदिग्ध ही होती है। जन-सहयोग जन जाग्रति से सम्भव होता है। भारत में योजनाओं के सफल नहीं होने का प्रमुख कारण जन सहयोग का अभाव रहा है। भारत के लोगों की यह धारणा है कि योजनाएँ तो सरकार की हैं, विकास में बाधा है।

17. मूल्यतंत्र पर नियंत्रण (Control Over Prices)

आर्थिक नियोजन में मूल्यतंत्र पर केन्द्रीय नियोजन सत्ता का प्रभावी नियंत्रण रहता है जिससे मूल्यतंत्र प्रायः प्रभावहीन हो जाता है। मूल्यतंत्र जनित आर्थिक अस्थिरता आर्थिक नियोजन के कारण समाप्त हो जाती है। सरकार हस्तक्षेप करके बाजार शक्तियों को वाञ्छित दिशा देती है।

18. प्रगति मूल्यांकन (Progress Evaluation)

आर्थिक नियोजन में प्रगति मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसके लिए योजनाओं के लक्ष्य और प्राप्तियों के अंतर का विश्लेषण किया जाता है। योजनाओं का मूल्यांकन भावी योजना की सफलता का आधार बनता है। योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति वास्ते मध्यावधि मूल्यांकन भी आवश्यक समझा जाता है। मूल्यांकन से बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य की योजनाओं को व्यावहारिक बनाया जा सकता है।

उपर्युक्त विशेषताओं को आर्थिक नियोजन के सामान्य तत्त्व नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। सभी देशों में आर्थिक नियोजन में सभी विशेषताओं का पाया जाना अनिवार्य नहीं होता है। अलग-अलग देशों के आर्थिक नियोजन में अलग-अलग विशेषताएँ विशेष महत्त्व रखती हैं।

आर्थिक नियोजन का महत्त्व अथवा नियोजित
अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क
(Significance and Arguments in Favour
of Planned Economy)

विश्व के प्रायः सभी देशों में आर्थिक नियोजन का न्यूनधिक महत्त्व है। सभी देश आर्थिक नियोजन के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं का समाधान आर्थिक नियोजन से सम्भव है। इसलिए आर्थिक नियोजन को पूँजीवादी तथा समाजवादी सभी देशों ने आत्मसात किया है। किंतु विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में आर्थिक नियोजन का अधिक महत्त्व है। प्रोफेसर रोबिन्स का यह कथन आर्थिक नियोजन की महत्ता को दर्शाता है, "आर्थिक नियोजन हमारे युग की एक अचूक महीषघ्नि है।" (Economic planning is a grand panacea of our age)

विकसित देशों के लिए आर्थिक नियोजन की महत्ता
(Importance of Economic Planning
for Developed Countries)

विकसित देशों की आर्थिक समस्याएँ विकासशील देशों से अलग होती हैं। विकसित देशों में आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने की समस्या मुख्य होती है। इन देशों में अधिक उत्पादन आर्थिक विषमता श्रम समस्या औद्योगिक मदी एकाधिकारी प्रवृत्ति क्षेत्रीय असंतुलन आदि समस्याओं का भय सदैव बना रहता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। विकसित देशों में आर्थिक समस्याओं के समाधान वारंते सरकार हस्तक्षेप करके योजना बनाती है तो उसे पूँजीवादी आर्थिक नियोजन कहा जाता है। समय-समय पर अनेक पूँजीवादी देशों में महत्त्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा वारंते कानून बनाये गये। इसके अलावा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण वारंते प्रयास किए गए। विकसित देशों ने आर्थिक नियोजन की उपादेयता के कारण इसे व्यवहार में भी आत्मसात किया है।

विकासशील देशों के लिए आर्थिक नियोजन की अनिवार्यता
(Unavoidable of Economic Planning for
Developing Countries)

भारत सरीखे विकासशील देशों के लिए आर्थिक नियोजन अपरिहार्य है। स्वतंत्रता के पाँच दशकों में भारत में आर्थिक नियोजन की उपादेयता उत्तरोत्तर बढ़ी। विकासशील देशों की प्रमुख समस्या आर्थिक विकास की गति को तेज करने की होती है। उसके अलावा विकासशील देशों में गरीबी भुखमरी बीमारी बेरोजगारी आर्थिक पिछड़ापन महंगाई वित्तीय संसाधनों का अभाव आदि समस्याएँ सदैव मुह बाएँ खड़ी हैं। इन देशों में रुढ़िवादी सामाजिक यातावरण आर्थिक विकास में अनेक रुकावट पैदा करता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर विकास में बाधा होती है। आर्थिक पिछड़ेपन की दशा में नियोजन ही विकासशील देशों के उत्थान का एकमात्र तरीका है। कम विकसित देश योजनाबद्ध विकास के द्वारा सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर आर्थिक कठिनाइयों पर निजात पा सकते हैं। अतः विकासशील देशों के लिए आर्थिक नियोजन वह प्रकाश रतम है जिसके आलोकित विकास पथ में वे सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।

आर्थिक नियोजन के महत्त्व को निम्नांकित शीर्षकों में विवेचन किया जा सकता है।

1 उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग (Optimum Utilisation of Available Resources) अशोषित और अल्पशोषित प्राकृतिक संसाधनों के कारण दुनिया के अनेक देश आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आर्थिक नियोजन में उपलब्ध संसाधनों में विवेकशीलता लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का समुचित आवंटन किया जाता

है। ससाधनों के समुचित आवंटन से ससाधनों का अपव्यय रुकता है। आर्थिक नियोजन में इस बात की भी चेष्टा की जाती है कि उत्पादित माल का उचित प्रकार से वितरण किया जाए जिससे देश में अमन-धैर्य की स्थिति बनी रहे।

2. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्ति (Freedom from the Evils of Capitalist Economy) - पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक दोष समाहित हैं। व्यवसाय चक्रों का प्रभाव, अधिक उत्पादन, वर्ग संघर्ष, एकाधिकारी प्रवृत्ति आदि बातें प्रायः देखने को मिलती हैं। आर्थिक नियोजन प्रतियोगिता को कम करके अपव्यय को रोकता है। इस दृष्टि से आर्थिक नियोजन के महत्त्व को अनेक पूँजीवादी देशों ने स्वीकार किया है। आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े देशों में पूँजीवाद का अधिक महत्त्व नहीं होता है। मनु भाई शाह ने इस सदर्भ में ठीक ही कहा कि "हमारे गरीब देश में पूँजीवाद निरर्थक, निष्फल तथा उपयोगिताहीन है।"

3. सामाजिक कल्याण (Social Welfare) आर्थिक नियोजन में अधिकतम सामाजिक कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। योजनाओं के लक्ष्य स्वहित प्रेरित नहीं होकर सामाजिक कल्याण की भावना से ओत-प्रोत होते हैं। आर्थिक विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक शोषण और वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने पर जोर दिया जाता है।

4. आर्थिक स्थायित्व (Economic Stability) नियोजन आर्थिक स्थायित्व का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। आर्थिक नियोजन में राजकीय हस्तक्षेप होता है। इस कारण आर्थिक गतिविधियों के संचालन से मांग व पूर्ति में सतुलन बनाये रखना संभव है। नियोजन संगठन द्वारा उत्पादन का समन्वय किए जाने से अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों के कुप्रभावों पर रोक लगती है।

5. सामाजिक समानता (Social Equality) आर्थिक नियोजन में धनिकों और गरीबों के मध्य खाई को पाटने का प्रयास किया जाता है। नियोजन के माध्यम से सुनियोजित प्रयासों द्वारा सामाजिक समानता प्राप्ति की चेष्टा की जाती है। प्रगतिशील करारोपण और सामाजिक व्यय से आर्थिक विषमता में कमी आती है। आर्थिक नियोजन में मूल्य सयंत्र द्वारा निर्णय नहीं लिए जाकर केन्द्रीय सत्ता द्वारा प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं। ससाधनों का वितरण गरीबों के पक्ष में करने पर बल दिया जाता है।

6. सतुलित विकास (Balanced Growth) राष्ट्र विशेष के लिए सतुलित विकास बहुत आवश्यक होता है। क्षेत्रीय असतुलन की स्थिति में जनविरोध का सामना करना पड़ता है। आर्थिक नियोजन से सतुलित विकास संभव होता है। नियोजन संगठन द्वारा समूचे देश के विकास के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं। इसमें सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि सभी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो। औद्योगीकरण को गति देते समय उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। गाँवों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना पर बल

दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सतुलन बनाये रखने के लिए नियोजन आवश्यक है।

7. तीव्र विकास के लिए उपयोगी (Helpful for Rapid Growth) विकासशील देशों के तीव्र विकास के लिए आर्थिक नियोजन का विशेष महत्त्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "हम विकसित राष्ट्रों द्वारा प्राप्त आज की स्थिति तक पहुंचने में एक-एक कदम और धीरे-धीरे चलकर सौ वर्ष नहीं लगाने वाले हैं। हमारी विकास की गति और लय निश्चित रूप से अधिक तेज होनी चाहिए।" आर्थिक नियोजन में उपलब्ध ससाधनों का नियोजित ढंग से प्रयोग करके विकास की गति को तीव्र किया जाता है। नियोजन में अधिक महत्त्व की परियोजनाओं को यथोचित महत्त्व दिया जाता है। देश में आधारिक संरचना यथा-विद्युत, यातायात, सिंचाई, संचार आदि को विशेष रूप से विकसित किया जाता है। इन सुविधाओं के पनपने से विकास की गति को बल मिलता है।

8. पूंजी निर्माण की ऊँची दर (High Rate of Capital Formation) आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की दर का ऊँची होना आवश्यक है। किंतु विकासशील राष्ट्रों में बचत कम होने के कारण पूंजी निर्माण की दर नीची होती है। आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ सरकारी आय के रूप में अर्थव्यवस्था में पुनः विनियोजित होता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण की गति तीव्र होने लगती है। इसके अलावा नियोजन में साधनों के अनुकूलतम उपयोग से उत्पादन व रोजगार में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप बचत और पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है।

9. मानव ससाधनों का समुचित उपयोग (Proper Utilisation of Human Resources) विकासशील देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक होती है। आर्थिक नियोजन में सरकार के द्वारा मानव ससाधनों के विकास का प्रयास किया जाता है। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के प्रयत्न किए जाते हैं। जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि पर बल दिया जाता है। नियोजन में सरकार के द्वारा सामाजिक विकास परिषदों में वृद्धि की जाती है। जिससे लोगों में शैक्षिक विकास होता है। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को बल मिलता है। विकासशील देशों में मानव ससाधनों का विकास योजनाओं के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।

10. खुले नेत्र वाली अर्थव्यवस्था (An Economy with open eyes) नियोजित अर्थव्यवस्था में निर्णय दूरदर्शितापूर्ण होते हैं। केन्द्रीय नियोजन सत्ता भावी परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक निर्णय लेती है। भविष्य में परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से सामंजस्य बटाने का प्रयास किया जाता है। मध्यवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। केन्द्रीय नियोजन सत्ता सदैव अर्थव्यवस्था पर निगाह रखती है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का कारगर प्रयास किया जाता है।

11. सामाजिक लागतों की कमी (Reduction of Social Costs) आर्थिक नियोजन की अनुपस्थिति में अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक बुराइयाँ यथा चक्रीय-बेकारी,

औद्योगिक गद्दी बस्ती, प्रदूषण, दुर्घटनाएँ, अत्यधिक भीड़-भाड़ का लोगों को सामना करना पड़ता है। प्रोफेसर पीगू इन आर्थिक बुराइयों को पूंजीवाद का दिवालियापन कहते हैं। आर्थिक नियोजन द्वारा इन बुराइयों को दूर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और उचित ध्यान देकर सामाजिक लागतों को कम करने का प्रयास किया जाता है।

12 कट्टर प्रतिस्पर्धा का समापन (Abolition of Cut-Throat Competition)
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को कट्टर प्रतिस्पर्धा के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसमें विज्ञापन और विक्रय पर भारी व्यय किया जाता है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बढी हुई कीमतें चुकानी पड़ती हैं। उत्पादक विक्रय वृद्धि के लिए राशिपातन का सहारा लेते हैं। प्रो डर्बिन ने इस सबंध में ठीक ही ही कहा, "कट्टर प्रतिस्पर्धा आर्थिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दिशा में नहीं ले जाती।" नियोजित अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण में सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण कट्टर प्रतिस्पर्धा बहुत सीमित हो जाती है।

13 युद्ध के समय सर्वाधिक कारगर व्यवस्था (Most Efficient System in War) आर्थिक नियोजन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। आज सभी देश सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं ताकि युद्ध के समय शत्रु देश के साथ बखूबी मुकाबला किया जा सके। भारत में सुरक्षा सबंधी उपकरणों का उत्पाद सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी सुरक्षा उत्पाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। भारत को स्वतंत्रता उपरांत पाकिस्तान के साथ तीन बड़े युद्ध और चीन के साथ एक युद्ध तथा जून-जुलाई 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध लड़ने पड़े। ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन भारत के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

14. कृषि विकास (Agricultural Development) विकासशील देशों में कृषि विकास वास्ते आर्थिक नियोजन महत्त्वपूर्ण होता है। विकासशील देशों में जनसंख्या का बड़ा भाग जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर होता है। इसके अलावा रोजगार, निर्यातित आय तथा राष्ट्रीय आय में भी कृषि की कारगर भूमिका होती है। इसके बावजूद इन देशों में कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में होती है। आर्थिक नियोजन से कृषि विकास गति पकड़ता है। केन्द्रीय नियोजन संस्था कृषि विकास के साथ ग्रामीण परिवेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर बल देती है। कृषि विकास के लिए अपरिहार्य सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाता है। सरकार किसानों को आवश्यकतानुसार उर्वरक मुहैया कराती है। गरीबों के हितार्थ उर्वरक सब्सिडी देती है। राजकीय प्रयासों से कृषि क्षेत्र में प्रगति का वातावरण निर्मित होता है।

15 औद्योगिक विकास (Industrial Development) आर्थिक नियोजन औद्योगीकरण में सहायक होता है। सरकार औद्योगिक नीति के द्वारा औद्योगीकरण की दिशा निर्धारित करती है। समय-समय पर औद्योगिक नीति में संशोधन किया जाता है। औद्योगीकरण में स्वयं सरकार कारगर भूमिका निभाती है तथा निजी क्षेत्र

के लिए औद्योगीकरण का अच्छा वातावरण निर्मित करती है। औद्योगीकरण को गति देने के लिए विदेशी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन में सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र विकास हुआ तथा निजी क्षेत्र को भी फलन-फूलने का पर्याप्त अवसर दिया गया। केन्द्र सरकार ने आधारभूत उद्योगों तथा निजी क्षेत्रों में उपभोग उद्योगों में खूब पूंजी निवेश किया। भारत की गिनती आज औद्योगिक विकास की दृष्टि से बड़े देशों में की जाती है।

16. निर्यातों में वृद्धि (Increase in Exports) आर्थिक नियोजन में केन्द्र सरकार निर्यात वृद्धि के प्रयास करती है। अनावश्यक आयातों को हतोत्साहित तथा निर्यातों को प्रोत्साहन द्वारा व्यापार सतुलन किया जाता है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए निर्यात सब्सिडी का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा सरकार स्वयं निर्यात व्यापार में भाग लेती है। उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाता है। उत्पादों को श्रेष्ठ बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है तथा उत्पादों की लागत को नीचे रखा जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में टिकने में मदद मिलती है।

17 गरीबी उन्मूलन में सहायक (Helpful in Poverty Elimination) नियोजन में व्यक्ति को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता है। विकासशील राष्ट्रों में मानव ससाधनों की स्थिति दयनीय होती है। ग्रामीण परिवेश में गरीबी का ताण्डव दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक नियोजन में सरकार गरीबों की सुध लेती है। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है। हर एक वर्ष केन्द्रीय बजट में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए भारी भरकम पूंजी का प्रावधान किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन के कारण बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं।

18 शांति और सुरक्षा (Peace and Security) आर्थिक नियोजन अन्तर्राष्ट्रीय शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व के किसी भी कोने में गरीबी संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। विश्व के देशों का अमीर और गरीब देशों में बटे होने से तनाव की स्थिति का भय बना रहता है। विकासशील राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मर्गों पर एकजुट होने का प्रयास करते हैं जिससे विकसित देशों पर सहायता मुहैया कराने के लिए दबाव डाला जा सके। आर्थिक नियोजन से देश विकासशील स्थिति से उभरकर तीव्र विकास की ओर अग्रसर होते हैं। जिससे विश्व में शांतिमय वातावरण सृजित होता है।

19 आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) आर्थिक नियोजन में सरकार देशवासियों के लिए बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, मृत्यु, दुर्घटना आदि से सुरक्षा की व्यवस्था करती है। सरकार लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने के साथ आर्थिक समानता न्यायोचित वितरण का भी प्रयास करती है।

20. मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन (Changes in Human Angle of Vision) आर्थिक नियोजन से देश पिछड़ेपन की रीमा लाधकर विकास की ओर अग्रसर

होते हैं जिससे देशवासियों के मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। विकास के कारण लोगों को गरीबी से निजात मिलता है। गरीबी से छुटकारा मिलने के कारण लोगों का नैतिक उत्थान होता है। भ्रष्टाचार नियंत्रित होता है।

उपर्युक्त विवरण इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि आर्थिक नियोजन विकासशील देशों में तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक है। नियोजन की मदद से विकासशील देशों में चहुँओर खुशी की लहर दौड़ाई जा सकती है। नियोजित अर्थव्यवस्था की सहायता से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को बड़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। आर्थिक नियोजन की महत्ता के कारण ही अमेरिका ने 'न्यूडील' योजना लागू की।

आर्थिक नियोजन की सीमाएँ अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के विपक्ष में तर्क

(Limitations of Economic Planning or Arguments against Planned Economy)

यद्यपि आर्थिक नियोजन का विकसित और विकासशील देशों में विशेष महत्त्व है फिर भी यह समस्याओं से अछूता नहीं है। आर्थिक नियोजन की समस्याओं के कारण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक नियोजन को दासता का मार्ग कहते हैं। खामियों के कारण देशवासियों को कभी-कभी आर्थिक नियोजन से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। आज आर्थिक नियोजन में अनेक सीमाएँ दृष्टिगोचर होती हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन (Loss of Individual Freedom) — आर्थिक नियोजन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। इसमें समूचे आर्थिक निर्णय सरकार के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं। लोगों की व्यावसायिक स्वतंत्रता और उपभोक्ताओं की प्रमुखता सीमित हो जाती है। योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन सभी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। उत्पादन और उपभोग सबधी निर्णय भी नियोजन अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। प्रोफेसर हेयक ने आर्थिक नियोजन को दासता का मार्ग कहा है। सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय सरकार के द्वारा लिये जाने के कारण त्रुटि रह जाने की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. लाल फीताशाही का डर (Fear of Red-tapism) — नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण सरकारी अधिकारियों के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इससे अधिकारियों, लिपिकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अधिकारीनत्र पनपता है। अनेक बार योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाते नतीजतन अकुशल व्यक्तियों से काम चलाना पड़ता है। निर्णयों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब से लालफीताशाही का बोलबाला बढ़ता है। भारत में आर्थिक नियोजन के सफल नहीं होने में लालफीताशाही

वाधक रही।

3 प्रेरणा का अभाव (Lack of Incentives) — नियोजित अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों में प्रेरणा का नितान्त अभाव पाया जाता है। आर्थिक नियोजन में कर्मचारियों के कार्य की दशाएँ उनकी मजदूरी पदोन्नति आदि बातों किरसी निश्चित योजना के अनुसार पहले ही निर्धारित कर दी जाती है परिणामस्वरूप श्रमिकों में कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अनियोजित अर्थव्यवस्था में निजी लाभ का जादू कर्मचारियों को प्रेरणा देता है। नियोजन में निजी लाभ नहीं होने के कारण अथवा आवश्यक उत्प्रेरणा के अभाव में कार्य की कुशलता में शौ-शौ ह्रास होता है।

4 भ्रष्टाचार और अकुशलता व्याप्त होने का भय (Fear of Spread of Corruption and Inefficiency) — आर्थिक नियोजन में केन्द्रीय नियंत्रण और निर्देशन को बढ़ावा मिलने से अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता कम होती है। नतीजतन अकुशलता और भ्रष्टाचार के बढ़ने का भय रहता है। आर्थिक नियोजन के सबंध में यह बात सही चरितार्थ होती है कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और पूर्णसत्ता उसे पूर्णतः भ्रष्ट बना देती है। नियोजन में सरकार के द्वारा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार पनपता है।

5 तानाशाही प्रवृत्ति का विस्तार (Expansion of Dictatorship Tendency) — आर्थिक नियोजन के कारण कई बार तानाशाही प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक नियोजन में सरकार सर्वोपर्या होती है। सरकार के पास आर्थिक सत्ता के सङ्केन्द्रण के कारण सरकार की तानाशाही का विस्तार होता है। चीन व रुस आदि देशों में राजकीय तानाशाही दृष्टिगोचर होती है।

6 संसाधनों का अविवेकपूर्ण आवंटन (Irrational Allocation of Resources) — आर्थिक नियोजन में निर्णय पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नियोजन अधिकारियों द्वारा लिये जाते हैं। किंतु अनेक बार निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। जहाँ की राजनीति प्रभावी है वहाँ औद्योगिकरण में दक्ष नहीं लगता। प्रभावशाली राजनीतिज्ञ अपने चुनाव क्षेत्रों में अनुकूल दशाएँ नहीं होने के बावजूद उद्योगों की स्थापना करवाने में सफल हो जाते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति के कारण आर्थिक नियोजन में संसाधनों के अविवेकपूर्ण आवंटन का खतरा बना रहता है।

7 अस्त-व्यस्त अर्थव्यवस्था (Muddled Economy) — कुछ लोगों की मान्यता है कि मूल्य-तंत्र के अभाव में नियोजित अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है क्योंकि इसमें कृत्रिम मूल्य प्रणाली प्रभावी हो जाती है जिससे उत्पादन व वितरण सबंधी निर्णय अविवेकपूर्ण होते हैं। अनेक गड़बड़ियों के पापने से अर्थव्यवस्था दलदल की ओर बढ़ जाती है।

8 संक्रमण काल में अप्रभावी — संक्रमण काल में नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रभाव कम हो जाता है। नियोजन से जग आकाशाएँ अधिक होती हैं किन्तु संक्रमण

काल में योजनाओं के लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था 1990-91 और 1991-92 में आर्थिक संकट में थी। विदेशी विनिमय भण्डार के रसातल तक पहुँच जाने के कारण भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी।

9. राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) - आर्थिक नियोजन में राजनीति अर्थनीति को प्रभावित करती है। राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन के बाद आर्थिक नीतियों में बदलाव आता है। भारत में आर्थिक नियोजन की गति पकड़ने का एक प्रमुख कारण कांग्रेस के लम्बे समय तक सत्तारूढ़ होना था। वर्ष 1995-96 के बाद कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद आर्थिक सुधारों की गति मंद पड़ी। नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। केन्द्र में बार-बार सरकारें बदलीं। सरकारों के बदलने से योजनाओं की प्राथमिकताएँ बदलीं। गौरतलब है भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय पर कार्यान्वित नहीं हो सकी। इसके आरम्भिक दो वर्ष बिना योजना क्रियान्वयन के बीत गए। प्रो. जैक्स ने ठीक ही कहा कि "राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाएँ नहीं पनप सकतीं।"

10. नियोजन की सफलता सदिग्ध - आर्थिक नियोजन में कई बार नवीन विधियों एवं प्रणालियों को लागू करने में सरकार को भारी मात्रा में धन विनियोग करना पड़ता है। अनेक बार इसमें भी अपव्यय की आशंका रहती है। इसके फलस्वरूप आर्थिक नियोजन के प्रति जनता का विश्वास कम हो जाता है जिससे नियोजन की सफलता सदिग्ध हो जाती है। नियोजन के सुचारु रूप से नहीं चलने पर मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय संकट, कम उत्पादकता आदि समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

आर्थिक नियोजन की उपादेयता और खामियों पर दृष्टिपात करने के बाद यह सहज रूप से कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन विकासशील देशों के पिछड़ेपन पर प्रहार करने का सशक्त माध्यम है। आर्थिक नियोजन को आत्मसात करके विकासशील देश राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन के जा दोष हैं उन्हें प्रभावोत्पादक प्रयासों से दूर किया जा सकता है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। आर्थिक नियोजन की उपादेयता के कारण ही पूँजीवादी देश नियोजन द्वारा आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत हैं।

आर्थिक नियोजन की पूर्व अपेक्षाएँ अथवा आर्थिक नियोजन की सफलता की आवश्यक शर्तें

(Pre requisites of Economic Planning or Essential Conditions for Success of Economic Planning)

अर्थव्यवस्था का विकास आर्थिक नियोजन से प्रभावित होता है। आर्थिक

नियोजन की सफलता से राष्ट्र का तीव्र आर्थिक विकास होता है जबकि विफलता से गरीबी बेरोजगारी पिछड़ापन आदि समस्याएँ उभरकर सामने आती हैं। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सुदृढ़ नियोजन संगठन के साथ कुशल प्रशासन का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा नियोजन की सफलता में योगदान करने वाले सामाजिक और आर्थिक तत्त्व भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान होने चाहिए। आर्थिक नियोजन की पूर्वापेक्षाओं को सरल शब्दों में आर्थिक नियोजन की आवश्यक शर्तें भी कहा जाता है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए निम्नांकित पूर्वापेक्षाओं का होना आवश्यक है—

1 राजनीतिक स्थायित्व (Political Stability) — आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व की महती आवश्यकता होती है। स्थिर सरकार योजनाओं के लक्ष्यों को आसानी से पूर्ण कर सकती है। सरकारों के बार-बार बदलने से योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य भी परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जिससे पूर्ववर्ती सरकारों के निर्धारित लक्ष्य अपूर्ण रह जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता से योजनाओं का निर्माण रुक जाता है। गौरतलब है कि राजनीतिक बदलाव के कारण भारत में छठी पंचवर्षीय योजना दो बार बनी। पहली बार बनी योजना की समयावधि 1978-83 तथा दूसरी बार बनी योजना की समयावधि 1980-85 थी। इसी प्रकार नौवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण में विलम्ब हुआ। राजनीतिक परिवर्तन के कारण कई बार दूसरे देशों से सवधों में अनिश्चितता आ जाती है। इसका भी आर्थिक नियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व की अत्यन्त आवश्यकता होती है।

2 उपयुक्त नियोजन संगठन (Appropriate Planning Organisation) — योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन पैचीदगीपूर्ण कार्य है। योजनाओं की निर्माण प्रक्रिया अनेक चरणों से गुजरती है। योजनाओं के क्रियान्वयन के समय उसकी प्रगति पर भी ध्यान रखना पड़ता है। योजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन भी किया जाता है। इन सब कार्यों के लिए उपयुक्त नियोजन संगठन की आवश्यकता होती है। नियोजन संगठन के उपयुक्त होने पर आर्थिक नियोजन सबकी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। इसके अभाव में नियोजन कार्य अवरुद्ध हो जाता है।

3 कुशल प्रशासन (Efficient Administration) — प्राफ़सर लुईस आर्थिक नियोजन की सफलता की पहली शर्त सुदृढ़ योग्य और ईमानदार प्रशासन को मानते हैं। कुशल प्रशासन के अभाव में अच्छी से अच्छी योजनाओं की सफलता भी संदिग्ध रहती है। अर्द्धविकसित देशों में अकुशल प्रशासन आर्थिक नियोजन की सफलता में बाधक होता है। अतः कुशल प्रशासन सफल आर्थिक नियोजन के लिए अपरिहार्य आवश्यकता होती है।

4 सुनिश्चित प्राथमिकताएँ और लक्ष्य (Well Defined Priorities and Targets) — आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है कि योजनाओं की प्राथमिकताएँ और लक्ष्य यथार्थवादी हों। आर्थिक प्राथमिकताएँ व्यापक सामाजिक

और आर्थिक हितों से संबंधित होनी चाहिए। साथ ही व्यावहारिक और कार्यान्वित करने लायक भी होनी चाहिए। योजनाओं के लक्ष्य इतने महत्त्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए कि वे प्राप्त ही नहीं किए जा सकें। इसके विपरीत इतने नीचे भी नहीं होने चाहिए कि विकास की गति ही मंद पड़ जाए।

5. पर्याप्त वित्तीय संसाधन (Adequate Finance Resources) – नियोजन की सफलता के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर आत्मसात किये गये आर्थिक नियोजन के लिए अधिक धित की आवश्यकता होती है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में अच्छी योजनाएँ भी असफल हो जाती हैं। वित्तीय संसाधनों को अधिकाधिक गतिशील बनाकर आर्थिक नियोजन को सफल बनाया जा सकता है। आज अनेक देश विकास वास्ते विदेशी पूँजी पर निर्भर हैं। किन्तु विदेशी पूँजी के अनेक खतरे हैं। अतः आर्थिक नियोजन में यथासंभव आंतरिक संसाधनों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ पूँजी विनियोग के लिए हीनार्थ प्रबंधन (Deficit Financing) का उचित सीमा तक ही प्रयोग करना चाहिए। अनुत्पादक और अनावश्यक खर्च नियंत्रित होने चाहिए।

6. सांख्यिकी आँकड़ों और सूचनाओं की उपलब्धता (Availability of Statistics Data and Information) – सांख्यिकी आँकड़ों और सूचनाओं के बिना आर्थिक नियोजन असंभव है। नियोजित अर्थव्यवस्था में विकास सदा ही विभिन्न कार्यक्रम समकों के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण में भी समकों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक की योजनाओं की प्रगति के मूल्यांकन के लिए भी समक आवश्यक माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था में समकों की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए समक सही और पर्याप्त होने के साथ-साथ ठीक समय पर उपलब्ध होने चाहिए। समकों के सही प्रस्तुतीकरण के लिए देश में कुशल सांख्यिकीय संगठन होना चाहिए। पिछड़े और विकासशील देशों में विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव नियोजन की सफलता में बाधक होता है।

7. शैक्षिक विकास (Educational Development) – शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। विकासशील देशों में अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शिक्षा के विकास में समाहित है। कुशल प्रशासन के लिए दृढ़ शैक्षिक आधार आवश्यक है। शिक्षा नियोजन की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण पूर्वपेक्षा मानी जाती है। सफल नियोजन ज्ञान और ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अतः नियोजन की सफलता के लिए सशक्त शैक्षिक आधार होना चाहिए।

8. जन सहयोग (Public Co-operation) – आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए जन सहयोग अपरिहार्य है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता है। इसके लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। आर्थिक नियोजन दलीय राजनीति के ऊपर होना चाहिए। उरों सभी दलों का समर्थन मिलना चाहिए। जन उत्साह के सदर्थ में प्रो. लुईस ने कहा, "जन सहयोग नियोजन के लिए लुब्रिकेटिंग तेल तथा आर्थिक विकास का पेट्रोल दोनों हैं—यह

एक ऐसी प्रावैगिक शक्ति है जो प्रायः सत्र बीजा को समभव बनाती है। अतः नियोजन के प्रति जन साधारण में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।

9 विपक्षी राजनीतिक दलों का सहयोग (Co operation by all Opposition Political Parties) – नियोजित अर्थव्यवस्था में योजनाओं के लक्ष्य प्राथमिकताएँ नीतियाँ वित्तीय आवंटन आदि के प्रति विपक्षी राजनीतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक हो सकारात्मक आलोचना हो। सरकार की अच्छी नीतियों की सराहना की जानी चाहिए। भारत में प्रायः विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी की आर्थिक नीतियों की आलोचना की जाती है। अनावश्यक आलोचनाओं से आर्थिक नियोजन के प्रति आम लोगों में गलत सूचना पहुँचती है।

10 अर्थव्यवस्था में सतुलन (Balance in Economy) – आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सतुलन की आवश्यकता होती है। विभिन्न विकास सूचकों यथा कृषि उद्योग व्यापार आधारभूत संरचना विदेशी विनिमय कोष मुद्रास्फीति आदि में सतुलन रहना चाहिए। सतुलनों को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

11 निजी क्षेत्र की भूमिका (Role of Private Sector) – आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए निजी क्षेत्र भी कारगर भूमिका निभाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता में निजी क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निजी क्षेत्र द्वारा अपेक्षित योगदान मिल जाने से सरकार पर विकास का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। सरकार आधारभूत उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकती है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान देने का अवसर देना चाहिए। नियोजन में कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसी नीतियाँ आत्मसात की जाएँ जिनसे निजी क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा से बच सकें। निजी क्षेत्र को भी विकास के लिए सरकार की और ताकत देनी चाहिए। निजी क्षेत्र को उत्पादन वृद्धि और निर्यात के क्षेत्र में बढ़कर भूमिका निभानी चाहिए।

12 उपयुक्त मूल्य नीति (Appropriate Price Policy) – महंगाई के तेजी से बढ़ने से आर्थिक नियोजन की सफलता खतरे में पड़ जाती है। अतः वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य में स्थायित्व के प्रयास किये जाने चाहिए। उपयुक्त मूल्य नीति द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आवश्यक है। ताकि योजनाओं के कार्यक्रम निर्विघ्न सम्पन्न हो सकें। बढ़ती महंगाई से सर्वाधिक गरीब प्रभावित होता है। भारत में गरीबों की बहुतायत है। ऐसी स्थिति में बढ़ती महंगाई से लोगों का नियोजन से विश्वास डगमगाने लगता है।

13 उच्च राष्ट्रीय चरित्र और त्याग (High National Character and Sacrifices) – आर्थिक नियोजन की सफलता राजनीय प्रयासों के साथ देशवासियों के सक्रिय सहयोग पर भी बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। नियोजन की सफलता के लिए लोगो का परिश्रमी ईमानदार कार्यवाहक राष्ट्रभक्ति त्याग की भावना

आदि का होना आवश्यक है। जापान उच्च राष्ट्रीय चरित्र के कारण आर्थिक जगत में सिरमौर बना हुआ है। भारत में आर्थिक नियोजन के अपेक्षित सफल नहीं होने का कारण राष्ट्रीय चरित्र का अभाव रहा है। आर्थिक नियोजन में भारत के लोग सामान्यतया यह मानकर चलते हैं। कि देश के विकास का उत्तरदायित्व केवल सरकार का है। ऐसी प्रवृत्ति के कारण भारत विकास की दौड़ में पिछड़ा रह गया।

आर्थिक नियोजन की उपर्युक्त पूर्वापेक्षाओं के अलावा अनेक तत्त्व और भी ऐसे हैं जिन पर आर्थिक नियोजन की सफलता निर्भर करती है। इनमें अनुकूल प्राकृतिक दशाएँ, आंतरिक शांति व सुरक्षा, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय आय का यथोचित वितरण, उपयुक्त आर्थिक नियंत्रण, पड़ोसी राष्ट्रों से सबध आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अनेक मामलों में भारत की स्थिति कमजोर है। भारत में कई बार साम्प्रदायिक दंगों से विकास की गति प्रभावित हुई। विदेशी पर्यटकों और निवेशकों के भारत की ओर बढ़ते कदम थमे। कुछ पड़ोसियों के भी भारत के प्रति इरादे अच्छे नहीं हैं। जून-जुलाई 1999 में कारगिल में भारत को पाक घुसपैटियों को खदेड़ने के लिए सीमित युद्ध लड़ना पड़ा। इसके अलावा भारत में आर्थिक विषमता भी बढ़ी। अनेक धनिकों की सम्पदा रातोंरात बड़ जाती है। उधर गरीब बेहाल स्थिति में है। भारत आर्थिक नियोजन के द्वारा ढेरों आर्थिक समस्याओं से नहीं निपट पाने के कारण 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण की ओर मुखातिब हुआ।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषा बताइए।
- 2 आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
- 3 आर्थिक नियोजन की सफलता की आवश्यक शर्त बताइए।
- 4 आर्थिक नियोजन के महत्त्व को संक्षेप में समझाइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आधुनिक युग में इसके महत्त्व को समझाइए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषा देनी है तथा द्वितीय भाग में आर्थिक नियोजन के महत्त्व को लिखना है।)
- 2 नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग अध्याय में दिए गए नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क तदुपरांत विपक्ष में तर्कों को लिखना है।)
- 3 आर्थिक नियोजन से क्या आशय है? एक अल्प विकसित राष्ट्र के विशेष सदर्थ में आर्थिक नियोजन के महत्त्व को समझाइए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में आर्थिक नियोजन का अर्थ और विशेषताएँ लिखिए तथा प्रश्न के द्वितीय भाग में अध्याय में दिए गए आर्थिक नियोजन के महत्त्व को लिखना है।)

- 4 आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? एक नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार उत्तम है।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में आर्थिक नियोजन का अर्थ और विशेषताएँ लिखिए। प्रश्न के द्वितीय भाग में अनियोजित अर्थव्यवस्था के महत्त्व को लिखना है।)

भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियाँ

(Objectives and Achievements of Economic Planning)


आर्थिक नियोजन के उद्देश्य (Objectives of Economic Planning)

भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। सामाजिक विकास की दृष्टि से भी देश की स्थिति दयनीय है। नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में भारत राजनीतिक अस्थिरता की समस्या से भी ग्रसित रहा है। देश की सीमा पर सकट मुहबाए खड़ा है। जून-जुलाई 1999 में भारत को घुसपैठियों को खदडने के लिए कारगिल में पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध लड़ना पड़ा। भारत ने विशाल जनसमुदाय का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊचा उठाने के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग आत्मसात किया। देशवासियों को अभावों से मुक्त कर यथोचित प्रतिष्ठा प्रदान करना ही आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के सबंध में इलियट ने कहा है कि, "नियोजन की क्रिया सोद्देश्य क्रिया है, बिना उद्देश्यों के नियोजन के विषय में सोचना संभव नहीं है।" नियोजन के उद्देश्य समय के बदलाव के साथ परिवर्तित होते हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकते हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—

(अ) आर्थिक उद्देश्य (Economic Objectives)

भारत में ढेरों आर्थिक समस्याएँ हैं जिनमें आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता आदि मुख्य हैं। ये समस्याएँ आर्थिक कारणों से पनपीं। नियोजन का मूल उद्देश्य आर्थिक होता है। नियोजन से आर्थिक समस्याओं को दूर कर लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मुहैया कराया जा सकता है। नियोजन के प्रमुख आर्थिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य



1. उत्पादन वृद्धि (Increase in Production) – आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन वृद्धि होता है। नियोजन में उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके कम से कम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि पर बल दिया जाता है। कृषि और औद्योगीकरण के विशेष प्रयास किए जाते हैं। उत्पादन वृद्धि से लोगों को आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में मुहैया होती हैं। इससे साधारण जनता को आर्थिक नियोजन के महत्त्व का आभास होता है। अधिकतम उत्पादन से सामाजिक समृद्धि होती है।

2. आधारभूत संरचना का विकास (Development of Infrastructure) – आधारभूत संरचना के अभाव में आर्थिक विकास संभव नहीं है। विकास के लिए आज आधारभूत संरचना का विकास अनिवार्य शर्त है। विकासशील देशों में आधारभूत संरचना के अभाव में विकास गति नहीं पकड़ सका। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य आधारभूत संरचना का विकास करना होता है। नियोजन में सड़कें, रेल्वे, जलापूर्ति, विद्युत के विकास का लक्ष्य रखा जाता है ताकि विकास की क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो।

3. रोजगार सृजन (Employment Creation) – आर्थिक नियोजन का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करना होता है। नियोजन में उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रोजगार वृद्धि से जुड़ा होता है। नए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से रोजगार सृजन होता है। भारत में लोगों को अधिकाधिक रोजगार मुहैया कराने वाले लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया। गुन्नार मिर्डल ने कहा कि, "नियोजन में विकास का लक्ष्य उस श्रम शक्ति का उपयोग होना चाहिए जिसका इस समय बहुत कम उपयोग हो रहा है।" रूस ने नियोजन को आत्मसात कर प्रथम योजना में ही बेरोजगारी पर काबू पा लिया। अमरीका ने बेरोजगारी दूर करने के लिए 'न्यूडील' योजना क्रियान्वित की। भारत में श्रम शक्ति वृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। भविष्य में श्रम शक्ति की वृद्धि को कम करने के लिए जनसंख्या को सीमित करने की आवश्यकता है।

4. आर्थिक विषमता में कमी (Decrease in Economic Disparities) – आर्थिक नियोजन के माध्यम से रोजगार वृद्धि के इस प्रकार प्रयास किए जाते हैं कि गरीब व्यक्तियों की आय में अधिक वृद्धि हो। इससे धनिकों और गरीबों के बीच असमानता कम होती है। विकासशील देशों में आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण करना होता है। इससे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता दूर होती है। भारत में आर्थिक विषमता को कम करने वाले 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया। आर्थिक नियोजन में नियोजक इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि आय का अधिक भाग गरीब लोगों को प्राप्त हो। नियोजकों के प्रयासों के बावजूद यह आवश्यक नहीं कि आय का वितरण न्यायपूर्ण हो। आय का वितरण समान नहीं

होने से समाज में असतोष पनपता है। अतः नियोजन का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक असमानता को कम करना है।

5 सतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Growth) – आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह होता है कि आर्थिक परियोजनाएँ इस प्रकार बनाई जाएँ कि पिछड़े क्षेत्रों का अधिक विकास हो। विकासशील देशों में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या मुखर रहती है। इसका कारण वित्तीय ससाधना का अभाव तथा आर्थिक निर्णयों का राजनीति प्रेरित होना है। आर्थिक नियोजन में सभी क्षेत्रों के सतुलित विकास से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। भारत में नियोजित विकास के दौरान राजस्थान के मरुस्थल में सिंचाई विकास तथा पेयजल मुहैया कराने को प्राथमिकता दी गई। होजपेट सलेम तथा मथुरा में आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार के निर्णयों से क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिली।

6 प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन (Exploitation of Natural Resources) – आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उपलब्ध सीमित ससाधना का श्रेष्ठतम उपयोग करना होता है। विकासशील देशों में प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता होती है किंतु वित्तीय ससाधनों के अभाव में इनका समुचित विदोहन नहीं हो पाता है। इस कारण ये देश पिछड़े रह जाते हैं। विकासशील देशों में प्रभावी लोग ससाधनों का बड़ा भाग अपने लाभ के लिए काम में ले लेते हैं। आर्थिक नियोजन में उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों तथा भूमि व जल खनिज का अधिकाधिक लोगों के हित में उपयोग का प्रयत्न किया जाता है। प्राकृतिक ससाधनों के विवेकपूर्ण विदोहन से तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

7 आर्थिक स्थायित्व (Economic Stability) – दुनिया के अनेक देश बढ़ती मुद्रास्फीति की समस्या से ग्रसित हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बढ़ती महगाई की समस्या मुखर है। विकासशील देश कर और ऋणों द्वारा ससाधन जुटा नहीं पाते हैं; ये देश विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेते हैं। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति बढ़ी। के.एन. भट्टाचार्य के अनुसार घाटे की वित्त व्यवस्था की तुलना अग्नि से की जा सकती है अगर इसका नियमन नहीं किया जाए तो यह भारी बर्बादी उत्पन्न कर सकती है परन्तु यह नियमन के साथ प्रकाश तथा गर्मी प्रदान करती है। घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा औषधि की भाँति थोड़ी मात्रा में ही लिया जाना चाहिए। मुद्रास्फीति से अच्छी से अच्छी योजना के सफल होने की संभावना घूमिल हो जाती है कि आर्थिक नियोजन में उत्पादन वितरण तथा मांग का इस प्रकार समन्वय किया जाता है कि आर्थिक स्थायित्व बना रह सके। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आर्थिक स्थायित्व का उद्देश्य आत्मसात करना वाञ्छनीय होता है।

8 कृषि विकास (Agriculture Growth) – भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। बहुसंख्यक जनसंख्या जीवन वसर के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किंतु किसानों की माली हालत दयनीय है। भारत में नियोजन का एक उद्देश्य कृषि का विकास करना है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को प्रमुखता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान थी। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को कमोबेश बल दिया गया। कृषि क्षेत्र के सार्वजनिक परिव्यय में वृद्धि की गई। कृषि विकास से खाद्यान्न आपूर्ति में सुगम होती ही है। इसके साथ औद्योगीकरण को भी बल मिलता है। कृषि के विकास से गादों में खुशहाली की लहर दौड़ती है।

9. औद्योगिक विकास (Industrial Growth) — आज यह बात सिद्ध हो चुकी है कि औद्योगिक विकास बिना गरीबी निवारण संभव नहीं है। विकासशील देश औद्योगीकरण की दृष्टि से काफी पिछड़े हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य औद्योगिक विकास की गति को तेज करना होता है। दुनिया के अनेक देशों ने औद्योगीकरण के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया है। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग-प्रधान थी। औद्योगिक विकास आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। प. नेहरू ने इस संबंध में कहा, "भारत में नियोजन की नीति औद्योगीकरण की है।" आज जापान आर्थिक जगत का सिरमौर है। जापान ने औद्योगिक विकास से प्रमुख समस्याओं को हल किया। जापान का औद्योगीकरण विकासशील देशों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नियोजन के माध्यम से औद्योगिक विकास को तेज करने का प्रयास किया जाता है।

10. आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त करना (Abolition of Centralisation of Economic Power) — नियोजन का उद्देश्य आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त करना होता है। नियोजन में सत्ता का सकेन्द्रण समाप्त कर उसे अधिक से अधिक व्यक्तियों में बांटने का प्रयास किया जाता है। प्रगतिशील कर प्रणाली में धनिकों पर अधिक कर लगाया जाता है। कर से प्राप्त राशि को गरीबों के हितार्थ प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार कर रखा है। उनका यह अधिकार बेसहारा व्यक्तियों को बांटने का प्रयास किया जाता है।

11. आत्मनिर्भरता (Self-sufficiency) — विश्व के प्रायः सभी देश आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत हैं। किंतु विकासशील देश आर्थिक विकास वास्ते विकसित देशों की सहायता पर निर्भर हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अन्ततः आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होता है। भारत आर्थिक नियोजन के मार्ग द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता प्राप्ति नियोजन का प्रमुख लक्ष्य है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्राकृतिक ससाधनों के विवेकपूर्ण विदोहन और मानव ससाधन विकास की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता से आवश्यकताओं के लिए अन्य देशों पर आश्रितता कम हो जाती है। भारत के विकसित नहीं हो जाने तक विकसित देशों पर निर्भरता बनी रहेगी।

12 राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in National Income and Per Capita Income) - राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास के सूचक है। बढ़ती राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास को दर्शाती है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। किंतु जापान के कारण प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक नियोजन वा उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करना होता है। प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ता है तथा सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का 5 प्रतिशत लक्ष्य था।

13 युद्ध के बाद पुनर्निर्माण (Reconstruction After War) - युद्ध से सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि होती है। बहुमूल्य ससाधनों को युद्ध की ओर मोड़ना होता है। किसी देश में युद्ध के लम्बा खींचने से अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो जाती है। देश में आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो जाता है। कुछ स्वार्थी तत्त्व वस्तुओं की कालाबाजारी में सलग्न हो जाते हैं। नियोजन युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में सहायक होता है। आर्थिक नियोजन के माध्यम से स्वयं सरकार विकास में भूमिका निभाती है। जापान की पुर्ननिर्माण योजना यूरोप में मार्शल योजना युद्धोपरान्त पुर्ननिर्माण के उदाहरण हैं। भारत को स्वतंत्रता के पांच दशकों में चार बड़े युद्ध और वारगिल में सीमित युद्ध लड़ना पड़ा। इन युद्धों का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत को 1962 में चीन से तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा। एक ही पंचवर्षीय योजना में दो युद्धों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69) बानी पड़ी। नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सफल मिला।

14 तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth) - आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश का तीव्र विकास करना होता है। नियोजन में उपलब्ध ससाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। आंतरिक ससाधनों के अभाव में विकास की गति बढ़ाने में विदेशी सहायता प्राप्त की जाती है। कृषि विकास तथा औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। तीव्र विकास के संघर्ष में गुनार मिडल ने कहा 'अनेक कम विकसित देश आज राष्ट्रीय नियोजन के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का संचालन करने और विकास की गति को तेज करने के लिए बचावबद्ध हैं।'

15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास (Development of Public Sector Undertakings) - विकासशील देशों में निजी क्षेत्र आधारभूत उद्योगों और जोड़िम भरे क्षेत्रों में पूंजी निवेश नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में सरकार पर विकास का बड़ा दायित्व आ जाता है। आर्थिक नियोजन में औद्योगीकरण की

गति को तेज करने के लिए सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने औद्योगिक विकास में कारगर भूमिका निभाई। यद्यपि ये उपक्रम विनियोजित पूँजी पर अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं कर सके। ऐसा सार्वजनिक उपक्रमों के सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के कारण हुआ। भारत के सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार के खर्चों रूपए विनियोजित हैं। लाखों की तादाद में देशवासियों को रोजगार मिला हुआ है।

(ब) सामाजिक उद्देश्य (Social Objectives)

विकासशील देशों की स्थिति सामाजिक विकास की दृष्टि से दयनीय होती है। समाज निरक्षरता के अंधकार के कारण रुढ़िवादिता और अधविश्वासों में डूबा होता है। आर्थिक असमानता के कारण गरीबों का शोषण होता है। आर्थिक नियोजन द्वारा सामाजिक विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता (Availability of Social Services) - आर्थिक विकास के लिए देशवासियों का शिक्षित, प्रबुद्ध और स्वस्थ होना जरूरी है। अच्छे शैक्षिक वातावरण के बिना नियोजन की सफलता संदिग्ध है। आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य लोगों की शिक्षा और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना होता है। जापान सामाजिक सेवा की दृष्टि से विकसित देश है। भारत में पन्द्रहवीं योजनाओं में सामाजिक विकास पर बल दिया जिससे साक्षरता के स्तर में वृद्धि हुई है, किंतु भारत की स्थिति आज भी सामाजिक विकास के क्षेत्र में विश्व के देशों की तुलना में कमजोर है।

2. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) - आर्थिक नियोजन द्वारा देशवासियों के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुविधाएँ मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। समाज के व्यक्तियों को गरीबी, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। समाज के वृद्धों, विधवाओं, अपंगों तथा असहाय व्यक्तियों को पेंशन या भासिक वृत्ति की व्यवस्था की जाती है। विश्व के कई देशों में व्यक्तियों को सामाजिक बीमा योजनाएँ लागू कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

3. सामाजिक सहायता (Social Assistance) - आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में समानता के अवसर प्रदान करना होता है ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का दर्जा प्राप्त हो सके। सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीब व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने वास्ते आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गरीब वर्ग के छात्रों को अनुदान और छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

4. वर्ग संघर्ष का समापन (Abolition of Class Struggle) - आर्थिक विषमता के कारण समाज के धनी और निर्धन वर्गों में बट जाने के कारण वर्ग

सघर्ष का जन्म हाता है। आर्थिक नियोजन में सरकार वर्ग सघर्ष को कम करने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार आर्थिक समानता, सामाजिक समानता पर जोर देती है।

5 सामाजिक कल्याण (Social Welfare) – नियोजन में सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रयास करती है। न्याय और आर्थिक समानता से सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है।

6. नैतिक उत्थान (Moral Upliftment) – देश के आर्थिक विकास में मानव का सर्वांगीण विकास निहित है। शैक्षिक विकास से देशवासियों का बौद्धिक उत्थान होता है। नियोजन में अनावश्यक और हानिकारक उत्पादों पर रोक लगाई जाती है।

(रा) राजनीतिक उद्देश्य (Political Objectives)

आर्थिक नियोजन के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के अलावा राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं। आज सरकार की आर्थिक नीतियों पर राजनीतिक छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हाती है। प्रजातांत्रिक सरकारें जनता से विभिन्न वायदे करती हैं। आर्थिक नियोजन के राजनीतिक लाभ निम्नलिखित हैं—

1. राजकीय नीति को सफल बनाना (To make Government Policy a Success) – आर्थिक नियोजन सरकारी नीति को प्रतिबिम्बित करता है। प्रत्येक सरकार सामान्यतया समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था में से किसी एक को चुनती है। आर्थिक नियोजन को चुनी हुई नीति की सफलता के उपकरण की तरह काम में लिया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। यहाँ की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर है।

2. सीमा सुरक्षा (Border Security) – जिन देशों के पड़ोसियों के इरादे नापक हाते हैं तथा लड़ाई-झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, अघोषित युद्ध छेड़े रखते हैं, सीमा का अतिक्रमण कर घुसपैठ करते हैं ऐसे पड़ोसियों से बचाव के लिए सुरक्षा सबंधी उद्योगों का विकास करना पड़ता है। शक्तिशाली देश की ओर कोई उगली नहीं उठा सकता। आर्थिक नियोजन में देश की सरकार अपनी सीमाओं को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखती है। भारत ने स्वतंत्रता के पाँच दशकों में पाँच युद्धों के कारण सुरक्षा के साथ विकासोन्मुख नीति आत्मसात की।

3. आंतरिक शांति (Internal Peace) – आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। आज चुनावों में स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण हाते हैं। जनता की आकांक्षाएँ सतत बढ़ती हैं। जनता चुने हुए प्रतिनिधियों से अधिकाधिक सुविधाएँ पाने का प्रयास करती है। आर्थिक नियोजन में निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। कई बार आधारभूत उद्योग, महाविद्यालय, सड़कें, नहरें आदि के बारे में

जनता की माग के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। ताकि जनसाधारण में शांति बनी रहे।

4. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International Co-operation) — आर्थिक नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना होता है। विभिन्न देशों के बीच मधुर संबंधों के लिए आर्थिक नियोजन सहायक है। इससे अन्य देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य देश के विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। नियोजन के उद्देश्यों के आधार पर यद्यपि आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भागों में विभक्त किया गया है किंतु ये परस्पर संबंधित हैं। अल्पकाल में परस्पर विरोधी हो सकते हैं किंतु दीर्घकाल में भेद समाप्त हो जाता है। इनमें कभी-कभी राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता होती है तो कभी-कभी आर्थिक उद्देश्यों को महत्त्व दिया जाता है। युद्धजनित संकट काल में राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों की महत्ता होती है तो शांति के समय सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता रहती है। आर्थिक नियोजन सदैव उद्देश्यों के सदर्थ में किया जाता है और उद्देश्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ

(Achievements of Economic Planning in India)

भारत का अतीत आर्थिक रूप से घनाढ्य रहा है। भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात थे। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ के उत्पादों की व्यापक माग थी। व्यापार सतुलन सदैव पक्ष में रहता था। हस्तशिल्प रोजगारोन्मुख व धनोपार्जन का स्रोत ही नहीं अपितु दुनिया में कला और सांस्कृतिक वैभव की साक्षात् अभिव्यक्ति था। लोहे की गलाई व ढुलाई में भारत काफी आगे बढ़ चुका था। भारत की इस समृद्धि पर विश्व के अनेक देशों की लालचमरी दृष्टि पड़ी। अंग्रेज व्यापारी की हैसियत से यहाँ आए और कूटनीति से हमें गुलामी के शिकजे में जकड़ लिया। यहीं से भारत के औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई। अठारहवीं शताब्दी के अंत से परम्परागत उद्योगों का एक-एक करके खात्मा होने लगा। उद्योगों के उजड़ने की प्रक्रिया सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ होकर अन्य उद्योगों तक व्यापक हो गई। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र से कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तित हो गया।

ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण में कतई रुचि नहीं ली। विदेशियों ने भारत की प्राकृतिक संपदा का मनमाफिक दोहन किया। विद्वेषपूर्ण नीति से विद्वेष में औद्योगीकरण को तीव्र गति मिली, किंतु भारत का औद्योगिक आधार टूट गया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था बंद से बदतर थी। औद्योगीकरण के नाम पर लघु इकाइयाँ थीं। प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार

2. राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय (National Income and Per Capita Income) – राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय सामान्य रूप से देशवासियों द्वारा उत्पादन के साधनों से अर्जित वह आय है, जिसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है।

वर्ष 1950-51 से 1992-93 तक की 42 वर्षों की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय 1980-81 की कीमतों के आधार पर 40,454 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,95,602 करोड़ रुपये हो गई। इस हिसाब से वार्षिक विकास दर 4 प्रतिशत रही। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 1983-84 में 1,66,550 करोड़ रुपये थी जो 1990-91 में बढ़कर 4,18,074 करोड़ रुपये तथा 1997-98 में और बढ़कर 12,65,167 करोड़ रुपये हो गई।

प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) 1980-81 के मूल्यों पर वर्ष 1950-51 में 1,127 रुपये थी जो 1990-91 में बढ़कर 2,223 रुपये तथा 1992-93 में और बढ़कर 2,243 रुपये हो गई। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1990-91 में 4,983 रुपये तथा 1997-98 के त्वरित अनुमानों में 13,193 रुपये थी।

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और -
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

(वर्तमान मूल्यों पर)

वर्ष	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (रुपए)
1950-51	8,574	239
1960-61	14,242	328
1970-71	36,503	675
1980-81	1,10,685	1630
1990-91	4,18,074	4983
1995-96	9,75,645	10525
1996-97	11,40,895	12099
1997-98 (त्वरित अनुमान)	12,65,167	13193
1998-99 (त्वरित अनुमान)	14,31,527	14682

स्रोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 तथा 1999-2000

3. आर्थिक वृद्धि दर (Economic Growth Rate)

नियोजित विकास की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (1980-81 मूल्यों पर) की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही। प्रथम योजना 37

प्रतिशत, द्वितीय योजना 4.1 प्रतिशत, तृतीय योजना 2.7 प्रतिशत, तीन वार्षिक 1966-69 याजनाएँ 3.9 प्रतिशत, चतुर्थ योजना 3.4 प्रतिशत, पाचवीं याजना 5.0 प्रतिशत, वार्षिक योजना (1979-80) 4.9 प्रतिशत, छठी योजना 5.5 प्रतिशत, सातवीं योजना 5.8 प्रतिशत, वार्षिक याजना (1990-91) 5.2 प्रतिशत, वार्षिक योजना (1991-92) 0.5 प्रतिशत।

आठवीं याजना के पाच वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही — 1992-93 में 5.2 प्रतिशत, 1993-94 में 6.2 प्रतिशत, 1994-95 में 7.7 प्रतिशत, 1995-96 में 7.8 प्रतिशत तथा 1996-97 में 8.1 प्रतिशत। आठवीं याजना में आर्थिक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही जो आठवीं योजना की आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य 5.6 प्रतिशत से अधिक थी।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आर्थिक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)

वर्ष	आर्थिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1951-52	2.5
1960-61	7.0
1970-71	5.1
1980-81	7.3
1990-91	5.2
1995-96	7.8
1996-97	7.5
1997-98 (अस्थायी)	5.0
1998-99 (त्वरित अनुमान)	6.8
1999-2000 (अग्रिम अनुमान)	5.9

स्रोत: इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 तथा 1999-2000

4. पूंजी निर्माण और बचत दर (Capital Formation and Saving Rate)

सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में) वर्ष 1950-51 में 10.2 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1990-91 में 27.7 प्रतिशत हो गई। पूंजी निर्माण दर 1992-93 में 23.9 प्रतिशत तथा 1997-98 के त्वरित अनुमानों में 24.8 प्रतिशत रही। सकल घरेलू बचत दर वर्ष 1950-51 में 10.4 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1990-91 में 24.3 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1997-98 के त्वरित अनुमानों में बचत दर घटकर 23.1 प्रतिशत रह गई।

5. कृषि में प्रगति (Progress in Agriculture)

भारत गाँवों का देश है। अस्सी प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है।

बीस प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। गावों के विकास बिना देश का आर्थिक विकास अधूरा है और गावों का विकास कृषिगत विकास में समाहित है। फिर भारत विशाल आबादी वाला देश है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन काल में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई।

भारत की विशाल जनसंख्या के लिए अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है। औद्योगीकरण की गति भी एक बड़ी सीमा तक कृषिगत उत्पादन पर निर्भर है। कृषि की प्रगति के लिए 1966-67 में नवीन कृषि व्यूहरचना प्रारंभ की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए 22,467.2 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 5.2 प्रतिशत था। नियोजित विकास में कृषिगत प्रगति पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन 5.08 करोड़ टन था जो बढ़कर 1990-91 में 17.64 करोड़ टन हो गया। वर्ष 1997-98 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 19.24 करोड़ टन तक जा पहुँचा।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर वास्तविक परिव्यय

(करोड़ रुपए)

योजना	परिव्यय	कुल सार्वजनिक परिव्यय का प्रतिशत
तृतीय योजना	1088.9	12.7
चौथी योजना	2320.4	14.7
पाचवी योजना	4864.9	12.3
छठी योजना (केवल कृषि)	6623.5	6.1
सातवी योजना	12792.6	5.8
आठवी योजना (प्रस्तावित)	22467.2	5.2
नौवी योजना (प्रस्तावित)	36658.0	4.2

स्रोत *इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे 1994-95* तथा *आठवीं पंचवर्षीय योजना*, वोल्यूम प्रथम से संकलित।

भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, किंतु विगत वर्षों में मानसून अनुकूल रहा है। कृषि उत्पादन में बढ़त और विविधता लाने पर जोर दिया गया है ताकि अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और निर्यात के लिए भी अतिरिक्त उत्पादन किया जा सके। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयास किए गए। वर्ष 1950-51 में सिंचाई क्षमता 2.26 करोड़ हेक्टेयर थी जो बढ़कर 1991-92 में 7.88 करोड़ हेक्टेयर हो गई। इन सब

प्रतिशत द्वितीय योजना 4.1 प्रतिशत तृतीय योजना 2.7 प्रतिशत तीसरा वार्षिक 1966-69 योजनाएँ 3.9 प्रतिशत चतुर्थ योजना 3.4 प्रतिशत पाचवी योजना 5.0 प्रतिशत वार्षिक योजना (1979-80) 4.9 प्रतिशत छठी योजना 5.5 प्रतिशत सातवी योजना 5.8 प्रतिशत वार्षिक योजना (1990-91) 5.2 प्रतिशत वार्षिक योजना (1991-92) 0.5 प्रतिशत।

आठवी योजना के पांच वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार रही - 1992-93 में 5.2 प्रतिशत 1993-94 में 6.2 प्रतिशत 1994-95 में 7.7 प्रतिशत 1995-96 में 7.8 प्रतिशत तथा 1996-97 में 8.1 प्रतिशत। आठवी योजना में आर्थिक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही जो आठवी योजना की आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य 5.6 प्रतिशत से अधिक थी।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आर्थिक वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)

वर्ष	आर्थिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
1951-52	2.5
1960-61	7.0
1970-71	5.1
1980-81	7.3
1990-91	5.2
1995-96	7.8
1996-97	7.5
1997-98 (अस्थायी)	5.0
1998-99 (त्वरित अनुमान)	6.8
1999-2000 (अग्रिम अनुमान)	5.9

स्रोत: इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 तथा 1999-2000

4 पूँजी निर्माण और बचत दर (Capital Formation and Saving Rate)

सकल घरेलू पूँजी निर्माण दर (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में) वर्ष 1950-51 में 10.2 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1990-91 में 27.7 प्रतिशत हो गई। पूँजी निर्माण दर 1992-93 में 23.9 प्रतिशत तथा 1997-98 के त्वरित अनुमानों में 24.8 प्रतिशत रही। सकल घरेलू बचत दर वर्ष 1950-51 में 10.4 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1990-91 में 24.3 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1997-98 के त्वरित अनुमानों में बचत दर घटकर 23.1 प्रतिशत रह गई।

5 कृषि में प्रगति (Progress in Agriculture)

भारत गाँवों का देश है। अस्सी प्रतिशत आगदी गाँवों में निवास करती है।

बीस प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। गावों के विकास बिना देश का आर्थिक विकास अधूरा है और गावों का विकास कृषिगत विकास में समाहित है। फिर भारत विशाल आबादी वाला देश है। इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन काल में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई।

भारत की विशाल जनसंख्या के लिए अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है। औद्योगीकरण की गति भी एक बड़ी सीमा तक कृषिगत उत्पादन पर निर्भर है। कृषि की प्रगति के लिए 1966-67 में नवीन कृषि व्यूहरचना प्रारंभ की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए 22,467.2 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 5.2 प्रतिशत था। नियोजित विकास में कृषिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित किये जाने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन 5.08 करोड़ टन था जो बढ़कर 1990-91 में 17.64 करोड़ टन हो गया। वर्ष 1997-98 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 19.24 करोड़ टन तक जा पहुंचा।

कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर वास्तविक परिव्यय

(करोड़ रुपए)

योजना	परिव्यय	कुल सार्वजनिक परिव्यय का प्रतिशत
तृतीय योजना	1088.9	12.7
चौथी योजना	2320.4	14.7
पाचवी योजना	4864.9	12.3
छठी योजना (केवल कृषि)	6623.5	6.1
सातवीं योजना	12792.6	5.8
आठवीं योजना (प्रस्तावित)	22467.2	5.2
नौवीं योजना (प्रस्तावित)	36658.0	4.2

स्रोत: इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे 1994-95 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्त्यूम प्रथम से संकलित।

भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, किंतु विगत वर्षों में मानसून अनुकूल रहा है। कृषि उत्पादन में बढ़त और विविधता लाने पर जोर दिया गया है ताकि अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और निर्यात के लिए भी अतिरिक्त उत्पादन किया जा सके। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयास किए गए। वर्ष 1950-51 में सिंचाई क्षमता 2.26 करोड़ हैक्टेयर थी जो बढ़कर 1991-92 में 7.88 करोड़ हैक्टेयर हो गई। इन सब

प्रयासों की सुखद परिणति खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के रूप में परिलक्षित हुई। वर्ष 1949-50 से 1992-93 के बीच कृषि उत्पादन में 271 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर बढ़ोतरी हुई। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आज की उपलब्धता जो 1950 के दशक में 395 ग्राम थी बढ़कर 1991 में 510 ग्राम के स्तर तक पहुँच गई।

6 औद्योगिक विकास (Industrial Development)

कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत ने औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया। इस बात की पुष्टि आजादी के शुरुआती में ही घोषित औद्योगिक नीति से सहज ही हो जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग प्रधान थी। नियोजित विकास में औद्योगिक प्रगति के लिए भारी पूँजी निवेश किया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में किये गए वार्षिक योजना परिव्यय में उद्योग व खाद्य विकास शीर्ष पर आवंटन इस प्रकार रहा — तीसरी पंचवर्षीय योजना 17263 करोड़ रुपये चौथी पंचवर्षीय योजना 28644 करोड़ रुपये पाचवी योजना 89886 करोड़ रुपये छठी योजना 169475 करोड़ रुपये सातवी योजना 292203 करोड़ रुपये आठवी पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खाद्य पर 469217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 10.8 प्रतिशत था। वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना के सशोधित अनुमानों में उद्योग पर 1081728 करोड़ रुपये खर्च किया गया। वर्ष 1999-2000 की 103521 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) की वार्षिक योजना में उद्योग के लिए 8672 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

नियोजित विकास की एक बड़ी उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तेजी से विकास है। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 5 थी तथा उनमें 29 करोड़ रुपये का कुल पूँजी निवेश था। सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या सातवी योजना के अंत में (मार्च 1990) बढ़कर 244 हो गई तथा उनमें पूँजी निवेश बढ़कर 99329 करोड़ रुपये हो गया। 31 मार्च 1993 को सार्वजनिक क्षेत्र के 245 उपक्रमों में 146971 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश था।

नियोजित विकास में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या तथा कुल पूँजी निवेश में भारी बढ़ोतरी हुई किन्तु अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। ये उपक्रम नियोजित पूँजी पर अपेक्षित प्रत्यायन अर्जित नहीं कर रहे हैं। तीव्रता आर्थिक उदारीकरण के दौर में सार्वजनिक उपक्रम घर्षित रहे। महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में इनमें निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वर्ष 1999-2000 में सार्वजनिक उपक्रमों में 10000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

भारत में औद्योगिक संवृद्धि दर 1981-82 के बाद के वर्षों में कुछेक वर्षों को छोड़कर 8 प्रतिशत से अधिक रही। वर्ष 1982-83 में औद्योगिक संवृद्धि दर

3.2 प्रतिशत, 1983-84 में 6.7 प्रतिशत तथा 1987-88 में 7.3 प्रतिशत रही। वर्ष 1981-82 में यह 9.3 प्रतिशत तथा 1986-87 में 9.2 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। वर्ष 1981-82 से 1990-91 के बीच औसत औद्योगिक सवृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रही।

द्विशिष्ट उद्योगों का उत्पादन

(मिलियन टन)

मद	1950-51	1990-91	1992-93	1997-98	1998-99
सीमेंट	2.7	48.8	54.7	82.9	88.0
विद्युत उत्पादन*	5.1	264.3	301.4	420.6	448.4
कच्चा तेल	0.3	33.0	27.0	33.9	32.7
कोयला	32.3	225.5	254.9	319.0	315.7
तैयार इस्पात	1.04	13.53	15.2	23.4	23.8

स्रोत: इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99 तथा 1999-2000

*विद्युत उत्पादन बिलियन किलोवाट में।

औद्योगिक सवृद्धि दर 1991-92 में 0.6 प्रतिशत, 1992-93 में 2.3 प्रतिशत तथा 1993-94 में 6 प्रतिशत थी। वर्ष 1991-92 में नीची औद्योगिक सवृद्धि दर का कारण आर्थिक संकट था। आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप औद्योगिक वृद्धि 1994-95 के 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 12.8 प्रतिशत तक जा पहुँची। अप्रैल-अक्टूबर 1998-99 में खनन में—1.1 प्रतिशत, निर्माण में 3.7 प्रतिशत तथा विद्युत में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भी भूमिका बढ़ी। कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का योगदान 1990-91 में 41 प्रतिशत, 1991-92 में 39 प्रतिशत, 1992-93 में 39.46 प्रतिशत और 1993-94 में 40.62 प्रतिशत रहा। वर्ष 1997-98 में 30.14 लाख लघु इकाइयाँ थीं उनमें चालू मूल्य दर 4,65,171 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। लघु उद्योगों में 167.20 लाख व्यक्ति नियोजित थे तथा 43,946 करोड़ रुपये की निर्यातित आय हुई।

सामाजिक विकास के कुछ सूचक (Some Social Development Indicators)

नियोजन काल में सामाजिक विकास क्षेत्र में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 1991-92 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपभोग 182 किलोग्राम था। पुरुषों की औसत आयु 1991-92 में 57.7 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 58.7 वर्ष हो गई। वर्ष 1991-92 में प्रति हजार जन्म पर शिशु मृत्यु दर 78, प्रति हजार पर मृत्यु दर 10 तथा प्रति हजार पर जन्म दर 28.9 थी। शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा गावों में 27 प्रतिशत परिवार विद्युत उपभोग करते हैं। भारत निरक्षरता

के अधकार में हुआ था। नियोजित विकास में साक्षरता वृद्धि दर पर जोर दिया गया। जिससे साक्षरता में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 1950-51 में साक्षरता प्रतिशत 18.33 था जो बढ़कर 1960-61 में 28.31 प्रतिशत 1970-71 में 34.45 प्रतिशत 1980-81 में 43.56 प्रतिशत तथा 1990-91 में 52.2 प्रतिशत हो गया। आज भी आधी आबादी निरक्षरता के अधकार में है। महिलाओं में साक्षरता केवल 39.3 प्रतिशत ही है। पुरुषों की साक्षरता को और बढ़ाने की आवश्यकता है। साक्षरता वृद्धि से ही आर्थिक विकास में बढ़ोतरी संभव है।

आर्थिक नियोजन की असफलताएँ (Failures of Economic Planning)

भारत नियोजित विकास की लम्बी यात्रा तय कर चुका है। पचास वर्षों के नियोजन काल में आठ पंचवर्षीय योजनाएँ सम्पन्न हो चुकीं। इसी दौरान छह वार्षिक योजनाएँ भी पूरी हुईं। नौवीं पंचवर्षीय योजना मार्च 2002 में पूर्ण होगी। नियोजन काल में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भारी विनियोजन किया गया। आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का योजना परिव्यय 4 34 100 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आठवीं योजना का वास्तविक परिव्यय 4 85 457 करोड़ रुपए रहा। नियोजित विकास की पाच दशक की यात्रा और अरबों रुपए के विनियोजन बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो तस्वीर घुघली नजर आती है। विश्व परिप्रेक्ष्य में आज भी भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ अनेक समस्याएँ मुहबाएँ खड़ी हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की दिशाविहीनता को दर्शाती हैं। गरीबी बेरोजगारी महंगाई क्षेत्रीय असंतुलन आर्थिक विषमता आदि से भारतीय अर्थव्यवस्था घिरी हुई है। इन समस्याओं के रहते हुए कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में हुई प्रगति फीकी है।

1 बेरोजगारी (Unemployment) – नियोजित विकास में बेरोजगारी में कमी नहीं हो सकी। इसका प्रमुख कारण रोजगार चाहने वालों की तुलना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होना है। शिक्षा पद्धति भी रोजगार परख नहीं रही। जनाधिक्य भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी की समस्या भयावह है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी बड़े पैमाने पर व्याप्त है। शहरी क्षेत्रों में भी लोग योग्यता के अनुरूप काम पर लगे हुए नहीं हैं।

भारत में वर्ष 1987-88 में बेरोजगारी दर (श्रम शक्ति के प्रतिशत में) 3.77 प्रतिशत थी। सामान्य मुख्य कार्य दिवस की दृष्टि से कुछ राज्यों में बेरोजगारी दर घितीय है। यह असम में 5.62 प्रतिशत हरियाणा में 5.86 प्रतिशत, केरल में 17.07 प्रतिशत वंगाल में 6.06 प्रतिशत है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 2.68 प्रतिशत है।

रोजगार कार्यालयों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की दर्ज संख्या 31 दिसम्बर 1992 तक 178.36 लाख थी जो 31 दिसम्बर 1992 तक बढ़कर 366 लाख हो गई। वास्तव में बेरोजगारों की संख्या कहीं अधिक है। बेरोजगारों की

संख्या बढ़कर 1997 में 380 लाख हो गई। रोजगार कार्यालय कुछ सीमा तक ही बेरोजगारी की प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं।

2. गरीबी (Poverty) – देश में गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। वर्ष दर वर्ष गरीबी के लिए नई योजनाएँ घोषित की जा रही हैं। करोड़ों रुपये इन योजनाओं में आवंटित किए गए, किन्तु भारत को गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिली। आकड़ों के हिसाब से गरीबी की संख्या में अवश्य कमी हुई है। किन्तु गरीबी में कमी नहीं हुई है।

विश्व बैंक की 1990 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल गरीबों का 35.40 प्रतिशत है। भारत के योजना आयोग के अनुसार 1973-74 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 56.4 प्रतिशत थी जो घटकर 1987-88 में 39.1 प्रतिशत रह गई। शहरी क्षेत्र में इस समयवधि में गरीबी 49 प्रतिशत से घटकर 38.2 प्रतिशत रह गई। अखिल भारत स्तर पर गरीबी 1973-74 में 54.9 प्रतिशत थी जो घटकर 1977-78 में 51.3 प्रतिशत, 1983-84 में 44.5 प्रतिशत तथा 1987-88 में 38.9 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1993-94 में अखिल भारत स्तर पर गरीबी 36 प्रतिशत थी। वर्ष 1995-96 में 19 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने के लिए अभिशप्त थी। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में गरीबी की समस्या ज्यादा है।

3. विदेशी ऋण (Foreign Debt) – भारत में लोगों के गरीब होने के कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव रहा, नतीजतन प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं किया जा सका। आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए नियोजित विकास में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारी भरकम विनियोजन का प्रावधान किया गया। संसाधनों के अभाव में योजनाओं की वित्त पूर्ति के लिए विदेशी ऋण पर निर्भर होना पड़ा। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा कर्जदार है। अनेक बार कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। कर्ज का अधिकांश भाग ब्याज और मूलधन अदायगी में खर्च हो जाता है। ऋण के साथ ऋणदाता राष्ट्र की प्रतिकूल शर्तें भी बाध्य होकर स्वीकार करनी पड़ती हैं। भारत पर वर्ष 1989-90 में 1,30,278 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण था यह सकल घरेलू उत्पाद का 28.5 प्रतिशत था। विदेशी ऋण भार बढ़कर 1993-94 में 2,84,204 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 36.1 प्रतिशत था। भारत का विदेशी ऋण 1997-98 में 3,71,565 करोड़ रुपये तथा सितम्बर 1998 में 4,05,004 करोड़ रुपये था। डालर में विदेशी ऋण 1990-91 में 83,801 मिलियन डालर था जो बढ़कर 1997-98 में 93,908 मिलियन डालर तथा सितम्बर 1998 में और बढ़कर 95,195 मिलियन डालर हो गया। विदेशी ऋण भार बढ़ने का प्रमुख कारण स्वीकृत विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं होना रहा। स्वीकृत विदेशी सहायता के उपयोग का प्रतिशत वर्ष 1980-81 में 56.19 प्रतिशत था। वर्ष 1993-94 में स्वीकृत विदेशी सहायता का 84 प्रतिशत उपयोग हो सका।

4 राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) - नियोजित विकास में राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा। वर्ष 1975-76 में राजकोषीय घाटा सरुल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत था। छठी पंचवर्षीय योजना में औसतन राजकोषीय घाटा 6.3 प्रतिशत था जो बढ़कर सातवीं योजना में औसतन 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991-92 में राजकोषीय घाटा 8.3 प्रतिशत तक जा पहुँचा। वर्ष 1996-97 में राजकोषीय घाटा 66.733 करोड़ रुपए था जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत था। वर्ष 1998-99 के बजट में राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रावधान किया गया।

5 मुद्रास्फीति (Inflation) - राजकोषीय घाटे के बढ़ने से मुद्रास्फीति में भारी बढ़ोतरी हुई। थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1981-82) 1950-51 में 16.9 था जो बेतहाशा गति से बढ़कर 1990-91 में 182.7 हो गया। वर्ष 1992-93 में थोक मूल्य सूचकांक 228.7 अंक तक जा पहुँचा। इसी प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 1950-51 में 17 अंक था जो बढ़कर 1990-91 में 193 तथा 1992-93 में और बढ़कर 240 हो गया। हाल के वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अवश्य कम हुई है। यह 1993-94 और 1994-95 के 10 प्रतिशत से अधिक थी जो घटकर 1995-96 में 4.4 प्रतिशत और 1997-98 में 5.3 प्रतिशत रह गई। यह 31 जुलाई 1999 को 1.62 प्रतिशत थी। इसके बावजूद लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिली। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अभी भी अधिक है। गरीबों पर महंगाई की मार अधिक है।

5 जनसाधन (Over Population) - नियोजित विकास की असफलता में जनसाधन उत्तरदायी है। 1981 में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.22 प्रतिशत थी तथा ताजी जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 2.14 है। जनसाधन के कारणों में शिक्षा का अभाव परम्परावादी दृष्टिकोण निर्धनता सामाजिक सुरक्षा का अभाव आदि मुख्य हैं। देश में वित्तीय ससाधन का अभाव है और विकास मूलक योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। देश में प्राकृतिक ससाधनों का अभाव नहीं है। विकास की गति को बढ़ाने के लिए ससाधनों के विवेकपूर्ण विदोहन की आवश्यकता है। मानवीय ससाधनों के उपयोग के लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने होंगे।

प्रश्न और संकेत


लघु प्रश्न

- 1 आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए।
- 2 नियोजन के आर्थिक उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
- 3 आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
- 4 भारत में नियोजन की उपलब्धियों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए।

भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियाँ

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
- 2 भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का विवेचन कीजिए (भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कहा तक पूरे हुए हैं।
(संकेत - दोनो प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये आर्थिक नियोजन के उद्देश्य लिखने हैं तथा दूसरे भाग में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है।)
- 3 "नियोजन की क्रिया सौदेश्य क्रिया है, बिना उद्देश्य नियोजन के विषय में सोचना संभव नहीं है।" इस कथन को स्पष्ट करते हुए नियोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले नियोजन के उद्देश्यों की आवश्यकता बतानी है फिर विस्तार से आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को लिखना है।)
- 4 भारत में आर्थिक नियोजन की विफलताओं का वर्णन कीजिए।
(संकेत - अध्याय में दी गई आर्थिक नियोजन की विफलताओं को लिखना है।)





भारत में आर्थिक नियोजन के पांच दशक, योजना परिव्यय और प्राथमिकताएँ

(Five Decades of Economic Planning in India :
Plan Outlay and Priorities)

भारत के अतीत में चहुओर खुशहाली थी। घर-घर में बिखरी पड़ी स्वर्ण मुद्राएँ भारत की समृद्धि की परिचायक थीं। भारत की विश्व में सोने की छिड़िया के रूप में पहचान थी। आर्थिक समृद्धि का लाभ बटोरने के लिए अग्रेज विदेशी व्यापारी की हेसियत से आए और भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बना दिया। भारत लम्बे अरसे तक गुलाम राष्ट्र रहा। विदेशियों ने भारत के प्राकृतिक ससाधनों का मनमाफिक दोहन किया। यहां के प्राकृतिक ससाधनों और कुशल कारीगरों के बल पर अपने देश में औद्योगीकरण को मजबूती दी और भारत कच्चे माल के उत्पादक के रूप में परिवर्तित हो गया। यहां के बाजारों को विदेशी उत्पादों से घाट दिया गया। भारतीयों की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी गई। समृद्धि में जीवा जीवों के अभ्यस्त भारतवासी का जून राटी के लिए बिलचने लगे। अन्ततः भारतीयों ने सघर्ष रीं ठानी। असख्य बलिदानों की नीमत पर अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। सन् 1951 में भारत में नियोजित विकास का मार्ग चुना। पांच दशक की लम्बी दीर्घावधि तक पंचवर्षीय योजनाएँ भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाईं रहीं।

योजना परिव्यय और प्राथमिकताएँ (Plan Outlay and Priorities)

स्वातंत्र्यांतर आठ पंचवर्षीय योजनाएँ संपन्न हो चुकीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना की सम्मति 1997 से 2002 निर्धारित की गई है। नियोजित विकास के दौर में गुदगति स्थिति तथा राजनीतिक व आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ वार्षिक योजनाएँ भी सम्पन्न हुईं जिनमें 1966-67 से 1968-69, 1979-80 तथा 1990-91 व 1991-92 की वार्षिक योजनाएँ मुख्य हैं।

नियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का
वास्तविक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	समयावधि	योजना परिव्यय (वास्तविक)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-56	1960 0
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-61	4672 0
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961-66	8576 5
वार्षिक योजनाए	1966-69	6625 4
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969-74	15778 8
पाचवी पंचवर्षीय योजना	1974-79	39426 2
वार्षिक योजना	1979-80	12176 5
छठी पंचवर्षीय योजना	1980-85	109291 7
सातवी पंचवर्षीय योजना	1985-90	218729 62
वार्षिक योजना	1990-91	58369 3
वार्षिक योजना	1991-92	64751 2
आठवी पंचवर्षीय योजना	1992-97	485457 2
नौवी पंचवर्षीय योजना (अनुमानित)	1997-2002	875000 0

स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 1994-95 तथा 1999-2000

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 1951 से मार्च 1956 थी। योजना में कृषि, सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 1960 करोड़ रुपए था। इस योजना में पूंजी निवेश की दर राष्ट्रीय आय के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 7 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्धारित किए गए लक्ष्य में निम्नांकित दो प्रमुख थे

- 1 द्वितीय विश्वयुद्ध और देश के विभाजन से उत्पन्न हुए असंतुलन को दूर करना।
- 2 देश का चहुमुखी सन्तुलित विकास।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

दूसरी योजना की समयावधि अप्रैल 1956 से मार्च 1961 निर्धारित की गई। इसमें औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक

योजना में विकास की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रखी गई थी। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का योजना परिव्यय 15,778.4 करोड़ रुपए था। योजना परिव्यय के क्षेत्रीय आवंटन में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र पर 2,320.04 करोड़ रुपए, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 1354.1 करोड़ रुपए, ऊर्जा पर 2,931.7 करोड़ रुपए, ग्रामीण और लघु उद्योगों पर 242.6 करोड़ रुपए, उद्योग व खनन पर 2,864.4 करोड़ रुपए तथा यातायात व संचार पर 3,080.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। योजना परिव्यय में यातायात व संचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस भेद पर कुल योजना परिव्यय का 19.5 प्रतिशत खर्च किया गया।

पाचवी पंचवर्षीय योजना

पाचवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 1974 से मार्च 1979 निर्धारित की गई थी। योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्ति तथा गरीबी उन्मूलन था। योजना में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिति में स्थायित्व को प्राथमिकता दी गई। पाचवी योजना के दौरान देश में राजनीतिक बदलाव आया। सन 1978 में कांग्रेस की पराजय हुई, जनता पार्टी केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई। तत्कालीन नई सरकार ने पाचवी योजना को समय से पूर्व अर्थात् 1978 में ही समाप्त कर दिया और 1978 से 1983 तक के लिए छठी पंचवर्षीय योजना को मूर्त रूप दिया। वर्ष 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस फिर सत्तारूढ़ हुई। पाचवी योजनावधि की चार वार्षिक योजनाओं को पूरा किया गया। बाद में फैसला किया गया कि पाचवी योजना को 1978-79 की वार्षिक योजना के साथ-साथ समाप्त कर दिया जाए तथा नई प्राथमिकताओं और नये कार्यक्रमों को लेकर नई योजना का कार्य शुरू किया जाए।

पाचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 39,426.2 करोड़ रुपए था। योजना परिव्यय के क्षेत्रीय आवंटन में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र पर 4,864.9 करोड़ रुपए, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 3876.5 करोड़ रुपए, ऊर्जा पर 7,399.5 करोड़ रुपए, ग्रामीण और लघु उद्योग पर 592.5 करोड़ रुपए, उद्योग व खनन पर 8,988.6 करोड़ रुपए तथा यातायात व संचार पर 6,870.3 करोड़ रुपए खर्च किया गया। योजना परिव्यय में उद्योग व खनन और ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इन विकास शीर्षों पर योजना परिव्यय का क्रमशः 22.8 प्रतिशत तथा 18.5 प्रतिशत खर्च किया गया।

वार्षिक योजना 1979-80 में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 12,176.5 करोड़ रुपए था। इसमें से कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र पर 1,996.5 करोड़ रुपए, ऊर्जा पर 2,240.5 करोड़ रुपए, उद्योग व खनन पर 2,383.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि अप्रैल 1980 से 1985 निर्धारित की गई थी। गरीबी हटाना छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। छठी योजना की

कार्यनीति यह थी कि कृषि और उद्योग दोनों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए जिससे निवेश उत्पादन और निर्यात क्षेत्र को गति मिल सके। इस योजना में औसत वार्षिक विकास दर 5.2 प्रतिशत रही जो योजना की निर्धारित विकास दर भी थी। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 1,09,291.7 करोड़ रहा जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 97,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। योजना के आकार में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय का क्षेत्रीय आवंटन

विकास शीर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपए)	योजना परिव्यय (प्रतिशत में)
1 कृषि	6623.5	6.1
2 ग्रामीण विकास	6996.8	6.4
3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1580.3	1.4
4 सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	10929.9	10.0
5 ऊर्जा	30751.3	28.1
6 उद्योग और खनिज	16947.5	15.5
7 परिवहन	14208.4	13.0
8 संचार तथा सूचना प्रसारण	3469.5	3.2
9 विज्ञान और टेक्नोलोजी	1020.4	0.9
10 सामाजिक सेवाएँ	15916.6	14.5
11 अन्य	847.5	0.8
कुल	109291.0	100.0

छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक योजना परिव्यय में केन्द्रीय योजना 57,825.2 करोड़ रुपए राज्य योजनाएँ 49,458.2 करोड़ रुपए तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाएँ 2,008.3 करोड़ रुपए थीं। छठी योजना के परिव्यय में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई इस मद पर 30,751.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए जो कि कुल योजना परिव्यय का 28.1 प्रतिशत था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

सातवीं योजना की समयावधि अप्रैल 1985 से मार्च 1990 निर्धारित की गई। योजना में खाद्यान्न रोजगार और उत्पादकता पर विशेष जोर दिया गया। योजनावधि में गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगारी कम करने के लिए जवाहर रोजगार

योजना प्रारम्भ की गई। सातवीं योजना में खाद्यान्न उत्पादन दर 2.68 प्रतिशत रही।

सातवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि औसत विकास दर 5.6 प्रतिशत रही जो लक्ष्य से 0.6 प्रतिशत अधिक थी। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक योजना परिव्यय 2,18,729.62 करोड़ रुपए रहा जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 1,80,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार योजना परिव्यय में 21.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक
योजना परिव्यय का क्षेत्रीय आवटन

वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपए)	योजना परिव्यय (प्रतिशत में)
1 कृषि व सबद्ध गतिविधिया	12792.60	5.8
2 ग्रामीण विकास	15246.5	7.0
3 विशष क्षेत्र कार्यक्रम	3470.3	1.6
4 सिंचाई और बाढ नियन्त्रण	16589.9	7.6
5 ऊर्जा	61689.3	28.2
6 उद्योग और खनिज	29220.3	13.4
7 परिवहन	29548.1	13.5
8 संचार	8425.5	3.9
9 विज्ञान और टेक्नोलोजी तथा पर्यावरण	3023.9	1.4
10 सामान्य आर्थिक सेवाए	2249.6	1.0
11 सामाजिक सेवाए	34959.7	16.0
12 सामान्य सेवाए	1513.8	0.7
कुल	218729.6	100.0

स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे, 1994-95 सारणी एस-46

सातवीं योजना में केन्द्रीय योजना 1,27,519.5 करोड़ रुपए, राज्य योजना 87,492.4 करोड़ रुपए तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाए 3,717.7 करोड़ रुपए थीं। सातवीं योजना में ऊर्जा, सामाजिक सेवाए, परिवहन तथा उद्योग व खनिज पर विशेष बल दिया गया। ऊर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र में 61,689.3 करोड़ रुपए खर्च किया गया जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय का 28.2 प्रतिशत था।

नियोजन विकास के चार दशक (1951-1990) में व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में प्रगति हुई। सातवीं योजना तक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका था। विश्व में भारत की औद्योगिक राष्ट्र के रूप में पहचान बनी। खाद्यान्न के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हो गया। सातवीं

योजना के आखिर में भारत को खाड़ी युद्ध जित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। देश में राजनीतिक उठा-पोटा का दौर भी था। नतीजतन आठवीं योजना नियत समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी। वर्ष 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में स्वीकार किया गया। इन वार्षिक योजनाओं में मुख्य जोर रोजगार के अधिक अवसर और सामाजिक परिवर्तन पर दिया गया। वर्ष 1990-91 में सार्वजनिक क्षेत्र में वार्षिक योजना परिव्यय 58 369 3 करोड़ रुपये तथा 1991-92 में 64 751 2 करोड़ रुपये था।

सातवीं योजना की समाप्ति तक (मार्च, 1990) भारत में नियोजित विकास प्रभावी रहा। अप्रैल 1992 से प्रारंभ हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधारों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में प्रारंभ की जा चुकी थी। वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के दौर में योजना आयोग की भूमिका में कमी आई है।

आठवीं योजना और आर्थिक विकास

अरबी के दशक के आखिरी वर्षों में भारत को अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक उठापोटा का दौर भी चलता। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। विषम आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पड़े। राजनीतिक बदलाव की स्थिति में सातवीं पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी।

खाड़ी युद्ध जित आर्थिक संकट और विश्व के आर्थिक परिदृश्य में बदलाव की पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इसकी योजनाबद्धि अप्रैल 1992 से मार्च 1997 तक निर्धारित की गई। आठवीं योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 23-24 दिसम्बर 1991 को मंजूर और अनुमोदित किया गया।

नीतिगत पहल - नियोजित विकास के प्रारंभिक चार दशकों में भारतीय योजना आयोग को 'सुपर रेंजिनेट' का दर्जा प्राप्त था। विकास में पंचवर्षीय योजनाएं छाई रही। अब आर्थिक उदारीकरण के दौर में योजना मात्र दिशा-निर्देशक होगी। विकास परिषद में निजीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। उद्योग और व्यापार में सरकार की भूमिका को कम किया जाएगा।

आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य देश की योजना को नया मोड़ देना है। अोक आर्थिक समस्याएँ यथा बढता वित्तीय घाटा घातू खाते का घाटा, गैर योजनागत रण में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा आदि से निपटने के लिए सरकार ने अोक नीतिगत उपाय लिए।

योजना की प्राथमिकताएँ - आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकताएँ निर्धारित की गईं वे इस प्रकार हैं

- 1 रोजगार सृजन
- 2 जनसंख्या पर नियंत्रण
- 3 निरक्षरता दूर करना
- 4 शुद्ध पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराना
- 5 खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए अतिरिक्त अनाज का उत्पादन करना।
- 6 मूलभूत सुविधाओं की बढोतरी।

योजना परिव्यय

आठवीं योजना में 7,98,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय निवेश का स्तर प्रस्तावित है। सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय में 4,34,100 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें केन्द्रीय योजना 2,47,865 करोड़ रुपए, राज्य योजनाएँ 1,79,985 करोड़ रुपए तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की योजनाएँ 6,250 करोड़ रुपए की है।

आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय का क्षेत्रीय आवंटन

विकास शीर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपए)	सार्वजनिक योजना परिव्यय का प्रतिशत
1 कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	22467.2	5.2
2 ग्रामीण विकास	34425.4	7.9
3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	6750.1	1.6
4 सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	32525.3	7.5
5 ऊर्जा	115561.1	26.6
6 उद्योग और खनिज	46921.7	10.8
7 परिवहन	55925.6	12.9
8 संचार	25110.0	5.8
9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरण	9041.7	2.1
10 सामान्य आर्थिक सेवाएँ	4549.5	1.0
11 सामाजिक सेवाएँ	79011.9	18.2
12 सामान्य सेवाएँ	1810.5	0.4
कुल	434100	100.0

स्रोत: इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1994-95

आठवीं योजना में ऊर्जा, सामाजिक सेवाएँ, शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, परिवहन, उद्योग व खनिज पर अधिक परिव्यय का प्रावधान

किया गया है। ऊर्जा पर 1,15,561 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है जो कि कुल सार्वजनिक परिव्यय 26.6 प्रतिशत है। ग्रामीण विकास के लिए योजना में 34,425.4 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है।

वित्त पूर्ति के स्रोत - आठवीं योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय की वित्त पूर्ति के स्रोत निम्नलिखित हैं-

स्रोत	(करोड़ रुपए)
(1) घरेलू ससाधन	
(i) चालू राजस्व शेष	35,005
(ii) सार्वजनिक उपक्रमों से अशदान	1,48,140
(iii) बाजार ऋण	2,02,255
कुल (i से iii)	3,85,400
(2) विदेशों से पूँजी का शुद्ध आगम	28,700
(3) घाटे की वित्त व्यवस्था	20,000
(4) योग (1+2+3)	4,34,100

स्रोत आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97, प्रथम खण्ड।

आठवीं योजना की वित्त पूर्ति में घरेलू ससाधनों का योगदान 88.78 प्रतिशत है। इसके अलावा विदेशों से पूँजी का शुद्ध आगम का योगदान 6.61 प्रतिशत तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का योगदान 4.60 प्रतिशत है। आर्थिक उदासीकरण के दौर में सरकार घाटे वित्त व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। विगत वर्षों में वित्तीय घाटा काफी बढ़ा। घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थात् हीनार्थ-प्रबन्धन से मुद्रास्फीति बढ़ती है। बढ़ती महगाई को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना की वित्त व्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था के योगदान को 4.6 प्रतिशत से कम करने की आवश्यकता है। योजना की वित्त पूर्ति में विदेशी पूँजी का योगदान 6.61 प्रतिशत है। भारत विश्व का बड़ा कर्जदार देश है। ऐसी स्थिति में विदेशी पूँजी का उपयोग कम ही होना चाहिए।

योजना की वित्त पूर्ति में घरेलू ससाधनों का योगदान 88.78 प्रतिशत होने पर सातोष व्यक्त किया जा सकता है। वित्त पूर्ति में चालू राजस्व शेष का 8.06 प्रतिशत, सार्वजनिक उपक्रमों से अशदान का 34.13 प्रतिशत तथा बाजार ऋण का 46.59 प्रतिशत योगदान है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं तथा उनमें विनियेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है ऐसी स्थिति में वित्त पूर्ति का 34.13 प्रतिशत सार्वजनिक उपक्रमों से जुटाना कठिन हो सकता है। बाह्य ऋणों की भांति

अर्थव्यवस्था पर आंतरिक ऋण का बोझ भी अधिक है। अतः योजना की वित्त पूर्ति के लिए राजस्व बढ़ाए जाने की महती आवश्यकता है।

वार्षिक योजनाएँ

आठवीं योजना का कुल परिव्यय 7,98,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय 4,34,100 करोड़ रुपए है। कुल परिव्यय में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय (प्रोजेक्टेंड) कम हुआ है। कुल परिव्यय में सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय पाचवीं योजना में 57.6 प्रतिशत था जो घटकर छठी योजना में 52.9 प्रतिशत सातवीं योजना में 47.8 प्रतिशत तथा आठवीं योजना में और भी घटकर 45.2 प्रतिशत ही रह गया।

वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना 72,852.4 करोड़ रुपए थी इसमें केन्द्रीय योजना 43,693.8 करोड़ रुपए, राज्य योजनाएँ 27,916.7 करोड़ रुपए तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाएँ 1,241.9 करोड़ रुपए थी। वार्षिक योजना में सर्वोच्च ध्यान ऊर्जा पर केन्द्रित किया गया तथा इस विकास शीर्ष पर 20,289.8 करोड़ रुपए खर्च किया गया जो कि वार्षिक योजना परिव्यय का 27.9 प्रतिशत था। इसके अलावा सामाजिक सेवा तथा परिवहन विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 1993-94 की वार्षिक योजना 88,080.7 करोड़ रुपए की थी। वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना का परिव्यय 98,167.3 करोड़ रुपए था। इसमें केन्द्रीय योजना 59,053.6 करोड़ रुपए, राज्य योजनाएँ 37,459.1 करोड़ रुपए तथा केन्द्र शासित राज्यों की योजनाएँ 1654.4 करोड़ रुपए थी। वार्षिक योजना 1995-96 का परिव्यय 1,07,380.4 करोड़ रुपए था जिसमें केन्द्रीय योजना 63,493.7 करोड़ रुपए, राज्य योजना 42,044.3 करोड़ रुपए तथा केन्द्रशासित राज्यों की योजनाएँ 1842.5 करोड़ रुपए की थीं। वार्षिक योजना 1996-97 का परिव्यय 1,18,976.4 करोड़ रुपए था।

योजना के घोषित लक्ष्य

आठवीं योजना के निर्धारित किये गए लक्ष्य इस प्रकार से हैं—

1	सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	5.6
2	घरेलू बचत (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में)	21.6
3	विनियोग दर (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में)	23.2
4	चालू खाते का घाटा (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में)	1.6
5	इन्फ्लेक्शन केपिटल आऊटपुट रेशो	4.1
6	वृद्धि दर	
	(i) निर्यात (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	13.6
	(ii) आयात (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	8.4

स्रोत आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97, वोल्यूम प्रथम।

योजना मूल्यांकन

आठवीं योजना की समयावधि अप्रैल 1992 से मार्च 1997 तक थी। विभिन्न आर्थिक सूचकों की वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर अर्थव्यवस्था की तस्वीर की समीक्षा की जा सकती है।

आठवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1992-93 में 5.2 प्रतिशत, 1993-94 में 6.2 प्रतिशत, 1994-95 में 7.7 प्रतिशत, 1995-96 में 7.8 प्रतिशत तथा 1996-97 में 8.1 प्रतिशत रही। आठवीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत बैठती है जो निर्धारित लक्ष्य (5.6 प्रतिशत) से अधिक है। वर्ष 1992-93 में सकल घरेलू दघत (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में) 22 प्रतिशत रही। यह वर्ष 1993-94 में 21.8 प्रतिशत, 1994-95 में 24.2 प्रतिशत, 1995-96 में 24.1 प्रतिशत तथा 1996-97 में 24.4 प्रतिशत थी। योजना में सकल घरेलू दघत का लक्ष्य 21.6 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। योजना में सकल घरेलू दघत का निर्धारित लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण वर्ष 1992-93 में 24 प्रतिशत तथा वर्ष 1993-94 में 20.8 प्रतिशत रही। वर्ष 1994-95 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण 22.2 प्रतिशत तथा 1995-96 में 25.6 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 1994-95 में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत था जो निर्धारित लक्ष्य 1.6 प्रतिशत के अनुरूप ही है।

योजनावधि में निर्यात वृद्धि दर उल्लेखनीय रही। वर्ष 1992-93 में निर्यात वृद्धि दर 21.9 प्रतिशत रही। यह वर्ष 1993-94 में 29.9 प्रतिशत, 1994-95 में 18 प्रतिशत, 1995-96 में 28.6 प्रतिशत तथा 1996-97 में 11.7 प्रतिशत थी। योजना में निर्यात वृद्धि दर का लक्ष्य (13.6%) तो प्राप्त कर लिया गया, किंतु आयात वृद्धि दर को नियंत्रित करने में विफलता मिली। योजना की आयात वृद्धि का लक्ष्य 8.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तुलना में आयात वृद्धि दर 1992-93 में 32.4 प्रतिशत, 1993-94 में 15.3 प्रतिशत, 1994-95 में 23.1 प्रतिशत, 1995-96 में 36.4 प्रतिशत तथा 1996-97 में 13.2 प्रतिशत थी। आयात वृद्धि दर के अत्यधिक बढ़ जाने से निर्यात वृद्धि दर के अर्जित लक्ष्य फीके पड़ गए। नतीजतन व्यापार घाटा फिर काटू से बाहर हो गया।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के जा लक्ष्य निर्धारित किए गए उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसका प्रमुख कारण निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ऊंचा होना है। लक्ष्य तो ऊंचे निर्धारित कर दिए गए लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए कारगर प्रयास नहीं किये गए। निर्धारित लक्ष्य पहुंच में होने चाहिए। योजनागत लक्ष्य इतने कम भी नहीं हाने चाहिए कि बदले परिदेश में अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जाए। हाल ही में कन्द सरकार ने 7 से 8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर और 12 प्रतिशत औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखा है। आर्थिक विकास की आवश्यकता और भौतिक व मानवीय ससाधना का दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किये जाए और

उन्हे अर्जित करने के भरपूर प्रयास हों। तभी भारत को गरीबी के ताण्डव नृत्य और सुरसा के मुह जैसी बढ़ती बेकारी की समस्या से निजात मिल सकती है।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय बताइए।
- 2 आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कीजिए।
- 3 आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 आर्थिक नियोजन के पांच दशकों के योजना परिव्यय और प्राथमिकताओं का वर्णन कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के योजना परिव्यय और प्राथमिकताओं को लिखना है।)
- 2 आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई है? विवेचना कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई आठवीं पंचवर्षीय योजना को विस्तार से लिखना है।)

नौवीं पंचवर्षीय योजना (Ninth Five Year Plan)

आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। भारत में आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना राजनीतिक अस्थिरता की शिकार रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1990 में प्रारम्भ हो जाना चाहिए थी किन्तु तथाकथित राजनीतिक कारणों से यह नियत समय पर प्रारम्भ नहीं हो सकी। वर्ष 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में स्वीकार किया गया। आठवीं योजना की समाप्ति 1992-97 निर्धारित की गई। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किए जाने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की प्रासंगिकता प्रभावित हुई है। आर्थिक उदारीकरण में आर्थिक विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका नियोजित विकास की तुलना में कम हो गई है। वर्तमान में निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका है।

विडम्बना है नौवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विलम्ब हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1997 को समाप्त हो चुकी थी लेकिन नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वित्तीय वर्ष 1997-98 और 1998-99 बिना पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन के बीत गए। नौवीं योजना के नियत समय पर क्रियान्वित नहीं होने के प्रमुख कारण वेंद्र सरकार का बार-बार बदला रहना। गौरतलब है कि मई 1996 के लोकसभा चुनावों के बाद देश में तीन सरकारें बनीं और फिर गिर गईं। 16 मई 1996 को वेंद्र में भाजपा सरकार का गठन हुआ किन्तु 28 मई 1996 को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव गिर जाने से मतदान से पूर्व भाजपा सरकार ने इस्तीफा दिया। एच जून् 1996 को एच डी देवगौडा ने बहुदलीय समुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री का पद सम्भाला। कांग्रेस ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 11 अप्रैल 1997 को देवगौडा ने विश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 21 अप्रैल 1997 को इन्द्र कुमार गुजराल देश के 13वें प्रधानमंत्री बने। राप्रपा के समर्थन कापली से गुजराल सरकार गिरी। फरवरी 1998 में बारहवीं लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए। 19 मार्च 1998 को बहुदलीय भाजपा सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

बारहवीं लोकसभा चुनाव की मतगणना प्रारंभ होने से ठीक एक दिन पहले (एक मार्च 1998) को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मधु दण्डवते ने नौवीं योजना का मसौदा प्रस्तुत किया। नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 16 जनवरी 1997 की बैठक में सर्वसम्मति से मजूरी दे दी थी। इस प्रारूप को योजना आयोग की एक मार्च 1998 की बैठक में स्वीकृत कर लिया गया था। वाजपेयी सरकार ने 21 मार्च 1998 को जसवंत सिंह को योजना आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया। भाजपा गठबंधन सरकार नौवीं योजना के प्रारूप और बदली हुई उन प्राथमिकताओं की समीक्षा करेगी, जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की आत्मनिर्भरता से संबंधित और सरकार के राष्ट्रीय एजेन्डा से जुड़ी हुई थी। नौवीं योजना के संशोधित ड्राफ्ट को 1998 में मूर्त रूप दिया गया। नई सरकार ने नौवीं योजना में आधारभूत संरचना, कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई पर अतिरिक्त आवंटन किया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रो. मधुदण्डवते ने एक मार्च 1998 को नौवीं योजना का मसौदा जारी किया। योजना की समयवधि एक अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 निर्धारित की गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का सकल व्यक्त किया गया है। नौवीं योजना के नौ लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं —

- 1 पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करना और निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।
- 2 मूल्यों में स्थायित्व के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज करना।
- 3 सभी के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- 4 सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और आवास की मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना और समायोज्य तरीके से सभी के साथ सम्बद्धता।
- 5 जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करना।
- 6 सामाजिक मेलजोल एवं सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से विकास प्रक्रिया की पर्यावरण संबंधी क्षमता को सुनिश्चित करना।
- 7 सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के कारक में महिलाओं तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों को शक्तियां प्रदान करना।
- 8 जन भागीदारी वाली संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं

तथा स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहन देना एवं उन्माद विकास करना।

9 आत्मनिर्भरता लाने के लिए प्रयासों को बढ़ाना।

योजना परिव्यय (Plan Outlay)

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की राशि 8 75 000 करोड़ रूपए निर्धारित की गई है। यह आठवीं योजना में वास्तविक व्यय से 51 प्रतिशत और प्रस्तावित व्यय से 35 प्रतिशत अधिक है। निवेश की राशि में केंद्रीय परियोजनाओं के लिए 5 08 021 करोड़ रूपए और राज्य सरकारों की परियोजनाओं के लिए 3 66 979 करोड़ रूपए रखे गए हैं। केंद्रीय पोषण (Central Support) 3 74 000 करोड़ रूपए प्रस्तावित है। इनमें 2 06 895 करोड़ रूपए केंद्रीय क्षेत्र के लिए है तथा 1 67 105 करोड़ रूपए राज्यों को दिए जाएंगे। योजना चालू राजस्व से अधिशेष (Balance from Current Revenue) से 1 25 667 करोड़ रूपए बाजार उधार 3 33 159 करोड़ रूपए तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से 80 018 करोड़ रूपए द्वारा पोषित होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का क्षेत्रीय आवंटन

तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। किन्तु आठवीं योजना की तुलना में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम किया गया है। आठवीं योजना के दौरान महत्वपूर्ण ढायागत क्षेत्र में निवेश की कमी पर खेद व्यक्त करते हुए दस्तावेज में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में व्यावसायिक गजरिया अपनाने और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में सीधे विदेशी निवेश के साथ-साथ निजी निवेश आकर्षित करने के उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है। योजना में सामाजिक क्षेत्र के निवेश में भी कमी की गई है।

तीसरी योजना में ऊर्जा, सामाजिक सेवा तथा कृषि एवं संबन्धित क्षेत्र पर विशेष ग्ल दिया गया है। ऊर्जा के लिए 2 21 973 करोड़ रूपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 25.4 प्रतिशत है। सामाजिक सेवाओं के लिए 1 80 931 करोड़ रूपए का प्रावधान है जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय का 20.7 प्रतिशत है। कृषि तथा संबन्धित गतिविधियों पर भी योजना में विशेष जोर दिया गया है। योजना में कृषि व संबन्धित सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ग्रामीण विकास व विशेष कार्यक्रम पर 1 73 125 करोड़ रूपए व्यय प्रस्तावित है जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 19.8 प्रतिशत है। इसके अलावा कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का उद्योग व खनिज पर 8.2 प्रतिशत, संचार पर 5.6 प्रतिशत, विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण पर 3 प्रतिशत, सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 1.8 प्रतिशत तथा सामान्य सेवाओं पर 1.4 प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है।

नौवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का क्षेत्रीय आवंटन

क्षेत्रक	सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय (करोड रुपए)	सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय के प्रतिशत में
1 कृषि व संबद्ध गतिविधिया	36,658	4.2
2 सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	57,735	6.6
3 ग्रामीण विकास	74,942	8.6
4 विशेष कार्यक्रम	3,790	0.4
5 ऊर्जा	2,21,973	25.4
6 उद्योग और खनिज	71,684	8.2
7 परिवहन	1,24,188	14.2
8 संचार	48,791	5.6
9 विज्ञान और टेक्नोलोजी तथा पर्यावरण	26,343	3.0
10 सामान्य आर्थिक सेवाए	15,569	1.8
11 सामाजिक सेवाए	12,396	1.4
12 सामान्य सेवाए	1,80,931	20.7
कुल 1 से 12	8,75,000	100.0

स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे 1994-95

वित्त पूर्ति के स्रोत

नौवीं योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय की वित्त पूर्ति के स्रोत निम्नलिखित हैं -

वित्त पूर्ति के स्रोत

(करोड रुपए)

स्रोत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
चालू राजस्व शेष	1,26,000	14.4
सार्वजनिक उपक्रमों से अंशदान	3,56,125	40.7
बाजार ऋण	3,32,500	38.0
विदेशों से पूंजी का शुद्ध आगम	60,375	6.9
घाटे की वित्त व्यवस्था	00	0.0

स्रोत दी इकोनोमिक टाइम्स, 2 मार्च 1998, (प्रतिशत के आधार पर वित्त पूर्ति करोड रुपए निकाले गए हैं।)

वैकल्पिक विकास स्वरूप
(Alternative Growth Parameters)

(प्रतिशत में)

सूचक	आठवीं योजना	15 वर्षीय शेनारियो I	योजना स्वरूप शेनारियो-II
1 जीडीपी वृद्धि दर	6.5	6.5	7.5
2 निवेश पर	25.0	27.4	29.5
(अ) निजी	16.7	18.5	20.1
(ब) सार्वजनिक	8.3	8.9	9.4
3 बचत पर	24.1	25.3	27.2
(अ) निजी	22.5	23.6	23.8
(ब) सार्वजनिक	1.6	1.7	3.4
4 चालू खाता घाटा (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में)	0.9	2.1	2.3
5 आई सी ओ आर (पूर्ण)	3.9	4.2	3.9
6 बेरोजगारी दर (वर्ष के अन्त में)	2.1	2.5	-0.6

स्रोत दी इकोनॉमिक टाइम्स, 2 मार्च 1998

नौवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाएं

वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना का आकार 1,39,625.9 करोड़ (सशोधित अनुमान) था जिसमें केंद्रीय योजना 81,033.9 करोड़ रुपए, राज्य योजनाएं 55,815.2 करोड़ रुपए तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की योजनाएं 2,776.7 करोड़ रुपए थीं। वर्ष 1998-99 की केंद्रीय योजना का आकार 1,58,598.4 करोड़ रुपए (सशोधित अनुमान) तथा 1999-2000 की वार्षिक योजना का आकार 1,03,521 करोड़ रुपए (अंतिम अनुमान) था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ। प्रारम्भिक तीन वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य से कम रही। सकल घरेलू वृद्धि दर (1993-94 के मूल्य पर) 1997-98 में 5.0 प्रतिशत (अस्थायी) 1998-99 में 6.8 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) तथा 1999-2000 में 5.9 प्रतिशत (अंतिम अनुमान) थी।

दृष्टिकोण

नौवीं योजना के दो पिछेले वर्ष 1997-98 और 1998-99 बिना योजना क्रियान्वयन के ही बीत गये और इन दो वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा

उत्साहवर्धक नहीं थी। शेष वर्षों की प्रगति के आधार पर नौवीं योजना के लक्ष्य अजित करना कठिन होगा। नौवीं योजना के मसौदे में जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत निर्धारित की गई है। जीडीपी वृद्धि दर 1997-98 में 7 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले केवल 5 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जीडीपी वृद्धि दर के बढ़ने की सम्भावना कम है। ऐसी स्थिति में योजना के 7 प्रतिशत विकास लक्ष्य को अर्जित करने के लिए शेष वर्षों में जीडीपी वृद्धि दर को 8 प्रतिशत करने की आवश्यकता होगी। नई केन्द्र सरकार अर्थव्यवस्था की दशा को देखकर नौवीं योजना का विकास लक्ष्य 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है।

आर्थिक वृद्धि दर में कृषि और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नौवीं योजना में कृषि और ग्रामीण विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण परिवेश पर जोर देने से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी। किन्तु हाल के वर्षों में विशेषकर 1999-2000 में कृषि क्षेत्र से निराशा हाथ लगी है। औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट हुई है। कृषि और उद्योगों की दयनीय दशा का प्रभाव निश्चित रूप से आर्थिक वृद्धि दर पड़ेगा। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना नहीं रहेंगे। दक्षिण-पूर्व एशियाई सकट और अनेक दशों की मुद्राआ के अवमूल्यन के कारण 14.5 प्रतिशत निर्यात वृद्धि दर लक्ष्य अर्जित करना कठिन होगा। नौवीं योजना के निर्धारित लक्ष्य को अजित करने के लिए कारगर प्रयासों की आवश्यकता है।

स्रोत

- 1 दी इकोनॉमिक टाइम्स 2 मार्च 1998

प्रश्न एवं सकेत

लघु प्रश्न

- 1 नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य बताइए।
- 2 नौवीं पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का विवरण दीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए।
(सकेत - अध्याय में दी गई नौवीं पंचवर्षीय योजना को विस्तार से लिखना है।)

भारत में नियोजन की तकनीक योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन

(Techniques of Indian Planning - Plan Formulation,
Execution and Evaluation)

आर्थिक नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया है। नियोजन को कई अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को निश्चित करना पड़ता है तत्पश्चात् योजना का निर्माण किया जाता है। इसके बाद योजनाओं का कार्यान्वयन सम्पन्न करना होता है। अतः योजना में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। नियोजन स्वयं एक तकनीक है, किन्तु इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए 'नियोजन की तकनीक' का उपयोग किया जाता है। नियोजन और योजना समरूप नहीं हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों में योजना बनी हो वहाँ विकास के लिए नियोजन अपनाया हुआ हो। विश्व के कई देशों यथा ब्राजील, घाना, इण्डोनेशिया, बर्मा, नेपाल आदि में योजना बिना नियोजन के भी बनी। परिस्थितियों के अनुसार नियोजन की तकनीक में परिवर्तन हो जाता है। रूस ने आर्थिक नियोजन की तकनीक को अनुभवों से दोष रहित बनाया। किन्तु भारत नियोजन की तकनीक को रूस की भाँति सही दिशा देने में सफल नहीं हो सका। आर्थिक विकास की दृष्टि से नियोजन की तकनीक के स्वरूप तथा आधार अलग-अलग होते हैं। राष्ट्र विशेष को उपलब्ध ससाधनों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन की तकनीक को आत्मसात करना चाहिए। नियोजन की तकनीक का सबंध आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित चरणों से होता है -

- 1 योजना सगठन
- 2 योजना का निर्माण
- 3 योजना की जाँच एवं स्वीकृति
- 4 योजना की क्रियान्वयन
- 5 योजना का मूल्यांकन

आर्थिक नियोजन की तकनीक

योजना संगठन	योग्य विभाग	योजना की जाय भार स्वीकृति	योजना का क्रियान्वयन	योजना का मूल्यांकन
1. वित्तीय संगठन	1. योजना के उद्देश्य और	1. विभिन्न परिषद द्वारा	1. परियोजना का	1. मूल्यांकन
2. कृषि संगठन	व्युत्पन्नता का निर्धारण	योजना से जांच	क्रियान्वयन	2. कार्यक्रम मूल्यांकन
3. उद्योग और	2. योजनायुक्ति का निर्धारण	2. योजना के प्रारूप	2. आर्थिक नीतियों का	3. संगठन द्वारा योजना
व्यापार संगठन	3. प्राथमिकताओं का निर्धारण	का प्रसारण	क्रियान्वयन	की उपलब्धियों और
4. प्रबन्ध संगठन	4. भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण	3. जनसाधारण के	3. वित्तीय योजना का	कर्मियों का निरन्तर
5. सामाजिक और	5. योजना का भाकार	सुझाव आमंत्रित करना	क्रियान्वयन	ज्ञान
अनुसंधान संगठन	6. नियोजन के मापदण्ड	4. राष्ट्रीय विकास परिषद	4. निजी क्षेत्र द्वारा	4. आवश्यक सरोधान
6. परिवहन और	7. तकनीक का चुनाव	द्वारा विचार विमर्श	क्रियान्वयन	और सुझाव
संचार संगठन	8. संसाधनों की उपलब्धता	5. सार्वद द्वारा योजना	5. वार्षिक कार्यक्रम	
7. रत्न सहयोग	और गतिशीलता	की स्वीकृति		
विभाग	9. आर्थिक विकास दर			
8. रचनात्मक सेवा	10. योजना में संतुलन			
संगठन	11. पूरक योजना			
9. सूचना और	12. नियोजन में लचीलता			
प्रसारण संगठन				

1 योजना सगठन (Planning Organisation)

देश में नियोजन को गति देने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने होते हैं। इनमें योजनाओं के उद्देश्यों का निर्धारण, योजनाओं का निर्माण योजनाओं की जांच एवं स्वीकृति, योजनाओं का क्रियान्वयन और अंत में योजना का मूल्यांकन आदि मुख्य हैं। इनके अलावा योजना बनाने से पूर्व प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के भावी परिप्रेक्ष्य के अनुमान की आवश्यकता होती है। इन सब कार्यों को सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय नियोजन सगठन की आवश्यकता होती है। भारत में योजना संबंधी गतिविधियों को सम्पन्न करने के लिए भारतीय योजना आयोग क्रियान्वयन में है। केन्द्रीय नियोजन सगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसका गठन संविधान के अनुसार हो ताकि यह राजनीतिक हितों से परे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। केन्द्रीय नियोजन सगठन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होने चाहिए जिससे देश के विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ विवास के क्षेत्र में किया जा सके। योजनाओं के दखूबी संचालन के लिए जन प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच सामन्जस्य होना आवश्यक है।

केन्द्रीय नियोजन सगठन को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व निभाना होता है। इसके लिए नियोजन सगठन अर्थव्यवस्था के सभी अंगों के लिए नियोजन करता है। अंत केन्द्रीय नियोजन सगठन के अन्तर्गत अनेक सहायक विभाग होते हैं जो इस प्रकार हैं

1. वित्तीय सगठन (Financial Organisation) — योजनाओं के सफल संचालन के लिए वित्त का महत्त्व अपरिहार्य है। वित्तीय सगठन योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराने तथा वित्त के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निराकरण के उपाय सुझाता है।

2. कृषि सगठन (Agricultural Organisation) — भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्त्व है। कृषि की प्रगति के साथ असंख्य भारतीयों की रोजी-रोटी का सवाल जुड़ा है। कृषि सगठन कृषि विकास संबंधी नियोजन का कार्य करता है। कृषि प्रगति के लिए कृषिगत उत्पादन में वृद्धि, कीटनाशक, उर्वरक, भूमि कानून, यंत्रीकरण, उन्नत बीज आदि आवश्यक हैं। कृषि सगठन में कृषि विशेषज्ञ होते हैं। कृषि सगठन के माध्यम से कृषि विशेषज्ञ सेवाएं देकर कृषि विकास में भूमिका निभाते हैं।

3 उद्योग और व्यापार सगठन (Industry and Trade Organisation) — भारत सरीखे विकासशील देशों में गरीबी निवारण के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। उद्योग और व्यापार सगठन में उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञ उद्योग और व्यापार संबंधी निगमों का कार्य करते हैं। यह सगठन औद्योगीकरण तथा उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करता है।

4 प्रबंध संगठन (Management Organisation) - नियोजन की सफलता अच्छे प्रबंधकीय कौशल पर निर्भर करती है। प्रबंध संगठन वृत्तल व्यक्तियों व विशेषज्ञों का घन अच्चे प्रशासनिक तरीकों की खोज विभागों और उपविभागों में तालमेल योजनाओं का मूल्यांकन आदि कार्य करता है।

5 सांख्यिकी और अनुसंधान संगठन (Statistical and Research Organisation) - यह संगठन आर्थिक नियोजन के लिए सर्वेक्षण विश्वसनीय सूचना और आंकड़ों का सफलता का कार्य करता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं अनुसंधान कर नवीन उत्पादन विधियों के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

6 परिवहन और संचार संगठन (Transportation and Communication) - आधारभूत संरचना के विकास बिना औद्योगीकरण संभव नहीं है। आज आर्थिक विकास बड़ी सीमा तक आधारभूत संरचना के विकास पर निर्भर करता है। परिवहन और संचार संगठन रेलवे सड़क वायु एवं जल यातायात के विकास की योजनाएं बनाता है। इस संगठन द्वारा संचार के विकास और विस्तार संबंधी नियोजन पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। संगठन आधारभूत संरचना के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण भी करता है।

7 जन सहयोग विभाग (Public Co operation Organisation) - जन सहयोग के बिना योजना के सफल संचालन की बात सोची भी नहीं जा सकती है। जन सहयोग विभाग जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के नये-नये तरीकों की खोज करता है। जन सहयोग प्राप्त होने से योजनाओं की सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। अपक्षित जन सहयोग के अभाव में अच्छी से अच्छी योजनाएं भी धरी रह जाती हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपेक्षित जनसहयोग के अभाव में सफल नहीं हो सके।

8 सामाजिक सेवा संगठन (Social Service Organisation) - सामाजिक सेवा संगठन शिक्षा चिकित्सा सामाजिक-सुरक्षा समाज कल्याण परिवार कल्याण आदि से संबंधित योजनाएं बनाता है। इसके अलावा इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है।

9 सूचना और प्रसारण संगठन (Information and Broadcasting Organisation) - सूचना और प्रसारण संगठन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी जनता को मुहैया कराता है। विकास संबंधी जानकारी जनता को उपलब्ध कराता आवश्यक होता है। भारत में जनता को विकास की जानकारी मुहैया कराने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रमुख मासिक योजना का प्रकाशन किया जाता है।

2 योजना का निर्माण (Plan Formulation)

योजना निर्माण समयवधि में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से

अपनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा (Blue Print) होती है जिसमें विभिन्न भौतिक और वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से बतलाये जाते हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक योजना का निर्माण किया जाता है। योजना का निर्माण एक जटिल काम है अतः योजना के निर्माण करते दो-तीन वर्ष पूर्व ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। योजना में भविष्य के अनुमान भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः योजनाओं का ढांचा उपलब्ध आकड़ों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। विकासशील देशों में विश्वसनीय आकड़ों के अभाव में योजनाओं के निर्माण में कठिनाई आती है। योजनाओं के निर्माण का कार्य योजना आयोग अथवा नियोजन प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किया जाता है। योजना निर्माण सबंधी प्रक्रिया में अग्रलिखित तत्त्वों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है -

1. योजना के उद्देश्य और व्यूहरचना का निर्धारण (Determination of Plan Objectives and Strategies) -- योजनाओं के निर्माण में उद्देश्यों का निर्धारण महत्त्वपूर्ण कार्य है। आर्थिक नियोजन में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण देश की सरकार द्वारा अथवा योजना आयोग या नियोजन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान की जाती है। विश्व के देशों में आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं। देशों में आर्थिक नियोजन के अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। एक देश में भी सब समयों में उद्देश्य समान नहीं होते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण व्यापक हितों से सबद्ध तथा राष्ट्रीय लाभ की दृष्टि से होना चाहिए। इसके अलावा उद्देश्यों में सामन्जस्य होना चाहिए तथा उनका निर्धारण इतना व्यावहारिक हो कि उन्हें प्राप्त किया जा सके। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकते हैं। नियोजन के आर्थिक उद्देश्यों में अधिकतम राष्ट्रीय उत्पादन, मूल्य नियंत्रण, कृषिगत विकास, औद्योगीकरण, न्यायोचित वितरण पूर्ण रोजगार, सतुलित विकास सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक उद्देश्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण, सांस्कृतिक चेतना जनसंख्या पर नियंत्रण, सामाजिक समानता सामाजिक सुरक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक उद्देश्यों में देश की सुरक्षा को सशक्त बनाना, ससाधनों का सामरिक दृष्टि से नियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, राजनीतिक स्थायित्व आदि उल्लेखनीय हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति से समस्त विश्व में आर्थिक विकास का अनुकूल वातावरण सृजित होता है।

2. योजनावधि का निर्धारण (Determination of Plan Period) - आर्थिक नियोजन समय से बंधा हुआ कार्यक्रम होता है। नियोजन के उद्देश्यों को पूरा करने में योजनावधि का निर्धारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। योजनाएँ अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन से संबंधित हो सकती हैं। अल्पकालीन योजनाएँ प्रायः वार्षिक, मध्यकालीन योजनाएँ तीन से सात वर्ष तथा दीर्घकालीन योजनाएँ 10 से 20 वर्ष अथवा अधिक अवधि की हो सकती हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति वास्ते दीर्घकालीन नियोजन की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन नियोजन के अन्तर्गत

असावधि योजनाएँ यथा पंचवर्षीय योजना बनायी जा सकती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में वार्षिक योजनाएँ बनायी जाती हैं। अल्पकालीन योजनाओं का आर्थिक नियोजन के साथ समन्वय आवश्यक है ताकि योजना के उद्देश्यों को सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। विकासशील देशों में योजनाओं के निर्धारित उद्देश्यों को निश्चित समयाधि में प्राप्त करना कठिन काम होता है। दीर्घकालीन योजनाएँ प्रायः आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तनों के कारण अनिश्चित होती हैं। वार्षिक योजनाओं में ऐसे परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अतः योजना निर्माण में योजनावधि प्रारम्भिक होती है। नियोजन की तकनीक योजनावधि के अनुरूप होनी चाहिए।

3 प्राथमिकताओं का निर्धारण (Determination of Priorities) - विकासशील देशों में ससाधनों की सीमितता होती है। अतः ससाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम है। प्राथमिकताओं का निर्धारण उद्योग व कृषि के आधार पर उत्पादन और वितरण के आधार पर तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं विनियोग के आकार आदि को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। देश के लिए महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए चाहिए तथा कम महत्त्व की परियोजनाओं को बाद में स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिकताओं के निर्धारण में लचीलापन होना चाहिए ताकि उन्हें देश की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके।

प्राथमिकताओं के निर्धारण की समस्या प्रायः अनेक रूपों में सामने आती है-

(1) **कृषि और उद्योग (Agriculture and Industry)** प्राथमिकताओं को निश्चित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि देश में कृषि तथा उद्योग में न्यूनताएँ उत्पन्न न हो जाएँ। जिससे विकासशील अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई माँग के लिए विभिन्न वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति हो ताकि कीमत स्तर नहीं बढ़े। राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि कृषि अथवा उद्योग में से किसे अधिक प्राथमिकता दे। विकासशील राष्ट्र कृषि को अधिक प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इन देशों में बहुसंख्यक जनसंख्या जीवन वसर के लिए कृषि पर निर्भर होती है। साथ ही राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा देशवासियों को खाद्यान्न मुहैया कराने तथा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम भी कृषि का ही होता है। देश के विकास की ओर अग्रसर होने पर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि तीव्र विकास के लिए उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। विकसित राष्ट्रों में औद्योगीकरण सम्पन्नता का प्रतीक होता है। जनसंख्या का बड़ा भाग उद्योगों में लगा हुआ होता है। विकसित देशों में कृषि को भी पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है।

(ii) **श्रम प्रधान उद्योग अथवा पूँजी प्रधान उद्योग (Labour Intensive and Capital Intensive Industries)** आर्थिक नियोजन की प्राथमिकता निर्धारित करते समय यह समस्या आती है कि श्रम प्रधान और उद्योग प्रधान उद्योगों में से किसे अधिक प्राथमिकता दी जाए। विकासशील राष्ट्र श्रम प्रधान उद्योगों को अधिक महत्त्व देते हैं क्योंकि इन राष्ट्रों में बेरोजगारी की समस्या मुखर होती है। लेकिन तीव्र

विकास को दृष्टिगत रखते हुए कुछ आधारभूत पूँजी प्रधान उद्योगों के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। विकसित देशों में पूँजी प्रधान उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

(iii) आधारभूत उद्योग अथवा उपभोग उद्योग (Infrastructure Industries and Consumer Industries) प्राथमिकताओं के निर्धारण में देश को यह निर्धारित करना होता है कि आधारभूत उद्योगों अथवा उपभोग उद्योगों में से किसको अधिक प्राथमिकता देगा। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास आवश्यक होता है। विकासशील देशों में संपूर्ण जनसंख्या के लिए उपभोग सामग्री की आवश्यकता होती है। पिछड़े देशों में तीव्र विकास के लिए आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता देने से औद्योगीकरण का वातावरण बनता है तदुपरांत उपभोग उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। विकसित देशों में विकास का आखिरी लक्ष्य जनता के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। अतः विकसित राष्ट्रों में उपभोग उद्योगों को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता है।

(iv) घरेलू और विदेशी व्यापार (Home and Foreign Trade) प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि घरेलू और विदेशी व्यापार में सतुल्यता रहे ताकि विदेशी विनिमय व भुगतान शेष की कठिनाई उत्पन्न न हो। राष्ट्र की समृद्धि बड़ी सीमा तक विदेशी व्यापार की अनुकूलता पर निर्भर करती है। विकासशील देश व्यापार घाटे की समस्या से ग्रसित है। अतः ऐसे देशों को विदेशी व्यापार वृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(v) सामाजिक और आर्थिक पूँजी (Social and Economic Capital) देश में सामाजिक और आर्थिक पूँजी का यथोचित निर्माण होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि परिवहन, विद्युत, श्रमिक वर्ग आदि की न्यूनताएँ अर्थव्यवस्था में बाधाएँ उत्पन्न न करें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर योजना में प्राथमिकताएँ निर्धारित की जानी चाहिए।

(vi) विनियोग और उपभोग (Investment and Consumption) आर्थिक नियोजन में प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय नियोजक यह निर्धारित करते हैं कि विनियोग व उपभोग में से किसे प्राथमिकता दी जाए। देश में प्रायः विनियोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है तथा उपभोग को राशनिग करो तथा राजकीय नीतियाँ से नियोजित करने का प्रयास किया जाता है। विकासशील राष्ट्रों में विनियोग को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता है। विकसित राष्ट्रों में मंदी के समय उपभोग को प्राथमिकता दी जाती है। प्रजातांत्रिक आर्थिक नियोजन में विनियोग और उपभोग दोनों में समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है।

(vii) उत्पादन और वितरण (Production and Distribution) नियोजक यह निर्धारित करता है कि उत्पादन को कितना महत्त्व दिया जाएगा तथा उत्पादित वस्तुओं के वितरण को कितना महत्त्व दिया जाएगा। प्रायः विकासशील देशों में वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होती है। अतः इन देशों में उत्पादन वृद्धि पर

अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।

(viii) क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ (Regional Priorities) आर्थिक नियोजन में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा संतुलित आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राष्ट्र के विशाल होने तथा कुछ क्षेत्रों के पिछड़े होने की स्थिति में संतुलित विकास का महत्त्व और बढ़ जाता है। नियोजक राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना चाहते तथा क्षेत्र विशेष की सभाव्यता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं।

(ix) आर्थिक विकास अथवा प्रतिरक्षा (Economic Development and Defence) विश्व के कुछ देशों में बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन की प्राथमिकताओं में प्रतिरक्षा को महत्त्व देना आवश्यक है। नियोजकों को यह ध्यान रखना होता है कि योजना प्रतिरक्षा से संबंधित होगी अथवा उसका प्रमुख लक्ष्य विकास होगा। भारत सखी विकासशील देशों को विकास को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए लेकिन प्रतिरक्षा के मामले में भारत के कटु अनुभव रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता के पांच दशक में चार बड़े युद्ध और कारगिल सीमित युद्ध लड़ने पड़े। ऐसी स्थिति में भारत को नियोजन की प्राथमिकता में प्रतिरक्षा को अधिक महत्त्व देना पड़ा।

भारत योजना निर्माण में प्राथमिकताओं का निर्धारण करना नियोजक का प्रमुख काम है। किंतु किसी एक निश्चित व कठोर नियम के आधार पर प्राथमिकताएँ निश्चित नहीं की जा सकती हैं। उनका निर्धारण देश विशेष में समय विशेष पर पाई जाने वाली परिस्थितियों के सदर्थ में करना ही उपयुक्त रहता है।

4 भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण (Fixation of Physical Targets) – भौतिक साधनों के नियोजन से आशय आर्थिक नियोजन के लक्ष्यों को पाते वारते योजनागत लक्ष्यों को भौतिक इकाइयों में व्यक्त करने से है। इसके अन्तर्गत देश के भौतिक साधनों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन किया जाता है। भौतिक साधनों में भूमि श्रम पूँजी प्रबंध साहस तथा प्राकृतिक साधनों को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण में यह देखा जाता है कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा भविष्य में सम्भावित परिवर्तन क्या है? योजना निर्माण में नियोजकों को यह निर्धारित करना पड़ता है कि लक्ष्य किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पक्ष को समाविष्ट करने वाले होने चाहिए। उदाहरणार्थ खाद्यान्न उत्पादन और विभिन्न उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य विद्युत् उत्पादन इतने किलोवाट रेलमार्गों और सड़कों की लम्बाई इतने किलोमीटर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में इतनी वृद्धि इतनी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना आदि लक्ष्यों का निर्धारण करना पड़ता है।

भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि देश के उपलब्ध संसाधनों का बखूबी उपयोग किया जा सके। लक्ष्यों का निर्धारण नियोजन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कुल भौतिक पूँजी मानव संसाधन संबंधी आकड़ों के सदर्थ में किया जाना चाहिए। भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण केवल

सार्वजनिक सस्थाओं के लिए ही नहीं, निजी क्षेत्र के लिए भी निर्धारित किए जाने चाहिए। भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण जटिल काम है अतः इनके निर्धारण में विशेषज्ञों की सहायता ली जानी चाहिए। केन्द्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए लक्ष्यों की जांच पड़ताल कर उनमें उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए।

5. योजना का आकार (Size of Plan) – योजना का आकार निर्धारित करते समय अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

- (i) आर्थिक स्थिति (Economic Situation) योजना का आकार देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है इसलिए इन देशों के आर्थिक नियोजन में योजना का आकार उत्तरोत्तर बढ़ता है।
- (ii) उद्देश्य (Objectives) योजना के आकार निर्धारण में उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। नियोजन के उद्देश्यों के आधार पर भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और ये भौतिक लक्ष्य ही योजना के आकार को प्रभावित करते हैं। रेल्वे विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बड़े आकार की योजना की आवश्यकता होती है।
- (iii) वित्तीय ससाधन (Financial Resources) योजना का आकार देश के आंतरिक ससाधन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करता है। विदेशी ससाधनों पर अधिक निर्भर रहने से देश के सकटग्रस्त होने की समावना रहती है। योजना का आकार वित्तीय ससाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित करना युक्तिसंगत रहता है।
- (iv) प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative Machinery) योजना का आकार निर्धारित करते समय प्रशासनिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाता है। निष्क्रिय प्रशासन के कारण अच्छी योजनाएँ भी विफल हो जाती हैं। प्रजातांत्रिक देशों में प्रशासन के अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण बड़ी योजना की सफलता संदिग्ध रहती है।
- (v) आकांक्षाएँ (Expectations) प्रजातांत्रिक देशों में जनता की सरकार से आकांक्षाएँ होती हैं। सरकार योजना का आकार निर्धारित करते समय जनता को दिये गए वचन और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की बात ध्यान में रखती है।

कुल मिलाकर सरकार योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने वास्ते योजना परिचय निर्धारित करती है।

6. विनियोजन के मापदण्ड (Investment Criteria) – योजना का आकार निर्धारित करने के बाद यह समस्या उभरती है कि अर्धव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों व उद्योगों में विनियोजन किस प्रकार और कितना-कितना किया जाए। विनियोजन के मापदण्ड नियोजन के उद्देश्य तथा देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक

परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंधित होने के कारण एक क्षेत्र का विनियोग दूसरे क्षेत्र के विनियोग से जुड़ा होता है। भारत सरीखे जातीय और श्रम बहुल देश में विनियोग यथासंभव श्रम प्रधान होना चाहिए। इससे विपरीत विकसित देशों में जासख्य वृद्धि दर कम होती है तथा बेरोजगारी की समस्या विकट नहीं होती है। अतः इन देशों में विनियोग पूंजी प्रधान होना चाहिए। एक देश को विनियोग के मापदण्ड में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा चाहिए।

- (i) **विदेशी विनिमय कोष का श्रेष्ठ उपयोग (Best Utilization of Foreign Exchange Reserve)** विकासशील देशों में प्रभावोत्पादक प्रयासों से विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि हो पाती है। अतः योजना का विनियोजन विदेशी विनिमय का समुचित उपयोग वाला होना चाहिए। विनियोजन से ऐसी परियोजनाओं की स्थापना की जाए जिनके उत्पाद के निर्यात से भुगतान शेष की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़े।
- (ii) **अधिक उत्पादन (Maximum Production)** तीव्र विकास के लिए उत्पादन वृद्धि आवश्यक है। अतः विनियोजन उत्पादन विनियोग अनुपात को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए अर्थात् विनियोजन ऐसा हो जिससे उत्पादन अधिकतम हो। ऐसे विनियोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन हो। अधिक उत्पादन से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।
- (iii) **रोजगार सृजन (Employment Creation)** विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या मुखर होती है। अतः विनियोजन ऐसे क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिसमें अधिकतम लोगो को रोजगार के अवसर मुहैया हो सकें।
- (iv) **वितरण में सुधार (Improvement in Distribution)** भारत सरीखे विकासशील देशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में धन के बावजूद जरूरतमंद व्यक्तियों को अनेक बार राशन मुहैया नहीं हो पाता। वस्तुओं के उत्पादन के अभाव में कालबाजारी होती है। देश में ऐसे विनियोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

7. **तकनीक का चुनाव (Selection of Techniques)** योजना के निर्माण में तकनीक का चुनाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। देश में श्रम-प्रधान तकनीक और पूंजी-प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। श्रम-प्रधान तकनीक में श्रम की मांग अपेक्षाकृत अधिक और पूंजी की मांग कम होती है। पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी की मांग अधिक और श्रम की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है। प्रश्न उठता है कि इन दोनों तकनीकों में से किसका चुनाव जाए? प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की तकनीकों का चुनाव करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अध्ययन के अनुसार अल्पविकसित राष्ट्रों के लिए श्रम प्रधान तकनीक को अधिक उपयुक्त माना

गया है। अल्पविकसित देशों में श्रम की प्रचुरता तथा पूँजी की कमी रहती है। अल्पविकसित देशों में श्रम प्रधान तकनीक के पक्ष में रोजगारोन्मुख मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को रोकना फैक्ट्री व्यवस्था के दोषों को दूर करने आयातों में कमी द्वारा विदेशी विनिमय में बचत आदि को प्रस्तुत किया जा सकता है। इन सब तर्कों के बावजूद विकासशील देशों में पूँजी प्रधान तकनीक का महत्त्व कम नहीं होता है। विकासशील देशों में श्रम के अधिक गतिशील नहीं होने के कारण आर्थिक विकास के लिए पूँजी प्रधान तकनीक की आवश्यकता महसूस की जाती है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए पूँजी प्रधान तकनीक अत्यधिक सहायक होती है। अनेक अर्थशास्त्री जिनमें हर्शमैन गलेन्सन लाईनेन्वटाइन सम्मिलित हैं विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक विकास के लिए पूँजी प्रधान तकनीक अपनाने पर जोर देते हैं। पूँजी प्रधान तकनीक से बचत और पूँजी निर्माण की दर बढ़ती है उत्पादन तीव्र गति से होता है उत्पादन की अच्छी किस्म तथा लागत कम आती है दीर्घकाल में रोजगार सृजन होता है।

दोनों ही प्रकार की तकनीकों के पक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए श्रम व पूँजी प्रधान तकनीक का प्रयोग गभीरतापूर्वक विचार करके किया जाना चाहिए। दोनों तकनीकों का समुचित तुलाव करना चाहिए। दोनों में अच्छा सामन्वयस्थ स्थापित किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में परिस्थितियों के अनुसार श्रम प्रधान तकनीक के साथ पूँजी प्रधान तकनीक का प्रयोग भी जरूरी है। युशल तकनीक वह होती है जिसमें उत्पादन लागत कम से कम आए अथवा नियोजित साधनों की सहायता से उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके।

8 ससाधनों की उपलब्धता और गतिशीलता (Availability and Mobilisation of Resources) योजना निर्माण में वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता और गतिशीलता का अत्यधिक महत्त्व होता है। भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण के साथ-साथ वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितने वित्तीय ससाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। योजना निर्माण के समय वित्तीय ससाधनों के पूर्ण संग्रहण की व्यवस्था करनी चाहिए। भौतिक नियोजन और वित्तीय नियोजन पारस्परिक संबन्धित हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता आंतरिक और बाह्य स्रोतों पर निर्भर करती है। आंतरिक स्रोतों में घाटे की वित्त व्यवस्था सार्वजनिक उपक्रमों से आय दर बाजार ऋण भल्प बचत तथा बाह्य स्रोतों में ऋण व अनुदान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण विदेशी निजी निवेश आदि सम्मिलित हैं आर्थिक योजना के निर्माण में विभिन्न स्रोतों से साधन संग्रहण का अनुमान लगाकर वित्तीय योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे मुद्रास्फीति नहीं बढ़े।

9 आर्थिक विकास दर (Economic Growth Rate) - योजना के निर्माण में विकास दर का निर्धारण बहुत आवश्यक है। नियोजकों को यह निर्धारित करना होता

है कि योजना के अंत में कौनसी सभावित विकास दर प्राप्त करनी है। आर्थिक विकास दर के साथ कृषि वृद्धि दर, औद्योगिक सवृद्धि दर, निर्यात वृद्धि दर, बचत व विनियोग दर आदि निर्धारित की जाती है। सरकार जनता में अधिक लोकप्रियता पाने के कारण ऊँची विकास दर निर्धारित कर देती है। योजना के अंत में निर्धारित विकास दर प्राप्त नहीं होने पर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ता है। विकास की दर निर्धारित करते समय नियोजकों को अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए। नियोजकों को यह देखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में कितनी विकास दर प्राप्त की जा सकती है। विकास की दर निर्धारित करते समय भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकास की ऊँची दर निर्धारित करने पर उसे प्राप्त करने का कारगर प्रयास करना चाहिए। विकासशील देशों में विकास की दर कृषि विकास दर पर निर्भर करती है। भारत में कृषि विकास आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित करता है।

10. योजना में संतुलन (Balances in Planning) – आर्थिक नियोजन का लक्ष्य समूची अर्थव्यवस्था यथा सभी राज्यों में संतुलन, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों, मौद्रिक संतुलन आदि में संतुलन स्थापित करना है। अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करते समय देश की परिस्थितियों तथा विविध तकनीकों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। सभी क्षेत्रों में संतुलन आर्थिक नियोजन को सफल बनाता है। विकासशील देशों में वित्तीय ससाधनों के अभाव में संतुलित विकास में कठिनाई आती है। वित्तीय ससाधनों के अभाव में असंतुलित विकास ही विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। हर्शमैन ने इस संबंध में कहा कि एक आदर्श स्थिति उस समय निर्मित होती है जबकि एक असंतुलन अन्य क्षेत्रों के विकास को प्रेरित करता है जो कि आगे चलकर स्वयं असंतुलन उत्पन्न करता है और ऐसा लगातार चलता रहता है। अगर असंतुलित विकास की ऐसी श्रृंखला स्थापित की जा सके तो आर्थिक नीति निर्माता दर्शक-दीर्घा में बैठकर मात्र दर्शक बन सकते हैं।

11. पूरक योजना (Supplementary Planning) – विकासशील राष्ट्र सामान्यतया वित्तीय ससाधनों के अभाव से ग्रसित होते हैं। ऐसी स्थिति में देश एक ही योजना को दो भागों में विभक्त कर सकता है। पहला आवश्यक भाग (Essential Project) होता है जिसे हर हालत में क्रियान्वित किया जाता है क्योंकि इसके लिए देश के पास पर्याप्त ससाधन उपलब्ध होते हैं। दूसरा सभाव्य भाग (Contingent Project) होता है इसकी क्रियान्विति वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। निकट भविष्य में वित्तीय ससाधनों के उपलब्ध होने पर इस भाग को पूरा करने की चेष्टा की जाती है। योजना के दो भाग होने का कारण मूल योजना में परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। भारत में वर्ष 1957 में विदेशी विनिमय संकट था परिणामस्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आवश्यक भाग और सभाव्य भाग में बाटा गया था।

12. नियोजन में लोचशीलता (Flexibility in Planning) – भविष्य में

अनिश्चितता की संभावना रहती है। अर्थव्यवस्था में भविष्य में लोगों की उपभोग प्रवृत्ति, तकनीकी, अनुसंधान, बचत व जीवन स्तर में परिवर्तन हो सकता है। योजना में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार बदलाव के लिए लोच होना आवश्यक है। किंतु लोचता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि योजना का मूल स्वरूप ही बदल जाए। भारत में आर्थिक निश्चितता के साथ राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजना में लोच का होना प्रासंगिक हो गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना राजनीतिक अस्थिरता के कारण आरंभिक दो वर्षों तक मूर्त रूप नहीं ले सकी। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना दो बार बनाई गई।

3. योजना की जांच और स्वीकृति

(Testing and Adopting of Plan)

योजना आयोग या नियोजन प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त ढंग से योजना की रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद आर्थिक नियोजन की तकनीक की आगे की प्रक्रिया योजना की जांच और उसमें आवश्यक संशोधन कर स्वीकृति प्रदान करना होता है। योजना की जांच में विशिष्ट परिषद द्वारा यह देखा जाता है कि योजना निर्माण के घटक देश की परिस्थितियों के अनुकूल हैं अथवा नहीं। परस्पर सतुलन और सामंजस्य को भी ध्यान में रखा जाता है। योजना निर्माण में कमी या असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जाता है। योजना के प्रारूप को प्रसारित कर जनसाधारण के रचनात्मक सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। योजना के प्रारूप पर केन्द्रीय मंत्रीमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भी विचार विमर्श किया जाता है। योजना आयोग द्वारा संशोधनों का समावेश करते हुए योजना का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है। योजना के अंतिम प्रारूप को स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाता है। योजना की स्वीकृति सरकार या ससद द्वारा दी जाती है। ससद स्वीकृति देने से पूर्व योजना के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करती है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। ससद योजना के अंतिम प्रतिवेदन पर आवश्यक संशोधनों के बाद स्वीकृति की मुहर लगाती है। ससद की स्वीकृति के बाद योजना के क्रियान्वयन पर प्रश्न उठता है। सामान्यतया ससद योजना के अंतिम प्रारूप में विशेष परिवर्तन नहीं करती क्योंकि एक परिवर्तन के परिणामस्वरूप योजना के कई घटकों में परिवर्तन हो जाता है जो एक पैघीदगीपूर्ण काम होता है।

4. योजना का क्रियान्वयन

(Execution of the Plan)

ससद द्वारा जब योजना को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तत्पश्चात् योजना के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो जाता है। योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व सरकार का होता है। यह कार्य विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। योजना को कार्यान्वित करने में जनसहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न विभाग आयोग से सतत संपर्क में रहते हैं ताकि नई परिस्थितियों के अनुरूप योजना को समायोजित

किया जा सके। योजना की सफलता के लिए योजना का भली-भाँति क्रियान्वयन जरूरी है। आर्थिक नियोजन स्वयं में कठिन होता है किंतु योजना का क्रियान्वयन और भी अधिक कठिन होता है। योजना के सही क्रियान्वयन से आर्थिक विकास तीव्र गति पकड़ता है।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यथार्थवादी उद्देश्य पर्याप्त वित्तीय सहायता विश्वसनीय आंकड़ें योग्य और ईमानदार प्रशासन का होना आवश्यक है। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता हाँपी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात योजना के क्रियान्वयन में पर्याप्त जन सहयोग की है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग से योजना का क्रियान्वयन सहज हो जाता है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नांकित बातें आवश्यक हैं—

- (i) **परियोजना का क्रियान्वयन (The Execution of Projects)** योजना के क्रियान्वयन में सबसे पहले यह देखा जाता है कि योजना में क्या-क्या कार्य करने हैं। क्रियान्वयन के समय यह जान लेना चाहिए कि योजना में आधारभूत संरचना सामाजिक विकास के क्षेत्र तथा कृषि विकास के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं।
- (ii) **खण्डीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (The Execution of Sector Programme)** यह देखा जाना चाहिए कि विभिन्न खण्डीय कार्यक्रमों यथा कृषि योजना औद्योगीकरण योजना परिवहन योजना आदि के लिए क्या योजनाएँ बनाई गई हैं ताकि इनका समुचित ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।
- (iii) **आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन (The Execution of Economic Policies)** आर्थिक नियोजन में सरकार समय-समय पर आर्थिक नीतियों की घोषणा करती है। योजना क्रियान्वयन में आर्थिक नीतियों का समुचित पालन होना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण में सरकार ने यदि बजट में कृषि व ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है तो योजना क्रियान्वयन में कृषि विकास भर जोर देना चाहिए। कृषि विपणन कृषि साख सिंचाई विकास के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि कृषि संबंधी नीति का पालन प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।
- (iv) **वित्तीय योजना का क्रियान्वयन (The Execution of Financial Plan)** विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय योजना का उचित पालन आवश्यक है। वित्त मंत्रालय के द्वारा देश के विकास की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से वित्त साधनों को जुटाना चाहिए।
- (v) **निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वयन (Execution by Private Sector)** निजी क्षेत्र का भी विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। योजना में निजी क्षेत्र के

लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएँ घोषित की जानी चाहिए।

- (11) वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) परिवर्तित परिस्थितियों के कारण योजना के क्रियान्वयन में उचित समायोजन करने वास्ते वार्षिक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।

योजना संबंधी कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन वास्ते उपयुक्त सस्था की स्थापना की जानी चाहिए। सस्था से संबंधित व्यक्ति योग्य और कुशल होने चाहिए। इसके अलावा निरीक्षण कार्य की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि कौन व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है।

5. योजना का मूल्यांकन

(Evaluation of Plan)

योजना का मूल्यांकन नियोजन की तकनीक की अंतिम अवस्था है। मूल्यांकन के अन्तर्गत योजना की सफलता अथवा असफलता की जांच की जाती है। जांच पूर्व निर्धारित मानकों के अंतर्गत की जाती है। मूल्यांकन का उद्देश्य योजना में आवश्यकतानुसार सुधार के लिए तुरन्त व निरन्तर सूचनाएँ उपलब्ध कराते रहना है। मूल्यांकन के माध्यम से योजना में हुए वास्तविक कार्य का पता लगता है। योजना क्रियान्वयन के मूल्यांकन से योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का निराकरण किया जाता है।

भारत में योजना का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जबकि योजना का निर्माण भारतीय योजना आयोग द्वारा किया जाता है। योजना की प्रगति का सही और वास्तविक विवरण सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। भारतीय योजना आयोग में योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने वास्ते "कार्यक्रम मूल्यांकन समूह" स्थापित है। योजना के निरीक्षण कार्य से योजना की उपलब्धियों और कमियों का निरन्तर ज्ञान होता रहता है जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक संशोधन और सुधार कर योजना को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है। योजना का निरीक्षण अपर्याप्त और कमजोर रहने पर योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। भारत मूल्यांकन योजना को सफल बनाने में सहायक होता है। योजना का मध्यावधि मूल्यांकन भी किया जा सकता है ताकि शेष अवधि में आवश्यक परिवर्तन करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नियोजन की तकनीक द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, राजनीतिक उत्थान के लिए सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

भारतीय योजना आयोग

(Indian Planning Commission)

भारत में योजना आयोग सलाहकार सस्था होते हुए भी इतनी महत्त्वपूर्ण है कि इसे समानान्तर सरकार, गाडी का पांचवा पहिया अथवा सुपर कैबिनेट के नाम

से जाना जाता है। भारत में योजना के तत्थो और सामाजिक उद्देश्यों का आधार हमारे सविधान में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत हैं। आर्थिक नियोजन में 1951 से 1990 तक आधारभूत और भारी उद्योगों में व्यापक पूंजी निवेश के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की व्यवस्था की गई किंतु 1991 के बाद विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण नहीं रही। आज आयोजना अधिकाधिक सकेतात्मक है।

भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश की समस्त आवश्यकताओं और ससाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास की रूपरेखा तैयार करना था। वर्तमान में भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा उपाध्यक्ष श्री के. सी. पट्ट है।

योजना आयोग के कार्य

(Functions of Planning Commission)

भारतीय सविधान के सदर्म में भारतीय योजना आयोग इस ढंग से योजनाओं का निर्माण करता है कि देश में आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण नहीं हो। प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन जीने के पर्याप्त साधन मुहैया हो सके तथा सपूर्ण भौतिक ससाधनों का सामाजिक हित की दृष्टि से वितरण हो सके। भारत सरकार के 15 मार्च 1950 के प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग के निम्नांकित कार्य हैं -

1. साधनों की जानकारी (Resources Survey) - भारतीय योजना आयोग का कार्य भौतिक, मानवीय तथा पूंजीगत ससाधनों का सही अनुमान लगाना है। आयोग इस बात की भी जांच करता है कि देश में कौनसे ससाधनों की कमी है तथा उनमें कैसे वृद्धि की जा सकती है।

2. योजना का निर्माण (Plan Formulation) - योजना आयोग देश के ससाधनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उनके प्रभावी और सतुलित उपयोग वास्ते योजनाओं का निर्माण करता है।

3. प्राथमिकताओं और चरणों का निर्धारण (Determination of Priorities and Stages) - योजना आयोग नियोजन के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगा तथा उन विभिन्न चरणों को परिभाषित करेगा जिनके आधार पर योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी। आयोग प्रत्येक चरण के लिए ससाधनों का आवंटन भी करेगा।

4. बाधक तत्त्वों की खोज करना (Searching of Probable Difficulties) - योजना आयोग उन तत्त्वों का पता लगाता है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधक तत्त्वों की जानकारी के आधार पर वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में समाहित बाधाओं को दूर करने के उपायों की खोज करता है।

5. योजना क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त संगठन की स्थापना (Establishment of Appropriate Organisation For Plan Implementation) - योजना आयोग

नियोजन के प्रत्येक चरण की सफलता के लिए उपयुक्त संगठन सबंधी सुझाव देता है जिससे योजना के सभी पहलुओं को क्रियान्वित किया जाता है।

6. मूल्यांकन (Evaluation) - योजना आयोग योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन में हुई प्रगति को समय-समय पर मूल्यांकन करता है ताकि योजना की नीति-रीति में उचित सुधार किया जा सके।

7. सुझाव (Suggestions) - आयोग दिए गये कार्यों के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है। सुझाव वर्तमान आर्थिक स्थिति, नई आर्थिक नीति तथा विकास कार्यक्रमों से संबंधित होते हैं। संचालन के सुधार के उपाय सुझाने से संपूर्ण कार्य प्रणाली उचित रूप से संचालित होती है।

योजना आयोग का संगठन

(Organisation of Planning Commission)

भारतीय योजना आयोग अपने कार्यों को विभिन्न विभागों के माध्यम से सम्पन्न करता है। आयोग के आंतरिक संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें समन्वय विभाग, सामान्य विभाग, विषय विभाग, विशिष्ट विभाग तथा अन्य संगठन होते हैं। योजना आयोग के विभिन्न विभागों को निम्नलिखित भागों में बाटा जा सकता है -

(अ) समन्वय विभाग (Co-ordinating Division)

- 1 कार्यक्रम प्रशासन विभाग (Programme Administration Division)
- 2 योजना समन्वय विभाग (Planning Co-ordination Division)

(ब) सामान्य विभाग (General Division)

- 1 आर्थिक विभाग (Economic Division)
- 2 दृष्टि नियोजन विभाग (Perspective Planning Division)
- 3 श्रम, रोजगार और मानव शक्ति विभाग (Labour, Employment and Man Power Planning Division)
- 4 सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण विभाग (Statistical and Survey Division)
- 5 संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग (Resource and Scientific Research Division)
- 6 प्रबंध तथा प्रशासनिक विभाग (Management and Administration Division)

(स) विषय विभाग (Subject Division)

- 1 कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग (Agriculture and Rural Development Division)
- 2 सिंचाई विभाग (Irrigation Division)
- 3 शक्ति एवं उर्जा विभाग (Power and Energy Division)
- 4 भूमि सुधार विभाग (Land Reforms Division)
- 5 उद्योग व खनिज विभाग (Industrial and Mineral Division)

- 6 परिवहन तथा संचार विभाग (Transport and Communication Division)
- 7 शिक्षा विभाग (Education Division)
- 8 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग (Health and Family Planning Division)
- 9 गृह निर्माण विभाग (Housing Development Division)
- 10 समाज सेवा विभाग (Social Service Division)

(द) विशिष्ट विभाग (Special Division)

- 1 ग्रामीण क्षेत्र विकास विभाग (Rural Area Development Division)
- 2 जन सहयोग विभाग (Public Co operation Division)

(य) संबधित अन्य संगठन

- 1 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organisation)
- 2 शोध कार्यक्रम समिति (Research Programme Committee)
- 3 राष्ट्रीय योजना परिषद् (National Planning Council)
- 4 राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)
- 5 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation)

भारतीय योजना आयोग एक वृहत संगठन है। इसमें 3500 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। भारत सरकार का योजना आयोग पर भारी वार्षिक व्यय होता है। भारतीय योजना आयोग ही वस्तुतः भारत का नियोजन तंत्र है। आर्थिक नियोजन में भारतीय योजना आयोग की कारगर भूमिका है।

भारतीय योजना आयोग की आलोचनाएँ (Criticisms of Indian Planning Commission)

भारत के आर्थिक नियोजन में योजना आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है किन्तु इसके गठन और कार्य प्रणाली में अनेक दोष व्याप्त हैं। भारतीय योजना आयोग की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं -

1 आयोग का वैधानिक अस्तित्व नहीं - भारतीय योजना आयोग का निर्माण केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव द्वारा होने के कारण इसका वैधानिक अस्तित्व नहीं है। आयोग एक सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करता है। आयोग में मंत्रीमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति के कारण स्वतंत्र कार्यप्रणाली में बाधा आती है।

2 लालफीताशाही - भारतीय योजना आयोग की कार्यप्रणाली में अन्य सरकारी विभागों की भांति नौकरशाही का बोलबाला होने के कारण निर्णयों में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. समन्वय का अभाव - योजना आयोग में विभाग और उपविभागों की भरमार है। योजना आयोग में समन्वय विभाग, सामान्य विभाग, विषय विभाग, विशिष्ट विभाग तथा संबंधित अन्य विभाग होते हैं। इन विभागों में भी अनेक उप-विभाग होते हैं। विभागों की अधिकता के कारण इनमें परस्पर समन्वय और सहयोग नहीं हो पाता है नतीजतन निर्णयों में देरी होती है।

4. अधिक व्यय - भारतीय योजना आयोग में अत्यधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। आयोग के व्यय में भारी वृद्धि हो रही है। इस कारण आर्थिक विकास और वित्तीय साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

5. तकनीकी ज्ञान का अभाव - भारतीय योजना आयोग के सदस्यों में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या चुनाव हारे राजनीतिज्ञ होते हैं। इन सदस्यों में तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है। योजनाओं की प्राथमिकताओं के मूल्यांकन में नवीन तकनीक का लाभ नहीं उठाया जाता है। योजना आयोग लागत लाभ विश्लेषण जैसी तकनीक प्रयोग नहीं करके परम्परागत विधियों के माध्यम से प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।

6. सदस्यों की नियुक्ति में मनमानी - योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा सदस्यों की नियुक्ति मनमाने तरीके से की जाती है। सदस्यों को जब चाहे नियुक्त कर दिया जाता है और जब चाहे हटा दिया जाता है। सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में कोई लिखित प्रावधान नहीं होता है।

7. वित्तीय सहायता और अनुदान देने में पक्षपात - वित्तीय सहायता और अनुदान देने के मामले में योजना आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णरूपेण राजनीतिक आधार पर होती है। केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार वाले राज्यों को बड़े आकार की योजना स्वीकृत कर दी जाती है। कमजोर और पिछड़े राज्य अपेक्षित वित्तीय सहायता से उपेक्षित रह जाते हैं।

8. राज्यों में योजना आयोग का नहीं होना - भारत के राज्यों में योजना आयोग नहीं बनाए गए हैं इस कारण राज्यों की योजनाएँ भी योजना आयोग द्वारा बनाई जाती हैं। इससे योजना आयोग पर कार्य का दबाव अधिक हो जाता है।

9. योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव - भारत में योजना का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है और योजना क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। समन्वय के अभाव में योजना के क्रियान्वयन में देरी होने के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

10. गलत वित्तीय अनुमान - योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के लगाये गए वित्तीय अनुमान कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते हैं। वित्तीय अनुमानों का खरे नहीं उतरने का कारण वैज्ञानिक आधार का अभाव है।

11. कार्यों का दोहरीकरण - योजना आयोग में विभागों और उपविभागों के

अधिक होने के कारण कई जगह कार्यों का दोहरीकरण हो जाता है। इसका कारण भारतीय योजना आयोग और वित्त आयोग दोनों को राज्यों के विकास के लिए धन के वितरण का कार्य सौंप देना है।

योजना आयोग के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव

भारतीय योजना आयोग के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव देने वाले भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग ने अंतरिम प्रतिवेदन 1967 में प्रमुख सिफारिशों की जिनमें कुछ इस प्रकार थी

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया कि योजना आयोग का अध्यक्ष आयोग का सदस्य ही होना चाहिए। आयोग में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होना चाहिए। योजना आयोग का कार्य केवल उद्देश्यों का निर्धारण, प्राथमिकताओं का निर्धारण, योजना निर्माण और योजना मूल्यांकन होना चाहिए। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 7 उपयुक्त है। सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान रखने वाले होने चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति निश्चित समय के लिए तथा पूर्णकालिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय नियोजन परिषद् की नियमित रूप से अधिक बैठकें होनी चाहिए ताकि वह विकास योजनाओं के संघर्ष में निर्देश प्रदान करती रहे।

योजना आयोग के दोषों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते हैं -

1. वैधानिक अस्तित्व - भारतीय योजना आयोग का वैधानिक अस्तित्व होना चाहिए। आयोग के कार्यों में राजनीतिक दखलनदाजी कम से कम होनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी मंत्रियों को आयोग की सदस्यता का विरोध किया।

2. कर्मचारियों की संख्या में कमी - कर्मचारियों की अधिकाधिक संख्या आयोग की कार्यप्रणाली का प्रमुख दोष है। अतः कर्मचारियों की संख्या को कम किये जाने की चेष्टा करनी चाहिए।

3. विशेषज्ञों की नियुक्ति - योजना आयोग नियोजन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करता है। देश का आर्थिक विकास बड़ी सीमा तक आयोग की गतिविधियों पर निर्भर करता है। अतः आयोग में सदस्यों के रूप में राजनीतिज्ञों की नियुक्ति नहीं की जाकर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

4. कार्यप्रणाली में सुधार - आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। आयोग को सरकारी विभागों की लालफीताशाही से दूर रखा जाना चाहिए जिससे निर्णय सही समय पर लिये जा सकें।

5. राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र - भारतीय योजना आयोग के कार्यभार को कम करने के लिए राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र की स्थापना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में राज्य योजना परिषद्, विभागीय नियोजन संस्थाएँ तथा जिला स्तरीय नियोजन संस्थाएँ होनी चाहिए।

6. सलाहकार संस्था – भारतीय योजना आयोग पूर्णरूपेण सलाहकारी संस्था होनी चाहिए। योजना क्रियान्वयन व संचालन का काम केन्द्र और राज्य सरकार का है।

7. राष्ट्रीय विकास परिषद् का पुनर्गठन – राष्ट्रीय विकास परिषद् का पुनर्गठन करके इससे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वाणिज्य, परिवहन, औद्योगिक विकास, जहाजरानी, रेल, शिक्षा, श्रम, सिंचाई, रोजगार, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सभी सदस्य सम्मिलित किये जाने चाहिए।

भारत के आर्थिक विकास में भारतीय योजना आयोग की प्रासंगिक भूमिका रही। विकास के क्षेत्र में योजना आयोग की बढ़ती उपादेयता के कारण इसे सुपर कैबिनेट नाम दिया गया। भारतीय योजना आयोग ने स्वतंत्रता के पाच दशकों में नौ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही भारत के आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित हुई। किन्तु भारत को योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। आर्थिक उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका गौण हो गई। नतीजतन भारतीय योजना आयोग की भूमिका भी आर्थिक नियोजन की तुलना में आज कम हो गई है। आज भारतीय योजना आयोग की सुपर कैबिनेट वाली पहचान लगभग समाप्त हो गई है। भारत में आर्थिक उदारीकरण को अन्य देशों की तुलना में धीमी गति से आत्मसात किया गया है। विकास में आज भी पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका है। अतः भारत में योजना आयोग की भूमिका आगामी अनेक वर्षों तक बने रहने की संभावना है।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 नियोजन की तकनीक से आप क्या समझते हैं?
- 2 योजना की मूल्यांकन विधि पर प्रकाश डालिए।
- 3 भारत में योजनाओं का निर्माण किस प्रकार होता है?

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में नियोजन की तकनीक के भागों को विस्तार से समझाइए।
- 2 नियोजन की तकनीक से आप क्या समझते हैं? योजना निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के संदर्भ में विस्तार से समझाइए।
- 3 भारतीय नियोजन की तकनीकों का वर्णन कीजिए।

(M.D.S. Univeristy Ajmer, 1998)

(संकेत – सभी प्रश्नों के प्रथम भाग में नियोजन की तकनीक का अर्थ बताना है इसके बाद अध्याय में दिए गए नियोजन की तकनीकों के भागों को लिखना है।)

भारत में जनसंख्या-विशेषताएँ और वृद्धि

(Population in India - Characteristics
and Growth)

परिचयात्मक

भारत जनसंख्या के आकार की दृष्टि से चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है किंतु भारत जनसंख्या वृद्धि दर में चीन से आगे है। भारत की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 84.6 करोड़ थी। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 43.9 करोड़ तथा महिलाओं की जनसंख्या 40.7 करोड़ थी। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 62.9 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 21.8 करोड़ थी।

वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या में पुरुष 51.89 प्रतिशत तथा महिलाएँ 48.10 प्रतिशत थीं। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 74.28 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या 25.71 प्रतिशत थी। वर्ष 1981-91 में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत रही। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का 17.94 प्रतिशत था। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 274 था। भारत की साक्षरता 991 में 52.21 प्रतिशत थी। इसमें पुरुष साक्षरता 64.13 और महिला साक्षरता 39.29 प्रतिशत थी। कुल जनसंख्या में श्रमिका का भाग 37.46 प्रतिशत था इसमें पुरुषों का भाग 51.55 प्रतिशत तथा महिलाओं का 22.25 प्रतिशत था।

भारत ने स्वातंत्र्यांतर प्रत्येक क्षेत्र में उत्तुल्लेखीय प्रगति की। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का तीसरी दुनिया की बड़ी औद्योगिक शक्तियाँ में गिना जाता है। लेकिन इसमें वायजूद भी आम आदमी के जीवन स्तर में विशेष बदलाव नहीं आया है। आज देश में सामाजिक विकास के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ मुहैयाएँ खड़ी हैं। जिसमें परंपरिक बराजगारी निरक्षरता कुपाषाण की समस्या भयावह है। भारत की तर्जी से बढ़ती जनसंख्या ने विकास के

लाभों को फीका कर दिया है। यदि तीव्रता से बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। भारत में शिशु मृत्यु दर, प्रौढ़ साक्षरता तथा औरत आयु की दृष्टि से स्थिति एशियाई देशों की तुलना में कमजोर है।

मानव संसाधनों का महत्त्व (Importance of Human Resources)

जनसंख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास में सहायक होता है। विकसित देशों में बढ़ती जनसंख्या ने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इराके विपरीत विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या विकट समस्या है। किसी राष्ट्र की स्वरथ, बुद्धिमान, प्रगतिशील एवं सक्रिय जनसंख्या ही उसकी अमूल्य निधि एवं प्रेरक शक्ति है।

1. श्रम शक्ति : श्रम उत्पादन का प्रमुख साधन है। उत्पादन में मनुष्य के श्रम की भूमिका विशेष महत्त्व रखती है। जनसंख्या श्रम शक्ति के स्रोत के रूप में आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण कारक होती है। जिस देश में जनसंख्या जितनी अधिक होगी श्रम शक्ति उतनी ही अधिक होगी। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण श्रम शक्ति का अभाव नहीं है। भारत के श्रमिक देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी उत्पादन में योगदान कर रहे हैं। भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आकर्षित हो रही हैं।

2. श्रम प्रधान तकनीक में सहायक : अधिक मानवीय संसाधन श्रम प्रधान तकनीक में सहायक होते हैं। भारत सरीखे विकासशील देशों में पूँजी प्रधान तकनीक का अभाव होता है। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति मानव संसाधनों से ही संभव है।

3. शक्ति : राष्ट्र विशेष की शक्ति में मानव संसाधनों का विशेष महत्त्व होता है। आज के विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र अमरीका और रूस अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। चीन की गिनती भी शक्ति सम्पन्न देशों में की जाती है। भारत भी हाल के वर्षों में सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है।

4. विस्तृत बाजार . आज विश्व के विकसित देशों की निगाहें बड़े बाजारों पर टिकी हैं। दुनिया का कोई देश आर्थिक दृष्टि से चीन और भारत के बड़े बाजार की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं है। भारत और चीन अधिक आबादी के कारण विश्व के बड़े बाजार के रूप में उभरे हैं।

5. आर्थिक विकास . अनुकूलतम जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है। पर्याप्त जनसंख्या से देश के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है जिससे आर्थिक विकास गति पकड़ता है।

6. शोध व अनुसंधान . जनसंख्या की बहुलता अनेक समस्याओं की जनक होती है। जनसंख्या जनित समस्याओं से निपटने के लिए शोध व अनुसंधान पर बल दिया जाता है। भारत में जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई

इससे निपटने के लिए कृषि अनुसंधान पर बल दिया गया। कृषि क्षेत्र में नवीन व्यूह रचना लागू की गई नतीजतन आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है।

7. साधन और साध्य : सभी आर्थिक क्रियाएँ मानव द्वारा की जाती हैं और मानव के लिए होती हैं। अतः देश की जनसंख्या आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। देश की जनसंख्या उत्पादन के साधन के अलावा सारे उत्पादन व्यवसाय का साध्य भी है।

8. अमूल्य निधि राष्ट्र की शिक्षित, स्वस्थ तथा प्रगतिशील जनसंख्या अमूल्य निधि होती है। गुणात्मक दृष्टि से बढ़ती जनसंख्या राष्ट्र की समृद्धि का प्रतिबिम्ब होती है।

भारत में जनसंख्या की मुख्य विशेषताएँ

(Chief Characteristics of Indian Population)

भारत एक विशाल देश है। यहाँ की जनसंख्या में अनेक विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भू-भाग का 2.42 प्रतिशत है जबकि यहाँ विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत भाग निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में हर घण्टे में 2 हजार 400 बच्चे जन्म लेते हैं। प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया हमारी जनसंख्या में जुड़ जाता है। भारत में जनसंख्या की मुख्य विशेषताएँ एवं प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं।

1. विशाल जनसंख्या . भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़, 1961 में 43.9 करोड़, 1971 में 54.8 करोड़ व 1981 में 68.3 करोड़ थी। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.63 करोड़ थी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या एक अरब को पार कर चुकी है। वाशिंगटन स्थित पर्यावरण अनुसंधान संगठन 'वर्ल्ड वाच' ने भविष्यवाणी की थी कि भारत की आबादी 15 अगस्त 1999 को एक अरब की सीमा को पार कर जाएगी। इस तरह भारत चीन के बाद एक अरब की आबादी पार करने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा। उत्तरप्रदेश देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है इसकी जनसंख्या 1991 में 13.91 करोड़ थी। सिक्किम की जनसंख्या 4.06 लाख थी, जो देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। केन्द्र शासित प्रदेशों में 1991 में दिल्ली की जनसंख्या 94.20 लाख थी जो सर्वाधिक है तथा लक्षद्वीप की जनसंख्या 51,707 थी जो कि सबसे कम है।

2. औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर : भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 1951 में 1.25 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1961 में 1.96 प्रतिशत, 1971 में 2.20 प्रतिशत तथा 1981 में और बढ़कर 2.22 प्रतिशत हो गई। जनसंख्या की औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर स्वातंत्र्योत्तर की गई जनगणनाओं के बाद पहली बार 1991 में घटकर 2.14 प्रतिशत रह गई।

3. दशक वृद्धि दर दशक वृद्धि दर 1951 में 13.31 प्रतिशत थी जो बढ़कर

1961 में 21.51 प्रतिशत तथा 1971 में और बढ़कर 24.80 प्रतिशत हो गई। बाद की जनगणना में दशक वृद्धि दर में कमी हुई। जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 1981 में घटकर 24.66 प्रतिशत रह गई तथा 1991 में और घटकर 23.85 प्रतिशत रह गई।

4. कृत्रिम वृद्धि दर जनसंख्या की कृत्रिम वृद्धि दर 1951 में 51.47 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1961 में 84.25 प्रतिशत, 1971 में 129.94 प्रतिशत तथा 1981 में और बढ़कर 186.64 प्रतिशत हो गई। जनसंख्या की कृत्रिम वृद्धि दर 1991 में 255 प्रतिशत थी। (देखें टेबिल-1)

जनसंख्या वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

वर्ष	दशक वृद्धि दर	औसत वार्षिक वृद्धि दर	1901 के बाद की कृत्रिम वृद्धि दर
1911	5.75	0.56	5.75
1921	-0.31	-0.03	5.42
1931	11.00	1.04	17.02
1941	14.22	1.33	33.67
1951	13.31	1.25	51.47
1961	21.51	1.96	84.25
1971	24.80	2.20	129.94
1981	24.66	2.22	186.64
1991	23.85	2.14	255.00

स्रोत भारत वार्षिक सदर, 1994 पृष्ठ संख्या - 8

5 औसत आयु (Life Expectancy) भारत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण जनसंख्या की औसत आयु में वृद्धि हुई है। औसत आयु 1951 में 32.1 वर्ष थी जो बढ़कर 1961 में 41.3 वर्ष, 1971 में 45.6 वर्ष तथा 1981 में 50.4 वर्ष थी। वर्ष 1991 में जनसंख्या की औसत आयु 59.4 वर्ष थी। 1992 में औसत आयु बढ़कर 60.8 वर्ष हो गई।

6. जन्म दर (Birth Rate) भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण ऊँची जन्म दर है। जन्म दर 1951 में 39.9 प्रति हजार थी जो बढ़कर 1961 में 41.7 प्रति हजार हो गई। जन्म दर 1971 में 36.9 प्रति हजार तथा 1981 में 33.9 प्रति हजार थी। वर्ष 1991 में जन्मदर घटकर 29.5 प्रति हजार रह गई। भारत में हाल के वर्षों में परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के गति पकड़ने के कारण जन्मदर में थोड़ी कमी हुई है। वर्ष 1994 में जन्म दर 28.7 प्रति हजार थी।

7. मृत्यु दर (Death Rate) नियोजित विकास में चिकित्सा सुविधाओं में

विस्तार के कारण मृत्यु दर में कमी हुई है। मृत्यु दर 1951 में 27.4 प्रति हजार थी जो घटकर 1961 में 22.8 प्रति हजार, 1971 में 14.9 प्रति हजार तथा 1981 में और घटकर 12.5 प्रति हजार रह गई। वर्ष 1991 में मृत्यु दर और घटकर 9.8 प्रति हजार रह गई। मृत्यु दर 1994 में 9.3 प्रति हजार थी।

8. शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) भारत में शिशु मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में अधिक है। देश में नियोजित विकास में शिशु मृत्यु दर में थोड़ी कमी हुई है। शिशु मृत्यु दर 1951 में 146 प्रति हजार थी जो 1961 में भी 146 प्रति हजार तथा 1971 में घटकर 129 प्रति हजार रह गई। वर्ष 1981 में शिशु मृत्यु दर और घटकर 110 प्रति हजार रह गई। शिशु मृत्यु दर 1991 में 80 तथा 1994 में 74 प्रति हजार थी।

9. साक्षरता (Literacy) देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद दुनिया के सर्वाधिक निरक्षर (विश्व के एक-तिहाई) भारत में है। भारत में साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1961 में 28.31 प्रतिशत तथा 1971 में और बढ़कर 34.45 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1951, 1961 और 1971 की साक्षरता दर में 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या ली गई है। वर्ष 1981 की तथा 1991 की दरों में सात वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या ली गई है। वर्ष 1981 में साक्षरता दर 43.56 प्रतिशत तथा 1991 में साक्षरता दर 51.21 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 में पुरुष साक्षरता दर 64.13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत थी।

भारत के केरल राज्य में साक्षरता दर 89.81 प्रतिशत है। यह देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। बिहार में साक्षरता की न्यूनतम दर 38.48 प्रतिशत है और राजस्थान भी इसके निकट ही है जहां साक्षरता दर 38.55 प्रतिशत है किंतु राजस्थान में साक्षर स्त्रियों की संख्या न्यूनतम 20.44 प्रतिशत है जबकि साक्षर पुरुष संख्या 54.99 प्रतिशत है।

10. स्त्री पुरुष अनुपात (Sex Ratio) भारत में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है अर्थात् एक हजार पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या सामान्यतः एक हजार से कम है। स्त्रियों के प्रतिकूल होने के साथ-साथ यह अनुपात पिछले दशक में कम भी हो गया है। 1981 की जनगणना में इस स्थिति में जो मामूली सा सुधार दिखाया गया था, वर्ष 1991 की जनगणना में बना नहीं रह सका और वर्ष 1981 की तुलना में 1991 में यह 934 से 927 हो गया अर्थात् इसमें सात अंकों की कमी आई। स्त्री-पुरुषों की संख्या में पाई जाने वाली यह असमानता और गत वर्षों में आई गिरावट महिलाओं की उपेक्षा को दर्शाता है।

11. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) भारत में 1981 की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियाँ 15.8 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियाँ 7.8 प्रतिशत थीं। वर्ष 1991 में अनुसूचित जातियाँ 16.32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियाँ 8 प्रतिशत थीं।

भारत में जनसंख्या - विशेषताएँ और वृद्धि

12. ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या (Rural and Urban Population) भारत में ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या की तुलना में अधिक है। देश में विगत दशकों में ग्रामीण जनसंख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई। आर्थिक विकास के साथ शहरीकरण में वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 में ग्रामीण जनसंख्या 524 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 76.7 प्रतिशत था। वर्ष 1991 में ग्रामीण जनसंख्या बढ़कर 629 मिलियन हो गई किंतु कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का भाग घटकर 74.3 प्रतिशत रह गया। शहरी जनसंख्या 1981 में 159 मिलियन थी जो बढ़कर 1991 में 218 मिलियन हो गई। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का भाग 1981 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 25.7 प्रतिशत हो गया।

13. आयु संरचना भारत की जनसंख्या में वर्ष 1990 में 0-4 आयु वर्ग का भाग 12.85 प्रतिशत, 5-14 आयु वर्ग का भाग 23.15 प्रतिशत, 15-59 आयु वर्ग का भाग 57.51 प्रतिशत तथा 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग का भाग 6.49 प्रतिशत था। आयु संरचना में वर्ष 1990 में वर्ष 1985 की तुलना में 0-4 व 5-14 आयु का भाग घटा है जबकि 15-59 तथा 60 से ऊपर आयु वर्ग का भाग बढ़ा है।

14. दस लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहर भारत में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 12 शहर थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं—कलकत्ता, ग्रेटर मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ तथा जयपुर। वर्ष 1981 में कलकत्ता की जनसंख्या 91.94 लाख तथा जयपुर की जनसंख्या 10.15 लाख थी।

15. धर्मानुसार जनसंख्या भारत में सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वर्ष 1981 में कुल जनसंख्या में हिन्दू धार्मिक वर्ग का भाग 82.6 प्रतिशत था जबकि मुसलमान धार्मिक वर्ग का भाग केवल 11.4 प्रतिशत था। इनके अलावा ईसाई धार्मिक वर्ग का भाग 2.4 प्रतिशत तथा सिख धार्मिक वर्ग का भाग 2 प्रतिशत था। बौद्ध धर्म का भाग 0.7 प्रतिशत व जैन धर्म का भाग 0.5 प्रतिशत था।

16. भाषाओं के अनुसार जनसंख्या भारत की प्रमुख भाषा हिन्दी है। वर्ष 1981 में 264.5 मिलियन लोगों की मुख्य भाषा हिन्दी थी। इसके अलावा बंगाली, तेलुगू, मराठी भी बड़ी संख्या में लोगों की मुख्य भाषा है। भारत में उर्दू 34.9 मिलियन लोगों की मुख्य भाषा है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि (Population Growth in India)

भारत की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया के अनेक देशों की तुलना में अधिक है। वर्ष 1991 में अमरीका में जनसंख्या वृद्धि दर 0.9 प्रतिशत, इंग्लैण्ड में जनसंख्या वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत तथा जापान में 0.5 प्रतिशत थी। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत इन देशों की तुलना में बहुत अधिक थी।

बीसवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी जो बढ़कर 1941 में 31.9 करोड़ हो गई। स्वातंत्र्योत्तर भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 हुई, उस समय में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी जो बढ़कर 1961 में 43.9 करोड़, 1971 में 54.8 करोड़ तथा 1981 में और बढ़कर 68.3 करोड़ हो गई। वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़ थी।

जनसंख्या की दशक (1981-91) वृद्धि दर 23.85 प्रतिशत तथा औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 2.14 थी। जनसंख्या की औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 1981 में 2.22 प्रतिशत थी। देश में साक्षरता में वृद्धि होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी कमी हुई है। फिर भी दुनिया के देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। यदि भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि दर 2 प्रतिशत से अधिक बनी रहती है तो वह दिन दूर नहीं जब हम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सिरमौर होंगे।

भारत की जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)
1901	23.8
1911	25.2
1921	25.1
1931	27.9
1941	31.9
1951	36.1
1961	43.9
1971	54.8
1981	68.3
1991	84.6
1999 (अनुमानित)	100.00

स्रोत भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994

भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के कारण (Causes of High Growth Rate of Population)

भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से लम्बे समय तक पिछड़ा रहा। सामाजिक विकास की दृष्टि से आज भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। देश में गरीबी व बेरोजगारी की समस्या भयावह है। निरक्षरता आज भी समाज के लिए अभिशाप है। पंचदशवीं योजनाओं में चिकित्सा परियोजना में वृद्धि के कारण चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है जिससे मृत्यु दर में कमी दृष्टिगोचर हुई है। जनसंख्या वृद्धि

का एक बड़ा कारण राजनीति भी रहा है। भारत शरणार्थियों की समस्या से ग्रसित है। सुविधा की दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि के कारणों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं -

- (अ) ऊँची जन्म दर।
- (ब) नीची मृत्यु दर।
- (स) राजनीतिक कारण।

(अ) ऊँची जन्म दर के कारण (Causes of High Birth Rate)

ऊँची जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। भारत में जन्म दर विश्व के देशों की तुलना में अधिक है। भारत में जन्म दर 1981 में 33.9 प्रति हजार थी। बाद के वर्षों में जन्मदर में लोगों में जागरूकता तथा राजकीय प्रयासों के कारण कमी हुई है परिणामस्वरूप 1991 में जन्म दर कम होकर 29.5 प्रति हजार रह गई। वर्ष 1994 में जन्म दर और कम होकर 28.7 प्रति हजार रह गई है। भारत में ऊँची जन्म दर के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं


1. निरक्षरता (Illiteracy) भारत में निरक्षरता ऊँची जन्म दर का मुख्य कारण है। देश में साक्षरता विशेषकर महिला साक्षरता की स्थिति शोचनीय रही है। महिलाओं में नीची साक्षरता ने ही जनसंख्या वृद्धि को बल दिया है। वर्ष 1991 में 7 वर्ष से अधिक की जनसंख्या में 47.89 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। महिलाओं में निरक्षरता 60.58 प्रतिशत थी। रुढ़िवादिता और पुरातन परम्पराओं में जकड़ी निरक्षर महिलाओं के विचार एवं सोच साक्षर और शिक्षित महिलाओं की भाँति विवेकपूर्ण नहीं होते हैं। यही बात पुरुषों के सर्दर्म में भी लागू होती है।

शिक्षित महिलाएँ छोटे व बड़े परिवार के लाभ व अलाभ को बखूबी समझती हैं और छोटे व सुखी परिवार के प्रति रायेष्ट रहती हैं। जहाँ शिक्षा का प्रसार है, महिलाएँ शिक्षित हैं, वहाँ जन्म दर तुलनात्मक रूप से कम है। केरल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ साक्षरता 89.81 प्रतिशत है और जनसंख्या वृद्धि दर कम 1.34 प्रतिशत ही है।

निरक्षर महिलाओं में प्रजनन दर की प्रवृत्ति अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय फोरम की एक बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रबंध के अनुसार एक निरक्षर महिला में जहाँ प्रजनन दर 5.1 प्रतिशत है, वहीं एक साक्षर किन्तु माध्यमिक स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त महिला में प्रजनन दर 4.5 प्रतिशत है, माध्यमिक स्कूल तक किन्तु मैट्रिक से कम पढ़ी महिला में प्रजनन दर 4.0, मैट्रिक किन्तु स्नातक तक से कम पढ़ी महिलाओं में 3.1 तथा स्नातक में 2.1 है।¹

2. गरीबी (Poverty) गरीबी की समस्या भयावह है। देश के बहुसंख्यक लोग गाँवों में जीवन बसर करते हैं। दम्पति जन्म लेने वाले बच्चों को 'आर्थिक इकाई' के रूप में देखते हैं। बच्चों को छोटी आय में ही मेहनत-भजदूरी के लिए लगाना दिया जाता है। गरीब दम्पति के लिए बच्चों आय का स्रोत होते हैं। जितने

भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के कारण



अधिक बच्चे होंगे, परिवार की आय उतनी ही अधिक होगी।

3. बाल विवाह (Child Marriage) देश में आज भी बाल विवाह प्रथा प्रचलित है। शारदा कानून बना हुआ है जिसके अनुसार लड़के और लड़की की विवाह योग्य आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष है। शारदा कानून का पालन नहीं होना विताप्रद है। आखातीज पर इस कानून का खुला उल्लंघन देखा जा सकता है। अधिकांश युवक व युवतियों का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में कर दिया जाता है। कम आयु में विवाह के दुष्परिणाम दम्पति को भुगतने पड़ते हैं। लड़कियाँ कम उम्र में मा बन जाती हैं। जिससे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा बच्चा भी कमजोर होता है। देश में बढ़ती विधवाओं की संख्या का एक बड़ा कारण बाल-विवाह ही है। बाल-विवाह से प्रजनन उम्र भी अधिक होती है। युवतिया लम्बे समय तक बच्चों को जन्म देती हैं।

4. बहु विवाह (Multiple Marriage) देश में बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। सम्प्रदाय विशेष के लोगों को बहु विवाह की अनुमति है। लोग एक से अधिक पत्निया रखते हैं। अधिक विवाह से सतान उत्पन्न करने का 'रोटेशन' बढ़ जाता है। विगत में कुछ जातियों में विधवा विवाह नहीं होते थे किंतु आज समाज सुधार के कारण विधवा विवाह होने लगे हैं जिससे भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है।

5. विवाह की अनिवार्यता (Necessity of Marriage) भारत में विवाह सामाजिक अनिवार्यता है। अविवाहित पुरुषों व स्त्रियों को अच्छी नज़रो से नहीं देखा जाता है। भारत में लगभग सभी युवतिया, चाहे वह कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो, विवाह करना पसंद करती हैं। विकसित देशों में ऐसा नहीं है वहाँ बड़ी संख्या में युवतिया अविवाहित रहती हैं। भारत में महिलाएँ संरक्षण वास्ते पति की आवश्यकता महसूस करती हैं।

6. गर्म जलवायु (Tropical Climate) भारत की जलवायु उष्ण व गर्म है। इस कारण युवक व युवतिया कम उम्र में ही परिपक्व हो जाते हैं। कम उम्र में परिपक्व होने के कारण सन्तानोपत्ति की अग्रिम अधिक होती है। गर्म जलवायु के कारण स्त्रियों की प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है।

7. मनोरंजन के साधनों का अभाव (Lack of Entertainment Sources) भारत में मनोरंजन के साधनों का अभाव है। बहुसंख्यक जनसंख्या गरीबी में जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। वह महंगे मनोरंजन के साधनों का उपयोग नहीं कर पाती है। गरीब जनता के लिए स्त्री-सहवास ही मनोरंजन का प्रमुख साधन है। शहरों में यद्यपि मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं अन्ततः मनोरंजन का प्रमुख साधन स्त्री ही है। डॉ. चन्द्रशेखर के अनुसार स्त्री सहवास भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसी कारण भारत के शायन कक्षाओं का उत्पादन खेलों के उत्पादन से अधिक है।

8. बड़े परिवार की इच्छा (Will of Large Family) भारत में बड़े परिवार को सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न माना जाता है। गाँवों में जिस पिता के जितने

अधिक पुत्र होते हैं वह सुरक्षित और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। लोगो में बड़े परिवार की भावना जन्म दर को बढ़ा देती है।

9. धार्मिक अधविश्वास (Religious Superstition) भारत में धार्मिक अधविश्वास ऊँची जन्मदर का बड़ा कारण है। आज भी यह परम्परा प्रचलित है कि पुत्र के जन्म बिना पितृ-ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पुत्र द्वारा पिण्डदान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। देश में इस प्रकार धार्मिक अधविश्वास के कारण दम्पति सतानोपति करते चले जाते हैं। दम्पति पुत्र की लालसा में कन्याओं की लाइन लगा देते हैं तो कुछ कन्या की लालसा में कई पुत्रों को जन्म देते हैं। इस कारण भी जन्म दर अधिक है।

10. आवास का अभाव (Lack of Houses) देश में आवास समस्या मुखर है। अनेक गरीब लोग गंदी बस्तियों में जीवन बसर करते हैं। लोगो को कच्चे घर अथवा झोपड़ी में ही गुजारा करना पड़ता है। एक ही झोपड़ी में अधिक सहवास होता है इस कारण गंदी बस्तियों में जन्म दर ऊँची है। शहरो में भी मकानों का अभाव है। जनसंख्या के अधिक बढ़ने से मकान किराया भी बढ़ जाता है। मजबूरन दम्पति छोटे व सकड़े मकानों में रहते हैं इस कारण भी जन्म दर ऊँची है।

11. संयुक्त परिवार प्रथा (Joint Family System) भारत में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। हाल के वर्षों में इस प्रथा में अवश्य कमी हुई है। संयुक्त परिवार प्रथा के कारण जन्म दर बढ़ी। संयुक्त परिवार में बच्चे के पालन-पोषण का भार माता-पिता पर नहीं रहता। इस परिवार में दम्पतियों का काम सतानोपति होता है। बच्चे के पालन में आने वाली कठिनाइयों का आभास दम्पति को नहीं होता है।

12. भाग्यवादिता (Blind Followers of Religion) गावों में अशिक्षित और अज्ञानी लोग बच्चे को भगवान की देन मानते हैं। जन्म लेने वाले बच्चा अपना भाग्य साथ लाता है। लोग बच्चे के जन्म को भगवान की देन होने के कारण जन्म दर रोकने के लिए परिवार नियोजन के साधनों को काम में नहीं लेते हैं।

13. सामाजिक सुरक्षा का अभाव (Lack of Social Security) सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण जन्म दर ऊँची है। व्यक्ति वृद्धावस्था अथवा सकटकाल में पुत्रों को सहारे के रूप में देखता है। देश में बीमा सुविधाओं का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी की समस्या अधिक है। राज्य बीमा का लाभ केवल कर्मचारियों को ही सुलभ है। अतः बहुतेरे लोगो के लिए बुढ़ापे का सहारा उनके पुत्र ही होते हैं इस कारण भी जन्म दर ऊँची है।

14. परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता (Indifference towards Family Planning) देश की जनता में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव है। गावों में परिवार नियोजन सुविधाओं का अभाव है। लोग परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाते हैं। अनेक बार परिवार नियोजन के साधन असफल हो जाते हैं जिससे लोगो का परिवार नियोजन के प्रति मोह भंग हो जाता है। लोग

आपरेशन से भय खाते हैं।

15. अधिक शिशु मृत्यु दर (Much Death Rate) भारत में शिशु मृत्यु दर 1993 में 74 प्रति हजार थी। चीन में यह 44 प्रति हजार थी। शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण दम्पति अधिक सतान पैदा करना चाहता है। मृत्यु दर अधिक होने के कारण दम्पति को पता नहीं कि भविष्य में कितने बच्चे जीवित रह पायेंगे।

16 स्त्रियों का आत्मनिर्भर नहीं होना (Lack of Self-sufficiency in Women) भारत में स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। जबकि विकसित देशों में अधिकांश महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती हैं। नौकरीशुदा महिलाएँ अनेक कारणों से विशेषकर समयाभाव से कम बच्चे चाहती हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं का अभाव है उनके काम विशेषकर बच्चों का लालन-पालन होता है इसलिए भी भारत में जन्म दर अधिक है।

17 बच्चों के बीच जन्म अंतराल का अभाव (Lack of Interval Gap Between birth of Children) जन्म दर ऊँची होने का एक प्रमुख कारण बच्चों के बीच जन्म में अंतर का अभाव भी है। परिवार नियोजन के साधनों के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण दम्पतियों के बच्चे जल्दी-जल्दी होते हैं। दम्पति का एक बच्चा ढग से चलने-फिरने भी नहीं लगता कि महिला गर्भवती हो जाती है। बच्चों के जन्म के बीच अंतर कम होने से माँ व बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा स्त्रियाँ उनकी प्रजनन अवधि में अधिक बच्चों को जन्म देती हैं।

(ब) नीची मृत्यु दर (Low Death Rate)

स्वातन्त्र्योत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण मृत्यु दर में कमी हुई जिससे लोगों की 'अति-जीवन' दर बढ़ गई। मृत्यु दर में कमी होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। नीची मृत्यु दर के कारण निम्नलिखित हैं -

1. जीवन स्तर में सुधार (Improvement in Living Standard) भारत में 1998 में आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई। स्वतंत्रता के पचास वर्षों में आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। आज देश में लगभग एक अरब की जनसंख्या में उच्च और मध्यमवर्गीय परिवारों की बहुलता है। देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार के कारण मृत्यु दर में तीव्रता से कमी आई है परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

2. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Medical Facilities) स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था।

महामारियों में लोगों की मृत्यु सामान्य थी। बाद के वर्षों में सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया। अनेक बीमारियों पर पूरी तरह नियंत्रण किया गया। हाल के वर्षों (1997-98) में देश में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से शिशु मृत्यु दर कम हुई तथा महिलाओं की प्रसवकाल में होने वाली मृत्यु दर भी घटी है।

3. अकाल मृत्यु पर नियंत्रण (Control on Famine Death) देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है। आज अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, भूकम्प, बाढ़ से मरने वालों की संख्या कम हुई है। आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान जैसे मरुप्रदेश में आज अकाल से लोग नहीं मरते हैं।

4. शिक्षा का प्रसार (Expansion of Education) देश में शिक्षा का विकास हो रहा है। निरक्षरों को साक्षर किया जा रहा है। प्रौढ शिक्षा प्रगति पर है। शैक्षिक विकास से परिवारों में जागृति आई है। लोग छोटे परिवार के लाभ को समझने लगे हैं। छोटे परिवारों में सदस्यों की देशभाल अच्छी तरह से होती है। इससे मृत्यु दर में भारी कमी आई है।

5. औसत आयु में वृद्धि (Increase in Average Age) आर्थिक विकास और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। भारतीय नागरिकों की औसत आयु 1901-11 में 22.9 वर्ष थी जो बढ़कर 1941-51 में 32.1 वर्ष तथा 1971-81 में और बढ़कर 50.4 वर्ष हो गई। 1981-91 में भारतीय नागरिकों की औसत आयु 58.6 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 59.0 वर्ष थी।

(स) राजनीतिक कारण (Political Factors)

भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी हैं। जनसंख्या वृद्धि के राजनीतिक कारण निम्नलिखित हैं -

1. शरणार्थी (Immigration) देश में शरणार्थियों का आगमन जनसंख्या वृद्धि का बड़ा कारण रहा है। वर्ष 1947 में तथा 1971 में देश में बड़े संख्या में शरणार्थी आए। 1962 में भी चीन आक्रमण के समय तिब्बती शरणार्थी भारत आए। श्रीलंका से भी गृह युद्ध के कारण बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आए।

2. प्रवासी भारतीयों की वापसी (Return of Migrants) विदेशों में जाकर बसे भारतीय मूल के लोग अनेक कठिनाइयों के कारण भारत वापस लौटे। इस कारण भी देश की जनसंख्या बढ़ी। भारतीय मूल के अनेक लोगों को युगान्दा, श्रीलंका, नेपाल, केन्या, बर्मा आदि देशों से निकाल दिया गया है।

3. जनसंख्या संबंधी समंक सुधार (Improvement in Census Data)

स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या समक दोषपूर्ण थे। जनसंख्या के सही आकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते थे। स्वतंत्रता पश्चात जनसंख्या गणना की विधियों में सुधार किया गया है। जनसंख्या के वास्तविक समक आने के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई।

4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) देश में ससद और विधानसभाओं की सीटों की संख्या का आधार जनसंख्या है। कर राजस्व वितरण के आधार में जनसंख्या महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की महती भूमिका के कारण राज्यों की जनसंख्या में कमी करने की रुचि कम होती है।

5. घुसपैठ (Intrusion) भारत में घुसपैठ की समस्या भी है। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों से लगी हुई हैं। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत आते हैं। नतीजतन सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है।

6. सत्ता परिवर्तन का भय (Fear towards Frequent Change of Government) देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ शक्ति प्रयोग से भय खाती हैं क्योंकि पूर्व में आपात काल के दौरान नसबंदी के कारण देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में सभी राजनीतिक पार्टियाँ स्वैच्छिक परिवार नियोजन पर बल देती हैं।

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय (Measures to Check Population Growth)

भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो आर्थिक विकास जनसंख्या रूपी बाढ़ में बह जाएगा। हाल के वर्षों में राजकीय प्रयासों व जनता की जागरूकता के कारण जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी कम हुई है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1981 में 2.22 प्रतिशत थी जो घटकर 1991 में 2.14 प्रतिशत रह गई। किंतु 1991 की 2.14 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दुनिया के देशों की तुलना में अधिक है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर को कम किए जाने की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं -

1. शिक्षा (Education) जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के वास्ते शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त दम्पति तुलनात्मक रूप से कम बच्चे चाहते हैं। शिक्षित दम्पति बच्चे को बेहतर शिक्षा मुहैया कराकर अधिक योग्य बनाना चाहते हैं। भारत शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। साक्षरता दर बहुत कम है। स्त्रियों में नीची साक्षरता दर चिंताप्रद है। वर्ष 1991 में भारत में साक्षरता दर प्रतिशत 51.21 थी। पुरुषों में साक्षरता 64.13 प्रतिशत तथा महिलाओं में साक्षरता 39.29 प्रतिशत थी। बिहार तथा राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से देश के पिछड़े हुए राज्य हैं। भारत के जिस राज्य में साक्षरता अधिक है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है। वर्ष 1991 में केरल में साक्षरता वृद्धि दर 89.81 प्रतिशत थी और

जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.34 प्रतिशत थी जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कम थी। अतः शिक्षा व साक्षरता का विस्तार जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण का कारगर उपाय है।

2. गरीबी उन्मूलन (Poverty Elimination) भारत की बहुतेरी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए गरीबी उन्मूलन आवश्यक है। गरीबी की समस्या पर निजात पाने के लिए ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। पहले से चल रही योजनाओं का उचित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। गरीबी समाप्त होने अथवा कम होने पर गरीब दम्पति बच्चों को आर्थिक इकाई के स्थान पर आर्थिक भार समझे। वे बच्चों को खेत-खलिहानों अथवा अन्य कामों पर भेजने के स्थान पर स्कूल भेजेंगे। अतः गरीबी उन्मूलन जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है।

3. बाल विवाह पर नियंत्रण (Control Over Child Marriage) बाल विवाह पर नियंत्रण से जनसंख्या वृद्धि को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। भारत में कानूनन लड़कों व लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष निर्धारित कर रखी है। किंतु विवाह की इस उम्र के कानून का पालन नहीं होता है। आज भी गांवों में ही नहीं अपितु शहरों में भी बालविवाह प्रचलित है। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए शारदा कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए विवाह योग्य आयु में वृद्धि की आवश्यकता है।

4. बहु विवाह पर रोक (Prohibition on Polygamy) जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण के लिए बहु-विवाह पर रोक आवश्यक है। एक पत्नी होने से बच्चों का जन्म 'रोटेशन' कम होगा। किंतु भारत में लोगों में एक से अधिक पत्नियाँ रखने की प्रवृत्ति है। बहु-विवाह पर कानूनन नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।

5. मनोरंजन के साधनों का विकास (Development of Entertainment Sources) देश में ग्रामीण परिवेश और गंदी बस्तियों में मनोरंजन के साधनों का अभाव है। इस कारण दम्पति मनोरंजन के लिए परस्पर लिप्त रहते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ग्रामीण परिवेश में मनोरंजन के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। मनोरंजन के साधनों का विकास होने से पति-पत्नी कई घंटे एक-दूसरे से घर के बाहर रह सकेंगे। जिससे जनसंख्या को थोड़ी कम करने में मदद मिलेगी। गरीब वर्गों के लिए मनोरंजन के साधन सस्ते होने चाहिए।

6. आवास विकास (Housing Development) जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए आवास विकास पर बल देना चाहिए। यद्यपि केन्द्र सरकार ने आवास विकास की अनेक योजनाएँ चालू कर रखी हैं। आवास विकास के लिए वित्तीय सहायता भी ऋण सुविधा मुहैया कराती है। किंतु उपलब्ध आवास विकास सुविधाएँ बढ़ती गरीबी और बेघरों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कम हैं। अतः

आवास विकास के क्षेत्र में कारगर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बड़े आवास उपलब्ध होने पर दम्पति कुछ पल पृथक रह सकेंगे जिससे जनसंख्या वृद्धि को कुछ कम करने में मदद मिलेगी।

7. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) भारत में सामाजिक सुरक्षा का अभाव तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण रहा है। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देकर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्यतया व्यक्ति वृद्धावस्था और सफट की स्थिति में पुत्र की ओर मोहताज होता है। यदि व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सुनिश्चित है तो वह पुत्र प्राप्ति की लालसा में कन्याओं की कतार भी नहीं लगाएगा। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीवन बीमा, राज्य बीमा, सामाजिक बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि सुविधाएँ मुहैया की जानी चाहिए।

8. परिवार नियोजन (Family Planning) भारत में परिवार नियोजन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसका कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्वीच्छक हाना है। देश में बहुसंख्यक दम्पति परिवार नियोजन के दायर से बाहर हैं और फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता पर अनेक बार प्रश्नचिह्न लगे हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। दम्पति को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वह दो से अधिक सतान को जन्म नहीं दे।

9. शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण (Control Over Children Mortality Rate) भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक है इस कारण दम्पति अधिक बच्चे चाहते हैं। शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। शिशु मृत्यु दर नियंत्रित होने पर ऊँची जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी।

10. स्त्रियों की आत्मनिर्भरता (Independency of Women) आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्रियाँ कम सतान चाहती हैं। ग्रामीण परिवेश में तो निरक्षर महिलाओं में अनेक बार बच्चे पैदा करने की प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। जनसंख्या दर नियंत्रण के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। महिलाओं के उत्थान के लिए राजकीय सेवाओं, संसद व विधान सभाओं में आरक्षण किया जाना चाहिए। औद्योगीकरण में भी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

11. शरणार्थियों के आगमन पर रोक (Ban on Arrival of Immigrants) भारत में शरणार्थियों के आगमन पर रोक प्रभावी होनी चाहिए। भारत में जो शरणार्थी विदेशों से आकर बस गए हैं उन्हें वापस उनके देश में भेजे जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। शरणार्थियों के आगमन को रोकने के लिए सीमा पर चौकसी बढ़ाई जानी चाहिए। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को भी रोका जाना चाहिए।

12. तीव्र विकास (Rapid Development) भारत में आर्थिक विकास की दर विकसित देशों की तुलना में कम है। जबकि यहाँ विकास की दिगुल समादनाएँ विद्यमान हैं। आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर जनसख्या की वृद्धि को बड़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। आर्थिक विकास से जीवन स्तर में सुधार होता है। उच्च वर्ग और उच्च मध्यम दर्गीय परिवार कम बच्चे चाहते हैं। वे बच्चों को अधिकतम सुख-सुविधाएँ मुहैया कराना चाहते हैं।

13. सामाजिक जागरुकता (Social Awareness) देश में सामाजिक चेतना का अभाव है। अशिक्षित ही नहीं अपितु बड़ी सख्या में शिक्षित भी परम्परावादी दृष्टिकोण रखते हैं। देश में सामाजिक जागृति को बढ़ावा देकर परम्परावादी दृष्टिकोण यथा धार्मिक अंधविश्वास, रुढ़िवादी दृष्टिकोण, बाल विवाह आदि को बदला जा सकता है।

14. जनसख्या का सतुलित वितरण (Proper Distribution of Population) देश के कई भागों का जनसख्या घनत्व अधिक है। क्षेत्र विशेष की घनी आबादी जनसख्या में तीव्र वृद्धि करती है। अतः घनी आबादी वाले क्षेत्रों से लोगों को कम आबादी वाले क्षेत्रों में बसाया जाना चाहिए। इससे कम विकसित क्षेत्रों का विकास भी हो सकेगा।

15. नैतिक सयम का पालन (Implementation of Self-Control) आज के नैतिकवादी युग में नैतिक सयम का पालन दुर्लभ है। प्राचीनकाल में नैतिक सयम पर बल दिया जाने के कारण जनसख्या वृद्धि दर कम थी। वर्तमान में नैतिक सयम पर बल जनसख्या नियंत्रण में कारगर सिद्ध हो सकता है। अतः लोगों को देश की बढ़ती जनसख्या नतीजतन बढ़ती कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनसख्या वृद्धि के कार्य में थोड़ा सयम बरतना चाहिए।

भारत में जनसख्या संबंधी कुछ तथ्य (Some Basic Facts of India's Population)

भारत में जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन भी आवश्यक है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सख्या 35 है। प्रत्येक राज्य की जनसख्या की जनसख्या संबंधी विशिष्टताएँ हैं। भारत में जनसख्या संबंधी कुछ तथ्यों में जनसख्या का प्राकृतिक वितरण, जनसख्या घनत्व, जनसख्या का व्यावसायिक वितरण, राज्यों में साक्षरता आदि का अध्ययन उल्लेखनीय है।

1. भारत में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जनसख्या भारत में जनसख्या का असतुलित वितरण है। कुछ राज्यों की जनसख्या बहुत अधिक है। जबकि कुछ राज्यों में जनसख्या का अभाव है। उत्तरप्रदेश देश का सर्वाधिक जनसख्या वाला राज्य है। वर्ष 1981 में देश की कुल जनसख्या में उत्तर प्रदेश का भाग 16.22 प्रतिशत था। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश की

जनसंख्या 13 91 करोड़ थी जो देश की कुल जनसंख्या का 16 44 प्रतिशत था। राजस्थान का भी जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1981 में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से देश में नवा स्थान था। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4 40 करोड़ थी जो देश की कुल जनसंख्या का 5 20 प्रतिशत था।

2 भारत में जनसंख्या का घनत्व (Density of Population in India) जनसंख्या घनत्व से आशय देश विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत संख्या से है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या और क्षेत्रफल में संबंध दर्शाता है। जनसंख्या के घनत्व को ज्ञात करने के लिए कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। जनसंख्या घनत्व क्षेत्र विशेष में औसत जनसंख्या को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए निम्न गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$\text{जनसंख्या घनत्व} = \frac{\text{कुल जनसंख्या}}{\text{कुल क्षेत्रफल}}$$

भारत में जनसंख्या घनत्व

स्वातंत्र्योत्तर भारत के जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो बढ़कर 1981 में 230 तथा 1991 में और बढ़कर 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। भारत के जनसंख्या घनत्व में 1981 में 24 9 प्रतिशत तथा 1991 में 18 4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

भारत में जनसंख्या घनत्व

वर्ष	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
1951	113
1961	138
1971	177
1981	230
1991	273

स्रोत भारत वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ 1994

विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व

देश में जनसंख्या घनत्व में असंतुलन है। केन्द्रशासित प्रदेशों में आबादी का घनत्व दिल्ली में सर्वाधिक 6 352 है। इसके बाद चण्डीगढ़ का नम्बर आता है

जहाँ यह 6 532 है। सबसे कम आबादी वाला लक्ष्यदीप तीसरे नम्बर पर आता है। जहाँ आबादी का घात्व 1 616 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पाण्डिचेरी का घनत्व 1 642 है जो नौवें नम्बर पर आता है और इसका बाद दमन व दीप जहाँ आबादी का घनत्व 907 है। अरुणाचल प्रदेश 'यूननम' घनत्व वाला प्रदेश है जहाँ यह संख्या 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दश के दस अत्यधिक बस जिले हैं—रत्नगिरा, चैन्नई, वृहत्तर मुम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, चण्डीगढ़, माह, हावड़ा, बानपुर शहर और बंगलूर। इन सभी में आबादी का घात्व दो हजार व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है और इन जिलों में देश की कुल आबादी के 5 01 प्रतिशत लोग रहते हैं। इन दस जिलों में आबादी का औसत घनत्व 6 888 है।

विश्व के देशों में जनसंख्या घनत्व

राष्ट्र विश्व के देशवासियों का जीवन स्तर और पालन-पोषण प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और औद्योगिकीकरण पर निर्भर करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि जनसंख्या घात्व और आर्थिक विकास में घनात्मक संबंध होता है। प्रायः विकसित क्षेत्रों में जन घनत्व अवश्य अधिक होता है।

अमरीका के जनसंख्या घनत्व का कम होना इस बात का परिचायक नहीं है कि यह आर्थिक विकास की दृष्टि से विकसित नहीं है। अमरीका में जीवन स्तर का उच्च होना अत्यन्त अनुकूल मनुष्य-भूमि अनुपात और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। भारत का जनसंख्या घनत्व अमरीका से बहुत अधिक है किंतु भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। इसका कारण भारत में प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण विदोहन का अभाव तकनीकी का अभाव तथा अधिकांश जनसंख्या का कृषि पर निर्भर होना है। हालैण्ड तथा जापान का जनसंख्या घनत्व अधिक है। ये दोनों विकसित देश हैं। ये राष्ट्र आधुनिकतम तकनीकी के कारण विकास की उच्च अवस्था में पहुँचे हैं। प्रायः जनसंख्या घनत्व न तो किसी राष्ट्र की सम्पन्नता का सूचक है और न ही विपन्नता का।

जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटक
(Factors Affecting Density of Population)

अथवा

भारत में जनसंख्या घनत्व में भिन्नता के कारण
(Causes of Variation in Density of Population)

जनसंख्या घनत्व पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या घनत्व का आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं भौगोलिक तत्व प्रभावित करते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या घनत्व की भिन्नता का कारण क्षेत्र विशेष का आर्थिक विकास है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। इसका कारण दिल्ली का राजधानी होना तथा तीव्र विकास है। जनसंख्या घनत्व का प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं—

(अ) आर्थिक कारण

जनसंख्या घनत्व पर आर्थिक घटकों सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में जनसंख्या के पलायन की प्रवृत्ति के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक निम्न प्रकार हैं-

1. औद्योगिक विकास (Industrial Development) जो क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित होते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना होने से लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। औद्योगीकरण से क्षेत्र में चहुँओर खुशहाली दृष्टिगोचर होती है। भारत में औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। औद्योगीकरण के कारण सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं - कलकत्ता, चैन्नई, बृहत्तर मुम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, चण्डीगढ़, कानपुर, हावड़ा आदि। भारत में औद्योगीकरण की दृष्टि से विकसित राज्य यथा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके विपरीत औद्योगीकरण में पिछड़े राज्य यथा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम है।

2. आधारभूत संरचना (Infrastructure) आधारभूत संरचना का जनसंख्या घनत्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आधारभूत संरचना में रेल, सड़क, सिंचाई, संचार आदि सुविधाओं को सम्मिलित करते हैं। जिन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर्याप्त विकसित होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में विकसित आधारभूत संरचना के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है जबकि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण आधारभूत संरचना विकसित नहीं होने के कारण जनसंख्या घनत्व कम है।

3. आवास (Inhabitation) आवास जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में आवास सुविधा पर्याप्त व सस्ती होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। आवास सुविधा के अभाव में जनसंख्या घनत्व कम होता है।

4. कृषि (Agriculture) जहाँ कृषि क्षेत्र अधिक और उपजाऊ है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा आदि राज्यों में कृषि विकास के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है।

5. सिंचाई सुविधा (Irrigation Facilities) भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी कृषि मानसून का जुआ बनी हुई है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएँ यथा नहरे, तालाब, नदियाँ आदि उपलब्ध हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है।

6. खनिज उत्पादन (Mineral Wealth) - जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण वहाँ खनिज पदार्थों की प्रचुरता है।

7. व्यापारिक केन्द्र (Business Centres) व्यापारिक केन्द्रों पर जनसंख्या

घनत्व अधिक होता है। व्यापारिक केन्द्रों पर लोग अन्य स्थानों से आकर बसना प्रारम्भ कर देते हैं। भारत के काजपुर अहमदाबाद लुधियाना मुम्बई आदि क्षेत्रों में व्यापारिक केन्द्रों के कारण ही जनसंख्या घनत्व अधिक है।

8 बंदरगाह (Port) बंदरगाहों पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। बंदरगाह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के केन्द्र होते हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में माल का आगत व निरगत होता है। बंदरगाहों के बड़ा व्यापारिक केन्द्र होने के कारण व्यापार व साथ व्यापार की सहायक क्रियाओं यथा बैंक बीमा आदि का भी विकास होता है। भारत के सभी बंदरगाहों पर जनसंख्या घनत्व अधिक है।

(ब) धार्मिक, शैक्षणिक व राजनीतिक कारण


जनसंख्या घनत्व को धार्मिक शैक्षणिक और राजनीतिक कारण भी प्रभावित करते हैं। भारत में धार्मिक स्थानों शैक्षिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों तथा राज्यों की राजधानियों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व के संबंधित प्रमुख कारण इस प्रकार हैं -

1 धार्मिक स्थल (Religious Places) धार्मिक स्थानों पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। धर्म स्थलों पर धर्मावलम्बियों का ताता लगा रहता है। देश-विदेश से यात्री दर्शनार्थ आते हैं। धार्मिक स्थल तीर्थारटन की दृष्टि से विकसित हो जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर उद्योग-धन्धे विकसित हो जाते हैं। अनेक क्षेत्रों से लोग व्यवसाय उद्योग आदि स्थापित करने के लिए आते हैं परिणामस्वरूप धार्मिक स्थलों का जनसंख्या घनत्व तेजी से बढ़ने लगता है। भारत में अनेक स्थान यथा काशी प्रयाग हरिद्वार वाराणसी अजमेर अमृतसर आदि शहरों का जनसंख्या घनत्व धार्मिक स्थल होने के कारण अधिक है।

2 शैक्षिक विकास (Educational Development) शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता है। अच्छे जीवन के लिए शिक्षा अपरिहार्य है। जिन क्षेत्रों में स्तरीय शिक्षा सुविधा मुहैया है। वहाँ शिक्षा प्राप्ति वास्ते अन्य क्षेत्रों से लोग आकर बसने लगते हैं। तीव्रतम जनसंख्या घनत्व अपेक्षकृत अधिक होता है। राजस्थान में अजमेर जयपुर कोटा व जनस्थली में अच्छी शिक्षा सुविधा के कारण जनसंख्या घनत्व अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। भारत के दिल्ली चेन्नई व मुम्बई में अधिक जनसंख्या घनत्व का कारण तीव्र विकास के अलावा स्तरीय शैक्षिक सुविधाएँ भी हैं।

3 ऐतिहासिक स्थान (Historical Places) ऐतिहासिक स्थानों पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। आज विश्व में पर्यटन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि पर्यटन में कम पूँजी निवेश से अधिक आय स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। पर्यटन को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक स्थानों की महती भूमिका होती है। देश में दिल्ली आगरा जयपुर हैदराबाद चित्तौड़गढ़ उदयपुर आदि वा जनसंख्या घनत्व ऐतिहासिक महत्त्व के कारण अधिक है।

जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटक



4 राजनीति (Politics) भारत में अनेक बार आर्थिक निर्णय क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक ससाधना के आधार पर नहीं लिये जाते हैं। आर्थिक निर्णयों में आज राजनीति प्रभावी है। आर्थिक विकास में राजनीति की भूमिका बड़ी है। जहाँ राजनीति प्रभावी है वहाँ का विकास तीव्र गति पकड़ने में लगता है, चाहे ससाधनों का अभाव ही क्या न हो। देश के राजनीतिक प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। राज्या की राजधानियों का तुलनात्मक रूप से अधिक जनसंख्या घनत्व इसका उदाहरण है।

5 शांति (Peace) जीवन में शांति की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में शांति का अभाव दृष्टिगोचर होना लगा है। आज व्यक्ति ऐसे स्थानों पर जाने और रहने के लिए उत्सुक है जहाँ शांति है। जहाँ विकास तीव्र है परन्तु शांति नहीं है वहाँ व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा। धनोपार्जन ही मजदूरी अलग बात है, किंतु जैसे ही व्यक्ति को धनोपार्जन का विकल्प उपलब्ध होगा वह तुरन्त अशांत क्षेत्र को छोड़ देगा। व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में जाकर बसना चाहेगा जहाँ उसका जीवन शांतिपूर्वक चले, वह अपने को सुरक्षित महसूस करे और उसके जीवन का जो निर्धारित लक्ष्य है, उसे पूरा कर सके। अतः जनसंख्या घनत्व में शांति की उल्लेखनीय भूमिका है।

(स) भौगोलिक कारण

(Geographical Factors)

जनसंख्या घनत्व को भौगोलिक तत्व भी प्रभावित करते हैं। भौगोलिक तत्वों में जलवायु धरातल स्थिति, तापमान वर्षा, प्राकृतिक ससाधन जल स्रोत, भूमि डेल्टा क्षेत्र समुद्र तट आदि को सम्मिलित करते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण निम्नलिखित हैं -

1 भूमि (Land) जनसंख्या घनत्व में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है क्योंकि उपजाऊ भूमि में कृषि कार्य को आसानी से सम्पन्न किया जा सकता है। भारत में तो 74 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में जीवन बसर करती है जिनकी रोजी-रोटी का आधार कृषि है। इसी कारण भारत में उपजाऊ भूमि वाले राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। देश के गाँव यमुना एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है।

2 जलवायु (Climate) व्यक्ति उत्तम जलवायु से रहना अधिक पसंद करते हैं। अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में व्यक्ति रहना कम पसंद करते हैं। व्यक्ति सामान्यतया सम जलवायु में ही रहना पसंद करते हैं। सम-शीतोष्ण वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अर्ल बी शॉ के शब्दों में "जलवायु का जनसंख्या के वर्तमान वितरण और घनत्व से अधिक संबंध है।" भारत के महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल राज्यों में उत्तम जलवायु के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है।

3 धरातल (Ground Surface) भूमि का धरातल जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है क्योंकि मैदानी

भागों में आधारभूत संरचना का विकास आसानी से किया जा सकता है। आधारभूत संरचना के विकसित होने से मैदानी भागों का तीव्र आर्थिक विकास होता है। मैदानी भागों में आर्थिक विकास जनसंख्या घनत्व को बढ़ाता है। इसके विपरीत पहाड़ी, रेगिस्तानी व दलदली धरातल में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश में मैदानी धरातल के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। जबकि राजस्थान, जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कम है।

4. वर्षा (Rainfall) पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में व्यक्ति कम रहना पसंद करते हैं। भारत के पंजाब, उत्तरप्रदेश व पश्चिमी बंगाल में पर्याप्त वर्षा के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि राजस्थान में कम वर्षा के कारण जनसंख्या घनत्व कम है।

5. प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources) प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। प्राकृतिक संसाधनों के कारण क्षेत्र विशेष का तीव्र आर्थिक विकास होता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व खनिजों की उपलब्धता के कारण अधिक है।

6. जल स्रोत (Water Resources) पानी जीवन का तो आधार है ही इसके अलावा औद्योगीकरण भी जल स्रोत पर बड़ी सीमा तक निर्भर करता है। भारत में बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हैं। जहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है। जिन क्षेत्रों में पीने का भीतर जल मुहैया है वहाँ का जनसंख्या घनत्व ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ प्रदूषित पानी जैसे अधिक फ्लोराइड हो।

3. कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

(Occupational Distribution of Working Population)

राष्ट्र विशेष के अर्थतंत्र में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के अधिकांश भाग का कृषि व्यवसायों में लगे होना आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन तथा जनसंख्या के अधिक भाग का उद्योग व अन्य व्यवसायों में लगे होना आर्थिक दृष्टि से विकसित होने का परिचायक है। भारतीय जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना विकसित देशों की तुलना में अलग है। भारत में 72 प्रतिशत व्यक्ति कृषि में लगे हैं जबकि जापान में केवल 19.4 प्रतिशत ही कृषि में लगे हैं, ब्रिटेन में 5 प्रतिशत तथा अमरीका में 12.5 प्रतिशत ही कृषि में लगे हैं। उद्योगों में लगे व्यक्ति अमरीका में 30 प्रतिशत तथा ब्रिटेन में 43 प्रतिशत हैं।

कार्यशील जनसंख्या (Working Population)

देश की समूची जनसंख्या कार्यशील नहीं होती है उसका कुछ भाग ही कार्यशील जनसंख्या होता है। आर्थिक दृष्टि से कार्य में सक्रिय व्यक्तियों को कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। एक व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन

अथवा अधिक आर्थिक उत्पादन गतिविधियों में सहभागिता करता है वह मुख्य श्रमिक माना जाता है तथा जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिनों से कम आर्थिक गतिविधि में सलग्न रहता है वह सीमांत श्रमिक माना जाता है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो वर्ष में किसी समय कोई कार्य नहीं करता वह गैर श्रमिक (Non Worker) माना जाता है। इस श्रेणी में छात्र सेवाश्रित व्यक्ति भिखारी किसी भी निर्भर व्यक्ति और गृहकार्यों में सलग्न व्यक्ति आदि को सम्मिलित करते हैं।

भारत में विगत दो दशकों में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कार्यशील जनसंख्या 1971 में 32.9 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1981 में 35.3 तथा 1991 में और बढ़कर प्रतिशत 37.5 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 62.5 प्रतिशत जनसंख्या गैर कार्यशील थी जिसका आर्थिक उत्पादन गतिविधियों में कोई सहभागिता नहीं थी। देश के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें गैर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत भारत की गैर कार्यशील जनसंख्या से अधिक है। पंजाब में गैर कार्यशील जनसंख्या का भाग 69.12 प्रतिशत है। इसके अलावा केरल में 68.57 प्रतिशत उत्तरप्रदेश में 67.80 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में 67.81 तथा हरियाणा में 69 प्रतिशत गैर कार्यशील जनसंख्या है। राजस्थान में गैर कार्यशील जनसंख्या भारत के औसत से कम है। राजस्थान में कुल जनसंख्या का 31.62 प्रतिशत मुख्य श्रमिक (Main Workers) 7.25 प्रतिशत सीमांत श्रमिक तथा 61.13 प्रतिशत गैर श्रमिक हैं।

वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़ थी इसमें पुरुष 43.9 करोड़ तथा महिलाएँ 40.7 करोड़ थीं। पुरुषों की कुल संख्या का 51.55 प्रतिशत तथा महिलाओं की कुल संख्या का 22.25 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या का था। राजस्थान की जनसंख्या 4.40 करोड़ थी। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 58.87 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या था। कुल पुरुषों का 49.30 प्रतिशत तथा कुल महिलाओं का 27.40 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या का था।

कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

(प्रतिशत)

जनगणना वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
1951	72.1	10.6	17.3
1961	72.8	11.2	16.0
1971	72.1	11.2	16.7
1981	70.0	12.8	17.2
1991	67.0	13.0	20.0

जनगणना 1991 में मुख्य श्रमिकों की औद्योगिक श्रेणी को तीन भागों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार है 1 कृषि 2 कृषि श्रमिक 3 पशुपालन

वन व्यवसाय, मछली पालन, शिकार, पौधारोपण आदि, 4 खनन 5(अ) घरेलू उद्योगों में निर्माण, प्रोसेसिंग, मरम्मत, 5(ब) घरेलू उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में निर्माण, सेवा में मरम्मत 6 निर्माण, 7 व्यापार और वाणिज्य, 8 ट्रान्सपोर्ट, संग्रहण और संचार, 9 अन्य सेवाएँ। सुविधा की दृष्टि से कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) में कृषि, पशुपालन, वन व्यवसाय, मछलीपालन तथा खनन सम्मिलित होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) में बड़े व मझोले पैमाने के उद्योग सम्मिलित होते हैं तथा तृतीयक क्षेत्र में (Tertiary Sector) वाणिज्य, संचार, परिवहन, बीमा, वित्त, प्रबंध आदि सम्मिलित होते हैं।

विकासशील अर्थव्यवस्था (Developing Economy)

जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की दृष्टि से भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। भारत विकासशील देश है। वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकीकरण द्वारा व्यावसायिक ढांचे में बदलाव के लिए प्रयासरत है। नियोजित विकास के गत चार दशकों (1951-91) में भारत को व्यावसायिक ढांचे के बदलाव के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 1991 में भारत की 74.3 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में जीवन बसर के लिए अभिशप्त थी। इसके अलावा कुल कार्यशील जनसंख्या का 67 प्रतिशत भाग व्यावसायिक ढांचे के प्राथमिक क्षेत्र में सलग्न था। जबकि कुल कार्यशील जनसंख्या का केवल 13 प्रतिशत भाग द्वितीयक क्षेत्र में तथा 20 प्रतिशत भाग तृतीयक क्षेत्र में सलग्न था।

प्रख्यात अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के कम होने का प्रमुख कारण अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत होना है। भारत की डालर में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में ही नहीं अपितु विकासशील देशों की तुलना में भी बहुत कम है। भारत में प्रति व्यक्ति आय के कम होने का कारण कार्यशील जनसंख्या का 67 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत होना है। भारत में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। विख्यात अर्थशास्त्री साइमन कुजनेटस के अनुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में 66 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से भी भारत विकसित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं होता है क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 72 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।

भारत के लिए चिंताप्रद बात यह है कि कार्यशील जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। कार्यशील जनसंख्या 1961 में 43 प्रतिशत थी जो घटकर 1991 में 37.5 प्रतिशत रह गई। यद्यपि कार्यशील जनसंख्या में 1981 की तुलना में थोड़ी वृद्धि अवश्य हुई है। विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक होता है। दूसरी चिंता की बात यह है कि स्वतंत्रता के पचास

वर्षों में कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे में विशेष बदलाव नहीं आया है। लगभग पाच दशका में व्यावसायिक ढांचे के प्राथमिक क्षेत्र में कमी नहीं आ सकी। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि नगण्य रही। वर्ष 1951 में द्वितीयक क्षेत्र का भाग 10.6 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का भाग 17.3 प्रतिशत था जो 1991 में मामूली बढ़कर क्रमशः 13 प्रतिशत और 20 प्रतिशत ही हो पाया। कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे से भारत का आर्थिक पिछड़ापन परिलक्षित होता है।

ढांचे में बदलाव की आवश्यकता (Necessity for Change in Structure)

भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि में नियोजित होना आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक है। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने कृषि के आधार पर तीव्र आर्थिक विकास किया किन्तु भारत में बीते पचास वर्षों में कृषि क्षेत्र की प्रगति उत्साहवर्द्धक नहीं रही। कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कम निजी और सार्वजनिक पूंजी निवेश रहा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आज भी राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है किंतु कृषि की दशा सुधारने में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। किसान और गरीब लोग सेट-साहूकारों के चंगुल में फंसे रहे।

आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे में बदलाव आवश्यक है। इसके लिए व्यावसायिक संरचना के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि आधारित उद्योगों का विकास करके कृषि पर जनसंख्या का भार कम किया जा सकता है तथा ग्रामीण परिवेश में बेरोजगारी भी कम हो सकेगी। कृषिगत विकास के लिए ग्रामीण परिवेश में आधारभूत संरचना का विकास किया जाना चाहिए। हाल के उदारीकरण में आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका में नियोजन काल की तुलना में कमी आई है, किंतु व्यावसायिक संरचना को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता आज भी है। विकास की तीव्र गति वास्ते पूंजी निवेश को विशेषकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आधारीक संरचना की ओर मोड़ना चाहिए। केन्द्र सरकार को सामाजिक क्षेत्र में अधिक सार्वजनिक परिव्यय पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

4. सहस्राब्दि जनगणना - वर्ष 2001 (Millennium Census - 2001)

भारत में अगली सहस्राब्दि के पहले वर्ष में होने वाली सहस्राब्दि जनगणना के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं तैयारियों के अन्तर्गत नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 24-25 अप्रैल, 1998 को तत्संबंधी आकड़े इस्तेमाल करने वालों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त डा. एम. विजयनन्दी के अनुसार भारत की अगली जनगणना के लिए तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इस जनगणना के लिए एक मार्च, 2001

के सूर्योदय को सदम बिंदु माना जाएगा।

वर्ष 2001 में की जाने वाली जनगणना भारत में प्रति दस वर्षों में अनवरत रूप से संपन्न की जाने वाली चौदहवीं और इक्कीसवीं शताब्दी की पहली जनगणना होगी। यद्यपि प्रत्येक जनगणना अपने-आप में महत्वपूर्ण होती है, फिर भी वर्ष 2001 की जनगणना अनूठी होगी क्योंकि इससे एक ऐसे समय में देश के समाज, जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक आंकड़े प्राप्त होंगे जिसमें अगली शताब्दी का ही नहीं, बल्कि नई सहस्राब्दि का भी सूत्रपात होगा। यही कारण है कि इसे सहस्राब्दि जनगणना कहना उचित होगा। इससे अगली शताब्दी और सहस्राब्दि के दौरान देश के निर्यात को नियंत्रित करने में अद्भुत और महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होंगे।

वर्ष 2001 में की जाने वाली जनगणना में पहली बार एक अरब से अधिक के व्यक्तियों की गणना की जाएगी। 1991 में पिछली जनगणना के समय भारत की जनसंख्या 846 करोड़ थी। भारत की अगली जनगणना विश्व में किसी भी सरकार द्वारा किया गया अब तक का एक विशालतम प्रशासनिक उपक्रम होगा। जनगणना संगठन से देश के 33 लाख वर्ग किलोमीटर के भू-भाग पर 20 करोड़ परिवारों के रूप में रह रही अनुमानित 1012 करोड़ जनसंख्या की गणना करने के लिए व्यवस्था करने की आशा की जाती है। इस कार्य में निहित फील्ड वर्क के लिए 20 लाख गणना कर्मियों को काम पर लगाया जाएगा। यह संख्या अपने आप में सिंगापुर जैसे देश की संपूर्ण व्यस्क जनसंख्या से कहीं अधिक है। 1991 की जनगणना उस वर्ष हुई थी जब भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। इसलिए उक्त जनगणना से अर्थव्यवस्था के बारे में उपयोगी आधारभूत आंकड़े प्राप्त हुए। वर्ष 2001 की जनगणना से भी अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी आंकड़े प्राप्त होंगे। जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2001 का जनगणना सबंधी कार्य पूरा हो जाने के बाद एक सप्ताह के भीतर जनसंख्या सबंधी अन्तिम आंकड़े, दो वर्ष के भीतर जनगणना सबंधी बुनियादी आंकड़े तथा तीन वर्ष के भीतर विस्तृत तालिकाएँ जारी करने की योजना बनाई है ताकि प्रमुख आंकड़े शीघ्रतापूर्वक मुहैया कराये जा सकें।

5. भारत में जनाधिक्य की समस्या

(Problem of over populated in India)

'भारत में जनाधिक्य के सबंध में मतैक्य का अभाव है।' भारत की अर्थव्यवस्था में मुहबाएँ ढेरों समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए घनाधिक्य के होने की सहज पुष्टि होती है। इसके विपरीत भारत प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में प्रगति दृष्टिगोचर हुई है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में अभी जनाधिक्य नहीं है। अतः भारत में जनाधिक्य सबंधी विचारों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले भाग में भारत के जनाधिक्य होने तथा दूसरे भाग में जनाधिक्य नहीं होने

सबधी विचारों को सम्मिलित कर सकते हैं। भारत में धनाधिक्य सबधी विचार इस प्रकार हैं -

1 **बेरोजगारी (Unemployment)** भारत में बेरोजगारी सुरसा के मुह की तरह बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों और पचवर्षीय योजनाओं में भारी विनियोजन के बावजूद बेरोजगारी की समस्या से निजात नहीं मिला है। बढ़ती बेरोजगारी का कारण जनाधिक्य की स्थिति है। देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। वर्तमान में बेरोजगारों के आकड़े चौंका देने वाले हैं। रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रारों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कुछ सीमा तक बेरोजगारों की प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। रोजगार कार्यालय मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। इन कार्यालयों में सभी बेरोजगार अपने नाम पंजीकृत नहीं करवाते। इसके अलावा पहले से रोजगार में लगे कुछ व्यक्ति भी बेहतर रोजगार पाने के उद्देश्य से अपने नाम इन कार्यालयों में पंजीकृत करवाते हैं। रोजगार कार्यालयों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के दर्ज नामों की संख्या 31 दिसम्बर 1981 तक 178 36 लाख थी जो 31 दिसम्बर 1992 तक बढ़कर 368 लाख हो गई। वर्तमान में (1998) रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की संख्या 450 लाख से भी अधिक है।

2 **गरीबी (Poverty)** भारत में गरीबी की समस्या भयावह है। पचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भारी भरकम राशि खर्च कर दी गई किंतु लाभ अपेक्षा तक नहीं पहुंच पाने के कारण गरीबी की समस्या कम नहीं हो सकी। देश में चहुँओर गरीबी का ताण्डव आज भी मौजूद है। बढ़ती झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ती गरीबी की दर्दनाक स्थिति को दर्शाती हैं। देश में कानून बनने के बावजूद बाल श्रमिकों की समस्या कम नहीं हो सकी। देश में चहुँओर भिखारी देखे जा सकते हैं। गरीबी की समस्या गावों में विषम है। शहरों में तो जैसे-तैसे छोटे-मोटे रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया हो जाते हैं। गावों में रोजगार के अवसरों का अभाव है। गावों की बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि क्षेत्र में पहले से ही अविच्छिन्न बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। कृषि का बड़ा क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून का जुआ बना हुआ है। जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ अतिदृष्टि तथा बेमौसम बरसात के कारण बहुत नुकसान होता है। देश के समूचे परिवेश में गरीबी दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 1996-97 में देश की कुल जनसंख्या का 29.18 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त था। गावों में शहरों की तुलना में गरीबी अधिक है। ग्रामीण परिवेश में गरीबी 30-55 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी 25-58 प्रतिशत थी। बीसवीं शताब्दी के अंत तक देश में गरीबी की समस्या मुखर बनी हुई थी।

3 **खाद्यान्न का अभाव (Lack of Foodgrains)** भारत गावों का देश है। बहुतेरी जनसंख्या गावों में जीवन बसर करती है। 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का भाग 74 प्रतिशत था। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद

भारत लम्बे समय तक खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सका। वर्तमान में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का टिढ़ोरा पीटा जा रहा है। हाल के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई है इसका श्रेय बड़ी सीमा तक अनुकूल मानसून को जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। देश के लगभग 20 प्रतिशत लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने पर अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। परिणामस्वरूप विगत वर्षों में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा है। वर्ष 1974-75 में खाद्यान्न सकट था। वर्ष 1979-80 में अकाल के कारण खाद्यान्न कीमतों में भारी वृद्धि हुई। भारत ने 1993-94 में 290 करोड़ रुपए, 1994-95 में 92 करोड़ तथा 1995-96 में 80 करोड़ रुपए का खाद्यान्न उत्पादन का आयात किया।

4. मुद्रास्फीति (Inflation) जनाधिक्य के कारण उत्पादों की माग और पूर्ति में भारी अंतराल है। माग के अनुरूप पूर्ति नहीं होने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। देश के एक अरब लोगों की माग की पूर्ति करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। ऊँचे मूल्य के कारण काला बाजारी की प्रवृत्ति बढ़ती है।

5. भूमि पर बढ़ता भार भूमि सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। विश्व की कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है जबकि भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4 प्रतिशत ही है। भारत में जनाधिक्य के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता घट गई है।

6. जनसंख्या घनत्व में वृद्धि (Increase in Population Density) भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण जनसंख्या घनत्व में भारी वृद्धि हुई है। भारत का जनसंख्या घनत्व विश्व के देशों से तुलनात्मक रूप से अधिक है। भारत में जनसंख्या घनत्व 1951 में केवल 113 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर था जो बढ़कर 1981 में 230 तथा 1991 में 273 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। बढ़ता हुआ घनत्व जनाधिक्य का परिचायक है।

7. जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि (Explosive Growth of Population) भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत है। यहाँ हर डेढ़ सैकेंड में एक बच्चा पैदा होता है। एक मिनट में 40 बच्चे जन्म लेते हैं। एक दिन में और रात में 57,600 बच्चे जन्म लेते हैं। देश की जनसंख्या में हर महीने 17.3 लाख बच्चे बढ़ जाते हैं। वर्ष 1981-91 के दौरान भारत की जनसंख्या में 16.3 करोड़ की वृद्धि हुई। यह आस्ट्रेलिया की जनसंख्या का दस गुना और जापान की जनसंख्या से अधिक है।

8. आवास समस्या (Housing Problem) भारत में अधिक जनसंख्या के कारण आवास समस्या मुखर हो गई है। देश में बेघरों की संख्या बढ़ती जा रही है। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या भी बढ़ी है। गावों में आज अधिसंख्यक लोग कच्चे घरों में रहते हैं। देश में आवास की बढ़ती समस्या जनाधिक्य की ओर संकेत करती है।

9. अनिवार्यताओं का अभाव भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर के कारण प्रति वर्ष एक आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रति वर्ष डेढ़ करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए अतिरिक्त अनाज, मकान, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अनिवार्यताएँ जुटाना भारत के लिए मुश्किल है।

10. मात्स्यिक जनसंख्या सिद्धांत लागू होना भारत में खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। देश में जनसंख्या ज्यामितीय रूप जैसे 1, 2, 4, 8, 16 - की तरह बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रकृति जनसंख्या पर रोक लगाती है। भारत में जनसंख्या को कम करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं का घटित होना कुछ सीमा तक मात्स्यिक जनसंख्या सिद्धांत के लागू होने को बल प्रदान करता है।

11. कम पूँजी निर्माण विकसित देशों में बढ़ती जनसंख्या पूँजी निर्माण में सहायक है। भारत में जनसंख्या के बढ़ने से पूँजी निर्माण में वृद्धि नहीं हुई है। भारत की 20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। देश में गरीबी के कारण वृद्धि दर कम है। मध्यमवर्गीय और उच्चवर्गीय परिवारों में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक है।

12. असामान्य परिस्थितियाँ भारत में हर जगह लम्बी-लम्बी कतारें नजर आती हैं। रेल्वे तथा बस स्टेशनों, अस्पतालों, राशन की दुकानों, सिनेमाघरों आदि जगहों पर लम्बी कतारें लगी रहती हैं। रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद रेल्वे कोच खचाखच भरे होते हैं। रौकड़ों छात्र कॉलेजों में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।

13. ऊँची जन्म व मृत्यु दर भारत में जन्म व मृत्यु दर विश्व में तुलनात्मक रूप से अधिक है। भारत में 1994 में जन्म दर 28.7 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.3 प्रति हजार तथा शिशु मृत्यु दर 74 प्रति हजार थी।

उपर्युक्त विवरण से भारत में जनाधिक्य होने की पुष्टि होती है। जनाधिक्य की समस्या से निपटने के लिए भारत ने परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाया। गौरतलब है कि भारत सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है।

भारत में जनाधिक्य नहीं है

अतीत में भारत 'सोने की किलिया' था। देश में बहुओर समृद्धि थी। विश्व के देशों की भारत की समृद्धि पर लालच भरी दृष्टि पड़ी। भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया। गुलामी के दिनों में विदेशियों ने भारत का मनुष्यिक दोहन किया और भारत को गरीब देश बनाकर छोड़ा। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। भारतीयों ने विरासत में मिली बिगड़ी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की धूम्रवक्र तैयार की। भारत स्वतंत्रता के पाँच दशक पूरे कर चुका है। हमने हाल ही

स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ उल्लास से मनाई।

बीते पचास वर्षों में आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा छह एक वर्षीय योजनाएँ सम्पन्न हुईं। वर्तमान में नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अप्रैल 1997 से मार्च 2002 है। यद्यपि राजनीतिक बदलाव के कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना नियत समय पर मूर्त रूप नहीं ले सकी। नियोजित विकास के पांच दशकों में भारत ने अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की। विश्व में हाल के वर्षों में घटित ताजातरीन घटनाक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए भारत की उपलब्धि आर्थिक सकट उत्पन्न नहीं होना माना जा सकता है। विदित है कि पिछले कुछ वर्षों में एशिया में उपजे 'एशियन टाइगर्स' देशों की आर्थिक दशा वर्ष 1997-98 में बिगड़ी। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों ने अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से वैश्वीकरण किया। इन देशों ने भारी विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया तथा मुद्रा को पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया। नतीजतन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को घोर आर्थिक सकट का सामना करना पड़ा। इण्डोनेशिया में मुद्रास्फीति तीव्रता से बढ़ी। वहाँ की सरकार बिगड़ी अर्थव्यवस्था के कारण बदल गई। विश्व की आर्थिक ताकत जापान की मुद्रा येन का भारी अदमूल्यन हुआ। रूस को रुबल सकट का सामना करना पड़ा। भारत में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जैसा आर्थिक सकट उत्पन्न नहीं हुआ यद्यपि रुपए का अदमूल्यन अवश्य हुआ है किंतु भारतीय रुपए में स्थायित्व की प्रवृत्ति दनी हुई है। मुद्रास्फीति भी इकाई अंक तक सीमित है।

1. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production)

भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित की है। इसका श्रेय बड़ी सीमा तक किसानों को जाता है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कारगर पहल की। उदासीकरण के वर्षों में डकल प्रस्तावों को स्वीकार किया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इनके अभाव में भारत के विश्व के देशों से अलग पड़ जाने का भय था। भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता का श्रेय हरित क्रांति को जाता है। हरित क्रांति और कृषि क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक से देश में खाद्यान्न उपलब्धता तो बढ़ी किंतु सभी ग्रामीणजनों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। गावों में घोर आर्थिक विषमता व्याप्त है। गरीबी की समस्या भी गावों में अधिक है। गाव सामाजिक विकास की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। आज बजट के बड़े भाग का प्रावधान ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है। ग्रामीण बजट के खर्च के समय सरकार को इसके सदुपयोग पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ग्रामीणों की जागरूकता के अभाव में बजट के भाग को भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हड़प कर जाए। सरकार को वित्तीय सहायन जुटाने के लिए बड़े किसानों को आयकर के दायरे में लेने के लिए विचार करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश से एकत्रित की गई राशि को कृषि के उत्थान और ग्रामीण औद्योगीकरण पर खर्च की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक

विकास होने से गरीबी की समस्या कम हो सकेगी। ग्रामीण विकास से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 1993-94 में 184.3 मिलियन टन था जो बढ़कर 1999-2000 में 199.1 मिलियन टन (प्राविजनल) हो गया। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1993-94 में 2.7 प्रतिशत तथा 1998-99 में 5.6 प्रतिशत थी। जो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत से अधिक है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर के जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होने के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या का मात्रस सिद्धांत खरा नहीं उतरता है। वित्तु भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावच की प्रवृत्ति व्याप्त है। वर्ष 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक 3.4 प्रतिशत थी। भारत में तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के प्रभावोत्पादक प्रयास हों। देश के खाद्यान्न उत्पादन को आंतरिक मांग की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रखा जाए अपितु खाद्यान्न निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जानी चाहिए।

2 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

आर्थिक विकास के लिए सरकार की नीतिगत पहल पंचवर्षीय योजनाओं के प्रियान्वय। वर्तमान में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को आत्मसात किया जा रहा तथा देशवासियों की कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। भारत जैसे जनसंख्या बहुल देश में प्रतिव्यक्ति आय का बढ़ना महत्त्वपूर्ण बात है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दिया जाता है। विश्व परिप्रेक्ष्य में प्रगति के मापदण्ड को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत की तुलना विकसित राष्ट्रों से करना समीचीन नहीं है। चीन से इस मामले में तुलना की जा सकती है। जनसंख्या की विकरालता के बावजूद भी भारत की प्रति व्यक्ति आय निरन्तर बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर विश्व के देशों की तुलना में अवश्य कम है। वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1994-95 में 252.3 हजार करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 307 हजार करोड़ रुपए (प्राविजनल) हो गया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1994-95 में 7.8 प्रतिशत तथा 1997-98 में 5.2 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1841 रुपए थी जो बढ़कर 1992-93 में 2216 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1985-86 में 2730 रुपए थी जो बढ़कर 1992-93 में 6248 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 1985-86 में 206133 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1992-93 में 544935 करोड़ रुपए हो गई। बढ़ती राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में जााधिक्य की समस्या नहीं है।

3. प्राकृतिक ससाधनों की प्रचुरता

भारत प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से विश्व का एक धनी देश है। भारत में विहार और राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। भारत में धात्विक, अधात्विक तथा शक्ति उत्पादक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में खनिज लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, तांबा, जस्ता, बाक्साइट, सोना व चादी, सीसा, लाइमस्टोन, अभ्रक, खनिज तेल, यूरेनियम, बेरीलियम, जिस्कोनियम आदि खनिज पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक ससाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन किया जाए तो लम्बे समय तक अधिक जनसंख्या का स्तरीय भरण-पोषण किया जा सकता है। किंतु वित्तीय ससाधनों के अभाव में उपलब्ध प्राकृतिक संपदा का विदोहन नहीं किया जा सका। वर्तमान में स्थिति में बदलाव आया है। भारत ने प्राकृतिक ससाधनों के आधार पर औद्योगीकरण का ढांचा खड़ा किया है।

4. मानव संसाधन

भारत में तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। विश्व का सस्ता श्रम भारत में उपलब्ध है। भारत का मानव संसाधन न केवल देश का अपितु विश्व के अनेक देशों के आर्थिक विकास में कारगर भूमिका निभा रहा है। प्राकृतिक ससाधनों के अतिरिक्त सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में प्रवेश के लिए उत्सुक हैं। भारत ने तकनीकी कौशल के बूते पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण कर विश्व को चौंका दिया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत महत्वपूर्ण देश बन गया है। अक्टूबर 1998 में डॉ. अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना जाना भारत के लिए गर्व की बात है। जन्म लेने वाला बच्चा खाने के लिए मुँह ही नहीं लेकर आता बल्कि काम करने के लिए दो हाथ और सोचने के लिए मस्तिष्क भी साथ लेकर आता है। भारत में प्रतिभाएँ बिखरी पड़ी हैं आवश्यकता उनकी दशा सुधारने और सही दिशा देने की है।

भारत जनसंख्या की 2.14 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश, निरक्षरता का अधिकार, गरीबी का ताण्डव, बेरोजगारी, महंगाई, नीची आर्थिक वृद्धि दर, घटते आवास, चहुँओर भीड़ आदि बातें भारत में जनाधिक्य की पुष्टि करते हैं। देश में प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता अवश्य है किंतु जनसंख्या में गरीबों के बढ़ने के कारण बचत व पूँजी निर्माण की दर नीची रहने से वित्तीय ससाधनों का अभाव रहा। नतीजतन प्राकृतिक ससाधनों का उपयोग विकास की गति बढ़ाने में नहीं हो सका। जनाधिक्य ही एक ऐसा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत विश्व के देशों की तुलना में आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ गया। तीव्र आर्थिक विकास के लिए जनाधिक्य पर नियंत्रण आवश्यक है। जनाधिक्य की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार को निरक्षरता और गरीबी को दूर करने के लिए नीतिगत पहल करनी होगी।

गरीबी उन्मूलन की योजनाएँ प्रारम्भिक हों तथा उनका उचित क्रियान्वयन हों।
इससे अभाव में देश की आर्थिक प्रगति बढ़ते निरक्षर लोगों की बाढ़ में बह जायेगी।

सन्दर्भ

- 1 राजस्थान पत्रिका, 11 अगस्त 1999
- 2 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, पृ स 16
- 3 भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश पृ 237

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 मानव ससाधनो का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
- 2 भारत में जनसंख्या की विशेषताएँ बताइए।
- 3 भारत में ऊँची जन्म दर के कारणों को बताइए।
- 4 'भारत में निर्धनता जनाधिक्य का परिणाम है।' व्याख्या कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को समझाइए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए जनसंख्या वृद्धि के कारणों यथा ऊँची जन्म दर, नीची मृत्यु दर, राजनीतिक कारण को लिखना है।)
- 2 भारत में जनसंख्या की क्या विशेषताएँ हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारणों को बताइए। जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में जनसंख्या की विशेषताओं को लिखना है तदुपरांत जनसंख्या वृद्धि के कारणों को बताना है। प्रश्न के तृतीय भाग में अध्याय में दिए गए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय लिखने हैं।)
- 3 जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताना है तथा द्वितीय भाग में अध्याय में दिए गए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखना है।)
- 4 जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को समझाइए। व्यावसायिक ढाँचे के वितरण को किस प्रकार बदला जा सकता है।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गए जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को तथा दूसरे भाग में व्यावसायिक ढाँचे में बदलाव को लिखना है।)
- 5 क्या भारत में जनाधिक्य है? स्पष्ट कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर को दो भागों में लिखना है पहले भाग में अध्याय में दिए गए जनाधिक्य सम्बंधी विचारों को लिखना है तथा दूसरे भाग में भारत में जनाधिक्य नहीं है को लिखना है। अतः में निष्कर्ष में जनाधिक्य की बात को चरितार्थ करना है।)

भारत में जनसंख्या की समस्याएं आर्थिक विकास पर प्रभाव

(Population Problems in India - Effects on
Economic Development)

जनसंख्या और आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। विश्व के विकसित देशों में जनसंख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। भारत में तीव्रता से बढ़ रही जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में बड़ी बाधा है। भारत में प्राकृतिक ससाधन प्रचुरता में नहीं होते तो आज विशाल आबादी के भरण-पोषण की कठिनाई उत्पन्न हो जाती। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आज भारत की स्थिति उस पिता की भांति हो गई है जिसके पास आवास और सुविधाओं का अभाव है और बहुत सारे मेहनाना आ गए हो और ऐसी स्थिति में वह 'किर्कर्टव्यविमूढ' की स्थिति में आ जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के संबंध में एक पंक्ति का उल्लेख किया जाना समीचीन है, "परवरिश नहीं जो हम कर पाए फूलों की, घर में फूलवारी लगाना गलती है।"

भारत में जनसंख्या की विकरालता है तथा इसका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति अनेक बार जीवन की अनिवार्यताओं का अभाव महसूस करते हैं। राजकीय प्रयासों के बावजूद आवास समस्या कम नहीं हो सकी तथा गरीबी, बेकारी नियंत्रण से बाहर है। इसके बावजूद भारत की स्थिति मानव ससाधन के मामले में विश्व के अन्य जनाधिक्य वाले देशों की तुलना में बेहतर है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम शैथिल्यपूर्ण है। वर्तमान में यह परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में संचालित है। आज भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राजकीय दबाव नहीं है। जबकि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या बहुल देश में दम्पति को मात्र एक सतान के लिए बाध्य किया जा रहा है। वहां भ्रूण हत्या निरन्तर बढ़

रही है। भारत में भी भूण हत्या होती है किन्तु इसका कारण अधिक जासख्या नहीं बल्कि बढ़ती दहेज प्रवृत्ति है। अन्य दश में भूण हत्या अत्यधिक जासख्या और सरकारी बाध्यता के कारण होती है।

जनसख्या राष्ट्र के लिए सम्पत्ति और दायित्व दोनों हैं। प्रोफेसर हिमल के अनुसार एक राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति उसकी भूमि जल वनो, खानो, पशु सम्पत्ति या डालरो में निहित न होकर उस राष्ट्र के धनी और प्रसन्न जन समुदाय में निहित होती है। भारत में जनसख्या सम्पत्ति की तुलना में दायित्व अधिक सिद्ध हुई है। बढ़ती जनसख्या के कारण भारत में ढेरों समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भारत आज जनाधिक्य के कारण विश्व का बड़ा बाजार है। प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों की बहुलता के कारण कोई देश भारत की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं है। किन्तु केन्द्र सरकार के लिए बढ़ती जनसख्या दायित्व सिद्ध हो रही है। जनसख्या जनित समस्याओं को निपटाने में सरकार को सफलता नहीं मिली। सरकार इस दिशा में अवश्य प्रयासरत है।

जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव

(Effects of Increase in Population on Economic Growth of India)

जासख्या वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है। अर्थतंत्र का हरेक पहलू बढ़ती जनसख्या से प्रभावित हुआ है। जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

1 राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि दर (Slow Progress in National Income)

भारत में जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकी। देश के उत्पादन का बड़ा भाग जनसख्या हड़प कर जाती है। अनेक बार देश का उत्पादन जनसख्या की माग की तुलना में कम पड़ जाता है। अतिरिक्त माग की पूर्ति आयातों से करनी पड़ती है। जनसख्या को नियंत्रित करने के लिए तथा जासख्या जनित समस्याओं से निपटने के लिए भारी सार्वजनिक उपरिव्यय की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन सब बातों का आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में जासख्या वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय सामान्य रूप से देश में निवास करने वाले नागरिकों द्वारा उत्पादन के साधनों से अर्जित आय है जिसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन लागत के बराबर होती है।

चालू मूल्यों पर भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 में 1 10 685 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1990-91 में 4 18 074 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय आय 5 46 023 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1980-81 से 1992-93 तक 12 वर्षों में राष्ट्रीय आय में पांच गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय आय में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 1980-81 में 1 10 685 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1990-91 में 1 86 446 करोड़ रुपए तथा 1992-93

में और बढ़कर 1,95,602 करोड़ रुपए हो गई। भारत में जनसंख्या की बहुलता के कारण राष्ट्रीय आय तीव्रता से नहीं बढ़ सकी।

राष्ट्रीय आय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	चालू मूल्य पर	1980-81 के मूल्यो पर
1980-81	1,10,685	1,10,685
1985-86	2,06,133	1,39,025
1990-91	4,18,074	1,86,446
1991-92	4,79,612	1,86,191
1992-93	5,46,023	1,95,602
1995-96	9,75,645	8,17,489
1997-98	12,65,167	9,26,420
1998-99	14,31,527	9,49,525

स्रोत इण्डियन इकोनोमिक सर्वे, 1998-99 तथा 1999-2000

2. प्रति व्यक्ति आय (Per capita Income) राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो सकी। प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर की जाती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या एक अरब से अधिक है तथा जनसंख्या 2.14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से बढ़ रही है नतीजतन राष्ट्रीय आय वृद्धि दर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कम है।

वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1985-86 में 2,730 रुपए थी जो बढ़कर 1990-91 में 4,983 रुपए तथा 1995-96 में और बढ़कर 10,525 रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष की तुलना में 1990-91 में 14.6 प्रतिशत तथा 1991-96 में 14.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्ष 1992-93 में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर की तुलना में कम रही। वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1983-84 में 1,790 रुपए थी जो बढ़कर 1995-96 में 8,819 रुपए हो गई। बारह वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि नहीं हो सकी।

3. सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) विकसित देशों की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कम वृद्धि हुई इसका प्रमुख कारण विशाल जनसंख्या और उससे उत्पन्न समस्याएँ हैं। सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास का सूचक होता है, किंतु भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विकास की प्रवृत्ति कम दृष्टिगोचर होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक साधनों पर

अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार बढ़ जाता है।

प्रति व्यक्ति आय

(रुपए)

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान मूल्य पर)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
1985-86	2,730	9.1
1986-87	2,962	8.5
1987-88	3,285	10.9
1988-89	3,842	16.9
1989-90	4,346	13.1
1990-91	4,983	14.6
1991-92	5,603	12.4
1992-93	6,262	11.8
1993-94	7,902	14.9
1994-95	9,178	16.1
1995-96	10,525	14.7
1996-97 (प्रा.)	12,099	15.0
1997-98 (त्वरित)	13,193	9.0
1998-99 (त्वरित)	14,682	11.3

स्रोत विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों से संकलित।

वर्ष 1980-81 के मूल्यों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद 1987-88 में 170.3 हजार करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1991-92 में 214.2 हजार करोड़ रुपए तथा 1997-98 में और बढ़कर 1,049.2 हजार करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद 1993-94 के मूल्यों पर 1998-99 के अग्रिम अनुमानों में बढ़कर 1,110 हजार करोड़ रुपए हो गया।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति विद्यमान है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1988-89 में 10.9 प्रतिशत थी जो अगले ही वर्ष घटकर 1989-90 में 5.6 प्रतिशत रह गई। उसके बाद 1993-94 तक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। गौरतलब है 1991-92 से भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू किया गया। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलावों का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ष 1994-95 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत थी जो 1997-98 में फिर घटकर केवल 5 प्रतिशत रह गई। विश्व के देशों में घटित आर्थिक घटनाक्रमों और भारत की औद्योगिक मंदी को दृष्टिगत रखते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की संभावना कम है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। इसके अलावा कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि के प्रयास किए जाने

चाहिए।

4. गरीबी (Poverty) भारत में गरीबी का प्रमुख कारण जनसंख्या है। आज जनसंख्या की बहुलता के कारण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध देश के प्राकृतिक ससाधन सीमित नजर आने लगे हैं। नियोजित विकास के पांच दशकों में गरीबी उन्मूलन की समस्या समाप्त नहीं हो सकी। बढ़ती गरीबी आज केन्द्र सरकार और योजनाकारों के लिए सबसे अधिक चिंता की बात है।

भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफलता नहीं मिली। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के नाम पर भारी राशि व्यय कर दी गई। देश के लोगों को गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिल सका। यद्यपि यह सही है कि गरीबी का बड़ा कारण जनाधिक्य है किंतु यदि गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन होता तो गरीबी की समस्या समाप्त हो चुकी होती, किंतु ऐसा नहीं हो सका। नतीजतन आंकड़ों के हिसाब से 1996-97 में देश की 29.18 प्रतिशत जनसंख्या गरीब थी और योजना आयोग के आकलन के अनुसार 2011-12 में भी देश को गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। 2011-12 में भी 4.37 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में जीवन बसर करेगी। गांवों में गरीबी की समस्या अधिक है। वर्ष 1996-97 में 30.55 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। शहरी गरीबी 25.88 प्रतिशत थी। नौवीं योजना में राष्ट्रीय गरीबी के 'प्रोजेक्शन' के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 4.31 प्रतिशत तथा शहरी गरीबी 4.49 प्रतिशत होगी। स्पष्ट है कि सरकार का ग्रामीण गरीबी उन्मूलन पर अधिक बल है।

योजना आयोग के आकलन के अनुसार 1993-94 में 763 लाख व्यक्तियों को शहरी गरीब के अन्तर्गत रखा गया जो कुल शहरी आबादी का 32.36 प्रतिशत था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में इन सभी 763 लाख व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 50 लाख शहरी गरीबों की गरीबी दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है नेहरू रोजगार योजना गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं और प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' में समाहित कर दिया गया है।

5. बेरोजगारी (Unemployment) बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप रोजगार के अवसर सृजित नहीं होने के कारण बेरोजगारी की समस्या मुखर हो गई। देश में गरीबी का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम संचालित किए गए किंतु वे कारगर सिद्ध नहीं हो सके। आज देश में बेरोजगारी के सभी प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। गांवों में अविच्छिन्न बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। व्यक्तियों को योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता है।

दिखाता है कि एक तरफ देश में व्यक्तियों का राजगार के अवसर मुहैया नहीं हैं दूसरी तरफ मारूम बच्चों का काम के बाज़र तल टन हुए हैं। आज गाँवों में, बड़ी सीमा तक शहरों में भी मध्यमवर्गीय परिवारों तक में छोटी उम्र के बच्चों से दबाव में घर के काम-काज करवाए जाते हैं। गरीब परिवारों के बच्चों का धापापार्जन के लिए 'काम' पर भेजा जाता है। देश में बाल श्रमिकों की समस्या मुख्य है। इन दिनों में राजकीय कानून कायदे सहायक सिद्ध नहीं हो पाए। गाँव और शहरों में अन्न परिवार थोड़े धापापार्जन के लालच में अथवा माता-पिता स्वयं के काम को बन करने के लालच में बच्चों के भविष्य के साथ छिलवाड़ करते हैं। इस दिशा में परिवार के मुखियाओं अथवा महिलाओं से ध्यान की जाती है तो वे बड़े गर्व से कहते हैं कि बच्चे घर के काम-काज में और आय अर्जित करने में भी बड़ी मदद करते हैं। मगर उन्हें नहीं मालूम बच्चों के प्रति उनका यह दृष्टिकोण बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। इस बच्चे और परिवार आज की दौड़ में बहुत पिछड़ जाते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें अधिकाधिक स्कूलों और खेल के मैदानों की ओर भेजा जाना चाहिए। उन्हें घरों में अध्ययन और सृजनात्मक कार्यों के लिए समय मिलना चाहिए। बच्चों के द्वारा परिवार का खर्च चनाए जाने की प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। परिवार के लिए बच्चा जरूरी है किन्तु आज जनसंख्या जनित प्रदूषण में शक्तिमय वन्यावरण भी बेहद जरूरी है।

भारत में बेरोजगारी का सही आकलन बहुत कठिन काम है। सभी बेरोजगारों का रजिस्ट्रार कार्यालयों में नाम पंजीकृत नहीं करवाते हैं। शिक्षित बेरोजगारों की लैप्स भी राजगार कार्यालयों के माध्यम से गणना की जा सकती है। किन्तु भारत में तो घाट निरक्षरता है। निरक्षर बेरोजगारों की सख्या ज्ञात करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि महिलाएँ तो घर के कामकाज के लिए ही पैदा हुई हैं। भारत में महिलाओं की शिक्षा के स्थान पर घरलू काम-काज में दक्ष बनाने पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रवृत्ति में बदलाव आवश्यक है।

भारत में राजगार कार्यालयों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के दर्ज नामों की संख्या 31 दिसम्बर 1981 तक 178.36 लाख थी जो 31 दिसम्बर 1985 तक बढ़कर 301.31 लाख तथा 31 दिसम्बर 1992 तक और बढ़कर 368 लाख हो गई। वर्ष 1986 में चालू रजिस्ट्रारों में बेरोजगारों की वृद्धि दर सबसे अधिक 14.7 प्रतिशत थी। वर्ष 1992 में बेरोजगारी वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत रही। विगत वर्षों में राजगार कार्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। रोजगार कार्यालयों की संख्या 1981 में 663 थी जो बढ़कर 1992 में 860 हो गई। वर्ष 1992 में पंजीकरण 53.01 लाख, अभिमूर्धिन शिक्षा 4.20 लाख तथा नियुक्तियाँ 2.39 लाख थी। राजकीय प्रयासों के बावजूद चालू रजिस्ट्रारों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या कम नहीं हो रही। बढ़ती बेरोजगारी भारत का ऋणात्मक आर्थिक पहलू है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और राजगार सृजन द्वारा बेरोजगारी का समाप्त किया जा सकता है।

6. निरक्षरता (Illiteracy) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण निरक्षरता की

समस्या उत्पन्न हुई। विगत वर्षों में सरकार ने साक्षरता वृद्धि के प्रयास किए। साक्षरता उपरिच्यय में भी वृद्धि की गई। देश के विभिन्न भागों में निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। किंतु देश में गरीबी की समस्या व्याप्त होने के कारण साक्षरता वृद्धि में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। दुनिया के बहुसंख्यक निरक्षर भारत में हैं जबकि विश्व के अनेक देशों में यथा अमरीका, जापान आदि में निरक्षरता समाप्त हो चुकी है। भारत में सरकार शिक्षा प्रसार के लिए स्कूल खोल सकती है। शिक्षा प्रसार संबंधी कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है, किंतु लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। भारत के लोगों में साक्षरता के लिए आज भी इच्छा शक्ति का अभाव है। नतीजतन निरक्षरता में विशेष कमी नहीं हो सकी।

विगत दशकों में निरक्षरता कम हुई है किंतु आज भी देश में निरक्षरों की भरमार है। देश में 1991 में 48.79 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। महिला निरक्षरता घिटाप्रद है। जब तक देश में महिलाएँ शिक्षित नहीं होंगी, समस्याओं का कम होना मुश्किल है। निरक्षर महिलाओं के परिवारों के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। उनके बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान कम होता है। निरक्षर महिलाओं के कारण परिवारों में शैक्षिक वातावरण भी अच्छा नहीं बन पाता है। वे शिक्षा विकास में एक तरह से बाधक होती हैं। निरक्षर महिलाओं के कारण परिवारों में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए महिलाओं में शैक्षिक विकास बेहद आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षित करके देश की अनेक समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है।

7. अनुत्पादक उपभोक्ता (Unproductive Consumers). जनसंख्या वृद्धि के कारण अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी। अनुत्पादक उपभोक्ता आर्थिक दृष्टि से सक्रिय नहीं होते हैं। इस श्रेणी में सेवानिवृत्त व्यक्ति, भिखारी, निर्भर व्यक्ति आदि को सम्मिलित करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में अनुत्पादक उपभोक्ता का भाग 1961 में 57 प्रतिशत था जो बढ़कर 1971 में 67.1 प्रतिशत हो गया। अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भाग 1981 में 64.7 प्रतिशत तथा 1991 में 62.5 प्रतिशत था।

8. कृषि पर बढ़ता भार (Increased Burden on Agriculture): भारत की बहुसंख्यक आबादी जीवन वसर के लिए कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पांच दशक बीत चुके हैं, किंतु कृषि पर निर्भर जनसंख्या में विशेष कमी नहीं आई है। भारत की कुल जनसंख्या में 37.5 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है। कार्यशील जनसंख्या का 67 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र यथा कृषि, कृषि श्रमिक, पशुपालन, वन व्यवसाय, मछली पालन तथा खनन में नियोजित है।

9. खाद्यान्न अभाव (Lack of Foodgrains) पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हो रही है। खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दिशा में खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो जाती है। सिंचाई

सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न का आयात करना पड़ा है। खाद्यान्न और खाद्यान्न उत्पादन का आयात 1980 में 100 करोड़ रुपये 1990-91 में 182 करोड़ रुपये 1992-93 में 966 करोड़ रुपये 1993-94 में 290 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 80 करोड़ रुपये का था।

10 नगरीकरण की समस्या (Problem of Urbanization) गावों का तुलनात्मक रूप से कम विकास हुआ है दूसरी ओर गावों में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है। गावों के लोग रोजी-रोटी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं परिणामस्वरूप देश में नगरीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है।

भारत में 1951 में शहरी जनसंख्या केवल 62 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 17.3 प्रतिशत था। वर्ष 1991 में शहरी जनसंख्या बढ़कर 218 मिलियन हो गई जो कुल जनसंख्या का 25.7 प्रतिशत था। रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों की शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विगत वर्षों में नगरीकरण की समस्या बढ़ी है। गावों के विकास के बावजूद भी शहरों में पलायन की प्रवृत्ति घिनाजाक है। दस लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों की दस बढ़कर 1991 में 12 हो गई।

11 आवास की समस्या (Housing Problem) बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास समस्या उत्पन्न हो गई है। महानगरों में तो आवास समस्या भीषण है। शहरों में बड़ी संख्या में लोग झुग्गी झोपड़ियों और खुले आकाश तले रात बिताते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण सरकार की आवास योजनाएं अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं। गाव शहरों में बदल रहे हैं। गावों का विकास भी हो रहा है किंतु ग्रामीण परिवेश में बहुतेरे लोग कम आमदनी के कारण कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरी ओर प्रभावी व्यक्तियों के शहरों के निकट गावों की जमीनों पर 'फार्म हाउस' विकसित हो रहे हैं। देश में आवासों की कमी के कारण कच्ची बस्तियों की झोपड़ियों और शहरों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं।

12 बुनियादी सुविधाओं का अभाव (Lack of Basic Facilities) तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी देशवासियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं हो सकीं। आज देश में पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 6 करोड़ 20 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। देश में 16 वर्ष से कम आयु के जा बच्चे हैं उनमें से लगभग एक तिहाई मेहलत-मजदूरी करने को विवश हैं। आज भी देश के लगभग साढ़े तेरह करोड़ लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। 22 करोड़ 60 लाख लोगों का ऐसा पीपी पीणा पडता है जिसे सुरक्षित नहीं माना जाता। 64 करोड़ लोग अर्थात् जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसे बुनियादी सफाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। देश में 29 करोड़ 10 लाख व्यक्ति निरक्षर हैं। आकड़ों की जुगली भारत के 44 प्रतिशत लोग बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत करते

हैं। 15 से 49 वर्ष की आयु में गर्भवती होने वाली महिलाओं में से लगभग 88 प्रतिशत रक्त की कमी की शिकार हैं।

13. सिकुड़ते ससाधन (Shrunked Factors) - भारत में समस्याओं का मुख्य कारण जनाधिक्य है। तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या ने आर्थिक विकास के लाभों को अवरुद्ध कर दिया है। प्राकृतिक ससाधन यथा भूमि, जल, वन, खनिज आदि सीमित हैं जिनसे सीमित जनसंख्या को ही बेहतर सुविधाएँ मुहैया हो सकती हैं। आज प्राकृतिक ससाधनों के अघाधुध विदोहन के कारण वनों का क्षेत्रफल सीमित हो गया है। तापमान में तीव्र वृद्धि हो चुकी है। जनसंख्या के दबाव के कारण कृषि योग्य भूमि कम हो गई है। पीने का स्वच्छ पानी मुश्किल से मुहैया हो पाता है। बड़ी नदियाँ गंदे नालों में परिवर्तित हो गई हैं। यमुना का अस्तित्व संकट में है। उज्जैन की पवित्र नदी क्षिप्रा प्रदूषित हो गई है।

14. पारिस्थितिकी असंतुलन (Ecological Imbalance) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। अनियंत्रित आवादी के कारण जल, वायु, खनिज, ऊर्जा के स्रोत आदि का अनियोजित दोहन किया गया। कृषि योग्य भूमि और वनों का क्षेत्रफल घटा है। भूमि की उर्वरा शक्ति घटी है। आज भूस्खलन, ज्वालामुखी, आधी, सूखा, बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि आपदाएँ बढ़ी हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के संबंध में ब्रह्म एल लैण्ड उरेस्की का कथन महत्वपूर्ण है उनके अनुसार 'प्रकृति सर्वाधिक उपयोगी तभी बनी रह सकती है जब पारिस्थितिकी सिद्धांतों का परिपालन किया जाए।'

सारत यह कहने में कतराई सकोच नहीं कि भारत ने नियोजन काल और आज के आर्थिक उदारीकरण के युग में अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। आज भारत की गिनती औद्योगिक शक्तियों में की जाती है। भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं। भारत विकास के क्षेत्र में विकासशील देशों के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वतंत्रता के पाँच दशकों में आम आदमी की जीवन धारा बदली है किंतु इसके बावजूद देश के सामाजिक विकास के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक क्षेत्र उपरिव्यय में भारी वृद्धि की गई फिर भी देशवासियों को गरीबी, बीमारी, भुखमरी, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी आदि समस्याओं के निजात नहीं मिला है। यह दिखाना नहीं तो और क्या है कि देश में औद्योगीकरण के बावजूद बेरोजगारी बढ़ी, शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के बावजूद निरक्षरता यथावत् है। चिकित्सा केंद्रों पर रोगियों की कतारे कम नहीं हुईं। भारत के सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ने का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या है। अगली जनगणना 2001 में भारत की जनसंख्या एक अरब से अधिक होगी। बढ़ती जनसंख्या ने गत पाँच दशकों के आर्थिक विकास के लाभों को छीन लिया है। भारत में सामाजिक विकास के क्षेत्र की दशा सुधारे बिना

आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं है। दश के सामाजिक विकास की दशा सुधारने के लिए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को शीघ्रातिशीघ्र नियंत्रित किया जाना चाहिए। आज देश में ऐसी प्रवृत्ति व्याप्त हो गई है कि एक समुदाय के लोग अन्य समुदाय के लोगों से जनसंख्या की दृष्टि से पीछे रहने को तैयार नहीं है चाहे उनका जीवन दरिद्रता में ही क्यों नहीं बीते। यह प्रवृत्ति दश के लिए घातक है। आज देश के प्राकृतिक ससाधन सीमित हो गए हैं। जनसंख्या असीमित होती जा रही है। भारत आर्थिक रूप से चुदुद नहीं है। विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ती जनसंख्या की अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए आयात बास्तो सीमित है। अतः भारत को जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण के अभाव में गभीर समस्याओं का सामना करना पड सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए शिक्षा का विकास आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के परम्परावादी दृष्टिकोण में भी बदलाव आवश्यक है। आज व्यक्ति का नाम उसकी सतानों की तुलना में ज्ञान से अधिक चलता है। अतः परिवार सीमित और ज्ञान का खजाना होना चाहिए।

सन्दर्भ

- 1 योजना, अक्टूबर, 1998
- 2 योजना, जुलाई, 1998

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारत में जनसंख्या की प्रमुख समस्याएँ बताइए।
- 2 जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है।
- 3 भारत में बेरोजगारी का कारण जनसंख्या वृद्धि है," स्पष्ट कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत की सबसे कठिन समस्या उसकी तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। इसके समाधान के लिए उचित सुझाव दीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रथम भाग में अध्याय में दी गई जनसंख्या की समस्याएँ लिखिए तथा दूसरे भाग में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए।)
- 2 जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई भारत में जनसंख्या की समस्याएँ - आर्थिक विकास पर प्रभाव को लिखना है।)

जनसंख्या नीति तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन (Population Policy and Family Welfare Measures and Their Evaluation)

भारत में जनसंख्या नीति
(Population Policy in India)

जनाधिक्य भारत की मुखर समस्या है। बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों का विनाश, भूमिगत जल का अनावश्यक दोहन, कृषि योग्य भूमि की कमी, आवासीय कालोनियो का प्रसार, ऊर्जा की कमी आदि समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण आम भारतीय की अरिधर मानसिकता है। देश के आर्थिक विकास के बावजूद भारतीय दम्पतियों की मानसिकता अधिक बच्चे पैदा करने की है। अधिक जनसंख्या राष्ट्रीय समस्या है किंतु आम भारतीय इस समस्या के प्रति चिन्तित नहीं है। भारत के सुप्रसिद्ध न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य श्री रमनाथ मिश्र ने एक बार कहा था—“बच्चे को जन्म देकर उसका सही ढंग से लालन-पालन न करना मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है।” इसलिए भूखें, नगरे, निरक्षर, अस्वस्थ लोगों की भीड़ बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। भारत में स्वैच्छिक परिवार नियोजन से जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकी इसलिए अब कानून ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम विश्व में अनूठा था, किंतु पाच दशकों में इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आज अनेक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के घरा में बच्चों की संख्या परिवार नियोजन कार्यक्रम का खुला उल्लंघन है। ऐसे व्यक्तियों को राजकीय सेवा में और राजनीति में कानूनन हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जनसंख्या नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनन हतोत्साहित करने के तरीकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। कानून की सख्ती से क्रियान्विती सुनिश्चित की जानी चाहिए। पाच दशक

की प्रतीक्षा के बाद अब कानून ही ऐसा तरीका है जिसके द्वारा याजारा, सडको, बसों, अस्पतालो, सिनेमाघरों, राशर की दुकानों, रेलगाडियों, शिक्षण सरस्थाओं में बढती भीड को कम किया जा सकता है।

विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसख्या की समस्या विकट है। भारत में जनसख्या के मामले में स्थिति और भी भयावह है। भारत में समुदाय विशेष के लोग जनसख्या को स्वेच्छा से नियंत्रित करने को तैयार नहीं हैं। दश में वोट आधारित राजनीति भी इसके लिए बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। सरकार को बढती जनसख्या को राजनीति से दूर रखने की दिशा में कारगर प्रयास करना चाहिए। विश्व के विभिन्न देशों ने जनसख्या के सुनियोजित विकास के लिए जनसख्या नीति बनाई।

जनसख्या नीति का अर्थ

(Meaning of Population Policy)

जनसख्या नीति का अभिप्राय उस सरकारी मान्यता से होता है जिसके अनुसार जनसख्या वृद्धि को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित किया जाता है। जनसख्या नीति में जनसख्या को पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप नियोजित और नियंत्रित किया जाता है। जनसख्या नीति के उद्देश्य सभी देशों के लिए समान नहीं होते हैं। जनसख्या नीति का आधार देश विशेष के प्राकृतिक ससाधन और औद्योगीकरण से निर्मित होता है। प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से सभी देशों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। प्राकृतिक ससाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त निशुल्क उपहार है। इस दृष्टि से कुछ देश सम्पन्न और कुछ देश विपन्न होते हैं। प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता और उच्च प्रौद्योगिकी स्तर वाले देश में जनसख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व के देशों में जनसख्या सबधी समस्याएँ अलग-अलग होने के कारण जनसख्या नीति भिन्न होती है। चीन की जनसख्या नीति जनसख्या को नियंत्रित करने, जापान की जनसख्या नीति जनसख्या के समान भौगोलिक वितरण, इंग्लैण्ड की जनसख्या नीति विदेशी प्रवासियों पर रोक तथा कनाडा की जनसख्या नीति कनाडा में कुशल श्रमिकों के प्रवेश को प्रोत्साहन से सबधित है। भारत की जनसख्या नीति अन्य देशों की तुलना में अलग है। भारत में जनसख्या वृद्धि विकास में बाधक बनी हुई है। अतः भारत की जनसख्या नीति परिवार नियोजन सबधी नीति है।

राष्ट्रीय जनसख्या नीति, 1976 (National Population Policy, 1976)

स्वातन्त्र्योत्तर 16 अप्रैल, 1976 को कांग्रेस सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डॉ. करण सिंह ने जनसख्या वृद्धि को सीमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसख्या नीति की घोषणा की थी। इस जनसख्या नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

1. विवाह की आयु (Age for Marriage) जनसख्या नीति 1976 के

अनुसार विवाह की आयु लड़कियों के लिए 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि से जन्म दर कम होगी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पितृत्व का विकास होगा। नीति में विवाह के पजीकरण करने पर विचार करने की बात की गई है।

2. व्यापक नीति (Vast Policy) : अप्रैल 1976 में एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई, जिसके तहत परिवार नियोजन को संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ, अधिक सार्थक ढंग से जोड़ा गया।

3. सदस्यों की संख्या (No of Members) - भारत बढ़ती जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। केन्द्र और राज्य सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयासरत हैं किंतु कुछ राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों से ससद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कम होने का भय उत्पन्न हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 1971 की जनसंख्या को ही मानदण्ड मानने का निश्चय किया गया तथा यह व्यवस्था सन् 2001 तक बनी रहेगी।

4. राज्यों को केन्द्रीय सहायता (Central Assistance to States) - केन्द्र सरकार द्वारा - यो को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग राज्यों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए कहा। राज्य सरकारों द्वारा ऐसा नहीं करने पर उनको प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता कम कर दी जाएगी। राज्यों को केन्द्रीय सहायता तथा करो की आय के वितरण आदि के लिए 2000 ई तक के लिए 1971 की जनसंख्या को ही मानदण्ड रखने का निश्चय किया गया।

5. बन्ध्याकरण के लिए माद्रिक सहायता (Monetary Assistance for Sterilization) देश के गरीब व्यक्तियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने के प्रति आकर्षित करने के लिए बन्ध्याकरण कराने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत 1 मई, 1976 से प्रोत्साहन राशि दो या कम जीवित बच्चों वाले व्यक्तियों को 150 रुपए, तीन जीवित बच्चों वालों को 100 रुपए तथा चार या अधिक जीवित बच्चों वालों को 70 रुपए दी जाएगी। यह प्रावधान स्त्री व पुरुषों पर समान रूप से आज भी लागू है।

6. घन्टे की रकम आय कर से मुक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए सरकारी, गैर-सरकारी मान्य संस्थाओं अथवा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली घन्टे की पूरी रकम आयकर से मुक्त होगी।

7. समूह प्रेरणा (Group Incentive) - परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में जिला परिषदों, पंचायत समितियों, शिक्षकों, डाक व चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों, मजदूर सघों द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने की दिशा में सामूहिक

पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह पुरस्कार कारखानों में कैंपटीन गावों में कुएँ तथा सामुदायिक केन्द्र आदि के रूप में दिए जायेंगे।

8 जनसंख्या शिक्षा (Education Regarding Population) भारत में स्कूलों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनसंख्या संबंधी शिक्षा को सम्मिलित नहीं करने के कारण युवक व युवतियों को जनसंख्या जनित समस्याओं की अधिक जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जनसंख्या संबंधी घटकों को शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूलों-कालेजों में शिक्षाधिया को बढ़ती जनसंख्या और उसके कुप्रभावों के बारे में जरूरी जानकारी देने पर भी जोर दिया गया। इससे छात्र-छात्राओं में जनसंख्या समस्या के बारे में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो सकेगी। जनसंख्या को शिक्षा में सम्मिलित करने से छात्र प्रारंभ से ही सीमित परिवार के महत्त्व को समझ सकेंगे।

9 लड़कियों की शिक्षा (Girls Education) देश में महिला शिक्षा का नितांत अभाव है। तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या का प्रमुख कारण महिला शिक्षा का अभाव रहा है। अतः महिला शिक्षा के विस्तार पर अधिक जोर दिया जाएगा। इस संबंध में पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए भागत का शिक्षा मंत्रालय राज्यों से महिला शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने तथा अधिक वित्तीय सहायन आवंटित करने के लिए बहेगा।

10 सीमित परिवार का सिद्धांत (Small Family Principle) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सीमित परिवार का सिद्धांत अपनाना होगा। इसके लिए नैदानिकता में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। राज्यों में परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों को मकानों व ऋण आदि प्रोत्साहन देने का मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

11 अनिवार्य बन्ध्याकरण (Compulsary Sterilization) केन्द्र सरकार प्रशासकीय और स्वास्थ्य साधन पर्याप्त नहीं होने के कारण फिलहाल अनिवार्य बन्ध्याकरण का कोई कानून नहीं बनाएगी। राज्य सरकारें चाहे तो इस संबंध में राज्य विधानसभा में कानून बना सकती हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में संशोधन 1977

(Amendment in National Population Policy, 1977)

आपातकाल में तत्कालीन सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जोर-जबरदस्ती और कुछ गड़बड़ियों आदि के कारण जन असंतोष भड़का और 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार सत्ता से बाहर हुई। केन्द्र में जनता सरकार सत्तारूढ़ हुई। जनता सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री राज नारायण ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संशोधित स्वरूप की घोषणा की जिसमें निम्नलिखित संशोधन उल्लेखनीय हैं-

1 नाम में परिवर्तन (Change in the Title) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के

परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का नाम बदलकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया है। नाम परिवर्तन लोगो का कार्यक्रम के प्रति स्वतः आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया।

2. क्षतिपूर्ति (Compensation) . परिवार कल्याण कार्यक्रम के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 5,000 रुपए देने की घोषणा की है।

3. उपचार (Treatment) : परिवार कल्याण के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधियों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के बाद दम्पतियों क बच्चे की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पुनः निशुल्क आपरेशन करने का निर्णय लिया गया।

4. स्वैच्छिक कार्यक्रम (Voluntary Programme) परिवार कल्याण कार्यक्रम को स्वैच्छिक बना दिया गया है। आपातकालीन अनिवार्य आपरेशन व्यवस्था को समाप्त किया गया। दम्पतियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा।

वर्तमान में वर्ष 1977 में जनता सरकार द्वारा लागू किए गए सशोधन तथा शेष बातें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की लागू हैं। वर्तमान में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है लेकिन वास्तव में नये नाम के अनुरूप, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ। परिणामस्वरूप पाचवी पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्ष (1977-78, 1978-79) तथा वार्षिक योजना 1979-80 में परिवार कल्याण की दिशा में प्रगति नहीं हो सकी। परिवार कल्याण कार्यक्रम में उदार नीति आत्मसात करने के कारण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयासों को झटका लगा। नसबंदी आपरेशनों की संख्या 1976-77 में 82 लाख थी जो घटकर 1977-78 में केवल 64 लाख रह गई। लूप लगाने में भी 60 प्रतिशत की कमी हुई। लेकिन बाद के वर्षों में, एक बार फिर परिवार कल्याण कार्यक्रमों में राष्ट्र की आस्था पुनः पैदा हुई और बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए, दीर्घकालीन कार्यक्रम निर्धारित करने की दिशा में, कई नए कदम उठाए गए, जिनके दूरगामी परिणाम की आशा है।

भारत की जनसंख्या नीति की आलोचनाएं (Criticisms of India's Population Policy)

भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई जनसंख्या नीति की अनेक लोगो ने कटु आलोचनाएं की हैं। जनसंख्या नीति की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं—

I. विलम्ब से घोषणा (Late Declaration) . भारत में बढ़ती जनसंख्या की समस्या आजादी के प्रारंभिक वर्षों में ही उत्पन्न हो गई थी। वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या 361 करोड़ थी तथा जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.25

प्रतिशत थी। जनसंख्या बढ़कर 1971 में 54.8 करोड़ हो गई तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर तेजी से बढ़कर 2.20 प्रतिशत हो गई। इसके बावजूद भी भारत में जनसंख्या की नीति की घोषणा नहीं की गई। जनसंख्या नीति की घोषणा स्वतंत्रता के 29 वर्षों बाद वर्ष 1976 में की गई। भारत की जनसंख्या इस समय तक तीव्रता से बढ़ चुकी थी। यदि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में ही जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी जाती तो बढ़ती जनसंख्या को शुरू में ही नियंत्रित किया जा सकता था।

2. अनिवार्यता का अभाव (Lack of Compulsarity) - भारत में जनसंख्या नीति स्वैच्छिक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो उपाय नीति में सुझाये गए हैं उनको अपनाने के लिए इस नीति में सर्वथा अभाव है। देश में जनसंख्या की बहुलता को देखते हुए दो बच्चों के बाद नसबंदी आपरेशन कानूनन अनिवार्य होनी चाहिए।

3. यौन शिक्षा की उपेक्षा (Negligence of Sex Education) : जनसंख्या नीति में यौन शिक्षा की उपेक्षा उचित नहीं है। यद्यपि सरकार ने जनसंख्या और यौन शिक्षा को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने को सिद्धांततः स्वीकार किया है। किंतु सरकार का दृष्टिकोण इस दिशा में उदासीन दृष्टिगोचर होता है। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रमों का अनिवार्य अंग बना दिया जाना चाहिए जिससे युवक-युवतियाँ पहले ही सतर्क हो जाएं।

4. ऊँचे लक्ष्य (High Aims) पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य उंचे निर्धारित किये गए हैं उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका है। योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय प्रावधान की तुलना में वारताविक व्यय बहुत कम हुआ है। नसबंदी आपरेशन के लक्ष्य भी ऊंचे निर्धारित किए जाते हैं किंतु परिवार नियोजन की अनिवार्यता के अभाव में प्राप्त नहीं किए जा सके हैं।

5. अकुशल क्रियान्वयन (Inefficient Implementation) : जनसंख्या नीति केन्द्र सरकार ने तैयार की है किंतु इसके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों पर्याप्त अनुदान के अभाव में क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेती हैं।

6. सैद्धांतिक विवेचन (Theoretical Interpretation) . भारत की जनसंख्या नीति सैद्धांतिक अधिक तथा व्यापहारिक कम है। इस नीति को देश के सभी धर्मों तथा वर्गों पर लागू करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं।

संशोधित जनसंख्या नीति की घोषणा को दो दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान जनसंख्या की संरचना में व्यापक बदलाव आया है। वर्तमान में देश की जनसंख्या की बहुलता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। जनसंख्या नीति ऐसी हो जो बढ़ती जनसंख्या को

नियंत्रित करने में कारगर हो। जनसंख्या नीति स्वैच्छिक नहीं हो, इसे अनिवार्य घोषित किया जाए। आज जनसंख्या का मामला देश के विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। अतः जनसंख्या संबंधी निर्णय राजनीति प्रेरित नहीं होने चाहिए।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम (Family Welfare Programme in India)

विश्व का 2.4 प्रतिशत भू-भाग ही भारत में है जबकि विश्व की कुल आबादी का 14.6 प्रतिशत भाग यहाँ निवास करता है। यह एक कटु सत्य है कि स्वातन्त्र्योत्तर 50 वर्षों में देश की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। पिछले दशकों में एक ओर जनसंख्या वृद्धि तीव्र हुई वहीं दूसरी ओर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के कारण मृत्यु दर में कमी हुई। मनुष्य के जीवित रहने की औसत आयु में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप भारत में जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हुई। भारत में जनसंख्या वृद्धि की सघनी दर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की सघनी दर से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर देश के आर्थिक विकास में बाधक है। भारत ने बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए परिवार नियोजन को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया। परिवार नियोजन की पहल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। वर्तमान में राजकीय प्रयासों और लोगों की जागरूकता के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा मिला और यह लोगों का जाना पहचाना कार्यक्रम बन गया है। भारत में परिवार नियोजन का प्रतीक 'लाल त्रिकोण' चिह्नित रहा है। समूचे देश में परिवार नियोजन का संदेश पहुँचा। छोटे परिवार के बारे में आम लोगों के मन में एक चेतना जागृत हुई। यह अलग बात है कि आज भी लोगों की मनोवृत्ति अधिक बच्चा के प्रति ही है।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन को एक जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था "हम अपने बच्चों को एक ऐसा संसार देना चाहते हैं, जो हमारे आज के संसार से हर लिहाज से बेहतर, खूबसूरत और खुशहाल हो" परिवार नियोजन को सुखी और खुशहाल जीवन की कुजी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता के संबंध में डा. चंद्रशेखर के विचार महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार 'हम बहुत जल्दी में हैं और एक रात की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। पाच मिनट की हर भूल से बच्चे का जन्म हो जाता है और प्रतिवर्ष देश में एक आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या जुड़ जाती है। परिवार नियोजन के बिना प्रत्येक बात हमारे लिए एक भयावह स्वप्न है।' बढ़ती जनसंख्या के संबंध में डा. सी. लेमेण्ट मार्केट के विचार भी महत्वपूर्ण हैं उनके अनुसार "जो राष्ट्र मृत्युदरों को नियंत्रित करते हैं उन्हें जन्म दरों को भी नियंत्रित करना चाहिए या ऐसे समय के लिए तैयार हो जाना चाहिए जबकि उनके निवासियों को खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि उस समय न बैठने की

जगह होगी और न लेटने की।" डा. मार्केट के कथन से भारत को सचेष्ट होने की जरूरत है। यदि भारत की बढ़ती जनसंख्या नियंत्रित नहीं होती है तो भारत के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऋग्वेद में भी बड़े परिवार के प्रति दोष सवधी कथन का उल्लेख है कि "एक मनुष्य जिसका परिवार बड़ा है दुखों में डूब जाता है।

परिवार कल्याण का अर्थ (Meaning of Family Welfare)

परिवार कल्याण का अर्थ है परिवार को नियोजित करना या सीमित रखना। परिवार से अभिप्राय है पति-पत्नी और उनके बच्चे। परिवार कल्याण का मतलब है कि विवाह के बाद पति-पत्नी मिलकर, आपस में सलाह-मशविरा करके, यह तय कर कि घर में कितने बच्चे होंगे, कब-कब होंगे तथा परिवार में कब और बच्चे नहीं चाहिए। बच्चों की संख्या को दा तक सीमित रखा जाए तो अच्छा है। इस परिवार को नियोजित परिवार कहा जाएगा। वर्तमान में भारत में जनसंख्या की बहुलता और उससे उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए परिवार को एक बच्चे तक सीमित रखे जाने की महती आवश्यकता है। परिवार नियोजन मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तथा देश की बेहतरी और खुशहाली की कुजी है।

परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार को सतर्क रूप से सीमित रखना अथवा बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखना। परिवार नियोजन में अविदेक पूर्ण मातृत्व पर शक लगाई जाती है इसके अलावा सतानहीन को मातृत्व लाभ दिलाना है।

परिवार कल्याण के उद्देश्य (Objectives of Family Welfare)

परिवार नियोजन कार्यक्रम एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है जिसे अपनाकर व्यक्ति परिवार को सीमित, अविदेकपूर्ण मातृत्व पर रोक तथा सताना का समुचित पालन-पोषण कर सकता है। परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण का उद्देश्य है बच्चों का जन्म इच्छा से हो चूक से नहीं, सोच समझकर हो, संयोग से नहीं। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- 1 सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना। एक परिवार में सतानों की संख्या दो तक सीमित हो ताकि उनका भली-भांति पालन पोषण किया जा सके।
- 2 सतानोत्पत्ति के बीच अंतराल हो जिससे मा के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और बच्चों की देखभाल भी उचित रूप से हो सके।
- 3 सतानोत्पत्ति नियंत्रण के तरीकों की जानकारी देना तथा सतानोत्पत्ति नियंत्रण के सस्ते साधन मुहैया कराना।
- 4 परिवार नियोजन के तरीकों की खोज व अनुसंधान कार्यों का प्रोत्साहन देना।

- 5 जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करना।
- 6 जनसंख्या में गुणात्मक सुधार करना।
- 7 परिवार कल्याण कार्यक्रम से परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना।

परिवार कल्याण के तरीके (Methods of Family Welfare)

भारत में परिवार को सीमित रखने के लिए अनेक तरीके काम में लेने के लिए उपलब्ध हैं। दम्पति सुविधानुसार परिवार नियोजन के साधन काम में ले सकते हैं।

1. निरोध गर्भनिरोधक उपायों में 'निरोध' सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। इसका इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह एक सस्ता, सरल और विश्वसनीय साधन है। इसका प्रयोग अधिकतर दो बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए किया जाता है। नवदम्पति निरोध का इस्तेमाल पहले बच्चे के जन्म को कुछ वर्षों तक टालने के लिए करते हैं ताकि वे विवाहित जीवन का अधिकाधिक आनंद ले सकें।

निरोध परिवार कल्याण का एक यांत्रिक तरीका है। भारत में निरोध का उत्पादन हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1966 में सार्वजनिक उपक्रम के रूप में त्रिवेन्द्रम में की गई। इस कारखाने की प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता 14 करोड़ 40 लाख निरोधों की थी। वर्ष 1977 में इतनी ही क्षमता वाला एक और प्लांट लगाया गया था। इस प्रकार इसकी क्षमता बढ़कर 28 करोड़ 80 लाख निरोध प्रति वर्ष हो गई। विस्तार प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दलगाव में एक और निरोध उत्पादन प्लांट लगाया गया।

2. नसबंदी तथा आपरेशन परिवार कल्याण के स्थायी साधनों में पुरुष और महिला नसबंदी को ज्यादा अपनाया जा रहा है। इसमें पुरुष व स्त्री का आपरेशन करके सन्तानोत्पत्ति करने वाली नस को बाध दिया जाता है। नसबंदी को परिवार पूरा हो जाने पर अपनाया जाता है ताकि आगे बच्चे के जन्म की छिन्ता से बचा जा सके। प्रारम्भिक वर्षों में सरल और आसान होने के कारण पुरुष नसबंदी को खूब बढ़ावा मिला लेकिन पिछले वर्षों में तैपरोस्कोपि विधि से महिला नसबंदी बहुत लोकप्रिय हो रही है।

3. सयम प्राचीन काल में परिवार को सीमित रखने के लिए सयम रखा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार व्यक्ति 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था। व्यक्ति का विवाहित जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष तक सीमित था। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। देर से शादी और सयम परिवार नियोजन का उपयुक्त तरीका है। वर्तमान में सयम की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है। नवविवाहित दम्पति के लिए सयम की बात करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार भूखे के सामने स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर उसे खाने से रोकने की सलाह देना है।

4 रासायनिक तरीके (Chemical Methods) परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान जारी है। वर्तमान में परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक खाने की गोलियाँ का प्रयोग किया जाता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति (Progress of Family Welfare Programme)

भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों से ही जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। भारत दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने परिवार नियोजन को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया। परिवार नियोजन को राष्ट्रीय विकास योजनाओं का एक अभिन्न अंग माना गया है। स्वातंत्र्योत्तर 1951 में देश के नियोजित विकास के लिए प्रयास शुरू किए गए। इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं। पहली पंचवर्षीय योजना के साथ ही बढ़ती जनसंख्या और उस पर नियंत्रण की बात भी महसूस की गई। यह भी अनुभव किया गया कि जनसाधारण का जीवन स्तर ऊँचा उठाने और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों को जनसंख्या के साथ जोड़ा जाए। उस समय यह माना गया कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार और शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार विशेष तौर पर महिलाओं में जन्म दर में कमी लाने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन साथ ही परिवार नियोजन के विभिन्न तरीके अपनाने और उन पर अमल करने की जरूरत भी महसूस की गई। इसी के अनुरूप देश में 1952 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। पाँच दशकों के नियोजन काल में परिवार कल्याण कार्यक्रम में निम्नवत प्रगति हुई

1 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 (First Five Year Plan) प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभिक अवस्था में था यद्यपि उस समय भी प्रजनन सक्षम दम्पतियों को परिवार नियोजन संबंधी सलाह तथा साधन और सेवाएँ सुलभ कराने का प्रयास किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 65 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान था जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का केवल 0.13 प्रतिशत था। इस योजना में परिवार नियोजन पर वार्षिक व्यय केवल 18 लाख रुपये ही हुआ। योजनावधि में 1953 में परिवार नियोजन अनुसंधान एवं कार्यक्रम समिति तथा 1954 में परिवार नियोजन अनुसंधान आयोग गठित किए गए। योजना में परिवार नियोजन में रुचि रखने वाले दम्पतियों को सलाह और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कुछ केंद्रों की स्थापना की गई।

2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) दूसरी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लेने और जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने के लिए सक्रिय प्रयास करने का काम शुरू किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 4.97 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था जबकि वार्षिक व्यय 3.05 करोड़ रुपये हुआ। योजनावधि में परिवार

नियोजन कार्यक्रमों का काफी विस्तार हुआ। कुछ राज्यों में स्वैच्छिक नसबदी की सुविधाएँ और सेवाएँ सुलभ की गईं। 31 मार्च 1961 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (Primary Health Centres) की संख्या 2565 थी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम पर योजना परिव्यय (वास्तविक)

(करोड़ रुपए)

पंचवर्षीय योजनाएँ	समयावधि	परिवार कल्याण पर योजना परिव्यय (वास्तविक)	कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-56	0.18	0.09
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-61	3.05	0.07
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961-66	24.9	0.3
वार्षिक योजना	1966-69	70.4	1.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969-74	278.0	1.8
पाचवीं पंचवर्षीय योजना	1974-79	491.8	1.2
वार्षिक योजना	1979-80	118.5	1.0
छठी पंचवर्षीय योजना	1980-85	3412.2	3.1
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-90	3120.8	1.4
वार्षिक योजनाएँ	1990-92	1805.5	1.5
आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992-97 (प्रावधान)	6500.00	1.5
नौवीं पंचवर्षीय योजना	1997-2002 (प्रावधान)		
	1997-98 (सशोधित)	1829.4	1.3
	1998-99 (बजट)	2489.4	2.4
	1999-2000 (बजट)	2920.0	2.8

स्रोत: इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 से संकलित।

3 तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 (Third Five Year Plan) परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति और स्फूर्ति मिली। जनसंख्या वृद्धि को देश की प्रगति और विकास के लिए बड़ी बाधा माना गया। योजना में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तीसरी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 27 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक व्यय 24.9 करोड़ रुपए था जो सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय का 0.3 प्रतिशत था। तीसरी योजना के अंतिम वर्ष यानी 1966 में स्वास्थ्य मंत्रालय में अलग से परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई जो अपने आप में एक संपूर्ण विभाग था। इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम को नए रूप में गठित करने और इसमें तेजी लाने में मदद मिली। तीसरी योजना में 13.3 लाख नसबदी आपरेशन किये गए तथा 4

लाख लूप लगाए गए।

4 तीन वार्षिक योजनाएँ 1966-69 (Three Annual Plans) तीनों वार्षिक योजनाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को गति दी गई। तीनों वार्षिक योजनाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 70.4 करोड़ रुपए व्यय किया गया जो सार्वजनिक योजना परिव्यय का 11 प्रतिशत था।

5 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 (Fourth Five Year Plan) चौथी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक गति प्रदान करने के प्रयत्न किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की जरूरत और अहमियत को समझते हुए चौथी योजना में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। जासख्या वृद्धि की दर को कम करने के लिए एक समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया। चौथी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 315 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जबकि वास्तविक व्यय 278 करोड़ रुपए था जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 18 प्रतिशत था। इस योजना में 100 लाख नसबंदी की गई 24 लाख लूप लगाए गए तथा 24 लाख व्यक्तियों ने परिवार नियोजन के अर्थ साधनों का प्रयोग किया गया। योजना के अंत में सुरक्षित दम्पति 15 प्रतिशत थे। वर्ष 1972 में गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई।

6 पाचवी पंचवर्षीय योजना 1974-79 (Fifth Five Year Plan) योजनावधि में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सख्ती बरती गई। नसबंदी के लिए जोर जबरदस्ती की गई। जन्ता सरकार देश में सत्तारूढ़ हुई। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम किया गया। योजनावधि के अंतिम दो वर्षों में 1977-78 व 1978-79 में परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गति को धक्का लगा। पाचवी योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 491.8 करोड़ रुपए व्यय किए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 12 प्रतिशत था। पाचवी योजना में 143 लाख नसबंदी आपरेशन किए गए तथा 19.5 लाख लूप लगाए गए। योजना में सुरक्षित दम्पति का प्रतिशत 22.8 था।

7 वार्षिक योजना 1979-80 (Annual Plan) वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर 118.5 करोड़ रुपए व्यय किए गए जो वार्षिक योजना परिव्यय का एक प्रतिशत था।

8 छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) छठी योजना में चिकित्सा और परिवार कल्याण पर 2831 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान था वास्तविक व्यय 3412.2 करोड़ रुपए हुआ जो सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 31 प्रतिशत था। योजना में 170 लाख नसबंदी आपरेशन 70 लाख लूप (आई यू डी) तथा 110 लाख पिराथ काम में लिए गए। योजनावधि में सुरक्षित दम्पतियों का प्रतिशत 32 था।

सातवीं योजना में परिवार कल्याण के लक्ष्य

सातवीं योजना (1985-90)	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
परिवार कल्याण परिव्यय (करोड़ रुपए)	3256.3	3120.8
बन्ध्याकरण (लाख)	310.0	200.0
आई यू डी, लूप (लाख)	212.5	212.0
परिवार नियोजन के अन्य साधनों के उपयोगकर्ता (लाख)	145	110.0
सुरक्षित दम्पतियों का प्रतिशत	42	43.3

9. सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 सातवीं योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 3,256.3 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक व्यय 3,120.8 करोड़ रुपए हुआ था जो सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय का 14 प्रतिशत था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण के अधिक व्यापक लक्ष्य निर्धारित किये गए।

सातवीं योजना में परिवार कल्याण के साधनों को अपनाने वाले सुरक्षित दम्पतियों का प्रतिशत 42 के मुकाबले 43.3 प्रतिशत पहुंच गया। योजनावधि में 200 लाख नसबंदी आपरेशन किए गए तथा 212 लूप लगाए गए। योजनावधि में बच्चों के जन्म में अंतर, लड़कियों के प्रति भेदभाव कम करने तथा विवाह सबंधी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया।

10. वार्षिक योजनाएँ 1990-92 (Annual Plan) परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 1990-91 में 782.2 करोड़ रुपए तथा 1991-92 में 1,023.3 करोड़ रुपए व्यय किये गए जो वार्षिक योजना परिव्यय का क्रमशः 13 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत था। वर्ष 1990-91 में 12.56 लाख बन्ध्याकरण, 17.67 लाख लूप तथा 156.80 अन्य तरीकों परिवार नियोजन के लिए काम में लिए गए। वर्ष 1991-92 में 40.55 लाख बन्ध्याकरण तथा 43.21 लाख लूप लगाए गए इसके अलावा 153.76 लाख लोगों ने परिवार नियोजन के अन्य तरीके अपनाए।¹

11. आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 (Eight Five Year Plan) आठवीं योजना में परिवार कल्याण पर 6,500 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान था। योजनावधि के दौरान वार्षिक योजनाओं में परिव्यय की स्थिति को तालिका में दर्शाया गया है।

आठवीं योजना में कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 15 प्रतिशत परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंत में जन्म दर का घटाकर 26 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा 5 करोड़ नसबंदी आपरेशन तथा 5 करोड़ लूप लगाने का लक्ष्य रखा गया। योजनावधि में

परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वालों की संख्या 1992-93 में 266.55 लाख, 1993-94 में 252.07 लाख, 1994-95 में 323.89 लाख तथा 1995-96 में 334.64 लाख थी।

आठवीं योजना में परिवार कल्याण परिव्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	लक्ष्य	वार्षिक योजना का प्रतिशत
1992-93	1008.1	1.4
1993-94	1312.6	1.5
1994-95	1684.9	1.7
1995-96	1743.5	1.6
1996-97	223.7	0.2

11 नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 (Ninth Five Year Plan) नौवीं योजना में परिवार कल्याण पर 1997-98 में 1822.2 करोड़ रुपये खर्च किया गया जो 1997-98 की वार्षिक योजना परिव्यय का 2.6 प्रतिशत था। परिवार कल्याण पर 1998-99 में 2253 करोड़ रुपये (सशोधित अनुमान) खर्च किया गया जो 1998-99 की वार्षिक योजना परिव्यय का 1.4 प्रतिशत था। परिवार कल्याण पर 1999-2000 में 2920 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) खर्च किया गया।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

(Achievements of Family Welfare Programme)

भारत में परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण कार्यक्रम सरकारी स्तर पर 1952 में अपनाया गया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू हुए 1998 में 46 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने तक परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 15825 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है। भारत में आपात काल के दौरान 1976-77 में 82.6 लाख नसबंदी आपरेशन किए गए थे। वर्तमान में परिवार कल्याण कार्यक्रम का संचालन पूर्णतः सैद्धांतिक रूप से किया जा रहा है। गत पांच दशकों में परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं—

1 परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय में वृद्धि (Increase in Expenditure on Family Welfare Programme) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत वास्तव में प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय इस प्रकार रहा — प्रथम पंचवर्षीय योजना 18 लाख रुपये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 305 करोड़ रुपये, तृतीय पंचवर्षीय योजना

249 करोड़ रुपए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 278 करोड़ रुपए पाचवी पंचवर्षीय योजना 4918 करोड़ रुपए, छठी पंचवर्षीय योजना में 3,4122 करोड़ रुपए, सातवी पंचवर्षीय योजना 3,1208 करोड़ रुपए तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना 6,500 करोड़ रुपए (प्रावधान)।

2 परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना (Establishment of Family Welfare Centre) परिवार कल्याण केन्द्र परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं। इन केन्द्रों ने शहरो एवं गावों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 1951 में 725 थी जो बढ़कर 1991 में 20,450 तथा 1996 में और बढ़कर 21,853 हो गई। उपकेन्द्रों को संख्या 1991 में 1,30,984 थी जो बढ़कर 1996 में 1,32,727 हो गई।^१

3 जन्म नियंत्रण तरीके (Methods to Control Birth Rate) भारत में वर्तमान में चार प्रकार के जन्म नियंत्रण तरीके उपलब्ध हैं ये हैं बन्ध्याकरण, लूप, निरोध तथा खाने की गोलियां। भारत में परिवार नियोजन के तरीके अपनाते वालों की संख्या 1989-90 में 2152 लाख थी जो 1990-91 में 18703 लाख, 1991-92 में 23752 लाख, 1992-93 में 26655 लाख, 1993-94 में 25207 लाख, 1994-95 में 32389 लाख तथा 1995-96 में और बढ़कर 33464 लाख हो गई। वर्ष 1995-96 में 4380 लाख बन्ध्याकरण, 6810 लाख लूप तथा 22274 लाख अन्य तरीके का काम लिये गए।

4 गर्भ की समाप्ति (End of Pregnancy) भारत में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचाने के लिए गर्भ समाप्ति अधिनियम 1971 में लागू किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाएं 20 हफ्ते तक गर्भ समाप्त कर सकती हैं। अप्रैल 1972 में सरकार ने गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी, ताकि अवांछित सन्तानोपत्ति को रोका जा सके। गर्भपात तभी किया जा जाता है जब यह लगे कि गर्भ का परिणाम अस्वस्थ बच्चे का जन्म होगा या लगातार गर्भ धारण से मौजूदा हालत में मां के स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना है या फिर गर्भ निरोध उपाय विफल हो गए हों। पहली तिमाही में गर्भपात सुरक्षित होता है। महिलाओं को स्वास्थ्य की क्षति कम करने के लिए मासिक धर्म के रुकते ही गर्भ समाप्ति के लिए जाना चाहिए। भारत में अप्रैल 1972 में कार्यक्रम शुरू होने से लेकर सितम्बर 1993 तक गर्भ समाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत 906 करोड़ गर्भ समाप्त किए गए हैं।^१

5 माता और स्वास्थ्य कार्यक्रम (Mother and Health Programme) विश्व लक्ष्य "सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 कार्यरत है। इसके अन्तर्गत सन 2000 तक माता और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित मानकीय लक्ष्य रखे गए हैं। ये लक्ष्य हैं—(क) शिशु मृत्यु दर को घटाकर 60 प्रति हजार से नीचे लाना, (ख) मातृ मृत्यु दर को घटाकर 200

प्रति लाख से नीचे लाना (ग) चार वर्ष तक की आयु के बच्चा की मृत्यु दर 10 प्रति एक हजार से नीचे लाना। गौरतलब है कि भारत के महापञ्जीकरण कार्यक्रम द्वारा चलाई गई मूला पञ्जीकरण प्रणाली के अनुसार 1992 में शिशु मृत्यु दर 79 प्रति हजार थी। देश के विभिन्न भागों में मातृ मृत्यु की मौजूदा मृत्यु दर 400 से 600 प्रति एक लाख है तथा बच्चा की मृत्यु दर 1990 में अनुमानित 263 प्रति हजार है।

माता एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 1992 में बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व (सीएसएसएन) कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम माताओं एवं शिशुओं के लिए पाषाण अनाद तथा विटामिन ए की कमी दूर करने की प्रोफिलैक्सिस परियोजनाओं, औरल रिहाइड्रेशन थैपेसी ए आर आइ कार्यक्रम तथा दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम को टीकाकरण कार्यक्रम से मिलाकर बनाया गया है। यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दोनो पहलू बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व देश के सभी जिलों में लागू हैं। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 1984 में शिशु मृत्यु दर 104 प्रति हजार थी जो 1994 में 74 प्रति हजार तक आ गई है।

6 जन्म दर में कमी (Decrease in Birth Rate) परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से देश में जन्म दर में थोड़ी कमी हुई है यद्यपि यह अभी भी अधिक बनी हुई है। भारत में जन्म दर 1951-61 में 41.7 प्रति हजार थी जो घटकर 1981 में 37.2 प्रति हजार तथा 1992 में और कम होकर 29 प्रति हजार रह गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (मार्च, 1997) जन्म दर 26.0 प्रति हजार करने का लक्ष्य था।

7 दम्पति संरक्षण दर (Couple Protection Rate) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कारण सुरक्षित दम्पतियों का प्रतिशत बढ़ा है। भारत में सुरक्षित दम्पतियों का प्रतिशत 1970-71 में केवल 10.4 प्रतिशत था जो बढ़कर 1981 में 22.8 प्रतिशत तथा 1992-93 में और बढ़कर 43.4 प्रतिशत हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मंच 1997 दम्पति संरक्षण दर 56 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य था। दश में लगभग 15 करोड़ सन्तानोत्पत्ति योग्य दम्पति है।

8 परिवार नियोजन उपकरणों का उत्पादन और वितरण (Production and Distribution of Family Planning Instruments) दश में परिवार नियोजन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। 'निरोध' के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत 1966 में 'हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड' कारखाना त्रिचेन्द्रम में लगाया गया इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 1977 में 28 करोड़ 80 लाख निरोध प्रति वर्ष थी। बलराव और कानपुर में भी निरोध बनाने के कारखाने हैं। दश में सर्वत्र सरस्ती और रियायती दरा पर निरोध उपलब्ध हैं। परिवार नियोजन कन्दों में ता निरोध और गर्भ निरोधक गालिया निशुल्क वितरित की जाती हैं।

9 अनुसंधान (Research) भारत में 18 लाख जनसंख्या केन्द्रों के माध्यम से जनसांख्यिकी तथा संचार कार्य के क्षेत्र में गतिविधियाँ जारी हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राष्ट्रीय संस्थान प्रजनन जीव विज्ञान तथा सन्तानोत्पत्ति नियंत्रण के क्षेत्र में जैव चिकित्सा अनुसंधान कार्यों में लगे हैं।

10 प्रशिक्षण (Training) नर्स दाई के लिए देश में कार्यरत 463 प्रशिक्षण स्कूल हैं जिनमें 19 276 की प्रवेश क्षमता है। नर्स दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 18 महीने है और इसके लिए आधारभूत शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। देश में 81 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण स्कूल हैं। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है और आधारभूत शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। वर्ष 1994 में 1 25 121 नर्स दाई और 64 416 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत थे।¹

11 लोकप्रियता (Popularity) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया स्वीकृत है। शहरों तथा दूर दराज के गावों में रहने वाले लगभग 15 20 करोड़ प्रजनन-वय दम्पतियों तक पहुंचने के लिए व्यापक जन प्रशिक्षण तथा प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य प्रचार संगठनों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति देश में अनुकूल वातावरण बना है। आज दम्पति कितना सुंदर कितना प्यारा छोटा सा परिवार हमारा के सिद्धांत पर विश्वास करने लगा है। दम्पति परिवार नियोजन के उपकरणों के उपयोग के लिए जागरूक हुए हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की कमियाँ/बाधाएँ/कठिनाइयाँ

(Shortcoming, Obstacles, Problems of Family Welfare Programme)

विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले सरकारी स्तर पर भारत में 1952 में प्रारंभ किया गया था इसके बावजूद भारत आज जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गया है। भारत जनसंख्या के आकार की दृष्टि से चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में आज भी जन्म दर विश्व के देशों की तुलना में अधिक बनी हुई है। यह बात भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की विफलता को दर्शाती है। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं -

1 शिक्षा का अभाव (Lack of Education) भारत में परिवार नियोजन की विफलता में शिक्षा का अभाव प्रमुख कारण है। भारत में शिक्षा का नितांत अभाव है। महिला साक्षरता विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की स्थिति दयनीय है। वर्ष 1991 में साक्षरता दर 51.21 प्रतिशत थी। महिला साक्षरता दर केवल 39.29 प्रतिशत ही थी। स्पष्ट है कि भारत में वर्ष 1991 में 48.79 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। निरक्षर व्यक्तियों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का अभाव होता है। परिवार को सीमित करने के मामले में निरक्षर व्यक्तियों को ही क्यों

दोष दिया जाए। भारत में तो अभी भी शिक्षित व्यक्तियों में परिवार को सीमित रखने की प्रवृत्ति अधिक विकसित नहीं हो सकी है।

2. गरीबी (Poverty) भारत में गरीबी प्रमुख समस्या है। स्वतंत्रता के पाच दशक और आठ पंचर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद भी देशवासियों को गरीबी की समस्या से निजात नहीं मिल सका है। आज भी लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। गरीब को पहले भरपेट भोजन की आवश्यकता है उसके बाद ही वह परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में सोच सकता है। गरीब परिवार इस स्थिति में नहीं है कि वे गर्भनिरोधक के तरीके काम में ले सकें। यद्यपि सरकार परिवार कल्याण केन्द्रों के माध्यम से गर्भनिरोधक के तरीके यथा निरोध व खाने की गोलियाँ निशुल्क मुहैया कराती है किंतु गरीब लोग अज्ञानता और सकोच के कारण इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

3 सुरक्षित दम्पतियों का अभाव (Lack of Secured Couples) : वर्तमान में भारत में लगभग 15 करोड़ प्रजनन-वय दम्पति है। वर्ष 1992-93 में सुरक्षित दम्पति केवल 43.4 प्रतिशत थे जिन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अपनाया। देश में लगभग 57 प्रतिशत दम्पति ऐसे हैं जिन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम को नहीं अपनाया है। परिवार कल्याण से असुरक्षित दम्पति परिवार सीमा का खुला उल्लंघन कर रहे हैं।

4 कम प्रचार प्रसार (Lack of Propganda) देश की बहुतेरी जनसंख्या गावों में जीवन बसर करती है। ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग निर्धन और निरक्षर है। गावों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों का बहुत कम प्रचार-प्रसार है। गावों में चिकित्सा सुविधा और परिवार नियोजन केन्द्रों का अभाव है। गावों में चिकित्सक बहुत कम पहुँचते हैं। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में गावों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है।

5 यौन शिक्षा का अभाव (Lack of Sex Education) . विद्यालयी पाठ्यक्रमों में यौन शिक्षा को सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण युवक-युवतियों में यौन शिक्षा का अभाव है। इस कारण परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई है।

6 चिकित्सकों का अभाव (Lack of Doctors) देश में चिकित्सकों का अभाव है। चिकित्सकों का वितरण भी असमान है। अधिकांश चिकित्सक शहरों में कार्यरत हैं। चिकित्सक गावों में सुविधाओं के अभाव के कारण जाना कम पसंद करते हैं। ग्रामीण जनता को प्रशिक्षित चिकित्सकों की सुविधाएँ बहुत कम उपलब्ध हैं।

7 उचित देखभाल का अभाव (Lack of Proper Look-after) : परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर नसबंदी आपरेशन किये जाते हैं किंतु बन्ध्याकरण के पूर्व और पश्चात् उचित देखभाल का अभाव है।

इससे रोगी को परेशानी उठानी पड़ती है।

8 साम्प्रदायिक एवं धार्मिक मान्यताएँ (Religious and Communal Recognitions) भारत में कतिपय साम्प्रदायिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। राजनेताओं तथा धार्मिक गुरुओं द्वारा परस्पर विरोधी विचार एवं प्रचार से देशवासियों में अनेक भ्रातियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि बन्ध्याकरण से उनकी जनसंख्या के कम होने का भय उत्पन्न हो गया है।

9 बन्ध्याकरण पर अधिक ध्यान (More Attention on Sterilization) परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में बन्ध्याकरण पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है। परिवार कल्याण की अन्य विधियों व तरीकों की अग्रहेलना हुई है।

10 स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव (Opposite Effect of Health) परिवार कल्याण कार्यक्रम के साधनों के प्रयोग से अनेक बार दम्पतियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इससे लोगों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति रुचि कम हुई है।

11 आपरेशनों का असफल होना (Failure of Operations) देश में आपरेशन के बाद महिलाओं के सतान हुईं। देश में ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं। महिला पुनः आपरेशन नहीं कराना चाहेगी। ऐसी घटनाओं से परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति रुचि समाप्त होती है।

12 राजनीतिक प्रोत्साहन का अभाव (Lack of Political Enthusiasm) देश में आपातकाल के दौरान 1975-76 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सख्ती बरती गई जिससे लोगों में परिवार नियोजन के प्रति रुचि कम हुई। जबकि बन्ध्याकरण के कारण राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ। वर्ष 1977-80 के मध्य परिवार कल्याण कार्यक्रम की गति मद रही। परिवार नियोजन से राजनीतिक बदलाव के कारण राजनीतिक प्रोत्साहन में कमी आई।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के सुझाव

(Suggestions for Success of Family Welfare Programme)

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रमों की विफलता के कारण जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित नहीं हो सकी। कम जनसंख्या की स्थिति में भारत तीव्र गति से विकास कर सकता है। पंडित नेहरू ने कहा था "यदि हमारी जनसंख्या अभी जो है उसकी आधी होती तो हम अधिक प्रगतिशील राष्ट्र होते। भारत में लोग परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाने के लिए उत्सुक तो रहते हैं किंतु चिकित्सा सुविधा के विश्वसनीय नहीं होने के कारण उन्हें भय है कि सतान की मृत्यु की स्थिति में वृद्धावस्था का सहारा छिन न जाए। अतः परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए मजबूत चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। जब तक देश के ग्रामीण परिवेश में स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का जाल नहीं फैल जाता मृत्यु दर कम

नहीं हो जाती बाल मृत्यु दर 'यूनतम नहीं हो जाती तब तक भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता सदिग्ध रहेगी। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्न उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं -

1 **चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Medical Facilities)** ग्रामीण भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। चिकित्सा सुविधा विश्वसनीय हो। गावों में चिकित्सालयों को खोल दिए जाते हैं किंतु चिकित्सक नियुक्त नहीं होते हैं और यदि चिकित्सक नियुक्त होते हैं तो गावों में सेवाएँ बहुत कम दे पाते हैं। मुदालिखर समिति के अनुसार तीस हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। उसमें 75 विस्तर 6 नर्स तथा 6 डाक्टर होने चाहिए। इसके अलावा 5 000 हजार की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र होना चाहिए।

2 **सीमित परिवार की अनिवार्यता (Essentiality of Limited Family)** देश में जनसंख्या की विकरालता और उससे उत्पन्न समस्या को दृष्टिगत रखते हुए दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। इस कानून को कठोरता से लागू किया जाए। परिवार नियोजन नहीं अपनाने वालों को सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों में से कोई भी अपनाने की उसे छूट दी जाए।

3 **सस्ती सामग्री का वितरण (Distribution of Cheap Material)** शिक्षित व्यक्तियों ने कुछ सीमा तक परिवार नियोजन को अपना लिया है। गरीब परिवार नियोजन से अछूते हैं। आज गरीब परिवारों में और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के बच्चों की संख्या अधिक होती है। गरीबों के लिए मनोरंजन के अन्य साधनों का अभाव है। गरीब व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होते कि वे परिवार नियोजन के महंगे साधन काम में ल सकें। अतः गरीब वस्तियों में परिवार नियोजन की सामग्री को सस्ते दामों पर मुहैया कराया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो वहाँ सामग्री का वितरण निशुल्क हो। देश में निरोध निशुल्क वितरित किया जाना चाहिए। गरीबों की वस्तियों में तो निशुल्क निरोध वितरण केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।

4 **यौन शिक्षा (Sex Education)** भारत में यौन शिक्षा का नितांत अभाव है। युवक-युवतियों को यौन संबंधों की बहुत कम जानकारी होती है। देश में आज भी बच्चों के जन्म को ईश्वरीय देना माना जाता है। इस विचारधारा को बदलने के लिए यौन शिक्षा का प्रचार आवश्यक है। यौन शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5 **जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा (Development of Population Education)** देश में लगभग पचास फीसदी लोग निरक्षर हैं। शिक्षित व्यक्तियों में जनसंख्या शिक्षा का अभाव है। परिणामस्वरूप जनसंख्या जनित समस्याओं की दशवासियों की जानकारी नहीं है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत

में जनसंख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणाम को सभी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालयी स्तर पर जनसंख्या शोध का बढावा दिया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम को पाठ्यक्रमों में विस्तार से स्थान दिया जाए।

6 पर्याप्त प्रचार प्रसार (Sufficient Propaganda) शहरों में तो परिवार कल्याण कार्यक्रमों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार है, किंतु गावों में कार्यक्रम का अधिक प्रचार नहीं हुआ है। अतः परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गावों में प्रचार-प्रसार की अधिक आवश्यकता है। कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार इस प्रकार हो कि गावों के निरक्षर लोग उसे आसानी से समझ सकें। प्रचार-प्रसार में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो। मनोरंजन सबंधी कार्यक्रमों में जनसंख्या पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

7 परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता (Priority for Family Welfare Programme) विगत पाँच दशकों में सम्पन्न हो चुकी आठ पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता नहीं दी गई। परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय अत्यल्प रहा। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी की आवश्यकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय को बढाकर दोगुना किया जाना चाहिए। दसवीं योजना का मुख्य लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए।

8 जन सहयोग (Public Cooperation) जनसंख्या को नियंत्रित करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाना अकेले सरकार का काम नहीं है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में जन सहयोग आवश्यक है। सरकार परिवार नियोजन के तरीके खोज सकती है, उनके वितरण की व्यवस्था कर सकती है, किंतु उनका उपयोग करना जनता पर निर्भर है। स्वयंसेवी संस्थाएँ परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9 शिक्षा प्रसार (Educational Development) विकास के लिए शिक्षा पहली प्राथमिकता है। शिक्षा के प्रचार बिना सभी विकास प्रयास निरर्थक हैं। स्वतंत्रता के पाँच दशक बाद भी निरक्षर लोगों की बहुलता चिंता की बात है। निरक्षरता के कारण लोग वस्त्रसंबंधी विवाहों और रुढ़ियों से घिरे होते हैं। भारत में 1991 में 48.79 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। पुरुषों में निरक्षरता 35.87 प्रतिशत तथा महिलाओं में निरक्षरता 60.71 प्रतिशत थी। निरक्षरता के इस घोर अधिकार में परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सफलता सिद्ध है। जब तक देश में शिक्षा का प्रचार नहीं हो जाता, देशवासी शिक्षित नहीं हो जाते तब तक परिवार कल्याण कार्यक्रम की दिशा में राजकीय प्रयासों के सकारात्मक परिणाम नहीं होंगे। भारत को सर्वाधिक जोर निरक्षरता के अधिकार को मिटाने में देना होगा।

10 नारों में परिवर्तन (Change in Slogans) भारत में परिवार नियोजन विषय में सरकारी स्तर पर सबसे पहले 1952 में लागू किया गया था। उस समय परिवार नियोजन के जो नारे बने थे वे आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। आज दो या तीन बस जैसे नारों की प्रासंगिकता नहीं है। नारों में एक अथवा दो बच्चों की प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटे परिवार के महत्त्व को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाना चाहिए।

11 चिकित्सा प्रणालियों में समन्वय (Co-ordination among Treatment Patterns) भारत में आयुर्वेद जैसी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति समृद्ध है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में जड़ी-बूटियों के माध्यम से गर्भ निरोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम पड़ता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों यथा आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं ऐलोपैथिक में सामन्वय और समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

12 बन्ध्याकरण उपरांत सेवा (Services After Sterilization) : परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन महिलाओं और पुरुषों का बन्ध्याकरण किया गया उनकी बन्ध्याकरण के बाद उचित देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए। बन्ध्याकरण से उत्पन्न किसी परेशानी का निराकरण होना चाहिए।

13 प्रशिक्षित कर्मचारी (Trained Employees) हमारे देश में अभी भी गर्भ निरोधक के तरीकों के विपरीत प्रभाव का डर है। अतः ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जो लोगों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सतुष्ट कर सकें। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की महती आवश्यकता है।

14 चल चिकित्सालयों में वृद्धि (Increase in Mobile Dispensaries) : देश में विशेषकर ग्रामीण परिवेश में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। ऐसी स्थिति में चल चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे ग्रामवासियों को निकटस्थ परिवार कल्याण संबंधी सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

सन्दर्भ

- 1 याजना, 16 30 अप्रैल 1985
- 2 इकोनॉमिक सर्वे, 1996-97, एस-42
- 3 सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90, पृ 281
- 4 योजना, जुलाई 1998, पृ 29
- 5 इकोनॉमिक सर्वे, 1996-97, पृ 190
- 6 भारत वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 211
- 7 वही, पृ स 214

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारत सरकार की जनसख्या नीति पर प्रकाश डालिए।
- 2 भारत की जनसख्या नीति की आलोचनाएँ बताइए।
- 3 भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कीजिए। इसमें सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति लिखिए तथा दूसरे भाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव लिखने हैं।)
- 2 परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्या अभिप्राय है? भारत सरकार की जनसख्या नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम का अर्थ बताना है तथा दूसरे भाग में भारत सरकार की जनसख्या नीति तथा उसकी आलोचनाएँ लिखनी हैं।)
- 3 भारतीय जनसख्या की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षात्मक जांच कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहले जनसख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है, तदुपरांत भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियों तथा कमियों को बताना है।)
- 4 भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव दीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियों व कमियों को लिखिए तथा दूसरे भाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव को बताना है।)
- 5 "तेजी से बढ़ती जनसख्या भारत के आर्थिक विकास में बाधा है।" इस कथन की विवेचना कीजिए तथा भारत सरकार की जनसख्या नीति की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में जनसख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव बताना है तथा दूसरे भाग में भारत की जनसख्या नीति को लिखना है।)

भारतीय कृषि और उसका महत्त्व

(Indian Agriculture and It's Significance)

विश्व के प्रायः सभी विकासशील देश निर्यातित आय के लिए उपभोग वस्तुओं के निर्यात पर निर्भर हैं और इनमें भी परम्परागत निर्यातों यथा कृषि एवं संबद्ध उत्पाद की बाहुल्यता रहती है। स्वाभाविक है कि भारत सरीखे कई विकासशील देशों को निर्यातित आय में बड़ी भारी हानि उठानी पड़ती है। ये राष्ट्र इस स्थिति में नहीं होते कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। विकासशील राष्ट्रों के पास प्राकृतिक ससाधनों का अभाव नहीं है। किंतु अपक्षित वित्तीय ससाधनों का अभाव प्राकृतिक ससाधनों के विदोहन में मुख्य बाधा है। फिर ये राष्ट्र अद्युनातन टेक्नोलॉजी के अभाव में उपलब्ध ससाधनों का मात्राधिक दोहन नहीं कर पाते इसके लिए इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों वहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर सतत मुखातिब रहना पड़ता है।

हाल ही के वर्षों में भारत ने कृषिगत क्षेत्र में आशातीत सफलता अर्जित की है किंतु यहाँ की कृषि अनेक विकसित देशों की भाँति औद्योगिक विकास का आधार नहीं बन सकी। कई विकसित राष्ट्रों ने सर्वप्रथम कृषि का विकास किया तदुपरांत कृषि ने औद्योगिक विकास में प्रभावी भूमिका निभाई। भारत में कृषि द्वारा इस तरह की भूमिका नहीं निभा पाये का मुख्य कारण यहाँ की कृषि का अन्य राष्ट्रों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ होना है। औद्योगिक उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली व्यावसायिक फसलों का कम उत्पादन भी इसका मुख्य कारण है। आज भारत ने भले ही खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में तथाकथित आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है किंतु वर्तमान में बदलते आर्थिक परिवेश की ज़रूरत के मुताबिक कृषि का समुचित विकास नहीं हुआ है।

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में जब कृषि ही पिछड़ी हुई अवस्था में हो तब कृषि औद्योगिक विकास का आधार बन ही पाते कैसे की जा सकती है। आर्थिक

नियोजन के पाच दशक उपरांत भी कृषि का समस्याग्रस्त होना एक चिंतनीय पहलू है। ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएँ अतीत में थी, आज भी देखने को मिलती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उत्पादन में भारी उच्चावचन है। सिंचित क्षेत्र कृषिगत जरूरतों के अनुरूप नहीं है। ऋणग्रस्तता की समस्या बड़ी भयावह है, साहूकारों के चंगुल से किसान ही नहीं उसकी सतति भी मुश्किल से ही निजात पाती होगी। पिछले कुछ वर्षों में देश के बड़े किसानों की आय में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इससे ग्रामीण परिवेश में 'आर्थिक विषमता' की समस्या उठ खड़ी हुई है। ग्रामीण परिवेश की आर्थिक विषमता शहरी परिवेश की आर्थिक विषमता से अधिक भयावह है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी व्यक्तियों द्वारा भोले-भाले, निरक्षर और निर्धन ग्रामीणों का शोषण आसानी से कर लिया जाता है।

भारतीय कृषि की विशेषताएँ

(Characteristics of Indian Agriculture)

भारत की 74 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है तथा इतनी ही जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद भारत की कृषि आर्थिक विकास में कारगर भूमिका नहीं निभा सकी। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1 **मानसून पर निर्भरता (Dependence on Monsoon)** भारत में सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में कृषिगत उत्पादन कम होने के कारण आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश की 74 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या की आर्थिक स्थिति वर्षा पर निर्भर है। जहाँ सिंचाई सुविधाएँ मुहैया हैं वहाँ का किसान भी सिंचाई के लिए बादलों की ओर देखता है। वर्षा होने के कारण किसान का सिंचाई व्यय बचता है। भारतीय कृषि अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर आदि से प्रभावित रहती है इसका प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है।

2 **खाद्यान्न फसलों का उत्पादन (Production of Food Crops)** भारतीय कृषि में अधिकतर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुल कृषि क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत खाद्यान्न फसलों की खेती होती है। इसके बावजूद भारत लम्बे समय तक खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सका आज भी भारत में खाद्यान्न का आयात किया जाता है।

3 **विविध फसलें (Different Crops)** फसलों की विविधता भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ हैं। खेतों का आकार छोटा होने के बावजूद किसान विभिन्न फसलों उगाने का प्रयास करता है। देश के कृषिगत क्षेत्र में खाद्यान्न तिलहन, दलहन व्यावसायिक फसलें आदि का उत्पादन होता है।

4 **लघु कृषकों की बहुलता (Majority of Small Farmers)** भारत लघु

कृषक का दश है ग्रामीण परिवेश में लघु सीमांत कृषक तथा खेतिहर व दम्भुआ मजदूरों को बहुलता है। भारत में एक हेक्टेयर तक जाते के कृषक सीमांत कृषक तथा एक से दो हेक्टेयर जोते के कृषक लघु कृषक कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनकी स्वयं की कृषि याग्य भूमि नहीं होती किंतु आमदनी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग कृषिगत मजदूरी से प्राप्त करते हैं वे खेतिहर मजदूर कहलाते हैं। भारत में उत्तराधिकार के दोषपूर्ण नियम के कारण छोटे कृषक की संख्या बढ़ती जा रही है।

5 कृषि जोत (Agriculture Holding) भारत में वर्ष 1980-81 में लगभग 894 करोड़ कृषि जोत थी जिनमें से सीमांत कार्यशील जोत (एक हेक्टेयर तक) 564 प्रतिशत तथा लघु कार्यशील जोते (1-2 हेक्टेयर तक) 181 प्रतिशत थी इस प्रकार देश में 2 हेक्टेयर तक की जोते 745 प्रतिशत थी। सीमांत और लघु जोता के कारण अधिक उत्पादन संभव नहीं हो पाता है।

6 प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन (Less Production per Hectare) भारत में विभिन्न फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। विश्व के देशों की तुलना में भारत में चावल मूंगफली गन्ना गेहूँ कपास तम्बाकू का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। भारत में वर्ष 1989 में विभिन्न फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन इस प्रकार था चावल 2590 कि ग्रा मूंगफली 988 कि ग्रा गन्ना 56571 कि ग्रा गेहूँ 2241 कि ग्रा कपास 607 कि ग्रा तथा तम्बाकू 1236 कि ग्रा।

7 यंत्रीकरण का अभाव (Lack of Mechanisation) विगत वर्षों में विश्व में कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से यंत्रीकरण हुआ है किंतु भारत में आज भी बड़े पैमाने पर खेती के पुराने तरीके काम में लिए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण कृषि जोता का छोटा होना तथा लघु कृषकों की बहुलता है। लघु जोता में यंत्रीकरण का प्रयोग लाभदायक सिद्ध नहीं हो पाता है। भारत में किसानों का परिवार अपेक्षाकृत बड़ा है जबकि उसके खेत का आकार छोटा है। परिवार के लोग ही खेत पर काम करना वाला बहुत हो जाते हैं ऐसी स्थिति में यंत्रीकरण की आवश्यकता कम होती है।

8 व्याप्त अदृश्य बेरोजगारी (Vast Disguised Unemployment) भारतीय कृषि में अदृश्य बेरोजगारी व्याप्त है। कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लग हुए हैं। भारत के कृषि क्षेत्र से लगभग आधे श्रमिकों का हटा भी लिया जाये तो कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय किसान को वर्ष भर काम नहीं मिलता है। सिंचित क्षेत्रों में किसान अवश्य वर्षभर व्यस्त रहता है। असिंचित क्षेत्रों में किसान को वर्ष में आसतः 90 दिन ही काम मिल पाता है। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का थोड़ा बढ़ावा मिला है इसके कृषि श्रमिक अधिक बेरोजगार हो गए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व (Significance of Agriculture in Indian Economy)

भारत गावों का देश होने के कारण बहुसंख्यक जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। आर्थिक विकास में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय में भी कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की अच्छी भागीदारी है। नयी केन्द्र सरकार ने कृषि विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। अप्रैल 1998 में जारी आर्थिक एजेन्डा में कृषि निवेश बढ़ाने पर बल दिया गया है। सरकार कृषि ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा संबद्ध ग्राम्य पंचायत विकास में सार्वजनिक निवेश के लिए पर्याप्त योजनागत कोष की व्यवस्था करेगी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पांच सूत्री विकास मार्ग में कृषि विकास को दूसरा सूत्र मानते हुए अगले दशक में कृषि उत्पादन को दोगुना किये जाने का प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार ने 1998-99 के बजट में कृषि विकास की नयी पहल की है। वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना में कृषि परिव्यय 2,854 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो 1997-98 के संशोधित अनुमान 1,807 करोड़ रुपये की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार विकास शीर्ष पर भी परिव्यय में वृद्धि की गई है। वर्ष 1997-98 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार परिव्यय 8,356 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) था जिसे बढ़ाकर 1998-99 में 9,912 करोड़ रुपये बजट-अनुमान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार परिव्यय में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई। वर्ष 1998-99 के केन्द्रीय बजट में नाबार्ड द्वारा प्रबंधित ग्रामीण अवसरचना विकास निधि में आवंटन बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नाबार्ड की अशपूजी में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। बजट में किसानों को कृषि आदानों और उत्पादन संबंधी जरूरतों के लिए नकदी प्राप्त करने में मदद के लिए नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। वर्तमान में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व इस प्रकार है -

1 **राष्ट्रीय आय में योगदान (Contribution in National Income)** - भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का 30 से 40 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। विगत वर्षों में राष्ट्रीय आय में कृषि की उपादेयता घटी है। फिर भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसका योगदान अधिक है।

वर्ष 1980-81 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर वर्ष 1950-51 में 42,871 करोड़ रुपये था जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का उत्पाद 24,204 करोड़ रुपये था जो सकल घरेलू उत्पाद का 56.46 प्रतिशत था। सकल घरेलू उत्पाद 1997-98 में 10,49,191 करोड़ रुपये (त्वरित अनुमान) था जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का उत्पाद 3,01,436 करोड़ रुपये था जो सकल घरेलू उत्पाद का 28.73 प्रतिशत था। नब्बे के दशक में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की

भूमिका बहुत घट गई है। इसका कारण कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र परिव्यय में कमी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का केवल 5.2 प्रतिशत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर व्यय किया गया। नौवीं पंचवर्षीय में भी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र परिव्यय में वृद्धि नहीं की गई। इसके बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 1997-98 के त्वरित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का भाग 24.73 प्रतिशत, यातायात, संचार, और व्यापार का भाग 23.27 प्रतिशत, बैंकिंग बीमा व्यावसायिक क्षेत्र आदि का भाग 11.42 प्रतिशत तथा सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं का भाग 11.85 प्रतिशत था जबकि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का भाग 28.73 प्रतिशत था।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर (1980-81 की कीमतों पर)	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत
1950-51	42,871	24,204	56.46
1960-61	62,904	32,793	52.13
1970-71	90,426	41,385	45.77
1980-81	1,22,427	48,536	39.64
1990-91	2,12,253	69,860	32.91
1991-92	2,13,983	68,480	32.00
1992-93	2,25,240	72,421	32.15
1993-94	7,99,077	2,62,140	32.81
1994-95	8,61,064	2,77,033	32.17
1995-96	9,26,412	2,79,204	30.14
1996-97 (प्रोविजनल)	9,98,978	3,03,572	30.39
1997-98 (त्वरित अनु.)	10,49,191	3,01,436	28.73
1998-99 (त्वरित अनु.)	10,81,834	3,15,415	29.16

Source: *Economic Survey* 1998-99, S-5, and 1999-2000 (Government of India वर्ष 1993-94 से सकल घरेलू उत्पाद 1993-94 की कीमतों पर आधारित है।)

2 रोजगार (Employment) भारत में जनसंख्या का बड़ा भाग जीविकापार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। डा. राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार, "खेती से इस देश के सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है जो बड़े तथा छोटे अन्य सब उद्योगों से प्राप्त सम्मिलित रोजगार से अधिक है।" भारत की 74 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों

में जीवन बसर करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्मिक 31.41 करोड़ थे जिनमें 2.82 करोड़ सीमान्त कार्मिक तथा 28.59 करोड़ मुख्य कार्मिक थे। मुख्य कार्मिकों में काश्तकार 11.07 करोड़, कृषि श्रमिक 7.46 करोड़ तथा पशुधन, वन आदि में 60 लाख कार्यरत थे। इस प्रकार मुख्य कार्मिकों का 66.9 प्रतिशत कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र में कार्यरत था। ग्रामीण मुख्य कार्मिक 22.33 करोड़ थे जिनमें से 18.28 करोड़ कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र में कार्यरत थे जो मुख्य कार्मिकों का 82.2 प्रतिशत है। शहरी मुख्य कार्मिक 6.36 करोड़ थे जिनमें 85 लाख कृषि व सबद्ध क्षेत्र में कार्यरत थे जो कि शहरी मुख्य कार्मिकों का 13.4 प्रतिशत था।

3. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production) भारत जनाधिक्य वाला देश है तथा अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। कृषि क्षेत्र द्वारा खाद्यान्न की मांग पूरी की जाती है। भारत में चावल, गेहूँ, मोटा अनाज तथा दालों का उत्पादन होता है। वर्ष 1996-97 में चावल का उत्पादन 81.3 मिलियन टन, गेहूँ का उत्पादन 69.3 मिलियन टन, मोटा अनाज का उत्पादन 34.3 मिलियन टन तथा दालों का उत्पादन 14.5 मिलियन टन था। खाद्यान्न उत्पादन 1996-97 में 199.3 मिलियन टन था। प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में तिलहन, गन्ना, कपास, जूट और मेस्ता का उत्पादन होता है। वर्ष 1996-97 में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन इस प्रकार था—तिलहन 25 मिलियन टन, गन्ना 277.3 मिलियन टन, कपास 14.3 मिलियन गांठे तथा जूट व मेस्ता 8.8 मिलियन गांठे।

कृषि क्षेत्र में नवीन व्यूह रचना लागू किए जाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में 50.8 मिलियन टन था जो बढ़कर 1990-91 में 176.4 मिलियन टन तथा 1997-98 में और बढ़कर 192.4 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1981-82 को आधार मानते हुए कृषि उत्पादन सूचकांक 1950-51 में 46.2 था जो बढ़कर 1990-91 में 148.4 तथा 1997-98 में और बढ़कर 164.9 हो गया। विगत दशकों में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और पैदावार में वृद्धि हुई। कुल अनाज का क्षेत्रफल 1950-51 में 782.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 1033.58 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 1950-51 में 424.14 लाख टन से बढ़कर 1989-90 में 1,560.79 लाख टन तथा पैदावार 1950-51 में 542 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 1,530 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। वर्ष 1989-90 में कुल दलहन का क्षेत्रफल 234.15 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 128.65 लाख टन तथा पैदावार 549 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था।

खाद्यान्न का क्षेत्रफल 1950-51 में 973.2 लाख हेक्टेयर था जो 1989-90 में बढ़कर 1,267.73 लाख हेक्टेयर हो गया। खाद्यान्न पैदावार 1950-51 में 522 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 1,349 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। वर्ष 1989-90 में कुल तिलहन क्षेत्रफल 22.8 लाख हेक्टेयर, उत्पादन

169.09 लाख टन तथा पैदावार 742 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। इसके अलावा वाणिज्यिक फसलो यथा गन्ना कपास, पटसन, मेस्ता के क्षेत्रफल, उत्पादन व पैदावार में वृद्धि हुई।

भारत में खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	कृषि उत्पादन सूचकांक आधार (1981-82)
1950-51	50.8	46.2
1960-61	82.0	68.8
1970-71	108.4	85.9
1980-81	129.6	102.1
1990-91	176.4	148.4
1991-92	168.4	145.5
1992-93	179.5	151.5
1993-94	184.3	157.3
1994-95	191.5	165.2
1995-96	180.4	160.7
1996-97	199.4	175.4
1997-98	192.4	164.9
1998-99 (प्रतिजनल)	195.3	171.3
1999-2000 (प्रतिजनल)	199.1	173.3

Source *Economic Survey* 1998-99 तथा 1999-2000

खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने से प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता बढ़ी। वर्ष 1991 में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 510 ग्राम के स्तर तक पहुँच गई थी जबकि 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में प्रति व्यक्ति 395 ग्राम अनाज उपलब्ध था। तथापि वर्ष 1993 में एक अंतिम अनुमान के अनुसार अनाज की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धि कुछ कम होकर 464 ग्राम हो गई। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 1993 में 169.4 किलोग्राम वार्षिक थी जो बढ़कर 1994 में 172 किलोग्राम, 1995 में 185.3 किलोग्राम तथा 1996 में 181.3 किलोग्राम वार्षिक हो गई।

4 निर्यातित आय में योगदान (Contribution in Export) भारत के विदेशी व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत से बड़ी मात्रा में कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात किया जाता है। कृषिगत निर्यातों में काफी, घाय, खली, काजू, मसाले तम्बाकू, चीनी, बच्चाजूट, चावल, फल, सब्जी, दालें आदि मुख्य हैं। स्वतंत्रता के समय से लेकर 1980 तक भारत के निर्यातों में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र

की उल्लेखनीय भूमिका थी। वर्ष 1960-61 में भारत का कुल निर्यात 642 करोड़ रुपए था जिसमें कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 284 करोड़ था जो कुल निर्यात का 44.24 प्रतिशत था। बाद के दशकों में निर्यात में कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र की भूमिका घटी। वर्ष 1980-81 में निर्यात 6,711 करोड़ रुपए था जिसमें कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 2,057 करोड़ रुपए था जो कुल निर्यात का 30.65 प्रतिशत था। नब्बे के दशक में निर्यातों में कृषि व सबद्ध क्षेत्र की भूमिका उत्तरोत्तर कम हुई। कुल निर्यात में कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का भाग 1990-91 में 19.40 प्रतिशत, 1992-93 में 17.61 प्रतिशत, 1993-94 में 18.67 प्रतिशत तथा 1994-95 में 16.58 प्रतिशत था। वर्ष 1997-98 में कुल निर्यात 1,26,286 करोड़ रुपए था जिसमें कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का निर्यात 23,691 करोड़ रुपए था जो कुल निर्यात का 18.76 प्रतिशत था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषिगत उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात व्यापार में कृषि की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। नोबल पुरस्कार विजेता डॉ. नार्मन ई. बोर्लॉग के अनुसार "भारत में खाद्यान्न उत्पादन को आगामी चालीस वर्षों में चार गुना करने की क्षमता विद्यमान है।" खाद्यान्न उत्पादन का बड़ा भाग देश में ही खप जाता है। निर्यात के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न बहुत कम बच पाता है। अतः खाद्यान्न निर्यात वृद्धि के लिए भारत में जनाधिक्य वृद्धि को रोकना आवश्यक है।

निर्यात व्यापार में कृषि क्षेत्र की भूमिका

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल निर्यात	कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र	कुल निर्यात में कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र का प्रतिशत
1960-61	642	284	44.24
1970-71	1,535	487	31.73
1980-81	6,711	2,057	30.65
1990-91	32,553	6,317	19.40
1992-93	53,688	9,457	17.61
1993-94	69,751	13,021	18.67
1994-95	82,674	13,712	16.58
1995-96	1,06,353	21,138	19.87
1996-97	1,18,817	24,239	20.40
1997-98	1,26,286	23,691	18.76
1998-99	1,41,604	26,164	18.48

Source *Economic Survey*, 1998-99 and 1999-2000

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रभावी भूमिका है। कृषि की उत्पादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आयात-निर्यात नीति में कृषिगत प्रावधानों में वृद्धि की गई

है। वाणिज्य मन्त्रालय ने जुलाई, 1992 में आयात-निर्यात नीति में उत्पादन की परिभाषा में कृषि, मछली पालन, पशुपालन, पुष्पोदपालन, बागवानी, मुर्गीपालन तथा रेशम पालन आदि को शामिल किया गया। 30 मार्च, 1993 को आयात-निर्यात नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए कृषि क्षेत्र में निर्यातानुम्बी इकाइयों लगाने पर और छूट देने की घोषणा की।

हाल के वर्षों में भारत से गैर परम्परागत मदों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। साठ के दशक में निर्यात व्यापार में कृषि एवं सब्जि क्षेत्र का वर्चस्व था। बाद के दशकों में कृषि एवं सब्जि क्षेत्र के निर्यात में भारी कमी आई है, जो चिन्तनीय बात है। भारत सदैव भुगतान सतुलन की असाम्यावरस्था से ग्रसित रहा है। कृषि एवं सब्जि वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी द्वारा भुगतान असतुलन की समस्या से काफी हद तक निदान पाया जा सकता है। नियोजित विकास के चार दशक तथा आर्थिक उदारीकरण के दस वर्षों में अर्थव्यवस्था में समृद्धि दृष्टिगोचर होने लगी है। फिर भी कृषि अर्थव्यवस्था समस्याओं से अछूती नहीं है। कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याएँ मुहवाएँ खड़ी हैं। उनमें सीमांत कृषक, आर्थिक पिछड़ापन, क्षेत्रीय विषमता, बेकारी, अशिक्षा, निम्न उत्पादकता आदि मुख्य हैं। इनका स्थायी समाधान ढूँढा जाना शेष है।

5 कृषि परिव्यय में वृद्धि (Increase in Agriculture Outlay) : भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता कृषि विकास पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि परिव्यय में वृद्धि की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सब्जि क्षेत्र परिव्यय 1,0889 करोड़ रुपए था जो बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10,5236 करोड़ रुपए हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सब्जि क्षेत्र परिव्यय 22,467 करोड़ रुपए था जो कुल योजना परिव्यय का 52 प्रतिशत था। नौवीं योजना में कृषि एवं सब्जि क्षेत्र परिव्यय 36,658 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा 29 नवम्बर, 1998 को आयोजित भारतीय आर्थिक शिखर में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित बारह सूत्रीय मध्यकालीन आर्थिक एजेण्डा में कृषि को प्रमुखता दी गई है। इसमें कृषि विकास सुनिश्चित करना और कृषि व कृषि प्रसरण उद्योग में व्यापक निजी निवेश को बढ़ावा देकर ग्रामीण समृद्धि का विस्तार करना सम्मिलित है। कृषि परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा आर्थिक एजेण्डा में कृषि को प्रमुख स्थान दिया जाना अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता को दर्शाता है।

6 विश्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि (Indian Agriculture in World Sphere) भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। हाल ही के वर्षों में भारत ने कृषि के क्षेत्र में प्रगति की है। आज भारत न केवल विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है अपितु विश्व के देशों को खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहा है। वर्ष

1979-81 को आधार मानते हुए भारत का कृषिगत उत्पादन सूचकांक वर्ष 1989 में 14186 था जो विश्व औसत 12126 से अधिक था। वर्ष 1989 में विश्व के अनेक देशों का कृषि उत्पादन सूचकांक भारत से कम था। विभिन्न देशों का 1989 में कृषि उत्पादन सूचकांक इस प्रकार था - अर्जेंटीना 9620, आस्ट्रेलिया 11348, कनाडा 11119, मैक्सिको 12139, बिट्रेन 10576, अमरीका 10236 आदि। भारत में 1989 में चावल, गेहूँ, मक्का व कपास बीज का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में अधिक था।

विश्व के अनेक देश विशेषकर विकासशील देश ऐसे हैं जहाँ श्रम शक्ति का बड़ा भाग कृषि में सलग्न है। वर्ष 1981 में श्रम शक्ति का भारत में 71 प्रतिशत, बांग्लादेश में 74 प्रतिशत, चीन में 74 प्रतिशत, केन्या में 78 प्रतिशत, नेपाल में 93 प्रतिशत, पाकिस्तान में 57 प्रतिशत, श्रीलंका में 54 प्रतिशत कृषि कार्य में सलग्न था जबकि श्रम शक्ति का आस्ट्रेलिया में केवल 6 प्रतिशत, कनाडा 5 प्रतिशत, फ्रांस में 8 प्रतिशत, जर्मनी में 4 प्रतिशत, कुवैत में 2 प्रतिशत, अमरीका में 2 प्रतिशत, बिट्रेन में 2 प्रतिशत कृषि कार्य में सलग्न था। स्पष्ट है कि विकसित देशों में श्रम शक्ति का अत्यल्प भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। विकसित देशों में कृषि कार्य में यंत्रीकरण का अधिक प्रयोग होता है। वर्ष 1986 में अमरीका में 4,676 हजार ट्रेक्टर, जापान में 1,834 हजार ट्रेक्टर, फ्रांस में 1,527 हजार ट्रेक्टर, अर्जेंटीना में 1,174 हजार ट्रेक्टर उपयोग में थे जबकि भारत में केवल 649 हजार ट्रेक्टर, बांग्लादेश में एक हजार ट्रेक्टर, केन्या में 9 हजार ट्रेक्टर उपयोग में थे। भारत में हरित क्रांति लागू किए जाने के बाद कृषिगत क्षेत्र में यंत्रीकरण का उपयोग बढ़ा है। भारत में आज कृषि आधुनिकतम उपकरणों से की जाने लगी है। हाल के वर्षों में कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिये जाने के कारण भविष्य में कृषिगत क्षेत्र में यंत्रीकरण वृद्धि की संभावना है।

7 औद्योगिक कच्चा माल (Industrial Raw Material) . भारत में कृषि औद्योगिक विकास का आधार है। कृषि से अनेक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है। मानसून के प्रतिकूल होने की दशा में कृषिगत उत्पादन कम होने का सीधा प्रभाव औद्योगिकरण पर पड़ता है। कृषिगत उत्पादन में वृद्धि तीव्र औद्योगिक विकास में सहायक होती है। भारत में कृषि आधारित उद्योगों की बहुलता है। ऐसी स्थिति में कृषि का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। भारत में सूती पस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, जूट, चाय, रबर, कागज उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। भारत में वर्ष 1997-98 में तिलहन का उत्पादन 237 मिलियन टन, गन्ने का उत्पादन 2602 मिलियन टन, कपास उत्पादन 114 मिलियन गांठे, जूट और मेस्ता उत्पादन 98 मिलियन गांठे था।

8 सरकारी आय का प्रमुख स्रोत (Main Sources of Government Income)

कृषि राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि से राज्य सरकारों को भू-राजस्व, कृषि आयकर, सिंचाई वसूली तथा व्यावसायिक फसलों से कर द्वारा

लगभग 1800-2500 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार को कृषि आधारित उद्योगों से कृषि सम्पत्ति कर, उत्पादन कर, निर्यात कर आदि से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की आय अर्जित होती है।

9 पशु पालन एवं डेयरी उद्योग की समृद्धि (Growth of Animal Husbandary and Dairy Industries) : डेयरी उद्योग पशुपालन पर आधारित है और पशुपालन पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। भारत में पशुधन की बहुलता है। पशुधन किराने की आय का अतिरिक्त स्रोत है। कृषि के पिछड़ने की दशा में पशुधन भी क्षीण हो जाता है।

10 बड़ा उपभोक्ता वर्ग (Vast Consumer Block) : भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या गावों में जीवन बसर करती है तथा कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण समुदाय न केवल उद्योगों व अन्य क्षेत्रों की मांग की पूर्ति करता है अपितु बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी है। कृषि क्षेत्र द्वारा विभिन्न औद्योगिक उत्पादित वस्तुएँ यथा रासायनिक खाद, कीटनाशक, मशीन एवं औजार, विद्युत आदि का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। कृषि की प्रगति के साथ ग्रामीण परिवेश में मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। धनी कृषक परिवारों में विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़ी है।

11. राजनीतिक महत्त्व (Political Importance) भारत में कृषि का राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। जनसंख्या का बड़ा भाग गावों में जीवन बसर करता है। गावों में अत्यधिक राजनीतिक जागरूकता है। लोकसभा और विधानसभा सदस्यों के चुनाव में ग्रामीणजनों की बड़ी भूमिका होती है। अच्छे कृषि उत्पादन का राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषिगत उत्पादन के अनुकूल होने की दशा में मूल्य स्तर भी सामान्य रहता है। ग्रामीण परिवेश की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज बजट का बड़ा भाग ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाता है। 25 नवम्बर, 1998 को राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में कृषिगत उत्पादन यथा आलू व प्याज की बेतहाशा कीमतों ने प्रमुख चुनावी मुद्दे का रूप लिया। महगाई के कारण दिल्ली व राजस्थान की सरकारें बदली। भारत में महगाई का सीधा असर राजनीति पर पड़ता है और महगाई कृषिगत उत्पादन से प्रभावित होती है। भारत में गरीब किसानों के दस हजार रुपए तक ऋण माफ करना राजनीतिक निर्णय था। ग्रामीणों को लुभाने के लिए बोट आधारित राजनीतिक निर्णय लिये जाते हैं। किसानों को निशुल्क बिजली, उर्वरक सब्सिडी, कम दरों पर सिंचाई सुविधा आदि निर्णय राजनीतिक प्रेरित होते हैं।

12 यातायात में भूमिका (Importance in Transport) : दश में रेल व सड़क यातायात विकास में कृषि की कारगर भूमिका है। उद्योगों की तुलना में कृषि का अधिक महत्त्व है। कृषिगत उत्पादन का मण्डिया तक पहुँचाने, कृषिजन्य कच्चे माल को उद्योगों तक पहुँचाने, निर्मित माल को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में यातायात विकास को बल मिलता है। इसके अलावा देश का बैंकिंग कारोबार भी बड़ी सीमा तक कृषि पर निर्भर है।

कृषि की भूमिका में बदलाव के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति कम होती भूमि की उपलब्धता कृषि की मुख्य समस्या है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा घटती जा रही है। नियोजन काल में कृषिगत क्षेत्र में अवश्य प्रगति हुई। भारत के खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़े। किंतु भारतीय कृषि समस्याओं से अछूती नहीं है। आज भी अनेक समस्याएँ मुहबाएँ खड़ी हैं। ग्रामीण परिवेश में गरीबी की समस्या व्याप्त है। किसान सेठ-साहूकारों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। गाँवों में निरक्षरता के कारण परम्परावादी दृष्टिकोण की समस्या विकट है। किसान आय का बड़ा भाग अनुत्पादक कार्यों में खर्च करते हैं। छोटा किसानों की बहुलता है। कृषि जोत का आकार निरन्तर कम होता जा रहा है। कृषि सख्ती का अधिकांश भाग बड़े किसान हड़प जाते हैं। हरित क्रांति का लाभ सीमित क्षेत्र विशेषकर सिंचित भागों को ही मिला। सिंचाई सुविधाओं का निरन्तर अभाव है। कृषि की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण अवसंरचना का विकास आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादयता को दृष्टिगत रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व संबद्ध क्षेत्र परिव्यय वर्तमान स्तर 42 प्रतिशत से दोगुना किया जाना चाहिए।

नियोजन काल में कृषिगत विकास

(Agriculture Development During Plan Period)

भारत में पचास वर्ष के नियोजन काल में आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल, 1997 से मार्च 2002 तक निर्धारित की गई है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर सार्वजनिक परिव्यय में वृद्धि की गई, किंतु आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद कृषि निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई नतीजतन कृषि विकास की तीव्र गति नहीं पकड़ सकी। आर्थिक सुधारों का लाभ शहरों और उद्योगों तक ही सीमित रहा। समूचा ग्रामीण परिवेश आर्थिक उदारीकरण के लाभ से वंचित है। डकल प्रस्तावों को लेकर जरूर गाँवों में हलचल मची। आज नीम, हल्दी, बासमती का पेटेट हो चुका है। भारतीय कृषि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति नहीं है। कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश के तीव्रता से नहीं बढ़ने के कारण कृषि की दशा दयनीय हो गई है। चुनौतियों के बावजूद कृषि विकास की ओर अग्रसर हुई है।

1. कृषि निवेश (Agriculture Investment)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबद्ध विकास शीर्ष परिव्यय 1,0889 करोड़ रुपए था जो कुल योजना परिव्यय का 12.7 प्रतिशत था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल योजना परिव्यय का 14.7 प्रतिशत व्यय किया गया। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र परिव्यय में निरन्तर कमी हुई। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कुल योजना परिव्यय का कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर

व्यय प्रतिशत इस प्रकार रहा—पाचवी पंचवर्षीय योजना 12.3 प्रतिशत, छठी पंचवर्षीय योजना 6.1 प्रतिशत, सातवीं पंचवर्षीय योजना 5.8 प्रतिशत, आठवीं पंचवर्षीय योजना 5.2 प्रतिशत। नौवीं पंचवर्षीय योजना का सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 8 75 000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया इसमें कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र परिव्यय 36 658 करोड़ रुपए रखा गया है जो कुल योजना परिव्यय का केवल 4.2 प्रतिशत है।

कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र सार्वजनिक परिव्यय

(करोड़ रुपए)

योजनाए	योजना परिव्यय	कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र परिव्यय	कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत
तृतीय पंचवर्षीय योजना	8576.4	1088.9	12.7
वार्षिक योजनाए (1966-69)	6625.4	1107.1	16.7
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	15778.8	2320.4	14.7
पाचवी पंचवर्षीय योजना	39426.2	4864.9	12.3
वार्षिक योजना (1979-80)	12176.5	1996.5	16.4
छठी पंचवर्षीय योजना	109291.7	6623.5	6.1
सातवीं पंचवर्षीय योजना	180000.0	10523.6	5.8
वार्षिक योजना (1990-91)	58369.3	3405.4	5.8
(1991-92)	64751.2	3850.5	5.9
आठवीं पंचवर्षीय योजना	434100	22467.2	5.2
नौवीं पंचवर्षीय योजना	875000	36658.0	4.2

स्रोत: इकोनोमिक सर्वे 1998-99 से संकलित, तथ्यभारती मार्च 1998 पृ 18

छठी पंचवर्षीय योजना के बाद कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र परिव्यय में भारी कमी घिताप्रद है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। इसके बावजूद भी कृषि परिव्यय में कमी की गई। गौरतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंशदान 29.4 प्रतिशत है तथा देश की श्रम शक्ति का 64 प्रतिशत कृषि में नियोजित है। देश के कुल निर्यात में भी कृषि का बहुत बड़ा भाग होता है।

साठ के दशक में निर्यात व्यापार में कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र का वर्धन था। बाद के वर्षों में निर्यातित आय में कृषि की भूमिका घटी। इसका बड़ा कारण कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र परिव्यय में भारी कमी है। वर्ष 1960-61 में कुल निर्यात में कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र का भाग 44.25 प्रतिशत था जो घटकर 1980-81 में 30.65

प्रतिशत रह गया। 1993-94 में कुल निर्यात में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भाग और घटकर केवल 18.67 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1997-98 में कुल निर्यात 1,26,286 करोड़ रुपए था जिसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का निर्यात 23,691 करोड़ रुपए था जो कुल निर्यात व्यापार का 18.7 प्रतिशत था।

2. कृषि वृद्धि दर (Agriculture Growth Rate)

भारत में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 37 प्रतिशत भाग सिंचित है। आज भी भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। नतीजतन कृषि वृद्धि दर विश्व के देशों की तुलना में कम है। उर्वरकों की कुल खपत की दृष्टि से हमारा देश अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ तथा चीन से पीछे है। भारत में 1949-50 से वर्ष 1991-92 के बीच कृषि उत्पादन में 2.71 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई। हरित क्रांति के बाद की अवधि में 1967-68 से 1991-92 तक कृषि उत्पादन की वृद्धि दर लगभग 2.84 प्रतिशत वार्षिक रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान कृषि की वार्षिक वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई तथा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर का लक्ष्य 4.5 प्रतिशत रखा गया है।

कृषि वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

योजनाएं	कृषि वृद्धि दर
1991-92	-1.9
1992-93	6.1
1993-94	3.7
1994-95	5.1
1995-96	-3.0
1996-97	7.9
1997-98	-2.0
1998-99	7.4
1999-2000 (प्राविजनल)	-2.2

स्रोत: दी इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 29 मई 1998 तथा इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1999-2000

कृषि उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। गत सात वर्षों में 1991-92 से 1997-98 में कृषि वृद्धि दर का तीन बार ऋणात्मक क्षेत्र चिंताप्रद है। कृषि वृद्धि दर वर्ष 1991-92 में 1.9 प्रतिशत, 1995-96 में 3 प्रतिशत तथा 1997-98 में 2.0 प्रतिशत ऋणात्मक थी। वर्ष 1997-98 में कृषि वृद्धि दर के ऋणात्मक होने का आर्थिक वृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1996-97 में कृषि वृद्धि दर में 7.9

प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इससे पूर्व कृषि वृद्धि दर 1992-93 में 6.2 प्रतिशत 1993-94 में 3.7 प्रतिशत तथा 1994-95 में 5.1 प्रतिशत थी। कृषि वृद्धि दर 1997-98 में कृषि उत्पादन के सूचकांक के आधार पर ऋणात्मक 3.7 प्रतिशत थी।

खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

(मिलियन टन)

फसले	1995 96	1996 97	1997 98		1999 2000 (अनुमानित)
			लक्ष्य	उत्पादन	
					1996 97 की तुलना में % वृद्धि/कमी
चावल	77.0	81.3	83.0	83.5	2.7
गेहूँ	62.1	69.3	68.5	66.4	-4.2
मोटा अनाज	29.0	34.3	33.5	31.1	-9.2
दालें	12.3	14.5	15.0	13.1	-9.6
खाद्यान्न	180.4	199.3	200.0	194.1	2.6
खरीफ	95.1	104.4	105.5	103.7	-0.7
रबी	85.3	94.9	94.5	90.4	-4.7
तिलहन	21.1	25.0	25.5	23.7	-5.2
गन्ना	281.1	277.3	280.0	260.2	6.2
घपारा (मिलियन गांठे)					
गांठे	12.9	14.3	14.8	11.4	20.3
जूट और केरला (मिलियन गांठे)	8.8	11.0	9.8	9.8	-10.9

सात इकोनॉमिक सर्वे 1998 99 1999 2000 प्रतिशत निकाले गये हैं।

3. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production)

नब्बे के दशक के दौरान 1996-97 को छोड़कर खाद्यान्न उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत रही जो अरसी के दशक की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना में कम है। 1996-97 में खाद्यान्न उत्पादन 199.3 मिलियन टन था। जिससे कृषि उत्पादन की समग्र वृद्धि 9.3 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गयी थी।

वर्ष 1997-98 में खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन 194.1 मिलियन टन था जो 1996-97 के 199.3 मिलियन टन की तुलना में 2.6 प्रतिशत कम है। वर्ष 1997-98 में चावल का उत्पादन 83.5 मिलियन टन, गेहूँ का उत्पादन 66.4 मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन 31.1 मिलियन टन तथा दालों का उत्पादन 13.1 मिलियन टन था। गेहूँ, मोटा अनाज तथा दालों के उत्पादन में

क्रमशः 42 प्रतिशत, 92 प्रतिशत तथा 96 प्रतिशत कमी हुई। खाद्यान्न फसलों में केवल चावल के उत्पादन में ही 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि की उन्नति में बाधा का एक प्रमुख कारण रबी की फसल के दौरान प्रचण्ड मौसम के कारण गेहूँ की बुआई में विलम्ब था।

4. वाणिज्यिक फसलें (Commercial Crops)

वाणिज्यिक फसलों में वर्ष 1997-98 में तिलहन, गन्ना और कपास के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 5.2 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत तथा 20.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। तिलहन का उत्पादन 1997-98 में 23.7 मिलियन टन अनुमानित है जो 1998-99 के 24 मिलियन टन की तुलना में कम है यद्यपि यह 1995-96 के 21.1 मिलियन टन की तुलना में अधिक था। वर्ष 1997-98 में गन्ना उत्पादन 260.2 मिलियन टन तथा कपास का उत्पादन 11.4 मिलियन गांठे तथा जूट और मेस्ता उत्पादन 9.9 मिलियन गांठे अनुमानित है। वर्ष 1997-98 में बगीचा फसलें यथा चाय, काफी, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

केन्द्र सरकार ने 1997-98 में गेहूँ उत्पादन में हुई कमी के कारण वित्तीय वर्ष 1998-99 में गेहूँ का आयात करने का निर्णय किया है। वर्ष 1998-99 में राज्य व्यापार निगम द्वारा आस्ट्रेलिया से 21.4 मिलियन डालर अनुमानित कीमत से 15 लाख टन गेहूँ का आयात किया। गेहूँ के आयात से किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे। इससे देश में गेहूँ की कमी की पूर्ति हो सकेगी। किसान अपना गेहूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्धारित वसूली मूल्य अथवा खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने 1998-99 में रबी विपणन सत्र में गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 455 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। सरकार ने एक मार्च से 10 जून 1998 तक वसूली सस्थाओं को गेहूँ बेचने पर 55 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की। सत्र में गेहूँ की वसूली अच्छी रही।

5. खाद्यान्न उपलब्धता (Foodgrain Availability)

भारत में खाद्यान्न का उत्पादन घटने तथा जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता घटी है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता 1993 में 169.4 किलोग्राम प्रतिवर्ष थी जो 1994 और 1995 में बढ़कर क्रमशः 172.0 किलोग्राम, 185.3 किलोग्राम प्रतिवर्ष रह गई। वर्ष 1996 में खाद्यान्न की उपलब्धता 181.3 किलोग्राम प्रतिवर्ष थी जो गत वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम थी।

एक सौ करोड़ की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना कृषि की बड़ी जिम्मेदारी है। अस्सी के दशक में खाद्यान्न वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में अधिक थी। किंतु नब्बे के दशक में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम है। 1991-92 से 1997-98 के बीच कृषि वृद्धि दर के तीन बार ऋणात्मक

होने के कारण देश का खाद्यान्न का अभाव का सामना करना पड़ सकता है। कृषि प्रधान राष्ट्र में खाद्यान्न का अभाव और निर्यात में खाद्यान्न की नगण्य भूमिका चिंताप्रद बात है। योजना आयोग ने 1998-99 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 21 करोड़ टन निर्धारित किया था। जिसमें से गेहूँ 740 लाख टन, चावल 860 लाख टन, मोटे अनाज 345 लाख टन व दालें 155 लाख टन शामिल हैं। खाद्यान्न उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य महत्वाकांक्षी है जिसे अर्जित करने के लिए पुरजोर प्रयास करने होंगे। वर्ष 1997-98 में चावल को छोड़कर शेष खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण

(Causes of Backwardness of Indian Agriculture)

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी कृषि विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। किसान की माली हालात में भी विशेष बदलाव नहीं आया। भारत प्रति हैक्टेयर कृषिगत उत्पादन और ग्रामीण अवसरचना की दृष्टि से विश्व के अनेक देशों की तुलना में पीछे है। गावों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पेयजल सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीणजन प्रदूषित पानी पीने के लिए अभिशप्त हैं। बहुतेरे गाव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। चिकित्सा सुविधाओं का नितांत अभाव है। ग्रामीण परिवेश में निरक्षरता आज भी अभिशाप है। गावों की दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ बनीं। ग्रामीण विकास और गरीबी अन्मूलन के लिए भारी-भरकम पूँजी का प्रावधान किया गया। योजनाएँ कागजों तक ही सिमट कर रह गईं। योजनाओं के लिए आवंटित राशि खर्च मद्द में दिखा दी गई। पचास सालों में भी गाव और किसान की दशा सुधर नहीं सकी।

भारत में कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं जिन्हें सुविधा की दृष्टि से प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सस्वागत आदि शीर्षक में बाटा जा सकता है। कृषि के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं—

(अ) प्राकृतिक कारण (Natural Causes)

1. मानसून पर निर्भरता (Dependence on Monsoon) — भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा में खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में कृषिगत उत्पादन कम होने से आर्थिक विकास की दर घट जाती है। नब्बे के दशक में मानसून का अच्छा होने के कारण आर्थिक वृद्धि दर सतौषप्रद रही। भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के संबंध में डा. मोल्स ने कहा "भारत में मानसून न आए तो कृषि उद्योग में तालाबन्दी हो जाए।"

2. टिड्डियों का आक्रमण (Attack of Grasshoppers) • भारत के कुछ क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में टिड्डियों के आक्रमण के कारण कृषि

उत्पादन का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। देश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में टिड्डी आक्रमण की समस्या विषम है।

3. भू कटाव की समस्या (Problem of Land-slide) : भारत में भू-सरक्षण कार्यों के अभाव में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग बेकार हो जाता है। भूमि कटाव के कारण कृषि उत्पादकता भी कम हो जाती है। भारत में लगभग 20 करोड़ एकड़ क्षेत्र भू-कटाव से ग्रसित है।

4. प्राकृतिक प्रकोप (Natural Calamity) - भारतीय कृषि अकाल, बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की समस्या से ग्रसित है। देश में फसले अनेक बार बाढ़ से नष्ट हो जाती है तो कई बार वर्षा के अभाव में फसले सूख जाती है।

5. सीमित कृषि क्षेत्र (Limited Agricultural Sphere) : भारत में कृषि योग्य भूमि सीमित है। जनाधिक्य के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1981-91 में 2.14 प्रतिशत थी। योजना आयोग के आकलन के अनुसार भारत की जनसंख्या 1996-97 में 93.8 करोड़ थी। वर्तमान में जनसंख्या एक अरब से अधिक है। भारत में कृषि योग्य भूमि 14 करोड़ 10 लाख हैक्टेयर पर स्थिर बनी हुई है।

6. कृषि रोग (Agriculture Diseases) : भारत में फसले बड़े पैमाने पर कृषि रोगों से नष्ट हो जाती हैं। अनेक बार तो सम्पूर्ण फसले रोगों से नष्ट हो जाती है। पौधों की बीमारियों तथा कीड़े-मकोड़े से भी कृषि उत्पादन में क्षति होती है। किसान निर्धनता और अज्ञानता के कारण कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाता है।

(ब) आर्थिक कारण (Economic Causes)

1. कम पूंजी निवेश (Low Capital Investment) - पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में कम पूंजी निवेश किया गया। आर्थिक उदारीकरण में विकास क्षेत्र में सरकार की भूमिका घटने के कारण कृषि निवेश और कम हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय का 12.7 प्रतिशत कृषि और सबद्ध क्षेत्र पर व्यय किया जो घटकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 5.2 प्रतिशत रह गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि व सबद्ध क्षेत्र परिव्यय पर 36,658 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है जो नौवीं योजना परिव्यय 8,75,000 करोड़ रुपए का केवल 4.2 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश उत्तरोत्तर घटने के कारण कृषि विकास गति नहीं पकड़ सका। कृषि निवेश घटने के कारण कृषि वृद्धि दर भी घटी। कृषि वृद्धि दर 1995-96 में ऋणात्मक 3 प्रतिशत तथा 1997-98 में भी ऋणात्मक 2 प्रतिशत रही जो भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए चिन्ताप्रद बात है।

2. साख सुविधाओं का अभाव (Lack of Credit Facilities) : देश के ग्रामीण परिवेश में लम्बे समय तक साख सुविधाओं का अभाव रहा। किसानों की

साख सुविधाओं की पूर्ति वास्ते आज भी बड़ी सीमा तक सेट-साहूकारों पर निर्भरता बनी हुयी है। सेट-साहूकार गरीब किसानों की दायीय स्थिति का लाभ उठाते हैं। वे किसानों से अधिक ब्याज वसूली के अलावा उका मनमाफिक शोषण भी करते हैं। तत्कालीन सरकार ने गरीब किसानों के दस हजार रुपए तक के ऋण माफ करके वाह-वाही लूटी किन्तु इस निर्णय से बैंकों की स्थिति बिगडी। भारत के निरक्षर किसानों को बैंकों की पैचीदगी ऋण प्रणाली से असुविधा होती है। वह ऋण लेने में विचौलिए के चाखर में फस जाता है। हाल के वर्षों में बैंकों में भी भ्रष्टाचार उठा है। ऋणों की स्वीकृति में शिथिलता ली जाने लगी है। दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का तितान्त अभाव है। गरीबी के कारण किसान इस स्थिति में नहीं हैं कि वे बुआई के समय स्वयं के ससाधनों से बीज व खाद खरीद सकें। सिंचाई के लिए भी किसानों को अधिक वित्त की आवश्यकता होती है मजबूरन किसान प्रभावी लागों के चगुल में फस जाता है।

3 अनुत्पादक व्यय (Unproductive Expenditure) बहुसंख्यक किसानों की माली हालत दायीय है। गरीबी मनुष्य का बड़ा दुख है। भारत के किसान गरीबी की समस्या से ग्रसित तो हैं ही इसके अलावा वह रुढ़िवादिता से भी घिरा हुआ है। कम आय के बावजूद किसानों और गरीबों को कर्ज लेकर सामाजिक रीति-रिवाजों पर व्यय करना पडता है। इनके अभाव में समाज उन्हें जीने नहीं देता है। कर्ज की बड़ी राशि अनुत्पादक व्ययों में खर्च हो जाती है। कर्ज राशि का कृषि में निवेश नहीं हो पाता इसके भयकर परिणाम किसान को भुगतने पडते हैं। अनुत्पादक व्ययों की दाहरी मार किसानों पर पडती है एक तो इस व्यय से आय प्राप्ति नहीं होती दूसरी ओर उसकी कृषि पिछड जाती है। नतीजतन किसान कर्ज में डूब जाता है।

4 मूल्य वृद्धि का कम लाभ (Less Profit Due to Price Increase) हाल के वर्षों में कृषिगत उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, किन्तु बड़ी हुई कीमतों का लाभ किसानों को नहीं मिला। बड़ी हुई कीमतों का लाभ दलाल, विचौलिए आदि हडप जाते हैं। किसान गरीबी के कारण बड़ी हुई कीमतों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। किसानों के कर्ज में डूबे होने के कारण उसकी उपज का अधिकांश भाग बलिहान से ही सेट-साहूकार उठा ले जाते हैं फिर किसान का परिवार अपेक्षाकृत उडा होता है। वर्ष भर खाने के लिए अधिक अनाज की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो कुछ फसल बचती है उसे धन की महती और शीघ्र आवश्यकता होने के कारण बाजार में बेचना पडती है। उसके पास राग्रहण क्षमता का अभाव होता है किसान के पास बेचने योग्य उपज कम होगी तथा कृषि उपज मण्डियों के दूर होने के कारण वह सस्ते दामों पर उपज को बेच देता है। कृषि उत्पादों की बड़ी हुई कीमतों से उल्टा किसानों का शोषण होता है। वर्ष 1998 में (अक्टूबर-नवम्बर) आलू-प्याज की कीमतें बेतहाशा बडी। क्या बडी हुई कीमतों का लाभ किसानों को मिला। बडी हुई कीमतों के कारण किसान आलू

प्याज खाने तक के लिए तरस गया। प्याज के बीज की कीमते भी तीव्रता से बढ़ी। नतीजतन किसान बुआई के लिए बीज नहीं खरीद सके। बड़ी हुई कीमतों का लाभ तो बिचौलिए ले उड़े, किसान तो ताकता रह गया। सरकार कालाबाजारी को रोकने में सफल नहीं हो सकी।

5. यंत्रीकरण का अभाव (Lack of Mechanisation) : भारत गावों का देश है। गावों के लोग अधिकतर निरक्षर हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। गावों में साख सुविधाओं का अभाव है। सरकार ने कृषि विकास की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। कृषि प्रधान देश में कृषि नीति की घोषणा वर्ष 1999 तक नहीं की गई। कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत में बड़े पैमाने पर खेती पशुओं से की जाती है। भारतीय कृषि में यंत्रीकरण का अभाव है। समय पर और उचित तरीके से जमीन तैयार करने, फसल की कटाई के बाद के कार्यों तथा एक साथ कई फसलें प्राप्त करके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में कृषि सबधी यंत्र और मशीनें बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हाल ही के वर्षों में खेतीबाड़ी में कृषि सबधी यंत्रों तथा उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा है, लेकिन यह स्थिति आम तौर पर उत्तर प्रदेश में और सिंचाई की सुविधा वाले कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। जहां तक ट्रैक्टरों का सवाल है 1992-93 में 1,44,330 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुल संख्या के 70 प्रतिशत ट्रैक्टर बिके। इसी प्रकार 1992-93 में 8,642 पावर टिलर बेचे गये जिनमें से 81 प्रतिशत असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में बिके। वर्तमान में भारत में 12 लाख से अधिक कुल ट्रैक्टर हैं और पावर टिलर भी 53,000 से अधिक हैं। फिर भी कृषि-यंत्रों की दृष्टि से भारत कई एशियाई देशों से भी पीछे है।

6. सिंचाई के साधनों का अभाव (Lack of Irrigation Resources) : सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई दशा में है। आजादी के पांच दशक बाद भी किसान सिंचाई के लिए बादलों की ओर देखने को मजबूर हैं। देश के समग्र सिंचित क्षेत्र का अभाव है। समग्र सिंचित क्षेत्र 1991-92 में 76 करोड़ हैक्टेयर तथा 1996-97 में 89 करोड़ हैक्टेयर था। समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना में समग्र सिंचित क्षेत्र भी कम है। समग्र बुआई क्षेत्र 1996-97 में 191 करोड़ हैक्टेयर था। समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना में समग्र सिंचित क्षेत्र 1991-92 में 415 प्रतिशत तथा 1996-97 में 469 प्रतिशत था। देश के जल ससाधनों का विकास और समुचित उपयोग महत्त्वपूर्ण है। अक्टूबर 1985 में सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल ससाधन मंत्रालय रखा गया तथा सितम्बर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनायी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 32,5253 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया इसके बावजूद सिंचाई क्षमता का अपेक्षित विकास नहीं हुआ और जो कुछ सिंचाई क्षमता का विकास हुआ उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सका नतीजतन कृषि की दशा में उल्लेखनीय

सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। योजना पूर्व (1951 तक) सिचाई क्षमता 226 लाख हैक्टेयर वार्षिक थी जो बढ़कर 1992-93 तक 835 लाख हैक्टेयर वार्षिक ही हो सकी। वर्ष 1992-93 तक सिचाई क्षमता का उपयोग 751 लाख हैक्टेयर था। स्पष्ट है कि 10 प्रतिशत सिचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। देश में वैस ही सिचाई सुविधाओं का अभाव है ऐसी स्थिति उपलब्ध सिचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जाना चिन्ताप्रद बात है।

7 रासायनिक खाद की कमी (Lack of Chemical Manure) : भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए खाद आवश्यक है। भारत में खाद का नितान्त अभाव है। परम्परागत खाद जैसे गोबर को जलाकर राख कर दिया जाता है। रासायनिक खाद का उत्पादन माग की तुलना में बहुत कम है। देश में बुआई के समय रासायनिक खाद की किल्लत रहती है। बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी होती है। किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ता है। राजस्थान में अक्टूबर नवम्बर 1998 में रबी फसल बुआई के समय रासायनिक उर्वरकों का अभाव और उसकी कालाबाजारी के कारण किसानों में आक्रोश था। इसका प्रभाव 25 नवम्बर 1998 के राज्य के विधानसभा चुनाव पर पड़ा। वर्ष 1990-91 में उर्वरक उत्पादन 9,045 हजार टन, उर्वरक आयात 2,758 करोड़ रुपए तथा उर्वरक सस्तिडी 4,389 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1995-96 में उर्वरक उत्पादन 11,335 हजार टन, उर्वरक आयात 1,935 करोड़ रुपए तथा उर्वरक सस्तिडी 6,235 करोड़ रुपए थी। रासायनिक खाद का उपयोग 1990-91 में 125 मिलियन टन तथा 1995-96 में 139 मिलियन टन था। भारत की तुलना में प्रति एकड़ रासायनिक खादों का उपयोग इंग्लैण्ड, जापान, जर्मनी, बैल्जियम, नीदरलैण्ड आदि देशों में कई गुना अधिक होता है।

भारत में रासायनिक उर्वरकों की कमी के साथ उत्तम बीजों व कीटाणुनाशक औषधियों का भी अभाव है। यद्यपि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत काफी पहले की जा चुकी है, किन्तु इसका लाभ सीमित क्षेत्र को ही प्राप्त हो सका है। उत्तम बीजों की उपलब्धि और पौध संरक्षण औषधियाँ सामान्य किसान की पहुँच से बाहर है।

(रा) सबद्ध सगठनात्मक कारण (Constitutional Factors)

1 दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था (Defective Land System) स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की भूमि व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अंग्रेजों के शासनकाल में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के कारण भारत की कृषि पिछड़ गई। जागीरदारों तथा जमींदारों ने भारत के किसानों का मनमाफिक शोषण करके उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि दशका तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सका। स्वतन्त्र भारत में अब जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है किन्तु इसका परीक्ष प्रभाव आज भी दृष्टिगोचर होता है।

2. भूमि सुधारों की धीमी गति (Slow Progress of Land Reforms) भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों को गति नहीं मिल सकी। आज भी देश में भूमिहीन किसानों की बहुलता है। कुछ कृषक परिवारों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भूमि की असमानता कृषि विकास में बाधा है। कानूनों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों को गति नहीं मिली।

3 भूमि का उपविभाजन (Sub-Division of Land) भूमि का उपखण्डन और उपविभाजन कृषि विकास में बाधक है। भारत के खेत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए हैं और विभाजन का क्रम जारी है। खेतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में श्रम व पूँजी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। भारत में वर्ष 1980-81 में कुल जोतों में 56.5 प्रतिशत सीमांत जोतों (एक हैक्टेयर से कम) का, 18 प्रतिशत लघु जोतों (एक से 2 हैक्टेयर तक) का, 14 प्रतिशत अर्द्ध मध्यम जोतों (2 से 4 हैक्टेयर तक) का, 9.1 प्रतिशत मध्यम जोतों (4 से 10 हैक्टेयर तक का तथा 2.4 प्रतिशत बड़ी जोतों (10 हेक्टेयर व अधिक) का है। भूमि के उप विभाजन और उपखण्डन की बुराई को चकबन्दी के माध्यम से रोका जाना चाहिए।

4 कृषि विशेषज्ञों का अभाव (Lack of Agricultural Specialists) . विगत वर्षों में देश में कृषि विशेषज्ञों व प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु कृषि अनुसंधान सुविधाएँ समूची कृषि अर्थव्यवस्था को देखते हुए बहुत कम हैं। देश में आज भी कृषि विश्वविद्यालयों का अभाव है। भारत में कृषिगत शोध व अनुसंधान विकसित देशों की तुलना में नगण्य है।

(द) सामाजिक और राजनीतिक कारण (Social and Political Causes)

1. सामाजिक कुुरीतियाँ (Social Evils) . भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या निरक्षर होने के कारण रुढ़िवादिता में डूबी हुई है। देश के किसान भाग्यवादिता और परम्परागत दृष्टिकोण के कारण खेती के आधुनिकतम तरीकों को नहीं अपनाते हैं। अधिकतर किसान रीति-रिवाजों को निभाने में वित्तीय कठिनाईयों का शिकार हो जाते हैं। किसान कृषि विकास पर पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं।

2 कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता भार (Increased Load of Population on Agriculture) . भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुँच चुका है। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है। अधिकांश जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पाँच दशक के पश्चात भी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र की अधिक भागीदारी है। प्रोफेसर रमेल के अनुसार भारत में प्रति सौ एकड़ भूमि पर 148 व्यक्ति आश्रित हैं जबकि पोलैण्ड में 31 व्यक्ति तथा ब्रिटेन में 6 व्यक्ति ही आश्रित हैं।

3 राजनीतिक कारण (Political Factors) राजनीति भी कृषि के पिछड़पन का कारण है। भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करना राज्य सरकारों का काम है। कृषि विकास संबंधी निर्णय राजनीति से ओत-प्रोत होते हैं।

कृषि विकास के पिछड़ेपन में उपर्युक्त कारणों के अलावा निम्न उत्पादकता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अपर्याप्त परिवहन साधन, भण्डारण क्षमता का अभाव, निरक्षरता, ग्रामीण परिवेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव, मूल्यों में उच्चावचन आदि कारण भी कृषि विकास में बाधक हैं।

भारत में कृषि की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण अवसरचना का विकास आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अधिक पूजी निवेश की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र परिव्यय वर्तमान स्तर (4.2%) से दो गुना किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

- 1 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994 पृ 368
- 2 टाइम्स ऑफ इण्डिया, 12 मार्च 1997
- 3 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय कृषि की विशेषताएँ बताइए
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को संक्षेप में समझाइए।
- 3 भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के चार प्रमुख कारण बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न -

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को लिखना है।)
- 2 नियोजन काल में कृषिगत विकास की व्याख्या कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषिगत विकास को लिखना है।)
- 3 भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों पर प्रकाश डालिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए कृषि के पिछड़ेपन के कारणों को लिखना है।)

नवीन कृषि व्यूहरचना अथवा हरित-क्रान्ति (New Agriculture Strategy or Green Revolution)

आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय किसान की माली हालात दयनीय थी। गुलामी के दिनों में विदेशी आतताइयों ने कृषि की दशा और दिशा सुधारने के प्रयास नहीं किए। स्वतंत्रता के समय अनेक समस्याएँ विरासत में मिलीं, जिनमें कृषि का पिछड़ापन प्रमुख समस्या थी। बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर थी और गाँवों में निवास करती थी। समूचा ग्रामीण परिवेश ऋणग्रस्तता में डूबा हुआ था। कृषि की प्रति हैक्टियर उत्पादकता काफी कम थी। खेतों का उत्पाद किसानों के लिए वर्षपर्यन्त दो जून रोटी के लिए पर्याप्त नहीं था। अनेक बार तो समूचे उत्पाद को खलिहान से ही सेठ साहूकार उठा ले जाते और किसान तथा उसका परिवार ताकते रह जाते। किसान इस स्थिति में नहीं थे कि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। उनके खेत गिरवी रखे हुए थे। किसान खेतों पर बधुआ मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर थे।

स्वातन्त्र्योत्तर सत्ता भारतीयों के हाथ में थी फिर भी कृषि की सुध नहीं ली गई। तत्कालीन सरकार को औद्योगीकरण की सूझी। कृषि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को ताक में रखकर पहली मर्तबा 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा कर औद्योगिक विकास की आधारशिला रखी गई। कृषि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया।

आर्थिक विकास के लिए वर्ष 1951 से नियोजित विकास का मार्ग चुना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में जो कृषिगत लक्ष्य रखे गए उनकी प्राप्ति की बात याचना की समाप्ति पर जोर-शोर से कही गई। दूसरी योजना में कृषिगत विकास की तुलना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई।

के सात जिला यथा साहबावाद (बिहार), पश्चिमी गोदावरी (आन्ध्रप्रदेश) तेजापुर (तमिलनाडु), लुधियाना (पंजाब), रामपुर (मध्य प्रदेश), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), पाली (राजस्थान) में गहन कृषि जिला कार्यक्रम लागू किया। इन सभी जिलों में बाढ़ व सूखे की समस्याएँ कम थी तथा सिंचाई सुविधाएँ पर्याप्त थीं। अक्टूबर 1965 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम को देश के 114 जिले तक व्यापक कर दिया गया। भारत में हरित क्रान्ति की शुरुआत का श्रेय प्रोफेसर नार्मन बोरलॉग को जाता है। भारत सरकार ने 1966 से अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि की नवीन व्यूह रचना में कृषि पद्धतों के समन्वित उपयोग से वैज्ञानिक कृषि द्वारा कम समय में अधिक कृषिगत उत्पादन करना तथा कृषि उत्पादों की मांग व पूर्ति के अन्तराल को पाटना है। कृषि की नवीन व्यूहरचना के मुख्य तत्त्व निम्नांकित हैं

1 उन्नत बीजों का प्रयोग (High Yield Variety Programme, HYVP) भारत में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम 1966-67 में शुरू किया गया था। हमारी कृषि नीति का यह महत्वपूर्ण आधार है। अधिक उपज देने वाले बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत नई परियोजनाएँ जैसे विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूँ, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का बाजरा, समन्वित धान विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन विशेष कार्यक्रमों का उद्देश्य पैदावार बढ़ाने की आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है। मिनीकट प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य फसलों की नई किस्मों को लोकप्रिय बनाना तथा खेतों में उगाने के लिए परीक्षण करना है। इसके लिए 0.25 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक के बीजों के मिनीकट किसानों को मामूली कीमत पर दिए जाते हैं।

भारत में उन्नतशील बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 1966-67 में 189 लाख हेक्टेयर था जो बढ़कर 1986-87 में 561.8 लाख हेक्टेयर, 1990-91 में और बढ़कर 639 लाख हेक्टेयर हो गया। उन्नतशील बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 1991-92 में 647.24 लाख हेक्टेयर था।

बीज खेतीवादी के लिए बुनियादी वस्तु है और पैदावार बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने में बीजों के महत्व को समझते हुए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम और 1969 में भारतीय राज्य फार्म निगम की स्थापना की। राष्ट्रीय बीज निगम बीज उत्पादकों से ठेके पर आधारित बीज और प्रमाणित बीज का उत्पादन करता है और उसकी विक्री की व्यवस्था करता है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1990-91 में 2,14,980 क्विन्टल तथा 1991-92 में 2,96,981 क्विन्टल बीज का उत्पादन किया।

प्रमाणित और क्वालिटी बीजों का वितरण 1985-86 में 55.1 लाख क्विन्टल था जो बढ़कर 1990-91 में 34.41 लाख क्विन्टल तथा 1995-96 में और

बढ़कर 699 लाख क्विन्टल हो गया। वर्ष 1998-99 में 83 लाख क्विन्टल प्रमाणित और क्वालिटी बीजों के वितरण का लक्ष्य था।

2 उर्वरकों का उपयोग (Use of Fertilizers) - कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक महत्त्वपूर्ण है। भारत में कृषि उत्पादन में 70 प्रतिशत वृद्धि उर्वरकों के उपयोग से ही संभव हो पाई है। हरित क्रान्ति में उर्वरकों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि पर बल दिया गया। उर्वरकों की कुल खपत 1960-61 में 02 मिलियन टन थी जो बढ़कर 1990-91 में 125 मिलियन टन तथा 1995-96 में और बढ़कर 139 मिलियन टन हो गई। उर्वरकों की खपत 1997-98 में 162 मिलियन टन तक जा पहुंची।

भारत में उर्वरक खपत

(मिलियन टन)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)	पोटाश (के)	कुल (एन पी क)
1960-61	02	--	--	02
1970-71	15	05	02	22
1980-81	37	12	06	55
1990-91	80	32	13	125
1991-92	80	33	14	127
1992-93	84	29	09	122
1993-94	88	27	09	124
1994-95	95	29	11	136
1995-96	98	29	12	139
1996-97	103	30	10	143
1997-98	109	39	14	162
1998-99	123	44	15	182
1999-2000 (अनुमानित)	124	49	18	191

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99 तथा 1999-2000

उर्वरकों के उपयोग का आदर्श अनुपात 4 2 1 है। किन्तु 1995-96 में नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश उपयोग अनुपात 85 25 1 रहा। भारत में नाइट्रोजन का उपयोग तुलनात्मक रूप से अधिक है। जिसका प्रभाव उर्वरकों की कीमतों पर भी पड़ता है। अगस्त 1992 में फास्फेट और पोटाश उर्वरक (डी ए पी, एम ओ पी काम्प्लेक्स ग्रेड उर्वरक सहित) को नियंत्रण मुक्त किया गया था। केवल यूरिया (नाइट्रोजन उर्वरक) मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत है इसकी कीमत को नियंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 1992 में उर्वरकों

को नियंत्रण मुक्त करने से फास्फेट और पोटैश की कीमतें तेजी से बढ़ीं।

भारत में उर्वरकों का उत्पादन आवश्यकता से कम है। उर्वरकों की मांग और पूर्ति के अन्तराल को पाटने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जाता है। उर्वरकों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने वारंसे भारत सरकार आयातित और घरेलू उर्वरक पर सब्सिडी देती है। वर्ष 1995-96 में उर्वरक उत्पादन 11,335 हजार टन था जिसमें नाइट्रोजन 8,777 हजार टन तथा फास्फेट 2,558 हजार टन था। पोटैश का उत्पादन नहीं था। वर्ष 1995-96 में उर्वरक आयात 3955 हजार टन था। विगत वर्षों में उर्वरक सब्सिडी तीव्रता से बढ़ी। वर्ष 1992-93 में उर्वरक सब्सिडी 5,796 करोड़ रुपये थी। फास्फेट और पोटैश उर्वरक को नियंत्रण मुक्त करने के बाद उर्वरक सब्सिडी कम हुई। वर्ष 1993-94 में उर्वरक सब्सिडी 4,400 करोड़ रुपये थी। बाद के वर्षों में उर्वरक सब्सिडी फिर बढ़ी। वर्ष 1995-96 में उर्वरक सब्सिडी 6,235 करोड़ रुपये हो गई इसमें आयातित उर्वरक सब्सिडी 1,935 करोड़ रुपये तथा घरेलू उर्वरक सब्सिडी 4,300 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार ने दिसम्बर 1998 में उर्वरक सब्सिडी में और बढ़ोतरी की। उर्वरक सब्सिडी 1998-99 में 9,983 करोड़ रुपये (वजट अनुमान) तक जा पहुंची।

उर्वरक उत्पादन, आयात और सब्सिडी (हजार टन)

वर्ष	उत्पादन	आयात	सब्सिडी (करोड़ रुपये)
1988-89	8964	1608	3201
1990-91	9045	2758	4389
1991-92	9863	2769	4800
1992-93	9736	2988	5796
1993-94	9047	3166	4400
1994-95	10438	2965	5241
1995-96	11335	3955	6235
1996-97	11155	1975	6093
1997-98	13062	3174	10026
1998-99 (ब अ)	13424	2165*	9983
1999-2000 (ब अ)	14412	3094**	13250

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, पृ स 121

* नवम्बर 1998 तक, ** अक्टूबर 1999 तक

3 सिंचाई सुविधा (Irrigation Facility) - हरित क्रांति में सिंचाई सुविधा के विकास पर विशेष बल दिया गया। भारत में सिंचाई के लिए बड़ी, मध्यम व लघु

नवीन कृषि व्यूह रचना अथवा हरित क्रान्ति

सिंचाई परियोजनाएँ हैं। नहरो और कुओ द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। हरित क्रान्ति प्रारम्भ किए जाने के बाद भारत में सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है। किन्तु सिंचाई सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

विगत दशको में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सिंचाई स्रोतों में बर्दसाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1950-51 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में नहरो का योग 39.8 प्रतिशत था जो घटकर 1992-93 में 34.1 प्रतिशत रह गया। इस समयावधि में कुओ द्वारा सिंचाई में भारी वृद्धि हुई। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 1950-51 में कुओ का भाग केवल 28.7 प्रतिशत था जो बढ़कर 1992-93 में 53 प्रतिशत हो गया। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में तालाबों की भी भूमिका घटी है।

सिंचाई क्षमता और उसका उपभोग (Irrigation Potential and Its Utilities)

(मिलियन हेक्टेयर)

वर्ष	सिंचाई क्षमता (समस्त योजनाएँ)	उपभोग
1950-51	22.6	22.6
1980-81	58.7	54.1
1990-91	81.0	72.9
1991-92	81.1	72.8
1992-93	83.0	74.5
1993-94	84.9	76.2
1994-95	87.1	77.9
1995-96	89.4	79.9
1996-97	89.4	80.7
1998-99	92.8	83.7

स्रोत सातवीं पञ्चवर्षीय योजना 1998-99 और इकोनोमिक सर्वे 1996-97, 1999-2000

विगत वर्षों में सिंचाई क्षमता में धीमी गति से वृद्धि हुई इसके अलावा उपलब्ध सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। वर्ष 1980-81 में सिंचाई क्षमता 58.7 मिलियन हेक्टेयर और सिंचाई क्षमता उपयोग 54.1 मिलियन हेक्टेयर था। इस प्रकार सिंचाई क्षमता का 92 प्रतिशत ही उपयोग हो सका। वर्ष 1995-96 में सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग में वृद्धि हुई किन्तु क्षमता और उपयोग में अंतराल बना रहा। सिंचाई क्षमता 1995-96 में 89.4 मिलियन हेक्टेयर हो गई किन्तु सिंचाई क्षमता का उपयोग 79.9 मिलियन हेक्टेयर्स था अर्थात् सिंचाई क्षमता का 89 प्रतिशत ही उपयोग हो सका।

सिंचाई सुविधा में लघु सिंचाई परियोजनाओं की अधिक भूमिका है। इसका

कारण लघु सिंचाई परियोजनाओं में कम वित्त की आवश्यकता तथा शीघ्र लाभ मिलना है। वर्ष 1994-95 में कुल सिंचाई क्षमता (Irrigation Potential) 871 मिलियन हेक्टेयर थी इसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं का भाग 54.8 मिलियन हेक्टेयर था जबकि बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का भाग 32.3 मिलियन हेक्टेयर ही था।

भारत में सातवीं योजना के अंत में अर्थात् 1989-90 में सिंचाई का उपयोग 68.6 मिलियन हेक्टेयर था इसमें बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का उपयोग 25.5 मिलियन हेक्टेयर तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का उपयोग 43.1 मिलियन हेक्टेयर था।

वर्ष 1990-92 के दौरान सिंचाई उपयोग में 4.2 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में सिंचाई क्षमता 15.80 मिलियन हेक्टेयर तथा सिंचाई उपयोग 13.61 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी लघु सिंचाई योजनाओं के विकास पर बल दिया गया। आठवीं योजना में लघु सिंचाई क्षमता 10.71 मिलियन हेक्टेयर तथा उपयोग 9.36 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया जबकि बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता 5.09 मिलियन हेक्टेयर तथा उपयोग 4.25 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। आठवीं योजना के अंत में सिंचाई क्षमता 89.44 मिलियन हेक्टेयर तथा उपयोग 80.69 मिलियन हेक्टेयर अन्तर्निहित था।

4 कीटाणुनाशक औषधियाँ और पौध संरक्षण (Pesticides and Plant Protection) - पौध संरक्षण के क्षेत्र में समन्वित महामारी प्रबन्ध और अपेक्षाकृत सुरक्षित कीटनाशकों की उपलब्धि पर ध्यान दिया जा रहा है। जिससे फसल की पैदावार को हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाया जा सके। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों में फलने वाली महामारियों और रोगों पर निगरानी रखने के लिए 1993 में लगभग 7.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नमूना सर्वेक्षण कराया गया तथा महत्वपूर्ण फसलों में महामारी की रोकथाम के लिए 13.46 लाख परजीवी छोड़े गए। जैव नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 3.25 लाख हेक्टेयर है। समन्वित महामारी प्रबन्ध की नीति अपनाने के कारण कपास, घने, गन्ने के पड़रिला कीड़ों के कारण होने वाली हीलिपाथिस बीमारी नियंत्रण में रही। थार मरुस्थल में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर 28 केंद्रों से टिटिडियों पर नजर रखी जाती है।

भारत में कीटाणुनाशक औषधियाँ का उपयोग 1974-75 में 47 हजार टन तथा 1984-85 में 50 हजार टन था। वर्ष 1997-98 में कीटाणुनाशक औषधियाँ का उपयोग 86 हजार टन (अनुमानित) था। पौध संरक्षण कार्यक्रम 1965-66 में 166 लाख हेक्टेयर 1973-74 में 630 लाख हेक्टेयर तथा 1996-97 में 1,350 लाख हेक्टेयर (अनुमानित) क्षेत्र में था।

5 कृषि में यंत्रीकरण (Agricultural Mechanisation) - नवीन कृषि व्यूहरेचना में कृषि में यंत्रीकरण के बढावे को बल दिया गया है। कृषि में यंत्रीकरण के लिए

सभी राज्यों में कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं। कृषि उद्योग निगम किराया क्रय पद्धति के आधार पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 1991-92 में ट्रैक्टरों का उत्पादन 1.52 लाख था जो बढ़कर 1994-95 में 1.64 लाख तथा 1995-96 में और बढ़कर 1.91 लाख (अनुमानित) हो गया। इसी प्रकार पावर टिलर का उत्पादन 1991-92 में 7,580 था जो बढ़कर 1994-95 में 8,334 तथा 1995-96 में और बढ़कर 10,239 हो गया। हरित क्रान्ति के कारण ट्रैक्टरों और पावर टिलरों की बिक्री में भी वृद्धि हुई। ट्रैक्टरों की बिक्री 1991-92 में 1.51 लाख थी जो बढ़कर 1994-95 में 1.65 लाख तथा 1995-96 में और बढ़कर 1.91 लाख हो गई। पावर टिलरों की बिक्री 1991-92 में 7,528 से बढ़कर 1994-95 में 8,376 तथा 1995-96 में 10,048 (अनुमानित) हो गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टरों की पूर्ति में वृद्धि के लिए उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।

6 कृषि वित्त (Agriculture Financing) - भारत में हरित क्रान्ति लागू किये जाने के बाद गरीब किसानों को सेट-साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए कृषि वित्त विकास के प्रयास किए गए। ग्रामीण परिवेश में सहकारी समितियों का विकास किया गया है। व्यापारिक बैंक किसानों को अल्पकालीन ऋण तथा भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण मुहैया कराते हैं। कृषि वित्त के लिए 1982 में शीर्ष सस्था के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (Bank for National Agriculture and Rural Development) की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) ने 1996-97 तक कृषि वित्त वास्ते 47,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा 31,064 करोड़ रुपये वितरित किए।

कृषि सस्थागत साख 1991-92 में 11,202 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1994-95 में 21,424 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1996-97 में कृषि सस्थागत साख 28,817 करोड़ रुपये लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 1994-95 में सहकारी बैंकों द्वारा 11,916 करोड़ रुपये व्यापारिक बैंकों द्वारा 8,256 करोड़ रुपये तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 1,252 करोड़ रुपये कृषि साख मुहैया की गई।

7. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) - गावों में किसानों की मालीहालत खस्ताहाल होने तथा सग्रहण की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण अधिकांश कृषक खेती की पैदावार को बिचौलिए को बेच देते हैं। बिचौलिए द्वारा शोषण के कारण किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हरित क्रान्ति में किसानों को शोषण से बचाने के लिए कृषि विपणन की व्यवस्था की गई है जिससे किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिल सके। कृषि विपणन के लिए नियंत्रित मंडियों की स्थापना, वस्तुओं का प्रमापीकरण और श्रेणीकरण, सहकारी विपणन समितियों का विकास आदि प्रयास किये गए। कृषि विपणन की सहकारी व्यवस्था में जिला व ग्राम स्तर पर सहकारी विपणन समितियां, राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन सघ तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन सघ की स्थापना की गई है। नब्बे के दशक में कृषि विपणन विकास के प्रयास किए गए। वर्ष 1990-91 में कृषि

सामयित बाजार (Agricultural Regulated Markets) 6,640 थे जो बढ़कर 1995-96 में 6,968 हो गए। कृषिगत वस्तुओं के श्रेणी प्रमाणीकरण सख्या 1990-91 में 142 से बढ़कर 1995-96 में 153 हो गई। कृषि अवशीतन केंद्रों की सख्या 1990-91 में 2,930 तथा क्षमता 768 मिलियन टन थी। यह सख्या बढ़कर 1995-96 में 3,253 तथा क्षमता 873 मिलियन टन हो गई।

8. भूमि सुधार कार्यक्रम (Land Reforms) — कृषि और किसानों की दशा सुधारने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। भूमि सुधारों के अन्तर्गत सभी राज्यों में कृषि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी भूमि सुधारों का प्रावधान किया गया। राजकीय प्रयासों के बावजूद भूमि सुधार कार्यक्रमों को अपेक्षित गति नहीं मिली। आज भी किसानों के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है दूसरी ओर खेतिहर और सीमान्त कृषकों की सख्या में विशेष वृद्धि नहीं हो सकी।

7. शुष्क कृषि (Dry Farming) — भारत में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। आज भी कृषि मानसून पर निर्भर है। भारत में 1990-91 में कुल फसल क्षेत्र का केवल 35 प्रतिशत भाग सिंचित था। कुल फसल क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का भाग बढ़कर 1993-94 में 38.7 प्रतिशत ही हो सका। वर्ष 1993-94 में खाद्यान्न सिंचित क्षेत्र 48.2 मिलियन हैक्टेयर था। गौरतलब है लगभग 52 खाद्यान्न फसल क्षेत्र असिंचित है। अतः हरित क्रांति में शुष्क कृषि पर बल दिया गया है। शुष्क कृषि को बढ़ावा देकर भारत भी इजरायल की मरुस्थली खेती की भांति थार मरुस्थल को लहलहाते खेतों में परिवर्तित कर सकता है। शुष्क कृषि पर शोध व अनुसंधान करके शुष्क कृषि के अनुकूल बीजों का उत्पादन किया जा सकता है।

10. बहुफसल कार्यक्रम (Multi-Cropping Programme) — हरित क्रांति में बहु फसल कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। उन्नत तथा विशिष्ट किस्म के बीजों का प्रयोग करके, कम समय में पकने वाली फसलों की खेती करके, कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बहु फसल कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र 1967-68 में केवल 30 लाख हैक्टेयर था जो अब बढ़कर 365 लाख हैक्टेयर से अधिक हो गया है।

11. फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) — किसानों को किसी भी प्रकार से होने वाली हानि से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। फसल बीमा लागू होने से प्राकृतिक आपदाओं यथा अनावृष्टि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से होने वाले हानि की पूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था है।

12. कृषि के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान (Education and Research in the Field of Agriculture) — वर्ष 1973 में कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए

उत्तरदायी है।

13. पशुपालन विकास (Development of Animal Husbandry) – परिवारों की आय बढ़ाने में तथा कमजोर वर्गों, छोटे और सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए उपयोगी रोजगार की व्यवस्था करने में पशुपालन की भूमिका होती है। नेशनल सैम्पल सर्वे सागटन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1972-88 के दौरान पशुधन क्षेत्र में रोजगार में लगभग 4.15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई थी जबकि कृषि क्षेत्र में केवल 1.1 प्रतिशत की हुई थी। पशुधन विकास से मनुष्य के भोजन की पौष्टिकता भी बढ़ती है और दूध, अण्डों और मांस से भोजन अधिक प्रोटीन युक्त हो जाता है। इसलिए नवीन कृषि व्यूहरचना में पशु रोगों की रोकथाम, पशुओं के घारे की व्यवस्था, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, डेयरी उद्योग, नस्ल सुधार आदि पर बल दिया गया है।

नवीन कृषि व्यूह रचना की उपलब्धियाँ
(Achievements of New Agriculture Strategy)

अथवा

हरित क्रान्ति कहा तक हरी है?

(How Green is Green Revolution)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की बहुसंख्यक जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। देश की औद्योगिक प्रगति भी बड़ी सीमा तक कृषि विकास के साथ जुड़ी है क्योंकि अनेक उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की बड़ी भूमिका होने के बावजूद गुलामी के दिनों में विदेशियों ने कृषि विकास के प्रयास नहीं किये नतीजतन कृषि की दशा बिगड़ गई। किसान भी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। उसके जितनी ससाधन सीमित थे। भूमि पर जमींदारों का प्रभाव था। आर्थिक रूप से किसान सेठ-साहूकारों के चंगुल में था। जब देश की रीढ़ ही कमजोर हो तो देश कैसे विकास की गति पकड़ सकता है। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद भी कृषि और ग्रामीण परिवेश की सुध नहीं ली गई। यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर थोड़ा ध्यान अवश्य दिया गया था, किन्तु कृषि की बिगड़ी दशा सुधारने का स्वतन्त्र भारत का यह प्रथम प्रयास अत्यल्प था। भारत के विकास के लिए कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी। भारत में स्वतंत्रता के प्रारम्भिक दो दशक तक कृषि विकास की कारगर नीति नहीं अपनाई गई। कृषि प्रधान देश में लम्बे अरसे तक कृषि की उपेक्षा आश्चर्यजनक थी। भारत विशेषकर ग्रामीण परिवेश के पिछड़ेपन के लिए प्रमुख कारण कृषि की उपेक्षा माना जा सकता है।

भारत कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश और ग्रामीण संरचना का विकास करके आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त कर सकता है। किन्तु कृषि क्षेत्र में उपरिख्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तरोत्तर कम हुआ है और गाँवों में सड़कों, संचार,

चिकित्सा, अशिक्षा आदि की स्थिति शोचनीय है। कृषि विकास का प्रारम्भिक प्रयास वर्ष 1966-67 में किया गया जिसको हरित क्रांति का नाम दिया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत के कदम खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। हरित क्रांति की ही बदौलत भारत आज एक अरब लोगों के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने में समर्थ हो सका है। किन्तु कृषि में विकास की जो संभावनाएँ हैं उनका विदोहन पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। आज कृषि केवल देशवासियों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है उसमें भी कभी-कभी संकट खड़ा हो जाता है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित मजबूती देने में सफल नहीं हो सकी है। भारत की हरित क्रांति की तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तकनीक के मुकाबले हल्की है। भारत में हरित क्रांति को लागू हुए साढ़े तीन दशक से अधिक का समय हो गया है। हरित क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। किन्तु हरित क्रांति का लाभ देश के विकसित क्षेत्रों को ही मिला। हरित क्रांति का लाभ बड़े किसान हड़प गए। गरीब किसान हरित क्रांति का लाभ पाने के लिए आज भी ताक रहे हैं।

भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण रही हैं जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

1. कृषि वृद्धि दर (Agriculture Growth Rate) - हरित क्रांति लागू किये जाने के बाद कृषि विकास की गति मिली है। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में कृषि व सब्जि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में कृषि व सब्जि क्षेत्र के विकास में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त रही। कृषि व सब्जि क्षेत्र वृद्धि दर 1992-93 में 6.1 प्रतिशत, 1993-94 में 3.6 प्रतिशत, 1994-95 में 4.6 प्रतिशत (प्राविजनल), 1995-96 ऋणात्मक 0.1 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) तथा 1996-97 में 3.7 प्रतिशत (अनुमानित) थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा सब्जि क्षेत्र की औसत वार्षिक दर 3.6 प्रतिशत रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि व सब्जि क्षेत्र में विकास तीव्र गति से नहीं हो सका। आठवीं योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि सातवीं योजना से केवल 0.2 प्रतिशत अधिक थी। कृषि उत्पादन वृद्धि दर 1997-98 में ऋणात्मक 6 प्रतिशत तथा 1998-99 में 3.9 प्रतिशत (प्राविजनल) थी।

2. कृषि उत्पादन सूचकांक (Index of Agriculture Production) - कृषिगत उत्पादन (प्रमुख फसलें) का सूचकांक 1993-94 में 157.3 था जो बढ़कर 1994-95 में 165, 1995-96 में 160.7, तथा 1996-97 में 175.4 हो गया। कृषिगत उत्पादन सूचकांक वृद्धि दर 1994-95 में 5.0 प्रतिशत, 1995-96 में ऋणात्मक 2.7 प्रतिशत तथा 1998-99 में 3.9 प्रतिशत (अनुमानित) थी।

3. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production) - खाद्यान्न उत्पादन 1991-92 में 168.4 मिलियन टन था जो बढ़कर 1992-93 में 179.5 मिलियन टन, 1993-94 में 184.3 मिलियन टन, 1994-95 में 191.5 मिलियन टन था। वर्ष 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य (Target) 192 मिलियन टन था जबकि

उत्पादन 1804 मिलियन टन ही हो सका। इसी प्रकार 1996-97 में खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 1915 मिलियन टन रखा गया जबकि उत्पादन 1994 मिलियन टन हुआ। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि 1991-92 में ऋणात्मक 4.5 प्रतिशत, 1992-93 में 6.6 प्रतिशत, 1995-96 में ऋणात्मक 5.8 प्रतिशत तथा 1996-97 में 10.5 प्रतिशत थी। खाद्यान्न उत्पादन में गेहूँ, चावल, मोटा अनाज व दालों के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है।

4. वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (Production of Commercial Crops) – वाणिज्यिक फसलों में गन्ना, तिलहन, जूट का उत्पादन बढ़ा है। गन्ने का उत्पादन 1970-71 में 126.37 मिलियन टन था जो बढ़कर 1980-81 में 154.54 मिलियन टन, 1990-91 में 241.05 मिलियन टन तथा 1998-99 में 289.7 मिलियन टन (प्रायोजनल) हो गया। तिलहन का उत्पादन वर्ष 1990-91 में 18.61 मिलियन टन था जो बढ़कर 1994-95 में 21.34 मिलियन तथा 1998-99 में 24.2 मिलियन टन (अनुमानित) हो गया। जूट का उत्पादन 1970-71 में 6.19 मिलियन गांठे था जो बढ़कर 1980-81 में 8.16 मिलियन गांठे, 1990-91 में 9.23 मिलियन गांठे हो गया। जूट व मेस्ता का उत्पादन 1997-98 में 11.1 मिलियन गांठे तथा 1998-99 में 9.3 मिलियन गांठे (अनुमानित) था। कपास का उत्पादन 1995-96 12.9 मिलियन गांठे तथा 1998-99 में 14 मिलियन गांठे (अनुमानित) था।

5. खाद्यान्न उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर (Annual Growth in Foodgrain Production) – खाद्यान्न उत्पादन की मिश्रित वृद्धि दर 1967-68 से 1995-96 के बीच 2.67 प्रतिशत, 1980-81 से 1995-96 के बीच 2.86 प्रतिशत तथा 1990-91 से 1997-98 के बीच 1.66 प्रतिशत रही। वर्ष 1990-91 से 1997-98 के बीच मिश्रित वृद्धि दर चावल की 1.53 प्रतिशत, गेहूँ की 3.67 प्रतिशत तथा दालों की 0.76 प्रतिशत थी।

खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक वृद्धि

(प्रतिशत)

वर्ष	चावल	गेहूँ	दाले	खाद्यान्न
मिश्रित वृद्धि दर				
1967-68 से 1995-96	2.90	4.72	0.93	2.67
1980-81 से 1995-96	3.35	3.62	1.21	2.86
1990-91 से 1997-98	1.53	3.67	0.76	1.66
1989-90 से 1998-99 (प्रा)	1.60	3.62	-0.48	1.80

स्रोत इकोनोमिक सर्वे, 1996-97, पृ 142, 1998-99, 1999-2000

6. खाद्यान्न निर्यात (Foodgrains Export) – हरित क्रान्ति के कारण खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने से न केवल देश में खाद्यान्न की

मे केवल 22.6 मिलियन हैक्टेयर था जो बढ़कर 1980-81 में 54.1 मिलियन हैक्टेयर, 1990-91 में 72.9 मिलियन हैक्टेयर तथा 1994-95 में और बढ़कर 77.9 मिलियन हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1994-95 में सिंचाई उपयोग बढ़ी व मध्यम परियोजनाओं का 27.6 मिलियन हैक्टेयर तथा लघु परियोजनाओं का 50.2 मिलियन हैक्टेयर था। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

10. उर्वरकों के उपभोग में वृद्धि (Increase in Consumption of Fertilizers) – भारत में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के उपयोग में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। आज भारत के किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का किसान जागरूक हो गया है। रासायनिक, उर्वरकों का उपयोग 1970-71 में केवल 2.2 मिलियन टन था जो बढ़कर 1980-81 में 5.5 मिलियन टन, 1990-91 में 12.5 मिलियन टन तथा 1997-98 में और बढ़कर 16.2 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1997-98 में नाइट्रोजन का उपयोग 10.9 मिलियन टन, फास्फेट का उपयोग 3.9 मिलियन टन तथा पोटैश का उपयोग 1.4 मिलियन टन था।

11. कृषिगत यंत्रीकरण (Agricultural Mechanisation) – हरित क्रांति के कारण देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन और बिक्री में तीव्र वृद्धि हुई है। आज खेती के काम में पशुओं का प्रयोग कम हो गया है। ट्रैक्टरों का उत्पादन 1991-92 में 1.52 लाख था जो बढ़कर 1994-95 में 1.64 लाख हो गया। ट्रैक्टरों की बिक्री 1991-92 में 1.51 लाख से बढ़कर 1994-95 में 1.65 लाख हो गई। वर्ष 1994-95 में पावरटिलर का उत्पादन 8,334 तथा बिक्री 8,376 थी।

12. प्रमाणित बीजों का वितरण (Distribution of Certified Seeds) – हरित क्रांति के दौर में प्रमाणित बीजों के वितरण में वृद्धि हुई है। प्रमाणित बीजों का वितरण 1992-93 में 60.33 लाख क्विंटल था जो बढ़कर 1993-94 में 62.2 लाख क्विंटल, 1994-95 में 65.9 लाख क्विंटल तथा 1997-98 में 75.6 लाख क्विंटल हो गया। प्रमाणित बीजों की वितरण वृद्धि दर 1995-96 में 6 प्रतिशत थी।

13. श्वेत क्रांति की आधारशिला (Basis for White Revolution) – हरित क्रांति के कारण श्वेत क्रांति को भी बल मिला है। भारत के स्वायत्त संस्थान 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' (एन डी डी बी) ने पश्चिम गुजरात के हिरसो में लाखों किसानों और घरवाहों की जिन्दगी बदल दी है। देश के लगभग सभी राज्यों में डेयरियों की स्थापना हो चुकी है। एन डी डी बी से जुड़े लगभग नब्बे लाख किसान और घरवाहे हर रोज एन डी डी बी को तीन-तीन, चार-चार किलो दूध बेचते हैं। भारत की एन डी डी बी बहुराष्ट्रीय कंपनियों यथा ग्लैक्सो, नेस्ले, कंडेबरी से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। भारत में दूध उत्पादन 1950-51 में 17 मिलियन टन था जो बढ़कर 1990-91 में 53.9 मिलियन टन तथा 1996-97 में और बढ़कर 68.3 मिलियन टन प्राविजनल तक पहुँचा। वर्ष 1997-98 में दूध उत्पादन का लक्ष्य 70.5 मिलियन टन था। वर्ष 1994-95 में दूध उत्पादन वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी।

विश्व में 46 मिलियन टन में दूध उत्पादन में भारत का हिस्सा 15 प्रतिशत है। भारत में 2020 तक 22 से 25 करोड़ टन दूध का उत्पादन की संभावना है जो विश्व के अनुमानित दूध उत्पादन 62 से 65 करोड़ टन का एक तिहाई से भी अधिक हिस्सा होगा।

1.4 किराने का व्यावसायिक दृष्टिकोण (Professional View of Farmers) हरित क्रांति के कारण किसानों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। किसान खेती को परिवार के भरण-पोषण के साधन के रूप में नहीं देखता है। आज कृषि किसान के लिए लाभप्रद व्यवसाय है। किसान खाद्यान्न फसलों के रथान पर व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर देता है। ग्रामीण परिवेश में खेती के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

हरित क्रांति की विफलताएँ (Failures of Green Revolution)

हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। हाल के वर्षों में कुछ खाद्यान्न उत्पादों का निर्यात भी होने लगा है। किन्तु हरित क्रांति का अपेक्षित लाभ देशवासियों को नहीं मिला है। आज भी देश के अनेक हिस्से हरित क्रांति के लाभ से वंचित हैं। गरीब किसान कृषि विकास से लाभान्वित नहीं हुआ है। विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत की कृषि आज भी बहुत पीछे है। हरित क्रांति की देशी विफलताएँ अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं -

1. घयनित फसलों का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन (Per Hectare Average Production of Selected Crops) - भारत में हरित क्रांति को लागू किए तीन दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान भारत का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है किन्तु विश्व के देशों से तुलना करने तो भारत अनेक फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पिछड़ा हुआ है। भारत में फसलों का उत्पादन विश्व और एशिया औसत से कम है। भारत फसलों के उत्पादन में जापान के बाद देशों में से भी पीछे है। वर्ष 1995 में भारत में चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 29 क्विंटल था। जबकि विश्व औसत 37 क्विंटल एशिया औसत 38 क्विंटल चीन में 60 क्विंटल तथा जापान में 68 क्विंटल था। गेहूँ का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 25 क्विंटल था जबकि विश्व औसत 25 क्विंटल एशिया औसत 26 क्विंटल चीन में 35 क्विंटल तथा जापान में 36 क्विंटल था। भारत ने हरित क्रांति के कारण गेहूँ के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व और एशिया के औसत उत्पादन की बराबरी कर ली है। किन्तु चावल का उत्पादन विश्व और एशिया के औसत उत्पादन से कम है। गेहूँ का उत्पादन बढ़ने के कारण भारत में हरित क्रांति को गेहूँ क्रांति के नाम से जाना जाने लगा है।

2. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पादन की भागीदारी (Role of Agriculture Production in Gross Domestic Product) - भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी अल्प है जो पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाती है। विश्व के

विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निर्माण क्षेत्र की भूमिका अधिक है। विकासशील देशों में कृषि की भूमिका अधिक है और कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है परिणामस्वरूप मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है। वर्ष 1991 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पादन का योगदान भारत में 31 प्रतिशत, बांग्लादेश में 30 प्रतिशत, केन्या में 29 प्रतिशत, पाकिस्तान में 25 प्रतिशत, जाम्बिया में 34 प्रतिशत था। जबकि मैक्सिको में 8 प्रतिशत ही था।

3. प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन सूचकांक (Per Capita Foodgrains Production Index) — भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन सूचकांक विश्व के अनेक देशों की तुलना में कम है। वर्ष 1978-81 को आधार वर्ष मानते हुए 1991 में भारत में खाद्य उत्पादन सूचकांक 119 था जबकि यह ब्राजील में 132, चीन में 138, इण्डोनेशिया में 135 तथा नेपाल में 127 था।

4. खाद्य आयात निर्भरता दर (Food Import Dependency Rate) — भारत में हरित क्रान्ति लागू होने के बाद भी खाद्य आयात निर्भरता दर अधिक है। वर्ष 1988-90 के दौरान भारत में खाद्य आयात निर्भरता दर 18.4 प्रतिशत थी जबकि यह अर्जेंटीना में 0.4 प्रतिशत, ब्राजील में 3.1 प्रतिशत, चीन में 4.7 प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया में 5.7 प्रतिशत थी।

5. सीमित क्षेत्र (Limited Spheres) — हरित क्रान्ति समूचे देश में लागू नहीं की गई। हरित क्रान्ति का लाभ केवल ऐसे क्षेत्रों को मिला जहाँ सिंचाई सुविधा पर्याप्त मात्रा में है। हरित क्रान्ति का लाभ पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों को ही मिला। पिछड़े हुए क्षेत्र आज भी हरित क्रान्ति के लाभ से वंचित हैं।

6. सीमित फसलें (Limited Crops) — हरित क्रान्ति में कुछ ही फसलों को सम्मिलित किया गया है। हरित क्रान्ति में गेहूँ उत्पादन वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। नतीजतन खाद्यान्न उत्पादन में गेहूँ का भाग बढ़ता गया। प्रति हैक्टेयर गेहूँ उत्पादन में भी वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में गेहूँ का भाग 1960-61 में 13.41 प्रतिशत था जो बढ़कर 1991-92 में 33.07 प्रतिशत तक जा पहुँचा। हरित क्रान्ति 'गेहूँ क्रान्ति' के नाम से चर्चित हुयी। हरित क्रान्ति का थोड़ा लाभ चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का को भी मिला। जबकि हरित क्रान्ति में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर कम ध्यान दिया गया। भारत में तिलहन व दलहन वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का अभाव है।

7. भ्रष्टाचार (Corruption) — हरित क्रान्ति के कारण कृषि पदार्थों की पूर्ति और वितरण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। देश में एक ओर उर्वरकों का अभाव है तथा दूसरी ओर फसलों की बुआई के समय कृषि पदार्थों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया जाता है। विक्रेता किसानों से अधिक कीमत वसूल करते हैं। कृषि पदार्थों के वितरण में प्रशासनिक ढिलाई, विलम्ब तथा असमान वितरण के कारण

अष्टाधार का बल मिना है।

8 कृषकों की अनभिज्ञता (Ignorance of Farmers) — ग्रामीण परिवेश में घोर निरक्षरता है। निरक्षरता के कारण किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक को आत्मसात करने में कठिनाई होती है। किसानों को सामान्यता यह मालूम नहीं होता कि उसके खेत की मिट्टी की किसम कैसी है तथा उस किसम में कौनसी खाद का उपयोग बेहतर होता है। कीटनाशकों की भी किसानों को अल्प जानकारी होती है। बाजार में आज बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्पादित फसलों के बीज उपलब्ध हैं किन्तु भारत का गरीब किसान अनभिज्ञ है। यदि जानकारी है भी तो उसकी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है।

9 परिस्थितियों के विपरीत (Against the Situation) — भारत की कृषिगत परिस्थितियाँ हरित क्रांति के मार्ग में बाधक हैं। एक तो बहुसंख्यक किसानों की माली हालात खस्ता हैं तथा देश के कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है। अधिकतर कृषि जात अनर्थिक हैं। लघु कृषि जोतों में कृषिगत यंत्रीकरण का उपयोग बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है।

10 आर्थिक विषमता (Economic Disparity) — हरित क्रांति के कारण ग्रामीण परिवेश में आर्थिक विषमता बढ़ी है। ग्रामीण आर्थिक विषमता शहरी आर्थिक विषमता से अधिक भयावह है। गाँव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बहुलता है। गरीब किसानों के पास कृषि भूमि का अभाव है तथा वे उन्नत बीज व सिंचाई सुविधा पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। हरित क्रांति का लाभ धनी किसान उठाते हैं परिणामस्वरूप धनियों और निर्धनों के मध्य खाई बढ़ती जा रही है।

11 खाद्यान्न आयात (Import of Foodgrains) — हरित क्रांति के बाद भी भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उच्चव्ययन की प्रवृत्ति व्याप्त है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा में खाद्यान्न अभाव का सामना करना पड़ता है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। हाल के वर्षों में खाद्यान्न का आयात हरित क्रांति की सफलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। भारत में अनाज और अनाज उत्पाद का आयात 1993-94 में 290 करोड़ रुपये 1994-95 में 92 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 80 करोड़ रुपये था।

12 कृषिगत पदार्थों की कमी (Lack of Agricultural Kinds) — हरित क्रांति लागू किए जाने के बाद देश में उन्नत बीज कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों की मांग तीव्रता से बढ़ी है। किन्तु इन पदार्थों का उत्पादन मांग के अजरूप नहीं बढ़ा। भारत रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर आयात करता है। उर्वरक आयात 1990-91 में 2 758 हजार टन था जो बढ़कर 1995-96 में 4 008 हजार टन तक जा पहुँचा। इसी प्रकार उन्नत बीज व कीटनाशकों का भी देश में अभाव है।

बदलाव की आवश्यकता (Importance of Change)

हरित क्रान्ति की अनेक खामियों के बावजूद भारत कृषि की नवीन च्यूहरचना को आत्मसात करके खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो सका है। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन हरित क्रान्ति लागू किये जाने से पूर्व 1960-61 में केवल 50.8 मिलियन टन था जो बढ़कर 1997-98 में 192 मिलियन टन तक जा पहुँचा। आज भारत हरित क्रान्ति के कारण देश के एक अरब से अधिक लोगों के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने की स्थिति में पहुँच सका है। यह कम महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। किन्तु कृषि प्रधान देश होने के नाते खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता अधिक महत्त्व नहीं रखती। नियोजन काल के पाँच दशक पूरे होने के बाद भी कृषि भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती नहीं दे सकी। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता तो दूर की बात खेत जोतने वाले किसान की माली हालत तक में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। ऐसी स्थिति में हरित क्रान्ति के क्रियान्वयन में कारगर बदलाव की महती आवश्यकता है। गरीब किसान के लाभान्वित हुए बिना हरित क्रान्ति की प्रासंगिकता नहीं है।

हरित क्रान्ति को सफल बनाने के सुझाव

(Suggestions for Successful Implementation of Green Revolution)

यह लिखने में कतई अतिशयोक्ति नहीं कि असख्य गरीब किसानों को हरित क्रान्ति का अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। भारत में हरित क्रान्ति से पूँजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला है। बड़े किसानों के दबाव में तथा कृषि उत्पादों की बड़ी लागतों के कारण प्रत्येक वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं। इससे बड़े किसान तो लाभान्वित होते हैं। किन्तु गरीब किसानों की रीढ़ टूट जाती है। उसका खेत तो इतना छोटा है कि कड़ी मेहनत के बावजूद परिवार के वर्ष पर्यन्त उदरपूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पाद नहीं हो पाता है उसकी पूर्ति बाजार से खरीदकर पूरी करनी पड़ती है। कृषि उत्पाद की बड़ी हुई कीमतों की मार गरीबों को सहनी पड़ती है। गरीब किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्नों और उर्वरकों पर सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है तथा समय-समय पर सब्सिडी में बढ़ोतरी भी की गई है किन्तु सब्सिडी का लाभ गरीब तबकों को नहीं मिला। हरित-क्रान्ति से देश में क्षेत्रीय और आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिला है। हरित क्रान्ति से कुछ ही फसलों का उत्पादन बढ़ा है और बढ़ा हुआ उत्पादन भी विश्व स्तर को पीछे है। हरित क्रान्ति से समृद्ध क्षेत्रों में और समृद्धि बढ़ी जबकि कृषि विकास की विपुल संभावनाएँ वाले क्षेत्र आज भी प्यासे हैं। स्पष्ट है हरित क्रान्ति के क्रियान्वयन में खामी रही है। हरित क्रान्ति को लागू किये जाते समय समूचे देश के हित को ध्यान में नहीं रखा गया है। नतीजन अनेक क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है तथा वे आन्दोलन की ओर उन्मुख हैं। भारत कृषि प्रधान देश है यहाँ की भौगोलिक स्थिति विविध फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है और उत्पादन होता भी है किन्तु हरित क्रान्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता गेहूँ के उत्पाद वृद्धि पर ही दी गई। वाणिज्यिक फसलें हरित क्रान्ति से कम लाभान्वित हुईं, इसका विपरीत प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कृषि आधारित उद्योगों

के लिए कच्चे माल की कमी बनी रही इसके अलावा खाद्य तेल का बड़े पैमाने पर आयात जारी है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिरा गेहूँ फसल को हरित क्रांति में प्रमुखता से सम्मिलित किया गया है इसके निर्यात की स्थिति में भारत नहीं पहुँचा पाया है।

1 गरीब किसानों को प्रोत्साहन (Encouragement of Poor Farmers) — देश में गरीबी की समस्या विषम है। शहरों की तुलना में गावों में गरीबी अधिक है। भूमिहीन और सीमान्त कृषकों की स्थिति दयनीय है। इन्हें हरित क्रांति का अपेक्षित लाभ नहीं मिला। हरित क्रांति में प्रयास ऐसे होने चाहिए कि गरीब किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे। हरित क्रांति में गरीब किसानों को सरते दामों पर बीज खाद मुहैया कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गरीबी के कारण बहुसंख्यक किसानों को कृषि संबंधी नवीन तकनीक की जानकारी नहीं होती। ग्राम पंचायतों में नियुक्त कृषि अधिकारी किसानों की मदद कर सकते हैं। कृषि अधिकारियों को समय-समय हरित क्रांति से संबंधित जानकारी किसानों को देनी चाहिए।

2 सिंचाई सुविधाओं का विस्तार (Development of Irrigation Facilities) — सिंचाई सुविधा बिना हरित क्रांति की सफलता संदिग्ध है। भारत में सिंचाई विकास की विपुल संभावनाएँ हैं किन्तु सिंचाई विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली। विगत वर्षों में मानसून अनुकूल रहा है इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतें सिंचाई विकास में कारगर भूमिका निभा सकती हैं। गावों में तालाबों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। इससे गावों के लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। तालाबों के निर्माण से गावों के लोगों को रोजगार मिलेगा। नतीजतन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार के साथ गावों के पेयजल संबंधी समस्या भी बड़ी सीमा तक हल हो सकेगी।

देश में छोटी-बड़ी नदियाँ ही कमी नहीं हैं। अनेक नदियों का पानी बिना उपयोग के बह जाता है। छोटी नदियों के पानी को बांध बनाकर रखा जा सकता है। ग्रामीण विकास पर वर्तमान सरकार का ध्यान बढ़ा है। बजट में भी ग्रामीण विकास पर परिव्यय में वृद्धि का प्रावधान किया जाने लगा है। गावों के लिए आवंटित बजट का उपयोग आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया जाना चाहिए। किसानों की खुशी लहलहाती फसलों पर निर्भर करती है। मानसून और नदियों के पानी से कृषिगत उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव किया जा सकता है किन्तु उपलब्ध सिंचाई सुविधा खामिया से परे नहीं है। शहरों द्वारा सिंचाई से बड़े किसानों लाभ उठा ले जाते हैं। शहरों की छोटी शाखाओं द्वारा सिंचाई में आखिरी छोर वाले किसान अनेक बार सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। अतः व्यवस्था ऐसी हो जिससे सभी किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया हो।

3 कृषि वित्त व्यवस्था (Agriculture Finance Management) — भारत के ग्रामीण परिवेश की गरीबी जगजाहिर है। बैंकों में राष्ट्रीयकरण से पूर्व ग्रामीण

परिवेश में बैकिंग सुविधाओं का अभाव था। पंचवर्षीय योजनाओं में गावों में बैंक शाखाओं का विस्तार हुआ है। किन्तु बैंकों से ऋण प्राप्ति में भारत का किसान आज भी कठिनाई महसूस करता है। इसका बड़ा कारण किसानों का निरक्षर होना तथा उनकी गरीबी है। इसके अलावा बैंकों की ऋण प्रक्रिया जटिल है नतीजन किसान ऋण प्राप्ति में मध्यस्थों के चंगुल में फस जाता है। बैंकों की जटिल प्रक्रिया और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गावों में आज भी सेठ-साहूकारों का प्रभाव है। देश में सहकारी आन्दोलन को भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किए बिना हरित क्रांति का गति पकड़ना कठिन है। आज किसान को पग-पग पर वित्त सुविधा की आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भ होने के बाद गावों में बैंक शाखाओं का विस्तार थम गया है। इस प्रवृत्ति के चलते निकट भविष्य में ग्रामीण परिवेश में साख सुविधाओं का अभाव उत्पन्न हो सकता है जिसका प्रभाव ग्रामीण परिवेश पर पड़े बिना नहीं रहेगा। बदले आर्थिक परिवेश में गावों में कृषि वित्त की अधिक आवश्यकता होगी। कृषि परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि सरकार ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में अपनी भूमिका को कम नहीं करे तथा निजी वित्त को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

4. सूमचे देश में क्रियान्वयन (Implementation Throughout the Country)

— भारत में हरित क्रांति ने क्षेत्रीय विषमता की समस्या खड़ी कर दी है। हरित क्रांति का लाभ समृद्ध क्षेत्रों को ही मिला है। सिंचाई सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्र आज भी हरित क्रांति के लाभ से वंचित हैं। हरित क्रांति में ऐसी नवीन तकनीक विकसित की जानी चाहिए जिससे कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी कृषिगत उत्पादन बढ़ाया जा सके। राजस्थान के मरु भाग में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के प्रयास किये जाने चाहिए।

5. कार्यक्रमों का विस्तार (Expansion of Activities) — हरित क्रांति की एक बड़ी खामी यह रही है कि इसे कुछ ही फसलों पर लागू किया गया है। हरित क्रांति के कारण गेहूँ, घादल, ज्वार, बाजरा आदि का ही उत्पादन बढ़ सका है। भारत में वाणिज्यिक फसलों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। खाद्य तेल और दालों का बढ़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। हरित क्रांति को दलहन, तिलहन उत्पादन में भी क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालयों में वाणिज्यिक फसलों के उन्नत बीज विकसित किए जाने चाहिए।

6. सहकारी कृषि पर बल (Stress on Cooperative Agriculture) — भारत में कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है जिससे कृषि में यंत्रीकरण तथा नवीन तकनीक का कारगर उपयोग नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे 1992 के अनुसार ग्रामीण परिवेश में 11 प्रतिशत परिवार पूर्ण रूप से भूमिहीन हैं और 31 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनके पास 0.2 हैक्टेयर से कम भूमि है अर्थात् 42 प्रतिशत परिवार या तो भूमिहीन हैं या उनके पास 0.2 हैक्टेयर से कम भूमि है। छोटी कृषि जोत वाले किसान सहकारी कृषि को आत्मसात कर हरित-क्रांति का लाभ अर्जित

कर सकते हैं। सहकारी कृषि में कृषि पडतो का क्रय एवं उपयोग आसान होता है।

7 रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति (Supply of Fertilizers) – हरित क्रांति की सफलता के लिए उर्वरकों का उपयोग आवश्यक है। देश में उर्वरकों की मांग व पूर्ति में अंतराल है। फसलों की बुआई के समय उर्वरकों का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इससे उर्वरकों की कालाबाजारी को बल मिलता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है कि देश में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। आज देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी है। निजी क्षेत्र में उर्वरक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित कर उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के साथ सरकार द्वारा उर्वरकों के वितरण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि निर्धन किसान उचित मूल्यों पर रासायनिक उर्वरकों की खरीद कर सकें।

8 मिट्टी की जांच (Examination of Clay) – भारत में मिट्टी की विविधता है। हरित क्रांति लागू किए जाने से पूर्व किसान परम्परागत खाद का उपयोग बेहिचक करता था किन्तु कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी लागू किए जाने के बाद किसान की अज्ञानता और निरक्षरता कृषि विकास में बाधा है। आज किसानों को इस बात की जानकारी बहुत कम है कि किस मिट्टी में कौनसी उर्वरक अधिक उपयोगी है। उपयुक्त रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होने पर कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मिट्टी की जांच की जानी चाहिए। मिट्टी की जांच की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को दी जानी चाहिए साथ ही किसानों को यह भी बताया जाना चाहिए कि मिट्टी की किस किसमें कौनसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग लाभप्रद है? क्षेत्र विशेष की मिट्टी की किस और उर्वरकों के प्रयोग संबंधी जानकारी मीडिया द्वारा प्रचारित की जानी चाहिए। रेडियो और दूरदर्शन द्वारा भी किसानों को अधिकाधिक जानकारी दी जानी चाहिए।

9 ग्रामीण औद्योगीकरण पर दल (Stress on Rural Industrialisation) – ग्रामीण परिवेश में बेरोजगारी की समस्या पहले ही गंभीर थी। हरित क्रांति लागू किये जाने के बाद यह समस्या और मुखर हो गई। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने से भी बेरोजगारी बढ़ी। यंत्रीकरण के बढ़ने से पहले गांवों में बेरोजगारों के लिए रोजगार के अल्पकालिक अवसर थे। फसलों की कटाई बुआई लदान आदि में श्रमिका का बहुतायत में रोजगार मिलता था। हरित क्रांति से समृद्ध किसानों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है किन्तु गरीबों की दयनीयता बढ़ गई है। ग्रामीण औद्योगीकरण के द्वारा गांवों में लोगों को रोजगार मुहैया किया जा सकता है। गांवों में कृषि उत्पादों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा गांवों में बड़े उद्योगों की भी स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण के अनेक लाभ दृष्टिगोचर होंगे। सबसे बड़ा लाभ गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन थमेगा। गांवों में समृद्धि की लहर दौड़ेगी। गांवों

में चहलकदमी दटेगी। गावों में गेर प्रदूषणकारी इकाइयों की स्थापना अधिक हो। प्रदूषणकारी इकाइयों से गावों की हरियाली पीली पड़ सकती है।

गावों की समृद्धि और गरीबों की खुशहाली में भारत का विकास निहित है। देश के सभी गावों को हरित क्रान्ति का लाभ मिले तो भारत का कायाकल्प होने में समय नहीं लगेगा।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 नवीन कृषि व्यूहरचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए।
- 2 नवीन कृषि व्यूहरचना के मुख्य तत्त्व बताइए।
- 3 हरित क्रान्ति की चार उपलब्धियाँ बताइए।
- 4 हरित क्रान्ति की विफलताओं पर प्रकाश डालिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना क्या है? इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
- 2 भारत में हरित क्रान्ति से आप क्या समझते हैं? इसकी सफलताओं एवं असफलताओं की विवेचना कीजिए।
- 3 हरित क्रान्ति की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए इसकी कमियों पर प्रकाश डालिए। इन्हें दूर करने के सुझाव दीजिए।
- 4 हरित क्रान्ति के प्रमुख तत्त्व कौन-कौन से हैं? भारत में हरित क्रान्ति का क्या प्रभाव हुआ है।
- 5 'हरित क्रान्ति ने भारतीय कृषि की काया ही पलट दी' इस कथन की विवेचना कीजिए।

(संकेत - सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हरित क्रान्ति का अर्थ बताते हुए उसकी सफलता और असफलताओं को लिखना है।)

विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि (World Trade Organisation and Indian Agriculture)

तटकर आर व्यापार सबधी सामान्य समझौता (गैट) (General Agreement on Tariffs and Trade) - तटकर आर व्यापार सबधी सामान्य समझौता अर्थात् गैट की स्थापना 1948 म हुई। यह एक बहुराष्ट्रीय (बहुपक्षीय) सन्धि हे जिसम बहुपक्षीय व्यापार से संबंधित सर्वसम्मत नियम निर्धारित किये गए हे। गैट मूलतः अन्तराष्ट्रीय व्यापार संगठन के एक भाग के रूप म तब शुरू किया गया था जब इस अन्तराष्ट्रीय व्यापार संगठन क लिए घोषणा पत्र के बाकी तर्कों पर सहमति नहीं हो पाई थी। समय गुजरने के साथ साथ गैट अन्तराष्ट्रीय व्यापार मसला पर वाता और विचार विमर्श के लिए एक मंच के रूप में विकसित हाता गया। विदेशी व्यापार के नियमन हेतु एक अन्तराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के प्रयास 1948 म व पुन 1955 म भी किये गए थ किन्तु अमरीका की शका के कारण इन्ह व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका। अमरीका को इस प्रकार के संगठन की स्थापना से उसकी सम्प्रभुता के कमजोर होने का सदेह था।

0 अक्टूबर 1947 को जेनेवा में 23 राष्ट्रों ने प्रशुल्क एवं व्यापार से सम्बंधित एक सामान्य समझौते (गैट) पर हस्ताक्षर किए। एक जावरी 1948 से प्रभावी यही समझौता कालान्तर म व्यापार का सजग प्रहरी बन गया। गैट की सदस्य संख्या माघ 1994 म 118 थी। गैट म समय-समय पर बहुराष्ट्रीय सबधी वाताएं शुरू की जाती जिन्का उद्देश्य तटकर म कमी करके अथवा उस हटाकर गैर-तटकर नियंत्रणा द्वारा अन्तराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता हाता है और गैट क नियमा और विषया क ढांच म सुधार लाता हाता है।

भारत 1947 म गैट क जन्म लेने व समय से ही इसका सदस्य रहा है। विश्व व्यापार क 90 प्रतिशत भाग का संचालन करन वाले 117 देशों ने बहुपक्षीय

व्यापार वार्ता के उरुग्वे चक्र में भाग लिया। यह वार्ता दिसम्बर 1993 में सम्पन्न हुई।

गैट के उद्देश्य (Objectives of GATT) – गैट का मुख्य उद्देश्य प्रशुल्क दरो में पर्याप्त कमी करना तथा व्यापार एवं विस्तार में आने वाली बाधाओं को कम करके परस्पर लाभ पहुंचाने वाले निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करना है –

- 1 सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की दिशा में अग्रसर करना।
- 2 सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना।
- 3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना।
- 4 विश्व के उत्पादन में वृद्धि करना।
- 5 वास्तविक आय और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना।
- 6 विश्व में उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।

उरुग्वे राउण्ड (Uruguay Round) – गैट के अन्तर्गत उरुग्वे दौर की वार्ता सितम्बर 1986 में उरुग्वे देश के शहर पुटा डेल एस्ट में गैट के आठवें अधिवेशन में शुरू हुई। उरुग्वे दौर की वार्ता को 1990 तक पूरा हो जाना था लेकिन गैट के सदस्य देशों के बीच अनेक विषयों पर भारी मतभेद के कारण निर्धारित समय में पूरी नहीं की जा सकी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सबंध में यह अब तक की सबसे कठिन और लम्बी वार्ता थी। इसमें बातचीत के उन परिणामों को शामिल किया गया था जिनके सबंध में उस समय तक सहमति हो गई थी और उन क्षेत्रों के लिए भी प्रस्ताव पेश किए गए जिनमें मतभेद बने हुए थे। बातचीत में गैट के परम्परागत विषयों यथा सीमा शुल्क, सब्सिडी, रक्षोपाय तथा तीन नये विषय यथा व्यापार से सबंधित बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकार, व्यापार से सबंधित निवेश की कार्यवाही और सेवाओं में व्यापार शामिल किए गए। उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का अंतिम दौर 15 दिसम्बर, 1993 को जिनेवा में पूरा हुआ। इसमें भाग लेने वाले 117 देशों ने समझौते की शर्तों को स्वीकार किया। इसी के साथ विश्व व्यापार में नये युग का श्रीगणेश हुआ।

भारत गैट के संस्थापक सदस्यों में था। भारत का 90 प्रतिशत व्यापार गैट के सदस्य देशों के साथ होता है। भारत उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल नहीं होता तो उसे 116 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने पड़ते। द्विपक्षीय व्यापार समझौते में काफी समय लग जाता। यह भी संभव है कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश समझौता करते समय भारत पर मनमानी शर्तें थोपने का प्रयत्न करते। अतः भारत ने गैट समझौते स्वीकार करने का फैसला किया।

डुकेल प्रस्ताव (Dunkel Proposal) अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में डुकेल प्रस्ताव चर्चित विषय रहा है। डुकेल प्रस्तावों का मसौदा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट) के महानिदेशक आर्थर डुकेल ने तैयार किया था। दिसम्बर, 1991 में तैयार इस दस्तावेज में शुल्क, गैर शुल्क, कृषि, बहुपक्षीय

व्यापार समझौते तथा क्षेत्र के व्यापार बौद्धिक-सम्पत्ति अधिकार आदि निर्णय को सम्मिलित किया गया। इस प्रस्ताव का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू निजी पेटेंट कानून का समाप्त करना है। आर्थर डुकेल ने सभी प्राकृतिक ससाधनों को संपूर्ण मानव जाति की संपत्ति माना है। प्रस्ताव में व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि को उसकी वैयक्तिक संपत्ति मानते हुए तथा उसके अधिकार को सुरक्षित रखते हुए 20 वर्ष तक पेटेंट देने की बात मुख्य है। प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से जानवर तथा पेड़-पौध के जीवन रक्षक उत्पाद पेटेंट के दायरे में आने से सम्पूर्ण कृषि पर विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण हो जाएगा।

भारत द्वारा डुकेल प्रस्ताव का स्वीकार कर लेने पर कृषि से संबंधित सारगर्भित निर्णय यथा समर्थन मूल्या की घोषणाएँ सविसडी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि सरकार द्वारा नहीं लिए जाकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ द्वारा लिए जाएंगे। किसानों को कृषि सबधी तकनीक एवं उन्नत बीजों के लिए इन कम्पनियों की ओर मुखातिब होना पड़ेगा। डुकेल प्रस्ताव के अनुसार किसान फसल से उन्नत बीज संचय करके नहीं रख सकते उन्हें हर बार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से बीज खरीदने होंगे। ये उन्नत किस्म के बीज बहुत महंगे होंगे साथ ही भारतीय किसानों को कीटनाशक उर्वरक कृषियंत्र आदि भी ऊँची कीमतों पर खरीदने को बाध्य होना पड़ेगा। कृषि से संबंधित उन्नत तकनीक का लाभ भारत में केवल बड़े किसान ही उठा सकेंगे। छोटे और मझोले किसान अपने सीमित ससाधनों के कारण लाभार्जन की स्थिति में नहीं होंगे। विदित है भारत में कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है। अधिकांश किसान सीमांत कृषका की श्रेणी में है। छोटे किसानों को डुकेल प्रस्ताव का लाभ नहीं होने के कारण इन्हें अपनी कृषि भूमि को बेचने को बाध्य होना पड़ेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के फैलने की समस्या भयावह हो जाएगी। आज भारत में लगभग चार करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं बीसवीं शताब्दी के अंत तक यह संख्या दस करोड़ हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में तो पहले से ही छिपी-हुई बेरोजगारी की विकट समस्या है।

डुकेल प्रस्ताव में उन्नत किस्म के बीजों पर विशेष बल है। जिसदेह इनके द्वारा कृषिगत उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि कर अल्प समय में ही कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में सफलता की आर अग्रसर हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ा है कृषिगत क्षेत्र में सजागता बढ़ी है किसान स्वयं उन्नत तकनीकों को आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे तकगोलाजी के लाभ को बखूबी समझने लगे हैं। फिर भारत कृषि अनुसंधान और आधुनिक कृषि तकनीक में विरहसित दशों से पीछे नहीं है। हमारे दश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि विशेषज्ञ हैं। ऐसी स्थिति में डुकेल प्रस्ताव से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं उसके सबव्यापक लाभ की स्थिति में ही प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रासंगिकता होगी।

यदि हम विस्तृत दृष्टि से देखें तो डुकेल प्रस्ताव हरित-क्रांति को और

बेहतर तकनीक मुहैया कराने का स्रोत है, किन्तु यहाँ हम विकासशील राष्ट्रों की परिस्थितियों को दरगुजर नहीं कर सकते जो विकसित राष्ट्रों के सर्वथा विपरीत होती हैं। विकसित राष्ट्रों की तकनीक को इन राष्ट्रों में हू-ब-हू लागू नहीं किया जा सकता है। अपेक्षित सफलता के बावजूद भारतीय कृषि की माली हालात किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में डुकेल प्रस्ताव कितने कारगर सिद्ध होंगे। इसका पता तो आगामी वर्षों में ही चल सकेगा।

जहाँ तक अद्युनातन तकनोलॉजी का सवाल है चाहे इसका इस्तेमाल पूजीगत वस्तु उत्पादन में हो या फिर उपभोग वस्तु उत्पादन में, वर्तमान में परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में इसकी बढ़ती उपादेयता की उपेक्षा करना एक अविवेकपूर्ण निर्णय है। अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों में नवीन तकनीक को अंगीकृत कर हम न केवल देशवासियों को जीवन जीने के 'प्रचुर साधन' उपलब्ध करा सकते हैं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सिरमौर भूमिका का निर्वाह भी कर सकते हैं। अतः देश में नवीन तकनीक विकसित की जाती है या अन्यत्र से हासिल करने की बात आती है तो उसका अनायास ही विरोध नहीं कर "वह हमारी अर्थनीति में कितनी सार्थक सिद्ध हो सकती है" पर सूक्ष्मता से अध्ययनोपरात आत्मसात करना अधिक सारगर्भित है। कृषि क्षेत्र में हमने उन्नत तकनीक का प्रयोग किया उसके बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं।

वर्तमान में आर्थिक सुधारों के दायरे में कृषि को भी सम्मिलित किया जाना अत्यावश्यक है ऐसा करने से समूचे कृषितंत्र में तीव्र आर्थिक प्रगति व चहुँओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में उन्नत तकनीक को अपनाएने से कृषि की दशा में 'क्रांतिकारी सुधार' आता है तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नवीनतम तकनीक को आत्मसात करने में कर्तई सकोच नहीं करना चाहिए। तकनोलॉजी के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कोई सानी नहीं, इनकी मदद से हम बेहतर किस्म का उत्पाद करते हैं बदले में ये थोड़ा लाभ स्वदेश ले जाती है यह लाजिमी भी है, तो हमें अनावश्यक रूप से आर्थिक गुलामी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि ये कम्पनियाँ विकासशील राष्ट्रों का शोषण नहीं करतीं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकसित राष्ट्रों की देन है। ये कम्पनियाँ विकासशील राष्ट्रों में समझौते के समय आकर्षक शर्तों के साथ प्रवेश कर जाती है अपना बाजार बनाने के पश्चात् वायदों से मुक्त जाती है। विकासशील राष्ट्र उन्नत तकनीक से विमुख बने रहते हैं। अतः इनसे समझौता करते समय राष्ट्र हित की अनदेखी न हो, को ध्यान में रखने की महती आवश्यकता है।

भारत में डुकेल प्रस्ताव लागू करते समय "अब तक हमारे देश में कृषि में हुई प्रगति प्रभावित न हो" को ध्यान में रखना होगा। प्रस्ताव की कठोर शर्तें जैसे समर्थन मूल्य की घोषणा, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को जहाँ तक संभव हो स्वीकार नहीं करना चाहिए। देश में गरीबों की संख्या को देखते हुए

इनकी उपादेयता अन्तर्निहित है जैसे भारत सरकार सब्सिडी के असहनीय भार का कम करने के लिए उत्सुक है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पूजी निवेश, तकनीकी ज्ञान मुक्तके का स्वदेश ले जाने से संबंधित अधिकार भारत सरकार को अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए साथ ही नवीन तकनीक (डुकेल प्रस्ताव) के अपनाने से लघु व मझोले कृषकों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए।

डुकेल प्रस्ताव की जा शर्तें भारत के हितों के विपरीत हैं उन्हें विकासशील राष्ट्रों के सहयोग से भारत को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सशोधित कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत विश्व का एक विस्तृत बाजार है, यहाँ प्राकृतिक व मानवीय ससाधनों की प्रचुरता है, किसी देश द्वारा भारत की उपेक्षा भुमकिन नहीं। विदित है भारत ने 2 जुलाई, 1989 को गैट में डुकेल प्रस्ताव पर सशोधित प्रस्ताव रखे जिसकी विकासशील राष्ट्रों ने प्रशंसा की, वही विकसित देशों ने हाथ-तैबा मचायी। भारत को आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में निर्णय बाह्य शक्तियों के दबाव में नहीं लिए जाकर, ये स्वविवेक तथा राष्ट्र हित से आत-प्रोत होने चाहिए।

विश्व व्यापार सगठन

(World Trade Organisation)

आठ वर्षों से भी अधिक समय तक चले 'गैट' के उरुग्वे वार्ता चक्र के परिणामस्वरूप एक नये सगठन विश्व व्यापार सगठन (डब्लू टी ओ) की स्थापना हुई। एक जनवरी 1995 से इस सगठन का कार्य प्रारम्भ हुआ। विश्व व्यापार सगठन की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना के रूप में विश्व इतिहास में अंकित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सभ की विशिष्ट एजेन्सी के रूप में मान्यता प्राप्त विश्व व्यापार सगठन को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के तीसरे स्तभ के रूप में माना जा रहा है। विश्व व्यापार सगठन की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिबन्धों में भारी कमी होगी तथा विश्व बाजार का विस्तार होगा। व्यापार के विस्तार के परिणामस्वरूप सशोधित राष्ट्रों में आय का स्तर भी ऊँचा उठेगा।

सदस्यता (Membership) - 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को की राजधानी मराकेश में भारत सहित 125 राष्ट्रों ने विश्व व्यापार सगठन में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। एक जनवरी, 1995 को इस सस्था की औपचारिक स्थापना तक भारत सहित 77 राष्ट्रों ने सदस्यता के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली थी तथा इस सभ में गैट को अधिसूचित कर दिया था। औपचारिकताएँ पूर्ण करने के लिए विकासशील राष्ट्रों को दी गई छूट के अन्तर्गत 8 और राष्ट्रों ने 1995 में औपचारिकताएँ पूर्ण कीं। विश्व व्यापार सगठन के 85 सस्थापक सदस्य हैं।

भारत विश्व व्यापार सगठन का सस्थापक सदस्य है। भारत सरकार द्वारा

उरुग्वे दौर समझौते के अनुमोदन की औपचारिक सूचना जेनेवा स्थित भारतीय राजदूत ने 30 दिसम्बर, 1994 को ही जेनेवा में 'गैट' के मुख्यालय में दे दी थी। विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता हेतु पात्रता पूर्ण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 31 दिसम्बर, 1994 की रात्रि को दो अध्यादेश जारी करके 1970 के पेटेन्ट अधिनियम व 1975 के सीमा शुल्क अधिनियम में सशोधन किए। पेटेन्ट अधिनियम में किये गये सशोधन में कृषि, रसायन व औषधियों के क्षेत्र में प्रक्रिया पेटेन्ट के स्थान पर उत्पाद पेटेन्ट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम में सशोधन करके राशिपातन विरोधी प्रशुल्को (एण्टी डपिग ड्यूटीज) को उरुग्वे चक्र समझौते के अनुरूप सशोधित किया गया है।

मुख्यालय (Headquarter) – विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ) का मुख्यालय स्विटजरलैण्ड की राजधानी जेनेवा में स्थित है। डब्ल्यू टी ओ के मुख्यालय के लिए जर्मनी ने भी पेशकश की थी, किन्तु जेनेवा में ही मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय जुलाई 1994 में ही ले लिया गया था।

डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक (Director General of WTO) – डब्ल्यू टी ओ की स्थापना के समय सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो पाने के कारण गैट के महानिदेशक आयरलैण्ड के पीटर सदरलैण्ड को अन्तरिम अवधि के लिए डब्ल्यू टी ओ का महानिदेशक बनाया गया। पीटर सदरलैण्ड डब्ल्यू टी ओ के प्रथम महानिदेशक है। गौरतलब है कि डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक पद के लिए तीन बड़े क्षेत्रों—उत्तरी अमरीका, यूरोप तथा एशिया प्रशात के प्रभावी दावे रहे हैं।

प्रशासनिक संरचना (Administrative Structure) – विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ) की प्रशासनिक संरचना इस प्रकार है –

1. **सर्वोच्च प्रशासनिक पद (Highest Administrative Post) –** विश्व व्यापार सगठन में सर्वोच्च प्रशासनिक पद महानिदेशक का है। महानिदेशक द्वारा सगठन के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. **मंत्री स्तरीय सम्मेलन (Ministerial Level Conference) –** नीति निर्धारण के लिए सदस्य राष्ट्रों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन शिख, इकाई होगा। सम्मेलन प्रति दो वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित होगा।
3. **सामान्य परिषद् (General Council) –** सामान्य परिषद् सामान्य प्रशासन की व्यवस्था करती है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं। सामान्य परिषद् का मुख्य कार्य व्यापार नीतियों की समीक्षा तथा व्यापारिक विवादों का निपटारा करना है।
4. **विशिष्ट परिषदें (Special Councils) –** सामान्य परिषद् के अधीन तीन विशिष्ट परिषदे होती हैं ये हैं –

- 1 वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद्,
 - 2 सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद्,
 - 3 बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिए परिषद्।
5. विशेष समितियाँ (Special Committees) — सामान्य परिषद् द्वारा तीन विशेष समितियाँ गठित हैं ये हैं व्यापार और विकास समिति, भुगतान समुलन समिति तथा बजट सबधी समिति।

विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि (World Trade Organisation and Indian Agriculture)

हाल ही के वर्षों में विश्व व्यापार संगठन का आविर्भाव विश्व की एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक घटना है। विश्व के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव पड़ने की संभावना है। विश्व व्यापार संगठन, गैट की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त और व्यापक संगठन है। वर्ष 1948 में स्थापित गैट का कार्यक्षेत्र वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उसके विस्तार में आने वाली बाधाओं को कम करने तक सीमित था। नवस्थापित (1995) विश्व व्यापार संगठन वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार का भी नियमन करेगा। इससे बैंकिंग व बीमा सबधी सेवाओं का विश्वव्यापी विस्तार होगा। विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा करेगा। इसके द्वारा कार्पीराइट, पेटेंट, ट्रेड ब्राण्ड धारकों के हितों की रक्षा की जावेगी। कृषि और कपड़े का व्यापार की विश्व व्यापार संगठन के दायरे में सम्मिलित हो गया है। कपड़े का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सबधी बहुतलु समझौता वर्ष 2005 में घरणों में समाप्त हो जाएगा।

कृषिगत वस्तुओं के व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए दिशिष्ट नियमों का प्रतिपादन विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विश्व व्यापार संगठन से कृषि के प्रभावित होने की संभावना है।

1. कृषि सब्सिडी (Agriculture Subsidy) — विश्व व्यापार संगठन से भारत द्वारा कृषि सबधी नीतियों के पालन और कार्यक्रमों के अमल में कोई बाधा नहीं पहुँचती है। कृषि सबधी समझौते में जिन अनुशासनो की व्यवस्था है, उनमें से कोई भी देश की विकास विषयक योजनाओं पर लागू नहीं होता। कृषि से संबंधित आर्थिक सहायता (कृषि सब्सिडी) (उत्पाद-उन्मुख आर्थिक सहायता और उत्पादेत्तर आर्थिक सहायता दोनों) की सीमा इतनी ऊँची रखी गई है कि उस सीमा को पार करना तो दूर, उस सीमा तक भारत के पहुँचने की भी कोई संभावना नहीं है।

कृषि सब्सिडी की सीमा कृषि उत्पादन मूल्य के विकासशील देशों के लिए 10 प्रतिशत तथा विकसित देशों के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। विकासशील देशों को कृषि सब्सिडी में तभी कमी करनी होगी, जब उनकी कृषि सब्सिडी कृषि उत्पाद मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो। इस दृष्टि से भारत को कृषि सब्सिडी में कमी करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि भारत में दोनों तरह की कृषि सब्सिडी का जोड़ 10 प्रतिशत से कम है। यह 7 प्रतिशत (अनुमानित) के आसपास है। यदि भारत चाहे तो कृषि सब्सिडी में वृद्धि कर सकता है। अतः यह आशंका निराधार है कि विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व में आने से और डकल प्रस्तावों की स्वीकृति से कृषि सब्सिडी में कमी होगी। इसके विपरीत विकसित देशों को कृषि सब्सिडी में कमी करनी होगी क्योंकि विकसित देशों द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडी कृषि उत्पाद मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है। विकसित राष्ट्रों द्वारा कृषि सब्सिडी में कमी करने से विकासशील राष्ट्रों को लाभ होगा।

2. किसानों द्वारा बीजों की बिक्री (Sale of Seeds by Farmers) – किसान को सुविधित किस्म के किसी भी किस्म के फलतू बीजों का दूसरे किसानों के साथ विनिमय करने की पूरी छूट होगी। किसान को अपने उत्पादन का मनमाफिक उपयोग की पूरी स्वतंत्रता होगी। सरकारी संस्थाएँ बीजों का विकास करती रहेगी। किसान को इन बीजों का मनचाहा उपयोग करने की पूरी छूट होगी।

बीजों के संबंध में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि खानगी तौर पर अनुसंधान करके विकसित बीज भी उपलब्ध रहेंगे लेकिन किसानों को इस कोटि के बीज खरीदने की कोई मजबूरी नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें एक फसल के बीजों को अगली फसल के लिए बचाकर रखने की आजादी होगी। एकमात्र प्रतिबंध अनुसंधान करके विकसित बीजों के बारे में होगा कि किसान को इस तरह के बीज स्वयं पैदा करके बेचने का खुला अधिकार नहीं होगा। इसके लिए उसे उस बीज के आविष्कार करने वाले की अनुमति लेनी होगी।

भारतीय किसान पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज खरीदने का कोई बंधन नहीं है। विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व में आने से पूर्व भी बीजों के आयात पर प्रतिबंध नहीं था। बीजों का आयात आज भी बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। गौरतलब है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास उन्नत किस्म के बीज हैं जिनके उपयोग से कृषिगत उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि की जा सकती है। उत्कृष्ट किस्म के बीजों की सहज उपलब्धता स्वयं भारतीय किसानों के हक में है। भारत में भी कृषि अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान केन्द्र बीजों की नई किस्म विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। किसानों को उन्नत बीज बेरोक-टोक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

3. कृषि निर्यात में वृद्धि (Increase in Agriculture Export) – विश्व सगठन की सदस्यता के भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा होंगी। अब तक औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा अधिक सब्सिडी के कारण

कृषि उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकृत अवस्था में था। गैट समझौते के कारण औद्योगिक राष्ट्रों को कृषि सब्सिडी कम करनी पड़ेगी और दूसरे देशों के कृषि उत्पादों के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ेगे। इससे भारत सरीखे कृषि प्रधान देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धात्मक स्थिति में आ जायेंगे। विश्व बाजार में कृषि प्रधान देशों के कृषि उत्पाद तथा कृषि उत्पादों से संबंधित अन्य वस्तुओं की अधिक उपलब्ध होगी। औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा कृषि सब्सिडी कम करने के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी इससे भारत के किसान निर्यात के द्वारा उत्पादों के ऊँचे दाम प्राप्त कर सकेंगे।

4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खतरा नहीं (No Risk of Public Distribution System) – भारत में गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा उचित दर की दुकानों द्वारा बेचे जा रहे खाद्यान्नों को मिलने वाली सहायता में कोई कमी नहीं की जाएगी। सरकार गरीबों की सहायता के लिए पूर्व की भांति खाद्यान्नों की सरकारी खरीद भण्डारण और बिक्री करती रहेगी।

5 खाद्यान्न आयात (Import of Foodgrains) – गैट समझौते में खाद्यान्न व्यापार के लिए मंडी खोलने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत घरेलू आवश्यकता नहीं होने पर भी खाद्यान्नों का न्यूनतम आयात करना होगा। गैट समझौता लागू होने के पहले वर्ष में सदस्य देशों को खाद्यान्न के घरेलू उपभोग का न्यूनतम 2 प्रतिशत आयात करना होगा जो दस वर्ष के अंत तक 3.33 प्रतिशत तक होगा। लेकिन यह व्यवस्था उन देशों पर लागू नहीं होगी जो भुगतान सतुल्य की कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और जिन्होंने वस्तुओं के आयात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगा रखे हैं। भुगतान सतुल्य के मोर्चे पर सफट का सामना कर रहे विकासशील देशों ने विदेशी मुद्रा खर्च रोकने के लिए आयात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगा रखे हैं। गैट समझौते के बाद भारत को विदेशों से आयातित खाद्यान्न पर आयात शुल्क लगाने का अधिकार है। ये आयात शुल्क खाद्यान्नों पर 100 प्रतिशत खाद्य संसाधित वस्तुओं पर 150 प्रतिशत और खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत के आस-पास होंगे। ऊँचे आयात शुल्कों की अदायगी के बाद देशी मंडियों में आयातित खाद्यान्न के भाव बहुत अधिक हो जाएंगे। अतः यह आशंका निराधार है कि गैट समझौते के बाद देश में बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात होगा। गैट समझौते के बाद कुछ देशों यथा जापान कोरिया को खाद्यान्नों के आयात के लिए अपने बाजार खोलने पड़ेगे।

6 निर्यात सब्सिडी (Export Subsidy) – गैट समझौते में प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी में कटौती का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत निर्यात सब्सिडी में कटौती बजट परिव्यय तथा मात्रा को ध्यान में रखकर निर्धारित करनी होगी। निर्यात सब्सिडी में बजट परिव्यय और मात्रा में 6 वर्ष की अवधि (1993-99) में क्रमशः 36 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की कटौती करनी

होगी। वर्ष 1994 में अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच यह सहमति हुई कि मात्राओं के रूप में कटौती की प्रतिबद्धता 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दी जाएगी। विकासशील देशों को आंतरिक परिवहन और निर्यात खेप पर मालभाड़े की घटनबद्धताओं से मुक्त रखा गया है। भारत में निर्यात सब्सिडी संबंधी ऐसी कोई अनुदान नीति नहीं है जिसमें ऐसी कोई सूची हो जिसमें कटौती की घटनबद्धता को लागू किया जाए। भारत विदेशी विनिमय संकट के कारण निर्यात सब्सिडी का लाभ उठाता रहेगा।

7. व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार की रक्षा (Protection of Trade Related Intellectual Property) – डकेल प्रस्तावों की बुनियादी जरूरत यह है कि तकनीक के हर विभाग में किये जा रहे आविष्कारों का पेटेंट कराना होगा जिसका उपयोग अनुमति व अनुबन्ध के अन्तर्गत रॉयल्टी चुकाने पर ही करने तथा दुरुपयोग पर रोक की शर्त है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष तक मानी गई है। अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली की जो कड़ी शर्तें हैं उनकी वजह से सीधे स्वतः लाइसेंस देने का नियम निरस्त हो जाता है।

पौधों की प्रजातियों के मामले में अन्य सिद्धांतों को अपनाया जाएगा। इस संबंध में सदस्य देशों को दो विकल्प दिये गए हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. समझौता करने वाले देश पौध किस्म की रक्षा पेटेंट से कर सकते हैं, अथवा
2. 'स्वे जेनेरिस' व्यवस्था से अथवा दोनों को मिलाकर कर सकते हैं।

अगर पौधों की किस्में पेटेंट से संरक्षित की जाती हैं तो संरक्षित बीज की खरीद करने वाला किसान अपनी उपज से अगली फसल के लिए बीज नहीं रख सकता है। 'स्वे जेनेरिस' व्यवस्था के किसान अपनी उपज के एक भाग को अगली फसल के लिए बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्वजेनेरिस व्यवस्था पेटेंट से पृथक है। स्वे जेनेरिस संरक्षण का अर्थ पेटेंट जैसी प्रणाली से अलग किसी अन्य व्यवस्था से बौद्धिक सम्पदा की रक्षा करना है।

सारत विश्व व्यापार सगठन के कारण भारत की कृषि पर फिलहाल विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। गैट समझौता लागू होने के बाद कृषि सब्सिडी में कमी नहीं होगी। औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा कृषि सब्सिडी में कमी करने से भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने की संभावना है। भारत को खाद्यान्नों के आयात के लिए मंडियों के द्वार नहीं खोलने पड़ेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गैट व्यवस्था का कोई असर नहीं पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए पूर्व की भांति खाद्यान्न भंडार बनाये जाएंगे। भारत द्वारा स्वजेनेरिस प्रणाली आत्मसात करने के कारण किसान अपनी फसल से अगली फसल के लिए बीज रख सकेंगे उसकी अदला बदली कर सकेंगे और फालतू बीज बेचे जा सकेंगे।

सजग रहने की जरूरत (Need to be Alert)

विश्व व्यापार सगठन के कारण भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता है। गैट समझौते के कारण घरलू बाजार में प्रतिस्पर्धा में उत्पन्न होगी। भारत की तकनीक अनेक क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं है। हाल ही के वर्षों में भी भारत विश्व व्यापार सगठन के कारण उत्पन्न हुई अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने में सफल नहीं हो सका है। विश्व व्यापार सगठन को स्थापना हुए छह वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। भारत की विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता ग्रहण करते समय खाद्यान्न निर्यात और भारत से निर्यात वृद्धि की संभावना ध्वस्त की जा रही थी किन्तु गत वर्षों में निर्यात के मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। गैट समझौते के तहत विकसित राष्ट्रों को कृषि सब्सिडी में कमी करनी पड़ेगी। इससे उनका कृषिगत उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होगा। भारत सरीखे विकासशील राष्ट्र कृषिगत निर्यातों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होंगे। किन्तु भारत जनाधिक्य वाला देश है और अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है और कृषि क्षेत्र में काम में ली जाने वाली तकनीक विकसित देशों की तुलना में कमजोर है। देश में प्रतिवर्ष जितना खाद्यान्न उत्पादन होता है। तीव्रता से बढ़ रही जनसंख्या हड़प कर जाती है। बढ़ती जनसंख्या और कृषि के पिछड़ेपन के रहते हुए भारत विश्व व्यापार सगठन के कारण हाल ही उत्पन्न हुई अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। इस बात की पृष्टि गत वर्षों के निर्यात आकड़ों से सहज हो जाती है। भारत की निर्यात वृद्धि दर (डालर में) 1997-98 में 15 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में ऋणात्मक 29 प्रतिशत थी। कृषि और संबंधित वस्तुओं की डालर में निर्यात वृद्धि दर 1997-98 में ऋणात्मक 66 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में ऋणात्मक 64 प्रतिशत थी। अतः विश्व व्यापार सगठन के कारण भारत को बहुत की सजग रहने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए भारतीय उत्पादों को गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाए जाने की आवश्यकता है। देश में शोध और अनुसंधान से बढ़ावा देकर, उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बच्यौदी मुकाबला किया जा सकता है।

सन्दर्भ

- 1 योजना 31 मार्च 1995, पृ 15
- 2 वहीं, 15 जुलाई, 1994

प्रश्न एवं सकेत

लघु प्रश्न

- 1 विश्व व्यापार सगठन पर टिप्पणी लिखिए।
- 2 विश्व व्यापार सगठन क्या भारत के लिए हितकर है।
- 3 गैट के उद्देश्य बताइए।
- 4 उरुग्वे राउण्ड क्या है।

नियन्धात्मक प्रश्न -

- 1 विश्व व्यापार सगठन क्या है? विश्व व्यापार सगठन का भारतीय कृषि पर पडने वाले प्रभावो का वर्णन कीजिए।
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग मे विश्व व्यापार सगठन का अर्थ लिखिए तथा द्वितीय भाग मे अध्याय मे दिए गए विश्व व्यापार सगठन का कृषि पर प्रभाव को लिखना है।)
- 2 निम्न पर टिप्पणी लिखिए*
 - (i) गैट
 - (ii) उरुग्वे राउण्ड
 - (iii) विश्व व्यापार सगठन
 - (iv) डकेल प्रस्ताव और भारतीय कृषि

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme)

भारत गावों का देश है। बहुसंख्यक जनसंख्या जीवन बसर के लिए गावों में निवास करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 62.9 करोड़ थी जो कुल जनसंख्या 84.6 करोड़ का 74.3 प्रतिशत था। ग्रामीण जनसंख्या छह लाख से अधिक गावों में रहती है। स्वतंत्रता से पहले ग्रामवासियों की माली हालत दयनीय थी। भारत दीर्घावधि तक गुलाम देश रहा है। गुलामी के दिनों में विदेशी ताकतों ने भारत के लोगों का शोषण किया। ब्रिटिश राज में भारत के किसानों की स्थिति बंद से बंदतर थी। जमींदारी प्रथा के दौर में किसानों का मनमाफिक शोषण किया गया। भारतीय किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। अधिकतर किसान सामंतों के बंधुआ मजदूर थे। किसानों से बेगार ली जाती थी। किसानों का समूदाय जीवन ऋणी के रूप में ही बीत जाता था। इसके अलावा गाव आधारभूत संरचना की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। गावों में सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा, संचार, यातायात आदि सुविधाओं का नितांत अभाव था। कुल मिलाकर स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण परिवेश की दशा शोचनीय थी।

अतीत में सामुदायिक विकास पर कार्य अवश्य हुए हैं। ग्रामीण विकास और पुनरुत्थान वास्ते महात्मा गांधी ने सेवाग्राम में, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टगौर ने शांति निकेतन में, बाबु ने गुडगाव (हरियाणा) में तथा स्पेन्सर हैच ने मार्तण्डम में प्रयास किए।

स्वातंत्र्योत्तर सामुदायिक विकास की शुरुआत (Beginning of Community Development after Independence)

स्वातंत्र्योत्तर सामुदायिक विकास की दिशा में सुनियोजित प्रयास किए गए। राजकोपीय आयोग 1949 की सिफारिश पर अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की शुरुआत हुई। जून 1952 में अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति ने रिपोर्ट

प्रस्तुत की। अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति द्वारा की गई सिफारिशो मे राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू किया जाना, कार्यक्रम को अधिक केन्द्रीय सहायता तथा ग्राम योजनाओ के अनुकूल राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी सगठनो की स्थापना आदि मुख्य थी। अधिक अन्न उपजाओ जाच समिति की सिफारिशो को योजना आयोग तथा सरकार ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिन के अवसर पर 2 अक्टूबर, 1952 को सम्पूर्ण देश के 55 केन्द्रो के 500 वर्गमील क्षेत्र की लगभग 2 लाख जनसख्या पर ग्राम विकास का सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। वर्ष 1963 तक समूचे देश की ग्रामीण जनसख्या को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि मे लाया गया।

सामुदायिक विकास का अर्थ

(Meaning of Community Development)

सामुदायिक विकास ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास का माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामवासियों का आर्थिक एव सामाजिक विकास किया जाता है तथा ग्रामीण परिवेश मे राजनीतिक जागरुकता को बढ़ावा दिया जाता है। कुल मिलाकर सामुदायिक विकास में ग्रामीण विकास के सभी पहलुओ को सम्मिलित किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सबध में पंडित जवाहरलाल नेहरु का कथन महत्त्वपूर्ण है, उन्होने कहा था, "सामुदायिक विकास परियोजनाएँ सम्पूर्ण भारत मे चमकीली, जीवन मे परिपूर्ण एव प्रावैगिक चिनगारिया है जिनसे शक्ति, आशा और उत्साह की किरणे प्रस्फुटित होती है। ये विकास के ऐसे ज्योति-स्तम हैं जो घने अधकार मे तब तक प्रकाश फैलाते रहेगे जब तक कि समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था आलोकित न हो उठे।" सामुदायिक विकास में प्रत्येक कार्य "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" को ध्यान मे रखकर सम्पन्न किया जाता है। सामुदायिक विकास की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित है -

- 1 भारतीय योजना आयोग के अनुसार, "सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विस्तार की वह सस्था है जिसके द्वारा पचवर्षीय योजना ग्रामीण जनता के सामाजिक एव आर्थिक जीवन में सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ करना चाहती है।"
- 2 श्री एसकेडे के अनुसार, "सामुदायिक विकास मे कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, सन्देशवाहन, ग्रामपंचायत तथा जीवन के वे महत्त्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं, जिनका सबध भारतीय जन समूह के 82 प्रतिशत जनसख्या से है।"

योजना आयोग की परिभाषा मे पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामोत्थान पर बल की बात कही गई है। श्री एसकेडे ने सामुदायिक विकास की परिभाषा मे ग्रामीण परिवेश मे जीवन बसर करने वाली बहुसख्यक जनसख्या के कल्याण के लिए विविध पहलुओ को सम्मिलित किया है। कुल मिलाकर सामुदायिक विकास एक बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम है जिसमे गावो के वाशिदो का सर्वांगीण विकास

सामाहित है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ

(Characteristics of Community Development Programme)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

- 1 स्वैच्छिक (Voluntary) - सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय साहस, प्रयत्न और प्रेरणाओं को महत्त्व दिया जाता है। इसमें कार्यक्रम ग्रामीण जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। कार्यक्रम स्थानीय होने के कारण बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होता है।
- 2 व्यापक कार्यक्रम (Vast Programme) - यह एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। ग्रामोत्थान के सभी कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं।
- 3 समुक्त प्रयास (Joint Efforts) - सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय जनता तथा सरकार का समुक्त प्रयास है। सामुदायिक विकास के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया करायी जाती है।
- 4 सर्वांगीण विकास (All-round Development) - सामुदायिक विकास गाँव के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। इसमें ग्रामवासियों के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास के प्रयास किए जाते हैं।
- 5 जनतात्रिक (Republican) - सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनतात्रिक सिद्धांत पर आधारित है। कार्यक्रम के संगठन और संचालन में ग्रामवासियों का जनतात्रिक आधार पर सहयोग लिया जाता है।
- 6 सम्पूर्ण देश में लागू (Implementation Throughout Country) - वर्तमान में पूरे देश की ग्रामीण जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिधि में आ चुकी है।
- 7 कार्यक्रम के स्तंभ (Programme Pillars) - सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पचासते, सारकारी समितियों और पाठशालाएँ महत्त्वपूर्ण संस्था होती हैं।

सामुदायिक विकास के उद्देश्य

(Objectives of Community Development Programme)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या का सर्वांगीण विकास करना है। प्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को वृषको के जीवन में सर्वाधिक लाभप्रद क्रांति वाला बताया है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पूर्व प्रमुख सलाहकार डॉ. डगलस एन्निम्बर ने सामुदायिक विकास के उद्देश्य को रेखांकित किया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1 प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास (Development of Progressive Attitude) – भारत भी ग्रामीण जनता रुढ़िवादिता में डूबी हुई है। ग्रामीण परिवेश में रुढ़िवादिता के कारण समाज में बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों में प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास करना है ताकि वे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में कारगर भूमिका निभा सकें।

2 उत्पादन वृद्धि (Production Increase) – सामुदायिक विकास का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास कर उत्पादन बढ़ाया जाता है जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है। कृषिगत क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि वास्ते कृषि में यंत्रीकरण, उर्वरकों का प्रयोग, उन्नत बीज व कीटाणुनाशक दवाओं का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास आदि इसके उद्देश्य हैं।

3 रोजगार सृजन (Employment Creation) – भारत की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है। गावों में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या विकट है। समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक विकास का उद्देश्य रोजगार में वृद्धि करना निर्धारित किया गया है। गावों में रोजगार वृद्धि के लिए वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, ग्रामीण औद्योगीकरण, भवन निर्माण आदि कार्य किये जाते हैं।

4 जनसहयोग (Public Cooperation) – विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए जनसहयोग लाजिमी है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य गावों में लोगों के बीच सहकारी ढंग से काम करने की आदत डालना है। ग्रामीण जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न कर विकास योजनाओं के प्रति उत्साहवर्द्धक वातावरण तैयार किया जाता है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है।

5 कृषि विकास (Agriculture Development) – कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी कृषि पिछड़ी हुई दशा में है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य कृषि का विकास करना है। सामुदायिक विकास मुख्यतः कृषि विकास से ही सबधित है। कृषि विकास से ही देश में विशेषकर ग्रामीण परिवेश में खुशी को लहर दौड़ना संभव है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि विकास सबधी काम यथा भूमि सुधार, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, कृषि विपणन आदि किये जाते हैं।

6 परिवहन विकास (Transport Development) – भारत में ग्रामीण परिवेश के पिछड़े हुए होने का एक प्रमुख कारण परिवहन सुविधाओं का अभाव रहा है। बहुत से गाव आज भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य गावों में परिवहन विकास रखा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सभी गावों को कच्ची व पक्की सड़कों से जोड़ना, मोटर यातायात का विकास तथा सड़कों की मरम्मत आदि कार्य किये जाते हैं।

7. **आत्मनिर्भरता (Self-Sufficiency)**— सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गावों को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में इस बात के प्रयास किए जाते हैं कि ग्रामवासियों को जीवन की प्राथमिक वस्तुएँ यथा रोटी, आवास और कपड़ा मुहैया हो सकें।

8 **उन्नत जीवन स्तर (High Living Standard)** — गावों में समस्याओं के खड़ा होने के कारण ग्रामीणों के जीवन स्तर की दशा दयनीय है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणजनों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना है। उन्नत जीवन स्तर के लिए धिकित्सा सुविधा, सामाजिक सेवाओं का विस्तार तथा मनोरंजन के साधनों के विकास पर बल दिया जाता है।

9. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान (Social and Cultural Upliftments)** — सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ उनके सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के भी प्रयास किये जाते हैं।

10 **मानव संसाधन का विकास (Development of Human Resources)** — गावों में निरक्षरता के कारण मानव संसाधन की स्थिति शोचनीय है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय संसाधनों का विकास करना है। इसके लिए गावों में शिक्षा, धिकित्सा, साक्षरता, प्रौढ शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

11 **प्रभावी नेतृत्व (Effective Leadership)** — सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गावा में अनेक विकास कार्यक्रम संचालित होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों के संचालन द्वारा स्थानीय साहस और प्रभावशाली नेतृत्व का बढावा देना है। सामुदायिक विकास में युवक संघ, महिला मंडल, पचायते, कृषक संघटन, विद्यालय, सहकारी समितियाँ, मनोरंजन क्लब आदि स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण विकास से जुड़े इन कार्यक्रमों की मदद से अनेक बार राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व उभरकर सामने आता है।

सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम

(Programme for Community Development)

सामुदायिक विकास एक गहन और व्यापक कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबधी अनेक पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामुदायिक विकास में सम्मिलित किये जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित हैं —

1. **कृषि विकास सबधी कार्यक्रम** — भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कृषि विकास सबधी अनेक कार्यक्रमों का समावेश किया गया है इसमें कृषि की दशा सुधारने वास्ते कृषि में आधुनिक तकनीकी, कृषि का विस्तार, उर्वरकों का प्रयोग, यंत्रीकरण, उन्नत बीज, कीटनाशक, कृषिविपणन, कृषि वित्त,

सहाकारिता, पशुपालन, सिंचाई विकास आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

2. सिंचाई सुविधाओं का विकास - भारत में सिंचाई सुविधाओं का अभाव कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण रहा है। कृषि विकास को गति देने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास आवश्यक है। सामुदायिक विकास में गावों में सिंचाई सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि योग्य भूमि के 50 प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं।

3. शैक्षिक विकास - भारत में निरक्षरता का अधिकार है। गावों में साक्षरता की स्थिति दयनीय है। विशेषकर महिलाओं में तो निरक्षरता बहुत ही चिन्ताप्रद है। ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण में प्रगतिशील बदलाव के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। सामुदायिक विकास में ग्रामीण परिवेश में शिक्षा सुविधाओं का विकास करना प्रमुख कार्यक्रम है। शैक्षिक विकास के लिए साक्षरता अभियान तथा व्यस्कों के लिए प्रौढ शिक्षा संचालित है।

4. महिलाओं की दशा में सुधार - देश में महिलाओं की दशा दयनीय है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभावों में महिलाओं की दशा सुधार नहीं सकी। सामुदायिक विकास में महिलाओं की बिगड़ी दशा सुधारने के लिए महिला शिक्षा, महिला उद्योग आदि की व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत है।

5. ग्रामीण औद्योगीकरण - गावों में बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

6. यातायात विकास - सामुदायिक विकास में गावों को कच्ची-पक्की सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। भारत में बहुत से गाव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। सामुदायिक विकास में गावों को सड़कों से जोड़ने के लिए ऐच्छिक श्रम, सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।

7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विकास - गावों में स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गावों में चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, पशु चिकित्सालय, छूआछूत बीमारियों पर नियंत्रण आदि सम्मिलित किए जाते हैं।

8. आवास, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण - सामुदायिक विकास में आवास, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में लोगों के लिए सुविधाजनक आवास मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा खेलकूद और सामाजिक कल्याण के कार्यों का संचालन भी किया जाता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन (Organisation of Community Development Programme)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम में परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया गया है। कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था के लिए संगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार है—

1 **केन्द्रीय स्तर पर** — वर्ष 1966 से पूर्व सामुदायिक विकास संबंधी नीतियों के निर्धारण एवं संचालन के लिए सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय था। यह मंत्रालय नीति निर्धारण अन्य मंत्रालयों यथा कृषि मंत्रालय, योजना आयोग आदि से परामर्श करता है। सामुदायिक विकास से संबंधित सलाह मशविरों के लिए एक समुचित केन्द्रीय समिति होती है जिसमें योजना आयोग के सदस्य एवं कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन समय-समय पर योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाता है।

2 **राज्य स्तर पर** — देश के सभी राज्यों में राज्य विकास परिषदें स्थापित हैं। राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा सचिव राज्य का विकास आयुक्त होता है। विकास मंत्री राज्य विकास परिषद का सदस्य होता है। सामुदायिक विकास संबंधी नीति निर्धारण का काम राज्य विकास परिषद द्वारा किया जाता है तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व विकास आयुक्त का होता है। विकास आयुक्त सामुदायिक विकास के मुख्य अधिकारी के रूप में विकास अधिकारियों के कार्यों की देखभाल करता है। विकास आयुक्त की सहायता के तत्वीकी सलाहकार समिति होती है। विकास आयुक्त केन्द्र व राज्य के बीच समन्वयक का कार्य करता है।

3 **जिला स्तर पर** — जिला स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए जिला परिषदें कार्यरत हैं। जिलाधीश जिला परिषद का पदेन मुख्य अधिकारी होता है। जिला प्रमुख परिषद का कार्यकारी अधिकारी होता है। जिला परिषद में संबंधित जिले के विधायक, सांसद तथा पंचायत समितियों के प्रधान सदस्य होते हैं। सामान्यता एक जिला परिषद के अधीनस्थ तीन खंड होते हैं तथा प्रत्येक खंड में औसत 100 गांव होते हैं। जिला परिषदें संबंधित जिले की पंचायत समितियों तथा विकास खंडों में समन्वय का कार्य करती हैं।

4 **खंड स्तर पर** — खंड स्तर पर पंचायत समितियां होती हैं जिनमें खंड विकास अधिकारी (बी डी ओ) मुख्य अधिकारी होता है। पंचायत समिति में चुने हुए सदस्य सम्मिलित होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और विस्तार अधिकारी पंचायत समिति के निर्देशन में काम करते हैं। इसके अलावा ऐच्छिक संगठनों से भी पंचायत समिति के कामकाज में सहयोग लिया जाता है।

5 **ग्राम स्तर पर** — ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं जिसमें गांव के

चुने हुए पंच और सरपंच होते हैं। गावों के छोटे-छोटे होने पर दो या तीन छोटे-छोटे गावों का बड़े गाव की पंचायत में सम्मिलित कर दिया जाता है। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए पंचायत का मुख्य कार्यकर्ता ग्राम सेवक होता है।

सामुदायिक विकास के चरण

(Steps of Community Development Programme)

वर्ष 1958 में बलदन्त राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विभिन्न अवस्थाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया था। वर्तमान में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन चार अवस्थाओं में होता है -

1 **पूर्व विस्तार अवस्था** - सामुदायिक विकास की पूर्व विस्तार अवस्था में प्रस्तावित विकास खंड का गहन अध्ययन और सर्वेक्षण किया जाता है तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा खंड स्थापना के लिए आवश्यक आधार तैयार किया जाता है।

2 **प्रथम अवस्था** - पूर्वविस्तार अवस्था का काम पूरा हो जाने के बाद उन्हीं क्षेत्रों में पांच वर्ष के लिए प्रथम अवस्था लागू होती है। इस अवस्था में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर 12 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है। प्रथम अवस्था में निर्धारित राशि का उपयोग ग्रामीण औद्योगीकरण, कृषि विकास तथा सामाजिक सेवाओं के लिए किया जाता है।

3 **द्वितीय अवस्था** - प्रथम अवस्था के संपन्न होने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय अवस्था प्रारम्भ होती है। इस अवस्था में 5 लाख रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान होता है। इस अवस्था में सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाता है।

4 **अन्तिम अवस्था** - अन्तिम अवस्था में सामुदायिक विकास की योजनाएँ स्वयं स्फूर्त हो जाती हैं। क्षेत्र विशेष के अपेक्षित विकसित नहीं होने की दशा में विकास को अनुकूल स्तर पर लाने के लिए सरकार एक लाख रुपये प्रति वर्ष आवंटित करती है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास की प्रगति (Progress of Community Development Programme During Five Year Plans)

सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजन नियोजित विकास में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की उत्तरोत्तर प्रगति हुई। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास की प्रगति निम्नलिखित है -

1 **प्रथम पंचवर्षीय योजना** - भारत में गावों के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को चुने हुए 55 केन्द्रों पर हुई। सामुदायिक विकास का उद्देश्य जाति उन्मुख परम्परागत समाज को

सामुदाय उन्मुक्त समाज में बदलना था। इस योजना में शुरु की गई 55 परियोजनाओं में प्रत्येक में 100 गांव व लगभग 2 लाख व्यक्ति सम्मिलित किए गए थे। प्रथम योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 4598 करोड़ रुपये व्यय किए गए जिससे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बल मिला।

2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना - योजनावधि में सामुदायिक विकास आन्दोलन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए बलवत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई जिसने सामुदायिक विकास के संध में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए -

- 1 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण
- 2 योजनाएँ जनता के द्वारा बनाना
- 3 सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास कार्यों का समन्वय स्थापित करना।
- 4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विभिन्न अवस्थाओं को समाप्त करना।
- 5 कृषि व ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना।
- 6 कर्मचारियों का उचित ढंग से उपयोग करना।
- 7 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर् को समाप्त करना।

सरकार ने बलवत राय मेहता समिति की सिफारिशों स्वीकार कर ली। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को देश में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण का सूत्रपात पंडित नेहरू द्वारा किया गया। द्वितीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 18712 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

3 तृतीय पंचवर्षीय योजना - इस योजना में सामुदायिक विकास पर 26912 करोड़ रुपये व्यय किया गया। मार्च 1966 तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम 5,200 विकास खंडों में प्रगति पर था। योजनावधि में देश का अधिकांश भाग सामुदायिक विकास की परिधि में आ चुका था।

4 तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69) - वर्ष 1968-69 में विकास खंडों की संख्या 5,265 थी। तीन वार्षिक योजनाओं में सामुदायिक विकास पर 92 करोड़ रुपए व्यय किया गया।

5 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना - चतुर्थ योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर 1152 करोड़ रुपये व्यय किया गया। योजनावधि में अनेक राज्यों में सामुदायिक विकास खण्डों में पुनर्गठन के कारण सामुदायिक विकास खण्डों की संख्या घटी। योजना में देश की समूची ग्रामीण जनसंख्या सामुदायिक विकास की परिधि में आ चुकी थी।

6 पांचवी पंचवर्षीय योजना - पांचवी योजना में सामुदायिक विकास व पंचायती राज पर 161 करोड़ रुपये व्यय किये गये। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। योजनावधि में सामुदायिक

विकास पर वास्तविक व्यय, प्रावधानिक व्यय से कम था। योजना में सामुदायिक विकास पर 2275 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था।

7. छठी पंचवर्षीय योजना - छठी योजना में सामुदायिक विकास पर 352 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया था। छठी योजना तक देश में 252 जिला परिषदे, 5,500 विकास खंड, 23 लाख ग्राम पंचायतें तथा 4,478 समितियों कार्यरत थीं। इस योजना में देश के 544 लाख गावों की 407 करोड़ जनसंख्या सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रही थी।

8 सातवीं पंचवर्षीय योजना - सातवीं योजना में सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर 41615 करोड़ रुपये व्यय किये गये। योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता के अन्तर्गत सामुदायिक विकास को बजट बनाने तथा योजनाएँ संचालित करने की छूट दी गई।

सामुदायिक विकास कार्य की आलोचनाएँ

(Criticisms of Community Development Programme)

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू हुए 48 वर्ष (अक्टूबर 2000 को) पूरे हो चुके हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से गावों में कुछ प्रगति अवश्य हुई है, किन्तु इस कार्यक्रम से जो आशाएँ की गई थी उतनी सफलता नहीं मिल सकी। आज गावों सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से शहरों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। गावों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आज भी व्याप्त है। योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करता रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख आलोचनाएँ अथवा असफलताएँ निम्नलिखित हैं -

1. राजनीति का केन्द्र (Centre of Politics) - भारत में सामुदायिक विकास केन्द्र गन्धी राजनीति का अखाड़ा बन गये हैं। देश में सामुदायिक विकास के केन्द्र बिन्दु ग्राम पंचायतें, सहकारी समितियाँ, पंचायत समिति तथा जिला परिषदे आदि सर्वांगीण विकास के लिए स्थापित किए गए हैं, किन्तु ये सब अब राजनीति के शिकार हैं। इनमें सत्ताधारी और विरोधी पक्ष परस्पर लड़ते रहते हैं। विरोधी दल सकारात्मक आलोचना के स्थान पर विकास कार्यों में अड़चने उत्पन्न करते हैं। राज्यों में पंचायत चुनाव नियत समय पर नहीं कराये जाते हैं।

2. खोखला कार्यक्रम (Useless Programme) - सामुदायिक विकास एक खोखला कार्यक्रम है। स्वातन्त्र्योत्तर गावों के विकास के नाम पर अनेक योजनाएँ बनीं, उनमें भारी भरकम पूँजी का आवंटन किया गया। किन्तु ग्रामीण विकास की योजनाओं से जरूरतमंद को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। विकास योजनाओं की आवंटित राशि तो खर्च में दिखा दी जाती है लेकिन न तो गावों का विकास हुआ न ही किसान और गरीबों की माली हालत सुधर सकी। विकास के नाम पर जो धन केन्द्र से जारी होता है उसका बहुत कम भाग गावों में विकास वस्तु पहुँच

पाता है। अधिकांश भाग भ्रष्टाचार की बाढ में बह जाता है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लालफीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है।

3 समन्वय का अभाव (Lack of Co-ordination) — सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय लोगों तथा सरकार के समन्वय पर आधारित है। किन्तु सामुदायिक विकास में जन प्रतिनिधियों और राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव दृष्टिगोचर होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंच, सरपंच और ग्राम सेवक, पटवारी के बीच, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान और खण्ड विकास अधिकारी के बीच तथा जिला परिषद स्तर पर जिला प्रमुख व अन्य कार्यकारी अधिकारी के बीच परस्पर मतभेद हो जाने के कारण विकास कार्य ठप्प पड़ जाते हैं।

4 सरकारी ससाधनों पर निर्भरता (Dependence on Government Resources) — सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकारी साधनों पर आश्रित हो गया है और स्वयं की मदद अपने आप करों के लक्ष्य से दूर हो गया है। सामुदायिक विकास के प्रारम्भ में यह कल्पना की गई थी कि 1962 के बाद यह कार्यक्रम स्थानीय पहल और स्वयं के ससाधनों पर निर्भर हो जाएगा। यह बात सही नहीं निकली। लम्बे समय बाद भी सामुदायिक विकास की राजकीय कोषों पर निर्भरता बनी हुई है। सातवीं योजना में सामुदायिक विकास को स्वायत्तता दी गई है।

5 अपर्याप्त राजकीय सहायता (Insufficient Government Aid) — सामुदायिक विकास के कार्यक्रम बहुत व्यापक है। सामुदायिक विकास पर गावों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है। भारत के गाव बहुत पिछड़े हुए हैं। गावों के आर्थिक विकास के लिए भारी पूंजी विनियोजन की आवश्यकता है। वित्तीय ससाधनों के अभाव में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है। अनेक बार सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है क्योंकि सरकारी कार्यालयों की भांति विकास खण्डों में भी लालफीताशाही का बोलबाला है।

6 जन सहयोग का अभाव (Lack of Public Cooperation) — सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिला। श्रमदान को बेगार समझा गया और लोगों ने इसमें पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया। भ्रष्ट व्यक्ति सामुदायिक विकास पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं। योग्य और ईमानदार व्यक्ति भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से दूर रहना चाहते हैं। सामुदायिक विकास का लाभ घट सम्पन्न व्यक्ति और कुछ भू स्वामियों तक ही समिति रहा। ऐसे वातावरण में जन सहयोग कठिन होता है।

7 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) — कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि पिछड़ी हुई दशा में है। आज भी खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। भारत में कृषि का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के देशों की तुलना में कम है। सामुदायिक विकास का प्रमुख लक्ष्य कृषि

विकास को आज भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। जबकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किये 48 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है।

8 कल्याण कार्यों को प्रमुखता (Main Stress on Welfare Activities) — सामुदायिक विकास में आर्थिक विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। सामुदायिक विकास में कल्याण कार्यों को अधिक प्रमुखता दी गई परिणामस्वरूप गावों में आर्थिक विकास सबंधी कार्य यथा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण औद्योगीकरण, सहकारिता गति नहीं पकड़ सकें। गावों की अर्थव्यवस्था में उत्पादकता का अभाव बना हुआ है। गौरतलब है कल्याण कार्यों पर अधिक बल दिये जाने के बावजूद भी गावों में सड़को, स्कूलों, अस्पतालों का आज भी अभाव है।

विभिन्न खासियों के बावजूद सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण विकास को नया आयाम दिया है। आज गावों में जागरूकता है। ग्रामीण अधिकारों के प्रति सचेष्ट है। उनका आसानी से शोषण नहीं किया जा सकता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के सुझाव (Suggestions for the Improvement of Community Development Programme)

सत्ता की बागडोर जन प्रतिनिधियों के हाथों में थमा देने मात्र से विकास नहीं हो जाता। गावों के विकास के लिए नेतृत्व के दृष्टिकोण में बदलाव भी आवश्यक है। देश में भूमि सुधार कार्यक्रमों की क्रियान्विती और सुदृढ़ साख ढांचे के विकास से सामुदायिक विकास कार्यक्रम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव कारगर सिद्ध हो सकते हैं —

1 कृषि विकास पर जोर (Stress on Agriculture Developments) — भारत में गावों की दशा सुधारने के लिए कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना बहुत आवश्यक है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिये जाने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। कृषि विकास सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्यक्रम है। इसके बावजूद कृषि का पिछड़े रहना चिंताप्रद बात है। कृषि की दशा सुधारने के लिए भूमि सुधारों का सही क्रियान्वयन आवश्यक है; इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि निवेश में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। हरित क्रांति में बदलाव की आवश्यकता है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की हरित क्रांति की तकनीक पुरानी पड़ चुकी है। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उन्नत किस्म के बीज बाजार में उपलब्ध हैं जिनके प्रयोग से कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी आत्मसात करते समय भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। आज कृषि क्षेत्र में सतुलित विकास की आवश्यकता है। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास पर बल देकर आर्थिक विषमता की समस्या से निपटा जा सकता है।

2 ग्रामीण औद्योगीकरण (Rural Industrialization) — गावों में बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या विकट है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी व्याप्त है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण वास्ते कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा हस्तशिल्प, लघु एव कुटीर उद्योगों की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। गावों में उद्योग धन्धे खुलने से ग्रामीणों को रोजगार मिलने से उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा।

3 शिक्षा प्रसार (Educational Expansion) — शिक्षा और साक्षरता विकास सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्यक्रम है। किन्तु गावों में शिक्षा के क्षेत्र में कारगर प्रयास नहीं होने से निरक्षरता की समस्या आज भी विद्यमान है। अतः सामुदायिक विकास में शिक्षा प्रसार पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। गावों में शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान संभव है। शिक्षा के विकास से गावों में बेकाबू जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या के थोड़ा भी नियंत्रित होने पर आर्थिक विकास की गति में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा के प्रसार से ग्रामीण परिवेश में रुढ़िवादिता, अज्ञानता, अधविश्वास को बड़ी सीमा तक दूर किया जा सकता है।

4 गंदी राजनीति से दूर (To be Away from Dirty Politics) — सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गंदी राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। क्षेत्र विशेष के विकास पर राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। सामुदायिक विकास को राजनीति से दूर रखने के लिए राजनीतिज्ञों को आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए।

5 उचित समन्वय (Appropriate Co ordination) — सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ऐसे प्रयास किये जायें जिससे जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच परस्पर सहयोग की भावना बनी रहे। जन प्रतिनिधियों को भी अधिकारियों की भांति प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

6 प्रशासनिक कुशलता (Administrative Efficiency) — सामुदायिक विकास कार्यक्रम में योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। अधिकारियों को ग्रामीण विकास परियोजनाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आवश्यकता होने पर अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामुदायिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि योजनाओं का लाभ अपेक्षी तक पहुंचे। गावों के लोग तुलनात्मक रूप से भोले होते हैं। वे आसानी से शोषण का शिकार हो जाते हैं। अतः भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

6 जन सहयोग के प्रयास (Efforts for Public Cooperation) — सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को इसकी विफलता के कारण अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिला। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की दशा में जन सहयोग स्वतः प्राप्त होगा। जनसहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक विकास के

कार्यक्रमों को प्रचारित किया जाना चाहिए। जन सपर्क विभाग की गाड़ियों को गावों की ओर मोड़ा जाना चाहिए जिससे गावों के लोग विकास योजनाओं के बारे में जागरूक हो सकें।

कुल मिलाकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम हैं। इसके कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास समाहित हैं। किन्तु सामुदायिक विकास राजनीति का अखाड़ा बनने से लक्ष्य प्राप्ति में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों में परस्पर सहयोग स्थापित कर, पर्याप्त वित्तीय सुविधा मुहैया कराकर तथा जन सहयोग प्रोत्साहन से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गति दी जा सकती है।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है।
- 2 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए।
- 3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन बताइए।
- 4 सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
(संकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य लिखने हैं तथा द्वितीय भाग में सामुदायिक विकास की उपलब्धियों को बताना है।)
- 2 "सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारतीय ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास कार्यक्रम है" इस कथन की समीक्षा कीजिए।
(संकेत — इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों का वर्णन करना है।)
- 3 पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास की प्रगति बताइए।
(संकेत — अध्याय में की गई विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास की प्रगति लिखिए।)
- 4 सामुदायिक विकास की आलोचनाएं बताइए तथा इस कार्यक्रम की सफलता के सुझाव दीजिए।
(संकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई सामुदायिक कार्यक्रम की आलोचना लिखिए तथा दूसरे भाग में कार्यक्रम को सफल बनाने के सुझाव देने हैं।)

कृषि वित्त के स्रोत

(Sources of Agriculture Finance)

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश की बहुसंख्यक जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय में भी कृषि की कारगर भूमिका है। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण परिवेश में साख सुविधाओं का अत्यन्त अभाव था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व गाँवों में बैंक शाखाएँ बहुत कम थीं। परिणामस्वरूप किसान वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णरूपेण सेठ-साहूकारों पर निर्भर था। किसान साहूकारों के घगुल में फँसा हुआ था। साहूकारों ने किसानों का मनमाफिक शोषण किया। साहूकारों ने किसानों की आर्थिक रीढ़ तोड़ कर रख दी। भारत के ग्रामीण परिवेश में साहूकारों का प्रभाव आज भी समाप्त नहीं हुआ है। बहुसंख्यक किसान साहूकारों के शोषण से आज भी ग्रसित हैं। साहूकारों के शोषण की नीति के कारण किसान कर्ज में डूबा रहता है। किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में यह कहायत चर्चित रही कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है कर्ज में पलता है तथा कर्ज में ही मर जाता है। हाल ही के वर्षों में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। किन्तु गाँवों में आर्थिक विषमता दिनाप्रद है। गरीब किसानों की स्थिति शोचनीय है। दिगड़ी आर्थिक दशा के लिए किसान भी स्वयं उत्तरदायी है। भारत का किसान ऊँची ब्याज दर पर प्राप्त साख को अनुत्पादक कार्यों में खर्च कर देता है। निरक्षर किसानों का रुढ़िवादी दृष्टिकोण विकास में भी बड़ी बाधा है।

अब ग्रामीण परिवेश की स्थिति में बदलाव आया है। पंचवर्षीय योजनाओं में गाँवों में साख सुविधाओं का विस्तार हुआ है। गाँव-गाँव में स्कूल खुलने के कारण किसानों के परम्परागत दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में समृद्धि बढ़ी है। आज ग्रामीण परिवेश में बड़ी सीमा तक खुशहाली है। कृषि विकास के साथ ग्रामीण परिवेश में कृषि वित्त की आवश्यकता बढ़ी है।

वर्तमान में किसानों को कृषि में यंत्रीकरण, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए अधिक साख सुविधा की आवश्यकता है। भारत का किसान शिक्षित नहीं है। बैंको की ऋण प्रक्रिया जटिल है। बैंको द्वारा ऋण स्वीकृति में भ्रष्टाचार है। किसान बिचौलिए के चक्कर में फस जाता है। कृषि वित्त में सुधार की महती आवश्यकता है। कृषि की तीव्र उन्नति के लिए किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है। आसान कृषि वित्त इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है।

कृषि वित्त के प्रकार (Types of Agriculture Finance)

भारत में कृषि वित्त को किसानों की साख आवश्यकताओं के अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन भागों में बाटा जाता है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है -

- 1 **अल्पकालीन साख (Short-Term Credit)** - अल्पकालीन साख की अवधि 12 माह से 15 माह तक होती है। किसानों को अल्पकालीन साख उनके चालू खर्च यथा बीज, खाद, फसल की युआई-कटाई आदि के लिए दी जाती है। किसानों को अल्पकालीन सुविधा सहकारी समितियों तथा महाजनो द्वारा मुहैया करायी जाती है।
- 2 **मध्यकालीन साख (Mid-Term Credit)** - मध्यकालीन साख की अवधि 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक की होती है इस प्रकार की साख कृषि में यंत्रीकरण, सिंचाई व्यवस्था तथा भूमि को समतल करने के लिए प्रदान की जाती है। मध्यकालीन साख कुछ अधिक अवधि की होती है तथा इस पर ब्याज की दर भी अधिक होती है।
- 3 **दीर्घकालीन साख (Long-term Credit)** - दीर्घकालीन साख की अवधि 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होती है। भूमि विकास बैंको द्वारा किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान की जाती है। दीर्घकालीन साख का उपयोग लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, भारी यंत्रीकरण, ऋण भुगतान, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्यों में किया जाता है।

भारत में कृषि साख के स्रोत

(Sources of Agriculture Credit in India)

भारत में कृषि साख के अनेक स्रोत हैं। मुख्य रूप से कृषि साख स्रोतों को तीन भागों में बाटा जा सकता है—निजी व्यक्ति, द्वितीय संस्थाएँ और सरकार। निजी व्यक्तियों में सेठ-साहूकार, महाजन, दलाल व रिश्तेदारों को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियाँ आदि सम्मिलित की जाती हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें भी कृषि कार्य के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि साख सुविधा मुहैया कराती हैं।

कृषि साख वितरण

(करोड रुपए)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक
1993-94	10117	977	5400
1994-95	9406	1083	8255
1995-96	10479	1381	10172
1996-97	11944	1684	12783
1997-98	14085	2040	15831
1998-99	15916	2538	18443
1999-2000 (लक्ष्य)	20665	3443	20567

स्रोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, पृ 125 तथा 1999-2000, पृ 142

1. देशी बैंकर (Indigenous Bankers)

भारत में देशी बैंकर का ग्रामीण साख के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रामीण परिवेश में आज भी सेठ साहूकार, महाजन किसानों को साख सुविधा मुहैया कराते हैं। डा एल सी जैन के अनुसार "साहूकार अथवा महाजन वह व्यक्ति होता है जो अपने ग्राहकों को समय पर ऋण देता रहता है और देशी बैंकर वह व्यक्ति होता है जो ग्राहकों को ऋण देने के अतिरिक्त विशेष निक्षेप स्वीकार करने तथा हुण्डियों के लेन-देन का कार्य भी करता है।" भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति के अनुसार देशी-बैंकर वह व्यक्ति अथवा निजी फर्म है जो जमाए स्वीकार करने, हुण्डियों का व्यवसाय करने अथवा ऋण देने का कार्य करते हैं।

देशी बैंकर आभूषण, बर्तन, भूमि, दुकान आदि गिरवी रखकर उधार देते हैं। इनकी ऋण प्रक्रिया बहुत आसान होती है। किसान सुविधा अनुसार इनसे कमी भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। देशी बैंकर से कृषि साख का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त होता है। देशी बैंकर किसानों का मनमाफिक शोषण करते हैं। भारत की कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण साहूकारों द्वारा किसानों का किया गया शोषण भी है। कृषि साख के सद्बोध में यह कहावत लम्बे समय तक चर्चित रही कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है तथा कर्ज में ही मर जाता है।

देशी बैंकर के दोष (Demerits of Indigenous Bankers)

देशी बैंकर की कार्यप्रणाली अत्यधिक दोषपूर्ण तथा शोषण को बढ़ावा देने वाली थी। देशी बैंकर द्वारा साख सुविधा में अनेक दोष पाये जाते हैं -

1 उँची ब्याज दरें (High Rate of Interest) - देशी बैंकर द्वारा ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। देशी बैंकर सामान्यतया 24 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करते हैं। देशी बैंकर्स किसानों से मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूल कर लेते हैं।

2 अग्रिम ब्याज (Advance Interest) — देशी बैंकर अथवा साहूकार किसानों को ऋण देते समय ब्याज राशि अग्रिम काट लेते हैं जिससे किसानों को मूल ऋण भी कम प्राप्त होता है।

3 हिसाब में गड़बड़ (Mismanagement in Accounts) — साहूकारों द्वारा ऋणों के हिसाब-किताब में भारी गड़बड़ी रखी जाती है। इनके द्वारा किसानों को ऋणों का हिसाब-किताब नहीं दिखाया जाता है। कई बार साहूकार किसानों द्वारा ऋण की किरत अदायगी की प्रविष्टि नहीं करते हैं। ब्याज की गणना भी ज्यादा कर ली जाती है। साहूकारों द्वारा ऋण जमा की रसीदें भी नहीं दी जाती हैं।

4 गलत प्रतिज्ञा पत्र (Improper Promissory Note) — साहूकार किसानों से ऋण राशि से अधिक का प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त कर लेते हैं। अनेक बार खाली प्रतिज्ञा पत्र पर किसानों के हस्ताक्षर करा लेते हैं। बाद में अधिक रकम भर ली जाती है।

5 बेगार (Forced Labour) — साहूकार ऋणी किसान से बेगार कराने से नहीं चूकते हैं। ऋणी किसान का साहूकारों द्वारा शोषण होता है। साहूकार के घर न केवल किसान अपितु उसका परिवार काम-काज करता है। किसान के परिवार को साहूकार के खेत-खलिहानों में काम करना पड़ता है। बेगार के बदले किसानों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

6 फसल की खरीद (Purchase of Crops) — साहूकार किसान को इस शर्त पर ऋण देता है कि किसान की फसल तैयार होने पर वह उसे ही बेचेगा। साहूकार किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं देता है तथा तौल में भी गड़बड़ करता है।

7 अन्य शुल्क (Others Taxes) — किसानों को ऋण देते समय साहूकार अनेक प्रकार की वसूलिया यथा धर्मादा, नजराना, गिरह खुलाई आदि कर लेता है जिससे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ता है।

साहूकारों के अनेक दोष होने के बावजूद ग्रामीण परिवेश में इनका अधिक प्रभाव है क्योंकि स्वतंत्रता के अनेक वर्षों बाद भी गावों में सरथागत साख का अभाव था। आज गावों में बैंक शाखाएँ खुलने लगी हैं। किन्तु बैंकों की ऋण प्रक्रिया जटिल है। इस कारण भारत का निर्धन और निरक्षर किसान बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है। इसके विपरीत साहूकारों की ऋण प्रक्रिया बहुत ही आसान है। किसान जब चाहे साहूकारों से ऋण प्राप्त कर सकता है। साहूकार किसानों को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण देते हैं। साहूकार ब्याज मिलते रहने पर मूलधन पर कभी दबाव नहीं डालते हैं।

भारत के किसानों की माली हालात को दयनीय बनाने में देशी बैंकर और साहूकारों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। साहूकारों ने किसानों की मजबूरी का पूरा लाभ उठाया है। सरकार ने किसानों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए

साहूकारों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कई अधिनियम पारित किए हैं। वर्तमान में साहूकारों की गतिविधियों पर अकुश रखन तथा किसानों को शोषण से बचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत साहूकारों को लाइसेंस लेना, ऋण व ब्याज भुगतान की रसीद देना तथा सही तरीके से हिसाब-किताब रखना आदि अनिवार्य कर दिया गया है। अब साहूकार किसान से मनमाफिक ब्याज वसूल नहीं कर सकता है तथा ऋणों के भुगतान के लिए भूमि, बैल, कृषिगत सामान आदि की कुर्की नहीं की जा सकती है।

महाजनों का कृषि साख में भविष्य — भारत की अर्थव्यवस्था में राजकीय नियंत्रणों के बावजूद साहूकारों का प्रभाव बना हुआ है। आज भी गावों में गरीबी का ताण्डव है। ग्रामीण परिवेश निरक्षरता के अधकार में डूबा हुआ है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद गावों में बैंक शाखाएँ खुली हैं। ग्रामीण बैंक शाखाओं के विस्तार से यह साचा गया कि भारत के किसान साहूकारों के चंगुल से बचेंगे किन्तु किसानों के शोषण मुक्ति के काम में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बैंकों से ऋण प्राप्ति में किसान विधौलियों अथवा मध्यस्थों के चक्कर में फस जाता है। बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आज भी किसान का आर्थिक शोषण होता है। जब तक भारत के गावों में आर्थिक समृद्धि नहीं आती, किसान पढ़ लिख नहीं जाता तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साहूकारों का प्रभाव बना रहेगा।

2. कृषि सहकारी साख समितियाँ

(Agriculture Co-operative Credit Societies)

भारत का किसान सदैव ऋण मार में डूबा रहा। किसान की कृषि के लिए सदैव दूसरों पर निर्भरता बनी रही। किसान के परावलम्बन के कारण सदैव उसका शोषण हुआ। देश के गरीब किसानों को शोषण से मुक्त कराने, स्वावलम्बी बनाने, कृषि के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने के लिए कृषि सहकारी साख की आवश्यकता महसूस की गई। भारत में कृषि सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रादुर्भाव 1895 में फ्रेडरिक निकलसन के प्रतिवेदन से हुआ। वर्ष 1901 में लार्ड कर्जन द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर 1904 में भारतीय सहकारी साख अधिनियम पारित हुआ।

भारत में सहकारी साख का ढांचा 'स्तूपकार' (Pyramid) है। यह सघीय व्यवस्था पर आधारित है। इसमें प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ ग्रामीण जनता को प्रत्यक्ष रूप से साख सुविधाएँ उपलब्ध करवाती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक जिले में सहकारी साख के विकास और विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक की सदस्य होती हैं। 'शीर्ष बैंक' (Apex Bank) राज्य की सहकारी साख व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था होती है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक इसके सदस्य होते हैं। शीर्ष बैंक का कार्य राज्य के सहकारी आन्दोलन को दिशा देना व उस पर नियंत्रण रखना है।

दिगत वर्षों में भारत में सहकारी साख का विस्तार हुआ है किन्तु कृषि

साख में सहकारी साख का योगदान कम है। सहकारी बैंको द्वारा कृषि साख में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। सहकारी बैंको द्वारा कृषि साख 1993-94 में 10,117 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1996-97 में केवल 11,944 करोड़ रुपये हो सकी। वर्ष 1998-99 में सहकारी बैंको द्वारा कृषि साख का लक्ष्य 16,987 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

कृषि साख में सहकारी बैंको की भूमिका

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कृषि साख	सहकारी बैंक	कृषि साख में सहकारी बैंक का प्रतिशत
1993-94	16494	10117	61.3
1994-95	18744	9406	50.2
1995-96	22032	10479	47.6
1996-97	26411	11944	45.2
1997-98	31956	14085	44.0
1998-99	36897	15916	43.1
1999-2000 (लक्ष्य)	44675	20665	46.3

स्रोत इण्डिया इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99 पृ 125 तथा 1999-2000

हाल ही के वर्षों में सस्थागत कृषि साख में सहकारी बैंको की भूमिका कम हुई है। वर्ष 1993-94 में सस्थागत कृषि साख में सहकारी बैंको का योगदान 61.3 प्रतिशत था जो घटकर 1995-96 में केवल 47.6 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1999-2000 में सस्थागत कृषि साख में सहकारी बैंको का योगदान 46.3 प्रतिशत (लक्ष्य) था।

3 भूमि विकास बैंक

(Land Development Bank)

कृषि विकास में भूमि विकास बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारी बैंक किसानों को अल्पकालीन साख सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, फिर भी किसानों को कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। भूमि विकास बैंक कृषकों को भूमि खरीदने तथा भूमि में स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैंक भूमि को बंधक रखकर ऋण मुहैया कराते हैं।

भारत में पहले भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई। बाद के वर्षों में भूमि विकास बैंको की स्थापना की गई। भारत में भूमि विकास बैंको का संगठन दो प्रणाली पर आधारित है। राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। भारत में वर्तमान में 19 केन्द्रीय भूमि विकास बैंक हैं। वर्ष 1986 में 2,447 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत थे।

भूमि विकास बैंकों की कार्यशील पूंजी 1989-90 में लगभग 4,793 करोड़ रुपये थी। पूंजी एकत्र करने के लिए भूमि विकास बैंक 7 दस तक के प्राणी ऋणपत्र जारी कर सकते हैं। वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों ने 820 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये। केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के बकाया ऋण 1989-90 क अन्त म 3,499 करोड़ रुपये तथा जून 1992 तक 4,055 करोड़ रुपये थी। भूमि विकास बैंक कृषि साख का बहुत कम भाग पूरा करते हैं।

4 राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड)

(National Bank for Agriculture and Rural Development)

राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को हुई। नाबाड का भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण योजना तथा ऋण प्रकोष्ठ और कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम का कार्यभार सौंपा गया। नाबाड की प्रदत्त और धुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये है। जिते केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने आधा-आधा दिया है। नाबाड की स्थापना कृषि लघु उद्योगों, कुटीर तथा ग्राम उद्योग, दस्तकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के बास्ते की गई ताकि समकित ग्रामीण विकास का प्रोत्साहित किया जा सके और ग्रामीण मत्रा को खुशहाल बनाया जा सके। नाबाड कृषि वित्त की शीर्ष सस्था है जा ग्रामीण क्षेत्रा म कृषि तथा अन्य कायकलापा क लिए ऋण उपलब्ध कराने की नीति योजना और काय सचालन प्रक्रिया सदधी मामलों की देखमाल करती है।

नाबाड के कार्य (Functions of NABARD)

- 1 ग्रामीण क्षेत्रा म विभिन्न विकास कायों के लिए निवेश और उत्पादन ऋण दन वाली सस्थाआ की शीर्ष पुनर्वित्त एजन्ती के रुप में काय करना।
- 2 पुनर्वास योजनाए तैयार करने, उन पर निगरानी रखने, ऋण उपलब्ध कराने वाली सस्थाआ का टाया सुधारने, कमधारियों को प्रशिक्षित करने आदि के साथ-साथ ऋण वितरण प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के बास्ते सस्थागत व्यदस्था क विकसित करने के उपाय करना।
- 3 क्षेत्र स्तर पर विकास काय म लगी सनी सस्थाआ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही दितीय व्यदस्था में तालमेल बिटाना और केन्द्रीय/राज्य सरकारों व भारतीय रिजर्व बैंक और नीति निमाग स सन्बद्ध स्तर की अन्य सस्थाआ स सम्पर्क बाए रखना।
- 4 उन परियाजनाआ की निगरानी और मूल्याकन करना जिनकी पुनर्वित्त व्यदस्था स्वय की हा।

नाबाड की पुनर्वित्त सुधिया राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों अनुसुधित कागज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उपलब्ध है। निवेश के जरिये साझा कम्पनियों शासकीय निगम और सहकारी समितियाँ लामाचित हो

सकती हैं।

नाबार्ड की भूमिका - नाबार्ड ने 1991-92 में भूमि योजनाओं के तहत पुनर्वित्त के रूप में सावधि ऋण के रूप में 2,054 करोड़ रुपये तथा स्वीकृत नयी योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वित्त सहायता के रूप में 2,236 करोड़ रुपये दिये। नाबार्ड ने 1982-83 में 4,957 योजनाएँ स्वीकृत की तथा उन्हें 1,268 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। बाद के वर्षों में स्वीकृत योजनाओं और मजूर वित्तीय सहायता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। नाबार्ड ने 1990-91 में 10,650 स्वीकृत योजनाओं को 2,119 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मजूर की। वर्ष 1996-97 नाबार्ड ने 19,000 योजनाएँ स्वीकृत की तथा 10,300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मजूर की। नाबार्ड ने जुलाई 1982 से लेकर 1996-97 तक 1,50,000 परियोजनाएँ के लिए 47,600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये।

5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)

देश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को साहूकारों के घगुल से बचाने तथा गावों में बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। भारत में 2 अक्टूबर, 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की घोषणा की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से की गई जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएँ नहीं थीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर सस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देना तथा उत्पादक गतिविधियों को सहयोग देना था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि साख वितरण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल सस्थात्मक साख	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सस्थागत साख में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिशत
1993-94	16494	977	5.9
1994-95	18744	1083	5.8
1995-96	22032	1381	6.3
1996-97	26411	1684	6.4
1997-98	31956	2040	6.4
1998-99	36897	2538	6.9
1999-2000 (लक्ष्य)	44675	3443	7.7

स्रोत इण्डिया इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99 पृ 125 तथा 1999-2000

प्रगति - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सिविकम को छोड़कर देश के 478 जिलो मे से 398 जिलो मे 196 शाखाए है और उनकी देश के 398 जिलों में 14,543 शाखाए है। मार्च 1993 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 4,601 करोड रुपये (बकाया) ऋण सहायता दी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा मार्च 1993 तक 6,908 करोड रुपये की रकम जुटाई गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का बुनियादी लक्ष्य बडी सीमा तक प्राप्त कर किया गया है लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सक्षमता प्राय चिन्ता का विषय बनी रही है।

दिगत वर्षों मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा कृषि साख मे वृद्धि हुई है किन्तु कुल कृषि सस्थागत साख मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की भूमिका बहुत कम है। वर्ष 1993-94 में कुल कृषि सस्थागत साख 16,494 करोड रुपये थी जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भाग 977 करोड रुपये था जो कुल सस्थागत साख का केवल 5.9 प्रतिशत ही था। कृषि साख में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका धीमी गति से बढी है। वर्ष 1996-97 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 1,684 करोड रुपये की कृषि साख प्रदान की गई जो कुल कृषि सस्थागत साख का 6.4 प्रतिशत था। वर्ष 1999-2000 मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा 3443 करोड रुपये की कृषि साख मुहैया कराने का लक्ष्य था।

6 व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

बैंको के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ग्रामीण परिवेश में बैंक शाखाओं का अभाव था। वर्ष 1969 मे 14 बडे बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया इसके बाद 1980 में 6 और बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद गावों में बैंक शाखाओं के विस्तार को गति मिली। व्यापारिक बैंक कृषि के लिए अल्पकालीन ऋणो की पूर्ति करते है। कृषको के हितो को दृष्टिगत रखते हुए बैंकों की कार्यप्रणाली को सरल बनाया गया है। लीड बैंक योजना के अन्तर्गत गावो में बैंक शाखाए खोली जा रही हैं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंको की ग्रामीण शाखाओ का अभाव था। जून 1969 मे व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाए 1,832 थी जो व्यापारिक बैंको की कुल शाखाओ का 22.4 प्रतिशत था। बाद के वर्षों में व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में तीव्र वृद्धि हुयी। जून 1993 मे व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखाए बढ़कर 33,850 हो गई जो व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाओ का 50 प्रतिशत था।

हाल ही के वर्षों मे व्यापारिक बैंकों की कृषि साख मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है। व्यापारिक बैंको की कृषि साख 1993-94 मे 5,400 करोड रुपये थी जो बढ़कर 1995-96 में 10,172 करोड रुपये तथा 1996-97 में और बढ़कर 12,783 करोड रुपये हो गई। कुल कृषि सस्थागत साख मे व्यापारिक बैंको का योगदान बढा है। कृषि सस्थागत साख मे व्यापारिक बैंकों का भाग 1993-94 में 32.7 प्रतिशत था जो बढ़कर 1996-97 मे 48.4 प्रतिशत तथा 1998-99 में 50

प्रतिशत हो गया।

व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि साख

(करोड रुपए)

वर्ष	कृषि साख
1993-94	5400
1994-95	8255
1995-96	10172
1996-97	12783
1997-98	15831
1998-99	18443
1999-2000 (लक्ष्य)	20567

स्रोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99 तथा 1999-2000

कृषि क्षेत्र में बैंक ऋणों की बकाया राशि

जून 1969 में कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त अग्रिम खातों की संख्या 164 हजार थी जो मार्च 1997 में बढ़कर 18,708 हो गई। कृषि क्षेत्र की बकाया ऋण राशि में बेतहाशा वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बकाया ऋण जून 1969 में 162.43 करोड़ रुपये था जो तेजी से बढ़कर मार्च 1997 में बढ़कर 30,306 करोड़ रुपये तक जा पहुंचे।

कृषि क्षेत्रों में बैंक ऋणों की बकाया राशि

(करोड रुपए)

वर्ष	खातों की संख्या (हजारों में)	बकाया ऋण		कुल बकाया ऋण
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	
जून 1969	164	40.31	122.12	162.4
मार्च 1994	20351	18921	2009	20930
मार्च 1995	19842	20562	2766	23328
मार्च 1996	19344	22846	3457	26303
मार्च 1997	18708	25962	4344	30306
मार्च 1998	16722	27446	5396	33142

स्रोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99 एस-60 तथा 1999-2000

7 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India)

भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि वित्त में सहयोग करता है। भारतीय स्टेट बैंक कृषि वित्त की पूर्ति मुख्यतः गोदामों के लिए वित्त, भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र खरीद कर विपणन व प्रोसेसिंग साख, सहकारी बैंकों को धन स्थानान्तरण सुविधा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करके आदि तरीकों से करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋणों की राशि 1990-91 में 4,345 करोड़ रुपये थी।

8 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचान किए गए गरीब परिवारों को अपनी आमदनी बढ़ाने और गरीबी रेखा से उन्हें ऊपर उठाने के लिए पूंजी सहायता तथा ऋण सहायता देने का प्रावधान किया गया है। बैंकिंग प्रणाली ने छठी योजना अवधि में 166 करोड़ लाभगो परिवारों को सहायता देने के लिए 3,102 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया। इसी प्रकार सातवीं योजना के दौरान 182 करोड़ लाभगो परिवारों को सहायता देने के लिए 5,381 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। बैंकिंग प्रणाली ने 1991-92 के दौरान 2537 लाख लाभगो परिवारों को 11,147 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये। वर्ष 1992-93 के दौरान 20 लाख से अधिक परिवारों को 1,037 करोड़ रुपये के ऋण दिये गए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-97 में 192 लाख, 1997-98 में 171 लाख तथा नवम्बर 1998-99 तक 77 लाख परिवारों को सहायता दी गई।

कृषि वित्त की प्रगति (Progress of Agriculture Finance)

कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में जो कुल अग्रिम राशियाँ दी जाती हैं, उनका 15 प्रतिशत लक्ष्य मार्च, 1985 तक पूरा करने के लिए बैंकों को समय दिया गया था। मार्च 1990 तक के लिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। अक्टूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मार्ग निर्देशक के अनुसार 18 प्रतिशत के लक्ष्य का आकलन करने के लिए कृषि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की अग्रिम राशियों को लेने का निश्चय किया गया बशर्ते कि कृषि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अग्रिम राशियाँ शुद्ध ऋण के 18 प्रतिशत के कुल कृषि ऋण लक्ष्य के एक चौथाई से अधिक न हों। मार्च 1993 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषि क्षेत्र के लिए कुल अग्रिम राशियों का 15.1 प्रतिशत दिया।

हाल के वर्षों में ग्रामीण परिवेश की दशा सुधारने के लिए कृषि वित्त के

क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। वर्ष 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में जल सभरण विकास निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार नाबार्ड को आवश्यक समतुल्य सहायता उपलब्ध कराएगी। इस निधि से अगले तीन वर्षों के भीतर 100 प्राथमिकता वाले जिलों को लाभान्वित किया जाएगा।

1 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund, RIDF) – राज्य सरकारों की ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए "ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि" का एक महत्वपूर्ण स्कीम के रूप में आदिर्भाव हुआ है। वर्ष 1998-99 में आर आई डी एफ के अधीन बैंकिंग क्षेत्रक से 3000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। वर्ष 1999-2000 में आर आई डी एफ की संचित निधि बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपये कर दी गई। अदायगी की अवधि भी पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम स्तर की आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, स्व सहायता दलों, अन्य पात्र संगठनों को ऋण प्रदान करने के लिए आर आई डी एफ को व्यापक बनाया जायेगा।

2 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (Farmer Credit Card Scheme) – वर्ष 1998-99 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई। ये कार्ड किसानों को किफायती रूप से समय पर ऋण प्रदान करते हैं। वर्ष 1998-99 तक छह लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस स्कीम का दायरा बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 में 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना है।

3 कृषि क्षेत्र सांस्थानिक ऋण प्रवाह (Flow of Institutional Credit to Agriculture) – गत वर्षों में बैंकिंग क्षेत्रक से कृषि क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने में सुधार के लिए अनेक उपायों की घोषणा की गई जिससे कृषि क्षेत्र के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 में कृषि के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह 16,494 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1996-97 में 26,411 करोड़ रुपये हो गया। कृषि के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह वृद्धि दर 1993-94 में केवल 9 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1996-97 में 20 प्रतिशत तथा 1999-2000 में 21 प्रतिशत (लक्ष्य) हो गयी।

कृषि के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह में अल्पकालीन ऋणों की अधिकता है। बीते कुछ वर्षों में मध्यम और दीर्घकालीन ऋणों में थोड़ी वृद्धि हुई है। नब्बे के दशक में वर्ष 1994-95 ही ऐसा वर्ष रहा जिसमें मध्यम और दीर्घकालीन ऋणों का भाग अल्पकालीन ऋणों से अधिक था। कृषि के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह में अल्पकालीन ऋणों का भाग 1993-94 में 68.4 प्रतिशत था जो घटकर 1996-97 में 64.4 प्रतिशत तथा 1999-2000 में और घटकर 60.9 प्रतिशत (लक्ष्य) रह गया। मध्यम और दीर्घकालीन ऋणों का भाग 1993-94 में 31.6

प्रतिशत था जो बढ़कर 1996-97 में 35.6 प्रतिशत तथा 1999-2000 में और बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1994-95 में मध्यम और दीर्घकालीन ऋणों का भाग अक्सरमात बढ़कर 57.7 प्रतिशत हो गया था।

कृषि के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह

वर्ष	ऋण प्रवाह	वृद्धि दर
1993-94	16494	9
1994-95	18744	14
1995-96	22032	18
1996-97	26411	20
1997-98	31956	21
1998-99	36897	16
1999-2000 (लक्ष्य)	44675	21

स्रोत इण्डिया इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 पृ 125 तथा 1999-2000

4 कृषि अग्रिम की वसूली (Recovery of Agriculture Advances) - कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतों का वसूली प्रतिशत अलग-अलग है तथा वसूली के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। वर्ष 1997-98 में व्यापारिक बैंकों का वसूली 63 प्रतिशत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 60 प्रतिशत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 56 प्रतिशत राज्य सहकारी बैंकों का 81 प्रतिशत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों का 66 प्रतिशत था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली 1996-97 में 57 प्रतिशत थी।

5 कृषि में सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation in Agriculture) - कृषि में सकल पूंजी निर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की गति धीमी रही। वर्ष 1980-81 की कीमतों पर कृषि में सार्वजनिक निवेश 1980-81 में 1796 करोड़ रुपये था जो घटकर 1990-91 में 1154 करोड़ रुपये रह गया। वर्ष 1994-95 में कृषि में सार्वजनिक निवेश तीव्र बढ़कर 316 करोड़ रुपये हो गया किन्तु यह 1996-97 में फिर घटकर 1132 करोड़ रुपये रह गया। कृषि में सार्वजनिक निवेश में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। अन्धे के दशक में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश में उन्नत प्रगति की। वर्ष 1996-97 में कृषि में निजी निवेश 5867 करोड़ रुपये था। वर्ष 1993-94 को आधार वर्ष मानने के बाद कृषि में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 1993-94 की कीमतों पर कृषि में सार्वजनिक निवेश 1993-94 में 4468 करोड़ रुपये था जो 1997-98 में घटकर 4416 रुपये रह गया।

भारत में कृषि वित्त की कमिया (Drawbacks of Agriculture Finance in India)

भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ मुहबाएँ खड़ी हैं। ग्रामीण परिवेश में बैंक शाखाओं का अभाव होने के कारण बहुत से किसान सेट-साहूकारों के चंगुल में फसे हुए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण बैंक शाखाओं का विस्तार हुआ है किन्तु गावों में निरक्षरता के कारण किसान बैंकिंग सुविधाओं का अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके। कृषि वित्त की समस्याओं के कारण कृषि विकास को तेज गति नहीं मिल सकी। भारत में कृषि वित्त में अनेक कमियाँ हैं जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं —

1 **गावों में बैंक शाखाओं का अभाव (Lack of Bank Branches in Villages)** — बैंकों के राष्ट्रीकरण से पूर्व गावों में बैंक शाखाओं का अत्यधिक अभाव था। बैंक शाखाओं के अभाव के कारण भारतीय किसान आर्थिक शोषण का शिकार था। किसानों को बैंक ऋण सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं। कृषि से अर्जित आय को किसान लाभप्रद निवेश नहीं कर पाता था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थिति में सुधार आया है। किन्तु आज भी सभी गावों में बैंक शाखाएँ नहीं हैं। देश में अनेक गावों के लोग बैंकिंग सुविधाओं के लिए कस्बों में स्थित बैंक शाखाओं पर निर्भर हैं।

2 **बिचौलियों पर निर्भरता (Dependence on Mediators)** — भारत में गरीबी की समस्या भयावह है। गावों में गरीबों की दशा बदतर है। देश के अधिकांश किसान अनपढ़ हैं। इस कारण गाववासी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। भोलेपन के कारण किसान बिचौलियों के चक्कर में फस जाता है। किसान को उपलब्ध कराई ऋण सुविधा का बड़ा भाग बिचौलिए हड़प जाते हैं।

3 **साहूकारों का प्रभाव (Influence of Richman)** — स्वतंत्रता के पांच दशक बीत जाने के बावजूद भी भारत के ग्रामीण परिवेश में साहूकारों का प्रभाव चिन्ताप्रद बात है। साहूकार किसानों का मनमाफिक शोषण करते हैं। किसानों से बहुत ऊँची ब्याज दर वसूलते हैं। किसानों द्वारा जमा कराये मूलधन और ब्याज की रसीदे नहीं दी जाती है तथा किसानों से बेगार लेते हैं। न केवल किसान अपितु उसका परिवार साहूकार के घर पर बिना पारिश्रमिक काम करता है। ऋणी किसान को साहूकार उसके कृषिगत उत्पाद को कम कीमत पर बेचने को बाध्य करते हैं। यदि भारत में समय पर कृषि वित्त का विस्तार हो जाता तो किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर नहीं होती।

4 **निरक्षरता (Illiteracy)** — भारत में निरक्षरता अभिशाप है। गावों में निरक्षरता देश की मुख्य समस्या है। निरक्षरता कृषि वित्त के क्षेत्र में भी बाधक है। निरक्षरता के कारण लोग कृषि वित्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। गावों में बचत को लोग घरों में रखना पसन्द करते हैं। बैंकों से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के स्थान पर निरक्षर लोग साहूकार के शरण में चले जाते हैं।

5. भ्रष्टाचार (Corruption) — कृषि वित्त में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गावों में बैंकिंग शाखाओं के विस्तार से किसानों को साहूकारों के शोषण से थोड़ी बहुत राहत मिली थी। किन्तु बैंकों में भी भ्रष्टाचार के कारण समस्या ज्यों की त्यों है। किसान स्वीकृत ऋण राशि पूरी प्राप्त नहीं कर पाता है। उसे रिश्वत के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है।

6 सस्थागत वित्त का अभाव (Lack of Institutional Finance) — कृषि क्षेत्र में सस्थागत साख का अत्यधिक अभाव है। हरित क्रांति लागू किये जाने के बाद कृषि के लिए वित्त की आवश्यकता बढ़ी है। लेकिन गावों में सस्थागत वित्त का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। सस्थागत वित्त के अभाव में किसान प्रभावी किसानों अथवा साहूकारों के चंगुल में फसने को मजबूर हो जाता है।

7 कमजोर आर्थिक स्थिति (Poor Economic Position) — देश के बहुसंख्यक किसानों की माली हालात दयनीय है। सतुलित कृषिगत विकास नहीं होने से ग्रामीण परिवेश में आर्थिक विषमता बढ़ी हैं। धनिकों और गरीब किसानों के बीच की खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। सिचाई सुविधाओं का अभाव है। साहूकारों का प्रभाव आज भी बना हुआ है इन सब कारणों से किसान की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। आज अधिकतर किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण खेत को किसी प्रभावी किसान को साझे में दे देते हैं। बड़ा किसान पानी, बीज, खाद, कीटनाशक, यंत्रीकरण आदि सुविधाएँ मुहैया कराने में सक्षम होता है। ये सुविधाएँ कीमती होती हैं। फसल तैयार होने के समय गरीब किसान, जो कृषि भूमि का स्वामी है, कृषिगत लागतों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है परिणामस्वरूप फसल का अधिकांश भाग और कभी-कभी पूरा भाग प्रभावी किसान अपने पास ही रख लेता है। गरीब किसान ताकत रह जाता है। गरीब किसान के परिवार के लिए वर्ष भर उदर पूर्ति के लिए भी अनाज उसके घर नहीं पहुँच पाता है।

8 खेती के गलत तरीके (Wrong Patterns of Cultivation) — देश के अनेक भागों में खेती परम्परागत तरीकों से होती है। परम्परागत तरीकों से खेती करना गलत बात नहीं है किन्तु आज अनेक किसान अपने खेत पर स्वयं खेती नहीं कर अथवा कृषि श्रमिकों से खेती नहीं कराकर एक मुश्त राशि लेकर खेत किसी बड़े किसान को वर्ष भर के लिए दे देते हैं। बड़ा किसान उस खेत का वर्ष भर मनमाफिक उपयोग करता है और खूब लाभ कमाता है जबकि गरीब किसान द्वारा प्राप्त एक मुश्त राशि पर्याप्त नहीं होती है। खेती का यह तरीका उचित प्रतीत नहीं होता है। कृषि वित्त का विस्तार करके इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए अथवा गरीब किसान शोषित होगा।

9 पक्षपात (Partiality) — कृषि वित्त में पक्षपात देखने को मिलता है। प्रायः समृद्ध किसान, जमींदार, राजनीतिक पार्टी से जुड़े किसान आसानी से सस्थागत साख प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जरूरतमंद किसान आसानी से साख सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

कृषि वित्त में सुधार के सुझाव

(Suggestions for Improvement in Agriculture Finance)

समूचे ग्रामीण परिवेश की दशा सुधारने के लिए कृषि वित्त में सुधार आवश्यक है। कृषि वित्त के क्षेत्र में जो खामिया हैं उन्हें प्रयास करके दूर किया जा सकता है, किन्तु इसके लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले कारगर प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि वित्त में सुधार के लिए निम्नांकित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते हैं -

1 **ग्रामीण औद्योगीकरण (Rural Industrialisation)** - ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर गाव वालों की आर्थिक दशा में सुधार किया जा सकता है। गावों में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की अच्छी सभावनाएँ हैं। लोगों की आय बढ़ाने के लिए लघु एव कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है। गावों में अब तक औद्योगीकरण के क्षेत्र में बहुत कम पूँजी निवेश हुआ है। सरकार को ग्रामीण औद्योगीकरण पर बल देना चाहिए। निजी निवेश को भी गावों की ओर मोड़ा जाना चाहिए। गावों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सवाईमाधोपुर जिले में नाबार्ड की सहायता से प्रारम्भ की गई 'जिला ग्रामीण औद्योगीकरण योजना' (ड्रिप) जैसी योजनाएँ अन्य जिलों में भी प्रारम्भ की जानी चाहिए। गावों में औद्योगीकरण के बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी जिससे किसानों की साहूकारों पर निर्भरता घटेगी।

2 **बचत आन्दोलन (Saving Movement)** - गावों में बचत को बढ़ावा देने के लिए बचत आन्दोलन प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है। गावों में बचत एकत्रित करने के लिए उपयुक्त बचत एजेन्सियाँ प्रारम्भ की जानी चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ भी गावों में बचत संग्रहण में अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। किन्तु ऐसी सस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण की आवश्यकता है क्योंकि अनेक बार ये सस्थाएँ जनता का धन हड़प जाती हैं। डाकघर बचत योजनाएँ बचत आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्रामीणजनों में बचत को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

3 **सस्थागत साख में वृद्धि (Increase in Institutional Finance)** - कृषि वित्त की आवश्यकता के अनुरूप सस्थागत साख का अभाव है। ग्रामीणों की दशा सुधार के लिए गावों में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा व्यापारिक बैंकों की शाखाओं में वृद्धि की आवश्यकता है। सस्थागत साख के विस्तार से किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम होगी।

4 **परम्परावादी दृष्टिकोण में बदलाव (Changes in Traditional Approach)** - निरक्षरता के कारण बहुत से ग्रामीणजन परम्परावादी दृष्टिकोण से ग्रसित हैं। इस कारण किसान नवीनता को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए पुराने रीति रिवाज और रुढ़ियों को समाप्त करके सामाजिक अपव्यय को रोका जाना चाहिए।

5 पुराने ऋणों की जाच (Inquiry of Old Loans) – भारत के गरीब किसान साहूकारों द्वारा दिये गए ऋणों की चपेट में हैं। ऋणों के पीछे किसान की चल और अचल सम्पत्ति गिरवी रखी होती है। पुराने ऋणों के कारण किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। सरकार के द्वारा किसानों के पुराने ऋणों की जाच की जानी चाहिए तथा यह भी देखा जाना चाहिए कि साहूकार, किसानों का शोषण तो नहीं कर रहे हैं। शोषित किसानों के पुराने ऋणों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा शोषण करने वाले साहूकारों पर पाबंदी लगायी जानी चाहिए।

6 सुदृढ़ ग्राम पंचायतें (Sound Village Assembly) – ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाकर किसानों की आर्थिक दशा में सुधार किया जा सकता है। किसानों के मेहनत से अर्जित धन को तथा कभी-कभी ऋण राशि को पारस्परिक झगड़ों में खर्च कर देते हैं। ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने से किसानों के झगड़ों को निपटाया जा सकता है।

7 उत्पादक ऋणों पर जोर (Stress on Productive Loan) – किसान प्रायः अधिकतर ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिए लेते हैं। प्राप्त उत्पादक ऋण को भी अनुत्पादक कार्यों यथा विवाह, मृत्युभोज आदि कार्यों में खर्च कर लेते हैं। किसानों को दिए जाने वाले अनुत्पादक ऋणों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। किसानों को दिए जाने वाले उत्पादक ऋणों के उपयोग पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

8 भ्रष्टाचार पर नियंत्रण (Control on Corruption) – पिछले वर्षों में कृषि सरथागत वित्त के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा है। किसानों को ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है। ऋण प्राप्त करने में बैंक कर्मियों को रिश्वत देनी पड़ती है। ऋण प्राप्त करने में किसान, बिचौलिए के चक्कर में फस जाता है। भ्रष्ट अधिकारियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए।

9 ऋण सम्पत्ति के रूप में (Loan in the Terms of Assets) – किसान प्रायः प्राप्त ऋण का उत्पादक कार्यों में उपयोग नहीं करते हैं। किसानों की इस प्रवृत्ति का रोकने के लिए उन्हें ऋण नकद में नहीं दिया जाकर सम्पत्ति के रूप में दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त बातों को व्यवहार में लाकर किसानों की आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है। किसानों की समृद्धि में भारत की समृद्धि समाहित है।

सन्दर्भ

- 1 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994
- 2 वही, पृ 313
- 3 वही।
- 4 वही, पृ 307

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 कृषि वित्त के प्रकार बताइए।
- 2 देशी बैंकर के दोषों का वर्णन कीजिए।
- 3 कृषि वित्त की कमियां संक्षेप में समझाइए।
- 4 कृषि सहकारी साख समितियों पर टिप्पणी लिखिए।
- 5 कृषि वित्त की वर्तमान स्थिति बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में कृषि साख के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए कृषि साख के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है।)
- 2 भारत में कृषि वित्त की प्रगति बताइए। कृषि वित्त की क्या कमियां हैं तथा कृषि वित्त में सुधार के सुझाव दीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई कृषि वित्त की प्रगति लिखिए। प्रश्न के द्वितीय भाग में कृषि वित्त की कमियों को लिखना है तदुपरांत कृषि वित्त में सुधार के सुझाव लिखिए।)
- 3 निम्न पर टिप्पणी लिखिए -
 - (i) नाबार्ड
 - (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - (iii) देशी बैंकर
 - (iv) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

भारत में भूमि सुधार

(Land Reforms in India)

भारत कृषि प्रधान देश है। अतीत से अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। देश के बहुसंख्याक लोगों की रोजी-रोटी का आधार भी कृषि है। इसके अलावा निर्यातित आय में भी कृषि की उल्लेखनीय भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद अंग्रेजों ने कृषि विकास पर ध्यान नहीं दिया। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों ने भारत के किसानों का मनमाफिक शोषण किया। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। भूमि जोतने वाले किसानों का भूमि पर स्वामित्व नहीं था। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक बागडोर भारतीयों के हाथों में आई। विरासत में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली। भारत की अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए कृषि के क्षेत्र में भूमि सुधार को लागू किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार को गति मिली। भूमि सुधार में खेत मजदूरों को जमीन पर मालिकी हक देने के कार्यक्रम पर ध्यान दिया गया है। आज स्वतंत्रता के पांच दशक बीत चुके हैं। भूमि सुधार लागू किए जाने के बावजूद निर्धन किसान और खेत मजदूरों की दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। योजनाकारों द्वारा ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कृषकों और खेत मजदूरों की उत्पादकता बढ़े। इसके लिए किसानों को ऋण सुलभ कराने में कठिनाईयों को दूर करने तथा ऋण स्वीकृति के नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता है। भूमि सुधार ग्रामीण विकास की मजिल है। भूमि सुधारों को गति देकर भारत की अर्थव्यवस्था का कार्यात्मक किया जा सकता है।

भूमि सुधार का अर्थ
(Meaning of Land Reforms)

संयुक्त राष्ट्र संघ की तृतीय रिपोर्ट के अनुसार "कृषि प्रणाली दोषपूर्ण होने

के कारण सामाजिक व आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु उपायों का एक समन्वित कार्यक्रम ही भूमि सुधार है।"

संकुचित अर्थ में भूमि सुधार का अभिप्राय काश्तकारों के लाभार्थ भूमि का पुनर्वितरण करना है जबकि विस्तृत में कृषि व्यवस्था में सभी प्रकार के आर्थिक व सस्थागत परिवर्तन भूमि सुधारों के अन्तर्गत आते हैं।

भूमि सुधार अत्यन्त व्यापक है इसमें निम्नलिखित कार्यक्रम मुख्यतः सम्मिलित किये जाते हैं।

- 1 मध्यस्थों की समाप्ति, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके काश्तकारों के पक्ष में भू-स्वामित्व का पुनर्वितरण,
- 2 काश्तकारों की सुरक्षा हेतु काश्तकारी सुधार कानून पारित करके काश्तकारों को भूमि की बेदखली से बचाना,
- 3 लगान का नियमन करना ताकि जमींदारों द्वारा काश्तकारों के शोषण को रोका जा सके,
- 4 जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण तथा अतिरिक्त भूमि का वितरण भूमिहीनों को करना,
- 5 भूमि स्वामित्व सबधी लेखों का रख-रखाव वैज्ञानिक तरीकों से करना तथा इनको अद्यतन रखना,
- 6 बिखरे हुए खेतों की चकबंदी करके भूमि की उत्पादकता बढ़ाना ताकि भूमि का श्रेष्ठतम उपयोग संभव हो सके,
- 7 सहकारी खेती।

भूमि सुधार के उद्देश्य और महत्त्व

(Objectives and Importance of Land Reforms)

महात्मा गांधी कहते थे "भारत की आत्मा गाँवों में रहती है" भूमि सुधार ही ग्रामीण विकास की कुंजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव, 1935 में कहा गया है कि 'ग्रामीण जीवन को सुधारने का केवल एक ही मौलिक उपाय है तथापि, भूमि पर किसान के स्वामित्व के एक ऐसे तरीके को प्रारम्भ करना जिसके अन्तर्गत भूमि को जोतने वाला ही उसका स्वामी हो और वह किसी जमींदार या तालुकदार के माध्यम के बिना ही सीधा सरकारों को भालगुजारी चुकाए।" भूमि सुधारों के परिणामस्वरूप कृषि ढांचा परिवर्तित हुआ है। निर्वाह खेती के स्थान पर व्यापारिक तथा बाजारोन्मुखी खेती की जा रही है। कृषि क्षेत्र में साहसी वर्ग का उदय हुआ है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

1 आर्थिक विकास (Economic Development) — भारत कृषि प्रधान देश है तथा बहुसंख्यक जनसंख्या गाँवों में जीवन बसर करती है। कृषि का विकास

करके आर्थिक विकास की गति तजी की जा सकती है। भूमि सुधारों से किसानों की दशा सुधरती है। भूमि पर किसानों का स्वामित्व होने से वह खेत पर अधिक मेहनत से काम करेगा। इससे कृषिगत उत्पादन में वृद्धि होगी। उद्योग धन्धा को कच्चा माल मिलेगा देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी। आज भूमि सुधार आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त हैं। यदि हम देश की आर्थिक समस्याएँ यथा वेरोजगारी जनाधिक्य आर्थिक विषमता आदि का हल चाहते हैं तो गावों की आर ध्यान देना होगा। भूमि सुधारों का स्थाई हल ढूँढना होगा। भूमि सुधारों के बिना कृषि विकास के लाभों का अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर गुन्नार मिडेल ने कहा, "कृषि क्षेत्र में ही दीर्घकालीन आर्थिक विकास की लड़ाई का फसला होगा। कृषि में भूमि सुधारों को लागू करके औद्योगिक कच्चा माल, श्रमिक खाद्य पदार्थ, निवेश के लिए पूँजी प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण परिवेश में लागू की आय बढ़ने से औद्योगिक वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। इन सबसे आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है।"

2 कृषि उत्पादन में वृद्धि (Increase in Agriculture Production) - आर्थिक सुधारों से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। किन्तु भारत में उद्योगों की तुलना में कृषि को कम महत्त्व दिया गया परिणामस्वरूप भारत को खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और भूमि सुधार लागू करने के लिए औद्योगिक विकास की भाँति प्रयास किए जाते तो भारत की स्थिति आज आर्थिक रूप से मजबूत होती। भारत में कृषि को दूसरी श्रेणी का दर्जा देकर उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। बाद के वर्षों में भूमि सुधारों में जो जमीन जोत वही उसका मालिक हो" का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और भूमि सुधारों को आगे बढ़ाने में पर्याप्त प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। कृषकों को भू-स्वामित्व सौंपने से किसानों में कुशलता और कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव है।

3 भूमि का समान वितरण (Equal Distribution of Land) - स्वातन्त्र्योत्तर किसानों की सबसे बड़ी समस्या भूमि के समान वितरण की थी। जमींदारों के पास बड़े-बड़े खेत और भू सम्पत्ति थी। दूसरी ओर बहुसंख्यक किसानों के पास भूमि का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं था। भूमि का असमान वितरण गरीबी का मुख्य कारण था। इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और चक्रवर्ती का काम हाथ में लिया। भूमि सीमा सबधी कानून बनाकर भूमि के समान वितरण पर बल दिया गया। भूमि का समान वितरण आर्थिक विषमता को कम करता है तथा सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त होता है।

4 शोषण से मुक्ति (Free From Exploitation) - भूमि सुधारों के लागू होने से पहले भारत के किसानों का अत्यधिक शोषण किया जाता था। जमींदार किसानों का सामाजिक शोषण करने से नहीं चूकते, उनसे दगार तक लेते थे। भूमि सुधारों से किसानों को शोषण से मुक्ति मिली है। आज किसानों की जोत

सुरक्षित है तथा उनसे न्यायोचित लगान वसूल किया जाता है।

5 सामाजिक परिवर्तन की कुजी (Key of Social Change) — भूमि सुधारों से आर्थिक विषमता समाप्त होती है जिससे समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। भारत में भूमि सुधार सामाजिक क्रांति का बहुत बड़ा साधन बन सकते हैं। यदि भूमि सुधारों को पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाता तो देश में समानता पर आधारित समाज की रचना का सपना काफी हद तक पूरा हो जाता। कृषि राज्यों का विषय है किन्तु भूमि सुधारों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाकर खेतिहर मजदूरों तथा छोटे किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के अवसर दिए जा रहे हैं किन्तु भूमि सुधारों का अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आज भी 71 प्रतिशत भूमि पर केवल 23.8 प्रतिशत लोगों का कब्जा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या 7 करोड़ थी और उसमें हर साल औसतन 20 लाख की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। भारत में भूमि सुधार सामाजिक क्रांति लाने का बहुत बड़ा साधन बन सकते हैं।

6 किसानों में आत्मसम्मान (Self respect Among Farmers) — भूमि सुधारों को लागू किये जाने से पहले किसानों को अपनी उपज का 45 प्रतिशत भाग जमींदार को देना पड़ता था। साथ ही तरह-तरह की बेगार करनी होती थी। जमींदार बीज, खाद व सिंचाई का खर्च नहीं देता था। नदी नाले, तालाबों पर जमींदार का कब्जा होता था। सार्वजनिक जमीन पर उगे पेड़ पर भी उसी का अधिकार था। पहले किसानों की कमर में मारकीन के गमछे के सिंदा और कुछ नहीं मिलता था। किन्तु आज उनके पूरे बदन पर कपड़ा, सिर पर छत और पेट भरने के लिए मोटा अनाज ही सही, जरूर मिल रहा है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविधान के लागू होने से पहले यह घोषणा कर दी कि राज्यों में जमींदारी, जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के जितने भी कानून बनाये गए हैं, उन्हें न्यायालयों के विचार क्षेत्र से परे रखने के लिए सविधान में सशोधन किया जाएगा। नरसिंहराव सरकार ने भी भूमि सुधार संबंधी विभिन्न राज्यों के 27 अन्य कानूनों को भी सविधान का संरक्षण दिलाने के लिए 81वाँ सविधान सशोधन विधेयक पारित कराया। भारत सरकार यह नहीं चाहती कि भूमि सीमा कानून के साथ बार-बार छेड़छाड़ की जाए। राज्यों को जोत की सीमा न तो घटानी चाहिए और न ही बढ़ानी चाहिए। भूमि सुधारों से किसानों के आत्म सम्मान में वृद्धि हुई है।

भारत में भूमि सुधारों से कृषि की दशा में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कारगर सुधार कानून और भूमि सीमाबद्धी कानून के जरिए भूमि सुधारों को लागू करने का प्रयास किया गया। आर्थिक उदारीकरण के दौर में निजी कंपनियों के दबाव के

बाबजूद रासद में 81वें सविधान सशोधन द्वारा भूमि सुधारों को सविधान की 71वीं अनुसूची में शामिल करने सरकार ने इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी वचावद्धता का प्रमाण दिया है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रचलित भू स्वामित्व व्यवस्था
(Land Tenure System in India on the eve of Independence)

भारत में किसानों के शोषण की कहानी बहुत पुरानी है। किसान धरती-पुत्र के नाम से जाना जाता है वह खेत को मेहनत से लहलहा देता है किन्तु वह दाने-दाने के लिए तरसता रहा है। कर्ज में डूबे होने के कारण खेत उसके हाथों से निकल गए। अंग्रेजों के शासन में देश में सभी वर्गों की स्थिति बिगड़ी। किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई। अंग्रेजों ने किसानों का मनमाफिक शोषण किया। अंग्रेजों की शोषणपूर्ण नीति के कारण किसान का जमीन के साथ रिश्ता टूट गया। अंग्रेजों ने भूमि की परम्परागत व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मालगुजारी वसूलने की व्यवस्था आरम्भ की। हर साल माल गुजारी (भू-राजस्व) बढ़ती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1794 में नियम बनाकर रैयत के लिए जमींदारों से कृषि भूमि का पट्टा लेना जरूरी बना दिया। कानून के जरिये किसानों को मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया। किसानों की भूमि जमींदारों के हाथों में चली गई। भूमि के असली मालिक खेत मजदूरों में परिवर्तित हो गये। किसानों को बहुआ मजदूरों में परिवर्तित कर दिया गया। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व तीन प्रकार की भूमि व्यवस्थाएं प्रचलित थीं -

1. रैयतवाड़ी व्यवस्था (Raiyatwadi System) - रैयतवाड़ी व्यवस्था में कारतदार ही भू-स्वामी होता था तथा भू-राजस्व देने का दायित्व कारतदार का ही होता था। इस व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध था। किसान द्वारा भू-राजस्व जमा नहीं कराने की स्थिति में उसे बेदखल किया जा सकता था। धीरे-धीरे रैयतवाड़ी व्यवस्था में कई खामियां उत्पन्न हुईं। किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ पनपे। कारतदारों का शोषण होने लगा। पूंजीपतियों ने किसानों की भूमि को हथिया लिया। उन्होंने कृषि श्रमिकों से खेती कराना प्रारम्भ किया।

भारत में भूमि की रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1772 में थामस मुनरो ने चेन्नई में लागू की जो बाद के वर्षों में देश के अन्य भागों में यथा बिहार असम मुम्बई मध्य प्रदेश आदि में प्रचलित हो गई। वर्ष 1947 में यह प्रथा महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश आदि राज्यों में प्रचलित थी। वर्ष 1947-48 में रैयतवाड़ी व्यवस्था देश की कुल भूमि के 39 प्रतिशत भाग पर लागू थी।

2. महलवाड़ी व्यवस्था (Mahalwadi System) - महलवाड़ी व्यवस्था में भू-स्वामित्व सामुदायिक होता था तथा गांव का मुखिया भू-राजस्व एकत्र करके राज्य को देता था। इसमें सम्पूर्ण गांव को एक इकाई मानकर गांव के किसानों का

लगान निर्धारित किया जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था का दूसरा नाम सयुक्त ग्राम व्यवस्था भी था। भू-राजस्व का निर्धारण उत्पादन के अनुसार होता था।

महलवाड़ी प्रथा 1833 में आगरा व अवध में लागू की गई पर बाद के वर्षों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में प्रचलित हो गई। इस प्रथा में किसानों को भूमि हस्तान्तरण व उपभोग का अधिकार था। भूमि पर परिवार का अधिकार होने के कारण सभी सदस्य कृषि कार्य में रुचि लेते थे।

3 जमींदारी व्यवस्था (Feudalism System) – जमींदारी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जमींदारों के हाथों में था तथा शासक भू-स्वामी को लगान का भुगतान करके खेती करता था। लगान का कुछ भाग राज्य को भू-राजस्व के रूप में प्रदान किया जाता था। अंग्रेजों ने सरकारी आय में स्थिरता व निश्चितता के लिए जमींदारी प्रथा को लागू किया। जमींदार स्वयं भूमि को नहीं जोतता था वह आधी बटाई पर उठा देता था। जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत शासक व राज्य के बीच मध्यस्थों की एक लम्बी शृंखला के कारण शासकों के शोषण को बढ़ावा मिला। भारत में जमींदारी प्रथा लार्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारम्भ की गई। इस प्रथा से अंग्रेजों ने जमींदारों के रूप में स्वामीभक्त तैयार किये।

जमींदारी व्यवस्था के दोष (Demerits of Feudalism System)

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था, किन्तु जमींदारों ने भारत के किसानों की रीढ़ तोड़ दी। जमींदारों ने किसानों का मनमाफिक शोषण किया। इन्होंने अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही मजबूत बना दी। भारत में जमींदारी व्यवस्था के निम्नलिखित दोष उल्लेखनीय हैं –

1 मध्यस्थों की शृंखला (Chain of Mediators) – जमींदारी व्यवस्था के अन्तर्गत शासक और राज्य के बीच मध्यस्थों की एक लम्बी शृंखला के कारण शासकों के शोषण को बढ़ावा मिला। स्वतंत्रता से पूर्व जमींदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला लगान कुल उपज का 50-70 प्रतिशत तक पहुँच गया था। बड़े जमींदारों ने अधिकारों को छोटे-छोटे जमींदारों में हस्तान्तरित किया बदले में उनसे कुछ लाभ लेने लगे। प्रत्येक मध्यस्थ लाभ कमाता था। क्लॉउड कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में जमींदार व किसान के बीच 50 से अधिक मध्यस्थ थे।

2. किसानों का शोषण (Exploitation of Farmers) – जमींदारों ने किसानों का मनमाफिक शोषण किया। किसानों की उपज का अधिकांश भाग भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। उन्हें कभी भी भूमि से बेदखल किया जा सकता था। किसान, जमींदारों के घर बेगार करने के लिए बाध्य थे। किसान का परिवार जमींदारों के घर काम करता था। किसानों के द्वारा विरोध करने पर उन्हें यातनाएँ दी जाती थीं। जमींदारों के कर्मचारी तक किसानों का शोषण किया करते थे।

3 सम्बन्ध विच्छेद (Curtailement of Relations) – जमींदारी व्यवस्था से

राज्य और किसानों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध टूट गया। इनके बीच अनेक मध्यस्थ आ गए। जमींदार और मध्यस्थ कभी भी सरकार को किसानों के कष्ट से अवगत नहीं कराते थे। जमींदार ही गांव का सर्वेसर्वा होता था।

4 राजकीय आय में स्थिरता (Stability in Government Income) - जमींदारी व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा जमींदारों से एक निश्चित भू-राजस्व अथवा आय वसूल की जाती थी। उत्पादन में वृद्धि और परिस्थितियों के अनुसार भू-राजस्व में वृद्धि नहीं की गई। जमींदार प्रभाव का इस्तेमाल कर किसानों का शोषण करके मनमाता लगान वसूल करते थे। किन्तु सरकार को निश्चित लगा ही चुकाते थे।

5 नैतिक पतन (Moral Downfall) - जमींदारी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष नैतिक पतन था। गांव के किसान जमींदारों की कृपा पर निर्भर थे। शोषण प्रवृत्ति के कारण जमींदारों की आय में बेतहाशा वृद्धि हुई। बढ़ी हुई आय के कारण जमींदारों का जीवन विलासितापूर्ण हो गया। जमींदार सामान्यतया नशे में घूर रहते थे। गांवों की महिलाएँ उनके शोषण का शिकार थीं। किसान और गरीब लोगों में जमींदारों के विरोध का साहस नहीं था। वे चुपचाप शोषण को स्वीकार करने को मजबूर थे।

6 कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Agriculture) - जमींदारी व्यवस्था में किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे। ऐसी स्थिति में कृषि विकास गति नहीं पकड़ सका। उपज का बड़ा भाग जमींदार हड़प लेता था तो किसान उत्पादन बढ़ाने में खूब-पसीना क्या लगाते लगा। किसान में भूमि से दखल होने का भय सदैव व्याप्त था। इस कारण किसान भूमि में विनियोग करने से कतराता था। नतीजतन कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती थी।

7 असन्तोष (Dissatisfaction) - जमींदारों ने देशवासियों का मनमाता शोषण किया। परिणामस्वरूप देशवासियों में जमींदारों के प्रति असन्तोष बढ़ा। जमींदारों ने देश में अंग्रेजों की जड़े मजबूत करने का काम किया था। इन्होंने स्वतंत्रता सैनिकों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। इस कारण जनता में जमींदारों की देशद्रोही के रूप में छवि बनी। नतीजतन इनके प्रति जनता का रोष बढ़ता ही गया।

8 मुकदमेवाजी (Legality) - जमींदारों की किसानों के प्रति शोषण प्रवृत्ति के कारण झगड़ा से मुकदमेवाजी को बढ़ावा मिला। किसानों की कड़ी मेहनत की कमाई जा जमींदारों के शोषण के बाद बच पाती थी। वह भी मुकदमों पर खर्च हो जाती लगी। मुकदमेवाजी के कारण किसानों में ऋणग्रस्तता बढ़ती गई।

9 आर्थिक जड़ता (Economic Inertia) - जमींदारी व्यवस्था कृषि विकास के मार्ग में अवरोध सिद्ध हुई। जमींदारी व्यवस्था से समाज में किसानों के शोषण करने वाले वर्ग का जन्म हुआ जा परजीवी बनकर विलासिता में डूब गया। कृषि विकास में जमींदारों की विशेष रुचि नहीं थी। जमींदार शोषण से अर्जित आय का

अनुत्पादक कार्यों में खर्च करते थे। नतीजन कृषि अर्थव्यवस्था में जड़ता आ गई।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार (Land Reforms in India after Independence)

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण था। देश की 85 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में जीवन बसर करती थी। खेती बहुसंख्यक जनसंख्या की रोजी-रोटी का आधार थी। स्वतंत्रता के साथ ही देश के विभाजन के कारण प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए जिससे खाद्यान्न कमी की समस्या उत्पन्न हो गई। स्वतंत्रता से देश में खुशी की लहर थी। गुलामी के दिनों में किसानों ने बहुत अत्याचार सहन किये थे। स्वतंत्रता से किसानों में देश में सुधार की अपेक्षा थी। सरकार ने भी भूमि सुधारों को लागू करने में कारगर पहल की। कानून बनाकर जमींदारी समाप्त कर दी गई। कानून में जमींदारों को मुआवजा देने की व्यवस्था थी लेकिन यह मुआवजा बाजार दर पर नहीं था। जमींदारों ने बाजार दर पर मुआवजे की मांग की। अतः जमींदारों ने जमींदारी उन्मूलन कानून को चुनौती देने के लिए न्यायालयों में याचिकाएँ दायर कीं। सरकार ने चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 पारित करके मुआवजे का विषय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। वर्ष 1984 में संविधान के 47वें संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा 14 अन्य भूमि कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। नौवीं अनुसूची में शामिल 202 कानूनों में से 169 कानून भूमि सुधारों के बारे में थे।¹

आज स्वतंत्रता के पांच दशक बीत चुके हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय, निर्यातित आय तथा रोजगार में कृषि की उल्लेखनीय भूमिका है। किन्तु राजकीय प्रयासों के बावजूद भूमि सुधारों को अपेक्षित गति नहीं मिली। जमींदारी का प्रभाव कभी-कभार आज भी दृष्टिगोचर होता है।

राजे-रजवाडों की समाप्ति और आजादी के पचास साल बाद भी जयपुर जिले के गोपालगढ़ की करीब साढ़े तीन हजार बीघा सरकारी भूमि पर राजपरिवार का कब्जा है। यहां तीन सौ से ऊपर खेतों में सालों से खेती कर रहे ग्रामीणों पर आज भी सामंतशाही की काली छाया मौजूद है। राज परिवार के नाम पर इन ग्रामीणों से लगान वसूला जाता है। इन दिनों (अप्रेल, 1999) राज परिवार का कथित कारिदा खेतों में जाकर ग्रामीणों से फसल का एक चौथाई से लेकर छठे भाग तक प्राप्त कर रहा है।²

स्वतंत्रता के बाद काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व अधिकार दिलाने, जमीन के मालिक को निर्धारित मुआवजे की अदायगी पर काश्तकार की भूमि का स्वामित्व प्रदान करने, काश्त की अवधि को निश्चितता प्रदान करने और जमीन का उचित किराया निर्धारित करने के कानून देश के विभिन्न राज्यों में बनाए जा चुके हैं। भूमि सुधारों के व्यापक कार्यक्रम से दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का समापन हुआ है

जिसमें कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत में भूमि सुधारों का विवरण निम्नलिखित है (देख चार्ट) -


1 जमींदारी प्रथा का उन्मूलन (Abolition of Feudalism)

स्वतंत्रता से पहले जमींदारी प्रथा के कारण भारतीय कृषि की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। शोषण के कारण किसान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठी। सन् 1947 में अंग्रेजों की वापसी के बाद राज्य सरकारों ने जमींदारी उन्मूलन का प्रारंभ किया। स्वतंत्र भारत में जमींदारी उन्मूलन एक क्रांतिकारी कदम था किन्तु जमींदारों का प्रतिकार और लागू होने की लम्बी प्रक्रिया का लाभ उठाने में सफल रहे। बड़े पैमाने पर वेदखलिया हुईं और जमींदारों ने खुदकाशत के नाम पर बहुत सी जमीन अपने कब्जे में कर ली। वर्ष 1948 में कृषि सुधार समिति ने सिफारिश की कि भूमि पर स्वामित्व किसानों का होना चाहिए और जिन व्यक्तियों ने 6 वर्ष तक किसी भूखंड पर खेती की है उन्हें उस भूमि का स्वामी मान लेना चाहिए। भारत में 1952 तक लगभग सभी राज्यों में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किए जा चुके थे। इसके परिणामस्वरूप लगभग 2 करोड़ कारशतकार राज्य के सीधे संपर्क में आए तथा लगभग 60 लाख हैक्टेयर भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया गया। मगर जमींदारी उन्मूलन से बड़े कारशतकार बहुत मजबूत हुए और ग्रामीण समाज पर सामंती व्यवस्था की पकड़ दूसरे रूप में मजबूत हुई। "एक व्यक्ति एक वोट" की व्यवस्था से बड़े किसानों को छोटे किसानों और खेत मजदूरों के वाट से अपनी राजनीतिक सत्ता बढ़ाने में मदद मिली।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्यों ने अधिनियम पारित कर भूमि अधिग्रहण की। भूमि अधिग्रहण के बदले 670 करोड़ रुपये मुआवजा देना निर्धारित किया गया जिसमें 421 करोड़ रुपये भूमि का मुआवजा 92 करोड़ रुपये पुन रथापना सहायता तथा 128 करोड़ रुपये व्याज के थे। अब तक 450 करोड़ रुपये (अनुमानित) मुआवजा चुका दिया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा भुगतान ऋण और बाण्डों में किया गया। छोटे जमींदारों और विधायियों का भुगतान ऋण में किया गया। बाण्डों पर 25 प्रतिशत वार्षिक व्याज का प्रावधान किया गया। भू-स्वामियों के लिए भूमि की सीमा निर्दिष्ट कर दी गई तथा उन्हें खेती के लिए जमीन रखने की स्वतंत्रता दी गई। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से कारशतकार का सरकार से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया। कारशतकारों का भुगतान सीधे सरकार को करने लगे।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से किसान शोषण से मुक्त हुआ है तथा वह खेती करने में रुचि लेने लगने लगे हैं। आज किसान कृषि विकास के तरीके तथा तकनीक और सहकारी कृषि के कार्य में सहयोग कर रहा है। कृषि की भूमिका अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। खेतिहर किसानों को जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो गए हैं।

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार



जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में सरकार को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। भू स्वामियों के लिए मुआवजे की राशि तथा भुगतान की प्रणाली बहुत जटिल थी। विश्वसनीय आंकड़ों तथा कुशल कर्मचारियों के अभाव में मध्यस्थों के समापन में बढिनाई आई। जमींदारों ने जमींदारी उन्मूलन को न्यायालयों में चुनौती दी जिससे कानूनों के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ। बाद में कानूनी अडचनों को संविधान में संशोधन करके दूर किया।

2 काश्तकारी सुधार (Tenancy Reform)

काश्तकारी सुधार कृषकों को मुख्यतः तीन प्रकार की सुविधाएँ यथा उचित लगान का निर्धारण भू-धारण की निश्चितता और भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए किए गए। विभिन्न राज्यों में काश्तकारी सुधार हेतु अधिनियम पारित किए जिससे किसानों को कृषि विकास संबंधी निर्णयों के लिए अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिली। भूमि की लगान दर में कमी आयी जमींदारों और जागीरदारों द्वारा स्वेच्छा से कृषकों को भूमि से बेदखल करने पर रोक लग गई तथा उनको भूमि के विक्रय बन्धक एवं स्वामित्व अन्तरण की स्वतंत्रता मिल गई। काश्तकारी सुधार संबंधी विवरण निम्नांकित हैं -

1 लगान का नियमन (Regulation of Land Rent) - स्वतंत्रता से पूर्व लगान की अधिकतम सीमा कुल उपज का 50-70 प्रतिशत हुआ करती थी। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग द्वारा लगान को कुल उपज के अधिकतम 20-25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया। इस आधार पर अधिकांश राज्यों में लगान की उच्चतम दर निर्धारित करने हेतु अधिनियम पारित हो चुके हैं। लगान की अधिकतम सीमा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। विभिन्न राज्यों ने अधिनियम पारित कर लगान की दरें निर्धारित कर दीं। निर्धारित दरों से अधिक लगान वसूलना अवैधानिक है। किन्तु अभी भी देश में लगान की दरें अधिक हैं। पंजाब हरियाणा आन्ध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल जम्मूकश्मीर में लगान उपज का 1/5 से 1/2 भाग दिल्ली में 1/5 भाग उड़ीसा में 1/4 भाग तथा महाराष्ट्र गुजरात व राजस्थान में 1/6 भाग है। लगान की ऊँची दरों को नियमित करने की आवश्यकता है।

2 काश्त की सुरक्षा (Security of Tenure) - काश्त की सुरक्षा वास्तव में अनेक राज्यों में काश्तकारी सुधार अधिनियम पारित किए गए हैं। इन कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली व उत्तरप्रदेश में भू स्वामियों का पुनः जिजी खेती करने का अधिकार नहीं दिया गया। असम महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कुछ अवस्थाओं में सीमित क्षेत्र पर भू-स्वामी पुनः जिजी खेती कर सकते हैं। तमिलनाडु कर्नाटक केरल आन्ध्र प्रदेश में काश्तकार की बेदखली पर प्रतिबन्ध है। लेकिन कुछ अवस्थाओं में (जैसे लगान न देना भूमि की उपजाऊ शक्ति को नुकसान पहुँचाना भूमि का उपकरायेदारी पर देना आदि) काश्तकार को बेदखल करके भू स्वामी द्वारा खेती की जा सकती है।

काश्त की सुरक्षा से कृषिगत उत्पादन में वृद्धि तथा सामाजिक न्याय का लाभ प्राप्त होता है। किसान की काश्त की सुरक्षा के बाद उससे भूमि छीनी नहीं जा सकती है। योजना आयोग के अनुसार लगान के प्रभावी नियमन के लिए काश्तकारों को पट्टेधारी की सुरक्षा आवश्यक है। भारत में काश्त की सुरक्षा सबंधी अधिनियम पारित किए जाने के परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि में 9 प्रतिशत काश्त की पूर्ण सुरक्षा, 59 प्रतिशत क्षेत्र में आंशिक सुरक्षा, 19 प्रतिशत क्षेत्र में अस्थायी सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। कृषि योग्य 12 प्रतिशत भूमि में काश्त सुरक्षा का अभाव है।

3 काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार (Ownership Rights for Land Tenants) – काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व अधिकार दिलाने, जमीन के मालिक को निर्धारित मुआवजे की अदायगी पर काश्तकार की भूमि का स्वामित्व प्रदान करने, काश्त की अवधि को निश्चितता प्रदान करने और जमीन का उचित किराया निर्धारित करने के कानून देश के विभिन्न राज्यों में बनाए जा चुके हैं। इन प्रयासों से एक करोड़ 10 लाख 42 हजार काश्तकारों को 144 29 लाख एकड़ भूमि (कुल खेती योग्य भूमि का 5 प्रतिशत) का स्वामित्व दिलाया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह घोषणा की गई थी कि अस्सी के दशक के शुरु तक सभी राज्यों में काश्तकारों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए कानूनी उपाय कर दिए जाएंगे किन्तु अनेक कारणों से ऐसा 1993 तक नहीं किया जा सका।

अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना आवश्यक है। काश्तकारों के स्वामित्व अधिकार के सबंध में आर्थर यंग का कथन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार निजी सम्पत्ति का अधिकार रेत को भी सोना बना देता है। किसी व्यक्ति को उजाड़ बजर भूमि का सुरक्षित स्वामित्व कर दो वह इसे उपवन में बदल देगा और अगर 9 वर्ष के ठेके पर उपवन दे दिया जाए तो मरुस्थल में बदल देगा। काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व अधिकार मिलने से कृषि की उन्नति स्वाभाविक है। भारत में काश्तकारों को भूमि स्वामित्व का अधिकार देने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ की गईं जो इस प्रकार हैं –

- (i) उत्तर प्रदेश तथा केरल की राज्य सरकारों ने जमींदारों से भूमि के अधिकार प्राप्त कर काश्तकारों को मुआवजे के बदले स्वामी बनने की छूट दी।
- (ii) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में काश्तकारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया, तथा उनके स्वामित्व के मुआवजा किराते में चुकाने का प्रावधान किया गया।
- (iii) दिल्ली तथा कुछेक अन्य राज्यों में सरकार ने जमींदारों को मुआवजा चुकाया तथा काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व अधिकार उचित किराते के बदले में सौंपा।

राजतंत्रता के समय 1947 में ब्रिटिश भारत की सफल कृषि भूमि पर जमींदारों का समाप्ति था और 1991 में तीन चौथाई कृषि भूमि पर एक चौथाई से भी कम लोगों का राज था। वर्ष 1972 के पहले और बाद में दो कानून की गिरावट से पहले के लिए भू-समाप्ति को बहुत समय मिल गया। बहुत से बेगानी दरतान्तरण और देश-पेशी के जरिये कानून को धता बता दिया। स्वतंत्र पत्रकार जितेन्द्र गुप्त के अनुसार अर्द्धसामंती ढांचे में परिवर्तन लिये बिना खेती या गांव के विकास की योजनाएं रेत में गिर जाने जैसी गोरियों ही साबित होगी। यद्यपि भारत में आज राजतंत्रों से बेगार लगा अपैधातिक है। प्राकृतिक आपदा यथा अबल गढ़ सूखा आदि के समय राजतंत्रों से लगातार में छूट की व्यवस्था है। वाशतंत्रों द्वारा लगातार ही घुमाने की स्थिति में उसके कृषिगत साराधान जैसे गैल हल कृषियंत्र पराल आदि नीलाम नहीं किए जा सकते हैं।

3 जोतों की सीमा का निर्धारण (Ceiling of Holdings)

जोतों की सीमा का निर्धारण भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जोतों की सीमा निर्धारण का मूल उद्देश्य उन लोगों से जमीन लेकर जिनके पास अधिक जमीन है उनको उपलब्ध करना है जिनके पास जमीन नहीं है पर कृषि ही जिनकी मुख्य आजीविका है। दूसरे शब्दों में बड़ी भूमियों का सीमा निर्धारण करने अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना है। जोतों की सीमा निर्धारण के अन्य उद्देश्यों में अधिप्राप्ति लोगों के लिए रोजगार मुहैया करना प्रबन्धकीय सरलता की दृष्टि से भूखण्डों को उचित आकार में परिवर्तित करना आदि भी हैं।

सीमा निर्धारण के चरण (Steps For Limit Assessment) - 1950 व 1960 के दशक में भूमि की सीमा समझी कानून का दिया गए पर इन पर अमल नहीं चरणों में हुआ। सर्वप्रथम राज्य सरकार ने कानून में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने वालों की जमीन को अतिरिक्त घोषित किया। फिर उस जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। तीसरे चरण में वह जमीन भूमिहीन किसानों में वितरित की जाती है। भूमि की सीमा निर्धारण के हर चरण में अडघों आयीं। प्रमुख समस्या यह थी कि भूमि की अधिप्राप्ति सीमा की मूल इकाई परिवार माना जाये या व्यक्ति।

1972 से पूर्व भूमि निर्धारण (Land Assessment Before 1972) - 1972 से पूर्व भूमि की सीमा निर्धारण की इकाई व्यक्ति होता था। भूमि की सीमा निर्धारण बिहार में प्रति व्यक्ति 10 से 30 एकड़ मध्य प्रदेश में 27 से 75 एकड़ उत्तर प्रदेश में 40 से 80 एकड़ निर्धारित की गई।

1972 के पश्चात् भूमि सीमा निर्धारण (Land Assessment After 1972) - 1972 के पश्चात् प्रति पत्नी व बच्चों के परिवार को सीमा निर्धारण हेतु इकाई माना गया। इस चरण में भूमि की सीमा निर्धारण प्रति परिवार 9 से 54 एकड़ वर्ष में दो पराल देने वाली सिंचित भूमि के सम्बन्ध में प्रति परिवार 10 से 18 एकड़

तथा फल देने वाली सिंचित भूमि के सबघ में 14 से 27 एकड़ भूमि निश्चित है। भिन्न-भिन्न राज्यों में कई अलग-अलग मामलों में भूमि की अधिकतम सीमा में छूट दी गई।

उच्चतम सीमा निर्धारण के लाभ (Merits of Highest Limit Assessment)

— आजादी के पाच दशक बाद भी आज 23.8 प्रतिशत भू स्वामी 71 प्रतिशत भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं जबकि 8.73 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों के पास दो-दो हैक्टेयर से भी कम जमीन है। देश में करोड़ों भूमिहीन मजदूर हैं और उनकी संख्या प्रतिवर्ष 20 लाख की दर से बढ़ रही है। भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण से काम के अवसरों में वृद्धि होगी तथा चकबंदी, सहकारी कृषि, प्रबन्धकीय कुशलता, समाजवादी व्यवस्था को भी बल मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक विषमता में भी कमी होगी।

उच्चतम सीमा निर्धारण के दोष (Demerits of Highest Limit Assessment)

— भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण के लाभ के साथ दोष भी हैं। भूमि की उच्चतम सीमा के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं -

- 1 भूमि की उच्चतम सीमा के निर्धारण से अतिरिक्त भूमि का आबटन भूमिहीनों को होगा, जो निर्धन तथा साधनहीन होते हैं। गरीबों को भूमि के आबटन से कृषि उत्पादन में कमी होगी।
- 2 जोतों की उच्चतम सीमा के निर्धारण में खामियों के कारण बहुत कम भूमि प्राप्त होगी जिससे भूमिहीनों की समस्या का समाधान नहीं होगा।
- 3 सीमा निर्धारण से बड़े-बड़े भू-स्वामियों से भूमि लेना बहुत कठिन है। राजकीय दबाव से भूमि प्राप्त की जाती है। भू-स्वामियों से प्राप्त भूमि को आवंटित करते समय वर्ग संघर्ष का भय बना रहता है।
- 4 अतिरिक्त घोषित क्षेत्र का गरीबों में आबटन छोटे-छोटे भूखण्डों में किया जाता है। गरीब किसान छोटे भूखण्डों से परिवार के लिए वर्ष पर्यन्त उदरपूर्ति वास्ते खाद्यान्न उत्पादित नहीं कर पाते हैं। कृषि उत्पादों का विपणन बहुत कम हो जाता है।
- 5 जोतों की सीमा निर्धारण से बड़े पैमाने की खेती नहीं हो पाने के कारण कृषि में यंत्रीकरण संभव नहीं हो पाता है।
- 6 भू-स्वामियों के बड़े खेतों पर अनेक मजदूर काम करते थे। भूमि की सीमा निर्धारण से ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई।
- 7 जोतों की सीमा निर्धारण के बाद आवंटित भूमि का उपविभाजन जारी रहने से अनार्थिक जोतों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
- 8 जोतों की सीमा निर्धारण के बाद अधिकार में किए हुए क्षेत्र की क्षतिपूर्ति

का भार सरकार द्वारा उठाने की समस्या उत्पन्न हुई।

जोता की सीमा निर्धारण से प्राप्त लाभ इसकी हानियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। जोता की सीमा निर्धारण से देश में आर्थिक विपत्ता की समस्या कम हुई है। भूमिहीनों को भूमि मिली है। गरीब किराने शोषण मुक्त हुए हैं। उच्चतम सीमा निर्धारण के दोषों को प्रयास करके दूर किया जा सकता है।

4 कृषि भूमि का पुनर्गठन (Re-organisation of Agriculture Land)

स्वातन्त्र्योत्तर कृषि भूमि के पुनर्गठन में चकबंदी, सहकारी कृषि, भूदान आन्दोलन, भूमि प्रबन्ध आदि महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। कृषि भूमि के पुनर्गठन से कृषि में विकास की गति पकड़ी।

1 चकबंदी (Marking the Boundaries) — भारत में कृषि जाते छोटी और बिखरी हुई पड़ी है। वर्ष 1985-86 के एक आकलन के अनुसार देश भर की कुल 977 लाख जोतों में से 746 लाख जोतों दो एकड़ से कम आकार की थी। इन 746 लाख जोतों में से भी 567 लाख जोतों का आकार एक एकड़ या उससे कम था। इस तरह की जोतों में खेती कुशलतापूर्वक नहीं हो सकती है। छोटी और बिखरी जोतों किसानों के लिए निरन्तर सिरदर्द का कारण रही हैं। ऐसी जोतों में खेती पर खर्चा ज्यादा आता है। मेढ या सीमा बनाने में काफी भूमि बर्बाद हो जाती है। ट्रैक्टर या मशीनों का प्रयोग नहीं हो सकता। व्यक्तिगत देख-रेख अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि खेती की आधुनिकतम तकनीकें अपनाई जाएं। कृषि जोतों का आकार आर्थिक बनाने के लिए सरकार ने चकबंदी का कार्यक्रम हाथ में लिया। चकबंदी में भूमि के छोटे-छोटे बिखरे हुए टुकड़ों को खेचड़ा से या कानूनी दबाव से बड़े बकों में परिवर्तित किया जाता है।

भारत में चकबंदी के लिए प्रायः सभी राज्यों में कानूनी प्रावधान कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में चकबंदी का अच्छा काम हुआ है। बिहार, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के काफी इलाकों में चकबंदी जोरा से चली। भूमि के हर टुकड़े से मोह रखने वाले परम्परावादी किसानों को चकबंदी के लिए राजी करना मुश्किल काम है। भारत में चकबंदी का कार्य लम्बे समय से चल रहा है। चकबंदी सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में 1905 में प्रारम्भ की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक लगभग 6,000 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर चकबंदी का कार्य पूरा किया जा चुका है जो देश में कुल क्षेत्र का केवल 33 प्रतिशत है। नवम्बर 1994 तक 1,528 76 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हो गई थी। चकबंदी निश्चित रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुई। चकबंदी होने से भूमि पर आधुनिक मशीनों का उपयोग संभव हुआ और कृषि की लागत में कमी आई।

2 सहकारी कृषि (Cooperative Cultivation) — सहकारी कृषि में भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों का मिलाकर संयुक्त खेती की जाती है। भारत में किसानों को

उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्र, कृषि उपकरण आदि खरीदने के लिए सहकारी कृषि पर बल दिया गया है। सहकारी कृषि की सहायता से उपविभाजन की समस्या को दूर किया जा सकता है। पाटिल शिष्ट मंडल के अनुसार, "सहकारी कृषि के अन्तर्गत कृषि बड़े पैमाने पर की जा सकती है तथा बड़े पैमाने के उत्पादन की सभी भित्तव्ययताएँ प्राप्त करना संभव हो जाता है।"

भारत में सहकारी कृषि के अनेक रूप हैं, किन्तु सयुक्त सहकारी कृषि, सहकारी पट्टेदारी कृषि तथा सहकारी उन्नत कृषि प्रमुख हैं। सयुक्त सहकारी कृषि में स्वामित्व प्रत्येक कृषक का रहता है तथा वे मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें कृषि सबंधी सभी खर्चें सम्मिलित कोष से किए जाते हैं। बची आय को सभी सदस्य बाट लेते हैं। सहकारी पट्टेदारी कृषि में सहकारी समिति भूमि को पट्टे पर उठाती है और लगान वसूली करती है। इसमें सदस्यों के लाभ का कुछ भाग समिति के सुरक्षित कोष में रखा जाता है। सहकारी उन्नत कृषि में किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है तथा वह कुछ कार्य जैसे बीज, खाद की खरीद, यंत्रीकरण, उपज बिक्री आदि स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सहकारी कृषि पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 317 पायलेट परियोजनाओं में प्रत्येक 10-10 सहकारी कृषि समितियों की व्यवस्था की गई। नतीजन 30 जून 1974 तक सयुक्त सहकारी कृषि समितियों की संख्या 4985 थी तथा इनकी सदस्य संख्या 122 लाख थी।

3. भूदान (Bhoodan) - भूदान कार्यक्रम भूमि सुधार का एक ऐच्छिक कार्यक्रम है। आचार्य विनोबा भावे ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ 18 अप्रैल, 1951 को किया था। इसमें व्यक्ति भूमि स्वेच्छा से दान करते थे। दान में एकत्रित भूमि को भूमिहीन किसानों के बीच वितरित कर दिया जाता था। इससे गरीब किसानों को जीविका का सहारा मिल जाता था।

11 सितम्बर, 1895 को महाराष्ट्र के एक गाँव में जन्मे आचार्य विनोबा भावे का जीवन विविधताओं से भरा रहा है। वर्ष 1995 विनोबा जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। भूदान कार्यक्रम भारत के भूमि सुधार कार्यक्रमों में गैर सरकारी प्रयासों की श्रृंखला में भागीरथ प्रयास था। विनोबा जी ने कहा "जिस जमीन के लिए खून, कत्ल, कोर्ट कचहरी होती है, वह जमीन दान में मिली। इसके पीछे कोई संकेत होना चाहिए। रात भर मेरा चिन्तन चला और मुझे अनुभव हुआ कि लोग प्रेम से जमीन दे सकते हैं।" विनोबा जी ने भू-स्वामियों से कहा, "अगर तुम्हारे पांच बेटे होते तो तुम अपनी संपत्ति उनके बीच बराबर-बराबर बाँटते। मुझे अपना छठा बेटा समझो। दरिद्र नारायण दीन के रूप में प्रगट हुए भगवान के लिए मुझे अपनी जमीन का एक हिस्सा दो।" विनोबा जी को विश्वास था कि भारत जैसे प्रजातंत्र में व्यापक भूमि सुधार लाने के लिए भूदान ही एक मात्र उपाय है। यह लोगों के मनो और हृदयों को छूता है। भूदान के लिए विनोबा जी हिन्दू पौराणिक कथाओं यथा राजा बलि का दान, महाभारत में वर्णित कौरव-पांडव युद्ध आदि

कथाओं का सहारा लेते थे।

भूदान कार्यक्रम की प्रगति (Progress of Bhoodan Activity) – अप्रैल 1954 के अन्त तक 32 लाख एकड़ भूमि भूदान में दी गई थी। इनमें से 20 लाख एकड़ भूमि व्यावहारिक रूप से अच्छी जमीन थी। भूदान करने वाले दाताओं की संख्या 2,30,000 थी जिनमें से एक तिहाई के विषय में कहा जाता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। 60,000 एकड़ भूमि 20,000 परिवारों में बाटी गई।

विनोबा जी ने 1956-57 तक भूदान को जारी रखा। उनके अभियान से प्राप्त भूमि और उसके वितरण का ब्यौरा इस प्रकार है

भूदान यज्ञ - प्राप्त भूमि और वितरण

	दान दी गई जमीन (लाख एकड़ में)	वितरित	शेष
1 आन्ध्र प्रदेश	1 96	1 00	0 96
2 बिहार	21 18	6 95	14 23
3 गुजरात	0 34	0 27	0 07
4 मध्य प्रदेश	4 10	2 43	1 67
5 महाराष्ट्र	1 10	0 83	0 27
6 उड़ीसा	6 39	5 80	0 59
7 राजस्थान	6 02	1 41	4 61
8 उत्तर प्रदेश	4 37	4 21	0 16
9 अन्य राज्यों समेत योग	45 90	23 23	22 67

स्रोत कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, 1985

विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में 4590 लाख एकड़ भूमि प्राप्त की गई जिसमें से 2323 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई तथा 2267 लाख एकड़ भूमि शेष है। आचार्य विनोबा भावे के अभियान में 17 राज्यों से भूदान में जमीनें मिली थी। सबसे अधिक भूमि बिहार से 2118 लाख एकड़, उड़ीसा से 639 लाख एकड़ तथा राजस्थान से 602 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई। लेकिन पंजाब, राजस्थान, बिहार तथा कर्नाटक में भूमि वितरण की दशा खराब है। बिहार में 1423 लाख एकड़ तथा राजस्थान में 461 लाख एकड़ भूमि वितरित की जानी है।

भूदान में अनेक बाधाएँ आईं। कई मामलों में सरकारी, अन्य लोगों की या मुकदमबाजी में फँसी भूमि दान दे दी गई। अतिरिक्त भूमि के वितरण के नाम पर बहुत सी बंजर जमीन भूमिहीन किसानों को दे दी गई जिससे गरीबों व भूमिहीनों

को कोई लाभ नहीं हुआ। विनोबा भावे के ऐतिहासिक भूदान आन्दोलन के साथ भी अक्सर ऐसा हुआ। फिर भी सदियों से दलित गरीब किसानों में से कुछ को भूमि मिली है और अधिक लोगों को मिलने की संभावना बनी है। इससे पूरी तरह न सही, आंशिक रूप से सामाजिक विषमता कम हुई है। सामाजिक न्याय की कुछ पूर्ति हुई। किसानों की गरीबी दूर करने में मदद मिली है। विनोबा भावे ने कहा कि "भूदान यज्ञ से जमीन का बटवारा होगा, यह इसका कम से कम लाभ है। इससे बड़ी चीज तो यह बनेगी कि जनता अपनी ताकत महसूस करेगी। आज जनता को हर बात में सरकार की तरफ ताकने की जो आदत लगी है, उससे वह मुक्त होगी और उसे विश्वास आएगा कि वह भी कुछ कर सकती है।"

4 भूमि प्रबन्ध (Land Management) — पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि प्रबन्ध में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भूमि प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार के कारण खाद्यान्न उत्पादन 1996-97 में 1994 मिलियन टन तथा 1998-99 में 1953 करोड़ टन (प्राविजनल) तक जा पहुंचा। अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बढ़ाने के लिए हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति तथा श्वेत क्रांति लागू की गईं। आज भारत विश्व का बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र है। वर्तमान में कृषि में उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यंत्रीकरण बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। कृषि वित्त की दशा में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना और भूमि सुधार (Eighth Five Year Plan and Land Reforms)

आठवीं पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया जिसमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

- 1 समानता पर आधारित सामाजिक ढांचे की प्राप्ति के लिए कृषि सबंधों की पुनर्संरचना।
- 2 भू-संबंधों में शोषण की समाप्ति।
- 3 जोतने वाले को जमीन के लक्ष्य को व्यावहारिक रूप देना।
- 4 ग्रामीण निर्धनों के भूमि-आधार को विस्तृत कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार।
- 5 कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि।
- 6 ग्रामीण निर्धनों के लिए भूमि-आधारित विकास को प्रोत्साहन।
- 7 स्थानीय संस्थाओं में अधिक समानता।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर 34,425.4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जो योजना परिव्यय का 7.9 प्रतिशत है। वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना में ग्रामीण विकास पर 9,967.2 करोड़ रुपये व्यय किया गया। वार्षिक योजना 1997-98 में ग्रामीण विकास पर 10,162.5 करोड़ रुपये (सशोधित-अनुमान)

व्यय किया गया जा वार्षिक योजना का 73 प्रतिशत है। आठवीं योजना दस्तावेज में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में निर्धारित भूमि विकास नीति दोहराई गई है। इसमें विद्युतिय की समाप्ति वास्तविक किसानों तथा बटाईदारों की स्थिति में सुधार भूमि सीमा चकबंदी कानून के तहत फालतू घोषित जमीन का वितरण चकबंदी और भूमि अभिलेखों में सुधार शामिल है।

आर्थिक उदारीकरण और भूमि सुधार (Economic Liberalisation and Land Reforms)

कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार लागू किये जाने से आर्थिक विषमता से तीव्र वृद्धि की संभावना है। कृषि में आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने से बड़े किसान ही लाभान्वित होंगे। छोटे व सीमान्त किसान भूमिहीन हो जाएंगे। सब्सिडी समाप्त करने का दुष्परिणाम सीमान्त कृषकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अतः उनकी सुरक्षा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। उनके लिए रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करना होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दिए जाने से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को ठेस पहुंचेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित होती हैं। भूमंडलीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीपतियों की पूंजी में अत्यधिक वृद्धि होगी दूसरी ओर श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित स्वदेशी उद्योगों भूमि सुधारों के स्थानीय तरीकों का क्रमिक पतन होगा। भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी अतिआवश्यक है। भूमि सुधारों में जनसहभागिता की पहले ही कमी है। भूमंडलीकरण से इसमें और कमी आने की संभावना है। आज लोग अपनी पहचान स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्थानीय बाजार को प्रभावित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संप्रेषण शक्ति तीव्र होती है इसे समझने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। जब ग्रामीण जरूरत की चीजे बहुराष्ट्रीय निगम उपलब्ध कराएंगे तो इससे ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों द्वारा उत्पादन करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी।

भूमि सुधार कार्यक्रमों की आलोचनाएँ (Criticisms of Land Reform Programmes)

स्वातन्त्र्योत्तर भूमि सुधार कार्यक्रमों को उत्साह के साथ लागू किया गया था किन्तु क्रियान्वयन में खामियों के कारण भूमि सुधार की प्रगति अपेक्षित नहीं रही। बड़े किसानों के पास भूमि का सखन्ड्रण है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। पिछले दशकों में उत्पादन वृद्धि का लाभ सीमित लोगों तक ही पहुंचा है। केरल राज्य में अवश्य सामान्य ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरा है। योजना आयोग के एक कार्यदल ने भूमि सुधारों की धीमी प्रगति हेतु उत्तरदायी कारण बताए हैं। जिनमें राजनीतिक निष्ठा का अभाव छोटे किसानों की निष्क्रियता प्रशासनिक कठिनाईयाँ कानूनी अडचनें भूमि के अद्यतन ब्यारा का अभाव वित्तीय

प्रावधान का अभाव आदि प्रमुख हैं। भारत में भूमि सुधारों की धीमी प्रगति के कारण अथवा कमियाँ अथवा आलोचनाएँ निम्नांकित हैं -

1 भूमि वितरण में असमानताएँ (Inequality in Land Distribution) - भूमि सुधार कार्यक्रमों में गरीब लोगों में वितरित करने के लिए बहुत कम जमीन मिली। यह देश की समस्त कृषि योग्य भूमि के मात्र दो प्रतिशत के बराबर थी। स्वतंत्रता के पाँच दशक बाद भी 23.8 प्रतिशत भू-स्वामी 71 प्रतिशत भूमि पर कब्जा जमाएँ हुए हैं जबकि 87.3 करोड़ लाख छोटे और सीमान्त किसानों के पास दो-दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। देश में करोड़ों भूमिहीन मजदूर हैं और उनकी संख्या प्रति वर्ष 20 लाख की दर से बढ़ रही है।

2 राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव (Lack of Political Will) - भूमि सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। प्रभावशाली लोगों ने सत्ता के जोर पर बड़े पैमाने पर भूमि हड़प ली है। भूमि सुधार का क्रियान्वयन राजनीतिक निर्णयों पर आधारित है। भू स्वामियों के ताकतवर राजनीतिक नेताओं और सरकारी अफसरों से पारिवारिक तथा अन्य रिश्तों के कारण भी कानून का कार्यान्वयन मुश्किल हो जाता है। जमींदारी उन्मूलन से बड़े काश्तकार मजबूत हुए और ग्रामीण समाज पर सामंती व्यवस्था की पकड़ दूसरे रूप में मजबूत हुई। एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से बड़े किसानों को छोटे किसानों और खेत मजदूरों के वोट से अपनी राजनीतिक सत्ता बढ़ाने में मदद मिली।

3 भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि (Increase in Landless Farmers) - भारत में छोटे और मध्यम किसानों की बहुतायत है। छोटे किसानों का भूमि के साथ लगाव होता है और कृषि की कुशलता को अपेक्षाकृत ऊँचे स्तर पर बनाएँ रखते हैं और पूँजीवादी कृषि की वृद्धि को रोकते हैं। भारत में भूमि सुधार इस दिशा में निष्प्रभावी रहे हैं। देश में भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि हुयी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौर के अनुसार भूमिहीन मजदूरों की संख्या 1971-72 में 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 1987-88 में 14.4 प्रतिशत हुई है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो ग्रामीण जनसंख्या में अधिक संख्या भूमिहीनों की होगी।

4 भूमि की सीमा निर्धारण में विलम्ब (Delay in Assessment of Land) - भूमि सुधारों के अधिकांश अधिनियम राज्यों द्वारा तुरन्त लागू न करके कुछ समय उपरान्त लागू किये गये। इस दौरान समृद्धशाली मध्यस्थ भूमि को अपने परिवारजनों के नाम हस्तांतरित करके कानून की सीमा से बच निकले। कानून बनाने व क्रियान्वित करने में इतना अधिक अन्तराल अन्य किसी क्षेत्र में नहीं रहा।

5 भूमि रिकार्ड का अभाव (Lack of Land Record) - भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा भूमि रिकार्डों का अभाव रहा। भूमि रिकार्ड के अभाव में सीमाबंदी सुधार तथा मालिकाना हक सबंधी मामले निपटाना मुश्किल है। भूमि रिकार्ड की कमी से जमींदारों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने किसानों का शोषण किया है।

6 असन्तोषजनक प्रगति (Unsatisfactory Progress) — भूमि सुधारों की प्रगति धीमी और असन्तोषजनक रही है। 1987 में एन एल दातादाता ने लिखा कि जमींदारी उन्मूलन का छोड़कर अन्य किसी दशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की जा सकी है। आज भी देश में बहुत बड़े पैमाने पर खेती कारशतकारों द्वारा की जाती है। अनेक स्थानों पर लगान की दर ऊँची है और बेदखली का डर कारशतकारों को है। सीमाबन्दी नीति के अन्तर्गत थोड़ी भूमि ही प्राप्त की जा सकी है तथा भूमिहीन और छोटे किसानों को बैंकदारा और भी कम रहा है।

7 जन सहयोग का अभाव (Lack of Public Cooperation) — भूमि सुधारों को लागू करने में अपेक्षित जनसहयोग नहीं मिला। कानून की घोषणा और इसके क्रियान्वयन के बीच के अंतराल में लोग भूमि सुधारों से बचने के तरीके खोज लेते हैं। देश के कुछ भागों में भूमि सुधार सबधी कानूनों की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए शक्ति सम्पन्न लोगों के बड़े बड़े फार्म हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भूपतियों पुराने जमींदारों और बड़े किसानों की पकड़ इतनी मजबूत है कि भूमि सबधी सभी कानूनों की खुलेआम उपेक्षा की जाती है। सरकार इन कठिनाईयों का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील है लेकिन जनता के पूरे सहयोग के बिना इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।

8 वित्तीय ससाधनों का अभाव (Lack of Financial Resources) — आज बजट का बड़ा भाग ग्रामीण विकास पर खर्च किये जाने का प्रावधान किया जाता है। किन्तु भूमि सुधारों के लिए अलग से वित्त का प्रावधान नहीं किया जाता है। प्रारम्भ से ही वित्तीय अभाव भूमि सुधारों की दुर्बलता का आधार रहे है। भूमि सुधारों वास्तो पंचवर्षीय योजनाओं में भी अलग से वित्त की व्यवस्था नहीं की गई।

9 समन्वय का अभाव (Lack of Co ordination) — भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों का है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों के सबध में अलग-अलग अधिनियम पारित किए हैं उनमें एकरूपता का अभाव है। विभिन्न राज्यों तथा एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उच्चतम सीमा में काफी अन्तर रहा है। सीमाबन्दी कानूनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से जुलाई 1972 में राज्य मंत्रियों की गोष्ठी बुलाई गई थी परन्तु तब तक काफी क्षति हो चुकी थी तथा विभिन्न किस्म के हस्तान्तरणा व भ्रष्ट तरीकों की वजह से बहुत कम भूमि अतिरिक्त भूमि के रूप में प्राप्त हुई। सीमाबन्दी कानूनों से रियायतों और छूटों की सूची बहुत लम्बी थी।

10 अनुकूल वातावरण का अभाव (Lack of Appropriate Environment) — भारत में भूमि सुधारों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा से पृथक रखकर लागू किया गया तथा भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न अंशों पर जोर डाला गया। अतः भूमि सुधार हेतु अनुकूल वातावरण नहीं बन पाया। चक्रबन्दी कार्यक्रम को बिना ग्रामीण अर्थ संरचना को विकसित किये लागू किया गया। अतः वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका।

भूमि सुधारों की सफलता के सुझाव (Suggestions for Successful Land Reforms)

भारत में ग्रामवासियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए भूमि सुधारों का कारगर क्रियान्वयन आवश्यक है। हमारे लिए भूमि सुधार की वही नीति ठीक होगी जो गावों के विकास तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सहायक हो। भूमि सुधारों का प्रश्न आर्थिक है तथा राष्ट्रीय जीवन से संबन्धित है। जब तक भूमि सुधार कार्यक्रम ग्रामीण जीवन की तह तक नहीं पहुँचेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार एव सुपर स्ट्रक्चर दोनों ही कमजोर रहेंगे।¹ भूमि सुधारों की सफलता के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं -

1. **भूमि अभिलेखों की पूर्णता (To Complete Land Records)** - भूमि के सबंध में सारे रिकार्ड पूरे व सही हो तथा समय के साथ इसमें आवश्यक सशोधन होते रहने चाहिए। कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए समुचित भू राजस्व और भूमि अभिलेख प्रणाली की आवश्यकता है। भारत में भूमि अभिलेखों में सुधार की पर्याप्त गुंजायश है। अभिलेखों का अपडेटिंग व निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी राज्यों में राजस्व मशीनरी को सशक्त बनाया जाना चाहिए जिससे कारशतकारी व सीमा निर्धारण कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। सभी बटाइदारों एवं कारशतकारों के रिकार्ड तैयार कर उन्हें जमीन के मालिकाना अधिकार देने की जरूरत है। देश में वर्ष 1999 तक 518 जिलों में भूमि रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका था जिसके लिए 84 62 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई।

2. **सीमाबन्दी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन (Fruitful Implementation of Land Settlement)** - सीमाबन्दी कानूनों को प्रभावी तरीके से शीघ्र लागू किया जाए। बेनामी हस्तान्तरणों को रोका जाए। राज्य द्वारा इस प्रकार के हस्तान्तरणों की जाच कराकर दोषियों को दंडित किया जाये। वर्ष 1980-81 की जनगणना पर आधारित अपने एक अध्ययन में डा. डी. बंदोपाध्याय ने सुझाव दिया कि यदि भूमि हदबदी के वर्तमान कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए तो 59.9 लाख हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा सकती है।

3. **भूमि सुधारों का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के हाथ में हो (Implementation of Land Reforms in Central Government)** - भारत में कृषि राज्यों का विषय है। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में है। राज्य सरकारों के राजनीतिक कारणों से तथा भू स्वामियों के प्रभावशाली होने के कारण भूमि सुधारों को कारगर ढंग से लागू नहीं कर पाती है। कई मामलों में राज्य सरकारों के केन्द्र सरकार को समय पर अपेक्षित जानकारी तक नहीं भेजती हैं। केन्द्र सरकार इस बात से चिंतित है कि भूमि सुधार क्रियान्वयन के मामले में राज्य सरकारों पर्याप्त मदद नहीं कर रही है। भूमि सुधार का कार्य सविधान में सशोधन करके केन्द्र की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे भूमि सुधार कार्यक्रम प्रभावी ढंग से

सम्पन्न हो सकें।

4 न्यायालय में चुनौती का अधिकार समाप्त हो (To Finish the Right of Challenge in Courts) - सभी भूमि सुधार कानूनों को संविधान की तैरी अनुसूची में अविलम्ब शामिल किया जाये जिससे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इन्हे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। संविधान के 81वें संशोधन में भूमि सुधार कानून को संविधान की तैरी सूची में शामिल किया जा चुका है।

5 मुकदमों का शीघ्र निपटारा (Early Settlement of Legal Cases) - भारत में अभी तक (1999) 1065 लाख एक्ड जमीन विभिन्न स्तर के मुकदमों में उलझी हुई है। इन मुकदमों का शीघ्र निपटारा कर जमीन का वितरण किया जाना चाहिए अन्यथा आगे वाले कई वर्षों तक यह जमीन यों ही उलझी रहेगी और बड़े भू-स्वामी इसका इस्तेमाल करते रहेंगे।

6 भूमि का शीघ्र वितरण (Early Distribution of Land) - भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्दी से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को शीघ्र भूमिहीनों में वितरित की जानी चाहिए। अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण करके उसके बेचने व गिरवी रचना पर रोक लगाई जाए।

7 जन सहयोग (Public Cooperation) - भूमि सुधारों के पक्ष में जन सहयोग अति आवश्यक है। सभी स्तरों पर प्रतिनिधि समितियाँ बनाई जानी चाहिए जिसमें जन प्रतिनिधि लाभार्थियों सरकार के प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। गोष्ठियाँ प्रचार व प्रसार के द्वारा भूमि सुधार के प्रति जनता में रुचि पैदा की जानी चाहिए।

8 भ्रष्टाचार पर नियंत्रण (Control Over Corruption) - भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो।

9 गैर कृषकों को भूमि हस्तान्तरण पर रोक (Ban over Land Transfers among Those who are not Farmers) - भूमि सुधार कार्यक्रमों की सफलता के लिए कृषि में अनुपस्थित भू स्वामित्व के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भूमि-सुधार में इस बात की सख्त व्यवस्था हो कि गैर कृषकों को भूमि का हस्तान्तरण नहीं हो सके। वर्तमान कानून गैर कृषकों को अधिकांश भूमि खुदकारों की आड़ में रखने की अनुमति देते हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से खेती करने वाले कृषकों को ही मिलना चाहिए।

भारत में राज्य सरकारें अगर ईमानदारी से भूमि सुधारों की दिशा में काम करें तो कृषि और राष्ट्रकारों की दशा सुधर सकती है। सामाजिक न्याय तथा समता की जन आकाशाओं को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि भूमि सुधार के जितने कानून हैं उन्हें कड़ाई से लागू किया जाए। सभी भूमि वितरण के मामलों

में व्याप्त विषमता दूर हो सकती है और बेनामी जमीन उसके असली मालिक को मिल सकती है।

सन्दर्भ

- 1 कुरुक्षेत्र, अप्रैल 1993, पृ 23
- 2 वही, पृ 20
- 3 राजस्थान पत्रिका, 23 अप्रैल, 1999
- 4 कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, 1995, पृ 48

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भूमि सुधार का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
- 2 भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य बताइए।
- 3 भारत में भूमि सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- 4 आठवीं पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार की प्रगति बताइए।
- 5 भारत में भूमि सुधार की धीमी प्रगति के कारण बताइए।

नियन्त्रात्मक प्रश्न

- 1 स्वाधीनता के बाद भारत में भूमि सुधार की दिशा में किये गये प्रयासों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
(संकेत — इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार को लिखिए।)
- 2 भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है। भारत की अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार के महत्त्व को बताइए।
(संकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में भूमि सुधार का अर्थ लिखना है तदुपरांत अध्याय में दिए गए भूमि सुधार के महत्त्व को बताना है।)
- 3 भारत में भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए तथा भूमि सुधारों की सफलता के सुझाव दीजिए।
(संकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार की प्रगति तदुपरांत भूमि सुधारों की आलोचनाएँ लिखनी हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में भूमि सुधारों की सफलता के सुझाव लिखने हैं।)

भारत में औद्योगिक विकास (Industrial Development in India)

अतीत में भारत का औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व में गौरवमयी स्थान था। औद्योगिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों की भारत पर लालचमरी दृष्टि पड़ी। सोने की छिड़िया होने के कारण विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। विदेशियों ने कूटनीति से भारत को गुलामी के शिकजे में जकड़ लिया। विदेशी ताकतों ने भारत के अथाह प्राकृतिक ससाधनों का मनमाफिक दोहन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गुलामी के दिनों में अंग्रेजों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण के कारण भारत औद्योगिक राष्ट्र से कृषि प्रधान राष्ट्र में परिवर्तित हो चुका था। ब्रिटिश शासनकाल में पूंजीगत वस्तु उद्योगों के विकास का प्रयास नहीं किया गया और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि भी पिछड़ी हुई दशा में थी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में पूंजी की तीव्रता कम थी तथा मझौले उद्योग कम विकसित थे। इसके अलावा पूंजी वस्तु उद्योगों की तुलना में उपभोग वस्तु उद्योगों की प्रधानता थी।

औद्योगिक विकास का महत्त्व

(Importance of Industrial Development)

औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है। बिना औद्योगिक विकास के जीवन जीने के प्रचुर साधन उपलब्ध कराना महज कल्पना है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि गरीबी निवारण के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। विश्व के सभी विकसित देश औद्योगिक विकास के द्वारा ही आर्थिक विकास की ऊँची अवस्था तक पहुँचे हैं। आज विकासशील राष्ट्र भी औद्योगिक विकास के मार्ग द्वारा आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत हैं। आजादी के पाच दशक बाद भी भारत में बड़ी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर के लिए अभिशप्त है। भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने तथा निर्धनता के

कुचक्र को थामने के लिए औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। भारत में आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए औद्योगिक विकास रामबाण औषधि है। औद्योगिक विकास के महत्त्व को अग्रकित विवरण से समझा जा सकता है।

1. प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन (Exploitation of Natural Resources)– औद्योगिक विकास में बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना की जाती है। बड़े पैमाने के उद्योगों में अनेक प्राकृतिक ससाधनों का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। भारत प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता वाला देश है। यहाँ विविध प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों का उपयोग औद्योगिक विकास द्वारा ही संभव है। भारत में तीव्र औद्योगीकरण के अभाव में बहुमूल्य खनिज सम्पदा बेकार पड़ी है। औद्योगीकरण के अभाव में खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में ही निर्यात कर दिया जाता है जिससे देश को आर्थिक क्षति होती है।

2. कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी (Less Burden of Population on Agriculture) – भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ बहुसंख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। अत्यधिक जनसंख्या के कृषि कार्यों में लगे होने के कारण अविद्यमान बेरोजगारी की समस्या मुख्य है। भारत में लोग विकल्प के अभाव में आवश्यकता न होते हुए भी कृषि कार्यों में लगे होते हैं। औद्योगिक विकास से कृषि पर जनसंख्या के भार को कम किया जा सकता है। औद्योगिक विकास लोगों को रोजगार के विकल्प प्रदान करता है।

3. कृषि विकास (Agricultural Development) – कृषि विकास के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। वर्तमान में कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में नवीन कृषि व्यूह रचना के आत्मसात से कृषि सक्रमण काल के दौर से गुजर रही है। भारत डकेल प्रस्तावों को स्वीकृत कर चुका है तथा विश्व व्यापार संगठन की भी सदस्यता ग्रहण का चुका है। इसका भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत को कृषि विकास को गति देने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने भी हाल ही के वर्षों में कृषि विकास पर जोर दिया है। कृषि विकास के लिए उन्नत बीज, उपकरण, कीटनाशक, उर्वरक आदि की आवश्यकता होगी। इनका उत्पादन औद्योगिक विकास द्वारा ही संभव है।

4. सतुलित विकास (Balanced Development) – भारत में सभी राज्यों का समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। आज भी अनेक राज्य ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। औद्योगिक विकास द्वारा सतुलित विकास संभव है। पिछड़े हुए राज्यों में आधारभूत उद्योगों की स्थापना कर आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। सार्वजनिक उपरिष्य का बड़ा भाग पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग व खनन पर खर्च कर सतुलित विकास किया जा सकता है।

5. रोजगार (Employment) – भारत में बेरोजगारी की समस्या मुख्य है।

भारत में अनुमानत 30 करोड़ लोगों के पास काम नहीं है। काफी लोग बेरोजगारी अथवा अर्द्धबेरोजगारी की दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। औद्योगिक विकास रोजगार के नये अवसर प्रदान करता है। औद्योगीकरण से प्रत्यक्ष रोजगार में तो वृद्धि होती ही है इसके अलावा सहायक उद्योग-धंधों के बनने से अप्रत्यक्ष रोजगार में भी वृद्धि होती है।

6 आधारभूत संरचना का विकास (Development of Infrastructure) — आधारभूत संरचना में ऊर्जा रेल सड़क संचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। औद्योगीकरण के द्वारा ही परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास होता है। रेल इंजिन डिब्बे पटरियां समुद्री जहाज पेट्रोल आदि का उत्पादन औद्योगिक विकास द्वारा ही संभव है।

7 राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income) — वर्तमान परिदृश्य में कृषि इस स्थिति में नहीं कि राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि कर सके। औद्योगिक विकास के द्वारा न केवल राष्ट्रीय आय में अपितु प्रति व्यक्ति आय में भी तीव्र वृद्धि होती है। औद्योगिक विकास के द्वारा जनसाधारण के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। औद्योगिक विकास से बचत और निनियोग में भी वृद्धि होती है परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है।

8 राष्ट्रीय प्रतिरक्षा (National Security) — भारत को स्वतंत्रता के पश्चात् भी बाह्य-आक्रमणों का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में भी पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध मधुर नहीं है। युद्धकाल में अत्याधुनिक सुरक्षा संबंधी उपकरणों की आवश्यकता होती है। जिनके उत्पादन के लिए औद्योगिक विकास की नितांत आवश्यकता होती है। आज बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए भारी इस्पात रासायनिक उद्योग एवं वायुयान उद्योगों के विकास की भारी आवश्यकता है।

9 अनुकूल व्यापार सतुलन (Favourable Balance of Trade) — स्वातंत्र्योत्तर केवल दो वर्षों को छोड़कर भारत का व्यापार सतुलन प्रतिकूल रहा है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर व्यापार सतुलन को अनुकूल किया जा सकता है। औद्योगिक विकास से उत्पादन बढ़ने से आयात में कमी होती है। आयात-प्रतिस्थापन को भी बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक उत्पादन का निर्यात हान से कालान्तर में विदेशी विनिमय क्षेत्र में वृद्धि होती है। देश स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है।

10 अन्य महत्व (Other Importances) — औद्योगिक विकास से बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतों का लाभ अन्ततः उपभोक्तृताओं को प्राप्त होता है। सतुलित औद्योगिक विकास से पूंजी एवं श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात औद्योगिक विकास से स्थायित्व विकास को बढ़ावा मिलता है जो कृषिगत विकास से कम संभव है क्योंकि कृषि विशेषकर भारतीय कृषि प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है।

पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास
(Industrial Development during Five Year Plan Period)

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास ने गति पकड़ी है। पिछले पांच दशकों के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता औद्योगीकरण में अच्छी प्रगति रही। भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत 1950 के दशक के शुरु के वर्षों में सुविचारित नीति के तहत की गई थी। औद्योगीकरण के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया जिससे औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई। उत्पादन वृद्धि के साथ गुणवत्ता में भी सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। आज भारत न केवल बुनियादी सामग्री और पूंजीगत साज समान के उत्पादन में आत्मनिर्भर है अपितु विदेशों में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना, तकनीशियन प्रबन्धक और कुशलकर्मी उपलब्ध कराने की स्थिति में पहुँच गया है। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति इस प्रकार है -

प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) (1951-56) - योजना के प्रारम्भ में भारत का औद्योगिक आधार सीमित था। औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तु उद्योगों तक सीमित था। वित्तीय ससाधनों की सीमितता, योजना का छोटा आकार तथा कृषि को अधिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण औद्योगिक विकास को कम महत्त्व दिया गया।

योजना में उद्योग व खनन पर सार्वजनिक व्यय केवल 55 करोड़ रुपये था जो योजना परिव्यय 1,960 करोड़ रुपये का केवल 2.81 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक विकास पर 220 करोड़ रुपये व्यय किये गए। योजना में जिन आधारभूत उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई वे इस प्रकार हैं सिन्दरी का खाद कारखाना, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान एनीबायोटेक्स, हिन्दुस्तान केबिल्स, इटीग्रल कोयल फैक्ट्री, नेपा न्यूज प्रिंट मिल आदि। औद्योगिक उन्नयन के वास्ते विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की भी स्थापना की गई। राज्य के वित्तीय निगमों की स्थापना योजना काल में ही की गई। 1954 में राष्ट्रीय-औद्योगिक विकास निगम तथा 1955 में भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम की स्थापना की गई। योजना में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1951 को आधार मानते हुए बढ़कर 132.6 हो गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan) (1956-61) - द्वितीय योजना उद्योग प्रधान थी। 1956 में आर्थिक संविधान समझे जाने वाली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। योजनावधि में ही समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया जिसे प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उपक्रमों के विकास पर जोर दिया गया। योजना में औद्योगिक विकास की निम्न प्राथमिकताएँ निर्धारित की गईं

- 1 लोहा—इस्पात, भारी रसायन, उर्वरक, इजीनियरिंग उद्योगों का विकास।
- 2 राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का राष्ट्रीकरण।
- 3 उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना।
- 4 उपभोक्तृता उद्योगों की उत्पादन क्षमता का विकास।
- 5 सीमेण्ट, एल्यूमीनियम, रासायनिक उर्वरक, रंग, रासायनिक लुग्दी आदि वस्तुओं की उत्पादन क्षमता का विस्तार।

दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र उपरिव्यय 4,672 करोड़ रुपये था इसमें उद्योग व खनिज पर व्यय 938 करोड़ रुपए था जो कुल सार्वजनिक उपरिव्यय का 20 प्रतिशत था। योजनावधि में अनेक नई औद्योगिक इकाइयाँ की स्थापना की गई। योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र में तीन बड़े इस्पात कारखाने यथा भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर की स्थापना रही। ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1960 को आधार मानते हुए 1961 में बढ़कर 109.2 हो गया। 1961 में आधारभूत उद्योगों का सूचकांक 112.7, पूंजीगत वस्तु उद्योगों का सूचकांक 118 तथा मध्यवर्ती वस्तुओं का सूचकांक 105.8 था। इसके अलावा उपभोक्तृता वस्तु उद्योगों का औसत सूचकांक 106.6 था। स्थिर वस्तुओं (Durable Goods) का सूचकांक 110.8 तथा अस्थिर वस्तुओं का सूचकांक 105.8 था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan) (1961-66) - भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का सूत्रपात हो चुका था। तृतीय योजना में औद्योगिक विकास आधार को और मजबूत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तृतीय योजना में औद्योगिक विकास की निर्धारित की गई प्राथमिकताएँ इस प्रकार थीं

- 1 विदेशी विनिमय की कमी के कारण द्वितीय योजना की अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- 2 प्रमुख आधारभूत कच्चे माल एवं उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि।
- 3 उपभोक्तृता वस्तु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि।
- 4 आधारभूत उद्योगों की उत्पादन क्षमता का विस्तार तथा विविधीकरण करना।

योजना में औद्योगिक विकास पर 1,726 करोड़ रुपए व्यय किए गए जो कुल सार्वजनिक योजना व्यय 8,577 करोड़ रुपये का 20.12 प्रतिशत था। योजना में भिलाई राभ्रकता, दुर्गापुर, इस्पात सयंत्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई तथा बाकारा में गम इस्पात सयंत्र की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया। औद्योगिक वित्त क क्षेत्र में 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा 1964 में ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1961 को आधार मानते हुए 1966 में बढ़कर 153.2 हो गया। आधारभूत उद्योगों का सूचकांक 172.9, पूंजीगत वस्तु उद्योग 210.1, मध्यवर्ती वस्तु 136.7, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का औसत सूचकांक 131.3 था। वर्ष 1962-66 के बीच औद्योगिक संवृद्धि दर 8.25 प्रतिशत थी। योजना में आधारभूत उद्योगों की संवृद्धि दर 9.8 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तु उद्योगों की वृद्धि दर 16.65 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुओं की संवृद्धि दर 6.40 प्रतिशत तथा उपभोक्ता वस्तुओं की संवृद्धि दर 4.57 प्रतिशत थी।

तीन वर्षीय योजना (Three Year Plans) (1966-69) – तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् आर्थिक शिथिलता, विदेशी सहायता की कमी तथा सूखे की स्थिति के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय प्रारम्भ नहीं की जा सकी। तीन वार्षिक योजनाओं में औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया। इन वार्षिक योजनाओं में उद्योग तथा खनन पर 1,571 करोड़ रुपये व्यय किए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक योजना परिव्यय 6,625 करोड़ रुपये का 23.7 प्रतिशत था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) (1969-74) – चतुर्थ योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक शिथिलता से सुधार की ओर अग्रसर थी। किन्तु पूंजीगत पदार्थों और इंजीनियरी उद्योगों में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता थी। योजनावधि में ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया जो पहले से ही स्वीकृत की जा चुकी थीं। आयात प्रतिस्थापना एवं निर्यात संवर्द्धन तथा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उद्योगों की स्थापित क्षमता में वृद्धि का प्रयास किया गया। इसके अलावा नवीन उद्योगों की स्थापना तथा उद्योगों के विस्तार पर जोर दिया गया। पिछली योजनाओं के अनुभवों को ध्यान में रखा गया। नियोजित औद्योगिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया जिससे उद्यमियों को औद्योगिक विकास का अच्छा अवसर मिला।

योजना में उद्योग तथा स्थान पर 2,864 करोड़ रुपये व्यय किए गए जो चौथी योजना के सार्वजनिक परिव्यय 15,779 करोड़ रुपये का 18.15 प्रतिशत था। योजना में औद्योगिक उत्पादन में 8-10 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया किन्तु वास्तविक औद्योगिक वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के प्रमुख कारणों में कच्चे माल की कमी, मांग की कमी, परिवहन सुविधाओं का अभाव, कोयला व बिजली की कमी, उत्पादन क्षमता का कम उपयोग आदि प्रमुख थे।

पाचवी पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) (1974-79) – पाचवी योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास की व्यूह रचना तैयार की गई। औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत निर्धारित की गई। योजनाकाल में मूलक्षेत्र के उद्योगों

आठवीं योजना और औद्योगिक विकास (Eighth Plan and Industrial Development) (1992-97) - भारत में आठवीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण आर्थिक सक्रमण काल में किया गया। गौरतलब है कि भारत में वर्ष 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी है। आठवीं योजना पर आर्थिक उदारीकरण की छाया दृष्टिगोचर हुई। उदारीकरण के परिणामस्वरूप आठवीं योजना अपेक्षाकृत कम चर्चित रही।

वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति में औद्योगीकरण के क्षेत्र में उद्यमियों को उत्साहवर्द्धन, विकास और अनुसंधान में निवेश, नई प्रौद्योगिक को आत्मसात करना, पूंजी बाजार का विकास, उन्नत प्रौद्योगिक द्वारा लघु क्षेत्र का तीव्र विकास, सार्वजनिक, निजी एव सहकारी क्षेत्र के लघु, मझौले, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने आदि उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कार्यभाग की समीक्षा पर बल दिया गया है। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र को दक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आधुनिकीकरण, विनिवेश, अधिक स्वायत्तता, निष्पादन का मूल्यांकन, कुशल प्रबंध, प्रदेशों की सार्वजनिक इकाईयों के निष्पादन में सुधार आदि युक्ति अपनाने पर बल दिया गया है।

आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 4,34,100 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। इसमें से उद्योग एव खनिज विकास शीर्ष के लिए 46,921.7 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है जो योजना व्यय का 10.8 प्रतिशत है।

योजनावधि में औद्योगिक सवृद्धि दर 1992-93 में 2.30 प्रतिशत, 1993-94 में 6.0 प्रतिशत, 1994-95 में 8.4 प्रतिशत तथा 1995-96 में 12.8 प्रतिशत तथा 1996-97 में 5.6 प्रतिशत रही।

पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास का मूल्यांकन (Evaluation of Industrial Development During Five Year Plan)

भारत में नियोजित विकास के पांच दशकों में आठ पंचवर्षीय योजना तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि नीति की तो कोई घोषणा नहीं की गई, किन्तु औद्योगिक नीति की घोषणा अनेक बार की गई। 1956 की औद्योगिक नीति महत्त्वपूर्ण रही। यह नीति न्यूनाधिक अस्ती के दशक के आखिरी तक उद्योग पटल पर छाई रही। आर्थिक उदारीकरण के दौर में घोषित की गई, खुली औद्योगिक नीति 1991 उल्लेखनीय है। आज औद्योगिक सरचना में मूलभूत बदलाव किए जा चुके हैं जिनमें लाइसेंस राज का खात्मा, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा, प्रौद्योगिक समझौते, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन आदि बातें मुख्य हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक व्यूह-रचना के अतिरिक्त उद्योग तथा खनन विकास शीर्ष पर सार्वजनिक क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश किया गया नतीतजन औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रगति के आयाम दृष्टिगोचर हुए हैं।

1. सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी (Role of Industrial Sphere in Gross Domestic Production) - पचदशवीं योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है। बड़े उद्योगों में भारी पूंजी निवेश से औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत की गिनती बड़े औद्योगिक देशों में होती है। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा (1980-81 कीमतों पर) 1950-51 में केवल 15.1 प्रतिशत था जो बढ़कर 1980-81 में 24.4 प्रतिशत तथा 1994-95 में और बढ़कर 27.5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993-94 की कीमतों पर 1997-98 में सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का योगदान 24.7 प्रतिशत था।

2. आधारभूत संरचना (Infrastructure) - औद्योगिक विकास के लिए आधारित संरचना का निर्माण आवश्यक है। आज देश में आधारभूत संरचना का अभाव अवश्य है किन्तु नियोजनकाल में इस क्षेत्र में विकास के प्रयास हुए हैं। रेल, सड़क, वायु एवं जहाजरानी परिवहन के क्षेत्र में विकास हुआ है। कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश पेट्रो रसायन युग में है। तेल शोधन कारखानों की स्थापना की गई है और पाइप लाइनों का जाल बिछाया जा रहा है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयास किए गए हैं इसके अलावा बैंक, बीमा, शिक्षा, संचार आदि सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

सातवीं योजना में (1985-90) बिजली उत्पादन की वृद्धि दर 9.3 प्रतिशत रही। 1950-51 में बिजली उत्पादन 7.8 अरब किलोवाट था जो बढ़कर 1970-71 में 55.8 अरब किलोवाट तथा 1991-92 में और बढ़कर 286.7 अरब किलो वाट हो गया। कोयला ईंधन का प्राथमिक साधन है। कोयला एव लिग्नाइट का उत्पादन 1960-61 में 55.7 मिलियन टन था जो बढ़कर 1970-71 में 76.3 मिलियन टन, 1980-81 में 118.8 मिलियन टन, 1985-86 में 162.3 मिलियन टन तथा 1996-97 में 308.2 मिलियन टन हो गया। 1997-98 में कोयला एव लिग्नाइट उत्पादन 319 मिलियन टन था। क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन 1960-61 में 0.450 मिलियन टन था जो बढ़कर 1970-71 में 6.8 मिलियन टन, 1980-81 में 10.5 मिलियन टन, 1990-91 में 33 मिलियन टन हो गया। क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन 1996-97 में 32.9 मिलियन टन तथा 1997-98 में 33.9 मिलियन टन (प्राविजनल) था।

3 औद्योगिक उत्पादन की प्रगति (Growth in Industrial Production) - स्वातंत्र्योत्तर औद्योगिक क्षेत्र में विविधता आई है। पूंजी-वस्तु उद्योगों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत ने लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। औद्योगिक उत्पादन का निर्यात बढ़ा है। पूंजीगत वस्तुओं का आयात सीमित हो गया है।

औद्योगिक उत्पादन की प्रगति

उद्योग	1970-71	1980-81	1990-91	1997-98	1998-99
1 लौह अयस्क (लाख टन)	325 0	422 0	537 0	757 0	707 0
2 पिरूय योग्य इस्पात (लाख टन)	44 8	52 8	93 10	234 0	238 0
3 अल्युमिनियम (हजार टन)	168 8	199 0	445 00	554 4	536 8
4 रेल माल डिब्बे (हजार संख्या)	11 1	13 6	23 60	27 7	उ न
5 नाइट्रोजीनियस उर्वरक (हजार टन)	830 0	2164 0	7031 50	10538 0	10675 5
6 सीमेन्ट (लाख टन)	143 0	187 0	486 00	829 0	880 0
7 सूती वस्त्र (करोड़ मीटर)	772 2	538 8	1609 60	3743 6	1794 9
8 चीनी (लाख टन) (सित-अक्ट)	37 4	51 5	119 90	136 6	155 2
9 चाय (करोड़ कि ग्रा)	42 3	56 8	71 20	82 7	85 0
10 काफी (हजार टन)	--	--	170 0	228 0	265 0

स्रोत 1 भारत 1994 वार्षिक सदरम ग्रन्थ, पृ 510 से 513 तकलित

2 इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे 1998-99, एस-35 तथा 1999-2000

4. उद्योग क्षेत्र पर परिव्यय में वृद्धि (Increase in outlay on industrial sectors) - पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक परिव्यय का बड़ा भाग औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनन पर सार्वजनिक व्यय केवल 55 करोड़ रुपए था। दूसरी योजना उद्योग प्रधान थी, इसमें उद्योग व खनन पर 938 करोड़ रुपए व्यय किया जो कुल योजना व्यय का 20 प्रतिशत था। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग व खनन क्षेत्र पर व्यय इस प्रकार रहा तृतीय योजना 1,725.3 करोड़ रुपए, चतुर्थ योजना 2,364.4 करोड़ रुपए, पाचवी योजना 8,988.6 करोड़ रुपए, छठी योजना 16,997.5 रुपए, सातवीं योजना 29,220.3 करोड़ रुपए। आठवीं योजना में उद्योग व खनन क्षेत्र के लिए 4,692.7 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया है जो कुल योजना व्यय का 10.8 प्रतिशत है। वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 11,550.9 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया था।

5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production) - एकात्मिक विकास में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1956 में 132.6 था जो बढ़कर 1980 में 461.3 तथा 1985 में और बढ़कर 608.8 हो गया। तीस वर्षों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में साढ़े चार गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 को आधार मानते हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1982 में 109.3 था जो बढ़कर 1985 में 130.7 तथा 1991 में 212.6 हो गया। अस्ती के दशक में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग दो गुनी वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 को आधार मानते

हुए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1995-96 में 122.3 तथा 1997-98 में 137.6 था।

6 औद्योगिक सवृद्धि दर (Rate of Industrial Development) - पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश के कारण औद्योगिक सवृद्धि दर में वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में औद्योगिक विकास का अच्छा योगदान रहा। किन्तु नियोजन काल में औद्योगिक सवृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई।

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 1962-66 में 8.25 प्रतिशत, 1966-71 में 4.02 प्रतिशत, 1971-76 में 4.16 प्रतिशत, 1976-81 में 4.62 प्रतिशत तथा 1980-85 में 5.5 प्रतिशत तथा 1987-91 में 8.4 प्रतिशत रही। बाद के वर्षों में औद्योगिक दर घटी। 1992 से 1996 के बीच औसत औद्योगिक सवृद्धि दर 6 प्रतिशत रह गई। औद्योगिक सवृद्धि दर 1997-98 में 6.6 प्रतिशत तथा 1998-99 में 4 प्रतिशत थी।

7 औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) - आर्थिक उदारीकरण के बाद के वर्षों में देश में औद्योगिक निवेश में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 से 1994 तक 17,014 'इण्डस्ट्रियल एन्टरप्रेनर्स मेमोरेण्डम' (IEMs) नत्थी (Filed) किये गए जिनमें प्रस्तावित निवेश 3,45,000 करोड़ रुपए था। वर्ष 1991 में 3,034 आई ई एम में प्रस्तावित निवेश 76,300 करोड़ रुपए था। वर्ष 1994 में 4,664 आई ई एम में 88,800 करोड़ रुपए प्रस्तावित निवेश था।

लाइसेंस मुक्त क्षेत्र के लिए आई ई एम आवेदन पत्र तथा लाइसेंस क्षेत्र के लिए लेटर ऑफ इन्टेट (एल ओ आई) दर्ज किए जाते हैं। भारत में अगस्त 1991 से अक्टूबर 1996 तक 5,379 बिलियन रुपए (प्रस्तावित) के 27,743 आई ई एम तथा 889 बिलियन रुपए के 2,714 लेटर ऑफ इन्टेट स्वीकृत किये गये। सर्वाधिक औद्योगिक निवेश गुजरात तथा महाराष्ट्र में हुआ है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। अगस्त 1991 से अक्टूबर 1996 तक राजस्थान में 1,573 कुल प्रस्तावों में केवल 261 हजार करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश था इसकी तुलना में गुजरात में 126.8 हजार करोड़ रुपये तथा महाराष्ट्र में 108.5 हजार करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश था। किन्तु राजस्थान में निवेश हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से अधिक था।⁵

8. सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertakings) - योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक उपक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय का महत्वपूर्ण स्रोत तथा द्रुत गति से औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना था। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र विकास हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में (एक अप्रैल 1951) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संख्या 5 थी तथा उनमें कुल पूंजी निवेश 29 करोड़ रुपए था। 31 मार्च 1997 को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की

संख्या बढ़कर 236 तथा पूजी निवेश 202 000 करोड़ रूपए हो गया। वर्ष 1970-71 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 660 लाख लागत का रोजगार मिला हुआ था। इन उपक्रमों को 145 करोड़ रूपए का सकल लाभ हुआ। पूजी पर सकल लाभ का प्रतिशत 4 था। वर्ष 1995-96 में रोजगार बढ़कर 2051 लाख हो गया। सकल लाभ 27 990 करोड़ रूपए तक जा पहुँचा। पूजी पर सकल लाभ का प्रतिशत 161 था।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 1993-94 में लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या 120 तथा घाटा देने वाले उपक्रमों की संख्या 117 थी। विनियोजित पूजी 1 59 307 करोड़ रूपए थी। सकल उपात (Gross margin) 27 600 करोड़ रूपए सकल लाभ 18 438 करोड़ रूपए तथा शुद्ध लाभ 4 435 करोड़ रूपए था। लाभ देने वाले उपक्रमों का लाभ 9 722 करोड़ तथा घाटा देने वाले उपक्रमों का घाटा 5 287 करोड़ रूपए था। विनियोजित पूजी पर सकल उपात की दर 17.33 प्रतिशत तथा विनियोजित पूजी पर सकल लाभ का प्रतिशत 11.59 था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विगत दशक में प्रत्याय दर में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। विनियोजित पूजी पर शुद्ध लाभ 1981-82 में 2.03 प्रतिशत था जो थोड़ा बढ़कर 1990-91 में 2.23 प्रतिशत हो गया। विनियोजित पूजी पर शुद्ध लाभ 1991-92 में 2 प्रतिशत 1992-93 में 2.33 प्रतिशत तथा 1993-94 में 2.78 प्रतिशत रहा। वर्ष 1996-97 में 245 सार्वजनिक उपक्रम ऐसे थे जिन्हें पर्याप्त लाभकारी बनाने के लिए 17 खरब 30 अरब रूपए के निवेश की आवश्यकता थी। इनमें से 130 उपक्रमों का मुआफा करीब एक खरब 20 अरब रूपए का था। ये सरकारी खजाने में 260 अरब रूपए का योगदान देते थे और निर्यात से एक खरब 40 अरब रूपए की आय करते थे। करीब 109 उपक्रम 50 अरब रूपए के भारी घाटे में चल रहे थे। यह घाटा कुल मिलाकर 70 अरब रूपए वार्षिक बैटता है जिसके कारण सरकार को सभी सार्वजनिक उपक्रमों के संवर्धन में सोचना पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार आशान्वित थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नियोजित विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के वास्ते गुरुत्तर दायित्व निभा सकेंगे। किन्तु समय के बीतने के साथ संसाधन जुटाना तो दूर ये उपक्रम अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए सरकारी सहायता की आरंभ मुखातिब होने लगे। सार्वजनिक उपक्रमों की दी जाने वाली बजटीय सहायता में भारी वृद्धि हुई। आज घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम केन्द्र सरकार पर भार बन हुए हैं। घाटा देने वाले उपक्रमों की संख्या और घाटा दोनों में वृद्धि हुई। घाटा देने वाले उपक्रमों की संख्या 1981-82 में 83 थी जो बढ़कर 1990-91 में 111 तथा 1993-94 में और बढ़कर 117 हो गई। इन उपक्रमों का घाटा 1981-82 में 848 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 1990-91 में 5 122 करोड़ रूपए तथा 1993-94 में 5 287 करोड़ रूपए तक जा पहुँचा।

आर्थिक उदारीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका में बदलाव आया

है। गौरतलब है कि नियोजित विकास के प्रारम्भिक चार दशकों में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या और उनमें विनियोजित पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सार्वजनिक उपक्रमों के विकास पर आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद विराम लग गया है। जुलाई 1991 में घोषित की गई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उपक्रमों के सबंध में नीतिगत फंसे लिए गए हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

- 1 नई औद्योगिक नीति, 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को मात्र 8 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। उनमें भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा सकेगा। अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र से टक्कर लेनी होगी।
- 2 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में रक्षा से संबंधित उत्पाद और सयंत्र, परमाणु ऊर्जा, धातु, कोयला, तेल व अन्य खनिजों का खनन, अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुएं और रेल परिवहन ही रह गया है। अन्य सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए खोले जा रहे हैं।
- 3 घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों की जांच औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) करेगा।
- 4 सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश (Disinvestment) को बढ़ावा।

सार्वजनिक उपक्रमों के सबंध में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इस क्षेत्र की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का है। अब तक सरकार केवल 30 प्रतिशत ही अपने सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेच सकती थी।

9. सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश (Disinvestment in Public Sector Undertakings) – अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे और आर्थिक दुर्दशा को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का निर्णय किया गया। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का सुझाव 1991 में डा. मनमोहन सिंह ने दिया था। उस समय इस सुझाव का भारी विरोध हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की प्रासंगिक भूमिका रही। वर्ष 1995-96 में कुल औद्योगिक उत्पादन में सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान इस प्रकार रहा – कोयला उत्पादन में 97.7 प्रतिशत, लिग्नाईट उत्पादन में 100 प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पादन में 98.2 प्रतिशत, तैयार इस्पात में 41 प्रतिशत, एल्युमिनियम में 53.6 प्रतिशत, कॉपर में 100 प्रतिशत, जिंक में 81.7 प्रतिशत योगदान था। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध स्वाभाविक था। आर्थिक उदारीकरण में जुलाई 1991 में घोषित की गई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का प्रावधान किया गया। केन्द्र सरकार ने उदारीकरण के वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का निर्णय लिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

(करोड रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	विनिवेश
1994-95	4000	4843
1995-96	7000	362
1996-97	5000	380
1997-98	4800	902
1998-99	5000	5371
1999-2000	10000	1479*

स्रोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, *31 12 1999 तक।

सार्वजनिक उपक्रमों के निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। वर्ष 1994-95 और 1998-99 को छोड़कर बाद के वर्षों में विनिवेश लक्ष्य और विनिवेश में भारी अंतराल बना रहा। वर्ष 1994-95 में बाजार घम पर था। इस कारण विनिवेश लक्ष्य से अधिक 4843 करोड रुपए था। बाद के वर्षों में केन्द्र सरकार को विनिवेश में विफलता हाथ लगी। वर्ष 1996-97 में तो विनिवेश से केवल 380 करोड रुपए ही जुटाए जा सके जबकि लक्ष्य 5,000 करोड रुपए का था। वर्ष 1997-98 में भी स्थिति सुधर नहीं सकी। इस वर्ष विनिवेश के 4 800 करोड रुपए के लक्ष्य के मुकाबले केवल 902 करोड रुपए ही जुटाए जा सके। वर्ष 1998-99 में चार मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों इंडियन ऑयल, गैस ऑथोरिटी, विदेश संचार निगम एव कटेनर कारपोरेशन के शेयरों को बेचकर 5,000 करोड रुपए उगाहने का लक्ष्य रखा गया था। इंडियन एयरलाइंस के पूजी ढांचे में परिवर्तन करके अगले तीन वर्षों में इसकी आधी से अधिक पूजी 51 प्रतिशत को निजी हाथों सौंपना शामिल है। इसके अलावा साधारण मुनाफा वाले सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग तीन-चौथाई तक की पूजी निजी हाथों में सौंपना घाटे में चलने वाले उपक्रमों में कर्मचारियों वारंसे आकर्षक 'स्वैच्छिक अवकाश योजना' एव इसके लिए एक पुनर्गठन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 1998-99 में विनिवेश के लक्ष्य प्राप्त का लिया गया किन्तु 1999-2000 के लिए विनिवेश का बड़ा लक्ष्य 10 000 करोड रुपए निर्धारित किया गया है जो पूजी बाजार की खस्ताहालात का देखते हुए प्राप्त करना कठिन है। अर्थव्यवस्था पर जून-जुलाई 1999 के कारगिल संकट का प्रभाव पड़ा। सितम्बर 1999 में देश को तेरहवीं लोक सभा चुनाव का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में लक्ष्य पूरा होने की संभावना न्यून है।

भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएँ
(Problems of Industrial Development in India)

भारत का अतीत औद्योगिक विकास की दृष्टि से समृद्ध था। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत औद्योगीकरण के क्षेत्र में पिछड़ गया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थिति दयनीय हो गई थी। स्वातन्त्र्योत्तर औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। नवीन औद्योगिक व्यूहरचना तैयार की गई। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों में औद्योगिक आधार कृषि प्रधान था। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र पर पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। भारत के औद्योगिक पटल पर सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र विकास एक उपलब्धि रही। देश में आधारिक संरचना (Infrastructure) के निर्माण से पूंजीगत वस्तु उद्योगों तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का तीव्र विकास हुआ। नौवें दशक में धातु आधारित उद्योगों के स्थान पर पैट्रो-रसायन, रसायन तथा सबद्ध उद्योगों के विकास को गति मिली है। सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र की भागदारी बढ़ी है। वर्ष 1980-81 की कीमतों पर 1994-95 में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा 27.5 प्रतिशत हो गया जो 1950-51 में केवल 15.1 प्रतिशत था। आर्थिक उदारीकरण के दौर में विश्व के अनेक देशों की दृष्टि भारत पर टिकी हुई है। आज भारत की गिनती औद्योगीकरण की दृष्टि से बड़े देशों में होती है। किन्तु इन उपलब्धियों के बावजूद भारत में औद्योगिक क्षेत्र समस्याओं से अछूता नहीं है। भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएँ इस प्रकार हैं

1 औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) - औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती रुग्णता प्रमुख समस्या है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में ऐसी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें पिछले वर्षों में नकद हानि उठानी पड़ी हो तथा भविष्य में भी लाभार्जन की संभावना न हो। औद्योगिक रुग्णता के लक्षण में कोषा का दुरुपयोग, खातों में अनियमितता, वित्तीय आकड़े तथा स्कन्ध विवरण प्रस्तुत न करना, कार्यशील पूंजी में ह्रास, लाभों का उच्चावचन, विराम में गिरावट, ऋणों की क्षमता का भुगतान न करना, बैंकों से बिगड़ते सम्बन्ध आदि प्रमुख हैं। भारत में लघु उद्योग क्षेत्र तथा गैर लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता की समस्या जटिल है।

द्विगत दशक में औद्योगिक रुग्णता में भारी वृद्धि हुई। रुग्ण इकाइयों की संख्या 1980-81 में 26,758 थी जो बढ़कर 1990-91 में 2,23,809 तथा 1993-94 में 2,58,000 हो गई। रुग्ण इकाइयों पर बकाया बैंक ऋण 1980-81 में 2,026 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 10,768 करोड़ रुपए तथा 1993-94 में 11,832 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1991-92 में रुग्ण इकाइयों की पिछले वर्ष की तुलना में 10.77 प्रतिशत वृद्धि तथा बकाया बैंक ऋण में पिछले वर्ष

की तुलना में 710 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1991-92 में 2,45,575 रुग्ण लघु इकाइयों पर 3,101 करोड़ रुपए बैंक ऋण बकाया था। इसके अलावा 1536 रुग्ण गैर लघु उद्योग इकाइयों पर 5787 करोड़ रुपए तथा 813 गैर लघु उद्योग कमजोर इकाइयों पर 2,646 करोड़ रुपए का बैंक ऋण बकाया था। 1996-97 में कुल रुग्ण इकाइया 237 लाख थी जिन पर 13,787 करोड़ रुपए बैंक ऋण बकाया था।

भारत में अधिकांश औद्योगिक इकाइया कच्चे माल, विपणन, ऊर्जा, कार्यशील पूंजी, यातायात आदि समस्याओं के कारण रुग्ण हैं। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के आंतरिक एवं बाह्य कारण भी रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। आंतरिक कारणों में स्वामियों के स्वहित, तीव्र मतभेद, कुप्रबन्ध, स्वामी श्रमिक तथा बाह्य कारणों में सुरक्षा, साम्प्रदायिक सौहार्द का अभाव, ऊर्जा अभाव, आर्थिक मंदी, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, प्रौद्योगिक परिवर्तन आदि मुख्य हैं।

औद्योगिक इकाइयों में प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार कर, नवीन तकनीक को आत्मसात कर, कामकाज में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि करके रुग्णता को नियंत्रित किया जा सकता है।

2. क्षेत्रीय विषमता (Regional Imbalances) – भारत असंतुलित औद्योगिक विकास का शिकार है। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि औद्योगिक विकास की दृष्टि से समृद्ध हैं इसके विपरीत अकूत प्राकृतिक ससाधनों वाले बिहार, राजस्थान जैसे राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं।

भारत में 1987-88 में 1,02,596 फैक्ट्रियां थी इनमें 78,475 करोड़ रुपए की स्थिर पूंजी विनियोजित थी। इन फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 1,53,973 करोड़ रुपए था तथा 6,062 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ था। फैक्ट्री क्षेत्र की इन चुनौतियों में महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की भूमिका अत्यधिक है।

3. निर्यात-मुखी इकाइयां (Export Oriented Units) – भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शत-प्रतिशत निर्यात-मुखी इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है आर्थिक उदारीकरण के दौर में निर्यात-मुखी इकाइयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। किन्तु निर्यात-मुखी इकाइया कुछ ही राज्यों में अधिक केन्द्रित हुई है।

भारत में अगस्त 1991 से सितम्बर 1996 के बीच शत प्रतिशत निर्यात-मुखी इकाइयों की संख्या 2,764 थी जिनमें प्रस्तावित विनियोग 49,889 करोड़ रुपए तथा प्रस्तावित रोजगार 4,84,116 था। शत प्रतिशत निर्यात-मुखी इकाइया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक में केन्द्रित थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, केरल, उड़ीसा विहार आदि राज्यों में निर्यात-मुखी इकाइयों का अभाव है। बिहार में केवल 6 निर्यात-मुखी इकाइया थीं जिनमें प्रस्तावित निवेश

22 करोड़ रुपए था तथा 351 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था।

4 विदेशी निवेशक (Foreign Investors) – भारत को विकास की ऊँची दर प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002 तक आधारिक सरचना में 150 बिलियन डॉलर तथा बाद के पात्र वर्षों में 200 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। भारत में विदेशी निवेशकों की संख्या सीमित है। भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश अमरीका है। एक जनवरी से 30 सितम्बर 1996 के बीच शीर्षस्थ दस विदेशी निवेशकों द्वारा मजूरी (Approvals) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस प्रकार था अमरीका 80,435 मिलियन रुपए, दक्षिण कोरिया 27,006 मिलियन रुपए, अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश 17,659 मिलियन रुपए, मारीशस 16,684 मिलियन रुपए, ब्रिटेन 13,024 मिलियन रुपए, जापान 8,035 मिलियन रुपए, नीदरलैण्ड 6,311 मिलियन रुपए तथा सऊदी अरब 6,070 मिलियन रुपए।¹⁰ अप्रवासी भारतीय निवेश सुख के साथी हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने से ये निवेशित राशि निकलवाने से नहीं चूकते। अमरीका द्वारा निवेश से हाथ खींचने की स्थिति में भारत का औद्योगिक विकास प्रभावित हो सकता है।

5. ऊर्जा की कमी (The Power Shortage) – ऊर्जा की कमी औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्या है। ऊर्जा की माग की तुलना में उपलब्धता कम है। ऊर्जा की कमी से उद्योगों को विद्युत कटौती का सामना करना पड़ता है जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

ऊर्जा की माग में तीव्र वृद्धि हो रही है। वर्ष 1990-91 में ऊर्जा की माग 26795 बिलियन किलोवाट थी जो बढ़कर 1994-95 में 35226 बिलियन किलोवाट हो गई। चार वर्षों में ऊर्जा की माग में 3146 प्रतिशत वृद्धि हुई। ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि तो हुई किन्तु माग की अनुरूप नहीं है। ऊर्जा की उपलब्धता 1990-91 में 24688 बिलियन किलोवाट थी जो बढ़कर 1994-95 में 32728 बिलियन किलोवाट हो गई। चार वर्षों में ऊर्जा की उपलब्धता में 257 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि से ऊर्जा कमी का प्रतिशत 1990-91 में 786 था जो थोड़ा कम होकर 1994-95 में 770 प्रतिशत रह गया। विगत दो दशकों से निरन्तर ऊर्जा का अभाव है। ऊर्जा की माग तथा पूर्ति में अंतराल का प्रतिशत 1974-75 में 141 प्रतिशत तथा 1979-80 में 161 प्रतिशत सर्वाधिक रहा। वर्तमान में ऊर्जा की कमी का प्रतिशत घटा है किन्तु अभी भी ऊर्जा की कमी औद्योगिक विकास में बाधा है। आर्थिक उदारीकरण में पूँजी निवेश बढ़ने से औद्योगिक विकास के गति पकड़ने की संभावना है। अतः ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देना होगा। पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर 34,273 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। वास्तविक व्यय 39,572 करोड़ रुपए था जो योजना परिव्यय 2,22,164 करोड़ रुपए का 178 प्रतिशत था। पाचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 188 प्रतिशत व्यय किया गया

था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर अधिक व्यय की आवश्यकता है। वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को समाप्त करना आवश्यक है। वर्ष 1994-95 में महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल राज्य विद्युत बोर्डों को लाभ हुआ। इनके अलावा अधिकतर विद्युत बोर्ड घाटे में थे। कुछ राज्यों के विद्युत बोर्डों का घाटा इस प्रकार था—उत्तर प्रदेश 978 करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश 829 करोड़ रुपए, गुजरात 550 करोड़ रुपए, पंजाब 427 करोड़ रुपए, राजस्थान 411 करोड़ रुपए। राज्य विद्युत बोर्डों का बढ़ता घाटा चिंताप्रद है।

6. **संस्थापित क्षमता का कम उपयोग (Less Utilisation of Installed Capacity)** — भारत औद्योगिकीकरण की दृष्टि से बड़ा देश है। नियोजन काल में बड़े पैमाने के उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है। बड़े पैमाने के उद्योगों में लोहा एवं इस्पात, सीमेन्ट, चीनी, सूती वस्त्र, पटसन, रसायन, कागज आदि मुख्य हैं। बड़े उद्योगों की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। भारत में समन्वित इस्पात संयंत्र (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इस्को) की कच्चा इस्पात क्षमता 10,990 हजार टन है। 1992-93 में कच्चा-इस्पात का उत्पादन 9,827 हजार टन था जो क्षमता का 89.41 प्रतिशत था। समन्वित इस्पात संयंत्रों की विक्री योग्य इस्पात क्षमता 8,823 हजार टन है। वर्ष 1992-93 में विक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 8,335 हजार टन हुआ जो क्षमता का 94.47 प्रतिशत था। उद्योग संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग हडताल और तालेबंदी, कच्चे माल का अभाव, विद्युत कटौती, कुप्रबंध आदि कारणों से नहीं कर पाते हैं। हडताल और तालेबंदी के कारण 1991-92 में 34.12 मिलियन मानव दिवसों की क्षति हुई।

7 **ऊँचे लक्ष्य (High Aims)** — तीव्र विकास के लिए ऊँचे लक्ष्य आवश्यक हैं। किन्तु ऊँचे लक्ष्यों की प्रासंगिकता तभी है जब उन्हें प्राप्त किया जा सके। भारत लक्ष्यों के निर्धारण के मामले में आगे है। पंचवर्षीय योजनाओं के विकास शीर्षों के ऊँचे-ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किए गए किन्तु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। अनेक बार तो ऊँचे लक्ष्यों को प्राप्त करने में आकड़ा की जादुई कला को काम में लिया जाता है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सवृद्धि का लक्ष्य 8-10 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक औद्योगिक सवृद्धि दर 3.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। छठी योजना में औद्योगिक सवृद्धि दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष लक्ष्य के मुकाबले केवल 5.5 प्रतिशत रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) में औद्योगिक सवृद्धि का लक्ष्य 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जबकि औद्योगिक वृद्धि दर केवल 5.6 प्रतिशत रही। अर्थव्यवस्था की विगड़ी दशा के बीच ऊँची औद्योगिक सवृद्धि दर प्राप्त करना कठिन है। औद्योगिक क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 300 डॉलर से बढ़कर दुगुनी हो सकती है।

औद्योगिक विकास की जो समस्याएँ हैं उन्हें प्रयास करके दूर किया जा

सकता है। ऊँची औद्योगिक विकास दर अर्जित करने के लिए पूँजी निवेश में वृद्धि की आवश्यकता है। विदेशी पूँजी निवेश के खतरे समाहित है ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परिव्यय का बड़ा भाग औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित करने की आज भी आवश्यकता है। किन्तु इसके साथ सार्वजनिक उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में व्यापक सुधार करना होगा इसके अभाव में विनियोजित पूँजी पर उचित प्रत्याय दर प्राप्त करना कठिन होगा। आधारीक सरचना के विकास में विदेशी निवेशको को बढ़ावा देकर तथा पिछड़े क्षेत्रों में निवेशको को रियायते देकर औद्योगीकरण की समस्याओं से बड़ी सीमा तक निपटा जा सकता है।

सन्दर्भ

- 1 *India, Economic Information Year Book, 1988-89, p 115*
- 2 *India, Economic Information Year Book 1988-89, p 115*
- 3 *Indian Economy, Statistical Year Book 1998*
- 4 *टाइम्स ऑफ इण्डिया बिजनेस टाइम्स, 28 जनवरी 1997, पृ 16*
- 5 *Indian Economy Statistical Year Book, 1998*
- 6 *इकोनॉमिक सर्वे, 1994-95, पृ 109*
- 7 *राजस्थान पत्रिका, 6 फरवरी 1996*
- 8 *इकोनॉमिक सर्वे, 1994-95, पृ 109*
- 9 *आर्थिक जगत 28 अप्रैल, 1997*
- 10 *टाइम्स ऑफ इण्डिया, बिजनेस टाइम्स, 27 नवम्बर, 1996*

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास का महत्त्व बताइए।
- 2 सार्वजनिक उपक्रमों में क्या अभिप्राय है।
- 3 सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की प्रगति स्पष्ट कीजिए।
- 4 भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएँ बताइए।
- 5 आर्थिक उदारीकरण में औद्योगिक विकास की स्थिति बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 'राष्ट्र का आर्थिक विकास औद्योगीकरण पर निर्भर करता है' स्पष्ट कीजिए। (संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये औद्योगिक विकास का महत्त्व लिखना है।)
- 2 पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास की प्रगति बताइए तथा भारत के औद्योगिक विकास में क्या बाधाएँ हैं। (संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास की प्रगति लिखनी है प्रश्न के दूसरे भाग में औद्योगिक

विकास की बाधाओं का वर्णन करना है।)

सार्वजनिक उपक्रम क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्व बताइए। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का लक्ष्य कहा तक प्राप्त हुआ है।

(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में सार्वजनिक उपक्रमों का अर्थ और महत्त्व लिखना है तथा प्रश्न के दूसरे भाग में अध्याय में दिए गए सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का वर्णन लिखिए।)

भारत में बड़े पैमाने के उद्योग (Large Scale Industries in India)

राष्ट्र का औद्योगिक विकास बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास पर निर्भर है। औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है। बिना इसके आज कोई देश न तो अपने जनसमूह को जीवन के प्रचुर साधन उपलब्ध करा सकता है और न ही अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उचित भूमिका निभा सकता है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और विकसित कहे जाने वाले देश बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास द्वारा ही आर्थिक विकास के उच्चतम शिखर तक पहुँचे हैं। आज सभी विकासशील देश तीव्र औद्योगिक विकास के लिए प्रयासरत हैं। भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास की महत्ती आवश्यकता है। उद्योगों के समुचित विकास से देशवासियों की आय में अर्थपूर्ण एवं नियमित रूप से वृद्धि सम्भव है। औद्योगिक विकास के द्वारा अधिक रोजगार और श्रेष्ठतर व्यावसायिक ढांचा निर्मित होता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। बचत और निवेश में वृद्धि की सुखद परिणति उत्पादिता में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। व्यक्ति और समाज का बहुमुखी विकास होता है। राष्ट्र आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त होकर उभरता है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। औद्योगिक दत्तावरण को सुदृढ़ करने के वास्ते 6 अप्रैल, 1948 को राष्ट्रीय सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा कर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अंगीकार किया। आर्थिक योजनाओं की व्यूहरचना में आधारभूत ढांचे एवं भावी औद्योगीकरण पर जोर दिया गया। फलस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने तक औद्योगिक विकास सबंधी व्यापक आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका था।

भारत ने विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के लिए जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक दस वर्षों में अर्थव्यवस्था में मूलभूत बदलाव किए गए।

औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों से देश में औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। वर्तमान में भारत के बड़े उद्योगों में सीमेंट उद्योग, लोहा-इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, कागज उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग आदि मुख्य हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में से कुछ का प्रारम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ किन्तु वास्तविक विकास बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही हुआ। भारत की अधिकांश फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आदि राज्यों में स्थित हैं।

भारत के बड़े उद्योगों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

- (i) लोहा एवं इस्पात उद्योग।
- (ii) सीमेंट उद्योग।
- (iii) सूती वस्त्र उद्योग।
- (iv) चीनी उद्योग।
- (v) जूट उद्योग।

इन बड़े उद्योगों का विवरण नीचे दिया जा रहा है

1 लोहा एवं इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)

लोहा एवं इस्पात उद्योग महत्त्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ अंशों में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास पर ही निर्भर है। अर्थव्यवस्था के अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों यथा कृषि, यातयात, आधारभूत संरचना, आवास निर्माण आदि में इस्पात उद्योग की महती भूमिका होती है। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए सभी आवश्यक प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध हैं। विश्व के कुल लोहा अयस्क के भंडारों का एक-चौथाई भाग भारत में उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 2,100 करोड़ टन लोहा अयस्क के भंडार हैं। इस्पात उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल जैसे मैंगनीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

विश्व में लोहा एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन अमरीका में होता है। भारत का भी लोहा एवं इस्पात उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान है किन्तु भारत में लोहा एवं इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत विश्व में तुलनात्मक दृष्टि से कम है।

संक्षिप्त इतिहास (Brief History)

विश्व इतिहास में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हुआ। लोहे की गलाई एवं दुलाई में भारत विश्वविख्यात था। प्राचीन काल में लोहे की टिकाऊ और सुन्दर वस्तुएँ विश्व के अनेक देशों को निर्यात की जाती थीं। दिल्ली में कुतुबमीनार के पास स्थापित अशोक का लोहा स्तम्भ आज भी विश्व के

वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य बना हुआ है। समय के बदलाव के साथ भारत का लोह इस्पात उद्योग पिछड़ गया।

भारत में आधुनिक ढंग से लोहा एवं इस्पात बनाने का प्रयास वर्ष 1830 में श्री जे एम हीथ नामक अंग्रेज द्वारा चेन्नई के निकट दक्षिणी अर्काट में किया गया किन्तु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रारम्भ 1870 में हुआ, जब बंगाल आयरन वर्क्स कम्पनी ने पश्चिम बंगाल के कुल्ती में सयत्र की स्थापना की। इसके पश्चात निम्नलिखित कारखानों की स्थापना की गई -

1907 में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) जमशेदपुर

1919 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को), बर्नपुर।

1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती।

भारत में विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की वर्ष 1923 में स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारम्भ किया। सन 1939 में आसन सोल में स्टील कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसे बाद में इंडियन आयरन एण्ड स्टील (इस्को) में मिला दिया गया।

स्थानीयकरण (Localisation)

लोहा एवं इस्पात उद्योग के ऐसे स्थान पर स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ऊर्जा और बाजार भी इस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए आवश्यक है। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में हुआ है। इन राज्यों में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। इसके अलावा डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज आदि आवश्यक पदार्थ भी इन राज्यों में उपलब्ध हैं। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योगों के छोटे नागपुर के पठार क्षेत्र में स्थानीयकरण के लिए कोयले की पर्याप्तता, सस्ते श्रम की बहुलता, पर्याप्त जलपूर्ति, यातायात के साधनों की प्रचुरता तथा बाजार की निकटता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

वर्तमान स्थिति (Present Position)

भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति का पता निम्नलिखित विवरण से लगाया जा सकता है

1. लोहा एवं इस्पात का उत्पादन (Production of Iron and Steel) - भारत में नियोजित विकास के चार दशकों तथा आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक दस वर्षों में इस्पात के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोहा एवं इस्पात उत्पादन की प्रवृत्ति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है

भारत में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन

(लाख टन)

वर्ष	इस्पात पिण्ड	तैयार इस्पात
1950-51	14.7	10.4
1960-61	34.8	23.9
1970-71	61.4	46.4
1980-81	103.3	68.2
1990-91		135.3
1991-92	126.6	143.3
1992-93	132.5	152.0
1993-94	139.0	151.0
1994-95	159.0	178.0
1995-96	224.0	217.0
1996-97	238.0	227.0
1997-98	248.0	234.0
1998-99	231.0	238.0

स्रोत - इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 एस 34 तथा 1999-2000

भारत में इस्पात पिण्ड का उत्पादन वर्ष 1950-51 में 14.7 लाख टन था जो बढ़कर 1994-95 में 159 लाख टन तथा 1997-98 में 248 लाख टन हो गया। इसी प्रकार वर्ष 1950-51 में तैयार इस्पात का उत्पादन 10.4 लाख टन था जो बढ़कर 1994-95 में 178 लाख टन तथा 1997-98 में 234 लाख टन हो गया। वर्ष 1950-51 से 1997-98 के बीच के चौबीस वर्षों में इस्पात पिण्ड और तैयार इस्पात के उत्पाद में क्रमशः 17 गुना तथा 22 गुना वृद्धि हुई।

2 आयात एवं निर्यात (Import and Export) - भारत में आंतरिक मांग की तुलना में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन कम है। नतीजतन प्रतिवर्ष लोहा एवं इस्पात का आयात करना पड़ता है। दश में लोहा एवं इस्पात उद्योग के तेजी से विकास नहीं होने के कारण प्रमुख कच्चा माल 'लोह अयस्क' का निर्यात किया जाता है। वर्ष 1985-86 में कच्चे लोहे के कुल उत्पादन का 55.2 प्रतिशत निर्यात किया गया। लोह अयस्क का निर्यात 1960-61 में 3.2 मिलियन टन था जो बढ़कर 1990-91 में 32.5 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1997-98 में लोह अयस्क निर्यात 27.6 मिलियन टन था जिससे 47.4 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। लोह-अयस्क पर आधारित उद्योग की स्थापना से लोहा इस्पात के आयात को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत से हाल ही के वर्षों में लोहा एवं इस्पात का निर्यात किया जाने लगा है।

लोहा एवं इस्पात का आयात और निर्यात

(करोड़ रूपए)

वर्ष	आयात	निर्यात
1960-61	123	--
1970-71	147	9
1980-81	852	70
1990-91	2113	1049
1993-94	2494	1374
1994-95	3653	1297
1995-96	4838	1490
1996-97	6866	2396
1997-98	5281	2936
1998-99	4956	2509

स्रोत - इकोनॉमिक सर्वे 1996-97, पृ 128, 1998-99, पृ 107, 1999-2000, पृ 123 एच एस-85

भारत लोहा एवं इस्पात का आयातक राष्ट्र है। वर्ष 1960-61 में लोहा एवं इस्पात का 123 करोड़ रूपए का आयात किया गया। लोहा एवं इस्पात का आयात 1994-95 में बढ़कर 3,653 करोड़ रूपए तथा 1995-96 में और बढ़कर 4,838 करोड़ रूपए तक जा पहुँचा। भारत से लोहा एवं इस्पात अल्प मात्रा में निर्यात होता है। वर्ष 1980-81 में 70 करोड़ रूपए तथा 1994-95 में 1,297 करोड़ रूपए का लोहा एवं इस्पात निर्यात किया गया। वर्ष 1998-99 में लोहा एवं इस्पात का आयात 4,956 करोड़ रूपए तथा निर्यात 2509 करोड़ रूपए था।

3. पूँजी विनियोजन (Capital Investment) - भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लोहा एवं इस्पात उपक्रमों में लगभग 15,000 करोड़ रूपए विनियोजित है जो कि केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का 9 प्रतिशत है। सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा निजी क्षेत्र के उपक्रमों में 5,000 करोड़ रूपए की पूँजी विनियोजित है।

4. लोहा एवं इस्पात की माँग (Demand of Iron and Steel) - भारत में लोहा एवं इस्पात की माँग, उत्पादन की तुलना में अधिक है। अनिश्चित माँग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। वर्ष 1994-95 में तैयार इस्पात की माँग 220 लाख टन थी। वर्ष 1996-97 में इसके 250 लाख रहने की संभावना थी। तैयार इस्पात की माँग 1999-2000 में 310 लाख टन होगी। वर्ष 1994-95 में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन, माँग की तुलना में 60 लाख टन कम था।

5. लघु इस्पात संयंत्र (Mini Steel Plant) - लोहा एवं इस्पात के बड़े उद्योगों के अलावा देश में लगभग 210 लघु इस्पात संयंत्र हैं। ये निजी क्षेत्र में

संचालित है इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 80 लाख टन के लगभग है।

6 लोहा एव इस्पात उद्योग में आर्थिक सुधार (Economic Reforms in Iron and Steel Industry) – आर्थिक उदारीकरण के दौर में लोहा एव इस्पात उद्योग क्षेत्र में किए गए बदलाव इस प्रकार हैं

- 1 नई औद्योगिक नीति, जुलाई 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में से लोहा एव इस्पात उद्योग को हटा लिया गया है।
- 2 वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की 25 किलोमीटर की सीमा से बाहर निजी क्षेत्र में किसी भी क्षमता के लोहा एव इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- 3 लोहा एव इस्पात उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा गया है।
- 4 51 प्रतिशत की विदेशी पूंजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी समझौते के साथ कुछ शर्तों पर इसकी स्वतंत्र मजूरी।
- 5 सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा एव इस्पात उद्योग स्थापित नहीं करने का निर्णय।

भारत में लोहा एवं इस्पात के कारखाने (Units of Iron and Steel Industry)

भारत में लोहा एव इस्पात उद्योग का विकास मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ। टाटा आयरन एण्ड स्टील, जमशेदपुर निजी क्षेत्र में टाटा समूह का है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भारत सरकार के स्वामित्व में है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited) (SAIL) – यह भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार ने सेल का प्रबन्ध 14 जुलाई 1972 को अपने हाथ में लिया। सेल ने एक अगस्त 1989 को विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को अपने अधिकार में लिया।

समन्वित इस्पात संयंत्रों की कच्चा इस्पात क्षमता 10,990 हजार टन तथा बिक्री योग्य इस्पात क्षमता 8,823 हजार टन है। समन्वित इस्पात संयंत्रों में भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों की क्षमता अधिक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की कच्चा इस्पात क्षमता 4,000 हजार टन तथा बिक्री योग्य इस्पात क्षमता 3,153 हजार टन है। बोकारो इस्पात संयंत्र की कच्चा इस्पात क्षमता 4,000 टन तथा बिक्री योग्य इस्पात क्षमता 3,153 हजार टन है।

समन्वित इस्पात संयंत्रों (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इस्को) द्वारा वर्ष 1992-93 में कच्चा इस्पात का उत्पादन 9,827 हजार टन, बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 8,335 हजार टन तथा कच्चा लोहा का उत्पादन 765 हजार

टन किया गया।

इस्पात सयत्रों की क्षमता

(हजार टन)

सयत्र	कच्चा इस्पात क्षमता	बिक्री योग्य इस्पात
मिलाई	4000	3153
दुर्गापुर	1150	938
राउरकेला	1456	1170
बोकारो	4000	3156
इस्को	384	406
कुल (समन्वित इस्पात सयत्र)	10990	8823

स्रोत - भारत 1994, पृ 519

स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अधिकृत पूंजी 50 अरब रुपए थी और मार्च 1993 को इसकी प्रदत्त पूंजी 39 अरब 85 करोड़ 89 लाख रुपए थी। 1992-93 के दौरान कुल कारोबार एक खरब एक अरब 75 करोड़ रुपए का हुआ इसमें इस्को शामिल नहीं है।¹

स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1995-96 में 1,318.61 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया, जबकि 1994-95 में 1,163.33 करोड़ रुपए का और 1993-94 में 545.33 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया था। 1995-96 के दौरान सेल द्वारा 3,91,523 टन इस्पात का निर्यात किया गया।¹

आर्थिक नियोजन में लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास

(Development of Iron and Steel Industry during Economic Planning)

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास को गति मिली। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई। इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने लोहा एवं इस्पात उद्योग का दायित्व अपने ऊपर लिया। स्वतंत्रता के समय भारत में लोहा एवं इस्पात के तीन कारखाने थे - टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को), इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को), मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (मिस्को)। वर्तमान में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है तथा दो कारखाने निर्माणाधीन हैं। वर्ष 1950-51 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 147 लाख टन था जो बढ़कर 1994-95 में 147 लाख टन तक जा पहुंचा। तैयार इस्पात का उत्पादन 1950-51 के 10.4 लाख टन से बढ़कर 1994-95 में 178 लाख टन तक जा पहुंचा। देश में लोहा एवं इस्पात के विकास में 'सेल'

ने प्रभावी भूमिका निभाई।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास इस प्रकार रहा

प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) (1951-56) – आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में भारत विभाजन की त्रासदी से ग्रस्त था। गुलामी के दिनों में कृषि की स्थिति दयनीय हो गई थी। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उद्योगों के विकास पर तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में विचार रखा गया। इस योजना में विदेशी आर्थिक एवं तकनीकी सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राऊरकेला (उड़ीसा) में स्थापित रूस की सहायता से गिलाई (मध्य प्रदेश) में तथा ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर (प. बंगाल) में इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए समझौते किए गए। योजना में उद्योग के विकास पर 63 करोड़ रुपये व्यय किया गए। वर्ष 1950-51 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 147 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 104 लाख टन था। 1955-56 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन बढ़कर 19 लाख टन तथा तैयार इस्पात उत्पादन बढ़कर 13 लाख टन हो गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan) (1956-61) – इस योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम योजना में जिन तीन कारखानों की स्थापना के लिए समझौते किए गए थे उनका निर्माण इस योजना की अवधि में किया गया। निजी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों—टिस्को और इस्को की उत्पादन क्षमता क्रमशः 20 लाख टन और 10 लाख टन तक बढ़ाने का काम हाथ में लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों में उत्पादन 1956 और 1959 के बीच आरम्भ हुआ। निजी क्षेत्र के कारखानों का विस्तार 1959 में पूरा हुआ।

योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए 431 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। वर्ष 1960-61 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन बढ़कर 34.8 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़कर 23.9 लाख टन हो गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan) (1961-1966) – इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों के विस्तार पर जोर दिया गया। लोहा और इस्पात उद्योग के विकास पर 525 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सलेम (तमिलनाडु) विजयनगर (कर्नाटक) और विशाखापट्टम (आन्ध्रप्रदेश) में नए इस्पात कारखाने स्थापित करके इस्पात की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

तीसरी योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। 1962 में चीनी आक्रमण तथा 1965 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग में सर्वाधिक लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। 1965-66 में इस्पात पिण्ड

भारत में बड़े पैमाने के उद्योग

का उत्पादन 65 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 45 लाख टन था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद वित्तीय ससाधनों के अभाव के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना नियत समय पर प्रारम्भ नहीं की जा सकी। एक-एक वर्ष की तीन वार्षिक योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। तीन वार्षिक योजनाओं में लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास के लिए और विस्तार कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी विनियोजन की व्यवस्था की गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) (1969-1974) - समन्वित इस्पात सयंत्र के विकास को सभव बनाने के लिए 14 जुलाई 1972 को स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लि (सेल) का गठन चौथी योजना की मुख्य उपलब्धि है। इस योजना में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) का प्रबन्ध भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया। योजना में लोहा एव इस्पात के विकास के लिए 1,034 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वर्ष 1973-74 में इस्पात का उत्पादन 63 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 49 लाख टन था।

पाचवी पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) (1974-1979) - लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास पर 2,237 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। 1977-78 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 101 लाख टन था। तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 88 लाख टन निर्धारित किया गया जबकि उत्पादन 70 लाख टन हुआ।

छठी पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) (1980-1985) - लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास पर 3,757 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान था। योजना में इस्पात पिण्ड का 144 लाख टन तथा तैयार इस्पात का 115.1 लाख टन लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1984-85 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 108 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 88 लाख टन था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Five Year Plan) (1985-1990) - लोहा एव इस्पात उद्योग के विकास पर 6,220 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य 153.8 लाख टन तथा तैयार इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 126.4 लाख टन निर्धारित किया गया। सातवीं योजना के अंत में अर्थात् 1989-90 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 137.2 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 130 लाख टन था।

सातवीं योजना के बाद दो वार्षिक योजनाओं में अर्थात् 1990-91 में तैयार इस्पात का उत्पादन 135.3 लाख टन तथा 1991-92 में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 126.6 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 143.3 लाख टन था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (Eighth Five Year Plan) (1992-1997) - आठवीं योजना में इस्पात पिण्ड के उत्पादन का लक्ष्य 210 लाख टन तथा तैयार

इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 241 लाख टन निर्धारित किया गया। आठवीं योजना इस्पात पिण्ड का उत्पादन 1992-93 में 132.5 लाख टन 1993-94 में 139 लाख टन 1994-95 में 159 लाख टन 1995-96 में 224 लाख टन तथा 1996-97 में 238 लाख टन था। इसी प्रकार तैयार इस्पात का उत्पादन 1992-93 में 152 लाख टन 1993-94 में 151 लाख टन 1994-95 में 178 लाख टन 1995-96 में 217 लाख टन तथा 1996-97 में 227 लाख टन था।

भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की समस्याएँ तथा समाधान हेतु सुझाव (Problem of Iron and Steel Industry & Suggestions for Solution)

लोहा एवं इस्पात उद्योग महत्त्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास की व्यापक सभाव्यता के बावजूद इसका अपेक्षित गति से विकास नहीं हो सका है। इस्पात उद्योग के विकास में अनेक समस्याएँ हैं। इन पर निदान पाकर विकास को गति दी जा सकती है। लोहा एवं इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याएँ तथा समाधान हेतु सुझाव इस प्रकार हैं

1 कोकिंग कोयले का अभाव (Lack of Coking Coal) - लोहा एवं इस्पात उद्योग में अच्छी किस्म के कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है। भारत में अच्छी किस्म के कोकिंग कोयले का अभाव है। आवश्यकता की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। इसके अलावा कोयले की धुलाई करके इस्पात निर्माण में काम में लिया जाता है। समस्या से निपटने के लिए कोकिंग कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए तथा कोकिंग कोयले के अवीन क्षेत्रों की खोज पर जोर देना चाहिए। कोयले धोने की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।

2 यातायात संबंधी बाधाएँ (Problems of Transportation) - लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल यथा खनिज लोहा कोयला चूना मैंगनीज अति भार वाले पदार्थ हैं। देश में यातायात सुविधाओं के अभाव के कारण समय और धन व्यय होता है तथा उत्पादन की प्रति इकाई लागत भी अधिक बैठती है। देश में रेल व जल यातायात का विकास किया जाना चाहिए। लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना ऐसे स्थान पर हो जहाँ विभिन्न पदार्थों के परिवहन की लागत कम हो।

3 श्रम समस्याएँ (Problems of Labour) - लोहा एवं इस्पात उद्योग में श्रमिक बड़ी संख्या में नियोजित होते हैं। बड़े कारखाने में लगभग 50 हजार श्रमिक काम पर लगे होते हैं। श्रमिकों एवं पूँजीपतियों के बीच स्व-हित को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तृतीयतन दिन-ब-दिन हड़ताल और तालेबंदी की समस्या मुहैया खड़ी रहती है। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए श्रमिकों की प्रयत्न में भागीदारी की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए।

4 उत्पादन क्षमता के उपयोग की समस्या (Problem of Utilisation of Production Capacity) - लोहा एवं इस्पात उद्योग की उत्पादन क्षमता का पूरा

लाकर कपड़े की लागत में कमी करनी चाहिए।

10 श्रमिकों की नीची उत्पादकता (Low Productivity of Labours) – देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम खर्च किया जाता है। सूती वस्त्र में श्रमिकों की उत्पादकता अमरीका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रशिक्षित श्रमिकों की नियुक्ति तथा स्वचालित मशीनों के प्रयोग द्वारा श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

11 केन्द्रीयकरण की समस्या (Problem of Centralisation) – भारत में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्रित है। सूती वस्त्र उद्योग के अत्यधिक केन्द्रीयकरण से एक ओर अन्य राज्य सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। वहीं सूती वस्त्र के केन्द्रीयकरण वाले राज्य गन्दी बस्तियों, प्रदूषण, आवास समस्या, अपराध आदि समस्याओं से ग्रसित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सूती वस्त्र उद्योग के विकेन्द्रीयकरण पर जोर देना चाहिए।

सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य (Future Prospects of Textile Industry)

भारत में सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। वस्त्र मानव की आधारभूत आवश्यकता है। अभी भारत में प्रति व्यक्ति वस्त्र उपभोग काफी कम है। आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। गरीबी की रेखा से भी लोग अपर उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में वस्त्रों की मांग के बढ़ने की समावना है।

भारत की निर्यातित आय का बड़ा भाग वस्त्रों के निर्यात से प्राप्त होता है। सरकार वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। देश में लम्बी रेशे की कपास के उत्पादन के बढ़ने से उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव भी नहीं रहा है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण, स्वचालित करघा का प्रयोग तथा विकास और अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है।

जूट उद्योग (Jute Industry)

जूट उद्योग भारत के संगठित उद्योगों में एक महत्वपूर्ण उद्योग है। विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में, जूट उद्योग का निर्यातित आय, रोजगार तथा औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। पैकिंग में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएँ जैसे बोरिया, टाट, सुतली, रस्सी आदि जूट से बनाई जाती हैं। जूट को ऊन व कपास के साथ मिलाकर गदिया, कारपेट, पर्दे आदि कलात्मक वस्तुएँ भी बनाई जाती हैं। विश्व के सर्वाधिक जूट करघे भारत में हैं। भारत के बाद बांग्लादेश, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान आता है।

स्वतंत्रता से पूर्व जूट उत्पादन पर भारत का एकाधिकार था किन्तु स्वातंत्र्योत्तर विभाजा के कारण जूट उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। वर्तमान में भारतीय जूट उद्योग को बांग्लादेश के जूट उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। विरहित राष्ट्रों में जूट का विकल्प खोज लिए जाने के कारण भारत से जूट के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्लास्टिक उद्योग से प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए जूट निर्मित वस्तुओं की संख्या में वृद्धि भी गई है। आज जूट से वालीय दरिया याटरप्रूप कवर सोपा आदि का निर्माण होता है।

भारत में जूट उद्योग का आधुनिक ढंग का वारस्या 1855 में स्वाटलैण्ड के व्यवसायी जार्ज आकलैण्ड ने पश्चिमी बंगाल में रिशरा स्थान पर स्थापित किया। 1865 तक जूट के चार और वारस्या पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए। वर्ष 1959 में जूट उद्योग में शक्ति संचालित वारस्या भी स्थापना हुई। वर्ष 1939-40 में जूट का उत्पादन 12.8 लाख टन था। वर्ष 1946-47 में जूट मिलों की संख्या 106 तरघों की संख्या 66 हजार तथा तकुओं की संख्या 1295 हजार थी।

योजना काल में जूट उद्योग का विकास

(Development of Jute Industry during Plan Period)

प्रथम योजना (1951-56) - इस योजना में जूट उद्योग विभाजा की त्रासदी से ग्रस्त था। भारत के विभाजा के कारण जूट उद्योग के अधिकांश कारखाने भारत के हिस्से में आए और जूट उद्योग के कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। इससे भारतीय जूट उद्योग के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। पहली योजना में अधिक कारखाने नहीं खोले गए। कच्चे माल की समस्या के निराकरण के लिए कच्चे जूट के उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए गए। वर्ष 1951-52 में कच्चे जूट का उत्पादन 34 लाख गांठे थी जो बढ़कर 1955-56 में 43 लाख गांठे हो गई। जूट निर्मित माल का उत्पादन 1951-52 में 8.4 लाख टन से बढ़कर 1955-56 में 10.7 लाख टन हो गया। प्रथम योजना में जूट निर्मित माल का निर्यात 6.5 लाख टन था। प्रथम योजना के प्रारम्भ में भारत में 116 जूट मिलें थीं जिन्हीं क्षमता 12 लाख टन थी।

द्वितीय योजना (1956-61) - योजना में कच्चे जूट के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नये कारखाने खोलने के स्थान पर कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। योजना में जूट की 65 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 1960-61 में कच्चे जूट का उत्पादन 43 लाख गांठे जूट निर्मित माल 11 लाख टन था तथा जूट निर्मित माल का निर्यात 7.6 लाख टन था जो पहली योजना के जूट निर्यात से 90 हजार टन कम था।

तृतीय योजना (1961-66) - योजना में कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 75 लाख गांठे निर्धारित किया गया। योजना के अन्त में निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं

किया जा सका। वर्ष 1965-66 में कच्चे जूट का उत्पादन 58 लाख गांठे ही हुआ। वर्ष 1965-66 में जूट निर्मित माल का उत्पादन 13 लाख टन था जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप था। वर्ष 1966 में रुपए के अवमूल्यन के बावजूद भारत से जूट निर्यात में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो सकी। 1965-66 में जूट निर्मित माल का निर्यात 93 लाख टन था।

वार्षिक योजनाएँ (1966-69) — वार्षिक योजनाओं में वित्तीय ससाधनों के अभाव में जूट उद्योग का तेजी से विकास नहीं हो सका। वार्षिक योजनाओं में जूट उद्योग के सामने प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल का अभाव, अकाल आदि समस्याएँ थीं। नतीजतन 1968-69 में कच्चे जूट का उत्पादन महज 30.5 लाख गांठे, निर्मित माल का उत्पादन 11 लाख टन था। वार्षिक योजनाओं में जूट के निर्यात में भारी कमी आई।

चतुर्थ योजना (1969-74) — इस योजना में ईंधन सकट तथा हड़ताल का जूट उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जूट निर्मित माल के उत्पादन के लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। जूट उद्योग को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। वर्ष 1973-74 में कच्चे जूट का उत्पादन 56 लाख गांठे तथा जूट निर्मित माल का उत्पादन 10.74 लाख टन था। योजना काल में जूट के निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार ने निर्यात कर (Export Duties) में कमी की घोषणा की। सरकारी प्रयासों के बावजूद निर्यात में वृद्धि नहीं हो सकी। वर्ष 1973-74 जूट निर्मित माल का निर्यात केवल 56 लाख टन था।

पाचवी योजना (1974-79) — योजना में जूट उद्योग के आधुनिकीकरण तथा उत्पादन क्षमता के अधिकाधिक उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया गया। कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 77 लाख गांठे निर्धारित किया जबकि उत्पादन 70 लाख गांठे हुआ। वर्ष 1977-78 में जूट निर्मित माल का उत्पादन 12.5 लाख टन था। जूट निर्मित का निर्यात 52 लाख टन था।

छठी योजना (1980-85) — योजना में कच्चे जूट तथा जूट निर्मित माल के उत्पादन के ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। जूट निर्मित माल के उत्पादन का लक्ष्य 15 लाख टन निर्धारित किया, किन्तु 1984-85 में जूट निर्मित माल का उत्पादन 13.7 लाख टन था। कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य 91 लाख गांठे रखा गया जबकि उत्पादन 75 लाख गांठे ही संभव हो सका।

सातवी योजना (1985-90) — योजना में कच्चे जूट का उत्पादन 95 लाख गांठे तथा जूट निर्मित वस्तुओं का उत्पादन 16.25 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1989-90 में कच्चे जूट का उत्पादन 83 लाख गांठे तथा जूट निर्मित माल का उत्पादन केवल 13 लाख टन था। योजनावधि में राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम ने 5 मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण किया।

आठवी योजना (1992-97) — आठवी योजना में कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 95 लाख गांठे तथा जूट निर्मित माल के उत्पादन का लक्ष्य 13.5 लाख टन

निर्धारित किया गया है। भारत में जूट निर्मित माल का उत्पादन वर्ष 1992-93 में 13 10 लाख टन तथा 1996-97 में 14 01 लाख टन था।

भारत में जूट निर्मित माल का उत्पादन वर्ष 1950-51 में 8 37 लाख टन था जो बढ़कर 1994-95 में 13 74 लाख टन हो गया। चवालीस वर्षों की समयावधि में जूट निर्मित माल के उत्पादन में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। कच्चे जूट का उत्पादन वर्ष 1950-51 में 34 लाख गांठे था जो बढ़कर 1994-95 में 95 लाख गांठे हो गया। इस समयावधि में कच्चे जूट के उत्पादन में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। जूट निर्मित माल का उत्पादन 1998-99 में 15 87 लाख टन (प्राविजनल) था।

भारत में जूट के माल का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
1950-51	8 37
1960-61	10 71
1970-71	10 60
1980-81	13 92
1990-91	14 30
1991-92	13 78
1992-93	13 10
1993 94	14 48
1994-95	13 74
1995-96	14 33
1996-97	14 01
1997-98	16 78
1998-99	15 87

Source 1 Survey of Indian Industry, 1996 p 459

2 Indian Economic Survey 1998-99, 1999 2000

जूट उद्योग की वर्तमान स्थिति

(Present Position of Jute Industry)

1 मिलों की संख्या (Number of Mills) - वर्तमान में भारत में 73 जूट मिलें हैं जिनमें 6 कपड़ा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - राष्ट्रीय पटसन उत्पाद निगम की हैं। कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संस्था पटसा उत्पादन विकास परिषद् जूट क्षेत्र में विकास और निर्यात संवर्द्धन सहायी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय और प्रशिक्षण तथा टैक्नालाजी संबंधी सहायता प्रदान करती है। जूट उद्योग की सर्वाधिक मिलें पश्चिमी बंगाल में हैं। भारत की कुल 73 जूट मिलों में से 58 मिलें अकले पश्चिमी बंगाल में हैं। इसके बाद

आन्ध्र प्रदेश में 5, बिहार में 4, उत्तर प्रदेश में 3 तथा मध्यप्रदेश, आसाम एवं उड़ीसा में एक-एक है।

2 रोजगार (Employment) - जूट उद्योग में लगभग 2.5 लाख मजदूरों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा जूट उद्योग से 40 लाख पटसन किसानों की रोजी-रोटी भी चलती है। उद्योग में लगभग 300 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है।

3 उत्पादन (Production) - भारत में जूट उद्योग की स्थापित क्षमता लगभग 158 लाख टन प्रतिवर्ष होना आका गया है। वर्ष 1997-98 में जूट निर्मित माल का उत्पादन 1678 लाख टन था। कच्चे जूट का उत्पादन वर्ष 1994-95 में 95 लाख गार्ठे था।

4 निर्यात (Export) - भारत से जूट निर्मित माल का निर्यात वर्ष 1960-61 में 135 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1994-95 में 473 करोड़ रुपए तथा 1996-97 में और बढ़कर 552 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1997-98 में जूट का निर्यात और बढ़कर 634 करोड़ रुपए हो गया।

जूट निर्मित माल का निर्यात

(करोड़ रुपए)

वर्ष	जूट निर्मित माल का निर्यात
1960-61	135
1970 71	190
1980-81	330
1990 91	298
1991-92	391
1992-93	355
1993-94	389
1994 95	473
1995-96	621
1996 97	552
1997-98	634
1998-99	595

Source *Economic Survey* 1998-99

जूट उद्योग का स्थानीयकरण (Localisation)

भारत में जूट उद्योग के अधिकांश कारखाने पश्चिमी बंगाल में स्थापित हैं। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण हुगली नदी के द्वारा पदार्थ की गई अनुकूल स्थिति है। पश्चिम बंगाल कच्चे जूट का लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन करता है। हुगली नदी जूट उद्योग को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति

8 उत्पादन क्षमता के उपयोग की समस्या (Problem of Utilisation of Production Capacity) - जूट मिलों में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। पूर्ण क्षमता के उपयोग में कच्चे माल की कमी ऊर्जा का अभाव मांग में कमी हड़ताल आदि मुख्य बाधाएँ हैं। भारत में जूट उद्योग की स्थापित क्षमता लगभग 158 लाख टन प्रतिवर्ष है। वर्ष 1994-95 में जूट निर्मित माल का उत्पादन 1360 लाख टन था जो जूट उद्योग की स्थापित क्षमता का 86 प्रतिशत था।

चीनी उद्योग (Sugar Industry)

चीनी उद्योग भारत का महत्वपूर्ण उपभोग उद्योग है। चीनी उद्योग में लाखों की संख्या में देशवासियों को रोजगार मिला हुआ है तथा सरकार को भी करोड़ों काफ़ी आय प्राप्त होती है। चीनी उद्योग के विकास पर बड़ी सीमा तक भारतीय किसानों की समृद्धि भी निर्भर करती है। गन्ना भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसल है और इसे कच्चे माल के रूप में चीनी उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत में विगत वर्षों में अच्छे मानसून के कारण चीनी के उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि हुई है। भारत विश्व में प्रमुख चीनी उत्पादक राष्ट्र के रूप में उभरा है किन्तु चीनी की आंतरिक खपत अधिक होने के कारण भारत चीनी निर्यातक देशों में विशिष्ट स्थान नहीं बना सका। बदलते परिवेश में चीनी उद्योग को आर्थिक उदारीकरण के दायरे में लिए जाने के प्रयास जारी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर 1996 तक चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त नहीं किए जाने के कारण चीनी मिलों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। किसानों कम दामों पर गन्ना बेचने को मजबूर है। उपभोक्ता पर चीनी की बढ़ती कीमतों की अधिक भार है। सक्रिय चीनी लॉबी के प्रभाव का कम करने के लिए उद्योग को लाइसेंस से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इससे चीनी उद्योग का बेहतर गति से विकास होगा और भारत चीनी के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व चीनी उद्योग का विकास

(Development of Sugar Industry prior Independence)

भारत अंग्रेजों से चीनी उत्पादक राष्ट्र रहा है। चीनी के आधुनिक कारखानों की स्थापना सर्वप्रथम 1903 में बिहार में हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई। किन्तु भारतीय चीनी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में टिक नहीं सका। 1930 की विश्वव्यापी मंदी का चीनी उद्योग का विपरीत प्रभाव पड़ा। वर्ष 1931-32 में चीनी मिलों की संख्या 32 थी और चीनी का उत्पादन केवल 160 लाख टन था। चीनी उद्योग की विगड़ी दशा को सुधारने के लिए 1933 में चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया। तत्पश्चात् चीनी उद्योग को गति मिली। वर्ष 1938-39 में चीनी मिलाई की संख्या बढ़कर 132 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 642 लाख टन था। द्वितीय विश्वयुद्ध (1939) के समय चीनी की मांग में

अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण चीनी उद्योग की आर्थिक दशा सुधरी। चीनी मिलों की संख्या 1945-46 में 138 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 823 लाख टन था।

चीनी की माग अधिक बढ़ जाने के कारण सरकार ने 1942 में चीनी पर मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग व्यवस्था लागू की। सन् 1947 में चीनी पर नियंत्रण समाप्त किया किन्तु मूल्यों में अधिक बढ़ोतरी के कारण सन् 1948 में नियंत्रण पुन लागू किया गया। देश के विभाजन का चीनी उद्योग पर जूट उद्योग की भांति विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकांश चीनी मिलें और गन्ना उत्पादक क्षेत्र भारत में ही रहे। किन्तु चीनी की माग, उत्पादन की तुलना में अधिक होने के कारण देश में चीन की समस्या सदैव बनी रही साथ ही चीनी पर सरकारी नियंत्रण बना हुआ है।

पंचवर्षीय योजनाओं में चीनी उद्योग का विकास

(Development of Sugar Industry During Plan Period)

प्रथम योजना - प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में चीनी मिलों की संख्या 138 थी। इन मिलों की उत्पादन क्षमता 15 लाख टन थी। 1950-51 में चीनी का उत्पादन 1118 लाख टन था। योजनावधि में चीनी उद्योग के विकास पर 15 करोड़ रुपये व्यय किए गए, नतीजतन चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 1955-56 में 143 हो गई तथा चीनी का उत्पादन बढ़कर 1862 लाख टन हो गया। चीनी उत्पादन का लक्ष्य 15 लाख टन निर्धारित किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया गया। योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया किन्तु चीनी की माग, उत्पादन से अधिक रही जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकी।

द्वितीय योजना - इस योजना में चीनी उद्योग के विकास पर 56 करोड़ रुपये व्यय किए गए। चीनी मिलों की संख्या 1960-61 में 175 हो गई तथा चीनी का उत्पादन 3028 लाख टन था। इस योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य 225 लाख टन निर्धारित किया गया। योजना में 29 सहकारी चीनी मिलों को लाइसेंस दिया गया। माग की तुलना में चीनी का अधिक उत्पादन हुआ।

तृतीय योजना - योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य 35 लाख टन निर्धारित किया गया। सहकारी क्षेत्र में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की गई। 1965-66 में चीनी मिलों की संख्या 200 थी तथा चीनी का उत्पादन 35 लाख टन था। योजना में चीनी उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस योजना में चीनी के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत ने 1972 के 'क्यूबा सिकट' के बाद चीनी के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया।

वार्षिक योजनाएँ (1966-69) - वर्ष 1968-69 में चीनी मिलों की संख्या 215 थी तथा उत्पादन 356 लाख टन था। वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में अकाल के कारण चीनी का उत्पादन घटा। सरकार ने 40 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेचने की छूट दी तथा 60 प्रतिशत चीनी नियंत्रित दर पर बेचने की

व्यवस्था की गई।

चतुर्थ योजना - योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य 47 लाख टन निर्धारित किया गया। योजना के अंत में चीनी मिलों की संख्या 229 की। वर्ष 1973-74 में चीनी का उत्पादन 39 लाख टन था जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम था। योजना काल में चीनी उद्योग सकटग्रस्त रहा। उद्योगों की प्रगति सतोषजनक नहीं थी। चीनी उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव रहा।

पाचवी योजना - योजना में चीनी उत्पादन का संशोधित लक्ष्य 54 लाख टन निर्धारित किया गया। पाचवी योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। 1977-78 में चीनी मिलों की संख्या 228 थी तथा चीनी का उत्पादन 64.62 लाख टन था। चीनी सहकारी मिलों की संख्या 132 थी।

पाचवी योजना के बाद की वार्षिक योजना 1979-80 में चीनी का उत्पादन 39 लाख टन था। वार्षिक योजना में चीनी की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

छठी योजना - योजना में चीनी की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन लक्ष्य 76 लाख टन निर्धारित किया गया। उद्योग की उत्पादन क्षमता 80 लाख टन थी। 1984-85 में चीनी का उत्पादन 62 लाख टन था। योजना के अंत तक चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 359 हो गई। योजना के वित्तीय वर्ष 1981-82 में चीनी का उत्पादन 84 लाख टन था।

सातवी योजना - योजना में चीनी की उत्पादन क्षमता 107 लाख टन तथा चीनी उत्पादन का लक्ष्य 102 लाख टन निर्धारित किया गया। सातवी योजना में चीनी मिलों की संख्या 396 थी। 1989-90 में चीनी की उत्पादन क्षमता 120 लाख टन तथा चीनी का उत्पादन 107 लाख टन था। इस प्रकार योजना के चीनी उद्योग की उत्पादन क्षमता और चीनी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

सातवी योजना के बाद की दो वार्षिक योजनाओं में भी चीनी उद्योग की प्रगति हुई। 1990-91 में चीनी का उत्पादन 120.47 लाख टन तथा 1991-92 में 134.11 लाख टन था।

आठवी योजना - योजना में चीनी उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 135 लाख टन निर्धारित किया गया। चीनी उद्योग की उत्पादन क्षमता 143 लाख टन वार्षिक निर्धारित की गई है। 1994-95 में चीनी मिलों की संख्या 430 लाख टन थी। 1996-97 तक चीनी मिलों की संख्या (लक्ष्य) 500 थी। वर्ष 1996-97 में चीनी का उत्पादन 153 लाख टन था।

चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति

(Present Position of Sugar Industry)

1 चीनी मिलों की संख्या (Number of Sugar Mills) - भारत में चीनी मिलों की संख्या 1950-51 में 138 थी। वर्ष 1994-95 में चीनी मिलों की संख्या

430 थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में चीनी मिलों की संख्या का लक्ष्य 450 था। अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। राजस्थान में चीनी मिलों की संख्या महज 3 है। इनमें से एक सहकारी क्षेत्र में है। भारत की अधिकांश चीनी मिलें उत्तरप्रदेश तथा बिहार राज्य में हैं। इन दो राज्यों के अलावा चीनी की मिलें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में हैं।

2 चीनी का उत्पादन (Production of Sugar) - योजनाबद्ध विकास में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने के उत्पादन से संबद्ध है। गन्ने के उत्पादन में घटत-बढ़त का चीनी उत्पादन का प्रभाव पड़ता है।

भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने के उत्पादन पर निर्भर है। 1990-91 में गन्ने का उत्पादन 2,410 लाख टन तथा चीनी का उत्पादन 120.50 लाख टन था। 1991-92 में गन्ने का उत्पादन बढ़कर 2,540 लाख टन हो गया तो चीनी का उत्पादन भी बढ़कर 134.04 लाख टन हो गया। वर्ष 1993-94 में गन्ने के उत्पादन में भारी कमी हुई इसका चीनी उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, चीनी का उत्पादन घटकर 98.33 लाख टन ही रह गया। 1994-95 में गन्ने का उत्पादन बढ़कर 2,712 लाख टन हो गया। गन्ने के उत्पादन में यह उल्लेखनीय वृद्धि थी। इस वर्ष चीनी का उत्पादन भी तेजी से बढ़कर 126.10 लाख टन तक जा पहुंचा।

भारत में गन्ने और चीनी का उत्पादन

(लाख टन)

वर्ष	गन्ने का उत्पादन	चीनी का उत्पादन
1990-91	2410	120.50
1991-92	2540	134.04
1992-93	2280	106.09
1993-94	2271	98.33
1994-95	2712	126.10
1995-96	2811	147.81
1996-97	2776	153.03
1997-98	2795	131.60
1998-99	2957	155.20
1999-2000 (प्रा.)	3151	165.00

Source 1 *The Times of India*, Nov 25, 1996

2 *The Hindu Survey of Indian Industry*, 1996, p 400

3 *Indian Economic Survey 1998-99*, p 117, S-36 and 1999-2000, S-36, pp 134

नब्ब के दशक में चीनी के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्व के दशकों में चीनी का उत्पादन कम था। चीनी का उत्पादन 1950-51 में 11.34 लाख टन, 1960-61 में 30.29 लाख टन, 1970-71 में 37.40 लाख टन, 1980-81 में 51.48 लाख टन था। 1990-91 में चीनी का उत्पादन बढ़कर 120.47 लाख टन था। अक्टूबर-जून 1995-96 में चीनी का उत्पादन अप्रत्याशित बढ़कर 160.68 लाख टन तक जा पहुँचा था। वर्ष 1997-98 में चीनी का उत्पादन 131.60 लाख टन था। चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए लगातार अच्छा मानसून, अनुकूल नैसर्गिक स्थितियाँ व प्रशासनिक कारण सहायक रहे हैं। किसानों को अच्छे मानसून का लाभ मिला है तो सरकार ने भी गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की है।¹ चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ने खरीदने के भाव 1991-92 में 26 रुपये प्रति टन था जो बढ़कर 1992-93 में 31.00 रुपये, 1993-94 में 34.5 रुपये तथा 1994-95 में 39.1 रुपये प्रति टन हो गया।²

3 चीनी का विदेशी व्यापार (Foreign Trade of Sugar) — चीनी के उत्पादन के आंतरिक उपभोग की तुलना में बढ़ जाने से भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चीनी का मात्रा में वृद्धि हुई है। चीनी का निर्यात 1986-87 में मात्र 20 हजार टन था जो बढ़कर 1990-91 में 2.23 लाख टन व 1991-92 में 5.62 लाख टन हो गया। बाद के वर्षों में चीनी का निर्यात घटा है। चीनी का निर्यात 1992-93 में 4.11 लाख टन था जो तेजी से घटकर 1993-94 में केवल 10 हजार टन रह गया। वर्ष 1995-96 में चीनी का निर्यात 7.34 लाख टन उल्लेखनीय रहा। ध्यातव्य है कि पूर्व के वर्षों में भारत बड़ी मात्रा में चीनी का आयात करता था। वर्ष 1986-87 में 9.53 लाख टन तथा 1989-90 में 2.42 लाख टन चीनी का आयात किया गया। 1993-94 में 20 लाख टन तथा 1994-95 में 2 लाख टन चीनी का आयात किया गया। वर्तमान में भारत चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

4 सहकारी क्षेत्र की भूमिका (Role of Co-operative Sector) — भारत में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में चीनी मिलों की कुल संख्या 138 में से सहकारी मिलों की संख्या केवल 2 थी। सहकारी मिलों की संख्या 1960-61 में बढ़कर 38 तथा 1989-90 में और बढ़कर 215 हो गई। वर्ष 1995-96 में भारत में कुल 430 चीनी मिलें थीं उनमें से 265 मिले सहकारी क्षेत्र की थीं।

चीनी उद्योग का स्थानीयकरण (Localisation of Sugar Industry) — भारत के अधिकांश चीनी कारखाने उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों में केन्द्रित हैं। इन राज्यों में चीनी कारखानों की स्थापना में कच्चे माल की उपलब्धि, शक्ति के साधन, सरता श्रम, विस्तृत बाजार, परिवहन के साधन, उपजाऊ भूमि एवं विकसित व्यापारिक मंडियाँ आदि मुख्य कारण हैं। गन्ना

अत्यधिक भार खोने वाला पदार्थ है। इसलिए गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही चीनी कारखानों की स्थापना हुई। उद्योग से संबंधित अन्य आवश्यक सुविधाएँ गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में आकर्षित होती हैं।

चीनी कारखानों की सट्टा की दृष्टि से उत्तरप्रदेश तथा महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तरप्रदेश में 93 तथा महाराष्ट्र 78 चीनी की मिलें हैं इनके अलावा बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान में भी चीनी मिलें हैं। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में देश के चीनी के कुल उत्पादन का 34 प्रतिशत होता है इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जहाँ देश के कुल चीनी उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक का भी चीनी उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान में चीनी उद्योग का विकास तुलनात्मक रूप से दक्षिणी भारत में अधिक हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में महाराष्ट्र, गुजरात, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में अधिक सफल हुए हैं। यहाँ औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण है। इसके अलावा इन राज्यों में गन्ने की उन्नत किस्म हैं जिसमें शक्कर का प्रतिशत अधिक है। यहाँ चीनी बनाने की औसत अवधि 150-180 दिन है। सहकारी चीनी मिलें चीनी उत्पादन के साथ गन्ने के उत्पादन में भी सलग्न हैं। आधारभूत संरचना की दृष्टि से भी ये राज्य विकसित हैं। इन राज्यों को निकटतम बन्दरगाह का लाभ प्राप्त है।

चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएँ तथा समाधान के सुझाव

(Main Problems of Sugar Industry and Suggestions for Solution)

1 घाटे की समस्या (Problem of Loss) - देश में जहाँ एक ओर चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर चीनी उद्योग को घाटा उठाना पड़ रहा है। चीनी उद्योग को 1990-91 में 600 करोड़ रुपये तथा 1991-92 में 700 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी। चीनी मिलों द्वारा गन्ने की ऊँची कीमत चुकाए जाने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। मिलों द्वारा किसानों के गन्ना खरीदने के भाव 1991-92 में 26 रुपये थे जो 1992-93 में 31 रुपये, 1993-94 में 34.5 रुपये तथा 1994-95 में 39 रुपये निर्धारित किये गए। वर्ष 1994-95 में गत वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत वृद्धि की गई। देश में चीनी की आपूर्ति के अभाव है, इस कारण चीनी के मूल्य उच्चरचन की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 1995-96 में चीनी के उत्पादन में हुई वृद्धि को देखकर यदि यथायक चीनी की आपूर्ति बढ़ा दी जाती तो चीनी की कीमतें काफी गिर सकती थी जिसका भय चीनी उद्योग को होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति का तात्कालिक समाधान है, चीनी की उत्पादन लागत कम कर निर्यात में वृद्धि करना। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए आपूर्ति में वृद्धि कर कीमतों को कुछ कम किया जाना चाहिए।

2 गन्ने की खराब किस्म (Low Quality of Sugarcane) - भारत गन्ने का बड़ा उत्पादक देश है। किन्तु उत्पादित गन्ने की किस्म घटिया है। गन्ने में चीनी की मात्रा कम होती है। गन्ने में चीनी की मात्रा कम होने के कारण चीनी की उत्पादन लागत अधिक बैठती है। उत्तरी भारत में उत्पादित गन्ने में चीनी की मात्रा काफी कम है। दक्षिणी भारत में उत्पादित गन्ने में अवश्य चीनी की मात्रा अधिक है। सारत भारत के गन्ने में चीनी की मात्रा अन्य देशों की तुलना में कम है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके गन्ने में चीनी का मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

3 अनार्थिक इकाइयाँ (Uneconomic Units) - योजनाबद्ध विकास में चीनी मिलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। किन्तु अनेक इकाइयाँ आर्थिक हैं। चीनी उद्योग में छोटे पैमाने की इकाइयाँ अधिक होने के कारण उत्पादन लागत अधिक आती है तथा पैमाने की बचते भी कम प्राप्त होती है। चीनी मिलों की न केवल उत्पादन क्षमता कम है अपितु मिलों में चीनी का उत्पादन भी काफी कम है। इस कारण चीनी उद्योग अनार्थिक इकाइयों की समस्या से ग्रसित है। अनार्थिक इकाइयों की समस्या से निपटने के लिए चीनी मिलों की मात्रा घटाने की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा अनार्थिक इकाइयों का आर्थिक इकाइयों के साथ विलीनीकरण किया जा सकता है।

4 गुड एव खाडसारी उद्योग से प्रतिस्पर्धा (Competition with Gud Industry) - भारत में गाव-गाव में गुड एव खाडसारी उद्योग की छोटी-छोटी इकाइयाँ हैं। गुड एव खाडसारी उद्योग में गन्ने का प्रयोग किए जाने से चीनी मिलों के लिए गन्ने का सकट उत्पन्न हो जाता है। गुड एव खाडसारी की भाग बढ़ने से चीनी की खपत घटती है। गुड खाडसारी और चीनी उद्योग में परस्पर सामंजस्य और समन्वय अपनाकर प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सकता है।

5 कच्चे माल की समस्या (Problem of Raw Material) - गन्ना चीनी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। देश में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी कम है। भारत में गन्ने का 60 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य गन्ना उत्पादक राष्ट्रों की तुलना में कम है। भारत में गन्ना उत्पादन में भारी उच्चावचन है। गन्ने का उत्पादन कम हो जाने से चीनी मिलों के सामने कच्चे माल की समस्या मुखर हो जाती है। गौरतलब है वर्ष 1993-94 में गन्ने का उत्पादन 2 271 लाख टन रह जाने से चीनी का उत्पादन केवल 98.33 लाख टन हो सका और भारत को 20 लाख टन चीनी का आयात करना पड़ा। देश में गन्ने का फसल क्षेत्र तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाकर कच्चे माल की समस्या से निपटा जा सकता है।

6 अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग की समस्या (Problem of Use of Bye Products) - चीनी मिलों में गन्ने को उपयोग में लेने के बाद अपशिष्ट पदार्थ यथा खोई (Bagasse) शीरा (Molasses) तलछट (Pressmud) तथा बन्द्रेस आदि बच जाते हैं। चीनी मिलों के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके चीनी की उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है तथा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि

सभव है। मोलासिस से शराब, स्पिट, अल्कोहल की औद्योगिक इकाइया स्थापित की जा सकती हैं। छिलके से कागज, पैकिंग सामग्री, ब्लाटिंग पेपर तथा तलछट से बूट पालिश, कार्बन पेपर, अखबारों के लिए स्याही बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

7 निर्यात में कमी (Lack of Export) – देश में चीनी का उत्पादन कम है तथा माग अधिक है इसलिए निर्यात के लिए चीनी का अभाव रहता है। इसके अलावा भारतीय चीनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में भी नहीं टिक पाती इसका कारण चीनी की उत्पादन लागत अधिक तथा किस्म घटिया हैं। वर्ष 1994-95 में 63 हजार टन चीनी का निर्यात किया गया। चीनी निर्यात में वृद्धि के लिए उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन लागत में कमी तथा किस्म सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए।

8 प्रति व्यक्ति कम खपत (Per Capita Low Consumption) – भारत में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत विकसित देशों की तुलना में कम है। विगत वर्षों में चीनी की खपत में अवश्य वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत केवल 3 किलोग्राम थी जो बढ़कर 1960-61 में 5 किग्रा, 1970-71 में 7.3 किग्रा 1980-81 में 7.2 किग्रा हो गई। चीनी की प्रति व्यक्ति खपत 1989-90 में 13.6 किग्रा थी। इसके विपरीत यूरोपीय देशों में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत 40 किग्रा है। अब देश में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ चीनी उपभोग में वृद्धि हो रही है। भविष्य में अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी।

9 आधुनिकीकरण की समस्या (Problem of Modernisation) – भारत की अधिकांश चीनी मिलें पुरानी हैं। सयंत्र उपकरण पुराने पड़ चुके हैं। चीनी मिलों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में चीनी मिलों के सम्पूर्ण प्लांट देश में ही निर्माण किए जा रहे हैं तथा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अतः पुरानी चीनी मिलों को लाभ उठाना चाहिए।

10 राजकीय नियंत्रण (Government Control) – चीनी उद्योग पर दोहरी मूल्य नीति लागू है। चीनी आंशिक रूप से नियंत्रण से मुक्त है। चीनी उद्योग को 55 प्रतिशत उत्पादन खुले बाजार में बेचने की छूट है। खुले बाजार में चीनी का विक्रय स्वतंत्र है। भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण के दौर में 1996 तक चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त नहीं किया। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात के लिए "भारतीय चीनी उद्योग निर्यात निगम" को नामजद किया है।

बदलते आर्थिक परिवेश में चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करने की आवश्यकता है। चीनी उद्योग पर लाइसेंस समाप्त करने से चीनी मिलों की सख्या में वृद्धि स्वाभाविक है तथा उद्योग का विकेन्द्रीयकरण भी होगा। चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार सीधे चीनी के निर्यात को छूट देने की स्थिति में होगी।

सरकार को चीनी के सबध में एक ऐसी युक्तिरगत नीति अमल में लानी चाहिए जिससे चीनी उद्योग में हो रहे घाटे को पाटा जा सके, निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सके व उपभोक्ताओं को घरेलू बाजार में चीनी बाजिब दामों पर मुहैया हो सके ताकि देश चीनी उत्पादन और चीनी के निर्यात में सिरमौर बन सके।

सन्दर्भ

- 1 *The Hindu Survey of Indian Industry*, 1994, p 259
- 2 भारत वार्षिक सन्दर्भ, 1994, पृष्ठ 519
- 3 योजना, सितम्बर 1996, पृ 8
- 4 उद्योग व्यापार पत्रिका, फरवरी 1996 पृ 43
- 5 उद्योग व्यापार पत्रिका, जुलाई 1996 पृ 11
- 6 भारत 1994, पृ 515
- 7 ओ पी शर्मा, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, 1996 पृ 174
- 8 राजस्थान पत्रिका, 2 दिसम्बर, 1996

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत उद्योगों का महत्त्व बताइए।
- 2 लोहा एव इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति बताइए।
- 3 लोहा एव इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
- 4 चीनी उद्योग की प्रगति स्पष्ट कीजिए।
- 5 सूती वस्त्र उद्योग का महत्त्व बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में लोहा एव इस्पात उद्योगों का महत्त्व और विकास बताइए तथा लोहा एव इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं।
- 2 भारत में सीमेन्ट उद्योग की वर्तमान स्थिति और उसकी समस्याओं का वर्णन कीजिए।
- 3 भारत में सूती वस्त्र उद्योग की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए इस उद्योग की समस्याएँ तथा समाधान के सुझाव बताइए।
- 4 जूट उद्योग की प्रगति और महत्त्व का वर्णन कीजिए।
- 5 भारत में चीनी उद्योग के महत्त्व और विकास की विवेचना कीजिए तथा उदायी प्रमुख समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाइये।

(संकेत - सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए प्रश्नों में पूछे गए शीर्षकों के अनुसार संबंधित उद्योग का महत्त्व, विकास, वर्तमान स्थिति, समस्याएँ और समाधान को लिखिए।)

भारत में लघु उद्योगों का महत्त्व एवं विकास

(Importance and Development of Small Scale Industries in India)

लघु उद्योगों का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में वित्तीय ससाधनों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी परियोजनाओं में धन का विनियोग किया जाना चाहिए जो सीमित ससाधनों से प्राप्त की जा सकें तथा रोजगार को बढ़ाने वाली एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली हो। इस दृष्टि से लघु उद्योगों का अधिकाधिक विकास सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लघु उद्योगों के विकास से उत्पाद की माग तथा पूर्ति में अंतराल को कम करके मुद्रास्फीति को बड़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। कम पूँजी से लघु उद्योगों की स्थापना कर अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराना सभव है।

भारत अतीत से एक कृषि प्रधान राष्ट्र होने के साथ प्रतिष्ठित औद्योगिक राष्ट्र भी रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में अतीत से ही भारत के लघु उद्योगों की पृथक् पहचान रही है। लघु उद्योग इस स्थिति में नहीं होते कि बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके बावजूद इन उद्योगों में स्वतंत्रता उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में उत्पादन, नियोजन तथा निर्यात के क्षेत्र में लघु उद्योगों की प्रासंगिकता बढ़ी है।

लघु उद्योगों की परिभाषा और वर्गीकरण

(Definition and Classification of Small Scale Industries)

आधुनिक लघु उद्योगों और असंगठित क्षेत्र के परम्परागत उद्योगों को ग्राम तथा लघु उद्योगों के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र को आठ उपक्षेत्रों में बाटा गया है। लघु उद्योगों और विद्युतचालित करघा को आधुनिक लघु उद्योगों की श्रेणी में तथा खादी व ग्राम उद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प और नारियल के रेशे से संबंधित धन्नों का परम्परागत उद्योगों की श्रेणी

में रखा गया है। पूँजी निवेश और श्रमिकों की संख्या के आधार पर लघु उद्योगों की परिभाषा समय-समय पर परिवर्तित की जाती रही है। लघु उद्योगों की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इनके लिए पहली बार अगस्त 1991 में पृथक से औद्योगिक नीति की घोषणा की।

1977 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को तीन भागों में विभक्त किया गया अतिलघु क्षेत्र (टिनी सेक्टर) में ऐसी लघु उद्योग इकाई सम्मिलित की गई जिसमें प्लाट एवं मशीनरी में एक लाख रुपये से कम विनियोग हो तथा 1971 की जनगणना के अनुसार 50 हजार से कम आबादी वाले वस्त्रों में स्थापित हो। लघु उद्योग में ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ सम्मिलित की गईं जिनमें प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा 10 लाख रुपये तक हो तथा सहायक उद्योगों में प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा 15 लाख रुपये तक निर्धारित की गई।

औद्योगिक नीति 1980 में लघु उद्योग इकाईयों की प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा बढ़ा दी गई। अतिलघु क्षेत्र में प्लाट व मशीनरी में विनियोग सीमा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दी गई। लघु उद्योग में प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। सहायक उद्योगों में प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई।

लघु उद्योगों की नई परिभाषा - भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 1991 को घोषित लघु उद्योग नीति में लघु इकाईयों की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन किया है।

अतिलघु क्षेत्र (Tiny Sector) - अतिलघु क्षेत्र में प्लाट एवं मशीनरी में पूँजी निवेश सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई।

लघु उद्योग (Small Industry) - लघु उद्योग में प्लाट एवं मशीनरी में पूँजी निवेश सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई।

सहायक और निर्यातन्मुखी इकाईयाँ (Ancillary and Export Oriented Industries) - सहायक और निर्यातन्मुखी इकाईयों में प्लाट एवं मशीनरी में निवेश सीमा 75-75 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई।

लघु उद्योग की निवेश सीमा में वृद्धि (Increase in Investment Limit of Small Industries)

7 फरवरी 1997 को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के द्वारा लघु उद्योग निवेश की मौजूदा 60 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 300 लाख रुपये कर दिया गया। निवेश चाहे खरीददार लीज या हायर परचेज के रूप में हो। सयंत्र या मशीनरी नयी या पुरानी कोई भी हो सकती है। बड़ी सीमा निर्यातन्मुखी इकाईयों पर भी लागू होगी। घरेलू इकाईयों में निवेश सीमा का पाच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। लघु उद्योग की परिभाषा

में वे सभी उद्योग आते हैं जो धारा 3 (जे) उद्योग (विकास और नियमन) एक्ट 1951 के अन्तर्गत लघु उद्योग के रूप में पंजीकरण के लिए हकदार हैं।

केन्द्र सरकार ने 29 अप्रैल, 1998 को लघु उद्योगों को संरक्षण देने के प्रयास में लघु उद्योगों में निवेश की सीमा तीन करोड़ रुपये से घटाकर एक करोड़ रुपये कर दी। केन्द्र सरकार ने आबिद हुसैन समिति द्वारा प्रस्तावित लघु उद्योगों के उत्पादनों को आरक्षण मुक्त करने से इन्कार कर दिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका

(Role of Small Scale Industries in Indian Economy)

योजनाबद्ध विकास के पांच दशक के बाद भी भारत में अनेक समस्याएँ मुहंवाएँ खड़ी हैं। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय असंतुलन आदि समस्याएँ प्रमुख हैं। लघु उद्योग का विकास इन समस्याओं के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का अतीत लघु उद्योगों की दृष्टि से गौरवपूर्ण रहा है। लघु उद्योगों के उत्पाद की व्यापक मांग थी। लघु उद्योगों के विकास के कारण चहुँओर खुशहाली थी, किन्तु गुलामी के दिनों में ब्रिटिश सरकार की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण लघु उद्योगों का पतन हुआ। स्वातन्त्र्योत्तर लघु उद्योगों की बढ़ती उत्पादेयता के कारण सरकार ने इनके विकास पर विशेष बल दिया। लघु उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणाएँ की गईं। इनमें लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या में वृद्धि, राजकीय खरीद में लघु उद्योगों के उत्पाद को प्राथमिकता, ब्याज व करों में राहत, कच्चा माल मुहैया कराना आदि मुख्य हैं। इसके अलावा सरकार ने लघु उद्योगों को बिक्री का भुगतान 30 दिन के अन्दर नहीं मिलने पर ब्याज पाने का अधिकार दिया गया है। नतीजतन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लघु उद्योगों की महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

भारत में लघु उद्योगों की व्यापक भूमिका है। लघु उद्योगों में कम पूँजी लागत पर वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा स्वदेशी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय कौशल का उपयोग होता है तथा बड़े शहरों की ओर श्रमिकों का पलायन रूढ़ता है। इसके अलावा लघु उद्योग इकाइयों का संचालन मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा किया जाता है। भारत की आर्थिक परिस्थितियों में लघु उद्योगों का विकास सर्वथा उपयुक्त है।

लघु उद्योगों की भूमिका

वर्ष	इकाइयों (लाख संख्या)	उत्पादन (करोड़ रुपए)		रोजगार (लाख संख्या)	निर्यात (करोड़ रुपए)
		घातू मूल्यों पर			
1991-92	20 82 (6 88)	178699 (15 04)	129 33 (3 59)	13883 (43 66)	
1992-93	22 46 (7 80)	209300 (17 12)	134 06 (3 28)	17885 (28 10)	
1993-94	23 84 (6 14)	241648 (15 46)	139 38 (3 97)	25307 (42 30)	
1994-95	25 71 (7 84)	243990 (21 76)	146 56 (5 15)	29068 (14 9)	
1995-96	27 24 (6 0)	356213 (21 2)	152 61 (4 1)	36470 (25 5)	
1996-97	28 57 (4 9)	412636 (15 8)	160 00 (4 8)	39249 (7 6)	
1997-98	30 14 (5 5)	465171 (12 7)	167 20 (4 5)	43946 (12 0)	
1998-99	31 21 (3 6)	527515 (13 4)	171 58 (2 6)	49481 (11 4)	

P - Provisional Figures in parenthesis denote growth over previous year

Source 1 *The Hindu Survey of Indian Industry*, 1996, p 415

2 *Indian Economic Survey 1998-99*, p 110, 1999-2000

1 उत्पादन (Production) - लघु उद्योगों के विकास के राजकीय प्रयासों की सुधद परिणति उत्पादन में वृद्धि के रूप में दृष्टिगोचर हुई। घातू मूल्यों पर लघु उद्योगों का उत्पादन 1973-74 में 7,200 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1980-81 में 28 060 करोड़ रुपए 1985-86 में 61,228 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 1,55,340 करोड़ रुपए हो गया। लघु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि औरत वार्षिक दर 1973-74 से 1980-81 के बीच 21.4 प्रतिशत तथा 1980-81 से 1991-92 के बीच 18.3 प्रतिशत रही। भारत में 1991-92 में आर्थिक सुधारों को लागू किए जाने के बाद लघु उद्योगों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। लघु उद्योगों के उत्पादन में बड़े उद्योगों के उत्पादन की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई। घातू मूल्यों पर लघु उद्योगों का उत्पादन 1992-93 में 2,09,300 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1993-94 में 2 41,648 करोड़ रुपए तथा 1997-98

में और बढ़कर 4,65,171 करोड़ रुपए हो गया। लघु उद्योगों के उत्पादन में 1997-98 में गत वर्ष की तुलना में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्थिर मूल्यों पर लघु उद्योगों का उत्पादन 1991-92 में 1,60,156 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1993-94 में 1,81,133 करोड़ रुपए तथा 1994-95 में 1,99,029 करोड़ रुपए हो गया। वर्तमान में देश के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत लघु उद्योगों द्वारा होता है।

2 रोजगार (Employment) - लघु उद्योगों में लाखों की तादाद में देशवासियों को रोजगार मिला हुआ है। भारत श्रम बहुल वाला देश है तथा यहाँ पूँजी का अभाव है। लघु उद्योगों की स्थापना कम पूँजी से की जा सकती है। लघु उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक लागू होने के कारण अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लघु उद्योगों में 1973-74 में 39.7 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था जिनकी संख्या बढ़कर 1980-81 में 71 लाख, 1985-86 में 96 लाख तथा 1990-91 में 125 लाख हो गई। लघु उद्योगों में रोजगार में चक्रवृद्धि औसत वार्षिक दर 1973-74 से 1980-81 के बीच 8.7 प्रतिशत तथा 1980-81 से 1991-92 के बीच 5.5 प्रतिशत थी। बाद के वर्षों में भी लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 1991-92 में 129 लाख, 1992-93 में 134 लाख, 1993-94 में 139 लाख तथा 1997-98 में 167 लाख थी। रोजगार के अवसरों में 1997-98 में गत वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3 निर्यात (Export) - लघु उद्योग क्षेत्र की निर्यात व्यापार में भी भूमिका बढ़ी है। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ आरक्षित हैं तथा लघु उद्योगों का उत्पाद किस्म और कीमत की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में है। हाल ही के वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत से लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात 1973-74 में 393 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1980-81 में 1,643 करोड़ रुपए, 1985-86 में 2,769 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 9,763 करोड़ रुपए हो गया। लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात में चक्रवृद्धि औसत वार्षिक दर 1973-74 से 1980-81 तक 22.6 तथा 1980-81 से 1991-92 तक 20.4 प्रतिशत थी। वर्ष 1997-98 में लघु उद्योग क्षेत्र से 43,946 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ।

भारत के कुल निर्यात व्यापार में लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात की भूमिका बढ़ी है।

भारत के कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान 1980-81 में 24.48 प्रतिशत था जो बढ़कर 1985-86 में 25.41 प्रतिशत, 1990-91 में 30 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993-94 में लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात 25,307 करोड़ रुपए था जो भारत के कुल निर्यात का 36.28 प्रतिशत था। वर्ष 1997-98 में लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात 43,946 करोड़ रुपए था जो भारत के निर्यात का 34.8

प्रतिशत था।

लघु उद्योग क्षेत्र की कुल निर्यात में भूमिका
(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल निर्यात	लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात	कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत
1980-81	6711	1643	24.48
1985-86	10895	2769	25.41
1990-91	32553	9763	30.00
1991-92	44041	13883	31.52
1992-93	53668	17785	33.14
1993-94	69751	25307	36.28
1994-95	82674	29068	35.16
1995-96	106353	36470	34.29
1996-97	118817	39249	33.03
1997-98	126286	43946	34.80
1998-99 (प्रा.)	141604	49481	34.94

Source: *Economic Survey, 1995-96, 1998-99, 1999-2000 The Hindu Survey of Indian Industry, 1996 and others*

4 लघु उद्योग उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि दर (Growth Rate of Small Scale Industries Production) - लघु उद्योगों में उत्पादन वृद्धि पर औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि की तुलना में अधिक रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991-92 में खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट से ग्रस्त थी। औद्योगिक उत्पादन पर खाड़ी युद्ध का विपरीत प्रभाव पड़ा। वर्ष 1991-92 में लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 31 प्रतिशत थी जबकि औद्योगिक विकास दर 0.6 प्रतिशत से अधिक थी। लघु उद्योग क्षेत्र वृद्धि दर 1993-94 में 71 प्रतिशत थी। जबकि औद्योगिक विकास की दर केवल 4.1 प्रतिशत ही थी। 1994-95 में लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 9.88 प्रतिशत (अंतिम) तथा औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी।

5 औद्योगिक उत्पादन में योगदान (Contribution in Industrial Outputs) - आठवें दशक के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र एक प्रगतिशील और अर्थव्यवस्था के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में सामने आया है। सातवीं योजना के अंत में निर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग लघु उद्योग क्षेत्र का रहा है। कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का योगदान 1990-91 में 41 प्रतिशत, 1991-92 में 39 प्रतिशत, 1992-93 में 39.46 प्रतिशत तथा 1993-94 में 40.62 प्रतिशत रहा है।

6 सतुलित विकास (Balanced Development) — भारतीय अर्थव्यवस्था असतुलित विकास की समस्या से ग्रसित है। आज भी देश के अनेक राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। कृषि प्रधान क्षेत्रों में कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार है। आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में लघु उद्योगों का विकास कर पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करके कृषि कार्य में अधिक नियोजित श्रमिकों को लघु उद्योगों की ओर मोड़ा जा सकता है।

7 आर्थिक विषमता में कमी (Decrease in Economic Disparity) — आर्थिक विषमता को कम करने में लघु उद्योग सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों पर बड़े औद्योगिक घरानों की पकड़ होती है। लाभ का अधिकांश भाग बड़े उद्योगपति ही बटोर ले जाते हैं। लघु उद्योगों की स्थापना मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा की जा सकती है। लघु उद्योगों का लाभ अनेक व्यक्तियों में बँटता है। इन उद्योगों में स्वामियों की संख्या भी अधिक होती है। लघु उद्योगों के अधिकाधिक विकास से समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होता है।

8 राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) — युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र की निगाहें बड़े उद्योगों को नष्ट करने पर होती हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग देश भर में फैले होते हैं। शत्रु राष्ट्र द्वारा इन्हें नष्ट करना संभव नहीं होता। राष्ट्रीय सुरक्षा में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्त्व है।

9 कम पूँजी की आवश्यकता (Need of Low Capital) — भारत में वित्तीय संसाधनों का अभाव है। बहुसंख्यक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। लघु उद्योगों की स्थापना में अधिक पूँजी की आवश्यकता नहीं होती है। इन उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक प्रयुक्त होती है जो पूँजी प्रधान तकनीक की तुलना में सस्ती है। लघु उद्योगों में न्यूनतम पूँजी विनियोजन से अधिकतम उत्पादन और रोजगार वृद्धि संभव है।

10 सुगम संचालन (Easy Operations) — लघु एवं कुटीर उद्योगों की कार्यप्रणाली पैचीदगीपूर्ण नहीं होती है। इसके संचालन के लिए विशिष्ट तकनीक ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है। भारत के ग्रामीण परिवेश में शिक्षा व तकनीकी ज्ञान का नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में लघु उद्योगों का विकास आवश्यक है।

11 तकनीकी परिवर्तन (Technology Change) — आधारभूत उद्योगों में तकनोलाजी परिवर्तन एक पैचीदा कार्य है। कभी-कभी तो यह नियंत्रण से परे हो जाता है जिससे विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ अपरिहार्य हो जाती हैं। लघु उद्योगों में तकनोलॉजी पुरानी हो जाने पर उसे बदलने में कठिनाई नहीं होती है।

12 मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक (Helpful in Control on Money Inflation) — बड़े उद्योगों की निर्माण अवधि लम्बी होती है। उत्पाद और आपूर्ति

में अंतराल हासिल करने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी होती है। अनेक बार बड़ी परियोजनाओं का पलायन हो जाता है जिससे परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है। लघु उद्योगों की निर्माण अवधि कम होने के कारण उत्पादन शीघ्र होता है। लघु उद्योगों की स्थापना में निर्णय राजनीति से ओत-प्रोत नहीं होते। सामान्यतया लघु उद्योगों का पलायन नहीं होता है। शीघ्र उत्पादन के कारण लघु उद्योग मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक होते हैं।

13 औद्योगिक शांति (Industrial Peace) – बड़े उद्योगों में पूँजी तथा श्रम के मध्य संघर्ष के कारण आए दिन हड़ताल, तालेबंदी, घेराव आदि समस्याएँ मुहबएँ खड़ी हैं। लघु उद्योगों में पूँजी तथा श्रम के मध्य मधुर सम्बन्ध होने के कारण औद्योगिक अशांति की समस्या नहीं होती है। लघु उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम होने के कारण घबराहट सद्भावना बनी रहती है।

14 व्यक्तित्व विकास (Personality Development) – बड़े पैमाने के उद्योगों में सम्पूर्ण कार्य मशीनों के द्वारा होने के कारण श्रमिकों को व्यक्तित्व विकास का अवसर नहीं मिलता है। लघु उद्योगों के श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शन कर सकता है। कुटीर उद्योगों में विभिन्न उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन होता है।

15 अन्य महत्त्व (Other Importance) – लघु उद्योगों का अर्द्ध बेकारी निवारण कृषि क्षेत्र में सहायक धंधे के रूप में उपयोगी शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त आय के साधन बड़े उद्योगों के सहायक सामाजिक कल्याण आदि क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान है।

पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों का विकास

(Development of Small Scale Industries during Plan Period)

योजनाबद्ध विकास में लघु उद्योगों की महत्ता को स्वीकार किया गया। स्वातंत्र्योत्तर घोषित औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की गई जिससे परिणामस्वरूप योजनाकाल में लघु इकाइयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई।

भारत में 1950 में 16 000 लघु इकाइयाँ पंजीकृत थीं जो 1960-61 में बढ़कर 36 000 हो गईं। लघु स्तर उद्योगों के विकास आयुक्तों के अनुसार 1976-77 में लगभग 6 लाख लघु इकाइयाँ थीं जो 1979-80 में बढ़कर 8 लाख हो गईं। पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की दूसरी अखिल भारतीय गणना विकास आयुक्त (लघु उद्योग क्षेत्र) कार्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 1988 को देश में 5 लाख 82 हजार पंजीकृत इकाइयाँ थीं। पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की पहली गणना के 15 साल बाद वर्तमान गणना की गई। गणना रिपोर्ट में कुल 8 83 लाख इकाइयाँ शामिल की गई थी जिनमें से 3 01

लाख इकाइया किन्हीं कारणों से बढ़ पड़ी है। 202 लाख इकाइया लघु-उद्योग क्षेत्र के आरक्षित मदों का ही उत्पादन करती है। इन मदों का उत्पादन 11,926 करोड़ रुपये मूल्य का है जो कुल उत्पादन का लगभग 28 प्रतिशत है।

लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 1984-85 में 1242 लाख थी जो बढ़कर 1993-94 में 2384 लाख तथा 1994-95 में 2571 लाख हो गई। पिछले दशक में (1984-85 से 1994-95) लघु उद्योग इकाइयों की संख्या में दो गुना वृद्धि हुई। लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 1997-98 में 3014 लाख थी जो गत वर्ष की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) - लघु एवं ग्रामोद्योग पर पहली योजना में 42 करोड़ रुपये व्यय किए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक योजना परिव्यय का केवल 177 प्रतिशत था। योजना काल में लघु उद्योगों के विकास के सुझाव देने के लिए कर्वे समिति की स्थापना की गई। समिति की सिफारिशों को योजना काल में क्रियान्वित किया गया। इसके अलावा लघु उद्योगों के विकास के लिए फोर्ड फाउंडेशन संस्था के विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली गईं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) - द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। औद्योगीकरण के उन्नयन के वास्ते 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में सब्सिडी, विभेदक कर तथा बड़े उद्योगों के उत्पादन का कोटा निर्धारित कर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया गया। इस योजना में लघु एवं कुटीर उद्योग पर 187 करोड़ रुपये व्यय किए गए। योजना काल में 66 औद्योगिक बस्तियां (Industrial Estates) स्थापित की गईं जिनमें 1,000 लघु उद्योग इकाइया थीं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। सरकार ने योजना के आखिरी में (1960-61) लघु उद्योग से 6.5 करोड़ रुपये के माल का क्रय किया।

तृतीय योजना (1961-66) - योजना में लघु उद्योगों के विकास पर 425 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया, किन्तु वास्तविक व्यय 241 करोड़ रुपये हुआ। योजना में 300 औद्योगिक बस्तियों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया। राज्य वित्त निगमों की स्थापना तथा रिजर्व बैंक की गारंटी योजना प्रारम्भ की गई।

तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69) - वार्षिक योजनाओं में लघु एवं ग्रामोद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र में 13255 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

चतुर्थ योजना (1969-74) - योजना में लघु एवं ग्रामोद्योगों के विकास पर 293 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया, किन्तु वास्तविक व्यय 251 करोड़ रुपये हुआ। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा गैर सरकारी क्षेत्र का 560 करोड़ रुपये प्रस्तावित विनियोग था। योजनावधि में 147 औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईं। योजना में आधुनिक लघु उद्योग तथा परम्परागत लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

पाचवी योजना (1974-79) - इस योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गरीबी उन्मूलन में लघु एव कुटीर उद्योगों ने कारगर भूमिका निभाई। योजना में लघु एव ग्रामोद्योग पर 510 करोड़ रुपए व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सशोधित पाचवी योजना (1974-78) में लघु उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय 388 करोड़ रुपए था। निजी क्षेत्र का प्रस्तावित व्यय 1,050 करोड़ रुपए था।

छठी योजना (1980-85) - लघु एव ग्रामोद्योग का इस योजना में वास्तविक परिव्यय 1,952 करोड़ रुपए था। इस योजना में ग्रामीण, कुटीर एव लघु उद्योग के विकास पर कुल 1,780.5 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया था। छठी योजना में लघु उद्योग के लिए प्रावधान गत तीन दशकों में लघु उद्योग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक परिव्यय से अधिक था। सरकार ने इस योजना में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया। वर्ष 1984-85 में लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 12.42 लाख, रोजगार 90 लाख, उत्पादन वर्तमान मूल्यों पर 50,520 करोड़ रुपए तथा निर्यात 2,563 करोड़ रुपए था।

सातवी योजना (1985-90) - योजना में लघु एव ग्रामोद्योग के लिए कारीगरो की आय में वृद्धि, स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि, स्थानीय कौशल का विकास, प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि उद्देश्य निर्धारित किए गए। लघु उद्योगों के लिए 2,752.7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जो योजना परिव्यय का 15 प्रतिशत था। योजना काल में लघु उद्योग पर वास्तविक व्यय 3,249 करोड़ रुपए था।

सातवी योजना के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर 12.1 प्रतिशत, रोजगार वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत तथा निर्यात वृद्धि दर 26.6 प्रतिशत रही। योजनावधि में उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से आधुनिक लघु उद्योग तथा निर्यात की दृष्टि से पारम्परिक लघु उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। योजनावधि में आधुनिक उद्योगों की वृद्धि दर इस प्रकार रही - उत्पादन 12.4 प्रतिशत, रोजगार 6.1 प्रतिशत, निर्यात 26.5 प्रतिशत, तथा पारम्परिक उद्योग की वृद्धि दर इस प्रकार रही - उत्पादन 9.9 प्रतिशत, रोजगार 3.2 प्रतिशत, निर्यात 26.6 प्रतिशत।

आठवी योजना (1992-97) - लघु तथा ग्रामोद्योग पर 6,334.2 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो योजना परिव्यय का 1.46 प्रतिशत है।

वर्ष 1996-97 के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन का लक्ष्य 2,94,775 करोड़ रुपए, रोजगार लक्ष्य 533.7 लाख व्यक्ति तथा निर्यात लक्ष्य 50,215 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र उत्पादन में आधुनिक लघु उद्योग का योगदान 85.9 प्रतिशत है तथा पारम्परिक उद्योग के उत्पादन में हस्तशिल्प का योगदान 71.5 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र निर्यातित आय में हस्तशिल्प का प्रतिशत 55.6 तथा लघु स्तर उद्योग का 40.2 प्रतिशत है। लघु उद्योग क्षेत्र में

सर्वाधिक रोजगार के अवसर लघु स्तर उद्योग उपलब्ध कराता है। लघु स्तर उद्योग द्वारा 1996-97 में 1505 लाख व्यक्तियों को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। आठवीं योजना के आखिर में (1996-97) लघु उद्योगों की संख्या 2857 लाख, उत्पादन 4,65,171 करोड़ रुपये तथा निर्यात 39,249 करोड़ रुपये था। इन उद्योगों में 167 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था।

लघु उद्योग तथा राजकीय प्रयत्न (Small Scale Industries and Government Efforts)

भारत की अर्थव्यवस्था में अतीत से लघु उद्योगों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। लघु उद्योगों की महती भूमिका के कारण भारत लघु उद्योग के विकास के प्रति सचेष्ट था। किन्तु गुलामी की दीर्घावृद्धि में विदेशी सरकार की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण लघु उद्योगों का पतन हुआ। भारत में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में स्वदेशी आन्दोलन के गति पकड़ने के कारण स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम की लहर दौड़ी। स्वतंत्रता से पूर्व लघु उद्योगों के विकास वास्ते 1934 में ग्रामीण संस्थान, 1935 में प्रान्तों में उद्योग विभागों की स्थापना, 1935 में ही भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई। उद्योग विभागों को लघु उद्योगों के नियंत्रण तथा विकास का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1939 में राष्ट्रीय योजना समिति ने लघु उद्योगों की समस्याओं पर विचार किया। स्वतंत्रता से पूर्व गुलामी के कारण लघु उद्योगों के विकास के कारण प्रयास नहीं किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लघु उद्योगों के विकास की पहल की गई। भारत में स्वातन्त्र्योत्तर लघु उद्योगों के विकास वास्ते किए गए प्रयत्नों का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है -

1. निगमों तथा मंडलों की स्थापना (Establishment of Corporation and Boards) - भारत में लघु उद्योगों के विकास का दायित्व राज्य सरकारों का है फिर भी केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मंडलों तथा निगमों की स्थापना करके लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया है। केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित मंडलों और निगमों की स्थापना की है -

- (i) अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, 1998 (All India Cottage Industries Board) - इस बोर्ड की स्थापना 1948 तथा पुनर्गठन 1950 में किया गया। इस बोर्ड का कार्य लघु उद्योगों के विकास तथा संगठन के सबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना, बड़े एवं लघु उद्योगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वास्ते सुझाव देना, लघु उद्योगों के विकास सबंधी योजनाओं की जांच करके आवश्यक सुझाव देना तथा राज्य सरकारों की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करना है।
- (ii) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (Central Silk Board) - इस बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई। यह बोर्ड रेशम उद्योग की देखभाल तथा रेशम के कीड़े

पालने की व्यवस्था करता है।

- (iii) **अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (All India Handicraft Board), 1952** – इस बोर्ड की स्थापना नवम्बर, 1952 में की गई। बोर्ड दस्तकारी के उत्पादन तथा विपणन में सुधार का काम करता है इसके अलावा वस्तुओं की बिक्री के लिए केंद्रों की व्यवस्था करता है। बोर्ड पायलेट केंद्रों के संचालन का भी काम करता है। पायलेट केंद्रों में प्रशिक्षण, अन्वेषण व उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। बोर्ड द्वारा देश व विदेशों में प्रदर्शनिया आयोजित की जाती है। बोर्ड ने विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ भी प्राप्त की हैं। बोर्ड के प्रयासों से दस्तकारी उत्पादन में वृद्धि हुई है। दस्तकारी के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होने लगी है।
- (iv) **अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (All India Handloom Board), 1952** – हथकरघा बोर्ड की स्थापना अक्टूबर 1952 में की गई। बोर्ड हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता है। बोर्ड हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए सहकारिता पर जोर देता है। बोर्ड ने बुनकरों की सहकारी समितियाँ सगठित की हैं। हथकरघा बोर्ड में केंद्रीय बाजार सगठन हथकरघा उद्योगों की वस्तुओं के लिए प्रचार का कार्य करता है।
- (v) **अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (All India Khadi and Village Industries Board) 1953** – इस बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई। यह बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास वाले कार्य करता है। बोर्ड के कार्यक्षेत्र में खादी, तेल, साबुन, चावल, दियासलाई, गुड़, मधुमक्खी पालन आदि ग्रामोद्योग सम्मिलित हैं। बोर्ड ग्रामोद्योगों के विकास वाले योजनाएँ निर्मित करना तथा आवश्यक व्यवस्था करना आदि कार्य भी करता है। देश के सभी राज्यों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर स्थापित बोर्डों के अन्तर्गत वैयक्तिक और सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं।
- (vi) **नारियल जटा बोर्ड (Coconut Hair Board)** – नारियल जटा बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई। बोर्ड का कार्य नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं का प्रचार तथा उन्नति का कार्य करना है। बोर्ड का केरल में अनुसंधान संस्था कार्यरत है।

2 लघु उद्योगों को आर्थिक और ऋण सुविधाएँ (Economic and Loan Facilities for Small Industries) – लघु उद्योगों को आर्थिक और ऋण सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। विगत वर्षों में लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता की पूर्ति वाले निम्नांकित साधन बढ़ाये गए हैं –

- (i) **राजकीय सहायता (Government Help)** – लघु एवं कुटीर उद्योगों को सरकार के द्वारा राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण सुविधा

मुहैया की जाती है। पञ्चवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों को दी जाने वाली सहायता में निरन्तर वृद्धि हुई।

- (ii) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) – रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधा मुहैया कराने के लिए एक जुलाई 1960 से साख गारण्टी योजना चालू की। इस योजना में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऋण देने वाली संस्था परस्पर मिलकर जोखिम उठाती है। वर्तमान में यह योजना पूरे देश में लागू है। साख गारण्टी योजना में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चुनी हुई ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए गारण्टी देता है।
- (iii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) – यह बैंक 'पायलेट योजना' के द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता मुहैया करता है। पायलेट योजना स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में चालू है। इस योजना में ब्याज की रियायती दरों पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। स्टेट बैंक औद्योगिक विस्तार और नवीनीकरण वास्ते उद्योगों को मध्यावधि ऋण प्रदान करता है। वर्तमान में स्टेट बैंक की ऋण मुहैया कराने की शर्तें उदार हैं तथा ऋण का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया भी सरल है।
- (iv) राज्य वित्त निगम (State Financial Corporation) – राज्य वित्त निगमों की स्थापना विभिन्न राज्यों में 'राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951' के अन्तर्गत की गई। राज्य वित्त निगम लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। राज्य वित्त निगमों ने वर्ष 1987-88 में 941 करोड़ रुपये तथा 1996-97 में 2,678 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए।
- (v) व्यापारिक बैंक (Commercial Bank) – व्यापारिक बैंक लघु उद्योगों को सदा से ऋण देते आ रहे हैं किन्तु बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि हुई। लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन के कारण भी ऋण में विशेष प्रगति हुई।
- (vi) औद्योगिक सहकारी समितियाँ (Industrial Cooperative Societies) – औद्योगिक सहकारी समितियाँ ग्रामीण कारीगरों को सहायता देने वास्ते तथा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण मुहैया कराती हैं। इन समितियों की ऋण शर्तें आसान होती हैं। इस प्रकार की सहकारी समितियाँ हाथकरघा उद्योगों में अधिक प्रचलित हैं।
- (vii) औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank) – औद्योगिक विकास बैंक का एक अलग विभाग लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा लघु उद्योगों को ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित करता है।
- (viii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Scale Industries

Corporation) – राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना फरवरी 1955 में की गई। निगम लघु उद्योगों को किराते पर मशीन व कच्चा माल मुहैया कराकर सहायता करता है। इसके अलावा यह निगम लघु उद्योगों को विपणन में कच्चे माल की आपूर्ति में प्रशिक्षण सुविधा तथा वृहद् एवं लघु उद्योगों में समन्वय में सहायता करता है।

3 लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन (Change in the Meaning of Small Scale Industries) – वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों की निवेश सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई। संयुक्त मोर्चा सरकार ने लघु उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी। अप्रैल 1998 में केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों को संरक्षण देने के प्रयास में लघु उद्योगों में निवेश सीमा 3 करोड़ से घटाकर एक करोड़ रुपये कर दी।

4 आरक्षित वस्तुएं (Reserved Articles) – भारत में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले अनेक वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है। आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की संख्या में कमी की गई है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित 14 मदों को अनारक्षित कर दिया तथा वर्ष 1999 में भी केन्द्र सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची से 9 मदों को हटा दिया। इस प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की संख्या 836 से घटकर 813 रह गई है।

5 जिला उद्योग केन्द्र (District Industrial Centre) – भारत में जनता सरकार द्वारा 1977 की औद्योगिक नीति में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिला स्तर पर औद्योगिक विकास का दायित्व जिला उद्योग केन्द्रों का होता है। जिला उद्योग केन्द्रों का मुख्य कार्य लघु उद्योगों को विभिन्न समस्याओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सहायताओं को एक स्थान पर प्रदान करना है। लघु उद्योग मुख्यतः कच्चे माल का सर्वेक्षण व उपलब्धि आर्थिक सहायता तथा किरम सुधार के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

6 औद्योगिक बस्तियां (Industrial Estates) – केन्द्र सरकार औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए प्रांतीय सरकारों को ऋण देती है। लघु उद्योगों के विकास के लिए देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है। भारत में प्रथम औद्योगिक बस्ती की स्थापना जनवरी 1955 में सौराष्ट्र के भतिनगर में की गई। वर्तमान में भारत में लगभग 700 औद्योगिक बस्तियां कार्यरत हैं।

7 विपणन सुविधा (Marketing Facility) – सरकार ने लघु उद्योगों के उत्पादों के विक्रय के लिए अनेक कदम उठाये हैं। कर्ब समिति की सिफारिश के

आधार पर देश के विभिन्न भागों में सहकारी विपणन समितियाँ और विपणन सघों की स्थापना की गई। अप्रैल 1949 में केन्द्र सरकार ने "केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम" की स्थापना की। यह एम्पोरियम देश और विदेश में कुटीर उद्योगों के उत्पादों के विपणन में सहायता देता है। देश के विभिन्न राज्यों में भी एम्पोरियम स्थापित किए जाने से लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन में सहायता मिली है।

8 प्रशिक्षण सुविधा (Training Facility) – सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराती है। राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों को प्रशिक्षण सुविधाएँ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा प्रदान की जाती हैं। राजस्थान में लघु उद्योगों को प्रशिक्षण सुविधा राजकोट, जिला उद्योग केन्द्र तथा राजस्थान राज्य उद्योग केन्द्र प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराते हैं।

9. प्राविधिकी सहायता (Mechanical Help) – सरकार लघु उद्योगों को प्राविधिकी सहायता प्रदान करती है। विगत वर्षों में लघु उद्योगों को दी जाने वाली प्राविधिकी सहायता में काफी प्रगति हुई है। सरकार द्वारा लघु उद्योगों को प्राविधिकी सहायता निम्न प्रकार दी जाती है –

- (i) औद्योगिक विस्तार सेवा (Industrial Detailed Services) – औद्योगिक विस्तार सेवा का आयोजन लघु उद्योगों को प्राविधिकी सहायता के लिए किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग शालाएँ तथा प्रादेशिक सेवा शालाएँ स्थापित की गई हैं।
- (ii) फोर्ड फाउण्डेशन (Ford Foundation) – इसकी सहायता से भारतीय विशेषज्ञ विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं तथा प्राविधिकी सलाह के विदेशी विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते हैं।
- (iii) औद्योगिक प्रसारण केन्द्र (Industrial Extension Services) – ये केन्द्र उद्योगों को प्राविधिकी सुविधाएँ मुहैया कराते हैं।
- (iv) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन (Central Small Industries Organisation) – इसके द्वारा नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस संगठन ने लघु उद्योगों को विभिन्न औद्योगिक कार्यों के लिए दर्कशाप और माल की जाच के लिए प्रयोगशाला की सुविधाएँ देने का प्रबन्ध किया है।
- (v) लघु उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए टैक्नालॉजी विकास एवं आधुनिकीकरण कोष योजना प्रारम्भ की गई है।
- (vi) सामुदायिक विकास खण्डों तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्रों के विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे अपने क्षेत्र में उद्योगों का विकास कर सकें।

10 प्रचार और प्रदर्शनियाँ (Propaganda and Exhibition) – सरकार और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा लघु उद्योगों के प्रचार के लिए विभिन्न पत्रिकाओं तथा

लघु उद्योग समाचार उद्योग व्यापार पत्रिका आदि का प्रकाशन किया जाता है। इसके अलावा प्रदर्शनियों के आयोजन से लोगों को लघु उद्योगों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

11 पुरस्कार (Prizes) — लघु उद्योग क्षेत्र में कारगर भूमिका निभाने वाले उद्यमियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है।

इस प्रकार सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। लघु उद्योगों को सहायता और सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की नीति का मूलधार है।

लघु उद्योगों की समस्याएं

(Problems of Small Scale Industries)

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की महत्त्वपूर्ण उपादेयता और योजनाबद्ध विकास में लघु तथा ग्रामोद्योग का तेजी से विकास के बावजूद यह क्षेत्र समस्याओं से अछूता नहीं है। सरकार ने नियोजन काल में लघु उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं और उत्प्रेरणाएं मुहैया कराई हैं। वर्तमान में लघु उद्योगों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

1 बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा (Competition with Large Scale Industries) — भारत के लघु उद्योग बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं है। बड़े उद्योगों की भांति लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ नहीं मिल पाते हैं और न ही लघु उद्योगों के पास वित्तीय ससाधनों की बहुलता होती है। प्रचार-प्रसार के मामले में भी ये बड़े उद्योगों से पिछड़ जाते हैं। भारत में जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों में होता है उनमें से अनेक का उत्पादन बड़े उद्योगों में भी होता है। नई औद्योगिक नीति (1991) में लघु उद्योगों की अंश पूंजी में बड़े उद्योगों की अंश सहभागिता कर दी गई है जिनसे बड़े उद्योगों की लघु उद्योग में दखलदाजी बढ़ेगी।

2 अनार्थिक इकाइयों की समस्या (Problem of Uneconomical Units) — लघु उद्योग क्षेत्र में अनार्थिक इकाइयों की समस्या गंभीर है। हाल ही के वर्षों में अनार्थिक इकाइयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कुप्रबन्ध वित्त की कमी तथा विपणन की समस्या रूपगता का प्रमुख कारण है। दिसम्बर 1987 में 91.5 प्रतिशत लघु इकाइयां अनार्थिक इकाइयों की श्रेणी में थीं। 31 मार्च 1991 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों की गामावली में 2.24 लाख औद्योगिक इकाइयां ऋणग्रस्त थीं जिनमें 2.21 लाख से कुछ अधिक (99%) लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयां थीं। लघु उद्योग क्षेत्र पर 31 मार्च 1991 को 2,79,204 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था जो कुल बैंक ऋण व बकाया का 25.9 प्रतिशत था।

3 कच्चे माल की समस्या (Problem of Raw Material) — लघु उद्योग

असंगठित हैं। लघु उद्योगों को कच्चे माल के लिए स्थानीय उत्पादकों पर निर्भर रहना पड़ता है। कच्चे माल के बड़े स्थानीय उत्पादक ऊँची कीमतों पर कच्चे माल का विक्रय करते हैं तथा विक्रय के साथ उत्पादित माल को उन्हीं को कम कीमत पर बेचने को बाध्य कर देते हैं। कच्चे माल की पूर्ति यदि आयात द्वारा की जाती है तो लघु उद्योगों के लिए कठिनाई और अधिक हो जाती है। आयातित कोटे में लघु उद्योगों को कम भाग मिलता है तथा आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती। इन सब कारणों से लघु उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

4 वित्त का अभाव (Lack of Finance) — लघु उद्योगों के विकास में वित्त का अभाव प्रमुख बाधा है। इनके पास वित्तीय ससाधन सीमित होते हैं। ये उद्योग पूँजी बाजार से भी वित्तीय ससाधनों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लघु उद्योगियों की जोखिम पूँजी सीमित होने के कारण व्यापारिक बैंक लघु उद्योगों को ऋण सुविधा देने में रुचि नहीं लेते हैं। सरकारी सहायता भी पर्याप्त मात्रा में समय पर नहीं मिल पाती है। परिणामस्वरूप लघु उद्योगों को निजी सूत्रों से अधिक ब्याज दर वित्तीय साधन जुटाने होते हैं। यद्यपि नियोजन काल में वित्त व्यवस्था के काफी प्रयास किए गए हैं फिर भी लघु उद्योगों की आवश्यकतानुसार वित्त का अभाव है।

5 विपणन की समस्या (Problem of Marketing) — लघु उद्योगों के समक्ष उत्पादित माल को बेचने की प्रमुख समस्या है। इनके पारा भण्डारण व्यवस्था का अभाव होता है। लघु उद्योगी सामान्यतया माल को विचौलियों के माध्यम से बेचने को मजबूर है। लाभ का अधिकांश भाग विचौलिए हड़प जाते हैं। लघु उद्योगों के आकार के छोटे होने तथा वित्तीय ससाधनों के अभाव के कारण इन्हें बाजार दूढ़ने में कठिनाई होती है तथा अनेक बार विपणन में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। लघु उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं।

6 तकनीकी सुविधाओं का अभाव (Lack of Technical Facilities) — भारत के परम्परागत लघु उद्योगों में तकनीकी सुविधाओं का अभाव है तथा लघु स्तर उद्योग एवं विद्युत चालित करघे आधुनिकीकरण पर जोर नहीं देते हैं। इसके विपरीत जापान कोरिया आदि ऐसे देश हैं जहाँ के लघु उद्योगों का उत्पाद आधुनिकतमक तकनोलॉजी से सुसज्जित होता है। भारतीय लघु उद्योगी पुराने औजार और प्राचीन विधि को नहीं छोड़ पाते हैं।

7 विद्युत का अभाव (Lack of Electric) — देश में ऊर्जा का अभाव है। न केवल ग्रामीण क्षेत्र अपितु शहरी क्षेत्र भी विद्युत की अनियमित आपूर्ति से ग्रसित हैं। बड़े उद्योग विद्युत कटौती से पीड़ित हैं। पारम्परिक लघु उद्योग में सलग्न कारीगर ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं। लघु उद्योग ऊर्जा के अभाव में उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं।

8 यातायात समस्या (Problem of Transportation) — देश में शक्ति के साधनों की भाँति यातायात विकास भी नहीं हो सका है। ग्रामीण परिवेश में रेल सड़क वायु यातायात का अभाव है। यातायात के साधनों के अभाव में लघु उद्योगों

को निर्मित माल बाजारों तक पहुँचाने में तथा कच्चे माल को उद्योगों तक लाने में यातायात लागते अधिक बैठती हैं।

9 प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव (Lack of Training Facilities) — लघु उद्योगों में प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव है। लघु उद्योगों में सलग कारीगर अशिक्षित तथा रूढ़िवादी हैं। उनमें तकनीकी शिक्षा का तो नितांत अभाव है। नवीन उत्पादन विधियाँ आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि लघु सेवा सरकारों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। किन्तु दूर-दूर फैले लघु उद्योग प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ शहरी क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों तक सीमित है।

10 धीमी विकास गति (Slow Development) — लघु उद्योगों में विकास की गति धीमी है। लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि दर 1991-92 में केवल 3.1 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय आय में भी लघु उद्योगों का योगदान घटा है। वर्ष 1950-51 में राष्ट्रीय आय में लघु उद्योगों का प्रतिशत 8.80 था जो घटकर 1966-69 में 3 प्रतिशत ही रह गया। वर्तमान में लगभग 4 प्रतिशत है।

11 कर भार (Tax Burden) — भारत में कर प्रणाली जटिल है। लघु उद्योगी विशेषज्ञ नहीं होते हैं तथा वित्तीय सहायकों के अभाव में विशेषज्ञों की सेवाएँ नहीं ले पाते के कारण अनेक बार अधिक कर चुका देते हैं और बड़ी बार कर का भुगतान नहीं कर पाते हैं। स्थानीय करों में वृद्धि के कारण भी लघु उद्योगों की लाभदेयता प्रभावित हुई है।

12 अन्य समस्याएँ — लघु उद्योगों में संगठन का अभाव है। इनके विकास में श्रम सबंधी समस्याएँ भी आड़े आती हैं। उत्पादन की विराम में समय के बदलाव के साथ सुधार नहीं हो पाता है। सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में अष्टाचार गंभीर समस्या है।

लघु उद्योगों के विकास हेतु सुझाव

(Suggestions for Development of Small Scale Industries)

पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों के विकास के काफी प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद भी लघु उद्योगों के सामने कच्चे माल विपणन साख परिवहन उत्पादन तकनीकी कराधान बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा घटिया उत्पाद शक्ति के साधनों की कमी संगठन का अभाव तथा श्रम सबंधी आदि समस्याएँ हैं। हाल ही के वर्षों में लघु उद्योगों में आर्थिक इकाईयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों के विकास में ये ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें प्रयास के द्वारा दूर किया जा सकता है। अत्रांकित सुझाव लघु उद्योग की समस्याओं के समाधान में कारगर साबित हो सकते हैं।

1 आधुनिक तकनीक पर बल (Stress on Modern Techniques) — वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में किसी भी उत्पाद के बाजार में टिकने के लिए तीन चीजें

बेहद जरूरी है — अधुनाधन तकनोलॉजी, गुणवत्ता और उचित मूल्य। अतः लघु उद्योगों को समूचा ध्यान इस और केन्द्रित करना चाहिए। बिना अधुनातन तकनोलॉजी को आत्मसात किए उद्यमी अपने को खिताबी दौड़ में बनाए रखना ता दूर ट्रेक पर खड़े रहना भी दुर्लभ है। नवीन तकनीक को आत्मसात करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि यह हमारी परिस्थितियों के अनुरूप है या नहीं, अन्यथा हमें इच्छित परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी।¹

2 कच्चे माल की आपूर्ति (Supply of Raw Material) — कच्चे माल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उद्योगों के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। सरकार को लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के लिए स्टॉक आवश्यक है। कच्चे माल का अभाव होने पर आयात द्वारा पूर्ति की जानी चाहिए। आयातित कच्चे माल का लघु उद्योगों को आवश्यकतानुसार आबटन किया जाना चाहिए।

3 पर्याप्त वित्त व्यवस्था (Sufficient Finance Arrangement) — वित्त का अभाव लघु उद्योगों के विकास में प्रमुख बाधा है। लघु उद्यमियों को सेठ-साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए व्यापारिक बैंक तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा स्थिर और कार्यशील पूंजी के वास्ते उदार शर्तों और कम ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था में कारगर भूमिका निभा सकते हैं।

4 विपणन सुविधा (Marketing Facility) — सरकार लघु उद्यमियों के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे लघु उद्यमियों को उत्पाद विचालियों के माध्यम से विक्रय नहीं करना पड़े। लघु उद्योग उत्पाद की विदेशों में पर्याप्त मांग होती है। सरकार को उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था करनी चाहिए। देश में लघु उद्यमियों के उत्पाद के लिए विक्रय केन्द्र स्थापित किए जाएं। लघु उद्यमियों को साथ मिल कर प्रचार-प्रसार करना चाहिए। विक्रय के लिए सहकारी विपणन भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

5 बड़े उद्योगों से समन्वय (Co ordination with Large Scale Industry) — यद्यपि लघु उद्योगों के उत्पाद आरक्षित हैं फिर भी अनेक मामलों में लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। बड़े उद्योगों तथा लघु उद्योगों के बीच उत्पाद का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। प्रतिद्वन्द्विता की स्थिति में समन्वित कार्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। प्रयास ऐसे हैं कि बड़े एवं लघु उद्योग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर पूरक हों।

6 प्रशिक्षण सुविधा (Training Facilities) — लघु उद्योगों को तकनीकी और प्रबन्धकीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण परिवेश के लघु उद्यमी प्रशिक्षण सुविधाओं से वंचित हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं जिससे लघु उद्यमी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। शहरी क्षेत्रों में जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं उनमें अत्याधुनिक प्रबन्धकीय और तकनीकी प्रशिक्षण

सुविधाएँ हो। प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पोलीटेक्नीक महाविद्यालय प्रबन्ध पाठ्यक्रम आदि खोले जाने चाहिए।

7 औद्योगिक वस्तियों की स्थापना (Establishment of Industrial Estates) — देश में औद्योगिक वस्तियों की संख्या में अवरण बढ़ोतरी हुई है। किन्तु देश में औद्योगिक वस्तियों का अभाव आज भी बना हुआ है। औद्योगिक वस्तियों में महज संख्यात्मक वृद्धि हुई है। उन्में अद्य संरचनात्मक अभाव है। अतः लघु उद्योगों के तेज विकास के लिए औद्योगिक वस्तियों के विस्तार के साथ गुणात्मकता भी आवश्यक है। औद्योगिक वस्तियाँ विद्युत सड़क रेल, पानी, संचार आदि सुविधाओं से सुसज्जित हो।

8 कर छूट (Tax Exemption) — पैचीदगी पूर्ण कर प्रणाली को आसान किया जाना चाहिए। निर्यात-मुखी लघु इकाइयों को करों में छूट दी जानी चाहिए। स्थायी करों की मात्रा को भी कम किया जाना चाहिए।

9 संगठन (Organisations) — लघु उद्यमियों को संगठित होना चाहिए। संगठित लघु उद्यमी सरस्ते दामो पर कच्चे माल को क्रय कर सकते हैं तथा निर्मित माल बिना बिचौलिए के सीधे बाजार में विक्रय कर अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं।

पचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योग के विकास के प्रयास किए गए हैं। सरकार ने लघु उद्योगों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ और उत्प्रेरणएँ मुहैया कराई हैं। हाल ही के वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नीतिगत पहल की गई। खादी ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को लगातार महत्व दिया जा रहा है। आई आई डी एन एस आई सी और सिडबी योजनाओं के अन्तर्गत अति लघु क्षेत्र को व्यापक सहायता उपलब्ध करायी गई। व्यापार संधी उद्यमिता सहायता और विकास योजना पूर्णतया महिलाओं के लिए शुरू की गई तथा औद्योगिक समूह के लिए व्यापार योजना बनाई गई। राजकीय प्रयासों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादन रोजगार तथा निर्यात के क्षेत्र में लघु उद्योगों की भूमिका बढ़ी। आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बावजूद लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटी है। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की संख्या में कमी की गई है। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय बाजार में विदेशी उत्पादों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारतीय उत्पाद तुलनात्मक रूप से पिछड़े तकनीक के कारण विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करना बड़ी स्थिति में नहीं है। तीव्र प्रतिस्पर्धा में भारतीय उत्पादों के टिकने के लिए उद्यमियों और केन्द्र सरकार को प्रभावात्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। लघु उद्योगों के विकास में समस्याओं को प्रयास के द्वारा दूर किया जा सकता है। देश की माली हालत को देखते हुए लघु उद्योगों को प्राथमिकता देना सारगर्भित है। लघु उद्योगों के विकास से रोजगार सृजन संभव है। इसके अलावा लघु उद्योगों में शीघ्र उत्पादन से महंगाई भी कम होती है जिसका लाभ गरीबों को मिलता है। लघु उद्योगों की उपादेयता को दृष्टिगत

रखते हुए इन्हें 'स्माल सेक्टर' नहीं 'स्कोप सेक्टर' समझना होगा।

सन्दर्भ

- 1 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994 पृ 546
- 2 तथ्य भारती, जनवरी 1996
- 3 Eighth Five Year Plan, 1992-97
- 4 शर्मा ओ पी, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, पृ स 163
- 5 वही, पृ स 160

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 लघु उद्योगों की परिभाषा और वर्गीकरण बताइए।
- 2 अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
- 3 लघु उद्योगों के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- 4 लघु उद्योगों की क्या समस्याएँ हैं।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका का वर्णन कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए लघु उद्योगों की भूमिका को लिखिए।)
- 2 पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों की प्रगति बताइए तथा लघु उद्योगों के विकास में क्या बाधाएँ हैं।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गए पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों का विकास लिखना है तथा प्रश्न के दूसरे भाग में लघु उद्योगों के विकास की बाधाएँ लिखिए।)
- 3 लघु उद्योगों की क्या समस्याएँ हैं तथा इनके समाधान के सुझाव बताइए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई लघु उद्योगों की समस्याएँ तथा दूसरे भाग में समाधान के सुझाव लिखिए।)
- 4 भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्या महत्त्व है? सरकार ने इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या-क्या कार्य किये हैं।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्त्व लिखना है तथा द्वितीय भाग में लघु उद्योगों के विकास के राजकीय प्रयास देने हैं।)
- 5 भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्त्व बताइए। इन उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया है।
(संकेत - इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न 4 के संकेत के अनुसार देना है।)

भारत में औद्योगिक नीति तथा उसमें नवीन परिवर्तन

(Industrial Policy and Recent Changes in India)

औद्योगिक नीति का महत्व

(Importance of Industrial Policy)

औद्योगिक विकास देश विशेष की औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है। राष्ट्र का यह निर्धारित करना होता है कि औद्योगिक विकास का कौन सा दिशा देना चाहता है इसका लिए दिशा-निर्देश औद्योगिक नीति में समाहित होता है अतः देश की औद्योगिक नीति उन्हीं औद्योगिक विकास की आधारशिला समझी जाती है। वर्तमान बदलते आर्थिक परिदृश्य में तो औद्योगिक नीति की उपस्थिति और भी बढ़ गई है।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य

(Objectives of Industrial Policy)

स्वतंत्रता आगत भारत में घोषित औद्योगिक नीति के उद्देश्य लगभग समरूप रहे हैं। औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना होता है और औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक नीति द्वारा निर्देशित होता है। इसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो।

अत्युत्थित क्षेत्रीय विकास देश में जन जनताओं का बढ़ावा देता है। विदित है भारत में कुछ राज्य यथा गुजरात महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा मध्यप्रदेश आदि आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं जबकि राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार काफी पिछड़े हुए हैं। औद्योगिक नीति के द्वारा प्रायः सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाता है।

औद्योगिक नीति सतुलित आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। इससे उद्योग, कृषि तथा अर्थव्यवस्था के अन्य विविध क्षेत्रों का सतुलित विकास किया सकता है।

औद्योगिक नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र, निजी, सयुक्त एव सहकारी क्षेत्र का तेजी से विकास होता है, क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रों के अधिकार व दायित्वों का स्पष्ट विभाजन होता है। बड़े और लघु उद्योगों का क्षेत्र विभाजित कर इन्हें परस्पर प्रतिस्पर्धा होने से बचाया जा सकता है जिससे लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में फलने-फूलने का अवसर मिलता है। उपभोग वस्तु उद्योगों व पूंजी वस्तु उद्योगों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर सतुलन स्थापित किया जाता है।

औद्योगिक नीति के द्वारा ही विदेशी पूंजी व साहस की सहभागिता सुनिश्चित होती है। प्रायः भारत सरीखे विकासशील देशों में पूंजी के अभाव की पूर्ति विदेशी सहयोग द्वारा ही पूरी की जाती है।

भारत में औद्योगिक नीति (Industrial Policy of India)

स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज तक भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा अनेक बार की गई है। समुचित विश्लेषण के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

- 1 स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक नीति
- 2 औद्योगिक नीति, 1948
- 3 औद्योगिक नीति 1956
- 4 1977 में घोषित औद्योगिक नीति
- 5 औद्योगिक नीति, 1980
- 6 वर्तमान औद्योगिक नीति (अर्थात् जुलाई 1991 में घोषित नीति)

इनका संक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण निम्नलिखित है

स्वतंत्रता के पूर्व औद्योगिक नीति (Industrial Policy Prior to Independence)

भारत का अतीत औद्योगिक रूप से धनाढ्य रहा है। सूमचे विश्व में भारत 'सोने की चिड़िया' के नाम से सुविख्यात था। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की व्यापक मांग थी। स्वतंत्रता से पूर्व व्यापार सतुलन सदैव पक्ष में रहा। ढाका की मलमल तो विश्व में पृथक पहचान बनाए हुए थी। लघु, कुटीर एव हस्तशिल्प उद्योग दुनिया में अपना सानी नहीं रखते। हस्तशिल्प प्रागैतिहासिक काल से कलात्मक जगत में विख्यात था, यह रोजगारोन्मुख व धनोपार्जन का स्रोत ही नहीं अपितु दुनिया में कला और सांस्कृतिक वैभव की साक्षात् अभिव्यक्ति था। लोहे की गलाई और दुलाई में भारत काफी आगे बढ़ा हुआ था। दिल्ली के निकट स्थित लौह-स्तम्भ इसका ज्वलंत उदाहरण है।

अठारहवीं शताब्दी के अंत में भारत में औद्योगिक विकास के स्तर एव यहाँ

के लोगों की औद्योगिक दक्षता एवं प्राग्भित्ति की गुणवत्ता का मोटा अनुमान टी एच हल्लैण्ड की अध्यक्षता में नियुक्त भारतीय औद्योगिक आयोग के इस शब्दों से लगाया जा सकता है जिस समय पश्चिम यूरोप में जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान हैं अराभ्य जातियाँ विचार करती थीं उस समय भारत अपने शासकों के पैभव एवं अपने शिल्पकारों की उच्च तलापूर्णा विषयता के लिए विख्यात था। यही नहीं बल्कि काफी समय के बाद भी जब पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत में पहली बार आए तब भी देश का औद्योगिक विकास किसी भी रूप में यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में घटिया नहीं था। फुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों ने विकसित अतीत की दृष्टि से यह तथा भी उल्लेखनीय लगता है कि जिस समय मिस्र में पिरामिड बिल गी में जाक रहे थे आर्थिक विकास ने विराट दैत्य अपनी जगती अवस्था में थे भारत अपनी शिल्प और कला के लिए विश्वविख्यात था।

भारत की समृद्ध धरोहर पर विश्व के अनेक देशों की लालचभरी दृष्टि पड़ी। देश को विदेशी आक्रामताओं ने शोषण का शिकार होना पड़ा। अंग्रेज व्यापारी की हैसियत से यहाँ आए और कूटनीति से हमें गुलामी के शिक्जे में जकड़ लिया यही से भारत के औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई।

भारत में ब्रिटेन ने जिस आर्थिक नीति का पालन किया उसी की अभिव्यक्ति टियरों ने इस शब्दों में की हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धांत हो कि इंग्लैण्ड का बाग हुआ माल भारत में बेचा जाए जिससे उदले में भारतीय वस्तुएँ बेची जाएँ। अठारहवीं शताब्दी के अंत से परम्परागत उद्योगों का एक-एक करके खात्मा होने लगा। उद्योगों के उजड़ने की प्रक्रिया सूती वस्त्र उद्योग से प्रारम्भ होकर अन्य उद्योगों तक व्यापक हो गई। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रही। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र से वृषि प्रधान देश में परिवर्तित हो गया।

इंग्लैण्ड से राजनीतिक सबंध कायम होने तथा औद्योगिक क्रांति ने वारण भारत में पूजीगत उत्पाद की भरमार हो गई। हस्तशिल्प उद्योग के पतन से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति मशीन उत्पाद के द्वारा नहीं की गई क्योंकि ब्रिटिश नीति शोषण से ओत-प्रोत थी। उदात्त मुख्य ध्येय भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाना तथा यहाँ से उच्च मूल्य का निर्यात करना था। भारत से निर्यात किए गये कच्चे माल से ब्रिटेन में उद्योगों की स्थापना की गई। भारत से निर्यातित कच्चे माल से निर्मित माल को भारत में लाकर यहाँ के बाजारों को फाट दिया गया।

1918 के औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत में कुछ चुने हुए उद्योगों को विवेकवारी संरक्षण दिया गया। इस संरक्षण के साथ परमाणुगठित राष्ट्र कण्डित जुड़ी हुई थी। फिर भी कुछ उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र चीनी बागज दियासलाई और कुछ हद तक लोहा तथा इस्पात उद्योग ने प्रगति की। किन्तु ब्रिटिश शासकाल में पूजीगत-वस्तु उद्योगों के विकास का कोई प्रयास नहीं किया गया। भारत में औद्योगीकरण की सतत उपेक्षा की गई।

स्वातंत्र्य की पूर्ण राधा पर भारत में उद्योगों की स्थिति पर तजर डाली

जाए तो हम पाते हैं कि यहाँ के औद्योगीकरण के ढाँचे में लघु उद्योग इकाइयों की बाहुल्यता थी। प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार के अधिक विकसित नहीं होने से पूँजी की तीव्रता काफी कम थी। उपभोग वस्तु उद्योग और पूँजी वस्तु उद्योगों में भारी असंतुलन था।

साराशत ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगीकरण में कतई रुचि नहीं ली, इनके शासन में भारत का आर्थिक शोषण हुआ। इंग्लैंड ने भारत की अथाह प्राकृतिक संपदा का मनमाफिक दोहन किया और यहाँ के उत्पादों पर ब्रिटेन के औद्योगीकरण को त्वरित गति दी। इस तरह विद्वेषपूर्ण व्यवहार से जहाँ ब्रिटेन के औद्योगिक विकास को बल मिला वहीं भारत का औद्योगिक आधार लगभग टूट गया।

स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति (अर्थात् औद्योगिक नीति, 1948)

(First Industrial Policy of Independent India)

आजादी के बाद जो औद्योगिक विरासत हमें मिली, उस पर प्रगति विरोधी औद्योगिक नीति की स्पष्ट छाप थी। यह, जिस समय आजादी मिली, उस समय देश में औद्योगिक ढाँचे में लघु उद्योगों की बहुलता, पूँजी वस्तु उद्योगों की तुलना में उपभोग वस्तु उद्योगों की प्रधानता, पिछड़ी हुई कृषि, राष्ट्रीय आय में उद्योगों का कम योगदान, अधुनातन तकनीकों का अभाव आदि से स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्वतंत्रता—उपरांत देश की बागडोर भारतीयों के हाथों में थी, अब वे अर्थव्यवस्था को मनचाहा रूप देने को लिए स्वतंत्र थे।

गुलाम्मी के काल में क्षत-विक्षत हो चुके औद्योगिक वातावरण को स्वातन्त्र्योत्तर पुनरुत्थान के लिए 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री स्वर्गीय डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति का अहम उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित आर्थिक नियोजन का अनुसरण करना था। इसमें सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों को औद्योगिक विकास का अवसर प्रदान किया गया। उल्लेखनीय बात यह थी कि निजी क्षेत्र को देश की सामान्य औद्योगिक नीति के अधीन कार्य करना था।

1948 की औद्योगिक नीति की मुख्य बातें अप्राकृत थीं

उद्योगों का वर्गीकरण (Classification of Industries) . देश के बड़े उद्योगों को निम्न चार श्रेणियों में विभक्त किया गया

(क) प्रथम श्रेणी में अस्त्र-शस्त्र और युद्ध सामग्री का निर्माण, परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल परिवहन के स्वामित्व और प्रबंधन पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। इन उद्योगों के विस्तार एवं विकास का दायित्व सरकार का था।

(ख) दूसरे वर्ग में जिन उद्योगों को शामिल किया गया, वे थे कोयला, लोहा और इस्पात, वायुयान निर्माण, पोत-निर्माण, टेलीफोन निर्माण, तार और

बेतार, यत्र और खनिज तेल।

भविष्य में इन उद्योगों के अन्तर्गत केवल राज्य ही कारखाने खोल सकेगा। जहाँ तक उक्त उद्योगों के अन्तर्गत विद्यमान निजी उद्यम का प्रश्न है, राज्य सरकार किसी भी औद्योगिक इकाई को स्वामित्वाधीन कर सकेगी।

(ग) तीसरे वर्ग में 18 महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों को सम्मिलित किया गया जो उद्योगपतियाँ द्वारा सरकार के नियमन और नियंत्रण में चलाए जाएंगे। जिन उद्योगों को इस वर्ग में सम्मिलित किया गया, वे हैं नमक, मोटर गाड़ियाँ, ट्रेक्टर, बिजली, इंजीनियरी की भारी मशीनरी, मशीनी औजार, भारी रासायनिक सामान, उर्वरक, अलौह-धातुएँ, रबर, संचालन शक्ति और औद्योगिक अल्काहल, सूती और ऊनी कपड़ा, सीमेंट, कागज, चीनी, अख्यारी कागज, वायु और नौ-परिवहन, खनिज और प्रतिरक्षा से संबंधित सामान।

(घ) चौथे वर्ग में औद्योगिक क्षेत्र के शेष सभी उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों में निजी एवं सहकारी उद्यम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव में देश में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने, उद्योगों में विविधता तथा नवीन तकनोलॉजी का लाभ हासिल करने के लिए विदेशी पूँजी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। नीति में कहा गया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विदेशी पूँजी के नियमन के लिए स्वामित्व तथा कारगर नियंत्रण में एक बड़ा भाग भारतीयों के हाथ में हो, किन्तु सभी मामलों में योग्य भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए जो अन्ततोगत्वा विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ले सकें।

समीक्षा (Criticism) - स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास का एक क्रांतिकारी कदम था, जिसकी आम तौर पर पूरे देश में सराहना की गई। मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव इस औद्योगिक नीति की मुख्य सफलता थी। मीनू मसानी के शब्दों में, "इस नीति के द्वारा प्रजातांत्रिक समाजवाद की नींव डाली गई।" सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के पारस्परिक महत्व को समझा गया ताकि औद्योगिक विकास को बल मिल सके। विदेशी पूँजी को देश के विकास में महत्त्व देना इस नीति का प्रभावोत्पादक कदम था जिसकी प्राप्तिकता देश की अर्थव्यवस्था में आज भी चनी हुई है।

प्रथम श्रेणी के उद्योगों में बड़े उद्योग सरकार द्वारा पहले से ही चलाए जा रहे थे इसलिए निजी क्षेत्र में इस पर कोई आपत्ति नहीं की। किन्तु द्वितीय श्रेणी के उद्योग एक तरह से राष्ट्रीयकरण की धमकी थी, जिससे इस नीति को निजी क्षेत्र की आलाचना का शिकार होना पड़ा। किन्तु आर्थिक सत्ता के सख्न्दन को नियंत्रित करने के लिए यह कदम समयानुकूल था।

औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951

[Industrial (Development and Regulation) Act, 1951]

स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति को क्रियान्वित करने तथा उद्योगों के विकास एवं नियमन करने के लिए अक्टूबर 1951 में औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम पारित किया गया, जिसने अपना कार्य 8 मई, 1952 से प्रारम्भ किया।

अधिनियम की मुख्य धाराएं अग्रलिखित हैं

पंजीयन (Registration) अनुसूचित उद्योगों की सभी चालू औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित समय के अन्दर पंजीयन कराना अनिवार्य है। केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई नयी इकाई स्थापित नहीं की जा सकती है और न ही के वर्तमान इकाई चालू प्लाट का काफी विस्तार कर सकती है। नवीन लाइसेंस जारी करते समय सरकार स्थान और आकार आदि शर्तें तय कर सकती है।

जांच (Check) सरकार किसी भी ऐसे उद्योग की जांच कर सकती है जिसमें उत्पादन गिर जाए, कीमत में बढ़ोतरी होती जाए, उत्पादन की किस्म घटिया होती जाए या फिर उद्योग राष्ट्रीय महत्व के दुर्लभ ससाधनों का प्रयोग करते हों, उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाने की संभावना हो।

सजा (Punishment) ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो सरकारी निर्देशानुसार प्रबन्ध और नीतियों में अपेक्षित सुधार नहीं करती, सरकार उनके प्रबन्ध को अपने अधिकार में कर सकती है।

विकास परिषदे (Development Councils) इसमें उद्योग, श्रम, उपभोक्ता व प्रबन्धकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विकास परिषदें संबंधित उद्योग में उत्पादन बढ़ाने, उत्पाद की किस्म सुधारने व प्रबन्ध में सुधार की व्यवस्था करती हैं।

केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (Central Consultation Council) इसकी स्थापना मई 1953 में की गई। परिषद् में उद्योग व उपभोक्ता वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। सरकार औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कानून बनाने, पंजीयन व लाइसेंस के विशेष मामलों में, उद्योग का प्रबन्ध हाथ में लेते समय केन्द्रीय सलाहकार परिषद् से सलाह मशविरा करती है।

समीक्षा (Criticism) ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व देश की जरूरत के मुताबिक औद्योगिक विकास नहीं हुआ। निजी क्षेत्र राष्ट्र-हित को तिलाजलि देकर स्व-हित को सर्वोपरि मानता रहा। इस अधिनियम ने निजी क्षेत्र पर अकुश रखा, औद्योगिक विकास को राष्ट्र-हित की ओर उन्मुख किया। अधिनियम के माध्यम से क्षेत्रीय विषमता की समस्या कुछ सीमा तक हल हुई। औद्योगिक घरानों की जांच व सजा के प्रावधान के कारण उनकी मनमानी पर लगाम लगी।

दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधिनियम अपने उद्देश्य को पूर्णरूपेण प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। प्राफेसर आर के हजारी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ औद्योगिक घरानों एक ही वस्तु के उत्पादन से संबंधित बहुत से आवेदन पत्र के कारण अधिकांश लाइसेंस सामर्थ्य प्राप्त करने में सफल हो गए और उन्होंने लाइसेंस सामर्थ्य का पूरा उपयोग भी नहीं किया। बड़े औद्योगिक घरानों की इस कुप्रवृत्ति के कारण अन्य फर्म लाइसेंस सामर्थ्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकीं।

भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम में समय-समय पर महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिसमें 1970, 1973 तथा 1978 में किए गए संशोधन मुख्य हैं। पिछले वर्षों में सरकार द्वारा लाइसेंस व्यवस्था को अधिक उदार बनाने के व खत्म करवा की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, उससे अधिनियम का मूल स्वरूप ही परिवर्तित हो गया है।

औद्योगिक नीति, 1956 (Industrial Policy 1956)

आजादी के बाद से लेकर नवीन औद्योगिक नीति 1991 घोषित किए जाने से पूर्व तक 1956 की औद्योगिक नीति, घोषित सभी औद्योगिक नीतियों का आधार स्तम्भ रही है। 1977 की औद्योगिक नीति अवश्य अपवाद रही है। 1956 की औद्योगिक नीति "भारत का आर्थिक संविधान" के नाम से जानी जाती रही।

30 अप्रैल 1956 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव संसद में पेश किया।

प्रथम औद्योगिक नीति 1948 से 1956 के बीच आठ वर्षों तक क्रियान्वित रही। इस दौरान देश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ गया था। 26 जनवरी, 1950 को नवीन संविधान स्वीकृत किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होकर दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि प्रारम्भ हो चुकी थी, जो मुख्यतः उद्योग प्रधान योजना थी। भारत सरकार ने दिसम्बर 1954 में समाजवादी ढंग के समाज को आर्थिक व सामाजिक नीतियों के आधार के रूप में स्वीकार किया। इन सभी परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक समझा गया कि देश में एक ऐसी औद्योगिक नीति घोषित की जाए जो बदती हुई आर्थिक व राजनीति परिस्थितियों के अनुरूप हो।

औद्योगिक नीति की मुख्य बातें (Main Aspects of Industrial Policy)

उद्योगों का वर्गीकरण (Classification of Industries) इस नीति में उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया। राज्य ने किसी भी औद्योगिक उत्पादन को नियंत्रित करने का अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित रखा। उद्योगों की तीन श्रेणियाँ निम्नांकित थीं

प्रथम श्रेणी इसमें 17 ऐसे उद्योगों का सम्मिलित किया गया जिनके विकास का पूर्ण दायित्व सरकार का होगा। यह श्रेणी एक तरह से 1948 की

औद्योगिक नीति के प्रथम दो श्रेणियों का सम्मिश्रण थी। जो उद्योग इस श्रेणी में सम्मिलित थे, वे हैं अस्त्र-शस्त्र, अणुशक्ति, लौह-इस्पात, कोयला व लिग्नाईट, खनिज तेल, कच्चा लोहा, मैंगनीज, जिप्सम, गंधक, सोना व हीरो का खनन, सीसा, जस्ता, तांबा, रागा आदि की खाने खोदना, अणु शक्ति उत्पादन से संबंधित खनिज, हवाई जहाज निर्माण, हवाई व रेल परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन एवं उसके तार एवं वेतार का तार, बिजली का उत्पादन एवं वितरण, भारी मशीनें, बिजली के भाँसे यंत्र आदि।

द्वितीय श्रेणी इसमें 12 उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिन पर राज्य का अधिकार बढ़ता जाएगा तथा नवीन इकाइयों की स्थापना सरकार द्वारा की जाएगी। निजी क्षेत्र राज्य का सहयोग करेगा। इस श्रेणी में जो उद्योग सम्मिलित थे, वे हैं प्रथम श्रेणी में सम्मिलित खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिज उद्योग, एल्युमीनियम एवं अन्य अलौह धातुएँ जो प्रथम श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं, मशीनी औजार, औजारी इस्पात, रसायन उद्योग, उर्वरक, सशिलष्ट रबर, एटीबायोटेक्स और अन्य दवाईयाँ, कोयले का कार्बनीकरण, रासायनिक घोल, समुद्री परिवहन, सड़क परिवहन।

तृतीय श्रेणी शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया, जिनका विकास निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। इस श्रेणी के उद्योगों को भी राज्य की आर्थिक नीति के अनुरूप कार्य करने की चेतावनी दी गई। सरकार कभी भी इस श्रेणी के उद्योगों की स्थापना कर सकती है।

1956 की औद्योगिक नीति में विभिन्न श्रेणी पृथक् नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित हैं। विशेष परिस्थितियों में इस विभाजन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। निजी क्षेत्र को विशेष परिस्थिति में प्रथम श्रेणी में उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है इसी तरह सरकारी क्षेत्र के अधीन भारी उद्योग अपनी आवश्यकताओं के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर हो सकते हैं।

निजी क्षेत्र को सरकार की आर्थिक व सामाजिक नीतियों के अनुरूप कार्य करना होगा। सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं तथा राजकोषीय नीतियों के द्वारा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी तथा ऐसे उद्योग जहाँ सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्र विद्यमान हों, सरकार की नीति न्यायोचित व भेदभाव रहित होगी।

औद्योगिक नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया कि सरकार विभिन्न प्रोत्साहनो के जरिए जैसे सब्सिडी, विभेदक कर, बड़े उद्योगों के उत्पादन का कोटा निर्धारित करना आदि के द्वारा सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेगी।

मधुर औद्योगिक संबंध मानव दिवस सर्जन व उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक है। नीति-प्रस्ताव में औद्योगिक शांति के पथ प्रदर्शक के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र को भूमिका निभानी होगी। श्रम को प्रबन्ध में भागीदारी व कामगारों

की कार्य की दशाए व कार्यकशुलता मे वृद्धि पर जोर दिया गया।

नीति मे इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया कि विभिन्न क्षेत्रो म आर्थिक अद्य सरचना सुविधा मुहैया करा कर देश का सतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। समूचे देश म औद्योगिक व कृषि का समुन्नत विकास करके गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगो को उपर उठाकर अच्छे जीवन स्तर मे वृद्धि की जा सकती हे।

आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation) 1956 की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक सविधान माना गया। समाजवादी समाज की स्थापना के ढांचे का प्रस्ताव मे औद्योगिक विकास के रुप मे अभिव्यक्त किया गया। आर्थिक विकास की दृष्टि से इस नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु निजी क्षेत्र के समर्थको ने यह कहकर आलोचना की सरकारी क्षेत्र दैत्याकार बनकर निजी क्षेत्र को हडप जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व है विदेशी पूजी को हतोत्साहित करती हे गाधीवादी सिद्धांतो के विपरीत है आदि। किन्तु नीति प्रस्ताव मे कहीं भी ऐसा परिलक्षित नहीं होता कि निजी क्षेत्र स्वय को उपेक्षित महसूस करे।

सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के प्रतिद्वन्दी के रुप मे विकसित नहीं होगा अपितु उसका विकास उन अनुकूल दशाओ और अद्य सरचना के निर्माण के लिए होगा जिरसे निजी क्षेत्र के विकास में सहायता मिल सके।

1956 की औद्योगिक नीति देश को समाजवाद की ओर प्रवृत्त करने का महत्वपूर्ण कदम था। नीति मे सार्वजनिक क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। इसका मुख्य कारण 1948 से 1955 क बीच निजी क्षेत्र के असतोषजनक कार्य प्रगति थी।

औद्योगिक नीति इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि इसमे औद्योगिक वर्ग पृथक खड नहीं है। विशेष परिस्थितियों मे प्रथम श्रेणी के उद्योगो मे निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति थी इसी तरह सरकार भी निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त कर सकती है। नीति मे राष्ट्रीयकरण के सबध मे कोई व्यवस्था नहीं की गई।

तात्कालिक परिस्थितियों मे 1956 की औद्योगिक नीति का कोई विकल्प नहीं था। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रो मे औद्योगिक विकास न्यायसंगत था। सरकार ने कामगारो एव राष्ट्र के हितार्थ अनेक उद्योगो का राष्ट्रीयकरण किया था। सार्वजनिक उपक्रमो का अधिकाधिक विकास द्वारा ही देश मे आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण कम हुआ।

भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र की उपादेयता को आने वाले कई वर्षो तक स्वीकार किया जाता रहेगा। वर्तमान मे बदलते आर्थिक परिवेश मे सार्वजनिक उपक्रमो का दायरा सकुचित नहीं किया गया है यद्यपि इस क्षेत्र मे कुछ प्रमुख निणय अवश्य लिए गए हैं ये मुख्यत घाटे को कम करना तथा प्रतिस्पर्धी बनाना आदि से संबधित है; आज नवीन औद्योगिक नीति (1991) में निजी क्षेत्र की

भूमिका को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो 1956 की सरकार की निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित नीति के अनुरूप ही है।

1977 में घोषित औद्योगिक नीति
(Declared Industrial Policy, 1977)

भारत के तत्कालीन उद्योग मंत्री जार्ज फर्नाण्डिस ने 23 दिसम्बर, 1977 को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। औद्योगिक नीति के वक्तव्य में पिछली औद्योगिक नीति की यह कहकर आलोचना की गई कि 1956 की औद्योगिक नीति काफी वर्षों तक क्रियान्वित रही, इस नीति में कुछ खामियों के कारण देश के अर्थतंत्र में अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हो गईं, उनमें सुरसा के मुह की तरह बढ़ती बेरोजगारी, औद्योगिक उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होना, गाँव और शहर में बढ़ती असमानता, कीमतों में वृद्धि, औद्योगिक रुग्णता आदि मुख्य थीं। नवीन औद्योगिक नीति का मुख्य ध्येय इन विकृतियों को दूर कर देश की औद्योगिक प्रगति को सही दिशा देना था।

1977 की औद्योगिक नीति के महत्त्वपूर्ण अंश निम्नांकित थे

1. लघु पैमाने की इकाइयों पर विशेष ध्यान (Special Attention on Small Industries) लघु उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। औद्योगिक नीति वक्तव्य में कहा गया, अभी तक औद्योगिक नीति का बल बड़े उद्योगों पर रहा है, कुटीर उद्योग तो पूर्णतया उपेक्षित रहे हैं और छोटे उद्योगों का कार्यभाग मामूली रहा है। "नई औद्योगिक नीति का मुख्य बल लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रभावी रूप से प्रोत्साहित करना है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में फैल जाए। सरकार की नीति यह है कि जो कुछ भी लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पन्न हो सकता है, निश्चय ही उनके द्वारा बनाया जाना चाहिए।

नीति में लघु उद्योगों को तीन भागों में विभक्त किया गया

- (i) अति लघु क्षेत्र (Tiny Sector) – इसमें ऐसी लघु उद्योग इकाई सम्मिलित की गई जिसमें प्लाट एवं मशीनरी में एक लाख रुपये से कम विनियोग हो तथा 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों में स्थापित हो।
- (ii) लघु उद्योग (Small Industries) – ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा 10 लाख रुपये तक हो।
- (iii) सहायक उद्योग (Ancillary-Industries) – जिनमें प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा 15 लाख रुपये तक हो।

2. लघु उद्योगों की प्रभावी प्रगति पर बल (Stress on Efficient Progress of Small Industries) – लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची 180 से बढ़ाकर मार्च 1978 तक 807 कर दी गई। अति लघु एवं लघु उद्योगों को "सीमांत मौद्रिक सहायता" तथा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता को

चार वर्ष के भीतर प्रत्येक जिले में लागू की जाने की व्यवस्था की गई।

लघु उद्योग इकाइयों का प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की सहायताओं को नियंत्रण एवं नियंत्रण करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास और एक अलग विभाग की स्थापना करेगा। लघु उद्योगों की उत्पादितता तथा अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग का बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार लघु उद्योगों के लिए प्रमाणीकरण किस्म नियंत्रण तथा बाजार सर्वेक्षण के लिए सहायता सुलभ कराएगी। खादी एवं यामाद्योग आयोग को पुनः व्यवस्थित करने पर बल दिया गया। ग्राम उद्योगों के विनास पाग्राम में सरकार खादी का विशेष स्थान देना चाहती थी। इस नीति में नवीन या पॉलिस्टर खादी विशेष चर्चा का विषय रही।

3 जिला उद्योग केन्द्र (District Industry Centre) - जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना का निर्णय जाता सरकार की औद्योगिक नीति की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। इन केन्द्रों की स्थापना का मुख्य ध्येय लघु उद्योगों को एक ही छत के नीचे आवश्यकताओं के रूप में सुविधाएँ उपलब्ध कराना था। ये केन्द्र एक तरह से जिला स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का केन्द्र बिन्दु हैं। जिला उद्योग केन्द्र लघु उद्योगों के लिए मशीन व उपकरण साध्य सुविधा विपणन किस्म नियंत्रण कच्चे माल व आर्थिक साधना का सर्वेक्षण आदि कार्य सम्पन्न करते हैं।

4 बड़े पैमाने के उद्योग (Large Scale Industries) - बड़े पैमाने के उद्योगों का जन्म की न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रमों के अनुरूप जोड़ा जाएगा। इन उद्योगों का सरकार आयोजित तस्कालोजी व स्तृपा के रूप में प्रदर्शित नहीं करना चाहती। इनके लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं वे हैं मूलभूत उद्योग जो देश में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक हैं जैसे इस्पात सीमेंट तेल शोधन कारखाने तथा धातु उद्योग। पूंजीगत वस्तु उद्योग जो लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी प्रदान करते हैं। उच्च तकालोजी उद्योग जो कृषि व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं जैसे उर्वरक कीटनाशन उद्योग पेट्रो रसायन उद्योग आदि। अन्य उद्योग जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं तथा जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित न हों।

5 बड़े व्यापारिक घराने (Big Industrial Houses) - औद्योगिक नीति प्रस्ताव में अब तक सावधानीपूर्वक संस्थाओं एवं बैंकों से उधार के कारण परलभित हो रहे बड़े उद्योगों के विकास की प्रवृत्ति को पलटाने की बात कही गई। बड़े घरानों का क्षेत्र विस्तार तथा नवीन इकाइयों की स्थापना स्वयं से संभवता में करनी होगी। जो क्षेत्र में इकाइयों का विस्तार अब सरकार की अनुमति से होगा तथा इन पर एकाधिकार तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवहार अभिप्रियम लागू होगा।

6 सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertakings) - सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहकर उपभाग वस्तुओं के उत्पादन तक व्यापक बनाया जाएगा। इसके तकनीकी और सुविधाओं का लाभ लघु उद्योगों

को बढ़ावा देने में किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन देगा।

7. औद्योगिक रुग्णता संबंधी दृष्टिकोण (View Regarding Industrial Sickness) सरकार रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में चयनात्मक दृष्टिकोण आत्मसात करेगी, जिससे रुग्ण इकाइयों को चलाने से पड़ रहे भार को कम किया जा सके। औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार प्रबन्धकों को उद्योगों के संचालन में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। रुग्णता के कारणों की शुरु से ही जांच कर रोकथाम के उपाय किए जाएंगे जिससे उद्योग रुग्ण होने से बच सकें।

8. विदेशी निवेश और तकनीक (Foreign Investment and Technique) — विदेशी सहयोग वाली फर्मों को फेरों के तहत ढाला जायेगा। जहां जरूरी नहीं है विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़कर स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीयों के हाथों में होगा। सभी स्वीकृत इकाइयों को लाभ स्वदेश में ले जाने की अनुमति होगी।

समीक्षा (Criticism) — 1977 की जनता सरकार की औद्योगिक नीति भारत के औद्योगिक जगत में एक नवीन प्रयोग थी। यह नीति मुख्यतः ग्रामोत्थान, निर्धनोन्मुख, रोजगारोन्मुख थी। विगत औद्योगिक नीति की तुलना में इसमें लघु उद्योगों के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। यह गांधीवादी आर्थिक विचारधारा के अनुरूप थी जिसे देश की तत्कालीन आवश्यकता माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं।

आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इस नीति में जिला उद्योग केन्द्र के अतिरिक्त कोई नवीनता नहीं थी। यद्यपि गांधीवादी आर्थिक-विचारधारा की आज भी प्रासंगिकता बनी हुई थी किन्तु वर्तमान औद्योगिक युग और बदलते आर्थिक परिवेश में बड़े उद्योगों की उपेक्षा, देश को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के प्रयास में बाधक साबित हो सकती है।

औद्योगिक नीति (Industrial Policy) 1980

ज्ञातव्य है कि भारत में जनता पार्टी का शासन 24 मार्च, 1977 में 14 जनवरी, 1980 तक रहा। इस दौरान श्री मोरार जी देसाई के अतिरिक्त श्री घरण सिंह भी (20 जुलाई 1979 से 14 जनवरी, 1980) प्रधानमंत्री रहे। राजनीतिक उहापोह के बीच जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। केवल 2 वर्ष 9 माह 21 दिन ही सत्ता में रही। जनता पार्टी का शासन काल कम होने के कारण 1977 की औद्योगिक नीति फलदायक सिद्ध नहीं हो सकी।

जनवरी, 1980 में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्तारूढ़ हुई। सभायता के अनुरूप कांग्रेस सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री घरन जीत चानना ने 23 जुलाई, 1980 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें 1956 की औद्योगिक नीति को इस नवीन औद्योगिक नीति का आधार बताया गया।

उद्देश्य (Objectives)

नीति में आधुनिकीकरण विस्तार तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों में उद्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमता का अनुकूलतम उपयोग अधिक उत्पादन रोजगार सर्जन क्षेत्रीय असंतुला को दूर करना ऋषि आधारित उद्योगों का विकास निर्यात वृद्धि आयात प्रतिस्थापन उपभोक्ता ररक्षण आदि मुख्य थे।

मुख्य बातें (Main Items)

आर्थिक पुनरुत्थान हेतु औद्योगिक नीति में निम्नांकित मुख्य बातें समाहित हैं

1 **केन्द्रक सयत्र (Nucleus Plants)** – औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में लघु एवं सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रक सयत्र स्थापित किए जाएंगे। ये केन्द्रक सयत्र सहायक उद्योगों के उत्पाद को एकत्रित तथा लघु उद्योगों के लिए आवश्यक आदानों की व्यवस्था करेंगे। केन्द्रक सयत्र लघु उद्योगों को अधुनातन तकरोलाजी मुहैया कराएंगे। साथ ही औद्योगिकीकरण के लाभ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

2 **लघु इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन** – लघु इकाइयों की प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा बढ़ा दी गई।

- (i) **अतिलघु क्षेत्र** – प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी गई
- (ii) **लघु उद्योग** – प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई
- (iii) **सहायक उद्योगों में** प्लाट एवं मशीनरी में विनियोग सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई।

3 **लोक उपक्रम (Public Sector Undertakings)** – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमा में जनता का विश्वास पुनः जागृत कराने के लिए इन्हें अधिक कुशल सक्षम व लाभदायक बनाने का निश्चय किया गया।

4 **निजी क्षेत्र (Private Sector)** – निजी क्षेत्र के उत्थान के लिए अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर रहेंगे किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया कि आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण न हो।

5 **ग्रामोद्योगों की प्रगति (Progress of Rural Industries)** – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सर्जन तथा लोगों की आय में वृद्धि के लिए ग्रामोद्योग हस्तशिल्प व हथकरघों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। पारिस्थितिकी सन्तुलन को बनाए रखते हुए गाँवों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा।

6. क्षेत्रीय विषमता को दूर करना (To Remove Regional Disparity)

— देश में क्षेत्रीय विषमता की समस्या बड़ी भयावह है इसे दृष्टिगत रखते हुए उद्योगों के क्षेत्रीय फैलाव को बढ़ावा दिया गया, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्र भी औद्योगीकरण का लाभ अर्जित कर सकें।

7. स्वतः विकास की सुविधा (Facility for Self Development) —

बड़े पैमाने के उद्योगों को स्वतः विकास की सुविधा बढ़ाई गई तथा कार्यविधि को सरल किया गया। सरकार ने अगस्त, 1980 में पांच वर्षों की अवधि में 25 प्रतिशत की स्वतः विकास की स्कीम 19 अतिरिक्त बड़े उद्योग समूह पर लागू की। यह स्कीम 1975 में 15 विभिन्न उद्योगों पर लागू की गई थी जिससे कुछ इकाइयों में रुग्णता को दूर करने में मदद मिली थी। क्षमता के पूर्ण विस्तार के नाम पर औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित सभी उद्योगों को स्वतः विकास की सुविधा दी गई।

8. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) —

उद्योगों में बढ़ती रुग्णता के कारण चिन्ता प्रकट की गई। ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें रुग्णता की समस्या जानबूझकर कुप्रबन्ध एवं वित्तीय दुर्व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था की गई।

औद्योगिक जीव्यता वाली इकाइयों को कर रियायतें तथा विलयन के द्वारा

पुनरुत्थान की स्थिति में लाने के प्रयास किए जाएँगे। आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के तहत, रुग्ण इकाइयों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले सकेगी।

9. अन्य कारक (Other Factors) —

उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में अभिवृद्धि के लिए अधुनातन तकनोलॉजी को आत्मसात करने की बात कही गई। ऐसे उद्योगों को रियायती शर्तों पर वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। पूँजी व श्रम के मध्य सबंध को मधुर बनाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण पर बल दिया गया। सरकार जिला उद्योग केन्द्र के स्थान पर अधिक सक्षम विकल्प तैयार करेगी।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण (Critical Attitude) —

औद्योगिक नीति प्रस्ताव में उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उत्पाद की दिशा क्या होगी। औद्योगिक उत्पादन की प्राथमिकता स्पष्ट नहीं की गई। एकाधिकार नियंत्रण एवं व्यापार व्यवहार अधिनियम का जिक्र नहीं करने तथा स्वतः विकास स्कीम से आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर होता सयुक्त क्षेत्र की चर्चा होती। लघु उद्योग इकाइयों की विनियोग सीमा बढ़ा दी गई, इससे इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। देश में बेनामी व झूठी लघु इकाइयों की भरमार है। जो उद्देश्य इस नीति में स्वीकार किए गए वे ही लगभग विगत औद्योगिक नीतियों में घोषित किए जाते रहे हैं देश की समस्याएँ ज्यों की त्यों बरकरार हैं।

समीक्षा (Criticism)— 1980 की औद्योगिक नीति में कोई नयापन परिलक्षित नहीं होता। इसमें 1956 की औद्योगिक नीति का ही आधारस्वरूप स्वीकार किया गया। छोटे उद्योगों की परिभाषा बदली बड़े उद्योगों के महत्त्व को फिर स्वीकार किया गया। केन्द्रक सद्यः की चर्चा नहीं है। मात्र घोषणाओं से आर्थिक विकास नहीं हो जाता। नीति में सार्वजनिक उपक्रमों में पुनः विश्वास जागृत करने की बात कही गई है किन्तु सरकार कई वर्षों बाद भी इसमें बढ रहे घाटे की समस्या से निजात नहीं पा सकी है। पुरानी बातों का नये शब्दों में कहा गया है।

व्यावहारिक नीति के नाम पर नीति में औद्योगिक उत्पादन पर नियंत्रण को दूर किया गया। लाइसेंस प्राप्त क्षमता की सीमा से अधिक स्थापित क्षमता को कानूनी घोषित कर दिया गया। स्वतः विकास की योजना लागू की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की व्यवस्था की गई। इस सभी परिवर्तनों की सुखद परिणति आर्थिक अद्य सरचना में सुधार होने से औद्योगिक विकास दर में अपेक्षित सुधार के रूप में परिलक्षित होने की आशा की गई।

वर्तमान औद्योगिक नीति (अर्थात् जुलाई 1991 में घोषित नीति)

(Present Industrial Policy 1991)

वर्ष 1991 के संक्रमण काल में भारत को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक उठाव की स्थिति ने आर्थिक संकट की स्थिति को और भयावह बना दिया। नियत समय पर (28 फरवरी 1991) का संसद में आम बजट पेश नहीं किए जाने से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि प्रभावित हुई। संक्रमण काल थमने का नाम नहीं ले रहा था। भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति रसातल तक पहुँच चुकी थी। बाह्य दायित्वा को निपटाने की समस्या मुखर हो उठी। विषम आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए अनेक अभूतपूर्व निर्णय लेने पड़े। इनके अभाव में विश्व में हमारी आर्थिक छवि को घूमिल हाने की आशंका थी।

आर्थिक संकट की घड़ी में देश का आम चुनाव का आर्थिक भार ढाँसा पड़ा। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तो पहले ही धराशायी हो चुकी थी। चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला अन्य सहयोगी राजनीतिक दलों के बूते पर कांग्रेस (इ) केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई। श्री पी. वी. नरसिंहराव के मन्त्रीमंडल में सुविख्यात अर्थशास्त्री डा. मन्मोहन सिन्हा का महत्त्वपूर्ण वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार ने सूझबूझ एवं नीतिगत पहल से तत्कालीन आर्थिक संकट को काबू में लिया।

राज्य सरकार ने सत्ता की शुरुआत से ही देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारम्भ किया। सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ सामायोजित करने के लिए अर्थतंत्र में आने वाले मूलभूत आर्थिक बदलाव किए हैं। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत नवीन औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा के साथ हुई जिस खुली औद्योगिक नीति के नाम से जाना जा रहा है।

24 जुलाई, 1991 को उद्योग राज्य मंत्री श्री पी जे कुरियान ने ससद में औद्योगिक नीति की घोषणा की। घोषित नई औद्योगिक नीति स्वातंत्र्योत्तर भारत में औद्योगिक संस्कृति के उत्थान और विकास की दिशा में उठाया गया साहसिक और युगात्कारी कदम है जिसके जरिए समकालीन विश्व की आमूलचूल परिवर्तित अर्थनीतियों के प्रसंग में भारत की प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। यह नीति आज की विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की उपलब्धियों को ओर भी सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत की नई पहल और मौजूदा संकट से उभरने के उसके अदम्य सकल्य और आस्था की पुनर्भिव्यक्ति का ऐतिहासिक दस्तावेज है।¹

औद्योगिक नीति पृष्ठभूमि (Industrial Policy - Background) - आर्थिक नियोजन के चार दशक में देश में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है। विदित है कि देश में इस दौरान औद्योगिक संवृद्धि दर, कृषि विकास दर, जनसंख्या वृद्धि दर तथा आर्थिक विकास दर से अधिक रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तुरन्त पहले विकास का व्यापक आधारभूत ढांचा तैयार खड़ा हो चुका था। बुनियादी उद्योगों का जाल बिछ गया तथा तमाम वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हो गई। औद्योगिक उत्पादन के नए विकास केन्द्र अस्तित्व में आए। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का सार्थक प्रयास हुआ और युवा उद्यमियों की एक समूची नई पीढ़ी उभर कर सामने आई। इंजीनियरों, तकनीशियनों और विविध क्षेत्रों में कुशल कामगारों को प्रशिक्षण सुविधाएं देकर समग्र औद्योगिक विकास को एक नई त्वरा और गत्यात्मकता प्रदान की गई। सातवीं योजना में भारतीय उद्योग का 85 प्रतिशत वार्षिक विकास दर से स्पृहणीय विकास हुआ।

औद्योगिक नीति - आवश्यकता (Industrial Policy - Its Need)

समग्र देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा वृहत्तर सामाजिक अम्मुदय और उत्थान के लिए आवश्यक है कि हम अपनी विकास सबंधी नीतियों के तेवर और उनकी त्वरा को बदले। असमानताओं को दूर कर समाजवादी समाज की संरचना के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता है। उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्रों में दूरगामी परिवर्तनों की जरूरत है ताकि अधुनातन तकनीकों के व्यापक प्रयोग के लिए हम उत्पादन में आशातीत वृद्धि कर सकें।

पिछले चार दशक की उपलब्धियों को संपुष्ट और समेकित करने की आवश्यकता है जिससे देश भावी चुनौतियों का प्रभावी तौर पर मुकाबला करने में सक्षम बन सके।

औद्योगिक नीति - उद्देश्य (Industrial Policy - Objectives)

खुली औद्योगिक नीति में अग्रकित उद्देश्य अन्तर्निहित हैं -

- 1 सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना।
- 2 निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन।
- 3 आधुनिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी और सम्पन्न एवं प्रगतिशील भारत का निर्माण।
- 4 विश्व अर्थव्यवस्था के एक अंग के रूप में भारत को विकसित करना।
- 5 आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
- 6 आयात के भुगतान के लिए स्वयं के स्रोतों का सर्जन।
- 7 उद्यमियों का उत्साहवर्द्धन।
- 8 विकास और अनुसंधान में निवेश।
- 9 नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना।
- 10 पूंजी बाजार का विकास।
- 11 उत्पादन में स्वदेशी क्षमताओं का विकास।
- 12 आधारभूत सुविधाओं में निवेश।
- 13 पिछड़े क्षेत्रों में त्वरित औद्योगीकरण।
- 14 आर्थिक कुशलता और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा लघु क्षेत्र का तेजी से विकास।
- 15 श्रमिकों के हितों की रक्षा।
- 16 विकास के लाभों को जन समूह तक पहुंचाना।
- 17 प्रबन्ध में श्रमिकों की भागादारी।
- 18 उद्योगों के सभी क्षेत्रों लघु, मझौले तथा बड़े जो सार्वजनिक अथवा निजी या सहकारी क्षेत्र में हो, बढ़ावा देना।

औद्योगिक नीति की मुख्य बातें (Main Characteristics of Industrial Policy)
 - नई औद्योगिक नीति में उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूलतः पाच क्षेत्रों में नीतिगत पहल की घोषणा की गई है। ये हैं -

1 **औद्योगिक लाइसेंसिकरण (Industrial Licence)** - लाइसेंस की प्रचलित प्रणाली के कारण उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी होती थी, अब अर्थव्यवस्था को अधिक दक्ष एवं प्रगतिशील तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ उद्योगों को छोड़कर लगभग सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। नई नीति के तहत अब

- 1 नए उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को इसी प्रकार अपने विस्तार के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
- 2 औद्योगिक लाइसेंस अब केवल 18 विशिष्ट किस्म के उद्योगों के लिए लेना अनिवार्य होगा। इनमें कोयला तथा लिग्नाइट, पेट्रोलियम, शराब, धीनी, सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, चमड़ा तथा उससे

निर्मित वस्तुएँ, कार, बस और अन्य प्रकार की मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक तथा सभी प्रकार के रक्षा उत्पाद, फ्रिज, एयरकंडीशनर, वाशिंग मशीनें तथा घरेलू मनोरंजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी वस्तुएँ शामिल हैं।

- 3 नए उद्योगों को उत्पादन कार्यक्रम बताने की जरूरत भी अब नहीं रहेगी। मौजूदा उपक्रमों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी कोई पूर्व अनुमति अब आवश्यक नहीं होगी।
- 4 नए उद्योगों के उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमों को भी प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है। मौजूदा उद्योगों को बिना किसी अतिरिक्त पूंजी निवेश के अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र की किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी।

2 विदेशी निवेश (Foreign Investment) – देश के वृहत औद्योगिक विकास के हित में विदेशी निवेश का स्वागत किया जाएगा। विदेशी निवेश से संबंधित विशेषताएँ हैं

- 1 जिन मामलों में मशीनों के लिए विदेशी पूंजी शेयर पूंजी के रूप में उपलब्ध होगी उन्हें स्वतः ही उद्योग लगाने की अनुमति मिल जाएगी।
- 2 दो करोड़ रुपए अथवा कुल पूंजी के 25 प्रतिशत से कम की उत्पादन मशीनें बिना किसी पूर्वानुमति के आयात की जा सकेंगी लेकिन तत्कालीन विदेशी मुद्रा सिकट को देखते हुए यह प्रावधान अप्रैल 1992 से प्रभावी हुआ।
- 3 उत्पादन मशीनों के आयात के अन्य मामलों में औद्योगिक विकास मंत्रालय विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार आयात की अनुमति प्रदान करेगा।
- 4 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति बिना किसी रोक-टोक और अफसरशाही के नियंत्रणों के बिना प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन मामलों में ही उपलब्ध होगी जहाँ उत्पादन के लिए विदेशी पूंजी निवेश जरूरी होगा। इसके लिए विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) में आवश्यक संशोधन किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कुछ क्षेत्रों में 51 प्रतिशत से भी ज्यादा पूंजी निवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि सारा उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्ट्रीय निगमों को शत-प्रतिशत पूंजी-निवेश की अनुमति भी दी जा सकती है। विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड चुनिंदा क्षेत्रों में सीधे पूंजी निवेश के लिए भारत में उपक्रम लगाने की इच्छुक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सारे विवरण तय करेंगी।

- 5 इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति अथवा देश में ही विकसित तकनीकों का विदेशों में परीक्षण करने के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता

समाप्त कर दी गई है।

3 विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते (Foreign Technical Contracts) - समग्र औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकीय क्षमता को आत्मसात करना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में एक है। भारतीय उद्योगों में प्रौद्योगिकीय गतिशीलता के अपभ्रित स्तर की प्राप्ति के लिए सरकार निर्दिष्ट मानदंडों के भीतर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों से संबंधित प्रौद्योगिकी समझौतों को स्वतः अनुमोदन प्रदान करेगी। अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए विदेशी तकनीशियनों की सेवाएं मांड पर लेने और देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी के विदेशों में परीक्षण के लिए अब पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होगा।

4 सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति (Public Sector Policies) - नई नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की इजारेदारी को मात्र 8 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है और उनमें भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा सकेगा। अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र से टक्कर लेनी होगी। नई नीति के तहत अब

- 1 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में रक्षा से संबंधित उत्पाद और रायत्र परमाणु-ऊर्जा धातु कोयला तेल एवं अन्य खनिजों का खनन अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुएं और रेल परिवहन ही रह गया है। अन्य सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए खोले जा रहे हैं।
- 2 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित क्षेत्र धीरे-धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएंगे लेकिन साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को भी अब तक वर्जित क्षेत्रों में विस्तार की अनुमति दी जाएगी।
- 3 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में सरकारी शेयर पूंजी के कुछ भाग को द्वितीय सस्थान आम जनता तथा कर्मचारियों को बचने का भी प्रावधान किया गया है।
- 4 निरन्तर घाटा दे रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जांच औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेष सस्थान करेगा।
- 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कामकाज सुधारने के लिए सरकार बोर्ड के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करेगी और पक्ष इस सहमति के प्रति जवाबदेह होंगे।
- 6 सार्वजनिक क्षेत्र के काम-काज के बारे में खुली चर्चा करने के लिए सरकार तथा किसी अन्य उपक्रम के बीच हुए इस प्रकार के सहमति पत्रों की प्रति ससद में प्रस्तुत की जाएगी।

5 एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (Monopolistic and Restricted Trade Practices Act) - नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बड़ी कम्पनियों और औद्योगिक घरानों पर एम आर टी पी के तहत पूंजी सीमा समाप्त कर दी जाएगी।

नयी नीति में किए गए परिवर्तनों से अब बड़े घरानों और कम्पनियों को नए उपक्रम लगाने, किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कम्पनियों के विलय, उनका स्वामित्व लेने अथवा कुछ खास परिस्थितियों में निदेशक नियुक्त करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

एम आर टी पी अधिनियम के उपबन्धों को मजबूत किया जाएगा, ताकि आयोग एकाधिकार, प्रतिबन्धात्मक और अवाञ्छनीय व्यापार कार्यों के सब्ध में उपर्युक्त कार्यवाही कर सकें। नए अधिकार वाला आयोग उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच भी कर सकेगा।

लघु उद्योगों के लिए पृथक् से औद्योगिक नीति की घोषणा (Declaration of a Separate Industrial Policy for Small Scale Industries)

भारतीय अर्थतंत्र में लघु उद्योगों के अभिवृद्धित महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए सरकार वे इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 6 अगस्त, 1991 को लघु उद्योग नीति की घोषणा की।

नई लघु औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं

1 लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन – नई नीति में अतिलघु लघु एवं सहायक उद्योगों की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन किया है।

- (i) अतिलघु क्षेत्र में प्लाट एवं मशीनरी के पूँजी निवेश सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई।
- (ii) लघु उद्योगों में यह सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई।
- (iii) सहायक तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयों में प्लाट एवं मशीनरी में निवेश सीमा 75-75 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है।

2 लघु उद्योगों की अंश पूँजी में भागीदारी (Partnership in Share Capital of Small Scale Industries) – अन्य औद्योगिक इकाइयों को लघु उद्योगों की अंश पूँजी में 24 प्रतिशत की भागीदारी की अनुमति दी जाएगी।

3 अनुसंधान और विकास (Research and Development) – केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ उचित तालमेल द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों में उत्पादन परिसज्जा, पैकेजिंग, प्रक्रिया तथा नए औजार एवं पुर्जों के विकास क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4 सुविधाएँ (Facilities) – लघु उद्योगों को भूमि आवंटन, विद्युत कनेक्शन में वरीयता, प्रौद्योगिकी उन्नयन का लाभ एक बार तथा अति लघु उद्योगों को निरन्तर प्राप्त होते रहेंगे। लघु क्षेत्र विशेषतः अति लघु क्षेत्र को स्वदेशी एवं आयातित कच्चे माल का उपयुक्त एवं उचित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। लघु उद्योग निगम इनके उत्पाद को 'कामन ब्रांड' के नाम से बेचने पर ध्यान

केन्द्रित करेगा। सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एव ही स्थान से ऋण योजना की सीमा को बढ़ाने का निश्चय लिया है। इन उद्योगों की विलम्बित भुगतान समस्या के समाधान के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपनी सेवाओं का जाल सम्पूर्ण देश में फैलाएगा।

लघु उद्योग इकाइयों को बहुसंख्यक अधिग्रहणों व फायुजों का अनुपालन करने बहुत से रजिस्ट्रारों का रखरखाव करने और निरीक्षकों के दल का निरन्तर सामाना करने की निरन्तर शिकायत पर तीन माह की निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की जाएगी।

औद्योगिक नीति युगात्कारी कदम (Industrial Policy A New Era)

स्वातंत्र्योत्तर उत्तरोत्तर घोषित औद्योगिक नीतियाँ पूर्व में घोषित की गई नीति का ही आधार होती थीं। कुष्ठेय परिवर्तन को छोड़कर रू-ब-रू, यदि उन्हें 'नई बोतल में पुरानी शराब' कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हाल ही घोषित की गई नई औद्योगिक नीति इस दृष्टि से पृथक् हटकर है। इस नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने के लिए औद्योगिक घटक में भारी बदलाव किया है। औद्योगिक नीति, अब तक अंगीकृत ली जा रही नीतियों को तिलाजलि देकर एक नए युग की शुरुआत है। यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक युगात्कारी कदम है जिसमें देश की आवश्यकतानुसार अजुल परिणाम समाहित है।

नवीन औद्योगिक नीति में लाइसेंस की प्रचलित प्रणाली के खत्म होने से उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। इन्सेस देश में बढ़ रहा भ्रष्टाचार थम सकेगा। लाइसेंस राज में उद्यमियों को सर्वप्रथम औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था, दूसरे चरण में उन्हें मशीनरी और उपकरण आयात करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, तीसरे चरण में विदेशी जानकारी की आवश्यकता होने पर प्रौद्योगिकी अनुबंध के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अन्ततः शेरर के माध्यम से पूजा एवत्रित करने के लिए पूजा निर्माण नियंत्रक की अनुमति आवश्यक थी। कच्चा माल आयात करने से पहले आयात नियंत्रक की अनुमति लेनी पड़ती थी। इन सभी औपचारिताओं से उद्यमियों का समय व धन बरबाद होता था। परियोजनाओं की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती थी। नवीन औद्योगिक नीति में व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लाइसेंस प्रणाली ही समाप्त कर दी।

विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण बाजार की विशेषज्ञता, अपुनातन प्रबन्धकीय तकनीक तथा निर्यात सप्लाय के लाभ प्राप्त होंगे। डा. मनमोहन सिंह ने यह स्पष्ट किया कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमें बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रति 'प्रयोगवादी और लचीला दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने इन आशंकाओं को निर्मूल बताया कि विदेशी पूजा निवेश से भारतीय उद्यमियों को

कोई खतरा पैदा हो सकता है। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए कठोर और हठधर्मी रवैये को त्यागना होगा। विदित है कि रूस और चीन में बहुराष्ट्रीय निगमों को शत-प्रतिशत पूजी निवेश में अनुमति के अलावा अन्य प्रकार की रियायतें सुलभ हैं। सिंगापुर जैसे छोटे से देश में हजारों बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ काम कर रही हैं। प्रतिस्पर्धा को तेज करने से भारतीय उद्योग अनुसंधान और विकास कार्यों पर पहले की अपेक्षा अधिक निवेश करने को प्रेरित होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अभीष्ट इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक तैवर को निखारना है ताकि वह और अधिक सक्षम बनकर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके।

आलोचक यह कहकर नवीन नीति की आलोचना कर रहे हैं कि देश के औद्योगिक द्वार विदेशियों के लिए खोल दिए जाने से स्वदेशी उद्यमियों का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इस नीति में आर्थिक सविधान 1956 की औद्योगिक नीति को तिलाजलि दे दी है।

प नेहरू के समय तथा बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, किन्तु नवीन औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था पूँजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई दे रही है। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आज की नीतियाँ प नेहरू की नीतियों से विमुख हुई हैं। एकाधिकार नियंत्रण कानून बदलकर उद्योगों में पूँजी निवेश की सीमा खत्म कर दी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से भारतीय साहसियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सरकार को एकाधिकारी गतिविधियों का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहिए था।

नवीन औद्योगिक नीति में किए गए व्यापक बदलाव से समाजवाद का दर्शन, जो 1956 की औद्योगिक नीति का आधार था, फीका पड़ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र को कम महत्व देना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।¹

दृष्टिकोण (A View)

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद युगदृष्टा प्रथम प्रधानमंत्री प जवाहरलाल नेहरू ने नए विशाल सयत्रों को नए भारत के मदिरों की सजा देकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। नई औद्योगिक नीति वास्तव में पंडित नेहरू के विलक्षण औद्योगिक जीवन दर्शन का समयानुकूल विस्तार है। यह नीति समकालीन सदमों के आर्थिक परिवर्तनों और पुनर्रचना के प्रयासों की कड़ी है जिसके साथ ही देश के आर्थिक इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। देश के समग्र औद्योगिक रूपांतरण की इस महती प्रक्रिया के तहत औद्योगिक क्षेत्र को उन्मुक्त, उदार और प्रतियोगी बना दिया गया है।

वर्तमान में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक दूसरे में समन्वित हो रही हैं तथा तकनीकी विकास की अपरिहार्यताओं से बाध्य होकर दुनिया भर के देश अधुनातन तकनीकों को आत्मसात कर रहे हैं क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक समवेत मानवीय प्रयास है।

उससे समरस होकर ही भारत अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकता है।

एक समय ऐसा भी था जब हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियों से सुरक्षा की जरूरत थी। लेकिन आज भारत विश्व के विशाल औद्योगिक देशों में से एक है। भारत उद्योग को उच्चतर प्रौद्योगिकी विकास के अधिकतर लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रखना चाहिए।

नई औद्योगिक नीति से आम लोगों को लाभ पहुंचेगा। अधिक प्रतियोगिता बढ़ने और विदेशी निवेश के ज्यादा बढ़ने से प्रतियोगितात्मक मूल्यों पर बढ़िया किस्म के माल का उत्पादन होगा। विदेशी कम्पनियों के साथ-साथ अब भारतीय कम्पनियां में भी होड़ शुरू हो जाएगी। इससे हम उच्च स्तर का माल तैयार करेंगे जिससे विश्व में हमें स्थायी बाजार मिलेगा।

औद्योगिक नीति में नवीन परिवर्तन (Recent Changes in Industrial Policy)

भारत में जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नई नीति को लागू हुए एक दशक का समय बीत चुका है। जुलाई 1991 से लेकर आज तक देश की औद्योगिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा चुके हैं। वर्ष 1996-97 के बाद में देश में राजनीतिक सत्ता का बार-बार परिवर्तन हुआ। वर्ष 1998 में बारहवीं लोक सभा और 1999 में तेरहवीं लोक सभा के चुनाव हुए। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद औद्योगिक नीति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

1 1991-92 से 1995-96 तक - वर्ष 1991-92 में कृषि आधारित उद्योगों को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के लिए नीति को उदार बनाया गया। फेरा कानून के अन्तर्गत 51 प्रतिशत तक बढ़ी निवेश सीमा के साथ विशिष्ट आय प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को तुरन्त अनुमोदन दे दिया जायेगा।

वर्ष 1992-93 में पूजा निर्गमन नियंत्रक की जगह स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) की स्थापना की गई। ऊर्जा क्षेत्र और खनिज क्षेत्र को निजी और विदेशी निवेशकों के लिए खोला गया। औद्योगिक एल्कोहल निर्माण को लाइसेंस से मुक्त किया गया तथा खनिज तेल की खोज व अनुसंधान को निजी विनियोग के लिए खुली छूट दी गई।

वर्ष 1993-94 में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के वारंते महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयात शुल्कों में अप्रत्याशिक कमी की। भारतीय उद्योगों का प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें उत्पाद शुल्कों में भारी छूट दी। सरकार ने 28 अप्रैल 1993 को मोटर कार और श्वेत-माल (White Goods) उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। वर्तमान में केवल 9 उद्योग के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

का दायरा अधिक सिमट गया। 26 मार्च 1993 को केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित खनिजों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। अब सार्वजनिक क्षेत्र में केवल अणु शक्ति, सुरक्षा उत्पाद, कोयला और लिग्नाईट, खनिज तेल, अणु शक्ति, आदेश 1953 में अनुसूचित खनिज तथा रेल परिवहन ही रह गये हैं।

वर्ष 1994-95 में पूँजी बाजार के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। स्क्रीन पर आधारित कामकाज करने वाले एक मॉडल राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

2. 1996-97 और 1997-98 – 20 जुलाई 1996 को केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनियोजन के मामले में नीतियां तय करने के लिए एक विनियोजन आयोग की स्थापना की घोषणा की। भारत सरकार ने 10 दिसम्बर 1997 को एक अधिसूचना जारी करके लघु उद्योगों की परिभाषा में सयंत्र व मशीनों में निवेश सीमा 60 लाख रुपए से बढ़ाकर 300 लाख रुपए कर दी। वर्ष 1996-97 के केन्द्रीय बजट में विनिवेश आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया।

वर्ष 1997-98 के केन्द्रीय बजट में विदेशी निवेश के प्रवाह में वृद्धि के लिए अनिवासी भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा किसी भी कंपनी में निवेश की 24 प्रतिशत वर्तमान की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित 14 मदों को अनारक्षित कर दिया जिससे लघु उद्योग के लिए आरक्षित उत्पादों की संख्या 836 से घटकर 822 रह गई।

3 1998-99 से 1999-2000 तक – उद्योगों में नये प्राण का संचार –

(i) औद्योगिक आधार को मजबूत करने के उपाय – कोयला और लिग्नाईट, पेट्रोलियम और इसके आरक्षित उत्पाद, चीनी और पाच बल्क दवाएँ लाइसेंस से मुक्त कर दी गईं। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची से 9 मदों को हटा दिया गया है। नये उपक्रमों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/प्राद्योगिकी सहयोग के लिए स्वतः अनुमोदन सुविधा होगी। पुराने तथा मौजूदा संयुक्त उपक्रमों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। औद्योगिक वातावरण सुधारने, विदेशों में भारतीय प्रयासों को मजबूत बनाने को बढ़ावा देने के लिए पेरिस संधि और पेटेंट सहयोग संधि की शुरुआत की गई। त्वरित और कुशल सेवाओं के लिए पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया। गुणवत्ता के प्रति जागरूकता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण परिषद् की स्थापना की गई। पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई।

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment) – अर्थव्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने की अनुमति दी

गई। आधारभूत संरचना तथा बिजली सप्लाई बदरगाहों व क्षेत्रों में स्वतंत्र अनुमोदन सुविधा के अन्तर्गत शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। वित्तीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गतिविधियाँ बढ़ीं और विदेशी प्रौद्योगिकी आयात व्यवस्था को और उदार बनाया गया।

- (iii) समीक्षा और सरलीकरण (Criticism and Simplification) - फार्मों एवं विनियमों की समीक्षा व पद्धतियों का सरलीकरण किया गया है। उद्योग (विन्यास एवं विनियम) अधिनियम 1951 की समीक्षा शुरू की गई। निर्यात-न्मुखी इकाइयों तथा निर्यात प्रसारण क्षेत्र इकाइयों के लिए अनुमोदन क्षेत्रों का और विदेशीकरण किया गया। विदेशी निवेश सफ्टवेयर बोर्ड प्रस्तावों पर 30 दिनों के भीतर निर्णय करेगा।
- (iv) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सुधार (Improvement in Public Sector Undertakings) - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुनर्गठन पुनर्वास और नियंत्रण मुक्ति द्वारा व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में अधिक व्यावसायिकता प्रारम्भ की गई। सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में व्यापार प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन व पुनः संरचना की व्यवस्था की गई। सयुक्त उपक्रमों गठजोड़ों और नियंत्रण मुक्ति के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियों से सरकार नीतिगत रूप से पीछे हटी।
- (v) संरचनात्मक विकास (Constructive Development) - संरचनात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया। संरचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार के मापदंडों में ढील सुविधाजक राजकोषीय व्यवस्था दीर्घावधि कोषों का आवलन तथा संरचनात्मक परियोजनाओं में निवेश करते भविष्य निधि की अनुमति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार व्यवस्था आदि प्रयास किए गए।

सन्दर्भ

- 1 योजना 30 अप्रैल 1993 पृ 17
- 2 इण्डिया 1992 पृ 843
- 3 नई औद्योगिक नीति तीव्र विकास का रोपण डी ए वी पी अगस्त 1991
- 4 मरु व्यवसाय घन प्रवेश पृ 12
- 5 वार्षिक बजट 1991-92 से संकलित।
- 6 वार्षिक बजट 1997-98 से संकलित।
- 7 उद्योग मन्त्रालय भारत सरकार डी ए वी पी 98/73C

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 ओद्योगिक नीति का महत्त्व और उद्देश्य बताइए।
- 2 भारत में स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक नीति क्या थी।
- 3 औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 की व्याख्या कीजिए।
- 4 लघु औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत की 1956 की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई 1956 की औद्योगिक नीति को लिखना है।)
- 2 भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी विवेचना कीजिए।
- 3 भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
- 4 भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति पूर्ववर्ती नीतियों से किस प्रकार भिन्न है? इसके प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए।
- 5 भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या आज इसे निजी क्षेत्र के विकास के लिए लाभदायक कहेंगे।
(संकेत - अध्याय में दी गई 1991 की नवीन औद्योगिक नीति को विस्तार से लिखना है।)
- 6 भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की व्याख्या कीजिए तथा नई नीति में हाल ही के वर्षों में क्या परिवर्तन किये गए हैं।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर में अध्याय में दी गई 1991 की औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक नीति में नवीन परिवर्तनों को लिखना है।)
- 7 भारत सरकार की नवीन लघु औद्योगिक नीति की व्याख्या कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के उत्तर वास्तव में अध्याय में दी गई 1991 की लघु औद्योगिक नीति को लिखना है।)

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

(Foreign Capital Investment
in India)

विश्व के प्रायः सभी देश विदेशी पूंजी निवेश से विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। आज के सर्वाधिक विकसित कहे जाने वाले देशों को किसी भी विदेशी सीमा तक विदेशी पूंजी निवेश पर निर्भर रहना पड़ा है। अमरीका ने उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप से पूंजी प्राप्त की। दो शताब्दी पूर्व इंग्लैण्ड ने हालैण्ड से विदेशी सहायता प्राप्त की। अमरीका ने सोवियत संघ के आर्थिक विकास में मदद की। विघटन के बाद रूस आर्थिक सहायता के लिए अमरीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की ओर मुखातिब हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध में आर्थिक रूप से जर्जर हो चुके जापान व जर्मनी को अमरीका ब्रिटेन व रूस ने सफल प्रदान किया। विदेशी सहायता का महत्व इसके विवेकपूर्ण उपयोग में निहित है। इन सभी दशों ने प्राप्त विदेशी सहायता का उपभोग सर्वांगीण विकास के लिए किया और आज ये सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी हैं। भारत सखीके विकासशील देश आर्थिक विकास के लिए बड़ी सीमा तक विदेशी पूंजी निवेश पर निर्भर है। किन्तु विदेशी पूंजी के कारगर उपयोग के अभाव में विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

भारत अतीत में सम्पन्न देश था। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत पिछड़े देश के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वातन्त्र्यांतर देश में वित्तीय संसाधनों का अभाव था। देश आर्थिक समस्याएँ विरासत में मिली थीं। अतः नियोजित विकास के प्रारम्भिक वर्षों में भारत का अधिक विदेशी सहायता की आवश्यकता थी। भारत को विदेशी सहायता से आर्थिक पिछड़ापन से उभरने में मदद मिली। बाद के वर्षों में भारत विदेशी सहायता का विवेकपूर्ण उपयोग करने में सफल नहीं हो सका। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं होने से भारत

बढते विदेशी ऋण की समस्या से ग्रसित हो गया। आज भारत आर्थिक विकास के लिए, विदेशी ऋणो और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए तथा बढते आयातो से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए विदेशी पूजी निवेश और विदेशी सहायता पर निर्भर है।

विदेशी पूजी निवेश का अर्थ और विशेषताए

(Meaning and Characteristics of Foreign Capital Investment)

विदेशी पूजी निवेश का अभिप्राय एक देश के पूजी निवेशको द्वारा दूसरे देश मे अपनी पूजी को उत्पादक कार्यों में लगाना है। विदेशी पूजी निवेश लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। विदेशी पूजी निवेश मे विदेशी सहायता, निजी विदेशी विनियोग, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से ऋण आदि को सम्मिलित किया जाता है। विदेशी सहायता मे विदेशी ऋणो व अनुदानो को सम्मिलित किया गया जाता है। इसमे विदेशी कम्पनियो द्वारा किए गए निवेश को सम्मिलित नहीं किया जाता है। विदेशी निजी विनियोग मे विदेशी कम्पनियो द्वारा लगाई गई पूजी का उल्लेख किया जाता है। निजी विदेशी विनियोग मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई), विदेशी पोर्टफोलियो विनियोग तथा व्यापारिक बैंको द्वारा विनियोग को सम्मिलित किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में विदेशी स्वामित्व के साथ विदेशी नियंत्रण भी होता है। इस तरह के विनियोग से सहायता प्राप्त करने वाले देश को शोषण का भय बना रहता है।

विदेशी पूजी निवेश की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है --

- 1 विदेशी पूजी निवेश में एक देश के निवेशको द्वारा दूसरे देश मे अपनी पूजी उत्पादक कार्यों के लिए विनियोजित की जाती है।
- 2 विदेशी पूजी निवेश लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है।
- 3 विदेशी पूजी निवेश के साथ शर्तें हो सकती हैं जो कठोर अथवा उदार हो सकती है।
- 4 विदेशी पूजी निवेश के आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य होते हैं।
- 5 विदेशी पूजी निवेश के चार स्रोत होते हैं जो इस प्रकार है --
 - (i) निजी विदेशी विनियोग।
 - (ii) सार्वजनिक विदेशी विनियोग।
 - (iii) अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं से ऋण।
 - (iv) विदेशी व्यापारिक उधार।
- 6 विदेशी पूजी निवेश की शर्तें सबधित देशो के निवेशको के पारस्परिक समझोते और सरकारी कानूनो के द्वारा निर्धारित होती है।

विदेशी पूजी निवेश की आवश्यकता/लाभ/गुण/विदेशी पूजी निवेश के पक्ष में तर्क/विदेशी सहायता का दर्शन

(Philosophy of Foreign Capital Investment)

वर्तमान में विश्व के सभी देशों के लिए विदेशी पूजी निवेश का अत्यधिक महत्त्व है। विदेशी पूजी निवेश से अनेक देशों में आर्थिक विकास की गति बढ़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूजी निवेश से अनेक लाभ दृष्टिगोचर हुए हैं -

1 **विदेशी विनिमय संकट का निवारण (To Prohibit Foreign Exchange Crisis)** - विकासशील देशों में वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है। विकास को गति देने के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। विकासशील देश प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के अभाव में निर्यात बढ़ाने की स्थिति में नहीं होते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था में आयातों की प्रधानता बनी होती है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न हो जाता है। भारत को पंचवर्षीय योजनाओं में विकासशील लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधिक विदेशी विनिमय कोषों की आवश्यकता थी। वर्ष 1990-91 में खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट के कारण भारत का विदेशी विनिमय कोष संकटग्रस्त की स्थिति में था। ऐसी दशा में विदेशी पूजी निवेश से विदेशी विनिमय संकट का निवारण किया जा सकता है।

2 **प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन (To Use Natural Resources)** - भारत खनिजों का अजायबखर है। यहां प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। किन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन नहीं हो सका। विदेशी पूजी निवेश से प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करके उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन से देशवासियों का जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है।

3 **प्राविधिकी ज्ञान की प्राप्ति (To Acquire Technical Knowledge)** - विकासशील देश प्राविधिकी ज्ञान के अभाव में आर्थिक विकास की दौड़ में विकसित देशों की तुलना में पिछड़ गए हैं। भारत सरीखे विकासशील देशों में शोध एवं अनुसंधान पर अपेक्षाकृत कम खर्च किया जाता है। विदेशी सहायता में ऋण एवं अनुदान के अलावा प्राविधिकी ज्ञान भी प्राप्त होता है। विदेशी सहायता से विकसित राष्ट्रों द्वारा उत्पादित नवीन तकनीक विकासशील राष्ट्रों को प्राप्त होती है। नवीन तकनीक को आत्मसात करके विकासशील राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना कर सकते हैं।

4 **आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास (Infrastructure and Industrial Development)** - आधारभूत संरचना यथा रेल, बन्दरगाह, बांध, सिंचाई, सड़क आदि के विकास के लिए विदेशी पूजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आधारभूत उद्योगों की स्थापना भी विदेशी पूजी निवेश से संभव है। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता से आधारभूत उद्योगों की स्थापना की।

5 विदेशी ऋण का भुगतान (Payment of Foreign Loans) – भारत ने योजनाकाल के प्रारम्भिक वर्षों में तथा बाद के वर्षों में आर्थिक विकास के लिए भारी मात्रा में विदेशी ऋण प्राप्त किया। आर्थिक विकास की गति तीव्र नहीं होने तथा निर्यातों के अपेक्षित गति से नहीं बढ़ने के कारण भारत को विदेशी ऋण के भुगतान में कठिनाई हुई। भारत को अनेक बार विदेशी ऋण और उस पर ब्याज को चुकाने के लिए विदेशों से ऋण लेना पड़ा है। आज भारत दुनिया का बड़ा ऋणी देश है। विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान की समस्या है तथा ऋण पर ब्याज का भारी बोझ है। प्राप्त विदेशी ऋण का बड़ा भाग पुराने ऋणों को चुकाने में खर्च हो जाता है। विदेशी पूँजी निवेश से भारत को विदेशी ऋणों के भुगतान में मदद मिली है।

6 स्वदेशी पूँजी का सर्वोत्तम उपयोग (Best Use of Native Capital) – विदेशी पूँजी निवेश से स्वदेशी पूँजी का सर्वोत्तम उपयोग होता है। इसके अलावा विदेशी पूँजी निवेश स्वदेशी पूँजी का अनुपूरक भी होती है। उद्योगपतियों को भारत में उद्योग स्थापित करते समय मशीनें कच्चा माल तथा अन्य विकास सामग्री विदेशों से प्राप्त करनी पड़ती है।

7 अत्यधिक आयात बिल (Import Bill in Extreme) – स्वतंत्रता के उपरांत 1972-73 और 1976-77 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में भारत का व्यापार शेष सदैव प्रतिकूल रहा है। पिछले वर्षों में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा पेट्रोल के दामों में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारत का आयात बिल अत्यधिक बढ़ा। भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद भी निर्यातों पर आयातों की अधिकता बनी हुई है। भारत के प्रतिकूल व्यापार शेष की स्थिति को देखते हुए रियायती शर्तों पर विदेशी सहायता की आवश्यकता है।

8 मुद्रास्फीति पर नियंत्रण (Control Over Inflation) – विदेशी पूँजी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायक होती है। देश में विदेशी पूँजी के प्रयोग से उत्पादों के अभाव की पूर्ति की जाती है। उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति में कमी होती है। विदेशी पूँजी निवेश से पूँजीगत और उपभोक्ता उत्पादों की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है।

9 रोजगार सृजन (Creation of Employment) – विदेशी पूँजी निवेश से देश का तीव्र औद्योगिक विकास होता है। देश में कृषि और उद्योगों का विकास होता है। उद्योगों की स्थापना से देशवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

10 विश्व शांति (World Peace) – आज विश्व के अनेक देशों के बीच परस्पर टकराव की स्थिति है। भारत को स्वतंत्रता के पश्चात् चार बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा तथा जून 1999 के भारत-पाक सीमा पर तनाव की स्थिति थी। भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके पाक सैनिक और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा 'आपरेशन विजय' चालू किया गया। कारगिल समस्या

से निपटने में भारतीय सैनिक शहीद हुए। विश्व के अनेक दूसरे देशों के बीच भी भारी तनाव की स्थिति है। विदेशी पूँजी निवेश से विश्व के देशों के बीच पारस्परिक सहयोग और सद्भावना बढ़ती है। विदेशी सहायता विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक है।

11 ऋणदाता देश को लाभ (Profit for Lender Country) – विदेशी पूँजी निवेश से ऋणदाता देश को ब्याज प्राप्त होता है। अतिरिक्त उत्पाद को विदेशों में खपाकर आन्तरिक मंदी को नियंत्रित किया जा सकता है। विदेशी सहायता मुहैया कराते समय निर्यात की भी शर्त जोड़ने पर व्यापार सतुलन को पक्ष में किया जा सकता है।

12 तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Development) – विकासशील देशों में वित्तीय ससाधनों के अभाव के कारण कृषि उद्योग व आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाता है। इन देशों में दक्षत व विनियोग की दर भी कम होती है। इस बन्नी को विदेशी पूँजी से दूर किया जा सकता है। विदेशी सहायता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी विनियोग में वृद्धि होती है जिससे आर्थिक विकास को बल मिलता है।

विदेशी पूँजी निवेश के खतरे

(Risk of Foreign Capital Investment)

विदेशी पूँजी निवेश से विश्व के देशों को आर्थिक विकास में मदद मिली है किन्तु विदेशी पूँजी निवेश के अनेक खतरे भी हैं। विदेशी पूँजी का उपयोग एक सीमा तक ही राष्ट्र के हित में होता है। विदेशी पूँजी निवेश अनेक समस्याएँ साथ लेकर आती है। अधिक विदेशी सहायता से अर्थव्यवस्था के सकटग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। नब्बे के दशक में दक्षिण-पूर्व एशियाई देश 'एशिया टाईगर' के रूप में उभरे किन्तु इन देशों में अधिक विदेशी पूँजी निवेश से अर्थव्यवस्था घराशाई हो गई। विदेशी पूँजी निवेश के बारे में बेनर (Baner) के विचार सारगर्भित हैं उनके अनुसार निरन्तर बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता मिलने से प्राप्तकर्ता राष्ट्र का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है और उसमें आत्मनिर्भरता की सच्ची भावना का उदय नहीं हो पाता। विदेशी पूँजी निवेश के कुछ खतरे इस प्रकार हैं –

1 स्वतंत्र आर्थिक नीति को खतरा (Risk to Independent Economic Policy) – स्वातन्त्र्यात्तर आर्थिक विकास को गति देने वास्तु भारत ने नियोजित विकास का मार्ग चुना। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को सर्वोपरि रखा गया। आज भारत स्वतंत्रता के पाँच दशक पूरे कर चुका है। पञ्चवर्षीय योजनाओं में विकासगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी पूँजी निवेश पर अधिक निर्भरता बढ़ी। भारत में दीर्घावधि तक आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं किया जा सका। विश्व के अनेक दशों से भारत में विदेशी सहायता प्राप्त की। विदेशी सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई

किन्तु अनेक कठिनाईयों का भी भारत को सामना करना पड़ा। विदेशी सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था पर परोक्ष प्रभाव पड़ा। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य प्राथमिकताओं के हिसाब से बदलने पड़ते हैं। भारत ने विदेशी पूजा निवेश को आकर्षित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन किया है। बजट घाटे को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का दबाव रहा है। अनेक बार केन्द्रीय बजट विदेशी पूजा निवेशको के दबाव में आकर बनाने की बात भी कही जाती रही है। सकट की घड़ी में विदेशी पूजा निवेश के कटु अनुभव रहे हैं। वर्ष 1965 व 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान अमरीका ने अचानक आर्थिक सहायता बंद की जिसका भारत के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते भारत ने 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को आत्मसात किया। विकास के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका घटी है। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किए। इसके परिणामस्वरूप अमरीका ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा की। आर्थिक प्रतिबन्धों का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। जून 1999 में भारत कश्मीर में कारगिल समस्या से जूझा। भारत-पाक सीमा पर तनाव की स्थिति है। भारत ने पाक घुसपैठियों को खदडने के लिए सैनिक कार्यवाही की। भारत ने सैनिक कार्यवाही सीमा रेखा के भीतर तक सीमित रखी। हर्ष की बात है कि भारत की सीमा के भीतर सैनिक कार्यवाही का विश्व की पांच 'दीटो' शक्तियों में से चार ने समर्थन किया। भारत को पाकिस्तान के नापाक इरादों को नैस्तनाबूद करने की आवश्यकता है। चाहे विदेशी पूजा निवेश के कमी की सभावना का खतरा ही क्यों न झेलना पड़े?

2 बढ़ता विदेशी ऋण (Increasing Foreign Debt) – विदेशी सहायता ऋण और अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। भारत को अधिकांश विदेशी सहायता ऋणों के रूप में प्राप्त हुई। पंचवर्षीय योजनाओं में विकासगत जरूरतों के लिए भारी भरकम पूजा विनियोजन की आवश्यकता थी। भारत में बचत दर कम होने के कारण वित्तीय ससाधनों का अभाव था। परिणामस्वरूप विदेशों से भारी कर्ज लिया गया। आज भारत दुनिया का बड़ा ऋणी देश है। नब्बे के दशक में भारत के कुल विदेशी ऋण में भारी वृद्धि हुई। भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च 1991 में 93,801 मिलियन डॉलर था जो बढ़कर 1995 में 99,008 मिलियन डॉलर हो गया। बाद के वर्षों में विदेशी ऋण में थोड़ी कमी आयी। मार्च 1998 में कुल विदेशी ऋण 93,908 मिलियन डॉलर रह गया। सितम्बर 1998 में विदेशी ऋण फिर बढ़कर 95,195 मिलियन डॉलर (प्राविजनल) हो गया। भारत का विदेशी ऋण मार्च 1998 से लेकर सितम्बर 1998 तक 1,287 मिलियन डॉलर बढ़ गया। पित्त मन्त्रालय द्वारा भारत के विदेशी कर्ज की मौजूदा स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी कर्ज लेने के मामले में विश्व में आठवें नम्बर पर है। यद्यपि

सबसे पहले उत्पाद के मुकाबले में विदेशी वर्ज का अनुपात 1991-92 के 177 प्रतिशत से घटकर दिसम्बर 1995 के अंत तक 23 प्रतिशत रह गया। रूपए में विदेशी ऋण में उतरोत्तर वृद्धि हुई। रूपए के अमूल्यता के कारण विदेशी ऋण बढ़ा। रूपए में भारत का विदेशी ऋण मार्च 1991 में 1,63,001 करोड़ रूपए था जो दिसम्बर मार्च 1995 में 311,685 करोड़ रूपए, मार्च 1998 में 3,71,565 करोड़ रूपए तथा दिसम्बर 1998 में और बढ़कर 405,004 करोड़ रूपए (प्रविजित) हो गया।

3 ब्याज का बोझ (Interest Burden) - विदेशी पूंजी निवेश के कारण भारत पर ब्याज का बोझ निरन्तर बढ़ता गया। भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी ऋण अदायगी के मामले में 'डिफाल्टर' घोषित नहीं हुआ। विदेशी ऋण के मूल भुगतान और ब्याज अदायगी में कठिनाई अग्रिम उत्पन्न हुई। वर्ष 1991-92 में खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट से निपटने वाले स्वर्ण विदेशों में गिरती रचना पड़ा। वर्तमान में विदेशी ऋण के मूल भुगतान और ब्याज भुगतान की दिशा समस्या है। अप्रैल-फरवरी 1997-98 में विदेशी सहायता सकल प्राप्ति 9,319 करोड़ रूपए, मूल भुगतान 6,782 करोड़ रूपए तथा ब्याज भुगतान 4,462 करोड़ रूपए था। विदेशी सहायता व ऋण अदायगी में बढ़ोतरी हुई। अप्रैल-फरवरी 1998-99 में विदेशी सहायता सबसे प्राप्ति 9,915 करोड़ रूपए, मूल भुगतान 8040 करोड़ रूपए तथा ब्याज भुगतान 4695 करोड़ रूपए हो गया। भारत में विदेशी मुद्रा आय के अनुपात में कर्ज अदायगी राशि का अनुपात 1990-91 में 353 प्रतिशत तथा 1998-99 में 194 प्रतिशत था। वर्ज अदायगी की राशि 1990-91 में 80 अरब डॉलर तथा 1998-99 में 83 अरब डॉलर था। पित्त मन्त्रालय द्वारा विदेशी वर्ज की मौजूदा स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले वर्षों में वर्ज अदायगी की राशि बढ़ने की संभावना है। इस वर्ष (1999-2000) यह राशि 914 अरब डॉलर हो जाने की उम्मीद है तथा यह राशि 2003 तक 1236 अरब डॉलर हो सकती है।

भारत को विदेशी ऋण चुकाने के लिए कई बार विदेशों से ऋण लेना पड़ा है जो घितनीय बात है। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं होने से भारत पर विदेशी ऋण बढ़ा है।

4 आत्मनिर्भरता में शिथिलता (Stackness in Self sufficiency) - विदेशी पूंजी निवेश से आत्मनिर्भरता के प्रयासों को देखा जा सकता है। विदेशी पूंजी निवेश से प्राप्त तकनीक विकासशील राष्ट्रों के अनुभूत नहीं होती है। भारत जातीयता वाला देश है तथा यहां बेरोजगारी की दिशा समस्या है। अतः भारत को श्रम गहन तकनीक की आवश्यकता है। विदेशों से प्राप्त तकनीक पूंजी गहन होती है। विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ने से आत्मनिर्भरता के प्रयासों को धजा पहुंचता है।

5 आर्थिक शोषण (Economic Exploitation) - विदेशी पूंजी निवेश से आर्थिक शोषण होता है। विदेशी सहायता मुहैया कराने वाले देश विदेशी सहायता

से संचालित कार्यक्रमों पर विदेशी अधिकारियों की नियुक्ति करते है जो विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देश का आर्थिक शोषण से नहीं चूकते हैं। विदेशी पूजी निवेशक लाभ का अधिकांश भाग स्वदेश ले जाते हैं।

6 कड़ी प्रतिस्पर्धा (Tough Competition) – भारतीय उद्यमी विदेशी पूजी निवेश प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय उत्पाद आधुनिक तकनीक से सुसज्जित नहीं है। विदेशी पूजी निवेश सामान्यतया विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। उनके पास आधुनिक तकनीक होती है। विदेशी उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था पर छा जाते हैं। स्वदेशी उद्योगों का प्रतिस्पर्धा में नहीं टिकने के कारण पतन होता है। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में विदेशी पूजी निवेश को आकर्षित करने में भी भारी प्रतिस्पर्धा है। आज विश्व के अधिकांश देश विदेशी पूजी को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रयासों के बावजूद भारत अधिक विदेशी पूजी आकर्षित नहीं कर सका है। राजनीतिक अस्थिरता और समसामायिक घटनाओं के कारण विदेशी पूजी निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। विदेशी पूजी निवेश को एक सीमा तक जनविरोध का भी सामना करना पड़ता है। आज विदेशी पूजी निवेश राष्ट्रों के विकास की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में विदेशी पूजी निवेश का राजनीतिक विरोध समीचीन नहीं है।

7. असंतुलित विकास (Imbalanced Development) – विदेशी पूजी असंतुलित विकास को बढ़ावा देती है। विदेशी पूजी लाभ की अधिक संभावनाओं वाले क्षेत्रों में ही विनियोजित की जाती है। विदेशी पूजी प्राप्त करने वाला देश पूजी के उपयोग के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। अनेक बार विदेश पूजी विशेष कार्यों के लिए होती है। भारत में विदेशी पूजी का उपयोग उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में अधिक हुआ है। आधारभूत संरचना क्षेत्र में अधिक विदेशी पूजी निवेश नहीं हुआ है।

8 राजनीतिक प्रभुत्व (Political Influence) – विदेशी पूजी निवेश का राजनीतिक प्रभाव भी होता है। विदेशी पूजी सामान्यतया सबधित गुट वाले देशों को ही अधिक मात्रा में मुहैया कराई जाती है। विगत में अमरीका ने पूजी प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों में अधिक पूजी निवेश किया। विदेशी पूजी निवेश करने वाला देश ऋणी देश पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व थोपने का प्रयास करता है।

विदेशी पूजी निवेश के खतरों को दृष्टिगत रखते हुए भारत को आत्मनिर्भरता की महती आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पांच दशक बीत जाने के बाद भी विदेशी पूजी पर आश्रितता चिंताप्रद है। भारत को विदेशी पूजी के स्थान पर आंतरिक वित्तीय संसाधनों से विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चाहे विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाए। विदेशी सहायता के मामले में चीन से सीख ले सकते हैं। चीन से स्वदेशी मध्यवर्ती तकनीक विकसित करके साठ के दशक में ही विदेशी सहायता से मुक्ति पा ली। आज चीनी विदेशी पूजी का निर्यातक देश है। भारत विदेशी पूजी का अनुकूलतम उपयोग भी नहीं कर सका है। विदेशी पूजी बहुत

महंगी होती है इससे दश व आर्थिक साधना का शापण भी हाता है। अतः विदेशी पूँजी का उपयोग उत्पादन वृद्धि में हाता चाहिए। विदेशी पूँजी की प्रासंगिकता इसके उपयोग से राष्ट्र की आर्थिक सुदृढता में निहित है। भारत की आर्थिक मजबूती से बाहरी सहायता की अदायगी आसान होगी।

विदेशी पूँजी निवेश के विभिन्न स्रोत

(Various Sources of Foreign Capital Investment)

विदेशी पूँजी निवेश के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं -

1 सार्वजनिक विदेशी विनियोग (Public Foreign Investment) - सार्वजनिक विदेशी विनियोग में ऋण अनुदान तकनीकी सहायता व खाद्यान्न सहायता का सम्मिलित किया जाता है। निजी विदेशी विनियोग का लाभ आसानी से नहीं मिल पाने के कारण विकासशील राष्ट्रों को सार्वजनिक विदेशी विनियोग पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। सार्वजनिक विदेशी विनियोग में विदेशी सरकारों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को विदेशी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत को अमरीका जर्मन जापान रूस ब्रिटेन फ्रांस आदि से ऐसी सहायता बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई।

2 विदेशी निजी विनियोग (Foreign Private Investment) - विदेशी निजी विनियोग के विदेशी पूँजी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग और पोर्टफोलियो विनियोग द्वारा किया जाता है।

(i) विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग (Foreign Direct Investment) - इसमें विदेशी स्वामित्व के साथ-साथ विदेशी नियंत्रण भी होता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग से सहायता प्राप्त करने वाले देश को शोषण का भय बना रहता है।

(ii) पोर्टफोलियो विनियोग (Portfolio Investment) - पोर्टफोलियो विनियोग के अन्तर्गत निवेश पर नियंत्रण भारतीयों के हाथों में होता है। इस प्रकार के विनियोग पर केवल व्याज देना हाता है अथवा एक निश्चित लाभांश की गारण्टी होती है। पोर्टफोलियो विनियोग में विनियोगकर्ता अपने ऊपर जाखिम नहीं लेते हैं और प्रबन्ध पर भी नियंत्रण नहीं रखते हैं।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण और अनुदान (Loan and Grants by International Institutions) - अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग निगम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ एशियाई विकास बैंक भारत सहायता क्लब आदि मुख्य हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सदस्य देश बिना किसी राजनीतिक दबाव के सहायता प्राप्त कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं।

4 विदेशी व्यापारिक उधार (External Commercial Borrowings) - भारत पूँजी बाजार के विभिन्न घटका से विदेशी व्यापारिक उधार प्राप्त करता है।

इसके स्रोत ब्रिटेन का निर्यात साख गारन्टी निगम, अमेरिकन एक्जिम बैंक, जापान का एक्जिम बैंक आदि हैं। यह एक प्रकार से निजी विदेशी विनियोग का ही भाग है।

विदेशी पूँजी निवेश की राजकीय नीति

(Government Policy towards Foreign Capital Investment)

भारत में विदेशी पूँजी के महत्व को प्रथम औद्योगिक नीति, 1948 से ही स्वीकार किया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में देश की औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने, उद्योगों में विविधता तथा नवीन तकनीक का लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी पूँजी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। नीति में कहा गया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विदेशी पूँजी के नियमन के लिए स्वामित्व तथा कारगर नियंत्रण में एक बड़ा भाग भारतीयों के हाथ में हो, किन्तु सभी मामलों में योग्य भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए जो अन्ततोगत्या विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ले सकें। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में राष्ट्रीयकरण की बात कही जाने के कारण विदेशी निवेशको म भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। विदेशी निवेशको का विश्वास पाने के वास्ते तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ससद में घोषणा की कि विदेशी पूँजी और स्वदेशी पूँजी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण की नीति में उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा देश में मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेशको को लाभ व पूँजी बाहर भेजने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त विदेशी हितों विशेषकर प्रतिबन्ध व नियंत्रण यथासभव नहीं करने की बात भी कही गई। इन घोषणाओं से विदेशी निवेशको का भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाये रखने में मदद मिली। वर्ष 1977 की औद्योगिक नीति में भी विदेशी सहयोग प्राप्त करने की बात कही गई, किन्तु विदेशी सहयोग वाली फर्मों को 'फेरा' के तहत ढाला गया। विदेशी निवेश और पूँजी पर कुछ अपवादों को छोड़कर स्वामित्व व नियंत्रण भारतीयों के हाथों में होगा। सभी स्वीकृत इकाइयों को लाभ स्वदेश में ले जाने की अनुमति होगी। औद्योगिक नीति 1990 में विदेशी सहयोग के प्रति रुख स्पष्ट किया गया। किसी भी उद्योग में विदेशी सहयोग की राशि प्लॉट एव मशीनरी के मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। किसी कंपनी में अंश पूँजी के 40 प्रतिशत के बराबर की अनुमति स्वचालित आधार पर होगी। उद्यमी तकनीक के आयात को आवश्यक समझता है तो वह सहयोगी से अनुबंध कर सकता है।

विदेशी पूँजी निवेश की वर्तमान नीति (Present Policy of Foreign Capital Investment) — केन्द्र सरकार ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वारते 1991-92 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। अब तक अर्थव्यवस्था में अनेक मूलभूत बदलाव किए जा चुके हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 की औद्योगिक नीति घोषणा के साथ हुई। भारत में विकास वास्ते विदेशी पूँजी की आवश्यकता तथा भुगतान असतुलन की स्थिति

नियोजन काल में प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता
(वर्ष 1951-1952 से 1997-98)

(करोड़ रुपए)

पंचवर्षीय योजनाएँ	योजना परिव्यय (सार्वजनिक क्षेत्र)	प्रयुक्त विदेशी सहायता	प्रयुक्त विदेशी सहायता का योजना परिव्यय में भाग (प्रतिशत में)
चतुर्थ योजना के अंत तक (1951-52 से 1973-74)	37612.70	11922.1	31.7
पाचवी योजना (1974-79)	39426.20	7259.3	18.4
षष्ठी योजना (1979-80)	12176.50	1353.1	11.1
सप्तमी योजना (1980-85)	109291.70	10903.9	9.9
आठवी योजना (1985-90)	218729.62	22699.8	10.4
नवमी योजना (1990-91)	58369.30	6704.3	11.5
(1991-92)	64751.20	11615.0	17.9
आठवी योजना (1992-97)	434100.00	56644.0	13.0
	(अनुमानित)		
वित्त वर्ष (1997-98)	139625.90	11744.7	8.4
	(स अ)		
कुल योग (1951-52 से 1997-98 तक)	1114083.1	140846.2	12.6

स्रोत 1. इकोनॉमिक सर्वे 1992-93 तथा 1998-99 से संकलित।

2. शर्मा ओ पी. भारत में नियोजित विकास और आर्थिक उदारीकरण 1999

भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता का खूब उपयोग किया। भारत ने 1951-52 से लेकर 1997-98 तक 1,40,846 करोड़ रुपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की। नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों में योजना परिव्यय का बड़ा भाग विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त किया गया। बाद के वर्षों में विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक 11,922 करोड़ रुपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई जो योजना परिव्ययों का 31.7 प्रतिशत था। सातवी पंचवर्षीय योजना में 22,699.8 करोड़ रुपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई जो सातवीं योजना परिव्यय 2,18,729.6 करोड़ रुपए का 10.4 प्रतिशत थी। वर्ष 1991-92 में विदेशी सहायता में तीव्र वृद्धि हुई। गौरतलब है इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट से ग्रसित थी। वर्ष 1991-92 में योजना परिव्यय के 17.9 प्रतिशत कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई। आठवी पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता

56,644 करोड़ रूपए थी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानित योजना परिव्यय 4,34,100 करोड़ रूपए के 13 प्रतिशत बैठती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक योजना परिव्यय आन पर विदेशी सहायता के प्रतिशत में थोड़ी कमी होगी। संयुक्त मार्चा सरकार के कार्यकाल में विदेशी सहायता में कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1997-98 में 11,744.7 करोड़ रूपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई जो इस वर्ष के संशोधित योजना परिव्यय 1,39,625.9 करोड़ रूपए का 8.4 प्रतिशत है। कुल मिलाकर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में योजना परिव्यय का बड़ा भाग विदेशी सहायता के रूप में प्रयुक्त किया गया।

आर्थिक उदारता और विदेशी सहायता

(करोड़ रूपए)

(अ) कुल अधिकृत विदेशी सहायता (Authorization)	वर्ष	अनुदान	कुल	कुल विदेशी सहायता में अनुदान का प्रतिशत
1991-92	11805.8	901.8	12707.6	7.0
1992-93	13082.1	1011.7	14093.8	7.2
1993-94	11618.8	2415.1	14033.9	17.2
1994-95	12384.3	1075.8	13460.1	7.9
1995-96	10833.2	1330.0	12163.2	10.9
1996-97	14208.8	2932.6	17141.4	17.1
1997-98	14865.0	2101.0	16966.0	12.4
1998-99	8320.8	209.8	8530.6	2.5
(अ) कुल उपयोग (प्रयुक्त) (Total Utilization)				
1991-92	10695.9	919.1	11615.0	7.9
1992-93	10102.2	879.6	10981.8	8.0
1993-94	10895.4	885.6	11781.0	7.5
1994-95	9964.5	916.0	10880.5	8.4
1995-96	9958.6	1063.6	11022.2	9.6
1996-97	10892.9	1085.6	11978.5	9.0
1997-98	10823.4	921.3	11744.7	7.8
1998-99	12343.4	895.5	13238.9	6.8

स्रोत: इकानामिक सर्वे 1998-99 एस-98 तथा 1999-2000 (अनुदान का प्रतिशत निकाले गए हैं।)

आर्थिक उदारीकरण और विदेशी सहायता (Economic Liberalization and Foreign Assistance) – भारत में आर्थिक उदारीकरण के दस वर्ष बीत चुके हैं। आर्थिक उदारीकरण में भारत की अर्थव्यवस्था की विदेशी सहायता पर निर्भरता बनी हुई है। प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता में अनुदान का प्रतिशत बहुत कम है। विदेशी सहायता में ऋणों का भाग अधिक होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ब्याज के बोझ तले दबी हुई है। इसके अलावा कुल अधिकृत विदेशी सहायता और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता में भारी अंतराल है। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं हो पाने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था विकास की तेज गति नहीं पकड़ सकी।

आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में विदेशी सहायता की प्रवृत्ति में विशेष बदलाव नहीं आया। कुल अधिकृत विदेशी सहायता 1991-92 में 12,7076 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1997-98 में 16,966 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार कुल अधिकृत विदेशी सहायता में 1997-98 में 1991-92 की तुलना में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल अधिकृत विदेशी सहायता में तो वृद्धि हुई, किन्तु कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता में वृद्धि लगभग नगण्य रही। कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता 1991-92 में 11,615 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1997-98 में केवल 11,744.7 करोड़ रुपए ही हो सकी। कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता में 1997-98 में 1991-92 की तुलना में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल अधिकृत विदेशी सहायता में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के केवल एक प्रतिशत की वृद्धि चौंकाने वाले तथ्य हैं।

कुल अधिकृत विदेशी सहायता और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के बीच अंतराल बढ़ा है। वर्ष 1991-92 में कुल अधिकृत विदेशी सहायता 12,7076 करोड़ रुपए थी। जबकि कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता 11,615 करोड़ रुपए ही थी। वर्ष 1991-92 में कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता, कुल अधिकृत विदेशी सहायता की तुलना में 8.6 प्रतिशत कम रही। वर्ष 1997-98 में कुल अधिकृत विदेशी सहायता और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता में अंतराल भारी बढ़ा। इस वर्ष कुल अधिकृत विदेशी सहायता 16,966 करोड़ रुपए की थी जबकि कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता 11,744.7 करोड़ रुपए ही थी। वर्ष 1997-98 में कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता, कुल अधिकृत विदेशी सहायता की तुलना में 30.8 प्रतिशत कम रही। कुल अधिकृत विदेशी सहायता की तुलना में कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता के कम होने का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। एक ओर भारत में वित्तीय ससाधनों का अभाव है दूसरी ओर कुल अधिकृत विदेशी सहायता का पूरा भाग प्रयुक्त नहीं हो सका। विदेशी सहायता में अनुदान का भाग बहुत कम है बाहरी सहायता के मूल और ब्याज अदायगी की भारी चिन्ता है परिणामस्वरूप भारत विकास की दौड़ में विकसित देश की तुलना में पीछे है।

प्राप्त विदेशी सहायता के प्रमुख स्रोत (Main Sources of Receipt Foreign Assistance) — भारत को विदेशी सहायता भारत सहायता क्लब रूस व पूर्वी यूरोपीय देश और अन्य स्रोत यथा अबूधावी फण्ड, यूरोपीय आर्थिक समुदाय औपेक एशियाई विकास बैंक आदि से प्राप्त होती है।

भारत सहायता क्लब (Consortium Members) — विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की। विश्व के विकसित देश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ भारत सहायता क्लब के सदस्य हैं। भारत सहायता क्लब के सदस्यों में आस्ट्रिया बेल्जियम कनाडा डेनमार्क फ्रांस जर्मनी इटली जापान नीदरलैंड, स्वीडन ब्रिटेन अमरीका विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ आई एफ एफ ट्रस्ट फण्ड आदि। भारत सहायता क्लब से भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता 1980-81 में 1 999 करोड़ रूपए 1990-91 में 5 796 5 करोड़ रूपए, 1995-96 में 8 904 करोड़ रूपए तथा 1997-98 में 9 208 करोड़ रूपए थी।

रूस सघ और पूर्वी यूरोपीय देशों से भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता 1980-81 में 329 करोड़ रूपए 1990-91 में 312 8 करोड़ रूपए तथा 1992-93 में 34 8 करोड़ रूपए थी। वर्ष 1993-94 के बाद से भारत को रूस सघ और पूर्वी यूरोपीय देशों से विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई। अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल विदेशी सहायता 1980-81 में 129 9 करोड़ रूपए 1990-91 में 595 करोड़ रूपए तथा 1997-98 में 2 536 4 करोड़ रूपए थी। अन्य स्रोतों में भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता सर्वाधिक एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त होती है। वर्ष 1997-98 में इस दोनों संस्थाओं से क्रमशः 2 230 करोड़ रूपए तथा 227 5 करोड़ रूपए की कुल विदेशी सहायता प्राप्त हुई।

भारत में विदेशी सहायता की उपलब्धियाँ

(Achievements of Foreign Assistance in India)

भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकट के समय विदेशी सहायता से राहत मिली। भारत में स्वातन्त्र्योत्तर विदेशी सहायता की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं —

1 विदेशी सहायता में निरन्तर वृद्धि (Continued Increase in Foreign Assistance) — भारत में स्वतंत्रता के उपरान्त विदेशी सहायता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। विदेशी सहायता का बढ़ने से वित्तीय संसाधनों के अभाव से निपटने में मदद मिली। भारत ने 1951-52 से 1997-98 तक 1 40 846 करोड़ रूपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त की। पाचवी पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता 7 259 करोड़ रूपए थी जो बटवरे आठवीं पंचवर्षीय योजना में 56 644 करोड़ रूपए तक जा पहुँची।

2 औद्योगिक विकास (Industrial Development) — नियोजन काल के

प्रारम्भिक वर्षों में देश में औद्योगीकरण का अभाव था। विदेशी सहायता से आधारभूत और मूलभूत उद्योगों का विकास हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता से आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई। विदेशी सहायता से देश में औद्योगीकरण का वातावरण बना।

3 तीव्र विकास (Rapid Development) – भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने में विदेशी सहायता का बड़ा योगदान है। भारत को कृषि, सिंचाई, विद्युत, परिवहन के विकास में पर्याप्त विदेशी सहायता मिली है।

4 तकनीकी और प्रबन्धकीय ज्ञान (Technical and Administrative Knowledge) – विदेशी सहायता से भारत में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिला। भारत को विदेशी सहायता में विशेषज्ञों की सेवाएँ, भारतीयों को प्रशिक्षण सुविधा, तकनीकी सलाह आदि प्राप्त हुईं। विदेशी सहायता से भारत में तकनीकी योग्यता व प्रबन्धकीय क्षमता में वृद्धि हुई।

5. भुगतान संकट में राहत (Relief in Payment Crisis) – भारत नियोजन काल में विकासगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयातों पर अधिक निर्भर रहा। परिणामस्वरूप व्यापार घाटे की समस्या सदैव मुहबाएँ खड़ी रही। व्यापार घाटे के बढ़ने से भुगतान संतुलन की स्थिति भी बिगड़ी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन के अन्तर्गत चालू खाते का घाटा (1984-85 मूल्यों के पर) 20,000 करोड़ रूपए था। जो सकल घरेलू उत्पाद का 16 प्रतिशत था। भारत बढ़ते व्यापार घाटे की समस्या से आज भी जूझ रहा है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में निर्यातों के तेजी से नहीं बढ़ने के कारण व्यापार घाटे की स्थिति और बिगड़ी। भारत का व्यापार घाटा 1991-92 में 3,810 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 1996-97 में 20,103 करोड़ रूपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में और बढ़कर 30,597 करोड़ रूपए तक जा पहुँचा। भुगतान के मोर्चे पर स्थिति से निपटने के लिए विदेशी सहायता मिली तथा विकास के मार्ग में अडचने नहीं आयी।

6. खाद्यान्न आपूर्ति – भारतीय कृषि नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों में पिछड़ी रही। आज भी कृषि उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। दूसरी ओर जनसंख्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। ऐसी स्थिति में भारत को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा। अमरीका द्वारा पी एल 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति से भारत के गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली।

7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना (International Cooperation and Goodwill) – विदेशी सहायता विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होती है। विदेशी सहायता में समझौते और वार्ताएँ विश्व के देशों को निकट लाती हैं। भारत की आर्थिक सहायता के लिए 'भारत सहायता कोष' बना हुआ है जिसके सदस्य देशों द्वारा भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता मिलती है। दक्षिण एशिया के देशों में गरीबी की समस्या विकट है। भारत विकासशील देशों

बढ़ते मूलधन और ब्याज अदायगी अर्थात् ऋण सेवाओं के भुगतान से निपटने के लिए विदेशी सहायता पर बड़े पैमाने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विदेशी सहायता का उपयोग उत्पादन वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए जिससे निर्यात बढ़कर मूलधन और ब्याज का भुगतान किया जा सके।

3 विशुद्ध विदेशी प्रवाह में कमी (Lack of Net Foreign Inflows) – प्राप्त विदेशी सहायता का बड़ा भाग ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में खर्च हो जाता है। जिससे विशुद्ध विदेशी सहायता निरन्तर घटी। विशुद्ध विदेशी सहायता का प्रवाह 1980-81 में 1,297 करोड़ रूपए 1990-91 में 2,422 करोड़ रूपए, 1994-95 में 453 करोड़ रूपए तथा 1996-97 में 4,165 करोड़ रूपए रहा।

ऋण और ब्याज पुनर्भुगतान की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए जिससे विशुद्ध विदेशी सहायता का प्रवाह बढ़ सके।

4 बढ़ता विदेशी ऋण (Excess Foreign Debt) – भारत को अधिकतर विदेशी सहायता ऋणों के रूप में प्राप्त हुई। भारत द्वारा विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं हो पाने के कारण ऋणभार की समस्या बढ़ी। विदेशी ऋण के बढ़ने से समस्या इतनी जटिल हो गई कि कर्ज चुकाने के लिए अनेक बार कर्ज लेना पड़ा। यदि विदेशी ऋण के बढ़ने की प्रवृत्ति बनी रही तो न केवल आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होगा अपितु विदेशी ऋण शिकजे की जकडन बढ़ती जाएगी। आज भारत दुनिया का बड़ा ऋणी देश है। भारत की कुल विदेशी ऋण मार्च 1998 में 3,71,565 करोड़ रूपए था। डॉलर में विदेशी ऋण मार्च 1998 में 93,908 मिलियन डॉलर था।

भारत को बढ़ते विदेशी ऋण की समस्या से निपटने के लिए अनुदान प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए जिसमें मूल और ब्याज अदायगी का भार नहीं उठाना पड़ता है।

5 प्रतिस्पर्धा (Competition) – विदेशी सहायता के तकनीक के रूप में भी प्राप्त होने के कारण भारतीय तकनीक को कम प्रोत्साहन मिला। भारत के सभी क्षेत्रों में विदेशी सहायता प्राप्त तकनीक का उपयोग किया गया। आज भारतीय बाजार विदेशी ब्राण्डों और ट्रेडमार्कों से भरे पड़े हैं। भारतीय उत्पादन विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं। भारतीय उत्पादों के घटिया माने जाने से स्वदेशी उद्यमी हतोत्साहित होते हैं।

प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए भारतीय तकनीक को प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्पादों को भारतीय ब्राण्डों और ट्रेडमार्कों में बदला जाना चाहिए।

6 अनुचित उपयोग (Improper Use) – भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में भारी विदेशी सहायता प्रयुक्त की गई। वर्ष 1951-52 से लेकर 1997-98 तक भारत में 1,40,846 करोड़ रूपए की विदेशी सहायता प्रयुक्त हुई। भारी भरकम

विदेशी सहायता के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आया। आज भी भारत में गरीबी बेकारी निरक्षरता आदि समस्याएँ मुहवाएँ खाड़ी हैं। भारतीयों की दयनीय आर्थिक स्थिति से विदेशी सहायता के अनुचित उपयोग की पृष्ठि होती है। प्रयुक्त विदेशी सहायता को अनुत्पादक परियोजनाओं में लगा दिया गया। जिससे विदेशी सहायता का लाभ जन साधारण का नहीं मिला। विदेशी सहायता का उपयोग उत्पादक परियोजनाओं में किया जाना चाहिए जिससे देश के आर्थिक विकास को बल मिले।

7 अनिश्चितता (Uncertainty) – विदेशी सहायता के मामले में भारत के सामने अनेक बार अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई। दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय अमरीका ने भारत को दी जान वाली विदेशी सहायता बंद कर दी जिससे भारत के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मई 1998 में राजस्थान के पोकरण में भारत के परमाणु परीक्षण के कारण अमरीका ने भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा की जिसका प्रभाव भी भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

संकट के समय विदेशी सहायता की अधिक आवश्यकता होती है। यदि ऐसा समय में विदेशी सहायता बंद या स्थगित कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत स्वतंत्रता के पाँच दशक पूरे कर चुका है। फिर भी विकास वास्ते विदेशी सहायता पर निर्भरता बनी हुई है। विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए भारत का आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रभावात्पादक कदम उठाने होंगे। आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार निर्मित और प्रियान्वित करनी होंगी कि प्राप्त विदेशी सहायता का अधिकांश भाग ऋण अदायगी में ही नहीं चला जाए। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े। इसके लिए आवश्यक है आज के आर्थिक उदारीकरण के युग में विदेशी सहायता का उपयोग आधारभूत संरचना के विकास और औद्योगिक पुनरुत्थान में किया जाना चाहिए। इसके अलावा विदेशी सहायता को सामाजिक विकास के ढाँचे में सुधार की ओर मोड़ना भी समीचीन होगा।

2 निजी क्षेत्र विदेशी पूँजी निवेश (Private Sector Foreign Capital Investment) – भारत में विदेशी पूँजी निवेश का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत निजी क्षेत्र विदेशी पूँजी निवेश है। इसमें एक देश की निजी कम्पनियाँ द्वारा दूसरे देश की कम्पनियों में निवेश किया जाता है। निजी क्षेत्र विदेशी पूँजी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) और पोर्टफोलियो निवेश (Portfolio Investment) द्वारा होता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विदेशी कम्पनियाँ भारत की कम्पनियों की अंश पूँजी से 50 प्रतिशत से अधिक शेयरस खरीदकर कम्पनियों का स्वामित्व प्रबन्ध व नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती हैं। पोर्टफोलियो निवेश में कम्पनियों पर नियंत्रण भारतीयों के हाथों में होता है। पोर्टफोलियो निवेश पर केवल ब्याज अथवा एक निश्चित लाभ का गारण्टी होती है।

भारत में जनसंख्या के बड़े भाग के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने के कारण बचत और विनियोग की दर विकसित देशों की तुलना में कम हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर में औद्योगिक विकास को गति देने वास्ते वित्तीय ससाधनों का अभाव है। आधारभूत संरचना का भी देश में समुचित विकास नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था की माली हालत को दृष्टिगत रखते हुए भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विनियोगकर्ता दूसरे देश में सर्वोत्तम तकनीकी योग्यता और प्रबन्धकीय क्षमता का प्रयोग करते हैं। भारत में आर्थिक सुधार लागू किए जाने के बाद विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका नियोजन काल की तुलना में कम हो गई है। भारत के निजी क्षेत्र के लम्बे समय तक संरक्षण नीति में पलने के कारण उनमें प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति नहीं बढ़ सकी। ऐसी स्थिति में विदेशी उद्योगपतियों को स्वयं के जोखिम और नियंत्रण पर उद्योगों की स्थापना करने के लिए अधिक अवसर देने पर विचार करना चाहिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से देश में उत्पादन वृद्धि में मदद मिलेगी जिससे बेरोजगारी की समस्या का भी बड़ी सीमा तक निदान हो सकेगा। किन्तु अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अर्थव्यवस्था के सकटग्रस्त होने की संभावना भी रहती है। गौरतलब है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ देश अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण "एशियन टाईगर" के रूप में उभरे किन्तु निवेशकों द्वारा पूँजी वापस खींच लेने के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो गई थी। भारत एक विशाल देश है। यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय ससाधनों की बहुलता है। विदेशी निवेशक आर्थिक शोषण करने से नहीं चूकते हैं। अतः विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करते समय इनके दुष्परिणामों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है किन्तु भारत विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के मामले में चीन और अन्य विकासशील देशों की तुलना में पीछे है।

योजनागत विकास में भारी भरकम पूँजी विनियोजन किया गया इसके बावजूद भारत विकास की दौड़ में विश्व के अन्य विकासशील देशों से बहुत पीछे है। संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के मानव विकास रिपोर्ट 1997 में विकास की दौड़ में भारत का स्थान विकासशील देशों में 138वें स्थान पर था। एशियाई परिप्रेक्ष्य में भी भारत की विकास दर कम है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1995 में भारत की वास्तविक जी डी पी दर 6.2 प्रतिशत थी जबकि यह चीन में 10.2 प्रतिशत, मलेशिया में 9.6 प्रतिशत, कोरिया में 9 प्रतिशत, सिंगापुर में 8.9 प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया में 8.1 प्रतिशत थी। सितम्बर 1995 में आम भारतीय पर 3,465 रूपए के विदेशी कर्ज का बोझ था।

भारत औद्योगिक मदी को दूर करने के लिए अधिक विदेशी पूँजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। भारत में 1966-97 तथा 1997-98 में राजनीतिक अस्थिरता विदेशी पूँजी निवेश के मार्ग में बाधा बनी। भारत सरकार ने

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन और प्रवाह
(करोड़ रुपए)

वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदन	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह	कुल निवेश का प्रतिशत
1991	534	351	65.7
1992	3888	675	17.4
1993	8859	1787	20.2
1994	14190	3289	23.2
1995	32070	6820	21.3
1996	36150	10389	28.7
1997	54891	16425	29.9
1998	30810	13340	43.3
1999	23795	11093	46.6

(अक्टूबर तक)

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 पृ 103 तथा 1999-2000

वर्ष 1997-98 में पूर्वी एशियाई देशों में उत्पन्न सकट के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत में पूजी निवेश बढ़ाने में अधिक रुचि दिखाई किन्तु 1996-97 1997-98 तथा मई 1999 में भारत में राजनीतिक सकट के कारण विदेशी निवेशकों द्वारा जोखिम नहीं उठाने के कारण देश में विदेशी पूजी निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा इन वर्षों में सरकार ने विकासगत खर्चों में कटौती की। रिजर्व बैंक की वार्षिक रपट के अनुसार 1995-96 में विकास खर्चों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1996-97 में केवल 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घटते विदेशी पूजी निवेश और विकासगत खर्चों में कटौती का औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

3 अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूजी निवेश (Non Resident Indian's Investment in India) - भारत की अर्थव्यवस्था में अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूजी निवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। अप्रवासी निवेश से भारत को वित्तीय ससाधनों के अभाव की समस्या से निपटने में मदद मिली है। भारत सरकार अप्रवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करने के लिए रियायतों की घोषणा करती है। अप्रवासी भारतीयों के भारत में निवेश पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है। भारत में अप्रवासी निवेश समस्याओं से अछूता नहीं है। ये अच्छे समय के साथी हैं। सकट में अप्रवासी निवेशक जमा राशि वापस निकलवाने से नहीं चूकते हैं। खाडी युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था सकट से जूझ रही थी उस समय अप्रवासी भारतीयों ने जमा राशि निकलवाकर सकट को और गहरा दिया था।

अप्रवासी भारतीय द्वारा जमा (मार्च के अंत में)
(करोड़ रुपए)

वर्ष	अप्रवासी भारतीय जमा
1991	19843
1992	26737
1993	34113
1994	39729
1995	39006
1996	37802
1997	39527
1998	47189
1999 (प्रा)	52382
1999 (सित)	56691

स्रोत: इकोनॉमिक सर्वे, 1999-2000, एस-109

4 विदेशी व्यापारिक ऋण (External Commercial Borrowings) – विदेशी व्यापारिक ऋण विदेशी पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण स्रोत है। विदेशी व्यापारिक ऋण एक प्रकार से निजी क्षेत्र विदेशी पूंजी निवेश का भाग है। विदेशी व्यापारिक ऋण में वाणिज्यिक बैंक ऋण, सिक्यूरिटी ऋण, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय गारन्टी और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वाशिगटन) से ऋण अथवा सिक्यूरिटी ऋण तथा 'सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन' आदि सम्मिलित करते हैं। सिक्यूरिटी ऋण में भारत विकास बॉण्ड, रिसरजेंट इंडिया बॉण्ड आदि सम्मिलित करते हैं।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण (मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वाणिज्यिक ऋण
1991	19727
1992	35711
1993	36367
1994	38782
1995	40915
1996	47642
1997	51454
1998	67068
1999 (प्रा)	89289
1999 (सितम्बर)	89228

स्रोत: इकोनॉमिक सर्वे, 1999-2000, एस-109

भारत के विदेशी वाणिज्यिक ऋणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। विदेशी वाणिज्यिक ऋण 1991 में 19,727 करोड़ रूपए थे जो बढ़कर 1998 में 67,068 करोड़ रूपए हो गया। वर्ष 1991 से 1998 के बीच विदेशी वाणिज्यिक ऋण में 3.4 गुना वृद्धि हुई। वाणिज्यिक ऋणों में वाणिज्यिक बैंक ऋण तथा सिक्यूरिटी ऋणों का भाग अधिक है। वर्ष 1998 के वाणिज्यिक ऋणों में वाणिज्यिक बैंक ऋण 39,220 करोड़ रूपए तथा सिक्यूरिटी ऋण 23,879 करोड़ रूपए थे। डॉलर में भारत का विदेशी वाणिज्यिक ऋण 1998 में 16,982 मिलियन डॉलर था।

सन्दर्भ

- 1 मथली इकोनोमिक रिपोर्ट, मई 1999 एन एन एस।
- 2 राजस्थान पत्रिका, 10 जून 1999
- 3 केन्द्रीय बजट, 1996-97
- 4 इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, पृ स 103

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 विदेशी पूजा निवेश का अर्थ और विशेषताएं बताइए।
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूजा निवेश का क्या महत्त्व है।
- 3 विदेशी पूजा निवेश के खतरे बताइए।
- 4 विदेशी पूजा निवेश के विभिन्न स्रोत क्या हैं।
- 5 विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की वर्तमान स्थिति बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूजा निवेश का क्या महत्त्व है। इसके सभावित खतरे बताइए।
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी सहायता का दर्शन समझाइए।
- 3 भारत में विदेशी पूजा निवेश के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।
- 4 भारत में विदेशी पूजा निवेश की उपलब्धियों और सभावित खतरों की विवेचना कीजिए।
- 5 भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी सहायता क्यों आवश्यक है? इसके सभावित खतरे बताइए।

(संकेत - सभी प्रश्नों के उत्तर में प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये विदेशी पूजा निवेश का महत्त्व लिखना है तथा दूसरे भाग में विदेशी पूजा निवेश के सभावित खतरे लिखिए।)

- 6 भारत में विदेशी पूजा निवेश के विभिन्न स्रोत क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था

में विदेशी सहायता की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये विदेशी पूंजी निवेश के स्रोत लिखने हैं तथा प्रश्न के द्वितीय में विदेशी सहायता की भूमिका को विस्तार से लिखिए।)

7 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -

- (अ) भारत सहायता क्लब
- (ब) प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग
- (स) पोर्टफोलियो विनियोग
- (द) विदेशी व्यापारिक उधार

अप्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश (Investment by Non-Resident Indians)

भारत को अस्सी के दशक के आखिरी में खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक सकट का सामना करना पड़ा था। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। भुगतान के मोर्चे पर भारत की स्थिति लडखड़ा गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में अप्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी विनियोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इराक और कुवैत में बसे भारतवासी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान उनके भारत लौटने से भारत के विदेशी विनिमय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा था।

अप्रवासी विनियोग भारत में विदेशी पूंजी निवेश का बड़ा स्रोत है। अप्रवासी भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विभिन्न जमाओं के रूप में भारत के आर्थिक विकास में कारगर भूमिका निभाते हैं। किन्तु आर्थिक सकट के समय अप्रवासी भारतीय जमा राशि वापस निकलवाने में नहीं चूकते, अतः इन्हे सुख का साथी की सज़ा दी जाती है।

अप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indians) - अप्रवासी भारतीय को समझने के लिए प्रवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के व्यक्ति का ज्ञान भी जरूरी है। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (फेरा) के अनुसार प्रवासी भारतीय से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो 25 मार्च, 1947 के बाद से व्यापार, रोजगार आदि के कारण अनिश्चितकालीन अवधि के लिए भारत में रह रहे हैं।

अप्रवासी भारतीयों से आशय ऐसे भारतीयों से है जो व्यापार, रोजगार, पेशा अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अनिश्चित काल के लिए अन्य राष्ट्रों में रहते हैं। अप्रवासी भारतीयों में ऐसे भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाता है जो विदेशी सरकारों या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि के अनुबन्ध के कारण अन्य राष्ट्रों में रह रहे हैं।

भारतीय मूल के व्यक्तियों से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जिनके पूर्वज भारत में रहते थे। भारतीय मूल के व्यक्ति यदि विदेश में किसी विदेशी महिला से विवाह कर लेते हैं तो वह पत्नी भी भारतीय मूल की कही जाएगी। चाहे उसने विदेश में ही जन्म लिया हो।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा विनियोग
(Investment by Non Resident Indians)

भारत में योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक दशकों में भारी वित्तीय ससाधनों की आवश्यकता थी। वित्तीय ससाधनों का देश में अभाव था। आज भी बदले आर्थिक परिवेश में विकास की गति को तीव्र करने के वास्ते अधिक वित्तीय ससाधनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देश में भुगतान सतुलन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अतः सोचा गया कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए अप्रवासी भारतीयों को भारत में विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वर्ष 1982-83 का केन्द्रीय बजट पेश करते समय अप्रवासी भारतीयों को भारतीय बैंकों में खाता खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही अधिक ब्याज दर देने की भी घोषणा की गई। वर्ष 1982-83 से ही निरन्तर केन्द्रीय बजट पेश करते समय इन्हे दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है।

अप्रवासी भारतीय जमा योजनाएँ
(मिलियन डालर)

योजनाएँ	बकाया शेष		शुद्ध प्रवाह	
	मार्च 1998 (सशोधित)	मार्च 1999	1997-98	1998-99
विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते (FCNRA)	01	00	-2305	-1
विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बैंक) खाते [FCNR (B)]	8467	8323	971	-144
अप्रवासी वाह्य रुपया खाता [NR (E) RA]	5637	6620	1197	980
अप्रवासी [स्वदेशी गैर वापसी] रुपया निक्षेप NR (NR) RD	6262	6758	1256	941
कुल	20367	21701	1119	1776

स्रोत 1 इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1999-2000, पृ. सं 104

2 दी इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली 9 सितम्बर 1999

अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में बैंक निक्षेप, अशो व ऋणपत्रों में विनियोग तथा उद्योगों में विनियोग द्वारा पूजा निवेश किया जाता है।

बैंक जमा (Bank Deposit)

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए कुछ बैंकों को अधिकृत कर रखा है। अप्रवासी भारतीय इन बैंकों में विदेशों से भेजी गई राशि जमा करा सकते हैं। अप्रवासी भारतीय अधिकृत बैंकों में निम्नलिखित खाते खोल सकते हैं

1 विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते (Foreign Currency Non-Resident Accounts - FCNRA) - यह योजना फरवरी 1970 में प्रारम्भ की गई तथा 15 अगस्त, 1994 को बदल दी गई। यह खाता कुछ विशिष्ट मुद्राओं में स्थायी जमा के रूप में खोला जाता है। आरम्भ में यह खाता पौण्ड स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर से ही खोला जा सकता था, किन्तु अगस्त 1988 के पश्चात् जर्मनी मार्क व जापानी येन में भी खोला जा सकता है। यदि किसी अप्रवासी भारतीय को अन्य विदेशी मुद्रा जमा करानी हो तो वह मुद्रा को उक्त वर्णित मुद्रा में से किसी एक इच्छित मुद्रा में निर्धारित विनिमय दर से परिवर्तित कराकर जमा करा सकता है। यह खाता 3 वर्ष के लिए खोला जाता है। इसमें सयुक्त खाता खोलने की सुविधा है। ब्याज उसी मुद्रा में दिया जाता है, जिस मुद्रा में खाता खोलने जाता है। इस खाते में 31 मार्च 1981 को 2 करोड़ पौण्ड स्टर्लिंग जमा थे जो बढ़कर 31 मार्च 1989 को 20.3 करोड़ पौण्ड स्टर्लिंग हो गए। अमेरिकी डॉलर 31 मार्च 1981 को 14 करोड़ थे जो बढ़कर 31 मार्च 1989 को 424.5 करोड़ हो गए। मार्च 1989 तक इस खाते में 84.8 करोड़ मार्क और 3,157.1 करोड़ येन जमा किए गए।

विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाते में मार्च 1991 के अंत में 10,103 मिलियन डॉलर बकाया था। बकाया घटकर मार्च 1992 में 9,792 मिलियन डॉलर तथा मार्च 1993 में फिर बढ़कर 10,617 मिलियन डॉलर हो गई। इसके बाद के वर्षों में बकाया राशि में गिरावट आई। बकाया राशि मार्च 1994 में 9,300 मिलियन डॉलर तथा मार्च 1995 में 7,051 मिलियन डॉलर थी। इस खाते का बकाया शेष (Outstanding Balance) मार्च 1998 में केवल एक मिलियन डॉलर था। वर्ष 1997-98 में शुद्ध प्रवाह ऋणात्मक 2,305 मिलियन डॉलर था।

2 अप्रवासी बाह्य रूपया खाता (Non Resident (External) Rupee Account, NR(E) RA) - यह योजना फरवरी 1970 से प्रारम्भ की गई। रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों में यह खाता स्थायी जमा खाते, चालू खाते और वचत खाते में रूपये से खोला जा सकता है। एक वर्ष या अधिक अवधि की जमा पर ब्याज दिया जाता है जो आयकर व सम्पदा कर से मुक्त होता है। इस खाते के शेष को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना बाहर ले जाया जा सकता है किन्तु खाता खोलते समय खाता खोलने वाले अप्रवासी भारतीय को यह आश्वासन बैंक को

देना होता है कि यदि यह अनिश्चित समय के लिए भारत आ जाता है तो इसकी सूचना बैंक को दे देगा। खाते में जमा राशि से किसान विकास पत्र इंदिरा विकास पत्र राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र राष्ट्रीय बचत योजना यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिट आदि खरीदे जा सकते हैं। खाते से स्थानीय दायित्वों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। इस खाते में 31 मार्च 1981 को 938 करोड़ रुपए जमा थे। जमा राशि बढ़कर 31 मार्च 1985 को 2 864 करोड़ रुपए तथा 31 मार्च 1989 को और बढ़कर 5 899 करोड़ रुपए हो गयी।

मार्च 1991 के अंत में इस खाते बकाया राशि 3 588 अमेरिकन मिलियन डालर थी बकाया राशि घटकर मार्च 1992 में 2 527 मिलियन डालर रह गई। मार्च 1993 में 2 862 मिलियन डालर मार्च 1994 में बढ़कर 3 523 मिलियन डालर तथा मार्च 1998 में और बढ़कर 5 637 मिलियन डालर हो गई। इस खाते का शुद्ध प्रवाह (Net Flow) 1993-94 में 728 मिलियन डालर तथा 1997-98 में 1 197 मिलियन डालर था।

3 विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बैंक) खाते (Foreign Currency Non Resident (Bank) Accounts) - यह योजना मई 1993 से प्रारम्भ की गई। मार्च 1994 के अंत में इस खाते में बकाया राशि 1 108 मिलियन डालर थी जो बढ़कर मार्च 1998 में 8 467 मिलियन डालर हो गई। इस खाते में शुद्ध प्रवाह 1993-94 में 1 075 मिलियन डालर तथा 1997-98 में 971 मिलियन डालर था।

4 अप्रवासी (स्वदेशी गैर वापसी) रुपया निक्षेप (Non Resident (Non Repatriable) Rupee Deposits NR (NR) RD) - यह योजना जून 1992 से प्रारम्भ की गई है। इस खाते में मार्च 1993 के अंत में बकाया राशि 610 मिलियन डॉलर थी। बकाया राशि बढ़कर मार्च 1994 में 1 754 मिलियन डालर मार्च 1998 में और बढ़कर 6 262 मिलियन डालर हो गई। इस खाते में शुद्ध प्रवाह 1993-94 में 1 187 मिलियन डालर तथा 1997-98 में 1 256 मिलियन डॉलर था।

5 विदेशी मुद्रा (बैंक एव अन्य) निक्षेप (Foreign Currency Bank and Others) Deposits [FC (B&O)D] - यह योजना दिसम्बर 1990 में प्रारम्भ की गई तथा 31 जुलाई 1992 को बन्द कर दी गई। इस खाते में विभिन्न वर्षों में बकाया राशि इस प्रकार थी मार्च 1991 में 262 मिलियन डालर मार्च 1992 में 607 मिलियन डालर मार्च 1993 में 1 044 मिलियन डालर मार्च 1994 में 533 मिलियन डालर।

6 विदेशी मुद्रा साधारण गैर वापसी (Foreign Currency Ordinary Non Repatriable FCONR) - यह योजना जून 1991 में प्रारम्भ की गई तथा 20 अगस्त 1994 को बंद कर दी गई। यह खाता अप्रवासी (बाह्य) रुपया खाता की तरह ही है किन्तु इस खाते में जमा राशि को विदेश में नहीं ले जाया जा सकता है और न ही ब्याज आयकर व सम्पदा कर से मुक्त है। रिजर्व बैंक की अनुमति

के बिना इस खाते की राशि को अप्रवासी (बाह्य) रूपया खाता एव विदेशी विनिमय अप्रवासी खात में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। इस खाते में मार्च 1993 के अंत में एक मिलियन डॉलर तथा मार्च 1994 के अंत में 18 मिलियन डॉलर बकाया थे।

अप्रवासी विनियोगों की प्रगति (Progress of Non Resident Indian Investment) – अप्रैल 1982 से मार्च 1990 तक अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूँजी निवेश इस प्रकार रहा

बैंक जमा 17 663 00 करोड़ रूपए प्रत्यक्ष निवेश 1 466 62 करोड़ रूपए अप्रत्यावर्तन पर प्रत्यक्ष निवेश 302 68 करोड़ रूपए पोर्टफोलियो निवेश 75 83 करोड़ रूपए तथा भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त जमा 27 13 करोड़ रूपए।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा विनियोग
(मिलियन डॉलर)

वर्ष	निक्षेपों की बकाया राशि	निक्षेपों का शुद्ध प्रवाह	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
1990 91	13953		
1991 92	12926		63
1992 93	15134	2120	51
1993 94	16218	1097	217
1994 95	17156	818	442
1995 96	17433	944	715
1996 97	20389	3314	639
1997 98	20367	1119	241
1998 99	21301	1776	62

Source *Economic Survey* 1995 96 1999 2000

1 अप्रवासी निक्षेपों की बकाया राशि (Outstanding Balances of Non Resident Deposit) – भारत में विगत पाँच वर्षों में अप्रवासी निक्षेपों की बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई है। अप्रवासी निक्षेपों की बकाया राशि वर्ष 1990-91 में 13 953 मिलियन डॉलर थी जो बढ़कर 1994-95 में 17 156 मिलियन डॉलर हो गई। निक्षेपों की बकाया राशि में 1994 95 में गत वर्ष की तुलना में 5 28 फीसदी वृद्धि हुई। अप्रवासी भारतीयों की निक्षेपों की बकाया राशि 1997-98 में 20 367 मिलियन डॉलर थी।

2 प्रवासी निक्षेपों का शुद्ध प्रवाह (Net Flows under Non Resident Deposits) – भारत में अप्रवासी निक्षेपों के शुद्ध प्रवाह में निरन्तर कमी हो रही है। वर्ष 1988-89 में अप्रवासी जमाएँ (शुद्ध) 2 511 मिलियन डॉलर थी जो घटकर 1989-90 में 2 403 मिलियन डॉलर रह गई। अप्रवासी निक्षेपों का शुद्ध प्रवाह

1992-93 में 2,120 मिलियन डॉलर, 1993-94 में 1,097 मिलियन डॉलर तथा 1997-98 में 1,119 मिलियन डॉलर था।¹

3. अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह (Foreign Direct Investment Flow by NRI) - भारत में अप्रवासी भारतीयों द्वारा अप्रैल 1982 से मार्च 1990 तक 1,466.62 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश किया गया। भारत सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। हाल ही के वर्षों में सरकार न प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है जिससे अप्रवासी भारतीयों ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की है। 1991-92 से 1994-95 के बीच अप्रवासी भारतीयों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 773 मिलियन डॉलर था। अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अप्रवासी भारतीयों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1991-92 में 63 मिलियन डॉलर, 1992-93 में 51 मिलियन डॉलर, 1993-94 में 217 मिलियन डॉलर 1994-95 में 442 मिलियन डॉलर था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1997-98 में 241 मिलियन डॉलर था।

4. अप्रवासी भारतीय निक्षेप (NRI Deposits) - भारत में अप्रवासी भारतीय निक्षेप में हाल ही के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। अप्रवासी भारतीय जमाएँ 1988-89 में 10,109 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1989-90 में 12,269 करोड़ रुपए, 1990-91 में 13,852 करोड़ रुपए तथा 1991-92 में और बढ़कर 15,185 करोड़ रुपए हो गयी। अमेरिकन डॉलर में अप्रवासी भारतीय निक्षेप 1991-92 में 5,358 मिलियन डॉलर तथा 1997-98 में 11,913 मिलियन डॉलर था।²

5. अप्रवासी भारतीयों द्वारा अर्शों व ऋण पत्रों में विनियोग (Investment in Shares and Debentures by NRI) - यह विनियोग दो प्रकार की सुविधा के अन्तर्गत होता है—एक विदेश में राशि ले जाने की सुविधा तथा दूसरा विदेश में राशि नहीं ले जाने की सुविधा।

यदि अप्रवासी भारतीय का विनियोग किसी कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और अर्श एव ऋण पत्र स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए हों तो वह समस्त विनियोजित राशि एव उस पर अर्जित आय को विदेश ले जा सकता है। यदि अप्रवासी भारतीय कम्पनी का पूर्वाधिकार अर्श, परिवर्तनशील ऋणपत्र, यूनिट ट्रस्ट के मास्टर शेयर खरीदता है तो यह विनियोजित राशि एव उस पर अर्जित आय को विदेश में नहीं ले जा सकता है। इस सुविधा के अन्तर्गत कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम विनियोजन की कोई सीमा नहीं है।

6. उद्योगों में विनियोग (Investment in Industries) - अप्रवासी भारतीय एकाकी व्यवसाय, साझेदारी, सार्वजनिक या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में विनियोग कर सकते हैं। विदेश में राशि नहीं ले जाने की सुविधा के अन्तर्गत इनमें शत-प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। सेवा उद्योगों में विनियोग में राशि विदेश में ले जाने की सुविधा के अन्तर्गत पाच सितारा हाटल, अस्पताल तथा निदान केन्द्र

आदि में विनियोग किया जा सकता है।

अप्रवासी भारतीय ऐसी सम्पतियों में शत-प्रतिशत विनियोग कर सकते हैं जिनका शत प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जाता है। नई एव विद्यमान कम्पनियों में 40 प्रतिशत तथा निर्धारित प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रदत्त पूजा का 74 प्रतिशत विनियोग कर सकते हैं। विनियोजित पूजा व लाभ को विदेश ले जा सकते हैं।

अप्रवासी भारतीयों को सुविधाएं (Facilities for NRI's to Invest in India)

भारत में विदेशी मुद्रा की समस्या को हल करने में अप्रवासी भारतीयों ने अच्छा योगदान दिया है और विनियोजन की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अप्रवासी भारतीयों की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1982-83 में अप्रवासी भारतीयों के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा की। केन्द्र सरकार अप्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए वर्ष दर वर्ष इनको दी जाने वाली सुविधाओं में बढोतरी कर रही है।

1. उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विनियोग (Investment in Highly Primary Spheres) - अप्रवासी भारतीयों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निवेश की स्वतः मजूरी होगी लेकिन उद्योग का स्थान सरकारी नीति के अनुरूप हो तथा विदेशी अशदान आयात की जाने वाली पूजागत वस्तुओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा कर सके। अप्रवासी भारतीयों के लिए निर्धारित प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रत्यक्ष निवेश प्रदत्त पूजा का अधिकतम 74 प्रतिशत था जिसे अब बढाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. पोर्टफोलियो विनियोग की सीमा (Limit of Portfolio Investment) - अप्रवासी भारतीयों द्वारा किसी भी भारतीय कंपनी में पोर्टफोलियो विनियोग की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत से बढाकर 24 प्रतिशत कर दी गई है।

3. विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फ़ेरा) से मुक्त (Free from Foreign Exchange Regulation Act) - भारतीय मूल के विदेशियों को आवासीय सम्पत्ति खरीदने में विदेशी मुद्रा नियमन कानून से मुक्त कर दिया गया है।

4. आवासीय ऋण (Housing Loan) - भारतीय कम्पनियाँ अप्रवासी भारतीयों के स्टॉफ को आवास सबधी ऋण दे सकेगी। अप्रवासी भारतीयों को यह ऋण विदेशी मुद्रा में चुकाना होगा। अप्रवासी भारतीय निवेशकों को भारत प्रत्यावर्तन के आधार पर आवास सुविधाओं के विकास, आधारभूत तथा सम्पत्ति के कारोबार आदि क्षेत्रों में छूट दी गई है।

5. मुख्य आयुक्त कार्यालय (Chief Commissioner Office) - अप्रवासी भारतीयों तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य अच्छे सम्पर्क बनाने के वास्ते अप्रवासी भारतीयों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय खोला गया है।

6 ऋण लेने की छूट (Relaxation to Obtain Loan) — अप्रवासी भारतीयों को अचल सम्पत्ति तथा अशो के विरुद्ध रूपया में ऋण लेने की छूट है तथा भारतीय रिजर्व की अनुमति के बिना अशो की विक्री से प्राप्त धन को भेजने की छूट होगी।

वर्तमान में विदेशी विनियोग के क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धा है। ऐसी स्थिति में अप्रवासी भारतीयों को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता है। अप्रवासी भारतीयों को भारतीय अर्थव्यवस्था में दबा योगदान है। इन्हें दी जाने वाली रियायतों के साथ यह शर्त अवश्य जोड़ देनी चाहिए कि सकट के समय जमा राशि को वापस नहीं ले जाए तथा विनियोग पर अर्जित आय को भारत में ही पुनः निवेश करे।

जब भी भारत के समक्ष आर्थिक सकट उपस्थित हुआ है अथवा युद्ध हम पर थोपा गया है तब हमारे देशवासियों ने, चाहे वह भारत के बाहर रह रहे हों त्याग की अनुपम मिसाल पेश की है। देशवासियों को एव अप्रवासी भारतीयों को, चाहे विनियोग पर इच्छित सुविधाएँ नहीं मिलें, फिर भी मातृभूमि से उनके रिश्ते को देखते हुए थोड़ी तिलाजलि देनी पड़े तो सहर्ष तैयार रहना चाहिए।

प्रश्न एवं सकेत

लघु प्रश्न

- 1 अप्रवासी भारतीय का आशय स्पष्ट कीजिए।
- 2 अप्रवासी भारतीय जमा योजनाओं का उल्लेख कीजिए।
- 3 विदेशी मुद्रा अप्रवासी खाता क्या है?
- 4 भारत में अप्रवासी भारतीयों को दी जाने वाली सुविधाओं की व्याख्या कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूँजी निवेश की व्याख्या कीजिए।
(सकेत — इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये अप्रवासी भारतीयों के विनियोग को लिखना है।)
- 2 भारत में अप्रवासी भारतीयों के विनियोग की वर्तमान स्थिति तथा उन्हें दी गई सुविधाओं की विवेचना कीजिए।
(सकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गए अप्रवासी भारतीयों के विनियोग को लिखना है तथा दूसरे भाग में अप्रवासी भारतीयों को दी जाने वाली सुविधाओं का वर्णन करना है।)

निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका

(Role of Foreign Private Sector and
Multinational Corporations)

वर्तमान में बहुराष्ट्रीय निगम विश्व भर में घर्षित हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग राष्ट्रों के विकास का पर्याय बना हुआ है। बहुराष्ट्रीय निगम विकसित राष्ट्रों की देन हैं। ये विशाल फर्म होती हैं। इनका कारोबार मूल देश में प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्व के अन्य देशों में फैला होता है। बहुराष्ट्रीय निगमों का उत्पाद अधुनातन तकनीकों से सुसज्जित होने के कारण किस्म की दृष्टि से तो श्रेष्ठ होता ही है, कीमते भी तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। विकासशील राष्ट्र सीमित वित्तीय ससाधनों और पुरानी तकनीक से धिपके होने के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होते। बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील राष्ट्रों के शोषण से नहीं चूकते। इनकी भूख गरीब देशों के प्राकृतिक ससाधनों के शोषण की होती है। विकासशील राष्ट्रों के विकास को गति देने में इन निगमों का कोई सरोकार नहीं होता है।

बहुराष्ट्रीय निगमों के मामले में भारत का कटु अनुभव रहा है। अंग्रेज व्यापारी की हैसियत से यहाँ आए और अपनी कूटनीति से हमें गुलामी के शिकजे में जकड़ लिया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के कारण भारत में उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगिकरण में कतई रुचि नहीं ली। विदेशियों ने भारतीय श्रमिकों का शोषण और प्राकृतिक ससाधनों का मनमाफिक दोहन किया। भारत का औद्योगिक आधार टूट गया और विद्वेषपूर्ण नीति से ब्रिटेन के आर्थिक विकास को गति मिली। अरसे बाद एक बार फिर भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों का बोलबाला है। आज अतीत से सीख ग्रहण करने की आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय निगमों को आमंत्रित करते समय राष्ट्रहित की अनदेखी न हो जाए, इस बात को ध्यान में रखना होगा।

बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ और विशेषताएँ

(Meaning and Characteristics of Multinational Corporations)

विदेशी पूँजी का अन्तर्प्रवाह विदेशी सहायता और निजी विदेशी विनियोग से होता है। विदेशी सहायता में ऋण और अनुदान को सम्मिलित किया जाता है। विदेशी ऋण से पुनर्भूगतान की समस्या होती है। निजी विदेशी विनियोग का ध्येय लाभार्जन होता है। वर्तमान में निजी विदेशी विनियोग मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पूँजी विनियोजित कर रही है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की व्यावसायिक गतिविधियाँ एक से अधिक देशों में फैली होती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों को राष्ट्र पारीय निगम (Transnational Corporation) कहा जाता है। आई बी एम वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने बहुराष्ट्रीय निगम की अच्छी परिभाषा दी है। इनके अनुसार "बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो (1) अनेक देशों में कार्य करता है, (2) उन देशों में विकास, निर्माण तथा अनुसंधान का कार्य करता है, (3) जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध होता है तथा (4) जिसका रकन्ध स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है।" संक्षेप में बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी व्यावसायिक संस्था है जिसका कारोबार मूल देश से बाहर अनेक देशों तक फैला होता है।

विशेषताएँ (Characteristics)

1 **बड़ा आकार (Giant Size)** – बहुराष्ट्रीय निगमों के पास वित्तीय ससाधनों की बहुलता होती है। इन निगमों का लाभ, बिक्री, उत्पादन, विज्ञापन प्रबन्ध आदि बड़ा होता है। अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों की वार्षिक कार्यशील आय कुछ विकासशील राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। ससाधना की अधिकता के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों का कारोबार अनेक देशों में होता है।

2 **अन्तर्राष्ट्रीय कार्यविधि (International Operations)** – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुख्यालय मूल देश में होता है किन्तु कारोबार विश्व के अनेक देशों में फैला जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाएँ और उपशाखाएँ विश्व के अनेक देशों में फैली होती हैं। सभी शाखाओं पर नियंत्रण मूल कम्पनी का होता है।

3 **बहुराष्ट्रीय रकन्ध स्वामित्व (Multinational Ownership)** – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विश्व व्यापक होने के कारण इनकी अंश पूँजी में विश्व के अनेक देशों की सहभागिता होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों का स्वामित्व भी अनेक देशों में फैला होता है।

4 **बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध (Multi National Management)** – इन निगमों का प्रबन्ध बहुराष्ट्रीय होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने प्रबन्ध मंडल में विश्व के श्रेष्ठ प्रबन्धकों को सम्मिलित करती हैं।

5 ससाधनों का बहुराष्ट्रीय हस्तान्तरण (Multinational Transfer of Resources) - बहुराष्ट्रीय निगमों के ससाधनों यथा कच्चा माल, मशीनरी, तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धकीय सेवा, निर्मित माल आदि का एक शाखा से दूसरी शाखा में हस्तान्तरण संभव है। इन ससाधनों का हस्तान्तरण बहुराष्ट्रीय भी होता है। ससाधनों के हस्तांतरण की सुविधा के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अधुनातन तकनोलॉजी से सुसज्जित होती हैं।

भारत में निजी क्षेत्र एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका

(Role of Private Sector and Multinational Corporations in India)

वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकास का पर्याय बनती जा रही हैं। नवीनतम तकनीक के बिना विकास की बात करना महज कल्पना है। आज किसी भी देश का लक्ष्य अपने देशवासियों को केवल दो जून रोटी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होकर सभी को अच्छा जीवन स्तर मुहैया कराना तक व्यापक हो गया है। भारत में 1991 से प्रारम्भ आर्थिक सुधारों में निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश को छूट दी गई है। आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक चरण में प्रत्यक्ष निजी निवेश में वृद्धि हुई है। जिससे देश में औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। भारत में हाल ही के वर्षों में निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका में भारी बदलाव आया है। यह बात अग्रकित तथ्यों से सहज दृष्टिगोचर होती है।

1 विदेशी पूँजी निवेश (Foreign Capital Investment) - भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किए जाने के बाद विदेशी पूँजी निवेश में बढोतरी हुई। प्रत्यक्ष विनियोग और पोर्टफोलियो विनियोग में वृद्धि उल्लेखनीय रही। वर्ष 1991-92 में प्रत्यक्ष विनियोग 129 मिलियन डॉलर था जो बढकर 1992-93 में 315 मिलियन तथा 1993-94 में और बढकर 586 मिलियन डॉलर हो गया। वर्ष 1994-95 में प्रत्यक्ष विनियोग 1,314 मिलियन डॉलर था। यह 1997-98 में 3,197 मिलियन डॉलर रहा। इसी प्रकार पोर्टफोलियो विनियोग वर्ष 1991-92 में 4 मिलियन डॉलर था जो बढकर 1993-94 में 3,567 मिलियन डॉलर तथा 1994-95 में और बढकर 3,824 मिलियन डॉलर हो गया। पोर्टफोलियो विनियोग 1997-98 में 1,828 मिलियन डॉलर रहा। भारत में कुल विदेशी विनियोग 1991-92 में 133 मिलियन डॉलर था जो बढकर 1994-95 में 5,138 मिलियन डॉलर हो गया। कुल विदेशी विनियोग 1997-98 में 5,025 मिलियन डॉलर रहा। आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी निवेश प्रवाह में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

भारत में 1991-92 से 1998-99 तक 28,298 मिलियन डॉलर कुल विदेशी निवेश हुआ इसमें प्रत्यक्ष निवेश 12,832 मिलियन डॉलर तथा पोर्टफोलियो निवेश 15,466 मिलियन डॉलर था। कुल विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश का भाग क्रमशः 45.3 प्रतिशत, 54.7 प्रतिशत रहा।

भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह
(मिलियन डालर)


वर्ष	प्रत्यक्ष निवेश (DI)	पोर्टफोलियो निवेश (PFI)	कुल विदेशी निवेश (TFI)
1991 92	129	4	133
1992 93	315	244	559
1993 94	586	3567	4153
1994 95	1314	3824	5138
1995 96	2133	2748	4881
1996 97	2696	3312	6008
1997 98	3197	1828	5025
1998 99	2462	61	2401
कुल	12832	15466	28298

Source *Economic Survey* 1998 99 p 87

2 प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की मजूरी और वास्तविक प्रवाह (Approvals and Actual Flow of Foreign Direct Investment) — भारत में हाल की के वर्षों में विदेशी पूंजी प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। किन्तु वास्तविक प्रवाह में मजूर शुदा निवेश के मुकाबले काफी कमी है। आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक दस वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मजूरी और वास्तविक प्रवाह में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मजूरी 739 करोड़ रुपए और वास्तविक प्रवाह 351 करोड़ रुपए था। मजूरीया बढ़कर 1994 में 13 590 करोड़ रुपए हो गई। इस वर्ष वास्तविक प्रवाह 3 009 करोड़ रुपए था।

भारत में वर्ष 1991 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के वास्तविक प्रवाह का मजूरीया से प्रतिशत 47.5 प्रतिशत था जो बाद के वर्षों में घटा। 1993 में वास्तविक प्रवाह का मजूरीया से प्रतिशत केवल 16 प्रतिशत था। यह 1994 में बढ़कर 22.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 से सितम्बर 1998 तक अर्थात् आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी की मजूरीया (Approvals) 1 89 968 करोड़ रुपए था जबकि वास्तविक प्रवाह 41 490 करोड़ रुपए ही था। इन वर्षों में वास्तविक प्रवाह का मजूरीया से प्रतिशत केवल 21.7 प्रतिशत रहा।

3 आधारभूत क्षेत्रों का विकास (Development of Basic Sector) — भारत में आधारभूत क्षेत्रों का विकास विश्व के विकसित देशों की तुलना में कम हुआ है। हाल ही के वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां न देश के आधारभूत क्षेत्रों में निवेश किया हैं। भारत में 1991 से 1995 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के क्षेत्रवार स्वीकृत



प्रस्ताव इस प्रकार है दूर संचार क्षेत्र 18,000 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र 11,700 करोड़ रुपए, धात्विक क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपए, रासायनिक क्षेत्र 3,600 करोड़ रुपए, परिवहन क्षेत्र 3,000 करोड़ रुपए तथा उपभोक्ता उद्योग क्षेत्र 3,500 करोड़ रुपए। दूर संचार क्षेत्र के लिए कुल अनुमोदित गरि का 30 प्रतिशत स्वीकृत किया गया।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की मजूरी और प्रवाह

(करोड रुपए)

वर्ष	मजूरी	वास्तविक प्रवाह	वास्तविक प्रवाह का मजूरियों से प्रतिशत
1991	739	351	47.5
1992	5256	675	12.8
1993	11189	1786	16.0
1994	13590	3009	22.0
1995	37489	6720	18.7
1996	39453	8431	21.4
1997	57149	12085	21.1
1998 (सितम्बर तक)	25103	8433	33.8
कुल (1991 से सितम्बर 1998 तक)	189968	41490	21.7

Source *Economic Survey*, 1998-99, p 87

4 निर्यातों में वृद्धि (Increase in Export) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से सबसे अधिक लाभ विदेशी व्यापार के क्षेत्र में होने की संभावना है। विगत वर्षों से चले आ रहे व्यापार घाटे को पाटने में मदद मिलेगी। विदित है कि स्वातन्त्र्योत्तर केवल दो वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षों में व्यापार शेष प्रतिकूल रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से हमारा उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आधुनिकतम तकनीकों से सुसज्जित होकर प्रवेश करेगा, उत्पाद श्रेष्ठ किस्म और निम्न कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप होगा। यही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में विजय के मुख्य घटक हैं। हमारे माल के खरीददार तुलनात्मक रूप से अधिक होंगे। विदेशी व्यापार की दिशा में उल्लेखनीय वृद्धि दृष्टिगोचर होगी।

5 श्रेष्ठ उत्पाद (Superior Product) – उत्पाद स्वदेशी हो या विदेशी इससे आम उपभोक्ताओं का कोई संरोकार नहीं होता। उन्हें तो श्रेष्ठ किस्म का माल चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उत्पाद आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित होता है। इनका उत्पाद विविधता तथा नवीनतायुक्त होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से देश में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा। भारतीय उद्योगपति भी उत्पाद

की गुणवत्ता पर जोर देने को बाध्य होंगे।

6 रोजगार सृजन (Employment Generate) – भारत में वित्तीय सरसाधनों का अभाव होने के कारण प्राकृतिक ससाधनों का पूर्ण विदोहन नहीं हो सका जिससे औद्योगिक विकास की गति विकसित देशों की तुलना में कम रही। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से देश में पूंजी निवेश में भारी बढ़ोतरी हुई है। औद्योगीकरण को बल मिलने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास वित्तीय सरसाधनों की बहुलता के कारण इनका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है। इन कम्पनियों के उत्पादन, प्रवन्ध तथा विपणन में काफी लोगों को रोजगार मिला होता है। दीर्घकाल में बेरोजगार की समस्या कम हो सकेगी।

7 विपणन में भूमिका (Role in Marketing) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की विश्वव्यापी पहचान होती है तथा ये सामान्यतया उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में विशेष रुचि लेती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उपभोक्ता उत्पादों के विपणन में कठिनाई नहीं होती है। विदेशों में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों की अच्छी मांग होती है।

8 विशेषज्ञों की सेवाएं (Services of Specialists) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ शोध एवं अनुसंधान पर भारी विनियोग करती हैं। इनके पास उत्पादन की उन्नत तकनीक होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास कर्मचारियों को नवीन उत्पादन विधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकासशील राष्ट्रों में पूंजी विनियोजन के साथ तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराती हैं। भारत को बहुराष्ट्रीय निगमों से विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध होंगी जिनकी मदद से हम समयोपरित नवीन तकनीक निर्मित कर सकेंगे।

9 जोखिम उठाने की भूमिका (Role in Risk Taking) – भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किन्तु विकास का अहम् दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र ने निभाया है। निजी क्षेत्र ने जोखिम वाले उद्योगों में कम रुचि ली। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम उपभोक्ता उद्योगों के अलावा सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में विनियोजन कर रहे हैं।

10 प्रबन्धकीय कुशलता (Managerial Efficiency) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रबन्धकीय कौशल पर विशेष ध्यान देती हैं। ये पेशेवर प्रबन्धकों की सेवाएँ लेती हैं। कारोबार अनेक राष्ट्र तक फैला होने के कारण दूसरे देशों के कुशल प्रबन्धकों की सेवाएँ भी मिलती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबन्धकीय कौशल का लाभ भारतीय उद्योगपतियों को मिला है।

विदेशी निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के संपादित खतरे

(Expected Dangers of Foreign Private Sectors and Multinational)

भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उपादेयता में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक ससाधनों के विदोहन से औद्योगिक विकास

को गति मिली है। किन्तु भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कटु अनुभवों को आसानी से विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। ये कम्पनियाँ विकसित राष्ट्रों की देन हैं। विकासशील राष्ट्रों का शोषण करने से नहीं चूकतीं। आज भारत में ऐसी अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं जो अपनी स्थापना के कुछ समय बाद ही अपनी शुद्ध परिसम्पत्तियों के बराबर धनराशि स्वदेश भेज देती हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के समाहित खतरे इस प्रकार हैं

1 कड़ी प्रतिस्पर्धा (Cut-Throat Competition) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आधुनिकतम तकनोलॉजी से सुसज्जित हैं। इनका उत्पाद श्रेष्ठ किस्म का होता है। भारतीय उत्पाद इस स्थिति में नहीं हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद से प्रतिस्पर्धा कर सकें। शनै-शनै बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बाजार पर नियंत्रण हो जाता है। स्वदेशी उद्योग बन्द हो जाते हैं।

2 बेरोजगारी (Employment) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तकनीक पूँजी प्रधान होती है। इन कम्पनियों में अधिकांश काम मशीनों से होता है। भारत में श्रमिकों की बहुलता तथा बढ़ती बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए पूँजी प्रधान तकनीक तुलनात्मक रूप से कम उपयोगी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से स्वदेशी उद्योग धन्धे बन्द हो जाने के कारण बेरोजगारी की समस्या मुखर हो उठी है। आधुनिक तकनीक से अनेक उद्योगों और विभागों से श्रमिक और कर्मचारी अधिशेष हो गए हैं।

3 स्वदेशी उद्योगों के अस्तित्व का संकट (Danger for Existence of National Industries) – भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन के साथ-साथ स्वदेशी उद्योगों के अस्तित्व का संकट मडराने लगा है। भारतीय उद्योगों को योजनाबद्ध विकास में राजकीय संरक्षण के कारण कभी अडचन नहीं आई थी। अब यकायक भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खुला छोड़ दिया गया है। राजकीय संरक्षण के कारण भारतीय उद्योगों ने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास नहीं मिला। वित्तीय संसाधनों के अभाव और पुरानी तकनीक से चिपके होने के कारण भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं हैं। आज भारतीय उद्योगपति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौते के लिए विवश हैं।

4 अत्यधिक लाभ (Heavy Profit) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुख्य ध्येय लाभार्जन है। ये कम्पनियाँ उत्पादों की ऊँची कीमतें वसूलती हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शुद्ध परिसम्पत्तियों पर कर पश्चात् लाभ ऊँचा है। वर्ष 1977 में कुछ चुने हुए बहुराष्ट्रीय निगमों की लाभदायकता इस प्रकार थी शुद्ध परिसम्पत्तियों पर लाभ दर कालगेट – पामोलिव लि 89 प्रतिशत, मैकलियड रसल लि 66 प्रतिशत, पौण्डस लि 61 प्रतिशत, वारेन टी लि 48 प्रतिशत, क्रैसेट डाइज एण्ड केमिकल्स लि 32 प्रतिशत।

5 उपभोक्ताओं का शोषण (Exploitation of Consumers) – विकसित राष्ट्रों की देन बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उपभोक्ताओं के शोषण से नहीं चूकती हैं। ये

कम्पनिया उत्पाद की बहुत ऊँची कीमते उपभोक्ताओं से वसूलती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विदेशी ब्राण्डो और ट्रेडमार्को के प्रयोग से उपभोक्ता गुमराह हो जाते हैं।

6 विदेशों को धन प्रेषण (Heavy Remittances Abroad) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से देश का धन विदेशों में चला जाता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कम पूँजी विनियोजन पर अत्यधिक लाभ बटोरती है और लाभ को मूल देश में भेज देती है। लाभ के अलावा ये कम्पनिया रायल्टी तथा तकनीकी सहायता के पारिश्रमिक को भी मूल देश में भेजती हैं। कोलकोट, वारेन टी, पौण्डस आदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों बड़ी राशि भारत से बाहर भेजती है।

7 पुरानी तकनीक (Obsolete Technology) – भारत सरीखे विकासशील राष्ट्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इसलिए आमंत्रित करते हैं कि वे अत्याधुनिक तकनीकों को प्राप्त कर सकें, किन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनिया विकासशील देशों में वह तकनीक लेकर आती है जो उनके मूल देश में अप्रचलित हो चुकी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया अप्रचलित तकनीक के बदले अधिक धनराशि प्राप्त करती हैं। प्राप्त की गई मशीने बार-बार खराब हो जाती हैं जिन्हें सुधरवाने में भारी व्यय करना पड़ता है। भारत का इस सबंध में कटु अनुभव है।

8 राष्ट्र हित पर विपरीत प्रभाव (Adverse Effects on National Interests) – बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भारतीय हितों की रक्षा में विशेष रुचि नहीं है। इनका मुख्य ध्येय लाभार्जन होता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनिया लाभ को सामान्यतया पुनर्निवेश नहीं करती हैं। ये कम्पनिया नवीन तकनीक की जानकारी भी देशवासियों को नहीं देती है। कोका कोला, आई बी एम जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत के हितों की उपेक्षा के कारण विगत में कारोबार समेटना पड़ा था।

9 क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Disparities) – बहुराष्ट्रीय कम्पनिया सतुलित विकास पर ध्यान नहीं देती हैं। ये कम्पनिया विकसित क्षेत्रों में पूँजी निवेश करती हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इनकी रुचि नहीं होती है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अधिकांश पूँजी निवेश महाराष्ट्र, गुजरात तथा दिल्ली में किया। ये राज्य पहले से ही काफी विकसित हैं।

10 भुगतान शेष पर प्रभाव (Effects on Balance of Payment) – बहुराष्ट्रीय कम्पनिया निर्यात वृद्धि का आश्वासन अथवा समझौता करके विकासशील राष्ट्रों में प्रवेश कर लेती हैं, किन्तु ये कम्पनिया स्थापना के पश्चात् निर्यात वृद्धि में विशेष रुचि नहीं लेती हैं। इनका ध्येय आंतरिक बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कम्पनिया कच्चे माल का आयात करती हैं तथा रायल्टी, पारिश्रमिक, लाभ आदि बड़ी मात्रा में मूल देश को भेजती हैं जिससे भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

11. राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference) — बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आर्थिक हित साधने के लिए दूसरे देशों के राजनीतिक भ्रष्टाचार का सहारा लेती हैं। हाल की वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आए हैं।

सारत यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उपादेयता बढ़ी है। प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता और वित्तीय ससाधनों के अभाव वाले भारत जैसे देश में तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ महत्वपूर्ण हैं। किन्तु हमें ध्यान रखना होगा कि विकासशील राष्ट्रों के विकास में भागीदार बनना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उद्देश्य नहीं होता। अतः इन्हें आमंत्रित करते समय सचेत रहने की आवश्यकता है। भारत के आर्थिक परिवेश को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सभी क्षेत्रों में उत्पादन की छूट देना उचित नहीं है। केवल ऐसे क्षेत्रों में ही स्वागत किया जाना चाहिए जिनमें हमारी "पहुँच" अत्यल्प हो अथवा भारी पूँजी निवेश की आवश्यकता हो। भारत को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उपभोग के क्षेत्र में ही अधिक प्रभावी होने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मूल देश को भेजे जाने वाले धन को नियंत्रित कर उसे भारत में ही पुनर्निवेश कर आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है।

बहुराष्ट्रीय निगम और सरकार की नीति

(Multi-National Corporations and Government Policy)

भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का इतिहास पुराना है। भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शुरुआत ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के साथ हुई। इसके बाद "ऐसो" तथा "काल्टेक्स" कम्पनियाँ भारत में आईं। ये अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ थीं। इन्होंने तेल और पेट्रोल के क्षेत्र में काम किया। बाद के वर्षों में भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत के औद्योगिक द्वार विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए गए हैं। भविष्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या में भारी वृद्धि की संभावना है।

भारत में 1973-74 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या अधिक थी किन्तु बाद में सरकार की नीति के कारण कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कारोबार समेटना पड़ा। भारत में वर्ष 1973-74 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शाखाएँ 540, सहायक कम्पनियाँ 188 तथा इनकी कुल परिसम्पत्तियाँ 3,155 करोड़ रुपये थीं। वर्ष 1978-79 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शाखाएँ कम होकर 385 रह गईं तथा सहायक कम्पनियों की शाखाएँ भी 125 रह गईं किन्तु इनकी कुल परिसम्पत्तियाँ बढ़कर 4,108 करोड़ रुपये हो गईं। वर्ष 1985 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या 224 तथा सहायक कम्पनियों की संख्या 75 ही थी किन्तु कुल परिसम्पत्तियाँ बढ़कर 6,355 करोड़ रुपये हो गईं।

भारत में 1985 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या में कमी का कारण

भारत सरकार की भारतीयकरण की नीति रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर विदेशी पूँजी हिस्सा 40 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए दबाव डाला गया। वर्तमान में भारत सरकार की नीति विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की है। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत की ओर आकर्षित हुई हैं।

भारत सरकार की विदेशी निवेश के सम्बन्ध में नई नीति इस प्रकार है

- 1 देश के वृहत्तर औद्योगिक विकास के हित में विदेशी निवेश का स्वागत किया जाएगा।
- 2 जिन मामलों में मशीनों के लिए विदेशी पूँजी शोयर पूँजी के रूप में उपलब्ध होगी उन्हें स्वतः उद्योग की अनुमति मिल जाएगी।
- 3 दो करोड़ रुपए अथवा कुल पूँजी के 25 प्रतिशत से कम उत्पादन मशीनों बिना किसी पूर्वानुमति के आयात की जा सकेगी।
- 4 उत्पादन मशीनों के आयात के अन्य मामलों में औद्योगिक विकास मंत्रालय विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार आयात की अनुमति प्रदान करेगा।
- 5 अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति बिना किसी रोक-टोक और अपसरशाही के नियंत्रणों के बिना प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन मामलों में ही उपलब्ध होगी जहाँ उत्पादन के लिए विदेशी पूँजी निवेश जरूरी होगा।
- 6 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कुछ क्षेत्रों में 51 प्रतिशत से भी ज्यादा पूँजी निवेश की अनुमति दी जाएगी।
- 7 यदि शत-प्रतिशत उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शत-प्रतिशत पूँजी निवेश की अनुमति दी जा सकती है।
- 8 विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड चुनिन्दा क्षेत्रों में सीधे पूँजी निवेश के लिए भारत में उपक्रम लगाने की इच्छुक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सारे विवरण तय करेगा।
- 9 प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति अथवा देश में ही विकसित विशेषज्ञों की नियुक्ति अथवा देश में ही विकसित तकनीकों का विदेशों में परीक्षण के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

आर्थिक उदाररीकरण के दौर में घोषित नई विदेशी पूँजी निवेश नीति के परिणामस्वरूप कुल विदेशी निवेश में अत्यधिक अच्छी वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 में कुल विदेशी निवेश 133 मिलियन डॉलर था जो तेजी से बढ़कर 1997-98 में 5025 मिलियन डॉलर हो गया। निकट भविष्य में विदेशी पूँजी निवेश के और भी बढ़ने की सम्भावना है। वर्तमान में भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कार्यरत हैं जिनमें पामालिव कोलगेट वारेन टी हिन्दुस्तान लीवर लि., फोण्डस इंडिया लि.,

सीबा, कोका कोला, पेप्सी, गुडलस, नेरोलक, फिलिप्स इंडिया आदि मुख्य हैं। इन कम्पनियों का कारोबार कई देशों में फैला हुआ है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करते समय राष्ट्र-हित की अनदेखी नहीं हो। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समाहित खतरो को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सन्दर्भ

- 1 Economic Survey, 1998-99, p 91
- 2 डा ओ पी शर्मा, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, 1996, पृ 22
- 3 Economic Survey, 1992-93, p 96
- 4 वही, 1998-99
- 5 वही 1992-93, p 5-111, 1999-2000
- 6 डा ओ पी शर्मा वही पृ 186
- 7 वही पृ 187

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 बहुराष्ट्रीय कम्पनिया क्या हैं।
- 2 भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बताइए।
- 3 भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के क्या खतरे हैं।

निबन्धात्मक प्रश्न -

- 1 बहुराष्ट्रीय निगम क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बताइए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ तथा दूसरे भाग में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका को लिखना है।)
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका तथा समाहित खतरो की व्याख्या कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर में अध्याय में दिए गये बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका और समाहित खतरो को लिखना है।)
- 3 बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं? भारत के आर्थिक विकास में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ बताना है तथा प्रश्न के द्वितीय भाग में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्त्व और समाहित खतरो को लिखना है।)

भारत का विदेशी व्यापार : आकार, संरचना और दिशा

(Foreign Trade of India : Volume,
Composition and Direction)

अतीत में भारत व्यापार शेष के अनुकूल होने के कारण एक समृद्ध देश था। गुलामी के दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई थी। कृषि तथा उद्योगों की दृष्टि से भारत बहुत पिछड़ गया था। इसके अलावा देरी समस्याएँ विरासत में मिली थीं। स्वातन्त्र्योत्तर अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान की आवश्यकता थी इसलिए आयातों पर निर्भरता बढ़ी। योजनाबद्ध विकास से आर्थिक विकास की गति मिली। आज भारत के विदेशी व्यापार में बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। विदेशी व्यापार की मात्रा ने विगत वर्षों की तुलना में तीव्र गति पकड़ी। किन्तु आयातों की तुलना में निर्यातों के तेजी से नहीं बढ़ने के कारण व्यापार घाटा चिंताप्रद बन गया है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के गति पकड़ने से विदेशी व्यापार की सरचना बदती है इसके अलावा विदेशी व्यापार की दिशा में परिवर्तन हुआ है। भारत आज विश्व के अनेक देशों के साथ विविध उत्पादों के विदेशी व्यापार में सलग्न है।

विदेशी व्यापार का अर्थ (Meaning of Foreign Trade)

जब व्यापार एक राष्ट्र की सीमा पार कर अन्य राष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाता है तब उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार में तीन स्थितियाँ सम्मिलित होती हैं। आयात व्यापार, निर्यात व्यापार तथा पुनः निर्यात व्यापार। जब कोई देश आवश्यकता की वस्तुएँ अन्य देशों से प्राप्त करता है तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। जब कोई देश अतिरिक्त उत्पाद को अन्य देशों को विक्रय करता है तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। पुनः निर्यात व्यापार (Re export Trade) आयात और निर्यात का मिश्रित रूप होता है। इसमें कोई देश अन्य देश से माल का आयात करके उसी माल को तीसरे देश को निर्यात कर देता है। यह व्यापार वस्तुतः तीन

देशों के मध्य होता है।

विदेशी व्यापार का महत्त्व (Importance of Foreign Trade)

राष्ट्र विशेष की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। विकासशील राष्ट्र विदेशी व्यापार से विकास की गति तीव्र कर सकते हैं। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में कच्चा माल, अन्तर्वर्ती वस्तुएँ (Intermediate goods), इस्पात सयंत्र, मशीनरी आदि का आयात करना पड़ता है। नतीजन विकासशील राष्ट्रों में विदेशी व्यापार की प्रतिकूलता तीव्रता से बढ़ती है। अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रों के उत्पादों का आयात करके विकसित राष्ट्र उनके प्रतिकूल व्यापार शेष को कम करने में मदद कर सकते हैं। विदेशी व्यापार का अनुकूल होना आर्थिक सुदृढता और इसका प्रतिकूल होना विगड़ी आर्थिक दशा का परिचायक है क्योंकि विदेशी विनिमय कोष की स्थिति बड़ी सीमा तक विदेशी व्यापार पर ही निर्भर करती है। भारत सरीखे विकासशील राष्ट्रों में व्यापार शेष की प्रतिकूलता ने भुगतान शेष की स्थिति को विषम बना दिया है। आज विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता और विदेशी व्यापार की महत्ती आवश्यकता है।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार (Foreign Trade before Independence)

अतीत में विदेशी व्यापार की दृष्टि से भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात थे। यहाँ से सूती वस्त्र, कलापूर्ण वस्तुएँ, मसाले आदि बड़ी मात्रा में विश्व के अनेक देशों को निर्यात किए जाते थे। निर्यातों की बहुलता के कारण व्यापार शेष सदैव अनुकूल रहता था। भारत में चहुँओर समृद्धि थी।

विश्व के अनेक देशों की भारत की समृद्धि पर लालचमरी दृष्टि पड़ी। अंग्रेज व्यापारी की हैसियत से आए और भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम बना लिया। आजादी से पूर्व भारत लम्बे समय तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश (Colony) रहा, नतीजन विदेशी व्यापार का ढाँचा भी औपनिवेशिक ढाँचा ही था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का मनमाफिक दोहन किया। उपनिवेश काल में भारतीय उद्योग धन्धों की रीढ़ टूट गई। भारत की निर्मित माल के निर्यातक की छवि धुंधली हो गई। भारत कच्चे माल के निर्यातक के रूप में जाना जाने लगा। भारत विकसित देशों विशेषकर इंग्लैण्ड को कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का निर्यात करता था। भारतीय कच्चे माल के बूते पर इंग्लैण्ड के औद्योगीकरण को गति दी गई। ब्रिटिश निर्मित माल से भारतीय बाजारों को पाट दिया गया। भारत को औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जो पृथक् पहचान थी अब भारत कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो चुका था।

वर्ष 1869 में स्वेज नहर खुली जिससे भारत और इंग्लैण्ड के बीच की दूरी 9,000 किलोमीटर कम हो गई। नतीजतन भारत के विदेशी व्यापार को गति मिली, किन्तु बाद के वर्षों में द्वितीय महायुद्ध, विश्वव्यापी मंदी, विकसित राष्ट्रों की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

स्वतन्त्रता से पूर्व विदेशी व्यापार

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल विदेशी	व्यापारशेष
1900 01	76	104	180	+28
1913 14	150	197	347	+47
1919 20	222	336	558	+114
1921 22	282	248	530	-34
1929 30	249	318	567	+69
1940 41	157	187	344	+30
1944 45	204	210	414	+6

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व आयातों की तुलना में निर्यातों की अधिकता के कारण व्यापार शेष प्रायः पक्ष में ही रहता था। भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देशों तक सीमित था तथा विदेशी व्यापार में आयातों में निर्मित उपभोक्ता माल और निर्यातों में प्राथमिक वस्तुओं की प्रधानता थी। भारत का कुल विदेशी व्यापार वर्ष 1900-01 में 180 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1913-14 में 347 करोड़ रुपए तथा 1919-20 में और बढ़कर 558 करोड़ हो गया। 1929-30 में भारत का विदेशी व्यापार 567 करोड़ रुपए था। बाद के वर्षों में विदेशी व्यापार में कमी आई। वर्ष 1940-41 में विदेशी व्यापार घटकर 344 करोड़ रुपए ही रह गया। वर्ष 1919-20 में विदेशी व्यापार में आयात 222 करोड़ रुपए और निर्यात 336 करोड़ रुपए होने से व्यापार शेष 114 करोड़ रुपए पक्ष में था जो तब एक रिकार्ड था। बाद के वर्षों में भारत के निर्यात घटे। वर्ष 1921-22 में व्यापार शेष 34 करोड़ रुपए प्रतिकूल था। निर्यात ब्रिटिश शासकों की विद्वेषपूर्ण नीति और घरेलू उद्योगों का पतन आदि के कारण घटे।

स्वतन्त्रोत्तर भारत का विदेशी व्यापार

(Foreign Trade after Independence)

1947 में देश की राजनीतिक बागदोर भारतीयों के हाथों में आई। भारत की आर्थिक समृद्धि का बीड़ा उठाया गया। विकास के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग चुना गया। नियोजन काल में विदेशी व्यापार के आकार सरघना तथा दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारतीय उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में नहीं टिक पाने के कारण निर्यात अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पाए। पेट्रोल खनिज तेल लुमिनेटस के अधिक आयात से भारत का व्यापार समतुल्य काफी बिगड़ गया।

भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा

(Volume of India's Foreign Trade)

विदेशी व्यापार की मात्रा अथवा मूल्य में आयात व्यापार निर्यात व्यापार कुल

विदेशी व्यापार, व्यापार शेष, निर्यात और आयात सवृद्धि दर को सम्मिलित किया जाता है। स्वतंत्रता-उपरात नियोजित विकास के कारण विदेशी व्यापार की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा को तालिका में दर्शाया गया है। (देखें पृष्ठ 510)

1. कुल विदेशी व्यापार (Total Foreign Trade) – स्वातन्त्र्योत्तर भारत के कुल विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 1950-51 में 1,214 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1960-61 में 1,764 करोड़ रुपए, 1970-71 में 3,169 करोड़ रुपए, 1980-81 में 19,260 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 75,751 करोड़ रुपए हो गया। कुल विदेशी व्यापार 1994-95 में 1,72,645 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 1950-51 से 1994-95 तक 44 वर्षों में कुल विदेशी व्यापार में 142 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 में कुल विदेशी व्यापार 2,84,277 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में 2,67,725 करोड़ रुपए (प्रावधान) रहा।

2. निर्यात व्यापार (Export Trade) – निर्यात सवर्द्धन के बावजूद निर्यात व्यापार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। ऊँची कीमत तथा निम्न किस्म के उत्पाद के कारण भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। भारतीय उत्पाद आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित नहीं है। निर्यात 1950-51 में 606 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1960-61 में 642 करोड़ रुपए, 1970-71 में 1,535 करोड़ रुपए, 1980-81 में 6,711 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 32,553 करोड़ रुपए हो गया। निर्यात 1994-95 में और बढ़कर 82,674 करोड़ रुपए हो गया। चवालीस वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में 136 गुना वृद्धि हुई। भारत का निर्यात 1997-98 में 1,30,101 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में 1,18,638 करोड़ रुपए (प्राविजनल) था।

3. निर्यात सवृद्धि दर (Export Growth Rate) भारत की निर्यात सवृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। अनेक वर्षों में निर्यात सवर्द्धन दर ऋण्णात्मक रही। निर्यातों में गिरावट 1952-53 में 193 प्रतिशत, 1953-54 में 81 प्रतिशत, 1956-57 में 07 प्रतिशत, 1957-58 में 73 प्रतिशत, 1965-66 में 07 प्रतिशत, 1985-86 में 72 प्रतिशत रही। भारत के निर्यातों में 1966-67 में सर्वाधिक 429 प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखनीय है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ निर्यात सवृद्धि दर में वृद्धि हुई। निर्यात सवृद्धि दर 1991-92 में 35.3 प्रतिशत, 1992-93 में 21.9 प्रतिशत, 1993-94 में 29.9 प्रतिशत, 1995-96 में 28.6 प्रतिशत सतोषप्रद कही जा सकती है। 1997-98 में 9.5 प्रतिशत निर्यात वृद्धि अवश्य चिन्ताप्रद रही। अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में निर्यात सवृद्धि दर 16.5 प्रतिशत थी। भारत की ग्यारहवीं लोक सभा राजनीतिक अस्थिरता की शिकार रही। महज अठारह महीनों में तीन प्रधानमंत्री बदले राजनीतिक अस्थिरता का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आर्थिक संक्रमण काल में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चिन्तनीय पहलू है। जहाँ पूर्ववर्ती आर्थिक सवृद्धि

विदेशी व्यापार की मात्रा

(करोड़ रुपए)

वर्ष	निर्यात		आयात	कुल विदेशी व्यापार	व्यापार शेष	परिवर्तन दर प्रतिशत में	
	(,पुन निर्यात सहित)	निर्यात				निर्यात	आयात
1950-51	606	608	1214	-2	24.9	-1.5	
1955-56	609	774	1383	-165	2.7	10.6	
1960-61	642	1122	1764	-480	0.3	16.8	
1965-66	810	1409	2219	-599	-0.7	4.4	
1970-71	1535	1634	3169	-99	8.6	3.3	
1972-73	1971	1867	3838	+104	22.6	2.3	
1976-77	5142	5074	10216	+68	27.4	-3.6	
1980-81	6711	12549	19260	-5838	4.6	37.3	
1985-86	10895	19658	30553	-8763	-7.2	14.7	
1990-91	32553	43198	75751	-10645	17.7	22.3	
1991-92	44041	47851	91892	-3810	35.3	10.8	
1992-93	53688	63375	117063	-9687	21.9	32.4	
1993-94	69751	73101	142852	-3350	29.9	15.3	
1994-95	82674	89971	172645	-7297	18.5	23.1	
1995-96	106353	122678	229031	-16325	28.6	36.4	
1996-97	118817	138920	257737	-20103	11.7	13.2	
1997-98	130101	154176	284277	-24075	9.5	11.0	
1998-99 (प्रा)	141604	176099	317703	-34495	8.8	14.2	
1999-2000 (प्रा)	118638	149087	267725	-30449	16.5	12.6	

(अप्रैल-दिसम्बर)

Source: Government of India, Economics Survey 1998-99, 1999-2000, S-81

दर को बनाये रखना कठिन हो गया है वहीं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को धक्का लगा है। ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी निवेश के घटने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। 4 दिसम्बर 1997 को राष्ट्रपति ने ग्यारवहीं लोकसभा भंग की। फरवरी-मार्च 1998 में बारहवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। बारहवीं लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। सितम्बर-अक्टूबर 1999-2000 में तेरहवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। भारत के गरीब लोगों को केवल सतरह महीनों में लोकसभा चुनाव का सामना करना पड़ा। आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। राजनीतिक स्थायित्व से विकासशील देश की गरीब जनता की पसीने की कमाई को खर्चीले चुनाव में व्यय से रोका जा सकता है। बार-बार सत्ता परिवर्तन से तथा लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत के अभाव में वित्तीय ससाधनों की बर्बादी तथा दुरुपयोग होता है। राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास की सही दिशा निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होता है।

4. आयात व्यापार (Import Trade) – भारत विश्व का एक बड़ा देश है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत दीर्घावधि तक एक उपनिवेश रहा है। इसलिए स्वतंत्रता-उपरांत विकासगत जरूरतों की पूर्ति के लिए आयात व्यापार पर निर्भरता बनी हुई है। विगत वर्षों में आयात व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। आयात 1950-51 में 608 करोड़ रुपये तथा जो बढ़कर 1960-61 में 1,122 करोड़ रुपये, 1970-71 में 1634 करोड़ रुपये, 1980-81 में 12,549 करोड़ रुपये तथा 1990-91 में 43,198 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1994-95 में आयात और बढ़कर 89,971 करोड़ रुपये हो गया। 1950-51 से 1994-95 तक चवालीस वर्षों में आयात व्यापार में 148 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 में आयात 1,54,176 करोड़ रुपये तथा अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में 1,49,087 करोड़ रुपये रहा।

5. आयात सवृद्धि दर (Import Growth Rate) – आयात सवृद्धि दर 1950-51 में ऋणात्मक 15 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1960-61 में 168 प्रतिशत, 1970-71 में घटकर 3.3 प्रतिशत, 1980-81 में तीव्र बढ़कर 373 प्रतिशत तथा 1990-91 में 223 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1970-71 के बाद के वर्षों में केवल 1976-77 को छोड़कर आयात सवृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति नहीं देखी गयी। आर्थिक उदारीकरण के बाद के वर्षों में उदार आयात की नीति के अनुसरण के कारण आयात सवृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई। आयात सवृद्धि दर 1992-93 में 324 प्रतिशत थी जो घटकर 1993-94 में 153 प्रतिशत तथा 1994-95 में 231 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1995-96 में आयात सवृद्धि दर में 364 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आठवें और नौवें दशक में आयात सवृद्धि दर में इतनी वृद्धि पूर्व में कभी नहीं हुई। जैँची आयात सवृद्धि दर ने 1995-96 में व्यापार घाटे की स्थिति को भयावह बना दिया। अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में आयात सवृद्धि दर 12.6 प्रतिशत रही।

संयुक्त मोर्चा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को अत्यल्प फेरबदल के साथ लागू किया। वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 राजनीतिक अस्थिरता के वर्ष रहे। इसका भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। व्यापार घाटा 1994-95 में 7,297 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में 16,325 करोड़ रुपए था। व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में 30,449 करोड़ रुपए (प्राविजनल) रहा।

प्रतिकूल व्यापार शेष के कारण (Causes of Unfavourable Balance of Trade)

1. निर्यातों में कमी (Decrease in Exports) - निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि नहीं होना प्रतिकूल व्यापार शेष का प्रमुख कारण है। भारत के निर्यात सदैव आयातों से कम रहे। अनेक वर्षों में निर्यात सवृद्धि दर ऋणात्मक रही। वर्ष 1985-86 में निर्यात 7.2 प्रतिशत घटा। वर्ष 1997-98 में निर्यात सवृद्धि दर 9.5 प्रतिशत थी जबकि आयातों में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आधुनिकतम तकनीक के अभाव में भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं।

2. आयातों की बहुलता (More Imports) - नियोजित विकास के अनेक वर्षों बाद भी भारत की आयातों पर निर्भरता बनी हुई है। कृषि के पिछड़ेपन तथा जनसंख्या की बहुलता के कारण खाद्यान्न आयात करना पड़ा। भारत को आज बड़ी मात्रा में पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेंट्स का आयात करना पड़ता है। खनिज तेल की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण तेल आयात बिल काफी बढ़ गया है।

3. निर्यातों से आयातों की कम भरपाई (Less Receipts of Imports by Exports) - भारत के निर्यात आयातों की तुलना में कम है। निर्यातों से आयातों की भरपाई कम है। निर्यातों से आयातों की भरपाई का प्रतिशत जितना कम होता है व्यापार घाटा उतना ही अधिक बढ़ता है। वर्ष 1994-95 में निर्यातों से आयातों की भरपाई 91.8 प्रतिशत थी। वर्ष 1990-91 में यह प्रतिशत केवल 75.3 प्रतिशत ही था।

4. रुपए का अवमूल्यन (Devaluation of Rupee) - निर्यात वृद्धि के वास्ते रुपए के अवमूल्यन का सहारा लिया गया। सितम्बर 1949 में रुपए का डॉलर में 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। इसके बाद 6 जून, 1966 को रुपए का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। भारत ने जुलाई 1991 के प्रथम सप्ताह में रुपए की विनिमय दर में दो बार कमी की। रुपए को विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले यथा पौण्ड स्टर्लिंग 21.04 प्रतिशत, अमरीकी डॉलर 23.07 प्रतिशत, जर्मन मार्क 20.78 प्रतिशत, जापानी येन 22.23 प्रतिशत तथा फ्रांसिसी फ्राक 21 प्रतिशत सस्ता कर दिया। भारत ने यह गम्भीर कदम आर्थिक संकट से उबरने के लिए उठाया था। रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयात व्यापार महंगा हुआ है। अन्य राष्ट्रों द्वारा भी अवमूल्यन करने के कारण भारत से निर्यात में अधिक वृद्धि नहीं हो सकी नतीजन व्यापार घाटा तीव्रता से बढ़ा।

5 युद्ध सामग्री का आयात (Import of War Materials) - भारत को चीन तथा पाकिस्तान से बड़े युद्धों में सामान्य फर्क पड़ा। आज सुरक्षात्मक कारणों से चीनी मात्रा में युद्ध सामग्री का आयात करता पड़ता है। भारत विभाजन से भी विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

अनुभूत व्यापार शेष का विवादाशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुभूत व्यापार शेष अर्थव्यवस्था की सुदृढता का परिचायक है। इससे देश के विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि होती है तथा विनिमय दर पक्ष में बनी रहती है। इसके अलावा भुगतान असंतुलन की स्थिति से साम्य में लाने में मदद मिलती है। भारत का व्यापार शेष की सतत प्रतिफलता निन्ताप्रद है। इससे आयात नियंत्रण निर्यात सवर्द्धन राशिपाता अवमूल्यन आदि से पक्ष में लिया जा सकता है।

भारत के विदेशी व्यापार की संरचना

(Composition of India's Foreign Trade)

विदेशी व्यापार की संरचना से अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया के साथ आर्थिक विकास की अवस्था से ज्ञात किया जा सकता है। विदेशी व्यापार की संरचना में आयातित और निर्यातित वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। यदि राष्ट्र विशेष ने निर्यात गैर-परम्परागत वस्तुएँ तथा आयात परम्परागत वस्तुएँ हैं तो यह विरिक्त रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्र विकास की उँची अवस्था में है। इसके विपरीत यदि निर्यात परम्परागत और आयात गैर परम्परागत है तो राष्ट्र अल्प विकसित अथवा विवादाशील अवस्था में है। परम्परागत वस्तुओं में खाद्य उपभोग वच्चे पदार्थ तथा गैर परम्परागत वस्तुओं में विनिर्मित पूँजीगत वस्तुएँ सम्मिलित की जाती हैं।

भारत स्वतंत्रता से प्रारम्भिक वर्षों में अल्प विकसित अवस्था में था। निर्यातों में खाद्य तथा मछली वच्चे लोहा जूट आदि की बहुलता थी तथा आयातों में खाद्य उपभोग वस्तुएँ तथा कच्चे पदार्थ आदि प्रमुख मदे थी। नियोजित विकास के दौरान विदेशी व्यापार की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज भारत के विदेशी व्यापार में विविधता आई है। विदेशी व्यापार में 3000 से अधिक वस्तुएँ सम्मिलित हैं।

आयात संरचना (Composition of Imports)

भारत की आयात संरचना को चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है

- (i) खाद्य-उपभोग पदार्थ
(Food and live animals chiefly for food)
- (ii) कच्चे पदार्थ तथा मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुएँ
(Raw Material and Intermediate Manufactures)
- (iii) पूँजीगत वस्तुएँ
(Capital goods)

(iv) अन्य अथवा अवर्गीकृत वस्तुएँ (Others, Unclassified)।

खाद्य उपभोग पदार्थ में अनाज और अनाज उत्पाद, कच्चे पदार्थ और मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुओं में लोहा व इस्पात, खाद्य तेल, पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेट, उर्वरक और उर्वरक सामग्री, रासायनिक तत्व, मोती और बहुमूल्य रत्न तथा पूजीगत वस्तुओं में विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण, गैर विद्युत मशीनरी आदि को सम्मिलित किया जाता है।

सरकार की नीति जरूरी वस्तुओं का आयात जारी रखने तथा गैर जरूरी आयात को कम करने की है। कुल आयात का बड़ा भाग बहुत मात्रा में मगाई जाने वाली वस्तुओं यथा उर्वरक, अखबारी कागज, पेट्रोलियम उत्पाद आदि का होता है। हाल के वर्षों में आयात सरचना में बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 1960-61 में कुल आयातों में खाद्य उपभोग वस्तुएँ 19 प्रतिशत, कच्चे पदार्थ और मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुएँ 46.9 प्रतिशत, पूजीगत वस्तुएँ 31.7 प्रतिशत तथा अन्य अवर्गीकृत वस्तुएँ 2 प्रतिशत थीं। पूजीगत वस्तुओं के आयात में कमी हुई है। वर्ष 1997-98 में पूजीगत वस्तुओं का आयात कुल आयात का 17.5 प्रतिशत ही था। देश में ही गैर विद्युत मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि का उत्पादन होने से आयात में कमी संभव हो सकी है। इसके अलावा जिन वस्तुओं का आयात कम हुआ है वे हैं — अनाज और अनाज उत्पाद, लोहा एवं इस्पात, अलौह धातुएँ। जिन वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है, उनमें पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेट्स, खाद्य तेल, उर्वरक और उर्वरक सामग्री, रासायनिक तत्व और योगिक, मोती और बहुमूल्य रत्न आदि मुख्य हैं।

आयात सरचना संबंधी मुख्य विवरण निम्नलिखित है —

1. अनाज और अनाज उत्पाद (Cereals and Cereal Preparations) —

भारत कृषि के क्षेत्र में 'हरी क्रांति' लागू किए जाने से पूर्व पिछड़ा हुआ था। आज भी कृषि के मानसून पर निर्भर होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन है। विगत वर्षों से मानसून के अनुकूल होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप अनाज और अनाज उत्पाद का आयात घटा है। नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों में अनाज के आयात पर भारी राशि खर्च होती थी। वर्तमान में भारत के खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के बात कही जा रही है। थोड़ी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात भी किया जाने लगा है। किन्तु लोगों के गरीबी की रेखा से ऊपर उठने पर अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। अतः भारत को भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कृषि प्रधान राष्ट्र होने के बावजूद भारत लम्बे समय तक बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करता रहा है इस बात की पुष्टि निम्न आंकड़ों से हो जाती है। अनाज और अनाज उत्पाद का आयात 1960-61 में 181 करोड़ रुपए, 1970-71 में 213 करोड़ रुपए, 1980-81 में 100 करोड़ रुपए, 1990-91 में 182 करोड़ रुपए, 1993-94 में 290 करोड़ रुपए, 1994-95 में 92 करोड़ रुपए, 1995-96 में 80 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में 1,061 करोड़ रुपए था। हाल के वर्षों में कुल आयात में खाद्यान्न का

भारत के प्रमुख आयात

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	आयात रुपए	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत
1	214	19.0	३७	--	--	--	--	--
2	181	16.1	80	0.06	1061	0.7	973	0.6
1	527	46.9	३७	--	--	--	--	--
2	69	6.1	25173	20.5	30538	20.2	27064	15.4
	4	0.35	2260	1.8	2733	1.8	7131	4.0
	13	1.1	5628	4.6	3755	2.5	4179	2.4
	39	3.5	9403	7.6	12128	8.0	1662	0.9
	1	0.08	7045	5.7	11680	7.7	15827	8.9
	123	10.9	4838	3.9	5595	3.7	4956	2.8
	47	4.2	3024	2.4	3377	2.2	2823	1.6

.. लगातार

लगातार

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	आयात	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
3 पूजीगत वस्तुएँ	356	317	28289	230	26532	175	29220	166
धातु निर्मित	23	20	930	07	1210	08	1705	09
गैर विद्युत मशीनरी	203	180	14371	117	14716	97	14459	82
विद्युत मशीनरी	57	50	1292	10	1359	09	1876	10
परिवहन उपकरण	72	64	3697	30	3368	22	2571	15
4 अन्य (अवर्गीकृत)	25	22	उ०		
कुल	1122	122678	...	151553	...	176099	...

उ० = उपलब्ध नहीं

Source Government of India, *Economic Survey*, 1998-99, S-85 and 1999-2000

हिस्सा घटा है। वर्ष 1960-61 में कुल आयात में अनाज और अनाज उत्पाद का हिस्सा 16 प्रतिशत था जो घटकर 1997-98 में एक प्रतिशत से भी कम रह गया।

2 **पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स (Petroleum, Oil, and Lubricants)** - भारत में पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स का उत्पादन माग की तुलना में कम है। आर्थिक विकास के साथ इसकी माग में और वृद्धि हुई है। आज पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स सर्वाधिक आयात मद है। भारत को भारी धनराशि खनिज तेल के आयात पर खर्च करनी पड़ती है। तेल निर्यातक देशों के संगठन (Organisation of Petroleum Exporting Countries) के द्वारा पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल आयात बिल बढ़ा। नौवें दशक में खनिज तेल के उत्पादन में वृद्धि तथा तेल की कीमतों में कमी के कारण तेल के आयात बिल में कमी आई। वर्ष 1990-91 में खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स (POL) का आयात 1960-61 में 69 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1970-71 में 136 करोड़ रुपए, 1980-81 में 5,264 करोड़ रुपए, 1990-91 में 10,816 करोड़ रुपए हो गया तथा 1995-96 में और बढ़कर 25,173 करोड़ रुपए हो गया। पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स का आयात 1997-98 में 30,538 करोड़ रुपए था। कुल आयात में पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स का हिस्सा तीव्र गति से बढ़ा। यह 1960-61 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 20.5 प्रतिशत तथा 1997-98 में 20.2 प्रतिशत हो गया।

3 **खाद्य तेल (Edible Oil)** - तिलहन उत्पादन में वृद्धि के बावजूद खाद्य तेल का अभाव है। अतिरिक्त माग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। खाद्य तेल का आयात 1960-61 में केवल 4 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1980-81 में 677 करोड़ रुपए हो गया। 1990-91 में खाद्य तेल का आयात घटकर 326 करोड़ रुपए रह गया जो यकायक बढ़कर 1995-96 में 2260 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में और बढ़कर 2,733 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1960-61 में कुल आयात में खाद्य तेल का हिस्सा 0.35 प्रतिशत था जो बढ़कर 1995-96 में 1.8 प्रतिशत तथा 1997-98 में 1.8 प्रतिशत हो गया।

4 **उर्वरक और उर्वरक सामग्री (Fertilizers and Fertilizers Materials)** - कृषि प्रगति के साथ उर्वरकों का उपयोग बढ़ा किन्तु उत्पादन कम होने के कारण उर्वरकों का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की ऊँची कीमतें हैं तथा भारत ने हाल के वर्षों में उर्वरक आयात के क्षेत्र में उदार नीति का अनुसरण किया है। उर्वरक तथा उर्वरक सामग्री का आयात 1960-61 में 13 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1995-96 में 5,628 तथा 1997-98 में 3,755 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1960-61 में कुल आयात में उर्वरक और उर्वरक सामग्री का हिस्सा 1.1 प्रतिशत था जो बढ़कर 1995-96 में 4.6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1997-98 में कुल आयात में उर्वरक और उर्वरक सामग्री का भाग 2.5 प्रतिशत था।

5 रासायनिक तत्व और यौगिक (Chemical Elements and Compounds) - भारत रासायनिक तत्व तथा यौगिकों का बड़ी मात्रा में आयात करता है। रासायनिक तत्व तथा यौगिकों का आयात 1960-61 में 39 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1995-96 में 9,403 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में और बढ़कर 12,128 करोड़ रुपए हो गया। कुल आयातों में रासायनिक तत्व तथा यौगिकों का हिस्सा 1960-61 में 3.5 प्रतिशत था जो बढ़कर 1995-96 में 7.6 प्रतिशत हो गया। यह 1997-98 में और बढ़कर 8 प्रतिशत हो गया।

6 मोती और बहुमूल्य रत्न (Pearls and Precious Stones) - भारत निर्मित और अनिर्मित मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर आयात करता है। जवाहरात और आभूषण उद्योग की बढ़ती हुई मांग के कारण मोती और बहुमूल्य रत्नों का आयात बढ़ा है। भारत के उच्च वर्ग में मोती और बहुमूल्य रत्नों की मांग अधिक है। मोती और बहुमूल्य रत्नों का आयात 1960-61 में केवल एक करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 3,738 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1995-96 में मोती और बहुमूल्य रत्नों का आयात तेजी से बढ़कर 7,045 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में 11,680 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। कुल आयात में मोती और बहुमूल्य रत्नों का हिस्सा 1960-61 में 0.08 प्रतिशत था जो बढ़कर 1995-96 में 5.7 प्रतिशत तथा 1997-98 में 7.7 प्रतिशत था।

7 लोहा व इस्पात (Iron and Steel) - भारत में लौह-अयस्क के भरपूर भण्डार हैं किन्तु लोहा एवं इस्पात उद्योगों का अभाव तथा विद्यमान उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता के कारण इस्पात का उत्पादन कम है नतीजतन भारत लोहा एवं इस्पात का आयात करता है यह बहुत ही निराशाजनक बात है। लोहा एवं इस्पात का आयात 1960-61 में 123 करोड़ रुपए से बढ़कर 1995-96 में 4,838 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में 5,595 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। किन्तु कुल आयात में लोहा व इस्पात का हिस्सा 1960-61 में 10.9 प्रतिशत से घटकर 1995-96 में 3.9 प्रतिशत तथा 1997-98 में 3.7 प्रतिशत रह गया।

भारत अलौह धातुओं (Non Ferrous Metals) का भी आयात करता है। अलौह धातुओं का आयात 1960-61 में 47 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 3,377 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। कुल आयात में अलौह धातुओं का हिस्सा घटा है 1997-98 में यह 2.2 प्रतिशत रहा जबकि 1960-61 में 4.2 प्रतिशत था।

8. पूंजीगत वस्तुएं (Capital Goods) - भारत प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र है। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगीकरण पर बल दिया गया है। औद्योगीकरण को गति देने के लिए धातु विनिर्मित, गैर विद्युत मशीनरी, विद्युत मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों का आयात बढ़ा है। पूंजीगत वस्तुओं का आयात 1960-61 में 356 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1995-96 में 28,289 करोड़ रुपए हो गया। पूंजीगत वस्तुओं का आयात 1997-98 में 26,532 करोड़ रुपए था। पूंजीगत वस्तुओं का बढ़ता आयात तीव्र औद्योगीकरण का परिचायक है, किन्तु यह तकनीकी के मामले में

बढ़ती विदेशी निर्भरता को भी दर्शाता है। कुल आयात में पूंजीगत वस्तुओं का घटता हिस्सा तकनीकी में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम माना जा सकता है। भारत में कुल आयात में पूंजीगत वस्तुओं का हिस्सा 1960-61 में 31.7 प्रतिशत था जो 1995-96 में घटकर 23 प्रतिशत तथा 1997-98 में और घटकर 17.5 प्रतिशत रह गया।

निर्यात संरचना (Composition of Exports)

स्वातन्त्र्योत्तर निर्यात संरचना में व्यापक बदलाव आया है निर्यातित वस्तुओं की संख्या में वृद्धि हुई है साथ ही निर्यात का ढांचा भी बदला है। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में निर्यातों में कृषि तथा संबन्धित वस्तुओं, अयस्क व खनिजों की बहुलता थी। आज भारत निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने लगा है। मोटे तौर पर निर्यात संरचना को चार भागों में विभक्त किया जाता है -

- (i) कृषि व संबद्ध उत्पाद जिसमें घाय, काजू, कपास, मछली व मछली उत्पाद, काफी, कच्चा सूत, चावल, फल, सब्जी व दाले आदि सम्मिलित हैं।
- (ii) अयस्क और खनिज जिसमें अन्नक और लौह अयस्क सम्मिलित हैं।
- (iii) विनिर्मित वस्तुएँ जिसमें सिले रिलिए कपडे, चमड़ा व निर्मित सामान, हस्तशिल्प, रसायन और संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, जूट उत्पाद आदि सम्मिलित हैं।
- (iv) खनिज तेल एवं स्नेहक (कोयला सहित)

भारत के प्रमुख निर्यातों संबंधी विवरण निम्नलिखित है -

हाल के वर्षों में निर्यात न केवल तेजी से बढ़े हैं बल्कि उनमें विविधता भी आई है। निर्यात में यह वृद्धि कई वस्तुओं में हुई जैसे - इंजीनियरी का सामान, रासायनिक तथा उससे संबन्धित उत्पादन, रत्न और आभूषण, वस्त्र, दस्तकारी का सामान, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएँ, समुद्री-उत्पाद, खेल-कूद का सामान, कालीन और संसाधित खाद्य-पदार्थ। परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई जैसे कृषिजन्य वस्तुएँ और खनिज तथा अयस्क। निर्यातों में कृषि एवं संबद्ध, अयस्क एवं खनिजों के स्थान पर विनिर्मित वस्तुओं का योगदान बढ़ा है। कुल निर्यात में कृषि एवं संबद्ध उत्पाद का हिस्सा 1960-61 में 44.2 प्रतिशत था जो घटकर 1997-98 में 18.8 प्रतिशत ही रह गया इसी प्रकार अयस्क और खनिज का हिस्सा दूसरी सप्ताहिक में 8 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात में योगदान 1960-61 में 45.3 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 76.6 प्रतिशत हो गया।

1. काफी (Coffee) - भारत काफी का बड़ा निर्यातक देश है। काफी का निर्यात 1960-61 में 7 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1997-98 में 1,622 करोड़ रुपये हो गया। कुल निर्यातों में काफी का योगदान 1960-61 में 1.09 प्रतिशत था जो बढ़कर 1997-98 में 1.3 प्रतिशत हो गया।

भारत के प्रमुख निर्यात

वस्तुएं	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत
(1) कृषि एवं संबद्ध उत्पाद								
जिसमें से								
काफी	284	44.2	21138	19.8	23691	18.8	26164	18.5
चाय और मेट	7	1.09	1503	1.4	1622	1.3	1703	1.2
आयल केकस (खली)	124	19.3	1171	1.1	1505	1.2	2302	1.6
तम्बाकू	14	2.1	2349	2.2	3404	2.7	1912	1.4
काजू गिरी	16	2.4	447	0.4	1058	0.8	779	0.6
मसाले	19	2.9	1237	1.1	1384	1.1	1613	1.1
धीनी और मोलासिस	17	2.6	794	0.7	1402	1.1	1617	1.1
कपास	30	4.6	506	0.4	248	0.2	23	0.02
चावल	12	1.8	204	0.1	840	0.7	224	0.16
मछली और मछली उत्पाद	..	-	4568	4.2	3275	2.6	6201	4.4
	5	0.7	3381	3.1	4313	3.4	4368	3.0

लगातार

वस्तुएं	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
मास और मारा उत्पाद	1	0.1	627	0.5	803	0.6	760	0.5
फल सब्जी और दालें	6	0.9	802	0.7	1029	0.8	912	0.6
विविध प्रसंस्कृत खाद्य	1	0.1	745	0.7	535	0.4	550	0.4
(ii) अयस्क और खनिज (कोयले के अतिरिक्त) जिसमें से अन्नक	52	8.0	3061	2.8	3018	2.4	2970	2.0
लोह अयस्क	--	--	27	0.02	25	0.02	44	0.03
विनिर्मित वस्तुएं जिसमें से सूती वस्त्र	17	2.6	1721	1.6	1763	1.4	1600	1.1
सूती वस्त्र	291	45.3	80219	75.4	96795	76.6	111476	78.7
सूत धागा	73	11.3	24149	22.7	30001	23.8	35897	25.4
सिले सिलाए वस्त्र	65	10.1	8619	8.1	12094	9.6	11089	7.8
नारियल सूत और उत्पाद	1	0.1	12295	11.5	14032	11.1	18698	13.2
	6	0.9	210	0.19	254	0.20	313	0.2

.लगभग

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत
जूट विनिर्मित	135	210	621	0.58	363	0.29	595	0.4
चमड़े और चमड़े का सामान	28	4.3	5790	5.4	5461	4.3	6077	4.8
हस्तशिल्प जिसमें से	11	1.7	20501	19.2	3443	2.7	4372	3.0
रत्न और आभूषण	1	0.1	17644	16.5	19014	15.0	24839	17.5
रसायन और संबद्ध उत्पाद	7	1.0	9849	9.2	13500	10.7	14188	10.0
मशीनरी परिवहन व धातु								
विनिर्मित	22	3.4	14578	13.7	18354	14.5	18371	12.9
(iv) खनिज तेल व स्नेहक	7	1.0	1761	1.6	1443	1.1	510	0.4
कुल निर्यात	642		106353		126286		141604	

 Source Government of India, *Economic Survey 1998-99, 1999-2000, S-89*

2 चाय और मेट (Tea and Mate) - चाय और मेट भारत का प्रमुख परम्परागत निर्यात हैं। विश्व के अनेक देशों को भारतीय चाय निर्यात की जाती है। वर्तमान में भारत को चाय निर्यात के क्षेत्र में श्रीलंका से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। भारत से चाय और मेट का निर्यात 1960-61 में 124 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 1,505 करोड़ रुपए हो गया। किन्तु निर्यातों में चाय और मेट का हिस्सा घटा है। निर्यातों में चाय और मेट का हिस्सा 1960-61 में 19.3 प्रतिशत था जो घटकर 1997-98 में 1.2 प्रतिशत रह गया है।

3 काजू गिरी (Cashew Kernels) - भारतीय काजू गिरी की विदेशों में व्यापक मांग है। काजू का निर्यात 1960-61 में 19 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 1,284 करोड़ रुपए हो गया। कुल निर्यात में काजू गिरी का हिस्सा 1960-61 में 2.9 प्रतिशत तथा 1997-98 में 1.1 प्रतिशत था।

4 मसाले (Spices) - भारत प्राचीन काल से ही मसालों का निर्यातक राष्ट्र रहा है। मसालों का निर्यात 1960-61 में 17 करोड़ तथा 1997-98 में 1,402 करोड़ रुपए था। निर्यात में मसालों का हिस्सा 1960-61 में 2.6 प्रतिशत तथा 1997-98 में 1.1 प्रतिशत था।

5 चीनी और मोलासिस (Sugar and Molasses) - भारत चीनी और मोलासिस का बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। किन्तु आंतरिक बाजार में चीनी का अधिक उपभोग हो जाने के कारण निर्यात थोड़ी मात्रा में होता है। चीनी तथा मोलासिस का निर्यात 1960-61 में 30 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 248 करोड़ रुपए हो गया। कुल निर्यात में चीनी तथा मोलासिस का हिस्सा घटा है। कुल निर्यात में चीनी तथा मोलासिस का हिस्सा 1960-61 में 4.6 प्रतिशत था जो घटकर 1997-98 में 0.2 प्रतिशत ही रह गया है।

6 चावल (Rice) - हाल के वर्षों में भारत के चावल की गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है विशेषकर बासमती चावल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पसन्द किया जाने लगा है। नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में चावल का निर्यात नगण्य था। वर्तमान में चावल का उत्पादन बढ़ने से निर्यात में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1960-61 में चावल का निर्यात शून्य था। 1997-98 में चावल का निर्यात 3,275 करोड़ रुपए था जो कि कुल निर्यातों का 2.6 प्रतिशत था। भारत के परम्परागत निर्यातों में चावल का योगदान सर्वाधिक है।

7 मछली और मछली उत्पाद (Fish and Fish Preparations) - भारत के पास पर्याप्त समुद्र तट है। अतः यहाँ मछली उत्पादन की विपुल संभावनाएँ हैं। हाल के वर्षों में मछली का उत्पादन बढ़ा है। मछली उत्पादन भारत के लिए लाभप्रद है। मछली के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है तथा मछली के उपभोग से खाद्यत्रय के अभाव की समस्या से निपटा जा सकता है। मछली उत्पादन में वृद्धि से 'नीली क्रांति' की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

परम्परागत निर्यातों में चावल के बाद मछली और मछली उत्पाद का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। मछली का निर्यात 1960-61 में केवल 5 करोड़ रुपए का जो बढ़कर 1997-98 में 4,313 करोड़ रुपए हो गया। निर्यातित आय में मछली और मछली उत्पादन का हिस्सा बढ़ा है यह 1960-61 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 3.4 प्रतिशत हो गया।

8 लौह अयस्क (Iron ore) — लौह-अयस्क भारत का प्रमुख खनिज है। इस दृष्टि से भारत सम्पन्न राष्ट्र है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के कुल लौह अयस्क के भण्डारों का 1/4 भाग भारत में स्थित है। भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भण्डार 1,447 करोड़ टन है। वर्तमान में लौह अयस्क का खनन इसके भण्डारों को देखते हुए अल्प है और इसके उपयोग का तरीका भी अलाभप्रद है। गौरतलब है भारत लौह अयस्क को कच्चे माल के रूप में बड़ी मात्रा में निर्यात करता है जबकि लौह अयस्क पर आधारित लोहा-इस्पात उद्योगों की स्थापना कर सतुलित विकास की गति को बल दिया जा सकता है। निर्मित माल का निर्यात करके अपेक्षाकृत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

लौह अयस्क का निर्यात 1960-61 में 17 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 1,763 करोड़ रुपए हो गया किन्तु कुल निर्यात में लौह अयस्क का हिस्सा 1960-61 में 2.6 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 1.4 प्रतिशत रह गया है।

9 सूती वस्त्र (Textile Fabrics & Manufactures) — सूती वस्त्र भारत का प्रमुख गैर परम्परागत निर्यात है। वर्ष 1995-96 में भारत की निर्यात आय में सूती वस्त्र प्रथम स्थान रहा है। निर्यातित आय में सूती वस्त्र का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। सूती वस्त्र का निर्यात 1960-61 में 73 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 30,001 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार कुल निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा 1960-61 में 4.3 प्रतिशत था जो बढ़कर 1997-98 में 23.8 प्रतिशत हो गया।

10 मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित (Machinery, Transport & Metal Manufacturing) — इजीनियरी वस्तुओं का बढ़ता निर्यात भारत के लिए अभिनन्दनीय प्रवृत्ति है। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका तथा आर्थिक उदारीकरण में औद्योगीकरण का सुदृढ़ ढांचा तैयार होने से देश में मशीनरी, परिवहन व धातु निर्मित, लोहा एवं इस्पात का उत्पादन बढ़ा है। निर्यातों में इजीनियरी वस्तुओं का योगदान तीव्र गति से बढ़ा है। मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित का 1960-61 में निर्यात 22 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 18,354 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। कुल निर्यातों में हिस्सा 1960-61 में 3.4 प्रतिशत था जो बढ़कर 1997-98 में 14.5 प्रतिशत हो गया। मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात आय में सूती वस्त्र तथा हस्तशिल्प के बाद 1995-96 में तीसरा स्थान था।

11 **हस्तशिल्प (Handicrafts)** – हाल के वर्षों में भारत ने हस्तशिल्प निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति अर्जित की है। विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प में मांग बढ़ी है। हस्तशिल्प निर्यात में रत्न व आभूषण की भूमिका उल्लेखनीय है। हस्तशिल्प निर्यात 1960-61 में 11 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1995-96 में 20,501 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। वर्ष 1995-96 में कुल निर्यातों में हस्तशिल्प का हिस्सा 19.2 प्रतिशत था। रत्न व आभूषण का निर्यात 1997-98 में 19,014 करोड़ रुपये (कुल निर्यातों का 15 प्रतिशत) था जबकि यह 1960-61 में मात्र एक करोड़ रुपये था। हस्तशिल्प का बढ़ता निर्यात भारत के लिए शुभसंकेत है। 1995-96 में यह निर्यातित आय का दूसरा बड़ा स्रोत था।

12 **रसायन और संबद्ध उत्पाद (Chemicals and Allied Products)** – रसायन और संबद्ध उत्पाद भारत का प्रमुख गैर परम्परागत निर्यात है। इसका निर्यात 1960-61 में केवल 7 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1997-98 में 13,500 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1997-98 में निर्यातित आय में रसायन और संबद्ध उत्पाद का योगदान 10.7 प्रतिशत था।

13 **चमड़े और चमड़े का सामान (Leather and Leather Manufactures)** – भारत में जनसंख्या की भांति पशु संख्या भी अधिक है। पशु संख्या अधिक होने के कारण देश में चमड़ा उद्योग विकसित हुआ है और हाल के वर्षों में चमड़े तथा चमड़े के सामान से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होने लगी है। चमड़े व चमड़े के सामान का निर्यात 1960-61, में केवल 28 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1997-98 में 5,461 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1997-98 निर्यातित आय में चमड़े का योगदान 4.3 प्रतिशत था।

उपर्युक्त निर्यातों के अलावा भारत से बड़ी मात्रा में खली (आयल केकस), तन्पाकू, कपास, मास, फल, सब्जी, दालें प्रसरकरित खाद्य, अन्नक, सूती धागा, सिले सिलाए वस्त्र, नारियल जटा खनिज तेल व स्नेहक का निर्यात किया जाता है। वर्ष 1995-96 में सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात 12,295 करोड़ रुपये तथा खली का 2,349 करोड़ रुपये का निर्यात उल्लेखनीय था। वर्ष 1995-96 में सिले-सिलाए वस्त्रों का योगदान निर्यातित आय में 11.5 प्रतिशत था।

विदेशी व्यापार की दिशा

(Direction of Foreign Trade)

भारत आजादी से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसलिए भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशक राष्ट्र, मित्र देशों तक सीमित था। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भी विदेशी व्यापार की दिशा व्यापक नहीं थी। वर्तमान में स्थिति काफी बदल चुकी है। आज भारत का विश्व के लगभग सभी देशों से आयात और निर्यात होता है। राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं और आपसी समझौतों से आर्थिक संबंधों को व्यापक बनाया जा रहा है। भारतीय उत्पादों के निर्यात में एशिया और ओसिनीय देश, यूरोप, अमरीका, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका आदि देशों का

आयातों की दिशा

वस्तुएं	1960-61		1995-96		1997-98		1998 99	
	करोड़ रुपए	कुल प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल प्रतिशत
1 आर्थिक सहयोग विकास संगठन (ओ ई सी डी) जिसमें से	875	78.0	64254	52.4	75593	49.9	89845	51.0
(i) बेल्जियम	15	1.4	5693	4.6	9074	6.0	10598	6.0
(ii) फ्रांस	21	1.9	2812	2.3	1468	1.0	3056	1.7
(iii) जर्मनी*	123	10.9	10520	8.6	9295	6.1	8998	5.1
(iv) इंग्लैण्ड	217	19.4	6415	5.2	8696	5.7	10793	6.1
(v) अमरीका	328	29.2	12916	10.5	13510	8.9	15339	8.7
(vi) आस्ट्रेलिया	18	1.6	3418	2.8	5561	3.7	6282	3.6
(vii) जापान	61	5.4	8254	6.7	7912	5.2	10032	5.7
2 ओपेक जिसमें से	52	4.6	25586	20.9	35008	23.1	32912	18.7
(i) इरान	30	2.6	2001	1.6	2369	1.6	2044	1.2
(ii) कुवैत	00	0.0	6590	5.4	8599	5.7	6318	3.6
(iii) सउदी अरब	14	1.3	6773	5.5	9396	6.2	7868	4.5
3 पूर्वी यूरोप जिसमें से	38	3.4	4217	3.4	3152	2.1	3152	1.6
(i) रूस**	16	1.4	2864	2.3*	2526	1.7	2221	1.3

लगातार

वर्ष	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड़ रुपए	कुल का प्रतिशत
4 अन्य विकासशील देश ***	132	11.8	22509	18.3	33059	21.8	37158	21.1
जिसमें से								
(i) अफ्रीका	63	5.6	2763	2.3	4885	3.0	6667	3.8
(ii) एशिया	64	5.7	17723	14.4	20310	13.4	27663	15.7
(iii) लैटिन अमरीका और कैरेबियन	5	0.4	2022	1.6	8163	5.4	2848	1.6
5 अन्य	25	2.2	6112	5.0	4740	0.7	13303	7.6
6 कुल	1122	100.0	122678	100.0	151553	100.0	176099	100.0

* 1995-96 के आकड़े सयुक्त जर्मनी के लिए हैं।

** 1960-61 के आकड़े पूर्व सोवियत संघ के हैं।

*** ओपेक के सदस्य देशों को छोड़कर।

Source: Economic Survey, 1998-99, Government of India, S-92, 1999-2000

प्रमुख स्थान है तथा जिन देशों से भारत आयात करता है उनमें जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अमरीका आदि मुख्य हैं।

भारत जिन देशों से आयात और निर्यात करता है उन देशों को पांच बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है —

- (i) आर्थिक सहयोग विकास संगठन (ओ ई सी डी) इसमें यूरोपीय सच, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैण्ड, अमरीका, जापान आदि सम्मिलित हैं।
- (ii) तेल निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब सम्मिलित हैं।
- (iii) पूर्वी यूरोप इसमें जी डी आर, रोमानिया, रूस सम्मिलित हैं।
- (iv) विकासशील देश इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश सम्मिलित हैं।
- (v) अन्य।

भारत के आयातों की दिशा संबंधी विवरण निम्नलिखित है

1. आर्थिक सहयोग विकास संगठन (Organisation of Economic Co-operation Development, OECD) — भारत के आयातों की दिशा में आर्थिक सहयोग विकास संगठन (ओ ई सी डी) का महत्वपूर्ण योगदान है। ओ ई सी डी से आयात 1960-61 में 875 करोड़ रुपए था जो 1997-98 में बढ़कर 75,593 करोड़ रुपए हो गया। कुल आयातों में ओ ई सी डी का हिस्सा 1960-61 में 78 प्रतिशत था जो 1997-98 में घटकर 49.9 प्रतिशत रह गया। ओ ई सी डी के अन्तर्गत आयातों में अमरीका, इंग्लैण्ड, जापान, जर्मनी का प्रमुख स्थान है। वर्ष 1997-98 में आयातों में विभिन्न देशों का हिस्सा इस प्रकार रहा बेल्जियम 6 प्रतिशत, फ्रांस 10 प्रतिशत, जर्मनी 6.1 प्रतिशत, इंग्लैण्ड 5.7 प्रतिशत, अमरीका 8.9 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया, 3.7 प्रतिशत, जापान 5.2 प्रतिशत। आयातों में जहाँ बेल्जियम, आस्ट्रेलिया जापान की हिस्सेदारी बढ़ी है वहीं इंग्लैण्ड, अमरीका का हिस्सा घटा है। वर्ष 1960-61 में आयातों में इंग्लैण्ड का 19.4 प्रतिशत तथा अमरीका का 29.2 प्रतिशत हिस्सा था।

2. तेल निर्यातक देशों का संगठन (Organisation of Petroleum Exporting Countries, OPEC) — भारत का ओपेक से आयात 1960-61 में 52 करोड़ रुपए था जो 1997-98 में बढ़कर 35,008 करोड़ रुपए हो गया। कुल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी बढ़ी है। ओपेक का आयातों में हिस्सा 1960-61 में 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 23.1 प्रतिशत हो गया। कुल आयातों में सऊदी अरब का महत्वपूर्ण स्थान है। हाल के वर्षों में कुवैत से आयात बढ़े हैं। वर्ष 1997-98 में कुल आयातों में ईरान का 1.6 प्रतिशत, कुवैत 5.7 प्रतिशत तथा सऊदी अरब का 6.2 प्रतिशत हिस्सा था।

3 पूर्वी यूरोप (Eastern Europe) - पूर्वी यूरोप से आयात 1960-61 में 38 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 3 152 करोड़ रुपए हो गया। कुल आयातों में पूर्वी यूरोप की हिस्सेदारी घटी है। वर्ष 1997-98 में पूर्वी यूरोप का हिस्सा 21 प्रतिशत था जो 1960-61 के 34 प्रतिशत से कम है। रूस से आयात अवश्य बढ़ा है। पूर्व सोवियत संघ से आयात 1960-61 में 14 प्रतिशत था। वर्तमान रूस से 1995-96 में 2 864 करोड़ रुपए का आयात हुआ जो कुल आयातों का 23 प्रतिशत था। वर्ष 1997-98 में रूस से 2 526 करोड़ रुपए का आयात हुआ जो कुल आयातों का 17 प्रतिशत था।

4 अन्य विकासशील देश (Other Developing Countries) - आपके को छोड़कर अन्य विकासशील देशों का आयात में महत्वपूर्ण स्थान है। हाल के वर्षों में एशिया तथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से आयात बढ़ा है। कुल आयातों में अफ्रीका का हिस्सा घटा है। विकासशील देशों से आयात 1960-61 में 132 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 33 059 करोड़ रुपए हो गया। कुल आयातों में विकासशील देशों का 1997-98 में हिस्सा 21.8 प्रतिशत रहा। कुल आयातों में 1997-98 में अफ्रीका का 3.0 प्रतिशत एशिया का 13.4 प्रतिशत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का 5.45 प्रतिशत हिस्सा था।

भारत के निर्यातों की दिशा संबंधी का विवरण इस प्रकार है

1 आर्थिक सहयोग विकास संगठन (Organisation of Economic Co-operation Development) - भारत से बड़ी मात्रा में निर्यात आर्थिक सहयोग विकास संगठन (ओ ई सी डी) जिसमें यूरोपीय संघ उत्तरी अमेरिका देश आस्ट्रेलिया जापान आदि सम्मिलित हैं को किया जाता है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन को निर्यात 1960-61 में 425 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 70 314 करोड़ रुपए हो गया किन्तु कुल निर्यातों में ओ ई सी डी का हिस्सा 1960-61 में 66.1 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 55.7 प्रतिशत रह गया। भारत से निर्यात बेल्जियम फ्रांस जर्मनी जापान अमरीका आदि देशों में बढ़ा है। भारत के निर्यातों में इंग्लैंड का हिस्सा 1960-61 में 26.9 प्रतिशत था जो 1997-98 में घटकर 6.0 प्रतिशत ही रह गया है। वर्ष 1997-98 में अन्य देशों का निर्यात में हिस्सा इस प्रकार रहा बेल्जियम 3.5 प्रतिशत फ्रांस 2.2 प्रतिशत जर्मनी 5.5 प्रतिशत अमरीका 19.5 प्रतिशत जापान 5.5 प्रतिशत।

2 तेल निर्यातक देशों का संगठन (Organisation of Petroleum Exporting Countries) - तेल निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) का न केवल आयातों में अपितु निर्यातों में भी महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1960-61 में ओपेक को निर्यात 26 करोड़ रुपए था जो 1997-98 में बढ़कर 12 638 करोड़ रुपए जा पहुँचा। कुल निर्यातों में ओपेक का हिस्सा 1960-61 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 10 प्रतिशत हो गया। ओपेक में भारत का निर्यात इरान ईराक कुवैत सऊदी अरब का होता है। हाल के वर्षों में इराक को निर्यात घटा है। वर्ष 1997-98 में कुल

निर्यातों की दिशा

वस्तुएँ	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
1 आर्थिक सहयोग विकास संगठन जिसमें से	425	66.1	59223	55.7	70314	55.7	62104	58.0
(i) बेल्जियम	5	0.8	3748	3.5	4426	3.5	5458	3.9
(ii) फ्रांस	9	1.4	2499	2.3	2751	2.2	3544	2.5
(iii) जर्मनी*	20	3.1	6614	6.2	6892	5.5	7229	5.6
(iv) इंग्लैण्ड	173	26.9	6726	6.3	7578	6.0	8028	5.7
(v) अमरीका	103	16.0	18466	17.4	24641	19.5	30842	21.8
(vi) जापान	35	5.5	7411	7.0	6907	5.5	6945	4.9
2 तेल निर्यातक देशों का संगठन जिसमें से	26	4.1	10300	9.7	12638	10.0	14902	10.5
(i) इरान	5	0.8	514	0.5	623	0.5	667	0.5
(ii) साउदी अरब	3	0.5	1613	1.5	2510	2.0	3253	2.3
3 पूर्वी यूरोप जिसमें से	45	7.0	4092	3.8	3944	3.1	3875	2.7
(i) रूस**	29	4.5	3495	3.3	3306	2.6	3038	2.1

लगतार

वस्तुएं	1960-61		1995-96		1997-98		1998-99	
	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत	करोड रुपए	कुल का प्रतिशत
4 अन्य विकासशील देश (ओपेक को छोड़कर) जिसमें से	95	14.8	27324	25.7	35614	28.2	34870	24.6
(i) अफ्रीका	40	6.3	3584	3.4	3981	3.2	5062	3.6
(ii) एशिया	45	6.9	22613	21.3	26896	21.3	26922	19.0
(iii) लेटिन अमरीका और कैरेबियन	10	1.6	1127	1.1	4738	3.8	2886	2.0
5 अन्य	51	8.0	5414	5.1	3776	3.0	5852	4.1
6 कुल	642	100.0	106353	100.00	126286	100.0	141604	100.0

• 1995-96 के आकड़े सयुक्त जर्मनी के लिए हैं।

• 1960-61 के आकड़े पूर्व सोवियत संघ के हैं।

Source: Economic Survey, 1998-99, Government of India, S-91, 1999-2000

निर्यातो में ईरान का 0.5 प्रतिशत तथा सऊदी अरब का 2.0 प्रतिशत हिस्सा था।

3 पूर्वी यूरोप (Eastern Europe) - पूर्वी यूरोप के देशों में जी.डी.आर., रोमानिया, रूस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। निर्यातो में रूस का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल निर्यातो में पूर्वी यूरोप का हिस्सा घटा है। पूर्वी यूरोप को निर्यात 1960-61 में 45 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 3,944 करोड़ रुपए हो गया। किन्तु कुल निर्यात में हिस्सा इसी समयावधि में 7 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1997-98 में रूस को 3,306 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया जो कुल निर्यात का 2.6 प्रतिशत था। पूर्व सोवियत संघ का 1960-61 में कुल निर्यातो में 4.5 प्रतिशत हिस्सा था।

4 अन्य विकासशील देश (Others Developing Countries) - भारत से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों को बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। विकासशील देशों को (ओपेक को छोड़कर) में 1960-61 में 95 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया जो 1997-98 में बढ़कर 35,614 करोड़ रुपए हो गया। कुल निर्यातो में विकासशील देशों का हिस्सा 1960-61 में 14.8 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में 28.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1997-98 में भारत से अफ्रीका को 3,981 करोड़ रुपए, एशिया को 26,896 करोड़ रुपए, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन को 4,738 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। कुल निर्यातो में एशिया का हिस्सा 21.3 प्रतिशत रहा।

भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ अथवा आधुनिक प्रवृत्तियाँ (Main Characteristics or Recent Trends of India's Foreign Trade)

स्वतंत्रता उपरांत भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा, संरचना और दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विदेशी व्यापार की मात्रा के बढ़ने से राष्ट्रीय आय में व्यापार का महत्त्व बढ़ा है। औपनिवेशिक राष्ट्रों से भारत का विदेशी व्यापार कम हुआ है। आज विश्व के सभी देशों से भारत का विदेशी व्यापार होता है। विकासशील राष्ट्रों से व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है। किन्तु विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी घटी है। भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिकतम प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं

1 विश्व व्यापार में घटती भागीदारी (Decreasing Share in World Trade)
- स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में विश्व के कुल निर्यातो में भारत का भाग 2.45 प्रतिशत था जो बाद के वर्षों में निर्यातो में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण घटा। विश्व के कुल निर्यात में भारत का भाग 1970 में 0.6 प्रतिशत, 1975 में 0.5 प्रतिशत, 1980 में 0.4 प्रतिशत, 1985 में 0.5 प्रतिशत, 1990 में 0.5 प्रतिशत था। विश्व के निर्यात में भारत का भाग बढ़कर 1994 में 0.6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1994 में विश्व का कुल निर्यात व्यापार 41,39,600 मिलियन डॉलर था इसमें भारत का भाग 26,330 मिलियन डॉलर था। वर्ष 1996 में विश्व निर्यात में भारत की भूमिका और बढ़ी। वर्ष 1996 में विश्व निर्यात 50,82,220 मिलियन डॉलर था

जिसमें भारत का हिस्सा 31,470 मिलियन डॉलर था जो विश्व के निर्यात का 0.7 प्रतिशत था।

2 कुल विदेशी व्यापार में वृद्धि (Increase in Total Foreign Trade) - आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि होने के कारण कुल विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 1950-51 में 1,214 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 75,751 करोड़ रुपए हो गया। चार दशक में कुल विदेशी व्यापार में 62 गुना वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 1994-95 में और बढ़कर 1,72,645 करोड़ रुपए हो गया। अप्रैल-दिसम्बर (1999-2000) में कुल विदेशी व्यापार 2,67,725 करोड़ रुपए (प्राविजाल) था।

3 निर्यातों में धीमी वृद्धि (Slow Increase in Exports) - भारतीय उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में कम टिक पाते हैं इसका प्रमुख कारण भारत के उत्पादों का आधुनिकतम तकनीकों से सुसज्जित नहीं होना है। भारतीय निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि अवश्य हुई किन्तु वृद्धि अपेक्षित नहीं रही। भारत का निर्यात 1950-51 में 606 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 32,553 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1994-95 में निर्यात और बढ़कर 82,674 करोड़ रुपए हो गया। अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में निर्यात 1,18,638 करोड़ रुपए (प्राविजाल) रहा। निर्यात दर 1965-66 तथा 1985-86 में ऋणात्मक थी। निर्यात वृद्धि दर 1994-95 में 18.5 प्रतिशत तथा 1997-98 में 9.5 प्रतिशत थी।

3 आयातों में तीव्र वृद्धि (Rapid Growth in Imports) - भारत विकासगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातों पर अधिक निर्भर है। आयात वृद्धि दर निर्यातों की तुलना में अधिक है। भारत का आयात 1950-51 में 608 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 43,198 करोड़ रुपए हो गया। चार दशकों में आयातों में 71 गुना वृद्धि हुई। आयात बढ़कर 1994-95 में 89,971 करोड़ रुपए हो गया। अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में आयात 1,49,087 करोड़ रुपए था। आयात वृद्धि दर 1990-91 में 22.3 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1995-96 में 36.4 प्रतिशत हो गई। 1997-98 में आयात वृद्धि दर 11 प्रतिशत रही।

4 प्रतिकूल व्यापार शेष (Unfavourable Balance of Trade) - स्वतंत्रता से पूर्व भारत का व्यापार शेष सामान्यतया अनुकूल रहता था। स्वातन्त्र्योत्तर दो वर्षों को छोड़कर व्यापार शेष सदैव प्रतिकूल रहा। व्यापार शेष 1972-73 में 104 करोड़ रुपए तथा 1976-77 में 68 करोड़ रुपए से अनुकूल रहा। 1950-51 में प्रतिकूल व्यापार शेष 2 करोड़ रुपए था जो तेजी से बढ़कर 1990-91 में 10,645 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। प्रतिकूल व्यापार शेष 1994-95 में 7,297 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में 16,325 करोड़ रुपए था। अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में प्रतिकूल व्यापार शेष 30,449 करोड़ रुपए (प्राविजाल) था।

5 विदेशी व्यापार का सूचकांक (Index of Foreign Trade) - मुद्रास्फीति तथा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण विदेशी व्यापार के आकड़े सही स्थिति नहीं

दर्शाते हैं। सही स्थिति के लिए विदेशी व्यापार सूचकांक पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्ष 1980-81 में निर्यात का इकाई मूल्य सूचकांक 108.5 था जो बढ़कर 1995-96 में 484.2 तथा 1996-97 में 504.7 हो गया। इसी प्रकार 1980-81 में आयात का इकाई मूल्य सूचकांक 134.2 से बढ़कर 1995-96 में 351 तथा 1996-97 में 399.8 हो गया। निर्यात का मात्रात्मक सूचकांक 1980-81 में 108.1 से बढ़कर 1996-97 में 411.8 तथा आयात का मात्रात्मक सूचकांक 1980-81 में 137.9 से बढ़कर 1996-97 में 511.8 हो गया।

6 आयात सरचना (Composition of Imports) - आयात सरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में भारत पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेंट्स उर्वरक और उर्वरक सामग्री, रासायनिक तत्व और योगिक, मोती और बहुमूल्य रत्न, गैर विद्युत मशीनरी का मुख्य रूप से आयात करता है। अनाज और अनाज उत्पाद के आयात में भारी कमी हुई है। वर्ष 1960-61 में कुल आयातों में अनाज और अनाज उत्पाद का भाग 16.1 प्रतिशत था जो घटकर 1997-98 में 0.7 प्रतिशत ही रह गया।

7 निर्यात सरचना (Composition of Exports) - आयातों की भांति निर्यात सरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। भारत के प्रमुख निर्यातों में कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र, हस्तशिल्प, मशीनरी, परिवहन व धातु विनिर्मित आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1960-61 में कुल निर्यातों में विनिर्मित वस्तुओं का योगदान 45.3 प्रतिशत था जो बढ़कर 1997-98 में 76.6 प्रतिशत हो गया।

8 आयातों का दिशा (Direction of Imports) - भारत जिन देशों से आयात करता है उनमें बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैण्ड, अमरीका, जापान, कुवैत, सऊदी अरब, रूस तथा एशियाई देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सर्वाधिक आयात अमेरिका तथा उसके बाद जर्मनी से करता है।

9 निर्यातों की दिशा (Direction of Exports) - भारत जिन देशों को निर्यात करता है उनमें अमरीका, जापान, इंग्लैण्ड, जर्मनी, रूस, सऊदी अरब, एशिया और अफ्रीका के देश आदि मुख्य हैं। भारत से सर्वाधिक निर्यात अमरीका को होता है। वर्ष 1997-98 में कुल निर्यातों में अमरीका का भाग 19.5 प्रतिशत था। निर्यात व्यापार में इंग्लैण्ड की भूमिका कम हुई है। कुल निर्यात में इंग्लैण्ड का भाग 1960-61 में 19.5 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में केवल 6.0 प्रतिशत रह गया।

10 कुछ देशों पर अधिक निर्भरता (Excess Dependence on a few Countries) - भारत आयात और निर्यात व्यापार की दृष्टि से कुछ ही देशों पर अधिक निर्भर है। भारत का अधिकांश आयात आर्थिक सहयोग विकास संगठन से है। इसमें भी अमरीका, जर्मनी, जापान और इंग्लैण्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। रूस तथा एशियाई देशों से भारत का आयात कम है। इसी प्रकार निर्यात व्यापार में भी कुछ ही देशों का अधिक महत्व है। भारत से सर्वाधिक निर्यात अमरीका तथा जापान को

हता है।

11 कुछ वस्तुएँ अधिक महत्वपूर्ण (A few goods are more important) – भारत की आयातित और निर्यातित मदों की संख्या कम है। निर्यातों में कुछ ही वस्तुओं की प्रधानता बनी हुई है। भारत के निर्यातों में सूती वस्त्र, सिले सिलारे वस्त्र, रत्न और आभूषण, मशीनरी व परिवहन मुख्य है। इसी प्रकार आयातों में पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट्स और गैर-विद्युत मशीनरी का महत्वपूर्ण स्थान है।

12 सार्वजनिक उपक्रमों का बढ़ता महत्व (Increasing Role of Public Sectors) – भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान है। नियोजन काल में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जिससे निर्यात व्यापार में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका बढ़ी। भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, राज्य व्यापार निगम, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम आदि संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

13. विकासशील राष्ट्रों का बढ़ता महत्व (Increasing role of Developing Countries) – हाल के वर्षों में आयातों और निर्यातों में विकासशील राष्ट्रों का महत्व बढ़ा है। वर्ष 1997-98 में कुल आयातों में विकासशील देशों का भाग 21.8 प्रतिशत तथा कुल निर्यातों में विकासशील देशों का भाग 28.2 प्रतिशत था।

14 उपनिवेशन व्यापार की समाप्ति (End of Colonization Trade) – आजादी से पहले भारत, ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार उपनिवेशक राष्ट्रों तथा मित्र राष्ट्रों तक सीमित था। वर्तमान में भारत का विश्व के लगभग सभी देशों से विदेशी व्यापार होता है। राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं और आपसी समझौतों से आर्थिक संबंधों को व्यापक बनाया जा रहा है।

15 विदेशी सहायता का प्रभाव (Effects of Foreign aid) – भारत को जिन देशों से विदेशी सहायता प्राप्त हुई उन देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार अधिक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड, अमरीका तथा सोवियत संघ से विदेशी सहायता अधिक प्राप्त होने के कारण इन देशों से आयात-निर्यात अधिक होता था। बाद के वर्षों में जापान, जर्मनी आदि से अधिक विदेशी सहायता मिलने के कारण भारत का इन देशों से व्यापार बढ़ा।

16 समुद्री मार्गों का अधिक महत्व (More Importance of Marine Routes) – भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार के अनुकूल भी है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध मयूर नहीं हैं। इसलिए स्थलीय मार्ग से अधिक व्यापार नहीं होता। भारत को दूर के देशों से समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार करना पड़ता है।

17 विदेशी जहाजरानी पर निर्भरता (Dependence on Foreign Shipping) – भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की जल परिवहन क्षमता कम होने के कारण विदेशी व्यापार पर विदेशी जहाजरानी का प्रभुत्व है। वर्ष 1993-94 में भारत के विदेशी व्यापार में विदेशी जहाजों का भाग 66 प्रतिशत था जबकि भारत के जहाजों का भाग केवल 34 प्रतिशत ही था।

18 विदेशी व्यापार का सकेन्द्रण (Centralisation of Foreign Trade) – भारत के विदेशी व्यापार में सकेन्द्रण की प्रवृत्ति व्याप्त है। अधिकांश विदेशी व्यापार मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई आदि बन्दरगाहों से होता है। इन बन्दरगाहों पर भीड़ कम करने के लिए अन्य बन्दरगाहों के विकास पर बल देना चाहिए।

19 निर्यात सवर्द्धन (Export Promotion) – भारत निर्यातों में वृद्धि के लिए प्रयासरत है। निर्यात वृद्धि के लिए भारतीय रुपए का 1949, 1966 तथा 1991 में अवमूल्यन किया गया। 1997-98 की आखिरी तिमाही में भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले टूटा। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्कों में कमी की गई।

20 आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) – आयात प्रतिस्थापना की नीति के अनुसरण के कारण भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिली है। इस नीति में आयातित वस्तुओं का भारत में ही उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत ने खाद्यान्न तथा पूंजीगत सामान के मामले में बड़ी सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

21 नई निर्यात आयात नीति (New Export-Import Policy) – भारत ने निर्यात वृद्धि के वास्ते पहली बार 1992-97 तक दीर्घकालिक निर्यात-आयात नीति की घोषणा की। इसके बाद नई निर्यात आयात नीति 1997-2002 की घोषणा की तथा उसमें समय-समय पर संशोधन किये। नई नीति में आयात लाइसेंसों में कटौती की गई। निर्यात के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को व्यापक बनाया गया। नई नीति को निर्यात-मुखी बनाने का प्रयास किया गया वही आयातों को भी उदार बनाया गया है।

सन्दर्भ

- 1 डा ओ पी शर्मा, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, पृ 1
- 2 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ 1994, पृ 549
- 3 डा ओ पी शर्मा, वही, पृ 207

होता है।

11 कुछ वस्तुएँ अधिक महत्वपूर्ण (A few goods are more important) – भारत की आयातित और निर्यातित मदों की संख्या कम है। निर्यातों में कुछ ही वस्तुओं की प्रधानता बनी हुई है। भारत के निर्यातों में सूती वस्त्र सिले रिलेए वस्त्र रत्न और आभूषण मशीनरी व परिवहन मुख्य है। इसी प्रकार आयातों में पेट्रोल तेल और लुब्रिकेंट्स और गैर विद्युत मशीनरी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

12 सार्वजनिक उपक्रमों का बढ़ता महत्त्व (Increasing Role of Public Sectors) – भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। नियोजन काल में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। जिससे निर्यात व्यापार में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका बढ़ी। भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय उत्पाद प्राधिकरण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स राज्य व्यापार निगम हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम आदि संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

13 विकासशील राष्ट्रों का बढ़ता महत्त्व (Increasing role of Developing Countries) – हाल के वर्षों में आयातों और निर्यातों में विकासशील राष्ट्रों का महत्त्व बढ़ा है। वर्ष 1997-98 में कुल आयातों में विकासशील देशों का भाग 21.8 प्रतिशत तथा कुल निर्यातों में विकासशील देशों का भाग 28.2 प्रतिशत था।

14 उपनिवेशन व्यापार की समाप्ति (End of Colonization Trade) – आजादी से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार उपनिवेशक राष्ट्रों तथा मित्र राष्ट्रों तक सीमित था। वर्तमान में भारत का विश्व के लगभग सभी देशों से विदेशी व्यापार होता है। राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं और आपसी समझौतों से आर्थिक संबंधों को व्यापक बनाया जा रहा है।

15 विदेशी सहायता का प्रभाव (Effects of Foreign aid) – भारत को जिन देशों से विदेशी सहायता प्राप्त हुई उन देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार अधिक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैण्ड अमरीका तथा सोवियत संघ से विदेशी सहायता अधिक प्राप्त होने के कारण इन देशों से आयात-निर्यात अधिक होता था। बाद के वर्षों में जापान जर्मनी आदि से अधिक विदेशी सहायता मिलने के कारण भारत को इन देशों से व्यापार बढ़ा।

16 समुद्री मार्गों का अधिक महत्त्व (More Importance of Marine Routes) – भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार के अनुकूल भी है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश यथा पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध मधुर नहीं हैं। इसलिए स्थलीय मार्गों से अधिक व्यापार नहीं होता। भारत को दूर के देशों से समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार करना पड़ता है।

17 विदेशी जहाजरानी पर निर्भरता (Dependence on Foreign Shipping) – भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारत की जल परिवहन क्षमता कम होने के कारण विदेशी व्यापार पर विदेशी जहाजरानी का प्रभुत्व है। वर्ष 1993-94 में भारत के विदेशी व्यापार में विदेशी जहाजों का भाग 66 प्रतिशत था जबकि भारत के जहाजों का भाग केवल 34 प्रतिशत ही था।

18 विदेशी व्यापार का सकेन्द्रण (Centralisation of Foreign Trade) – भारत के विदेशी व्यापार में सकेन्द्रण की प्रवृत्ति व्याप्त है। अधिकांश विदेशी व्यापार मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई आदि बन्दरगाहों से होता है। इन बन्दरगाहों पर भीड़ कम करने के लिए अन्य बन्दरगाहों के विकास पर बल देना चाहिए।

19 निर्यात सवर्द्धन (Export Promotion) – भारत निर्यातों में वृद्धि के लिए प्रयासरत है। निर्यात वृद्धि के लिए भारतीय रुपए का 1949, 1966 तथा 1991 में अवमूल्यन किया गया। 1997-98 की आखिरी तिमाही में भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले टूटा। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्कों में कमी की गई।

20 आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) – आयात प्रतिस्थापन की नीति के अनुसरण के कारण भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिली है। इस नीति में आयातित वस्तुओं का भारत में ही उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत ने खाद्य तथा पूजीगत सामान के मामले में बड़ी सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

21 नई निर्यात आयात नीति (New Export Import Policy) – भारत ने निर्यात वृद्धि के वास्ते पहली बार 1992-97 तक दीर्घकालिक निर्यात-आयात नीति की घोषणा की। इसके बाद नई निर्यात आयात नीति 1997-2002 की घोषणा की तथा उसमें समय-समय पर संशोधन किये। नई नीति में आयात लाइसेंसों में कटौती की गई। निर्यात के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को व्यापक बनाया गया। नई नीति को निर्यात-मुखी बनाने का प्रयास किया गया वही आयातों को भी उदार बनाया गया है।

सन्दर्भ

- 1 डा ओ पी शर्मा, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, पृ 1
- 2 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 549
- 3 डा ओ पी शर्मा, वही, पृ 207

प्रश्न एवं सकेत

लघु प्रश्न

- 1 स्वतंत्रता से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति बताइए।
- 2 आठवीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार की प्रगति दर्शाइये।
- 3 भारत में विदेशी व्यापार की मात्रा की व्याख्या कीजिए।
- 4 भारत के आयातों की रचना का वर्णन कीजिए।
- 5 भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
- 6 प्रतिकूल व्यापार शेष के कारण बताइए।

नियन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत के विदेशी व्यापार के आकार संरचना तथा दिशा का वर्णन कीजिए।
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए विदेशी व्यापार का आकार संरचना तथा दिशा को लिखना है।)
- 2 भारत के मुख्य आयातों तथा निर्यातों का वर्णन कीजिए।
(सकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गए प्रमुख आयात तथा दूसरे भाग में प्रमुख निर्यातों को लिखना है।)
- 3 भारत में विदेशी व्यापार की बदलती दिशा को समझाइए।
(सकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए विदेशी व्यापार की दिशा को लिखना है।)

भारत में निर्यात संवर्द्धन (Export Promotion in India)

स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मांग थी। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारत काफी पिछड़ गया। स्वतंत्रता के समय पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। ढेरों आर्थिक समस्याएँ मुहबाएँ खड़ी थीं। वर्ष 1951-52 में विकास को गति देने वारंटे पंचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। आर्थिक नियोजन के काल में विकासगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भरता अधिक रही। वर्तमान में आर्थिक नियोजन के पांच दशक पूरे हो चुके हैं। भारत में आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 तक निर्धारित की गई है। आर्थिक नियोजन की दीर्घावधि बीत जाने के बादजूद निर्यात के क्षेत्र में पिछड़े रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण से भी निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं। निर्यात संवर्द्धन के क्षेत्र में भारत को बहुत ही कम सफलता मिली इस बात की पुष्टि भारत के विदेशी व्यापार के आकड़ों से सहज हो जाती है। व्यापार शेष 1972-73 और 1976-77 को छोड़कर शेष वर्षों में प्रतिकूल रहा। भारत की निर्यात वृद्धि दर आयात वृद्धि दर की तुलना में कम रही।

निर्यात संवर्द्धन का अर्थ (Meaning of Export Promotion)

आज विश्व के प्रायः सभी देश निर्यातों में वृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। राष्ट्र विशेष का बढ़ता निर्यात आर्थिक समृद्धि का सूचक भी है। निर्यात संवर्द्धन में उन सभी राजकीय और गैर-राजकीय प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सम्पन्न किए जाते हैं।

निर्यात संवर्द्धन के लिए भारत की कार्यनीति में परिवर्तन किया गया है। नई

नीति में क्षेत्र विशेष का राजकीय अनुदान (Subsidy) और प्रशासनिक नियंत्रणों को कम किया गया है और इन्हीं स्थान पर राजकोषीय नियंत्रण और प्रोत्साहनों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त तर्कसंगत विनिमय दर की व्यवस्था पर बल दिया जाता है।

निर्यात संवर्द्धन की नई नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं ।

- 1 निर्यात से जुड़े आयात के सामान के बारे में नीतिगत कदम उठाना
- 2 आयात लाइसेंसिंग को चरणबद्ध रूप से कम करना।
- 3 निर्यात के लिए प्रोत्साहन को सुदृढ़ करना।
- 4 बाजार आधारित विनिमय दर की व्यवस्था शुरू करना।
- 5 आयात शुल्क को कम करना और इसकी प्रणाली को पुनर्व्यवस्थित करना।
- 6 मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना।
- 7 राज्य सरकारों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- 8 नीतियों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके प्रशासनिक बाधाओं को समाप्त करना।

निर्यात संवर्द्धन की आवश्यकता और महत्त्व (Need and Importance of Export Promotion)

अर्थव्यवस्था के चहुँओर विकास के लिए निर्यात संवर्द्धन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। निर्यात संवर्द्धन से निर्यात वृद्धि करके अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। निर्यात वृद्धि से विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है जिससे भुगतान के संकट से निपटा जा सकता है और आवश्यक वस्तुओं को विदेशों से आयात करके आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। भारत में निर्यात संवर्द्धन की आवश्यकता और महत्त्व के विन्दु निम्नलिखित हैं

1 आर्थिक सुदृढता (Economic Soundness) – निर्यात संवर्द्धन से निर्यातों में वृद्धि होती है। बढ़ता निर्यात आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की विरम भी श्रेष्ठ होती है। उत्पादन के बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। निर्यातों से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है। जिसका उपयोग तीव्र आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। निर्यात संवर्द्धन से आकस्मिक आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलती है।

2 अनुकूल व्यापार शेष (Favourable balance of trade) – निरन्तर प्रतिकूल व्यापार शेष भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। आजादी से लेकर आज तक केवल दो वर्षों को छोड़कर (1972-73 तथा 1976-77) शेष सभी वर्षों में व्यापार शेष प्रतिकूल रहा। आर्थिक उदारीकरण के दौर में व्यापार शेष की प्रतिकूलता और बढ़ी। भारत का व्यापार घाटा 1992-93 में 9687 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1997-98 में 24075 करोड़ रुपये हो गया। बढ़ते व्यापार घाटे को निर्यात संवर्द्धन द्वारा कम किया जा सकता है।

3. विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि (Increase in Foreign Currency Reserve) – विदेशी विनिमय कोष विकास के लिए आवश्यक है। विनिमय कोष की पर्याप्तता पर आर्थिक समृद्धि निर्भर है। भारत में खाड़ी युद्ध के दौरान निर्यातों के घटने से विदेशी विनिमय कोष रसातल तक पहुँच गए थे। तात्कालिक सकट से निपटने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक निर्णय लेने पड़े। बाद के वर्षों में निर्यात सवर्द्धन से निर्यातों में वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत का विदेशी विनिमय कोष सतोषप्रद स्थिति में है। भारत का विदेशी विनिमय कोष 24 अक्टूबर 1997 को 30.01 बिलियन डॉलर था। ₹ रूपयों में भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार जून 1999 में 1,32,506 करोड़ रूपए था।¹

4. तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth) – निर्यात सवर्द्धन से बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कृषि तथा उद्योगों का विकास होता है। विदेशी विनिमय कोषों से अर्थव्यवस्था के पिछड़े क्षेत्रों को गति दी जा सकती है। इन सब प्रयासों से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। निर्यात सवर्द्धन से राष्ट्र का आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है।

5. औद्योगिक विकास (Industrial Development) – औद्योगिक विकास बड़ी सीमा तक निर्यात सवर्द्धन पर निर्भर करता है। निर्यात सवर्द्धन द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय कोषों से उद्योगों के विकास के लिए जरूरी कच्चा माल और तकनीकी का आयात किया जाता है। निर्यातों में वृद्धि का सीधा प्रभाव औद्योगिक विकास पर पड़ता है। भारत में 1995-96 में 12 प्रतिशत औद्योगिक सवृद्धि दर प्राप्त करने में 185 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर की बड़ी भूमिका रही।

6. कृषिगत विकास (Agricultural Development) – उद्योगों की भांति निर्यात सवर्द्धन से कृषि का भी विकास होता है। निर्यात सवर्द्धन से कृषिगत उत्पादों का निर्यात बढ़ता है। कृषि पर आधारित उद्योग पनपते हैं। भारत में निर्यात सवर्द्धन से कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला।

7. नियोजित विकास (Planned Development) – नियोजित विकास में भारी भरकम पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। सतुलित विकास और योजनाओं की सफलता के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। निर्यात सवर्द्धन द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

8. रोजगार सृजन (Employment Creation) – निर्यात सवर्द्धन रोजगार सृजन में सहायक है। निर्यात की जान वाली वस्तुओं के उत्पादन में अनेक लोगों को रोजगार मिला होता है। इसके अलावा निर्यात व्यापार में अनेक संबन्धित संस्थाएँ कार्यरत होती हैं। बैंक एवं बीमा संस्थाओं का विकास होता है। भारत में निर्यात सवर्द्धन को बढ़ावा देकर बड़ी सीमा तक बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है।

9. राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) – नियोजित विकास में प्रतिरक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। कुछ पड़ोसी देशों से भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। एक पड़ोसी

देश ने भारत के साथ अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें रक्षा उपरिव्यय में वृद्धि करनी पड़ी है। प्रभेदात्रो का भी विकास किया गया है। इन सबके लिए भारी पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होती है जो निर्यात वृद्धि द्वारा सम्भव है।

10 विदेशी ऋण (Foreign Debt) — भारत विश्व का बड़ा ऋणी देश है। आज आम भारतीय विदेशी ऋण में डूबा हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार पर आन्तरिक ऋण का भी बोझ है। निर्यातों में वृद्धि करके विदेशी ऋण का शोष कम किया जा सकता है। निर्यात संवर्द्धन से विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होती है जिसका उपयोग विदेशी ऋणों के भुगतान में किया जा सकता है।

11 आत्मनिर्भरता (Self sufficiency) — भारत विकासगत जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर रहा है। अनेक बार विदेशी सहायता के साथ देशहित के विपरीत शर्तें भी जुड़ी होती हैं। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। भारत को वर्ष 1995-96 में 12 163 2 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त हुई जिसमें 11 022 2 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया गया। निर्यात संवर्द्धन से विदेशी सहायता को कम करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है।

12 निर्यात संरचना में परिवर्तन (Changes in Export Composition) — भारत की निर्यात संरचना में कुछ ही वस्तुओं की प्रधानता है। निर्यात में आज भी परम्परागत वस्तुओं का महत्त्व बना हुआ है। आज अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए नए परम्परागत वस्तुओं का निर्यात आवश्यक है। इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है जो निर्यात संवर्द्धन द्वारा सम्भव है।

13 व्यापार की दिशा में परिवर्तन (Changes in Direction of Trade) — व्यापार की दिशा में कुछ ही देशों यथा अमरीका जर्मनी जापान रूस इंग्लैण्ड आदि का अधिक महत्त्व है। ये सभी देश विकसित हैं। भारतीय उत्पाद विकसित देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं होता है। अतः भारत को अन्य देशों को व्यापार बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्द्धन आवश्यक है।

14 जीवन स्तर में सुधार (Improvement in Living Standard) — भारत विकासशील राष्ट्र है किन्तु यहां उच्च और मध्यमवर्गीय परिवारों की कमी नहीं है। देश में वित्तासिता की वस्तुओं का उत्पादन कम है। जीवन स्तर में वृद्धि के लिए उपभोग वस्तुओं के आयात की आवश्यकता है जिसके लिए अधिक विदेशी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है जो निर्यात संवर्द्धन द्वारा सम्भव है।

15 विदेशी प्रतिस्पर्धा (Foreign Competition) — अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में ग्लोबल प्रतिस्पर्धा है। बिना निर्यात संवर्द्धन के निर्यात में वृद्धि कठिन है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में टिकने के लिए श्रेष्ठ किस्म और निम्न कीमत का होना आवश्यक है।

16 अनिवार्य आयातों का भुगतान (Payment of Necessity Imports) — भारत को पेट्रोल, तेल लुब्रिकेंट्स, उर्वरक, मशीनरी, खाद्य तेल, बहुमूल्य पत्थर आदि का बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। इनके भुगतान के लिए निर्यात संवर्द्धन आवश्यक है।

17 परिवहन विकास (Transport Development) — भारत एक विशाल देश है। यहाँ आधारभूत संरचना का अभाव है। औद्योगिक विकास को तीव्र गति देने के लिए रेल, सड़क विकास, जलयानों का निर्माण, बन्दरगाहों का विकास आदि आवश्यक है। अतः निर्यात संवर्द्धन द्वारा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

निर्यात संवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास (Government Efforts for Export Promotion)

ऐसी बात नहीं कि भारत ने निर्यात संवर्द्धन के प्रयास नहीं किए हों, किन्तु निर्यात संवर्द्धन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने ऐसे समय में निर्यात संवर्द्धन पर जोर दिया जब देश में आर्थिक संकट की स्थिति हो। यदि निर्यात संवर्द्धन के प्रयासों में निरन्तरता लाई जाती तो भारत आयातों की निर्यातों पर अधिकता को बड़ी सीमा तक पाट सकता था। स्वतंत्रता के उपरांत आर्थिक संकट के दौरान निर्यात संवर्द्धन के महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्यात संवर्द्धन के लिए जाच समितियों का गठन, विशिष्ट संगठनों की स्थापना, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ, रूपए का अवमूल्यन आदि प्रयास किए गए। स्वतंत्रता उपरांत निर्यात संवर्द्धन के राजकीय प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है -

(अ) जाच समितियों की नियुक्ति (Appointment of Enquiry Committees)
— विदेशी व्यापार संबंधी घटकों तथा भुगतान असंतुलन, व्यापार घाटा, आयात-निर्यात नीति आदि का अध्ययन करने के लिए अनेक समितियों की स्थापना की गई जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

1. गोरवाला समिति, 1949 (Gorwala Committee, 1949) — भारत सरकार ने 1949 में श्री ए. डी. गोरवाला की अध्यक्षता में गोरवाला जाच समिति की स्थापना की। गोरवाला जाच समिति की नियुक्ति देश विभाजन और द्वितीय विश्वयुद्ध जनित आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए की।

गोरवाला समिति ने व्यापारिक मंडल विदेशों में भेजने, नये बाजारों की खोज के लिए इंग्लैण्ड की 'बेट्री' जैसी संस्था की भारत में स्थापना, निर्यात संवर्द्धन निदेशालय की स्थापना, आयात प्रतिस्थापन पर बल, निर्यात कर को राष्ट्र के आर्थिक हित के अनुरूप मोड़ना आदि सुझाव दिए।

2. डीसूजा समिति, 1957 (D'Souza Committee, 1957) — भारत सरकार ने फरवरी 1957 में भुगतान असंतुलन संबंधी कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए डा. बी. एल. डीसूजा की अध्यक्षता में डीसूजा जाच समिति की स्थापना की। नवम्बर 1957 में समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली थी।

नीसूत्रा जाच समिति ने निर्यातित वस्तुओं की निरम सुधार अथवा व्यापारिक समझौते जोड़िये नीमा निगम की स्थापना निर्यातित वस्तुओं की उत्पादन लागत में तमी निर्यात रागडन की स्थापना निर्यात पर मे तमी परिगल व्यवस्था मे सुधार भारतीय वस्तुओं का विदेशा म प्रचार-प्रसार करता आनि सुझाव दिए।

3 मुदालियर समिति 1961 (Mudaliar Committee 1961) - भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना मे निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए सुझाव देते हेतु 1961 मे श्री ए आर मुदालियर की अध्यक्षता मे मुदालियर समिति की स्थापना की गई।

मुदालियर समिति ने निर्यात व्यापार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक दुगुना करना निर्यात कर मे विशेष छूट उद्योगों की निर्यात सक्ती कटिगाइयो को दूर करना निर्यात उद्योगों द्वारा मशीनें और कच्चा माल आनि खरीने के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना आदि सुझाव दिए।

4 एलेक्जेंडर पैनल 1977 (Alexander Panel) - भारत सरकार ने एक पान्ग 1977 को डा पी सी एलेक्जेंडर की अध्यक्षता मे विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 31 जनवरी 1978 को रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विशेषज्ञ समिति ने वारिग आयात नीति के स्थापन पर तीस वर्षीय आयात नीति बनाना उद्योगों के संरक्षण के लिए प्रशुला प्रणाली को आत्मसात करना निर्यात वृद्धि की सुविधाओं मे विस्तार लघु उद्योगों को संरक्षण हेतु आयातों पर प्रतिबंध लाइसेंसिंग प्रणाली का कच्चा माल पूजीगत सामान तथा उपभोग्य माल तीस शीर्षकों में वर्गीकरण निर्यात सबवर्द्धन के तये क्षेत्रों की पहचान व विचार आदि सुझाव दिए।

5 टण्डन समिति 1980 (Tandon Committee 1980) - भारत सरकार ने इन्वे के दरार की निर्यात व्युत्पन्न दरार करने के वस्तु श्री पी एल टण्डन की अध्यक्षता मे तेरह सदस्यीय समिति की 1980 मे नियुक्ति की। समिति ने मई 1980 मे अन्तरिम रिपोर्ट तथा 1981 मे अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

टण्डन समिति ने निर्यात व्युत्पन्न दरार वस्तु निगमितित सुझाव दिए -

- 1 विश्व व्यापार मे भारत की भागदारी 1990-91 तक 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर जोर।
- 2 निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध कराना।
- 3 लघु निर्यातक उत्पादकों को विशेष सुविधा प्रदान करना।
- 4 निर्यात व्यापार में सलग सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका में परिवर्तन करना।
- 5 व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदत्त निर्यात साध्य पर पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना।
- 6 निर्यात-मुद्रा औद्योगिक इकाइयों को कर मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करना।

(ब) निर्यात संवर्द्धन संस्थाओं की स्थापना (Establishment of Export Promotion Institutes) — स्वतंत्रता उपरांत निर्यात संवर्द्धन के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

1. निर्यात संवर्द्धन परिषदें (Export Promotion Councils) — भारत में इस समय 18 निर्यात संवर्द्धन परिषदें हैं। ये स्वायत्तशासी निगम के रूप में कार्य करती हैं। इनमें सरकार के अधिकारी तथा उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि होते हैं। परिषदों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने-अपने उद्योग की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करना होता है। वर्तमान में ये परिषदें रासायनिक पदार्थ, इजीनियरिंग वस्तुएं, खेल का सामान, सूती वस्त्र, रेशम रेयन, तम्बाकू, चमड़ा, काजू, मसाले आदि वस्तुओं के निर्यात संवर्द्धन का कार्य करती हैं।

2. निर्यात संवर्द्धन सलाहकार परिषद् (Export Promotion Advisory Council) — यह परिषद् केन्द्र सरकार की आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करती है तथा निर्यात संवर्द्धन के लिए सुझाव देती है। इस परिषद् में व्यापार प्रतिनिधि होते हैं।

3. वस्तु मंडल (Commodity Boards) — विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन, विकास तथा निर्यात संवर्द्धन के लिए वस्तु मंडल स्थापित किए गये हैं। वर्तमान में प्रमुख वस्तु मंडल निम्न हैं चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, इलायची बोर्ड, हस्तकारी बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, रेशम बोर्ड, रबड़ बोर्ड आदि। वस्तु मंडल संबंधित वस्तुओं के उत्पादन से लेकर निर्यात तक सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं।

4. निर्यात संवर्द्धन निदेशालय (Directorate of Export Promotion) — इसकी स्थापना 1957 में की गई। निदेशालय निर्यातकों को आवश्यक सूचना, निर्देशन एवं सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में पोर्ट कार्यालय हैं।

5. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (Indian Institute of Foreign Trade) — इस संस्थान की स्थापना भारत सरकार ने 1964 में की। संस्थान की स्थापना का मुख्य ध्येय विदेशी व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा बाजार सर्वेक्षण करना है। संस्थान के प्रमुख कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक विधियों संबंधी प्रशिक्षण देना, बाजार सर्वेक्षण, अनुसंधान से प्राप्त सूचनाओं को संस्थाओं तक पहुंचाना, विदेशी व्यापार की समस्याओं का अध्ययन करना, विपणन सर्वेक्षण की व्यवस्था करना आदि मुख्य हैं।

6. भारतीय निर्यात संघटन फेडरेशन (Federation of Indian Export Organisation) — यह फेडरेशन निर्यात संवर्द्धन संबंधी संस्थाओं तथा निर्यात संवर्द्धन, वस्तुमंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघटन व अन्य विशिष्ट संस्थाओं के निर्यात कार्यक्रमों में समन्वय का कार्य करता है।

7 निर्यात निरीक्षण परिषद् (Export Inspection Councils) - इसकी स्थापना निर्यात अधिनियम 1963 के अन्तर्गत की गई। परिषद् की स्थापना का मुख्य ध्येय निर्यातित माल की विरम को स्तरीय बनाये रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु परिषद् निर्यात से पूर्व वस्तुओं की जांच का कार्य करती है। इसके लिए परिषद् को सरकार से ऋण एवं अनुदान के रूप में सहायता मिलती है।

8 भारतीय पंच निर्णय परिषद् (Indian Council of Arbitration) - इसकी स्थापना 1965 में की गई। पंच पंचाले के क्षेत्र में यह भारत की शीर्ष सरथा है। यह सरथा दली एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न झगडों को निपटाने हेतु सेवाएँ प्रदान करती है। इसके अलावा विदेशी व्यापार में सलग व्यापारियों में पंच निर्णय को लोकप्रिय बनाने का कार्य भी इसके अधीन है। इसमें पंचों की एक सूची है जिसके नियम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल हैं।

9 व्यापार विकास प्राधिकरण (Trade Development Authority) - इसकी स्थापना 1971 में व्यापार मंत्रालय के अधीन की गई। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों की निर्यात क्षमताओं को प्रोत्साहित करना है। प्राधिकरण गए-गए बाजारों की रोज निर्यात सेवाओं में सुधार माल के उत्पादन तथा निर्यात में सहायता विदेशी प्रेताओं से सपर्क सामूहिक निर्यात में वृद्धि आदि कार्य करता है।

10 भारतीय पैकिंग संस्थान (Indian Institute of Packing) - इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1966 में की गई। निर्यातों में पैकिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य पैकिंग सामग्री हेतु अनुसंधान करना तथा पैकिंग की नई-नई विधियों की जांचकारी देना है। संस्थान के अंतर्गत उद्देश्यों में अच्छे पैकिंग की भावना विकसित करना; भारतीय पैकिंग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाने रखा; पैकिंग उद्योग के लिए कच्चे माल की रोज करना; पैकिंग उद्योग के लिए सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था करना आदि मुख्य हैं।

11 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण (Marine Products Export Development Authority) - इसकी स्थापना 1972 में कोचीन में की गई। अधिकरण की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य समुद्री उत्पादों का निर्यात सवर्द्धन है।

12 भारतीय मानक संस्थान (Indian Standard Institute) - इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। संस्थान निर्यातित उत्पाद का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बाने रखा है। संस्थान एक विशिष्ट मानक स्तर से निम्न स्तर के सामान को स्वीकृति प्रदान नहीं करता है।

13 टेक्सटाइल समिति (Textile Committee) - यह समिति मुंबई में कार्यरत है। समिति जहाज पर लदान से पूर्व टेक्सटाइल की उत्तमता अच्छाइयों तथा विरम की जांच का कार्य करती है।

14. भारतीय विनियोग केन्द्र (Indian Investment Centre) – यह केन्द्र भारतीय उद्योगपतियों को विदेशों में उद्योग अथवा संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु सहायता एवं सलाह देना है। यही कार्य विनियोग केन्द्र विदेशियों के लिए भी सम्पन्न करता है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

15. भाड़ा जांच ब्यूरो (Fare Inspection Bureau) – ब्यूरो सामान्य जहाजरानी सुविधाएं प्रदान करता है तथा जहाज में स्थान व भाड़े से संबंधित समस्याओं को हल करता है। मुंबई के जहाजरानी निदेशालय में भाड़ा जांच ब्यूरो स्थापित है तथा कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और गांधीधाम में इसकी शाखाएं हैं।

16. राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) – भारत के विदेशी व्यापार में राज्य व्यापार निगम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य व्यापार निगम की स्थापना 1956 में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई। स्थापना के समय इसकी प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रुपए थी। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का आयात करना तथा निर्यात संवर्द्धन करना है। देश के निर्यात का 1/4 भाग तथा आयात का 3/5 भाग राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है। राजकीय व्यापार के कारण निजी मुनाफाखोरी पर अकुश लगा है तथा व्यापार में सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति को बल मिला है। निगम के कार्यों में निर्यातों का विविधिकरण, निर्यातों को प्रोत्साहन, विद्यमान बाजारों का विस्तार तथा आयातित वस्तुओं का वितरण करना है।

राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत सहयोगी (Subsidiary) कम्पनियां यथा भारतीय काजू निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम, परियोजना एवं उपकरण निगम, दस्तकारी एवं हाथकरघा निगम, रसायन एवं फार्मास्युटिकल निगम निर्यात बढ़ाने में सलग्न हैं।

17. खनिज तथा धातु व्यापार निगम (Minerals and Metal Trading Corporation) – इस निगम की स्थापना 1963 में की गई। यह खनिज और धातु के विदेशी व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निगम उर्वरक, एल्युमिनियम और इस्पात का आयात करता है तथा लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, कोयला और ग्रेम अयस्क का निर्यात करता है।

18. भारतीय चाय व्यापार निगम (Tea Trading Corporation of India) – यह राज्य व्यापार निगम की सहायक संस्था है। निगम की स्थापना का उद्देश्य भारतीय चाय के लिए स्थाई बाजार ढूँढना है।

19. अभ्रक व्यापार निगम (Mica Trading Corporation) – इसकी स्थापना 1972 में की गई। यह निगम भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। यह अभ्रक निर्यात के कार्य में सलग्न है। निगम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से अधिकांश अभ्रक खरीदता है।

20 भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (Indian Motion Pictures Export Corporation) - यह राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय फिल्मों का निर्यात तथा विदेशों में उसके प्रचार का कार्य करता है।

21 चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (Chamber of Commerce and Industry) - ये उत्पत्ति का प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin) जारी करते हैं। यह राजकीय नीति के सबंध में विचार हेतु मंच का कार्य करता है तथा निर्यातकर्ताओं के विशेष मामलों को सरकार के सामने रखते हैं।

22 भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (Trade Fair Authority of India) - प्राधिकरण का गठन मार्च 1977 में भारत सरकार द्वारा किया गया। यह देश-विदेश में व्यापार मेला का आयोजन करता है। प्राधिकरण की गतिविधियाँ भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हैं। इसका प्रधान कार्यालय प्रगति भवन प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। प्रगति मैदान प्राधिकरण का स्थाई प्रदर्शनी स्थल बन चुका है। यह विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है तथा सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना विदेशों में भारतीय प्रदर्शनों का आयोजन भारत में मेलों का आयोजन भारतीय पार्टियों को मेलों में सीधे भाग लेने के लिए सहायता जनसंचार और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों के माध्यम से व्यापारिक प्रचार का आयोजन आदि मुख्य हैं।

23 भारतीय निर्यात साख एव गारन्टी नियम (Export Credit and Guarantee Corporation of India) - 1959 में स्थापित निर्यात जोखिम निगम का 1964 में नाम बदलकर निर्यात साख एव गारन्टी निगम किया गया। निगम का प्रधान कार्यालय मुम्बई में है। निगम भारतीय निर्यातकों को ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा माल की सामुद्रिक जोखिमों एवं मूल्य में उच्चावचन की जाखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। निगम निर्यातकों को माल लदान से पूर्व तथा उसके पश्चात् वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।

24 निर्यात आयात बैंक (Exim—Export Import Bank) - भारतीय निर्यात-आयात बैंक निर्यात और आयात को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के कामकाज में तालमेल बिटाने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। इस बैंक की स्थापना एक जनवरी 1982 को भारत के विदेश व्यापार को वित्त प्रदान करने और सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन देने के लिए हुई थी। 31 मार्च 1994 तक बैंक की चुकता पूंजी 336 करोड़ रुपए और अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए थी।

25 कपास निगम (Cotton Corporation) - निगम की स्थापना कपास के व्यापार का सरकारी क्षेत्र में लेने के लिए की गई। निगम का प्रमुख कार्य अच्छी किरम की कपास का आयात तथा उसका वितरण करना है।

26 चाय व्यापार निगम (Tea Trading Corporation) - निगम की स्थापना

1971 में की गई। निगम का प्रमुख कार्य चाय का आन्तरिक व विदेशी व्यापार देखना, गोदामों तथा बागानों का प्रबन्ध करना, चाय के निर्यात वृद्धि के प्रयास, चाय की आन्तरिक मांग को पूरा करना आदि।

27. निर्यात सदन (Export House) – निर्यात सदन निर्यातकों के न्यूनतम मापदंड पूरा करने पर प्रमाण-पत्र जारी करता है। निर्यात सदनों में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, निर्यात संवर्द्धन हेतु विपणन विकास में से अनुदान, विदेशों में कार्यालय खोलने के लिए अनुदान आदि सुविधाएँ होती हैं।

28. व्यापार प्रतिनिधि (Trade Agents) – भारत सरकार निर्यातकों की सहायता के लिए विश्व के महत्वपूर्ण नगरों में व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करती है।

29. वायु स्थायी समिति (Air Fixed Committee) – समिति का मुख्य उद्देश्य वायु यातायात द्वारा निर्यात के मार्ग में आने वाली अडचनों को दूर करना है। संबंधित आवश्यक खानापूर्ति के लिए प्रमुख हवाई अड्डों यथा मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, अहमदाबाद आदि पर "संयुक्त वायुयान माल काम्प्लेक्स" स्थापित किए हुए हैं।

30. रेल स्थायी समिति (Railway Fixed Committee) – समिति रेल द्वारा निर्यात के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का कार्य करती है।

31. जहाजरानी स्थायी समिति (Shipping Fixed Committee) – जहाजरानी के माध्यम से निर्यात के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए समिति का गठन किया गया है।

32. वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) – भारत के विदेशी व्यापार के विकास और नियंत्रण का कार्य केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यों में विदेशी व्यापार संबंध, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्द्धन उपाय, निर्यात उद्योगों के विकास आदि मुख्य हैं।

(स) निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ (Export Promotion Schemes) –

विभिन्न जाध समितियों एवं विशिष्ट संगठनों की स्थापना के अलावा सरकार ने निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। निर्यात प्रोत्साहन की प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं

1. निर्यात बढ़ाने के लिए मध्यकालिक रणनीति (Mid Term Policy to Increase Export) – सरकार ने सन् 2002 तक वार्षिक निर्यात 90 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 जनवरी 1998 को मध्यकालिक निर्यात ऋण नीति की घोषणा की। इसके तहत आधारभूत ढांचे की कमियाँ दूर करना, ऋण लागत घटाना, क्षेत्रीय व विशिष्ट बाजार विकसित करने के लिए कदम उठाना शामिल है। रणनीति में बदरगाहों पर लदान में लगने वाली देरी कम करने, दिमान से दुलाई की क्षमता की कमी को दूर करने और सबक मार्ग से दुलाई में लगने वाले समय को कम करने की ओर ध्यान दिया जाएगा।

विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत तक बढ़ाने की रणनीति के तहत विश्व व्यापार के रुख के अनुकूल निर्यात के लिए उत्पादन आधार बढ़ाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

2 निर्यात ऋण पर ब्याज दरों में रियायत (Concession in Interest Rate on Export Loan) - रिजर्व बैंक ने 31 दिसम्बर 1997 को निर्यातकों को निर्यात ऋण पर ब्याज दरों की शर्तों में रियायत की घोषणा की। एक जनवरी 1998 से लक्ष्य वाद रूपया निर्यात ऋण पर 90 दिन से छह महीने की अवधि तक ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक होगी। रिजर्व बैंक ने 26 नवम्बर 1997 को अस्थाई उपाय के तौर पर माल के लक्ष्य वाद रूपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर का 13 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। यह ब्याज दर 90 दिन से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाई गई थी। 91व दिन से उच्च ब्याज दर लागू कर दी गई थी। उसके बाद भी विदेशी मुद्रा बाजार में जब स्थिति नहीं सभली तो 29 नवम्बर 1997 को रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के कर्ज लेने की तिथि से ही उच्च ब्याज दर लगाने की घोषणा कर दी और इस व्यवस्था को 15 दिसम्बर 1997 से लागू करने का कहा। बैंक ने 17 दिसम्बर को ही वाणिज्यिक बैंकों को निर्धारित समय से ज्यादा समय तक लम्बित निर्यात बिला पर 20 प्रतिशत की ऊंची दर से ब्याज लेने की हिदायत दे दी थी। केवल उन मामला में कुछ रियायत का प्रावधान रखा था जहां ऋण लेने की तिथि से एक महीने से भी कम समय हुआ था।

रिजर्व बैंक ने निर्यातकों की समस्याओं का समझते निर्धारित अवधि के बाद की अवधि पर 20 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से ब्याज लगाने की शर्त में भी कुछ रियायतें देते हुए इस अब केवल निर्धारित समय से आगे की अवधि पर ही लगाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा निर्यातकों के नियंत्रण से बाहर अन्य कारणवश दरों हाने पर 20 प्रतिशत ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसमें छह महीने पुराने बिलों को भी रियायत दी जाएगी।

3 सेफगार्ड (Safeguard) - सेफगार्ड प्रणाली जुलाई 1997 में कन्द्र सरकार की एक अधिसूचना के जरिए लागू की गई थी। इसका उद्देश्य आयात में अचानक आइ बढ़ावों से घरेलू उद्योगों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए आपात उपाय करना है। यह वैश्वीकरण के दौर में सुरक्षा की विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुवाचित प्रणाली है और निर्यात भविष्य में पूरी तरह मौजूदा तटकर और लाइसेंस प्रणाली का स्थान ले लेगी। दुष्प्रभाव के विपरीत क्षेत्रों में कि राष्ट्रीय, क्षेत्र, निर्यातक देश में उत्पादन लागत से कम पर निर्यात को साधित करना पड़ता है सेफगार्ड कानूनों में केवल आयात में अचानक वृद्धि और शक्ति को सिद्ध करना पड़ता है। सेफगार्ड से आयात के खिलाफ स्वदेशी का नारा बुलन्द किया जा सकता है। अब स्थानीय उद्योगों का भी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

4 'ऑन लाइन ट्रेडिंग जोन' (ओटीजेड) (On Line Trading Zone) - राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान लघु उद्योग निगम ने इन्टरनेट के जरिये

सूची दुनिया के निर्यातकों और खरीददारों को एक मंच पर लाकर उन्हें पूरी सूचनाएँ उपलब्ध करवाने का एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया है। इस प्रयोग को 'ऑन लाइन ट्रेडिंग जोन' (ओटीजेड) नाम दिया गया है। इसे आम बोलचाल की भाषा में इडोबाजार कहा जाता है। इससे इन्टरनेट के जरिये भारत के निर्यातक और विश्व भर के क्रेता एक मंच पर एकत्र होकर लेन-देन कर सकेंगे। ओटीजेड की सदस्यता शुल्क मात्र 25 हजार रुपये वार्षिक होगा। ओटीजेड में भारत की निर्यात सूची में शामिल सभी वस्तुओं की सूची होगी। ओटीजेड दो भागों में बटा होगा। सदस्य क्षेत्र और जन क्षेत्र। सदस्य क्षेत्र में इस योजना में शामिल सदस्य अन्य सदस्यों की हर सूचना प्राप्त कर सकेंगे। जनक्षेत्र में आम आदमी भी भारतीय उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

5. राजकोष और विनिमय दर की नीतियाँ (Fiscal Policy and Rate of Exchange) – वर्ष 1992-93 के बजट में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया जिसके तहत विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग सरकारी विनिमय दर पर तथा शेष 60 प्रतिशत बाजार निर्धारित दर पर बदले जाने की व्यवस्था थी। वर्ष 1993-94 के आरम्भ में दोहरी विनिमय दर की व्यवस्था को बाजार द्वारा निर्धारित एकीकृत विनिमय दर की प्रणाली में परिवर्तन की शुरुआत की गई। अब निर्यातक अपनी कमाई का शत-प्रतिशत भाग बाजार दरों पर अभ्यर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार विगत वर्षों में रुपये को क्रमिक रूप से व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया जा चुका है। वर्ष 1994-95 के बजट में रुपये को चालू खाते में परिवर्तनीय कर दिया गया है। पूंजी खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए बहुत ठोस वित्तीय स्थिति और दक्ष वित्तीय प्रणाली का होना जरूरी है।

1993-94 के केन्द्रीय बजट में शुल्क स्तर 110 प्रतिशत से घटाकर 85 प्रतिशत किया गया। वर्ष 1994-95 में आयात शुल्कों की उच्च दरों को 85 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत किया गया जिसे 1995-96 के बजट में आयात शुल्क की अधिकतम सीमा घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई।

निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर स्पर्धात्मक ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा में लदान पूर्व ऋण सुविधा भी निर्यातकों को प्रदान की गई है तथा विदेशों में उनके निर्यात बिलों पर छूट की भी योजना शुरू की गई है। निर्यात की एक नई व्यापारिक संस्कृति विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें व्यापार और उद्योग के अलावा आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित एजेसियों और राज्य सरकारों की भी सार्थक हिस्सेदारी तय की जायेगी। राज्य सरकारों को उच्च स्तरीय मूलभूत सुविधाओं के लिए अनुदान के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निर्यात संवर्द्धन की प्रक्रिया में निर्यात को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है और व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र से निरन्तर परामर्श से निर्यात बढ़ाने के हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

6 निर्यात ससाधन (प्रोसेसिंग) क्षेत्र (Export Processing Zones) - भारत में 7 निर्यात ससाधन क्षेत्र हैं य काडला (गुजरात), शाताद्रूज (महाराष्ट्र), कोच्ची (केरल) चन्नई (तमिलनाडु), नायडा (उत्तर प्रदेश) फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश) में स्थित हैं। प्रत्येक निर्यात ससाधन क्षेत्र में फँक्ट्री निर्माण के लिए विकसित प्लॉट, फँक्टरी शेड, विजली, पानी, सड़क, जल पिकासी, बैंक, डाकघर जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा कई राजकोषीय प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कस्टम क्लियरेंस सुविधा भी प्रदान की गई है।

7 निर्यात-न्मुखी इकाइयाँ (Export Oriented Units) - निर्यात-न्मुख इकाईयाँ या जगह निर्यात ससाधन क्षेत्र योजना के सहायक के रूप में 1981 में शुरू की गई थीं। निर्यात-न्मुख इकाईयो में मुख्यतः इंजीनियरी, रसायन, प्लास्टिक, ग्रनाइट और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र कार्यरत हैं। निर्यात-न्मुख इकाईयो द्वारा 1993-94 में 2,400 करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया गया। निर्यात-न्मुख इकाईयो और निर्यात ससाधन क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं -

- (i) मूल्यवर्द्धन का शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के आधार पर सशोधन करना।
- (ii) उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेचने की सुविधाओं को उदार बनाना।
- (iii) सोने और चांदी के आनूषणों के लिए नियमों का निर्धारण करना।
- (iv) आयात-निर्यात नीति की प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

8 वाणिज्यिक संबंध (Commercial Relations) - वर्तमान में भारत के विदेशों में 66 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। वाणिज्यिक कार्यालय अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारतीय राजदूता को वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों पर परामर्श देने के साथ-साथ वाणिज्यिक प्रतिनिधि वाणिज्यिक और आर्थिक नीति निर्धारण में सरकार की सहायता करते हैं। ये बाजार के रुझानों, व्यापार संबंधों की समावनाओं और संबंधित देश की सामान्य आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारीयों सरकार को उपलब्ध कराते हैं।

9 भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation of Indian Currency) - भारत सरकार ने निर्यातों में वृद्धि के लिए समय-समय पर रुपए का अवमूल्यन किया। सितम्बर 1949 में भारत ने डॉलर क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए रुपए का डॉलर में 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया। 6 जून, 1966 को निर्यात बढ़ाने के लिए रुपए का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था।

भारत ने जुलाई 1991 के प्रथम सप्ताह में रुपए की विनिमय दर में कमी करके, रुपए को विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबलें यथा ब्रिटेन स्टर्लिंग 21.04 प्रतिशत, अमरीकी डॉलर 23.07 प्रतिशत, जर्मन मार्क 20.78 प्रतिशत, जापानी येन 22.33 प्रतिशत तथा फ्रांसीसी फ्रांक 21 प्रतिशत सरता कर दिया। भारत ने यह गंभीर कदम आर्थिक संकट से उबरने, विदेशी मुद्रा जुटाने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए

उठाया।¹⁰

10. **करों में छूट (Relief in Taxes)** – सरकार ने निर्यात सबर्द्धन के लिए करो मे छूट दी है। जूट के निर्यात करो मे कमी की गई। निर्यात सबर्द्धन हेतु विदेशों मे विज्ञापन पर व्यय, सर्वेक्षण, विदेशों मे शाखा, कार्यालय या एजेन्सी का व्यय, विदेशी यात्रा, विदेशों मे भेजे गए नमूनों पर व्यय, आयकर मे पूर्णत या आंशिक छूट के लिए मान्य है। उत्पादन कर मे छूट की व्यवस्था है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों मे माल के आयात-निर्यात करो मे छूट है।

11. **रेल भाडे मे कमी व प्राथमिकता (Priority and Concession in Railway Freight)** – भारतीय रेल द्वारा निर्यात योग्य वस्तुओं को बन्दरगाहों तक पहुँचाने मे प्राथमिकता दी जाती है तथा निर्यात वस्तुओं पर भाडे मे छूट दी जाती है।

12 **वित्तीय अनुदान और सहायता (Financial Grants and Assistance)** – भारत सरकार निर्यातों मे वृद्धि के लिए कुछ निर्यातित वस्तुओं पर सब्सिडी अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।

13. **पारितोषिक योजना (Awards)** – निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए 1968-69 मे पारितोषिक योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना मे निर्यात व्यापार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निर्यातकों को योग्यता प्रमाण-पत्र एवं पारितोषिक वितरित किए जाते हैं।

14 **व्यापारिक केन्द्र और शोरूम (Trade Centres and Show Rooms)** – भारतीय उत्पादों के निर्यात मे वृद्धि के लिए विदेशों मे व्यापारिक केन्द्र और शोरूम स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र भारतीय उत्पादों का विदेशों मे प्रचार, प्रसार का कार्य करते हैं। इससे भारतीय उत्पादों की विदेशों मे माग बढ़ी है।

15 **निर्यात अधिनियम 1963 (Export Regulation, 1963)** – यह अधिनियम 1963 मे पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जहाज पर माल लादने से पूर्व जांच व निर्यातित माल पर अनिवार्य किस्म नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है।

16. **पूंजीगत माल के आयात की सुविधा (Import Facility for Capital Goods)** – निर्यात गृहों तथा निर्यात उद्योगों को पूंजीगत माल और कच्चे माल के आयात मे कई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। निर्यातक उद्योगों को देशी नियंत्रित कच्चे माल की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात मे सीमा शुल्क में रियायत की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से निर्यात करने वाले निर्यातक 10 करोड़ रुपए मूल्य तक की पूंजीगत वस्तुएं आयात कर सकेंगे। बशर्त कि इस आयातित पूंजीगत माल के तिगुने के बराबर निर्यात करने का उत्तरदायित्व निभाए तथा पिछले वर्षों की औसत निर्यात कार्यकुशलता बनाए रखे।

17 विदेशी विनिमय सुविधाएँ (Foreign Exchange Facilities) - बड़े निर्यातकों को निर्यात सबवर्द्धन खर्च के लिए उदारता से विदेशी विनिमय मुहैया करायी जाती है।

18 व्यापारिक समझौते (Trade Agreements) - भारत सरकार ने विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए विश्व के अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं। व्यापारिक समझौते के परिणामस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन चुका है। अक्टूड (UNCTAD) में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत गुट विरोध में सक्रिय रहा है। भारत की गुप-77 तथा गुप-15 में प्रभावी भूमिका है।

19 मेला एवं प्रदर्शनी संगठनों की स्थापना (To Establish Fairs and Exhibition Organisations) - भारतीय उत्पादों को विदेशों में प्रचार प्रसार तथा विज्ञापन हेतु मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए प्रदर्शनी विदेशालय की स्थापना की गई है। देश विदेश में व्यापार मेलों का आयोजन करने के लिए 1977 में व्यापार मेला प्राधिकरण की स्थापना की गई।

20 स्टार व्यापार गृह (Star Trading Houses) - निर्यात से जुड़े व्यापारिक संस्थानों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को समय-समय पर निर्धारित मादण्डों से अनुरूप उठके कारोबार के आधार पर घरानों को निर्यात घरानों व्यापार घराने अग्रणी व्यापार घराने और शीर्ष व्यापार घराने में श्रेणीय किया जाता है। इन घरानों को उच्च श्रेणी के अनुसार विशेष आयात लाइसेंस दिए जाते हैं। पिछले लाइसेंस वर्ष में किए गए निर्यात का औसत मूल्य 1 000 करोड़ रुपए अथवा पिछले एक वर्ष में अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा 600 करोड़ रुपए वाले घरानों को शीर्ष व्यापार घराने की श्रेणी में रखा जाता है।

निर्यात सबवर्द्धन की उपलब्धियाँ

(Achievements of Export Promotion)

स्वातन्त्र्योत्तर भारत ने निर्यात सबवर्द्धन के प्रयास किए। निर्यात बढ़ाने वाले जाय समितियों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा निर्यात सबवर्द्धन संस्थाओं की भी स्थापना की गई। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की गई। स्वतंत्रता के पश्चात् कई बार निर्यात-मुखी निर्यात-आयात नीति (EXIM Policy) की घोषणा की गई। निर्यात बढ़ाने वाले त्रि-पक्षीय योजना की समयावधि के अनुरूप दीर्घकालीन निर्यात-आयात नीति (1997-2002) की घोषणा की गई। निर्यात सबवर्द्धन के प्रयासों की परिणति विदेशी व्यापार में सुधार की प्रवृत्ति के रूप में दृष्टिगोचर हुई। निर्यात सबवर्द्धन के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को सबल मिला।

1 विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि (Increase in Foreign Exchange Reserve) - आज विश्व में व्यापार के क्षेत्र में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। विकासशील देशों ने सामने गुराद्रीय कम्पनियाँ की चुनौती है। भारत निर्यात सबवर्द्धन से निर्यातों को

बढ़ाने में सफल हो सका है। निर्यात वृद्धि से भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ा। भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार वर्तमान में सतोषप्रद स्थिति में है। विदेशी मुद्रा भण्डार की पर्याप्तता के कारण भारत को 1999 में कारगिल संकट से निपटने में मदद मिली। भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार सोना व एस डी आर को छोड़कर मार्च 1991 में 4,388 करोड़ रुपए था जो बढ़कर मार्च 1999 में 1,25,412 करोड़ तथा जून, 1999 में और बढ़कर 1,32,506 करोड़ रुपए हो गया। डॉलर में भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 1990-91 में 5,834 मिलियन डॉलर था जो बढ़कर दिसम्बर 1998 में 30,056 मिलियन डॉलर हो गया। रुपए के विदेशी मुद्रा भण्डार में 1996-97 में 375 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। निर्यातों के बढ़ने से भारत को विदेशी विनिमय संकट से मुक्ति मिली।

2. विश्व निर्यात में भारत की भूमिका (Role of India in World Export) — भारत विकासशील देश है और जनसंख्या एक अरब को पार कर चुकी है। उत्पादन का बड़ा भाग आन्तरिक बाजार से खप जाता है इसलिए वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बहुत कम रही है, किन्तु हाल के वर्षों में निर्यात संवर्द्धन के कारण निर्यातों में वृद्धि हुई है। जिससे विश्व के निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ा है। विश्व के निर्यातों में भारत का हिस्सा 1970 में 0.6 प्रतिशत, 1980 में 0.4 प्रतिशत, 1990 में 0.5 प्रतिशत, 1995 में 0.6 प्रतिशत तथा 1996 में 0.7 प्रतिशत था। वर्ष 1996 में विश्व का कुल निर्यात 50,82,220 मिलियन डॉलर था जिसमें भारत का भाग 33,470 मिलियन डॉलर (कुल का 0.7 प्रतिशत) था।

3. निर्यातों में वृद्धि (Increase in Exports) — निर्यात संवर्द्धन से निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। भारत का निर्यात 1950-51 में 606 करोड़ रुपए था जो निर्यात संवर्द्धन के प्रयासों से बढ़कर 1990-91 में 32,553 करोड़ रुपए हो गया। निर्यात 1997-98 में और बढ़कर 130,101 करोड़ रुपए हो गया। नब्बे के दशक के 1991-92 में निर्यात वृद्धि दर 35.3 प्रतिशत उल्लेखनीय थी। डॉलर में भारत का निर्यात 1997-98 में 35,006 मिलियन डॉलर था।

4. व्यापार घाटे में कमी (Decrease in Trade Deficit) — तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास को गति देने वास्ते आयात आवश्यक है। भारत के आयात निर्यातों की तुलना में तेजी से बढ़े। निर्यात संवर्द्धन से निर्यातों में वृद्धि हुई है। जिससे व्यापार घाटा विकराल रूप धारण नहीं कर सका। स्वतंत्रता के बाद व्यापार शेष 1972-73 में 104 करोड़ रुपए तथा 1976-77 में 68 करोड़ रुपए से अनुकूल था। ये दो वित्त वर्ष निर्यात व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन थे। नब्बे के दशक में व्यापार घाटा बेकाबू हो गया। निर्यात संवर्द्धन की बढ़ती व्यापार घाटा 1991-92 में 3,810 करोड़ रुपए और 1993-94 में 3,350 करोड़ रुपए तक सीमित रहा। व्यापार घाटा 1997-98 में 24,075 करोड़ रुपए को छू गया।

5 निर्यात संरचना में बदलाव - (Change in Export Composition) निर्यात संवर्द्धन के कारण निर्यात व्यापार की संरचना बदली है। वर्तमान में भारत से विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। शीते वर्षों में परम्परागत वस्तुओं की तुलना में गैर परम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है। कुल निर्यातों में कृषि एवं संबद्ध उत्पादों की भूमिका घटी और विभिन्न वस्तुओं की भूमिका बढ़ी है। वर्ष 1997-98 में कुल निर्यातों में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का भाग 18.8 प्रतिशत था जबकि विभिन्न वस्तुओं का योगदान 76.6 प्रतिशत था।

6 सेवाओं का बढ़ता निर्यात (Increase Export of Services) - निर्यात संरचना से देश की विदेशी मुद्रा आय में सेवाओं जैसे अदृश्य निर्यात से प्राप्त आय का हिस्सा बढ़ा है। कुल निर्यात आय में विभिन्न उत्पादों से निर्यात से प्राप्त आय की तुलना में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवा पर्यटन और ऐसे ही दूसरे अदृश्य निर्यात से प्राप्त आय की मात्रा बढ़ी है। सेवाओं के निर्यात का भविष्य में उत्पादों से निर्यात से आगे बढ़ जाने की संभावना है। देश से निर्यात में सुधियाई बदलाव आया है। वर्ष 1990-91 में देश से कुल निर्यात में अदृश्य निर्यात आय का हिस्सा 28.8 प्रतिशत था जो 1997-98 में बढ़कर 39.9 प्रतिशत तक पहुंच गया।

7 आर्थिक सहयोग विकास समूह (ओ ई सी डी) देशों को निर्यात (Export to Organisation of Economic Cooperation Development Countries) - भारत द्वारा निर्यात संवर्द्धन से प्रयारों से आर्थिक सहयोग विकास समूह देशों को निर्यात रहा है। इस समूह में बेल्जियम फ्रांस जर्मनी इंग्लैण्ड अमरीका जापान आदि देशों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक सहयोग विकास समूह देशों की तरफ भारत का निर्यात 1980-81 में 46.6 प्रतिशत तथा 1990-91 में 53.5 प्रतिशत था जो बढ़कर 1997-98 में 55.7 प्रतिशत तथा 1998-99 में 57.9 प्रतिशत हो गया।

8 विकासशील देशों से व्यापारिक संबंधों की सुदृढ़ता (Strong Trade Relations with Developed Countries) - निर्यात संवर्द्धन से कारण भारत के विकासशील देशों से साथ व्यापारिक संबंधों में गंभीरता आई है। विगत वर्षों में अफ्रीका एशिया लैटिन अमरीका और कैरेबिया देशों को निर्यात रहा है। अपेक्ष को छोड़कर विकासशील देशों की तरफ भारत का निर्यात 1990-91 में 16.8 प्रतिशत था जो 1997-98 में बढ़कर 28.2 प्रतिशत हो गया।

9 पेट्रोलियम निर्यात देशों के समूह (ओपेक) को निर्यात (Export to Organisation of Petroleum Exporting Countries) - निर्यात संवर्द्धन की सुध परिणति ओपेक देशों को निर्यात कृषि से रूप में भी दृष्टिगोचर हुई। भारत का निर्यात बिना तेलों में ओपेक यथा ईसा ईसा सुध सऊदी अरब देशों को बढ़ा है। ओपेक से भारत का निर्यात 1990-91 में 5.6 प्रतिशत था जो 1997-98 में बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया।

9 औद्योगीकरण में सहायक (Helpful in Industrialization) — निर्यात संवर्द्धन के कारण भारतीय उद्योगों के उत्पाद का विदेशों को निर्यात बढ़ा जिससे देश में औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण सृजित करने में मदद मिली। निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा से आधुनिकतम तकनीक और औद्योगिक कच्चा माल का सुगमता से आयात किया जा सका जिससे औद्योगिक विकास को बल मिला।

10 रोजगार सृजन (Creation of Employment) — निर्यात संवर्द्धन से औद्योगीकरण को गति मिलने से देशवासियों को रोजगार के अवसर मुहैया हुये हैं। निर्यातों में प्राथमिक उत्पादों की अच्छी भूमिका है। भारत से चाय, काफी, तम्बाकू, काजू का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। इनके उत्पादन और निर्यात में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। निर्यात संवर्द्धन कार्य में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

निर्यात संवर्द्धन के सुझाव (Suggestions for Export Promotion)

भारत में निर्यात संवर्द्धन के कारण निर्यातों में अवश्य वृद्धि हुई। रुपए में निर्यात वृद्धि दर 1991-92 में 35.3 प्रतिशत तक जा पहुँची थी। भारत विश्व का बड़ा देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता वारंसे निर्यातों में वृद्धि की महती आवश्यकता है। हाल ही के वर्षों में (1997-98) भारत की निर्यात वृद्धि दर बहुत घटी। निर्यात वृद्धि में उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। डॉलर में भारत की निर्यात वृद्धि दर 1997-98 में 1.5 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में नकारात्मक 2.9 प्रतिशत चिन्ताप्रद थी। निर्यातों के तीव्र गति से नहीं बढ़ने की स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को संकट का सामना करना पड़ सकता है। निर्यात संवर्द्धन में निम्नांकित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते हैं —

1 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्यात वृद्धि के प्रयास (Efforts for Export Increase in South East Asian Countries) — नब्बे के दशक के आखिरी वर्षों में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था संकट की चपेट में थी। इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड, मलेशिया आदि देशों की मुद्राओं का भारी अवमूल्यन हुआ तथा मुद्रास्फीति सुरक्षा के मुह की भाँति बढ़ी। वर्ष 1999 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर हुए। भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर निर्यात वृद्धि का प्रयास करना चाहिए।

2 प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन (Competitive Devaluation) — मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात वृद्धि का महत्वपूर्ण उपाय है। भारत ने निर्यात बढ़ाने वास्ते विगत में अवमूल्यन का सहारा लिया। सितम्बर 1949 में रुपए का डॉलर में 30.5 प्रतिशत तथा जून 1966 में 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया इसके अलावा जुलाई 1991 में भी विश्व की प्रमुख मुद्राओं के साथ 20 से 22 प्रतिशत अवमूल्यन किया। वर्तमान

में अनेक देश निर्यात बढ़ाने के लिए अवमूल्यन का सहारा लेते हैं। हाल के वर्षों में (1997-98) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की मुद्राओं का भारी अवमूल्यन हुआ। जापानी येन का भी अवमूल्यन हुआ। अन्य देशों की मुद्राओं के अवमूल्यन का भारत के निर्यातों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अतः भारत को भी निर्यात बढ़ाने वारंते रूपए के अवलमूल्यन का सहारा लेना चाहिए। किन्तु रूपए का अवमूल्यन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। रूपए के अधिक अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने का भय रहता है। अवमूल्यन से आयात महंगे तथा विदेशी ऋण भार स्वतः बढ़ जाता है।

3 जनसंख्या पर अकुश (Obstruction on Population) — अमरीका वर्ल्ड बाण' संस्था के अनुसार भारत 15 अगस्त 1999 को एक अरब की जनसंख्या को पार कर गया। जनसंख्या की विकसलता के कारण उत्पाद का अत्यधिक भाग आन्तरिक बाजार में ही खप जाता है। निर्यात हेतु अतिरिक्त कम वध जाता है। अतः निर्यात बढ़ाने के लिए आन्तरिक भाग पर अकुश लगाया जरूरी है जो वर्तमान हालात में जनसंख्या की कम वृद्धि से संभव है।

4 मुद्रास्फीति पर नियंत्रण (Control over Inflation) — निर्यात संवर्द्धन के लिए स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास आवश्यक है। मुद्रास्फीति की दशा में उत्पाद की लागत ऊँची बैठती है तथा निर्यातक भी उत्पाद को निर्यात करने के स्थान पर आन्तरिक बाजार में ही बेचकर अच्छा लाभ अर्जित कर लेते हैं। भारत में निर्यात वृद्धि का मार्ग में मुद्रास्फीति बाधक रही है। वर्ष 1998 में मुद्रास्फीति चरम पर थी। अकेले जून 1998 में थोक मूल्य में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो नवम्बर 1998 में 11 प्रतिशत और बढ़ गई। जून 1998 में उपभोक्ता मूल्य 12 प्रतिशत ऊँचे थे और नवम्बर 1998 तक इनमें 8 प्रतिशत की और वृद्धि आ चुकी थी। इसके बाद कीमते गिरने का दौर शुरू हुआ। भारत में इस असामान्य मुद्रास्फीति का कारण जनता के पास अधिक मुद्रा होना नहीं बल्कि आवश्यकता की आपूर्ति तत्काल धर कर जाना था। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषि बड़ी सीमा तक मासूम पर निर्भर है। कृषि उत्पादों के कम होने पर मुद्रास्फीति आसमान छूने लगती है।

कृषि उत्पादों की आपूर्ति में सुधार के कारण मुद्रास्फीति घाबू में होती है। जून-जुलाई 1999 में भारत कारगिल संकट से जूझ रहा था। संकट की घड़ी में मुद्रास्फीति को बढ़ाने की संभावना थी किन्तु अच्छी कृषि पैदावार के कारण मुद्रा स्फीति उत्तरोत्तर घटी। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति 24 जुलाई 1999 को 1.19 प्रतिशत थी जो दिगत बीस वर्षों के न्यूनतम स्तर पर थी। मुद्रास्फीति के घटने से भारत के निर्यातों को गति मिली। मुद्रास्फीति को न्यूनतम स्तर पर स्थायित्व दिया जाना चाहिए।

5 बाजार सर्वेक्षण (Market Survey) — बाजार सर्वेक्षण निर्यात संवर्द्धन का महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजारों में माग का गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। बाजार सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय उत्पादों के निर्यात का

प्रयाग किया जाना चाहिए।

6 मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन (To Organize Fairs and Exhibitions) – मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन निर्यात वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है। भारतीय उत्पादों को मेले एवं प्रदर्शनियों में अधिकाधिक प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे भारतीय माल की लोकप्रियता बढ़ेगी तथा निर्यात वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

7 विदेशी व्यापार समझौते (Foreign Trade Agreements) – भारत को निर्यात संवर्द्धन के लिए विदेशी व्यापार समझौतों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कई देशों को भारत से निर्यात बहुत कम है। ऐसे देशों में समझौतों के द्वारा निर्यात वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद से अमरीका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर रखे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों को परस्पर वार्ता द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

8 उत्पादन वृद्धि (Increase in Production) – यद्यपि भारत में जनाधिक्य के कारण उत्पादों की आन्तरिक मांग अत्यधिक है किन्तु भारत में उत्पादन वृद्धि की विपुल संभावनाएँ हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है इसके अलावा मानवीय संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। भारत विश्व का बड़ा बाजार है। प्राकृतिक संसाधनों और सरस्ते श्रम के कारण विदेशी निवेशक भारत में पूँजी लगाने के लिए उत्सुक हैं। वर्तमान में देशी एवं विदेशी निवेशकों को अधिकाधिक विनियोजन के लिए आकर्षित कर उत्पादन वृद्धि पर जोर देना चाहिए इससे एक ओर आन्तरिक मांग की पर्याप्त आपूर्ति हो सकेगी तथा दूसरी ओर निर्यात वास्ते अतिरिक्त उत्पाद बचेगा।

9 कर छूट (Tax Rebate) – भारत सरकार को निर्यात व्यापार में सलग्न औद्योगिक इकाइयों को करो में छूट देनी चाहिए। शत-प्रतिशत निर्यातोंमुखी इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निर्यात के क्षेत्र में उत्प्रेक्षनीय भूमिका निभाने वाले उद्योगों और उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

10 आधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्पाद (Products Decorated with Latest Technology) – निर्यात संवर्द्धन वास्ते उत्पाद का आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होना बेहद आवश्यक है। विश्व में व्यापार के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को आत्मसात किए बिना निर्यात व्यापार की प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किल है। भारत को चाहिए कि वह शोध व अनुसंधान पर परित्यक्त न हो वृद्धि करे। प्रतिभा पलायन को रोका जाए। देश में अनुपलब्ध तकनीक को विदेशों से आयात करने में सकोच नहीं करना चाहिए। देशवासियों को नवीन तकनीक का अनावश्यक विरोध नहीं करना चाहिए।

आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution)

आयात की जाने वाली वस्तु का विदेशों से आयात नहीं किया जाकर देश

में ही उत्पादन करने को आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। विकारागत जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की आयातों पर अधिक निर्भरता था। नियोजित विकास का मार्ग आमसात कर विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया। आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया गया और कुछ आयातों को प्रतिबंधित किया गया और कुछ आयातों के लिए अभ्यश निर्धारित किया गया। आयात प्रतिस्थापन के प्रयासों से भारत की विदेशों पर आश्रितता कम हुई तथा विदेशी विनिमय सकट का सामना भी नहीं करना पड़ा।

भारत में आयात प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति
(Trends of Import Substitution in India)

(प्रतिशत में)

मददे	कुल आयातों में घटता भाग	
	1960-61	1997-98
1 अनाज और अनाज उत्पादक	16.1	0.7
2 लोहा एवं इस्पात	10.9	3.7
3 गैर विद्युत मशीनरी	18.0	9.7
4 विद्युत मशीनरी	5.0	0.7
5 परिवहन उपकरण	6.4	2.2

स्रोत: इण्डियन इकोनामिक सर्वे 1998-99 से संकलित।

साठ वं दशक के आद भारत में आयात-प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारत 1960-61 में खाद्यान्न लोहा इस्पात मशीनरी व परिवहन उपकरणों का बड़ी मात्रा में आयात करता था। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास और औद्योगीकरण के कारगर प्रयास किए गए। परिणामस्वरूप भारत के कुल आयातों में कृषि और औद्योगिक उत्पादों का भाग घटा है। भारत वर्तमान में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। हाल ही के वर्षों में भारत से खाद्यान्न का निर्यात भी होने लगा है। भारत के कुल आयातों में अनाज और अनाज उत्पादों का भाग 1960-61 में 16.1 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में केवल 0.7 प्रतिशत रह गया। इस समयविधि में लौह व इस्पात का भाग 10.9 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत गैर विद्युत मशीनरी का 18 प्रतिशत से घटकर 9.7 प्रतिशत विद्युत मशीनरी का 5 प्रतिशत से घटकर 0.7 प्रतिशत तथा परिवहन उपकरण का भाग 6.4 प्रतिशत से घटकर 2.2 प्रतिशत रह गया।

भारत में बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए आयात प्रतिस्थापन की

महती आवश्यकता है। भारत में पेट्रोल, आयल, लुब्रिकेंट्स आयात की बड़ी मद है। इसके अलावा खाद्य तेल का भी बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। भारत में खनिज तेल के विकास की अच्छी संभावनाएँ हैं। इस दिशा में राजस्थान के थार मरुस्थल में प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। देश में तिलहनो के उत्पादन वृद्धि द्वारा खाद्य तेल की आन्तरिक मांग को पूरा किया जा सकता है।

सन्दर्भ

- 1 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ पृ स 553
- 2 द इकोनोमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1997
- 3 *Monthly Economic Report, 1999, NNS, राजस्थान पत्रिका, 17 अगस्त 1999*
- 4 *इकोनोमिक सर्वे, 1996-97, सारणी 95*
- 5 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994 पृ 316
- 6 राजस्थान पत्रिका, 3 जनवरी, 1998
- 7 वही, 1 जनवरी, 1998
- 8 ओ पी शर्मा, *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिदेश, पृ 34*
- 9 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 555
- 10 ओ पी शर्मा, वही पृ 31
- 11 राजस्थान पत्रिका, 15 अगस्त, 1999

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 निर्यात संवर्द्धन क्या है?
- 2 निर्यात संवर्द्धन का महत्त्व बताइए।
- 3 आयात प्रतिस्थापन की व्याख्या कीजिए।
- 4 निर्यात संवर्द्धन की क्या उपलब्धियाँ हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 निर्यात संवर्द्धन क्या है? इसकी आवश्यकता बताइए। भारत में निर्यात संवर्द्धन के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में निर्यात संवर्द्धन का अर्थ और आवश्यकता बतानी है तथा प्रश्न के दूसरे भाग में निर्यात संवर्द्धन की उपलब्धियों तथा कमियों को लिखना है।)
- 2 भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्द्धन के लिए क्या-क्या प्रयास किये गए हैं? आप भी इस सबंध में सुझाव दीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में निर्यात संवर्द्धन के राजकीय प्रयासों को लिखना है तथा दूसरे भाग में निर्यात संवर्द्धन के सुझाव देने हैं।)

भारत में निर्यात संवर्द्धन पर लेख लिखिए।

(MDS University Ajmer, 1998)

(संकेत - प्रश्न के उत्तर देने लिए निर्यात संवर्द्धन का अर्थ आवश्यकता महत्त्व राजकीय प्रयास उपलब्धिया तथा सुझाव लिखते हैं।)

नयी निर्यात-आयात नीति 1997-2002 (New Export-Import Policy)

भारत में आर्थिक नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में वार्षिक निर्यात-आयात नीति की घोषणा की जाती रही। नीतियों के बार-बार बदले जाने से आयातक एवं निर्यातक अनिश्चितता की स्थिति में थे। बाद के वर्षों में निर्यात-आयात नीति को थोड़ा स्थायित्व दिया गया। नीति तीन वर्षों के लिए घोषित की जाने लगी। देश में पहली बार नरसिम्हराव सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अनुरूप निर्यात-आयात नीति (एक्विम पॉलिसी) 1992-97 की घोषणा की। नयी एक्विम नीति के दीर्घकालिक होने के कारण अर्थव्यवस्था में कुछ निश्चितता दृष्टिगोचर हुई। नवीन नीति को लोचपूर्ण बनाने के लिए हर तीन महीने में पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया जिससे अनावश्यक रुकावटों को दूर किया जा सके।

निर्यात आयात नीति 1992-97, (EXIM Policy)

इसकी समयावधि अप्रैल 1992 से मार्च 1997 तक निर्धारित की गई। नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रबन्धकीय नियंत्रणों में कमी करना तथा व्यापार को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना निर्धारित किया गया। नीति के अन्य उद्देश्य भारत के विदेशी व्यापार को विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजित करना, निर्यात क्षमता में वृद्धि के लिए भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देना, उत्पाद की किस्म को अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप बनाना तीव्र औद्योगीकरण के लिए आवश्यक आयातों की पूर्ति करना निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा निर्यात सदनो की भूमिका को अहमियत देना आदि निर्धारित किए गए।

एक्विम नीति को उदार और पारदर्शी बनाया गया। यह सबसे छोटा नीति दस्तावेज है। 828 पृष्ठों वाली पूर्व नीति को केवल 85 पृष्ठों तक सीमित कर दिया

गया। विदेशी व्यापार की स्वतंत्रता के लिए नकारात्मक सूची के अलावा विदेशी व्यापार को खुला कर दिया गया। लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। केवल 51 वस्तुओं का निर्यात लाइसेंस द्वारा किया जा सकता है। आयात की नकारात्मक सूची को छोटा किया गया है। तीन वस्तुओं का आयात निषेध, 68 वस्तुओं को प्रतिबंधित तथा 8 वस्तुओं यथा पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक, खाद्यान्न, तेल आदि का आयात सरकारी एजेंसियों के द्वारा ही किया जाएगा। पर्यटन तथा होटल उद्योग खेल सगठनों को विशेष आयात की सुविधा दी गई।

निर्यात की नकारात्मक सूची में वन्य पशु पक्षी, पशु पक्षियों के अंग, लुप्त प्राय पक्षी मानव कंकाल, गाय का मांस लकड़ी एव लकड़ी के प्रौद्योगिक उत्पाद आदि को सम्मिलित किया गया है। नीति में 62 वस्तुओं का निर्यात प्रतिबंधित, 46 वस्तुओं का निर्यात न्यूनतम नियमनों के अन्तर्गत तथा 10 वस्तुओं का निर्यात सरकारी एजेंसियों के द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गयी। नकारात्मक सूची में लाई गई वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुओं को बिना रोक के निर्यात किया जा सकता है। सभावित निर्यात की परिभाषा को संशोधित किया गया है और शुल्क छूट योजना शुल्क वापसी योजना, टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी योजनाएँ जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। हीरो रत्नों, आभूषणों के निर्यात संवर्द्धन की योजनाएँ बहाल कर दी गई हैं।

पूजीगत सामान के निर्यात संवर्द्धन की योजना को उदार किया गया है। अब 15 प्रतिशत सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूजीगत सामान का आयात किया जा सकता है। जो निर्यातक अपने उत्पादों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता रखेंगे उन्हें प्रोत्साहन के रूप में विशेष आयात लाइसेंस दिए जाएंगे। एक नई योजना 'स्वयं घोषित पारसबुक योजना' के अन्तर्गत प्रमुख निर्यात घराना, व्यापारिक घरानों, शीघ्र निर्यात घरानों और कुछ वस्तुओं के निर्यातकों को इस योजना में भाग लेने की छूट दी गई। योजना के अन्तर्गत योग्य निर्यातक पास बुक प्राप्त करके उसमें मात्रा, लागत वीमा, भाडा सहित मूल्य की स्वयं घोषणा के आधार पर आयात कर सकें। इसी तरह निर्यात के मामले में भी वे नाम निर्यातित माल का विवरण और बढ़े हुए मूल्य के बारे में स्वयं घोषणा करके तथा स्वयं प्रमाण पत्र देकर उनकी पास बुक में प्रविष्टियों के आधार पर निर्यात के दायित्व से छूट पा सकते हैं।'

उदारीकरण को बढ़ावा (Promotion to Liberalization)

एकजिम नीति 1992-97 की नीति में स्थायित्व का प्रयास किया गया किन्तु विश्व के बदलते आर्थिक परिवेश के अनुरूप समायोजन वास्ते नीति में उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया। नीति की तिमाही समीक्षाओं में महत्वपूर्ण संशोधन करके उदारीकरण के क्रम को गति दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने जुलाई 1992 में निर्यात-आयात नीति की तिमाही समीक्षा के बाद कुछ संशोधन किए जिसमें उत्पादन की परिभाषा में कृषि, मछली पालना, पशु पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मुर्गीपालन तथा रशम पालन आदि का शामिल किया गया। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 1992 में

बहुप्रतीक्षित विशेष आयात लाइसेंस योजना की घोषणा की जिसमें निर्यातों की छह श्रेणियां विशिष्ट आयात लाइसेंस प्राप्त करने की हकदार हो गईं। आयात की यह विशेष योजना मार्च 1992 में घोषित की गई निर्यात-आयात नीति की पूरक थी।

तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 30 मार्च 1993 को निर्यात-आयात नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुई कृषि क्षेत्र में निर्यात-मुखी इकाइयां लगाने पर और छूट देने तथा बैंक और अन्य सेवा क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना की घोषणा की। इसमें निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 144 अतिरिक्त वस्तुओं को निर्यात योग्य वस्तुओं की सूची में डाल दिया जिनके निर्यात पर पहले रोक थी। सशोधित नीति के तहत कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र को अपने उत्पाद का आधा निर्यात करने पर भी शुल्क रहित आयात की अनुमति होगी। इन क्षेत्रों के लोग अपने उत्पादन का शेष 50 प्रतिशत घरेलू बाजार में बेच सकते हैं। शेष कृषि क्षेत्र के लिए यह छूट 25 प्रतिशत की है। पूंजीगत माल की परिभाषा को व्यापक बनाया गया ताकि कृषि और सबद्ध क्षेत्रों में उपयोग के उत्पादन करने वाली इकाइयां पूंजीगत माल योजना के तहत उपकरणों और मशीनों को रियायती दरों पर आयात कर सकें। कृषि क्षेत्र में काम आने वाले कुछ सामानों को प्रतिबंधित आयात सूची से हटा दिया गया है। एक्विजम नीति में किए गए इस सशोधन से कृषि निर्यात में वृद्धि हुई।¹

30 मार्च, 1994 को निर्यात-आयात नीति में उदारीकरण को और गति दी गई। इसमें सुपर स्टार ट्रेडिंग हाऊस की नई श्रेणी को मान्यता दी गई। इसमें उन निर्यातकों को सम्मिलित किया जिनका दिगत तीन वर्षों में औसत निर्यात 750 करोड़ रुपये अथवा दिगत वर्ष में निर्यात 1,000 करोड़ रुपये रहा हो। आयातों की ऋणात्मक सूची में कटौती की गई। विशेष आयात लाइसेंस के अन्दर्गत आने वाली वस्तुओं की सूची व्यापक बना दी गई। इसके अलावा निर्यात सबद्धन पूंजीगत सामान (ई पी सी जी) योजना को सरल बनाया गया है।

नई निर्यात-आयात नीति, 1997-2002 (New EXIM Policy)

नई पंचवर्षीय निर्यात-आयात नीति 1997-2002 नौवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अंतिम रूप दिये जाने के साथ अस्तित्व में आई। आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक वर्षों में निर्यातों में वृद्धि हुई किन्तु निर्यात वृद्धि को 1996-97 और 1997-98 में बनाए नहीं रखा जा सका। अतः निर्यात क्षेत्र के पुनर्विकास की आवश्यकता महसूस की गई। आज भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। निर्यातकों को सब्सिडी देने पर प्रतिबन्ध है। बदले परिवेश में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में टिकने के लिए उत्पाद की उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य आवश्यक है।

नयी निर्यात आयात नीति (1997-2002) के उद्देश्य (Objectives of New EXIM Policy)

- 1 उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अच्छी किस्म का उत्पाद मुहैया कराना।
- 2 आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक कच्चा माल एवं पूंजीगत

माल की उपलब्धता में वृद्धि करना।

3 नए रोजगार के अवसर पैदा करना।

4 उत्पाद की उच्च गुणवत्ता का विकास करना।

5 भारतीय उद्योग, कृषि तथा सेवा क्षेत्रों में तकनीकी क्षमता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि द्वारा तुलनात्मक शक्ति में सुधार लाना।

6 भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के अनुसार समायोजित करना तथा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था का अंग बनाना।

नयी नीति की मुख्य बातें (Main Factors of New Policy)

1 एक्सापोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ई पी सी जी) (Export Promotion Capital Goods) - ई पी सी जी योजना में नये और पुराने माल के आयात पर उत्पाद निर्यातको, निर्यातक व्यापारियों एवं सेवा उपलब्ध कराने वालों को हर क्षेत्र के लिए आयात कर में 10 प्रतिशत की कमी और पशु पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, पुष्पोद पालन, बागवानी, समुद्री जीव पालन, मछली पालन, अगूर की खेती की पांच करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक के लाइसेंस मूल्य वाली योजनाओं को एवं 20 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की सी आई एफ आयात लागत वाली बड़ी परियोजनाओं को आयात कर में पूरी छूट होगी।

2 निर्यात बाध्यता (Compulsory Export) - निर्यात कर में 10 प्रतिशत की छूट का लाभ लेने वालों को पांच वर्ष के भीतर लाइसेंस मूल्य की चौगुनी राशि के बराबर का निर्यात करना होगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पूंजीगत सामान के कर मुक्त आयातको को छह साल के भीतर (एफ ओ पी) का छह गुना और 'नेट फोस एक्सचेज' के पांच गुना निर्यात करना होगा।

3 निर्यातकों को सुविधाएँ (Facilities to Exporters) - नई नीति में मान्यता प्राप्त निर्यातकों को नवीन सुविधाएँ दी गई हैं जिससे घरेलू उद्योग को सहायता मिलेगी। इसके अन्तर्गत ई पी सी जी लाइसेंस प्राप्त निर्यातकों को पूंजीगत माल बेचने वाले घरेलू उद्यमियों को भी वही लाभ दिये जाएंगे जो मान्यता प्राप्त निर्यातकों को दिये जाते हैं।

4 कर हकदारी पास बुक (Duty Entitlement Passbook) - कर हकदारी पास बुक (निर्यात पूर्व) पिछले तीन वर्ष से निर्यात कर रहे निर्माताओं तथा निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाती है। यह पास बुक एक वर्ष तक वैध होती है। पिछले तीन वर्षों में किए गए 'एफ ओ पी' निर्यात मूल्य का पांच प्रतिशत अस्थायी कर हकदारी ऋण के रूप में दिया जाता है। कर हकदारी पासबुक धारक निर्यात द्वारा अस्थायी कर हकदारी ऋण की पूर्ति कर सकता है। कर हकदारी पास बुक (निर्यातोत्तर) पर शुल्क ऋण निश्चित प्रतिशत में निर्यात के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण

ऐसे उत्पादों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा जो आयात कर से मुक्त तथा आसानी से हस्तान्तरणीय हों।

5. गुणवत्ता (Quality) - उत्पाद की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए स्तरीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त प्रमुख निर्यातकों के लिए 'एफ ओ बी' निर्यात पर विशेष लाइसेंस आयात दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

6. ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम (Duty Exemption Scheme) - डी ई एस का उद्देश्य निर्यात पूर्व और निर्यात पश्चात् कर मुक्त उत्पाद सामग्री उपलब्ध कराना है। डी ई एस के अन्तर्गत तीन स्कीम हैं। निर्यातक किसी एक स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस तथा पास बुक योजना समाप्त कर दी गई है। मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के तीन चरण हैं

1. अग्रिम लाइसेंस (Advance Licence) - इसमें क्रयादेश के आधार पर अग्रिम लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। अग्रिम लाइसेंस हस्तान्तरणीय है।
2. अग्रिम माध्यमिक लाइसेंस (Advance Mid-Term Licence) - यह उन निर्यातकों को उपलब्ध कराया जाता है जो विशेष अग्रदाय लाइसेंस धारकों को माध्यमिक सामग्री की आपूर्ति करेंगे। इन्हें यह विकल्प भी दिया गया है वे कर मुक्त लाइसेंस धारकों की मध्यस्थ उत्पादों की मांग की आपूर्ति करे या सीधे स्वयं निर्यात करें। यह लाइसेंस हस्तान्तरणीय है।
3. विशेष अग्रदाय लाइसेंस (Special Advance Licence) - यह हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत जारी किए गए लाइसेंस निर्यात अनुबंध पूरा होने तक उपयोग की वास्तविक स्थितियों द्वारा नियंत्रित होंगे।

मूल्यांकन (Evaluation) - नई निर्यात आयात नीति से उदारीकरण की गति मिली। इसके दीर्घकालिक होने से अर्थव्यवस्था में स्थायित्व की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। नयी नीति में उदारीकरण से निर्यातों में अवश्य वृद्धि हुई किन्तु व्यापार घाटे में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। 1992-93 में निर्यात 53,688 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 1994-95 में 82,674 करोड़ रूपए तथा 1995-96 में 1,06,353 करोड़ रूपए हो गया। निर्यात वृद्धि दर 1992-93 में 21.9 प्रतिशत, 1993-94 में 29.9 प्रतिशत 1994-95 में 18.5 प्रतिशत तथा 1995-96 में 28.6 प्रतिशत थी। उदारीकरण की नीति लागू करने से आयातों में निर्यातों तुलना में अधिक वृद्धि हुई। आयात 1992-93 में 63,375 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 1994-95 में 89,971 करोड़ रूपए तथा 1995-96 में 1,22,678 करोड़ रूपए हो गया। आयात वृद्धि दर 1992-93 में 32.4 प्रतिशत तथा 1995-96 में 36.4 प्रतिशत थी। आयातों की निर्यातों पर अधिकता के कारण व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा। व्यापार घाटा 1992-93 में 9,687 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 1995-96 में 16,125 करोड़ रूपए तक जा पहुंचा।

ई निर्यात आयात नीति भी तारतम्य सिद्ध नहीं हो सकी। यद्यपि इससे उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के नए युग की शुरुआत हुई। इस नीति में प्रक्रिया का आगमन बजट का प्रयास किया गया। कुछ क्षेत्रों में जैसे ई पी सी जी उदारवादी नीतियाँ का असर कम हुआ। यही नीति लक्षित निर्यात और वास्तविक निर्यात में बीच अंतर को घटाने में सफल नहीं हो सकी। भारत में विदेशी विनिमय बाजार की आवश्यकता और बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए निर्यातों में तीव्र गति से वृद्धि की व्यवस्था को मूल रूप देने की आवश्यकता है। उपभोक्ता वस्तु के आयात के स्थान पर औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकी उद्योगों में आयात को बढ़ावा देने की जरूरत है।

नई संशोधित निर्यात आयात नीति (New Revised EXIM Policy)

भारत में वर्ष 1997 में पंचवर्षीय निर्यात-आयात नीति (1997-2002) की घोषणा की गई। भारत में 1996-97 तथा 1997-98 में निर्यात में मंदी का रुख रहा। वर्ष 1997-98 में निर्यात वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रही थी। इन वर्षों में औद्योगिक विकास की दर भी घटी।

तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रामकृष्ण हेगडे ने 13 अप्रैल 1998 को 1997-2002 की पंचवर्षीय निर्यात-आयात नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की। निर्यात-आयात नीति (एक्जिम नीति) में परिवर्तन का उद्देश्य निर्यात में वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन में आई गिरावट को रोकना है। निर्यात मंदी को दूर करना सरकार का एक मात्र लक्ष्य है। हाल के वर्षों में निर्यात की जटिल प्रक्रिया, बुनियादी सुविधाओं का अभाव बढ़ी हुई दुलाई लागत लम्बित ढांचे के निपटारे में देरी तथा निर्यात ऋण की ऊँची दरों के कारण निर्यात में रुमी हुई।

संशोधित निर्यात-आयात नीति के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं -

1. निर्यात वृद्धि का लक्ष्य (Target of Export Increases) - सरकार ने निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने रुपये का अवमूल्यन करके निर्यात वृद्धि की घोषणा की है। उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में निर्यात वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किए जाने के कारण निर्यात करीब 20 प्रतिशत की दर से बढ़ा किन्तु बाद के वर्षों में निर्यात वृद्धि दर घट गई। 1997-98 में निर्यात वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत थी।

2. खुला आयात लाइसेंस (Open Import Licence) - भारत में विदेशी व्यापार के उदारीकरण की प्रक्रिया को जारी रखते हुए 340 वस्तुओं को प्रतिबंधित सूची से निकालकर खुली सामान्य सूची में रखने की घोषणा की। इससे विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा मिलेगा। आयात की खुली सामान्य सूची में ब्रिकेट गद तथा कपड़े शटरज सट शेविंग प्रीम रेजर ब्लेड आदि वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इन वस्तुओं का भारत में पर्याप्त उत्पादन होता है।

3. उदार आयात (Liberal Import) - आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में

भारतीय कृषि बड़ी सीमा तक अछूती रही। अब नई नीति में प्याज, खीरा, ककड़ी, रुई, डिब्बा बट्ट सब्जियां फल, आम और अखरोट के आयात को उदार बनाया गया है। इसके साथ ही कृषि पैदावारों तथा फलों और फूलों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। सरकार चाहती है कि उत्पादों की कमी होने पर आयात और ज्यादा होने पर निर्यात का मार्ग खुला रहे।

4 लघु उद्योग को महत्व (Importance to Small Industries) - निर्यात बढ़ाने में लघु उद्योगों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। पूंजीगत सामान पर निर्यात प्रोत्साहन की योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग सीमा को 20 करोड़ रूपए से घटाकर एक करोड़ रूपए किया है। देश की निजी क्षेत्र की पांच सौ बड़ी कंपनियों का निर्यात उनकी बिक्री का मात्र 10 प्रतिशत है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का तो मात्र 3 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में लघु उद्योगों को बढ़ावा उचित है।

5 ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक योजना (Scheme of Duty Entitlement Pass Book, DEPB) - इस योजना को लागू रखा जाएगा और इसमें लागू 5 प्रतिशत के विशेष सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। पिछले वर्ष (1997) शुरू की गई इस योजना में केवल मूल सीमा शुल्क को ही समाप्त किया था। इसके अलावा 300 नई निर्यात वस्तुओं के लिए जल्द ही डी डी ई पी बी दरे जारी की जाएगी।

6 पूंजीगत सामानों की निर्यात प्रोत्साहन योजना (Export Promotion Scheme for Capitalised Goods) (ई पी सी जी) - ई पी सी जी के तहत परिधानों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, रत्न एवं आभूषणों, खेलकूद के सामान, चमड़ा, घिलौने, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए निर्यात सीमा को घटाकर एक करोड़ रूपए कर दिया गया है इससे पूर्व यह सीमा पांच करोड़ रूपए थी। इसके अलावा ई पी सी जी शुल्क मुक्त योजना के तहत सॉफ्टवेयर क्षेत्र से निर्यात के लिए निर्यात सीमा 20 करोड़ रूपए से घटाकर 20 लाख रूपए कर दी गई है।

7 निजी भंडार गृह (Personal Store House) - अग्रिम लाइसेंस धारकों के लिए माल के आयात, उनके भंडारण और नकारात्मक सूची वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए निजी भंडार गृह खोलने की अनुमति दी गई है। यह कदम विशेष तौर पर छोटी इकाइयों को कम मात्रा में कच्चे माल के आयात में आ रही परेशानियों को देखते हुए उठाया है। इस व्यवस्था से निर्यातकों को समय पर आसानी से प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। निजी भंडार गृहों से अब विदेशी खरीददारों को भी थोक में माल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

8 सरल प्रक्रिया (Simple Process) - सशोधित एक्जिम नीति में प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार ने क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों और बन्दरगाहों स्थित कार्यालयों के अधिकारियों को विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के अधिकार दिए हैं। इससे पहले किसी भी महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिए दिल्ली पर निर्भर होना पड़ता था। विदेशी व्यापार महानिदेशालय और सीमा शुल्क

विभाग के बीच की दूरी को बड़ी सीमा तक कम कर दिया गया है इसके अलावा कम्प्यूटरीकरण से सूचनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

दृष्टिकोण (View Point)

निर्यात आयात नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इससे विदेशी व्यापार में उदारीकरण को गति मिली है। सशोधित निर्यात आयात नीति का फंडरेशन आफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (फोर्टी) एव राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने स्वागत किया है। नीति में पहली बार निजी भंडार गृहों की स्थापना का निर्णय किया गया है। इन भंडार गृहों में आयातित कच्चा माल रखा जा सकता है। उकारात्मक सूची में दर्ज वस्तुओं को भी इन भंडार गृहों में रखा जा सकता है। इन भंडार गृहों से निर्यातक उद्योगों को तथा विदेशी खरीददारों को थोक में खरीदने की सुविधा दी जाएगी।

शुल्क पात्रता पास बुक योजना (Duty Entitlement Pass Book Scheme) (डी ई पी बी) के तहत पाच प्रतिशत विशेष सीमा शुल्क समाप्त करने का निर्णय सराहनीय है। डी ई पी बी योजना 1997 में शुरू की गई थी इसमें निर्यात के लिए आयात की अनुमति मिलती है। यदि आयातित सामान की एवज में निर्यात कर दिया जाए तो शुल्क नहीं लिया जाता है लेकिन सामानों का आयात कर यदि निर्यात नहीं किया गया तो शुल्क लगाया जाता था। 1997 में इस योजना में कुल सीमा शुल्क को ही समाप्त किया गया अब नई सशोधित एफिजम नीति में 5 प्रतिशत के विशेष शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैंपिटल गुडस (ई पी सी जी) में आयातित मशीनों की मूल्य सीमा को 20 करोड़ से घटाकर केवल एक करोड़ रुपए कर दिया गया है। फिलहाल इस योजना में सात उत्पाद क्षेत्रों यथा सिले सिलाए कपड़े इलेक्ट्रॉनिक्स रत्न एव आभूषण खेलकूद का सामान चमड़ा उत्पादन टिखलौने कृषि एव खाद्य प्रसरकरण के लिए मशीनें मगाने की अनुमति दी गई है।

ऋणात्मक पहलू (Negative Aspect)

वर्ष 1998-99 में निर्यात में 20 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। गौरतलब है 1996-97 में निर्यात वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत और 1997-98 में केवल 9.5 प्रतिशत ही रही। ऐसी स्थिति में 20 प्रतिशत निर्यात वृद्धि का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। भारतीय वाणिज्य एव उद्योग मंडल महासंघ (फिज्की) के अनुसार भारतीय उद्योगों को लागत के मामले में विदेशी उद्यमियों के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक लागत पड़ती है। इसमें करीब 7.7 प्रतिशत हिस्सा राज्य शुल्कों यथा बिब्री कर घुगी सेवा शुल्क आदि धन ससाधना की लागत 4 प्रतिशत महंगी तथा बुनियादी सुविधाओं यथा बिजली की ऊंची दर बदरगाहा पर अपयाप्त सुविधाएँ आदि के मामले में 5 प्रतिशत की लागत आदि सम्मिलित है।

निर्यात वृद्धि के लक्ष्य अर्जित करने के मार्ग में अन्य अडचन हैं। उनमें

दक्षिण-पूर्वी एशिया में उत्पन्न गभीर सकट मुख्य है। गभीर वित्तीय सकट के कारण भारतीय निर्यात व्यापार गिरने से विदेशी व्यापार घाटा काफी बढ़ चुका है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैण्ड, फिलिपाइस आदि देशों में एक साल में करेसियो का लगभग 25 से 50 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले टूटा। रुपया गिरकर 45 रुपए पर आ चुका है।

भारत ने 11 मई, 1998 को राजस्थान के पोकरण में 24 वर्ष बाद एक साथ तीन सफल परमाणु परीक्षण किए। इन परमाणु परीक्षणों की देश भर में सराहना हुई। किन्तु विश्व में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अमरीका ने विरोध स्वरूप भारत पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये। भारत की आर्थिक सहायता में कटौती की। अमरीका भारत पर दबाव बढ़ाकर आयात व्यापार ढीला करा रहा है। ऐसी स्थिति में 20 प्रतिशत निर्यात वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल काम है। विश्व बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्यात बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए सभी सरकारी विभागों और राज्यों को मिलकर प्रयास करना होगा। निर्यात वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए केवल निर्यात उद्योगियों को ही नहीं बल्कि सभी घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना होगा। भारतीय उद्योगों को उनके विदेशी प्रतिस्पर्धी उद्योगों के समक्ष समस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी महत्त्वपूर्ण है। नई नीति में भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया है। विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 340 वस्तुओं को प्रतिबंधित सूची से निकाल कर खुली सामान्य सूची (ओ जी एल) में सम्मिलित कर लिया गया है। इससे घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। किन्तु जिस तरह बड़े उद्योगों और व्यापार महासंघों ने निर्यात आयात नीति का स्वागत किया है उससे प्रतिस्पर्धा के लिए आत्मविश्वास दृष्टिगोचर होता है। निर्यात आयात नीति दीर्घकालिक होनी चाहिए। नीति में बार-बार परिवर्तन किए जाने से निर्यात की गति प्रभावित होती है।

सन्दर्भ

- 1 भारत वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 554
- 2 ओ पी शर्मा, भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश, 1996, पृ 43
- 3 योजना, सितम्बर, 1997, पृ 6

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 नई निर्यात-आयात नीति के उद्देश्य बताइए।
- 2 नई निर्यात-आयात नीति की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. भारत सरकार की नई निर्यात-आयात नीति की आलाचनात्मक समीक्षा कीजिए।
(सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई निर्यात-आयात नीति (1997-2002) को विस्तार से लिखना है। सहायित निर्यात-आयात नीति का भी उल्लेख करना है।)

भारत में रेल परिवहन (Rail Transport in India)

भारतीय रेल से पहली बार 1853 में मुम्बई से थाना तक 22 किलोमीटर की यात्रा की गई। आज भारतीय रेल परिवहन सेवा के एक सौ सैतालीस बरस पूरे कर चुकी है। प्रारम्भिक पचास वर्षों में रेलवे का अधिक विकास हुआ। बाद के वर्षों में रेलवे विकास धीमा पड़ गया। रेलवे का तीव्र विकास आजादी के बाद ही संभव हो सका। वर्तमान में भारतीय रेल केन्द्र सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है।

आज देश में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है। 31 मार्च 1993 तक कुल रेल मार्ग की लम्बाई 62,486 किलोमीटर, चालू रेलपथ 79,200 किलोमीटर तथा कुल रेल पथ 1,09,149 किलोमीटर था। भारतीय रेलवे के पास 7,806 इंजन, 39,929 यात्री डिब्बे, 3,444 विद्युत चालित गाड़ियों के डिब्बे और 3,37,562 माल डिब्बे थे। रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,043 थी। रेल मार्ग की कुल लम्बाई 1997-98 में 62,500 किलोमीटर थी जिसमें विद्युतीकरण रेल मार्ग की लम्बाई 14,000 किलोमीटर थी। भारत की रेल प्रणाली का एशिया में दूसरा स्थान है। रेलवे ने देश के आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्व (Importance of Rail Transport in Indian Economy)

रेल देश में माल और यात्री परिवहन का मुख्य साधन है। रेलें देश के दूर-दूर बसे लोगों को करीब लाने और व्यापार, देशाटन, तीर्थ यात्रा एवं शिक्षा के अवसर प्रदान करती हैं। भारतीय रेल पिछले सौ वर्षों में राष्ट्रीय एकता बनाये रखने वाली एक महान शक्ति बनी हुई है। इसने देश के आर्थिक जीवन को एक सूत्र में पिरोया है और कृषि तथा उद्योगों के विकास की गति तेज की है। भारत में रेल परिवहन का अत्यधिक महत्व है -

1 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना (Important Infrastructure) — रेल परिवहन की गिनती महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना में होती है। आज राष्ट्र का आर्थिक विकास बड़ी सीमा तक रेल परिवहन पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में रेल सुविधा मुहैया है वहां औद्योगिकरण में वक्त नहीं लगता है। भारत सरकार अर्थव्यवस्था के विकास वास्ते आवश्यक परिवहन सबंधी आधारभूत ढांचे विशेषकर रेल की व्यवस्था करती है। रेलों का कृषि, उद्योग व ऊर्जा के विकास के अनुरूप विकास का प्रयास किया जाता है।

2 कृषि विकास में सहायक (Assistance in Agriculture Development) — कृषि विकास में रेल परिवहन की उपादेयता बड़ी है। आज भारत की अर्थव्यवस्था में रेल कृषि विकास में कारगर भूमिका निभा रही है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चा माल रेल द्वारा सुगमता से पहुंचाया जाता है। कृषि विकास के लिए जरूरी यंत्रिकरण, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि की आपूर्ति में रेलों की भूमिका होती है। भारत वर्तमान में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु निर्यातक देश भी बन गया है। भारत से घावल का विदेशों को निर्यात होता है। कृषिगत उत्पादों को निर्यात वास्ते बन्दरगाहों तक रेलों द्वारा पहुंचाया जाता है। रेल सुविधा मुहैया होने से भारत के समूचे ग्रामीण परिवेश का परिदृश्य ही बदल गया है। आज गांव खुशहाली की ओर अग्रसर है।

3 औद्योगिक महत्व (Industrial Importance) — रेल परिवहन बिना औद्योगिकरण की कल्पना तक नहीं की जा सकती। भारत में आधारभूत उद्योगों का विकास रेल परिवहन से ही संभव हो सका है। रेलों से श्रमिक औद्योगिक केन्द्रों तक पहुंचते हैं। आधारभूत उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे लोहा एव इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, सीमेंट उद्योग के लिए लाइम स्टोन आदि रेलों द्वारा ढोया जाता है। निर्मित माल को औद्योगिक इकाइयों से बाजारों तक रेलों द्वारा पहुंचाया जाता है।

4 मूल्य स्थायित्व (Price Stability) — भारत विशाल देश है। बहुसंख्यक आबादी विशाल भू-भाग में निवास करती है। यहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। जिसकी मानसून पर निर्भरता बनी हुई है। मानसून के क्षेत्र विशेष में अनुकूल नहीं होने की दशा में कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ऐसी स्थिति में रेल परिवहन मूल्य स्थायित्व में सहायक होता है। रेलों की सहायता से उत्पादों को जरूरत वाले क्षेत्रों में आसानी से मुहैया कराया जा सकता है। रेलों से देश में मूल्यों की विषमता बड़ी सीमा तक समाप्त हो गई है।

5 प्राकृतिक आपदाओं में कारगर (Dutiful in Natural Disasters) — भारत को विगत वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान में भी अकाल, भूकम्प, बाढ़, अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं मुहैया खड़ी हैं। रेल परिवहन से प्राकृतिक आपदाओं जगित समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में रेलों द्वारा खाद्यान्न मुहैया कराकर स्थिति को नियंत्रित

किया जा सकता है।

6. नारावान वस्तुओं की बिक्री (Sale of Perishable Articles) – रेल परिवहन के विकास से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के बाजार को विस्तृत करने में मदद मिली है। रेलों द्वारा सब्जियां, दूध, फल, मक्खन, घी, गन्ना, मछलियां एक स्थान से अन्यत्र भेजी जाती हैं।

7. सामरिक महत्व (Importance during War-time) – भारत को स्वतंत्रता के पांच दशकों में 1947-48, 1962, 1965, 1971 तथा 1999 (करगिल संकट) पांच युद्धों का सामना करना पड़ा। पड़ोसी देश ने अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। रेलों से संकट की घड़ी में सुरक्षा संबंधी उपकरणों और सैनिकों को देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजा जाता है। राजस्थान के पश्चिम में थार मरुस्थल में रेलों का सामरिक महत्व है।

8. डाक सेवा (Postal Service) – भारत विशाल भू-भाग में फैला हुआ है। रेल प्रतिदिन डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। रेलों के कारण ही देशवासियों को सस्ती व शीघ्र डाक सुविधा मुहैया हो सकी है।

9. श्रम गतिशीलता (Labour Flexibility) – रेल परिवहन के विकास से श्रमिकों में गतिशीलता बढ़ी है। रेलों से श्रमिक और कर्मचारी औद्योगिक केंद्रों तक पहुंचते हैं। रेलवे मासिक सीजन टिकट उपलब्ध कराती है। कर्मचारी कम दूरी के स्थानों पर रेलों से यात्रा करते हैं। रेलों के विकास से जनसंख्या के उचित वितरण में भी सहायता मिली है।

10. राजकीय आय (Government Income) – रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेलवे से यात्री परिवहन और माल दुलाई द्वारा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। रेलवे को होने वाला लाभ सीधा सरकारी खजाने में जमा होता है।

11. रोजगार (Employment) – रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा उपक्रम है इसमें लाखों की संख्या में देशवासियों को रोजगार मिला हुआ है। रेलवे अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर मुहैया कराती है। रेलवे के विकास से कृषि और उद्योगों का विकास होने से भी रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

12. पर्यटन उद्योग का विकास (Development of Tourism) – रेल परिवहन पर्यटन विकास में सहायक है। रेलों से देशी एवं विदेशी पर्यटक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। "पैलेस ऑन व्हील्स" से भारत में विशेषकर राजस्थान में पर्यटक आकर्षित हुए हैं।

13. विदेशी विनिमय की प्राप्ति (Receipts of Foreign Exchange) – भारतीय रेल विश्व की महत्वपूर्ण रेल प्रणालियों में से एक है। भारत रेल के डिब्बे, इंजिन निर्यात करने लगा है। रेल सामग्री के निर्यात से दुर्लभ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति

होती है। इसके अलावा निर्यात की जाने वाली सामग्री को रेल से बन्दरगाहों तक पहुँचाया जाता है।

14 नगरीकरण (Urbanisation) – रेल सुविधा मुहैया हो जाने से क्षेत्र विशेष का समूचा परिदृश्य परिवर्तित हो जाता है। रेल परिवहन के विकास से भारत के गाँव-गाँव में नगर बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए हैं। जयपुर में बड़ी रेल लाइन उपलब्ध होने से क्षेत्र का आर्थिक कायाकल्प हुआ है। गाँवों के लोग जयपुर की ओर पलायन करते प्रयासरत हैं।

15 प्राकृतिक सम्पदा का विदोहन (Exploitation of Natural Resources) – भारत प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से सम्पन्न देश है। आर्थिक विकास की गति तेज करने वाले विविध प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। खनिजों के विदोहन में रेलों की कारगर भूमिका होती है। भारत में लौह-अयस्क तथा कोयला को रेलों से औद्योगिक इकाइयों तक पहुँचाया जाता है। खनन उपकरण और श्रमिक रेलों से खानों तक पहुँचते हैं।

16 राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द (National Integrity and Communal Friendship) – भारतीय रेलों में विभिन्न समुदाय भाषा क्षेत्रों के लोग एक साथ यात्रा करते हैं जिससे परस्पर भ्रातृत्व की भावना पनपती है। रेलों से लोगों को परस्पर सकारों और संस्कृति का लाभ अर्जित होता है। भारतीय रेल सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोये रखने में सहायक सिद्ध हुई है।

पचवर्षीय योजनाओं में रेलों का विकास

(Development of Railways during Plan Period)

भारतीय अर्थव्यवस्था रेलों की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में रेल विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1950-51 में 53 596 किलोमीटर थी जो 1997-98 में बढ़कर 62 500 किलोमीटर हो गई। योजनाकार रेल विकास इस प्रकार हैं

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951-56 (First Five Year Plan) प्रथम योजना में रेल विकास के लिए 'जीन परिसम्पत्त का प्रतिस्थापन' प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना के प्रारम्भ में अर्थात् 1950-51 में रेल मार्ग की लम्बाई 53 596 किलोमीटर थी जिसमें विद्युतीकृत 388 किलोमीटर थी। यात्रियों की संख्या 1 284 मिलियन तथा माल की मात्रा 93 मिलियन टन थी। रेल के विकास पर 217 करोड़ रुपये व्यय किए गए जो योजना व्यय का 11 प्रतिशत था। विभिन्न विकास कार्यों से रेल मार्ग की लम्बाई 1 415 किलोमीटर बढ़कर 55 011 किलोमीटर हो गई। योजना काल में ब्रिटरजन लोकमोटिव वर्क्स टाटा इंजीनियरिंग एंड लाकमोटिव तथा इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई।

द्वितीय पचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) – दूसरी योजना उद्योग प्रधान थी। रेल विकास का लक्ष्य इस्पात उद्योग तथा कोयले

के बढ़ते उत्पादन के अनुरूप रेल विकास को ढालना निर्धारित किया गया। योजना में रेल के विकास पर 723 करोड़ रुपए व्यय किया गया। योजनाकाल में 1 236 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया जिससे योजना के अंत में रेल मार्ग की लम्बाई बढ़कर 56 247 किलोमीटर हो गई। 1960-61 में विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 748 किलोमीटर यात्रियों की संख्या 1 594 मिलियन तथा माल की मात्रा 1562 मिलियन टन थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 66 (Third Five Year Plan) - तीसरी योजना में रेल विकास का लक्ष्य अतिरिक्त क्षमता का निर्माण निर्धारित किया गया। योजनावधि में रेल विकास पर 1326 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 2 152 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया जिससे रेलमार्ग की लम्बाई बढ़कर योजना के अंत में 58 399 किलोमीटर हो गई। 1965-66 में यात्री वहन क्षमता 2082 मिलियन यात्री तथा माल ढोने की क्षमता 203 मिलियन टन हो गई।

तीन वार्षिक योजना 1966 69 (Three Annual Plans) - तीन वार्षिक योजनाओं में रेल विकास पर 589 करोड़ रुपए व्यय किए गए। योजना में 905 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण तथा 1 268 किलोमीटर पर दोहरी लाइन बिछाई गई। इसके अलावा 1 154 किलोमीटर नए रेल मार्ग का निर्माण किया। विकास कार्यों के परिणाम 1968-69 में रेल मार्ग की लम्बाई 59 553 किलोमीटर यात्री वहन क्षमता 2213 मिलियन यात्री तथा माल वहन क्षमता 205 मिलियन टन हो गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 74 (Fourth Five Year Plan) - चौथी योजना का लक्ष्य रेल व्यवस्था का आधुनिकीकरण रखा गया। रेल विकास पर 954 करोड़ रुपए व्यय किए गए। योजना के अंत में रेल मार्ग की लम्बाई बढ़कर 60 234 किलोमीटर हो गई। योजनाकाल में 500 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। यात्री वहन क्षमता 2654 मिलियन यात्री तथा माल ढोने की क्षमता 225 मिलियन टन हो गई।

पाचवी पंचवर्षीय योजना 1974 78 (Fifth Five Year Plan) - पाचवी योजना का लक्ष्य वर्तमान क्षमता की उन्नति तथा कार्यकारी कुशलता में वृद्धि निर्धारित किया गया। पाचवी योजना में रेल विकास पर 2 063 करोड़ रुपए व्यय किए गए। योजना के अंत में रेल मार्ग की लम्बाई 60 500 किलोमीटर यात्री वहन क्षमता 3505 मिलियन यात्री माल ढोने की क्षमता 237 मिलियन टन थी।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980 85) छठी योजना में रेल विकास के लक्ष्यों में यात्री वहन तथा माल वहन क्षमता में वृद्धि आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन आदि मुख्य थे। योजना में रेल विकास पर 6 587 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 1980-81 में रेल मार्ग की कुल लम्बाई 61240 किलोमीटर थी जिसमें विद्युतकृत रेल मार्ग की लम्बाई 5 345 किलोमीटर थी। इस वर्ष यात्रियों की संख्या 3 612 5 मिलियन तथा माल की मात्रा 220

मिलियन टन थी। याजना के अंत में रेल मार्ग की लम्बाई बढ़कर 61 850 किलोमीटर हो गई। यात्री बटन क्षमता 3 380 मिलियन यात्री तथा माल ढाने की क्षमता 265 मिलियन टन थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) - सातवीं योजना में वाष्प इंजनों को डीजल और रिजली के इंजिन में परिवर्तित करना तथा माल भाड़े के टर्मिनलों के विकास की प्राथमिकता दी गई। याजना में रेल विकास पर 16 549 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

सातवीं याजना के अंत में रेल मार्ग की लम्बाई 62 211 किलोमीटर यात्रियों की संख्या 3 653 मिलियन तथा माल की ढुलाई मात्रा 334 मिलियन टन थी। याजना में विद्युतीकृत रेल मार्ग में वृद्धि उल्लेखनीय रही। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 1985-86 में 6 517 से बढ़कर 1989-90 में 9 100 किलोमीटर हो गई। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई में 39.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। योजना में भाष्प इंजनों को डीजल और विद्युत इंजिन में परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था। योजनावधि में इस दिशा में प्रयास हुए नतीजा भाष्प इंजिन की संख्या 1985-86 में 5571 थी जो घटकर 1989-90 में 3 336 रह गई। इसके विपरीत इस समयवधि में डीजल इंजनों की संख्या 3 046 से बढ़कर 3 610 तथा विद्युत इंजनों की संख्या 1 302 से बढ़कर 1 644 हो गई।

दो वार्षिक योजना 1990-92 (Two Annual Plans) - वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 दो वार्षिक याजनाओं में रेल विकास में वृद्धि हुई। रेल मार्ग की कुल लम्बाई 1990-91 में 62 367 किलोमीटर तथा 1991-92 में 63 458 किलोमीटर हो गई। दो वार्षिक याजनाओं में 685 किलोमीटर विद्युतीकृत रेल मार्ग का निर्माण किया गया। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई बढ़कर 1991-92 में 10 653 किलोमीटर हो गई। वर्ष 1990-91 और 1991-92 में रेल विकास पर 10 218 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

आठवीं योजना में रेल विकास 1992-97 (Railway Development in Eight Plan) - आठवीं योजना में रेलवे विकास की रणनीति में रेल सम्पत्ति के प्रतिस्थापन और नवीनीकरण उत्पादकता और विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए अनुरक्षण तकनीकी विकास रेल मार्गों के दाहरीकरण तथा विद्युतीकरण आदि पर जोर दिया गया।

आठवीं याजना में रेल विकास पर 27 202 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र याजना परिव्यय का 6.3 प्रतिशत है। याजनाकाल में 3 500 किलोमीटर रेल मार्ग विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेलों की माल ढाने की क्षमता 44 करोड़ टन वार्षिक ढाने का लक्ष्य है।

आठवीं योजना के प्रारम्भ (1992-93) में कुल रेल मार्ग की लम्बाई 62.5 हजार किलोमीटर थी जिसमें विद्युतीकृत रेल मार्ग 11.3 हजार किलोमीटर तथा 1.2

विद्युतीकृत रेलमार्ग 51.2 हजार किलोमीटर था। रेल पथ 79,200 किलोमीटर था। इजनो की कुल संख्या 7,806 थी जिसमें भाप इजन 1,725, डीजल इजन 4,069 तथा विद्युत इजन 2012 थे। यात्रियों की संख्या 37.49 मिलियन तथा माल की दुलाई क्षमता 370.9 मिलियन टन थी। वर्ष 1996-97 में रेल मार्ग की कुल लम्बाई 62.8 हजार किलोमीटर थी। जिसमें विद्युतीकृत रेल मार्ग 12.7 हजार किलोमीटर था। 1996-97 में 423.4 मिलियन टन माल तथा 4,153 मिलियन यात्री ढोये। आठवीं योजना में रेल विकास पर 27,202 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान था जो योजना परिव्यय का 6.3 प्रतिशत था।

आठवीं योजना में रेल विकास एक दृष्टि

रेल विकास	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
कुल रेल मार्ग (हजार किमी)	62.5	62.5	62.7	62.9	62.8
विद्युतीकृत रेल मार्ग (हजार किमी)	11.3	11.8	11.8	12.3	12.7
माल की मात्रा (मिलियन टन)	370.9	377.5	381.6	405.5	423.4
माल ढोया (बिलियन टन किमी)	258.1	257.1	253.0	273.5	280.0
यात्री संख्या (मिलियन)	37.490	37.080	39.150	40.180	41.530
यात्री ढोने से आय (करोड़ रुपए)	4311.0	4891.0	5464.8	6125.0	6633.0

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1997-98 S.30

रेल परिवहन की आधुनिक प्रवृत्तियाँ (Recent Trends in Indian Railways)

भारतीय रेल का इतिहास लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराना है। स्वतंत्रता से पहले रेल विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली। स्वातन्त्र्योत्तर रेलवे में विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। आज भारतीय रेल विश्व की महत्त्वपूर्ण रेल प्रणालियों में एक है। भारत में रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा प्रतिष्ठान है। इसमें भारी पूंजी निवेश है तथा लाखों की तादाद में देशवासियों को रोजगार मिला हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे की अत्यधिक उपादेयता है। वर्ष 1924-25 से रेलवे राजस्व से अलग है। रेलवे के अपने खाते तथा कोष हैं। प्रत्येक वर्ष संसद में रेल बजट अलग से पेश किया जाता है। आजादी के बाद रेल परिवहन की प्रवृत्तियाँ में विशेष बदलाव आया है जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

1. रेल परिव्यय में वृद्धि (Increase in Railways Outlay) - रेल परिवहन में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे का विशेष महत्त्व है। इसके अलावा रेलवे का आर्थिक एवं सामाजिक महत्त्व भी है। आजादी के बाद से लेकर आज तक रेल परिवहन के विस्तार एवं विकास का दायित्व कन्द सरकार पर रहा है। 1948 तथा 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों के उर्गीकरण के अन्तर्गत रेल परिवहन को प्रथम श्रेणी के उद्योगों में रखा गया जिनके स्वामित्व

तथा प्रबन्ध पर केन्द्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। पंचवर्षीय योजनाओं में रेल विकास परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

रेल विकास पर पहली योजना में 217 करोड़ रुपए व्यय किए गए। रेल विकास पर व्यय बढ़कर सातवीं योजना में 16,549 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। रेलवे विकास पर वर्ष 1951 से 1990 तक 28,988 करोड़ रुपए व्यय हुआ। गौरतलब है सातवीं योजना का रेल व्यय छठी योजना के रेल व्यय से 151 प्रतिशत अधिक था। आठवीं योजना के रेल विकास व्यय 27202 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जो आठवीं योजना सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय (4,34,100 करोड़ रुपए) का 63 प्रतिशत था।

पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपए)

योजना	रेल विकास सार्वजनिक क्षेत्र व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र योजना व्यय का प्रतिशत
प्रथम योजना (1951-56)	217	11.0
द्वितीय योजना (1956-61)	723	15.5
तृतीय योजना (1961-66)	1,326	15.5
वार्षिक योजना (1966-69)	589	7.7
चतुर्थ योजना (1969-74)	934	5.9
पाचवीं योजना (1974-79)	2,063	5.2
छठी योजना (1980-85)	6,587	6.0
सातवीं योजना (1985-90)	16,549	9.2
वार्षिक योजना (1990-92)	10,218	7.5
आठवीं योजना (प्रस्तावित) (1992-97)	27,202	6.3

Source *Eight Five Year Plan Volume II, Government of India*

2 रेल मार्ग (Railway Track) - रेल मार्ग की लम्बाई 1950-51 में 53,596 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1990-91 में 62,367 किलोमीटर हो गई। चार दशक में रेल मार्ग में 16.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 में रेल मार्ग की कुल लम्बाई 62,486 किलोमीटर थी। इसमें बड़ी रेल लाइन (1676 मिमी) 36,504 किलोमीटर, मीटर लाइन (1000 मिमी) 21,997 किलोमीटर तथा छोटी लाइन (762 मिमी और 610 मिमी) 3,985 किलोमीटर थी; वर्ष 1992-93 में चालू रेल पथ की लम्बाई 79,200 किलोमीटर तथा कुल रेलपथ 1,09,149 किलोमीटर था। नव्वे के दशक के प्रारम्भिक चार वर्षों में रेल मार्ग में कम वृद्धि हुई।

वर्ष 1994-95 में रेल मार्ग की लम्बाई 62,660 किलोमीटर थी जो 1990-91 की तुलना में 0.47 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1997-98 में रेल मार्ग की लम्बाई 62,500 किलोमीटर थी।

3. रेल क्षेत्र (Railways Zones) - 31 मार्च 1993 तक समूची रेल प्रणाली को नौ रेल क्षेत्रों में बाटा गया है। रेल क्षेत्रों के नाम से प्रकार है मध्य रेलवे (मुम्बई), पूर्व रेलवे (कलकत्ता), उत्तर रेलवे (नई दिल्ली), उत्तर-पूर्वी रेलवे (गोरखपुर), उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे (भालीगाव), दक्षिण रेलवे (चेन्नई), दक्षिण मध्य रेलवे (सिकन्दराबाद), दक्षिण पूर्वी रेलवे (कलकत्ता) तथा पश्चिम रेलवे (मुम्बई) कोष्ठक में रेलवे क्षेत्र के मुख्यालयों के नाम हैं। वर्ष 1996-97 में रेल बजट में छ रेलवे क्षेत्र और खोले गए।

जनता तथा रेलवे के बीच सहयोग के लिए रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति, क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितियां, मंडलीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितियां और मंडलीय रेलवे उपभोक्ता समितियां कार्य कर रही हैं। रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रम हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं

- 1 इण्डियन टैक्नीकल कस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान)
- 2 रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज लि (राइट्स)
- 3 कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
- 4 इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड।
- 5 कोकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड।

4 रेलवे में विद्युतीकरण (Electrification of Railway) - वर्तमान में रेलवे का लक्ष्य विद्युतीकरण में वृद्धि करना है। वर्ष 1950-51 में विद्युतीकृत रेल मार्ग केवल 388 किलोमीटर था जो बढ़कर 1990-91 में 9,968 किलोमीटर हो गया। चार दशक में रेल मार्ग के विद्युतीकरण में पच्चीस गुना महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अस्सी के दशक में रेलवे विद्युतीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में विद्युतीकृत रेलमार्ग 5,345 किलोमीटर था जो बढ़कर 1990-91 में 9,968 किलोमीटर हो गया। वर्ष 1990-91 में कुल रेल मार्ग में विद्युतीकृत रेल मार्ग 16 प्रतिशत था। बाद के वर्षों में विद्युतीकृत रेल मार्ग में विशेष वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 1994-95 में विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 11,800 किलोमीटर थी। आठवीं योजना में विद्युतीकृत रेल मार्ग का लक्ष्य 3,500 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। आठवीं योजना के आखिर में विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 12,700 किलोमीटर थी। विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 1997-98 में बढ़कर 14,000 किलोमीटर हो गई।

5 यात्री सेवाएं (Passenger Services) - रेलवे लम्बी दूरी तथा उपनगरीय यात्रियों के लिए यातायात का प्रमुख साधन है हाल ही के वर्षों में रेल यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। रेल यात्रियों की संख्या के बढ़ने से रेलवे के सामने ससाधनों की कमी की समस्या मुखर हो गई है। एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के सामान्य

कोच में कष्टप्रद यात्रा को कलमबद्ध करता बट्टा है। 1950-51 में रेल यात्रियों की संख्या 1284 मिलियन थी जो बढ़कर 1990-91 में 3858 मिलियन तथा 1994-95 में और बढ़कर 3,915 मिलियन हो गई। वर्ष 1997-98 में रेल यात्रियों की संख्या 4348 मिलियन थी। यात्रियों की संख्या में वृद्धि यात्रा किलोमीटर से भी देखी जा सकती है। यात्री किलोमीटर 1950-51 में 6652 बिलियन किलोमीटर था जो 1992-93 में 3001 बिलियन किलोमीटर तथा 1997-98 में 380 बिलियन किलोमीटर हो गया।

6 माल दुलाई (Freight Traffic) - औद्योगिक विकास के साथ रेल परिवहन की मांग बढ़ी है। विशेष रूप से यह मांग कोयला इस्पात सयंत्रों के लिए कच्चा माल, इस्पात सयंत्रों से पिग आयरन और निर्मित स्टील प्यात के लिए लौह-अयस्क सीमेन्ट खाद्यान्न खाद, पेट्रोलियम खनिज तेल जैसे महत्व क्षेत्रों में बढ़ी है। सर्वाधिक माल दुलाई कोयला क्षेत्र में होती है। वर्ष 1997-98 में कोयला दुलाई 2087 मिलियन टन थी।

माल यातायात 1950-51 में 93 मिलियन टन था जो बढ़कर 1990-91 में 3414 मिलियन टन तथा 1997-98 में 4455 मिलियन टन हो गया। माल दुलाई को टन किलोमीटर में देखे तो यह 1950-51 में 44 बिलियन टन हो गई जो बढ़कर 1989-90 में 237 बिलियन टन हो गई। वर्ष 1950-51 में माल दुलाई से 1393 करोड़ रुपये की आय हुई जो 1989-90 में बढ़कर 74608 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1997-98 में माल दुलाई 287 बिलियन टन किलोमीटर थी। माल दुलाई से 1997-98 में 19595 करोड़ रुपये की आय हुई।

माल दुलाई में अधिक सुधार के लिए रेलवे द्वारा उठाये गए कदम इस प्रकार हैं 3

- 1 रेल मार्गों की क्षमता में वृद्धि तथा सिग्नल प्रणाली का आधुनिकीकरण,
- 2 कोयला के लिए विशेष माल गाड़ियों का संचालन
- 3 रोलर बियरिंग वाले माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि
- 4 ट्रेलिंग भार क्षमता बढ़ाकर 4500 टन तक करना,
- 5 पूरे देश में यूनीफेज रेल प्रणाली की स्थापना,
- 6 भारी तथा मजबूत पटरिया
- 7 रेल मार्गों में कंक्रीट रत्तीपरो का इस्तेमाल,
- 8 माल दुलाई के लिए चितरज्जा लोकोमोटिव वर्क्स में 5000 अश्व-शक्ति वाले प्रोटोटाइप डिजली के इंजनों का निर्माण।

7 इंजन और रेल डिब्बे (Engines and Railway Bogies)- भारत इंजनों और रेल डिब्बों के निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। रेल इंजनों का निर्माण चितरज्जा लोकोमोटिव वर्क्स (चितरज्जा), डिजल लोकोमोटिव वर्क्स (वाराणसी) तथा भेल (भोपाल) में किया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विद्युत

रेल इजन बनाने की क्षमता विकसित कर ली है। यात्री रेल डिब्बों का निर्माण इटीग्रल कोच फैक्ट्री, पैराम्बूर (चेन्नई) तथा रेल कोच फैक्ट्री (कूपरथला) में होता है।

वर्ष 1950-51 में रेल इजनों की संख्या 8,209 थी जो 1992-93 में घटकर 7,806 रह गई। रेल इजनों के घटने का कारण भाप इजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इजनों के निर्माण में वृद्धि है। विगत दशक में भाप इजनों की संख्या में भारी कमी की गई है। 1950-51 में भाप इजनों की संख्या 8120 थी जो 1992-93 में घटकर 1,725 रह गई। इसके विपरीत इस समयवाधि में डीजल इजनों की संख्या 17 से बढ़ाकर 4,069 तथा विद्युत इजनों की संख्या में 72 से बढ़कर 2,012 हो गई।

रेल इजनों में वृद्धि के साथ कोच वाहनो तथा माल डिब्बो की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कोच वाहनो की संख्या 1950-51 में 19,628 से बढ़कर 1992-93 में 39,929 हो गई तथा माल डिब्बो की संख्या 1950-51 में 206 लाख से बढ़कर 1992-93 में 338 लाख हो गई।

भारतीय रेलवे में वर्ष 1996-97 में भाप इंजिन (Steam) 85, डीजल इंजिन 4,363 तथा विद्युत इंजिन 2,519 थे। कोच (Coaches) की संख्या 30,000 माल डिब्बे (Wagons) 2,72,000 तथा रेलवे स्टेशनों की संख्या 6,984 थी। भारत में 1997-98 में माल दुलाई की औसत दर 67 पैसे प्रति टन किलोमीटर तथा यात्री भाड़ा की औसत दर प्रति यात्री 20 पैसे प्रति किलोमीटर थी।

रेलवे में लगभग 16 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जो देश के किसी भी उपक्रम की तुलना में सर्वाधिक है। कर्मचारियों तथा श्रमिकों के कल्याण पर रेलवे ध्यान देती है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बोनस आदि का रेलवे पर बड़ा भार है। पाचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर रेलवे पर भार में वृद्धि हुई। वर्तमान में रेलवे में कम्प्यूटरीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इससे रेलवे में कार्यकुशलता वृद्धि की अपेक्षा की जाती है।

8 आर्थिक उदारीकरण और रेल परिवहन (Economic Liberalization and Rail Transport) - भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991-92 से हुई। उदारीकरण के प्रारम्भिक दस वर्षों में अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में मूलभूत बदलाव किए गए। सार्वजनिक उपक्रमों के सबंध में भी नीतिगत बदलाव किए गए। रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। ऐसी स्थिति में रेलवे का आर्थिक सुधारों के दायरे में आना स्वभाविक है। रेलवे का स्वामित्व और प्रबन्ध भारत सरकार के हाथों में है किन्तु हाल ही के वर्षों में रेलवे के उदारीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। रेलवे के बजटीय समर्थन में उल्लेखनीय कमी हुई है। रेलवे को ससाधन जुटाने के लिए बाजार पर छोड़ा जा रहा है। रेल क्षेत्र में निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ससाधनों की प्राप्ति में आन्तरिक ससाधनों पर बल दिया जा रहा है।

वर्ष 1995-96 में रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रारम्भ की गईं जिनमें से "अपने माल डिब्बे के मालिक बनिए" मुख्य है। कुछ परियोजनाओं को "बनाइए, मालिक बनिए और पट्टे पर दीजिए" और हस्तांतरित कीजिए" (वमापट्ट) योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। जिसके अन्तर्गत निजी उद्यमियों को रेलवे के निर्माण कार्यों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ये ऐसी योजनाएँ हैं जिनके अच्छे परिणाम से रेलवे द्वारा बाजार से उधार में कमी आ सकती है।

रेल पर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिससे पर्यटक गाड़ियों में निजी-उद्यमियों ने पहल की है। पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे की भूमि पर 1995-96 में सौ "कम खर्चीले होटल" के निर्माण में सहायता देने का प्रस्ताव किया गया। खान-पान निगम की स्थापना के लिए 1995-96 के बजट में 10 करोड़ रुपये प्रारम्भिक पूँजी की व्यवस्था की गई। इस निगम की स्थापना से खान-पान सेवा व्यावसायिक बन सकेगी तथा गुणवत्ता की दृष्टि से भी उन्नत हो सकेगी।

9 रेलवे की वार्षिक योजनाएँ (Railway Annual Plan Outlay) – रेलवे की विकास सबंधी योजनाओं को पूरा करने के वास्ते वार्षिक योजनाओं में वृद्धि की गई। रेलवे की वार्षिक योजना (वास्तविक) 1992-93 में 6,162 करोड़ रुपये, वर्ष 1993-94 में 5,901 करोड़ रुपये तथा 1994-95 में 5,472 थी। बदले आर्थिक परिवेश में रेलवे की बढ़ती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 1995-96 में रेलवे योजना परिव्यय 7,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। यह राशि कोकण रेलवे निगम द्वारा जुटाए जाने वाले 120 करोड़ रुपये तथा भारतीय कंटेनर द्वारा जुटाए जाने वाले 74 करोड़ रुपये के अतिरिक्त थी। वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना (वास्तविक) 6,335 करोड़ रुपये रही। गत वर्ष की तुलना में 15.8 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना 8,310 करोड़ रुपये, 1997-98 की वार्षिक योजना 8,239 करोड़ रुपये तथा 1998-99 की वार्षिक योजना 8,755 करोड़ रुपये (स. अ.) थी। वर्ष 1999-2000 की रेलवे वार्षिक योजना 9,700 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) निर्धारित की गई है। रेलवे की आठवीं योजना का वास्तविक परिव्यय निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की समावना है क्योंकि पांच वार्षिक योजनाओं का कुल परिव्यय आठवीं योजना के प्रस्तावित परिव्यय से अधिक बैठता है। आठवीं योजना के रेल परिवहन के लिए 27,202 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

10 बजटीय समर्थन में कमी (Lack in Budgeted Supporting) – रेलवे के बजटीय समर्थन में निरन्तर कमी हुई है। पाचवी योजना में रेलवे योजना परिव्यय का 75 प्रतिशत बजटीय समर्थन था जो घटकर सातवी योजना में 40 प्रतिशत रह गया है। आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों में रेलवे को बजटीय समर्थन इसकी वार्षिक योजनाओं के लगभग 18 प्रतिशत रहा। बजटीय समर्थन के कमी के साथ रेलवे आय

में कमी हुई जिसका विपरीत प्रभाव इजन, कोच एव बैगन निर्माण पर पड़ा। बजटीय समर्थन के अलावा वित्त पूर्ति का स्रोत बाजार ऋण है जो अनिश्चित तथा खर्चीला है।

रेलवे ने 1993-94 में 17 प्रतिशत और 1994-95 में 18 प्रतिशत के बजटीय समर्थन से काम चलाया जो पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में बहुत कम था। रेलवे बजटीय समर्थन वर्ष 1995-96 में 15 प्रतिशत, 1996-97 में 18 प्रतिशत, 1997-98 में 24 प्रतिशत, 1998-99 में 23.2 प्रतिशत तथा 1999-2000 में 26.2 प्रतिशत (बजट अनुमान) था।

रेलवे में आन्तरिक ससाधनों के अपेक्षित नहीं बढ़ने से ऋणों पर निर्भरता बढ़ी है। रेलवे के आन्तरिक ससाधन वर्ष 1994-95 में 66.23 प्रतिशत से घटकर 1995-96 (बजट अनुमान) में 54.67 प्रतिशत रह गए। जिससे 1994-95 के योजना परिव्यय में ऋणों का हिस्सा 16.11 प्रतिशत था जो तेजी से बढ़कर 1995-96 में बजट अनुमानों में 30 प्रतिशत हो गया।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था सक्रमण के दौर में गुजर रही है। सरकार के पास ससाधन सीमित हैं। बजट घाटे को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में रेलवे को विकासगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आन्तरिक ससाधनों में वृद्धि के प्रयास करने होंगे। माल तथा यात्री परिवहन के निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित करके इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। बदलते परिवेश में रेलवे को खुद अपने पैरों पर खड़े होना है।

11. रेल वित्त (Railway Finance) – वर्ष 1924-25 से रेल वित्त को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्त से पृथक् रखा जाता है और रेल बजट अलग से ससद में पेश किया जाता है। रेलवे की सकल प्राप्तियों में यात्री किराया, माल भाडा, अन्य प्राप्तियाँ एव उचती खाते (Suspense Account) को सम्मिलित किया जाता है। कुल कार्यकारी व्यय में साधारण कार्यकारी व्यय, मूल्य ह्रास निधि को योगदान, रेलवे पेन्शन निधि को योगदान सम्मिलित किया जाता है।

रेलवे की कुल प्राप्ति 1950-51 में 263 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1990-91 में 12,096 करोड़ रुपए, 1992-93 में बढ़कर 15,688 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 1998-99 के सशोधित अनुमानों में कुल प्राप्ति 30,415 करोड़ रुपए थी। रेलवे की कुल प्राप्ति में माल से प्राप्तियों (Goods Receipts) का योगदान अधिक है। वर्ष 1992-93 की कुल प्राप्ति 15,688 करोड़ रुपए में माल भाडा प्राप्ति 10,903 करोड़ रुपए थी जो कुल प्राप्ति का 69.5 प्रतिशत थी।

रेलवे के कुल कार्यकारी व्यय में भारी वृद्धि हुई। यह 1950-51 में 215 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 11,154 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। इन चार दशकों में रेलवे के कार्यकारी व्यय में बावन गुना वृद्धि हुई। कुल कार्यकारी व्यय 1992-93 में 13,980 करोड़ रुपए तथा 1998-99 के सशोधित अनुमानों में

28 400 करोड़ रुपए था। कुल कार्यकारी व्यय में साधारण कार्यकारी व्यय का भाग अधिक है। साधारण कार्यकारी व्यय 1980-81 में केवल 2 233 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1992-93 में 10 480 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। वर्ष 1995-96 के सशोधित अनुमानों में साधारण कार्यकारी व्यय कुल कार्यकारी व्यय का 86.6 प्रतिशत था। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा उपक्रम होने के कारण इराम भारी सख्या में कर्मचारी नियोजित है। पाघवें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू होने के कारण भी रेलवे के व्यय में वृद्धि हुई।

भारतीय रेल की वित्तीय भूमिका

(करोड़ रुपए)

योजना	कुल प्राप्ति	कुल कार्यकारी व्यय	शुद्ध रेल राजस्व	साधारण राजस्व को भुगतान	अतिरिक्त(+)/घाटा (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1950-51	263	215	48	33	+15
1960-61	457	369	88	56	+32
1970-71	1007	862	145	165	+20
1980-81	2624	2537	127	325	198
1990-91	12096	11154	1113	938	+175
1991-92	13730	12389	1541	1106	+435
1992-93	15688	13989	1955	1514	+441
1993-94	17946	15135	3102	1297	+1806
1994-95	20,101	16590	3808	1362	+2446
1995-96	22,418	18525	4135	1264	+2871
1996-97	24,319	21001	3624	1507	+2117
1997-98	28,589	25876	3024	1489	+1535
1998-99 (सअ)	30,416	28400	2371	1752	+619
1999-00 (बअ)	33,111	30283	3458	1914	+1544

स्रोत 1 इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 एस-50

2 इकोनॉमिक टाइम्स 26 फरवरी 1999

12 वित्तीय स्थिति (Financial Position) - आरम्भिक तीन दशकों में रेलों की शुद्ध प्राप्ति काफी कम थी। बाद के दशकों में रेल यातायात में भारी वृद्धि हुई जिससे शुद्ध प्राप्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1950-51 में शुद्ध प्राप्ति 48 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1990-91 में 1 113 करोड़ रुपए हो गई। शुद्ध प्राप्ति 1992-93 में 1 955 करोड़ रुपए तथा 1998-99 के सशोधित अनुमानों में 2 371 करोड़ रुपए थी। रेलवे की व्याज-देय-पूजी (Capital at charge) 1980-81 में 6 096 करोड़ रुपए तथा 1992-93 में 20 123 करोड़ रुपए थी। शुद्ध प्राप्ति का व्याज देय पूजी पर प्रतिशत 1980-81 में 2.1 प्रतिशत तथा 1992-93 में 9.7 था।

रेलवे द्वारा शुद्ध प्राप्ति का बड़ा भाग सामान्य राजस्व को लाभाश के रूप में दिया जाता है। शुद्ध प्राप्ति में वृद्धि के साथ सामान्य राजस्व को लाभाश में भारी वृद्धि हुई। सामान्य राजस्व को लाभाश 1950-51 में 33 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 938 करोड़ रुपए तथा 1992-93 में और बढ़कर 1,514 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1994-95 की वित्तीय स्थिति का उल्लेख रुचिकर होगा। इस वर्ष रेलवे को शुद्ध प्राप्ति 3,808 करोड़ रुपए हुई। सामान्य राजस्व को लाभाश 1,362 करोड़ रुपए दिए और रेलवे को 2,446 करोड़ रुपए का अतिरेक हुआ। जो अब अधिकतम था। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में सामान्य राजस्व को लाभाश 1914 करोड़ रुपए तथा 1,544 करोड़ रुपए का अतिरेक था।

रेलवे वर्तमान में अतिरेक (Surplus) में है। अतिरेक स्थिति 1990-91 से पूर्व के वर्षों में कम थी किन्तु बाद के वर्षों विशेषकर 1993-94 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1950-51 में अतिरेक केवल 15 करोड़ रुपए था जो 1990-91 में 175 करोड़ रुपए तथा 1993-94 में और बढ़कर 1,806 करोड़ रुपए हो गया। अतिरेक 1998-99 के सशोधित अनुमानों में 619 करोड़ रुपए था। रेलवे का घाटा 1980-81 में ब्याज-देय-पूजी पर ऋणात्मक 32 प्रतिशत था। बाद के वर्षों में रेलवे को अतिरेक प्राप्त हुआ। 1990-91 में अतिरेक ब्याज-देय-पूजी का 11 प्रतिशत था जो बढ़कर 1992-93 में 22 प्रतिशत तथा 1993-94 में (सशोधित अनुमान) 96 प्रतिशत हो गया यह 1994-95 के बजट अनुमानों में 77 प्रतिशत था।

बदलते आर्थिक परिवेश में भारतीय रेलवे को आर्थिक सुधारों के अनुरूप ढालने का प्रयास समाचीन प्रतीत होता है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में गुणवत्ता का अभाव है। रेलवे के विकास में अनेक बाधाएँ हैं। आज तीव्र औद्योगीकरण के लिए रेलवे विकास की आवश्यकता है। रेलवे में आर्थिक सुधारों को गति देने से ससाधनों की सीमितता की समस्या हल हो सकेगी।

रेल परिवहन की समस्याएं (Problems in Railways)

भारतीय रेलवे में स्वतंत्रता के पश्चात् विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। यह बात रेल मार्गों की बढ़ती लम्बाई, विद्युतीकरण, यात्रियों की सख्या, माल की मात्रा आदि से सहज सिद्ध हो जाती है। किन्तु भारत की विशाल जनसख्या और विस्तृत क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे में अभी भी तीव्र विकास की आवश्यकता है। रेलवे के सामने अनेक समस्याएँ मुहयार खड़ी हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

1. धीमा विकास (Slow Development) - देश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रेल सेवाएँ अपर्याप्त हैं। आज भी अकूत प्राकृतिक ससाधनों वाले क्षेत्र रेल सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं। विगत दशकों में जो रेलवे विकास हुआ है वह विश्व के अन्य देशों की तुलना में धीमा है। रेल व्यवस्था भले ही विश्व में बेहतर स्थिति रखती हो किन्तु यह आदर्श नहीं बन पायी है। भारत में प्रति एक लाख जनसख्या के लिए

रेल मार्ग की लम्बाई 96 किलोमीटर है जबकि यह अमरीका में 224 किलोमीटर, ब्रिटेन में 46 किलोमीटर तथा कनाडा में 465 किलोमीटर है। इसी प्रकार प्रति 100 वर्ग मील क्षेत्रफल के लिए भारत में रेल मार्ग की लम्बाई 27 किलोमीटर है जबकि यह ब्रिटेन में 20 किलोमीटर, कनाडा में 10 किलोमीटर तथा अमरीका में 66 किलोमीटर है।

2 विद्युतीकरण का अभाव (Lack of Electrification) — रेलमार्गों के विद्युतीकरण के काम में प्रगति हुई है किन्तु कुल रेल मार्ग में विद्युतीकरण आज भी कम है। वर्ष 1997-98 में कुल रेल मार्ग की लम्बाई 62,500 किलोमीटर थी इसमें विद्युतीकृत रेल मार्ग केवल 14,000 किलोमीटर था जो कुल रेल मार्ग का 22.4 प्रतिशत है। स्पष्ट है लगभग अस्सी प्रतिशत रेल मार्ग विद्युतीकृत नहीं है। विद्युतीकरण के अभाव में तेज रफ्तार की यात्री तथा माल गाड़िया घलाने में कठिनाई आती है।

3. पुरानी तकनीक (Old Technology) — रेलवे में तकनीक सुधार के क्षेत्र में भाप इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन का प्रयोग बढ़ा है। देश में आज भी भाप इंजनों का प्रयोग हो रहा है। डीजल इंजनों की संख्या अधिक है। तेज रफ्तार के लिए विद्युत इंजन आवश्यक है। रेलवे में विद्युतीकृत रेल मार्गों के अभाव में विद्युत इंजनों की संख्या नहीं बढ़ पाई और अब विद्युत एव डीजल इंजनों के प्रयोग की तकनीक भी तीन दशक पुरानी हो चुकी है। आज विश्व में अधिक हार्स पावर तथा कम ऊर्जा के इस्तेमाल वाले इंजनों का विकास हो चुका है। बदलती तकनीक के अनुसार भारतीय रेलवे में सुधार आवश्यक हो गया है।

4 रेल पटरिया तेज रफ्तार की गाड़ियों के अनुकूल नहीं (Railway Tracks Unfavourable for Fast Trains) — भारत में रेल गाड़ियों की रफ्तार विकसित देशों की तुलना में काफी कम है और कुछ तेज रफ्तार वाली गाड़िया हैं किन्तु रेल पटरियों के उपयुक्त नहीं होने के कारण उनकी रफ्तार क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। राजधानी एक्सप्रेस श्रृंखला की रेल गाड़िया 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसके अलावा शताब्दी श्रृंखला रेल गाड़ियों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय रेलवे में लकड़ी के स्लीपरो के स्थान पर कंक्रीट स्लीपर का प्रयोग होने लगा है किन्तु लकड़ी के स्लीपरो को बदलने का काम पूरा नहीं हुआ है। रेल पटरियों को बैल्डिंग से जोड़ा जाना चाहिए।

5 आमान परिवर्तन (Changes of Gauge) — भारत में बड़ी रेल लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन (762 मि मी और 610 मि ली) है। एक सामान (यूनीगेज) रेल लाइने नहीं होने से लम्बी दूरी की यात्रा और माल यातायात में कठिनाई आती है। यात्रिया और माल की एक रेल गाडी से दूसरी रेल गाडी में अदला-बदली करनी पडती है और फिर तीव्र विकास के लिए बड़ी रेल लाइन आवश्यक है। रेलवे में आधुनिकीकरण के लिए भी समाप्त गेज वाली रेल लाइन जरूरी है। मार्च 1993 में रेल मार्ग की लम्बाई 62,486 किलोमीटर थी जिसमें बड़ी रेल लाइन 36,504 किलोमीटर, मीटर लाइन 21,997 किलोमीटर तथा छोटी लाइन

3,985 किलोमीटर थी। वर्ष 1996-97 में भारतीय रेलवे की 62,800 किलोमीटर रेल पटरियों में 24,000 किलोमीटर मीटर गेज तथा 4,000 किलोमीटर नैरो गेज थी।

6 प्रतिस्पर्धा (Competition) - भारतीय रेलवे को सड़क तथा वायु यातायात से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। देश में सड़कें रेल पटरियों के साथ-साथ बनी हुई हैं। सड़क परिवहन के अलग लाभ हैं। सुविधा होने के कारण लोग माल को सड़क परिवहन से भेजना पसन्द करते हैं। जिससे रेलवे को माल राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है। शताब्दी श्रृंखला रेल गाड़ियों को वायु यातायात से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। रेल गाड़ियों की रफ्तार तथा यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि कर रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।

7. विदेशी निर्भरता (Foreign Dependence) - भारत रेलवे में उच्च तकनीक के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर है। विगत में कनाडा से डीजल इंजन आयात किया। हाल में रिक्टरलैण्ड से छह हजार हार्स पावर क्षमता के तीन फेज वाले अत्याधुनिक विद्युत इंजनों का आयात किया गया। इसके अलावा हाल में जर्मनी से तेज रफ्तार की रेल गाड़ियों में काम आने वाले 21 यात्री डिब्बे खरीदने का फैसला किया गया। इन्हें 300 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की रेल गाड़ियों में काम लिया जा सकता है। रेलवे की इन अत्याधुनिक तकनीक के सामने ब्या भारत की रेल पटरियाँ उपयुक्त हैं रेलवे में दुर्घटना की समस्या मुहबाए है। कर्मचारियों में तकनीकी कौशल का अभाव है। सिगनल प्रणाली स्तरीय नहीं है। अत्याधुनिक तकनीक को आत्मसात करने से पूर्व भारतीय रेल को रेल मार्गों और सिगनल प्रणाली में सुधार की और ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

8 वित्तीय समस्या (Financial Problem) - आर्थिक विकास के साथ माल यातायात और जनसंख्या वृद्धि के साथ यात्री यातायात में वृद्धि हो रही है। रेल सेवा को स्तरीय बनाने की भी आवश्यकता है। वर्तमान में रेलवे के विस्तार की मांग अधिक है। किन्तु रेलवे वित्तीय ससाधनों के अभाव से ग्रसित है। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने रेल बजट 1997-98 के लिए वित्तीय समर्थन बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की। रेलवे की विकासगत जरूरतों को पूरा करने के लिए नौवीं योजना में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता होगी। रेलवे वार्षिक योजना परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित करना होगा। नौवीं योजना के तीसरे वित्तीय वर्ष 1999-2000 में रेलवे की वार्षिक योजना का आकार 9,700 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो रेलवे की विकासगत जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। इस योजना परिव्यय में 262 प्रतिशत बजटीय समर्थन का प्रावधान है। वर्ष 1999-2000 के आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक सुधारों को जारी रखने की बात कही गई है ऐसी स्थिति में बजटीय समर्थन के अधिक बने रहने की संभावना कम है गौरतलब है वर्ष 1997-98 में बजटीय समर्थन केवल 24 प्रतिशत था। अत रेलवे को भविष्य में आन्तरिक ससाधनों से ही वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। अत रेलवे

की आय बढ़ाना जरूरी है।

9 यात्री और माल परिवहन में रेलवे का घटता भाग (Decreasing Part of Railway in Passengers and Goods Transport) — यात्री परिवहन में रेलवे का भाग 1950-51 में 88 प्रतिशत था जो घटकर 1990-91 में 46.6 प्रतिशत तथा 1994-95 में और घटकर 40 प्रतिशत रह गया। यात्री परिवहन के साथ-साथ माल परिवहन का हिस्सा भी घटा। माल परिवहन में रेलवे की भागदारी 1950-51 में 74 प्रतिशत थी जो घटकर 1990-91 में 21 प्रतिशत तथा 1994-95 में और घटकर 20 प्रतिशत रह गई। रेल परिवहन की दशा सुधारने वाले यात्री और माल परिवहन में रेलवे की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। माल भाड़े की दरों को नियंत्रित करके तथा रेल यात्रियों को सस्ती और आरामदेह यात्रा मुहैया कराकर रेलवे की भूमिका में बढ़ोतरी की जा सकती है।

10 रेल दुर्घटनाएँ (Rail Accidents) — भारतीय रेल में दुर्घटनाओं की समस्या मुखर है। हाल की 2 अगस्त 1999 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के गैसल स्टेशन (प बंगाल) पर अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मल के बीच भीषण टक्कर में 500 से ज्यादा यात्री मारे गए तथा साढ़े सात सौ से अधिक घायल हो गए। गत अठारह वर्षों में कई भीषण रेल हादसे घटे। राजस्थान में भी भीषण रेल दुर्घटनाएँ हुईं। 21 सितम्बर 1993 को पश्चिम रेलवे के छबड़ा तथा भूलोन (राजस्थान) रेलवे स्टेशन के बीच कोटा बीच यात्री गाड़ी तथा एक मालगाड़ी के बीच टक्कर में 78 लोगों की मौत हुई तथा 88 घायल हुए। रेल परिवहन को विश्वसनीय बनाने के लिए रेल दुर्घटनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। रेल परिवहन में आधुनिकतम तकनीक को आत्मसात करके तथा कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देकर रेल दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

11 कुल कार्यकारी व्यय में वृद्धि (Increase in Total Working Expenses) — हाल ही के वर्षों में रेलवे के कुल कार्यकारी व्यय में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 में कुल कार्यकारी व्यय 11 154 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1998-99 के सशोधित अनुमानों में 28 400 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। कुल कार्यकारी व्यय में साधारण कार्यकारी व्यय का भाग अधिक है। 1995-96 में साधारण कार्यकारी व्यय 14 500 करोड़ रुपए (सशोधित अनुमान) था जो कुल कार्यकारी व्यय का 86.6 प्रतिशत था। कुल कार्यकारी व्ययों में कमी करके रेलवे के वित्तीय ससाधनों में वृद्धि की जा सकती है।

भारतीय रेलवे में अधिक मीड बिना टिकट यात्रा भ्रष्टाचार रेल दुर्घटनाएँ गाड़ियाँ का विलम्ब से आना चैन खींचना डकैती हाज पाइप काटना सम्पत्ति की चोरी आदि समस्याएँ मुहैयाएँ खड़ी हैं। रेलवे में आम आदमियों की सुविधा का कम ध्यान रखा जाता है। तेज रफ्तार की रेल गाड़ियों के सामान्य बोच में यात्रा करना बड़ा कष्टप्रद है। इन समस्याओं के रहने रेलवे विकास अधूरा है।

भारत में रेल परिवहन की सभावनाएँ
(Prospects of Rail Transport in India)

भारत में रेल परिवहन के विकास की अच्छी सभावनाएँ हैं। भारत अमेरिकन संस्था वर्ल्ड वाच के अनुसार 15 अगस्त, 1999 को 100 करोड़ की जनसंख्या पार कर चुका है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर विश्व के देशों की तुलना में अधिक है। यात्री यातायात की दृष्टि से रेलों का भविष्य उज्ज्वल है। भारत की लम्बी दूरी की अधिकांश रेलगाड़ियों की यात्री संख्या यात्रा क्षमता के बराबर होती है। यात्री संख्या 1990-91 में 3,858 मिलियन थी जो 1997-98 में बढ़कर 4,348 मिलियन हो गई। सात वर्षों में यात्री संख्या में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत की राष्ट्रीय यातायात नीति समिति 1980 के अनुसार दिसम्बर 2000 तक भारत में रेल यात्री यातायात 520 अरब यात्री किलोमीटर पहुंचने की सभावना है।

भारत में प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं। आर्थिक सुधारों को आत्मसात करने के बाद औद्योगीकरण गति पकड़ रहा है। अतः माल यातायात के विकास की विपुल सभावनाएँ हैं। उत्पादन वृद्धि से निर्यात फलीभूत हुआ है। भविष्य में माल को बन्दरगाहों तक पहुंचाने में रेल परिवहन का अधिकाधिक उपयोग होगा। केन्द्र सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है जिससे रेल परिवहन के विकास की सभावनाएँ हैं। देश में आम जनपरिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। रेल मार्गों के विद्युतीकरण ने भी जोर पकड़ा है। रेल की वार्षिक योजनाओं में वृद्धि वाले रेल मंत्रालय प्रयासरत है। कुल मिलाकर भारत में रेल परिवहन का भविष्य बेहतरीन है।

सन्दर्भ

- 1 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994
- 2 इण्डियन रेलवे, एन्यूवेल रिपोर्ट एण्ड एकाउंट्स, 1989-90
- 3 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 569
- 4 Indian Economy Statistical Year Book, 1998
- 5 Indian Economic Survey, 1998-99, S-30
- 6 Economic Times, 26 February, 1999
- 7 Indian Economy Statistical Year Book, 1998, p 221

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन के महत्त्व को बताइए।
- 2 रेल परिवहन की आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए।
- 3 रेल परिवहन की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?
- 4 भारत में रेल परिवहन के विकास की क्या सभावनाएँ हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 पंचवर्षीय योजनाओं में रेल परिवहन के विकास की व्याख्या कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों का विकास लिखना है।)
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का क्या महत्त्व है? विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में रेल परिवहन की क्या प्रगति हुई?
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में रेल परिवहन का महत्त्व बताना है तथा दूसरे भाग में पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों की प्रगति को लिखना है।)
- 3 भारत में रेल परिवहन की प्रगति और समस्याओं की विवेचना कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के प्रथम भाग में रेलों की प्रगति तथा दूसरे भाग में रेल परिवहन की समस्याएँ बतानी हैं।)
- 4 भारत में रेल परिवहन की क्या समस्याएँ हैं तथा इनके समाधान के सुझाव दीजिए।
- 5 भारत में रेल परिवहन का क्या महत्त्व है। आर्थिक उदारीकरण में रेल परिवहन की प्रगति बताइए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में रेल परिवहन का महत्त्व बताना है तथा दूसरे भाग में उदारीकरण में रेलों का विकास लिखना है।)

भारत में सड़क परिवहन (Road Transport in India)

राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में सड़को का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में सड़को की उपादेयता मध्य काल से ही नहीं प्राचीन काल में भी स्वीकार की जाती थी। शासक व्यापार प्रोत्साहन के लिए सड़को को महत्त्व देते थे। भारत गावों का देश है तथा भौगोलिक स्थिति विविधता से ओत-प्रोत है। ऐसी स्थिति में सड़को का विशेष महत्त्व है। सड़के व्यापार, कृषि और उद्योगों के विकास का आधार है। प्रसिद्ध विचारक रस्किन के अनुसार "राष्ट्र की समस्त आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुन्दर और अच्छी सड़को के चारों ओर घूमती है।" श्री बेन्थम ने सड़को के महत्त्व के सम्बन्ध में लिखा है कि "सड़के किसी देश की धनिया व शिराए हैं जिसके माध्यम से उत्पादन रूपी रक्त का संचार होता है।"

सड़क परिवहन की विशेषताएँ

(Characteristics of Road Transport)

सड़क परिवहन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं जो उसे परिवहन के अन्य साधनों से पृथक् करती हैं। सड़क परिवहन, रेल व वायु परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक व उपयोगी है। सड़के प्रमुख नगरों व गावों को परस्पर मिलाती हैं। सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

1. सस्ती सेवा (Cheap Service) -- भारत में वित्तीय साधनों का अभाव है। यहाँ की जनता निर्धन है। सड़क परिवहन रेल व वायु परिवहन की तुलना में सस्ता है। सड़को के निर्माण और रख-रखाव में अपेक्षाकृत कम विनियोजन होता है। सड़को के निर्माण में विशेष कौशल की भी आवश्यकता नहीं होती है।

2. लोच (Flexibility) -- सड़क परिवहन सर्वाधिक लोचपूर्ण साधन है। सड़क की पहुँच प्रत्येक स्थान तक है। गावों को सड़को से जोड़ा जा सकता है। सड़को पर ट्रक, बसें, रिक्शा, स्कूटर, बैलगाड़ी आदि का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं।

3 सुरक्षा (Safety) — सड़क परिवहन सुरक्षित साधन है। जान व माल की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा रहती है। सड़क परिवहन में माल को सुरक्षित पहुंचाने का दायित्व स्वामी का होता है।

4 समय और श्रम की बचत (Save of Time and Labour) — गन्तव्य स्थल तक सेवा प्रदान करने के कारण समय व श्रम की बचत होती है। माल को बार-बार उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेल परिवहन की सुविधा स्टेशन तक ही सीमित होती है। स्टेशन से घर के लिए सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है।

5 बहुमुखी सेवा (Multi Purpose Use) — सड़कें बहुमुखी सेवा प्रदान करती हैं। सड़कों का मोटर, ट्रक, तागा, रिक्शा, बैलगाड़ी, मनुष्य, पशु, ठेला आदि सभी उपयोग करते हैं। सड़कों का उपयोग घर, कार्यालय, बाजार, उद्यान, पर्यटन स्थल, मरुस्थली क्षेत्र आदि सभी स्थानों पर आसानी से किया जा सकता है।

6 पूर्ण सेवा (Complete Service) — सड़क परिवहन पूर्ण सेवा प्रदान करता है। सड़कें गोदाम से गन्तव्य स्थल तक सेवा देती हैं। सड़कों पर बस व ट्रकों की सेवा इच्छानुसार प्रारम्भ व समाप्त की जा सकती है।

7 अधिकतम जनकल्याण (Maximum Social Welfare) — सड़क परिवहन अधिकतम जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सड़कें अमीर-गरीब सभी के लिए उपयोगी हैं। सड़कें अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में सरती एवं सुलभ हैं।

8 कम पूंजी (Less Capital) — सड़क परिवहन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत रेलों वायुयानों व जहाजों में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। सड़क परिवहन में प्रयुक्त मोटर, ट्रकों में कम विनियोजन होता है।

9 स्वतंत्रता (Independence) — सड़क परिवहन में स्वतंत्रता है। यदि एक सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो दूसरे मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है।

10 सामान्य पैकिंग (Simple Packing) — सड़क परिवहन में रेलों की भांति माल की विशेष पैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। सड़क परिवहन के स्वामी वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसके अलावा माल का स्वामी सड़क परिवहन में साथ रह सकता है।

11 विविधता (Diversity) — सड़क परिवहन विविधतापूर्ण है। इसमें यातायात के अनेक साधन यथा मोटर, ट्रक, कार, जीप, स्कूटर, मोटर साइकिल, तागा, टैम्पू, आटो आदि का आनन्द लिया जा सकता है।

12 असंगठित (Unorganised) — सड़क परिवहन निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र में बँटा हुआ है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक है। ये परस्पर संगठित नहीं हैं। स्वामित्व की भिन्नता के कारण संगठन रथाई नहीं रहता है।

13 असुविधाजनक (Inconvenient) — सड़क परिवहन अन्य साधनों की तुलना में असुविधाजनक है। रेलों की तुलना में सड़क परिवहन में विश्राम करने बैठने एवं सामान्य सुविधाओं का अभाव होता है।

14 दुर्घटना (Accident) – सड़क परिवहन से दुर्घटना का भय अधिक रहता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आये दिन दुर्घटनाएँ होती हैं। दुर्घटना में जान व माल की बड़ी क्षति होती है।

15 सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता (Need of Government Control) – सड़क परिवहन में अधिक सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सड़क परिवहन के सबंध में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन करना वाहनों के लिए अनिवार्य होता है।

16 हित संघर्ष (Benefit Struggle) – सड़क परिवहन का संचालन निजी क्षेत्र में होने के कारण उपभोक्ताओं और वाहन चालकों के बीच हित संघर्ष होता है। उपभोक्ता कम भाड़े के साथ अधिक सुविधाएँ चाहते हैं जबकि वाहन चालक अधिक भाड़ा और अधिक सवारियाँ चाहते हैं।

17 पूरक (Supplement) – सड़क परिवहन, रेल, वायु और जल परिवहन के पूरक का काम करता है। रेल, वायुयानों से यात्रा के बाद गन्तव्य स्थलो तक पहुँचने के लिए सड़क परिवहन का उपयोग किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का महत्त्व (Importance of Road Transport in Indian Economy)

अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क परिवहन की उपादेयता समाहित है। आज कृषि, उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक-सेवा आदि का विकास सड़कों द्वारा ही संभव है। सड़कों की उपादेयता के कारण ही इन्हे अर्थव्यवस्था की शिराएँ और धमनियों की सजा भी दी जाती है जो उत्पादन रूपी रक्त का संचार करती है। भारत जैसे समृद्ध प्राकृतिक ससाधन, विशाल आबादी, बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत वाले देश में सड़कों का महत्त्व अधिक है –

1 कृषिगत विकास (Agricultural Development) – भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी गावों में जीवन बसर करती है। गावों के विकास बिना भारत का विकास अधूरा है। कृषि गाववासियों की रोजी-रोटी का साधन है। गावों का विकास कृषि से जुड़ा है और कृषि विकास सड़कों पर निर्भर है। कृषि का ही नहीं गावों का सर्वांगीण विकास सड़कों से संभव है। किसानों को कृषि उपज मंडियों तक पहुँचाने में सड़कों की आवश्यकता होती है। भारत के गाव सड़कों से जुड़े नहीं होने के कारण किसान सेठ-सहूकारों के चंगुल में फँसे रहे। किसानों को कृषिगत उपकरण बीज खाद, कृषि पदत आदि औद्योगिक केन्द्रों से मगाने में भी सड़क परिवहन का विशेष महत्त्व है।

2 औद्योगिक विकास (Industrial Development) – औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना आवश्यक है। सड़क परिवहन महत्त्वपूर्ण आधारिक संरचना है। बिना सड़कों के औद्योगिक विकास को गति नहीं दी जा सकती है। कृषिगत कच्चा माल और अल्प औद्योगिक कच्चा माल यथा खनिज सड़क परिवहन के द्वारा

औद्योगिक केन्द्रों का पहचाना जाता है। निर्मित माल भी उपभोक्ताओं तक सड़कों से ही पहुँचाया जाता है। गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी बड़ी सीमा तक सड़कों पर निर्भर है।

3 व्यापारिक महत्त्व (Trade Importance) - सड़कों का व्यापारिक महत्त्व है। सड़कों आन्तरिक और विदेशी व्यापार बढ़ाने में सहायक है। राष्ट्रीय उत्पादन सड़कों के माध्यम से देश के कोने-कोने में पहुँचता है। विदेशी व्यापार के लिए उत्पादन को बन्दरगाहों तक पहुँचाने में सड़कें सहायक होती हैं।

4 प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन (Exploitation of Natural Resources) - सड़क परिवहन से प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन होता है। पहाड़ों और रेगिस्तानी क्षेत्रों की प्राकृतिक ससाधनों के विदोहन में सड़क परिवहन सस्ता और सुगम साधन है। वन्य उत्पादों को सड़क मार्गों द्वारा उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है।

5 रोजगार सृजन (Employment Generation) - सड़कें रोजगार सृजन में सहायक हैं। सड़कों के निर्माण मरम्मत मोटर यातायात परिवहन का प्रशासन आदि में लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। अकाल के समय भी सड़क निर्माण में लोगों को रोजगार मुहैया कराकर रहत दी जाती है।

6 सामरिक महत्त्व (Military Importance) - युद्ध के समय सड़कों का महत्त्व बढ़ जाता है। सैनिक और युद्ध सामग्री सड़कों के माध्यम से गन्तव्य तक तक पहुँचायी जाती है। देश की सीमाओं के लिए भी सड़कों का महत्त्व है। भारत-पाक तथा भारत-चीन युद्ध के समय सड़क परिवहन मरम्मत जम्मू कश्मीर में सहायक सिद्ध हुआ।

7 सड़क काल में सुरक्षा (Security During Emergency) - देश में प्राकृतिक आपदा यथा अकाल बाढ़ भूकम्प और महामारी के समय सड़कों का विशेष महत्त्व है। जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री तथा रोगियों को दवा की पूर्ति सड़कों से की जाती है।

8 सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ (Social and Cultural Importance) - सड़कों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व अधिक है। सड़क परिवहन में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग परस्पर मिलते हैं। एक-दूसरे की सार्वजनिक से लाभान्वित होते हैं। विभिन्न भागों के लोग एक-दूसरे के सम्पर्क में आने से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

9 राजस्व प्राप्ति (Revenue Receipts) - सड़क परिवहन राजकीय आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। सरकार प्रतिवर्ष बाटनों से सड़क कर प्राप्त करती है।

10 प्रशासनिक महत्त्व (Administrative Importance) - प्रशासनिक कार्यों में सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है। आन्तरिक शांति व व्यवस्था बनाए रखने में सड़कों का महत्त्व है। अशांत व दगाग्रस्त क्षेत्रों में सड़क परिवहन की सहायता से स्थिति नियंत्रित की जाती है। विकास कार्यों का सम्पादन और नियंत्रण कर्मचारियों

का आवागमन, प्रजातांत्रिक चुनाव आदि में सड़क परिवहन की उपादेयता निर्विवाद है।

11 शिक्षा (Education) – भारत निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार गाव-गाव में स्कूल खोल रही है। शिक्षा के प्रसार में सड़क कारगर भूमिका निभा रही है।

12 पर्यटन विकास (Tourism Development) – सड़क परिवहन पर्यटन के विकास में सहायक है। सड़क परिवहन में प्रयुक्त वाहन निजी भी होते हैं। वाहन स्वामी अपनी सुविधा अनुसार पर्यटन का कार्यक्रम बना सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए सड़क महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में सड़कों का वर्गीकरण (Classification of Road in India)

दिसम्बर 1943 में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के इंजीनियरों का एक सम्मेलन नागपुर में सम्पन्न हुआ जिसमें सड़कों के विकास के लिए दस वर्षीय योजना बनाई गई जिसे नागपुर योजना कहा जाता है। नागपुर योजना के अनुसार सड़कों को पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार हैं –

- 1 राष्ट्रीय सड़कें।
- 2 प्रान्तीय सड़कें।
- 3 बड़ी जिला सड़कें।
- 4 लघु जिला सड़कें।
- 5 ग्रामीण सड़कें।

राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) – राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। वर्तमान में देश की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में 34,058 किलोमीटर लम्बी सड़कें शामिल हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर 1,481 70 करोड़ रुपये और 1993 के दौरान 494 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर खर्च के लिये 2,460 करोड़ रुपये आवंटित किए। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई देश में सड़कों की कुल लम्बाई का केवल 2 प्रतिशत है लेकिन इनके जरिए सड़क का करीब 40 प्रतिशत यातायात होता है।

राज्यों की सड़कें (State Roads) – राज्यों के राजमार्गों तथा जिला और ग्रामीण सड़कों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इन सड़कों का रख-रखाव राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की विभिन्न एजेंसियां करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का विकास किया जा सकता है।

सीमावर्ती सड़कें (Territorial Roads) – सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी ताकि उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके वहां के आर्थिक विकास को तेज किया

जा सके तथा प्रतिरक्षा सख्ती तैयारी को मजबूत बनाया जा सके। 31 मार्च 1993 तक सीमा सड़क संगठन ने लगभग 24 000 किलोमीटर सड़को का निर्माण किया।

भारत में सड़क परिवहन का विकास

(Development of Road Transport in India)

भारत में प्राचीन काल से ही सड़को के विकास पर ध्यान दिया गया। शासक अपने-अपने प्रदेशों में व्यापार प्रोत्साहन के लिए सड़को का निर्माण कराते थे। शासकों की सड़क परिवहन व्यवस्था अच्छी होने से प्रशासन में सुविधा होने के कारण सड़कें बनवाने में दिलचस्पी थी। मोहनजोदड़ों और हड़प्पा में अच्छी सड़क व्यवस्था थी। अथर्ववेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सड़को का उल्लेख है। परन्तु भारत में गुलामी के दिनों में सड़क परिवहन की स्थिति बदल गई। अंग्रेजों ने लगभग दो सौ वर्षों में सड़को के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उनके शासन काल के दौरान सड़क परिवहन का उद्देश्य आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाना न होकर प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करना था। ब्रिटिश शासन काल में सड़क परिवहन पर प्रथम सगठित प्रयास 1943 की गागपुर योजना से प्रारम्भ हुआ।

स्वातन्त्र्योत्तर सड़को के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन में बिगड़ी सड़क परिवहन व्यवस्था में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1950-51 में सड़को की कुल लम्बाई 400 हजार किलोमीटर थी जो बढ़कर 1990-91 में 2 327 हजार किलोमीटर तथा 1995-96 में और बढ़कर 3 320 हजार किलोमीटर (प्राविजनल) हो गई। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 1950-51 में 22 हजार किलोमीटर थी जो बढ़कर 1990-91 में 34 हजार किलोमीटर तथा 1995-96 में और बढ़कर 35 हजार किलोमीटर (प्राविजनल) हो गई। इसी प्रकार राज्य राजमार्गों का भी विकास हुआ। राज्य राजमार्गों की लम्बाई 1970-71 में 57 हजार किलोमीटर थी जो बढ़कर 1990-91 में 127 हजार किलोमीटर तथा 1995-96 में 135 हजार किलोमीटर (प्राविजनल) हो गई। (देखें टेबिल पृ 600)

योजनाकाल में सड़क विकास

(Development of Roads during Plan Period)

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 (First Five Year Plan) - सड़क विकास के कार्यक्रम गागपुर योजना के परिप्रेक्ष्य में तैयार किए गए। प्रथम योजना के प्रारम्भ में (1950-51) में भारत में पक्की सड़को की कुल लम्बाई 1 60 000 किलोमीटर और कच्ची सड़को की कुल लम्बाई 2 40 000 किलोमीटर थी। इस प्रकार सड़को की कुल लम्बाई 1950-51 में 400 हजार किलोमीटर थी। प्रथम योजना में सड़क विकास पर 135 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) - दूसरी योजना में सड़को के विकास पर 224 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वर्ष 1960-61 में सड़को की कुल लम्बाई 524 हजार किलोमीटर थी जिसमें पक्की सड़कें 263 हजार किलोमीटर तथा कच्ची सड़कें 261 हजार किलोमीटर थी।

सड़क विकास की बीस वर्षीय योजना 1961-81 (Twenty Years Plan of Road Development) – राज्यों के मुख्य इंजीनियर वर्ष 1959 में हैदराबाद में 1961-81 के बीस वर्षों में सड़कों के विकास की योजना बनाने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। मुख्य इंजीनियरों के प्रयत्नों से बीस वर्षीय सड़क विकास योजना तैयार हुई। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे –

- 1 बीस वर्षों में अवधि में लगभग 4,00,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण होना चाहिए।
- 2 देश के सभी महत्वपूर्ण केन्द्र पक्की सड़कों से जुड़े हों।
- 3 इस योजना में 5,200 करोड़ रुपये के कुल व्यय का प्रावधान किया गया जिसमें से 630 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों के लिए प्रस्तावित थे।
- 4 1981 तक प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में 32 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया।
- 5 विकसित क्षेत्रों में गांव पक्की सड़कों से 6-7 किलोमीटर से अधिक दूर और अल्प विकसित क्षेत्रों में 13-4 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होने चाहिए।
- 6 बीस वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों में 130 प्रतिशत, राजमार्गों में 100 प्रतिशत, जिला सड़कों में 60 प्रतिशत तथा ग्रामीण सड़कों में 16 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।
- 7 आगे की पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों के विकास की 20 वर्षीय योजना को आधार बनाया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 (Third Five Year Plan) – तीसरी योजना में सड़क विकास के लिए हैदराबाद योजना को आधार बनाया गया। योजना में सड़कों के विकास पर 440 करोड़ रुपये व्यय किए गए। योजनावधि में पिछड़े हुए एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की परिवहन आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया। भारत-चीन सीमा विवाद के कारण सरकार ने सीमावर्ती प्रदेशों में सड़कों के निर्माण पर 125 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किए। वर्ष 1965-66 में 769 हजार किलोमीटर सड़कें थीं जिनमें 343 हजार किलोमीटर पक्की सड़कें व 426 हजार किलोमीटर कच्ची सड़कें थीं।

वार्षिक योजनाएं 1966-69 (Annual Plans) – 1966 से 1969 तक तीन वर्षों में सड़कों के निर्माण पर 309 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वार्षिक योजनाओं में 110 हजार किलोमीटर पक्की और 227 हजार किलोमीटर कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 (Fourth Five Year Plan) – चौथी योजना में सड़कों के विकास पर 862 करोड़ रुपये व्यय किए गए। योजना के अन्त में (1973-74) 1,171 हजार किलोमीटर सड़कें थीं जिनमें से 498 हजार किलोमीटर पक्की सड़कें तथा 672 हजार किलोमीटर कच्ची सड़कें थीं।

भारत में सड़क परिवहन विकास

मंदे	1950	1960	1970	1980	1990	1991	1994	1995	1996
1 सड़को की कुल लम्बाई (हजार किलोमीटर)	400	524	918	1419	2327	2462	3057	3320	397
2 राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई (हजार किलोमीटर)	22	24	24	32	34	34	34	34	34
3 राज्य राजमार्गों की कुल लम्बाई (हजार किलोमीटर)	उ न	उ न	57	94	127	129	134	135	उ न
4 पंजीकृत वाहनो की सङ्ख्या कुल वाहन (हजार में)	306	665	1865	3336	71310	75307	30293	33518	3771
ट्रक	82	168	343	342	1411	1514	1794	1785	2260
बसे	34	57	94	159	333	358	423	449	488
5 सड़क यातायात से आय (करोड रुपए में)	35	112	432	1423	4596	4786	6016	8033	10621
राज्य सरकार को	13	33	231	730	3035	3510	4423	5462	6348

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे 1998-99 एस 32 1999-2000 उ न = उपलब्ध नहीं

पाचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 (Fifth Five Year Plan) – पाचवी योजना में सड़को के विकास पर 1701 करोड़ रुपए व्यय किए गए। योजना के अंत में सड़को की कुल लम्बाई 1,372 हजार किलोमीटर थी। इसमें 595 हजार किलोमीटर पक्की तथा 776 हजार किलोमीटर कच्ची सड़कें थीं।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) – छठी योजना में सड़को के विकास पर 3,807 करोड़ रुपए खर्च किए गए। योजनावधि में 18,000 गावों को सड़को से जोड़ा गया। योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण काम हुए। 1980-81 में सड़को की कुल लम्बाई 1,491 हजार किलोमीटर थी जो बढ़कर 1984-85 में 1,687 हजार किलोमीटर हो गई। 1984-85 में पक्की सड़को की लम्बाई 788 हजार किलोमीटर थी। 1984-85 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 32 हजार किलोमीटर तथा राज्यमार्गों की कुल लम्बाई 99 हजार किलोमीटर थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 (Seventh Five Year Plan) – सातवीं योजना में सड़क विकास पर 6,335 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1985-86 में सड़को की कुल लम्बाई 1,726 हजार किलोमीटर थी जो बढ़कर 1989-90 में 1,970 हजार किलोमीटर हो गई। इस प्रकार सड़को की कुल लम्बाई में योजनावधि में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई। योजना के अंत में पक्की सड़को की लम्बाई 960 हजार किलोमीटर थी। वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 34 हजार किलोमीटर तथा राज्यमार्गों की लम्बाई 122 हजार किलोमीटर थी।

वार्षिक योजनाएँ 1990-91 व 1991-92 (Annual Plans) – सड़को की कुल लम्बाई 1990-91 में 2,037 हजार किलोमीटर तथा 1991-92 में 2,041 हजार किलोमीटर थी। दो वर्षों में सड़को की कुल लम्बाई में 4 हजार किलोमीटर की वृद्धि हुई। 1991-92 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 33.7 हजार किलोमीटर तथा राज्यमार्गों की लम्बाई 128.6 हजार किलोमीटर थी। दोनों वार्षिक योजनाओं के सड़को के विकास पर 3,779 करोड़ रुपए व्यय हुए।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan) – आठवीं योजना में सड़को के विकास पर 2,600 करोड़ रुपए केन्द्रीय व्यय का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय क्षेत्र में सड़को के विकास पर 10,610 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। इस प्रकार आठवीं योजना में सड़को के विकास पर 13,210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आठवीं योजना में सड़क परिवहन के मुख्य क्षेत्र और रणनीति के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे इस प्रकार हैं -- सड़क निर्माण को रोजगारोन्मुख बनाना, ऊर्जा का संरक्षण, सड़क परिवहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सड़क प्रणाली में सुधार करना, आठवीं योजना के दौरान 30,000 गावों को सड़कों से जोड़ना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गावों में सड़कों के निर्माण पर बल, सड़क नेटवर्क में निरन्तर विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों की कमियों को दूर करना आदि।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Road Transport)

भारत में नियोजित विकास के दौरान सड़क परिवहन की गति मिली। वर्ष 1950-51 में पंजीकृत वाहनों की संख्या 306 हजार थी जो बढ़कर 1994-95 में 30 287 हजार हो गई। चवालीस वर्षों में पंजीकृत वाहना की संख्या में लगभग सौ गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1950-51 के बाद सड़को पर ट्रको की संख्या 82 हजार से बढ़कर 1994-95 में 1,796 हजार हो गई तथा बसों की संख्या 1950-51 में 34 हजार से बढ़कर 1994-95 में 425 हजार हो गई। चवालीस वर्षों में ट्रका की संख्या में 22 गुना तथा बसों की संख्या में साढ़े बारह गुना वृद्धि हुई।

वाहनों की संख्या के बढ़ने से रोड यातायात से सरकार को प्राप्त आय में वृद्धि हुई। रोड यातायात से 1994-95 में केन्द्र सरकार को 6,918 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार को 4,424 करोड़ रुपए की आय हुई। 1950-51 में रोड यातायात से केन्द्र सरकार को 35 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार को 13 करोड़ रुपए की आय हुई थी। भारत में मोटर गाडियों पर कराधान की दरें अधिक हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी वृद्धि के कारण मोटर परिवहन का विकास तीव्र गति से नहीं हो सका। केन्द्र और राज्य सरकारें सड़क निर्माण और सड़क अनुरक्षा (Road Maintenance) पर अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकी। बहुत से गाव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। सड़क परिवहन में निजी क्षेत्र लाभप्रद सड़क मार्गों तक ही सीमित रहा।

भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने से पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक उपक्रमों का बोलबाला था। सड़क परिवहन की समस्याओं के निराकरण के लिए सड़क परिवहन विशेषकर बसों को राष्ट्रीयकरण के दायरे में लिया गया। सड़क परिवहन को निजी क्षेत्र तथा सहकारी समितिया भी चलाती हैं। स्वातन्त्रोत्तर राज्तीय सरकारों ने बसों का आंशिक या पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

वर्तमान में भारत में 68 राज्तीय सड़क परिवहन उद्यम (State Transport Undertakings) हैं जिनके पास मार्च 1990 के अंत तक 102 लाख बसें थीं। इनमें 3800 कराड रुपए का विनियोग हुआ था और इनमें 15 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इनमें प्रतिदिन 600 लाख सवारिया यात्रा करती थी।'

राष्ट्रीय परमिट योजना (National Permit Scheme)

वर्ष 1975 में परिवहन गाडियों की गतिविधियों पर सीमा बन्धन समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परमिट योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना में एक वर्ष में निश्चित संख्या तक परमिट दिए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत प्राप्त परमिट वाहन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिना रुकावट लम्बी दूरी तक आ-जा सकते हैं। वर्ष 1986 में खुली राष्ट्रीय परमिट योजना प्रारम्भ की गई जिसमें एक वर्ष में परमिट जारी करने

की निश्चित सख्या को समाप्त कर दिया गया। इस निर्णय से भ्रष्टाचार पर अकुश लगा।

मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क -

(Favourable Arguments of Nationalisation of Motor Transport)

1 सार्वजनिक उपयोग सेवा (Public Utility Service) - मोटर परिवहन सार्वजनिक उपयोगी सेवा है। इसे राज्य के अधीन लेने से जनता की अधिक सेवा की जा सकती है। यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। बसों में क्षमता से अधिक भीड़-भाड़ का लालच राष्ट्रीयकृत बसों में नहीं होगा।

2 आय स्रोत (Sources of Income) - सड़क परिवहन से सरकार को आय प्राप्त होती है जिसका उपयोग तीव्र आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।

3 रेलवे और सड़क के बीच समन्वय (Co ordination between Railway and Road) - राष्ट्रीयकरण से रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सकता है। दोनों ही क्षेत्रों के राजकीय नियंत्रण से समन्वय संभव है।

4 बड़े पैमाने के उत्पादन से लाभ (Profit of Large Scale Production) - छोटी बस कंपनियों को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण से बड़े पैमाने पर उत्पादन से अधिक सुविधाओं का लाभ होता है।

5 कर्मचारियों की उन्नत काम दशाएँ (Higher Status of Employees) - बसों के राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियों को कई प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। उन्हें अच्छा वेतन, भत्ते व बोनस आदि दिए जाते हैं जिससे कर्मचारियों के व्यक्तित्व का विकास होता है।

6 सड़कों का विकास (Development of Road) - सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है जिसका उपयोग पक्की सड़कों के निर्माण में किया जाता है।

7 सतुलित परिवहन विकास (Balanced Transport Development) - राष्ट्रीयकरण का मुख्य ध्येय सामाजिक उद्देश्य होता है। सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों में हानि उठाकर बसे चलती हैं। निजी क्षेत्र लाभप्रद मार्गों पर ही बसे चलाना पसन्द करता है।

8 सामाजिक लाभ (Social Profit) - बसों के राष्ट्रीयकरण से यात्रियों को सस्ती सेवा व सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध होती हैं।

9 निश्चित किराया (Fixed Rent) - बसों के राष्ट्रीयकरण से किराये में निश्चितता एवं स्थिरता आती है। सरकार द्वारा बस किराया निश्चित करने के बाद भी निजी बस चालक मनमाना किराया वसूलने से नहीं चूकते हैं।

10 समयबद्धता (Punctuality) - राष्ट्रीयकृत बसे सामान्यतया समय की

पाबन्द होती हैं ये बस सवारिया नहीं होने की स्थिति में भी समय पर प्रस्थान करती हैं। निजी बस सवारिया पूरी होने पर ही रवाना होती हैं।

मोटर परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विषय में तर्क

अथवा

राष्ट्रीयकरण से हानिया

(Infavourable Argument of Nationalisation of Motor Transport or Demerits of Nationalisation)

1 घाटे की समस्या (Problem of Deficit) - भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। मोटर परिवहन भी इस समस्या से अछूता नहीं है। अधिकांश राज्तीय सड़क परिवहन निगम घाटे में चल रहे हैं।

2 कुशलता का ह्रास (Decrease of Efficiency) - सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो जाती है। इससे कर्मचारियों में लगन तत्परता कुशलता में कमी होती है। सरकारी सरथाओं में लालफीताशाही व अफसरशाही का प्रभाव होता है सरकारी वाहनों को निजी वाहनों की तरह सोच-समझ कर नहीं चलाया जाता है।

3 मुआवजे की समस्या (Problem of Compensation) - राष्ट्रीयकरण के कारण ओक बार निजी बस चालकों को मुआवजा देना पड़ता है। मुआवजे के निर्धारण में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मुआवजे की राशि का अन्य उत्पादन साधनों में उपयोग किया जा सकता है।

4 हड़तालें (Strikes) - ओक बार सरकारी कर्मचारी वेतन भत्तों में वृद्धि के लिए हड़ताल का सहारा लेते हैं जिससे सरकार पर वित्तीय भार बढ़ता है तथा यात्रियों को असुविधा होती है।

5 प्रतिस्पर्धा में कमी (Lack of Competition) - राष्ट्रीयकरण से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। परिवहन सर्वशक्ति सरकार के हाथ में आ जाती है। सरकार एकाधिकारी प्रवृत्ति का लाभ उठाती है। यात्रियों से मजबूत किराया वसूलने लगती है।

6 राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference) - राष्ट्रीयकरण के कारण महत्वपूर्ण पदा स राजनीतिक नियुक्तिया की जाती हैं। उच्च प्रबन्ध में सरकारी हस्तक्षेप से निगम की स्वायत्तता में कमी आती है। निर्णयों में अनावश्यक विलम्ब होता है।

7 शिकायतों का निराकरण कठिन (Trouble to Solve the Complaints) - राष्ट्रीयकरण के कारण शिकायतें सुनी नहीं जाकर कर दी जाती हैं किंतु उनके निराकरण का प्रयास नहीं किया जाता है। जाता व मोटर मालिकों के बीच दूर का संबंध होता है अतः समस्याओं का निराकरण कठिनाई से होता है।

8 यात्री सुविधाओं का अभाव (Lack of Passenger Facilities) – राष्ट्रीयकरण के कारण एकाधिकारी प्रवृत्ति पनपती है। यात्रियों से अधिक किराया वसूल किया जाता है किन्तु उन्हें सुविधाएँ कम दी जाती हैं। रास्ते में बैठने व उतरने की सुविधा समाप्त हो जाती है।

9 समय पाबन्दी के दोष (Defects of Punctuality) – राष्ट्रीयकरण से यद्यपि समय पाबन्दी बढ़ती है किन्तु इससे बसे समय पर रवाना हो जाती है चाहे बस में सवारी हो अथवा नहीं हो। खाली या कम सवारियों से बसे चलाने से सरकार को कम राजस्व प्राप्त होता है।

10 भ्रष्टाचार (Corruption) – सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। बस कन्डक्टर सवारियों से किराया ले लेते हैं किन्तु उन्हें टिकिट नहीं देते। इससे सरकार को राजस्व का घाटा होता है। निगम के कर्मचारी अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को मुफ्त यात्रा करवाते हैं।

सड़क परिवहन की समस्याएँ (Problems of Road Transport)

सड़कें महत्त्वपूर्ण आधारिक संरचना हैं। आर्थिक विकास बड़ी सीमा तक सड़कों के विकास पर निर्भर है। भारत में नियोजित विकास के पाँच दशक बीत चुके हैं। पञ्चवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपरिव्यय में वृद्धि हुई है इसके बावजूद सड़कें परिवहन के सामने अनेक समस्याएँ मुहवाएँ खड़ी हैं –

1 अच्छी सड़कों का अभाव (Lack of Good Roads) – योजनागत विकास के दौरान सड़क निर्माण में वृद्धि हुई है किन्तु कुल सड़कों में अच्छी सड़कों का अभाव है। देश में अधिकांश सड़कें कच्ची हैं। बरसात में कच्ची सड़कें यातायात के अनुकूल नहीं होती हैं। जो सड़कें पक्की हैं उनकी दशा भी अच्छी नहीं है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण स्तरीय सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है। एक-दो बरसात बाद सड़कें खराब हो जाती हैं। देश में सड़क अनुरक्षण का भी अभाव है। राष्ट्रीय राज सड़कों की दशा अवश्य अच्छी होती है किन्तु कुल सड़कों राष्ट्रीय राजमार्गों का भाग बहुत कम है।

2 विकास की धीमी गति (Slow Speed of Development) – देश में सड़कों का विकास तीव्र गति से नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में गत दो दशकों में वृद्धि नहीं हुई है। 1980-81 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 32 हजार किलोमीटर थी। यह 1994-95 में बढ़कर केवल 34 हजार किलोमीटर थी। नब्बे के दशक में राज्य राजमार्गों की विकास की गति भी बहुत धीमी रही।

3 चालकों की अधिकता (Excess Number of Drivers) – मोटर परिवहन में चालकों की अधिकता की समस्या है। अधिकांश चालकों के पास पाँच से कम गाड़ियाँ हैं। चालकों की अधिकता के कारण अकुशलता की समस्या उत्पन्न होती है। सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ता है।

4 अत्यधिक कर भार (Excess Tax Burden) — सड़क परिवहन पर पजीकरण शुल्क मोटर गाड़ी कर आयात शुल्क विक्री कर आदि कर लगाये जाते हैं। इनके अलावा रोड टैक्स भी लगाया जाता है।

5 अधिक परिचालन लागतें (Excess Running Costs) — भारत में सड़क परिचालन लागत अधिक बैठती है। इसका प्रमुख कारण शुल्क और करों की अधिकता के अलावा खराब सड़कों की अधिकता भी है। अच्छी सड़कों के नहीं होने से दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं तथा ईंधन का भी अधिक प्रयोग होता है।

6 अनावश्यक प्रतिबन्धात्मक उपाय (Unnecessary Restricted Methods) — सड़क परिवहन को मोटर-गाड़ी अधिनियम के अधीन काम करना पड़ता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के अपने-अपने प्रतिबन्धात्मक उपाय हैं।

7 घाटे की समस्या (Deficit Problem) — देश के अधिकांश सड़क परिवहन निगम घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। घाटे के कारणों में बसों का अलाभकारी मार्गों पर चलाना, कर्मचारियों की बहुलता कुप्रबन्ध, लागत आधारित भाड़ा संरचना का अभाव आदि मुख्य हैं।

8 अपर्याप्त सड़कें (Insufficient Roads) — देश में जनसंख्या की बहुलता है। प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कें अन्य देशों की तुलना में कम हैं। भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 293 किलोमीटर सड़कें हैं जबकि अमेरिका में 3,200 किलोमीटर, जापान में 1,100 किलोमीटर तथा ब्रिटेन में 600 किलोमीटर सड़कें हैं।

9 पुलों का अभाव (Lack of Bridges) — बड़े सड़क मार्गों पर पुलों का अभाव है जिससे सड़क बरसात में टूट जाती है। यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। अनेक रेल-रोड क्रॉसिंग पर पुल नहीं होने से सड़क परिवहन में अनावश्यक विलम्ब होता है।

10 सड़क दुर्घटनाएँ (Road Accidents) — परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन में दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं। दुर्घटनाओं के कारण सड़क परिवहन को लाखों रुपये मुआवजा चुकाना पड़ता है। सड़क दुर्घटनाएँ चालकों की लापरवाही बसा में खराबी टूटी सड़कें आदि कारणों से होती हैं।

सड़कों की बढ़ते हुए हालत तथा यातायात नियमों की उपेक्षा से भारत की सड़कें दुनिया की सबसे असुरक्षित सड़कों के रूप में जानी जाती हैं। हर दिन भारत में जितने लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है उतनी मौत विकसित देशों में एक साल में भी नहीं होती। भारत में राज लगभग 280 लाख सड़क दुर्घटनाओं के ग्रास बनते हैं, जबकि ब्रिटेन में एक साल में इससे भी कम अर्थात् 167 लोगों के सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने के प्रमाण हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी आर आर आई) के यातायात एवं परिवहन विभाग के प्रमुख डॉ. टी. एस. रेड्डी के अनुसार भारत में हर साल 70 से 75 हजार लोगों के सड़क दुर्घटनाओं में मरने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज होती है।

11. मोटर गाड़ियों व साज सामान का अभाव (Lack of Vehicles and Equipments) — सड़क परिवहन में वाहनों का अभाव है। साथ ही परिवहन सब्धी साज-सामान का भी अभाव है। बसों के कल-पुर्जे, टायर-ट्यूब आदि की कमी के कारण वाहन बेकार पड़े रहते हैं।

12. पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि (Increase in Price of Petrol and Diesel) — भारत में खनिज तेल का अभाव है। पेट्रोल, ऑयल और लुविकेटस के आयात पर भारी विदेशी खर्च करना पड़ता है। विगत वर्षों में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है इससे मोटर परिवहन काफी महंगा हो गया है।

13. रेल रोड प्रतिस्पर्धा (Competition between Rail and Road) — देश में रेल एव रोड में तीव्र प्रतिस्पर्धा है। इससे परिवहन के दोनों साधनों को क्षति होती है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक खर्चीला साधन है।

14. विश्रामगृहों का अभाव (Lack of Rest houses) — सड़क परिवहन के लिए विश्रामगृहों का अभाव है। इस कारण बस व ट्रकों को ठहरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विश्रामगृहों के अभाव में बस व ट्रक सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं।

15. राज्यों में परस्पर सहयोग का अभाव (Lack of Mutual Cooperation among States) — सड़क परिवहन के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में परस्पर सहयोग का अभाव है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, कर चुकाने पड़ते हैं। यातायात अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

सड़क परिवहन की समस्याओं में सुधार के सुझाव

(Suggestion for Solution of Problems of Road Transport)

भारत में सड़क परिवहन के विकास की महती आवश्यकता है। सड़क परिवहन की समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. सड़कों के निर्माण पर बल (Stress on Road Construction) — बढ़ती जनसंख्या और दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों का निर्माण तीव्र गति से होना चाहिए। सड़क परिवहन पर सार्वजनिक परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। वित्तीय संसाधनों के अभाव में सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित किया जा सकता है। आर्थिक उदारीकरण में सड़क विकास क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण (Construction of National Highways) — सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्गों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। किन्तु इनका विकास अपेक्षित गति से नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों के मात्र 2 प्रतिशत होने पर भी सम्पूर्ण सड़क परिवहन का 40 प्रतिशत भाग सभालते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इनके विकास पर अधिक वित्तीय

ससाधना के आवटन की आवश्यकता है।

3 राज्य राजमार्ग की दशा में सुधार (Improvement in State Highways Conditions) – राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानी व जिला मुख्यालयों को जोडते है। राज्य राजमार्गों की दशा में दयनीय है। राज्यीय राजमार्गों की समय पर मरम्मत, पर्याप्त चौडाई, मोटाई आदि की आवश्यकता है।

4 ग्रामीण सडकों (Rural Roads) – ग्रामीण सडको की स्थिति बदतर है। बरसात मे अधिकाश ग्रामीण सडक यातयात के अनुपयुक्त है। ग्रामीण सडकों के अनुरक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। गावा की कच्ची सडको को पक्की सडको मे परिवर्तित किया जाना चाहिए।

5 शोध एव अनुसधान पर बल (Stress on Research and Development) – भारत में शोध एव अनुसधान पर अपेक्षाकृत कम ध्यान केन्द्रित किया जाता है। परिवहन के क्षेत्र में शोध एव अनुसधान सीमित रहा है। परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा, पर्यावरण सरक्षण, ईंधन की बचत आदि शोध एव अनुसधान की आवश्यकता है।

6 मोटर वाहनों का निर्माण (Production of Motor Vehicles) – जनसख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बडा देश है। विशाल आबादी की आवश्यकतानुसार वाहना का निर्माण किया जाना चाहिए। नये वाहन निर्माण उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान वाहन निर्माण उद्योगों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। अच्छी किस्म के वाहनों का विदेशो से आयात भी किया जा सकता है।

7 पुलों का निर्माण (Construction of Bridges) – सडको पर पुलों के अभाव मे परिवहन के अवरोध उत्पन्न होता है। सरकार का सडको पर पुला का निर्माण करना चाहिए। क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण व रेल-रोड क्रॉसिंग पर पुलों का निर्माण किया जाना चाहिए।

8 दोहरे मार्गों का निर्माण (Construction of Double Lane Roads) – देश में दोहरे मार्गों का नितात अभाव है। जनसख्या की अधिकता के कारण प्राय सडको पर यातायात अधिक रहता है। दुर्घटनाओं में कमी तथा यात्रियों की सुविधा के लिए दोहरे मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

9 रेल सडक समन्वय (Co ordination between Rail and Road) – भारत में रेल और सडको में प्रतिस्पर्धा समाप्त कर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। प्रयास ऐसे हो जिससे दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे तथा यात्रियों को कम से कम लागत पर अच्छी सेवाए उपलब्ध हो सके।

10. सुलभ पेट्रोल-डीजल आपूर्ति (Feasible Supply of Petrol-Diesel) – विगत वर्षों में भारत यातायात का तीव्र बिकास हुआ है। परिणामस्वरूप पेट्रोल-डीजल की माग में वृद्धि हुई है। सरकार को सडक परिवहन के लिए पेट्रोल-डीजल की सुलभ आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। पेट्रॉल की अतिरिक्त माग की पूर्ति के लिए पेट्रॉल के उत्पादन में वृद्धि तथा अधिक पेट्रॉल आयात किया जाना चाहिए।

भारत को तेल पूल घाटे में कमी के लिए देश में ही आयल रिफाइनरी की स्थापना करनी चाहिए, इसके लिए कच्चे खनिज तेल का आयात किया जा सकता है।

11 करो में कमी (Decrease in Taxes) — सड़क परिवहन पर कर भार अधिक है। वैसे ही देश में डीजल-पेट्रोल की कीमत अधिक है। इन कारणों से परिवहन लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। समूचे देश में मोटर वाहनो पर एक जैसी कर व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत में रेल सड़क प्रतिस्पर्धा

(Rail Road Competition in India)

स्वातन्त्र्योत्तर रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि हुई। प्रतिस्पर्धा के कारण रेलो व सड़को दोनों को ही क्षति होती है। सड़क परिवहन के प्रतिस्पर्धी विकास से रेल राजस्व में कमी हुई है। प्रतिस्पर्धा के कारण रेलो को माल एवं यात्री परिवहन में कमी का सामना करना पड़ा है। माल परिवहन में सड़को का भाग 1960-61 में 28 प्रतिशत था जो तीव्रता से बढ़कर 1985-86 में 41 प्रतिशत हो गया इसके विपरीत माल परिवहन में रेलो का भाग 1960-61 में 72 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 59 प्रतिशत रह गया। रेल और सड़को के बीच यात्री परिवहन में भी तीव्र प्रतिस्पर्धा है। यात्री परिवहन में सड़को की भूमिका बढ़ी है। यात्री परिवहन में सड़को का भाग 1960-61 में 42 प्रतिशत था जो बढ़कर 1985-86 में 66 प्रतिशत हो गया जबकि यात्री परिवहन में रेलो का भाग 1960-61 में 58 प्रतिशत से घटकर 1985-86 में 34 प्रतिशत रह गया।

भारत में 27 मिलियन किलोमीटर का 'रोड नेटवर्क' है जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। किन्तु भारत की सड़के तीव्र और कुशल परिवहन के लिए कम उपयुक्त हैं। लगभग आधी सड़के कच्ची हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़को का केवल 2 प्रतिशत है किन्तु यात्री और माल परिवहन में 40 प्रतिशत की भागीदारी है।

यात्री और माल परिवहन में सड़क यातायात की प्रधान भूमिका है। 1995-96 में यात्री परिवहन में सड़को का भाग 80 प्रतिशत और माल परिवहन में 60 प्रतिशत था। रेलो की भूमिका तेजी से घटकर यात्री परिवहन में 20 प्रतिशत तथा माल परिवहन में 40 प्रतिशत रह गयी। सन 2000 में सड़को की भूमिका माल यातायात में 65 प्रतिशत तथा यात्री यातायात में 87 प्रतिशत का अनुमान है। रेल सड़क प्रतिस्पर्धा के अनेक कारण हैं जिसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

- 1 देश में रेलो व सड़को का विकास अनियोजित ढंग से हुआ। रेलो और सड़को का विकास समानान्तर हुआ। दोनों का कार्य क्षेत्र लगभग समान है। अतः रेल-सड़क में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है।
- 2 सड़क यातायात अपेक्षाकृत सरता है। सड़क यातायात में रेल यातायात की तुलना में कम पूँजी विनियोजन की आवश्यकता होती है।
- 3 सड़क यातायात रेल यातायात की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। कम

दूरी की यात्रा और माला परिवहन के लिए सड़क यातायात अच्छा है।

- 4 सड़क परिवहन में पर्याप्त लोचता है। सुरक्षित है। व्यक्तिगत सेवा पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

रेल सड़क समन्वय

(Rail Road Co ordination)

रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसमें सरकार की करोड़ों रूपए की पूंजी विनियोजित है तथा लाखों लोग नियोजित हैं। रेलवे की सड़को से प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के लिए विताग्रद है। प्रतिस्पर्धा से रेलवे को घाटा होता है जिसका प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ता है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए रेलवे और सड़को में परस्पर सहयोग आवश्यक है। रेल सड़क एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं पूरक होने चाहिए।

भारत में रेलों को सड़क प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए अनेक प्रयास किए गए जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

- 1 **वैजवुड समिति (Wedgewood Committee)** - भारत सरकार ने रेल-सड़क समन्वय के लिए 1939 में वैजवुड समिति की स्थापना की। वैजवुड समिति ने इस सबंध में अनेक सुझाव दिए जिनमें मुख्य सुझाव इस प्रकार थे -
- (i) राज्तीय सरकारों द्वारा सड़क परिवहन का विनियमन किया जाना चाहिए। निजी और सार्वजनिक मोटरो पर एक से नियम लागू करना।
 - (ii) मोटर मालिकों को भाड़े की दर के मामले में स्वतंत्रता नहीं देना।
 - (iii) सड़क परिवहन में यात्री और माल ढाने की क्षमता निर्धारित करना।
 - (iv) माल यातायात के लिए ट्रकों को प्रादशिक लाइसेंस देना।
 - (v) सड़क परिवहन के लिए लाइसेंस देना।

2 **मोटर गाडी अधिनियम (Motor Vehicles Act)** - वैजवुड समिति की सिफारिशों को मोटर गाडी अधिनियम 1939 में शामिल किया गया। अधिनियम का उद्देश्य रेलों को सड़क प्रतिस्पर्धा से बचाना था इसके लिए कानून द्वारा सभी मोटर गाडिया को लाइसेंस लेने के लिए बाध्य किया गया। मोटर गाडिया की गति धीमी करने भीड़ कम करने मोटर गाडिया के रक्षण आदि के सबंध में नियम बनाए गए। इसके अलावा माल के स्वतंत्र यातायात पर प्रतिबंध लगाये गए।

3 **सिद्धांत एवं व्यवहार नियमावली, 1945 (Code of Principles and Practices)** - भारत सरकार ने 1945 में राज्तीय सरकारों के मार्गदर्शन के लिए सिद्धांत एवं व्यवहार सहिता लागू की। इसके अनुसार मोटर गाग 125 किलोमीटर तक सीमित कर दिए गए। किन्तु रेल परिवहन की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में मोटर मालिकों का 125 किलोमीटर से भी लम्बे मार्गों पर मोटर चलाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा जहां रेल परिवहन पर क्षमता से अधिक दबाव है वहां सड़क परिवहन पर नियंत्रण ढीला करने की आवश्यकता महसूस की गई।

4 परिवहन नीति और समन्वय समिति (Transport Policy and Coordination Committee) — इसकी स्थापना तरलोक सिंह की अध्यक्षता में की गई। समिति के अनुसार परिवहन साधनों का इस प्रकार विकास किया जाए कि परिवहन आवश्यकताओं को न्यूनतम लागत पर पूरा किया जा सके। परिवहन विकास के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। समिति ने परिवहन समन्वय परिषद् बनाने का भी सुझाव दिया। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

5 सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण (Nationalization of Road Transport) — स्वातन्त्र्योत्तर विभिन्न राज्यों ने सड़क परिवहन का धीरे-धीरे पूर्ण अथवा आंशिक राष्ट्रीयकरण किया।

6 सड़क परिवहन निगम कानून (Road Transport Corporation Law) — 1950 के सड़क परिवहन निगम कानून के द्वारा राज्याय सरकारों को सड़क सेवाओं के राष्ट्रीय अधिकार दे दिया गया।

रेलो को सड़क परिवहन से प्रभावी प्रतियोगिता के लिए रेल सेवाओं में सुधार करना चाहिए। रेलों को बस सर्विस व शटल गाड़ियां चलानी चाहिए। रेलों को सारणी में सुधार करना चाहिए; रेलों में समय पाबन्दी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मौसमी टिकटों व बारातों आदि को रियायतें देनी चाहिए। रेलों में शयनयान कक्ष में दिन में यात्रा छूट दी जानी चाहिए।

सड़क परिवहन की श्रेष्ठता

(Superiority of Road Transport)

- 1 सड़क परिवहन में घर-घर से माल एकत्र करना माल पहुंचाना रोज परिवहन समय सारणी में लोच गुण आदि में व्यापारी वर्ग में सड़क परिवहन को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया है। डेविड डिग्लू के अनुसार सड़क परिवहन द्वारा कई बार हमारी परिवहन लागत आधी हो जाती है और माल पहुंचाने का समय बहुत हद तक बच जाता है। इसके अतिरिक्त रेल की तुलना में सड़क से माल मगवाने का एक लाभ यह भी है इसमें चोरी नहीं होती। कोई हानि कोई कष्ट या पैकिंग की खर्चीली विधि का भी प्रयोग नहीं होता है।
- 2 रेल निर्माण अपेक्षाकृत महंगा होता है। पहाड़ों पठारों में रेल निर्माण कठिन होता है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क परिवहन उपयुक्त होता है।
- 3 भारत गावों का देश है। सभी गावों को रेल परिवहन से जोड़ना संभव नहीं है। सड़क परिवहन द्वारा गावों का विकास संभव है।
- 4 सड़क परिवहन का सुरक्षात्मक महत्त्व भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का अधिक महत्त्व है। युद्ध साज-सामान को पहाड़ों पठारों नालों में पहुंचाना संभव है।

सन्दर्भ

- 1 दत्त सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ 796
- 2 राजस्थान पत्रिका, 27 नवम्बर 1997
- 3 इकोनोमिक सर्वे, 1996-97, पृ 174

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 सड़क परिवहन की विशेषताएँ बताइए।
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का क्या महत्त्व है।
- 3 भारत में सड़कों में वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।
- 4 रेल-सड़क समन्वय पर टिप्पणी लिखिए।

नियन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में सड़क परिवहन का क्या महत्त्व है? पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों के विकास की व्याख्या कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में सड़क परिवहन का महत्त्व बताना है तथा दूसरे भाग में पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों के विकास को लिखना है।)
- 2 भारत में सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में सड़क परिवहन के पक्ष में तर्क तथा दूसरे भाग में विपक्ष में तर्क लिखने हैं।)
- 3 भारत में सड़क परिवहन की मुख्य समस्याएँ क्या हैं? सड़क परिवहन के विकास के सुझाव दीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई सड़क परिवहन की समस्याएँ तथा दूसरे भाग में सड़क परिवहन की समस्याओं के समाधान लिखने हैं।)
- 4 भारत में रेल सड़क प्रतिस्पर्धा के क्या कारण हैं? रेल सड़क समन्वय के क्या प्रयास किये गये हैं।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये रेल सड़क प्रतिस्पर्धा के कारण बताने हैं तथा दूसरे भाग में रेल सड़क समन्वय के प्रयास लिखने हैं।)
- 5 भारत में सड़क परिवहन के महत्त्व तथा विकास का वर्णन कीजिए। इसके सुधार हेतु सुझाव दीजिए।

(M.D.S. University Ajmer, 1998)

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गए सड़क परिवहन के महत्त्व को लिखना है तदुपरांत सड़क परिवहन के विकास को लिखना है तथा दूसरे भाग में सड़क परिवहन में सुधार हेतु सुझावों को बताना है।)

भारत में वायु परिवहन (Air Transport in India)

मानव की प्रारम्भ से ही आकाश में पक्षियों की भांति स्वच्छन्द विचरण करने की आकांक्षा थी। यद्यपि रामायण, महाभारत, पौराणिक गाथाओं में वायु मार्ग द्वारा यातायात यथा पुष्पक विमान आदि का उल्लेख मिलता है। किन्तु सर्वप्रथम 1903 में राइटब्रदरों ने बिना इंजन के ग्लाइडर से आकाश में उड़कर मानव की कल्पना को साकार किया। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1932 में हुई। टाटा एण्ड सस लिमिटेड ने टाटा एयरवेज कम्पनी की स्थापना की। टाटा एयरवेज कम्पनी ने 15 अक्टूबर 1932 को कराची चेन्नई के बीच वायु सेवा प्रारम्भ की। जुलाई 1946 में भारत के वायुमार्गों का संचालन टाटा एयरलाइन्स, इण्डियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, डैकन एयरवेज लिमिटेड कम्पनियों के हाथ में था। इन कम्पनियों के पास 19 बड़े वायुयान थे। 1946 में वायु परिवहन लाइसेंस बोर्ड की स्थापना की गई। देश में 1950 तक 21 कम्पनियाँ थीं। वर्ष 1953 में वायु निगम अधिनियम पास कर भारत सरकार ने वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

भारत जैसे विशाल देश में स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी कई क्षेत्रों में रेल और सड़क परिवहन की सुविधा मुहैया नहीं है। इसलिए देश की परिवहन प्रणाली में वायु परिवहन (नागर-विमानन) की महत्वपूर्ण भूमिका है। नागर-विमानन यात्री परिवहन व माल ढुलाई का सर्वाधिक तेज साधन है। बेशकीमती और हल्की वस्तुओं तथा डाक के यातायात के लिए नागर विमानन का प्रयोग किया जाता है। विश्व में नागर-विमानन की मांग तीव्रता से बढ़ी है, किन्तु भारत में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण नागर-विमानन की मांग सीमित है। हाल के वर्षों में नागर-विमानन की उपादेयता बढ़ी है। औद्योगिक कम्पनियों के प्रतिनिधि तथा व्यापारी वायु परिवहन का उपयोग करने लगे हैं।

वायु परिवहन का महत्त्व (Importance of Air Transport)

आसमान में उड़ान भरना सबको अच्छा लगता है। आज विमान सेवा महंगी

होने के बावजूद हर पलाइट पूरी तरह बुक होती है। प्रतिस्पर्धा युग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुँचने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में विमान सेवाओं की उपादेयता और भी बढ़ी है। विमान सेवा में ट्रेपिक जाम और सामानों से आ रहे बाधा से भिड जाने की चिंता नहीं होती है। आसमान से यात्रा निश्चित रूप से आरामदायक और रोमांच से भरी होती है। वायु परिवहन के महत्त्व को व्यक्त करते हुए फेयर एव विलियम्स ने कहा है - मनुष्य को उपलब्ध विभिन्न साधनों में से वायु परिवहन सर्वाधिक विकासशील सबसे त्वीनतम, सबसे अधिक चुगौती देने वाला एवं आर्थिक और सारकृतिक जीवों में सबसे अधिक क्रांति लाने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के महत्त्व को निम्नांकित शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है -

1 तेज गति (Fast Speed) - वायु परिवहन सर्वाधिक गति वाला परिवहन का साधन है। वायु परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान को तीव्र गति से पहुँचा जा सकता है। वायु परिवहन की तेज गति के कारण विश्व की भौगोलिक दूरी कम हो गई है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण भविष्य में वायु परिवहन की गति और बढ़ने की सम्भावना है। वायुयानों की औसत गति रेलों और जलयानों की तुलना में अधिक होती है।

2 मूल्यवान वस्तुओं के लिए उपयोगी (Useful for Valuable Articles) - भारत में वायु परिवहन का अधिकतर उपयोग यात्री परिवहन के लिए किया जाता है। किन्तु अब माल परिवहन के क्षेत्र में भी वायु परिवहन का उपयोग किया जाने लगा है। वेशाकीमती वस्तुओं के परिवहन में वायु परिवहन उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3 सड़ककालीन परिस्थितियों में सहायक (Helpful in Emergency) - प्राकृतिक विपदाओं यथा अकाल बाढ़ भूकम्प आदि में वायु परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है। अकाल के समय पीड़ितों को वायु परिवहन से खाद्य सामग्री शीघ्रता से पहुँचाई जा सकती है। बाढ़ की स्थिति में वायुयानों तथा हेलीकाप्टरों का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा के क्षेत्र में वायु परिवहन का अत्यधिक महत्त्व है। विश्व का कोई देश सुरक्षात्मक मामलों में वायु परिवहन की आदेखी नहीं कर सकता है।

4 धरातल सवधी बाधाओं से मुक्ति (Free from Land Hindrances) - थल परिवहन में अनेक धरातल सवधी बाधाएँ आती हैं। पहाड़ों पर रेल व सड़क मार्गों का निर्माण कठिन होता है। नदी और नाले भी थल परिवहन के मार्ग में अवरोध होते हैं किन्तु वायु परिवहन में मार्ग आकाश होने के कारण धरातल सवधी बाधाएँ नहीं आती हैं।

5 कम विनियोग (Less Investment) - वायु परिवहन में रेल सड़क परिवहन की तुलना में कम विनियोग होता है। वायु परिवहन के लिए रेलपटरियाँ नहीं विद्ययी जाती हैं। मार्गों के विद्युतीकृत की भी आवश्यकता नहीं होती। लम्बी दूरी की सड़कों बनाने की भी आवश्यकता नहीं पडती। वायु परिवहन में अपेक्षाकृत कम विनियोग से काम चलता है।

7. कृषि विकास में सहायक (Helpful in Agricultural Development) — कृषि विकास में वायु परिवहन का महत्त्व बढ़ा है। हरित क्रांति के कारण कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में वायुयानों से कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव किया जाता है। टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने में भी वायुयानों का उपयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में वायुयानों से कृत्रिम वर्षा भी की जाने लगी है। वन विकास हेतु वायुयानों से बरसात में बीज बिखेरे जाते हैं। इसके अलावा शीघ्र नाशवान कृषि पदार्थों के परिवहन में वायुयानों का उपयोग किया जाता है।

7. औद्योगिक महत्त्व (Industrial Importance) — वायु परिवहन का औद्योगिक महत्त्व भी है। आज के औद्योगिक युग में प्रबन्धकों, तकनीशियनों, उद्योगपतियों के लिए समय का अधिक महत्त्व है। इन्हें कम समय में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। देश विदेश की यात्रा भी अधिक करनी पड़ती है। इन सब कार्यों के लिए वायु परिवहन की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। वायु परिवहन से बहुमूल्य औद्योगिक उत्पादों को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाया जा सकता है।

8. व्यापारिक महत्त्व (Commercial Importance) — वायु परिवहन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक महत्त्व है। वायु परिवहन से व्यवसायियों की समय बचत होती है जिससे उनकी व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा हल्की और मूल्यवान वस्तुओं जैसे हीरा-जवाहरात, शीघ्र नाशवान वस्तुएँ यथा मास, मछली, अण्डा, दूध, फल आदि तथा जीवन रक्षक औषधियाँ लाने ले जाने में वायु परिवहन का अधिक महत्त्व है। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के शीघ्र परिवहन में भी वायुयानों का महत्त्व है।

9. पर्यटन विकास (Tourism Development) — वायु परिवहन पर्यटन विकास में सहायक है। देशी-विदेशी पर्यटक कम समय में अधिक से अधिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं जो वायुयानों द्वारा संभव है।

10. सर्वेक्षण (Survey) — वायु परिवहन का प्राकृतिक ससाधनों तथा नदी घाटी परियोजनाओं के सर्वेक्षण में उपयोग होता है। इसके अलावा रेलों, सड़कों व पुलों आदि की निगरानी का कार्य वायु परिवहन से शीघ्रता से किया जा सकता है।

वायु परिवहन का विकास (Development of Air Transport)

स्वातन्त्र्योत्तर भारत में वायु परिवहन का तीव्र विकास हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व वायु परिवहन निजी क्षेत्र में था। 1946 में वायु परिवहन लाइसेंस बोर्ड की स्थापना की गई। उदार नीति के कारण अनेक वायु परिवहन कम्पनियों की स्थापना की गई किन्तु परस्पर तालमेल के अभाव में सभी कम्पनियाँ घाटे की समस्या से ग्रसित थीं। सरकार ने 1950 में वायु परिवहन जाच समिति नियुक्त की जिसने परिवहन कम्पनियों की संख्या कम करने, परिवहन कम्पनियों को आर्थिक सहायता देना, कम्पनियों में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीयकरण करने, कम्पनियों को स्थायी परिसम्पत्ति पर दस प्रतिशत लाभ प्राप्त आदि सिफारिशें कीं। भारत में वायु

परिवहन की विभिन्न कम्पनियाँ सम्मेलन को तैयार नहीं हुई। सरकार ने 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

वर्ष 1947 से 1951 तक की अवधि में सरकार ने वायु परिवहन पर 66 करोड़ रुपए व्यय किए। वर्ष 1948 में उद्योगपति टाटा के सहयोग से एयर इंडिया इन्टरनेशनल कम्पनी स्थापित की जिसमें सरकारी अंशदान बढ़ाकर 51 प्रतिशत किया गया। वायु परिवहन में 1960-61 में 9.15 लाख यात्रियों ने यात्रा की। वायु परिवहन में यात्रियों की संख्या बढ़कर 1980-81 में 68.47 लाख तथा 1990-91 में और बढ़कर 100.27 लाख हो गई। वर्ष 1997-98 में 114.43 लाख यात्रियों (प्राविजनल) ने वायु परिवहन से यात्रा की। वायु परिवहन से आय 1960-61 में 17.56 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1990-91 में 208 करोड़ रुपए हो गई। वायु परिवहन से आय और बढ़कर 1997-98 में 233 करोड़ रुपए (प्राविजनल) हो गई।

भारत में वायु परिवहन का विकास

वर्ष	आय टन किलोमीटर (करोड़ रुपए में)	यात्री लाये-ले जाये गए (लाख में)
1960 61	17 56	9 15
1970 71	47 52	26 17
1980 81	138 04	68 47
1985 86	183 70	111 42
1990 91	208 00	100 27
1991 92	192 02	113 94
1992 93	177 58	100 44
1993 94	178 90	98 73
1994 95	207 12	99 11
1995 96	234 17	105 93
1996 97	226 47	111 21
1997 98(प्रा.)	233 00	114 43

प्रा. प्राविजनल स्रोत- इकोनामिक सर्वे 1998 99 एस-32

वर्षों से भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में तीन नाम चर्चित हैं। इंडियन एयरोलाइन्स एयरो इंडिया तथा वायुदूत। एयर इंडिया के जबो यात्रियों को केवल देश की सरहद के पार के लिए उपलब्ध है। इंडियन एयर लाइन्स चुनिंदा शहरों तक विमान उतारता या उड़ान भरने को उपलब्ध है। वायुदूत सेवा तो धीरे-धीरे दम तोड़ने की स्थिति में है। वर्तमान में देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर है। हर क्षेत्र में निजी प्रवेश भी निरन्तर बढ़ गया है। एस में वायु परिवहन में भी निजी क्षेत्र की भूमिका बढी है। देश में घट निजी विमान सेवाओं ने कदम रखा है। 'मोदी सुपुत्र' ई

वायु सेवा निजी क्षेत्र में प्रारम्भ की गई है। बड़े उद्योग समूह टाटा ने भी वायु परिवहन के क्षेत्र में विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए केन्द्र के समक्ष प्रस्ताव पेश कर दिया है।

पंचवर्षीय योजनाओं में वायु परिवहन का विकास

(Development of Air Transport during the Plan Period)

परिवहन के साधनों में वायु परिवहन सर्वाधिक तीव्र गति का साधन है किन्तु अर्थव्यवस्था में विशेषकर कृषि व उद्योगों के विकास में रेल व सड़क परिवहन की तुलना में वायु परिवहन का कम महत्त्व है। इस कारण पंचवर्षीय योजनाओं में वायु परिवहन पर अपेक्षाकृत कम व्यय किया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वायु परिवहन का विकास निम्न प्रकार है -

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 (First Five Year Plan) - प्रथम योजना में वायु परिवहन पर बहुत कम राशि व्यय की गई। इस योजना में वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय केवल 23 करोड़ रूपए था। योजनावधि में मुख्यतः हवाई अड्डों के विकास, संचार सुविधाओं के विस्तार, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, अनुसंधान व विकास पर ध्यान दिया गया। 1953 में वायु परिवहन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना में 9 हवाई अड्डे बनाए गए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) - दूसरी योजना में वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 49 करोड़ रूपए था। योजनावधि में चार नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन समझौते के अनुसार सभी हवाई अड्डों पर निर्धारित सुविधाओं की व्यवस्था की गई। देश के सभी प्रमुख नगरों को वायु परिवहन से जोड़ा गया। 1960-61 में वायु परिवहन से 17 56 टन किलोमीटर करोड़ रूपए आय अर्जित हुई तथा 9 15 लाख यात्री वायु परिवहन से लाये ले जाये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 (Third Five Year Plan) - तीसरी योजना में वायु परिवहन पर 49 करोड़ रूपए व्यय किए गए। योजनावधि में हवाई अड्डों के दौड़ पथों में सुधार किया गया। चेन्नई हवाई अड्डे को जेट विमानों के लिए उपयुक्त बनाने पर ध्यान दिया गया। अगस्त, 1963 में बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स की स्थापना की गई। 1965-66 के अंत में भारतीय विमानों की क्षमता 16 लाख यात्रियों, 4 करोड़ किलो माल तथा 550 लाख किलोमीटर दूरी पर लाने-ले जाने की थी।

वार्षिक योजनाएं 1966-69 (Annual Plans) - तीन वार्षिक योजनाओं में वायु परिवहन पर 66 करोड़ रूपए व्यय किए गए। योजनावधि में बोइंग विमानों को पहली बार क्रय किया गया। वर्ष 1968-69 में परिवहन क्षमता 26 5 लाख यात्री, 422 लाख किलोग्राम माल तथा 718 लाख किलोमीटर दूरी तय करने की थी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 (Fourth Five Year Plan) - चौथी योजना में वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 177 करोड़ रूपए था। इसमें 66.6 करोड़ रूपए एयर इंडिया पर 53.9 करोड़ रूपए इंडियन एयरलाइंस पर और 30.6 करोड़ रूपए इंटरनाशनल एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया पर व्यय किए गए। वर्ष 1972 में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों यथा मुम्बई कलकत्ता चंडी दिल्ली की व्यवस्था करने के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्ता प्राधिकरण (International Airport Authority of India IAAI) की स्थापना की गई।

पाचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 (Fifth Five Year Plan) - योजना में वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 294 करोड़ रूपए था। योजना में वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए संचार विमान चाला उपकरणों की व्यवस्था पर जोर दिया गया। योजनावधि में एयर इंडिया की वाहन क्षमता 119.6 करोड़ उपलब्ध सीट किलोमीटर तथा इंडियन एयर लाइन्स की क्षमता 484.6 करोड़ उपलब्ध सीट किलोमीटर हो गई।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) - छठी योजना में वायु परिवहन पर वास्तविक व्यय 957 करोड़ रूपए था। योजनावधि में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की क्षमता में विस्तार कार्यशाला और रख-रखाव की सुविधाओं में विस्तार हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपकरणों की अधिक व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। देश के भीतर ही वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए जनवरी 1981 में वायुदूत सेवा शुरू की गई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 (Seventh Five Year Plan) - सातवीं योजना में वायु परिवहन विकास पर 1948 करोड़ रूपए खर्च किए गए। 1985 में पटना हंस लिमिटेड हैलीकोप्टर सेवा तथा 1986 में नेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी की स्थापना की। तीसरी परिवहन सेवा वायुदूत लिमिटेड का विस्तार करके 105 स्टेशनों को जोड़ा गया। योजनावधि में वायु परिवहन का आधुनिकीकरण तथा नए वायुयान खरीद कर क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।

वार्षिक योजनाएँ 1990-91, 1991-92 (Annual Plans) - वायु परिवहन से 1990-91 में आय टन किलोमीटर 210 करोड़ रूपए तथा 1991-92 में आय टन किलोमीटर 194 करोड़ रूपए हुई। वायु परिवहन यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 1990-91 में 105.8 लाख तथा 1991-92 में 113.94 लाख यात्री लाये ले जाये गए। वर्ष 1990-92 में वायु परिवहन पर 765 करोड़ रूपए खर्च किए गए।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan) - आठवीं योजना में वायु परिवहन विकास पर 410.6 करोड़ रूपए व्यय का प्रावधान किया गया जो योजना परियोजना का 0.9 प्रतिशत था। वायु परिवहन से 1996-97 में आय टन किलोमीटर 226.47 करोड़ रूपए तथा 114.43 लाख यात्री लाये ले जाये गए।

वायु परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय
(करोड़ रूपए)

पंचवर्षीय योजनाए	व्यय	योजना का प्रतिशत
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	23	1.3
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	49	1.0
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	49	0.6
वार्षिक योजनाए (1966-69)	66	1.0
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)	177	1.1
पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)	294	0.8
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	957	0.9
सातवी पंचवर्षीय योजना (1985-90)	1948	1.0
वार्षिक योजना (1990-92)	765	0.6
आठवी पंचवर्षीय योजना (1992-97)	4106	0.9

Source Eighth Five Year Plan, Government of India, 1992-97, Vol II

भारत में वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति

(Present Position of Air Transport in India)

पिछले कुछ वर्षों में वायु परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मार्च 1995 में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट्स अथोरिटी और नेशनल एयरपोर्ट्स अथोरिटी को मिलाकर एयरपोर्ट्स अथोरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। भारत में 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ। उदारीकरण में अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में निजी प्रवेश निरन्तर बढ़ा। वायु परिवहन के क्षेत्र में भी निजी प्रवेश को गति मिली। भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत नाम चर्चित रहे। एयर इंडिया के जम्बो यात्रियों को केवल देश की सरहद के पार के लिए उपलब्ध है। इंडियन एयरलाइन्स चुनिन्दा शहरों तक उड़ान भरने के लिए उपलब्ध हैं। वायुदूत सेवा धीरे-धीरे दम तोड़ बैठी। उदारीकरण के दौर में चन्द निजी विमान सेवाओं ने कदम रखा है। वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है

1 एयर इंडिया (Air India) - एयर इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा में सलग्न है। इसकी स्थापना वायु निगम अधिनियम 1953 के अन्तर्गत हुई। एयर इंडिया ने 1990-91 में 21.61 लाख यात्रियों को सेवाएँ प्रदान की जो बढ़कर 1997-98 में 30.63 लाख यात्री हो गईं। एयर इंडिया का 1990-91 में राजस्व टन किलोमीटर 138.10 करोड़ रूपए था जो बढ़कर 1997-98 में 150.24 करोड़ रूपए हो गया।

एयर इंडिया पर 1995-96 में 271.8 करोड़ रूपए शुद्ध हानि का भार था जबकि 1994-95 में एयर इंडिया का लाभ 40.8 करोड़ रूपए था। अप्रैल-सितम्बर

1996 मे एयर इंडिया को 195 करोड रूपए (प्राविजाल) हाणि हुई। 1997-98 मे एयर इंडिया कठिन दौर से गुजरी। एयर इंडिया को अप्रैल सितम्बर 1997 के बीच 102 करोड रूपए का घाटा उठाना पडा। एयर इंडिया का कुल संचालन राजस्व 1994-95 मे 2989 करोड रूपए था जो बढकर 1995-96 मे 34265 करोड रूपए हो गया। इस प्रकार 1995-96 मे कुल संचालन राजस्व (Total Operating Revenue) मे 146 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एयर इंडिया का कुल संचालन व्यय 1994-95 मे 2920 करोड रूपए था जो 249 प्रतिशत बढकर 1995-96 मे 36475 करोड रूपए हो गया।

एयर इंडिया की हाणि का कारण अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओ के बीच छिडी विरायत जग रहा। पूर्वी एशियाई देशो के मुदा सकट रूपए की गिरती दर और हाल मे (1997-98) अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों के बीच विरायत कम करने के लिए छिडी स्पर्धा ने एयर इंडिया के हितो के लिए अत्यन्त गभीर सकट पैदा कर दिया। एयर इंडिया अपने नेटवर्क को मुनाफे के दृष्टिकोण से देखने हुए घाटा उठाने वाले देशों जैसे ज्यूरिख दक्षिण अफ्रीका की उडाओं के स्थान पर सिंगापुर पश्चिम एशिया और निकारागो मे तथा डालर वाले रूट पर अधिक उडाओं पर जोर दिया जा रहा है। एयर इंडिया मे हाणि से निपटने के लिए एकदम नए विमान शामिल करना आवश्यक हो गया है। वर्ष 1997-98 मे दो बोईंग 747-200 विमान नेचने का निर्णय हो चुका है दो ऐसे ही विमान और बेचे जाएगे तथा इन्वे स्थान पर छार नए विमान जल्द बेडे मे शामिल हो जाएगे।

2 इंडियन एयरलाइन्स (Indian Airlines) - इंडिया एयरलाइन्स की स्थापना वायु निगम अधिनियम 1953 के अन्तर्गत की गई थी। यह देश के प्रमुख नगरो मे वायुयान सेवाए उपलब्ध कराता है। इंडिया एयरलाइन्स देश के आन्तरिक भागो के अतिरिक्त पडीसी देशो यथा श्रीलका नेपाल बांग्लादेश मालदीप सिंगापुर थाइलैण्ड अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान मे वायु परिवहन सेवा प्रदान करता है। वर्तमान मे इंडिया एयर् लाइन्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप मे कार्यरत है। यह आवश्यकतानुसार पूजा बाजार से पूजा प्राप्त कर सकती है।

इंडियन एयरलाइन्स से 1990-91 मे 7866 लाख व्यक्तियो ने सफर किया। यह संख्या 1997-98 मे बढकर 8380 लाख हो गई। इंडिया एयरलाइन्स का राजस्व टा किलोमीटर 1990-91 मे 6992 करोड रूपए था जो बढकर 1997-98 मे 9275 करोड रूपए (प्राविजाल) हो गया। इंडियन एयरलाइन्स के लिए 1995-96 पिछले कुछ वर्षो की तुलना मे अच्छा रहा। कम्पनी ने 1995-96 मे 15651 करोड रूपए का संचालन लाभ अर्जित किया जो 1994-95 के 3624 करोड रूपए की तुलना मे 332 प्रतिशत अधिक था।

3 वायुदूत (Vajudoot) - देश मे वायुदूत सेवा जावरी 1981 मे प्रारम्भ की गई। वायुदूत एरो क्षेत्रो मे सेवाए प्रदान करती है जहा इंडिया एयर लाइन्स की सेवाए नहीं पहुच पाती है। वायुदूत मुख्यत उत्तरपूर्वी अंचल के दुर्गम क्षेत्रो व्यापार

वाणिज्य तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाएँ प्रदान करती है।

वायुदूत की अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रूपए है जो एयर इंडिया लि व इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बराबर बराबर प्रदान की गई। वायुदूत का मुख्यालय नई दिल्ली में, क्रियात्मक मुख्यालय गुवाहटी में तथा सर्विसिंग केन्द्र कलकत्ता में है। वायुदूत को 1990-91 में 30.07 करोड़ रूपए तथा 1991-92 में 30.59 करोड़ रूपए की हानि हुई। वर्ष 1993-94 में वायुदूत का इंडियन एयरलाइन्स में विलय कर दिया गया। वायुदूत में 1980-81 में 19 हजार व्यक्तियों ने सफर किया। वायुदूत में यात्रियों की संख्या 1990-91 में 5.53 लाख तथा 1992-93 में 2.27 लाख यात्री थी। वायुदूत का राजस्व टन किलोमीटर 1985-86 में 70 लाख रूपए था जो बढ़कर 1990-91 में 1.99 करोड़ रूपए हो गया तथा 1992-93 में 1.10 करोड़ रूपए था।

4. पवन हंस (Pawan Hans) - पवन हंस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुम्बई तथा नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। पवनहंस की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 15 अक्टूबर 1985 को की गई। यह कार्य सम्पन्न करने के लिए हेलीकाप्टरों का प्रयोग करता है। पवन हंस की स्थापना का मुख्य ध्येय पेट्रोलियम क्षेत्र की हवाई सेवा की आवश्यकता को पूरा करना है। पवनहंस पेट्रोलियम क्षेत्र के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सरकार, लक्ष्यद्वीप प्रशासन, गैसे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीमा सुरक्षा बल, राजस्व विभाग को भी हवाई सेवाएँ प्रदान करता है।

पवन हंस की कुल राजस्व उड़ान 1994-95 में 18,458 घंटे तथा 1995-96 में 18,562 घंटे थी। वर्ष 1995-96 में राजस्व आय 156.68 करोड़ रूपए तथा शुद्ध लाभ 37.26 करोड़ रूपए था। अप्रैल-सितम्बर 1996 के दौरान उड़ान 10,470 घंटे, राजस्व 87.72 करोड़ रूपए और शुद्ध लाभ 26.50 करोड़ रूपए था।

5. अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स विभाग (International Airports Division) - एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स विभाग देश में पाँच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स यथा मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम का प्रबन्ध, संचालन व विकास करता है। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स विभाग ने 1994-95 में 97.7 करोड़ रूपए तथा 1995-96 में 113.59 करोड़ रूपए शुद्ध लाभ अर्जित किया। 1995-96 के दौरान इसके खर्चों में 35 प्रतिशत तथा राजस्व में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स डिवीजन में 1995-96 में यात्री संख्या 256.4 लाख तथा जहाजों में लादा माल (Cargo) 5,61,582 टन था। वर्ष 1995-96 में यात्री संख्या में 12 प्रतिशत और जहाजों में लादे माल में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स डिवीजन ने 1994-95 में 15.28 करोड़ रूपए (31 मार्च 1995 को चुकता पूँजी का 25 प्रतिशत) तथा 1995-96 में 22.72 करोड़ रूपए (कर पश्चात् लाभ 20 प्रतिशत) लाभार्थ घोषित किया।

6 भारतीय एयरपोर्ट्स प्राधिकरण (Airports Authority of India AAI) — एक अप्रैल 1995 को दो प्राधिकरण यथा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स प्राधिकरण की विलय करके भारतीय एयरपोर्ट्स प्राधिकरण का गठन किया गया। यह नागर विमानन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना सुविधा मुहैया कराता है। प्राधिकरण सुरक्षित व कुशल वायु परिवहन के लिए उत्तरदायी है।

7 राजस्व (Revenue) — नागर-विमानन से आय टन किलोमीटर 1990-91 में 208 करोड़ रूपए थी जो घटकर 1993-94 में 178.90 करोड़ रूपए रह गई। राजस्व टन किलोमीटर 1995-96 में 234.17 करोड़ रूपए तथा 1997-98 में 233 करोड़ रूपए था।

8 यात्री (Number of Passengers Carried) — नागर विमानन से 1990-91 में 105.80 लाख यात्रियों ने सफर किया। यात्रियों की संख्या बढ़कर 1991-92 में 113.94 लाख हो गई। बाद के वर्षों में यात्रियों की संख्या घटी। नागर-विमानन से 1994-95 में 99.11 लाख यात्रियों तथा 1997-98 में 114.43 लाख यात्रियों (प्राविजनल) ने सफर किया।

9 भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (International Airports Authority of India IAAI) — अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1990-91 में 177.23 लाख यात्रियों का प्रबन्ध किया गया। यात्रियों की संख्या बढ़कर 1994-95 में 228.90 लाख तथा 1997-98 में 365 लाख (प्राविजनल) हो गई। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1990-91 में 377.33 हजार टन माल जहाजों पर लादा गया। जहाजों पर लादा माल (Cargo Handled) 1994-95 में 494 हजार टन था जो बढ़कर 1995-96 में 561.58 हजार टन तथा 1997-98 में 706 हजार टन हो गया।

वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of Air Transport)

स्वातन्त्र्यपश्चात् वायु परिवहन के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गए। वायु परिवहन के विकास हेतु सुझाव देने के लिए कई समितियों की स्थापना की गई। फरवरी 1950 में नियुक्त की गई वायु परिवहन जांच समिति ने सितम्बर 1950 में रिपोर्ट दी। वायु परिवहन कम्पनियों की आर्थिक स्थिति बर्तमान थी। भारत सरकार ने मई 1953 में वायु निगम अधिनियम पारित कर वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अनेक विमान कम्पनियों के स्थान पर दो निगम यथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन बनाए गए। वर्तमान में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का नाम इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड तथा एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का नाम एयर इंडिया लिमिटेड है।

वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

(Arguments in Favour of Nationalisation of Air Transport)

1 तीव्र विकास (Rapid Development) – निजी विमान कम्पनियों के पास वित्तीय ससाधनों का अभाव होता है। इस कारण वे विमानों की खरीद प्रौद्योगिकी विकास व आधुनिकीकरण पर अधिक व्यय नहीं कर पाती है। राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार ने वायु परिवहन के विकास पर भारी पूंजी विनियोजन किया नतीतजन वायु परिवहन का तीव्र विकास संभव हो सका है।

2 लोकोपयोगी (Public Importance) – वायु परिवहन लोकोपयोगी सेवा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसका सार्वजनिक क्षेत्र में होना ही तर्कसंगत है। निजी विमान कम्पनियाँ जनता का शोषण करने से नहीं चूकती हैं। राष्ट्रीयकरण से वायु परिवहन राष्ट्रीय धरोहर बन गया है तथा जनहित में इसका संचालन संभव हो सका है।

3 राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) – वायु परिवहन का नियंत्रण सरकार के हाथों में होने के कारण संकट के समय वायु सेवा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी वायु परिवहन का उपयोग संभव है।

4 प्रतिस्पर्धा से रक्षा (Protection from Competition) – भारत की निजी विमान कम्पनियाँ इस स्थिति में नहीं थी कि वे विकसित देशों की विमान कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। राष्ट्रीयकरण के कारण भारतीय वायु परिवहन विदेशी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आ सका है। आज भारतीय वायु परिवहन अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के पालन में सक्षम है।

5 मितव्ययिता (Economy) – राष्ट्रीयकरण से पूर्व वायु परिवहन के क्षेत्र में अनेक कम्पनियाँ सक्रिय थीं। वायु परिवहन के नियंत्रण में अनेक व्यवस्थाएँ थीं। वायु परिवहन तथा वायुयानों का निर्माण दोनों पृथक क्षेत्रों में थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् केवल दो ही प्रबन्ध व्यवस्थाएँ रह जाने के कारण वायु सेवाओं में समरूपता के कारण प्रशासन में आर्थिक मितव्ययिता आई है।

6 समन्वय (Co ordination) – राष्ट्रीयकरण से पूर्व विमान कम्पनियों की अधिकता के कारण इनमें समन्वय का अभाव था। राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित इंडियन एयरलाइन्स को देश की सीमा के भीतर और पड़ोसी देशों को भारतीय महानगरों के साथ मिलने वाले वायु मार्गों पर वायु परिवहन सेवा प्रदान करने का अधिकार है तथा एयर इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्गों पर सेवा प्रदान करता है।

7 सार्वजनिक विनियोजन का सर्वोत्तम उपयोग (Best Utilisation of Public Sector Investment) – राष्ट्रीयकरण से पूर्व वायु परिवहन पर राजकीय स्वामित्व नहीं होने के बावजूद भी सरकार वायु परिवहन कम्पनियों को भारी-भरकम वित्तीय सहायता मुहैया कराती थी तथा हवाई अड्डों के निर्माण पर सरकार प्रारम्भ से

ही भारी व्यय कर रही थी। निजी वायु परिवहन कम्पनियाँ इसके बावजूद भी जनता को स्तरीय सुविधाएँ मुहैया कराने में असमर्थ थीं। अतः ऐसी स्थिति में वायु परिवहन कम्पनियों को निजी क्षेत्र में रखना असंगत था।

8 अधिक सुविधाएँ (More Facilities) - निजी विमान कम्पनियाँ लाभार्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। इनका सामाजिक उद्देश्य गौण होता है। वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण से यात्रियों के लिए अच्छी व अधिक सेवाएँ प्रदान किया जाना संभव हो सका है। जन कल्याण के क्षेत्र में भी राष्ट्रीयकृत कम्पनियाँ अधिक खर्च करती हैं।

9 अव्यवस्था का अन्त (End of Mis management) - राष्ट्रीयकरण से पूर्व अनेक छोटी-छोटी वायु परिवहन कम्पनियाँ थीं। इससे साधनों का एकीकृत प्रयोग संभव नहीं था। प्रत्येक कम्पनी नियमों के अधीन मनमानी करती थी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् साजोसामान कर्मचारियों तथा कार्य-केंद्रों की क्षमता का समुचित उपयोग संभव हो सका है।

10 समाजवाद (Socialism) - भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना का ध्येय समाजवाद को गति देना था। इसे दृष्टिगत रखते हुए पचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उत्तरोत्तर विकास किया गया। इस कारण वायु परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण किया गया।

11 कर चोरी (Evasion of Tax) - निजी क्षेत्र सरकार को ईमानदारी से व समय पर कर का भुगतान नहीं करता है। निजी वायु परिवहन कम्पनियों की भी यही स्थिति थी। राष्ट्रीयकरण से कर चोरी की समस्या कम हुई है।

वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क
(Argument Against Nationalisation of Air Transport)

1 क्षतिपूर्ति (Compensation) - निजी क्षेत्र की वायु परिवहन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार को भारी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी जिससे सरकार पर आर्थिक भार बढ़ा। वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार को वायु परिवहन कम्पनियों को 95 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। इसका भार करदाताओं को बहन करना पड़ा।

2 दोहरी प्रबन्ध व्यवस्था (Dual Management) - वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् दोहरी व्यवस्था यथा इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया लागू हुई। इंडियन एयरलाइन्स देश के भीतर तथा एयर इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु सेवाओं का संचालन करता है। दोहरी व्यवस्था के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

3 निर्णयन का अभाव (Lack of Decision Making) - वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण से इसकी निर्णयन क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण लातफीताशाही अफसरशाही आदि के कारण

भारत में वायु परिवहन

निर्णयों में अनावश्यक विलम्ब होता है।

4. एकाधिकार (Monopoly) – राष्ट्रीयकरण से वायु परिवहन पर सरकार का एकाधिकार स्थापित हो गया। वायु परिवहन के क्षेत्र में एकाधिकार के दोष उजागर होने लगे। एकाधिकार के कारण सरकार उपभोक्ताओं से मनमाना किराया वसूल करती है।

5. निजी साहस की समाप्ति (End of Private Venture) – राष्ट्रीयकरण से वायु परिवहन में निजी साहसी का प्रवेश निषेध हो गया है। वायु परिवहन के क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजी साहस को भी प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए थी जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता जिसका लाभ अन्ततः आम लोगों को मिलता।

6. अपव्यय (Extravagant) – निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का प्रत्यक्ष हित होता है इस कारण ससाधनों की बरबादी नहीं होती है। राष्ट्रीयकरण के कारण कर्मचारियों का निजी हित नहीं होने के कारण अपव्यय अधिक होता है। "सरकार की सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति नहीं" के कारण ससाधनों की बरबादी होती है।

7. औद्योगिक नीति के प्रतिकूल निर्णय (Decision against Industrial Policy) – भारत की पहली 1948 की औद्योगिक नीति में वायु परिवहन का आगामी दस वर्षों तक राष्ट्रीयकरण नहीं करने का उल्लेख था इसके बावजूद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिसका विरोध होना स्वाभाविक था।

वायु परिवहन की समस्याएँ एवं समाधान

(Problems and Suggestions of Air Transport in India)

भारत में वायु परिवहन का 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1998 में राष्ट्रीयकरण के 45 वर्ष पूरे हो चुके। आर्थिक उदारीकरण में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण से निजीकरण की ओर अग्रसर है। निजीकरण और राष्ट्रीयकरण के अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वायु परिवहन समस्याओं से अछूता नहीं है। आज वायु परिवहन के सामने अनेक समस्याएँ मुहबाएँ खड़ी हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं।

1. प्रतिस्पर्धा (Competition) – एयर इंडिया इस स्थिति में नहीं है कि वह विकसित देशों की वायु परिवहन कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके। विदेशी वायु परिवहन कम्पनियाँ यात्रियों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ देती हैं। एयर इंडिया सीमित ससाधनों तथा ऊँचे किराये भाड़े के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए एयर इंडिया को सस्ती व प्रतिस्पर्धी सेवाएँ यात्रियों को प्रदान करनी चाहिए।

2. वित्तीय ससाधनों का अभाव (Lack of Financial Resources) – वायु परिवहन के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान की अधिक आवश्यकता होती है। विकसित

राष्ट्रों द्वारा आविष्कार और विकास पर अधिक बल दिये जाने के कारण विकासशील राष्ट्रों की तकनीक शीघ्र पुरानी पड़ जाती है। भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक नहीं होने के कारण इस मद पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत के पास विदेशी मुद्रा अधिक नहीं है। विदेशी मुद्रा के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वायु परिवहन के क्षेत्र के शोध व अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

3 अधिक किराया व भाड़ा (Higher Rent) - भारत में वायु परिवहन की किराया व भाड़े की दरें अधिक हैं। तेल की कीमतों में हुई वृद्धि ने इसे और महंगा बना दिया है। इसके अलावा भारत में वायु परिवहन की गति बढ़ाने पर ही अधिक दिया गया। सरती व सुरक्षित सेवा मुहैया कराने पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। भारत में वायु परिवहन के किराये व भाड़े की दरें कम की जानी चाहिए।

4 सुविधाओं का अभाव (Lack of Facilities) - भारत में हवाई अड्डों पर और वायुयानों में स्तरीय सुविधाओं का अभाव है। आधुनिकतम सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय वायु परिवहन कर्मचारियों को आकर्षित कर पाती है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय वायु परिवहन कम्पनियों को विकसित देशों की वायु परिवहन कम्पनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। भारतीय वायु परिवहन कम्पनियों को भी कर्मचारियों को आधुनिकतम सुविधाएँ मुहैया करानी चाहिए।

5 महंगा पेट्रोल (High Price Petrol) - भारत में खनिज तेल की मांग व पूर्ति में भारी अंतराल है। अतिरिक्त मांग की पूर्ति आयात द्वारा पूरी की जाती है। इस कारण भारत का तेल पूल घाटा निरन्तर बढ़ा। वायु परिवहन में ऊर्जा के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल की अधिक कीमतों के कारण वायु परिवहन का संचालन व्यय बढ़ जाता है। वायु परिवहन को पर्याप्त पेट्रोल उचित कीमतों पर मुहैया कराना चाहिए।

6 योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव (Lack of Capable and Trained Employees) - देश में प्रशिक्षण संस्थाओं के अभाव के कारण योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। वायु परिवहन में योग्य चालकों का अभाव है। वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में पूना, बंगलौर तथा इलाहाबाद में तीन ग्लाइडिंग केंद्र हैं। इनके अलावा दिल्ली व पिलानी में निजी क्षेत्र में संचालित दो ग्लाइडिंग केंद्र हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में प्रशिक्षण पर पर्याप्त राशि व्यय की गई। इसके बावजूद भी देश में योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव बना हुआ है। देश में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। वायु परिवहन के विकास को दृष्टिगत रखते हुए अधिक ग्लाइडिंग केंद्र विकसित किए जाने चाहिए।

7 हड़तालें (Strikes) - एक तो देश में वायु परिवहन के क्षेत्र में योग्य व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है दूसरी ओर जो कर्मचारी वायु परिवहन में कार्यरत हैं। अपने वेतन भत्ते व सुविधाएँ बढ़ाने के लिए हड़ताल करते रहते हैं जिससे वायु

परिवहन की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कर्मचारियों से सबध सुधार कर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

8 सीमित क्षेत्र (Limited Scope) – वायु परिवहन के लिए हवाई अड्डों का विकास आवश्यक है। भारत विशाल देश है किन्तु यहाँ हवाई अड्डों का अभाव है। देश में केवल पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। वायु परिवहन के विकास के लिए प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्रों पर हवाई अड्डों का निर्माण किया जाना चाहिए।

9 वायुयानों का अभाव (Lack of Aeroplanes) – वायु सेवा की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए वायुयानों की पर्याप्तता आवश्यक है। भारत में वित्तीय ससाधनों का अभाव है। इस कारण एयर इंडिया व इंडियन एयनलाइन्स में वायुयानों का अभाव महसूस किया जाता है। समस्या से निपटने के लिए वायुयानों के क्रय के लिए पर्याप्त वित्तीय ससाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए।

10. दुर्घटनाएँ और अपहरण (Accidents and Hijacking) – भारत में वायु परिवहन दुर्घटना की समस्या से ग्रसित है तथा वायुयानों के अपहरण की घटनाएँ भी घटित हुई हैं। चालकों की लापरवाही, खराब मौसम, यांत्रिक खराबी तथा पक्षियों से टकराने के कारण दुर्घटनाएँ होती हैं। वायुयान दुर्घटना से जाना व माल की बड़ी क्षति होती है। लोग वायु परिवहन यात्रा से डरते हैं। वर्ष 1985 में एयर इंडिया के 'कनिष्क' विमान की दुर्घटना भयावह थी इसमें 329 लोग मारे गए। विमान दुर्घटनाओं के कारण वर्ष 1990 में एयर बस ए-320 की उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आधुनिक यंत्रों, सुरक्षा उपकरणों तथा योग्य चालकों की नियुक्ति से दुर्घटनाओं व अपहरण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।

11 घाटे की समस्या (Problem of Deficit) – वायु परिवहन घाटे की समस्या से ग्रसित है। हाल ही के वर्षों में एयर इंडिया को भारी घाटा उठाना पड़ा। वायुदूत का तो घाटे के कारण इंडियन एयरलाइन्स में विलय करना पड़ा है। एयर इंडिया पर 1995-96 में 2718 करोड़ रूपए शुद्ध हानि का भार था तथा अप्रैल-सितम्बर 1997 के बीच 102 करोड़ रूपए का घाटा उठाना पड़ा। वायुदूत को 1990-91 में 3007 करोड़ रूपए तथा 1991-92 में 3059 करोड़ रूपए की हानि हुई। वायु परिवहन में घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल के उपभोग तथा प्रशासनिक खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता है।

12 प्रदूषण (Pollution) – वायुयानों की गति ध्वनि से भी तेज होती है। वायुयानों के उड़ने पर ध्वनि प्रदूषण होता है। आज विश्व में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता है। आधुनिकतम तकनीक से वायुयानों की ध्वनि पर नियंत्रण किया जा सकता है।

13 दोहरी व्यवस्था (Dual System) – भारत में आन्तरिक परिवहन के लिए इंडियन एयर लाइन्स तथा अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवा के लिए एयर इंडिया की स्थापना

की गई है। वायु परिवहन में दोहरी व्यवस्था के कारण कार्यकुशलता का हास, संचालन व्यय में वृद्धि, प्रबन्ध में शिथिलता आदि समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इस समस्या पर विजात पाने के लिए निम्नो में परस्पर समन्वय आवश्यक है।

14 औपचारिकताएँ (Formalities) - हवाई अड्डों पर अनेक प्रकार की औपचारिकताओं तथा कस्टम, स्वस्थ, आवास आदि के कारण यात्रियों विशेषकर पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु परिवहन में कुछ औपचारिकताएँ आवश्यक होती हैं किन्तु अनेक बार यात्रियों को जानबूझकर परेशान किया जाता है जो कि गलत प्रवृत्ति है। वायु परिवहन में यात्रियों को आकर्षित करने के लिए औपचारिकताओं को कम तथा सरल बनाया जाना चाहिए।

भारत में वायु परिवहन के विकास की संभावनाएँ

(Potentialities of Development of Air Transport in India)

भारत में वायु परिवहन के विकास की अच्छी संभावनाएँ हैं। भारत जनाधिक्य की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है तथा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल भी अधिक है। भारत विकासशील देशों में अग्रणी है। आज भारत की गिनती दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में की जाती है। देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हाल के वर्षों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। जीवन स्तर बढ़ने के साथ लोग वायु परिवहन का उपयोग करने लगे हैं। भारत की भौगोलिक संरचना भी वायु परिवहन की दृष्टि से अनुकूल है। देश में दुर्गम पहाड़ी स्थलों की बहुलता है जहाँ यात्रा वायु परिवहन द्वारा उपयुक्त रहती है। वर्तमान में हवाई अड्डों की संख्या कम है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या तो केवल पाँच ही है। भारत की आर्थिक प्रगति के साथ वायु परिवहन के विकास की भी आवश्यकता होगी। भारत की राष्ट्रीय यातायात नीति समिति, 1980 के अनुसार भारत में वायु यातायात 1987-88 में 68 अरब यात्री किलोमीटर था जो बढ़कर 1992-93 में 129 अरब यात्री किलोमीटर हो गया। वर्ष 2000 तक वायु यातायात 236 अरब यात्री किलोमीटर होने का अनुमान है। अतः भारत में वायु परिवहन का भविष्य उज्ज्वल है।

सन्दर्भ

- 1 राजस्थान पत्रिका, 2 फरवरी, 1998
- 2 वही, 3 फरवरी, 1998

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन का क्या महत्व है?
- 2 वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए।

- 3 वायु परिवहन की क्या समस्याएँ हैं?
- 4 आठवीं पंचवर्षीय योजना में वायु परिवहन विकास बताइए।
- 5 वायु परिवहन के विकास की क्या सभावनाएँ हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में वायु परिवहन का क्या महत्त्व है? पंचवर्षीय योजनाओं में वायु परिवहन के विकास का विवेचन कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये वायु परिवहन का महत्त्व बताना है तथा दूसरे भाग में पंचवर्षीय योजनाओं में वायु परिवहन के विकास को लिखना है।)
- 2 भारत में वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति समस्याओं और सभावनाओं का विवेचन कीजिए।
(सकेत – इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति समस्याओं और सभावनाओं को लिखना है।)
- 3 भारत में वायु परिवहन की क्या समस्याएँ हैं तथा उनके समाधान के सुझाव दीजिए।
(सकेत – प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई वायु परिवहन की समस्याएँ तथा समाधान के सुझाव लिखने हैं।)
- 4 वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।
(सकेत – प्रश्न के प्रथम भाग में वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क और दूसरे भाग में विपक्ष में तर्क लिखने हैं।)

भारत में जल परिवहन (Water Transport in India)

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विकासशील देशों में भारत के पास व्यापारिक जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा है। जहाजों द्वारा ढोये जाने वाले माल की दृष्टि से विश्व में भारत का पन्द्रहवाँ स्थान है। 31 दिसम्बर 1993 तक भारतीय जहाजी बेड़े में 443 पात शामिल थे जिनकी सकल पंजीकृत क्षमता (जी आर टी) 62 67 लाख टन थी। वर्तमान समय में भारत की कुल जहाजी शक्ति समस्त विश्व की जहाजी शक्ति का केवल एक प्रतिशत है। अतीत में भारत का समुद्री यातायात और जहाज निर्माण उद्योग उन्नति के शिखर पर था। डॉ. राधाकुमुद मुर्कजी के अनुसार प्राचीन भारतीय सभ्यता सत्स्र के कोन-कोने में इसलिए पहुँच सकी कि भारत के पास विशाल समुद्री शक्ति थी। हमारा शक्तिशाली जल जहाजी उद्योग के कारण ही सत्स्र के लाग हमारे धर्म एवं संस्कृति से प्रभावित हुए। सोलहवीं शताब्दी में भारत में निर्मित जहाजों का प्रयोग आज के विकसित देशों यथा इंग्लैण्ड फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में किया जाता था। किन्तु भारत की जहाजी शक्ति का गुलामी के दिना में अंग्रेजों की विद्वेषपूर्ण नीति के कारण पतन की शुरुआत हो गई। महात्मा गांधी के शब्दों में भारतीय जहाजरानी को समाप्त होना पड़ा ताकि ब्रिटिश जहाजरानी उन्नति कर सके।

भारत में जल परिवहन को सुविधा की दृष्टि से दो भाग में विभक्त किया जा सकता है—एक सामुद्रिक परिवहन (जहाजरानी) तथा दूसरा अन्तर्देशीय जल परिवहन।

जल परिवहन का महत्त्व

(Importance of Water Transport)

भारत की भौगोलिक स्थिति जल परिवहन की दृष्टि से अच्छी है। भारत तीन ओर समुद्र से घिरा है। भारत का समुद्र तट 5 560 किलोमीटर लम्बा है। भारत का

अधिकांश विदेशी व्यापार जल परिवहन से है। यहाँ उत्तम बंदरगाह है जिससे व्यापार द्वारा काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। भारत में जल परिवहन का महत्त्व निम्नलिखित है —

1. रोजगार सृजन (Employment Creation) — भारत में जल परिवहन में रेल, सड़क और वायु परिवहन की भाँति काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत सरीखे विकासशील देश के लिए रोजगार सृजन की दृष्टि से जल परिवहन उपयोगी स्रोत है।

2. सस्ता साधन (Cheap Source)— जल परिवहन अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में सस्ता है। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त निशुल्क उपहार है। रेल परिवहन में रेलवे लाइन तथा सड़कें परिवहन में सड़कें बनाना आवश्यक होते हैं जिनके लिए भारी विनियोजन की आवश्यकता होती है। जल परिवहन में ऐसे विनियोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा समुद्री जहाज डीजल अथवा कोयले से चलते हैं जो अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन है।

3. विशाल समुद्र तट (Vast Coast) — भारत का समुद्र तट 5,560 किलोमीटर लम्बा है। अन्य देशों से व्यापारिक संबन्ध बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करते जहाजरानी स्वाभाविक है।

4. अधिक माल ढोने के लिए कारगर (Sufficient to Carry Excess Load) — जल परिवहन लम्बी दूरी तक बड़े पैमाने पर माल ढोने के लिए सबसे कारगर और अपेक्षाकृत सस्ता साधन है। समुद्र तटवर्ती स्थानों के लिए तो यह सबसे उपयुक्त साधन है। समुद्री जहाजों में माल ढोने की क्षमता अधिक होती है।

5. सामरिक महत्त्व (Military Importance) — जल परिवहन का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। व्यापारिक जहाजों का राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी उपयोग होता है। सामुद्रिक जहाजों से यौद्धिक साजोसामान और सैनिकों को लाने और ले जाने का काम किया जाता है। युद्ध के समय समुद्री सीमा की निगरानी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नौ सेना के संरक्षण में होता है।

6. आधारभूत उद्योग (Base Industry) — जहाजरानी उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इस उद्योग की स्थापना से सहायक उद्योगों का विकास होता है।

7. व्यापार का विस्तार (Development of Trade) — जल परिवहन से अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है। अन्तर्देशीय जलमार्गों से आन्तरिक व्यापार बढ़ता है। तटीय व्यापार में जल परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शांतिकाल में जहाजरानी से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।

8. नये व्यापारिक क्षेत्रों की खोज (Discovery of New Trade Scopes) — जल परिवहन से नये-नये व्यापारिक क्षेत्रों की खोजना सम्भव है। सामुद्रिक परिवहन द्वारा 1442 में अमरीका की खोज हुई।

9 विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि (Increase in Foreign Exchange Reserve) — सामुद्रिक जहाजों द्वारा आयात और निर्यातों का किराया विदेशों द्वारा चुकाने पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने से भारत सखीखे विकासशील देश की भुगतान शेष की स्थिति सुधरती है।

10 कम पोषण व्यय (Less Supporting Expenditure) — जल परिवहन का पोषण व्यय रेल और सड़क मार्ग वं पोषण व्यय से बहुत कम होता है। उच्चतर आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के प्रतिवेदन के अनुसार रेल मार्ग का पोषण व्यय 12 000 रुपए से 17 000 रुपए तक प्रति मील सड़क का पोषण व्यय 800 रुपए से 8 600 रुपए तक प्रति मील आता है। जल परिवहन में गंगा नदी का पोषण व्यय 350 रुपए प्रति मील ही आता है।

भारत में सामुद्रिक परिवहन अथवा जहाजरानी (Overseas Shipping in India)

भारत विस्तृत समुद्र तट और उपयुक्त भौगोलिक स्थिति के कारण समृद्ध जहाजरानी का विकास कर सकता है। युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में जहाजरानी की कारगर भूमिका होती है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में जहाजरानी का विकास हुआ। वर्तमान में भारत का सामुद्रिक जहाजरानी की विशालता की दृष्टि से एशिया में दूसरा तथा विश्व में पन्द्रहवा स्थान है। योजना काल में भारतीय जहाजरानी के विकास के बावजूद विश्व के जहाजी बेड़े में भारत का भाग केवल एक प्रतिशत है।

जहाजरानी का प्रारम्भ (Beginning of Shipping) — भारत में टाटा ने 1893 में जापान और चीन से सूत का व्यापार करने वास्ते जहाजी कम्पनी प्रारम्भ की थी। इसके बाद 1906 में चिदम्बरम पिल्लई ने श्रीलंका से व्यापार करने के लिए तूतीकोरन में स्वदेशी शिपिंग कम्पनी की स्थापना की। आधुनिक जहाजरानी का प्रारम्भ वास्तव में 1919 में बालचन्द हीराचन्द के प्रयत्नों से सिधिया स्टीम डेविगेशन कम्पनी की स्थापना से हुआ। भारत के सामुद्रिक परिवहन के इतिहास में सिधिया कम्पनी का नाम उल्लेखनीय है।

भारतीयों द्वारा जहाजी बेड़े के विकास की माग जोर पकड़ने के कारण 1923 में सरकार ने हैण्डरम की अध्यक्षता में 'भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़ा समिति' (Indian Mercantile Marine Committee) नियुक्त की। जिसने भारतीयों को प्रशिक्षण देने वास्ते एक प्रशिक्षण जहाज की व्यवस्था करने, किसी ब्रिटिश मार्ग को खरीदकर मान्यता प्राप्त भारतीय कम्पनी को सौंपने, भारत का समुद्र तट भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करना तथा लाइसेंस केवल भारतीय जहाजों को ही देना आदि सिफारिश की गई। वर्ष 1928 में एस एन हाजी ने विधान सभा में भारत के समुद्र तटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने वं लिए बिल पेश किया किन्तु विरोधाभास के कारण बिल पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। वर्ष 1930 में लार्ड इरविन द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद

1937 में सर अब्दुल गजनवी ने जहाजी क्षेत्र में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त वास्ते बिल प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप तटीय शिपिंग के नियमन का आश्वासन दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जहाजरानी को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला। जहाजरानी की समस्या पर विचार करने वास्ते सर सी पी राम स्वामी अम्बर की अध्यक्षता में एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण नीति उपसमिति की नियुक्ति की गई जिसने विकास के ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जहाजी बेडे में 59 जहाज थे तथा उनकी माल ढोने की क्षमता 1.92 लाख जी आर टी थी।

पचवर्षीय योजनाओं में जहाजरानी का विकास (Development of Shipping During Plan Period)

भारत में नियोजन काल में जहाजरानी का पर्याप्त विकास हुआ। पचवर्षीय योजनाओं में जहाजों की संख्या तथा जहाजरानी क्षमता में वृद्धि हुई। योजनावार जहाजरानी का विकास निम्नलिखित है -

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951-56 (First Five Year Plan) - भारत में 1950-51 में जहाजों की कुल संख्या 130 थी जिसमें सामुद्रिक जहाज (जहाजरानी) 24 तथा तटीय जहाज (Coastal Shipping) 79 थे। कुल जहाजी क्षमता 3.9 लाख सकल रजिस्टर्ड टन (जी आर टी) थी जिसमें सामुद्रिक जहाजी क्षमता 1.7 लाख जी आर टी तथा तटीय जहाजी क्षमता 2.2 लाख जी आर टी थी। प्रथम योजना के प्रारम्भ में आधे से अधिक जहाज पुराने थे। जहाजी क्षमता बढ़ाने के लिए पुराने जहाजों को बदलने की आवश्यकता थी। प्रथम योजना में जहाजरानी विकास पर व्यय 19 करोड़ रुपए था। योजना के अंत में जहाजी क्षमता 4.8 लाख सकल रजिस्टर्ड टन (जी आर टी) हो गई। इसके अलावा योजना के अंतिम चरण में 1.2 लाख जी आर टी क्षमता के जहाज निर्माणधीन अवस्था में थे। देश विभाजन के कारण कराची बंदरगाह के पाकिस्तान के चले जाने के कारण पश्चिमी तट पर बंदरगाह की समस्या थी। प्रथम योजना में काडला बंदरगाह का निर्माण पूरा किया गया। जहाज निर्माण के प्रोत्साहन वास्ते सरकार ने 1952 में विशाखापट्टनम जहाज कारखाने को अधिकार में लिया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) - द्वितीय पचवर्षीय योजना में जहाजरानी विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए। वर्ष 1959 में सरकार को जहाजरानी के सबंध में सलाह देने के लिए नेशनल शिपिंग बोर्ड का गठन किया गया। जहाजरानी की उन्नति के लिए 1957-58 में जहाजी विकास कोष की स्थापना की गई। इसके अलावा अगस्त 1959 में ट्रेनिंग योजनाओं की देखरेख के लिए मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड की स्थापना की गई। योजनावधि में भारतीय जहाजी बेडे के विकास वास्ते तटीय व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विदेशी व्यापार को भारतीय जहाजों के नियंत्रण में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। द्वितीय पचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हो गई। द्वितीय योजना के अंत

में (1960-61) में वास्तविक जहाजी क्षमता 85 लाख जी आर टी तथा जहाजों की संख्या 172 थी। इसमें सामुद्रिक जहाज 75 तथा तटीय जहाज 97 थे। द्वितीय योजना में जहाजीरानी विकास व्यय 53 करोड़ रुपए था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 (Third Five Year Plan) – योजनावधि में भारत को 1962 में चीन से तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। जहाजराणी का सामरिक महत्त्व भी होता है। वर्ष 1962 में भारतीय जहाजराणी के लक्ष्यो में वृद्धि कर दी गई। योजना के अंत तक 13 लाख जी आर टी क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। हर्ष की बात यह है कि यह लक्ष्य 30 नवम्बर 1964 को ही पूरा किया जा चुका था। तृतीय योजना के अंत में जहाजी क्षमता 159 लाख जी आर टी तथा जहाजों की संख्या 221 थी। योजनावधि में उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह चालू हुआ। तृतीय योजना में जहाजराणी पर 40 करोड़ रुपए व्यय किया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 (Fourth Five Year Plan) – 2 जनवरी, 1972 को भारतीय प्रशिक्षण जहाज 'राजेन्द्र' बन कर पूरा हो गया। राजेन्द्र जहाज द्वारा 125 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष जहाज प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वर्ष 1974 में भारतीय जहाजों की टनेज विश्व की कुल जहाजी टनेज की एक प्रतिशत थी। आवश्यकता की तुलना में भारत का जहाजी टनेज बहुत कम है। योजना के अंत में भारत की जहाजी क्षमता का लक्ष्य 40 लाख जी आर टी निर्धारित किया गया। किन्तु वास्तविक उपलब्धि 309 लाख जी आर टी थी। योजना के अंत में जहाजों की संख्या 274 थी। 1974 में देश में 33 भारतीय जहाजी कम्पनियों पर 32,000 भारतीय कार्य करते थे। चतुर्थ योजना में जहाजराणी विकास पर 155 करोड़ रुपए व्यय किया गया।

पाचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 (Fifth Five Year Plan) – पाचवीं योजना में जहाजराणी विकास पर 469 करोड़ रुपए व्यय किया गया। योजना के अंत में जहाजों की संख्या बढ़कर 375 हो गई। योजना काल में जहाजीरानी क्षमता का लक्ष्य 8640 लाख जी आर टी निर्धारित किया गया। योजनावधि में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। वर्ष 1978 में जहाजराणी क्षमता 536 लाख जी आर टी तक ही पहुंच पाई जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थी।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) – छठी योजना में जहाजराणी विकास पर 468 करोड़ रुपए व्यय किया गया। योजनावधि में जहाजों की संख्या बढ़कर 450 हो गई। योजना के अंत में जहाजराणी क्षमता 64 लाख जी आर टी हो गई। प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात की मात्रा 1984-85 में 10673 मिलियन टन थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 (Seventh Five Year Plan) – सातवीं योजना में जहाजराणी विकास पर 693.41 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया किन्तु वास्तविक व्यय 670.05 करोड़ रुपए ही था। इसमें आन्तरिक ससाधन

और अतिरिक्त बजटीय ससाधन सम्मिलित नहीं है।' सातवीं योजना में जहाजों की संख्या बढ़कर 408 हो गई तथा जहाजरानी क्षमता 59.8 लाख जी आर टी थी। प्रमुख बन्दरगाहों पर यातायात की मात्रा 1989-90 में 147.28 मिलियन टन थी।'

वार्षिक योजना 1990-92 (Annual Plans) - जहाजरानी विकास पर 1990-91 में परिव्यय लक्ष्य 708 करोड़ रुपए जबकि वास्तविक व्यय 274.45 करोड़ रुपए था। वर्ष 1991-92 में जहाजरानी विकास परिव्यय लक्ष्य 611 करोड़ रुपए जबकि वास्तविक व्यय 966.46 करोड़ रुपए था। वर्ष 1991-92 में जहाजों की संख्या 430 तथा जहाजरानी क्षमता 62.8 लाख जी आर टी थी। प्रमुख बन्दरगाहों पर यातायात की मात्रा 155 मिलियन टन थी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan) - आठवीं योजना में जहाजरानी विकास परिव्यय 3,669 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया इसमें केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय 3,400 करोड़ रुपए तथा राज्य क्षेत्र परिव्यय 269 करोड़ रुपए था। योजनावधि में जहाजों की संख्या का लक्ष्य 460 तथा जहाजी क्षमता 70 लाख जी आर टी था।

योजनाकाल में जहाजरानी की प्रगति

वर्ष (योजनाओं के अंत में)	जहाजों की संख्या	जहाजी क्षमता (लाख जी आर टी)
1955-56	126	6.0
1960-61	172	8.6
1965-66	221	15.9
1973-74	274	30.9
1977-78	375	53.6
1984-85	450	64.0
1989-90	408	59.8
1991-92	430	62.8
1996-97	460	70.0
1997-98	484	67.9

- स्रोत 1 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं से संकलित
2 इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 14 मई 1999

नियोजन काल में भारतीय जहाजरानी का पर्याप्त विकास हुआ। जहाजों की संख्या 1955-56 में 126 थी जो 1989-90 में बढ़कर 408 तथा 1996-97 में और बढ़कर 460 (लक्ष्य) हो गई। जहाजी क्षमता में भी वृद्धि हुई। जहाजी क्षमता 1955-56 में 6 लाख जी आर टी थी जो 1989-90 में बढ़कर 59.8 लाख जी

आर टी तथा 1996-97 में भीर बढ़कर 70 लाख जी आर टी (लघु) हो गई। योजनागत में जहाजगरी माल दुलाई में भी वृद्धि हुई। वर्ष 1960-61 में जहाजरानी कुल माल दुलाई 33 मिलियन टन थी जो बढ़कर 1990-91 में 152 मिलियन टन तथा 1995-96 में और बढ़कर 215 मिलियन टन हो गई।

जहाजरानी के विविध आयाम (Different Extensions of Shipping)

1 जहाज निर्माण (Ship Manufacturing) - भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में 4 बड़े और तीन मध्यम दर्जे की गोदिया काम कर रही हैं। इसके भलावा गिजी क्षेत्र की 15 गोदिया देश की छोटे जलयानों की आवश्यकताएँ पूरी करती हैं। छोटी गोदियों से मछली पकड़ने वाले छोटे जलयानों की आवश्यकता भी पूरी की जाती है। कोचीन शिपयार्ड कोचीन से अधिकतम 86 000 डी डब्ल्यू टी और हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में अधिकतम 45 000 डी डब्ल्यू टी क्षमता के जहाजों की निर्माण की व्यवस्था है। जहाज निर्माण उद्योग अब निजी क्षेत्र के लिए भी खुला है। गिजी क्षेत्र को किसी भी आकार के जहाज बनाने की अनुमति है। छोटी गोदियों से मछली पकड़ने वाले छोटी जलयानों की आवश्यकता भी पूरी की जाती है।

2 जहाजों की मरम्मत (Repairs of Ships) - भारत में 13 शुष्क गोदियों में वाणिज्यिक जहाजों की मरम्मत का काम किया जाता है। कोचीन की गोदी में एक लाख डी डब्ल्यू टी और विशाखापट्टनम की गोदी में 57 हजार डी डब्ल्यू टी की क्षमता के जहाजों की मरम्मत की जा सकती है। अन्य शुष्क गोदियों में 10 000 तक डी डब्ल्यू टी क्षमता वाले जहाजों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है।

3 डिजाइन और अनुसंधान (Design and Research) - विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय जहाज डिजाइन और अनुसंधान संस्थान स्थापित है। यह एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है। यह देश के जहाज निर्माण तथा जहाजरानी उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी संबंधी आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराता है।

4 प्रशिक्षण सुविधाएँ (Training Facilities) - व्यापारिक जहाजरानी के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए देश में तीन संस्थान हैं -

- (i) टी एस चौक्या संस्थान मुम्बई - यह नौचहन कैंडेटों को समुद्र पूर्व प्रशिक्षण देता है।
- (ii) लाल बहादुर शास्त्री इंजीनियरिंग महाविद्यालय मुम्बई - यह नौचहन तथा इंजीनियरी में उच्च स्तर के यात्रिव पाठ्यक्रम आयोजित करता है।
- (iii) समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय मुम्बई और कलकत्ता - यह समुद्री इंजीनियरिंग के कैंडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

5 प्रमुख बन्दरगाह (Major Ports) - भारत के 5 000 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट पर 11 बड़े बन्दरगाह हैं। बड़े बन्दरगाहों की जिम्मेदारी बन्दर सरकार की है। बड़े बन्दरगाहों के अलावा भारत में 139 छोटे बन्दरगाह भी हैं जो सविधान की

समवर्ती सूची में आते हैं। इनका प्रबन्ध और प्रशासन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं।

पश्चिम तट के प्रमुख बन्दरगाह काडला, मुम्बई, मार्मुगाओ, न्यू मंगलौर, कोचीन और मुम्बई का नया जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। पूर्वी तट के प्रमुख बन्दरगाहों में तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम पाराद्वीप और कलकत्ता-हल्दिया शामिल हैं। देश के सभी प्रमुख बन्दरगाहों का प्रशासन प्रमुख बन्दरगाह न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) अधिनियम, 1963 की व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाता है।

देश के सभी प्रमुख बन्दरगाहों से होने वाले कुल कारोबार के पाचवें हिस्से से भी अधिक का यातायात मुम्बई बन्दरगाह से होता है। चेन्नई पूर्वी तट का सबसे पुराना बन्दरगाह है। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बन्दरगाह है।

6. प्रमुख बन्दरगाहों पर यातायात की मात्रा (Volume of Traffic of Major Ports) – प्रमुख बन्दरगाहों पर माल दुलाई 1984-86 में 107 मिलियन टन भी जो बढ़कर 1989-90 में 147 मिलियन तथा 1990-91 में 153 मिलियन टन हो गई। प्रमुख बन्दरगाहों पर माल दुलाई 1991-92 में 155 मिलियन टन थी। वर्ष 1991-92 में मुम्बई बन्दरगाह पर माल दुलाई 28.32 मिलियन टन, चेन्नई पर 23.35 मिलियन टन काडला पर 20.30 मिलियन टन तथा विशाखापट्टनम पर 19.28 मिलियन टन थी। वर्ष 1991-92 में प्रमुख बन्दरगाह पर माल दुलाई में मुम्बई बन्दरगाह का योगदान 18 प्रतिशत तथा चेन्नई बन्दरगाह का योगदान 15 प्रतिशत था। प्रमुख बन्दरगाहों पर दुलाई 1996-97 में 227 मिलियन टन तथा अप्रैल-नवम्बर 1997-98 में 251.5 मिलियन टन थी।⁸

7. प्रमुख बन्दरगाहों पर वस्तु अनुसार दुलाई (Commodity Wise Traffic at Major Ports) – भारत के प्रमुख बन्दरगाहों से पेट्रोल ऑयल और लुब्रिकेट्स (पी ओ एल), लौह-अयस्क, उर्वरक और कच्चा माल, खाद्यान्न, कोयला, खाद्य तेल, अन्य तरल, कण्टेनर सामान्य कारगो आदि की दुलाई होती है। प्रमुख बन्दरगाहों पर सबसे अधिक दुलाई पेट्रोल ऑयल और लुब्रिकेट्स, कोयला, लौह अयस्क की होती है। वर्ष 1996-97 में प्रमुख बन्दरगाहों पर 227 मिलियन टन की दुलाई हुई उसमें पेट्रोल ऑयल और लुब्रिकेट्स का भाग 43 प्रतिशत, कोयला का भाग 15 प्रतिशत तथा लौह अयस्क का भाग 14.5 प्रतिशत था। प्रमुख बन्दरगाहों से 1996-97 में पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेट्स की दुलाई 98 मिलियन टन थी।

8. प्रमुख बन्दरगाहों पर वस्तु अनुसार क्षमता (Commodity wise Capacity at Major Ports) – प्रमुख बन्दरगाहों पर वस्तु अनुसार क्षमता 1984-85 में 132.73 मिलियन टन थी जो बढ़कर 1989-90 में 161.32 मिलियन टन हो गई। प्रमुख बन्दरगाहों की वस्तु अनुसार क्षमता 1991-92 में 167.58 मिलियन टन थी। यह बढ़कर 1996-97 में 253.49 मिलियन टन हो गई।

9 बंदरगाह क्षमता और दुलाई (Port Capacity and Traffic) - वर्ष 1991-97 में प्रमुख बंदरगाहों की दुलाई क्षमता 167.58 मिलियन टन थी जबकि दुलाई 155 मिलियन टन रही। बंदरगाहों की क्षमता बढ़कर 1996-97 में 253.49 मिलियन टन हो गई जबकि दुलाई 228.64 मिलियन टन ही हुई। वर्ष 1996-97 में सर्वाधिक क्षमता काउला बंदरगाह की 37.60 मिलियन टन थी जबकि दुलाई सर्वाधिक चार्ज बंदरगाह की 34.70 मिलियन टन थी।

10 जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र योजना व्यय (Public Sector Plan Investment in Shipping) - भारत में जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय प्रथम योजना में 17 करोड़ रुपये द्वितीय योजना में 53 करोड़ रुपये तृतीय योजना में 40 करोड़ रुपये तीसरे वार्षिक योजनाओं (1966-69) में 32 करोड़ रुपये चतुर्थ योजना में 155 करोड़ रुपये पाचवी योजना में 469 करोड़ रुपये छठी योजना में 465 करोड़ रुपये सातवी योजना में 719 करोड़ रुपये (अनुमानित) वार्षिक योजनाओं (1990-92) में 1007 करोड़ रुपये तथा आठवी योजना में 3669 करोड़ रुपये (लक्ष्य) था।

जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय

(करोड़ रुपये)

योजना	योजना परिव्यय	जहाजरानी परिव्यय	जहाजरानी या योजना परिव्यय में प्रतिशत
प्रथम योजना (1951-56)	1968.00	19	0.97
द्वितीय योजना (1956-61)	4672.00	53	1.13
तृतीय योजना (1961-66)	8576.50	40	0.47
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	6625.40	32	0.48
चतुर्थ योजना (1969-74)	15778.00	155	0.98
पाचवी योजना (1974-79)	39426.20	469	1.19
छठी योजना (1980-85)	109291.70	465	0.42
सातवी योजना (1985-90)	218729.62	719 (अनु.)	0.33
वार्षिक योजना (1990-92)	123120.50	1007	0.82
आठवी योजना (1992-97)	434100 (अनु.)	3669	0.84

Source: *Eleventh Five Year Plan (1992-97) Volume II p. 257*

भारत में जहाजरानी की समस्याएँ और सुझाव (Problem of Shipping in India and Suggestions)

भारत में नियोजन काल में जहाजरानी में प्रगति की दिशा अभी यह समस्याओं से अछूता नहीं है। विश्व व विरासित देशों की तुलना में भारतीय

जहाजरानी की स्थिति दयनीय है। भारत में जहाजरानी की समस्याएँ और उनके समाधान निम्नलिखित हैं -

1 **कम जहाजी क्षमता (Less Shipping Capacity)** - बीते वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत बढ़ी है। विदेशी व्यापार की मात्रा (आयात और निर्यात दोनों) 1997-98 में 2 84,277 करोड़ रुपए था। विश्व के निर्यातों में भारत का भाग 1996 में 0.7 प्रतिशत था। भारत के बढ़ते विदेशी व्यापार को दृष्टिगत रखते हुए जहाजरानी क्षमता बहुत कम है। भारत की जहाजरानी क्षमता 1996-97 में लगभग 70 लाख जी आर टी थी जो अन्य देशों की तुलना में कम है। गोरतलव है जापान की जहाजी क्षमता 400 लाख जी आर टी है। भारत में जहाजी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार को जहाजरानी पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा निजी कम्पनियों को भी जहाज खरीदने के लिए वित्तीय सुविधाएँ मुहैया कराई जानी चाहिए।

2 **पुराने जहाज (Old Ship)** - भारत में जहाजों की कमी है इसके अलावा अधिकतर जहाज बहुत पुराने हैं। ज्यादा पुराने जहाजों में ईंधन की खपत ज्यादा होती है तथा उनके चलाने और रख-रखाव पर भी अधिक खर्च आता है। परिणामस्वरूप पुराने जहाजों के परिचालन व्यय, कर्मचारियों पर खर्च आदि बढ़ जाते हैं। भारतीय जहाजों का पुराना होना चिन्ताप्रद बात है। देश में 55 प्रतिशत से अधिक जहाज 11 वर्ष के अधिक पुराने हैं। केवल 20 प्रतिशत जहाज ही पाँच वर्ष की अवधि के हैं। वर्ष 1998 में 14 प्रतिशत जहाज 20 वर्ष से अधिक पुराने थे।⁹ रख-रखाव पर बढ़ते खर्च को कम करने वास्ते नये जहाजों के निर्माण पर बल देना चाहिए।

3 **रेल जहाज प्रतिस्पर्धा (Competition between Railway and Shipping)** - तटवर्ती परिवहन से भारी लदान यथा कोयला, सीमेन्ट, नमक आदि वस्तुएँ बड़े पैमाने पर भेजी जाती हैं। इन वस्तुओं के लिए रेलवे ने माल भाड़ा अपेक्षाकृत कम रखा है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता रेल परिवहन को ही प्राथमिकता देते हैं। माल भाड़ा कम रखने से रेलवे को घाटा उठाना पड़ता है। जहाजी कम्पनियों से व्यर्थ ही प्रतिस्पर्धा होती है। जून 1955 के नियुक्त रेल जहाज समन्वय समिति ने रेल भाड़े लागत व्यय के अनुसार निश्चित करने का सुझाव दिया था। परन्तु रेलों की प्रतियोगिता जारी है। रेल जहाज प्रतिस्पर्धा को कम करने की आवश्यकता है।

4 **अनावश्यक विलम्ब (Unnecessary Delay)** - बन्दरगाहों पर होने वाली देरी के कारण तटवर्ती नौ परिवहन को अन्य साधनों की तुलना में कम महत्त्व मिल पाता है। अनुमान है कि समुद्री जहाजों का 70 प्रतिशत समय बन्दरगाहों पर व्यतीत होता है। इस समस्या से निपटने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जहाजों को बन्दरगाहों पर अधिक खड़ा नहीं रहना पड़े।

5 **जटिल प्रक्रिया (Complicated Process)** - बन्दरगाह और तटकर सबंधी जटिल प्रक्रिया के कारण जहाजरानी क्षमता के अधिकतम उपयोग में बाधा पड़ती है।

तटवर्ती गैर परिवहन के क्षेत्र में दिशा-निर्देश के असातुला सशुधी बाधाए भी है। बंदरगाहा पर गोयला उतारने व बाद तटवर्ती इलाका में जहाजा के सचाला में आने वाली बाधाओ को दूर करण के यथारामव प्रयास किए जाने चाहिए। केन्द्र सरकार ने तटकर प्रक्रियाओ को सरल बनाने बुनियादी सुविधाओ को लागू कराने और वित्तीय पहलुओ के वार में अध्ययन करने वारस्ते एक अन्तर मंत्रालय कार्यदल का गठन किया था। इसमें तटवर्ती गैर-परिवहन के विकास वारस्ते कई सिफारिशे की।

6 अप्रयुक्त क्षमता (Unutilized Capacity) - बंदरगाहों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सका है। भारत में 1991-92 में प्रमुख बन्दरगाहों की क्षमता 1676 मिलियन टन थी। जबकि दुलाई 155 मिलियन टन ही थी इस प्रकार क्षमता का 925 प्रतिशत ही उपयोग हो पाया। वर्ष 1996-97 में बंदरगाहों की क्षमता 2535 मिलियन टन थी जबकि दुलाई 2286 मिलियन टन ही थी अर्थात् क्षमता का 90 प्रतिशत ही उपयोग हो सका। जहाजराजी की स्थिति को सुधारने के लिए प्रमुख बन्दरगाहों की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

7 विदेशी प्रतिस्पर्धा (Foreign Competition) - भारतीय जहाजराजी की ब्रिटेन अमरीका जापान जर्मनी इटली आदि देशों के जहाजा से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। विकसित देशों के जहाजा की तुलना में भारतीय जहाजराजी की स्थिति कमजोर है। विदेशी जहाजी कम्पनिया अधिक प्रलोभन देकर भारत के विदेशी व्यापार का 70 प्रतिशत से अधिक भाग ढोती है। भारतीय जहाजराजी को विदेशी जहाजों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए सक्रिय प्रयत्नों की आवश्यकता है। भारत तटीय व्यापार का शत-प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का कम से कम 50 प्रतिशत भाग भारतीय जहाजा द्वारा किया जाना चाहिए।

8 ऊँची लागत (High Cost) - बढ़ते मूल्य स्तर के कारण जहाजों की ऊँची लागत हुई है। विश्व में जहाजा की माग अधिक होना के कारण जहाजा का मूल्य तेजी से बढ़ा है। ऊँची कीमतों पर जहाजों को खरीदना भार लगता है। जहाजा की लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण योजना के अनुमान गलत सिद्ध होते हैं। भारत सरकार द्वारा जहाज निर्माण कार्य में अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।

9 जहाज निर्माण क्षमता का अभाव (Lack of Ship Manufacturing Capacity) - भारत में हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम तथा कोचीन शिपयार्ड कोचीन में जहाजों के निर्माण की व्यवस्था है। जहाज निर्माण उद्योग अब निजी क्षेत्र के लिए भी खुला है। जहाज निर्माण क्षमता में कमी के कारण जहाजी क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाई। भारत में तडागपोतों (Tankers) का अभाव है। भारत में खण्डित तेल का अधिकांश आयात समुद्री मार्ग से होता है। भारत में यात्री पोत और प्रशीतपोतों (Refrigerator Ships) का भी अभाव है। सरकार ने जहाज निर्माण क्षमता में वृद्धि वारस्ते प्रयत्न करने चाहिए।

10. कुशल कर्मचारियों का अभाव (Lack of Efficient Employees) – तीव्र गामी जहाजों के संचालन में योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अत्याधुनिक जहाजों के संचालन में तो इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है। भारत में सीमित जहाजरानी प्रशिक्षण संस्थान हैं। इस कारण आवश्यकतानुसार योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार नहीं हो पाते हैं। अतः अधिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए।

11. गोदी कर्मचारियों की हड़ताल (Strike of Dock Employees) – गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जहाजरानी को हानि होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के गोदी कर्मचारी वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के लिए हड़ताल करते हैं। गोदी कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने वास्ते गोदी कर्मचारी जाच समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

12. निजी जहाज कंपनियों की दयनीय स्थिति (Pitiable Condition of Own Shipping Companies) – भारत के सामुद्रिक परिवहन में निजी क्षेत्र की भी भूमिका है किन्तु निजी जहाजी कंपनियों की आर्थिक स्थिति दुर्बल है तथा उनकी जहाजी क्षमता सीमित है। ये विदेशी जहाजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। निजी जहाजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके समस्या से निपटा जा सकता है किन्तु आर्थिक उदारीकरण के दौर में राष्ट्रीयकरण की संभावना न्यून है। अतः निजी जहाजी कंपनियों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा मुहैया कराकर दुर्बल आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है।

13 प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव (Lack of Natural Harbours) – देश में प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव भी जहाजरानी के विकास में बाधक है। प्राकृतिक बंदरगाहों के अभाव में कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण करना पड़ता है। जिसके लिए भारी पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। भारत में वित्तीय संसाधनों का अभाव है।

आन्तरिक अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport)

भारत में नदियों, नहरों, अप्रवाही जल और सकरी खाड़ियों में लगभग 14,500 किलोमीटर लम्बा नौकायान के योग्य जलमार्ग है। देश की प्रमुख नदियों में 3,700 किलोमीटर की दूरी यात्रिका नौकाओं से तय की जा सकती है लेकिन अभी लगभग 2,000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 4,300 किलोमीटर पोटगम्ब लम्बी नहरों में से केवल 900 किलोमीटर की दूरी यात्रिक नौकाओं के नौ बहन के उपयुक्त है।¹⁰ अन्तर्देशीय जल परिवहन में काफी लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हैं। पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ईंधन खपत की दृष्टि से भी यह किफायती साधन है।

पचवर्षीय योजनाओं में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास
(Development of Inland Water Transport During Plan Period)

भारत में प्राचीन काल से ही विशेषकर मुगल और मौर्य काल में आन्तरिक जल परिवहन का विशेष महत्त्व था। रेलवे के विकास पर तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान दिए जाने के कारण आन्तरिक जल परिवहन को तीव्र गति नहीं मिल सकी। स्वातन्त्र्योत्तर पचवर्षीय योजनाओं में अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के विशेष प्रयास किए गए।

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951-56 (First Five Year Plan) — प्रथम योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर अत्यल्प राशि खर्च की गई। योजनावधि में गंगा-ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में जल परिवहन का विकास करना था। बोर्ड में केन्द्र सरकार के अलावा असम विहार पश्चिमी बंगाल उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार सम्मिलित थी।

द्वितीय पचवर्षीय योजना 1956-61 (Second Five Year Plan) — प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर लगभग एक करोड़ रुपए खर्च किया गया। योजनावधि में जल परिवहन निगम की स्थापना की गई। इसके अलावा दामोदर घाटी में नौकायात्रा मार्गों का विकास किया गया तथा केरल में वाडगरा से माही तक नहर का विस्तार किया गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना 1961-66 (Third Five Year Plan) — तृतीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 4 करोड़ रुपए था जो तीसरी योजना परिव्यय का केवल 0.05 प्रतिशत था। वर्ष 1965 में आन्तरिक जल परिवहन निदेशालय की स्थापना की गई। इसके अलावा 32 लाख रुपए की लागत से पाण्डू में नदी बदरगाह का निर्माण कराया गया।

तीन वार्षिक योजनाएँ 1966-69 (Three Annual Plans) — तीन वार्षिक योजनाओं में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 6 करोड़ रुपए था। जो तीन वार्षिक योजनाओं के परिव्यय का 0.09 प्रतिशत था। वर्ष 1967 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल का आन्तरिक जल परिवहन निदेशालय में विलय कर दिया गया।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1969-74 (Fourth Five Year Plan) — चतुर्थ योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 11 करोड़ रुपए था जो चतुर्थ योजना परिव्यय का 0.07 प्रतिशत था। योजनावधि में राजस्थान में नौका घाट जोशीमोपा तथा पाण्डू बदरगाहों का विकास किया गया। इसके अलावा बलकला राजबगात डाक-वार्ड का आधुनिकीकरण किया गया।

पाचवी पचवर्षीय योजना 1974-79 (Fifth Five Year Plan) — पाचवी योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 16 करोड़ रुपए था जो पाचवी योजना परिव्यय का 0.04 प्रतिशत था। योजना अवधि में फरक्का

परियोजना के विकास को प्राथमिकता दी गई। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जल परिवहन विकास पर बल दिया गया। हुगली एव गंगा नदी पर परिवहन सुविधाएँ बढ़ाने से संबंधित कार्य किए गए।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 (Sixth Five Year Plan) – छठी योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 63 23 करोड़ रुपए था जो छठी योजना परिव्यय का 0.06 प्रतिशत था। योजनावधि में केन्द्र की 12 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 (Seventh Five Year Plan) – सातवीं योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन को उच्च प्राथमिकता दी गई। सातवीं योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 155 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था जबकि वास्तविक व्यय 131.85 करोड़ रुपए हुआ। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (Central Inland Water Transport Corporation, CIWTC) पर 97.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। इसके अलावा अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India, IWAI) पर 36 करोड़ रुपए खर्च किया गया। योजनावधि में जलमार्गों के विकास और जहाजों के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। बह्युत्तर में सादिया और धुब्री को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया।

वार्षिक योजनाएँ 1990-92 (Annual Plans) – अन्तर्देशीय जल परिवहन पर 1990-91 में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 57 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक व्यय केवल 14.4 करोड़ रुपए था। वर्ष 1991-92 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 (Eighth Five Year Plan) – आठवीं योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन की कठिनाईयों और विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक लाभ के आनन्द वाले क्षेत्रों में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास, आधुनिकीकरण और उन्नत तकनीकों द्वारा सपदा की उत्पादकता में सुधार तथा आन्तरिक जल परिवहन में प्रशिक्षित और योग्य श्रम शक्ति का निर्माण आदि बातों पर विशेष बल दिया गया।

आठवीं योजना में अन्तर्देशीय परिवहन पर केन्द्रीय सार्वजनिक परिव्यय 240 करोड़ रुपए तथा राज्य क्षेत्र में 107.63 करोड़ रुपए परिव्यय स्वीकृत किया गया अर्थात् अन्तर्देशीय जल परिवहन पर कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 347.63 करोड़ रुपए था जो आठवीं योजना परिव्यय का 0.08 प्रतिशत था।

अन्तर्देशीय जल परिवहन पर प्रथम योजना से लेकर आठवीं योजना तक सार्वजनिक क्षेत्र व्यय सभी पंचवर्षीय योजनाओं में परिव्यय का एक प्रतिशत से कम रहा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन की वर्तमान स्थिति
(Present Position of Inland Water Transport)

भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन का स्वरूप देश भर में फैले कुल यातायात जल का बहुत थोड़ा भाग है। भारत में भू तल परिवहन के विभिन्न साधनों से लगभग 550 मिलियन टन माल ढोया जाता है इसमें आन्तरिक या अन्तर्देशीय जल परिवहन का भाग केवल 166 मिलियन टन ही है। टन किलोमीटर में अन्तर्देशीय जलपरिवहन का भाग एक प्रतिशत से भी कम है। यह यातायात गोदा जल मार्ग पर लौह अयस्क के ढोने के कारण है। जो कुल अन्तर्देशीय जल परिवहन का लगभग 96 प्रतिशत है। दूसरे जल मार्गों पर केवल 1.5 से 2 मिलियन टन माल ढोया जाता है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (Central Inland Water Transport Corporation) - इस निगम की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के एक सरथान के रूप में 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यह निगम गंगा, हुगली, भागीरथी, सुंदर बन और ब्रह्मपुत्र नदियों में अन्तर्देशीय जलमार्गों से माल की ढुलाई के काम में लगा हुआ है।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Indian Inland Waterways Authority) - भारत में 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण गठित किया गया था। यह राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रख-रखाव और नियमन का काम करता है। प्राधिकरण केन्द्र और राज्य सरकारों को अन्तर्देशीय जल परिवहन संबंधी सलाह भी देता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) - देश की परिवहन प्रणाली में अन्तर्देशीय जल परिवहन की भूमिका बढ़ाने वास्ते सरकार ने 10 महत्वपूर्ण जलमार्गों की पहचान की है इनमें से निम्नलिखित को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया जा चुका है।

- (i) राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (National Waterway 1) - गंगा नदी के इलाहाबाद और हल्द्वरिया के बीच 1620 किलोमीटर के जलमार्ग को 27 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 घोषित किया गया।
- (ii) राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (National Waterway 2) - ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया-धुब्री तक के 891 किलोमीटर खण्ड को 26 दिसम्बर, 1988 को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या -2 घोषित किया गया।
- (iii) राष्ट्रीय जलमार्ग 3 (National Waterway 3) - केरल में उद्योग मडल और चम्पाकारी जलमार्गों तथा पश्चिमी घाट जलमार्गों के कोल्लम -कोहापुरम खंड को एक फरवरी 1993 को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की संभावनाएँ (Possibilities of Development of Inland Water Transport)

भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की काफी संभावनाएँ मौजूद

है। अब तक आन्तरिक जल परिवहन की सभाव्यता का बहुत कम विदोहन किया गया है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लम्बा नौगम्य जल मार्ग है इसमें 10,100 किलोमीटर नदियों में तथा 4,400 किलोमीटर नहरों में है। नदी मार्ग में केवल 2,000 किलोमीटर तथा नहरों में केवल 900 किलोमीटर का ही उपयोग हो रहा है। इसके अलावा अन्तर्देशीय जल परिवहन निम्नलिखित जलमार्गों के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है — गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों के कुछ खंड केरल की सिकरी खाडिया, ब्रह्मपुत्र और वोराक नदिया, गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र और गोवा की नदिया। देश में अन्य नदी मार्ग और नहर मार्ग में आन्तरिक परिवहन विकास की अच्छी सभावनाएँ हैं। उड़ीसा की महानदी, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, पंजाब की सरहिन्द, दामोदर घाटी योजना अच्छे जलमार्ग हैं। भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन पर नियोजन काल में तुलनात्मक रूप से कम राशि खर्च की है। यदि अन्तर्देशीय जल परिवहन पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय में वृद्धि की जाए तो देश की परिवहन प्रणाली में अन्तर्देशीय जल परिवहन की भूमिका तेजी से बढ़ सकती है।

सन्दर्भ

- 1 "Indian Shipping had to die so that British Shipping may proper"—*Gandhi*
- 2 *Eighth Five Year Plan, 1992-97, Volume II, p 239*
- 3 वही।
- 4 वही।
- 5 *Indian Economy, Statistical Year Book, 1998, p 227*
- 6 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994, पृ 575
- 7 *Eight Five Year Plan, 1992-97, Vol II, p 241*
- 8 *Indian Economic Survey, 1998-99, p 137*
- 9 *The Economic Times, New Delhi, 14 May, 1999*
- 10 भारत, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, 1994

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में जल परिवहन का क्या महत्त्व है?
- 2 जहाजरानी की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?
- 3 राष्ट्रीय जल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए।
- 4 अन्तर्देशीय जल परिवहन की वर्तमान स्थिति की व्याख्या कीजिए।
- 5 अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की क्या सभावनाएँ हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत में जल परिवहन का क्या महत्त्व है। पंचवर्षीय योजनाओं में जहाजरानी विकास का विवेचन कीजिए।
(संकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये जल परिवहन के महत्त्व को बताना है तथा दूसरे भाग में पंचवर्षीय योजनाओं में जहाजरानी विकास को लिखना है।)
- 2 भारत में सामुद्रिक परिवहन की वर्तमान स्थिति और समस्याओं का वर्णन कीजिए।
(संकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये सामुद्रिक परिवहन की वर्तमान स्थिति तथा दूसरे भाग में समस्याओं को लिखना है।)
- 3 भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास का विवेचन कीजिए तथा इसके और अधिक विकास के सुझाव दीजिए।
(संकेत — इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास को लिखना है तथा दूसरे भाग में इसके विकास के सुझावों को बताना है।)
- 4 भारत में जहाजरानी के बदलते आयामों की व्याख्या कीजिए।
(संकेत — अध्याय में दिए गये जहाजरानी के विविध आयामों को लिखना है।)
- 5 भारत में जहाजरानी की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान के सुझावों की व्याख्या कीजिए।
(संकेत — इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये भारत में जहाजरानी की समस्याएँ और सुझावों को लिखना है।)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएँ

(Basic Characteristics of Economy
of Rajasthan)

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्त्वपूर्ण उपादेयता है। राजस्थान की कुल राज्य आय का 40 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि एवं संबन्ध क्षेत्रों से प्राप्त होता है। राजस्थान नियोजन काल के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। योजनाबद्ध विकास में आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। नौवीं योजना की समाप्ति अप्रैल 1997 से मार्च 2002 तक निर्धारित की गई है। राजस्थान में 1951-52 से 1991-92 तक विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में 9,349.6 करोड़ रुपए का विनियोजन किया जा चुका है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11,500 करोड़ रुपए के उद्घ्य के मुकाबले 11,999 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इस प्रकार राजस्थान में 1951-52 में 1996-97 तक गत 45 वर्षों की योजनावधि में 21,349 करोड़ रुपए व्यय किए गए। आठवीं योजना में राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत विनियोजन 2,614 रुपए था जो कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत विनियोजन 2,101 रुपए से अधिक था। योजनाबद्ध विकास में भारी पूंजी विनियोजन से राजस्थान का आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका बड़ी है। राजस्थान की आधारभूत विशेषताओं में बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है।

1. क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति (Area and Geographical Location)

— राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य हरियाणा, पंजाब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों की भौगोलिक सीमाओं से जुड़ा हुआ है तथा देश के उत्तर-पश्चिम भाग में पाकिस्तान से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ

है।

राजस्थान का पश्चिम और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61। प्रतिशत भाग रेत के धोरो से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में राज्य के 11 जिले आते हैं जिनमें प्रदेश की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के थार मरुस्थल का इंदिरा गांधी नगर परियोजना के कारण कायाकल्प हुआ है।

राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिम में 23°-3' से 30°-12' उत्तरी अक्षांशों तथा 69°-3' से 78°-17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। राजस्थान की लम्बाई पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में है, राज्य के मुख्य भाग से हाते हुए 692 किलोमीटर तक फैली हुई है।

2 प्रशासनिक स्वरूप (Administrative Shape) — वर्तमान के राजस्थान राज्य प्रशासनिक दृष्टि से 32 जिलों के साथ 6 सभागों में विभक्त है। सभाग उपखण्डों और तहसीलों में विभाजित है। राजस्थान में वर्ष 1999 में 105 उपखण्ड, 241 तहसीलें, 183 नगरपालिकाएँ, 237 पंचायत समितियाँ, 9,184 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 39,810 कुल गावें, 37,889 कुल आबाद गावें तथा 222 कस्बे व शहर थे।

3 जनसंख्या (Population) — राजस्थान में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। भारत में जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 23.56 प्रतिशत थी जबकि यह राजस्थान में 28.44 प्रतिशत थी। राजस्थान की जनसंख्या 1951 में केवल 160 लाख थी जो 1981 में बढ़कर 343 लाख हो गई। राज्य की जनसंख्या 1991 में 440 लाख तक जा पहुँची। राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 5.20 प्रतिशत है। राजस्थान की जनसंख्या का 77 प्रतिशत भाग गावों में तथा 23 प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है।

4 सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) — राजस्थान ने आर्थिक विकास को गति देने वारंते आर्थिक नियोजन का मार्ग आत्मसात किया। वर्ष 1991 के बाद राजस्थान ने भारत के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल की। आर्थिक नीतियों में किए गए बदलाव और आधारभूत संरचना के विकास पर बल देने से राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई।

सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण स्थिति का दर्शाता है। राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सर्वाधिक योगदान है किन्तु राजस्थान की कृषि आज भी बड़ी सीमा तक मानसून पर निर्भर है। अतः राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में मानसून के उतार-चढ़ाव की स्थिति का व्यापक प्रभाव पड़ता है।

राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर 1995-96 में 41,961 करोड़ रुपए था। वर्ष 1997-98 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 53,770 करोड़ रुपए था जो वर्ष 1996-97 के सकल घरेलू उत्पाद 50,428 करोड़ रुपए से 6.63 प्रतिशत अधिक था। अग्रिम अनुमानों के आधार पर 1998-99 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 57,765 करोड़ रुपए आका गया जो गत वर्ष से 7.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

स्थिर (1980-81) कीमतों पर वर्ष 1995-96 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,897 करोड़ रुपए था। वर्ष 1997-98 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,043 करोड़ रुपए था जो वर्ष 1996-97 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12,695 करोड़ रुपए से 2.74 प्रतिशत अधिक था। अग्रिम अनुमानों के आधार पर 1998-99 में स्थिर (1980-81) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,157 करोड़ रुपए अनुमानित है जो 0.87 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

5. आर्थिक विकास दर (Economic Growth Rate) - राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर 1995-96 में 12.4 प्रतिशत थी जो 1996-97 में तेजी से बढ़कर 20.2 प्रतिशत तक जा पहुँची। बाद के वर्षों में वृद्धि दर में भारी गिरावट दृष्टिगोचर हुई। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर घटकर 1997-98 में 6.6 प्रतिशत तथा 1998-99 में 7.4 प्रतिशत रह गई। स्थिर (1980-81) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 में नकारात्मक 3.1 प्रतिशत थी जो 1966-97 में बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गई। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997-98 में 2.7 प्रतिशत तथा 1998-99 में 0.9 प्रतिशत रही।

6. प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) - शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। राजस्थान में विगत वर्षों में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1994-95 में 6,951 रुपए थी जो 1996-97 में बढ़कर 8,974 रुपए (प्रावधानिक) हो गई। वर्ष 1998-99 के अग्रिम अनुमानों में प्रति व्यक्ति आय 9,819 रुपए थी जो 1997-98 के त्वरित अनुमानों 9,356 रुपए से 4.9 प्रतिशत अधिक थी।

स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1994-95 में 2,060 रुपए थी जो 1996-97 के प्रावधानों में बढ़कर 2,290 रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय 1998-99 के अग्रिम अनुमानों में 2,275 रुपए थी जो 1997-98 के त्वरित अनुमानों 2,306 रुपए से 1.3 प्रतिशत कम थी।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय

(रुपयो में)

वर्ष	स्थिर मूल्यो पर	प्रचलित मूल्यो पर
1994-95	2,060	6,951
1995-96	1,974	7,523
1996-97 (प्रा)	2,290	8,974
1997-98 (त्व)	2,306	9,356
1998-99 (अ)	2,275	9,819
1999-2000 (अ)	7141*	11030

स्रोत आर्थिक समीक्षा, 1998-99 राजस्थान सरकार।

प्रा = प्रावधानिक अनुमान, त्व = त्वरित अनुमान, अ = अग्रिम अनुमान

*स्थिर (1993-94) की कीमतों पर।

7. कृषि विकास (Agriculture Development) – राजस्थान गावों का प्रदेश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि का योगदान 1987-88 में राज्य की घरेलू उत्पाद में 36 प्रतिशत था। कृषि का अंश शुद्ध घरेलू उत्पादन में 1997-98 में 43.4 प्रतिशत तथा 1998-99 में 39.8 प्रतिशत था। वर्ष 1992-93 में राजस्थान का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हेक्टेयर भूमि था। राज्य में शुद्ध कृषिगत भूमि 1951-52 में 93.1 लाख हेक्टेयर थी जो बढ़कर 1992-93 में 169.4 लाख हेक्टेयर तथा 1995-96 में 165.8 लाख हेक्टेयर हो गई। वर्ष 1995-96 में शुद्ध कृषिगत भूमि रिपोर्टिंग क्षेत्र का 48.4 प्रतिशत थी। राजस्थान में 1996-97 में कुल बोये गए क्षेत्रफल का केवल 32.6 प्रतिशत (औसत) सिंचित क्षेत्र है।

राजस्थान में नियोजित विकास के दौरान (1951-90) कृषि एवं सब्सिडी सेवाओं पर सार्वजनिक उपरिव्यय 345.4 करोड़ रुपये था। आठवीं योजना में कृषि एवं सब्सिडी सेवाओं पर 1,286 करोड़ रुपये तथा नौवीं योजना में 1,880 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में कृषि क्षेत्र में उन्नत बीज, रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है।

राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव है। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन 29.4 लाख टन था जो बढ़कर 1960-61 में 45.5 लाख टन, 1970-71 में 88.4 लाख टन तथा 1990-91 में तेजी से बढ़कर 109.3 लाख टन तक पहुँच गया। वर्ष 1993-94 में खाद्यान्न का उत्पादन वर्षा की कमी से घटकर 70.5 लाख टन के स्तर पर आ गया। 1994-95 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 117 लाख टन तक पहुँच गया। वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न का उत्पादन 112.3 लाख टन होने की संभावना है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का योगदान कम है। सिंचाई क्षमता को विस्तार करके तथा सूखी खेती की विधियों को

अपनाकर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। समस्त भारत के खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का योगदान वर्ष 1992-93 में 64 प्रतिशत तथा 1993-94 में 39 प्रतिशत ही था।

8. सिंचाई (Irrigation) – राज्य में कृषिगत विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई को अधिक प्राथमिकता दी गई नतीजतन राज्य में सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ है।

राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1951-52 में 10 लाख हैक्टेयर था जो 1996-97 में बढ़कर 559 लाख हैक्टेयर हो गया। पैतालीस वर्षों में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 56 गुना वृद्धि हुई। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 1950-51 में 11.5 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1994-95 में 58.2 लाख हैक्टेयर, 1995-96 में 63.6 लाख हैक्टेयर तथा 1996-97 में 67.4 लाख हैक्टेयर हो गया। कुल सिंचित क्षेत्र में वर्ष 1950-51 से 1996-97 के बीच 59 गुना वृद्धि हुई।

राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि में से सिंचित भूमि 17.39 प्रतिशत है। कृषि मंत्रालय के 1992-93 में आकड़ों के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर मार्च 1996 तक कुल 1423 करोड़ रुपये व्यय किया गया। मार्च 1996 तक 649 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और कुल 5635 किलोमीटर वितरण प्रणाली का निर्माण पूरा किया गया। मार्च, 1996 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण एक और दो द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता 9.38 लाख हैक्टेयर थी जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान वास्तविक सिंचाई 7.90 लाख हैक्टेयर रही। यह परियोजना पूरी होने पर कुल 18.69 लाख हैक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र में से 15.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने लगेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना वर्ष 2005 तक पूरा होने की संभावना है। केन्द्र सरकार ने देश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना समेत किसी भी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई योजना का दर्जा नहीं दिया है।

9 विद्युत विकास (Energy Development) – आर्थिक विकास के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। राजस्थान के आर्थिक विकास की दृष्टि से अब तक पिछड़े रहने का प्रमुख कारण ऊर्जा का अभाव रहा। राजस्थान सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ऊर्जा विकास शीर्ष पर 1951 से 1990 तक की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 2,039.5 करोड़ रुपये था। आठवीं योजना में 3,255 करोड़ रुपये तथा नौवीं योजना में 6,534.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा ऊर्जा विकास पर ध्यान दिए जाने के कारण राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता 1950-51 में 8 मेगावाट थी जो बढ़कर 1973-74 में 432 मेगावाट, 1984-85 में 1,751 मेगावाट तथा 1990-91 में 2,720 मेगावाट हो गई। वर्ष 1998-99 के प्रारम्भ में विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097 मेगावाट थी। नियोजित विकास में विद्युतीकृत बस्तियों की

सख्या में भी वृद्धि हुई है। विद्युतीकृत दरिंतों की संख्या वर्ष 1950-51 में केवल 42 थी जो बढ़कर 1990-91 में 27 737 तथा 1992-93 में और बढ़कर 29 482 हो गई। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1950-51 में केवल 3 यूनिट था जो बढ़कर 1993-94 में 254 किलोवाट (KWH) तथा 1994-95 में 270 कि वा हो गया। राजस्थान में मार्च 1995 में 85 8 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत थे। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में पाचवा स्थान था।

10 औद्योगिक विकास (Industrial Development) - आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण विकास आवश्यक है। योजनाबद्ध विकास में राजस्थान के औद्योगीकरण की गति मिलाई है किन्तु अभी राजस्थान तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोग का लगभग 2 प्रतिशत अंश ही पाया जाता है। राज्य में नियोजित विकास के प्रारम्भिक वर्षों में सूती वस्त्र चीनी व वनस्पति घी की कुछ मिलें थीं। वर्तमान में राजस्थान में सूती व सिंथेटिक रेशे की इकाइयाँ ऊनी चीनी सीमेंट टेलीविजन टायर ट्यूब वानस्पति तेल इजीनियरिंग इकाइयाँ खनिज आधारित बड़ी एवं मध्यम श्रेणी की इकाइयाँ हैं। लघु उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1975-76 में राज्य में पजीकृत इकाइयों की संख्या 20 102 थी जिनमें 7 237 29 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित थी तथा 1 37 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। पजीकृत इकाइयों की संख्या दिसम्बर 1993 तक 1 66 184 थी इनमें 1 26 664 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित थी तथा 6 30 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वर्ष 1995-96 के अंत में लघु उद्योगों की संख्या 1 75 000 हो गई।

राजस्थान में चयनित मदों का औद्योगिक उत्पादन निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन

उद्योग	इकाई	1994	1947	1998	1999
				(प्रावधानिक)	(प्रावधानिक)
शक्कर	टन	12 215	26 375	58 695	31 193
वनस्पति घी	टन	39 615	24 985	24 936	31,754
नमक	लाख टन	12	12	11	17
सीमेंट	हजार टन	6 567	6 493	6 206	8 133
सूती वस्त्र	लाख मीटर	373	505	472	350

स्रोत 1 आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 1995 96 पृ स 22

2 आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 1998 99 पृ स 22 तथा 1999 2000

11 परिवहन (Transport) - सड़कें अधिक विकास के क्षेत्र में मानव शरीर की भाँति शिराओं और धमनियों का काम करती हैं। राजस्थान परिवहन साधना की दृष्टि से पिछड़ा है। योजनाबद्ध विकास में सरकार द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने के कारण राज्य में परिवहन विकास को गति मिली है। केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में परिवहन विकास पर कम ध्यान दिये जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई कम है। राजस्थान में 1998-99 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2 964 किलोमीटर थी। राजस्थान में सड़कों की कुल लम्बाई 1951 में केवल 18 300 किलोमीटर थी। पंचवर्षीय योजनाओं में परिवहन विकास शीर्ष पर सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में भारी वृद्धि हुई। इस मद पर 1951 से 1990 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 5403 करोड़ रुपए था। आठवीं योजना में परिवहन विकास के लिए 783 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप राजस्थान में सड़कों की कुल लम्बाई में वृद्धि हुई है। वर्ष 1955-56 में सड़कों की कुल लम्बाई बढ़कर 22 511 किलोमीटर हो गई। सड़कों की कुल लम्बाई 1965-66 में 30 186 किलोमीटर 1977-78 में 84 958 किलोमीटर 1993-94 में 62 125 किलोमीटर हो गई। आर्थिक समीक्षा 1998-99 के अनुसार राजस्थान में सड़कों की कुल लम्बाई 84 958 किलोमीटर थी।

राजस्थान में सड़कें

(किलोमीटर)

सड़कें	सड़कों की लम्बाई		
	1995 96	1998 99	1999 2000
राष्ट्रीय राजमार्ग	2 846	2 964	2964
राज्य राजमार्ग	9 810	9 990	9966
मुख्य जिला सड़कें	5 549	5 789	5947
अन्य जिला सड़कें एवं ग्रामीण सड़कें	46 393	63 976	66395
सीमावर्ती सड़कें	2 239	2 239	2239
योग	66 837	84 958	87511

स्रोत आर्थिक समीक्षा 1995 96 1998 99 1999 2000 राजस्थान सरकार।

राजस्थान में सार्वजनिक विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लम्बाई (1951 से 1998 के बीच) 18 300 किलोमीटर से बढ़कर 84 958 किलोमीटर हो गई। राजस्थान में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1988 में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 82 लाख थी जो बढ़कर 1991-92 में 12 04 लाख 1992-93 में 13 20 लाख 1995-96 में और बढ़कर 17 2 लाख तथा 1998 में 22 लाख हो गई। राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की

लम्बाई 1991-92 में 1702 किलोमीटर थी। राजस्थान में सड़कों की लम्बाई 1997-98 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42.7 किलोमीटर है।

12 संचार (Communication) - वर्तमान में संचार विकास का पर्याय है। आर्थिक विकास की गति को तेज करने में संचार की महती भूमिका है। योजनायुक्त विकास में संचार सुविधा के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमान में सभी जिला मुख्यालय तथा उपखंड एस टी डी से जुड़े हुए हैं। गांवों में भी संचार सुविधा पहुंच चुकी है। स्तरीय संचार सुविधा की अवश्य आवश्यकता है। राजस्थान में वर्ष 1995-96 में पोस्ट ऑफिस की संख्या 10289 टेलीग्राफ कार्यालय 2280 टेलीफोन एक्सचेंज 1441 तथा सार्वजनिक काल ऑफिस (ग्रामीण) 12274 थे।

13 सामाजिक सेवाओं का विकास (Development of Social Services) - योजनायुक्त विकास में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र तथा शिक्षा विविधता पेयजल सामाजिक कल्याण भ्रम कल्याण सामाजिक सुरक्षा आदि में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। राजस्थान में निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने के लिए सन् 2000 तक राजस्थान को सम्पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मातृ सराधान विकास मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री एम आर सैकिया के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान साक्षरता अभियान के लिए राजस्थान सरकार को 11533 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। राजस्थान के 31 जिलों में से 29 जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा चुका है। जयपुर और चूरु को 1996-97 के दौरान सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव था। राजस्थान में नियोजित विकास में साक्षरता में वृद्धि हुई है। राज्य में 1951 में साक्षरता का प्रतिशत 8.95 था जो बढ़कर 1961 में 15.21 प्रतिशत 1971 में 19.07 प्रतिशत तथा 1981 में और बढ़कर 23.38 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 में 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता बढ़कर 38.55 प्रतिशत हो गई। पुरुषों में साक्षरता 54.99 प्रतिशत तथा महिलाओं में साक्षरता 20.44 प्रतिशत थी। यद्यपि राजस्थान में साक्षरता में वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। गौरतलब है कि बिहार के बाद सर्वाधिक निरक्षरता राजस्थान में है। महिलाओं में साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति शोचनीय है।

राजस्थान में सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयासरत है। चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में विस्तार भी हुआ है। वर्ष 1996-97 में राजस्थान में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम संचालित किया गया है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या 1986-87 में 170 थी जो बढ़कर 1991-92 में 199 तथा 1995-96 में 205 हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या 1986-87 में 19 थी जो घटकर 1995-96 में केवल 14 रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 1991-92 में 1373 1992-93 में 1413 1994-95 में 1507 तथा 1995-96 में 1596 थी।

14 ढांचागत निवेश (Investment Design) – देश में हुए ढांचागत निवेश के क्षेत्र में राजस्थान का चौथा स्थान है। जबकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश मध्यप्रदेश में हुआ है। अगस्त 1991 से लेकर दिसम्बर 1994 के बीच देश में कुल 4,40,620 करोड रुपए का ढांचागत निवेश हुआ। इसमें से 11,500 करोड रुपए का निवेश राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में हुए कुल निवेश का 32.4 प्रतिशत निजी क्षेत्र की भागीदारी से हुआ। प्रति व्यक्ति निवेश के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश प्रथम रहा है। राजस्थान इस मामले में नीचे है। यहा प्रति व्यक्ति निवेश 4,254 रुपए है। निर्माण क्षेत्र में अगस्त 1991 से दिसम्बर 1994 तक की अवधि में 2,28,940 करोड रुपए का निवेश हुआ। इसमें से राजस्थान में 6,857 करोड रुपए का निवेश हुआ। राज्यों में प्रस्तावित निवेश के सन्दर्भ में राजस्थान में 18,772 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जबकि पूरे देश में 7,76,462 करोड रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। राजस्थान में इस प्रस्तावित निवेश के कारण 2 लाख 47 हजार रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

15. पूजी निवेश (Capital Investment) – परिवर्तित आर्थिक परिवेश में 1991 से 1995 के बीच राज्य में एक दर्जन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कुल 11 अरब रुपए का पूजी निवेश किया। राज्य सरकार ने 1994-95 में प्रदेश में वृहद् एव मध्यम श्रेणी के उद्यमों के 237 आई ई एम केन्द्र सरकार को प्रेषित किए। इनके माध्यम से 4,453 करोड रुपए का विनियोजन होने की आशा है, जिससे 39,790 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

राज्यदार मजूर प्रत्यक्ष पूजी निवेश के अन्तर्गत जनवरी 1993 से जुलाई 1994 तक राजस्थान में 138 करोड रुपए के 42 प्रस्ताव मजूर किए गए। पूजी निवेश में बढ़ोतरी दर के लिहाज से राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। पूजी निवेश क्षेत्र में वर्ष 1994-95 और 1995-96 में राजस्थान ने कुछ विकसित राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्य की यह उपलब्धि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के कारण सम्भव हो सकी है। अक्टूबर 1994 से दिसम्बर 1995 तक प्रस्तावित निवेश 4880 फीमदी की दर से बढ़ा। गुजरात (66.44%) और तमिलनाडु (56.41%) के साथ देश में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे। राजस्थान की निवेश बढ़ोतरी के मुकाबले उत्तर प्रदेश (26.25%) और मध्य प्रदेश (20.89%) काफी पीछे रहे। यह पूजी निवेश औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। देश के वित्तीय संस्थानों ने राजस्थान को मिलने वाले कर्ज में बढ़ोतरी की है। अप्रैल-दिसम्बर 1995 के बीच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाला कर्ज 1,308 करोड रुपए था। जबकि इससे पूर्व के वर्ष में इस दौरान मात्र 877 करोड रुपए का कर्ज मिला।

16 निर्यात में बढ़ोतरी (Increase in Export) – राजस्थान के प्रमुख निर्यातों में कपड़े, सिले-सिलाए वस्त्र, खाद्य एवं कृषि उत्पाद, रासायनिक एवं सबद्ध उत्पाद इजीनियरिंग, हस्तशिल्प उत्पाद, मारबल, ग्रेनाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, गलीचे-दरिया, प्लास्टिक एवं लिन्नोनियम, चमड़े से बनी वस्तुएं, दवाइया, ऊन एवं ऊन तैयार उत्पाद

और हाथगर्चा निर्मित वस्तुएँ उल्लेखनीय हैं।

राजस्थान से पिछले वर्षों में निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 में जहाँ कुल 47181 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था वहीं 1991-92 में 68886 करोड़ रुपए 1992-93 में 105194 करोड़ रुपए और 1993-94 में 143228 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। वर्ष 1994-95 में 263259 करोड़ रुपए मूल्य के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्यात किया गया जो कि इससे पहले वर्ष के मुकाबले 83 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 1994-95 में राज्य से सर्वाधिक 54378 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हीरा का रहा जबकि रत्ना व आभूषण का निर्यात 44066 करोड़ रुपए का था। निर्यात किए गए अन्य प्रमुख उत्पादों के तहत कपड़ों का निर्यात 47805 करोड़ रुपए सिले-सिलाए वस्त्र 30413 करोड़ रुपए खाद्य एवं कृषि उत्पाद 22740 करोड़ रुपए रासायनिक एवं सम्बद्ध उत्पाद 22491 करोड़ रुपए का था जबकि इंजीनियरिंग हस्तशिल्प उत्पादों मारबल तथा ग्रेनाइट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात क्रमशः 12944 करोड़ 10102 करोड़ 87 करोड़ और 60 करोड़ रुपए का रहा। राज्य से निर्यात किए गए उत्पादों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हीरो के निर्यात में रही। रत्न एवं आभूषण तथा खाद्य एवं कृषिजन्य उत्पादों के निर्यात में यह बढ़ोतरी क्रमशः 11612 प्रतिशत तथा 10688 प्रतिशत की रही।

17 योजना परिव्यय (Plan Outlay) - राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत वार्षिक व्यय में भारी वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में योजनावार वार्षिक व्यय इस प्रकार है—प्रथम योजना 541 करोड़ रुपए द्वितीय योजना 1027 करोड़ रुपए तृतीय योजना 2127 करोड़ रुपए तीसरी वार्षिक योजनाएँ (1966-69) में 1568 करोड़ रुपए चतुर्थ योजना 3088 करोड़ रुपए पाचवी योजना 8576 करोड़ रुपए वार्षिक योजना (1979-80) 2902 करोड़ रुपए छठी योजना 21205 करोड़ रुपए सातवी योजना 31062 करोड़ रुपए वार्षिक योजना 1990-91 में 9732 करोड़ रुपए वार्षिक योजना 1991-92 (समाहित) 1170 करोड़ रुपए आठवी योजना 1199897 करोड़ रुपए।

18 राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना (Ninth Five Year Plan of Rajasthan) - राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 तक है। भारत के योजना आयोग द्वारा राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित प्रारूप प्रचलित कीमता पर 27650 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृत राशि आठवीं पंचवर्षीय योजना के वार्षिक उद्ध्यय से 15651 करोड़ रुपए अर्थात् 23 गुना अधिक है। प्रतिशत में वृद्धि की दृष्टि से देखे तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृत राशि आठवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक राशि से 1304 प्रतिशत अधिक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृत राशि के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृत राशि राजस्थान में 1951-52 से 1996-97 तक के 45 वर्षों के नियोजन काल में वार्षिक उद्ध्यय 21349 करोड़ रुपए से भी 6301 करोड़

रुपए अर्थात् 39.5 प्रतिशत अधिक है। स्पष्ट है कि राजस्थान में बड़े आकार वाली योजना स्वीकृत हुई है।

योजना के उद्देश्य (Objects of Plan) – राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। राज्य के कुल भू-भाग का 60.11 प्रतिशत से अधिक रेत के धोरो से ढका है इसके अलावा राजस्थान सामरिक महत्त्व वाला राज्य है। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। राज्य की योजनाओं के उद्देश्यों में विषम भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्त्व को ध्यान में रखा जाता है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण का अभाव, गरीबी का ताण्डव, ढाचागत सुविधाओं का अभाव, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ापन, क्षेत्रीय विषमता आदि समस्याएँ भी हैं। योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना के मसौदे में नौ उद्देश्य निश्चित किए जो इस प्रकार हैं –

- 1 कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता जिससे पर्याप्त मात्रा में क्रियाशील उत्पादन होना और गरीबी समाप्त करना।
- 2 कीमतों को स्थिर रखते हुए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को त्वरित करना।
- 3 सब को खाद्य एवं पोषाहार राहत देना, विशेष तौर से समाज के कमजोर वर्ग को।
- 4 समयबद्ध तरीके से पीने योग्य पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, सार्वजनिक सर्वांगीण प्राथमिक शिक्षा, सभी को आश्रय जैसी न्यूनतम आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करवाना।
- 5 जनसंख्या वृद्धि दर पर अकुश लगाना।
- 6 विकास की क्रियाओं वास्ते वातावरण को बनाए रखना एवं सुनिश्चित करना।
- 7 महिलाओं और समाज के अलाभान्वित समूहों को अधिकार दिलवाना।
- 8 लोगों की सस्था में भागीदारी को बढ़ावा देना।
- 9 आत्मनिर्भरता के प्रयत्नों को बढ़ावा देना।

विकास शीर्ष अनुसार उद्व्यय (Outlay according to Development)

– नौवीं पंचवर्षीय योजना के 27,650 करोड़ रुपए के उद्व्यय (Outlay) को सर्वाधिक सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर आवंटित किया है इसके बाद ऊर्जा विकास शीर्ष के आवंटन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर 7,519.4 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय का 27.2 प्रतिशत है। ऊर्जा पर 6,534.9 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल उद्व्यय का 23.6 प्रतिशत है। इन दो विकास शीर्षों के बाद सबसे अधिक आवंटन सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 3,100.4 करोड़ रुपए किया गया है जो कुल उद्व्यय का 11.2 प्रतिशत है। नौवीं योजना में कृषि और सबद्ध सेवाओं पर 1,880 करोड़ रुपए,

ग्रामीण विकास पर 2,3573 करोड रुपए, विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 1406 करोड रुपए, उद्योग व खनिज पर 2,154 करोड रुपए, यातायात पर 2,6892 करोड रुपए, वैज्ञानिक सेवाओ पर 384 करोड रुपए, आर्थिक सेवाओ पर 3497 करोड रुपए, सामान्य सेवाओ पर 186 करोड रुपए तथा हस्तान्तरित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओ पर 700 करोड रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना का विकास शीर्ष अनुसार उद्व्यय

(करोड रुपए)

विकास शीर्ष	उद्व्यय	कुल उद्व्यय का प्रतिशत
1 कृषि एव सम्बद्ध सेवाए	1,880 0	6 8
2 ग्रामीण विकास	2 357 3	8 5
3 विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	140 6	0 5
4 सिचाई और बाढ नियन्त्रण	3,100 4	11 2
5 उर्जा	6 534 9	23 6
6 उद्योग व खनिज	2,154 0	7 8
7 यातायात	2 689 2	9 7
8 वैज्ञानिक सेवाए	38 4	0 1
9 सामाजिक एव सामुदायिक सेवाए	7,519 4	27 2
10 आर्थिक सेवाए	349 7	1 3
11 सामान्य सेवाए	186 0	0 7
12 हस्तान्तरित केन्द्र प्रवर्तित योजनाए	700 0	2 5
कुल	27 650 0	100 00

स्रोत आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।

केन्द्र की राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजस्थान में भी नौवीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय अर्थात् अप्रैल, 1997 से क्रियान्वित नहीं हो सकी। नौवीं योजना वास्तव में 1998-99 के आखिरी में ही क्रियान्वयन में आ सकी। वित्त वर्ष 2000-2001 नौवीं पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष है। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष का समय शेष बचा है। योजना क विलम्ब से क्रियान्वयन के कारण ऐसा नहीं लगता कि योजना के निर्धारित लक्ष्यो को पूरी तरह प्राप्त किया जा सकेगा।

वर्तमान राज्य सरकार को नौवीं पंचवर्षीय योजना की रदिकृत राशि को व्यय करने में कारगर कदम उठाने हाने। राजस्थान की वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूप से कमजोर है। राज्य का बढ़ता कर्जभार चिंताप्रद स्थिति में है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारी वित्तियोजना क बावजूद राजस्थान विकास की दृष्टि से विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थान में स्थान नहीं बना सका। अनेक विकास सूचको में राजस्थान आज

भी पिछडा है। वर्ष 1991-92 से 1996-97 के बीच स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर राजस्थान में 5.53 प्रतिशत थी जो आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पंजाब आदि राज्यों से कम थी। राजस्थान की सकल घरेलू वृद्धि दर स्थिर (1980-81) कीमतों पर 1995-96 में नकारात्मक 3.10 प्रतिशत तथा 1998-99 में 0.87 प्रतिशत घितनीय है। वृद्धि दर 1996-97 में 16.5 प्रतिशत उल्लेखनीय थी। धीमे आर्थिक विकास के अलावा सामाजिक विकास क्षेत्र में भी राजस्थान की स्थिति बेहतर नहीं है। राज्य में निरक्षरता का अंश अधिक है, गरीबी का ताण्डव नृत्य है, बेरोजगारी विकट रूप धारण कर चुकी है। वर्तमान राज्य सरकार के लिए इन आर्थिक समस्याओं पर काबू पाने तथा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी है।

19. वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans) - राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजनान्तर्गत निवेश 1992-93 में 320 प्रति व्यक्ति से बढ़कर 1996-97 में 727 रुपए हो गया है। देश में योजना के आकार में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि राजस्थान में हुई है। राज्य की वार्षिक योजनाओं के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वार्षिक योजना का आकार 1992-93 में 1,400 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1993-94 में 1700 करोड़ रुपए, 1994-95 में 2,450 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में और बढ़कर 3,200 करोड़ रुपए हो गया। आठवीं योजना के आकार को देखते हुए 1996-97 की वार्षिक योजना 2,750 करोड़ रुपए की होनी चाहिए थी किन्तु विकासगत जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक योजना 3,200 करोड़ रुपए की निर्धारित की गई।

राजस्थान की 1997-98 की वार्षिक योजना 3,240.4 करोड़ रुपए थी। वार्षिक योजना का आकार 1998-99 में बढ़कर 4,078 करोड़ रुपए (सशोधित अनुमान) हो गया। गौरतलब है 1998-99 की वार्षिक योजना 4,300 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष के सशोधित अनुमानों में 222 करोड़ रुपए अर्थात् 5.2 प्रतिशत कम था।

20. वार्षिक योजना 1999-2000 (Annual Plans) - नौवीं योजना के तीसरे वित्त वर्ष में 1999-2000 में वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो 1998-99 की सशोधित वार्षिक योजना 4,078 करोड़ से 23.2 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में उत्पादन व रोजगार में वृद्धि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बिजली व सिंचाई परियोजनाओं का विकास तथा पेयजल आदि पर विशेष बल दिया गया है। वार्षिक योजना में सर्वाधिक उद्द्योग का प्रावधान सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर तथा आधारभूत संरचना, यथा विद्युत, परिवहन, सिंचाई पर किया गया है।

राजस्थान की वार्षिक योजना, 1999 2000

(करोड़ रुपए)

विकास शीर्ष	योजना उद्व्यय (प्रस्तावित)	कुल उद्व्यय का प्रतिशत
सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ	1556 80	31
विद्युत	954 20	19
परिवहन	753 30	15
सिंचाई एव बाढ़ नियन्त्रण	652 90	13
ग्रामीण व विशेष क्षेत्रीय विकास	401 80	8
कृषि व सतत सेवाएँ	351 50	7
उद्योग व खनिज	200 90	4
विदिघ व्यय	150 70	3
कुल योजना उद्व्यय	5021 20	100

संलग्न राजस्थान के वर्ष 199 2000 के बजट से सकलित।

देशों की है। विदेशी कम्पनियों के तकनीक सहयोग से रगीन टी वी ट्यूब, टी वी, पिक्चर ट्यूब, ग्लास शैल, बीयर और बीयर केन, सिक्वोरिटी प्रिटिंग इक, एल्युमीनियम रेडिएटर्स, डायमंड टूल्स, कॉटेक्ट लैस, ए वी एस रेसिन, सिरेमिक रग, साईकिल टायर ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग प्रणाली, शीविंग ब्लेड, मास्टर बेघेज, टोनर्स व डेवलपर्स, पोलिस्टर फिलोमेट यार्न, चिप्स, टेरीटॉवल, कोल्डरोल्ड, स्ट्रिप्स, एयर सेपरेटर सायत्र, पी वी सी रिजिड पाइप्स और आप्टिकल फाइबर आदि का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है।

आर्थिक खुलेपन के दौर में भारत में किए गए कुल विदेशी पूंजी निवेश पर दृष्टिपात किया जाए तो पाते हैं कि राजस्थान में किया गया विदेशी निवेश अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि की तुलना में अल्प है। राजस्थान में जो थोड़ा बहुत विदेशी निवेश किया गया है वह भी क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देने वाला ही है। अधिकतर बहुराष्ट्रीय कर्पनिया राज्य के कोटा, भिवाडी, शाहजहापुर, अलवर और आबूरोड जैसे औद्योगिक क्षेत्र तक ही केन्द्रित है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की कोई समस्या नहीं है। अकूत प्राकृतिक संपदा वाले क्षेत्रों की पूंजी विनियोजन की दृष्टि से उपेक्षा की गई।

22. बढ़ती ऋणग्रस्तता (Increased Debtness) — राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में अर्थव्यवस्था में किए गए ढाचागत बदलाव से पूंजी निवेश, निर्यात, ढाचागत निवेश आदि क्षेत्रों में विकासात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। किन्तु प्रदेश में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या बढ़ी तथा राज्य को ऋणग्रस्तता से मुक्ति नहीं मिली है। राजस्थान सरकार की देनदारिया 31 मार्च, 1990 तक 6127.11 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 31 मार्च 1996 तक 14249.20 करोड़ रुपए हो गई। राजस्थान पर कुल ऋण भार 1998-99 में 23,840 करोड़ रुपए (अनुमानित) था। राज्य सरकार को वर्ष 1995-96 में सार्वजनिक ऋण पर 878.4 करोड़ रुपए तथा अन्य देनदारियों पर 362.8 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना पडा। राज्य सरकार की देनदारियों में वृद्धि का प्रमुख कारण योजना व्यय में वित्त पोषण के लिए अधिक ऋण प्राप्त करना है।

23. क्षेत्रीय असन्तुलन (Regional Disparity) — आर्थिक सुधारों के दौर में राजस्थान में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या उभरी है। कोटा, अलवर, जयपुर, भीलवाडा तेजी से औद्योगीकरण की ओर अग्रसर है वहीं सवाईमाधोपुर, बारा, टोक तथा पश्चिमी जिले आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड गए है। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के मैदानी तथा पहाडी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद राज्य स्तरीय औसत की तुलना में काफी कम रहा है। वर्ष 1986-87 से 1990-91 की अवधि में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद का राज्य स्तरीय औसत 102.7 प्रतिशत रहा। इसकी तुलना में हनुमानगढ, श्रीगगानगर वाले सघन सिंचित और कृषि क्षेत्र में यह औसत 117.72 प्रतिशत रहा जबकि सवाईमाधोपुर, टोक, धौलपुर, भरतपुर दौसा आदि मैदानी क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का औसत केवल 81.15 प्रतिशत रहा।

24. राजस्थान का बजट 1999-2000 (Rajasthan Budget, 1999-2000) - राजस्थान के तत्कालीन वित्तमंत्री चन्दनमल वैद ने 26 मार्च, 1999 को राज्य विधान सभा में वर्ष 1999-2000 का बजट पेश किया। बजट पेश किए जाने के समय भारतीय अर्थव्यवस्था समेत अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय है। राजस्थान की नई सरकार ने हाल ही (19 मार्च, 1999) राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें अर्थव्यवस्था की माली हालत पर चिन्ता प्रकट की गई है। विगत वर्षों में विभिन्न आर्थिक सूचकों में राजस्थान के आर्थिक विकास की बात कही जाती रही है किन्तु वास्तविकता यह है कि राजस्थान आज भी विकास के क्षेत्र में देश के कई राज्यों से पीछे है।

ताजे बजट (1999-2000) में राजस्थान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को मापस पट्टी पर लाने के प्रयास दृष्टिगोचर होते हैं। बजट में एक ओर आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए बजट में कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। विजली व सिंचाई दरों में वृद्धि की गई है। वेतन भोगियों पर व्यवसाय कर लगा दिया है जिन पर पहले की आयकर का भार अधिक है।

राजस्थान के राजस्व घाटे में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्ति कम है। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 1,332.09 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमानों में 2,933.45 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। वर्ष 1999-2000 में राजस्व प्राप्ति 10,165.26 करोड़ रुपए तथा राजस्व व्यय 13,556.76 करोड़ रुपए अनुमानित है जिससे राजस्व घाटे के 3,391.50 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। राजस्व घाटे के बढ़ने से प्रदेश के ऋण भार में भारी वृद्धि हुई है तथा बजट घाटा भी बढ़ा है। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में बजटीय अधिशेष 228.20 करोड़ रुपए आका गया था जो संशोधित अनुमानों में 974.66 करोड़ रुपए के बजट घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1999-2000 में पूंजीगत प्राप्ति 7,195.86 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 4,405.95 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत खाते में आधिक्य 2789.91 करोड़ रुपए अनुमानित है तथा 601.59 करोड़ रुपए का बजटीय घाटा छोड़ा गया है। वर्ष 1999-2000 के बजट में वर्ष 1998-99 के अंतिम घाटा के 1,201.83 करोड़ रुपए का कोई इतजाम नहीं किया गया है। इसकी पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार की सहायता का इतजार है। राज्य सरकार ने 762 करोड़ रुपए के अतिरिक्त साराधन जुटाने का प्रस्ताव किया है जिससे 601.59 करोड़ रुपए के घाटे का बजट 160.41 करोड़ रुपए के अधिशेष बजट में बदल गया।

बजट 1999-2000 एक दृष्टि

(करोड रुपए)

क्र स	मर्दे	1998 99	1998-99	1999-2000
		बजट अनुमान	सशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	राजस्व प्राप्तियाँ	10189 47	8838 10	10165 26
2	राजस्व व्यय	11521 56	11771 55	13556 76
3	राजस्व घाटा	1332 09	-2933 45	-3391 50
4	पूजीगत प्राप्तियाँ	5758 41	8260 79	7195 86
5	पूजीगत व्यय	4198 12	6301 83	4405 95
6	पूजीगत खाते मे आधिक्य	+1560 29	+1958 96	+2789 91
7	बजटीय अधिशेष/घाटा	+228 20	-974 49	-601 59
8	प्रारम्भिक घाटा	-227 34	-227 34	----
9	अन्तिम अधिशेष/घाटा	+86 00	-1201 83	--

स्रोत राज्य बजटों से मकलित।

राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास में बाधाएँ

(Constraints of Rapid Economic Development of Rajasthan)

राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 1951-52 से लेकर 1996-97 तक के 45 वर्षों में 21,349 करोड रुपए खर्च कर चुका है तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना 27,650 करोड रुपए की स्वीकृत की गई। भारी भरकम पूजी विनियोजन के बावजूद राजस्थान विकास की तीव्र गति नहीं पकडा सका। आज राजस्थान आर्थिक विकास के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से बहुत पीछे है। हाल के वर्षों में राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर गिरी। वर्ष 1980-81 की स्थिर कीमतों पर राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997-98 में 2.74 प्रतिशत तथा 1998-99 में केवल 0.87 प्रतिशत रही। राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास में कुछ बाधाएँ हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

1 मरुस्थल (Desert) - राजस्थान का तीव्र विकास नहीं होने का प्रमुख कारण मरुस्थल का होना है। राज्य के कुल भू-भाग का 61.11 प्रतिशत रेत के धारों से पटा हुआ है। राज्य के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के 11 जिलों में राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या थार मरुस्थल में निवास करती है। रेत के समुद्र में प्रदेशवासी कठोर जीवन जीते हैं।

2 मानसून पर निर्भरता (Dependence on Monsoon) - राजस्थान की

कृषि मानसून पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों बाद भी सिंचाई ससाधनों का अपेक्षित गति से विकास नहीं हुआ नतीजन कृषिगत उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन के घटने-बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद में उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। मानसून की विफलता से प्रदेश की अर्थव्यवस्था डाबाडोल हो जाती है। गरीब किसानों के लिए रोनी-रोटी की व्यवस्था मुश्किल हो जाती है।

3 अकाल (Famine) - राजस्थान में मानसून के अनुकूल नहीं होने की परिणति अकाल के रूप में दृष्टिगोचर होती है। राज्य में 1991-92 में भयंकर अकाल की स्थिति थी। इस वर्ष राज्य के 30 जिले अकाल से प्रभावित थे तथा 30,041 गांव अकाल के घेरे में थे, 289 लाख जनसंख्या को अकाल की मार सहनी पड़ी। प्रदेशवासियों को राहत वास्ते 3259 लाख रुपए का भू-राजस्व निलंबित करना पड़ा। इसके बाद 1995-96 में भी राजस्थान में अकाल की स्थिति थी। इस वर्ष 29 जिलों के 25,478 गांवों की 274 लाख जनसंख्या अकाल से प्रभावित थी। वर्ष 1997-98 में भी अकाल ने प्रदेश का पीछा नहीं छोड़ा। इस वर्ष 20 जिलों के 20,069 गांवों की 215 लाख जनसंख्या अकाल से प्रभावित थी परिणामस्वरूप 1685 लाख रुपए का भू-राजस्व निलंबित करना पड़ा। स्पष्ट है राजस्थान में अकाल की समस्या मुहंवाए खड़ी है। राज्य 2000-2001 में भी अकाल की घेरे में है।

4 उच्च जनसंख्या वृद्धि दर (High Increased Population Rate) - राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अभी बहुत ऊंची है। प्रदेश की प्रगति जनसंख्या रूपी बाढ़ में बह जाती है। राजस्थान में जनसंख्या की दशक वृद्धि दर भारत की दशक वृद्धि दर से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है जहां भारत में जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 1971 के बाद निरन्तर घटी वहीं राजस्थान की दशक वृद्धि दर 1971 के बाद 1981 में तीव्रता से बढ़ी। राज्य की दशक वृद्धि दर 1991 में अवश्य घटी किन्तु यह भारत की 1991 की दशक वृद्धि दर से बहुत अधिक थी। भारत की जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 1971 में 24.80 प्रतिशत, 1981 में 24.66 प्रतिशत तथा 1991 में 23.56 प्रतिशत थी इसके विपरीत राजस्थान की दशक वृद्धि दर 1971 में 27.83 प्रतिशत, 1981 में 32.97 प्रतिशत तथा 1991 में 28.44 प्रतिशत थी। राजस्थान में जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर से आर्थिक विकास की गति धीमी रही इसके अतिरिक्त श्रमिकों की तीव्र वृद्धि दर से बेरोजगारी की समस्या विकट हो गई।

5 पानी की कमी (Lack of Water) - राजस्थान पानी की कमी वाला राज्य है जिसमें सतही एवं भूमिगत जल दोनों एक दुर्लभ ससाधन है। कई स्थानों में भूमिगत जल मानव एवं पशुओं दोनों के उपयोग के अनुकूल नहीं है। प्रदेश का बड़ा भाग मरुस्थल, ऊपर से मानसून की अनिश्चितता फिर अकाल से मरु प्रदेश के बाशिंदे पेयजल के लिए तरसा जाते हैं। पानी की कमी के कारण बहुत सी जनसंख्या प्रदूषित

पानी पीने के लिए अभिशप्त है। प्रदूषित पानी से सैकड़ों लोग अनेक रोगों से ग्रसित हैं। सतत प्रवाही नदियों के बावजूद पूर्वी राजस्थान भी पयजल समस्या से अछूता नहीं है।

6 ऊर्जा का अभाव (Lack of Energy) – ऊर्जा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है इसके बिना औद्योगीकरण की बात महज कल्पना है। राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के संसाधनों की कमी है। ऊर्जा की मांग एव पूर्ति में अंतराल है। राजस्थान में 1998-99 के प्रारम्भ में विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097 मेगावाट थी। राज्य में विद्युत का शुद्ध उत्पादन 1998-99 में 10,2232 मिलियन यूनिट तथा विद्युत क्रय 11,300 मिलियन यूनिट था। विद्युत की कमी के कारण लोगों को अधिक विद्युत मुहैया नहीं है। राज्य में विद्युत की कमी के कारण जून और दिसम्बर 1998 में कृषि कार्य हेतु औसतन आठ घंटे प्रतिदिन एव शेष महीनों में सात घंटे प्रतिदिन विद्युत मुहैया कराई गई। राज्य के 39,810 गावों में से 35,215 गाव ही विद्युतीकृत हैं। राज्य के 4,595 गावों में विद्युत नहीं है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत 1998-99 में 307 यूनिट (अनुमानित) ही है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अपरिहार्य है।

7 निरक्षरता (Illiteracy) – राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा हुआ प्रान्त है। राजस्थान में बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता सबसे कम है। महिलाओं की साक्षरता में स्थिति चिन्ताप्रद है। निरक्षरता के कारण सामाजिक और आर्थिक ढांचा बहुत कमजोर है। राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 38.55 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 54.99 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 20.44 प्रतिशत है। राजस्थान के गावों में साक्षरता की स्थिति दयनीय है। ग्रामीण साक्षरता 30.37 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 47.64 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 11.59 प्रतिशत ही है। शहरी साक्षरता की स्थिति गावों की तुलना में थोड़ी ठीक है। शहरी साक्षरता 65.33 प्रतिशत, पुरुष साक्षरता 78.50 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 50.24 प्रतिशत है। गावों में निरक्षरों की बहुलता के कारण चहुँओर पिछड़ापन दृष्टिगोचर होता है।

8 यातायात और संचार सुविधाओं का अभाव (Lack of Transport and Communication Facilities) – राजस्थान में यातायात और संचार सुविधाएँ राष्ट्रीय औसत से बहुत कम हैं। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लम्बाई 1998-99 में 84,958 किलोमीटर थी। राजस्थान में सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42.7 किलोमीटर है जबकि देश की औसत सड़कों की लम्बाई 73 किलोमीटर है। राजस्थान में जो सड़कें हैं वे खस्ताहाल हैं। गावों में संचार सुविधाओं का नितांत अभाव है।

9 अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (International Boundary) – राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में पाकिस्तान से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से 1947-48 में, 1965 में, 1971 में तथा हाल ही जून-जुलाई 1999 में कारगिल में युद्ध हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान का देश के लिए अत्यधिक

सामरिक महत्त्व है। राजस्थान को भी अन्ताराष्ट्रीय सीमा के कारण ससाधनों का एक बड़ा भाग सुरक्षात्मक उपायों पर व्यय करना पड़ता है।

राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना का सुचारु रूप से क्रियान्वयन हुआ है परिणामस्वरूप राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। किन्तु राजस्थान अभी तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। विकास के लिए किए गए प्रयत्नों का लाभ तभी होगा जबकि किए गए प्रयत्नों को आगे की ओर अग्रसर करते हुए उच्च वृद्धि की ओर उन्मुख किया जाए।

सन्दर्भ

- 1 राजस्थान पत्रिका, 3 दिसम्बर, 1996.
- 2 *Basic Statistics, Rajasthan, 1997, DES, Jaipur, p 303*
- 3 वही, 1988, 1994 तथा 1997.
- 4 *Draft Eight Five year Plan, Part I.*
- 5 शर्मा ओ पी, *वित्तीय अनुशासन और बजट*, राजस्थान पत्रिका, 7 अप्रैल 1996
- 6 लेखक का *तथ्य भारती*, मई 1999 में प्रकाशित लेख राजस्थान का बजट से संकलित।
- 7 लेखक का *तथ्य भारती*, मई 1999 में प्रकाशित लेख।
- 8 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-98, राजस्थान सरकार।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ संक्षेप में बताइए।
- 2 राजस्थान की जनसंख्या पर टिप्पणी लिखिए।
- 3 राजस्थान में कृषि विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
- 2 राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना पर लेख लिखिए।
- 3 राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव बताइए।
- 4 राजस्थान के 1999-2000 के बजट की समीक्षा कीजिए।
- 5 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ तथा इसके तीव्र विकास में बाधाओं का विवेचन कीजिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का स्थान

(Place of Rajasthan in Indian Economy)

भारत के इतिहास में राजस्थान का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। राजस्थान अनेक साहसी और पराक्रमी योद्धाओं की जन्मस्थली रहा है। प्राकृतिक कठिनाइयों की तपोभूमि राजस्थान ने बिडला, डालमिया, सिघानिया, बागड, पोदार आदि उद्योगपतियों को जन्म दिया, जिन्होंने देश-विदेश में औद्योगिक और व्यापारिक जगत में काफी ख्याति अर्जित की है।

राजस्थान का निर्माण 19 छोटे-छोटे राज्यों व तीन चीफशिपों के एकीकरण से हुआ था। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से प्रारम्भ होकर 1956 में सम्पन्न हुई थी। राजस्थान का वर्तमान वैधानिक स्वरूप एक नवम्बर 1956 को लागू हुआ। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 342 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश में तीन नये राज्यों के गठन के बाद राजस्थान का अब क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान हो गया है। राजस्थान देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में पाकिस्तान से एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। राजस्थान के पश्चिम और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में भारत का सर्वाधिक बड़ा थार मरुस्थल है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में अपनी स्थलाकृति के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रमुख स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में नया स्थान है।

राजस्थान में वर्ष 1999 में 32 जिले, 105 उपखंड, 241 तहसीले, 183 नगरपालिकाएँ, 237 पंचायत समितियाँ, 9,184 ग्राम पंचायतें तथा वर्ष 1991 में कुल गाव 39,810, कुल आबाद गाव 37,889 तथा कुल करबे/शहर 222 थे। भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति का विवरण इस प्रकार है -

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान

क्र.सं.	मदे	वर्ष	इकाई	भारत	राजस्थान
1	क्षेत्रफल	1991	हजार वर्ग कि.मी.	3,287	342
2	जनसंख्या	1991	हजार संख्या	8,46,303	44,005
3	घनत्व	1991	प्रति वर्ग कि.मी.	273	129
4	कुल वन क्षेत्र	1985-86	वर्ग कि.मी.	7,36,685	31,290
5	कुल फसल क्षेत्र	1990-91	हजार हैक्टेयर	1,85,477	19,380
6	एक से अधिक बार बोया क्षेत्र	1990-91	हजार हैक्टेयर	43,243	3,003
7	शुद्ध बोया क्षेत्र	1990-91	हजार हैक्टेयर	1,42,234	16,377
8	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	1988-89	हजार हैक्टेयर	45,186	3,481
9	खाद्यान्न उत्पादन				
	(i) अनाज	1990-91	हजार टन	1,62,125	9,215
	(ii) दालें	1990-91	हजार टन	14,265	1,719
10	पशुधन	1987	हजार संख्या	4,45,288	40,916
11	खानें				
	(i) खानों की संख्या	1991-92	संख्या	3,375	721
	(ii) खनिज उत्पादन की कीमत	1991-92	हजार रूपए	17,41,98,628	32,18,459
12	पजीकृत फैक्ट्रियों	1988-89	संख्या	1,04,077	3,162

निरन्तर

क्र स	मदे	वर्ष	इकाई	भारत	राजस्थान
13	विद्युत उत्पादन शुद्ध	1989-90	करोड़ किलोवाट	2,22,676.40	610.20
14	विद्युत उपभोग	1989-90	करोड़ किलोवाट	17,541.90	759.90
15	शैक्षणिक सस्थाएँ				
	(i) सस्थाएँ	1987-88	सख्या	10,280 40	54,433 00
	(ii) विद्यार्थी	1987-88	हजार सख्या	1,50,471 00	6,891 00
16	साक्षरता	1991	प्रतिशत	52.2	38 60
17	कुल सतह रोह	1988-89	किलोमीटर	8,24,606 00	49,975 00
18	वार्षिक योजना (सार्वजनिक क्षेत्र)				
	(i) परिव्यय	1990-91	लाख रुपए	28,49,300 00	1,17,000 00
	(ii) व्यय	1989-90	लाख रुपए	24,25,840 00	97,322 00

Sources Basic Statistics, 1997, Rajasthan, Directorate of Economic and Statistics, Rajasthan, Jaipur, Released on dated February 1999

1 036 महिलाएँ हैं। लिगानुपात आन्ध्रप्रदेश में 972 बिहार में 967 गुजरात में 934 तथा हिमाचल प्रदेश में 976 है। अरुणाचल प्रदेश में लिगानुपात सबसे कम प्रति हजार पुरुषों के पीछे 859 महिलाएँ हैं।

(iv) साक्षरता (Literacy) — राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से स्थिति बहुत दयनीय है। महिलाओं की साक्षरता घिटाप्रद है। राजस्थान में साक्षरता अखिल भारत साक्षरता से कम है। सात वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या में भारत में साक्षरता 52.21 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 64.13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39.29 प्रतिशत है। राजस्थान में साक्षरता 38.55 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 54.99 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 20.44 प्रतिशत है।

साक्षरता के मामले में राजस्थान की तरवीर धुधली है। वैसे बिहार साक्षरता में सबसे पीछे है। बिहार में साक्षरता 38.48 प्रतिशत है। राजस्थान के पुरुष बिहार से थोड़े अधिक साक्षर हैं। बिहार में पुरुषों की साक्षरता 52.49 प्रतिशत है जबकि राजस्थान में यह कुछ अधिक 54.99 प्रतिशत है। किन्तु महिला साक्षरता के मामले में राजस्थान सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है। जबकि विकास के लिए और अर्थव्यवस्था की ढेरों समस्याओं पर निजात वास्ते महिलाओं का शिक्षित होना अनि आवश्यक है। साक्षरता वृद्धि से आर्थिक विकास संभव है। साक्षरता और शिक्षा विकास से जनसंख्या नियंत्रित होती है और भारत में जनसंख्या वृद्धि के कम होने का अभिप्राय तीव्र आर्थिक विकास है।

(v) राजस्थान में जन्म व मृत्यु दर दोनों अधिक (Excess Birth and Death Rate in Rajasthan) — राजस्थान में जन्मदर मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हालांकि 1985 की तुलना में 1996 में जन्म दर मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में मामूली गिरावट दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान की ग्यारहवीं विधान सभा में प्रस्तुत परिवार कल्याण विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार दश में वर्ष 1996 में जन्म दर 27.4 प्रति हजार थी जबकि राज्य में यह दर 32.5 प्रति हजार आकी गई। वर्ष 1985 में देश की जन्म दर 32.9 तथा राज्य में 39.7 थी। इस तरह वर्ष 1996 में वर्ष 1985 की तुलना में देश की जन्म दर में पांच तथा राज्य की जन्म दर में 7 अंकों की गिरावट आई है। इसी तरह वर्ष 1996 में देश की मृत्यु दर 8.9 आकी गई जबकि राज्य में मृत्यु दर 9.7 थी। हालांकि वर्ष 1985 की तुलना में देश की मृत्यु दर 2 में तथा राज्य में तीन अंकों की गिरावट आई है।

शिशु मृत्यु दर के मामले में भी राजस्थान की स्थिति देश की तुलना में बदतर है। वर्ष 1996 में देश की शिशु मृत्यु दर 72 तथा राज्य की 86 प्रति हजार थी। जबकि वर्ष 1985 में यह 97 तथा 108 प्रति हजार थी। राजस्थान में पिछले 90 वर्षों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी गई। राजस्थान की जनसंख्या के वर्ष 2001 में 5.61 करोड़ होने का अनुमान है।

भारत एवं राजस्थान में जन्म दर और मृत्यु दर की स्थिति
(प्रति हजार)

वर्ष	जन्म दर		मृत्यु दर	
	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
1985	32.9	39.7	11.1	13.2
1991	29.5	35.0	9.8	9.8
1992	29.0	34.7	10.0	10.8
1993	28.5	33.6	9.2	9.0
1994	28.6	33.7	9.2	9.0
1995	28.3	33.3	9.0	9.1
1996	27.4	32.3	8.9	9.7

स्रोत राजस्थान पत्रिका, 15 अप्रैल 1999

3 राजस्थान में कृषि (Agriculture in Rajasthan) - राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। जल ससाधन सीमित होने के कारण कृषि मानसून पर निर्भर है। वर्तमान में राज्य के क्षेत्र का एक-चौथाई से कम भाग सिंचित है। सकल फसल क्षेत्र में कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण उच्चावचन की प्रवृत्ति है। यद्यपि शुद्ध बोये गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में राजस्थान की कृषि स्थिति इस प्रकार है -

(i) कुल फसल क्षेत्र (Total Cropped Area) - वर्ष 1990-91 में भारत का कुल फसल क्षेत्र 1,85,477 हजार हैक्टेयर था जिसमें राजस्थान का कुल फसल क्षेत्र 19,380 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान का कुल फसल क्षेत्र भारत के कुल फसल क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत है। राजस्थान का कुल फसल क्षेत्र 1973-74 में 17,886 हजार हैक्टेयर था जो बढ़कर 1996-97 में 20,693 हजार हैक्टेयर तथा 1997-98 में 22,325 हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया।

(ii) शुद्ध बोया क्षेत्र (Net Area Sown) - भारत में शुद्ध बोया क्षेत्र 1990-91 में 1,42,234 हजार हैक्टेयर था जिसमें राजस्थान में शुद्ध बोया क्षेत्र 16,377 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान का शुद्ध बोया क्षेत्र भारत के शुद्ध बोया क्षेत्र का 11.5 प्रतिशत था। वर्ष 1973-74 से 1997-98 के बीच राजस्थान के शुद्ध बोया क्षेत्र में वृद्धि हुई। राज्य में शुद्ध बोया क्षेत्र 1973-74 में 15,967 हजार हैक्टेयर था जो बढ़कर 1996-97 में 16,790 हजार हैक्टेयर तथा 1997-98 में 17,075 हजार हैक्टेयर हो गया।

(iii) एक से अधिक बार बोया क्षेत्र (Area Sown More Than one) - वर्ष 1990-91 में एक से अधिक बार बोया क्षेत्र भारत में 43,246 हजार हैक्टेयर तथा राजस्थान 3,003 हजार हैक्टेयर था। राजस्थान का एक से अधिक बार बोया

क्षेत्र भारत का 69 प्रतिशत था। राजस्थान में एक से अधिक बार बोया क्षेत्र 1973-74 में 1,919 हजार हैक्टेयर से बढ़कर 1996-97 में 3,904 हजार हैक्टेयर तथा 1997-98 में 5,250 हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया।

(iv) शुद्ध सिंचित क्षेत्र (Net Irrigated Area) - भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1988-89 में 45,186 हजार हैक्टेयर था जिसमें राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 3,481 हजार हैक्टेयर था। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का भाग 77 प्रतिशत था। राजस्थान में स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1973-74 में 2,378 हजार हैक्टेयर था जो बढ़कर 1996-97 में 5,588 हजार हैक्टेयर तथा 1997-98 में 5,421 हजार हैक्टेयर (प्राविजनल) हो गया। स्रोत अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र 1996-97 में 6,743 हजार हैक्टेयर था। फसल अनुसार सिंचित क्षेत्र 1996-97 में खाद्यान्न का 3,031 हजार हैक्टेयर, दालों का 353 हजार हैक्टेयर, तिलहन का 2,215 हजार हैक्टेयर तथा गन्ने का 26 हजार हैक्टेयर था।

(v) खाद्यान्न (Foodgrain Production) - खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सुधरी है। वर्ष 1990-91 में भारत में अनाज उत्पादन 1,62,125 हजार टन था जिसमें राजस्थान का अनाज उत्पादन 9,215 हजार टन था जो देश के अनाज उत्पादन का 57 प्रतिशत था। वर्ष 1990-91 में दालों का उत्पादन भारत में 14,265 हजार टन था जिसमें राजस्थान का उत्पादन 1,719 हजार टन था। दालों के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 12 प्रतिशत था।

खाद्यान्न उत्पादन

(मिलियन टन)

वर्ष	भारत	राजस्थान	खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत
1995-96	180.4	9.6	5.3
1996-97	199.4	12.8	6.4
1997-98	192.4	14.0	7.3
1998-99	203.0	12.9	6.4
1999-2000 (प्राविजनल)	199.1	8.9	4.5

स्रोत 1 इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, भारत सरकार।

2 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, 1999-2000 राजस्थान सरकार।

भारत की अर्थव्यवस्था के खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की भूमिका बढ़ी है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का योगदान 1995-96 में 5.3 प्रतिशत, 1996-97 में 6.4 प्रतिशत था जो बढ़कर 1997-98 में 7.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1997-98 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 192.4 मिलियन टन था जिसमें राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन 14 मिलियन टन था। राजस्थान वर्तमान में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु अतिरिक्त वाला राज्य बन गया है।

(vi) प्रमुख फसलों का उत्पादन (Production of Principal Crops) - राजस्थान में वर्ष 1998-99 में अनाज उत्पादन 9.2 मिलियन टन, दलहन 2 मिलियन टन, खाद्यान्न उत्पादन 11.2 मिलियन टन, तिलहन 3.6 मिलियन टन तथा कपास 0.9 मिलियन टन गठ था।

भारत में दलहन और तिलहन का उत्पादन में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1998-99 में भारत में दलहन उत्पादन में राजस्थान का भाग 13.5 प्रतिशत तथा तिलहन में 14.9 प्रतिशत (समाहित) था। राजस्थान में तिलहन का क्षेत्रफल 1998-99 में 40.27 लाख हेक्टर था। तिलहन का उत्पादन 1998-99 में 3.6 मिलियन टन समाहित था। वर्ष 1997-98 में तिलहन उत्पादन 3.3 मिलियन टन की तुलना में 9 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

प्रमुख फसलों का उत्पादन की स्थिति वर्ष 1998-99 (समाहित)

(मिलियन टन)

वर्ष	भारत	राजस्थान	फसल का उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत
अनाज	180.4	9.2	5.0
दलहन	14.8	2.0	13.5
खाद्यान्न	195.2	11.2	5.7
तिलहन	24.2	3.6	14.9
गन्ना	289.7	0.95	0.3
कपास	14.0	0.98	7.0

(मिलियन गठ)

सर्वेक्षण डिकानमिक सर्वे 1998-99 तथा आर्थिक सर्वेक्षा 1998-99 राजस्थान सरकार

(vii) प्रमुख फसलों की औसत उत्पादकता (Average Yield of Principal Crops) - राजस्थान फसल की औसत उत्पादकता में प्रादेशिक राज्यों तथा पंजाब हरियाणा की तुलना में पीछे है। राजस्थान में वर्ष 1995-96 में प्रति हेक्टर औसत उत्पादकता धान की 2.501 किलोग्राम चावल की 1.264 किलोग्राम मूंगफली 762 किलोग्राम कपास की 1.126 किलोग्राम गन्ना की 50.336 किलोग्राम थी।

4. उर्वरकों का उपभोग (Consumption of Fertilizers) - उर्वरकों का उपभोग की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत और अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। भारत में बाएँ क्षेत्र में प्रति हेक्टर उर्वरक का औसत उपभोग 78 किलोग्राम है जबकि राजस्थान में यह उर्वरक 35 किलोग्राम ही है। राजस्थान में वर्ष 1995-96 में नाइट्रोजन का उपभोग 4.86 लाख टन फॉस्फेट का उपभोग 1.50 लाख टन तथा पोटैशियम का उपभोग 5.7 हजार टन था। राजस्थान उर्वरक के उपभोग की दृष्टि से पंजाब उत्तर प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश आदि राज्यों से पीछे था।

5. पशुधन (Live Stock) – राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में बहुतेरे लोग लाभप्रद रोजगार पशुधन पर आश्रित हैं। राजस्थान का पशुधन 1992 में 477.73 लाख था जो बढ़कर 1997 में 543.49 लाख हो गया। राज्य के पशुधन में 1992 की तुलना में 1997 में 13.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्थान का ऊन और दूध उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1987 में भारत के पशुधन में राजस्थान का भाग 9.2 प्रतिशत था।

6. भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की औद्योगिक स्थिति (Industrial Position of Rajasthan in India) – देश में आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए दस वर्ष बीत चुके हैं। आर्थिक सुधारों के कारण देश में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है। किन्तु राजस्थान नब्बे के दशक में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में अधिक सफल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप राजस्थान औद्योगिक विकास की दौड़ में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों की तुलना में पिछड़ गया। राज्य के पिछड़ेपन का अन्य प्रमुख कारण केंद्रीय पूंजी निवेश का अभाव है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नितांत अभाव है। राज्य के अनेक उद्योग घाटे की समस्या से ग्रसित हैं।

वर्तमान में राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत है। राज्य की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो 1998-99 की संशोधित वार्षिक योजना की तुलना में 23.15 प्रतिशत अधिक है। योजना परिव्यय का 4 प्रतिशत उद्योग व खनिज पर, 19 प्रतिशत विद्युत पर तथा 15 प्रतिशत परिवहन पर व्यय करने का प्रावधान है। आधारभूत संरचना के विकसित होने से विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे जिससे औद्योगिकरण की गति को बल मिलेगा। वर्तमान में यह प्रमाणित हो चुका है कि तीव्र औद्योगिक विकास के बिना गरीबी निवारण संभव नहीं है। औद्योगिक विकास से गरीबी का दुष्प्रभाव थमता है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी से चहुँओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है।

राजस्थान में मार्च 1998 तक 531 वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये गए हैं, जिनमें 13,740 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित है तथा 1.70 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष 1998-99 के दौरान लघु एवं दस्तकारी उद्योगों में आशातित वृद्धि हुई। दिसम्बर 1998 तक 5,400 इकाइयों के लक्ष्यों के सापेक्ष 5,160 इकाइयाँ पंजीकृत हुईं जिनमें 224.33 करोड़ रुपये के विनियोजन से 22,350 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

राजस्थान औद्योगिक विकास की दौड़ में औद्योगिक रुग्णता, आधारभूत संरचना का अभाव, कम पूंजी निवेश, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का अभाव आदि कारणों से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पिछड़ गया है। इस बात की पुष्टि भारत और राजस्थान के अग्रकित तुलनात्मक विवरण से सहज हो जाती है।

राजस्थान का 1997-98 में साधन लागत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर 47,05,467 लाख रुपए था जिसमें विनिर्माण क्षेत्र (पजीकृत और गैर पजीकृत) का अंशदान 3,72,785 लाख रुपए था। राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 7.9 प्रतिशत था। भारत का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1997-98 में 10,49,191 करोड़ रुपए (त्वरित अनुमान) था जिसमें निर्माण क्षेत्र का अंशदान 2,59,426 करोड़ रुपए था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का योगदान 1997-98 में 24.7 प्रतिशत था जो राजस्थान की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। स्पष्ट है विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। चालू मूल्यों पर शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद (नई श्रृंखला) 1996-97 में राजस्थान में 41,872 करोड़ रुपए (त्वरित अनुमान) था जबकि यह महाराष्ट्र में 1,52,129 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 1,03,170 करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश में 72,195 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में 70,537 करोड़ रुपए तथा गुजरात में 63,501 करोड़ रुपए था। राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पाद में बिहार, आसाम हरियाणा, केरल, उड़ीसा से आगे है।

(7) धीमा आर्थिक विकास (Slow Economic Development) - औद्योगिक पिछड़ेपन का राजस्थान के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य में औद्योगीकरण के गति नहीं पकड़ने के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धीमी रही। अखिल भारत स्तर पर प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1995-96 की प्रति व्यक्ति आय 10,525 रुपए थी जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 7,523 रुपए रही। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में ग्यारहवां स्थान रहा। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 16,053 रुपए थी।

राज्यवार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, स्थिर (1980-81) कीमतों पर

राज्य	वृद्धि दर (1991-92 से 1996-97)
गुजरात	8.23
महाराष्ट्र	7.96
आन्ध्र प्रदेश	7.90
त्रिपुरा	7.18
पश्चिम बंगाल	6.82
कर्नाटक	6.11
तमिलनाडु	5.71
राजस्थान	5.58
पंजाब	5.09
हरियाणा	4.75

स्रोत आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।

वर्ष 1980-81 की स्थिर कीमतों पर राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1991-92 में ऋणात्मक 6.04 प्रतिशत, 1992-93 में 13.74 प्रतिशत, 1993-94 में ऋणात्मक 6.44 प्रतिशत, 1994-95 में 18.82 प्रतिशत, 1995-96 में ऋणात्मक 3.10 प्रतिशत तथा 1996-97 में 16.50 प्रतिशत थी। वर्ष 1991-92 से 1996-97 के बीच राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर तीन बार ऋणात्मक रही जो कि चिन्ताप्रद बात थी। राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1980-81 की स्थिर कीमतों पर 1991-92 से 1996-97 के बीच 5.58 प्रतिशत थी जो कई राज्यों की तुलना में कम है।

(8) आधारभूत संरचना का अभाव (Deficiency of Basic Infrastructure) - राजस्थान में आर्थिक विकास और औद्योगीकरण में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण आधारभूत संरचना का अभाव है। नियोजन काल और आर्थिक उदारीकरण के दौर में आधारभूत संरचना यथा ऊर्जा, सड़क, रेलवे, सिंचाई, संचार, शिक्षा, बैंक आदि का तुलनात्मक रूप से कम विकास हुआ। वर्ष 1998-99 के प्रारम्भ में राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097.365 मेगावाट थी। राज्य में 1998-99 में विद्युत उत्पादन (शुद्ध) 10,223.23 मिलियन यूनिट तथा विद्युत क्रय 11,300 मिलियन यूनिट (अनुमानित) था। राजस्थान में सड़कों की कमी है। राजस्थान में सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42.68 किलोमीटर है जिसके वर्ष 1998-99 के अन्त तक 43.67 किलोमीटर होने की संभावना है। जबकि देश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर औसत सड़कों की लम्बाई 73 किलोमीटर है। राजस्थान में सड़कें अखिल भारत की औसत सड़क लम्बाई से बहुत कम हैं। राजस्थान में सड़कों की लम्बाई 1998-99 में 85,008 किलोमीटर थी। सितम्बर 1998 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या 6.4, प्रति व्यक्ति बैंक जमा 3,582 रुपये तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 1,595 रुपये था। राजस्थान में साक्षरता 1991 में 38.55 प्रतिशत थी। रेलवे विकास की दृष्टि से तो राजस्थान की स्थिति अधिक दयनीय है। आय व्ययक अध्ययन 1994-95 के अनुसार में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई केवल 17.02 किलोमीटर थी।

कुल मिलाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य है। विगत वर्षों में राजस्थान की औद्योगिक स्थिति सुधर नहीं सकी। वर्तमान में राज्य सरकार को गरीबी की समस्या और आर्थिक पिछड़ेपन से निपटने के लिए औद्योगिक विकास को गति देने वाले प्रभावोत्पादक कदम उठाने होंगे। राज्य सरकार को न केवल नये उद्योगों को आकर्षित करना होगा अपितु वद पड़े उद्योगों की भी सुध लेनी होगी। आर्थिक उदारीकरण के दौर में राजस्थान स्वदेशी और विदेशी पूंजी निवेश को अधिक आकर्षित करने में सफल नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में औद्योगीकरण को गति देना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।

आज उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र में विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना में सरकार की भूमिका गौण हो गई है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश

की प्रक्रिया जारी है। नियोजन काल में राजस्थान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के मामले में उपेक्षित रहा है। राजस्थान में आज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है। राज्य में प्राकृतिक ससाधनों का अभाव नहीं है। यहाँ विकास की विपुल सभावनाएँ हैं। राज्य सरकार को वार्षिक योजनाओं में उद्योग व खनन पर परियोजनाओं में वृद्धि करनी चाहिए। राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना 27,650 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई है जिसमें उद्योग व खनिज क्षेत्र पर 2,154.09 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो कुल योजना उद्व्यय का 7.79 प्रतिशत है। इसके अलावा ऊर्जा पर कुल योजना उद्व्यय का 23.63 प्रतिशत तथा यातायात पर 9.73 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है। आशा की जाती है कि नौवीं योजना में राजस्थान में औद्योगिक वातावरण सृजित होगा और आर्थिक विकास गति पकड़ेगा।

सन्दर्भ

- 1 राजस्थान पत्रिका, 15 अप्रैल 1999
- 2 Basic Statistics, 1997, Rajasthan

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की औद्योगिक स्थिति क्या है?
- 2 जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान बताइए।
- 3 राजस्थान की आधारभूत संरचना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
- 4 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की कृषि की स्थिति का विवेचन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारण कीजिए।
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के सन्दर्भ में क्या स्थिति है?
- 3 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए।
- 4 राजस्थान राज्य के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ेपन को दर्शाने वाली विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- 5 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए —
 - (i) भारतीय सन्दर्भ में राजस्थान की जनसंख्या
 - (ii) राजस्थान में कृषि
 - (iii) उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान
 - (iv) राजस्थान का क्षेत्रफल

राजस्थान में जनसंख्या की विशेषताएँ

(Features of Population of Rajasthan)

राजस्थान में जनसंख्या की विकरालता विकट समस्या है। बढ़ती जनसंख्या अब विस्फोटक स्थिति के सन्निकट है जो विकास में अवरोध साबित हो रही है। जनसंख्या के सख्यात्मक पहलू की अपेक्षा उसका गुणात्मक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र आर्थिक विकास के वास्ते तेज गति से बढ़ रही आबादी को थामना अपरिहार्य है, इसके अभाव में विकासगत प्रयासों की कोई प्रासंगिकता शेष नहीं रह सकेगी।

मानवीय साधनों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देश के अन्य प्रान्तों की तुलना में दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का नितांत अभाव है। सरकार प्रान्त में साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, सफाई व पोषण आदि सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए संवेषित है। हाल ही के वर्षों में राज्य में औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। लोगों की आमदनी के बढ़ने से जनसंख्या की गुणात्मक में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान में जनसंख्या की विशेषताएँ अग्रांकित हैं।

1. जनसंख्या का आकार (Size of Population)

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4 40 करोड़ थी। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 3 40 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या एक करोड़ थी। वर्ष 1981 में राज्य की जनसंख्या 3 43 करोड़ थी। 1981 से 1991 के बीच राज्य की जनसंख्या में 00 97 करोड़ व्यक्तियों की बढ़ोतरी हुई है। 1981-91 के दशक में राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 28 44 प्रतिशत बढ़ती है जो भारत की दशकीय वृद्धि (23 85%) की तुलना में 4 59 प्रतिशत अधिक है। जाहिर है राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि डरावने काले बादलों की तरह मडरा रही है।

राजस्थान में 1951 से 1991 तक की अवधि में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि अग्रगण्य है

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1951	1 60	15 2
1961	2 02	26 2
1971	2 58	27 8
1981	3 43	33 0
1991	4 40	28 4

स्रोत आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।

स्वतंत्रता उपरांत राजस्थान की जनसंख्या 1951 में 1 60 करोड़ से बढ़कर 1991 में 4 40 करोड़ हो गई। चालीस वर्षों में 2 80 करोड़ की वृद्धि हो गई। 1951 से 1981 तक जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 1991 की दशकीय वृद्धि का 1981 की तुलना में कम होना प्रान्त के लिए शुभ संकेत है लेकिन अखिल भारत की वृद्धि दर से तुलना करने पर स्थिति निराशाजनक परिलक्षित होती है। अतः राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर को भविष्य में और कम करने की आवश्यकता है। 1991 में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.20 प्रतिशत रही है।

2. जिलेवार जनसंख्या

(Districtwise Population)

वर्तमान में राजस्थान में 32 जिले हैं। करौली को हाल ही (1998) नया जिला बनाया गया है। जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से सभी जिलों की स्थिति समान नहीं थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 4 40 करोड़ थी। राजस्थान में वर्ष 1991 में जयपुर जिले की जनसंख्या 3 88 लाख थी। इसमें 2 05 लाख पुरुष तथा 1 83 लाख महिलाएँ थीं। जयपुर की जनसंख्या में 2 11 लाख ग्रामीण तथा 1 77 लाख शहरी थीं।

राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले की है। 1991 में जैसलमेर जिले की जनसंख्या 3 4 लाख थी। इसमें 1 9 लाख पुरुष तथा 1 5 लाख महिलाएँ थीं। जैसलमेर की कुल जनसंख्या में 2 9 लाख ग्रामीण तथा 53 हजार शहरी थे।

3. जनसंख्या वृद्धि दर

(Rate of Population Growth)

राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (Decennial Population Growth) भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। 1981-91 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 23 85 प्रतिशत है जबकि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 28 44 प्रतिशत है। राजस्थान की ग्रामीण और शहरी दशकीय वृद्धि दर

राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 1981-91 में ग्रामीण वृद्धि दर 25.46 प्रतिशत तथा शहरी वृद्धि दर 39.62 प्रतिशत है। विगत जनगणनाओं में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर इस प्रकार रही 1941 में 18 प्रतिशत, 1951 में 15.02 प्रतिशत, 1961 में 26.02 प्रतिशत, 1971 में 27.08 प्रतिशत 1981 में 32.97 प्रतिशत, 1991 में 28.44 प्रतिशत।

राजस्थान में 1991 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम हुई है। राज्य में बीकानेर जिले में 1981-91 में जनसंख्या वृद्धि दर 42.70 प्रतिशत सर्वाधिक है। बीकानेर जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 42.12 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 43.59 प्रतिशत है। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि पाली जिले की है। पाली जिले की 1981-91 में जनसंख्या वृद्धि 16.63 प्रतिशत है। पाली जिले की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 11.86 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या वृद्धि 37.73 प्रतिशत है।

4. जनसंख्या घनत्व

(Density of Population)

स्वतंत्रता उपरांत राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या है। वर्तमान में राजस्थान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.84 प्रतिशत है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत का जनसंख्या घनत्व 1991 में 274 रहा। भारत की तुलना में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व आज भी बहुत कम है जो कुछ सीमा तक प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है।

राजस्थान के सभी जिलों में जनसंख्या घनत्व में असमानता है। जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 336 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है जो कि सर्वाधिक है। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व 9 है जो कि राज्य में सबसे कम है। वर्ष 1981 में तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व केवल 6 ही था। वर्ष 1991 में राजस्थान के जिलों का जनसंख्या घनत्व इस प्रकार रहा था - कोटा 163, सवाईमधोपुर 186, टोंक 136, धितौड़ 137, बूंदी 139, भीलवाड़ा 152, उदयपुर 167, अजमेर 204, बांसवाड़ा 229, झुंजरपुर 232, भरतपुर 326, अलवर 274, धौलपुर 247, झुंझुनू 267 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के ग्यारह जिलों में जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व से कम तथा 19 जिलों में घनत्व राज्य के औसत से अधिक है।

5. जनसंख्या का लिंग अनुपात

(Sex Ratio of Population)

राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कम है। राजस्थान में लिंगानुपात 910 है। ग्रामीण क्षेत्र में यह 919 तथा शहरी क्षेत्र में 879 है जबकि भारत में लिंगानुपात 927 है। ग्रामीण लिंगानुपात 938 तथा शहरी

लिंगानुपात 894 है। राजस्थान में 1951 में प्रति हजार पुरुषों के पीछे 921 महिलाएँ थीं। वर्ष 1961 में यह संख्या घटकर 908 रह गई। वर्ष 1971 और 1981 में स्त्रियों की संख्या की स्थिति में थोड़ी सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। 1981 में लिंगानुपात बढ़कर 919 हो गया किन्तु 1991 में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या (लिंगानुपात) घटकर 910 ही रह गयी। राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या में हो रही कमी महिलाओं के प्रति उपेक्षित व्यवहार का परिचायक है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है।

वर्ष 1991 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 440 करोड़ में से 209 करोड़ महिलाएँ हैं। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या 339 करोड़ में 162 करोड़ ग्रामीण महिलाएँ तथा एक करोड़ शहरी जनसंख्या में 47 लाख शहरी महिलाएँ हैं।

राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात झुगरपुर जिले में 995 है। झुगरपुर में ग्रामीण लिंगानुपात 1003 तथा शहरी लिंगानुपात 897 है। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात 795 धौलपुर जिले में है। धौलपुर में ग्रामीण लिंगानुपात 786 तथा शहरी लिंगानुपात 841 है। जयपुर में लिंगानुपात 892 है जो राज्य के औसत 910 से बहुत कम है।

6. राज्य में साक्षरता दर (Literacy Rate)

भारत में निरक्षरों की भरमार है। स्वतंत्रता के पांच दशकों में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर सार्वजनिक उपरिचय में कमी के कारण देशवासियों को शिक्षा सुविधा मुहैया नहीं हो सकी। आज भी देश में अनेक गांव ऐसे हैं जहाँ स्कूल नहीं हैं। शिक्षा पाने के लिए बच्चा को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। देश में गरीबी की समस्या मुख्य होने के कारण शिक्षा के प्रति लागा की रुचि कम है। भारत के राजस्थान राज्य की साक्षरता की दृष्टि से स्थिति शोचनीय है। महिलाओं में साक्षरता की दर बहुत कम है। ग्रामीण महिलाओं का तो हाल ही बेहाल है।

राजस्थान में साक्षरता की स्थिति, 1991

(प्रतिशत में)

वर्ष	भारत	राजस्थान
व्यक्ति	52.21	38.55
पुरुष	64.13	54.99
महिला	39.29	20.44

भारत में 1991 में 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता 52.21 प्रतिशत थी। पुरुष साक्षरता 64.13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39.29 प्रतिशत थी। साक्षरता के मामले में राजस्थान बहुत पीछे है। वर्ष 1991 में राजस्थान

में साक्षरता केवल 38.95 प्रतिशत थी। पुरुष साक्षरता 54.99 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 20.44 प्रतिशत थी। विगत वर्षों में राजस्थान की साक्षरता को तालिका में दर्शाया गया है -

राजस्थान में साक्षरता

(प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1951	8.9	14.4	3.0
1961	15.2	23.7	5.8
1971	19.1	28.7	8.5
1981	30.1	44.8	14.0
1991	38.6	55.0	20.4

राजस्थान में यद्यपि विगत दशकों में साक्षरता में वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। वर्ष 1991 में साक्षरता में राजस्थान का देश में 23 वाँ स्थान था। पुरुष साक्षरता में 22 वाँ तथा महिला साक्षरता में 25वाँ स्थान था।

राजस्थान में अनेक जिले ऐसे हैं जहाँ ग्रामीण साक्षरता की स्थिति राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता के औसत से कम है। बाडेमर, जालौर, बासवाड़ा, सिरौही, बूंदी आदि जिलों में ग्रामीण साक्षरता की दशा चिन्ताप्रद है। गौरतलब है प्रदेश की राजधानी जयपुर में ग्रामीण महिला साक्षरता केवल 12.32 प्रतिशत थी।

राजस्थान में निरक्षरता अभिशाप है। राज्य में नीची साक्षरता की दर बिगड़ी मानव संसाधन की स्थिति को दर्शाती है। नीची साक्षरता के कारण राजस्थान में जनाधिक्य भी है। प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बावजूद विकास की दौड़ में राजस्थान पीछे है।

7. श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढांचा

(Occupational Structure of Labour)

राजस्थान में श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे में बदलाव आया है। कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति में वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 में कुल श्रम शक्ति जनसंख्या का 34.1 प्रतिशत थी जो 1981 में बढ़कर 36.6 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 में कुल श्रम शक्ति जनसंख्या का 38.87 प्रतिशत रही। श्रम शक्ति के बढ़ने के बावजूद आज भी राजस्थान में जनसंख्या का बड़ा भाग गैर श्रम शक्ति के रूप में है और जो श्रम शक्ति है उसका बड़ा भाग कृषक, खेतिहर श्रमिक, पशुधन, मछली, वन आदि गतिविधियों में लगा हुआ है। कृषि एवं सहायक क्रियाओं में श्रम शक्ति का अधिक लगे हुए होना राजस्थान के पिछड़ेपन को दर्शाता है। श्रम शक्ति का बहुत कम भाग खनन, उद्योग, निर्माण व सेवाओं में लगा हुआ है। श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे को तालिका में दर्शाया गया है -

श्रमशक्ति का व्यावसायिक ढांचा

(प्रतिशत में)

औद्योगिक श्रेणी	1981	1991
1 कृषक	64.5	58.80
2 खेतिहर श्रमिक	8.5	10.00
3 पशुधन मछली वन आदि	2.8	1.80
4 खनन पत्थर निकालना	0.7	1.03
5 (i) घरेलू उद्योग	3.0	2.00
(ii) घरेलू उद्योग के अलावा उद्योग	5.0	5.45
6 निर्माण	1.7	2.42
7 व्यापार व वाणिज्य	4.4	6.41
8 परिवहन संप्रदाय व संचार	2.1	2.39
9 अन्य सेवाएँ	7.3	9.69
कुल (लगभग)	100.00	100.00

कृषि एवं सहायक क्रियाओं में (श्रेणी 1 से 3 तक) श्रम शक्ति का वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1991 में 5.2 प्रतिशत कम हुआ है। खनन व उद्योगों में (श्रेणी 4 व 5) यह मामूली 0.22 प्रतिशत कम हुआ है। निर्माण व सेवाओं में (श्रेणी 6 से 9 तक) 5.41 प्रतिशत बढ़ा है।

वर्ष 1991 में राज्य में श्रम शक्ति के औद्योगिक वितरण में 1981 की तुलना में जो परिवर्तन आया है वह एक सही दिशा में होने वाला परिवर्तन है। इस दौरान कृषि का महत्व कम हुआ है। निर्माण व सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति झलकती है।

राजस्थान में तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या एक चिंताजनक स्थिति है। कुल आबादी में 61 प्रतिशत गैर श्रमिक हैं। प्रति हजार पुरुषों के पीछे घटती महिलाओं की संख्या साक्षरता की अत्यन्त नीची दर आदि चिंतनीय पहलू हैं। कृषि क्षेत्र में आश्रितों की संख्या अभी अधिक बनी हुई है। अधिक आबादी के सामने राज्य में अथाह प्राकृतिक साधन सीमित नजर आने लगे हैं। अतः बढ़ रही आबादी की दर को तेजी से कम करने की सख्त आवश्यकता है।

तीव्रता से बढ़ रही आबादी के अनेक कारणों में शिक्षा का अभाव परम्परावादी दृष्टिकोण निर्धनता आदि मुख्य हैं। आज भी अधिकांश भागों में जन्म लेने वाले बच्चों को दायित्व के रूप में नहीं लिया जाकर परिवार की आर्थिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। ग्रामीणों में इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा है। शहरी निर्धनों में भी कमोबेश यही हालत है।

बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि मानवीय साधनों में वृद्धि की पुरजोर कोशिश की जाए। इसमें सरकारी प्रयत्न के साथ जन

सहयोग भी लाजिमी है। यदि समस्त राष्ट्र में साक्षरता का अलख जगाया जाए तो यह आबादी नियंत्रण में कारगर सिद्ध हो सकता है।

सरकार सावध है, लोगों में भी जागृति है। लोग खुद-ब-खुद परिवार नियोजन को आत्मसात् करने लगे हैं, कई स्वैच्छिक सगठन भी इस ओर अग्रसर हैं। सर्वाधिक आवश्यकता पारिस्थितिकी सतुलन तथा आबादी को नियंत्रित करने की है। ऐसा करने से मानव पूँजी में अपेक्षित सुधार होगा तथा भावी पीढ़ी के हित सुरक्षित रहेंगे। यदि इसमें सफलता मिलती है तो आने वाले वर्षों में राजस्थान विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में होगा। राजस्थान में प्राकृतिक ससाधनों का अभाव नहीं है। वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करके प्राकृतिक ससाधनों को गति देने की आवश्यकता है। यहाँ विकास की विपुल सभावनाएँ हैं।

राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण

(Causes of High Growth of Population in Rajasthan)

राजस्थान में जनसंख्या 1951 में केवल 16 करोड़ थी जो तेजी से बढ़कर 1981 में 34 करोड़ तथा 1991 में और बढ़कर 44 करोड़ हो गई। राजस्थान में जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 1991 में 28.44 प्रतिशत थी जो भारत की दशक वृद्धि दर 23.56 प्रतिशत से बहुत अधिक है। यदि राजस्थान में जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो जनसंख्या 2003 में 6 करोड़ को पार कर जाएगी। राजस्थान में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं—

1. बाल विवाह (Child Marriage) — सरकार ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित कर रखी है किन्तु राजस्थान में लड़कियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता है। लड़कियों पर कम आयु में ही प्रजनन भार पड़ जाता है और उनकी प्रजनन अवधि लम्बी होने से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। राजस्थान में लड़कियों के विवाह की औसत आयु 18 वर्ष है जबकि यह केरल में 22 वर्ष तथा तमिलनाडु में 20 वर्ष है। राजस्थान में लड़कों की भी कम आयु में शादी कर दी जाती है।

2. ऊँची जन्म दर (High Birth Rate) — राजस्थान में ऊँची जन्म दर जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। राज्य में जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 1981 में 32.9 प्रतिशत तथा 1999 में 28.4 प्रतिशत थी। राजस्थान की जनसंख्या की दशक वृद्धि दर भारत की दशक वृद्धि दर 23.6 प्रतिशत से अधिक है। राजस्थान की जनसंख्या में 1981-91 के दशक में 97 लाख की वृद्धि हुई।

3. ऊँची सकल प्रजनन दर (Gross High Birth Rate) — राजस्थान में प्रत्येक महिला औसतन चार से अधिक बच्चों को जन्म देती है जबकि सकल प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत केवल 3.4 है। केरल में प्रत्येक महिला के औसतन दो से कम बच्चे होते हैं।

4. शिशु मृत्यु दर (Child Death Rate) — राजस्थान में शिशु मृत्यु दर का

औसत 81 है जबकि शिशु मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 74 है। अधिक शिशु मृत्यु दर के कारण राजस्थान में दम्पति खतरा उठाता पसन्द नहीं करते। वे अधिक बच्चे चाहते हैं।

5 विवाहित महिलाओं की अधिकता (Excess Married Women) — हाल ही के दिनों में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में विवाह के प्रति रुझान कुछ कम हुआ है। समाज में विवाह अपरिहार्य माना जाता है। राजस्थान में सामान्यतया महिलाएँ विवाहित होती हैं परिणामस्वरूप जन्म दर ऊँची होती है।

6 महिलाओं में निरक्षरता (Illiteracy among Women) — राजस्थान की महिला साक्षरता की दृष्टि से स्थिति शोचनीय है। राजस्थान में 1991 में महिला साक्षरता 20.4 प्रतिशत ग्रामीण महिला साक्षरता 11.6 प्रतिशत तथा शहरी महिला साक्षरता 50.2 प्रतिशत है। महिला साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 39.3 प्रतिशत है। राजस्थान में निरक्षरता के कारण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कमजोर है। ग्रामीण महिलाएँ परिवार के आकार के बारे में समुचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें पुरुषों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है।

7 गरीबी (Poverty) — राजस्थान में बहुतेरी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर के लिए अभिशप्त है तथा समाज में सामाजिक पिछड़ापन व्याप्त है। गरीबी में लोग बच्चों को आर्थिक इकाई के रूप में देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि की उन्हें कोई चिन्ता नहीं होती है।

8 चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (Extension of Medical and Health Services) — राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से मृत्यु दर में कमी हुई है इस कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई।

9 कम दम्पति सुरक्षा दर (Less Security Rate for Couple) — विगत दशकों में राज्य में परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रम अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका नतीजतन दम्पति सुरक्षा दर कम है। भारत में औसत दम्पति सुरक्षा दर 44 प्रतिशत के मुकाबले राजस्थान में दम्पति सुरक्षा केवल 29 प्रतिशत है। अधिकांश दम्पतियों के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के दायरे में नहीं होने से जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है।

10 लड़कों की इच्छा (Desire for Male Issue) — समाज में रुढ़िवादिता की समस्या व्याप्त है। पुरुष प्रधान समाज में दम्पति लड़कों की अधिक इच्छा रखते हैं। लड़कों की लालसा में बच्चों की कतार लगा देते हैं।

जनसंख्या वृद्धि रोकथाम के प्रयास (Efforts to Check Population Expansion)

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने पिछले दशक में कई विशेष उपाय किए हैं। उनमें निम्न प्रमुख हैं।

दो से अधिक बच्चों वाले दम्पतियों की पचायत राज सरकारों, सहकारी संस्थाओं व नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ने की निर्योग्यता। जन प्रतिनिधि छोटे परिवार का आदर्श प्रस्तुत करे, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने कानून बनाकर दो से अधिक बच्चों वाले दम्पतियों के सहकारी संस्थाओं, पचायत राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया है। यदि चुने जाने के बाद वे उपरोक्त निर्योग्यता प्राप्त करते हैं तो उन्हें सम्बन्धित पद धारण के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

जनमगल योजना जरूरतमद दम्पतियों को गर्भ निरोधक उपायों की आपूर्ति करने तथा उन्हें आवश्यक सूचना देने के लिए समुदाय आधारित जनमगल योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत लगभग 16,000 प्रशिक्षित दम्पति गावों में गर्भ निरोधक सामग्री उपलब्ध कराएंगे।

राजलक्ष्मी योजना इस योजना के अन्तर्गत दो बच्चों के बाद नसबंदी कराने वाले दम्पतियों को प्रत्येक लड़की के लिए सरकार 1,500 रुपये जमा कराती है और इस पर यू टी आई उसे एक बॉण्ड उपलब्ध कराती है। 20 वर्ष बाद इस बॉण्ड की एवज में बॉण्ड धारक को 21,000 रुपये मिल जाते हैं। अब तक लगभग 1 लाख दम्पतियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। राजस्थान के अनुसरण में हरियाणा व तमिलनाडु में भी इस प्रकार की योजनाएँ चालू की गई हैं। इससे कम उम्र में नसबंदी कराने वाले लोगों में वृद्धि होगी। यह योजना वर्ष 2000 में बदल दी गई है।

सामाजिक सुरक्षा नसबंदी कराने वाले दम्पति के अकेले लड़के का निधन होने पर सरकार ऐसे दम्पतियों को वृद्धावस्था पेन्शन देती है।

विकल्प योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम को सामाजिक विपणन पद्धति से चलाने के लिए दौसा व टोक में यह योजना चलाई गई है। इसमें महिला स्वास्थ्य गर्भ निरोधक उपायों के सामाजिक विपणन, दम्पतियों की सुविधा के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, आदि उद्देश्य रखे हुए हैं। विकल्प की लक्ष्य विहीन रणनीति को सारे प्रदेश में लागू किया था। इसके परिणाम अच्छे निकले हैं। यद्यपि विभागीय रुकावटों के कारण पिछले दिनों इसकी क्रियान्विति में कुछ कठिनाईयाँ आई हैं।

मानव संसाधन विकास के प्रयास

(Efforts for Human Resources Development)

1. राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम (Rajeev Gandhi Traditional Water Resources Ordinary Programme) – राजस्थान में वर्ष 1999 से ग्रामीण क्षेत्र में पारम्परिक जल स्रोतों जैसे कुएँ, बावड़ी, तालाब, जोहड़ आदि के रख-रखाव, संरक्षण एवं सुदृढीकरण करने के लिए राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम पचायती राज सरकारों के माध्यम से पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया। इस योजना के तहत किसी भी पारम्परिक जल स्रोत

के रख-रखाव, सुदृढीकरण एवं सरक्षण के लिए प्रस्तावित लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत अश जन सहयोग के रूप में आवश्यक होगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 1999 में 2 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया।

2. राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन (Rajeev Gandhi Elementary Education and Literacy Mission) — राजस्थान में समयबद्ध अवधि में सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने एवं प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करने के लिए समुचित प्रयास व तीव्र गति से निर्णय लेने के लिए राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन की स्थापना करने का निर्णय वर्ष 1999 में लिया गया। इस मिशन का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग होगा।

3. साक्षरता मिशन के उद्देश्य (Aims of Literacy Mission) — साक्षरता मिशन का उद्देश्य यह होगा कि 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार लाया जाएगा जिससे इस आयु वर्ग के समस्त बच्चों के लिए एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय उपलब्ध हो सकेगा।

4. नामांकन और ठहराव में वृद्धि (Increase in Enrolment and Stay) — प्रारम्भिक कक्षाओं में नामांकन 100 प्रतिशत एवं ठहराव 90 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 80 प्रतिशत से अधिक बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें। इसके अलावा प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के तहत 15-35 वर्ष आयु वर्ग के समस्त लोगों को साक्षर करना होगा।

5. शासकीय परिषद् (Administrative Council) — राज्य स्तर पर साक्षरता की शासकीय परिषद् के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। शासन सचिव पंचायती राज इस मिशन की शासकीय परिषद् के सदस्य सचिव होंगे तथा वे इस मिशन के निदेशक का कार्य भी देखेंगे। इस मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री तथा सदस्य सचिव शासन सचिव पंचायती राज मिशन निदेशक होंगे।

6. माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) — आर्थिक समीक्षा 1998-99 के अनुसार राजस्थान में 3,844 माध्यमिक विद्यालय एवं 1,683 सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें क्रमशः 12.91 लाख तथा 12.37 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक स्तर की शिक्षा राज्य में लगभग 92 हजार अध्यापकों द्वारा दी जा रही है।

7. उच्च शिक्षा (Higher Education) — राजस्थान में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 6 विश्वविद्यालय, 87 स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं 170 स्नातक महाविद्यालय हैं। दिसम्बर 1998-99 तक उच्च शिक्षा पर 760 लाख रुपए (अनुमानित) व्यय किए गए।

8 चिकित्सा सेवाए (Medical Services) – वर्ष 1998-99 मे राजस्थान में लोगो को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वारते 219 चिकित्सालय, 268 औषधालय, 1,662 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 263 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 118 मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र थे। आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत 3 733 अस्पताल डिस्पेसरी राज्य मे कार्यरत हैं।

राजस्थान की जनसख्या नीति 1999 (Population Policy of Rajasthan - 1999)

जनसख्या की तीव्र वृद्धि दर के परिणामो को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार ने जनसख्या नीति बनाई है। जनसख्या नीति के मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई, 1999 को मजूरी दी। जनसख्या नीति मे महिला एव बाल स्वास्थ्य, महिला शिक्षा व सबलीकरण, परिवार कल्याण सेवाओ मे सुधार एव सामाजिक, विपणन, प्रशिक्षण, प्रबन्ध, सामाजिक सहयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी आदि बातों का समावेश किया गया है। राजस्थान की नयी जनसख्या नीति की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है –

1 प्रतिस्थापन प्रजनन अवस्था (Substitution Birth Condition) – राजस्थान की जनसख्या 2003 तक 6 करोड को पार कर जाएगी। जनसख्या की इस गति से वृद्धि दर को देखते हुए आगामी 30 वर्षों मे जनसख्या के दो गुना हो जाने का अनुमान है। इस स्थिति मे प्रतिस्थापन प्रजनन अवस्था जो कि जनसख्या स्थायित्व का प्रथम चरण है, उसे राजस्थान 2048 मे प्राप्त कर पायेगा। यदि ऐसा होता है तो 2051 की जनगणना मे प्रदेश की जनसख्या 10 करोड हो जाएगी। नीति के तहत राजस्थान सरकार ने अगली शताब्दी मे राज्य की जनसख्या को 7.5 से 8 करोड पर स्थिर करने एव अधिक से अधिक सन 2016 तक प्रतिस्थापन अवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक महिला के औसतन 2.1 बच्चे होने पर ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

2 महिला साक्षरता (Women Literacy) – महिलाओ को अधिकाधिक साक्षर बनाया जाएगा क्योंकि प्रजनन दर, गर्भ निरोधको का प्रचलन एव प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य की समस्याओ का महिला साक्षरता से सीधा सबध है। इसके लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए वाछित कानून बनाया जाएगा।

सन्दर्भ

- 1 राजस्थान पत्रिका, 29 जुलाई, 1999

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 राजस्थान में जनसख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए।
- 2 राजस्थान मे जनसख्या नियंत्रण के सुझाव दीजिये।

- 3 राजस्थान की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
- 4 राजस्थान में जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसंख्या पर टिप्पणी लिखिए।
- 5 राजस्थान में साक्षरता की दर, मृत्यु दर व जन्म दर का विवेचन कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 राजस्थान की जनसंख्या के प्रमुख लक्षण बताइए।
- 2 राजस्थान की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख कीजिए। राजस्थान में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए।
- 3 राजस्थान में जनसंख्या के आकार वृद्धि दर व्यावसायिक वितरण और मानव ससाधनों के विकास के संकेतकों का विवेचन कीजिए।
(संकेत - सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए अध्याय में दी गई राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताओं को लिखना है।)
- 4 राजस्थान में श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे को स्पष्ट कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढांचे को लिखना है।)
- 5 राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकथाम के क्या प्रयास किये गए हैं।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को बताना है तथा दूसरे भाग में जनसंख्या रोकथाम के प्रयासों को लिखना है।)
- 6 राजस्थान में मानव ससाधन विकास के क्या प्रयास किये गए हैं। राजस्थान की 1999 की जनसंख्या नीति की व्याख्या कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गये मानव ससाधन विकास के प्रयास लिखने हैं तथा दूसरे भाग में राजस्थान की 1999 की जनसंख्या नीति को बताना है।)

राजस्थान में कृषिगत विकास (Agricultural Development in Rajasthan)

राजस्थान गावों का प्रदेश है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। राजस्थान की आय में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1980-81 के मूल्यों के आधार पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में कृषि का अंश 1995-96 में 40.7 प्रतिशत तथा 1997-98 में 43.4 प्रतिशत था। वर्ष 1998-99 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद 11,648 करोड़ रुपये था। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का अंश 4,632 करोड़ रुपये था जो राज्य की कुल आय का 39.8 प्रतिशत था। राजस्थान में कृषि मानसून का जुआ है। यहाँ अकाल के कारण कृषिगत उत्पादन में भारी उच्चावचन रहता है।

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास

(Agricultural Development in Planned Period)

राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भाग रेत के धोरो से ढका हुआ है। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों में कृषि के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति दयनीय थी। बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी है उनके पास नियमित आय का अन्य साधन नहीं है। अनाज पैदा करने वाला ही स्वयं भूखा रहता है। कृषि उपकरणों में असमानता के कारण कुछ किसानों को ही हरित क्रांति का वास्तविक लाभ पहुँचा है। कृषि क्षेत्र में आर्थिक विपत्ता की प्रवृत्ति बढी है। वर्तमान में कृषिगत क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों प्रवेश कर चुकी हैं। भारत में डकल प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की आशंका है। देश के किसानों की माली हालात दयनीय होने के कारण वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं होंगे। कृषि अर्थव्यवस्था पर मुट्ठी भर बहुराष्ट्रीय औद्योगिक घरानों की पकड़ मजबूत हो जाएगी।

भारत में 1965-66 में कृषि की नवीन व्यूहरचना लागू की गई। राजस्थान में भी नवीन कृषि व्यूहरचना क्रियान्वित की गई। नियोजित विकास के दौर में कृषिगत

क्षेत्र में उन्नत किरम के बीज, उर्वरक तथा कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हाल ही के वर्षों में राजस्थान में कृषि विकास की गति तेज हुई है।

1 भूमि उपयोग (Land Utilisation) — राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में भूमि के उपयोग में व्यापक बदलाव आया है। राज्य में शुद्ध कृषिगत भूमि 1951-52 में 91.1 लाख हैक्टेयर थी जो बढ़कर 1985-86 में 155.6 लाख हैक्टेयर, 1986-87 में घटकर 154.3 लाख हैक्टेयर हो गई। शुद्ध कृषिगत क्षेत्र बढ़कर 1991-92 में 154.9 लाख हैक्टेयर तथा 1992-93 में 169.4 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1995-96 में शुद्ध कृषिगत क्षेत्र 165.8 लाख हैक्टेयर था जो कुल क्षेत्र का 48.4 प्रतिशत था।

राजस्थान का रिपोटिंग क्षेत्र 1995-96 में 342.4 लाख हैक्टेयर था। इसमें वनों का भाग 7.18 प्रतिशत, गैर कृषिगत उपयोग में लगाई गई भूमि 4.9 प्रतिशत, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 14.90 प्रतिशत, शुद्ध कृषिगत भूमि 48.4 प्रतिशत, एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र 18.7 प्रतिशत, सकल कृषिगत क्षेत्र 57.5 प्रतिशत था।

2 सिंचित क्षेत्र (Irrigated Area) — राजस्थान जैसे मरुस्थल प्रदेश में सिंचाई के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हरित क्रांति का लाभ सिंचाई द्वारा ही संभव है। राजस्थान में सिंचाई नहरों, तालाबों, कुएँ एवं नलकूपों से की जाती है। पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर भारी राशि व्यय की गई। इस मद पर 1951 से 1990 के बीच नियोजित विकास में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 1836.3 करोड़ रुपये था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 1,919 करोड़ रुपये तथा नौवीं योजना में 3,100.4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा ध्यान केंद्रित किए जाने के कारण राज्य में सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ है।

राजस्थान में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1985-86 में 31.09 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1991-92 में 43.43 लाख हैक्टेयर, 1992-93 में 44.71 लाख हैक्टेयर तथा 1996-97 में 55.88 लाख हैक्टेयर हो गया। राज्य में सिंचाई अधिकतर कुएँ एवं नहरों से होती है। वर्ष 1996-97 में कुओं व नलकूपों द्वारा 37.9 लाख हैक्टेयर तथा नहरों द्वारा 15.34 लाख हैक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र था।

फसल अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र 1985-86 में 38.6 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1991-92 में 52.6 लाख हैक्टेयर, 1992-93 में 54.9 लाख हैक्टेयर तथा 1995-96 में 63.6 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1995-96 में खाद्यान्न सकल सिंचित क्षेत्र 28.64 लाख हैक्टेयर तथा तिलहन सकल सिंचित क्षेत्र 21.9 लाख हैक्टेयर था।

राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई भाखरा, गंगा नहर, चम्बल तथा इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजनाओं से की जाती है। वर्ष 1995-96 में इंदिरा गांधी नहर द्वारा 4.64 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई। राज्य में 1996-97 के

दौरान कुल बोए गए क्षेत्रफल का केवल 32.6 प्रतिशत (औसत) सिंचित क्षेत्र था।

3. फसलों का ढांचा (Cropping Pattern) - फसलों के ढांचे में अनाज, दालें, तिलहन, कपास, गन्ना, तम्बाकू आदि शामिल हैं। अनाजों में बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटा अनाज व चावल शामिल हैं। दालों में चना, तुर, रबी व खरीफ की फसलें, तिलहन में सिसमम, राई और सरसो, अलसी, मूँगफली व अरण्डी तथा अन्य में कपास, गन्ना, तम्बाकू, मिर्च, आलू, अदरक आदि शामिल हैं। राजस्थान में 1992-93 में सकल फसल क्षेत्र 201.7 लाख हैक्टेयर तथा सकल फसल सिंचित क्षेत्र 54.9 लाख हैक्टेयर था।

राजस्थान में 1985-86 से 1992-93 के बीच अनाज के क्षेत्रफल में मामूली वृद्धि, दालों के क्षेत्रफल में कमी हुई तो तिलहन के क्षेत्रफल में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। अनाज का क्षेत्रफल 1985-86 में 89.2 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1992-93 में बढ़कर 93.9 लाख हैक्टेयर हो गया। इस समयावधि में दालों का क्षेत्रफल 38.9 लाख हैक्टेयर से घटकर 34.4 लाख हैक्टेयर रह गया। तिलहन के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तिलहन का क्षेत्रफल 1985-86 में 16.8 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1992-93 में 33.6 लाख हैक्टेयर हो गया। वर्ष 1992-93 में कपास का क्षेत्र 4.8 लाख हैक्टेयर तथा गन्ने का क्षेत्र केवल 24,000 हैक्टेयर था।

हाल ही के वर्षों में राज्य के फसलों के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। अनाज का क्षेत्रफल तेजी से घटा है। तिलहन के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनाज का क्षेत्रफल 1998-99 में घटकर केवल 7.8 लाख हैक्टेयर (सभावित) रह गया है। इसके विपरीत तिलहन का क्षेत्रफल 1998-99 में तीव्रता से बढ़कर 40.3 लाख हैक्टेयर हो गया है। इसके अलावा दलहन के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। स्पष्ट है प्रदेश के किसानों ने वाणिज्यिक फसलों की ओर कदमताल की है।

4. खाद्यान्न उत्पादन (Foodgrains Production) - नियोजित विकास में राजस्थान में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में अनाज और दालों का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। अनाज का उत्पादन वर्ष 1952-53 में 2.9 लाख टन था जो 1998-99 में बढ़कर 91.8 लाख टन हो गया। दालों के उत्पादन में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। राज्य में अच्छे मानसून वाले वर्षों में दालों के उत्पादन में भारी वृद्धि होती है। दालों का उत्पादन 1952-53 में 5 लाख टन था जो 1998-99 में बढ़कर 20.5 लाख टन हो गया।

योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भिक वर्षों में राजस्थान में खाद्यान्न का अभाव था। वर्तमान में राजस्थान न केवल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है अपितु निर्यात की स्थिति में भी आ गया है। राजस्थान को खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु खाद्यान्न उत्पादन में भारी उच्चावचन है। इसका कारण कृषि का मानसून पर निर्भरता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था अकाल त्रासदी से जूझती रही है। खाद्यान्न का उत्पादन 1952-53 में 3.4 लाख टन था जो 1990-91 में बढ़कर 109.3

लाख टन हो गया। वर्ष 1991-92 में खाद्यान्न उत्पादन घटकर 91.2 लाख टन रह गया। वर्ष 1993-94 में सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटकर 70.6 लाख टन रह गया। वर्ष 1994-95 में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़कर 117 लाख टन तक जा पहुँचा। वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न का उत्पादन 129.2 लाख टन तथा 1999-2000 में 89.9 लाख टन था।

5 तिलहन उत्पादन (Oil Seed Production) - देश में खाद्य तेल का अभाव है। अतिरिक्त मांग की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। देश में तिलहन का उत्पादन कम है। हाल ही के वर्षों में राजस्थान में तिलहन उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। समूचा प्रदेश तिलहन का उत्पादन बढ़ने से 'स्वर्ण-क्रांति' की ओर अग्रसर है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 12 प्रतिशत राजस्थान में होता है। सरसों के उत्पादन में तो राजस्थान अग्रणी राज्य है। राजस्थान में तिलहन क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1985-86 में तिलहन फसलो का क्षेत्र 16.8 लाख हैक्टेयर था जो 1998-99 में बढ़कर 40.3 लाख हैक्टेयर हो गया। राज्य में तिलहन क्षेत्र के बढ़ने से तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

राजस्थान में तिलहन का उत्पादन 1950-51 में केवल 0.8 लाख टन था जो 1993-94 में बढ़कर 24 लाख टन हो गया। वर्ष 1990-91 से 1994-95 के बीच तिलहन उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1996-97 में तिलहन का 35.2 लाख टन उल्लेखनीय उत्पादन हुआ। वर्ष 1998-99 में तिलहन फसलो का उत्पादन 35.6 लाख टन (सभावित) था।

6 अखाद्य फसलो का उत्पादन (Production of Non Foodgrain Crops) - राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के बढ़ने से तिलहन के साथ अन्य अखाद्य फसलो के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1950-51 में कपास का उत्पादन 0.6 लाख गांठे थी जो बढ़कर 1990-91 में 9.2 लाख गांठे हो गया। वर्ष 1999-2000 में कपास का उत्पादन 11.04 लाख गांठे होने की संभावना है। गन्ने का उत्पादन 1950-51 में 0.5 लाख टन से बढ़कर 1992-93 में 11.29 लाख टन हो गया। 1999-2000 में गन्ने का उत्पादन 12.15 लाख टन होने की संभावना है। 1992-93 में तम्बाकू का उत्पादन 2 हजार टन था।

7 उर्वरको का प्रयोग (Use of Fertilizers) - राजस्थान में कृषि की नवीन व्यूहरचना लागू किए जाने के बाद उर्वरको के प्रयोग में वृद्धि हुई है। आज कृषक इतना जागरूक हो गया है कि बिना किसी राजकीय प्रचार के उर्वरको का प्रयोग करता है। उर्वरको के बढ़ते प्रयोग से राजस्थान ने कृषि के क्षेत्र में तेजतर फ़दम ताल किया है। राजस्थान में 1985-86 में नाइट्रोजन (N) का उपभोग 1.61 लाख टन फॉस्फेट (P) का उपभोग 5.6 हजार टन तथा पोटैश (K) का उपभोग 4 हजार टन था। उर्वरको का प्रयोग 1992-93 में बढ़कर क्रमशः 3.94 लाख टन 1.36 लाख टन तथा 5 हजार टन हो गया। वर्ष 1995-96 में उर्वरको का उपभोग और बढ़कर नाइट्रोजन का 4.9 लाख टन फॉस्फेट का 1.5 लाख टन तथा पोटैश

का 57 हजार टन हो गया।'

8 अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र (Area Under High Yielding Varieties) - राजस्थान में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ा है। वर्तमान में उन्नत किस्म के बीज पैदा करने के लिए लगभग 60 बीज गुणक फार्म हैं। राज्य में 1951-52 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र लगभग शून्य था। वर्ष 1984-85 में 39 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) का प्रयोग किया गया। 1993-94 में मानसून के अनुकूल नहीं होने के कारण अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र घटा। इस वर्ष क्षेत्र केवल 29 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 1995-96 में कुछ प्रमुख फसलों का अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र इस प्रकार था - गेहूँ 16.23 लाख हैक्टेयर, बाजरा 12.48 लाख हैक्टेयर, धान (Paddy) 52.5 हजार हैक्टेयर, मक्का 17.8 हजार हैक्टेयर, ज्वार 43.0 हजार हैक्टेयर। राजस्थान में वर्ष 1998-99 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज (HYV) का 262.6 हजार क्विंटल तथा अन्य सुधरी किस्मों के बीज 135.4 हजार क्विंटल वितरण किया गया। वर्ष 1998-99 में अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का लक्ष्य 17.7 लाख हैक्टेयर था जबकि उपलब्धि 16 लाख हैक्टेयर थी।

9. कृषि उपकरण (Agriculture Implements) - कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में अनेक स्थानों पर कृषि यंत्र निर्माण के वर्कशाप हैं तथा रतनगढ़ व जेतसार में रूस के सहयोग से फार्म खोले जा चुके हैं। योजनाबद्ध विकास में कृषिगत उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। राज्य में ट्रैक्टरों की संख्या 1960-61 में 3,154 थी जो बढ़कर 1983 में 53,941 1988 में 86,904 तथा 1997 में और बढ़कर 2.19 लाख हो गयी।

10. डेयरी विकास कार्यक्रम (Dairy Development Programme) - पशु कृषि कार्य में ही प्रयुक्त नहीं होते हैं अपितु औद्योगिक विकास के आधार भी हैं। राजस्थान के पशु संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिला है। हाल ही के वर्षों में लाइसेंस राज के खात्मे की नीति के अन्तर्गत डेयरी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करने का फैसला किया है। अतः निकट भविष्य में डेयरी उद्योग के विकास की अच्छी संभावनाएँ हैं।

राजस्थान में वर्ष 1985-86 में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 4045 थी तथा इनकी सदस्य संख्या 2.64 लाख थी। दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 1995-96 में 4,925 तथा सदस्यों की संख्या 3.70 लाख हो गई। वर्ष 1985-86 में कुल दुग्ध प्राप्ति 10.25 लाख लीटर प्रतिदिन थी जो घटकर 1992-93 में 6.47 लाख लीटर प्रतिदिन रह गई। कुल दुग्ध प्राप्ति 1995-96 में 7.53 लाख लीटर प्रतिदिन थी।

राज्य में दिसम्बर 1998 के अन्त तक कुल कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की संख्या 3,535 थी, जिनकी कुल सदस्य संख्या 3.96 लाख

थी। अप्रैल से दिसम्बर 1998 के दौरान औसत 6.58 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन एकत्रित किया गया। दिसम्बर 1998-99 में राज्य में चार पशु आहार सद्यंत्रों के माध्यम से 61.8 हजार टन पशु आहार का उत्पादन तथा 61.8 हजार टन पशु आहार का वितरण किया गया।¹

11 पशुधन एवं मुर्गीपालन (Live Stock and Poultry) - राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में अनेक उद्योगों यथा ऊन, चमड़ा, डेयरी, मांस आदि का आधार पशु ही है। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में लगभग 15 प्रतिशत अंश पशु सन्पदा से प्राप्त होती है। राजस्थान में पशुधन सख्या 1951 में 2552 लाख थी जो बढ़कर 1961 में 3351 लाख, 1983 में 4965 लाख, 1988 में 40901 लाख तथा 1992 में और बढ़कर 477.13 लाख हो गई। 1988 से 1992 के बीच पशुधन सख्या में 16.76 की वृद्धि हुई। राजस्थान में मुर्गियों (Poultry) की सख्या 1983 में 22.19 लाख, 1988 में 26.08 लाख तथा 1992 में 30 लाख हो गई। मुर्गियों की सख्या में 1988 से 1992 के बीच 15.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1997 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 543.5 लाख पशुधन 43.8 लाख कुक्कुट सपदा थी।

पशु पालन सुविधाओं के अन्तर्गत राजस्थान में वर्ष 1998-99 में 1,276 पशु चिकित्सालय थे। वर्ष 1995-96 में 285 डिस्पेंसरी, 55 चल चिकित्सा इकाई, 37 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 228 गौ शालाएँ, 42 भेड़ विस्तार केन्द्र, 5 भेड़ बिल्डिंग फार्म थे।²

12 मत्स्य विकास (Progress of Fisheries) - राजस्थान में मत्स्य पालन के लिए नहरेँ नदियाँ तथा तालाब हैं। योजनाबद्ध विकास में मत्स्य पालन का विकास हुआ है। राजस्थान में 1985-86 में मछली बीज उत्पादन 44.95 मिलियन फ्राई, मछली उत्पादन 14.14 हजार टन था जो बढ़कर 1992-93 में मछली बीज का उत्पादन 15.4 मिलियन फ्राई, मछली उत्पादन 109.20 हजार टन हो गया। मत्स्य से आय 1985-86 में 78.33 लाख रुपए थी जो घटकर 1992-93 में 1.97 लाख रह गई।³

वर्ष 1995-96 में मत्स्य बीज उत्पादन 17.5 मिलियन फ्राई, मत्स्य उत्पादन 12.4 हजार टन तथा मत्स्य से आय 35.9 लाख रुपए थी। वर्ष 1998-99 (नवम्बर 1998 तक) मत्स्य उत्पादन 3,500 टन हुआ। वर्ष 1998-99 में 260 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध नवम्बर 1998 तक 82 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। जबकि 1997-98 में 220 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ था।⁴

13 कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर योजना परिव्यय में वृद्धि (Increase Plan Outlay in Agriculture and Allied Sectors) - राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि तथा सबद्ध क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय में भारी वृद्धि की गई। वर्ष 1951 से 1990 के बीच कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र विकास शीर्ष पर 345.4 करोड़

रुपए व्यय किया गया। इस विकास शीर्ष पर प्रथम योजना में 2.6 करोड़ व्यय किया गया जो बढ़कर सातवीं योजना में 161.9 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। आठवीं योजना में कृषि एवं सबद्ध सेवाओं पर 1,286 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान था। नौवीं पंचवर्षीय योजना कृषि एवं सबद्ध सेवाओं पर 1,880 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय का 6.8 प्रतिशत है।

14 कृषि विकास दर में वृद्धि (Increase in Agriculture Growth Rate) – सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि तथा सबद्ध सेवाओं पर योजना परिव्यय में वृद्धि तथा सरकार द्वारा कृषि विकास को प्राथमिकता दिये जाने के कारण राजस्थान में कृषि विकास दर में वृद्धि हुई है।

कृषि उत्पादन सूचकांक (1979-80 से 1980-82=100) के आधार पर वर्ष 1985-86 में 137.96 तथा 1986-87 में 117.34 था जो बढ़कर 1991-92 में 182.33 तथा 1995-96 में 211.77 हो गया। वर्ष 1995-96 में अनाज का सूचकांक 161.33, दालों का सूचकांक 123.19, अनाज एवं दालों को मिलाकर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सूचकांक 149.98 था। गैर खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का सूचकांक 480 था। राजस्थान में तिलहन उत्पादन का सूचकांक 1995-96 में 613.62 था। कृषि उत्पाद सूचकांक 1997-98 में 267.27 था।

सारत योजनाबद्ध विकास में राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक ऐसा प्रदेश जिसका अधिकांश भू-भाग रेत के घोरों से ढका हुआ है फिर कृषि के क्षेत्र में तीव्रतर विकास की ओर अग्रसर है। राजस्थान की तिलहन क्रांति आश्चर्यजनक है। श्वेत क्रांति में भी राज्य ने नवीन आयाम स्थापित किए हैं। राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति का श्रेय मरु के मेहनतकश लोगों और राज्य सरकार के कारगर प्रयासों को दिया जा सकता है। इन सबके बावजूद राजस्थान कृषि के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम विकसित है। यहाँ कृषि विकास की विपुल संभावनाएँ हैं, किन्तु विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ आड़े आती हैं जिनमें प्राकृतिक प्रकोप, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, किसानों की ऋणग्रस्तता, कृषिगत क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का अभाव आदि मुख्य हैं। यदि राजस्थान में सिंचाई सुविधा का पर्याप्त विकास कर दिया जाए तो राजस्थान खाद्यान्न के क्षेत्र में पृथक पहचान बना सकता है। भारत के खाद्यान्न के निर्यातों में बढोत्तरी में राजस्थान प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

कृषि विकास शीर्ष पर परिव्यय में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर राजस्थान का आर्थिक कार्याकल्प किया जा सकता है।

राजस्थान के कृषि विकास में बाधाएँ तथा समाधान के सुझाव
(Constraints in Agriculture Development in Rajasthan
and Suggestions for Solution)

अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि विकास से एक ओर लोगों को खाद्यान्न मुहैया होता है दूसरी ओर उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता

है। विगत वर्षों में विस्तार की महत्ता के कारण कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु अभी भी राजस्थान में कृषि विकास की तीव्र गति नहीं पकड़ सकी। कृषि के विकास में अनेक बाधाएँ मुहवाएँ खड़ी हैं जिन्हें निम्नलिखित प्रमुख हैं -

1 कम सार्वजनिक क्षेत्र उद्व्यय (Less Public Sphere Outlay) - राजस्थान में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य को आय का बड़ा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में कृषि की कारगर भूमिका के बावजूद कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर सार्वजनिक उद्व्यय कम रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर 1286 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जो कुल योजना उद्व्यय का केवल 11.2 प्रतिशत था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सबद्ध सेवाओं पर व्यय में भारी कमी की गई। नौवीं योजना में कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर 1880 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उद्व्यय का केवल 6.8 प्रतिशत है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम है। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर 3515 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है जो वार्षिक योजना का 7 प्रतिशत है। कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र पर उद्व्यय में कमी से प्रदेश में कृषि विकास को तीव्र गति नहीं मिल सकी। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उद्व्यय में वृद्धि आवश्यक है।

2 मरुस्थल (Desert) - राज्य में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कुल भू-भाग का 61.11 प्रतिशत भाग का मरुस्थल होना है। प्रदेश का अधिकांश भाग मरुस्थलीय होने के कारण कृषिगत उत्पादन कम होता है। थार मरुस्थल में तेज हवाओं के कारण भूमि कटाव की समस्या मुखर है। इसके अलावा टिड्डी दल का आक्रमण फसलों को उष्ट कर देता है। समस्या से निपटने के लिए मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम हाथ में लिए जाने चाहिए।

3 कृषि की मानसून पर निर्भरता (Dependence of Agriculture on Monsoon) - योजनाबद्ध विकास के पचास वर्षों के पूरा होने के बावजूद कृषि की मानसून पर निर्भरता बनी हुई है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा में अर्थव्यवस्था की स्थिति विगड़ जाती है। इन्द्र देवता के आशीर्वाद से 1997-98 में 1403 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ। इन्द्र देवता के रुठने पर 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन केवल 957 लाख टन ही था। अच्छे खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद 1997-98 में 20 जिलों के 20069 गावों की 215 लाख जनसंख्या अनाल से प्रभावित थी।

4 सिंचाई सुविधाओं का अभाव (Lack of Irrigation Facilities) - राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं की कमी विकास की बड़ी बाधा है। राज्य में 1996-97 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 559 लाख हेक्टेयर तथा कुल सिंचित क्षेत्रफल 674 लाख हेक्टेयर था। राज्य में 1996-97 में कुल बोये गए क्षेत्रफल का केवल 32.6 प्रतिशत (औसत) सिंचित क्षेत्र था। स्पष्ट है कुल बोए गए क्षेत्रफल के 67.4 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाएँ मुहैया नहीं हैं। कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सिंचाई

सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बरसात के पानी का पूरा उपयोग आवश्यक है। अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके नयी सिंचाई परियोजनाएँ हाथ में ली जानी चाहिए।

5 आधुनिक तकनीक का अभाव (Lack of Modern Techniques) – कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को आत्मसात किए बिना उत्पादन वृद्धि संभव नहीं है। डकल प्रस्तावों की स्वीकृति और विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद कृषि तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आया है किन्तु राजस्थान का किसान निरक्षरता और निर्धनता के कारण कृषि की आधुनिकतम तकनीक को आत्मसात नहीं कर सका। राजस्थान में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीज व कीटनाशकों का कम उपयोग किया जाता है। राज्य सरकार को कृषि विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण व प्रदर्शन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

6. सड़कों का अभाव (Shortage of Roads) – सड़कें विकास के लिए अपरिहार्य हैं। राजस्थान में सड़कों का अभाव है। गावों में सड़कों की स्थिति दयनीय है। आज भी बहुत से गाव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। राजस्थान में 1998-99 में अन्य जिला एव ग्रामीण सड़कों की लम्बाई केवल 63,976 किलोमीटर थी इसमें भी 11,631 किलोमीटर सड़कें कच्ची थीं। वर्ष 1997-98 में सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 47.7 किलोमीटर ही है। गावों में सड़कों का अभाव कृषि विकास में बाधक है। सड़कों के अभाव में कृषिगत उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कृषि विकास को गति देने वाले ग्रामीण सड़कों का विकास आवश्यक है।

7. दोषपूर्ण कृषि विपणन व्यवस्था (Defective Agriculture Marketing System) – राज्य के अधिकांश किसान माली हालात दयनीय होने के कारण बिचौलियों के चंगुल में फसे हुए हैं। बिचौलिए अधिकांश लाभ हड़प जाते हैं। कई बार बिचौलिए किसानों का शोषण करते हैं। बिचौलियों के कारण किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कृषि विपणन में सुधार के लिए कृषि विपणन निदेशालय की भूमिका को बढ़ाने की आवश्यकता है। मण्डी नियमन प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

8. साख सुविधा का अभाव (Lack of Credit Facilities) – राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। निरक्षरता के कारण गरीब किसान सेठ-साहूकारों द्वारा शोषण का शिकार होता है। लम्बे समय तक गावों में बैंकिंग सुविधा मुहैया नहीं होने के कारण ग्रामीण परिवेश में साहूकारों का प्रभाव बना रहा। साहूकारों ने किसानों को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बना दिया। किसानों के खेत और उपकरण गिरवी रखे होते हैं। गावों में आज भी बैंकिंग सुविधाओं का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। सितम्बर 1998 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या 64 थी। प्रति व्यक्ति बैंक जमा 3,582 रुपए तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 1,595 रुपए था जो कि अखिल भारत औसत से बहुत कम है।

सन्दर्भ

- 1 *Basic Statistic 1997 Rajasthan*
- 2 शर्मा ओ पी *भारत की अर्थव्यवस्था बदलता परिवेश 1996* पृ 45
- 3 *Basic Statistics 1994 तथा 1997 DCS Jaipur*
- 4 *आर्थिक समीक्षा 1998 99 राजस्थान सरकार।*
- 5 *Basic Statistics Rajasthan 1997* p 107
- 6 *वही 1994* p 112
- 7 *आर्थिक समीक्षा 1998 99 राजस्थान सरकार।*

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 राजस्थान की भूमि उपयोग की विवेचना कीजिए।
- 2 राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?
- 3 राजस्थान में हरित क्रांति के प्रमुख तत्त्व बताइए।

नियन्धात्मक प्रश्न

- 1 योजनाकाल में राजस्थान में कृषि विकास की समीक्षा कीजिए।
- 2 स्वतन्त्रोत्तर राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
- 3 राजस्थान में कृषि विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।
- 4 राजस्थान में हरित क्रांति की विवेचना कीजिए तथा इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें।
- 5 राजस्थान में कृषि विकास की उपलब्धियों तथा कृषि विकास में बाधाओं का विवेचन कीजिए।
- 6 राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि के विकास की विवेचना कीजिए।
- 7 राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

(संकेत - सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को लिखना है।)

- 8 राजस्थान में कृषि क्षेत्र की क्या उपलब्धियाँ हैं? राज्य के कृषि विकास में आगे वाली बाधाएँ एवं उनके निराकरण हेतु अपने सुझाव दीजिए।

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में राजस्थान में कृषि विकास की उपलब्धियाँ बतायीं हैं तथा दूसरे भाग में कृषि विकास में बाधाएँ तथा निराकरण के सुझाव लिखने हैं।)

राजस्थान का औद्योगिक विकास (Industrial Development of Rajasthan)

राजस्थान की औद्योगिक पृष्ठभूमि (Industrial Background of Rajasthan)

राजस्थान विकासोन्मुखी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कम विकसित राज्य है। यहां की भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछे हैं। वर्तमान में राजस्थान के समक्ष मुख्य चुनौती भौतिक एवं मानव ससाधनों का पूरा उपयोग करने की है। वित्तीय ससाधनों की कमी की समस्या सदैव मुहबाए खड़ी है।

हाल ही तीन नये राज्यों के गठन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। खनिजों की दृष्टि से बिहार के बाद राजस्थान का नाम आता है। यहां अधिकांश अलौह (नान फेरस) एवं अधात्विक (नान मेटलिक) खनिज हैं। राज्य खनिजों का अजायबघर है। लगभग 45 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य में उपलब्ध खनिजों का यदि नियोजित रूप से विदाहन किया जाए तो राजस्थान स्वयं की अनेक समस्याओं पर निजात पा सकता है।

राजस्थान नियोजित विकास के पांच दशक पूरे कर चुका है। योजनाकाल में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए गए, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। समग्र राज्य में उद्योगों विशेष रूप से लघु उद्योगों का विकास हुआ है।

आज राज्य में आधारभूत संरचना की स्थिति में सुधार आने के कारण उद्योगपति विनियोग करने में उत्तना नहीं कतराते जितना की पूर्व के दशकों में। वर्तमान में राजस्थान में सूती व सिंथेटिक रेशे की इकाइयां, ऊनी, चीनी, सीमेंट, टेलीविजन, टायर ट्यूब फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मिलें, इजीनियरी की औद्योगिक

इकाइया, खनिज आधारित बड़ी व मध्यम श्रेणी की इकाइया आदि है। राजस्थान से वर्ष 1994-95 में मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टैक्सटाइल अभियांत्रिक वस्तुएं, रेडीमेड वस्त्र, दरस्तकारी वस्तुएं, रसायन, कृषि उत्पाद, खनिज आधारित वस्तुओं का निर्यात किया गया। वर्ष 1994-95 में राज्य से लगभग 2,800 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग दो गुना था। निर्यातकों को राज्य में पुरस्कृत किया जाता है।

केन्द्र सरकार ने राजस्थान के 16 जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया था। केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था में पिछड़े जिलों को तीन श्रेणियों यथा अ, ब तथा स के अन्तर्गत विभक्त किया जो इस प्रकार थे -

- (अ) इसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही, चूरू व बाड़मेर जिलों के लिए रखी गई थी। ये शून्य उद्योग जिले कहलाते थे। सब्सिडी की अधिकतम सीमा एक इकाई के लिए 25 लाख रुपये रखी गई।
- (ब) इसके अन्तर्गत 15 प्रतिशत सब्सिडी पांच जिलों अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर व उदयपुर के लिए रखी गई तथा इसकी अधिकतम राशि 15 लाख रुपए रखी गई।
- (स) इसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलों बासवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, सीकर व टोंक के लिए थी तथा एक औद्योगिक इकाई के लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपए रखी गई।

शेष 11 जिलों अजमेर, भरतपुर, दूदी बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, पाली व धौलपुर के लिए राज्य सरकार सब्सिडी देती थी।

पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान का औद्योगिक विकास

(Industrial Development of Rajasthan during Plan Period)

राजस्थान नियोजित विकास के पांच दशक पूरे कर चुका है। इस दौरान राज्य में आठ पंचवर्षीय योजनाएं तथा छह वार्षिक योजनाएं सम्पन्न हुईं। पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य सरकार ने औद्योगीकरण को गति देने वरते प्रयास किए। सरकार ने समय-समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की। राज्य के आर्थिक यातावरण को राष्ट्र के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ समायोजन का प्रयास किया गया परिणामस्वरूप राजस्थान में विदेशी पूंजी निवेश भी हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान औद्योगीकरण की ओर अग्रसर हुआ है।

1. पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर व्यय (Expenditure on Industrial Development in Five Year Plans) - राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में औद्योगिक विकास पर व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं का थोड़ा भाग ही उद्योग तथा रचना पर खर्च किया जाता है।

राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में 54 करोड़ रुपए व्यय किया गया

जिसमें से उद्योग व खनन पर व्यय 0.5 करोड़ रुपए था जो कुल योजना व्यय का 0.9 प्रतिशत था। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग तथा खनन पर व्यय उत्तरोत्तर बढ़ा। उद्योग तथा खनन पर व्यय पाचवी पंचवर्षीय योजना में 34 करोड़ रुपए तथा छठी पंचवर्षीय योजना में 83 करोड़ रुपए था। सातवी पंचवर्षीय योजना में उद्योग तथा खनन पर व्यय बढ़कर 145 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनन पर 536 करोड़ रुपए प्रावधान के विरुद्ध 639 करोड़ रुपए व्यय किए गए जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र व्यय का 5.3 प्रतिशत था।

पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग तथा खनन पर व्यय

(करोड़ रुपए)

योजनाएँ	पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र व्यय	उद्योग तथा खनन पर व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	54	0.5	0.9
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	103	34	3.3
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	213	3.3	1.5
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	137	2.1	1.5
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)	309	8.6	2.8
पाचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)	858	34.1	4.0
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	2131	83.1	3.9
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)	3106	145.1	4.7
वार्षिक योजनाएँ (1990-92)	2154	151.5	7.0
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)	11999	639.0	5.3
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)(अनु)	27650	2155.0	7.8

आर्थिक उदारीकरण के दौर में तीव्र औद्योगिक विकास वास्ते अधिक सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होगी इस बात को दृष्टिगत रखते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनन पर 2155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना उद्व्यय 27650 करोड़ रुपए का 7.8 प्रतिशत है। यह पंचवर्षीय योजना के उद्योग व खनन पर प्रतिशत की दृष्टि से अब तक का सर्वाधिक है। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में उद्योग व खनन उद्व्यय 201 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो कुल वार्षिक योजना का 4 प्रतिशत है।

2 पजीकृत फैक्ट्रिया (Registered Factories) — राजस्थान में भारतीय फैक्ट्री एक्ट 1948 के अन्तर्गत सेक्शन 2 एम (i) सेक्शन 2 एम (ii) तथा सेक्शन 85 के अन्तर्गत पजीकृत फैक्ट्रिया हैं। पजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या वर्ष 1987 में

9 665 थी जो 1993 में बढ़कर 12 580 तथा 1996 में और बढ़कर 13 665 हो गई।

3 शुद्ध घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान (Pole of Manufacturing Sector in Net State Domestic Product) - अभी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र तथा कृषि पशुपालन का महत्त्व एवं स्थान की प्रमुखता बनी हुई है। विनिर्माण क्षेत्र का भी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1995-96 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 9 561 करोड़ रुपये था जिसमें विनिर्माण का योगदान 1 384 करोड़ रुपये था जो शुद्ध घरेलू उत्पाद का 14.5 प्रतिशत था। वर्ष 1998-99 के अंतिम अनुमानों में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद 11 648 करोड़ रुपये में विनिर्माण का योगदान 1 283 करोड़ रुपये रहा जो कि शुद्ध घरेलू उत्पाद का 11 प्रतिशत था।

4 सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) - निम्नलिखित वर्षों में राजस्थान में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण 1993-94 में प्रचलित कीमतों पर 6 168 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1995-96 में 8 140 करोड़ रुपये तथा 1997-98 में और बढ़कर 10 671 करोड़ रुपये (प्रारंभिक) हो गया।

सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 1995-96 से 1997-98 तक सांख्यिक क्षेत्र का अंश निजी क्षेत्र से अधिक रहा। 1997-98 में यह निजी से 29.7 प्रतिशत अधिक है जबकि वर्ष 1993-94 में निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण से 7.5 प्रतिशत अधिक था। राजस्थान में 1997-98 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर 53 770 करोड़ रुपये) का 19.85 प्रतिशत था।

5 लघु उद्योगों का विकास (Development of Small Scale Industries) - अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण उपादेयता होने के कारण राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया परिणामस्वरूप लघु उद्योगों के विकास को गति मिली। लघु उद्योगों की पंजीकृत इकाइयां 1975-76 में 20 102 थीं जो 1997-98 में बढ़कर 1 93 000 हो गईं। लघु उद्योगों में राजगार 1975-76 में 1.37 लाख से बढ़कर 1997-98 में 7.50 लाख हो गया तथा विनियोजित पूंजी 1975-76 में 7 237.3 लाख रुपये से बढ़कर 1997-98 में 2 25 000 लाख रुपये हो गई।

6 खादी और ग्रामोद्योग की प्रगति (Progress of Khadi and Village Industries) - राजस्थान सरकार ने योजनाबद्ध विकास में खादी और ग्रामोद्योग विकास के कारण प्रयास किए जिससे अर्थव्यवस्था में खादी एवं ग्रामोद्योग की भूमिका बढ़ी। खादी का कुल उत्पादन 1979-80 में 1 327 लाख रुपये था जो 1997-98 में बढ़कर 4 300 लाख रुपये हो गया। खादी उद्योग में 1992-93 में 1.59 लाख लोगों को राजगार मिला हुआ था। राज्य में ग्रामोद्योगों की भूमिका में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। राज्य में 10 उत्पाद ग्रामोद्योग में सम्मिलित हैं। वर्ष

1990-91 में 1 19 लाख ग्रामोद्योग इकाइया थी। ग्रामोद्योग का उत्पादन 1979 80 में केवल 13 60 करोड रुपए था जो 1997-98 में बढ़कर 340 54 कराड रुपए हो गया।

7 वृहद उद्योग (Large Scale Industries) – राजस्थान में मार्च 1998 तक 531 वृहद एव मध्यम उद्योग स्थापित किए गए हैं जिनमें 13 740 करोड रुपए की पूजी विनियोजित है तथा 1 70 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष 1999 2000 में (नवम्बर 1999 तक) में 64 वृहद उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये जिनमें 692 करोड रुपए की पूजी विनियोजन तथा 14662 व्यक्तियों का नियोजन संभव है।

8 औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (Increase in Industrial Production) राजस्थान में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निर्देशानुसार वर्ष 1970 में 26 औद्योगिक मदों का चयन किया गया। वर्ष 1998 में गत वर्ष की तुलना में 16 मदों के उत्पादन में गिरावट आई। केवल सिप्रट जस्ते की छड केंडिमियम अंतिम उत्पाद पानी के मीटर कार्टिक सोडा पी वी सी कम्पाउण्ड सल्फ्यूरिक एसिड और शक्कर के उत्पादन में वृद्धि हुई। शक्कर के उत्पादन में वृद्धि उल्लेखनीय रही। शक्कर का उत्पादन 1997 में 26 375 टन था जो बढ़कर 1998 में 58 695 टन हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 122 54 प्रतिशत अधिक था। जे के फेक्ट्री में उत्पादन बन्द होने के कारण नाइलोन और पोलिस्टर धागे का उत्पादन नहीं हुआ। सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री बरसों से बंद पड़ी है।

चयनित मदों का औद्योगिक उत्पादन

मद	इकाई	1997	1998	1997 की तुलना में 1998 में % परिवर्तन	1999
			प्राथमिक		प्राथमिक
शक्कर	मै टन	26,375	58 695	122 54	31193
वनस्पति घी	मै टन	24 985	24 936	0 20	31754
नमक	लाख मै टन	12	11	9 33	17
यूरिया	000 मै टन	398	385	3 77	417
सीमेन्ट	000 मै टन	6 493	6,206	-4 42	8133
सूती कपडा	लाख वर्ग मीटर	505	472	-6 53	350
सूती धागा	000 मै टन	77	75	2 60	77

स्रोत आर्थिक समीक्षा 1998 99 1999 2000 राजस्थान सरकार।

राजस्थान में वर्ष 1997 में वनस्पति घी का उत्पादन 24 985 टन नमक का उत्पादन 12 लाख टन यूरिया का उत्पाद 398 हजार टन सीमेन्ट का उत्पादन

6 493 हजार टन सूती कपड़े का उत्पादन 505 लाख वर्ग मीटर तथा सूती धागे का उत्पादन 77 हजार टन था। राज्य में घयनित मदों के उत्पादन में 1998 के प्रावधानों में 1997 की तुलना में शक्कर को छोड़कर सभी में कमी हुई। वर्ष 1998 में सूती कपड़े के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 65 प्रतिशत तथा सीमेंट उत्पादन में 44 प्रतिशत की कमी हुई।

राजस्थान में प्रमुख वृहद् उद्योग

(Large Scale Industries in Rajasthan)

वर्तमान में राजस्थान के प्रमुख वृहद् उद्योगों में सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग चीनी उद्योग नमक उद्योग काच उद्योग आदि मुख्य हैं जिनका संक्षिप्त विवरण अग्रांकित है

1 सीमेंट उद्योग (Cement Industry) -- भवन निर्माण में सीमेंट उद्योग का वर्चस्व काफी समय से चला आ रहा है जिसका गुणवत्ता लागत और क्षमता का दृष्टि से कोई प्रतिस्थापन नहीं है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अगुआ राज्य माना जाता है। प्रान्त में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी (बूंदी) में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई इसके बाद सवाईमाधोपुर में जयपुर उद्योग लि स्थापित किया गया।

राजस्थान में साधारण पोर्टलेण्ड सीमेंट बनाने वाले प्रमुख रोटरी किलन संयंत्र निम्नानुसार हैं

क्र स	इकाई	प्रक्रम	प्रारम्भिक उत्पादन
1	लाखेरी सीमेंट वर्क्स (ए सी सी) लाखेरी	आर्द्र	1917
2	जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाईमाधोपुर	आर्द्र	1953 से 1959
3	विडला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़	शुष्क	1967 से 1969
4	उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर	शुष्क	1970
5	जे के सीमेंट वर्क्स निम्बाहेडा	शुष्क	1974 से 1982
6	लाखेरी सीमेंट सिरौही	शुष्क	1982
7	मगलम सीमेंट मोडक (कोटा)	शुष्क	1982
8	जे के व्हाईट सीमेंट गोदन	शुष्क	1984
9	श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर	शुष्क	1985

स्रोत राजस्थान पत्रिका 2 जनवरी 1988

राज्य में पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट का उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका में स्पष्ट है

राजस्थान में सीमेण्ट उत्पादन

वर्ष	सीमेण्ट का उत्पादन (हजार में टन)
1984	3,017
1985	3,939
1986	3,654
1987	3,898
1988	3,947
1989	4,175
1990	4,263
1991	4,774
1992	4,828
1993	4,749
1996	6,592
1997	6,493
1998	6,206
1999 (प्रावधानिक)	8133

- स्रोत 1 आयव्ययक अध्ययन, 1991-92 एव 1994-95
2 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

सीमेण्ट उद्योग पूजा गहन व ऊर्जा गहन उद्योग है। राजस्थान में सीमेण्ट सयंत्र ऊर्जा आपूर्ति की कमी से प्रभावित है, कोयले का स्तर निम्न है, वैगन आपूर्ति आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती है। जनशक्ति में उच्च स्तर की दक्षता और आधुनिक सयंत्रों को चलाने की योग्यता की आवश्यकता है। इसके संचालन व रख-रखाव के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सीमेण्ट के मूल्य व वितरण संबंधी नीति भी दोषपूर्ण है, इसके बार-बार बदलने से इस उद्योग में अनिश्चितता बनी रहती है। सीमेण्ट फैक्ट्रिया पुरानी तकनीक को अपनाए हुए हैं, उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। अधिकांश सीमेण्ट सयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं करते हैं। आधुनिकीकरण व विवेकीकरण का नितांत अभाव है। मिनी सीमेण्ट प्लांट प्रतिस्पर्धा में बड़े सीमेण्ट प्लांट के सामने नहीं टिक पाते हैं।

राजस्थान में सीमेण्ट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। राज्य में इस उद्योग की स्थापना से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। सीमेण्ट ग्रेड घटने की बाहुल्यता है, जिसमें भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में है। कोयला बाहर से मगाना पड़ता है। सीमेण्ट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 1990-91 के राज्य बजट में सीमेण्ट पर केंद्रीय बिक्री कर 16 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। आशा है भविष्य में सीमेण्ट उद्योग का काफी विकास होगा।

2 सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Industry) – सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है। यह उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में 1889 में कृष्णा मिल्स लि निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। इसके पश्चात ब्यावर शहर में ही 1906 में एडवर्ड मिल्स लि व 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लि स्थापित हुई। वृहद् राजस्थान के निर्माण के समय 1949 में राज्य में 7 सूती मिलें थीं। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई। इनमें से 17 मिल निजी क्षेत्र में 3 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में और 3 सहकारी क्षेत्र में हैं।

राजस्थान में सूत व सूती वस्त्र का उत्पादन

वर्ष	सूत (हजार टन)	सूती वस्त्र (करोड़ मीटर)
1978	33.6	3.32
1983	42.7	5.58
1989	47.5	4.05
1990	48.6	4.66
1992	----	3.78
1993	44.6	3.80
1996	57.0	4.57
1997	77.0	5.05
1998	75.0	4.72
1999 (प्रावधानिक)	77.0	3.50

स्रोत 1 आय व्ययक अध्ययन, 1994-95, राजस्थान सरकार।

2 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के स्वरूप विकास वारंते सूती वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण की आवश्यकता है। कच्चे माल के रूप में लम्बे रेशे के कपास की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। कुप्रबन्ध को नियंत्रित एवं पर्याप्त मात्रा में पूजा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बड़ इकाइयों के बारे में अविलम्ब निर्णय लिया जाए तथा रुग्णता के कारणों की बारीकी से जांच की जाए। श्रम संबंधी समस्याएं मिल बैठ कर सुलझाई जा सकती हैं। प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

3 चीनी उद्योग (Sugar Industry) – राजस्थान में चीनी की तीन मिलें हैं। केशराय पाटन (यूदी), मेवाड़ (चित्तौड़गढ़) तथा श्रीगंगानगर। सर्वप्रथम 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स की स्थापना भोपाल सागर में की गई। 1938 में श्रीगंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना की गई। इसमें उत्पादन 1946 में प्रारम्भ हुआ। एक जुलाई 1956 से यह सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है। 1965 में श्री केशरायपाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान में कार्यरत चीनी की तीन मिलें निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में होने के कारण ये तीन प्रकार के

संगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर प्रदान करती है।

राजस्थान में चीनी उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार मै टन)
1984	22
1985	20
1986	16
1987	23
1988	09
1989	12
1990	13
1991	25
1992	39
1993	26
1996	31
1997	26
1998	31
1999 (प्रावधानिक)	31

- स्रोत 1 आय व्ययक अध्ययन, 1991-92, 1994-95 राजस्थान सरकार।
 2 आर्थिक समीक्षा, 1998-99 राजस्थान सरकार।

राज्य की चीनी मिले घाटे की समस्या से पीड़ित है। घाटे का मुख्य कारण गबन-घोटाले, गन्ने की चोरी, बिना काम के वेतन लेने की प्रवृत्ति, कुप्रबन्ध आदि हैं। चीनी मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार तथा मिलों में क्षमता के अनुसार गन्ने की पिराई कर घाटे को कम किया जा सकता है। मिलों के लिए वित्त, नई मशीने व पॉवर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मिलों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गोण पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। चीनी मिलों में मोलासिस की अतिरेक मात्रा को देखते हुए डिस्टिलरी इकाइयों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

4 नमक उद्योग (Salt Industry) - नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सम्पूर्ण देश में महत्त्वपूर्ण स्थान है। नमक उत्पादन से संबंधित सभी अनुकूल दशाएँ प्रान्त में उपलब्ध हैं। यहाँ खारे पानी की झीले बहुतायत में हैं। वर्तमान में राज्य में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में नमक का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम निम्नांकित हैं -

- 1 राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री)
- 2 राजस्थान स्टेट कैमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स)
- 3 राजस्थान सरकार का साल्ट वर्क्स, डीडवाना
- 4 राजस्थान सरकार का साल्ट वर्क्स, पचमदरा

साभर में नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिन्दुरता साल्टस लिमिटेड की सहायक कम्पनी साभर साल्टस लिमिटेड की देखरेख में होता है। साभर झील नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में निजी क्षेत्र में लघु पैमाने के उद्योग फोकरन फलोदी कुचामन व जाब्दीनगर (नागौर) में पाए जाते हैं।

राजस्थान में नमक उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टन)
1984	821
1985	1093
1986	906
1987	833
1988	1038
1989	934
1990	1055
1991	1441
1992	1181
1993	1296
1996	1102
1997	1200
1998	1100
1999 (प्रावधानिक)	1700

- स्रोत 1 आय व्ययक अध्ययन 1991 92 1994 95 राजस्थान सरकार
2 आर्थिक समीक्षा 1998 99 1999 2000 राजस्थान सरकार।

राजस्थान की खारे पानी की झीलों में (डीडवाना) सोडियम सल्फेट अधिक होने के कारण अखाद्य नमक का उत्पादन अधिक होता है जिसको बेचने में कठिनाई आती है। राज्य सरकार के नमक उपक्रम या तो बंद है या घाटे में चल रहे हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1988 से बन्द कर दिया गया है। राज्य में नमक आधारित वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। राज्य सरकार के नमक उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था बेहतर बनाकर स्थिति को सुधारा जा सकता है।

५ काच उद्योग (Glass Industry) - काच उद्योग में बालू मिट्टी सिलिका मिट्टी सोडा सल्फेट शीरा चूने का पत्थर आदि प्रयुक्त होते हैं। ये सभी राज्य में बहुतायत में उपलब्ध हैं। काच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राज्य में हैं।

राज्य में काच बनाने के आठ कारखाने हैं जिसमें से पांच कारखाने बंद पड़े हैं। उदयपुर कारखाने में उत्पादन हाल ही प्रारम्भ हुआ है। वर्तमान में धौलपुर में निम्न दो कारखाने विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं -

1. धौलपुर ग्लास वर्क्स - इसमें लगभग एक हजार टन काँच का वार्षिक उत्पादन होता है। यह कारखाना निजी क्षेत्र में कार्यरत है।¹
2. हाई टैंक प्रेसीजन ग्लास वर्क्स, धौलपुर - यह कारखाना दी गगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अन्तर्गत है एवं मदिरा विभाग के लिए बोतलो का उत्पादन करता है।

राज्य में सिलिका मिट्टी के भण्डारा को देखते हुए काच उद्योग के विकास की काफी संभावनाएँ हैं। जयपुर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर तथा उदयपुर में काच के कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं। काच के बंद पड़े कारखानों को शीघ्र चालू कर यह काच उद्योग से संबंधित संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। सरकार की उदार नीति इसका और विकसित कर सकती है।

6. वनस्पति घी उद्योग (Vegetable Ghee Industry) - मूंगफली व बिनौले का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में भीलवाड़ा में वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। इसके बाद जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व श्रीगगानगर आदि शहरों में स्थापित हुए।

राज्य में वनस्पति घी की माग में हो रही वृद्धि के साथ वनस्पति घी का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। 1970-71 से 1980-81 के मध्य वनस्पति घी का उत्पादन तिगुना हो गया है।

राज्य में वनस्पति घी उत्पादन की स्थिति

वर्ष	उत्पादन (हजार टन)
1970-71	19 8
1980-81	58 0
1985-86	65 7
1989-90	54 6
1990-91	51 5
1991-92	34 2
1992-93	33 8
1995-96	30 1
1996-97	24 9
1997-98	24 9
1998-99 (प्रावधानिक)	31 8

स्रोत 1 आय व्यवहक अध्ययन 1991-92, 1994-95 राजस्थान सरकार।

2 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

राज्य में मूंगफली व बिनौले के साथ तेल शोधन हेतु प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों का नितांत अभाव है। उत्पादित घी की किस्म भी छटिया है। कारखानों के

पारा सहायक उद्योग का अभाव होने के कारण लाभ भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। मूजी व कुशल श्रमिका का अभाव भी राज्य में है।

राज्य में वारस्यति घी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसका विकास की काफी संभावना है। मूगफली व विनोले का उत्पादन भी राज्य में बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान नहर क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। राज्य में इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राजस्थान में सीमेन्ट सूती वस्त्र घीनी वारस्यति घी काच व तमक आदि उद्योगों की प्रभावी भूमिका है। भविष्य में इन उद्योगों के विकास की अच्छी सम्भावनाएँ हैं।

राजस्थान में केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम

(Public Enterprises of Central Field in Rajasthan)

राजस्थान में केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का भाग बहुत कम है यह 1970 में केवल 0.9 प्रतिशत ही था 1985 में केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का 1.4 प्रतिशत अंश लगा हुआ था। राज्य में केन्द्र का विशेष वर्ष 1990-91 में 1.70 प्रतिशत था।¹

राज्य में कुछ प्रमुख केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान अग्रांकित हैं।¹

- 1 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी (उदयपुर)।
- 2 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी (झुझुडू)।
- 3 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर।
- 4 इन्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कोटा।
- 5 साभर साल्ट्स लिमिटेड जयपुर।
- 6 मॉडर्न चिकरीज विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर।
- 7 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड कनकपुरा (जयपुर)।
- 8 गस आधारित पॉवर सप्लाय अता कोटा (एन टी पी सी द्वारा स्थापित) राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र सरकार के उपक्रमों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है -

1 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc Ltd) - यह जस्ता व सीसा का उत्पादन के साथ भारत के आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। 1966 में स्थापित हिन्दुस्तान जिंक लि बहुत इकाई व बहुत उत्पाद वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जो सीसा जस्ता की आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह बचनावद्ध है। वर्तमान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देश के विभिन्न भागों में आठ इकाइयाँ स्थापित कर रहा है जिसमें निम्न इकाइयाँ राजस्थान में हैं।¹

- 1 ज़ावर माइन्स राजस्थान।
- 2 राजपुरा दरीवा माइन्स राजस्थान।
- 3 मट्टा रॉक फॉस्फेट माइन्स राजस्थान।

4 देवारी जिक स्मेलटर, राजस्थान।

2. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Ltd) – राजस्थान के झुन्झुनू जिले में अरावली पर्वत शृंखला में स्थित एक छोटी सी इकाई खेतड़ी आज देश में ताम्र उत्पादन के क्षेत्र में अति आधुनिक और प्रौद्योगिक इकाई के रूप में उभर कर सामने आई है। इसके (खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स) विकास का फैसला सन 1962 में लिया गया। सन् 1967 में शाफ्ट खुदाई के साथ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई और खनन कार्य प्रारम्भ किया। सन् 1970 में सबसे पहले अयस्क का उत्पादन शुरू हुआ। ताम्र उत्पादन 5 फरवरी, 1975 को प्रारम्भ हुआ, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में एशिया के सबसे बड़े प्रणालक सयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया।

3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर (Hindustan Machine Tools) – भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अन्तर्गत 6 इकाइया एच एम टी, 4 इकाई वाच व तीन डेयरी मशीनरी की इकाइया है। एच एम टी अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है। भारत में एच एम टी को 1987-88 में 31 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। इसकी स्थापना में चेकोस्लोवाकिया का तकनीकी सहयोग प्राप्त किया गया।

4. इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (Instrumentation Ltd, Kota) – कोटा सयंत्र 1965 में स्थापित किया गया था। इसमें 1968-69 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ। इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट (केरल) में स्थित है। इसे 1987-88 में 263 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। यह रासायनिक उद्योगों, स्टील उद्योगों तथा थर्मल पावर में काम आने वाले सयंत्र बनाता है। इन्स्ट्रुमेंटेशन लि के उत्पाद का निर्यात भी किया जाता है।

5. सांभर साल्ट्स लिमिटेड (Sambhar Salt Ltd) – यह हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। राजस्थान की सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है। यहां का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड 30 सितम्बर, 1964 में स्थापित हुई। इसे पिछले वर्षों में शुद्ध घाटा रहा है। 1987-88 में घाटे की राशि 45 लाख रुपए थी।

6. मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (Modern Food Industries) – यह 1965 से स्थापित हुई, इसकी 13 ब्रेड इकाइया है इनमें से एक मॉडर्न बेकरीज, जयपुर है। इसे 1987-88 में 90 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। 1990 में 50 लाख रुपए में 1991 में 257 लाख रुपए की हानि हुई।*

7. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स व इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (Rajasthan Electronics and Instruments Ltd) – यह कोटा इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। इसमें भारत सरकार की 51 प्रतिशत तथा रीको की 49 प्रतिशत पूंजी लगी हुई है। इसे 1987-88 में 42 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ।

राजस्थान में एक सरकार के लगभग सभी उपक्रम लाभ में चल रहे हैं फिर भी उपक्रमा की संख्या इक्काई अरु तक सीमित है जो कि राज्य के लिए दुःख स्थिति है। केंद्रीय औद्योगिक विधियांग का सीमित भाग केन्द्र का राज्य के प्रति सौतेले व्यवहार का द्योतक है।

राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Enterprises of Rajasthan Government)

राजस्थान में राज्य सरकार के कुल 41 सार्वजनिक उपक्रम हैं। इन में 7 सार्वजनिक विभाग 16 संपत्ति संपूर्ण के अन्तर्गत पंजीकृत संपत्तियां 14 पंजीकृत गृहकारी संस्थान एवं 4 विभागीय उपक्रम हैं। सहायरी संस्थाओं के अन्तर्गत तिलम् सन्ध 1990-91 में रहा था। राज्य सरकार के अनुसार उक्त उपक्रमों में से 9 की नेत्रबन्ध ऋणात्मक 6 उपक्रमों की 50 प्रतिशत से कम 5 उपक्रमों की 50 से 100 प्रतिशत के बीच 19 उपक्रमों की 100 प्रतिशत से ऊपर है।¹

विनियोजन (Appropriation) मार्च 1990 तक राज्य के 40 उपक्रमों में 3 130 29 करोड़ रुपये का विनियोजन हो चुका था। इस विनियोजन में राज्य सरकार का योगदान 1 445 करोड़ रुपये था। शेष धाराशि केन्द्र राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अन्य स्रोतों द्वारा विनियोजित की गई है।²

वित्तीय कार्यसिद्धि (Financial Efficiency) राज्य सरकार के उपक्रमों में वित्तीय कार्यसिद्धि के क्षेत्र में गिरावट ही किया है। अप्रिकार उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित है। छठी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में कर से पूर्व घाटे की कुल राशि 236 करोड़ रुपये रही थी। 1987-88 में कर से पूर्व शुद्ध घाटा 102 करोड़ रुपये हुआ जो सर्वाधिक था कुल घाटा 1989-90 के अन्त में 708 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।³ राज्य के कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का स्वास्थ्य ताजुक दौर में पहुंच चुका है। इनमें से अनेक प्रतिष्ठान असाध्य राग से ग्रसित हैं और कुछ दम तोड़ चुके हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में घाटा मुख्यतया गलत परियोजनाओं का चयन कच्चे माल का अभाव औद्योगिक विकास भाग की सभी कुप्रबन्ध श्रम बाहुल्य गन्त मूल्य नीति आवावरयक राजनीतिक हस्तक्षेप परियोजनाओं का पलायन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होना आदि कारणों से होता है। जिन्हे प्रयास के द्वारा कम किया जा सकता है। प्रान्त में सीमित संसाधनों के बावजूद उपक्रमों में भारी विनियोजन से देखते हुए यह उपयुक्त होगा कि इन उपक्रमों के बारे में कुछ ठोस विनियम लिए जाएं अन्यथा धीरे-धीरे राज्य के सभी उपक्रमों का भविष्य अधकारमय होता चला जाएगा।

भारत के औद्योगिक विकास में राजस्थान की स्थिति (Position of Industrial Development of Rajasthan in India)

राजस्थान औद्योगिक विकास की दृष्टि से औद्योगिक रूपरता आधारभूत

सरचना का अभाव, कम पूंजी निवेश, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का अभाव आदि कारणों से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पिछड़ गया है। इस बात की पुष्टि भारत और राजस्थान के अग्रकृत तुलनात्मक विवरण से सहज हो जाती है -

1. शुद्ध घरेलू उत्पाद में उद्योगों का अंश (Part of Industry in Net Domestic Product) - राजस्थान का 1997-98 में साधन लागत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर 47,05,467 लाख रुपए था जिसमें विनिर्माण क्षेत्र (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत) का अंशदान 3,72,785 लाख रुपए था। राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 7.9 प्रतिशत था। भारत का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1997-98 में 10,49,191 करोड़ रुपए (त्वरित अनुमान) था जिसमें निर्माण क्षेत्र का अंशदान 2,59,426 करोड़ रुपए था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का योगदान 1997-98 में 24.7 प्रतिशत था। जो राजस्थान की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। स्पष्ट है विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। चालू मूल्यों पर शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद (नई श्रृंखला) 1996-97 में राजस्थान में 41,872 करोड़ रुपए (त्वरित अनुमान) था जबकि यह महाराष्ट्र में 1,52,129 करोड़ रुपए, उत्तरप्रदेश में 1,03,170 करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश में 72,195 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल के 70,537 करोड़ रुपए तथा गुजरात में 63,501 करोड़ रुपए था। राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पाद में बिहार, आसाम, हरियाणा, केरल, उड़ीसा से आगे है।

2 उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि (Per Capita Value added in Industries) - उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति दयनीय है। वर्ष 1994-95 में अखिल भारत स्तर पर उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 1,200 रुपए थी जबकि राजस्थान में यह केवल 750 रुपए ही थी। उद्योग से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दृष्टि से राजस्थान का देश में दसवां स्थान है। उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि महाराष्ट्र में 2,820 रुपए, गुजरात में 2,806 रुपए तथा तमिलनाडु में 2,021 रुपए थी।

3. प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (Per Capita Consumption of Electricity) - राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग तुलनात्मक रूप से कम है जो औद्योगिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। राजस्थान में विद्युतीकृत ग्रामों का अभाव है। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड घाटे की समस्या से ग्रसित है। राज्य में विद्युत चोरी की समस्या दिकट है। राजस्थान में मार्च 1995 तक केवल 85.82 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत थे जबकि आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु में सभी गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं। अखिल भारत स्तर पर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1994-95 में 310.10 किलोवाट था जबकि राजस्थान में यह केवल 269.53 किलोवाट था। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की दृष्टि से राजस्थान का

देश में दरवा स्थान है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग पंजाब में सर्वाधिक 75937 किलोवाट है इसके बाद गुजरात में 60843 किलोवाट, महाराष्ट्र में 50036 किलोवाट तथा हरियाणा में 46678 किलोवाट आदि का स्थान आता है।

4 प्रति व्यक्ति विकास व्यय (Per Capita Development Expenditure) — प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय की दृष्टि से राजस्थान का देश में नवा स्थान है। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में राजस्थान का प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय 1,35988 रुपए था। प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय के मामले में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय 1997-98 में हिमाचल प्रदेश में 2,56487 रुपए, वर्ष 1998-99 में हरियाणा में 2,43190 रुपए, पंजाब में 1,96447 रुपए तथा केरल में 1,85467 रुपए था।

5. अष्टम योजना उद्व्यय (Eighth Plan Outlay) — अष्टम योजना उद्व्यय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषप्रद मानी जा सकती है। भारत का अष्टम योजना उद्व्यय 1,86,235 करोड रुपए था। राजस्थान में अष्टम योजना उद्व्यय (1992-97) 11,999 करोड रुपए रहा। अष्टम योजना उद्व्यय की दृष्टि से राजस्थान का देश में पाचवा स्थान रहा। उत्तरप्रदेश का अष्टम योजना उद्व्यय 21,000 करोड रुपए था जिसका देश में प्रथम स्थान रहा।

कुल मिलाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य है। विगत वर्षों में राजस्थान की औद्योगिक स्थिति सुधर नहीं सकी। वर्तमान में राज्य सरकार को गरीबी की समस्या और आर्थिक पिछड़ेपन से निपटने के लिए औद्योगिक विकास को गति देने वाले प्रभावोत्पादक कदम उठाने होंगे। राज्य सरकार को न केवल नए उद्योगों को आकर्षित करना होगा अपितु बंद पड़े उद्योगों की भी सुध लेनी होगी। आर्थिक उदारीकरण के दौर में राजस्थान स्वदेशी और विदेशी पूंजी निवेश को अधिक आकर्षित करने में सफल नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में औद्योगीकरण को गति देना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र में विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना में सरकार की भूमिका गौण हो गई है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। नियोजन काल में राजस्थान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के मामले में उपेक्षित रहा है। राजस्थान में आज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है। राज्य में प्राकृतिक ससाधनों का अभाव नहीं है। यहां विकास की विपुल संभावनाएं हैं। राज्य सरकार को वार्षिक योजनाओं में उद्योग व खनन पर परियोजनाओं में वृद्धि करनी चाहिए। राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना 27,650 करोड रुपए की निर्धारित की गई है जिसमें उद्योग व खनिज क्षेत्र पर 2,15409 करोड रुपए व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उद्व्यय का 7.79 प्रतिशत है। इसके अलावा ऊर्जा पर कुल योजना उद्व्यय का 23.63 प्रतिशत तथा यातायात पर 9.73 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है। आशा की जाती है नौवीं योजना में राजस्थान में औद्योगिक वातावरण सृजित होगा और औद्योगिक विकास

गति पकड़ेगा।

राजस्थान के औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका
(Role of Government in Industrial Development of Rajasthan)

देश में आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए दस वर्ष बीत चुके हैं। आर्थिक सुधारों के कारण देश में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है। किन्तु राजस्थान नब्बे के दशक में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में अधिक सफल नहीं हो सका परिणामस्वरूप राजस्थान औद्योगिकीकरण की दौड़ में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों की तुलना में पिछड़ गया। राज्य के पिछड़ेपन का अन्य प्रमुख कारण केन्द्रीय पूंजी निवेश का अभाव है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नितांत अभाव है। राज्य के अनेक उद्योग घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। राज्य सरकार ने विगत वर्षों में औद्योगिक विकास को गति देने वारंते प्रयास किये हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -

1 उद्योग परिव्यय में वृद्धि (Increase in Industrial Outlay) - वर्तमान में राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत है। राज्य की वर्ष 1999-2000 वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो 1998-99 की संशोधित वार्षिक योजना की तुलना में 23.15 प्रतिशत अधिक है। योजना परिव्यय का 4 प्रतिशत उद्योग व खनिज पर 19 प्रतिशत विद्युत पर तथा 15 प्रतिशत परिवहन पर व्यय करने का प्रावधान है। आधारभूत संरचना के विकसित होने से विदेशी निवेशकों आकर्षित होंगे जिससे औद्योगिकीकरण की गति को बल मिलेगा। वर्तमान में यह प्रमाणित हो चुका है कि तीव्र औद्योगिक विकास के बिना गरीबी निवारण संभव नहीं है। औद्योगिक विकास से गरीबी का दृष्यक्रम थमता है। रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी से चहुँओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है।

2 उद्योग विभाग की बढ़ती भूमिका (Increasing Role of Department of Industry) - राज्य में औद्योगिकीकरण के लिए उद्योग विभाग उत्तरदायी है। वर्तमान में उद्योग विभाग के अधीन 33 जिला उद्योग केन्द्र एवं 8 उप जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 1998-99 की राज्य आयोजना में 5765 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जिसके विरुद्ध उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं में दिसम्बर 1998 तक 4720 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी थी। राजस्थान में वर्तमान में सूती व सिंथेटिक रेशों की इकाइयाँ, ऊनी, चीनी, सीमेंट, नमक, काच, टेलीविजन, टायर ट्यूब, वनस्पति तेल की मिलें इजीनियरी की औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं।

3 औद्योगिक विकास के प्रति समर्पित संस्थान (Dedicated Enterprises for Industrial Development)

(1) उद्योग निदेशालय (Directorate of Industry) - राज्य में लघु उद्योगों और दस्तकारी इकाइयों के पंजीयन, नियंत्रण, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता व सुविधा प्रदान करता है।

राज्य है जिसने औद्योगिक सवर्द्धन पार्क को पूर्ण किया है। सीतापुरा की प्रगति को देखकर केन्द्र सरकार राजस्थान में भिवाड़ी में दूसरे निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क हेतु स्वीकृति प्रदान कर चुकी है।

राजस्थान में औद्योगिक नीति (Industrial Policy in Rajasthan)

केन्द्र सरकार समग्र राष्ट्र के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही औद्योगिक नीति की घोषणा करती है, जिसे प्रायः सभी राज्य आत्मसात करते हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर स्वदेशी एवं विदेशी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए प्रलोभनयुक्त घोषणाएँ करती हैं। राजस्थान में बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए दिसम्बर 1990, जून 1994 तथा 1998 में औद्योगिक नीति की घोषणा की।

औद्योगिक नीति, 1990 (Industrial Policy, 1990)

राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति में राज्य की आय में उद्योगों का योगदान बढ़ाने के लिए खनन, कृषिगत व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। इसके अलावा रोजगार सर्जन, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा औद्योगीकरण को बढ़ावा आदि पर भी विशेष बल दिया गया।

प्राथमिकताएँ (Priorities) – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सर्जन को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा, दस्तकारी व चमड़ा उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। लघु पैमाने की इकाइयों यथा अतिलघु उद्योग, लघु उद्योग एवं सहायक उद्योग के विकास पर बल दिया गया। प्राथमिकता क्रम में मध्यम एवं बड़े उद्योगों को आखिरी में स्थान दिया गया।

नीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, वायो टेक्नोलॉजी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, साधन आधारित, कम पानी, कम ऊर्जा व श्रम गहन वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

33 के वी से 220 के वी पर बिजली लेने वाले को 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत विद्युत प्रशुल्क रियायत दी जाएगी। 1990-95 की अवधि में पावर कनेक्शन प्राप्त नई औद्योगिक इकाइयों के लिए 3,000 के वी तक के भार पर 31 मार्च, 1995 तक कोई पावर कटौती नहीं होगी।

पूजी विनियोजन सब्सिडी (Capital Investment Subsidy)

सभी नए मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थिर पूजी विनियोज पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपए), निम्न श्रेणी के उद्योगों को 20 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए) की दर से सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध होगी।

यह सुविधा लघु एवं सहायक उद्योगों, साधन-आधारित उद्योगों, प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा सौ फीसदी निर्यात मूलक इकाइयों को

उपलब्ध होगी। 2 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी (अधिकतम 2 लाख रुपए) श्रम गहन उद्योगों को दी जाएगी।

विनियोग सब्सिडी जोधपुर उदयपुर अजमेर अलवर भीलवाड़ा शहरों की म्युनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओं में स्थापित उद्योगों तथा जयपुर व बोंटा शहरों की शहरी समुच्चय सीमाओं में नहीं दी जाएगी। रीफो रे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को भी सब्सिडी की सुविधा प्राप्त होगी। इलेक्ट्रोनिक्स व टेलीकम्युनिकेशंस जैसे उद्योगों को सम्पूर्ण राज्य में पूंजी विनियोग सब्सिडी उपलब्ध की जाएगी।

बिक्री करों में रियायतें (Rebates in Sales Taxes)

1987 व 1989 की बिक्री कर प्रेरणा व आरथगता की रीम 31 मार्च 1995 तक 1% उद्योगों पर्याप्त विस्तार व विविधीकरण करने वाली इकाइयों पर लागू होगी।

जो औद्योगिक इकाइया स्थिर पूंजी विनियोग के सौ फीसदी पर अधिक विस्तार और वर्तमान उत्पादन लाइसेंस क्षमता का सौ फीसदी या अधिक बढ़ाने जा रही है उन्हें 75 प्रतिशत तक कर से मुक्ति का आरथगता लाभ मिलेगा।

ई पायोनियरिंग इकाइया जिन्में विनियोग सीमा 10 करोड़ रुपए तक है तथा प्रतिष्ठामूलक इकाइया जिन्में विनियोग सीमा 25 करोड़ रुपए है ये वही भी स्थापित हो उन्हें बिक्री कर रियायत 9 वर्ष तक मिलेगी। अतिप्रतिष्ठा मूलक उद्योग जिन्में स्थिर पूंजी विनियोग 100 करोड़ रुपए या अधिक है वर दागित्व के 90 प्रतिशत तक बिक्री कर से मुक्त रखा गया है। प्रतिष्ठा मूलक उद्योग कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत तक ब्राच-ट्रान्सफर के माध्यम से अन्य राज्यों में हस्तान्तरित कर सकेगे।

ऐसी इकाइया जिन्हे बिक्रीकर की अन्य प्रीरी रीम का लाभ नहीं मिल रहा उनके लिए बिक्री कर की एवज में 7 वर्ष के लिए ग्राज मुक्त कर्ज की रीम लागू की जाएगी।

घुगी से छूट (Rebate in Octroi)

उत्पादन के शुरुआती पांच वर्षों में 1% उद्योगों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में बच्चे माल पर घुगी पर छूट मिलेगी। उन्हें आयातित मशीनरी विस्तार के लिए आयोजित मशीन पर घुगी नहीं देनी होगी। कृषि आधारित लघु उद्योगों को सीधे विज्ञान से जरूरत का सामान खरीदने पर भी कर से मुक्त रखा जाएगा।

बिपणन (Marketing)

सरकारी विभागों द्वारा लघु उद्योगों से 130 वस्तुओं के खरीदने की व्यवस्था थी अब 34 और वस्तुएं जोड़ दी जाएगी। राज्य के माध्यम से लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत का एव अन्य उद्योगों को 10 प्रतिशत का कीमत अधिमान दिया जाएगा।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों के उत्पादन की नुमाइश तथा बिक्री के लिए व्यापार केन्द्र तथा औद्योगिक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष सहायता (Special Aid to Industrialists belong SC and ST)

रीको के औद्योगिक क्षेत्र में एस सी/एस टी के उद्यमियों द्वारा क्रय की जाने वाली 4 हजार वर्ग मीटर तक के भूखण्डों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक रिबेट दी जाती है। राजस्थान वित्त निगम एक लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 2 प्रतिशत रिबेट देता है। शिक्षित बेरोजगारी की स्वरोजगार योजना (सीयू) के तहत 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता देता है। जन जाति उपयोजना में स्थापित उद्योगों को आर एफ सी ब्याज पर 1 प्रतिशत रिबेट देगा। रीको भी इतनी ही रिबेट देगा। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के उद्योगों में रीको शेरर पूजी में 10 प्रतिशत हिस्सा लेता है। एस सी/एस टी के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योग में शेरर पूजी प्रदान करने के लिए एक पृथक 'शेरर पूजी कोष' स्थापित किया जाएगा।

औद्योगिक रुग्णता से संबंधित नीति (Policy related to Sick Units)

उद्योगों की रुग्णता का प्रमाण-पत्र जिला स्तर पर जारी किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। रुग्ण इकाइयों को 2 वर्ष के लिए पावर की कटौती से मुक्त रखा जाएगा। इन इकाइयों का सर्वेक्षण कर उनकी रुग्णता की जांच कर पुनर्स्थापना की व्यवस्था की जाएगी।

औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (वी आई एफ आर) के विचाराधीन रुग्ण इकाइयों को निम्न रियायतें दी जाएगी -

- 1 रुग्ण इकाइयों को बिक्री प्रेरणा तथा आस्थागन के लाभ मिलते रहेंगे।
- 2 सरकार द्वारा रुग्ण इकाइयों की भूमि को वित्तीय सस्थाओं के पास गिरवी रखने की इजाजत।
- 3 विद्युत शुल्क, बिक्रीकर व क्रय कर का पुनर्निर्धारण।
- 4 पुनर्वास की अवधि में पांच वर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, जुर्माने व दंड स्वरूप ब्याज को छोड़ना।
- 5 राज्य सरकार की अनुमति से रुग्ण इकाइयों की अतिरिक्त भूमि वेचकर प्राप्त राशि का उपयोग इकाई के पुनर्वास की योजना के आधार पर ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में किया जा सकता है।
- 6 आर एफ सी की एक मुक्त सहायता के अन्तर्गत रिथर पूजी की 5 लाख रुपए की सहायता के साथ 25 लाख रुपए की कार्यशील पूजी भी दी जाएगी।

समीक्षा (Criticism)

राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति व्यापक एवं व्यावहारिक है। पूंजी विनियोग, सब्सिडी एवं बिक्री करों में रियायतों के कारण देशी विदेशी उद्यमी राज्य में अधिकाधिक विनियोग हेतु आकर्षित हुए हैं।

ग्रामोद्योगों को प्राथमिकता के साथ क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की पुरजोर कोशिश की गई है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वास करने के प्रयास से इन उद्योगों की समस्याओं का निदान हो सकेगा। सरकार इस नीति में राज्य के समग्र एवं तीव्र औद्योगीकरण के प्रति दृढ़-प्रतिज्ञा लगती है।

राजस्थान की औद्योगिक नीति, 1994 : औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना

(Rajasthan Industrial Policy, 1994 A Pleasant Hypothesis)

राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने वास्ते तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भेरोंसिंह शेखावत द्वारा 15 जून 1994 को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। श्री शेखावत ने औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई औद्योगिक नीति 1994 औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करेगी और राजस्थान के आर्थिक विकास में 'मील का पत्थर' सिद्ध होगी।"

औद्योगिक नीति 1994 की प्रमुख विशेषताएँ (Main Characteristics of Industrial Policy, 1994)

- 1 अद्य सरचनात्मक सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान।
- 2 निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनेक मामलों में प्रोत्साहन।
- 3 आदान और सुविधाओं की समयबद्ध सूची।
- 4 प्रदूषण निवारण, श्रम कानून, फेक्ट्रीज एक्ट, भूमि रूपान्तरण तथा अनेक प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- 5 गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक प्रोत्साहन।
- 6 बिक्री कर रियायतों में वृद्धि।
- 7 क्रय कर में कमी।
- 8 विशिष्ट उद्योगों के विकास हेतु विशेष प्रावधान।
- 9 अधिकांश राजकीय आदेश नीति के साथ ही जारी।

औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना (Pleasant Hypothesis of Industrial Development)

नई औद्योगिक नीति में राजस्थान के औद्योगिक विकास की सुखद परिकल्पना के लिए जिन बातों को सम्मिलित किया गया है, वे हैं -

1 निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रण (Invitation for Investment for Private Sector) - राज्य में आधारभूत संरचना की स्थिति को मजबूत करने वास्ते विद्युत उत्पादन समग्र, सड़क निर्माण, पर्यटन, अनुसंधान व विकास, प्रबन्ध विकास

सरस्थान की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, दूर संचार सेवा तथा औद्योगिक राभावना, सर्वेक्षणों के लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

2 निर्यात सवर्द्धन (Export Promotion) - केन्द्र सरकार की सहायता से "निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क" की स्थापना की जाएगी। निर्यात सवर्द्धन औद्योगिक पार्क और निर्यात जोन में स्थापित होने वाली शत-प्रतिशत निर्यातक एव अन्य इकाइयों को पावर कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी तथा उन्हें यथासंभव 'पावरकट' से मुक्त रखा जाएगा। निर्यात पुरस्कारों की घोषणा तथा शत-प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को अनुदान में वृद्धि की जाएगी।

3 पूंजी विनियोग अनुदान (Capital Investment Grant) - विद्यमान योजना में साफ्टवेयर विकास, विशिष्ट क्षेत्रों में दुग्ध उत्पाद, विशिष्ट विनियोजन स्तर की साफ्ट ड्रिक्स इकाइयों, औद्योगिक एल्कोहल विद्युत गहन इकाइयों एव बीयर सम्मिलित किया जाएगा। फलोरीकलचर, टिशूकल्चर व कोल्ड स्टोरेज को अनुदान दिया जाएगा। अनुदान योजना कुछ सशोधनों के साथ 1997 तक बढ़ायी गई।

4 महिला उद्यमियों के समर्थन (Support for Female Industrialists) - दो हजार वर्ग मीटर भूखंड पर महिला उद्यमियों को 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाती है। युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएँ 15 प्रतिशत छूट के लिए पात्र हैं। इसके अलावा महिला उद्यम विधि योजना राजस्थान वित्त निगम में लागू है। महिला उद्यमियों संबंधी घरेलू उद्योग कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाएगा।

5 बिक्री कर प्रोत्साहन (Sale Tax Incentive) - महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघुतर औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्ष की अवधि के लिए शत-प्रतिशत बिक्री कर मुक्ति का लाभ प्राप्त होगा। दस करोड़ रुपये से अधिक पूंजी विनियोजन वाली साफ्ट ड्रिक्स तैयार करने वाली इकाइयाँ बिक्री कर प्रोत्साहन की पात्र होंगी। बिक्री कर को अधिक विवेकपूर्ण और आकर्षक बनाने की दृष्टि से अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा। आस्थगन योजना के तहत उद्योगों द्वारा एकत्रित कर रखी गई बिक्री कर की राशि लाभ प्रारम्भ होने की तिथि से चार वर्ष में ही चुकाने योग्य होगी। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करने वाले रोजगारोन्मुख इकाइयों को स्थाई पूंजी विनियोजन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। सिरेमिक व ग्लास इलेक्ट्रॉनिक्स तथा चर्म उद्योगों को बिक्री कर में अधिक छूट होगी। नई सीमेन्ट इकाइयों का आस्थगन योजना में लाभ प्राप्त होगा।

6 क्रय कर (Purchase Tax) - क्रय कर की कुछ वस्तुओं पर कम कर दिया गया है। इसवर्गों पर यह कर 25 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। चर्म उद्योग के कच्चे माल पर क्रय कर 3 से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। शत-प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को क्रय कर में छूट ऊन पर क्रय में कमी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए क्रय कर में विशेष रियायत होगी।

7. विशेष उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उपाय (Efforts for Encouragement in Special Industries) - राज्य में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित

उद्योगों तथा चर्म उद्योग सिरेमिक एवं काच उद्योग ऊन उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग खनिज उद्योग कृषि एवं खाद्य प्रसस्करण उद्योग एवं पर्यटन उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान एवं सुविधाएँ दी जाएँगी।

8 ग्रामीण उद्योग (Village Industries) – कुशल श्रमिकों की क्षमता बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जायेंगे। पंचायत समितियों द्वारा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनायी जाएगी।

9 निरीक्षणों में कमी तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Simplification of Observation and Searcity in Inspection) – औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षणों की संख्या कम की जाएगी। श्रम कानूनों के तहत एकीकृत निरीक्षण किया जाएगा। लघु एवं लघुतर इकाइयाँ जिनमें 20 से कम श्रमिक नियोजित हैं का पाच प्रतिशत एवं अन्य का 10 प्रतिशत आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए एक नाटिस एवं एक रिटर्न की व्यवस्था होगी। कारखाना अधिनियम की परिधि से पाच हजार इकाइयों को मुक्ति दी जाएगी। प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाएगा।

10 औद्योगिक रुग्णता समाधान (Solution of Industrial Sickness) – सरकार और उसके निकायों द्वारा औद्योगिक रुग्णता के निवारण के लिए किए जा रहे प्रयास और सुदृढ किए जायेंगे। रुग्ण लघु इकाइयों और दूसरी गैर बी आई एफ आर इकाइयाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार चिन्हित की जाएँगी। पुनर्जीवित की जाने वाली इकाइयों के लिए राहत एवं रियायतों का एक अलग पुंज जारी किया जाएगा। बी आई एफ आर प्रकरणों में घोषित सुविधाओं पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठन होगी। इसी प्रकार रुग्ण लघु उद्योगों और गैर बी आई एफ आर इकाइयों के लिए भी समितियाँ गठित की जाएँगी।

12 चुगी (Octroi) – औद्योगिक नीति की घोषणा करते समय चुगी समाप्ति की बात कही गई थी गौरवतलब है राजस्थान में चुगी को समाप्त किया जा चुका है।

13 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को सहायता (Aid to Active SC and ST Industrialists) – रीकों के औद्योगिक क्षेत्रों में भू-खण्डों के आवंटन पर दर से छूट दी जाती है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त 5 लाख रुपए तक के सावधि ऋणों के प्रत्येक मामले में दो प्रतिशत की दर से ब्याज पर छूट दी जाती है। जनजाति उपयोज्य क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को ब्याज पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट की व्यवस्था होगी। एस टी एवं एस सी के उद्यमियों को विद्युत मण्डल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पावर कनेक्शन दिये जाते हैं। प्रधानमंत्री की राजगार योजना के अन्तर्गत भी 22.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

14 समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था (Arrangement to Solve the Problems) – औद्योगिक समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर

की अध्यक्षता में तथा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। भूमि स्थानांतरण के बारे में 5 से 20 हेक्टेयर तक जिला कलेक्टर को तथा 30 हेक्टेयर तक सभागीय आयुक्त को अधिकार दिया गया।

15 नीति का क्रियान्वयन (Implementation of Policy) – राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति नई औद्योगिक नीति की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। नई नीति के अन्तर्गत घोषित अधिकांश सुविधाओं के संबंध में आदेश नीति की घोषणा के साथ ही जारी कर दिये गए।

दृष्टिकोण (Attitude) – राजस्थान की 1994 की औद्योगिक नीति को बदले राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश के अनुरूप बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। इसकी घोषणा के समय भारत की जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति को भी बखूबी ध्यान में रखा गया। नई औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण बात निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमंत्रण, निर्यात सब्सिडी तथा औद्योगिक रुग्णता के समाधान है। नई नीति में घोषित अधिकांश सुविधाओं के संबंध में साथ ही जारी किए गए आदेश उल्लेखनीय बात है। औद्योगिक नीति से राजस्थान में औद्योगिक विकास का वातावरण बना है।

औद्योगिक नीति, 1998 (Industrial Policy, 1998)

राजस्थान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति-1998 घोषित की है। औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से आधारभूत सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता, भूमि रूपान्तरण की प्रक्रिया का सरलीकरण, निजी क्षेत्र को ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेन्टर एवं बुडनवेयर सर्विस सेन्टर की स्थापना, विश्वव्यापी फलक पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र का सृजन, विपणन सहायता, मानव संसाधन विकास, प्रदूषण मंडल के आपत्ति पत्र जारी करने की शक्तियों का क्षेत्रीय कार्यालयों व जिला उद्योग केन्द्रों को हस्तान्तरण, 11 थ्रस्ट क्षेत्रों यथा गारमेन्ट्स एवं बुने-बुनाए वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, वाहन एवं उनके पुर्जे, टैक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूर संचार, सोफ्टवेयर, फुटवीयर एवं अन्य घर्म वस्तुओं आदि का चिन्हीकरण करना सम्मिलित है। अन्य प्रावधानों में डी जी सेट क्रय करने पर अधिकतम 25 लाख रुपये तक का अनुदान, भूमि एवं भवन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी में रियायत आदि का प्रावधान सम्मिलित है।¹¹

राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ

(Constraints in Industrial Development of Rajasthan)

राजस्थान आर्थिक नियोजन के पांच दशक पूरे कर चुका है, फिर भी औद्योगिक विकास की स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं हो पाई है। राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का अंश (स्थिर मूल्यों पर) 1978-88 में 12.9 प्रतिशत तथा 1995-96 में 23.09 प्रतिशत था जो 1998-99 में 11.02 प्रतिशत रहा। खनन व विद्युत को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की आय में योगदान 1998-99 में 19.46 प्रतिशत रहा, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन का द्योतक है।¹²

आज भी राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई है। जबकि राज्य खनिजों का अजायबघर है, कुछ खनिजों का उत्पादन तो केवल राजस्थान में ही होता है। औद्योगिक विकास हेतु वांछित प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध है। विविध उद्योगों के विकास की प्रबल संभावनाओं के बीच औद्योगिक विकास के मार्ग के अग्रकित बाधाएँ मुख्य हैं —

1. राज्य के गठन में विलम्ब (Late Organisation of State) — राजस्थान का वैधानिक स्वरूप एक नवम्बर, 1956 को पूरा हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय राजस्थान एकीकरण की समस्याओं से उलझा रहा। इस कारण राजस्थान संपूर्ण भारत के औद्योगिक विकास की तुलना में पांच वर्ष पीछे हो गया।

2. विषम भौगोलिक स्थिति (Adverse Geographical Situation) — राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधा भौगोलिक है। उत्तरी पश्चिमी भाग रेत के धोरो से ढका हुआ है जो संपूर्ण भू-भाग का 61.11 प्रतिशत है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गगानगर, चूरु, नागौर आदि जिले रेतीले हैं। दूर-दूर तक मानव तथा पशु परिवहन भी नजर नहीं आता है। वनस्पति के नाम पर काटेदार झाड़ियाँ हैं। जनसंख्या के दूर-दूर तक फैले होने के कारण बुनियादी सेवाओं जैसे विद्युत, जल, सड़क, संचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि के पहुंचाने में कठिनाई आती है एवं प्रति व्यक्ति लागत भी बहुत ऊँची होती है।

3 कृषि की मानसून पर निर्भरता (Dependence on Monsoon for Agriculture) कृषि उत्पादन, औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य में कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मानसून के विलम्ब से आने अथवा इसके अभाव अथवा वर्षा के क्रम में अन्य गड़बड़ हो जाने से कृषिगत उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चे माल की आपूर्ति अनियमित व अनिश्चित हो जाती है जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। राज्य की अर्थव्यवस्था पर सदैव 'अकाल का साया' मडराता रहता है। अकाल राजस्थान का दूसरा नाम है। यहाँ अकाल अपने डैने फैलाएँ पसरा रहता है। राजस्थान को प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में अकाल का सामना करना पड़ता रहता है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात् विगत वर्षों में 1959-60, 1973-74, 1975-76, 1976-77 व 1990-91 मात्र 5 वर्षों को छोड़कर लगातार ही अकाल की स्थिति रही है। वर्ष 1991-92 में मानसून न केवल देर से आया, बल्कि आने के बाद भी वर्षा कम हुई और जल्दी ही चला गया। परिणामतः राज्य के तीस जिलों में से 19 जिले अकाल की चपेट में आए। वर्ष 1992-93 में तिलहन के रिकार्ड उत्पादन और खाद्यान्न के औसत उत्पादन के बावजूद अकाल की स्थिति थी। अकाल के कारण 1,154.78 करोड़ रुपये की फसले खराब हो गईं। वर्ष 1997-98 में 20 जिलों के 20,069 गावों की 215 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई।

4 मरुस्थल का विस्तार (Extension of Desert) — राजस्थान में मरुस्थल हर साल लगभग पौन किलोमीटर पूरब की तरफ बढ़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों की

राज्य में अगर हालात पर काबू पाने के लिए जल्दी ही ठोस तथा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए गए तो अगले लगभग नौ वर्षों में हम राज्य के सम्पूर्ण वन क्षेत्रों से हाथ धो बैठेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि राजस्थान का भररथल एक जीवन्त मरुस्थल है जहाँ मनुष्य एवं पशुओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ने की स्थिति बन गई। उपग्रह से लिए चित्रों का निष्कर्ष है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में नौ दर्रे ऐसे हैं जहाँ से रेगिस्तान का प्रसार होता है। वनों के नष्ट होने के कारण अरावली वृक्ष विहीन हो गई और वह इतनी मजबूत नहीं रही कि रेगिस्तान को बढ़ने से रोक सके।¹⁴

5. सौतेला व्यवहार (Step-Behaviour) – राजस्थान के साथ विकास के अधिकांश क्षेत्रों में सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा संसाधनों का आवंटन हो या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की बात हो। राज्य में नई रेलगाड़ियों को शुरू करने या नई लाइनों का काम शुरू करने के मामले में राजस्थान की उपेक्षा की गई। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में समस्त भारत के कुल केंद्रीय विनियोगों का लगभग 2 प्रतिशत अंश ही पाया जाता है जो कि अत्यल्प है। आर्थिक विकास पर दृष्टि डालें तो प्रकृति तो सदियों से रुठी चली आ रही है लेकिन आजादी के बाद केंद्र सरकार ने भी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडलों में राजस्थान के राजनीतिज्ञों को बहुत कम स्थान मिला है। केंद्र में नेहरू से लेकर नरसिंहराव तक के मंत्रिमंडलों में 45 साल में सिर्फ पांच राजस्थानियों को ही कैबिनेट का दर्जा बख्शा गया।¹⁵ इस कारण से केंद्रीय विनियोगों का अधिक भाग राज्य की ओर आकर्षित नहीं हो सका।

6. मुद्रास्फीति (Money Inflation) – केंद्र व राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991-92 में देश भर में महंगाई वृद्धि 13.1 प्रतिशत रही, वही राजस्थान के सबसे अधिक महंगाई 24.17 प्रतिशत रही, जो किसी भी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। राजस्थान में 1952-53 को आधार मानते हुए सामान्य थोक भाव सूचकांक वृद्धि दर 1996 में 8.12 प्रतिशत, 1997 में 6.98 प्रतिशत तथा 1998 में 4.86 प्रतिशत थी जो भारत की थोक मूल्य सूचकांक वृद्धि दर से अधिक है।¹⁶ भारत में थोक मूल्य सूचकांक वृद्धि दर 1981-82 को आधार मानते हुए 1996-97 में 6.9 प्रतिशत, 1997-98 में 5.3 प्रतिशत तथा जनवरी 1999 को 4.6 प्रतिशत थी।¹⁷ राजस्थान में थोक भावों में अधिक वृद्धि से औद्योगिक उत्पादों की लागत बढ़ी।

7. अपर्याप्त आर्थिक सहायता (Incomplete Aid) – राजस्थान को गाड़गिल फार्मूले के अनुसार केंद्र से यहां की भौगोलिक, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर अधिक सहायता और वार्षिक योजना का अकार भी बढ़ना चाहिए, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हरियाणा जैसे छोटे राज्य की वार्षिक योजना का अकार यहां से अधिक होता है।

8. आधारभूत संरचना का अभाव (Scarcity of Infrastructure) – राजस्थान

के सभी पड़ोसी राज्यों में वर्षों पूर्व बड़ी रेल लाइनों का जाल बिछा दिया गया लेकिन पूरा राजस्थान तो दूर इसकी राजधानी जयपुर भी बड़ी रेल लाइन के लिए 1992 के आखिरी दिन तक तरसती रही। ध्यातव्य है कि दुर्गापुरा सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर 0 जनवरी 1993 को प्रातः बड़ी लाइन पर सवारी गाड़ी के आवागमन की शुरुआत से इस क्षेत्र के लोगों का सौ वर्ष पुराना सपना पूरा हो गया। जयपुर-सवाई माधोपुर मार्ग पर जयपुर रियासत के समय छोटी लाइन डाली गई थी और आजादी के बाद स ही इस मार्ग का बड़ी लाइन (ब्राड गेज) में परिवर्तित करने की मांग चल रही थी। यही हालात जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना को लेकर है।

9 निर्णयो में विलम्ब (Delay in Decisions) - राजस्थान नहर 1965 तक 9 करोड़ रुपये में पूरी की जानी चाहिए थी समय पर केन्द्रीय मदद के अभाव में यह अब तक पूरी नहीं हुई और इसकी निर्माण लागत उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न प्रांत है किन्तु यह खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए तरस रहा है। राजस्थान में 30 मार्च 1992 को एक हजार मगावाट विद्युत की कमी थी लेकिन बीकानेर लिग्नाइट धोलपुर तापीय-परियोजना सूरतगढ़ पनबिजली परियोजनाएं अधरझूल में रही। प्रदेश में प्राकृतिक गैस एवं तेल की खोज के कार्य में भी केन्द्र सरकार का रुख उदासीन रहा है। नही तो क्या कारण है कि थार के मरुस्थल से ही पाकिस्तान तेल निकाल रहा है और भारत में अभी तेल व गैस की खोज का कार्य वह भी अनमने ढंग से हो रहा है।

10 पर्यटन की उपेक्षा (Negligence of Tourism) - पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान समृद्ध है। किन्तु यहां के ऐतिहासिक स्मारकों किलों का रख-रखाव तो दूर इनकी सफाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकार अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी ओर पर्यटन उद्योग के भूते पर हरियाणा जैसा छोटा राज्य समृद्ध हो रहा है। राजस्थान सहित दिल्ली उत्तरी गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मोसम वर्षा पर्यावरण सतुलन का नियंत्रित रखने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला में वनों का विनाश हो चुका है इससे राजस्थान सहित पड़ोसी राज्य के सरसब्ज इलाकों में पिछले एक दशक से अवाल का साया मंडरा रहा है।*

11 पेयजल का अभाव (Scarcity of Drinking Water) - राज्य में सतही जल व भूतल जल की मात्रा समस्त भारत की एक प्रतिशत है जो बहुत कम है। भूमि के नीचे जल कई राज्यों पर लवणीय है तथा अन्य स्थानों पर सूखे के कारण जल स्तर गिरता गया है।

12 विद्युत की कमी (Deficiency in Electricity) - राज्य में स्वयं के विद्युत उत्पादन के सातों का विकास होना बाकी है। जनवरी 1991 में राजस्थान में शक्ति की प्रत्याभूति क्षमता 2 720 62 मगावाट थी जिसमें लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनों से प्राप्त होती है और शेष आधी राज्य के स्वयं के साधनों से प्राप्त होती है। वर्ष 1998-99 के प्रारम्भ में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 3097 365

मेगावाट थी। वर्ष 1998-99 में अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य 254 335 मेगावाट रखा गया और 694 10 मेगावाट उत्पादन क्षमता केन्द्र द्वारा अस्थायी रूप से उपलब्ध करवायी जाएगी।¹⁰ विद्युत की आपूर्ति में भारी उतार-चढ़ाव आने से औद्योगिक उत्पादन को क्षति पहुँचती है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 1987-88 में 152 यूनिट तथा 1997-98 में 289 यूनिट रहा जो पंजाब की तुलना में बहुत कम था। मार्च 1989 में राजस्थान में कुल ग्रामों में विद्युतीकृत गावों का अनुपात 70 प्रतिशत पाया गया, जबकि अखिल भारत के लिए यह 78 प्रतिशत रहा। वर्ष 1998-99 तक राजस्थान के 39,810 गावों में से 35,215 गाव विद्युतीकृत थे। जबकि आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु के 100 प्रतिशत गाव विद्युतीकृत हो चुके हैं।

13. सड़कों का अभाव (Lack of Roads) - वर्ष 1987-88 में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लम्बाई 15 64 किलोमीटर रही, जबकि अखिल भारतीय औसत 1984-85 के लिए 53 92 किलोमीटर रहा था। इस प्रकार राज्य में सड़कों की लम्बाई भारत की तुलना में काफी कम है। राजस्थान में सड़कों की लम्बाई में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। विगत वर्षों में थोड़ी बहुत सड़कें बनी हैं किन्तु सड़कों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वाहनों को तीव्र गति से चलाया जा सके। ग्रामीण सड़कें तो बहुत खराब स्थिति में हैं। समय पर मरम्मत के अभाव में सड़कों की दशा लगातार बिगड़ी है। राजस्थान में सड़कों की कुल लम्बाई 1998-99 में 84,958 किलोमीटर थी। राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई तो राज्य में केवल 2,964 किलोमीटर ही है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई में लगभग ठहराव की स्थिति है। राज्य में 1998-99 के प्रारम्भ में सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42 7 किलोमीटर है जबकि देश की औसत सड़कों की लम्बाई 73 किलोमीटर है। रेल विकास के क्षेत्र में स्थिति और भी दयनीय है। मार्च 1987 में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर रेल मार्ग की लम्बाई 16 41 किलोमीटर रही जो कि गुजरात, उत्तरप्रदेश व पंजाब से काफी कम है। इस प्रकार रेल मार्ग की लम्बाई की दृष्टि से भी राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है।

14. शैक्षिक पिछड़ापन (Educational Backwardness) - राज्य में साक्षरता का अनुपात काफी नीचे है। 1991 में यह सभी व्यक्तियों के लिए 38 8 प्रतिशत रहा, जबकि पुरुषों के लिए 55 1 प्रतिशत व महिलाओं के लिए 20 8 प्रतिशत रहा है। राजस्थान की स्थिति महिला साक्षरता की दृष्टि से ज्यादा पिछड़ी हुई है, इसमें ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत और भी नीचे पाया जाता है। जनवरी, 1987 में राजस्थान में प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर अस्पतालों की संख्या केवल 4 रही, जबकि गुजरात में दर 25 व समस्त भारत में 10 पाई गई। दिसम्बर, 1998 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या 6 4 है जो कि हिमाचल प्रदेश व पंजाब से काफी कम है।

15. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) - राजस्थान में औद्योगिक

रुग्णता के कारण भी औद्योगिक विकास में बाधा पड़ी है। लघु एवं मध्यम उद्योगों के बढ़ने का मुख्य कारण कार्यशील पूँजी का अभाव है। बैंक उद्योगों को आवश्यकतानुसार पूँजी समय पर व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराते हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राजस्थान वित्त निगम वीको व्यापारिक बैंक आदि में परस्पर सहयोग का अभाव है। इससे उद्यमकर्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने में कठिनाई होती है। राज्य में औद्योगिक संस्कृति व औद्योगिक वातावरण का नितांत अभाव है। छोटे-छोटे कामों को करवाने के लिए उद्यमकर्ताओं को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं एवं बार-बार अनेक इस्पेक्टर अकारण तंग करते रहते हैं। इससे अलावा राज्य में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं व प्रेरणाओं का अभाव है सवाई माधोपुर स्थित देश का प्रमुख सीमेंट उद्योग 'जयपुर उद्योग लिमिटेड 1985-86 से बंद पड़ा है। आज उसका कोई धनी-धोरी नहीं।

औद्योगिक विकास हेतु सुझाव

(Suggestion for Industrial Development)

राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक तत्त्वों को दूर कर भविष्य में औद्योगिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। औद्योगिक विकास में निम्नलिखित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते हैं -

1 **आधारभूत संरचना का विकास (Development of Infrastructure)** - औद्योगिक विकास की गति को तेजतर करने के लिए सुदृढ़ अद्य संरचना का होना आवश्यक है। सुदृढ़ अद्य संरचना से उद्यमी औद्योगीकरण के लिए प्रेरित होते हैं। राजस्थान में केवल भरतपुर सवाई माधोपुर व कोटा ही (20 जनवरी 1993 से जयपुर भी) ब्रोड गेज लाइन पर स्थित हैं। राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन पर प्रहार व विभिन्न जिलों में औद्योगिक सभाव्यता का लाभ उठाने के लिए रेल व सड़क परिवहन का जाल विछाया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नई रेल लाइनों से औद्योगिक विकास का आधार-ढाँचा सुदृढ़ हो सकता है। सड़कों की असतोषजनक स्थिति अभाव व रख-रखाव की दृष्टि से व्यापक सुधार किया जाना चाहिए।

2 **मानव संसाधन विकास (Human Resource Development)** - राज्य सरकार निरक्षरता के अभिशाप को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है इस हेतु विभिन्न जिलों में 'संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम' आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर ने इस क्षेत्र में आदर्श जिले का स्वरूप हासिल किया है। सरकार को इसके अलावा औद्योगिक तकनीकी ज्ञान के विकास पर भी बल देना चाहिए। बड़े उद्यमों में तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

3 **विद्युत आपूर्ति के प्रयास (Efforts for Electricity Supply)** - औद्योगीकरण में विद्युत-आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य में विद्युत की मांग व पूर्ति में भारी अंतराल है। राजस्थान विद्युत की पूर्ति के लिए आंतरिक साधना का पर्याप्त विकास नहीं कर पाया है नतीजतन विद्युत की आपूर्ति के लिए यह अन्य

राज्यों की ओर मुखातिब है। विद्युत के क्षेत्र में अनिश्चितता व अनियमितता की समस्या मुहबाए खड़ी रहती है। विद्युत की अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ केन्द्र के पास विचाराधीन हैं। राज्य में विद्युत की महती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिए।

4. विकास का वातावरण (Environment of Development) – औद्योगिक विकास के लिए शांति, पारस्परिक सौहार्द आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शर्त हैं यदि किसी क्षेत्र में औद्योगिक आवश्यकतानुरूप सभी ससाधन उपलब्ध हैं मगर अमन चैन नहीं है तो ससाधनों का सर्वाधिक उपयोग संभव नहीं है। साम्प्रदायिक सौहार्द के दिगडने से औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। औद्योगिक विकास में आवश्यक अमन-चैन को प्राथमिकता देते हुए हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि प्रान्त में साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे और औद्योगिक विकास में अडचने नहीं आए।

5. औद्योगिक संस्कृति का विकास (Development of Industrial Culture) – राज्य में औद्योगिक विकास के अनुरूप औद्योगिक संस्कृति व औद्योगिक वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। उद्यमियों को अपनी औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बार-बार धक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए 'एक खिडकी सेवा' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रीको, आर एफ सी, डी आई सी, बिजली, बैंक आदि सुविधाओं को एक ही छत के नीचे एकत्रित किया जाना चाहिए। इन सब चीजों के आसानी से उपलब्ध होने पर एक ओर घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन व बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों व देश से बाहर के उद्योगपति व पूँजीपति राजस्थान की ओर दौड़ेगे तथा राज्य का औद्योगिक विकास संभव हो सकेगा।

6. औद्योगिक रियायतें (Industrial Facilities) – उद्यमकर्त्ताओं की समस्याओं पर विचार करने के लिए 'खुले मंच' आयोजित किए जाएं। विभागीय अधिकारियों का व्यवहार उद्यमियों के हितार्थ होना चाहिए। औद्योगिक विकास हेतु सरकारी सुविधाओं की जानकारी अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाई जाए। उद्यमियों को रियायतें देते समय अन्य राज्यों विशेषकर पड़ोसी राज्यों द्वारा दी जा रही रियायतों की भी जानकारी रखनी चाहिए। तुलनात्मक रूप से कम सुविधाओं के कारण उद्यमी अन्य राज्यों की ओर पलायन कर सकते हैं। एक उपयुक्त औद्योगिक वातावरण के लिए प्रवैगिक व लचीली औद्योगिक नीति हो जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन व समायोजन किए जा सकें।

7. कारगर योजनाएं (Dutiful Plans) – राजस्थान की स्वयं की भौगोलिक एवं वातावरण संबंधी समस्याएँ हैं, इन पर निदान पाने हेतु योजनाएँ क्षेत्रीयता और ससाधनों को ध्यान में रखकर तैयार करनी होंगी। क्षेत्रीय योजनाएँ पश्चिम के लिए थार मरुस्थल को ध्यान में रखकर, पूर्व के लिए अधिक समृद्धि को ध्यान में रखकर, दक्षिण के लिए आदिवासी क्षेत्र को ध्यान में रखकर और उत्तर के लिए नहर और नदियों के जाल को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। योजनाओं को इस

तरह निर्मित किए जायें स उद्योगों के लिए स्थायीकरण के सिद्धांत को पभावी रूप से अमल में लाया जा सकता है।

8 खनिज आधारित उद्योगों पर बल (Stress over Mineral Dependent Industries) — राज्य में अकाल का साया मडराता रहता है कृषि उत्पाद में भारी उच्चावचन है अतः कृषि आधारित उद्योगों की तुलना में खनिज आधारित उद्योगों के विकास पर बल देना अधिक विवेकपूर्ण होगा इससे खनिजों के अजायबघर में व्याप्त सूनापा दूर हो सकेगा खनिज आधारित उद्योगों का विकास कर राजस्थान देश के औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध राज्या के समक्ष खड़ा हो सकेगा।

हाल के वर्षों में तिलहन उत्पादन में हुई भारी वृद्धि ने राज्य में स्वर्ण-क्रांति ला दी है इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वनस्पति उद्योग की स्थापना हेतु देश-विदेश के उद्योगियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

राजस्थान में औद्योगिक विकास की संभावनाएँ

(Future Potentialities of Industrial Development in Rajasthan)

राजस्थान के प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण यहाँ भावी औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएँ हैं। जयपुर के बड़ी रेलवे लाइन से जुड़ने के कारण राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएँ सजीव हो उठी हैं। राज्य में औद्योगिक विकास की भावी संभावनाएँ निम्नलिखित हैं

1 खनिजों का अजायबघर (Museum of Minerals) — राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध प्रान्त है। यहाँ 45 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिजों का उत्पादन तो केवल राजस्थान में ही होता है। राजस्थान कई खनिजों के उत्पादन में देश में अग्रणी है। राजस्थान में धात्विक खनिजों में तांबा सीसा-जस्ता लोहा मैंगनीज चादी टंगस्टन आणविक खनिज तथा अधात्विक खनिजों में अभ्रक जिप्सम राक फास्फेट लाइम स्टोन (चूना पत्थर) साप स्टोन संगमरमर व ग्रेनाइट, एसबेस्टस पाइराइट्स बेन्टोनाइट पत्रा व गारनेट चायना क्ले व व्हाइट क्ले फायर क्ले सिलिकासेण्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा खनिज इंधन में लिग्नाइट राज्य में उपलब्ध है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस भी राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

2 नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नई दिल्ली (National Council of Applied Economic Research New Delhi) ने राजस्थान का टैक्ना-इकॉनॉमिक सर्वेक्षण करके विभिन्न उद्योगों की क्षमता और भावी संभावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में अप्रकृतित उद्योगों की स्थापना का औचित्य बताया —

ट्रैक्टर व सयवित यंत्रा डीजल इंजन स्फूटर व मोटर साईकिल मोटर गाडिया क पुर्जे विद्युत सामग्री इस्पात के तार पाइप टयूब कीले वोल्ट पोर्टलैण्ड सीमेंट सफेद व रंगीन सीमेंट काच तल शाधक आदि कारखाने।

3 राजस्थान में निम्नलिखित उद्योगों के विकास की प्रबल संभावनाएँ हैं—

1 कोटा में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण का सयत्र

लगाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए।

- 2 उदयपुर में एक पिग लोहा सयत्र लगाने की आवश्यकता है वहां निकटवर्ती क्षेत्रों के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है।
- 3 निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारों के बोर्ड बनाए जाते हैं जिसके पूर्व निर्मित भवन बनाकर कुछ सीमा तक भवन-समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
- 4 सवाई माधोपुर में सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, खनिज तेल रिफाइनरी, तथा कृषि आधारित उद्योगों के विकास की अच्छी संभावनाएँ हैं।
- 5 फेल्टपार, क्वार्टज, चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के सामान के कारखानों की स्थापना का क्षेत्र बढ़ सकता है। सिलिका के उपयोग से काच के उद्योग का विस्तार किया जा सकता है।

4. कृषि सम्पदा पर आधारित उद्योग (Agriculture Resources Dependent Industries) – कृषि सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्त्वपूर्ण स्थान है। 1995-96 में कृषि का अंश राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत तथा 1998-99 के प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार 40 प्रतिशत रहा।²² कपास, गन्ना, तिलहन, मक्का, चना, गेहूँ आदि ऐसी फसलें हैं जिन पर आधारित अनेक छोटे-बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषिगत उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है, नहर के पूरा होने पर खाद्यान्न में अपूर्व वृद्धि अपेक्षित है।

पिछले वर्षों में राजस्थान देश में तिलहन के उत्पादन की दृष्टि में एक महत्त्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। देश में तिलहन उत्पादन का 12 प्रतिशत भाग राजस्थान में होने लगा है। सरसों के उत्पादन में यह एक अग्रणी राज्य हो गया है। यहाँ देश की कुल सरसों के उत्पादन का 35 प्रतिशत अंश होने लगा है।

राज्य में जयपुर, अलवर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ जोधपुर, डूंगरपुर, झुन्झुनू, नोहर में सूती वस्त्रों के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। कोटा, भरतपुर व उदयपुर में चीनी मिलें लगाई जा सकती हैं। कोटा में वनस्पति घी का उद्योग व भरतपुर, अलवर, गगानगर व सवाई माधोपुर में खाद्य तेल मिलें स्थापित की जा सकती हैं। सम्पूर्ण राज्य में मक्का व बाजरे पर आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

5. पशु सम्पदा पर आधारित उद्योग (Animal Resources Based Industries) – राज्य में चमड़ा, ऊन, मांस, दूध व दूध से बने पदार्थ का आधार पशुधन है। पश्चिमी शुष्क मैदान के नगरों में चमड़ा उद्योग, डेयरी उद्योग, दूध पाउडर के उद्योग, मक्खन, पनीर व पशु आहार के उद्योगों की स्थापना की विपुल संभावनाएँ हैं। बीकानेर व जोधपुर में होजरी, ऊनी व चमड़े के कारखाने, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर में हड्डी पीसने के कारखाने तथा अलवर व उदयपुर में मछली

उद्योग का विकास किया जा सकता है।

6 वनों पर आधारित उद्योग (Industries Based on Forest) – राजस्थान में वनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की अच्छी समावनाएँ हैं। राज्य में दियासलाई उद्योग, कागज उद्योग, पैकिंग के कागज का उद्योग, टोकरी उद्योग, धनडा साफ करने का उद्योग, बीडी उद्योग, खस पर आधारित उद्योग, दही शराब उद्योग एवं इसी प्रकार के अन्य छोटे-बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

7 आधारभूत संरचना (Basic Structure)– किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की बहुलता के बीच यदि अद्य संरचना का अभाव हो तो संसाधन अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति निम्नलिखित है –

(i) विद्युत (Electricity) औद्योगीकरण में विद्युत का स्थान सर्वोपरि है। राजस्थान में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 3097 मेगावाट हो गई जबकि राज्य के गठन के समय मात्र 13 मेगावाट थी। प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग 29 यूनिट से बढ़कर 1998-99 में 307 यूनिट हो गया। उच्च प्रसारण लाइनों की दूरी जो वर्ष 1981-82 में 7,123 रुट किमी थी, अगस्त 1992 के अंत में बढ़कर 12,265 रुट किमी हो गई है। यह लम्बाई राज्य के गठन के समय शून्य थी। आज ई एच वी ग्रिड सत्र स्टेशनों की संख्या 132 है जो वर्ष 1949 में शून्य थी आज हमारे पास 3340 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जो 43 वर्ष पूर्व प्रायः नगण्य थे। वर्ष 1949 में मात्र 42 दस्तिया विद्युतीकृत थी जबकि 1997-98 के अंत में 35,215 ग्राम (88.5) विद्युतीकृत हो चुके हैं। उर्जाकृत कुओं की संख्या अगस्त, 1995-96 के अंत में 5,02,310 है यह राज्य के गठन के समय शून्य थी।¹

(ii) सड़कें (Roads) राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की लम्बाई अग्रकित है

राजस्थान में सड़कें

सड़क	लम्बाई (किमी)		
	1992-93	1998-99	1999-2000
1 राष्ट्रीय राजमार्ग	2,846	2,964	2,964
2 राज्यीय राजमार्ग	7,151	9,990	9,966
3 मुख्य जिला सड़कें	3,638	5,789	5,947
4 अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कें	45,646	63,976	66,395
5 सीमावर्ती सड़क	2,239	2,239	2,239

स्रोत 1 आय व्ययक अध्ययन 1994-95

2 आर्थिक समीक्षा 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

(iii) शिक्षा (Education) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश मे "निरक्षरता छोड़ो अभियान" चलाया जा रहा है। हाल ही के वर्षों में साक्षरता में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। राज्य मे 1951 मे साक्षरता का प्रतिशत 8.95 था वह बढ़कर 1961 मे 15.21 प्रतिशत, 1971 मे 19.07 प्रतिशत तथा 1981 में और बढ़कर 23.38 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1991 में 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता बढ़कर 38.55 प्रतिशत हो गई। पुरुषों मे साक्षरता 54.99 प्रतिशत तथा महिलाओं में 20.44 प्रतिशत रही।¹⁴ साक्षरता की यह स्थिति अन्य राज्यों की तुलना मे काफी दयनीय है।

(iv) चिकित्सा (Medical) राज्य मे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों मे चिकित्सा सुविधा का तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्ष 1995-96 मे शहरी क्षेत्रों मे 205 अस्पताल, 278 डिस्पेन्सरिज, 92 एम सी डब्लू केन्द्र, 13 एडपोस्ट तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे 14 अस्पताल, 1,596 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 26 एम सी डब्लू केन्द्र थे। वर्ष 1995-96 मे राजकीय चिकित्सा संस्थाओं मे 36712 बेड थे।¹⁵

(v) संचार (Communication) तीव्र गति से औद्योगीकरण के लिए संचार साधनों की प्रभावी भूमिका होती है। मार्च, 1993 तक राज्य की सभी तहसील मुख्यालयों को एस टी डी से जोड़ा जाना प्रस्तावित था। राज्य के सभी जिला मुख्यालय एस टी डी से जोड़े जा चुके हैं। वर्ष 1995-96 मे राजस्थान मे 10,289 पोस्ट-ऑफिस, 2,280 टेलिग्राफ ऑफिस, 1,441 टेलीफोन एक्सचेंज तथा 12,274 सार्वजनिक कॉल ऑफिस थे।

(vi) आवास (Housing) जनसंख्या व आर्थिक दबावों के बावजूद राजस्थान सरकार लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवास सुविधाओं के निर्माण का वृहद् कार्यक्रम चला रही है। राजस्थान आवासन मंडल कमजोर वर्गों को, अल्प आय एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध करवा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल ने वित्त वर्ष 1998-99 मे (दिसम्बर 1998 तक) 1,243 मकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इसके अलावा पूर्ण निर्मित मकान 2,294, आवंटित मकान 858, मकानों को कब्जा दिया 1,973, राजस्थान आवासन मंडल को 93 करोड रुपए की प्राप्ति हुई।¹⁶ राजस्थान आवास मंडल द्वारा 30 मार्च 1992 तक एक लाख 4 हजार मकान पूर्ण किये गये तथा इनमे से एक लाख दो हजार 570 मकानों का आबटन सभी आय वर्गों के लोगों को किया जा चुका था। आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) ने राजस्थान मे 1989-90 मे 29.17 करोड रुपए का निवेश किया, जो 1990-91 में 35.15 करोड रुपए तक जा पहुचा। हुडको द्वारा वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रारम्भ तक 410 आवासीय योजनाओं मे 1 लाख 24 हजार 880 मकान विभिन्न शहरों मे बनाने के लिए स्वीकृत किए। इंदिरा आवास योजना मे वर्ष 1991-92 मे 9.66 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना मे फरवरी, 1992 तक 11,368 आवासों का निर्माण किया गया। मानसरोवर का विकास व परिवर्तन एक अनूठी योजना है।¹⁷

(vii) बैंकिंग (Banking) वर्ष 1987 में राजस्थान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के 2687 कार्यालय थे जिनमें जमा 2,60,218 लाख रुपए व अग्रिम 1,74 235 लाख रुपए थे। प्रति व्यक्ति जमा 646 रुपए व प्रति व्यक्ति अग्रिम 433 रुपए थे।⁸ राज्य में सितम्बर 1998 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंको की संख्या 6.4 थी प्रति व्यक्ति बैंक जमा 3,582 रुपए तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 1,595 रुपए था।⁹

8 उद्यमी (Industrialists) राजस्थान में जन्मे उद्यमियों ने देश के औद्योगीकरण में प्रभावी भूमिका निभाई है। बिडला, पोद्दार, गोलेछा, साहू, जैन आदि राज्य के बड़े उद्यमी हैं, यदि ये वाहे तो रातो-रात राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं।

9 औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Zones) - रीको द्वारा राज्य में वर्ष 1991-92 में 187 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए जिनसे संबंधित तथ्य निम्नांकित है¹⁰—

अधिग्रहित भूमि	27,795 40 एकड़
विकसित भूमि	18,754 82 एकड़
नियोजित भूखण्डों की संख्या	25854 00
विकसित भूखण्डों की संख्या	20,185 00
आवृत्त भूखण्ड	22,110 00
उत्पादन में सलग्न इकाइया	9,797 00

रीको ने दिसम्बर 1998 तक 270 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया एवं वित्त वर्ष 1998-99 में (दिसम्बर 1998 तक) 800 एकड़ भूमि अवाप्त की। रीको ने बैंकिंग संस्था के रूप में वृहद् एवं मध्यम उद्योगों के विकास वास्ते वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवायी है। वर्ष 1998-99 के दौरान (दिसम्बर 1998 तक) 63 14 करोड़ रुपए की सावधि ऋण सहायता स्वीकृत की एवं 38 14 करोड़ रुपए का वितरण किया गया।

10 विकास केन्द्र (Growth Centre) 'ग्रोथ सेन्टर' - विकास केन्द्र केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है तथा ये केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं मापदंडों के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 8 मिनम्बर 1988 को राजस्थान के लिए 4 विकास केन्द्र आवृत्त किए थे। राज्य सरकार ने 8 विकास केन्द्रों के प्रस्ताव भेजे थे, वे थे भरतपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, सिरौही, अजमेर एवं अलवर। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 8 जिलों में से भारत सरकार द्वारा बीकानेर, झालावाड़, भीलवाड़ा एवं आबू रोड (सिरौही) जिलों को विकास केन्द्र हेतु चयनित कर 20 अक्टूबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार के प्रयासों से भरतपुर के समीपवर्ती जिले धौलपुर को भारत सरकार द्वारा

10 फरवरी 1992 को विकास केन्द्र घोषित किया।¹³

प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए तीन वर्ष की अवधि में 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रमुख उद्देश्य परियोजना और प्रायोजक के लिए सभी सभ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।¹⁴ चार विकास केन्द्रों में वर्ष 1993-94 के दौरान कार्य प्रगति पर रहा। प्रथम चरण में वर्ष के दौरान इन चार विकास केन्द्रों पर 1985 बीघा भूमि के प्रस्तावित लक्ष्य के मुकाबले 1,857 बीघा भूमि अधिग्रहित आवंटित की जा चुकी है। मार्च 1994 के अन्त तक 15 करोड़ रुपए की राशि व्यय किए जाने का अनुमान था।¹⁵

11 लघु विकास केन्द्र (Mini Growth Centre) – जोधपुर व उदयपुर दो लघु विकास केन्द्र के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई।¹⁶ दोनों लघु विकास केन्द्र के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए की मदद व सिडबी से 2 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान है।¹⁷ राजस्थान में रीको द्वारा 4 एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र (मिनी ग्रोथ सेन्टर) यथा जोधपुर, नागौर, निवाई, कालडवास्त स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक की लागत 5 करोड़ रुपए है। दिसम्बर 1998-99 तक केन्द्रों के क्रियान्वयन पर 655 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।¹⁸

राजस्थान में विद्यमान प्राकृतिक संपदा का समुचित विदोहन किया जाए तो यह राज्य देश के अन्य औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यों के समकक्ष आकर खड़ा हो सकता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह यहाँ की विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक वित्तीय ससाधनों का आवंटन करे जिससे तीव्र विकास की गति सुनिश्चित की जा सके।

सन्दर्भ

- 1 *Basic Statistics*, 1997, Rajasthan
- 2 *पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्वे*, 1987-88
- 3 *नवभारत टाइम्स*, 20 जनवरी, 1992
- 4 *पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्वे*, 1987-88
- 5 *हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड*, रजत जयती वर्ष, 1966 91
- 6 *नवभारत टाइम्स*, 18 मई 1992
- 7 *वही*, 6 जुलाई 1992
- 8 *वही*।
- 9 *वही*, 6 जुलाई 1992
- 10 *वही*।
- 11 *आर्थिक समीक्षा*, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 12 *वही*।
- 13 *नवभारत टाइम्स*, 6 जून 1992

- 14 वही, रेस्पोज परिशिष्ट, 23 सितम्बर 1992
- 15 वही, 30 मार्च 1992
- 16 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 17 इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99
- 18 नवभारत टाइम्स, 31 जनवरी 1993
- 19 नवभारत टाइम्स, 30 मार्च 1992
- 20 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 21 मरु व्यवसाय चक्र, प्रवेशक।
- 22 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 23 नवभारत टाइम्स, 23 सितम्बर 1992, रेस्पोज परिशिष्ट तथा आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 24 पापूलेशन ऑफ राजस्थान, 1991, पृ 6
- 25 बेसिक स्टेटिस्टिक्स, 1997, राजस्थान।
- 26 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 27 नवभारत टाइम्स, 30 मार्च 1992
- 28 बेसिक स्टेटिस्टिक्स, 1988, राजस्थान।
- 29 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 30 रीको न्यूज लेटर, सितम्बर 1992
- 31 नवभारत टाइम्स, 17 मार्च 1992
- 32 रीको न्यूज लेटर, सितम्बर 1992
- 33 आय-व्ययक अध्ययन, राजस्थान, 1994-95
- 34 रीको न्यूज लेटर, जनवरी 1993
- 35 नवभारत टाइम्स, 17 मार्च 1992
- 36 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 नियोजन काल में राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कितना व्यय किया गया।
- 2 राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए।
- 3 राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।
- 4 राजस्थान में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर टिप्पणी लिखिए।
- 5 राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

नियन्त्रात्मक प्रश्न -

- 1 पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कितना व्यय किया गया। योजनाकाल में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दिए गए पंचवर्षीय योजनाओं में

औद्योगिक विकास के व्यय को बताना है तथा दूसरे भाग में योजनाकाल में औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों को लिखना है।)

- 2 स्वातन्त्र्योत्तर राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख उपलब्धियाँ बताइए। औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका की विवेचना कीजिए।

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में औद्योगिक विकास की उपलब्धियाँ तथा दूसरे भाग में औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका लिखनी है।)

- 3 राजस्थान के प्रमुख बड़े व मध्यम उद्योगों के विकास व समस्याओं पर प्रकाश डालिये।

(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए राज्य के प्रमुख उद्योगों का विकास और उनकी समस्याओं को लिखना है।)

- 4 राजस्थान में औद्योगिक विकास की स्थिति तथा भावी सम्भावनाओं पर प्रकाश डालिए और औद्योगिक विकास की बाधाओं का विवेचन कीजिए।

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में अध्याय में दी गई औद्योगिक विकास की स्थिति तदुपरांत औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाओं को लिखना है। प्रश्न के तीसरे भाग में औद्योगिक विकास की बाधाओं को बताना है।)

- 5 राजस्थान में औद्योगिक विकास वारंसे राजकीय सुविधाओं और रियायतों का वर्णन कीजिए।

(संकेत - प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए औद्योगिक विकास में राजकीय प्रयास को लिखना है।)

- 6 राजस्थान की औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

(संकेत - अध्याय में दी गई राज्य की औद्योगिक नीति का वर्णन तथा समीक्षा लिखनी है।)

- 7 राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं। विकास हेतु सुझाव दीजिए।

(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में औद्योगिक विकास की बाधाएँ तथा दूसरे भाग में विकास हेतु सुझाव लिखने हैं।)

राजस्थान में लघु उद्योग (Small Scale Industries in Rajasthan)

सरकार के द्वारा समय-समय पर लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन किया जाता रहा है। नई लघु औद्योगिक नीति जुलाई 1991 में लघु उद्योगों की दी गई परिभाषा निम्न प्रकार थी -

- 1 अति लघु क्षेत्र के उद्योगों में प्लाट व मशीनरी में निवेश सीमा 2 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रूपए कर दी है। इस मामले में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वह उद्योग किस जगह लगाया गया है।
- 2 लघु क्षेत्र में प्लाट व मशीनरी में निवेश सीमा 60 लाख रूपए कर दी है।
- 3 सहायक उद्योगों तथा निर्यात-मुखी इकाइयों की प्लाट व मशीनरी में पूंजी निवेश सीमा क्रमशः 75-75 लाख रूपए तक बढ़ाने की घोषणा की जा चुकी है।

लघु उद्योग की नई परिभाषा - 29 अप्रैल 1998 को केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों का संरक्षण देने के प्रयास में लघु उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा तीन करोड़ रूपए से घटाकर एक करोड़ कर दी। एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि लघु उद्योग क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक बनाया जाएगा और इसमें उद्योग से सम्बद्ध सभी सेवाएँ तथा व्यापारिक उद्यमियों को शामिल किया जाएगा चाहे वे कहीं भी स्थापित किए हुए हों। उन्हें अब लघु उद्योगों के रूप में मान्यता दी जायेगी और उनकी निवेश सीमा अत्यन्त लघु उद्योगों के अनुसार होगी। 7 फरवरी 1997 को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने लघु उद्योग निवेश की मौजूदा 60 लाख रूपए की सीमा को बढ़ाकर 300 लाख रूपए कर दिया था। बड़ी सीमा निर्यात-मुखी इकाइयों पर भी लागू होगी। घरेलू इकाइयों की निवेश सीमा को 5 लाख रूपए कर दिया गया है।

लघु उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहां फैक्ट्री व गैर फैक्ट्री क्षेत्र में इकाइयों की संख्या काफी है किन्तु मध्यम पैमाने के उद्योगों का अभाव है। कृषि पदार्थों पर आधारित लघु उद्योगों में वनस्पति तैल/घी उद्योग गुड

व खाडसारी की इकाइया, हाथ करघा उद्योग, दाल फैक्ट्रिया, बैकरी व कन्फैक्शनी की इकाइया, कपास की जिनिंग व प्रेसिंग इकाइया, दरी व निवार बनाने की इकाइया, आदि आती है। पशु आधारित लघु उद्योगों में दुग्ध पदार्थ, चमड़े-खाल, हड्डिया, ऊनी वस्त्र आते हैं। खनिज पदार्थ आधारित उद्योग में मूर्तिया, पीतल तावे व सोने चांदी के बर्तन, लोहे के कृषिगत औजार आदि आते हैं तथा वन आधारित उद्योगों में लकड़ी के खिलौने, बीडी उद्योग, कत्था, गोद व लाख के उपयोग के कारखाने माचिस व फर्नीचर बनाने की इकाइया आदि आती हैं।

राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास

वर्ष	पजीकृत इकाइयो की संख्या	रोजगार (संख्या में)	विनियोजित पूंजी (लाख रुपए)
1975-76	20,102	1,37,171	7,237 29
1976-77	22,946	1,56,682	8,723 27
1977-78	36,342	1,78,933	9,814 62
1978-79	31,292	2,03,819	12,076 58
1979-80	38,145	2,33,097	14,560 39
1980-81	47,718	2,70,268	20,865 02
1981-82	70,122	3,25,953	26,628 56
1982-83	88,201	3,70,510	32,845 42
1983-84	1,01,081	4,04,633	37,698 78
1984-85	1,13,241	4,37,247	43,181 96
1985-86	1,24,539	4,67,933	48,781 91
1986-87	1,31,330	4,88,036	53,352 11
1987-88	1,37,412	5,09,123	60,291 52
1988-89	1,43,265	5,30,110	68,428 72
1989-90	1,48,353	5,49,487	76,152 59
1990-91	1,53,060	5,70,866	85,993 30
1997-98	1,93,000	7,50,000	2,25,000 00
1999-2000	2,08,497	8,12,000	2,83 875 00

- स्रोत 1 निदेशक, उद्योग निदेशालय, राज जयपुर क्रमांक एफ/पर्स/मिस/91-92/4492 दिनांक 25-4-92
 2 आय व्ययक अध्ययन, 1994-95
 3 आर्थिक समीक्षा 1999-2000, राजस्थान सरकार।

लघु उद्योगों का विकास (Development of Small Scale Industries)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का रोजगार, विनियोजन और उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। स्वातंत्र्योत्तर सरकार द्वारा ध्यान

केन्द्रित किए जाने के कारण लघु उद्योगों का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। राजस्थान में लघु उद्योगों का विकास निम्नलिखित है -

1 लघु उद्योगों की संख्या (Number of Small Scale Industries) - लघु उद्योगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों की संख्या में 1975-76 में 20,102 थी जो बढ़कर 1990-91 में 1,53,060 हो गई। विगत पन्द्रह वर्षों में लघु उद्योगों की संख्या में साढ़े सात गुना वृद्धि हुई। लघु उद्योगों की संख्या 1997-98 तक और बढ़कर 1,93,000 हो गई। वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक लघु उद्योगों की संख्या में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई।

2 रोजगार (Employment) - रोजगार की दृष्टि से लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण उपादेयता है। राज्य में लघु उद्योगों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। राजस्थान के लघु उद्योगों में 1975-76 में 1,37,171 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या बढ़कर 1990-91 में 5,70,866 हो गई। विगत पन्द्रह वर्षों में लघु उद्योगों में रोजगार में लगभग चार गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 में लघु उद्योगों में 7,50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वर्ष 1990-91 से 1997-98 के बीच रोजगार में 31.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3 विनियोजित पूंजी (Employed Capital) - राजस्थान के लघु उद्योगों में 1975-76 में 7,23,73 लाख रुपये की पूंजी विनियोजित थी जो 1990-91 में बढ़कर 85,92,33 लाख रुपये तथा 1997-98 में और बढ़कर 2,25,000 लाख हो गई। विनियोजित पूंजी में 1990-91 से 1997-98 के बीच 162 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4 उत्पादन में वृद्धि (Increase in Production) - लघु उद्योगों की संख्या और उन्में पूंजी विनियोजन से उत्पादन में वृद्धि हुई। लघु उद्योगों का उत्पादन 1990-91 में लगभग 125 करोड़ रुपये था जो 1997-98 में बढ़कर 220 करोड़ रुपये (अनुमानित) हो गया। वर्ष 1990-91 से 1997-98 के बीच उत्पादन में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 1998-99 के दौरान लघु एवं दस्तकारी उद्योगों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। माह दिसम्बर 1998 तक 5,400 इकाइयों के लक्ष्यों के सापेक्ष 5,160 इकाइयां पंजीकृत हुई हैं, जिनमें 224.33 करोड़ रुपये के विनियोजन से 22,350 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।²

राजस्थान के लघु उद्योग इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ऋणों पर ब्याज की अत्यधिक दरें, पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या तथा उद्योग विभाग की निरुत्साहित करने वाली कार्यप्रणाली आदि हैं। राज्य सरकार अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इनके विकास के प्रति प्रयासरत है। हाल ही में सरकार के प्रयत्न से लघु उद्योगों के विकास हेतु अच्छा वातावरण बाने लगा है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार अपने प्रयास द्वारा ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए कटिबद्ध है।

राजस्थान में हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग
(Handicrafts, Khadi and Village Industries in Rajasthan)

हस्तशिल्प उद्योग (Handicraft Industries) - हस्तशिल्प उद्योग को पर्यटन उद्योग के विकास का विकल्प माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। पर्यटक शिल्पकला की ओर आकृष्ट होते हैं, और अपने घर के किसी कोने में सजावट के लिए शिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पाद को खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कारीगर हाथ के औजारों से ऐसी अनोखी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिन्हें मशीनों द्वारा निर्मित किए जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। विदेशी माल की चकाचौंध में देशी प्राचीन कलात्मक वस्तुओं के प्रति, देशी विदेशी पर्यटकों के बढ़ते आकर्षण से हस्तशिल्प उद्योग के प्रोन्नत होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

राजस्थान अतीत से ही हस्तशिल्प उद्योग का प्रमुख केन्द्र रहा है, यहाँ की निर्मित कलात्मक कृतियाँ देश-विदेश में विख्यात हैं। यहाँ हस्तशिल्प उद्योग को अधिकांशतः पुरतैनी धन्धे के रूप में अपनाया जाता है, बढ़ती सरकारी सहायता और विदेशी मुद्रा के आकर्षण से हाल के वर्षों में नए उद्यमी भी आकर्षित होने लगे हैं। आज यह उद्योग राजस्थान के लाखों लोगों के जीवन बसर का साधन तथा राज्य सरकार की आय प्राप्ति का मुख्य स्रोत बन चुका है।

हस्तशिल्प के अद्भुत नमूने (Strange Items of Handicrafts) - राजस्थान के शिल्पकार हस्तकौशल और चातुर्य से निर्जीव में हर रोज प्राण फूँकते हैं। यहाँ की अद्भुत कला ने राजस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उभारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मोलेला (उदयपुर) की मृणकला वाकई हाथों का कमाल और जादुई है। यहाँ के कुम्हारों का मूर्ति कला पर विशेष अधिकार है। जयपुर न केवल राजस्थान का वरन भारत का हस्तशिल्प उद्योग का बड़ा केन्द्र है, यहाँ की बधेज की चुनरियों, ओढ़नियों, लहरियों, बगरु व साँगानेरी प्रिन्ट काफी प्रसिद्ध है। जयपुर की 'पाव रजाई' को देशी-विदेशी पर्यटक बड़े चाव से खरीदते हैं। इनके अलावा जयपुर में मूल्यवान रत्नों एवं सोने-चादी आदि बहुमूल्य धातुओं के आभूषण, पीतल पर खुदाई, मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी घूँडियाँ, सगमरमर की मूर्तियाँ, कारीगरी युक्त मोजडिया व नागरे, ब्ल्यू पोटरी, मृण कला, लकड़ी के खिलौने व हाथी दात की वस्तुएँ आदि राजस्थानी शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। जयपुर निर्मित राजस्थान के आभूषण व जवाहरात विश्व प्रसिद्ध हैं।

उदयपुर की मृण कला व जयपुर की बहुआयामी हस्तशिल्प के अलावा प्रतापगढ़ की काच पर सोने की नक्कासी (धेवा कला), अलुवर का पतली परतदार बर्तन कागजी, जोधपुर का 'बादला', नाथद्वारा की कोस्टयूम ज्वेलरी, सवाईमाधोपुर में लकड़ी पर खुदाई का काम व हाथ से बना कागज, उदयपुर के लकड़ी के खिलौने, सिरौही व नागौर के लोहे के औजार, बीकानेर की लोइयों व कालीन, मालपुरा के कच्चल व मोठडे, कोटा की डोरिया व मसूरियों, मकराना की कलात्मक मूर्तियाँ तथा

जैसलमेर में जाली के कपड़े पर हाथ की छपाई आदि हस्तशिल्प के निर्माण में राजस्थान विश्व में अनुपम स्थान रखता है।

राजस्थान के शिल्पकार बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण की समस्या से ग्रसित है। इसके अलावा शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण का मुकम्मल इन्तजाम भी प्रान्त में नहीं है। शिल्पकारों की दशा में सुधार के लिए इनका सगठित होना आवश्यक है। शिल्पकारों को स्वनिर्मित वस्तुएँ सहकारी समितियों तथा विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से विक्रय करनी चाहिये। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन तथा कला के विकास की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1984 से प्रारम्भ राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना एक सराहनीय प्रयास है। इस योजना को और अधिक व्यापक करके हस्तशिल्पियों को लाभान्वित किया जा सकता है।

खादी उद्योग (Khadi Industries) — राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खादी उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह एक परम्परागत उद्योग है जिसमें काफी संख्या में स्त्री-पुरुषों को कृषि एवं पशुपालन के पश्चात् पूर्णकालिक एवं अशकालिक रोजगार मिला हुआ है। इसके अन्तर्गत सूती, ऊनी व रेशमी खादी को सम्मिलित किया जाता है। सम्पूर्ण देश का 45 प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान में ही होता है। 1988 में राजस्थान में भेड़ों की संख्या 99 लाख थी।

वर्तमान में राजस्थान में ऊनी, सूती, सिलकेन तथा पाली खादी का उत्पादन होता है। खादी का कुल उत्पादन 1985-86 में 1,887 लाख रुपए था जो 1995-96 में बढ़कर 3,942 लाख रुपए हो गया। खादी के कुल उत्पादन में एक दशक में दो गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1995-96 में सूती खादी का उत्पादन 1,532 लाख रुपए, ऊनी खादी का उत्पादन 2,134 लाख रुपए, पाली खादी का उत्पादन 274 लाख रुपए तथा सिलकेन खादी का उत्पादन 24 लाख रुपए था। वर्ष 1997-98 में खादी का उत्पादन 4,300 लाख रुपए था। खादी का उत्पादन दिसम्बर 1998-99 में 2,100 लाख रुपए रहा।

बिक्री — 1979-80 में ऊनी खादी की खुदरा बिक्री 235.89 लाख रुपए व सूती खादी की 422.22 लाख रुपए थी जो बढ़कर 1988-89 में क्रमशः 838.61 लाख रुपए और 998.49 लाख रुपए हो गई। खादी की कुल बिक्री 1994-95 में 7,347 लाख रुपए तथा 1995-96 में 8,906 लाख रुपए थी। 1995-96 में खादी की थोक बिक्री 5,132.2 लाख रुपए तथा खुदरा बिक्री 3,774 लाख रुपए थी।

मजदूरी — मजदूरी का भुगतान ऊनी व सूती खादी के लिए 1979-80 में 436.99 लाख रुपए तथा 1988-89 में 883.77 लाख रुपए का किया गया।

रोजगार — खादी उद्योग में काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। खादी उद्योग में 1979-80 में 130 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। खादी उद्योग में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या बढ़कर 1985-86 में 142 लाख, 1990-91 में 158 लाख तथा 1992-93 में और बढ़कर 159 लाख हो गई।

समस्या — खादी उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। रगों की खरीद में अनियमितताएँ की घटनाएँ सामने आती रहती हैं। प्रबन्धकीय व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण ये संस्थाएँ अधिक लाभ बटोरने में सफल नहीं हो सकी हैं। खादी उद्योग विकास के लिए भेड़ बहुत क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पर बल दिया जाना चाहिए।

ग्रामोद्योग (Village Industries)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन से पूर्व राज्य में ग्रामोद्योग का कोई संगठन नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया। आज बोर्ड अपने क्रियाकलापों के कारण ग्रामीण खुशहाली का प्रतीक बना गया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 96 ग्रामोद्योगों की सूची में से राजस्थान में 18 ग्रामोद्योग लिए गए हैं। जिनके विकास के लिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के 18 ग्रामोद्योगों के नाम निम्न प्रकार हैं—

1 अनाज दाल प्रशोधन, 2 घाणी तेल, 3 गुड़, खाडसारी, 4 ताड़ गुड़
5 कुटीर दियासलाई एवं अगरबत्ती, 6 अखाद्य तेल व साबुन 7 बांस बेत 8 हाथ कागज 9 मधुमक्खी पालन 10 कुम्हारी 11 चर्म उद्योग 12 लुहारी सुथारी 13 रेशा 14 कली चूना 15 फल प्रशोधन 16 वन औषधि 17 एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन 18 पोली वस्त्र

1. ग्रामोद्योग इकाइया — बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग विकास कार्य अपने हाथ में लेने के बाद राज्य में ग्रामोद्योग की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाइया 1979-80 में 12,622 थी जो बढ़कर 1985-86 में 72,212 तथा 1990-91 में और बढ़कर 1.19 लाख हो गई। वर्ष 1990-91 में कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाइयों में 260 संस्थाएँ, 1,561 समितियाँ तथा 1,17,268 व्यक्तिगत इकाइयाँ थी।¹

2. ग्रामोद्योग उत्पादन — राजस्थान में ग्रामोद्योगों का उत्पादन 1979-80 में 1,360 लाख रूपए था जो 1985-86 में बढ़कर 8,992 लाख रूपए हो गया। ग्रामोद्योग उत्पादन 1990-91 में बढ़कर 18,338 लाख रूपए हो गया। ग्रामोद्योग उत्पादन 1997-98 में 34,034 लाख रूपए तक जा पहुँचा। ग्रामोद्योग उत्पादन के मार्च 2000 तक 450 करोड़ रूपए तक पहुँचने की संभावना है।

3. ग्रामोद्योग रोजगार — ग्रामोद्योग की रोजगार संख्या 1979-80 में 41,804 थी जो बढ़कर 1985-86 में 1,95,911 तथा 1990-91 में और बढ़कर 2,97,654 हो गई। ग्रामोद्योग में वर्ष 1997-98 के दौरान 32,188 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा वर्ष 1998-99 में 45,000 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।²

3 कुल विक्रय - 1979-80 में ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 1,51,776 लाख रूपए थी जो बढकर 1988-89 में 17,53,909 लाख रूपए हो गई। वर्ष 1979-80 में कुल दरतकारी आय 294.68 लाख रूपए से बढकर 1988-89 में 6,174.58 लाख रूपए हो गई। ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 1994-95 में 31,946 लाख रूपए तथा 1995-96 में 35,768 लाख रूपए थी।

ग्रामोद्योगों के सगठन, वित्त व्यवस्था, उत्पादन विधि व तकनीक, विक्रय और औजारों के वितरण आदि की व्यवस्था में सुधार कर इनका तीव्र गति से विकास किया जा सकता है।

सन्दर्भ

- 1 नई औद्योगिक नीति, डी ए वी पी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अगस्त 1991
- 2 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 3 राजस्थान में खादी एव ग्रामोद्योग की दशक (1980-89) में प्रगति।
- 4 Basic Statistics, Rajasthan, 1997
- 5 राजस्थान में खादी एव ग्रामोद्योग की दशक (1980-89) में प्रगति।
- 6 खादी ग्रामोद्योग - प्रवृत्तियाँ और प्रगति, 1991-92
- 7 वही।
- 8 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 लघु उद्योगों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
- 2 राजस्थान में लघु उद्योगों की प्रगति संक्षेप में समझाइए।
- 3 राजस्थान में हस्तशिल्प की प्रगति बताइए।
- 4 खादी की प्रगति के आयामों की विवेचना कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 राजस्थान के ग्रामोद्योगों का विवरण दीजिए। इनमें मुख्यतः किन वस्तुओं का निर्माण होता है।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में ग्रामोद्योगों की प्रगति लिखनी है तथा दूसरे भाग में ग्रामोद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को बताना है।)
- 2 लघु उद्योग किसे कहते हैं। राजस्थान के लघु उद्योगों की प्रगति का विवेचन कीजिए।
(संकेत - प्रश्न के प्रथम भाग में लघु उद्योगों का अर्थ तथा दूसरे भाग में राज्य में लघु उद्योगों की प्रगति लिखनी है।)
- 3 राजस्थान में लघु, खादी तथा ग्रामोद्योगों की प्रगति का विवेचन कीजिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गये लघु, खादी तथा ग्रामोद्योग की प्रगति को लिखना है।)

राजस्थान में ऊर्जा विकास (Power Development in Rajasthan)

ऊर्जा की खपत प्रगति की माप का बैरोमीटर है। हाल ही के वर्षों में ऊर्जा की माग में तीव्र वृद्धि हुई है। आर्थिक उदारीकरण के कारण विदेशी निवेशकों के आकर्षित होने से भविष्य में औद्योगिक विकास के गति पकड़ने की संभावना है। औद्योगीकरण के बढ़ने से आधारभूत संरचना के विकास की अधिक आवश्यकता होगी। राजस्थान में ऊर्जा का अभाव आर्थिक विकास के क्षेत्र में बड़ी बाधा है। राज्य में ऊर्जा की माग के अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ा है। राजस्थान सरकार सन 2000 तक ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। विगत वर्षों में सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की हैं तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आमंत्रित किया है। राजस्थान में वित्तीय संसाधनों का अभाव है। अतः ढांचागत निवेश विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य की वार्षिक योजनाओं में ऊर्जा विकास शीर्ष पर उद्व्यय (Outlay) में वृद्धि की जानी चाहिए। राजस्थान में ऊर्जा विकास के क्षेत्र में केन्द्रीय पूंजी निवेश अत्यल्प है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

राजस्थान में ऊर्जा का विकास (Power Development in Rajasthan)
— ऊर्जा विकास का पर्याय है। धीमे औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण ऊर्जा की कमी है। हाल के वर्षों में ऊर्जा की माग तीव्रता से बढ़ी है किन्तु बढ़ती माग के अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ने से राजस्थान में ऊर्जा की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है।

राजस्थान को जुलाई 1995 में 4,500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी परन्तु काफी प्रयासों के बाद 3,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो पाई है।¹ दिसम्बर 1996 में बिजली सप्लाय के कारण बड़े उद्योगों पर 75 फीसदी कटौती लागू की गई। गांवों में 6 घंटे बिजली दी गई तथा शहरों में तीन घंटे की कटौती की गई।²

पंजाब के विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष ए एस चड्ढा के अनुसार राजस्थान में कोई उच्च क्षमता का विद्युत स्टेशन नहीं होने के कारण राय 6 बजे से 9 बजे तक बिजली की घरेलू खपत का अत्यधिक दबाव बढ़ता है। दिन की खपत की अपेक्षा 300 से 350 मेगावाट बिजली खर्च होती है। पंजाब में बिजली का अतिरिक्त उत्पादन होने के कारण पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड राजस्थान को प्रतिदिन दिन के समय 60 हजार यूनिट बिजली बेचता है।

1 **नेफ्ता पर आधारित विद्युत (Power Based on NEFTA)** – केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 1996 में राजस्थान को 1415 मेगावाट बिजली पैदा करने जितना नेफ्ता आवंटित किया है। इससे राज्य में नेफ्ता आधारित विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र स्थापित होने की संभावना बड़ी। राजस्थान विद्युत मंडल ने 1996 में नेफ्ता एव फर्नेस ऑइल आधारित 16 विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौते किए। इन परियोजनाओं के माध्यम से 3,300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इनमें से 2 700 मेगावाट बिजली नेफ्ता आधारित एव 600 मेगावाट फर्नेस ऑयल आधारित परियोजनाओं से मिलने की संभावना है। धोलपुर की 800 मेगावाट की बड़ी परियोजना के शीघ्र चालू होने की संभावना है।

2 **विद्युत विकास पर योजना परिध्वय (Plan Outlay on Power Development)** – राजस्थान में ऊर्जा की कमी और विकास में विद्युत की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध विकास में ऊर्जा पर भारी दिनियोजन किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय इस प्रकार है – पाचवी योजना 249 करोड़ रूपए, छठी योजना 566 करोड़ रूपए, सातवी योजना 9278 करोड़ रूपए। आठवी योजना में ऊर्जा पर 3,255 करोड़ रूपए व्यय का प्रावधान किया गया है जो कि कुल योजना परिव्यय 11,500 करोड़ रूपए का 28.3 प्रतिशत था। आठवी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी ऊर्जा विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास शीर्ष पर 6 535 करोड़ रूपए उद्व्यय का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना उद्व्यय का 23.6 प्रतिशत है। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में ऊर्जा पर 954 करोड़ रूपए उद्व्यय प्रस्तावित है जो वार्षिक योजना का 19 प्रतिशत है।

3 **राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ (Major Power Projects of Rajasthan)** – योजनाबद्ध विकास में राजस्थान में कई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई। राजस्थान में 1992-93 में 10 विद्युत घर (Power Houses) थे जिनकी संस्थापित क्षमता 7,99,815 किलोवाट थी। कोटा के विद्युत घरों की क्षमता 6 40 000 किलोवाट, माही के तीन विद्युत घरों की क्षमता 1,40 165 किलोवाट सूरतगढ़ विद्युत घर की क्षमता 4000 किलोवाट भागरोल विद्युत घर की क्षमता 6 000 किलोवाट तथा पूंगल विद्युत घर की क्षमता 650 किलोवाट थी।

कोटा तापीय विद्युत गृह (Kota Thermal Power House)⁵ – कोटा तापीय विद्युत गृह को उत्पादन के लिए पूर्व में पांच बार उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वर्ष 1993-94 में 8096 प्रतिशत का रिकार्ड पी एल एफ प्राप्त कर विद्युत गृह पुन उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार का पात्र था। सितम्बर 1994 के अन्त तक राज्य में विद्युत ऊर्जा की कुल उपलब्धि 7414 करोड यूनिट रही। मार्च 1994 के अंत में कोटा तापीय विद्युत गृह 210 मेगावाट क्षमता की पाचवी इकाई बनकर तैयार हुई।

4 निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाए (Power Project under Construction)

– राजस्थान में दिसम्बर 1994 में सूरतगढ तापीय विद्युत गृह प्रथम चरण (2×250 मेगावाट), रामगढ गैस परियोजना 355 मेगावाट निर्माणाधीन परियोजनाए थी।
- रामगढ गैस परियोजना (3 मेगावाट) से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

प्रस्तावित विद्युत परियोजनाए (Proposed Power Projects) – राजस्थान की दिसम्बर 1994 में प्रस्तावित विद्युत योजनाए इस प्रकार थी –

- 1 बरसिंगसर लिग्नाइट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजन 2×240 मेगावाट
- 2 सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना, द्वितीय चरण 2×250 मेगावाट।
- 3 कपूरडी जालीया लिग्नाईट खनन एव विद्युत उत्पादन परियोजना।
- 4 धौलपुर तापीय विद्युत गृह 750 मेगावाट।
- 5 मथानिया में सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत गृह।
- 6 कोटा तापीय विद्युत गृह की छठी इकाई 1×120 मेगावाट।
- 7 चित्तौडगढ तापीय विद्युत गृह 500 मेगावाट।
- 8 डीजल व अन्य ईंधन पर आधारित विद्युत गृह।

5 मथानिया परियोजना (Mathania Project) – केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 27 अगस्त, 1999 को जोधपुर जिले के मथानिया गाव में स्थापित होने वाली 140 मेगावाट के एकीकृत सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना को मजूरी दी। प्राधिकरण की तकनीकी व आर्थिक स्वीकृति मिल जाने से इस परियोजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मथानिया परियोजना में 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर तापीय तकनीक तथा शेष 105 मेगावाट बिजली पारम्परिक नेथ्या गैस मिश्रित चक्रीय तकनीक से बनेगी यह परियोजना विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें सौर तापीय तकनीक को परम्परागत मिश्रित चक्रीय तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा। करीब 87186 करोड रुपए की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से 16 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन रोका जा सकेगा। इसलिए ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी विश्व बैंक की ओर से 189 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा। के एफ डब्ल्यू नामक जर्मनी की एक दितीय सरथा इस परियोजना के लिए 637 करोड रुपए का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाएगी। परियोजना के लिए 50 करोड रुपए भारत सरकार से प्राप्त होंगे तथा शेष अशदान राजस्थान सरकार देगी।⁶

6 विद्युत उत्पादन (Generation of Electricity) - राजस्थान में 1988-89 में कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) 9 442 515 मिलियन यूनिट था जो 1991-92 में बढ़कर 12 979 591 मिलियन यूनिट हो गया। 1998-99 में कुल विद्युत उत्पादन और क्रय (शुद्ध) और बढ़कर 21 523 23 मिलियन यूनिट हो गया।

वर्ष 1992-93 में तापीय विद्युत उत्पादन 3 875 353 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन 177 498 मिलियन यूनिट था इसके अलावा 10 576 065 मिलियन यूनिट विद्युत साझेदारी परियोजनाओं से अश तथा बाह्य स्रोतों से क्रय की गई। वर्ष 1995-96 में तापीय विद्युत उत्पादन 5 209 469 मिलियन यूनिट तथा जल विद्युत उत्पादन 353 953 मिलियन यूनिट था।

साझेदारी विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन में अश भागिता (Share in Generation in Partnership Project by Rajasthan) - विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान की कुछ साझेदारी विद्युत परियोजनाएँ हैं जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। राज्य की साझेदारी परियोजनाओं में भाखरा प्रोजेक्ट चम्बल प्रोजेक्ट सतपुरा पावर स्टेशन व्यास प्रोजेक्ट तथा आर एम सी द्वितीय माही है। वर्ष 1992-93 में राजस्थान को भाखरा प्रोजेक्ट से 1 052 043 मिलियन यूनिट चम्बल प्रोजेक्ट से 642 80 मिलियन यूनिट सतपुरा पावर स्टेशन से 552 370 मिलियन यूनिट व्यास प्रोजेक्ट से 1707 653 मिलियन तथा आर एम सी द्वितीय माही से 0 114 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त हुई।

7 विद्युत क्रय (Electricity Purchased) - राजस्थान में विद्युत का उत्पादन मांग की तुलना में कम है। इस अंतराल को पाटने के लिए राजस्थान को प्रतिवर्ष विद्युत खरीदनी पड़ती है। राजस्थान ने वर्ष 1992-93 में 6 621 005 मिलियन यूनिट 1995-96 में 9 985 624 मिलियन यूनिट तथा 1998-99 में 11 300 मिलियन यूनिट (अनुमानित) विद्युत क्रय की।

8 विद्युत उपभोग (Consumption of Electricity) - राजस्थान में बिजली का उपभोग घरेलू वाणिज्यिक औद्योगिक कृषि सार्वजनिक प्रकाश सार्वजनिक पेयजल कार्य आदि क्षेत्रों में होता है। विद्युत का सर्वाधिक उपभोग बड़े पैमाने के उद्योगों में होता है। इससे बाद कृषि क्षेत्र में विद्युत का उपयोग होता है।

राजस्थान में विद्युत का कुल उपभोग 1985-86 में 4 808 011 मिलियन यूनिट था जो बढ़कर 1990-91 में 7 990 362 मिलियन यूनिट तथा 1998-99 में और बढ़कर 16 280 50 मिलियन यूनिट हो गया। राजस्थान में 1998-99 में बड़े उद्योगों द्वारा 5 843 07 मिलियन यूनिट तथा कृषि द्वारा 5 470 25 मिलियन यूनिट विद्युत का उपभोग किया गया।

राजस्थान में विद्युत के उपभोक्ता

(मिलियन यूनिट)

उपभोक्ता	1996-97	1998-99	1999-2000
1 घरेलू	2168 3	2707 5	2822 9
2 गैर घरेलू	750 9	926 4	899 0
3 औद्योगिक	4853 3	5843 1	5201 3
4 कृषि	4337 4	5470 3	6417 3
5 सार्वजनिक जल प्रदाय	559 9	661 0	719 5
6 पथ प्रकाश	77 3	102 6	87 2
7 अन्य	523 0	569 8	625 6
योग	13670 0	16281 5	16772 8

स्रोत आर्थिक समीक्षा, 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

9 विद्युतीकृत कस्बे और गाव (Town and Villages Electricity) - योजनाबद्ध विकास में विद्युतीकरण कस्बों और गावों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में राज्य में विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या केवल 42 थी। मार्च 1993 तक राज्य के 201 कस्बे विद्युतीकृत थे। वर्ष 1988-89 में विद्युतीकृत गावों की संख्या 25,024 थी जो बढ़कर 1992-93 में 29,281 तथा 1997-98 में 34,780 हो गई। वर्ष 1995-96 में 750 गावों/कस्बों को विद्युतीकृत किया गया। राजस्थान में विद्युत चालित कुओ की संख्या 1992-93 तक 430 लाख तथा 1995-96 तक 502 लाख थी। राजस्थान में मार्च 1995 में कुल ग्रामों में विद्युतीकृत ग्राम 8582 प्रतिशत थे। अखिल भारत स्तर पर विद्युतकृत ग्राम 8595 प्रतिशत थे।

10 प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (Per Capita Electricity Consumption) - राजस्थान में वर्ष 1985-86 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता 161.81 यूनिट तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 124.00 यूनिट था। वर्ष 1991-92 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता बढ़कर 286.82 यूनिट तथा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बढ़कर 136.11 यूनिट हो गया। राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर विद्युत उपलब्धता 1991-92 में 37,925 यूनिट तथा 1995-96 में 56,016 यूनिट थी। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग अखिल भारत स्तर की तुलना में कम है। राजस्थान में 1994-95 में प्रति व्यक्ति उपभोग 269.5 यूनिट था जबकि भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 320.10 यूनिट था। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1997-98 में 289 यूनिट 1998-99 में 297 यूनिट तथा 1999-2000 में 309 यूनिट था।

11 आठवीं योजना में विद्युत सृजन के कार्यक्रम - आठवीं पंचवर्षीय योजना

में राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता में 713 मेगावाट की वृद्धि निम्नलिखित स्रोतों से होने की संभावना थी

- 1 सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना 250 मेगावाट
- 2 कोटा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण 210 मेगावाट (पाचवी इकाई)
- 3 नरसिंहसर लिम्नाईट आधारित विद्युत परियोजना 2×120 मेगावाट
- 4 रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना 3 मेगावाट
- 5 मागरोल, चरणवाला, बिरसिलपुर, इटावा और पूंगल एक लघु पन बिजली परियोजना 97 मेगावाट

आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र का वास्तविक उद्व्यय 3,254 करोड़ रूपए था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक उद्व्यय 11,999 करोड़ रूपए का 27.1 प्रतिशत था।

आर्थिक विकास में विद्युत का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में सरकार विद्युत की उपलब्धता और आपूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए प्रयासरत है। राजस्थान के विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता राज्य के गठन के समय केवल 13 मेगावाट थी जो बढ़कर सितम्बर 1992 में 2,776 मेगावाट तथा फरवरी 1995 में और बढ़कर 2,988.80 हो गई। उच्च प्रसारण लाइनों की दूरी वर्ष 1981-82 में 7,123 रूट किलोमीटर थी जो अगस्त 1992 के अंत में बढ़कर 12,265 रूट किलोमीटर हो गई। यह लम्बाई राजस्थान के गठन के समय शून्य थी। 1992 में ई एच वी ग्रिड सब स्टेशनों की संख्या 132 थी।

राजस्थान में सब प्रयासों के बावजूद विद्युत की भाग और पूर्ति में अंतराल बना हुआ है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में लगभग 40 प्रतिशत विद्युत की कमी का अनुमान लगाया गया था। राजस्थान में विद्युत विकास की विपुल संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान प्रभावी भूमिका निभा सकता है। राज्य सरकार के इस ओर कारगर प्रयास प्रशंसनीय हैं। विद्युत क्षेत्र में राज्य विद्युत मंडल का घाटा तथा विद्युत की चोरी प्रमुख समस्या हैं जिनके निराकरण की आवश्यकता है। इनके अलावा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। राजस्थान को विद्युत की कमी की समस्या से निपटने के लिए ऊर्जा विकास के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना चाहिए।

सन्दर्भ

- 1 तथ्य भारती, जुलाई 1995, पृ 16
- 2 राजस्थान पत्रिका, 27 दिसम्बर, पृ 1
- 3 वही।
- 4 राजस्थान पत्रिका, 26 दिसम्बर 1996
- 5 राजस्थान उपलब्धियों के लिए क्षितिज, सौदामिनी, 4 दिसम्बर, 1994

6 राजस्थान पत्रिका, 28 दिसम्बर 1999

7 राजस्थान का औद्योगिक विकास एवं भावी सभावनाएँ, (शोध प्रबन्ध) पृ 105

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 ऊर्जा का महत्त्व बताइए।
- 2 राजस्थान में ऊर्जा विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।
- 3 मथानिया परियोजना पर टिप्पणी लिखिए।
- 4 राजस्थान के गावों में विद्युतीकरण की क्या स्थिति है।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 राजस्थान में ऊर्जा विकास पर लेख लिखिए।
- 2 राजस्थान में विद्युत शक्ति विकास का विवेचन कीजिए।
- 3 योजनाकाल में राजस्थान में विद्युत विकास की प्रगति बताइए।
- 4 राजस्थान में विद्युत विकास के राजकीय प्रयासों की समीक्षा कीजिए।
(संकेत — सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए राज्य में ऊर्जा विकास को लिखना है।)

राजस्थान में परिवहन विकास (Transport Development in Rajasthan)

आर्थिक विकास में परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन अपरिहार्य है। परिवहन के साधनों से सतुलित विकास की गति मिलती है। कच्चे माल की अतिरिक्त उपलब्धता को अन्य स्थानों को आपूर्ति किया जा सकता है और स्थान विशेष का प्राकृतिक ससाधनों के अभाव में भी विकास किया जा सकता है। आज परिवहन के साधनों का औद्योगिक विकास में ही महत्त्व नहीं अपितु प्राकृतिक आपदाओं के समय में बड़ी उपादेयता है। परिवहन का सांस्कृतिक महत्त्व है। युद्ध के समय तो परिवहन के साधनों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। परिवहन में मुख्यतः रेल, सड़क व वायु यातायात को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में परिवहन विकास पर ध्यान दिया गया है। सड़क परिवहन के क्षेत्र में तो राजस्थान ने गति पकड़ी है किन्तु रेल व वायु यातायात की दृष्टि से राजस्थान तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है।

राजस्थान में सड़क परिवहन (Road Transport in Rajasthan)

बड़े महानगर और शहर सामान्यतः वायु और रेल यातायात से जुड़े होते हैं। भारत गावों का देश है और राजस्थान सरीसृप प्रदेश में तो बहुसंख्यक आबादी गावों में जीविका बसर जाती है। सड़क ही गावों के विकास का पर्याय है। जहाँ-जहाँ सड़कें पहुँची हैं समृद्धि स्वतः ही दृष्टिगोचर हो जाती है। सड़कों के विकास के बिना गाव अधूरे हैं। सड़कों के अभाव में दूरदराज के ग्रामवासियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राजमार्ग की चीजे गावों में मुहैया नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को अपनी आवश्यकताएँ सीमित कर लेनी पड़ती हैं। सड़कों के अभाव में गावों का सामाजिक विकास भी गति नहीं पकड़ पाता है। ग्रामीण विकास के लिए सड़कों की महती भूमिका है। सड़कों द्वारा ही गावों के अतिरिक्त उत्पाद को लाभप्रद स्थानों के लिए यातायात किया जा सकता है। कृषि पकड़ को गावों में सड़कों से सहज उपलब्ध कराया जा सकता है।

1 यातायात विकास पर योजना परिव्यय (Plan Outlay on Roads Transport) – राजस्थान के सड़क परिवहन की दृष्टि से पिछड़े हुए होने के कारण योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय में वृद्धि की गई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात विकास पर परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। यातायात व्यय विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार रहा प्रथम योजना में 56 करोड़ रुपए, द्वितीय योजना 102 करोड़ रुपए, तृतीय योजना में 98 करोड़ रुपए, तीन वार्षिक योजनाएँ 44 करोड़ रुपए, चतुर्थ योजना 100 करोड़ रुपए, पाचवी योजना 84.2 करोड़ रुपए, छठी योजना 251.0 करोड़ रुपए, सातवी योजना में 142.5 करोड़ रुपए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यातायात पर 868 करोड़ रुपए व्यय किया गया जो कुल योजना उद्व्यय 11,999 करोड़ रुपए का 7.2 प्रतिशत था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में यातायात पर 2,689.2 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है जो कुल योजना उद्व्यय का 9.7 प्रतिशत है। राज्य की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में यातायात विकास शीर्ष पर 954.2 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया जो कुल वार्षिक योजना 5,022 करोड़ रुपए का 15 प्रतिशत है। वर्तमान में परिवहन विकास राज्य सरकार का महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है।

2 सड़कों का विकास (Development of Road) – योजनाबद्ध विकास में यातायात परिव्यय में वृद्धि से सड़क परिवहन का विकास हुआ है। राजस्थान में सड़कों की लम्बाई 1950-51 में केवल 17,339 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1980-81 में 41,194 किलोमीटर हो गई।

राजस्थान में वर्ष दर वर्ष सड़कों के विकास में वृद्धि हो रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लम्बाई 1990-91 में 58,350 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1993-94 में 63,078 तथा 1995-96 में और बढ़कर 66,837 किलोमीटर हो गई। सड़कों की लम्बाई 1998-99 में 84,958 किलोमीटर थी। राजस्थान में 1950-51 से 1998-99 के बीच अड़तालीस वर्षों की समयावधि में सड़कों की लम्बाई में पांच गुना वृद्धि हुई है। सड़कों की लम्बाई 1999-2000 में 87,511 किलोमीटर थी।

3 सड़क विकास में असमानता (Inequality in Road Development) – नियोजित विकास में सड़कों की लम्बाई में वृद्धि हुई है किन्तु सड़कों के विकास में असमानता है। राजस्थान में सड़कों की लम्बाई की दृष्टि से जोधपुर, पाली, बाडमेर, भीलवाड़ा विकसित हैं। वर्ष 1992-93 में इन जिलों में सड़कों की लम्बाई राज्य की कुल सड़कों का लगभग 31 प्रतिशत थी।

राजस्थान में वर्ष 1992-93 में सड़कों की सबसे कम लम्बाई दौसा जिले में थी, वहाँ सड़कों की लम्बाई केवल 636 किलोमीटर थी। बारा जिले में सड़कों की लम्बाई 806 किलोमीटर थी। इसके विपरीत जोधपुर में सड़कों की लम्बाई सर्वाधिक 4,812 किलोमीटर थी। इस प्रकार जिलेवार सड़कों की लम्बाई में भारी असमानता है। वर्ष 1995-96 में सड़कों की सबसे अधिक लम्बाई जोधपुर में 4,957

किलोमीटर तथा सबसे कम सड़कें दौसा में 874 किलोमीटर थी। सवाईमाधोपुर में 1995-96 में 2,268 किलोमीटर सड़कें थी।

4 नागपुर वर्गीकरण के अनुसार रोड (Road by Nagpur Classification) - नागपुर वर्गीकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, बड़ी जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें सम्मिलित की जाती हैं। नागपुर वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सड़क विकास निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

नागपुर वर्गीकरण के अनुसार सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर)

वर्गीकरण	1985-86	1992-93	1995-96	1998-99	1999-2000
राष्ट्रीय राजमार्ग	2521	2846	2846	2964	2964
राज्य राजमार्ग	7457	7151	9810	9990	9966
मुख्य जिला सड़कें	3616	3638	5549	5789	5947
अन्य जिला सड़कें					
और ग्रामीण सड़कें	34603	45646	46393	63976	66395
सीमावर्ती सड़कें	2239	2239	2239	2239	2239
योग	50436	61520	66837	84958	87511

Source 1 Basic Statistics, Rajasthan 1988 & 1994

2 आर्थिक समीक्षा, 1995-96, 1998-99, 1999-2000, राजस्थान सरकार।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई काफी कम है। वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2,521 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1995-96 में 2,846 किलोमीटर तथा 1998-99 में 2,964 किलोमीटर हो गई। वर्ष 1998-99 में राज्य राजमार्ग की लम्बाई 9,990 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें 5,789 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें 63,976 किलोमीटर तथा सीमावर्ती सड़कें 2,239 किलोमीटर थीं। राजस्थान में 1951 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की औसत लम्बाई केवल 5.4 किलोमीटर थी। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की औसत लम्बाई 1995-96 में 33.12 किलोमीटर तथा 1998-99 के अन्त में 43.67 किलोमीटर थी। जबकि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में अखिल भारतीय सड़कों की औसत लम्बाई 1998-99 में 73 किलोमीटर है। यह स्थिति राजस्थान के सड़क परिवहन की दृष्टि से पिछड़ेपन को दर्शाती है।

5 मोटर परिवहन का विकास (Development of Motor Transport) - योजनाबद्ध विकास में राजस्थान में पजीकृत मोटर वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पजीकृत वाहनों में प्राइवेट कारों, जीप, मोटर साइकिल, आटो साइकिल,

आटोरिवशा, स्कूटर, टैक्सी कार, ट्रेक्टर, हेलर्स, स्टेट कैरेज आदि मुख्य हैं।

राजस्थान में 1985-86 में पंजीकृत वाहनो की संख्या 5.72 लाख थी जो बढ़कर 1994-95 में 15.85 लाख हो गई। इस प्रकार केवल नौ वर्षों में पंजीकृत वाहनो की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि हो गई। राज्य में जैसे-जैसे सड़को का विकास और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है वैसे-वैसे पंजीकृत वाहनो की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पंजीकृत वाहनो की संख्या 1997 में 21.27 लाख तथा 1998 में 22 लाख थी। जो 1999 में और बढ़कर 26.48 लाख हो गयी।

6. सड़क दुर्घटनाएं (Road Accidents) - राजस्थान में सड़क परिवहन के विकास के साथ बढ़ती सड़क दुर्घटना चिन्ता की बात है सड़क दुर्घटना से जान और माल की भारी क्षति होती है। राजस्थान में वर्ष 1986 में 5,724 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं इनमें 2,121 व्यक्ति मारे गए तथा 5,975 व्यक्ति जख्मी हुए। 1992-93 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और बढ़कर 12,757 हो गई इनमें मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,893 हो गई। सर्वाधिक सड़क दुर्घटना जयपुर में होती है। वर्ष 1993 में जयपुर में 2,911 सड़क दुर्घटना हुईं इसके विपरीत जैसलमेर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 82 थी। राजस्थान में 1996 में 18,891 सड़क दुर्घटनाओं में 5,430 व्यक्ति मारे गए तथा 24,214 व्यक्ति जख्मी हुए।

7. ग्रामीण सड़कें (Village Roads) - राजस्थान में विगत दस वर्षों में अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़को की लम्बाई में वृद्धि हुई है। ग्रामीण सड़को की लम्बाई 1985-86 में 34,603 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1992-93 में 45,646 किलोमीटर, 1995-96 में 46,393 किलोमीटर तथा 1998-99 में और बढ़कर 63,976 किलोमीटर हो गयी। राज्य में ग्रामीण सड़को की लम्बाई में अवश्य वृद्धि हुई है इसके बावजूद अधिकांश गाव सड़को से जुड़े हुए नहीं हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार 31 मार्च 1994 तक 33,305 गावों में से 14,125 गाव सड़कों से जुड़े थे। सड़को से जुड़े गावों का प्रतिशत 42.4 था। 1981 की जनगणना के अनुसार सड़कों से जुड़े गावों का प्रतिशत कम है। 34,968 गावों में से 9,805 गाव ही सड़को से जुड़े थे। सड़कों से जुड़े गावों का प्रतिशत 28 था। 1981 की जनगणना के अनुसार 1,000 से कम जनसंख्या के 26,822 गावों में 8,031 गाव सड़कों से जुड़े थे। 1,000 से 1,500 तक जनसंख्या के 3,691 गावों में 2,542 गाव सड़कों से जुड़े थे तथा 1,500 से अधिक जनसंख्या वाले 4,455 गावों में 4,089 गाव सड़को से जुड़े थे। वर्ष 1993-94 तक 78 प्रतिशत गाव सड़को से जुड़े नहीं थे।

नौदी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (सन् 2002) राजस्थान के सभी 37 हजार गावों को सड़को से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सातवीं योजना में सड़को के विकास के लिए जो बजट 24 प्रतिशत था वह 1999-2000 में 15 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। 1996 में सड़को से जुड़े गावों की तादाद 19 हजार थी। 31 मार्च 1997 तक 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी

वाले गाव डामर की सड़को से जोड़ने का लक्ष्य था तथा मार्च 1999 तक प्रत्येक पंचायत केन्द्र सड़क से जोड़ने का लक्ष्य था। राजस्थान में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 37,889 आबाद गाव है। इनमें से मार्च 1998 के अंत तक 14,148 गावों को सड़क से जोड़ दिया गया अर्थात् राज्य में 373 गाव सड़को से जुड़े थे। मार्च 1999 के अन्त तक सड़को से जुड़े गाव 15,198 (सभावित) थे। नवम्बर 1998 तक 7,256 पंचायत मुख्यालयों को बीटी सड़को से जोड़ दिया गया है और शेष रहे पंचायत मुख्यालयों को नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में सड़को से जोड़ जाना प्रस्तावित है।²

आजादी के अनेक बरस बीत जाने के बावजूद भी असंख्या गावों का सड़को से जुड़े नहीं होना चिन्ताप्रद है। सड़क परिवहन के लिए वित्तीय ससाधनों के अभाव के साथ विषम भौगोलिक स्थिति भी सड़क विकास में बाधा है। विषम भौगोलिक स्थिति के कारण सड़को में स्थायित्व नहीं रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों और रेत के धोरों पर सड़क निर्माण कठिन है। सड़के गावों के विकास का विकल्प है अंत ग्रामीण सड़को के विकास पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की महती आवश्यकता है। समयबद्ध कार्यक्रम के तहत निकट भविष्य में सभी गावों को सड़को से जोड़ा जाना चाहिए। सड़क परिवहन पर विनियोजन में वृद्धि की जानी चाहिए। आबटित राशि का सार्थक उपयोग हो। सड़को के निर्माण के गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाए। प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सड़को के पुनर्निर्माण की माकूल व्यवस्था हो।

परिवहन के साधनों में सड़को का सांस्कृतिक महत्त्व भी है। युद्ध के समय तो सड़को की महत्ता और भी बढ़ जाती है। राजस्थान की बहुसंख्यक आबादी गावों में जीवन बसर करती है। सड़क विकास से गावों की समृद्धि सहज दृष्टिगोचर होती है। सड़को से गावों में सामाजिक विकास गति पकड़ता है। सड़को के विकास की दृष्टि से राज्य लम्बे समय तक पिछड़ा रहा। आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। योजनाबद्ध विकास में सड़क परिवहन पर ध्यान केन्द्रित करने तथा पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात विकास पर परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि से राज्य में परिवहन के क्षेत्र में सुधार हुआ है। सड़क यातायात में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम प्रासंगिक भूमिका निभा रहा है।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (Rajasthan State Road Transport Corporation, RSRTC) - यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना में 1964 में हुई। वर्ष 1991-92 में निगम के कुल वित्तीय ससाधन 153 करोड़ रुपए थे। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने पिछले वर्षों में लाभ अर्जित किया है। विगत वर्षों में निगम द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है 1989-90 में 15.3 लाख रुपए, 1992-93 में 127 करोड़ रुपए, 1993-94 में 22.4 करोड़ रुपए। वर्ष 1995-96 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 26 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। लाभ अर्जित करने

की दृष्टि से निगम ने कीर्तिमान स्थापित किया है। 1990-91 में निगम को 86 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्ष 1998-99 में 5110 करोड़ किलोमीटर बस संचालन का लक्ष्य रखा था इसके विरुद्ध दिसम्बर 1998 तक 3849 करोड़ किलोमीटर बसे संचालित की गई। वित्त वर्ष 1998-99 में 410 पुरानी बसों को नयी बसों में बदलने का लक्ष्य रखा गया था इसके विरुद्ध दिसम्बर 1998 तक 400 बसों के चेसिस खरीदे जा चुके थे।

सड़क परिवहन के सबंध में राजस्थान को 'मॉडल स्टेट' माना जा सकता है। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था और कार्यविधि अनुकरणीय है। राजस्थान सरकार ने परिवहन निगम विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया। राज्य के 32 जिलों में चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की योजना है भविष्य में सड़क परिवहन सेवा में सुधार की आशा की जा सकती है।

राजस्थान में रेल मार्ग

(Rail Route in Rajasthan)

1 वर्तमान स्थिति (Present Position) – तीव्र औद्योगिक विकास वास्ते रेल परिवहन आवश्यक है। राजस्थान रेल परिवहन की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। विगत कुछ वर्षों में राजस्थान का सामरिक महत्त्व होने के कारण थार मरुस्थल में रेलवे विकास पर बल दिया गया है जिससे रेल परिवहन में विकास की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। राजस्थान में रेल मार्गों की लम्बाई लगभग 6,500 किलोमीटर है जो भारत के कुल रेल मार्गों 62,500 किलोमीटर का केवल 10.4 प्रतिशत ही है।

राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर वर्ष 1990-91 में रेल मार्ग की लम्बाई 13.28 किलोमीटर थी जो अखिल भारत स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पर रेल मार्ग की लम्बाई 7.39 किलोमीटर से अधिक थी। राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर रेल मार्ग की लम्बाई 1997-98 में 13.43 किलोमीटर थी। क्षेत्रफल के हिसाब से रेल मार्गों की लम्बाई में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की लम्बाई केवल 17 किलोमीटर है जो अन्य राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि की तुलना में कम है। पश्चिम बंगाल में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर में रेल मार्ग की लम्बाई 43 किलोमीटर है जो देश में सर्वाधिक है।

2 रेल मार्गों का विकास (Development of Rail Route) – स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रेल मार्गों का विकास नगण्य सा था। थोड़ा बहुत रेल मार्गों का विकास जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत तथा उदयपुर रियासत में हुआ था। झुंझरपुर, बासवाड़ा जैसलमेर रियासतें रेल मार्गों से जुड़ी हुई नहीं थी। स्वातन्त्र्योत्तर रेल विकास का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने हाथों में लिया। रेल परिवहन भारत

सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। राजस्थान में रेल विकास का दायित्व भारत सरकार पर है। राजस्थान के रेल परिवहन की दृष्टि से पिछड़े होने के लिए बड़ी सीमा तक केन्द्र सरकार को जिम्मेदार माना जा सकता है।

(i) रेलवे जोन - राजस्थान में उत्तरी रेलवे (Northern Railway), पश्चिम रेलवे (Western Railway) तथा केन्द्रीय रेलवे (Central Railway) है। राजस्थान में सेन्ट्रल रेलवे की कुल लम्बाई 1990-91 में 117.86 किलोमीटर थी। वर्ष 1990-91 उत्तरी रेलवे की कुल लम्बाई 2659.13 किलोमीटर तथा पश्चिम रेलवे की कुल लम्बाई 3,050.31 किलोमीटर थी।

(ii) ब्रोड गेज (Broad Gauge) - राजस्थान 1990-91 में ब्रोडगेज की लम्बाई 1,235.27 किलोमीटर थी जिसमें 490.70 किलोमीटर रेल मार्ग विद्युतीकृत था। वर्ष 1997-98 में ब्रोड गेज की लम्बाई बढ़कर 3006.4 किलोमीटर हो गयी।

(iii) मीटर गेज (Metre Gauge) - राजस्थान में 1990-91 में मीटर गेज की लम्बाई 4,505.52 किलोमीटर थी। राज्य में मीटर गेज विद्युतीकृत नहीं है। भारतीय रेल की सभी मीटर गेज लाइनों को ब्रोड गेज में बदलने की योजना है। राज्य में मीटर गेज की लम्बाई 1997-98 में 2814.7 किलोमीटर थी।

(iv) नेरो गेज (Narrow Gauge) - 1990-91 में नेरो गेज की लम्बाई 86.51 किलोमीटर थी। राज्य का सम्पूर्ण नेरो गेज सेन्ट्रल रेलवे में सम्मिलित है। वर्ष 1997-98 में नेरो गेज की लम्बाई बढ़कर 88.8 किलोमीटर हो गयी।

(v) विद्युतीकृत रेल मार्ग (Electrified Route) - राजस्थान में विद्युतीकृत रेल मार्ग का अभाव है। राज्य में 1990-91 में सेन्ट्रल रेलवे में ब्रोडगेज 3।35 किलोमीटर तथा पश्चिम रेलवे में ब्रोडगेज 459.35 किलोमीटर मार्ग विद्युतीकृत था। इस प्रकार राज्य में 1990-91 में विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 490.70 किलोमीटर थी। वर्ष 1997-98 तक विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई मामूली बढ़कर 491.2 किलोमीटर हो गयी।

3. प्रमुख रेल मार्ग (Major Rail Route) - राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गों में जयपुर-मुम्बई रेलमार्ग, जोधपुर-हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली-अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर-दिल्ली रेलमार्ग, बीकानेर-दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर-दिल्ली रेलमार्ग, जयपुर-गगानगर रेल मार्ग, बीकानेर-गगानगर रेल मार्ग, फुलेरा-दिल्ली रेलमार्ग आदि मुख्य हैं।

4 प्रमुख रेल गाड़ियां (Major Trains) - राजस्थान में जयपुर-दिल्ली रेल मार्ग पर तीव्र गति की रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। जयपुर को ब्रोडगेज से जोड़े जाने के बाद जयपुर-मुम्बई सुपर फास्ट, जोधपुर-हावड़ा सुपरफास्ट, जयपुर-चेन्नई एक्सप्रेस, जयपुर-इन्दौर एक्सप्रेस, जयपुर-बंगलौर एक्सप्रेस प्रारम्भ हो चुकी है। राजस्थान में चलने वाली अन्य रेल गाड़ियों में आश्रम एक्सप्रेस, पिकसिटी एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस, गगानगर एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, अवध एक्सप्रेस, जनता

एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, स्वर्णमंदिर मेल आदि प्रमुख हैं।

5 गेज परिवर्तन (Gauge Change) - वर्ष 1992-93 में जयपुर-सवाई माधोपुर 132 किलोमीटर रेलमार्ग का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 1992-93 में लालगढ़-कोलायात तथा लालगढ़ मेड़ता रोड का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 1993-94 में मेड़ता रोड-फुलेरा, जयपुर-अलवर-रेवाड़ी तथा जयपुर-अजमेर-मारवाड रेल मार्ग का गेज परिवर्तन किया गया। वर्ष 1994-95 में मेड़ता रोड-जाधपुर तथा जोधपुर-जैसलमेर रेल मार्ग का गेज परिवर्तन किया गया।

आर्थिक उदारीकरण में राजस्थान में रेल विकास

(Rail Development in Rajasthan During Economic Liberalization)

वर्ष 1996-97 के रेल बजट में प्रशासनिक आवश्यकता के कारण जयपुर में रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई तथा राज्य के लिए नई चार रेल गाड़ियाँ यथा बीकानेर-मेड़ता रोड लिंक एक्सप्रेस हावड़ा तक, जयपुर-चेन्नई साप्ताहिक एक्सप्रेस, अहमदाबाद-जोधपुर-बीकानेर एक्सप्रेस एवं दिल्ली अहमदाबाद मेल (बडी लाइन) चलाने की घोषणा की गई। जोधपुर-लखनऊ मरुधर एक्सप्रेस को धाराणसी तक बढ़ाया गया। दौसा से गंगापुर सिटी तक नई रेल लाइन का कार्य बजट में शामिल किया गया। वर्ष 1997-98 में गगानगर-स्वरूपसर, बीकानेर-हिसार, रेवाड़ी-सादुलपुर, अजमेर-घिचौड़गढ़-उदयपुर आभान (Gauge) परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण की घोषणा की गई। वर्ष 1999-2000 में राजस्थान में रेलवे विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इस वर्ष राजस्थान से केवल एक रेलगाड़ी जयपुर-धगलौर सिकंदराबाद (सप्ताह में दो बार) चलाई गई। एक मीटर गेज की रेलगाड़ी बीकानेर-जयपुर एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र अजमेर तक बढ़ाने की घोषणा की गई। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित अनूपगढ़-बीकानेर, जैसलमेर-काडला, रामगज मंडी-झालावाड़-भोपाल मार्गों पर नई रेल लाइन के सर्वेक्षण की घोषणा की गई।

राजस्थान में रेल परिवहन की समस्याएँ और समाधान

(Problems and Solutions of Rail Transport in Rajasthan)

- 1 रेलवे विकास में क्षेत्रीय विषमता की समस्या विकट है। राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई केवल 17 किलोमीटर है जो पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा की तुलना में कम है।
- 2 राजस्थान भारत का सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद भी रेल विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हाल के रेल बजटों में राजस्थान के लिए कम धन आवंटित किया गया।
- 3 जयपुर-सवाईमाधोपुर ब्रोडगेज रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण नहीं है। मत्स्य सभ का ऐतिहासिक क्षेत्र करौली रेल परिवहन के अभाव में आज भी पिछड़ा है जबकि यहाँ विकास की विपुल सभावनाएँ हैं।
- 4 राज्य में रेल दुर्घटना, चोरी, गाड़ियों को जगह-जगह रोक लेना, बिना

टिकट यात्रा, गन्दगी आदि समस्याएँ आम हैं। राजस्थान में 21 सितम्बर 1993 का पश्चिम रेलवे के छबड़ा तथा भूलोन रेलवे स्टेशन के बीच कोटा-बीना यात्री गाड़ी तथा एक मालगाड़ी के बीच टक्कर में 78 लोगों की मौत हुई तथा 88 लोग घायल हुए।

- 5 राजस्थान के कई जिले झालावाड़, करौली आदि रेल से जुड़ हुए नहीं हैं। ब्राडगेज और विद्युतीकृत रेल मार्गों का अभाव है।

सुझाव (Suggestion)

- 1 राजस्थान की आर्थिक और सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए रेल मंत्रालय को रेल विकास परिषद में वृद्धि करनी चाहिए। राज्य में अधिक रेल गाड़ियाँ चलाने, पुरानी गाड़ियों के फेंके बटाने, गेज परिवर्तन व अधिक विद्युतीकरण की आवश्यकता है।
- 2 जयपुर-चेन्नई साप्ताहिक रेल को सातों दिन चलाने की आवश्यकता है। बारा गुना होते हुए एक ओर रेल चलाई जानी चाहिए।
- 3 कोटा-गुना-बीना रेलमार्ग के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण की आवश्यकता है। जयपुर-सवाईमधोपुर रेल मार्ग का शीघ्र विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा जयपुर-सवाईमधोपुर रेल को कोटा तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

राजस्थान में विकास की संभावनाएँ बिखरी पड़ी हैं। विगत दशकों में रेल विकास की दृष्टि से पिछड़े राजस्थान की केन्द्र सरकार यदि सुध ले तो राज्य का आर्थिक कार्यालय संभव है।

राजस्थान में वायुमार्ग

(Air Route in Rajasthan)

राजस्थान वायु परिवहन की दृष्टि से देश का पिछड़ा हुआ राज्य है। राजस्थान में वायु मार्गों और हवाई अड्डों का नितांत अभाव है। राजधानी जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। राज्य के कुछ ही जिलों में वायु सेवा उपलब्ध है। राजस्थान के वायु परिवहन की दृष्टि से विकसित नहीं होने के कारण तीव्र औद्योगीकरण में बाधा आती है।

वायु परिवहन का विकास (Development of Air Transport) — स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में वायु परिवहन का विकास नहीं के बराबर था। राज्य में केवल जोधपुर में ही हवाई अड्डा था जो दिल्ली व कराची से जुड़ा था। वर्ष 1947 में बीकानेर जोधपुर वायु सेवा प्रारम्भ हुई।

स्वातन्त्र्योत्तर 1953 में वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु यातायात का संचालन नागर विमानन विभाग करता है। देश में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स प्रमुख वायु सेवाएँ हैं। हाल के उदारीकरण में वायु यातायात में

निजी वायु सेवाएँ प्रारम्भ हुई हैं। राजस्थान में वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है -

वायु मार्ग (Air Routes) - वर्तमान में राजस्थान में केवल तीन मुख्य मार्ग हैं जिनके नाम हैं - दिल्ली-आगरा-जयपुर, दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-मुम्बई, दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई।

हवाई अड्डे (Aerodromes) - राजस्थान में सागानेर (जयपुर), डबोक (उदयपुर), कोटा एयरपोर्ट, रातानाडा (जोधपुर) आदि हवाई अड्डे हैं। इन हवाई अड्डों के अलावा सूरतगढ तथा बाडमेर में सैनिक महत्त्व के हवाई अड्डे हैं। बीकानेर में भूमिगत सैनिक हवाई अड्डा है।

उपर्युक्त विवरण राजस्थान में वायु परिवहन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। राजस्थान औद्योगिक घरानों का प्रदेश है। यहाँ जन्मे उद्योगपतियों ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन्तु राजस्थान में आधारभूत संरचना विशेषकर परिवहन के साधनों के अभाव के कारण पूँजी निवेश में वृद्धि नहीं हो सकी। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भारत का समृद्ध राज्य है। यहाँ के पर्यटन स्थलों विशेषकर रणथम्भौर, सरिस्का, घना राष्ट्रीय पार्क तथा ऐतिहासिक स्थलों-चित्तौडगढ़, रणथम्भौर दुर्ग आदि में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों को वायु सेवाओं से जोड़कर विदेशी पर्यटकों से विदेशी विनिमय प्राप्त कर भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि की जा सकती है।

सन्दर्भ

- 1 राजस्थान पत्रिका, 27 दिसम्बर 1996
- 2 आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।
- 3 *Statistical Abstract, Rajasthan, 1993, p 208*

प्रश्न एवं संकेत

लघु प्रश्न

- 1 राजस्थान की ग्रामीण सड़कों पर टिप्पणी लिखिए।
- 2 सड़कों के वर्गीकरण को समझाइए।
- 3 राजस्थान में रेल विकास की क्या स्थिति है?
- 4 राजस्थान में वायु परिवहन की स्थिति स्पष्ट कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 राजस्थान में परिवहन विकास पर प्रकाश डालिए।
(संकेत - इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्याय में दिए गए राज्य में सड़क वायु व रेल परिवहन के विकास को लिखना है।)

- 2 राजस्थान में सड़क परिवहन की वर्तमान स्थिति और समस्याओं का वर्णन कीजिए।

(M.D.S. University Ajmer, 1999)

(संकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में सड़क परिवहन की वर्तमान स्थिति तथा दूसरे भाग में सड़क परिवहन की समस्याओं को लिखना है।)

- 3 राजस्थान के रेल मार्गों की क्या स्थिति है। आर्थिक उदारीकरण में राज्य में रेल विकास के क्या प्रयास किये गए। रेल परिवहन की समस्याएँ तथा समाधान बताइए।

(संकेत — प्रश्न के प्रथम भाग में राजस्थान में रेल मार्गों की स्थिति बतानी है तदुपरांत उदारीकरण में रेल विकास के प्रयासों को लिखना है। प्रश्न के तीसरे भाग में रेल परिवहन की समस्याएँ और समाधान का विवेचन करना है।)

Notes